पंचदश माला, खंड 31, अंक 10

गुरुवार, 7 मार्च, 2013
16 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 10 Feb 2016

7 मार्च 2013

(खंड 31 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वनाथन
महासचिव
लोक सभा

विपिन कुमार मित्तल
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 31, तेरहवां सत्र, 2013/1934 (शक)]

अंक 10, गुरुवार, 7 मार्च, 2013/16 फाल्गुन, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 142	2-140
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 143 से 160	140-200
अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840	200-1144
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1145-1150
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री एस. जयपाल रेड्डी	1150
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए मानदंडों में छूट दिये जाने की आवश्यकता	
श्री सतपाल महाराज	1151
(दो) महाराष्ट्र में नागभीड़ और नागपुर के बीच रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता	
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1152

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(तीन) उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री कमल किशोर 'कमांडो'........ 1152

(चार) सड़क राज्य परिवहन निगमों को आम उपभोक्ता के समान किफायती दरों पर डीजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के. सुधाकरण........ 1153

(पांच) डेंगू को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों, विशेष रूप से तिरुनेलवेली को चिकित्सा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू........ 1154

(छह) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मदरसों के शिक्षकों की नौकरियों को नियमित करने के साथ-साथ उन्हें वेतन प्रदान कराये जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह........ 1155

(सात) ओएनजीसी द्वारा असम के तेल क्षेत्रों में तेल उत्पादन में तेजी लाने के लिए जरूरी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती विजया चक्रवर्ती........ 1155

(आठ) अहमदाबाद, गुजरात में एक नया ईएसआई मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक........ 1156

(नौ) झारखंड में संथाल परगना के पाकुर, दुमका ओर देवघर जिलों के विकास में तेजी लाने के लिए इन जिलों को एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे........ 1156

(दस) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ियों में बच्चों की बढ़ी हुई दरों के अनुसार भोजन दिए जाने तथा आंगनवाड़ियों में रसोइयों के मानदेय में भी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री के.डी. देशमुख........ 1157

विषय	कॉलम
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, नोएडा में मैसर्स देवू मोटर्स के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1158
(बारह) तमिलनाडु में धर्मापुरी जिले में एमपीलैंड्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. थामराईसेलवन	1159
(तेरह) महाराष्ट्र में भीषण सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1159
(चौदह) ईपीएफ पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री जोस के. मणि	1159
नियम 193 के अधीन चर्चा	
श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा	
श्री टी.आर. बालू	1161
श्री यशवंत सिन्हा	1169
डॉ. एम. तम्बिदुरई	1178
श्री मुलायम सिंह यादव	1185
श्री एस. अलागिरी	1189
श्री दारा सिंह चौहान	1192
श्री जगदीश शर्मा	1193
प्रो. सौगत राय	1194
श्री पी.आर. नटराजन	1202
श्री पी. लिंगम	1203
श्री भर्तृहरि महताब	1206

विषय	कॉलम
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1209
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1210
श्री सुवेन्दु अधिकारी	1211
श्री एस. सेम्मलई	1211
श्री शरद यादव	1213
श्री दयानिधि मारन	1214
श्री अर्जुन राम मेघवाल	1217
श्री लालू प्रसाद	1218
श्री ए. गणेशमूर्ति	1219
श्री थोल तिरुमावलावन	1222
श्री सी. शिवासामी	1227
श्री नामा नागेश्वर राव	1228
श्री अजय कुमार	1229
श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन	1230
डॉ. तरुण मंडल	1231
श्री आर. थामराईसेलवन	1233
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1234
श्री नारनभाई काछड़िया	1235
श्री सलमान खुर्शीद	1236

रेल अभिसमय समिति के तीसरे प्रतिवेदन का अनुमोदन के बारे में संकल्प

रेल बजट (2013-14)—सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगे (रेल), 2013-14

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल), 2012-13

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल), 2010-11

श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1255
श्री जगदम्बिका पाल	1277

विषय	कॉलम

श्री मोहन जेना 1299

श्री रुद्रमाधव राय 1303

श्री वीरेन्द्र कश्यप 1304

श्रीमती कमला देवी पटले 1306

श्री मकनसिंह सोलंकी 1308

श्रीमती ज्योति धुर्वे 1310

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर 1312

श्री गजानन ध. बाबर 1315

श्री सोहन पोटाई 1321

श्री धनंजय सिंह 1322

श्री विष्णु देव साय 1328

श्री दिनेश चन्द्र यादव 1330

श्री वीरेन्द्र कुमार 1335

श्री सुवेन्दु अधिकारी 1339

डॉ. रामचन्द्र डोम 1342

श्री वैजयंत पांडा 1348

श्री चन्द्रकांत खैरे 1353

डॉ. रघवंश प्रसाद सिंह 1357

डॉ. तरुण मंडल 1362

श्री चंदूलाल साहू 1364

श्री माणिकराव होडल्या गावित 1365

श्री पी.के. बिजू 1367

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 1371

श्री अशोक कुमार यादव 1381

श्री गणेश सिंह 1388

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका........ 1407-1408

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका........ 1407-1430

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका........ 1431-1432

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका........ 1431-1434

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरूवार, 7 मार्च, 2013/16 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने एक पूर्व सहयोगी श्री कृष्ण कुमार चौधरी के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री कृष्ण कुमार चौधरी बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल संसदविद्, श्री कृष्ण कुमार चौधरी ने गृह कार्य संबंधी समिति और इस्पात और खान मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री कृष्ण कुमार चौधरी का निधन 50 वर्ष की आयु में 24 दिसम्बर, 2012 को सूरत, गुजरात में हुआ।

हम श्री कृष्ण कुमार चौधरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और में इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी दरे मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब 'प्रश्न काल' – प्रश्न संख्या 141.

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। हम आपकी बात सुन चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठेंगे, तभी हम कुछ करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए। कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या योगी जी को बोलना है? ठीक है, मैं उनको बुला रही हूं, उसके बाद प्रश्नकाल चलाइए। फिर इनके बाद कोई और नहीं बोलेगा। योगी जी आप बहुत संक्षेप में बोलिए। इनके बाद कोई नहीं बालेंगे।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) **:** अध्यक्ष महोदया, मैं कल दिल्ली में गोरखपुर की यात्रा पर जा रहा था। गाजियाबाद स्टेशन पर जैसे ही मैं पहुंचा, गाड़ी पहुंची। सादी वर्दी में कुछ लोग मेरे कूपे में आए। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ वार्ता करनी है। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि आप बाहर चलिए, आपसे बात करनी है। मैंने उनसे कहा कि आप अपना परिचय तो दीजिए। थोड़ी देर में पुलिस की वर्दी में लोग आए और मुझे जबरदस्ती खींचते हुए बाहर लेकर चले गए। मैंने उनसे कहा कि कोई नोटिस हो, किसी प्रकार का कोई सम्मन या वारण्ट हो, लेकिन कुछ नहीं था। केवल जबरदस्ती और गुंडागर्दी करते हुए। मेरी उनसे 15-20 मिनट तक बहस होती रही और वे मुझे बाहर खींच कर लेकर आ गए। 20 मिनट के बाद प्रैस और मीडिया के लोग आ गए। उनको देखकर सब के सब भाग गए। मुझे लगभग दो घंटे गलत तरीके से स्टेशन पर रोका गया। साढ़े दस बजे के बाद एसएसपी गाजियाबाद वहां आते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर मुझे क्यों रोका गया है और पिछले दो घंटे से मैं यहां खड़ा हूं, न मेरा सामान मौजूद है और न मेरा स्टाफ मौजूद है। आखिर कौन लोग थे, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती उतारा और फिर भाग गए। चूंकि तब तक मीडिया आ चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता वहां मौजूद हो चुके थे। जब मुझे उतारा जा रहा था तो एक पुलिसकर्मी तो मेरा यह कार्ड लेकर जबरदस्ती

भाग रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसका हाथ पकड़कर के उसके हाथ से इस कार्ड को छीना। यह स्थिति वहां साढ़े दस बजे के बाद है। जब एसएसपी आए तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर नगर के टांडा में एक हिन्दू नेता की हत्या हुई है और हमें आशंका है, वहां के जिलाधिकारी को आशंका है कि आप वहां जा सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि दिल्ली और गोरखपुर के रूट में कहीं अम्बेडकर नगर नहीं पड़ता है। चार स्टेशन-लखनऊ, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर से लगभग सौ किलोमीटर की दूरी पर अम्बेडकर नगर जनपद पड़ता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यदि मैं वहां जाना भी चाहता हूं तो मुझे वहां के नजदीकी किसी भी जिले में रोका जा सकता है। फिर मुझे ट्रेन में कोई नोटिस सर्व करायी जानी चाहिए। मेरे साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर के आप क्या साबित करना चाहते हैं?...*(व्यवधान)* मैडम, मेरे पूरे हाथ में चोट के निशान हैं। मुझे खींचा गया। मुझे अपराधियों की तरह खींचा गया। उन्होंने बदतमीजी की सारी हदों को वहां पार किया।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

योगी आदित्यनाथ : मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। माननीय रेल मंत्री भी यहां मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये क्या व्यवस्था करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

योगी आदित्यनाथ : क्या कोई भी व्यक्ति पुलिस की वर्दी में आकर इस प्रकार की गुंडागर्दी करेगा? क्या वे इस प्रकार की अराजकता फैलाएंगे? क्या इस प्रकार की अराजकता फैला कर ट्रेन के यात्री जो प्रॉपर किराया देकर जा रहा है या सीट बुक कर के जा रहा है, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित है? वहां पर रेलवे के द्वारा क्यों नहीं उसका कोई भी विरोध या प्रतिरोध किया गया? फिर मैं वहां पर तीन घंटे खड़ा रहा।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, मुझे तीन बजे तक रोका गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। आपने बोल लिया।

योगी आदित्यनाथ : तीन बजे मेरा स्टाफ मेरा सामान वापस लाए।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। अब हो गया।

योगी आदित्यनाथ : मैडम, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। अब मुझे कुछ कहने दीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

योगी आदित्यनाथ : इस मामले को आप संज्ञान में लें। कृपया दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। अब मुझे बोलने दीजिए। आप बैठ जाइए।

योगी आदित्यनाथ : किसी भी सदस्य या नागरिक के साथ इस प्रकार की दुर्घटना और इस प्रकार की कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा न हो। हम इसके लिए आपका संरक्षण चाहेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नहीं, अब आप न बोलें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये। यह बहुत गलत है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : रेल मंत्री जी जवाब दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्यों खड़े हैं जब हम खड़े हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जब हम खड़े हैं तो आप लोग क्यों खड़े हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जब हम खड़े हैं तो आप क्यों खड़े हैं और अपनी बात कहे जा रहे हैं? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : मैं खड़ी हुई हूं। कृपया अध्यक्ष से बहस न करें। कृपया बैठ जाइये। यह क्या है? क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं जब हम खड़े हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : जब अध्यक्ष खड़ा हो तो कृपया खड़े न हों। यह संसदीय शिष्टाचार है। जिसका आपको हमेशा पालन करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : देखिए, मैं चाहूंगी और मैंने हमेशा यह बात कही है कि जितने भी सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उन्हें हमेशा सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनका हमेशा सम्मान और आदर होना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। इस पर मैं पूरा ध्यान भी रखती हूं। जो भी संबंधित विभाग हैं और उसके मंत्री हैं, और उसके जितने भी पदाधिकारी हैं, सब से मैं चाहूंगी कि इस ओर विशेष ध्यान दें।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आपको गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस से जबरन उतारे जाने की घटना के बारे में आपकी सूचना मुझे प्राप्त हुई है। मैं इस मामले में सरकार से वास्तविक स्थिति की जानकारी मांग रही हूं। उसके पश्चात् मैं निर्णय लूंगी।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया : अब हम प्रश्न काल लेते हैं। प्रश्न संख्या 141 – श्रीमती रमा देवी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

नदियों को परस्पर जोड़ना

\+

***141. श्रीमती रमा देवी :**
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी चल रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है और अब तक कराए गए सर्वेक्षणों और तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का नदी और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ नदी और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कितनी खर्च की गई है तथा इनके पूरा किए जाने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना को पूरा करने की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार इस परियोजना हेतु कोई विशेष समिति गठित की गई है और यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या है; और

(ङ) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में नदियों को परस्पर जोड़ने के संबंध में किए गए सर्वेक्षणों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के ब्यौरे सहित किए जा रहे कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:—

सर्वप्रथम राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के प्रायद्वीपीय घटक के प्रस्तावों की साध्यता स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था। वर्ष 1990 में अधिदेश में हिमालयी घटक को शामिल कर लिया गया है, वर्ष 2006 में प्राथमिकता संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों और अंत:राज्य संपर्कों की साध्यता-पूर्व रिपोर्टों का कार्य शुरू किया गया है और अंत में वर्ष 2011 में अंत:रज्य संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य शुरू किया गया है। वर्ष 1990 तक सौंपे गए अधिकार कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जबकि बाद में दिए गए आदेशों के तहत नए कार्य जारी हैं। ब्यौरा आगे के पैरों में दिया गया है।

(क.1) वर्ष 1980 की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए संपर्क

तालिका-1

क्र.सं.	मद	संख्या	
		पूर्ण	जारी
क.	**राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत प्रस्ताव**		
1.	बेसिनों/उप-बेसिनों के जल शेष अध्ययन	137	0
2.	डायवर्जन बिन्दुओं के जल शेष अध्ययन	71	0
3.	संपर्कों की साध्यता रिपोर्टें	32	0
4.	संपर्क सरेखण के स्थलाकृति अध्ययन	37	0
5.	जलाशयों के स्थलाकृति एवं भंडारण क्षमता अध्ययन	74	0
6.	विशिष्ट संपर्कों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और साध्यता रिपोर्टें तैयार करना (#)	16	14
7.	विशिष्ट संपर्कों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना (*)	1	2

#संपर्क-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर।

*ब्यौरा तालिका-2 के अनुसार।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत कार्यदल रिपोर्ट के आधार पर, अंतरबेसिन जल अंतरण संपर्कों के तहत 5 प्रायद्वीपीय संपर्कों नामत: (i) केन-बेतवा, (ii) पार्वती-कालीसिंध-चंबल, (iii) दमनगंगा-पिंजाल, (iv) पार-तापी-नर्मदा और (v) गोदावरी (पोलावरम)—कृष्णा (विजयवाड़ा) को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने के लिए प्राथमिकता संपर्कों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में स्थिति नीचे तालिका-2 में दी गई है:—

तालिका-2

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतरबेसिन जल अंतरण संपर्कों के लिए विभिन्न विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की स्थिति:

क्र.सं.	संपर्क के नाम	नदियां	संबंधित राज्य	कार्य पूरा करने का वर्ष
1	2	3	4	5
क.	**राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत प्रस्ताव**			
1.	केन-बेतवा	केन और बेतवा	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश	डीपीआर पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम के अंतर्गत

1	2	3	4	5
				वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय परियोजना घोषित।
2.	पार-तापी-नर्मदा	पार, तापी और नर्मदा	गुजरात और महाराष्ट	वर्ष 2013
3.	दमनगंगा-पिंजाल	दमनगंगा और पिंजाल	गुजरात और महाराष्ट्र	वर्ष 2013
4.	पोलावरम-विजयवाड़ा	गोदावरी और कृष्णा	आंध्र प्रदेश	परियोजना, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एआईबीपी के तहत वित्तपोषण से कार्यान्वित की जा रही है।
5.	पार्वती-कालीसिंध-चंबल	पार्वती, कालीसिंध और चंबल	मध्य प्रदेश और राजस्थन	तिथि निर्धारण नहीं हुआ।

(क.2) वर्ष 2006 से राज्यों द्वारा अभिज्ञात किए गए अंत:राज्य संपर्क

संकल्पनात्मक साध्यता का पता लगाने के लिए, कुछ राज्यों ने नवम्बर, 2006 में अंत:राज्य संपर्कों की साध्यता-पूर्व/साध्यता रिपोर्टों को तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को सौंपा है। अब तक एनडब्ल्यूडीए को 7 राज्यों नामत: महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु से अंत:राज्य संपर्कों के 36 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से एनडब्ल्यूडीए द्वारा जनवरी, 2013 तक 24 अंत:राज्य संपर्कों की साध्यता-पूर्व रिपोर्टें (पीएफआर) पूरी कर ली गई हैं। विस्तृत ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है।

राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंत:राज्य संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 2011 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में शामिल कर लिया गया। राज्य सरकारों के साथ परामर्श से अंत:राज्य जल अंतरण संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने संबंधी स्थिति नीचे तालिका-3 में दी गई है।

तालिका-3

क्र. सं.	संपर्क का नाम	नदियां	संबंधित राज्य	कार्य पूरा करने का वर्ष
1.	बूढ़ी गंडक-नोन-बया-गंगा संपर्क	बूढ़ी गंडक और गंगा	बिहार	2013
2.	कोसी-मेची संपर्क	कोसी और मेची	बिहार	2013
3.	बागमती-बूढ़ी गंडक संपर्क	बागमती-बूढ़ी गंडक	बिहार	2015
4.	वेनगंगा (गोसीखुर्द)-नालगंगा (पूर्णा तापी) संपर्क	वेनगंगा और पूर्णा तापी	महाराष्ट्र	2015
5.	पोन्नियार-पालार संपर्क	पोन्नियार-पालार	तमिलनाडु	2015

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर एनडब्ल्यूडीए द्वारा इनकी जांच की जाती है।

(ख) रिपोर्टें पूरी करने के लिए नदी एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार समय-सीमा सहित एनडब्ल्यूडीए को इस उद्देश्य से आवंटित निधि और खर्च की गई निधि

चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए साध्यता रिपोर्टें (एफआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 43.40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। एनडब्ल्यूडीए की स्थापना से 31 जनवरी, 2013 तक डायवर्जन बिन्दुओं तक बेसिनों/उप-बेसिनों और आवाह क्षेत्रों के जल शेष अध्ययनों, जलाशयों एवं संपर्क संरेखण के स्थलाकृतिक अध्ययनों, जलाशयों की भंडारण क्षमता के अध्ययनों, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के साध्यता-पूर्व अध्ययनों, साध्यता अध्ययनों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर 394.99 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। प्रस्तावों की जल वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से साध्यता स्थापित करने के लिए अध्ययनों पर व्यय किया गया है। चूंकि अध्ययन एक दूसरे से संबंधित हैं, अत: अध्ययन-वार व्यय का ब्यौरा नहीं रखा गया है।

प्रत्येक संपर्क परियोजना को पूरा करने की निश्चित समय-सीमा का निर्धारण डीपीआर के तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है।

(ग) धीमी प्रगति का कारण

साध्यता-पूर्व रिपोर्ट, साध्यता रिपोर्ट और अंत में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। प्रस्तावित जल उपयोग एवं आवश्यक संरचनाओं को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में जटिल सामाजिक, राजनैतिक एवं तकनीकी मुद्दे शामिल हैं। इस लिए राज्यों के बीच सहमति बनाने में लंबा समय लगता है और विभिन्न अध्ययन करने होते हैं। एक संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 3-4 वर्ष के समय की आवश्यकता होती है और संबंधित राज्य सरकार एवं पर्यावरण और वन मंत्रालय सहित विभिन्न नोडल मंत्रालयों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। प्राय: पड़ोसी देशों की सहमति लेने की भी आवश्यकता पड़ती है।

उपर्युक्त के अनुसार प्रगति अच्छी है।

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत विशेष समिति का गठन

माननीय उच्चतम न्यायालय ने नेटवर्किंग ऑफ रिवर्स के संबंध में 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 512 के साथ 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 668 के संबंध में निर्णय देते हुए भारत संघ और विशेष रूप से जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 'नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी विशेष समिति' नामक एक समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं और समिति में राज्यों के सदस्य तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि और उनके द्वारा नामित विशेषज्ञ तथा न्यायमित्र शामिल होंगे।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति को नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा और परियोजना को कार्यान्वित करवाना होगा।

जल संसाधन मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार नदियों को परस्पर जोड़ने से संबंधित राज्यों से नामांकन मांगे गए हैं। संबंधित 20 राज्यों में से 8 राज्यों से उत्तर प्राप्त हुआ है।

(ङ) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना के लिए लागत अनुमान

साध्यता-पूर्व/साध्यता चरण में प्रारंभिक अध्ययनों में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं की प्रारंभिक लागत वर्ष 2002 के मूल्य स्तर पर 5.60 लाख करोड़ रुपये अनुमानित की गई थी। निश्चित लागत प्रत्येक संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी करने के बाद ही अनुमानित की जा सकती है। तथापि, भारत सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्टें शीघ्र पूरी करने के लिए पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

अनुबंध-I

एनडब्ल्यूडीए द्वारा साध्यता रिपोर्टों (एफआर) की तैयारी हेतु अभिज्ञात जल अंतरण संपर्कों की स्थिति

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1.	केन-बेतवा संपर्क*	चरण-I की डीपीआर पूरी की गई
2.	दमनगंगा-पिंजाल संपर्क*	एफआर पूरी की गई एवं डीपीआर शुरू की गई
3.	पार-तापी-नर्मदा संपर्क*	एफआर पूरी की गई एवं डीपीआर शुरू की गई
4.	महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दोलेश्वरम) संपर्क	एफआर पूरी की गई
5.	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क*	एफआर पूरी की गई
6.	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क	एफआर पूरी की गई
7.	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुन सागर) संपर्क	एफआर पूरी की गई
8.	कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमसिला) संपर्क	एफआर पूरी की गई
9.	कृष्णा (श्रीसैलम)-पेन्नार संपर्क	एफआर पूरी की गई
10.	कृष्णा (अलमट्टी)-पेन्नार संपर्क	एफआर पूरी की गई
11.	पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैण्ड एनीकट) संपर्क	एफआर पूरी की गई
12.	कावेरी (कट्टालाई)-वैगई-गुन्डार संपर्क	एफआर पूरी की गई
13.	पार्वती-कालीसिध-चंबल-संपर्क'	एफआर पूरी की गई
14.	पंबा-अचनकोबिल-वैप्पार संपर्क	एफआर पूरी की गई
15.	नेत्रावती-हेमावती संपर्क	पीएफआर पूरी की गई
16.	बेदती-वर्धा संपर्क	पीएफआर पूरी की गई

हिमालयी नदी विकास घटक

1.	यमुना-राजस्थान संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए	साध्यता रिपोर्ट प्रगति पर
2.	राजस्थान-साबरमती संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए	
3.	चुनार (गंगा पर)-सोन बैराज संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए	
4.	सोन बांध-गंगा संपर्क की दक्षिणी वितरिकाएं	एस एवं आई कार्य प्रारंभ किए गए	

5.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एमएसटीजी) संपर्क	एस एवं आई कार्य प्रारंभ किए गए	साध्यता रिपोर्ट प्रगति पर
6.	जोगीघोपा (ब्रह्मपुत्र पर)-तीस्ता-फरक्का (एमएसटीजी प्रत्यावर्ती) संपर्क	एस एवं आई कार्य प्रारंभ किए गए	
7.	गंगा (फरक्का)-सुंदरवन संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए	
8.	गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए	
9.	सुवर्णरेखा-महानदी संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए	
10.	कोसी-मेची संपर्क	पूरी तरह से नेपाल में स्थित, करार नहीं हुआ	
11.	कोसी-घाघरा संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए	
12.	गंडक-गंगा संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए	
13.	घाघरा-यमुना संपर्क	एफआर पूरी की गई (भारतीय भाग के लिए)	
14.	सारदा-यमुना संपर्क	एफआर पूरी की गई (भारतीय भाग के लिए)	

*प्राथमिकता संपर्क

पीएफआर-साध्यता पूर्व रिपोर्ट; एफआर-साध्यता रिपोर्ट; डीपीआर-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।

एस एवं आई – भारतीय भाग में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

अनुबंध-II

राज्य सरकारों से प्राप्त हुए अंत:राज्य संपर्क प्रस्ताव

क्र. सं.	अंत:राज्य संपर्क का नाम	पीएफआर की वर्तमान स्थिति/ पूर्ण होने का लक्ष्य
1	2	3
महाराष्ट्र		
1.	वेनगंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्णा तापी) (वेनगंगा-पश्चिमी विदर्भ एवं प्राणहिता-वर्धा संपर्कों का आमेलन किया गया और कानन-वर्धा संपर्क के माध्यम से विस्तारित किया गया)	पूर्ण
2.	वेनगंगा-मंजरा घाटी	पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाई गई)
3.	ऊपरी कृष्णा-भीमा (छह संपर्कों की प्रणाली	पूर्ण
4.	ऊपरी घाट-गोदावरी घाटी [दमनगंगा (एकदार) गोदावरी घाटी]	पूर्ण

1	2	3
5.	ऊपरी वैतरणा-गोदावरी घाटी	पूर्ण
6.	उत्तरी कोंकण-गोदावरी घाटी	पूर्ण
7.	कोयना-मुंबई सिटी	पूर्ण
8.	श्रीराम सागर परियोजना (गोदावरी)-पूर्णा-मंजिरा	*
9.	वेनगंगा (गोसीखुर्द)-गोदावरी (एसआरएसपी)	महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस लिया गया
10.	मध्य कोंकण-भीमा घाटी	2013-14
11.	कोयना-नीरा	2012-13
12.	मुल्सी-भीमा	पूर्ण
13.	सावित्री-भीमा	*
14.	कोल्हापुर-सांगली-संगोला	पूर्ण
15.	तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदी संपर्क परियोजनाएं	2013-14
16.	नार-पार-गिरना घाटी	पूर्ण
17.	नर्मदा-तापी	2013-14
18.	खरियागुट्टा-नवाथा सतपुड़ा फुट हिल्स	*
19.	खरिया घुटी घाट-तापी	*
20.	जिगांव-तापी-गोदावरी घाटी	2013-14
	गुजरात	
21.	दमनगंगा-साबरमती-चोरवाड	पूर्ण
	ओडिशा	
22.	महानदी-ब्राह्मणी	पूर्ण
23.	महानदी-रूसीकुल्या (बरमुल परियोजना)	2012-13
24.	वम्सधारा-रूसीकुल्या (नंदिनी नल्ला परियोजना)	पूर्ण
	झारखंड	
25.	दक्षिणी कोयल-सुवर्णरेखा	पूर्ण

1	2	3
26.	शंख-दक्षिणी कोयल	पूर्ण
27.	बरकार-दामोदर-सुवर्णरेखा	पूर्ण
	बिहार	
28.	कोची-मेची (पूर्ण रूप से भारत में स्थित)	पूर्ण
29.	बाढ़-नवादा	पूर्ण
30.	कोहरा-चन्द्रावत (अब कोहरा-लालबेगी)	पूर्ण
31.	बूढी गंडक-नोन बया-गंगा	पूर्ण
32.	बागमती (बेलवाधर) – बूढ़ी गंडक	पूर्ण
33.	कोसी गंगा	पूर्ण
	राजस्थान	
34.	माही-लूनी संपर्क	2012-13
35.	वाकल-साबरमती-सेई-पश्चिमी बनास-कामेरी संपर्क	पूण
	तमिलनाडु	
36.	पोनाइयर-पालार संपर्क	पूर्ण

*लक्ष्य, संबंधित राज्यों के साथ परामर्श से निर्धारित किये जा रहे हैं।

@पीएफआर तैयार की गई और टिप्पणियों हेतु राज्य सरकारों को भेजी गई।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, जल संसाधन मंत्रालय का गठन देश के पानी का समुचित रूप से प्रयोग किए जाने हेतु हुआ है। परन्तु, यह मंत्रालय अभी तक देश के पानी का समुचित उपयोग नहीं कर सका है जिस के कारण जिस पानी से बाढ़ आती है और उसका उपयोग सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु एवं बिजली पैदा करने के लिए कर सकते हैं, उसका उपयोग यह मंत्रालय नहीं कर सका है। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब इन सब बातों को ध्यान में रख कर देश की नदियों को जोड़ने की योजना बनायी गयी थी जिसे वर्तमान सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस सरकार की दिलचस्पी सिंचाई, अतिरिक्त बिजली उत्पादन, बाढ़ एवं सूखे की तबाही को रोकने में नहीं है। ऐसा लगता है कि इस सरकार की नीयत जन सुविधाओं को नहीं देने की है। सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। इस के बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई है। केवल हाई-पावर कमेटी बिठा दी गयी। उस के बाद कुछ नहीं किया। सरकार सर्वे, जांच, फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इत्यादि कार्यों में अभी तक लगी हुई है। वर्ष 2012-13 में इन कार्यों में 513 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। परन्तु वे अभी तक किसी नदी को जोड़ नहीं पाए हैं। मैंने सदन में कई प्रश्न किए हैं, परन्तु किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय में पूछना चाहती हूं कि

अभी तक सरकार ने किसी नदी को जोड़ा है, अगर नहीं तो उसका कारण क्या है?

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत में विद्यमान जल संसाधन क्षमता के उपयोग की आवश्यकता पर सवाल उठाया। समय-समय पर हमारे राष्ट्र नेताओं ने इस तरफ ध्यान भी दिया। सन् 1972 में डॉ. के.एल. राव ने, बाद में डॉ. दस्तुर ने इस सवाल को आगे बढ़ाया। सन् 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाने की बात कही, जिसमें नदियों का इंटरलिंकिंग किया जा सके। उसके लिए जो पैनिनसुलर, हमारे जो सदर्न पार्ट की नदियां हैं, उनको इंटरलिंक करने की बात आई। सन् 1990 में यह हुआ कि हिमालयन कम्पोनेंट को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, जिससे बिहार राज्य की समस्या का भी समाधान हो जाए। जब बिहार में वर्स्ट फ्लड आया तो उसके बाद सन् 1988-89 में इस पर चिन्तन प्रारंभ हुआ और 1990 में यह हुआ कि हिमालयन कम्पोनेंट को भी नेशनल पर्सपैक्टिव प्लान के तहत लिया जाए तथा उसके लिंक्स को भी इंटीग्रेट किया जाए।

मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह कहना उचित नहीं रहेगा कि इसके लिए 1982 में हमने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया। उसके बाद उसको समय-समय पर, हमने जैसे 1990 में हिमालयन कम्पोनेंट को सम्मिलित करने की बात कही। फिर हमने सन् 2006 में उनसे कहा कि आप प्रॉयरटी लिंक्स के डीपीआर तैयार करने का काम करें। फिर सन् 2011 में हमने उनसे कहा कि जो इंट्रास्टेट लिंक्स हैं, उनके भी डीपीआर तैयार करने का काम करें।...*(व्यवधान)*

मैं उस इश्यु पर आ रहा हूं, आप बेफिक्र रहें। सब जानते हैं कि पानी का बंटवारा बहुत ही कॉम्प्लीकेटेड इश्यु है। इसमें बहुत आवश्यक है कि पहले आपके पास यह आइडिया हो कि सरप्लस बेसन कौन से हैं, डेफिसिट बेसन कौन से हैं, कौन सा एरिया डेफिसिट हैं और नदी का कौन सा प्वाइंट ऐसा है, जहां आपके पास सरप्लस है। वहीं से आप लिंक को डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी था कि वाटर बैलेंस स्टडी हो, फिर उसके बाद प्री-फिजिबिल्टी रिपोर्ट बने और इस रिपोर्ट के बाद हमने स्टेट्स की मदद ली। हमने उनसे कहा कि ये हमारे प्री-फिजिबिल्टी रिपोर्ट के नतीजे हैं। हम अब फिजिबिल्टी रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़े। स्टेट ने कहा कि आप आगे बढ़िए। उसके बाद हमने जो फिजिबिल्टी रिपोटर्स हैं, ऑफ्टर इन्वेस्टीगेशन, उनको तैयार करने का काम किया। उसमें से 16 के तैयार कर लिए गए हैं और 14 के ऑन-गोइंग हैं। उन 16 में से एक की डीपीआर तैयार है, केन बेतवा की और दो की इस समय प्रोग्रेस पर है। इसलिए यह कहना कि इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ, वह गलत है। हम राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में हैं और केन बेतवा के संदर्भ में हम बहुत आशावान थे, मगर उसमें एक तो पन्ना टाइगर रिजर्व के आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और दूसरी जो दिक्कत है, हम उसके जो बेनिफिट उठाने वाले राज्य हैं, उनके बीच में एक सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जैसे ही सहमति होगी तो हम इस लिंक पर काम कर सकेंगे। उसके अलावा जो इंट्रास्टेट लिंक्स हैं, उनमें भी हमने छः लिंक्स को डेवलप किया है और उसमें उसकी फिजिबिल्टी रिपोर्ट तैयार है। एक डीपीआर तैयार है, जिसमें बिहार की भी सम्मिलित है। मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए इस बात को यहां पर रखना चाहूंगा। इसमें जो बिहार का है, उसमें बूढ़ी गंडक, नून, दया, गंगा का डीपीआर हम वर्ष 2013 में तैयार कर लेंगे। हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और प्री-डीपीआर तैयार है। उसी तरीके से बाड़, नवादा की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है और राज्य सरकार से कहा है कि हम तैयार हैं और आप प्रस्ताव भेजिए। कोसी-मेची की डीपीआर हम वर्ष 2013 तक तैयार कर लेंगे और बागमती, बूढ़ी गंडक का वर्ष 2015 तक तैयार कर लेंगे। कोसी, जिसको वहां पर बागमती कहा गया है, गंगा के वर्क प्लान के हिसाब से प्रायोरिटी में पीछे है, इसलिए हम उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी वर्ष 2014 तक तैयार कर लेंगे।...*(व्यवधान)* चाहे बिहार के संदर्भ में हो या सारे देश के संदर्भ में हो, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने अपना काम मुस्तैदी के साथ किया है, लेकिन कुछ ऐसे कांप्लेक्स ईश्यूज हैं, जिन पर निरंतर राज्यों के साथ संपर्क करना आवश्यक है और राज्यों की सहमति आवश्यक है। इसलिए इसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है और मैं समझता हूं सम्मानित हाउस इस बात को एप्रीशिएट करेगा।

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज को परोसे हैं, लेकिन इनके सारे कार्यों के बारे में मैंने पढ़ा है। आप कब तक आशा में रखिएगा, कब तक किसान मरेंगे और अब तक आप योजना के डीपीआर वगैरह की तैयारी कीजिएगा? अगर देश की नदियों को जोड़ा जाए तो देश में 250 लाख हेक्टेअर भूमि को सिंचित किया जा सकता है और 100 लाख हेक्टेअर भूमि जल स्तर को सुधारा जा सकता है। यह देश को जरूरत है एवं 34 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। हम इससे बाढ़ एवं सूखे से होने वाली तबाही को दूर कर सकते हैं। परंतु सरकार की नीयत गरीबों के कल्याणकारी कार्य करने की नहीं है, एकदम नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं अपने दूसरे पूरक प्रश्न के माध्यम से पूछना चाहती हूं कि नदियों को जोड़ने से देश को कितना लाभ हो सकता है, क्या इसकी जानकारी सरकार के पास है? अगर है तो इसमें ढिलाई क्यों बरती जा रही है? क्यों हमारे किसानों को गरीब रखा जा रहा है, क्यों आत्महत्या पर मजबूर किया जा रहा है? ये सारी चीजें आप सभी देख रहे हैं और यह प्रश्न बार-बार पूछा गया, फिर भी हम समझते हैं कि ऐसे टाल-टाल कर इतने वर्ष आपने निकाल दिए, कैसे गरजिएगा, बरसिएगा?...*(व्यवधान)* कौन बरसेगा, ...*(व्यवधान)* कैसे आइएगा?...*(व्यवधान)* अब लोग नहीं मानेंगे। आप बताइए कि क्यों इतनी देर हो रही है? हमने आपका सारा उत्तर पढ़ा है।...*(व्यवधान)*

श्री हरीश रावत : अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को फिर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, वह सभी राजनैतिक दलों, सभी राज्यों के जो सम्मानित मुख्यमंत्रीगण हैं, उन तक पहुंच रहा होगा, क्योंकि आप जानती हैं कि संविधान ने हमारी सीमायें पानी के विषय में बांधकर रखी हैं। यह राज्यों का विषय है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें जवाब देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हरीश रावत : हम तकनीकी सहयोग दे सकते हैं, वित्तीय सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि इंटरवेंशन ट्रांसफर का सवाल है।...*(व्यवधान)* हम उसके लिए कांपिटेंट बाडी खड़ी करने का काम कर सकते थे। मैं राष्ट्र नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लांग बैक 1972 में, 1980 में इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की।...*(व्यवधान)* जो हमारे कांप्लेक्स ईश्यूज हैं, यहां पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और दूसरी जगहों के माननीय सदस्यगण हैं, वे जानते हैं कि कितनी संवेदनशीलता इसके साथ जुड़ी है, इसमें हम अपनी बात को फार्स नहीं कर सकते हैं। बाई मैथड आफ पर्सुएशन काम कर सके हैं। इसके लिए दोनों तरीके अपनाए गए हैं, जिसमें मिनिस्ट्रियल तरीका है, मिनिस्टर के लेवल का और इसके लिए जो टेक्निकल आस्पेक्ट्स हैं; उनको हमने सार्ट आउट करने के लिए सेंटर वाटर कमीशन के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की हुयी है। जहां-जहां लगातार बातें फंसी हुयी हैं, जहां आपस में बातें सुलझ नहीं पा रही हैं, राज्यों को टेक्निकल गाइडेंस देकर उन मामलों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया इनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हरीश रावत : जैसा कि आपने सारे फीगर्स बता कर हमारा काम आधा हल्का कर दिया है। यह फैक्ट है कि यदि 25 मिलियन हैक्टेयर कपैसिटी बाईवे ऑफ इरिगैशन सरफेस वाटर से और 10 मिलियन ऐडीशनल ग्राउंड वाटर के माध्यम से यदि जोड़ सकें, तो कुल मिला कर 35 मिलियन हैक्टेयर, इसका अर्थ है कि हम देश की अन्न सुरक्षा में 88 मिलियन टन अनाज और वृद्धि करने में सक्षम होंगे। उसके लिए उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर 34 हजार के करीब पावर जनरेट करने में सफल होंगे और दूसरे सारे फायदे होंगे उसमें कहीं किसी को कोई ऐतराज नहीं है। इसीलिए जब यह मामला सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से पहले वर्ष 2002 में जब एनडीए की गवर्नमेंट थी उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में यह पैटिशन दायर हुआ तो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक टास्क फोर्स बनाइए जो प्रायोरिटी लिंक्स को आईडेन्टटफाय करे।...*(व्यवधान)* इसमें क्या इंस्टीटुशनल मैकेनिज्म होगा उसको वर्कआउट करें।...*(व्यवधान)* क्या फाइनैंशियल अरेंजमेंट होगा, उसको वर्कआउट करने का काम करे।...*(व्यवधान)* उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी हमारे पास आए।...*(व्यवधान)* जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो इसमें कठिनाइयां हैं, उनको समझा। सुप्रीम का जो लेटेस्ट जजमेंट है उसमें हम से यह कहा कि आप एक हाई पावर कमेटी वाटर रिर्सोसेज मिनिस्टर की अध्यक्षता में कंस्टीच्युट करिए जिसमें राज्यों के भी प्रतिनिधि रहें और दूसरे जो कंसर्ड स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी प्रतिनिधि रहें और आप वर्क आउट करिए।...*(व्यवधान)* उन्होंने हम से जो दूसरी बात कही कि केन बेतवा लिंक वर्केबल लगता है, ड्युरेबल लगता है इसको आप आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। हम राजनीतिक स्तर पर भी बातचीत कर रहे हैं और अधिकारियों के स्तर पर भी बातचीत कर रहे हैं। हम को भी चिंता है कि चाहे इंटरा स्टेट लिंकिंग हो या इंटर स्टेट लिंकिंग हो उसमें कम से कम कुछ शुरूआत अच्छी हो जाए लेकिन डीपीआर बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एचीवमेंट है। क्योंकि डीपीआर तक भी राज्यों को सहमत करवाना, एक कठीन प्रोसैस है।...*(व्यवधान)* उस प्रोसेस में, मैं माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रिफिजीबिलिटी रिपोर्ट के बाद फिजीबिलिटी रिपोर्ट की तरफ आने के लिए भी हम को संबंधित राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है।...*(व्यवधान)* वहां से डीपीआर के स्तर पर आने के लिए भी हम को सहमति लेनी पड़ती है और फिर से राज्यों के पास जाना पड़ता है।...*(व्यवधान)* इन सारे प्रोसैस को देखते हुए, हमारी मदद करिए।

हम चाहते हैं कि हम को सदन की सहायता मिले ताकि इस मामले में जो भी कठिनाइयां हैं उनको हम वर्क आउट कर सकें। उनको रिज़ॉल्व कर सकें...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया, नदियों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना में एक प्रायद्वीपीय नदी घटक विकास योजना और दूसरा हिमालय वाली नदियों को जोड़ने की विकास योजना है। एक 16 की संख्या में है और दूसरा 14 की संख्या में है। तीसरा, राज्य सरकारों ने प्रस्ताव दिया है कि राज्यों के अंदर विभिन्न नदियों को उनके राज्य के अधीन जोड़ दिया जाए उस तरह की योजना की संख्या 36 है। तीन तरह की योजना हो गई - हिमालय वाली, प्रायद्वीप वाली और राज्य वाली। हमारा इसमें सवाल है कि प्रायद्वीप और हिमालय वाली नदियों को जोड़ने की जो बात है उनमें बरसात के दिनों में दो महीने तक पानी अधिक रहता है बाकी दस महीने उसमें आवश्यकता से कम पानी रहता है तो सरकार क्या जोड़ेगी? उनमें पानी कैसे जाएगा और राज्य सरकार मानेगी नहीं। इसलिए यह भारी आशंका है, सरकार इसको दुरूस्त करे। हमारा स्पैसीफिक सवाल है जो मंत्री जी ने उत्तर में दिया है। उन्होंने कहा है—

[अनुवाद]

"राज्यों द्वारा तैयार प्रस्तावित इंट्रा-स्टेट लिंक्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना 2011 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में शामिल कर लिया गया था।"

[हिन्दी]

वर्ष 2011 में यह नेशनल वाटर डवेलपमैंट एजैंसी को दे दिया गया। उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा है कि बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा लिंक को जोड़ने का डीपीआर वर्ष 2013 में तैयार होगा। हम वर्ष 2013 में आ गए हैं। इसकी क्या स्थिति है? इसका नाम नेशनल वाटर डवेलपमैंट एजैंसी है। इन्हें यह योजना वर्ष 2011 में मिली। डीपीआर कब तैयार होगा? कोसी-मेची लिंक बिहार, 2013, बागमती-बूढ़ी गंडक लिंक, बागमती-बूढ़ी गंडक, बिहार, 2015, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि यह क्या है। वर्ष 2011 में डीपीआर तैयार करने के लिए मिला, 2013 में हम बात कर रहे हैं। ये दो योजनाओं के बारे में कहते हैं कि 2013 में तैयार करेंगे। यह हमारे इलाके में है, इसलिए मैं वहां के लोगों के लिए ज्यादा परेशान और चिंतित हूं। बेलवाधार में बूढ़ी गंडक की दूरी करीब पचास किलोमीटर होगी। पचास किलोमीटर के लिए वर्ष 2011 से 2015, यानी चार वर्ष में डीपीआर तैयार होगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना चार साल बाद लागू होगी? ये आधे मन से काम कर रहे हैं। इन्होंने खुद लिखा है कि वर्ष 2011 में मिला, वर्ष 2015 में तैयार होगा। काम कब होगा? इसका नाम नेशनल वाटर डवेलपमैंट एजैंसी है। नाम बड़ा है और काम उलटा है। बेलवाधार से बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा लिंक सबको जोड़ना है। वहां के लोग हर साल बाढ़ से तबाह होते हैं।...*(व्यवधान)* वहां के लोग राज्य सरकार और भारत सरकार से भी तबाह हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इससे कब मुक्ति मिलेगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री जी आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बूढ़ी गंडक, नून नदी, बाया नदी, गंगा नदी, फलगू नदी, कदानी आदि सारी नदियां वहां बह रही हैं। कभी बाढ़ है कभी सुखाड़ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठिए और मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री जी बताएं कि कैसे मुक्ति मिलेगी।...*(व्यवधान)*

श्री हरीश रावत : मैडम, हिमालयन कम्पोनेंट को एनपीपी के मैनडेट में सम्मिलित करने के पीछे उस समय की सरकार की भावना यह थी कि इससे उस इलाके की बाढ़ की प्राब्लम का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। इसीलिए हिमालयन कम्पोनेंट के लिंक में नेपाल की सहमति भी जरूरी है क्योंकि हमें वहीं वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि बरसात के दिनों में पानी के एक्सट्रा फ्लो को स्टोर कर सकें और जब लीन पीरियड हो तो उसे ट्रांसफर कर सकें। इसीलिए हिमालयन कम्पोनेंट में इस बात को सम्मिलित किया गया कि इसका जो प्रभावी क्षेत्र है, उसमें सरप्लस एरिया से डैफीसिट एरिया में सम्मिलित किया जाएगा। मैं इसके डिटेल माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा। यह कहना कि वहां बरसात के अलावा पानी नहीं है, यह एक रियलिटी है। मगर बरसात में पानी है और यह भी तथ्य है कि हमने देश के अंदर बरसात के पानी के स्टोरेज की ज्यादा क्षमता विकसित नहीं की है, जबकि वर्ष 2025 या 2050 तक हमारी वाटर रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें 450 बिलियन क्युबिक मीटर से ज्यादा स्टोरेज चाहिए और इस समय हमारे पास 250 या 253 बिलियन

क्युबिक मीटर की स्टोरेज कैपेसिटी है। इसलिए हमें स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करने की तरफ जाना पड़ेगा और उसमें यह एक प्रभावी घटक है, जिसके विषय में हमने बातचीत की है।

बिहार के विषय में माननीय रघुवंश बाबू ने जो कहा है, उस पर मैं आता हूं। ऐसा नहीं है कि वर्ष 2011 में राज्य ने इच्छा प्रकट की कि आप इंटर स्टेट लिंक को लीजिए, तो उन्होंने छह लिंक्स का प्रस्ताव दिया। आप जानते हैं कि ये लिंक्स बनाने से पहले हमें इसकी पूरी डाटा स्टडीज करनी पड़ती है, जिसमें पानी के फ्लो को भी देखना पड़ता है और सारी चीजों की प्री सर्वे के बाद फिजिबिलिटी स्टेबलिश करनी पड़ती है, फिर राज्य की सहमति लेनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि जिस तेजी के साथ बिहार के मामले में काम हुआ है, जिसमें हम यह कहने की स्थिति में हैं कि हमने करीब एक डीपीआर तैयार कर ली है और बाकी दो डीपीआर ऐसी हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि प्री डीपीआर स्टेज तक हैं। उसमें मैंने टाइम इंडीकेट किया है, मगर रघुवंश बाबू एक बड़ी दिक्कत यह आयी है कि बिहार ने हमें जो छः लिंक्स सजेस्ट किये हैं, उनमें जिनका जिक्र आपने किया, उनको उन्होंने अपनी प्रायरिटी में चौथे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप चेयर की तरफ एड्रैस कीजिए।

श्री हरीश रावत : पांचवें और छठें नम्बर पर दिया है। हमने राज्य सरकार की प्रॉयरिटी को रिलिजियसली फालो करते हुए नम्बर वन, नम्बर टू, नम्बर थ्री आदि करके सबको एड्रेस किया है। इनके विषय में भी हमने टाइम इंडीकेट कर दिया है कि वर्ष 2015 तक इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे और राज्य इससे कहेगा तो हम डीपीआर तैयार कर लेंगे। मगर इनको राज्य से बात करनी पड़ेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। हमारे देश में पानी की बड़ी विकट समस्या है। लगभग सभी राज्यों में नदी संपर्क परियोजनाएं हैं किन्तु फिर भी बहुत सी समस्याएं हैं। सरकार को इस समस्या को समाधान करना होगा।

हमारे देश के कुछ विशेषज्ञ इंजीनियर आगे आये और सरकार को एक राष्ट्रीय नदी बनाए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे पास कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। फिर एक राष्ट्रीय नदी क्यों न हो? कई बार उत्तरी भारत या दक्षिण भारत में भयंकर बाढ़ आ रही होती है और कई बार देश के अन्य भाग सूखे की चपेट में होते हैं। एक राष्ट्रीय नदी की सहायता से यह समस्या सुलझाई जा सकती है। इस संबंध में कोई विवाद पैदा नहीं हो सकता क्योंकि केवल अतिरिक्त पानी ही इस नदी में डाला जायेगा जिसका उपयोग कृषि, मैरीन, पनविद्युत उत्पादन करने में किया जा सकता है। इस राष्ट्रीय नदी के माध्यम से जल संबंधी अन्य सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री एस.एस. रामासुब्बू : महोदया, चीन में भी इसी प्रकार की एक नदी है जो पूरे चीन के लिए बहुत लाभकारी है। एक तरह से यह राष्ट्रीय अखंडता का भी परिचायक है। यदि ऐसा करना संभव हो जाए तो इससे कोई भी राज्य प्रभावित नहीं होगा और कोई झगड़ा भी नहीं होगा क्योंकि इस राष्ट्रीय नदी में बाढ़ प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त जल ही डाला जायेगा।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री एस.एस. रामासुब्बू : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय नदी के संबंध में विशेषज्ञ समिति की ओर से कोई सुझाव आया है ताकि देश में पानी की कमी जैसी गंभीर समस्या को सुलझाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदया, एक विचार के तौर पर माननीय सदस्य के विचार से कोई भी संवेदनशील और तर्कसंगत व्यक्ति सहमत होगा। मगर मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि संविधान निर्माताओं ने जल को राज्यों का विषय बनाया है और हमारे लिए राज्यों के अंदर सहमति पैदा करना आवश्यक है। कई राज्यों में जहां हम इंटर स्टेट लिंक्स को भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वहां एक बेसिन से दूसरे बेसिन में एक ही स्टेट में पानी को ट्रांसफर करने के विषय में कई तरह के प्रोटेस्ट्स आ रहे हैं। कर्नाटक में इस तरीके का प्रोटेस्ट आया है, जिसमें हम राज्य सरकार की मदद ले रहे हैं कि आप एनजीओ कंसर्न से बातचीत करें, ताकि हम कोई इन्वेस्टीगेशन सर्वे आदि कर सकें। तो यह अपनी-अपनी जो संवेदनशीलताएं हैं, वे सब इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे मंत्रालय की सलाहकार समिति ने भी इस बात को कहा कि पानी को आप केन्द्रीय विषय मानकर चलिए। गंगा अवश्य राष्ट्रीय नदी है, उसके विषय में सबकी धारणाएं हैं। हम तो सभी नदियों को राष्ट्रीय नदी-राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर चलते हैं। उनको डेवलप करने के लिए, उनके पानी को युज करने का तरीका निकालने के लिए

हम हर तरीके से तैयार हैं, ताकि उनका रीवर सिस्टम भी बना रहे। लेकिन, इन सारे कामों में हमें राज्यों का सहयोग चाहिए। अच्छा हो, मैडम आपकी कृपा से यदि इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो जाए, तो कम-से-कम सदन की भावना को, मैं समझता हूं, इस विषय पर चाहे इधर के लोग हों या उधर के हों, इसके राष्ट्रीय महत्त्व को सब लोग स्वीकारते हैं, तो इस पर चर्चा हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : अध्यक्ष महोदया, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है।

यह मामला स्वर्गीय श्री के.एल. राव द्वारा उठाया गया था और यह 40 वर्षों से लंबित है। मैडम इंदिरा गांधी के समय में सिंचाई मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन में इस विषय पर गहन चर्चा की गई थी। पानी की कमी वाले बेसिनों में अतिरिक्त जल डालना एक महत्वपूर्ण कारक है। केवल एक बात है, वह यह कि राज्य इसके लिये सहमत नहीं होंगे। जब तक जल को राष्ट्रीय सम्पदा घोषित नहीं किया जाता और देश के विभिन्न राज्यों के 120 करोड़ लोग इस राष्ट्रीय सम्पदा का समान रूप से उपभोग नहीं कर पायेंगे, यह वास्तव में असंभव है।

मैं स्थिति से अवगत हूं और मैंने इस मामले का अध्ययन किया है। जब मैं एक छोटी सी अवधि के लिये प्रधानमंत्री बना था, तब मैंने इस परियोजना पर कार्य किया था। यहां तक कि श्री वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान भी इस परियोजना पर कार्य किया गया है। मैं जानता हूं कि जब तक यह सदन संविधान में संशोधन कर जल को राष्ट्रीय सम्पदा पोषित नहीं करता, तब तक यह असंभव है और यह पूरी कवायद व्यर्थ है।

क्या सरकार इस मामले को संविधान की केन्द्रीय सूची में डालने के लिए संविधान में संशोधन करेगी क्योंकि यदि इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया तो फिर से प्रत्येक राज्य से परामर्श करना पड़ेगा और वे सभी सहमत हों ऐसा असंभव है। इसे केन्द्रीय सूची में डालने के लिए सरकार को इस राष्ट्रीय सम्पदा घोषित करने के लिए एक विधेयक लाना होगा। क्या माननीय मंत्री जी, जल को राष्ट्रीय सम्पदा घोषित करने के लिये संविधान में संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की पहल करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मैडम, माननीय सदस्य एक वरिष्ठतम राजनेता हैं और उन्होंने अपने स्टेचर के लायक ही सवाल उठाया और सुझाव दिया। उससे किसी को असहमत होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लेकिन, मैं इस समय इस पर अपनी तरफ से कुछ भी बात कहकर एक नया विवाद खड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि आज राजनीतिक दल और राज्य भी अपने अधिकारों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। यदि यह मामला सभी पक्षों से आता है, तो मैं समझता हूं कि उसमें सरकार को कठिनाई नहीं होगी। यदि सरकार की तरफ से ऐसा कोई विचार आता है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा विचार भी खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा, जब देवगौड़ा साहब मेरी तरफ मुखातिब होकर सवाल कर रहे थे, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि काश इसे जरा उस तरफ भी, सब तरफ घूमकर, वे देखकर कहते ताकि इसके साथ सबकी सहमति पैदा हो सकती।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मेरे विचार से इस मामले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। यह एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति से संबंधित है। यदि आप नोटिस दें, तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है, हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।

न्यायालयों में लंबित मामले

+

***142. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय और पूरे देश में प्रत्येक उच्च न्यायालय से निपटान हेतु कितने मामले लंबित है;

(ख) उच्चतम न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में आज की तारीख के अनुसार न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है और इन न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) सरकार द्वारा न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने और न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) लंबित मामलों से संबंधित आंकड़े, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय के वेबसाइट से अभिप्राप्त जानकारी के अनुसार तारीख 31.01.2013 को उच्चतम न्यायालय में 66,569 मामले लंबित थे। 66,569 मामलों में से 21,862 मामले एक वर्ष तक पुराने हैं और इस प्रकार वे बकाया मामलों में नहीं आते हैं।

तारीख 31.03.2012 को उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या दर्शित करने वाला ब्यौरा अनुबंध-I पर है। यह, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाशित न्यायालय समाचार की जानकारी पर आधारित है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की मंजूर पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियां दर्शित करने वाला अनुबंध-II पर है।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों का आरंभ किया जाना संबद्ध उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायमूर्ति के पास होता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, यह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास होता है। सरकार, उच्च न्यायालयों में विद्यमान रिक्तियों के साथ आगामी छह मास में प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए समय से प्रस्ताव प्रारंभ करने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को आवधिक रूप से स्मरण कराती रही है। उच्च न्यायालयों में रिक्तियां भरा जाना, सांविधानिक प्राधिकरणों में सतत् परामर्शी प्रक्रिया है। जबकि, न्यायाधीशों की विद्यमान रिक्तियों, सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण उद्भूत रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों का निपटान किया जाना, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर है। तथापि, लंबित मामलों की समस्या के समाधान में न्यायपालिका की सहायता करने की दृष्टि से, सरकार ने, अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की है। मिशन के, प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों की कमी करके पहुंच में वृद्धि करने तथा अवसंरचनात्मक परिवर्तनों और निष्पादन मानदंडों तथा क्षमताओं की स्थापना के माध्यम से जवाबदेही में वृद्धि करने के लिए दो उद्देश्य हैं। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों की चरणबद्ध कमी करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जो अन्य बातों के साथ, अधीनस्थ न्यायपालिका का कम्प्यूटरीकरण, उसकी पदसंख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी अध्युपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुन:निर्माण और मानव संसाधन विकास पर जोर सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना सम्मिलित करता है।

अनुबंध-I

तारीख 31.03.2012 को उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	1008533
2.	आंध्र प्रदेश	199229
3.	मुम्बई	362948
4.	कोलकत्ता	350260
5.	दिल्ली	63012
6.	गुजरात	79529
7.	गुवाहाटी	51899
8.	हिमाचल प्रदेश	48743
9.	जम्मू और कश्मीर	85298
10.	कर्नाटक	171463
11.	केरल	123437
12.	मद्रास	483848
13.	मध्य प्रदेश	235150
14.	ओडिशा	307528

1	2	3
15.	पटना	115329
16.	पंजाब और हरियाणा	243733
17.	राजस्थान	279577
18.	सिक्किम	69
19.	उत्तराखंड	20507
20.	छत्तीसगढ़	52264
21.	झारखंड	58511
	कुल योग	4340867

अनुबंध-II

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियां दर्शित करने वाला विवरण (01.03.2013 को यथाविद्यमान)

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	अनुमोदित पदसंख्या			कार्यरत पदसंख्या			अनुमोदित पदसंख्या के अनुसार रिक्तियां		
अ.	**उच्चतम न्यायालय**	31			26			5		
		स्थायी	अतिरिक्त	योग	स्थायी	अतिरिक्त	योग	स्थायी	अतिरिक्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आ.	**उच्च न्यायालय**									
1.	इलाहाबाद	76	84	160	56	32	88	20	52	72
2.	आंध्र प्रदेश	रु32	17	49	27	02	29	05	15	20
3.	मुम्बई	48	27	75	45	07	52	03	20	23
4.	कोलकत्ता	45	13	58	38	02	40	07	11	18
5.	छत्तीसगढ़	रु07	11	18	06	06	12	01	05	06
6.	दिल्ली	29	19	48	24	11	35	05	08	13
7.	गुवाहाटी	17	07	24	16	06	22	01	01	02
8.	गुजरात	29	13	42	21	08	29	08	05	13
9.	हिमाचल प्रदेश	रु08	03	11	08	03	11	—	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	09	05	14	07	—	07	02	05	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	झारखंड	10	10	20	09	02	11	01	08	09
12.	कर्नाटक*	#34	16	50	32	04	36	02	12	14
13.	केरल	27	11	38	25	08	33	02	03	05
14.	मध्य प्रदेश	32	11	43	28	04	32	04	07	11
15.	मद्रास*	#43	17	60	40	08	48	03	09	12
16.	ओडिशा	17	05	22	13	—	13	04	05	09
17.	पटना	29	14	43	26	09	35	03	05	08
18.	पंजाब और हरियाणा	38	30	68	32	11	43	06	19	25
19.	राजस्थान	32	08	40	22	09	31	10	-01	9
20.	सिक्किम*	03	0	03	01	0	01	02	—	02
21.	उत्तराखंड	09	0	09	09	0	09	—	—	—
	कुल योग	574	321	895	485	132	617	89	189	278

*कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति।

#पद का अस्थायी संपरिवर्तन।

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : महोदया, न्यायालयों में, खासतौर पर ट्रायल कोर्ट्स में, बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। हालांकि सरकार विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र जैसे लोक अदालतों और मध्यस्थता आदि अपना रही है, फिर भी मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। विभिन्न अदालतों में लाखों मामले पांच से दस वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। यह कहा जाता है कि "देरी से मिला न्याय, न्याय ना मिलने के समान होता है"। इसलिए, इसे ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विशेष रूप से दो से तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की सुनवाई और उन्हें निपटाने के लिए अलग से अदालतें स्थापित करना चाहती है।

श्री अश्विनी कुमार : अध्यक्ष महोदया, मेरे काबिल साथी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं आभारी हूं। निस्संदेह, यह सत्य है कि विभिन्न अदालतों में बहुत बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। वास्तव में, विभिन्न अदालतों में तीन करोड़ से अधिक ऐसे मामले हैं सरकार, न्याय पाने का अधिकार रखने वालों और संपूर्ण न्याय प्रणाली के लिए गहरी चिन्ता का विषय है कि इस स्थिति का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। सरकार बहुत से कमद उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों के लंबित होने के अस्वीकार्य स्तर को यदि पूरी तरह समाप्त न भी किया जा सके, तो कम अवश्य किया जाए। परंतु इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। हमने दस मुख्य करणों की पहचान की है जो इतनी अधिक संख्या में मामलों के विलंबन के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें राज्य और केन्द्र के विधानों में वृद्धि, न्यायाधीशों की रिक्तियां, प्रथम अपीलों का संचयन, मामलों की निगरानी के प्रबंधन का अभाव जहां उनकी निगरानी की आवश्यकता हो, उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकारों का अंधाधुंध प्रयोग, और मुकदमेबाजी का बदलता स्वरूप, रणनीतियों

और तकनीकों की कमी और सुनवाई के लिए ट्रैक एंड बंच मामले जिस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए वैसे न आना आदि सम्मिलित है।

अब, जहां तक लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए हमारे पास उपलब्ध प्रशासनिक तंत्र के संबंध है, मैं आपके माध्यम से, सभा का ध्यान हमारे द्वारा उठाए गए तीन या चार पहलों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

पहला है ई-अदालत प्रबंधन प्रणाली जिसके अंतर्गत हम अदालतों को कम्प्यूटरीकृत कर रहे हैं। देश में लगभग 14,000 अधीनस्थ अदालतें हैं। 31 मार्च, 2012 की तिथि के अनुसार लगभग 11,000 अदालतों को पूर्णत: कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उच्च न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिसके माध्यम से मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यह निगरानी रख सकते कि अधीनस्थ न्यायालयों में कौन से ऐसे मामले हैं जो बहुत अधिक समय से लंबित पड़े हैं। मैंने कुछ मामलों को बहुत अधिक समय से लंबित हैं के संबंध में शीघ्र निपटान हेतु कार्यवाही आरंभ कराई है।

हालांकि, पूरी प्रणाली में, समयबद्धता की कमी है और इसके लिए सरकार जो कर रही है वह बहुत कम है। हर साल दायर किए जाने वाले मामलों की संख्या वर्तमान न्यायिक ढांचे में निस्तारित किए जा सकने वाले मामलों से संख्या में बहुत अधिक है। फिर भी, उम्मीद की एक किरण है। मैं इसका विवरण सम्माननीय सभा के साथ बांटना चाहता हूं।

महोदया, 2010 में, पहली बार, सर्वोच्च न्यायालय ने दायर किए गए मामलों की तुलना में अधिक मामलों का निस्तारण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 79,500 मामले निपटाए जबकि 78,280 मामले दायर किऐ गए। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की स्थिति चिन्ता का विषय है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अदालतें उन लंबित मुकदमों को कम कर सकेंगी। तथापि, हमने न्याय प्रदान करने और न्यायिक सुधारों हेतु राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है जिसके हम कुछ मामलों में जल्दी निर्णय करने में सक्षम होंगे।

दूसरा उत्साहवर्द्धक विषय यह है कि 2011 में समग्र रूप में हम लंबित मुकदमों की संख्या 11 लाख तक कम करने में सफल रहे और 2013 में लंबित मामलों की संख्या 20 लाख तक कम करने का लक्ष्य है।

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : महोदया, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की बहुत सी रिक्तियां हैं क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी जल रही है। वे न्यायाधीश बनने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार न्यायपालिका में पेशवरों के तौर पर युवा और प्रतिभावान न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यूपीएससी द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के अनुरूप न्यायाधीशों की भर्ती हेतु राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है।

श्री अश्विनी कुमार : महोदया, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए पहले प्रश्न का जबाव देते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि विशेषकर उच्च न्यायालयों में रिक्तियों के बारे में एक मुद्दा है। मैंने अपने उत्तर के अनुबंध में स्थिति दर्शाई है। स्थिति इस प्रकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 895 स्वीकृत पदों में से 617 पदों पर न्यायाधीश नियुक्ति है, और 278 पद रिक्ति हैं। यह एक स्वीकार्य स्थिति नहीं है। यह चिन्ता का विषय है। मामले की गंभीरता का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि न्यायाधीश बनने के लिए योग्य और प्रतिभाशाली वकील पर्याप्त रूप से आगे नहीं आ रहे हैं। माननीय सदस्य का कहना सही है कि हम खंडपीठ को सुशोभित करने के लिए बारे में से बेहतर प्रतिभा को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वास्तविकता यह है, हालांकि, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति की राय के द्वारा न्यायाधीशों के मामले का निर्णय किया जाता है, के अनुसार ही उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कदम उठाए जाने चाहियें और यह कदम संबंधित न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा उठाए जाने चाहिये। हम बार-बार उन्हें स्मारण करा रहे हैं और उनके प्रस्तावों को यथाशीघ्र प्रेषित करने के लिए मुख्य न्यायाधीशों को लिख रहे हैं।

मैं, आपके माध्यम से, इस सम्माननीय सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक हमारे मंत्रालय का संबंध है, फाइल पर कार्यवाही करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की जाती है। हमने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से भी न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने कार्यालयों को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

हम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन पर विचार कर रहे हैं। हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। हम इस तथ्य से परिचित है कि हमें देश में न्यायिक प्रणाली के समस्त ढांचे पुनर्वलोकन करने की आवश्यकता है ताकि कानूनी और न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बना रहे। यह भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

है जो देश में कानून और निष्पादन न्यायिक प्रणाली की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है, जहां न्याय न केवल सुलभ है बल्कि यह त्वरित भी है। यह भारत के लोगों की एक सच्ची आकांशा है कि उन्हें सुलभ और त्वरित न्याय मिले।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह भाषण ही होता रहेगा क्या, यह प्रश्न काल है, प्रश्नों के जबाव दिए जाते हैं न कि भाषण।...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह : इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अश्विनी कुमार : अधीनस्थ न्यायपालिका में जजों की संख्या बढ़ाने और उसे दोगुना करने का भी प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को सरकार का सैद्धांतिक समर्थन प्राप्त हो चुका है। अधिक निधियां प्राप्त करने हेतु हम योजना आयोग में संपर्क में है। यह एक सामान्य आवश्यकता है कि मुकदमों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए विशेष रूप से अधीनस्थ स्तर पर जजों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि 278 जज कम हैं, पांच सुप्रीम कोर्ट में और बाकी हाई कोर्ट्स में। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि करीब 43 लाख केसेज लम्बित हैं। जजों की जो कमी है, उसमें बहुत सी चीजें उन्होंने बताई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जजों की नियुक्ति के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या नहीं, यह बताने का वह कष्ट करें? चूंकि जज का पद एक संवैधानिक पद होता है इसलिए संवैधानिक पद अगर खाली रहता है तो वह भी एक किस्म से संविधान का उल्लंघन होता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार-बार विभिन्न मामलों को लेकर सरकार को निर्देशित करती रहती है, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करके जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में जो विलम्ब हो रहा है, उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित कर खाली पदों को भरने का काम करेगी?

श्री अश्विनी कुमार : हमारी हमेशा यह चेष्टा रही है कि जजों की नियुक्तियां समय पर हों और जो वेकेंसीज हैं, वे न रहें। मगर आज की वस्तुस्थिति यह है कि जजों की नियुक्ति का मामला सरकार के दायर में नहीं है। मुख्यत: यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिसेज ऑफ हाईकोटर्स के दायरे में है। वे प्रपोजल्स इनीशिएट करते हैं, हम अपनी तरफ से जल्द से जल्द उन प्रपोजल्स को प्रोसेस करते हैं और वे प्रपोजल्स चीफ जस्टिस के पास जाते हैं और चीफ जस्टिसेज उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक व्यू लेते हैं, कोलेजिएम सिस्टम के माध्यम से फिर हमारे पास उनकी सिफारिशें आती हैं, फिर सरकार उस पर अंतिम फैसला लेती है। आज यह माना जा रहा है कि जो कोलिजिएम सिस्टम है उसे रिविजिट और रिव्यू करने की जरूरत है। सरकार उस मुद्दे पर गहन विचार कर रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द कैबिनेट अपना फाइनल विचार देगी और जहां तक समय-सीमा का सवाल है, कोशिश रहती है कि जैसे-जैसे जजेज की रिटायरमेंट पास आ रही है और हमें पता है कि यहां पर वैकेन्सी होने वाली है, उससे पहले हम प्रोसेस शुरू करते हैं, सिफारिशें मंगवाते हैं, मगर यह सच बात है कि कई बार सिफारिशें आने में देरी होती है। उस विलम्ब का कारण सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है। जो आज प्रोसेस आफ अपाइंटमेंट आफ जजेज है, कहीं न कहीं उसमें हमें विचार करना पड़ेगा कि हम उसे कैसे और सार्थक बना सकें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी सभी समस्याओं के अवगत हैं और उन पर सोच रहे हैं, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो जिला लेवल से शुरूआत करूंगी, जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जहां सबसे ज्यादा सामान्य व्यक्ति जाता है। कई ऐसे केसेज भी सामने आते हैं कि डायवोर्स के केसेज 15-15 साल तक चलते रहते हैं तब तक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। बहुत से डिवेलपमेंटल केसेज में भी ऐसा ही होता है। नियुक्तियां-रिक्तियां भरने को लेकर आपने बात कही लेकिन एक समस्या की तरफ क्या आपने ध्यान दिया कि ऐसे कई सारे जजेज हैं, जिला लेवल से शुरूआत करके उच्च न्यायालय तक कि जो डैपुटेशन पर नान-जुडिशियल स्टेटस पर जाते हैं। सचिवालय में जाएं या और कहीं काम करने जाते हैं तो नान-जुडिशियल पोस्ट पर जजों की नियुक्ति डैपुटेशन पर हो जाती है। आपके संज्ञान में ऐसे लोगों की कितनी संख्या है और क्या आपने उस पर कुछ विचार किया है कि उसका परिणाम न्यायालय में लम्बित केसेज पर या शार्टेज पर क्या होता है? उसके संदर्भ में क्या आप कुछ सोच रहे हैं?

श्री अश्विनी कुमार : आदरणीय स्पीकर साहिबा, यह संख्या कितनी है उसकी फिगर्स तो मैं आज नहीं दे पाऊंगा, मगर मैं फिगर्स कलैक्ट करके भिजवा दूंगा। यह मेरी जानकारी में है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जुडिशियल आफिसर्स डैपुटेशन पर कुछ और कामों

के लिए जाते हैं, जैसे स्टेट्स में कानूनी परामर्शदाता हुए या अभियोजन निदेशक हुए, कभी-कभी ऐसा होता है। मगर यह कोई इतना महत्वपूर्ण कारण नहीं है जिसकी वजह से केसेज लम्बित हों।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उनकी संख्या आज तक कितनी है?

श्री अश्विनी कुमार : मैं संख्या आपको जरूर दे दूंगा। मैं स्पीकर साहिबा के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से आश्वासन देती है कि जहां तक लम्बित केसों का सवाल है और रिक्तियों का सवाल है, इस पर हमारा पूरा ध्यान है और आज एपाइंटमेंट प्रक्रिया के दायरे में रहते हुए जल्दी से जल्दी हम रिक्तियां भरने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यह आश्वासन दे रहा हूं कि हम बहुत सी चीजों पर अपना ध्यान रखे हुए हैं *[अनुवाद]* जिसमें जजों की नियुक्ति हेतु मौजूदा प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता भी शामिल है।

[हिन्दी]

श्री तूफ़ानी सरोज : अध्यक्षा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के न्यायाधीशों की संख्या क्या है? क्या सरकार ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई योजना बनाई है?

[अनुवाद]

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सदस्य ने अजा, अजजा और अन्य वर्गों से संबंधित, उच्चतम न्यायालय सहित उच्च न्यायपालिका में नियुक्त किए गए जजों की संख्या संबंधी प्रश्न पूछा है। यह तथ्य इस प्रश्न से पैदा नहीं होता, परन्तु अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह बता सकता हूं कि जजों की नियुक्ति के मामले में...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न पूछने के लिए ज्यादा समय नहीं है। आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री अश्विनी कुमार : मैं सवाल का उत्तर दे ही रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्या कर रहे हैं, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अश्विनी कुमार : आप उत्तेजित न हों। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल का समय निकल जाएगा। आप मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में इसके अतिरिक्त कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री अश्विनी कुमार : संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति व्यक्तियों की जाति या वर्गों के आधार पर की जा सके। यद्यपि सरकार की यह मंशा है कि ...*(व्यवधान)* हमने; मुख्य न्यायाधीश ने इस संबंध में लिखा है। सरकार ने योग्यता और वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए यथासंभव अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों और महिलाओं को प्रस्तावों में प्राथमिकता देने के लिए लिखा है।

श्री कल्याण बनर्जी : महोदया, मैं माननीय विधि मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य की प्रशंसा करता हूं। चूंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं केवल दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। यह सही है कि वरिष्ठ अधिवक्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुद्दा यह है – कि जब पदोन्नति प्रदान करने के लिए मुख्य

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

न्यायाधीश या जजों द्वारा उनका या सिद्धहस्त अधिवक्ता का चयन किया जाता है तो कोई भी कुशल अधिवक्ता जज बनने के लिए मुख्य न्यायाधीश या जजों से अनुरोध नहीं करेगा। सभी प्रभावी और सक्षम अधिवक्ताओं को उचित समय पर अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है परन्तु, जजों की चापलूसी करने वाले उनके कनिष्ठ अकुशल अधिवक्ताओं को अवसर प्रदान किया जा रहा है। यही वह समय है जबकि आप वस्तुत: अच्छे और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। कोई भी यह नहीं चाहेगा कि उससे पहले उसके कनिष्ठ को पदोन्नति मिलें। अत: मैं माननीय विधि मंत्री से इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह विचारणीय बात है। नियुक्ति की एक पूरी प्रक्रिया होती है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न पूछिए। हमारे पास केवल तीन मिनट का समय है; क्योंकि माननीय मंत्री जी को भी उत्तर देना है।

श्री कल्याण बनर्जी : यह पूर्णत: उच्च न्यायालय स्तर और उच्चतम न्यायालय स्तर पर जजों का प्रमाणरहित अभिकथन है।

इसलिए मैं माननीय विधि मंत्री से इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का अनुरोध कर रहा हूं। मामलों के निपटान के प्रयोजनार्थ पहले एक प्रक्रिया थी, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कम से छह माह अथवा एक वर्ष के लिए तदर्थ आधार पर देश की सेवा करने हेतु जज के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जाता था। मेरा यह मानना है कि वह राज्य के लिए ऐसा करने हेतु सहर्ष तैयार हो जाएंगे। मैं माननीय विधि मंत्री जी से ऐसा करने का अनुरोध करता हूं। उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की संवैधानिक खंडपीठ ने इस संबंध में निदेश दिया था; उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में नियम निर्धारित किए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप सवाल नहीं पूछेंगे, तो मंत्री जी आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएंगे?

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी : यह निर्धारित किया गया है कि जज की सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व कार्यवाही आरंभ करनी होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के छह माह पूर्व कार्यवाही आरंभ की है अथवा नहीं? कृपया केंद्र सरकार की तरफ से सभी उच्च न्यायालयों के जजों से यह प्रश्न पूछा जाए। वे सभी और मुख्य न्यायाधीश भी उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए बाध्य हैं।

श्री अश्विनी कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहते हुए अपना उत्तर पूरा करुंगा कि कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार इस तथ्य के प्रति पूर्णत: सचेत और इस बात से अवगत है कि उच्च न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली पर्याप्त नहीं है; हमें इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है; हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं; और शीघ्र ही आप यह देखेंगे कि मैं इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश करुंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप जल्दी प्रश्न पूछिए, केवल आधा मिनट शेष है।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदया, असम में 33 लाख केसिस आईएनडीटी एक्ट के तहत पेंडिंग हैं। आपने केवल तीन जजों की नियुक्ति की है। इल्लीगल माइग्रेंट डिटरमिनेशन एक्ट के तहत इल्लीगल माइग्रेंट को डिटरमिन करने के लिए जो ट्राइब्यूनल इन्स्टीट्यूट करते हैं, उस ट्राइब्यूनल में दो-तीन जज हैं और वे असम के हैं। वे रिटायर जज हैं, जो कि इसमें इतना इंटरैस्ट नहीं लेते हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : जो 33 लाख केसिस पैंडिंग हैं, इस तरह से तो यह सौ साल तक चलेंगे और तब भी यह कम्पलीट नहीं हो पाएंगे। यह सब बांग्लादेशी हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो बांग्लादेशियों को डिटरमिन करने से संबंधित 33 लाख केसिस पैंडिंग हैं, क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : समय समाप्त हो गया है। माननीय मंत्री जी, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

श्री अश्विनी कुमारी : मुझे मालूम नहीं है कि मूल प्रश्न से यह अनुपूरक प्रश्न कैसे उत्पन्न हो गया।

अध्यक्ष महोदया : हां, यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बंजर भूमि विकास

***143. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी बंजर भूमि और ऊसर/मरू भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिसे विकसित किया जा सकता है और खेती योग्य बनाया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने देश में बंजर और ऊसर/मरू भूमि के विकास हेतु कोई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं के अंतर्गत शुरू किए गए प्रमुख क्रियाकलापों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजना के अंतर्गत राज्यों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि/वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी बंजर भूमि को कम किया गया है और उसे खेती योग्य बनाया गया है/विकसित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) भारत के बंजर भूमि एटलस-2011 के अनुसार भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र, हैदराबाद के सहयोग से 2005-06 तथा 2008-09 के सांसारिक उपग्रह आंकड़ों पर आधारित निकाले गए परिवर्तन विश्लेषण के अनुसार बंजर/मरूभूमि सहित देश में 467021.16 वर्ग कि.मी. बंजर भूमि है। इसमें से, वह भूमि जिसे उत्पादनकारी उपयोग हेतु विकसित किया जा सकता है, 349355.41 वर्ग कि.मी. है। इसके राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को 1995-96 से वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। बंजर भूमि सहित वर्षा सिंचित/अवक्रमित क्षेत्रों का विकास करने के लिए उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों को 26.2.2008 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित कर दिया गया है। आईडब्ल्यूएमपी के तहत किए गए प्रमुख कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ रिंज क्षेत्र का निरूपण, नाली लाइन निरूपण, पौधा-रोपण, बागवानी, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका अर्जन शामिल है।

(घ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन स्कीमों के तहत राज्यवार/संघ-शासित क्षेत्र-वार उपलब्ध करायी गयी निधियों/दी गयी सहायता के ब्यौरा संलग्न विवरण-II (क से घ) में दिए गए हैं।

(ङ) भारत के बंजरभूमि एटलस-2011 के अनुसार, बंजरभूमि का वह कुल क्षेत्रफल जिसमें 2005-06 से 2008-09 तक कमी कर के उत्पादनकारी कार्यों के योग्य बना दिया गया है, वह 5240.78 वर्ग कि.मी. है। राज्यवार/संघ-शासित प्रदेशवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

बंजरभूमि के राज्यवार ब्यौरे जिसे उत्पादनकारी उपयोग हेतु विकसित किया जा सकता है

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बंजरभूमि जिसका विकास किया जा सकता है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	34038.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	5651.53

1	2	3
3.	असम	8453.20
4.	बिहार	9504.24
5.	छत्तीसगढ़	10764.33
6.	दिल्ली	90.21
7.	गोवा	437.29
8.	गुजरात	20035.14
9.	हरियाणा	2045.97
10.	हिमाचल प्रदेश	5027.61
11.	जम्मू और कश्मीर	11657.94
12.	झारखंड	10724.04
13.	कर्नाटक	12024.67
14.	केरल	2159.42
15.	मध्य प्रदेश	39750.32
16.	महाराष्ट्र	30205.63
17.	मणिपुर	5648.53
18.	मेघालय	3873.09
19.	मिजोरम	4958.64
20.	नागालैंड	5264.63
21.	ओडिशा	15893.45
22.	पंजाब	936.83
23.	राजस्थान	80371.83
24.	सिक्किम	81.42
25.	तमिलनाडु	8451.36
26.	त्रिपुरा	964.64
27.	उत्तराखंड	2612.69
28.	उत्तर प्रदेश	9546.52
29.	पश्चिम बंगाल	1866.95
30.	संघ राज्य क्षेत्र	314.94
	कुल	349355.41

स्रोत: भारत का बंजरभूमि एटलस-2011 — 2005-06 तथा 2008-09 के सांसारिक उपग्रह आंकड़ों पर आधारित परिवर्तन विश्लेषण।

विवरण-II (क)

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

2009-10 से 2012-13 (28.2.2013 की स्थिति के अनुसार) के दौरान परियोजनाओं के लिए जारी केन्द्रीय निधियां

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	30.68	119.8	160.94	125.137	436.56

1	2	3	4	5	6	7
2.	बिहार			3	9.43	12.43
3.	छत्तीसगढ़	13.69	50.38	62.37	0	126.44
4.	गोवा			0	0	0.00
5.	गुजरात	50.23	161.73	160.71	329.237	701.91
6.	हरियाणा			11.63	0	11.63
7.	हिमाचल प्रदेश	16.51	57.77	48.93	8.023	131.23
8.	जम्मू और कश्मीर			0	14.535	14.54
9.	झारखंड	7.64	24.1	15.7	48.173	95.61
10.	कर्नाटक	81	70.96	127.41	334.549	613.92
11.	केरल		11.01	10.81	4.809	26.63
12.	मध्य प्रदेश	43.48	113.25	108.6	37.8	303.13
13.	महाराष्ट्र	67.77	208.14	378.69	501.6	1156.20
14.	ओडिशा	21.77	73.47	77.53	89.7	262.47
15.	पंजाब	2.29	3.45	8.44	14.888	29.07
16.	राजस्थान	69.92	257.47	318.33	424.53	1070.25
17.	तमिलनाडु	16.17	60.16	17.57	138.73	232.63
18.	उत्तर प्रदेश	22.68	132.13	164.46	128.43	447.70
19.	उत्तराखंड		15.97	2.34	4.218	22.53
20.	पश्चिम बंगाल			16.06	6.645	22.71
	पूर्वोत्तर राज्य					
21.	अरुणाचल प्रदेश	5.45	20.08	22.09	15.97	63.59
22.	असम	32.53	40.82	37.53	42.97	153.85

1	2	3	4	5	6	7
23.	मणिपुर		10.37	15.33	22.48	48.18
24.	मेघालय	2.43	9.88	12.87	22.26	47.44
25.	मिजोरम	5.06	17.14	5.84	12.32	40.36
26.	नागालैंड	8.56	26.71	59.42	63.11	157.80
27.	सिक्किम	1.17	3.88	1.15	0	6.20
28.	त्रिपुरा	2.45	8.16	18.17	17.634	46.41
	सकल योग	501.48	1496.83	1865.92	2417.18	6281.41

नोट: आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत संघ शासित प्रदेशों से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण-II (ख)

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत संस्थागत सहायता

2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (28.2.2013 की स्थिति के अनुसार) के दौरान जारी राज्य-वार और वर्ष-वार निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3.44				3.44
2.	बिहार		0.74			0.74
3.	छत्तीसगढ़	2.63			2.39	5.02
4.	गोवा					
5.	गुजरात	3.87		3.20		7.07
6.	हरियाणा		0.85			0.85
7.	हिमाचल प्रदेश	2.20		0.47	0.078	2.748

1	2	3	4	5	6	7
8.	जम्मू और कश्मीर	2.29				2.29
9.	झारखंड	2.18		2.62		4.8
10.	कर्नाटक	3.87			3.3	7.17
11.	केरल	0.76				0.76
12.	मध्य प्रदेश	4.41				4.41
13.	महाराष्ट्र	4.62		4.71		9.33
14.	ओडिशा	3.14			3.28	6.42
15.	पंजाब	1.04		0.54	0.74	2.32
16.	राजस्थान	4.52			1.22	5.74
17.	तमिलनाडु	3.66		0.76	1.3	5.72
18.	उत्तर प्रदेश	5.27	1.61			6.88
19.	उत्तराखंड	1.68				1.68
20.	पश्चिम बंगाल			2.15		2.15
	पूर्वोत्तर राज्य					
21.	अरुणाचल प्रदेश	1.54				1.54
22.	असम	3.71				3.71
23.	मणिपुर		0.90	1.47	0.31	2.68
24.	मेघालय	1.31			0.491	1.801
25.	मिजोरम	1.30				1.30
26.	नागालैंड	1.65	1.30	1.26	1.75	4.66
27.	सिक्किम	1.14				1.14
28.	त्रिपुरा	1.14			1.24	2.38
	सकल योग	61.37	5.40	17.18	16.09	100.04

विवरण-II (ग)

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

2009-10 से 2012-13 (28.2.2013 की स्थिति के अनुसार) तक जारी केन्द्रीय निधियां

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	34.35	12.20	3.35	1.33	51.23
2.	बिहार	5.71	0	2.46	3.98	12.15
3.	छत्तीसगढ़	13.82	8.42	12.02	4.56	38.82
4.	गोवा	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	23.69	15.74	6.47	6.70	52.6
6.	हरियाणा	3.84	5.58	2.53	0.56	12.51
7.	हिमाचल प्रदेश	13.52	16.95	13.23	3.85	47.55
8.	जम्मू और कश्मीर	11.21	2.27	4.31	2.57	20.36
9.	झारखंड	0.37	1.30	0.86	0.75	5.98
10.	कर्नाटक	35.34	17.42	7.26	1.48	61.5
11.	केरल	3.20	6.98	0	2.03	12.21
12.	मध्य प्रदेश	37.56	38.27	10.66	6.00	92.49
13.	महाराष्ट्र	28.90	12.40	5.09	1.24	47.63
14.	ओडिशा	27.45	25.29	26.03	5.92	84.69
15.	पंजाब	2.90	2.09	2.77	0	7.76
16.	राजस्थान	22.53	7.92	1.39	0.23	32.07
17.	तमिलनाडु	11.22	13.61	6.15	5.23	36.21
18.	उत्तर प्रदेश	46.38	8.45	2.63	0.27	57.73

1	2	3	4	5	6	7
19.	उत्तराखंड	7.60	15.64	11.05	4.39	38.69
20.	पश्चिम बंगाल	5.46	3.52	0.38	0.25	9.61
	उप योग	337.75	214.07	118.63	51.33	721.78
	पूर्वोत्तर राज्य					
1.	अरुणाचल प्रदेश	26.68	26.80	15.71	3.98	73.17
2.	असम	21.51	13.35	8.30	8.60	51.76
3.	मणिपुर	10.97	15.43	9.70	0.71	36.81
4.	मेघालय	15.95	25.80	13.16	4.95	59.86
5.	मिजोरम	36.70	28.01	6.36	8.39	79.46
6.	नागालैंड	7.50	0.44	0	0	7.94
7.	सिक्किम	8.45	1.84	1.54	1.62	13.45
8.	त्रिपुरा	0.39	0	0	0	0.39
	उप योग	128.15	111.67	54.77	28.25	322.84
	सकल योग	465.90	325.74	173.40	79.58	1044.62

विवरण-II (घ)

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)

2009-10 से 2012-13 (28.2.2013 की स्थिति के अनुसार) तक जारी केन्द्रीय निधियां

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	37.38	44.27	25.27	1.01	107.93
2.	बिहार	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3.	छत्तीसगढ़	20.76	14.92	16.61	2.78	55.07
4.	गुजरात	51.31	18.65	22.28	7.49	99.73
5.	हिमाचल प्रदेश	4.04	19.36	6.18	1.47	31.05
6.	जम्मू और कश्मीर	3.87	9.61	6.31	0.2	19.99
7.	झारखंड	0	0	0	0	0
8.	कर्नाटक	54.06	40.39	18.36	2.65	115.46
9.	मध्य प्रदेश	47.56	37.48	9.1	2.68	96.82
10.	महाराष्ट्र	79.79	80.93	24.72	11.16	196.6
11.	ओडिशा	43.29	27.45	11.11	2.36	84.21
12.	राजस्थान	18.71	21.93	8.72	0.47	49.83
13.	तमिलनाडु	14.48	16.18	13.6	1.27	45.53
14.	उत्तर प्रदेश	25.11	12.52	1.57	1.63	40.83
15.	उत्तराखंड	4.11	15.02	2.58	8.41	30.12
16.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	कुल	404.47	358.71	166.4	43.58	973.16

मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीपीपी)

2009-10 से 2012-13 (28.2.2013 की स्थिति के अनुसार) तक जारी केन्द्रीय निधियां

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8.68	17.43	4.36	1.64	32.11
2.	गुजरात	113.64	28.63	5.41	2.78	150.46

1	2	3	4	5	6	7
3.	हरियाणा	27.22	25.06	8.37	3.85	64.5
4.	हिमाचल प्रदेश	0	13.74	0	0	13.74
5.	जम्मू और कश्मीर	9.45	20.75	6.40	0.84	34.44
6.	कर्नाटक	43.79	27.65	2.00	0.41	73.85
7.	राजस्थान	101.39	118.03	46.48	6.44	272.34
	कुल	304.17	251.29	73.02	15.96	644.44

विवरण-III

2005-06 की तुलना में 2008-09 के दौरान बंजरभूमि (वर्ग कि.मी.) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल क्षेत्र और बंजरभूमि में परिवर्तन

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल बंजरभूमि 2005-06	2008-09	बंजरभूमि में परिवर्तन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	38788.22	37296.62	-1491.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	5743.83	14895.24	9151.41
3.	असम	8778.02	8453.86	-324.15
4.	बिहार	6841.09	9601.01	2759.92
5.	छत्तीसगढ़	11817.82	11482.18	-335.64
6.	दिल्ली	83.34	90.21	6.87
7.	गोवा	496.27	489.08	-7.18
8.	गुजरात	21350.38	20108.06	-1242.32
9.	हरियाणा	2347.05	2145.98	-201.07
10.	हिमाचल प्रदेश	22470.05	22347.88	-122.17
11.	जम्मू और कश्मीर	73754.38	75435.77	1681.39
12.	झारखंड	11670.14	11017.38	-652.76
13.	कर्नाटक	14438.12	13030.62	-1407.50
14.	केरल	2458.69	2445.62	-13.07
15.	मध्य प्रदेश	40042.98	40113.27	70.29
16.	महाराष्ट्र	38262.81	37830.82	-431.99
17.	मणिपुर	7027.47	5648.53	-1378.94
18.	मेघालय	3865.76	4127.43	261.67
19.	मिजोरम	6021.14	4958.64	-1062.50
20.	नागालैंड	4815.18	5266.72	451.55
21.	ओडिशा	16648.27	16425.76	-222.51
22.	पंजाब	1019.50	936.83	-82.67

1	2	3	4	5
23.	राजस्थान	93689.47	84929.10	-8760.37
24.	सिक्किम	3280.88	3273.15	-7.73
25.	तमिलनाडु	9125.56	8721.79	-403.77
26.	त्रिपुरा	1315.17	964.64	-330.53
27.	उत्तराखंड	12790.06	12859.53	69.47
28.	उत्तर प्रदेश	10988.59	9881.24	-1107.35
29.	पश्चिम बंगाल	1994.41	1929.20	-65.21
30.	संघ राज्य क्षेत्र	337.30	315.00	-22.30
	कुल	472261.94	467021.16	-5240.78

स्रोत: भारत की बंजरभूमि एटलस-2011 — 2005-06 तथा 2008-09 के सांसारिक उपग्रह आंकड़ों पर आधारित परिवर्तन विश्लेषण।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का उपयोग

'144. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशानिर्देश निजी कालोनियों और सोसाइटियों के लिए निधियों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए संसद सदस्यों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को निजी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कालोनियों और सोसाइटियों हेतु निधियों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड्स) योजना का उद्देश्य माननीय सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर बल देते हुए विकासात्मक स्वरूप के कार्यों को संस्तुत करने में समर्थ बनाना है।

व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभों हेतु परिसंपत्तियों का सृजन अनुमेय नहीं है।

निजी कालोनियों का विकास करने अथवा उनका रख-रखाव करने के लिए कालोनाइजरों/बिल्डरों/डेवलपरों आदि को अंशदान अनुमेय नहीं है।

पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों की सामुदायिक अवसंरचना और सार्वजनिक उपयोगिता हेतु निमार्ण कार्य अनुमेय हैं, बशर्ते कि सोसाइटी/न्यास सामाजिक सेवा/कल्याण क्रियाकलापों में संलग्न हो तथा विगत तीन वर्षों से उसका अस्तित्व रहा हो। सोसाइटी-न्यास सुव्यवस्थित, जनभावना से ओत-प्रोत, लाभ नहीं प्राप्त करने वाला, क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा वाला होना चाहिए। कोई सोसाइटी/न्यास अपने जीवन काल में अधिकाधिक 50 लाख रुपए प्राप्त कर सकता है। कोई माननीय सांसद सोसाइटियों/न्यासों के लिए किसी वर्ष में अधिकाधिक 1 करोड़ रुपए तक की संस्तुति कर सकता है।

(ग) से (ङ) दिशा-निर्देशों में संशोधनों हेतु माननीय सांसदों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते हैं। इन सुझावों की उपयुक्त कार्रवाई के लिए विधिवत जांच की जाती है तथा माननीय सांसद को तथ्यों और की गई कार्रवाई की सूचना दी जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की निजी कालोनियों एवं सोसाइटियों हेतु निधियों के उपयोग की अनुमति देने के लिए सुझाव डॉ. किरीट पी. सोलंकी, माननीय सांसद (लोक सभा) से प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच की गई तथा माननीय सांसद को सूचित किया गया था कि एमपीलैड का उद्देश्य माननीय सांसदों को समुदाय के आम उपयोग के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन हेतु विकासात्मक स्वरूप के कार्यों को संस्तुत करने के लिए समर्थ बनाना है। व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ के लिए परिसंपत्तियों का सृजन अनुमेय नहीं है। तथापि, एमपीलैड विधियों का प्रयोग सड़कों, पार्कों, पेयजल, सफाई जैसी अवसंरचना तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित पूरे समुदाय हेतु अन्य सामान्य सुविधाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

आदर्श स्टेशन

***145. श्री मधुसूदन यादव :**
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने हेतु किसी स्टेशन का चयन किए जाने के लिए रेलवे द्वारा अपनाए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में आदर्श स्टेशन के रूप में पहले से विकसित स्टेशनों, विकसित किए जा रहे और विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित स्टेशनों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पृथक-पृथक नाम क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजनंदगांव (छत्तीसगढ़) और भरतपुर (राजस्थान) को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित स्टेशनों की सूची में शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने संबंधी चल रहे/लंबित कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 'आदर्श स्टेशनों' के रूप में रेलवे स्टेशनों का चयन ऐसे स्टेशनों पर सुविधाओं के अपग्रेडेशन के लिए चिह्नित आवश्यकताओं पर आधारित है।

(ख) और (ग) जनवरी, 2013 तक 980 चिह्नित स्टेशनों में से 632 स्टेशन 'आदर्श' स्टेशन योजना के अंतर्गत पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए गए और विकसित किए जाने वाले स्टेशनों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) राजनंदगांव (छत्तीसगढ़) रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत पहले ही विकसित किया जा चुका है। भरतपुर (राजस्थान) रेलवे स्टेशन को 'आदर्श' स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए चिह्नित नहीं किया गया है।

(ङ) शेष बचे हुए 348 आदर्श स्टेशनों को 2012-13 और 2013-14 के दौरान विकसित करने का लक्ष्य है। इन कार्यों की प्रगति संसाधनों की समग्र उपलब्ध के अंतर्गत सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निभर्र करती है। चिह्नित आदर्श रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के अपग्रेडेशन और तत्संबंधी प्रगति की विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जाती है।

विवरण

आदर्श स्टेशनों का राज्य-वार नाम, जिनमें कार्य पूरे हो गए हैं

राज्य	स्टेशनों के नाम
1	2
आंध्र प्रदेश (29)	आदिलाबाद, अनंतपुर, बापतला, भोंगीर, चित्तूर, घनपुर, गुडुर, गुंतकल जं, गुंटूर, जमीकुंटा, काकीनाडा टाउन, काजीपेट, खम्मम, कुरनूल टाउन, लिंगमपल्ली, महबूब नगर, नालगोंडा, नांदयाल, नरसारावपेट, नेल्लोर, निजामाबाद, रामागुंडम, रेणिगुंटा, श्रीकाकुलम रोड, तंदूर, विकाराबाद, विजयनगरम जं, वारंगल, और जहीराबाद।
असम (16)	बदरपुर, बासुगांव, बिजनी, बोंगईगांव, गोसाईगांव, हाट, होजई, जाखलबंधा, जोरहाट टाउन, करीमगंज जं., न्यू रंगपाड़ा उत्तर, रंगिया, सलाकटी, सिलचर, श्रीरामपुर असम, टिहु और टिपकई।
बिहार (19)	अभयपुर, अनुग्रह नारायण रोड, अररिया, अररिया कोर्ट, बिहार शरीफ, छपरा जं, फारबिसगंज, जमालपुर, जहानाबाद, जोगबनी, मधुबनी, नौगछिया, पटना साहिब, रफीगंज, सासाराम जं, सिमराहा, सीतामढ़ी, सुल्तानगंज और ठाकुरगंज।

1	2
छत्तीसगढ़ (09)	अंबिकापुर, चाम्पा, चिरमिरि, डोंगरगढ़, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़, रायपुर और राजनंदगांव।
गोवा (01)	वास्को-दा-गामा।
गुजरात (13)	भानवद, दाहोद, गांधीग्राम, हिम्मतनगर, जामनगर, खंबलिया, कोसंबा, लालपुरजाम, मणिनगर, न्यू भुज, ओखा, साबरमती और ऊना।
हरियाणा (05)	अम्बाला कैंट, भिवानी, कलानौर, कोसली, और सिरसा।
हिमाचल प्रदेश (01)	ज्वालाजी (ज्वालामुखी रोड)।
जम्मू और कश्मीर (01)	उधमपुर।
झारखंड (12)	बोकारो, चक्रधरपुर, चंद्रपुर, चित्तरंजन, देवघर, दुमका, गोमो जं, जगदीशपुर, मधुपुर जं, पारसनाथ, साहिबगंज और टाटानगर।
कर्नाटक (10)	बीदर, चामराजा नगर, देवनहल्ली, डोडबल्लापुर, गुलबर्गा, हुबली, लोंडा जं, नांजनगुड़ टाउन, संबरी और वाडी।
केरल (41)	अलाप्पुझा (अलैप्पी), अलुवा, अम्बलपुजहा, अंगमाली, बडगरा, (वडकरा), चालाकुडी, चंगनासेरी, चेंगन्नुर, चेरथला (शेरतलई), धानुवचपुरम, एट्टामनुर, हरिपाद, जगन्नाथ टेम्पल गेट, कांजिरमिट्टम, कन्नूर, करूणागप्पली, करूवत्ता, कासरगोड, कायनकुलम जं. कोचुवेलि, कोट्टारकरा, कोट्टयम, कुरूप्पनतरा, मारारिकुलम, मवेलीकरा, मुलनतुरुत्ति, निलंबुर रोड, ओचिरा, पट्टीकाड, पीरावम रोड, पुनालूर, क्यूलंडी, सस्थानकोट्टा, थलासेरी, तिरूर, तिरूवल्ला, तिरूविजा, वैकम रोड, वायलार, वेल्लारकड और वडाकंचेरी।
मध्य प्रदेश (15)	अनूपपुर, अशोक नगर, छिंदवाड़ा जं, इटारसी, जबलपुर, कटनी मुरवारा, मैहर, मकरोनिया, मेघनगर, रतलाम, सतना, सागोर, शहडोल, उज्जैन और उमरिया।
महाराष्ट्र (55)	अंधेरी, बांद्रा, बेलापुर, भांडुप, भायंदर, बोरिवली, चेंबूर, चिंचवाड़, करी रोड, दादर, दादर (सीआर), दहानू रोड, देवलाली, डाकयार्ड रोड, डोम्बीवली, घाटकोपर, गोरेगांव, कैम्पटी, कर्जत, कसारा, खडकी, किंग सर्किल, कुर्ला, लातूर, मलाड, माटुंगा, मीरा रोड, मिराज, मुलुंड, मुंबई (चर्नी रोड), मुंबई (चर्चगेट), मुंबई (मरीन लाइंस), मुंबई सेंट्रल (एल), नायगांव, नासिक रोड, परभणी, परली वैजनाथ, पूर्णा, रामटेक, सांगली, सानपाड़ा, सांताक्रूज, सफाला, सिवरी, शिवाजी नगर, सोलापुर, तिलक नगर, तुर्भे एपीएम काम्प्लैक्स, उल्हासनगर, उमरेर, वनगांव, वाशी, विरार, विश्रामबाग, और वर्धा।
नागालैंड (1)	दीमापुर।
ओडिशा (21)	बलांगीर, बालासोर, बालूगांव, बांसपानी, बरगढ़ रोड, बेलपहाड़, धेनकनाल, हिजली, जाजपुर क्योंझर रोड, जलेस्वर, झारसुगुडा, कांताबंजी, केशिंगा, खैरियार रोड, खुर्दा रोड जंक्शन, कोरापुट, मुनिगुडा, पारादीप, रायगढ़ राउरकेला और टिटलागढ़ जं.।
पुदुचेरी (01)	माहे।
पंजाब (07)	अबोहर, धुरी, फरीदकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, मोगा और तरनतारन।
राजस्थान (12)	अलवर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ जं, छोटी खाटू, दौसा, जैसलमेर, जलोर, जोधपुर, लालगढ़ जं. नोखा, रतनगढ़ और सवाई-माधोपुर जं.।

1	2
तमिलनाडु (32)	अवाडी, चेन्नई बीच जं, चेन्नई चेटपट, चेन्नई पार्क, क्रोमपेट, कोयंबटूर जं, कोरूकपेट, कुंभकोणम, मनावुर, मइलादुतुराई, नागापट्टीनम, नागौर, पेरम्बूर कैरिज डब्ल्यूकेएस, पुडुकोट्टई, राजापलायम, सेलम, शंकरनकोइल, सेंजीपनांबकम हाल्ट, श्रीरंगम, श्रीविल्लीपुतुर, सेंट थामस माउंट, ताम्बरम, तेनकसी, तिरुचिरापल्ली जं, थिरूनिनवूर, तिरूपूर, तिरूवेलागुड, तिरूवल्लुर, तिरुवरूर, तूतीकोरिन, विरूद्धनगर और वृद्धाचलम जं.।
उत्तर प्रदेश (44)	आचार्य नरेन्द्र देव नगर, अछनेरा, अमेठी, अतर्रा, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बर्हनी, बस्ती, भदैयान, बिलासपुर रोड, बिल्हौर, बढ़वाल, चंदौली मझवार, चंदौसी जं, चौरी चौरा, दासपुरा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर सीकरी, गोंडा जं, हैदर गढ़, हापुड, हरदोई, जौनपुर, किरोली, ललितपुर, मऊ जं, मेरठ छावनी, मेरठ सिटी, मोठ, मुगलसराय, नौगढ़ (सिद्धार्थ नगर), प्रतापगढ़ जं., पीलीभीत जं, प्रयाग, सेलमपुर जं, संडीला, शाहगंज, शिकोहाबाद जं., सीतापुर, सोहावल और सुल्तानपुर।
उत्तराखंड (04)	काठगोदाम, कोटद्वार, रामनगर और ऋषिकेश।
पश्चिम बंगाल (283)	आदि सप्तग्राम, आद्रा जं, अगरपाड़ा, अहमदपुर, अकरा, अलीपुरद्वार, अलीपुर कोर्ट, अलीपुर जं. अलुयाबाड़ी रोड, अम्बारी फलकाटा, अम्बिका कलना (कलना), आमटा, अनारा, अंदल, अंदुल जं, अरनघटा, आसनसोल जं, अजीमगंज सिटी, बदखुल्ला, बैगबाजार,

1	2
	बाघाजनित, बागडोगरा, बगनान, वैद्यबती, बल्लीचक, बल्ली, बालीगंज, बालुरघाट, बामनग्राम हाल्ट, बामनहाट, बनारहट, बंडेल जं, वनेश्वर, बांकुड़ा, बानपुर, बंश बेरिया, बाराभूम, बराकर, बड़नगर रोड, बर्धमान, बरगछिया, बैरकपुर, बरूईपाड़ा, बरूईपुर, बसिरहाट, बटसी, बैरिया जं, बीबीड़ी बाग, बेगमपुर, बेलकोबा, बेलनगर, बेलारहाट, बेलगढिया, बेलूर, बेलुरमठ, बेरहमपुर कोर्ट, बेथुडहरी, भद्रेश्वर, भसिला, भतर, भेदिया (औसग्राम), भीमगढ़, बिधानगर रोड, बिमानबंदर, बीरा, बिराटी, बिरननगर, बिरशिबपुर बोलपुर, बनगांव जं, ब्रेस ब्रिज, ब्रिंदाबनपुर, बज, बज, बुनियादपुर, बर्नपुर, बर्राबाजार, कैनिंग, चकदा चमाग्राम, चंपा पुकुर, चंपाहटी, चंदननगर, चंद्रकोना रोड, चांगरबंधा चास रोड, छत्तरहाट, चेंजल, चतना, चुचुरा, कोंटई रोड (बेल्दा), कूचबिहार, दक्षिणेश्वर, डलकोल्हा, दानकुनी जं, दंतन, दार्जिलिंग, डेबाग्राम, देऊला, देलुटी, धकुरिया, धनियाखली, धापधापी, धूलबरी, धूपगुरी, डायमंड हार्बर रोड, दिनहाटा, दोमजर, दुबराजपुर, दमदम कैंट, दमदम जं, दुर्गानगर, दुर्गापुर, दत्तापुकुर ईडन गार्डन, इकलाखी, फुलेश्वर, गालसी, गंगापुर, गरबेटा, गरिया, गजोले, गेडे, घोकसडंगा, घूम, घुटियारी शरीफ, गिरि मैदान, गोबरडंगा, गोकुलपुर, गोपालनगर, गौरीनाथधाम, गूमा, गुप्तीपाड़ा, गुस्कारा, हबीबपुर, हाबरा, हल्दीबारी, हैलीशहर, हरिपाल, हरिश्चंद्रपुर, हौरा रोड, हसनाबाद, हौर, हुगली, इच्छापुर, ज़दबपुर, जगदल, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, जंगीपुर

1	2
	रोड, झारग्राम, जियागंज, जिराट, जायचंदीपहाड़, जॉयनगर मजिलपुर, काकद्वीप, कलईकुंडा, कलचीनी, कालिकपुर, कालीनारायणपुर, कलियागंज, कल्याणी, कल्याणी घोसपाड़ा, कल्याणी सिलपंचाल, कल्याणपुर, कामाख्यागौरी, कमरकुंडु जं, कांचरापाड़ा, कांकिनाड़ा, कांठी काशीनगर हाल्ट, कटवा जं, खाना जं, खरदाह, कीरनहर, कोलाघाट, कोननगर, कोटशिला, कृष्णानगर शहर जं, कुलगछिया, कुल्टी, लाबपुर, लेक गार्डन, लक्ष्मीकांतपुर, लालगोला, लिलुहा, मदनपुर, मदारीहाट, मध्यमग्राम, मगराहाट, महिसादल, माजेरग्राम, मालदा कोर्ट, मालदा टाउन, मलिकपुर, मनकुंडु, मसाग्राम, मसलंदपुर, मतिग्रा, मछेदा, मेमारी, मिदनापुर, मौरीग्राम, मुरागाच्छा, मुर्शिदाबाद, नवद्वीपधाम, नगराकटा, नैहाटी जं., नालहाटी जं., नालीकुल, नामखाना, नंदकुमार नारायण पुकुरिया मुरली, नसीबपुर, नेत्रा, न्यू अलीपुर (कोलकाता), न्यू बैरकपुर, नई दोमहीन, न्यू फरक्का, न्यू मैनागुढ़ी निश्चिदपुर मार्केट, ओल्ड मालदा, पगलाचंडी, पालपाड़ा, पालटा, पानगढ़, पंडेश्वर, पंडूह, पनजिपारा, पंसकुरा जं, पार्कसर्कस, पटीपुकुर, फुलिया, प्लासी, प्रिंसेपघाट, पुरबसथाली, पुरुलिया जं, राधामोहनपुर, रायगंज, राजबंध, रामपुरहाट, रानाघाट जं, रानीगंज, रासुलपुर, रिसरा, सैंथिया जं, सालार, समसी, समुद्रगढ़, संग्रामपुर हाल्ट, संतालडीह, संतोषपुर, शक्तिगढ़, शांतिपुर जं., श्योराफुली जं, श्यामनगर, सिलीगुड़ी जं. सिमुरली, सिंगूर, सीतारामपुर जं, सिउरी, सिवोक, सोदेपुर, सोनादा, सोनमुखी, सोनारपुर जं, सोंडलिया, श्रीरामपुर (एच), सुभाषग्राम, सुकना, सूर्यपुर, टकी रोड, ताल, तामलुक, तारकेश्वर, तारापीठ रोड़, ठाकुरनगर, टिकियापाड़ा, टीटागढ़, टालीगंज, त्रिबेणी, उलुबरिया और उत्तरपाड़ा।

पहचाने गए अन्य आदर्श स्टेशनों के राज्य-वार नाम

राज्य	स्टेशनों के नाम
1	2
आंध्र प्रदेश (16)	अलेर, बोब्बिली, दुवादा, द्वारापुदी, हिन्दुपुर, जनगांव, कामारेड्डी, करीम नगर, मछरेला, मछलीपट्टनम, मलकाजगिरि, पिदुगुरल्ला, रघुनाथपल्ली, सत्तेनापल्ली, शंकरपल्ली और विनुकोंडा।
असम (07)	बारपेटा रोड, फकीराग्राम, गोरेसवर, कोकराझार, रौता बागान, टंगला, उदलगुड़ी।
बिहार (28)	आरा, बैरगनिया, बरौनी, बरसोई जं., बेगूसराय, भागलपुर, गढ़पुरा, घोघा, घोरा सहान, हसनपुर रोड, हिसुआ, जनकपुर रोड, जिराडई, कहलगांव, खडिक, किशनगंज, महेशकुंट, मानसी, नारायणपुर, नवादा, शाहपुर पटोरी, सलौना, शेखपुरा, शिवनारायणपुर, सिमरिबख्तियारपुर, सुपौल, थानाबिहपुर और वरसालीगंज।
छत्तीसगढ़ (01)	महासमुंद।
दिल्ली (02)	दिल्ली किशनगंज और सब्जी मंडी।
गुजरात (12)	बेचराजी, भटुरिया, कड़ी, नवसारी, पालनपुर, सिद्धपुर, उधना, उंजा, वडनगर, वीजापुर, विसनगर और व्यारा।

1	2
हरियाणा (6)	बहादुरगढ़, गुड़गांव, कुरूक्षेत्र, पानीपत, रोहतक जं. और सोनीपत।
जम्मू और कश्मीर (2)	हीरा नगर और कठुआ।
झारखंड (8)	डाल्टनगंज, धनबाद, गढ़वा रोड जंक्शन, लोहरदगा, पाकुर, फुसरो, रांची, और सिल्ली।
कर्नाटक (15)	अलमाटी, बादामी, बागलकोट, चिकबल्लापुर, चिंतामणि, गदग, गौरीबिदानुर, गोकक रोड, हावेरी, कबकपुत्तर, कोलार, कोप्पल, सिदलाघाट, श्रीनिवासपुरा और येलहंका जं.।
केरल (15)	औवनीस्वरम, चारवाथुर, ईटाकोट, फिरोक, कन्नापुरम, कोटिकुलम, मांजेश्वरम, निलेश्वर, पप्पनीसेरी, पारापननगडी, परावुर, पायनगडी, पायननूर, त्रिचूर (त्रिसूर) और वालापट्टीनम।
मध्य प्रदेश (16)	बियोरा राजगढ़, बिरला नगर, बुरहानपुर, दमोह, घटरिया (पथरिया), जूनारेडो (जमई), करेली, खंडवा, मदनमहल, निंभोरा, परासिया, पथरिया, रूठियाई, सावदा, शिवपुरी और सिंगरौली।
महाराष्ट्र (31)	अहमदनगर, अजनी, अमलनेर, अम्बरनाथ, दहिसर, दिवा, गंगाखेड़, हिंगोली, जलगांव, जालना, जयसिंहपुर, कलमेश्वर, कांदिवली, काटोल, खेपोली, कोपरगांव, लोअर परेल, मल्कापुर, मुलताई, नगरसोल, नाहुर, नंदौरा, नंदुरबार, नरखेड़, पंधुरना, पनवेल, नरसिंह पोकरनी, पुंताबा शिरडी, उदगीर और वरागांव।
ओडिशा (15)	अंगुल, बखराबाद, बारीपदा, भद्रक, डोईकल्लू, जाखपुरा, लांजीगढ़ रोड़, लापंगा, मेरामंडोली, नारायणगढ़, नेकुरसेनी, रघुनाथपुर, रेंगाली, सोरो, तालचेर।
पंजाब (11)	बरनाला, फाजिल्का, गिद्दड़बाहा, लहरागगा, मलेरकोटला, मौर, मुक्तसर, फगवाड़ा, संगरूर, सुनाम, टपा।
राजस्थान (16)	अनूपगढ़, बालोत्रा, चुरू, धौलपुर, जयपुर, खैरथल, कोलायत, लूणकरनसर, नोहार, राजगढ़, रिंगस, सादुलपुर, सरदारशहर, श्री डुंगर गढ़, सुजान गढ़ और तहसील भद्र।
तमिलनाडु (4)	अरियालुर, होसुर रोयापुरम, और थिरूवेरूमबूर।
उत्तर प्रदेश (49)	अलीगढ़, अयोध्या, बहराइच, बाला मऊ, बारागांव, भारत कुंड, भरवारी, बिल्हार घाट, चित्रकूट धाम कार्वी, चोला, दारागंज, दरियाबाद, देवरिया सदर, दिलदारनगर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौरा, गौरी गंज, गाजियाबाद, गाजीपुर सिटी, जाखनिया, झूसी, कालपी, खजुराहो, खलीलाबाद, खुर्जा जंक्शन, कुंदा हरनाम गंज, लाल गंज, लाल गोपाल गंज, मगहर, मानिकपुर, मिर्जापुर, मुंदरवा, मुजफ्फरनगर, नैमिषारण्य, नैनी, उरई, परतापुर, पतरंगा, फूलपुर, पोखरयान, प्रयाग घाट, रुदोली, सकोटी टांडा, शोहरतगढ़ सिराथु, सीतापुर कैंट, टूंडला और ऊंचाहार।
पश्चिम बंगाल (94)	अंबलग्राम, अशोकनगर रोड, अजीमगंज जं. बागुला, बहादुरपुर, बहारू, बहिरगच्छी, बहिरपुया, बालागढ़, बलरामबती, बालगोना, बल्लारपुर, बल्लीघाट, बामनगच्छी, बांका पासी, बंकिमनगर, बांसतला, बारासात जं, बसुदेवपुर, बसुलडंगा, बाथनकरिट्टबा,

1	2
	बाथनकरिट्टबा, बेलदंगा, बेलियाघाट रोड, बेलियाटोर, बेटबरिया घोला, भगवानगोला, बिद्याधरपुर, विष्णुपुर, बोइंची, चांचई, चंदनपुर, चतरा, चोरीगचा, डैनहट, दासनगर, धातरीग्राम, ढुबुलिया, दुमारदहा, दुर्गाचक, फलकटा, गददहरपुर, घोराघटा, गिधनी, गोबरा, गुरप, हरिदासपुर, हंसीमारा, हिंदमोटर, होटर, हृदयापुर, जमुरिया, जनाई रोड, जेस्सोर रोड, झंतीपहाड़ी, कैकला, कलीननगर, खागड़ाघाट रोड, खलतीपुर, खेमसौली, खिदिरपुर, कोडलिया-बिशरपाड़ा, कुल्पी, लोहापुर, लोकनाथ, मधुसूदनपुर, माझडिया, मालतीपुर, मनीग्राम, मोल्लारपुर, मुरारी, नबद्वीप घाट, नबग्राम, नरेन्द्रपुर, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, पल्ला रोड, पालसिट, पटौली, पिरताला, प्रांतिक, राजगोडा, रामराजतला, रिमाउंट रोड, रूपनारायणपुर, सागरडिगी, सालनपुर, सालबोनी, संक्रेल, सरदिहा, शालीमार, शिमलागढ़, तल्डी तलिट, और टिलडंगा।

नई रेलगाड़ियां

*146. **श्री उदय प्रताप सिंह :**
श्री गोपाल सिंह शेखावत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011-12 के रेल बजट में घोषित/स्वीकृत सभी रेलगाड़ियों का प्रचालन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन रेलगाड़ियों का प्रचालन कब तक शुरू हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) रेल बजट 2011-12 में घोषित की गई 131 नई गाड़ी सेवाओं में से कई प्रकार की तंगियों के कारण 3 गाड़ियां तथा (प) डेमू स्टॉक की अनुपलब्धता के कारण सिलीगुड़ी-दिनहाटा पैसेंजर (प्रतिदिन), गडवल और रायचूर के बीच नई लाइन के चालू न होने के कारण (पप) 77693/77694 काचेगुडा-रायचूर डेमू (सप्ताह में 6 दिन) और (पपप) 77689/77690 रायचूर-गडवल डेमू (सप्ताह में 6 दिन) शुरू करने के लिए लंबित हैं। जैसे ही उपर्युक्त तंगियों को दूर कर लिया जाएगा, ये गाड़ियां शुरू कर दी जाएंगी। रेल बजट 2011-12 में घोषित की गई 128 गाड़ियों का जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रेल बजट 2011-12 में घोषित की गई 128 नई एक्सप्रेस/पैसेंजर/मेमू/डेमू गाड़ियों का जोन-वार ब्यौरा

क्र.सं.	से	तक	किस्म	जोनल रेलवे
1	2	3	4	5
1.	नागपुर	भुसावल	एक्सप्रेस	मध्य
2.	नागपुर	कोल्हापुर	एक्सप्रेस	मध्य
3.	सावंतपाडी रोड	मुंबई	राज्य रानी एक्सप्रेस	मध्य
4.	वसई रोड	दिवा	डेमू	मध्य

1	2	3	4	5
5.	पुणे	सिकंदराबाद	शताब्दी एक्सप्रेस	मध्य
6.	मनमाड	मुंबई	राज्य रानी एक्सप्रेस	मध्य
7.	इलाहाबाद	मुंबई	एसी दूरांतो	मध्य
8.	पुणे	अहमदाबाद	एसी दूरांतो	मध्य
9.	केन्दुझारगढ़	भुवनेश्वर	फास्ट पैसंजर	पूर्व तट
10.	दिघा	पुरी	एक्सप्रेस	पूर्व तट
11.	कोरापुट	संबलपुर	पैसेंजर	पूर्व तट
12.	विशाखापटनम	कोरापुट	इंटरसिटी एक्सप्रेस	पूर्व तट
13.	वाराणसी	सिंगरौली	जन शताब्दी एक्सप्रेस	पूर्व मध्य
14.	हावड़ा	दरभंगा	एक्सप्रेस	पूर्व मध्य
15.	बरकाकाना	डेहरी-आन-सोन	पैसेंजर	पूर्व मध्य
16.	सहरसा	पटना	राज्य रानी एक्सप्रेस	पूर्व मध्य
17.	हावड़ा	अजीमगंज	कवि गुरू	पूर्व
18.	बर्द्धमान	रामपुरहाट	एक्सप्रेस	पूर्व
19.	कोलकाता	आगरा	एक्सप्रेस	पूर्व
20.	आसनसोल	गोरखपुर	एक्सप्रेस	पूर्व
21.	आसनसोल	गोंडा	एक्सप्रेस	पूर्व
22.	रांची	आसनसोल	मेमू	पूर्व
23.	हावड़ा	बोलपुर	कवि गुरू एक्सप्रेस	पूर्व
24.	सियालदह	पुरी	नॉन-एसी दूरांतो	पूर्व
25.	मालदा टाऊन	दिघा	एक्सप्रेस	पूर्व
26.	आसनसोल	टाटानगर	एक्सप्रेस	पूर्व
27.	सियालदह	भगवानगोला-लालगोला	डेमू	पूर्व

1	2	3	4	5
28.	कृष्णानगर	बेरहामपुर कोर्ट	डेमू (मेमू)	पूर्व
29.	सियालदह	जंगीपुर	डेमू	पूर्व
30.	कोलकाता/हावड़ा	जैसलमेर	एक्सप्रेस	पूर्व
31.	भागलपुर	अजमेर	एक्सप्रेस	पूर्व
32.	लखनऊ	भोपाल	एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर
33.	गोरखपुर	यशवंतपुर	एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर
34.	हरिद्वार	रामनगर	लिंक एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर
35.	कामाख्या	दिमापुर	एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर सीमा
36.	डिब्रूगढ़	कन्याकुमारी	विवेक एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर सीमा
37.	सिलघाट	धुबड़ी	राज्य रानी एक्सप्रेस	पूर्वोत्तर सीमा
38.	न्यू जलपाईगुड़ी	बालूरघाटा	डेमू	पूर्वोत्तर सीमा
39.	राधिकापुर	न्यू जलपाईगुड़ी	डेमू	पूर्वोत्तर सीमा
40.	सिलघाट	चापरमुख	पैसेंजर	पूर्वोत्तर सीमा
41.	राय बरेली	जौनपुर	एक्सप्रेस	उत्तर
42.	दिल्ली	फारूखनगर	पैसेंजर	उत्तर
43.	दिल्ली	पुदुचेरी	एक्सप्रेस	उत्तर
44.	लुधियाना	दिल्ली	शताब्दी एक्सप्रेस	उत्तर
45.	मेरठ	लखनऊ	राज्य रानी एक्सप्रेस	उत्तर
46.	मुंबई	चंडीगढ़	एक्सप्रेस	उत्तर
47.	बठिंडा-अबोहर	फाजिल्का	पैसेंजर	उत्तर
48.	जोधपुर	हिसार	फास्ट पैसेंजर	उत्तर पश्चिम
49.	बीकानेर	दिल्ली सराय रोहिल्ला	सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम

1	2	3	4	5
50.	जोधपुर	दिल्ली सराय रोहिल्ला	एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
51.	कामाख्या	जयपुर	कवि गुरू एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
52.	कोलकाता	अजमेर	एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
53.	शालीमार	उदयपुर	एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
54.	निजामुद्दीन	अजमेर	नान एसी दूरांतो	उत्तर पश्चिम
55.	जयपुर	दिल्ली	एसी डबल डैकर	उत्तर पश्चिम
56.	जयपुर	आगरा	शताब्दी एक्सप्रेस	उत्तर पश्चिम
57.	नसरपुर	नागरसोल	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
58.	हैदराबाद	दरभंगा	एसक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
59.	पुणे	नांदेड	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
60.	मिरियालगुडा	नाडिकुडी	डेमू	दक्षिण मध्य
61.	काचेगुडा	मिरियालगुडा	डेमू	दक्षिण मध्य
62.	तिरूपति	अमरावती	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
63.	हावड़ा	नांदेड	एक्सप्रेस	दक्षिण मध्य
64.	तिरूपति	गुंतकल	पैसेंजर	दक्षिण मध्य
65.	जालना	नागरसोल	डेमू	दक्षिण मध्य
66.	फलकनुमा	मेडछल	डेमू	दक्षिण मध्य
67.	निजामाबाद	काचेगुडा	डेमू	दक्षिण मध्य
68.	फलकनुमा	भोनगीर	मेमू	दक्षिण मध्य
69.	सिकंदराबाद	विशाखापटनम	एसी दूरांतो	दक्षिण मध्य
70.	बिलासपुर	एर्णाकुलम	सुपरफास्ट	दक्षिण पूर्व मध्य
71.	गोंदिया	बल्लारशाह	डेमू	दक्षिण पूर्व मध्य
72.	बिलासपुर	कटनी	पैसेंजर/मेमू	दक्षिण पूर्व मध्य

1	2	3	4	5
73.	रायपुर	कोरबा	पैसेंजर/मेमू	दक्षिण पूर्व मध्य
74.	पुरी	शालीमार	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
75.	शालीमार	विशाखापटनम	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
76.	संतरागाछी	तिरूपति	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
77.	बांकुड़ा	शालीमार	राज्य रानी एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
78.	झारसुगुडा	भुवनेश्वर	राज्य रानी एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
79.	बारीपदा	बांगरीपोसी	डेमू	दक्षिण पूर्व
80.	हटिया	पुणे	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
81.	दीघा	विशाखापटनम	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
82.	संतरागाछी	मंगलौर	विवेक एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
83.	हावड़ा	मैसूर	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
84.	हावड़ा/शालीमार	सिकंदराबाद	एक्सप्रेस	दक्षिण पूर्व
85.	शालीमार	पटना	दूरांतो	दक्षिण पूर्व
86.	मिदनापुर	झारग्राम	मेमू	दक्षिण पूर्व
87.	झारग्राम	पुरूलिया	मेमू	दक्षिण पूर्व
88.	कोयंबतूर	तूतीकोरिन	लिंक एक्सप्रेस	दक्षिण
89.	कोयंबतूर	मेटुपलायम	पैसेंजर	दक्षिण
90.	चेन्नै	शिरडी	एक्सप्रेस	दक्षिण
91.	एर्णाकुलम	बेंगलुरू	एक्सप्रेस	दक्षिण
92.	नीलांबर रोड	तिरूवनंतपुरम लिंक	राज्य रानी एक्सप्रेस	दक्षिण
93.	मंगलौर	पालक्काड	इंटरसिटी एक्सप्रेस	दक्षिण
94.	खड़गपुर	विलुपुरम	एक्सप्रेस	दक्षिण

1	2	3	4	5
95.	एर्णाकुलम	कोल्लम	मेमू	दक्षिण
96.	पुरूलिया	विलुपुरम	एक्सप्रेस	दक्षिण
97.	कोल्लम	नागरकोइल	मेमू	दक्षिण
98.	मदुरै	चेन्नै	एसी दूरांतो	दक्षिण
99.	चेन्नै	तिरूवनंतपुरम	एसी दूरांतो	दक्षिण पश्चिम
100.	बंगारपेट	कोप्पम	मेमू	दक्षिण पश्चिम
101.	मैसूर	बेंगलुरू	राज्य रानी एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
102.	यशवंतपुर	मैसूर	एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
103.	बेंगलुरू कैंट	बंगारपेट	डेमू	दक्षिण पश्चिम
104.	धर्मापुरी	बेंगलुरू	डेमू	दक्षिण पश्चिम
105.	मारीकुप्पम	बंगारपेट	डेमू	दक्षिण पश्चिम
106.	कोलार	बेंगलुरू	डेमू	दक्षिण पश्चिम
107.	मैसूर	चेन्नै	एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
108.	वास्को	वेलंकनी	एक्सप्रेस	दक्षिण पश्चिम
109.	जबलपुर	इंदौर	इंटरसिटी एक्सप्रेस	पश्चिम मध्य
110.	इंदौर	कोटा	इंटरसिटी एक्सप्रेस	पश्चिम मध्य
111.	दमोह	भोपाल	राज्य रानी एक्सप्रेस	पश्चिम मध्य
112.	रतलाम	नीमच	डेमू	पश्चिम
113.	रतलाम	चित्तौड़गढ़	डेमू	पश्चिम
114.	वसई रोड	पनवेल	मेमू	पश्चिम
115.	पोरबंदर	संतरागाछी	कवि गुरू एक्सप्रेस	पश्चिम
116.	भुज	दादर	एक्सप्रेस	पश्चिम

1	2	3	4	5
117.	पुरी	गांधीधाम	एक्सप्रेस	पश्चिम
118.	द्वारका	तूतीकोरिन	विवेक एक्सप्रेस	पश्चिम
119.	अहमदाबाद	पाटन	डेमू	पश्चिम
120.	भावनगर	कोचुवेली	एक्सप्रेस	पश्चिम
121.	भुज	पालनपुर	पैसेंजर	पश्चिम
122.	बांद्रा (टी)	जम्मू तवी	विवेक एक्सप्रेस	पश्चिम
123.	पोरबंदर	कोचुवेली	एक्सप्रेस	पश्चिम
124.	उदयपुर	बांद्रा (टी)	एक्सप्रेस	पश्चिम
125.	मुंबई सेंट्रल	नई दिल्ली	एसी दूरांतो	पश्चिम
126.	अहमदाबाद	यशवंतपुर	एसी एक्सप्रेस	पश्चिम
127.	वाराणसी	अहमदाबाद	एक्सप्रेस	पश्चिम
128.	अहमदाबाद	मुंबई	एसी डबल डैकर	पश्चिम

योग्य वैज्ञानिकों की कमी

***147. श्रीमती भावना पाटील गवली :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं/प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास कार्य करने हेतु योग्य वैज्ञानिकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के अधीन विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं/प्रयोगशालाओं में कार्यरत अनेक वैज्ञानिकों ने निजी क्षेत्र में अधिक पारिश्रमिक वाले पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन वैज्ञानिकों की वर्ष और संस्था-वार संख्या कितनी है, जिन्होंने निजी क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने हेतु त्यागपत्र दिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे वैज्ञानिकों को अपनी संस्थाओं में बनाए रखने और उनका पलायन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं/प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास के लिए योग्य वैज्ञानिकों की कमी नहीं है।

(ग) से (ङ) यह पाया गया है कि वैज्ञानिकों जिन्होंने पलायन किया है अथवा करने जा रहे हैं, की संख्या उतनी चिंताजनक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी विशिष्ट जानकारी नहीं रखी गई है और

इसलिए ऐसी प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि छठे वेतन आयोग में वैज्ञानिकों के वेतन एवं पदोन्नति संबंधी प्रावधानों में संशोधन के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में अनुसंधान संभावनाओं में आकर्षण बढ़ा है। यह देश में एक्सट्राम्यूरल आर एंड जी प्रोजेक्ट वर्ष 2006-07 में 3336 से 29% बढ़कर वर्ष 2009-10 में 4,304 हो जाने से स्पष्ट है। अनुसंधान अध्येताओं के लिए अध्येतावृत्तियों की मासिक परिलब्धि वर्ष 2007 में 8000 रु. प्रतिमाह से 100% बढ़कर वर्ष 2010 में 16000 रु. प्रतिमाह हो गई है। डाक्टर की उपाधियों की संख्या वर्ष 2006-07 में 6086 से 17% बढ़कर वर्ष 2008-09 में 7113 हो गई है। साथ ही, देश में अनुसंधान कार्य करने के लिए विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के 184 वैज्ञानिकों को रामानुजन अध्येतावृत्ति दी गई है। इंस्पायर संकाय पुरस्कार योजना के अंतर्गत पीएचडी उपाधि वाले अनिवासी भारतीयों सहित भारतीय मूल के 33 वैज्ञानिकों ने भारतीय वैज्ञानिक संस्थाओं में कार्यभार ग्रहण किया है। अनुसंधान पेशेवरों की बढ़ती मांग के मद्देनजर, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईएसईआरएस) जैसे नये संस्थानों की स्थापना और वैज्ञानिक विभागों के लिए योजनागत आबंटनों के क्रमागत वृद्धि के फलस्वरूप उपयोग क्षमता में वृद्धि हुई है।

यौन अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय

***148. श्री रमाशंकर राजभर :**
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में यौन-अपराधों से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने माले लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार यौन अपराध और महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु देश में फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इन न्यायालयों की स्थापना में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों और सामाजिक संगठनों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस मुद्दे पर न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा पैनल की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) संलग्न विवरण-I में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित बलात्संग मामलों की संख्या दी गई है। संलग्न विवरण-II में वर्ष 2009 से आरंभ, वर्ष 2011 तक तीन वर्षों के लिए के लिए जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में समान सूचना दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से ऐसे जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित बलात्संग मामलों के, जहां बलात्संग मामले अधिकता में लंबित है, शीघ्र विचारण के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन के लिए अनुरोध किया है। सरकार ने, मामलों के समय से निपटान को सुनिश्चित करने के लिए उनसे मामलों की प्रगति की निगरानी करने का भी अनुरोध किया है। बलात्संग मामलों के निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना में की गई प्रगति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) और (ङ) सरकार को, विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का निवारण करने के लिए, बिना स्थगन के विचारण करने, ऐसे मामलों में बंद कमरे में विचारण के साथ-साथ न्यायपालिका को लैंगिक विषयों पर सर्वेदनशीलता के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना द्वारा लैंगिक अपराधों में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। लैंगिक हमले के मामलों में दिन-प्रतिदिन के आधार पर विचारण और बंद कमरे में विचारण करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में पहले ही उपबंध किए गए हैं। उसमें यह भी उपबंध किया गया है कि बंद कमरे के विचारण, यथासाध्य, किसी महिला न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। न केवल यह, बल्कि पीड़ित के कथन का अभिलेखन, उसके निवास या उसकी पसंद के किसी स्थान पर और किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता/संरक्षक या नजदीकी रिश्तेदारों या स्थानीय समाजसेवी की उपस्थिति किया जाएगा। सरकार ने, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से बलात्संग जैसे जघन्य अपराधों को सम्मिलित करते हुए, मामलों के विचारण में इन उपबंधों का अनुसरण करने के लिए जिला न्यायाधीशों पर दबाव डालने का अनुरोध किया है।

इसी प्रकार के सुझाव न्यायमूर्ति वर्मा समिति को भी, जो कि दिल्ली सामूहिक बलात्संग मामले के परिणामस्वरूप स्थापित की गई थी, दिए गए थे। हालांकि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को प्रख्यापित किया है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क) से धारा 354(घ), धारा 375, धारा 376, धारा 376(क) से धारा 376(ङ), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154, धारा 160, धारा 161, धारा 198(ख), धारा 273, धारा 327 और प्रथम अनुसूची और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53क, धारा 114क और धारा 146 के अधीन उपबंधों का संशोधन/परिवर्धन किया गया है।

न्यायपालिका के लैंगिक संवेदनशीलता के संबंध में, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियां लैंगिक न्याय और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। सरकार ने, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में और जिनमें कार्यक्षेत्र के दौरे करने और हिंसा के उत्तरजीवियों के साथ अन्योन्यक्रियाएं सम्मिलित हैं, वृद्धि करने का अनुरोध किया है। सरकार ने राज्य न्यायिक अकादमियों से, 13वें वित्त आयोग पंचाट के अधीन उपलब्ध निधियों का उपयोग उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संवृद्धि करने के लिए भी करने का पृथक से अनुरोध किया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित बलात्संग मामलों और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाए गए बलात्संग मामले

	तारीख 19.11.2012 को लैंगिक उत्पीड़न, व्यपहरण और अपहरण से संबंधित मामलों की संख्या	वर्ष 2009 से 11 नवंबर, 2012 तक लैंगिक उत्पीड़न, व्यपहरण और अपहरण से संबंधित मामलों की संख्या
भारत का उच्चतम न्यायालय	325	713

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	तारीख 30 सितंबर, 2012 को लंबित बलात्संग मामलों की संख्या	तारीख 01 अक्तूबर, 2009 से 30 सितंबर, 2012 (तीन वर्ष) तक निपटाए गए बलात्संग मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	8215	39
2.	मध्य प्रदेश	3758	628
3.	पंजाब और हरियाणा	2717	536
4.	छत्तीसगढ़	1533	246
5.	ओडिशा	1080	159
6.	राजस्थान	1164	83
7.	बम्बई	1009	239
8.	दिल्ली*	924	1135

1	2	3	4
9.	झारखंड	822	39
10.	पटना	797	106
11.	केरल	420	295
12.	आंध्र प्रदेश	269	57
13.	कर्नाटक**	243	4522
14.	गुजरात***	230	147
15.	मद्रास	179	35
16.	हिमाचल प्रदेश	177	418
17.	गुवाहाटी	174	55
18.	जम्मू और कश्मीर	28	12
19.	कलकत्ता	27	14
20.	उत्तराखंड	26	5
21.	सिक्किम	0	2

* दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित बलात्संग के अपराधों से संबंधित सभी प्रवर्गों के मामले अर्थात् जिसके अंतर्गत जमानतीय आवेदन, दांडिक अपील, दांडिक इजाजत याचिका, दांडिक पुनरीक्षण, दांडिक रिट याचिका, मृत्युदंड निर्देश तथा दांडिक प्रकीर्ण मामले हैं।

** इसके अंतर्गत दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण याचिका तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438, धारा 439 और धारा 482 के अधीन दांडिक याचिका है।

*** व्यपहरण अपहरण तथा लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों की अनंतिम संख्या (भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, धारा 363 से धारा 374, धारा 376 और धारा 377)।

विवरण-II

बलात्संग के लिए, वर्ष 2009, 2010 और 2011 में, वर्ष के आरंभ में विचारण के लिए मामले (सीएफटी), वापस लिए गए मामले (सीडब्ल्यू), ऐसे मामले जिनमें विचारण पुर्ण हो चुके हैं (सीटीसी) और वर्ष के अंत में लंबित विचारण मामले (सीपीटी)

2009

क्र.सं.	राज्य	सीएफटी	सीडब्ल्यू	सीटीसी	सीपीटी
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	12812	4	953	11855

1	2	3	4	5	6
2.	पश्चिम बंगाल	11381	2	861	10518
3.	मध्य प्रदेश	10083	8	2278	7797
4.	उत्तर प्रदेश	5719	0	1353	4366
5.	असम	4771	47	499	4225
6.	ओडिशा	4352	0	673	3679
7.	बिहार	4361	2	738	3621
8.	छत्तीसगढ़	4377	1	831	3545
9.	केरल	3764	1	336	3427
10.	गुजरात	2725	2	183	2540
11.	राजस्थान	3150	14	606	2530
12.	आंध्र प्रदेश	3377	4	967	2406
13.	झारखंड	2340	23	722	1595
14.	तमिलनाडु	1856	7	406	1443
15.	कर्नाटक	1522	10	342	1170
16.	जम्मू और कश्मीर	1173	6	206	961
17.	हरियाणा	1364	0	475	889
18.	त्रिपुरा	677	2	96	579
19.	पंजाब	963	0	465	498
20.	अरुणाचल प्रदेश	488	0	5	483
21.	हिमाचल प्रदेश	564	0	118	446
22.	मेघालय	437	0	23	414
23.	उत्तराखंड	333	0	94	239

1	2	3	4	5	6
24.	मिजोरम	156	0	66	90
25.	मणिपुर	62	0	0	62
26.	गोवा	86	0	25	61
27.	सिक्किम	76	1	17	58
28.	नागालैंड	47	0	11	36
	कुल	83016	134	13349	69533
			2010		
1.	महाराष्ट्र	13313	11	1048	12254
2.	पश्चिम बंगाल	12384	15	655	11714
3.	मध्य प्रदेश	10886	27	2751	8108
4.	असम	5335	44	526	4765
5.	उत्तर प्रदेश	5537	0	1392	4145
6.	ओडिशा	4805	0	666	4139
7.	केरल	4071	0	256	3815
8.	छत्तीसगढ़	4487	2	825	3660
9.	बिहार	4154	0	873	3281
10.	राजस्थान	3502	16	656	2830
11.	गुजरात	2931	2	187	2742
12.	आंध्र प्रदेश	3616	6	1031	2579
13.	झारखंड	2300	17	596	1687
14.	तमिलनाडु	1930	1	432	1497
15.	कर्नाटक	1682	1	350	1331

1	2	3	4	5	6
16.	हरियाणा	1479	0	456	1023
17.	जम्मू और कश्मीर	1138	1	143	994
18.	त्रिपुरा	764	1	112	651
19.	अरुणाचल प्रदेश	517	2	6	509
20.	मेघालय	494	2	9	483
21.	हिमाचल प्रदेश	585	1	110	474
22.	पंजाब	947	0	490	457
23.	उत्तराखंड	343	0	111	232
24.	मिजोरम	184	0	87	97
25.	सिक्किम	89	0	3	86
26.	गोवा	105	0	27	78
27.	मणिपुर	66	0	3	63
28.	नागालैंड	49	0	19	30
	कुल	87693	149	13820	73724
			2011		
1.	पश्चिम बंगाल	13718	0	686	13032
2.	महाराष्ट्र	13819	9	1012	12798
3.	मध्य प्रदेश	11331	34	3507	7790
4.	असम	5777	15	769	4993
5.	ओडिशा	5176	0	639	4537
6.	केरल	4521	0	201	4320
7.	उत्तर प्रदेश	5725	0	1447	4278

1	2	3	4	5	6
8.	छत्तीसगढ़	4687	37	886	3764
9.	बिहार	4101	1	847	3253
10.	राजस्थान	3949	37	785	3127
11.	गुजरात	3151	5	211	2935
12.	आंध्र प्रदेश	3794	5	1007	2782
13.	झारखंड	2279	10	474	1795
14.	तमिलनाडु	1973	3	353	1617
15.	कर्नाटक	1864	1	374	1489
16.	जम्मू और कश्मीर	1225	4	169	1052
17.	हरियाणा	1555	0	578	977
18.	त्रिपुरा	889	0	202	687
19.	मेघालय	564	0	20	544
20.	अरुणाचल प्रदेश	547	0	23	524
21.	हिमाचल प्रदेश	617	1	130	486
22.	पंजाब	883	3	427	453
23.	उत्तराखंड	330	0	88	242
24.	मिजोरम	165	0	57	108
25.	गोवा	111	0	14	97
26.	सिक्किम	98	0	20	78
27.	मणिपुर	68	0	1	67
28.	नागालैंड	50	1	19	30
	कुल	92967	166	14946	77855

विवरण-III

बलात्संग मामलों के निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना में की गई प्रगति

क्र.सं.	राज्य का नाम	बलात्संग मामलों के विचारण के लिए स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	बलात्संग मामलों के विचारण के लिए अब तक स्थापित त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या इन न्यायालयों की स्थापना के लिए जारी अधिसूचनाओं की प्रतियों सहित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	वैसे तो अभी तक बलात्संग मामलों के विचारण के लिए कोई त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित नहीं हुआ है। तथापि, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों के विचारण के लिए विद्यमान 27 न्यायालयों की पहचान की है।
2.	छत्तीसगढ़	16	16
3.	दिल्ली	5	5
4.	गुजरात	गुजरात उच्च न्यायालय के माननीय दो न्यायाधीशों से मिलकर बनने वाली समिति का, तारीख 15.01.2013 का, लंबित बलात्संग के मामलों के विचारण के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए, गठन किया गया है और वह विचाराधीन है।	–
5.	झारखंड	माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।	जिला और अपर सेशन न्यायाधीशों/अपर न्यायिक आयुक्त के 09 न्यायालय, रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर, गरहवा, गुमला, हजारीबाथ, जमशेदपुर और साहेबगंज की न्यायिक अधिकारिता में बलात्संग मामलों के विचारण के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों के रूप में अभिहित किए गए हैं।
6.	जम्मू और कश्मीर	8	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने बलात्संग मामले के विचारण के लिए राज्य में पांच विद्यमान न्यायालयों की पहचान की है।

1	2	3	4
7.	मध्य प्रदेश	जी, नहीं। तथापि, विद्यमान काडर पदसंख्या में से 9 स्थानों (बेतुल, भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर, जबलपुर, रायसेन, रीवा और सतना) के अपर सेशन न्यायाधीशों में से एक को बलात्संग, सामूहिक बलात्संग और हत्या सहित बलात्संग से संबंधित अपराधों के विचारण के लिए अभिहित किया गया है।	उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य में, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग और हत्या सहित बलात्संग के अपराधों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सभी सेशन न्यायाधीशों को प्रभावी अनुदेश जारी किए हैं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार

***149. श्री हरि मांझी :**
श्री रमेश बैस :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार के कार्य दिवसों की औसत संख्या में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गिरावट आई है;

(ख) क्या हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के व्यक्तियों और महिलाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत हुए व्यय में भी गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) मांग पर आधारित है। मनरेगा की अनुसूची-II के पैरा 1 में यह प्रावधान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के जो वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक हों, वे मनरेगा के तहत काम हेतु आवेदन करने के लिए पात्र बनने के लिए जाब कार्ड जारी किए जाने के लिए अपने परिवार के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। तथापि, इस अधिनियम के तहत मात्र जाब कार्ड जारी किए जाने से कोई परिवार रोजगार पाने का हकदार नहीं बनता है। इस अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 9 के तहत उस परिवार को रोजगार पाने का हकदार बनने के लिए कार्य हेतु आवेदन भी प्रस्तुत करना होता है और मांग किए जाने पर रोजगार दिया जाता है। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे प्रत्येक परिवार को इस अधिनियम के तहत बनाई गई योजना के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान करे, जिसके वयस्क सदस्य ऐसा रोजगार करने के लिए इच्छुक हों। मनरेगा के तहत रोजगार की मांग वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता जैसे कई बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।

(ख) से (घ) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2009-10 से मनरेगा के तहत सृजित रोजगार के श्रम दिवसों की संख्या, कुल सृजित रोजगार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की भागीदारी के प्रतिशत और किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) अन्य बातों के साथ-साथ मनरेगा को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) मनरेगा के कार्यान्वयन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के लिए समर्पित स्टाफ तैनात करने, रिकॉर्ड के रख-रखाव के लिए प्रबंधन तथा प्रशासनिक सहायता संरचना को सुदृढ़ करने, सामाजिक लेखा-परीक्षा, शिकायतों का निपटान करने तथा आईसीटी अवसंरचना के लिए प्रशासनिक व्यय की अनुमेय सीमा को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ii) मैन्यूअल प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है।

(iii) समेकित कार्य योजना जिलों में, जहां बैंकों/डाकघरों की कमी है, वहां मजदूरी के भुगतान में देरी को कम करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन अंतरिम व्यवस्था के रूप में मजदूरी के नकद भुगतान की अनुमति दी गई है।

(iv) मजदूरी वितरण के लिए संस्थागत सुविधा को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारों को ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन सहित बैंकों के जरिए मजदूरी का भुगतान करने के लिए बिजनेस कारेस्पोंडेंट माडल शुरू करना चाहिए।

(v) राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे मनरेगा के तहत निधियों के प्रबंधन में और अधिक लचीलापन लाने के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करें।

(vi) मंत्रालय ने 4 राज्यों में 'इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम' (ई-एफएमएस) शुरू किया है। यह सिस्टम देशभर में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।

(vii) मजदूरी के भुगतान में देरी के मामलों की रोकथाम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवाइजरी जारी की गई हैं। प्रशासनिक देरी को कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मजदूरी के भुगतान की समय सारणी भी सुझाई गई है।

(viii) मजदूरी के वितरण को आसान बनाने के लिए नरेगा साफ्ट के आंकड़ों में आधार नम्बर जोड़ने का प्रावधान किया गया है। आगे चलकर इन आंकड़ों का इस्तेमाल उपस्थिति और भुगतान के लिए कामगारों के अधिप्रमाणन किया जा सकता है।

(ix) मनरेगा और ग्रामीण आजीविकाओं, विशेषकर कृषि और टिकाऊ गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों के निर्माण के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची का विस्तार किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रति परिवार औसत दिन			
		2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13**
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	66	54	58	49
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	23	16	21
3.	असम	34	26	26	21
4.	बिहार	28	34	38	34
5.	छत्तीसगढ़	51	45	44	34
6.	गुजरात	37	45	38	31
7.	हरियाणा	38	36	39	35
8.	हिमाचल प्रदेश	57	49	53	40

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	38	43	48	39
10.	झारखंड	49	42	39	33
11.	कर्नाटक	57	49	42	25
12.	केरल	36	41	45	38
13.	मध्य प्रदेश	56	50	43	32
14.	महाराष्ट्र	46	44	50	47
15.	मणिपुर	73	68	63	29
16.	मेघालय	49	58	50	39
17.	मिजोरम	95	97	74	59
18.	नागालैंड	87	95	71	30
19.	ओडिशा	40	49	33	24
20.	पंजाब	28	27	26	24
21.	राजस्थान	69	52	47	39
22.	सिक्किम	80	85	60	40
23.	तमिलनाडु	55	54	48	48
24.	त्रिपुरा	80	67	86	71
25.	उत्तर प्रदेश	65	52	36	22
26.	उत्तराखंड	35	42	42	33
27.	पश्चिम बंगाल	45	31	27	26
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29	23	43	40
29.	दादरा और नगर हवेली	19	21	एनआर	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	28	27	28	13
32.	लक्षद्वीप	27	30	43	26
33.	पुदुचेरी	22	30	25	21
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	54	47	43	36

नोट: *अनंतिम **12.2.2013 तक एनआर – असूचित

क्र.सं.	राज्य	एससी श्रम दिवस (लाख में)				एसटी श्रमदिवस (लाख में)				महिला श्रमदिवस (लाख में)			
		2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13**	2009-10	2010-11	2011-12*	2012.13**	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	998.0	815.0	774.2	648.3	594.8	537.1	532.0	415.3	2349.6	1912.1	1667.1	1568.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	28.1	0.5	9.3	2.9	10.4	0.2	3.3
3.	असम	89.0	51.7	19.6	12.0	227.4	128.3	80.1	40.8	203.0	124.7	87.7	52.3
4.	बिहार	515.1	727.5	161.6	135.0	24.6	34.3	11.4	10.5	341.5	456.7	189.2	170.9
5.	छत्तीसगढ़	159.6	161.8	116.1	78.3	397.9	405.4	452.2	299.2	512.5	540.0	545.0	389.8
6.	गुजरात	87.0	71.5	24.5	19.1	230.9	202.5	126.5	76.7	278.2	217.6	139.4	90.2
7.	हरियाणा	31.7	41.2	54.4	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	30.0	39.9	34.6
8.	हिमाचल प्रदेश	95.0	71.5	80.0	51.1	24.8	18.0	16.3	12.5	131.3	105.9	158.7	106.4
9.	जम्मू और कश्मीर	10.8	15.2	14.0	6.3	33.6	52.9	31.3	15.9	8.6	15.8	37.5	25.9
10.	झारखंड	135.2	111.7	77.5	48.7	362.1	349.7	239.4	158.1	288.5	278.1	191.0	126.8
11.	कर्नाटक	334.6	177.4	110.2	44.4	171.8	102.7	58.1	24.6	737.1	505.1	320.6	121.9
12.	केरल	57.0	77.9	92.9	96.9	18.1	14.9	15.1	17.3	299.6	434.2	587.3	587.3
13.	मध्य प्रदेश	485.0	425.2	344.9	160.2	1189.8	955.0	453.2	237.9	1160.5	976.0	697.8	354.7
14.	महाराष्ट्र	70.3	44.0	44.7	43.6	91.0	51.1	123.1	86.3	108.8	91.8	337.4	283.4
15.	मणिपुर	84.3	7.6	1.3	1.1	131.2	208.8	156.3	65.9	146.9	103.7	75.6	40.9
16.	मेघालय	0.8	0.8	1.1	0.6	139.7	188.9	155.2	100.4	70.1	87.8	69.1	43.6
17.	मिजोरम	0.0	0.0	0.2	0.0	170.1	165.7	124.9	100.9	59.6	56.3	29.3	22.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	नागालैंड	0.0	0.0	1.6	0.0	284.3	334.3	240.3	74.2	123.7	117.1	70.4	19.3
19.	ओडिशा	106.2	177.0	79.4	66.0	200.9	347	173.2	127.6	200.8	384.8	175.2	134.1
20.	पंजाब	60.9	59.0	49.9	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	25.5	27.8	22.5
21.	राजस्थान	1193.5	771.6	355.8	312.9	1011.9	704.6	519.1	420.2	3008.9	2068.1	1466.3	1177.4
22.	सिक्किम	4.2	5.8	1.5	0.7	18.4	19.2	11.9	5.5	22.2	22.5	14.7	6.9
23.	तमिलनाडु	1412.2	1550.1	871.1	900.7	59.7	58.7	38.6	41.7	1982.1	2218.4	2227.4	2385.5
24.	त्रिपुरा	83.0	67.2	88.2	73.1	188.6	162.7	205.7	178.1	189.1	144.4	188.8	172.9
25.	उत्तर प्रदेश	2007.8	1807.0	866.9	361.6	52.8	70.5	33.2	11.4	771.3	717.3	452.3	204.8
26.	उत्तराखंड	47.5	60.7	36.4	19.2	7.4	9.8	5.7	2.8	73.5	92.8	87.9	47.1
27.	पश्चिम बंगाल	571.9	573.3	498.1	439.9	223.2	208.3	153.0	125.2	518.6	523.2	481.9	439.2
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.3	0.2	2.6	1.9	3.8	1.6
29.	दादरा और नगर हवेली	0.0	0.0	एनआर	एनआर	0.7	0.5	एनआर	एनआर	0.6	0.4	एनआर	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	0.1	02.	0.1	0.0	0.5	0.9	0.7	0.1	1.2	2.5	2.4	0.4
32.	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	1.6	0.3	0.5	0.5	0.7	0.1
33.	पुदुचेरी	4.2	3.7	3.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	9.1	8.7	7.2
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	8644.8	7875.7	4769.7	3605.3	5874.3	5361.8	3959.1	2658.8	13640.5	12274.3	10380.8	8641.8

नोट: *अनंतिम **12.2.2013 तक एनआर — असूचित

क्र.सं.	राज्य	कुल व्यय (लाख)			
		2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13**
1	2	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	450918.0	543938.6	418014.4	417438.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	1725.7	5057.3	96.9	1302.7
3.	असम	103389.8	92104.4	74781.6	45394.8
4.	बिहार	181687.6	266425.2	167286.2	140155.3
5.	छत्तीसगढ़	132266.7	163397.8	207875.5	152287.2
6.	गुजरात	73938.3	78822.0	65974.6	44836.0
7.	हरियाणा	14355.3	21470.4	31388.1	25293.5
8.	हिमाचल प्रदेश	55655.8	50196.4	50949.7	34905.5
9.	जम्मू और कश्मीर	18531.3	37776.7	51593.6	36895.1
10.	झारखंड	137970.2	128435.4	117092.9	81023.6
11.	कर्नाटक	273919.4	253716.5	187619.3	131610.1
12.	केरल	47151.4	70434.1	99582.9	112846.0
13.	मध्य प्रदेश	372228.1	363724.9	343545.0	201354.8
14.	महाराष्ट्र	32109.3	35812.0	165785.5	164044.4
15.	मणिपुर	39316.9	44070.5	33049.0	21549.8
16.	मेघालय	18352.8	31902.4	29756.1	19857.5
17.	मिजोरम	23824.0	29315.1	23978.8	17929.7
18.	नागालैंड	49945.8	60537.5	51445.5	14191.1
19.	ओडिशा	93898.4	153314.3	104567.4	74114.1
20.	पंजाब	14992.0	16584.2	16068.6	12901.4

1	2	5	6	7	8
21.	राजस्थान	566903.4	328907.1	321719.7	272272.9
22.	सिक्किम	6409.0	8525.7	7104.3	3685.6
23.	तमिलनाडु	176123.5	232332.0	292497.3	309611.7
24.	त्रिपुरा	72940.8	63186.9	94599.0	69199.5
25.	उत्तर प्रदेश	590003.9	563120.1	510367.6	196792.5
26.	उत्तराखंड	28309.1	38019.9	41445.3	23062.1
27.	पश्चिम बंगाल	210898.2	253246.1	291455.3	315456.6
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1226.1	903.7	1574.3	760.1
29.	दादरा और नगर हवेली	134.0	123.0	एनआर	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	470.1	993.3	706.4	114.5
32.	लक्षद्वीप	201.5	251.7	284.1	108.8
33.	पुदुचेरी	726.9	1082.1	1265.1	1226.1
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	3790522.8	3937727.1	3803469.8	2942221.7

नोट: *अनंतिम **12.2.2013 तक एनआर — असूचित

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति

*150. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न चरणों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति

(ख) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अभी भी कितनी ग्रामीण बस्तियों को शामिल किया जाना बाकी है;

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों और आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत सरकार से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उस पर और साथ ही प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्त हेतु भी क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत जनवरी, 2013 तक 1,45,470 करोड़ रुपए की लागत से 4,81,440 कि.मी. लंबाई के कुल 1,24,079 सड़क कार्य मंजूर किए गए हैं। इनमें से जनवरी, 2013 तक 3,68,582 कि.मी. लंबाई के 93,558 सड़क कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिन पर 98,240 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:—

मद		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (%)
बसावट		60,638	47,809	79%
सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)	नई संपर्कता	1,29,707	1,22,130	94%
	उन्नयन	1,00,740	1,07,795	107%
	कुल	2,30,447	2,29,925	99.77%

कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है और कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क कार्यों को समय पर पूरा करने की जिम्मेवारी उन्हीं की है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:—

(i) राज्यों में सीमित संस्थागत एवं निविदात्मक क्षमता

(ii) अनेक मामलों में भूमि की अनुपलब्धता तथा वन विभाग से मंजूरी न मिलना, और

(iii) प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत बारहमासी सड़क संपर्कता के लिए पात्र बसावटों की कुल संख्या 1,78,184 है। इनमें से 1,26,973 बसावटों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है तथा जनवरी, 2013 तक 89,905 बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया है।

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 46,000 बसावटों को 1,17,000 किमी. लंबाई की सड़कों से जोड़ने तथा 91,000 कि.मी. लंबाई की सड़कों के उन्नयन/नवीकरण करने का अनुमान लगाया गया है। कार्यक्रम हेतु 12वीं योजना के लिए योजना आयोग ने सकल घरेलू उत्पाद के रूप में 1,05,000 करोड़ रुपए की राशि दर्शाई है। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन 10,000 करोड़ रुपए तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 21,700 करोड़ रुपए है।

(ङ) पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्यों को निधियां दो किस्तों में रिलीज की जाती हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्यों को पहली किस्त पूर्व में निर्धारित शर्तों, यदि कोई हो, को पूरा करने के बाद रिलीज की जाती है। राज्यों की मांग, उपयोग करने की क्षमता, मौजूदा कार्य, निधियों की उपलब्धता, आवश्क वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति के आधार पर तथा निधियों की रिलीज के लिए कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद उन्हें दूसरी किस्त रिलीज की जाती है।

विद्युत का क्षमता संवर्धन

***151. श्री सी. शिवासामी :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत के क्षमता संवर्धन के संबंध में निर्धारित और प्राप्त किए लक्ष्यों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या

है और योजनावधि के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति न हो पाने के क्या कारण हैं;

(ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता संवर्धन हेतु वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, अब तक कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं तथा विद्युत क्षेत्र में कारगर परिवर्तन लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किया है कि क्षमता संवर्धन निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) 11वीं योजना के लिए 62,374 मेगावाट के उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य (योजना आयोग कमी मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार) जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 21,222 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 21,355 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 19,797 मेगावाट शामिल है, के प्रति 11वीं योजना के दौरान प्राप्त वास्तविक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रीय क्षेत्र में 15,220 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 16,732 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 23,102 मेगावाट सहित 54,964 मेगावाट थी।

11वीं योजना के क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य संयंत्र उपस्करों के लिए आदेश जारी करने में देरी, सिविल कार्यों की धीमी प्रगति, परियोजना विकासकत्ता और ठेकेदार तथा उनके उप-विक्रेताओं/उप-ठेकेदारों के बीच संविदात्मक विवाद, खराब भूगर्भीय स्थिति, तीव्र बाढ़, पर्यावरणीय सरोकार, कानून व्यवस्था की समस्याएं/स्थानीय मुद्दे तथा कठिन क्षेत्र एवं जलवायु संबंधी स्थितियां शामिल हैं।

(ख) योजना आयोग के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। वर्ष-वार प्रस्तावित क्षमता अभिवृद्धि निम्नानुसार है:—

वर्ष 2012-13 के दौरान (28.2.2013 की स्थिति के अनुसार) उपलब्ध क्षमता अभिवृद्धि 13,594.8 मेगावाट है।

सरकार विद्युत क्षेत्र में प्रभावी परिवर्तन लाने के लिए विद्युत परियोजनाओं का समय पर चालू करना सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठा रही है:—

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
मेगावाट	17956.3	16402.3	20408	18820	14950	88536.6

(i) चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी है।

(ii) अवरोध क्षेत्रों की पहचान करने और अंतर्मंत्रालयी तथा अन्य बकाया मामलों के शीघ्र समाधान को सुगम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, योजना आयोग और मंत्रिमंडल सचिवालय, सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।

(iii) विद्युत क्षेत्र को कोयला तथा गैस उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

(iv) मांग को पूरा करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मुख्य संयंत्र उपस्करों के विनिर्माण के लिए अनेक संयुक्त उद्यमों के गठन के साथ देश में मुख्य संयंत्र उपस्कर की विनिर्माण क्षमता बढ़ाई गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षमता अभिवृद्धि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हो, एक निगरानी तंत्र स्थापित किया है। विवरण निम्नानुसार है:—

(i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत अधिनियम, 2013 की धारा 73(च) के अनुसरण में विद्युत परियोजनाओं की निगरानी का कार्य कर रहा है। प्रत्येक परियोजना की प्रगति की कार्य स्थल के बार-बार दौरों, विकासकर्त्ताओं के साथ बातचीत और मासिक प्रगति रिपोर्टों के गहन अध्ययन द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, सीईए द्वारा जटिल मामलों के समाधान के लिए विकासकर्त्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) स्थापित किया गया है।

(iii) विद्युत मंत्रालय द्वारा जटिल मामलों के समाधान के लिए स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

[हिन्दी]

पेयजल की गुणवत्ता

***152. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति किए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु उपलब्ध अवसंरचना पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु इस समय क्या तंत्र उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार राजस्थान सहित राज्यों को इस बात की जांच और निगरानी करने हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में एक पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में आज की तारीख के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी ऐसी प्रयोगशालाएं विद्यमान हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरत सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) दिनांक 04.03.2013 के अनुसार, मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 49.93 लाख से भी अधिक पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता को मॉनिटर करने के लिए 24 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं, 728 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं तथा 1127 उप-जिला/ब्लॉक स्तर की प्रयोगशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण लोगों में पेयजल की गुणवत्ता तथा इसके संबंध में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई शुरुआती स्क्रीनिंग के एक भाग के रूप में, जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु ग्राम पंचायतों को अब तक 3.82 लाख रासायनिक क्षेत्र परीक्षण किटें एवं 9.71 करोड़ बैक्टीरियोलाजिकल शीशियां उपलब्ध कराई गई है। इस उद्देश्य हेतु जमीनी स्तर के 15.16 लाख कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। तथापि, सभी स्रोतों की नियमित जांच की आवश्यकता, स्रोतों की बढ़ती संख्या, संदूषण के बढ़ते स्तर तथा जल गुणवत्ता के बारे में ग्रामीणों में बढ़ती जागरुकता को देखते हुए, मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही पेयजल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करने के लिए संरचनागत ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की पहचान की है।

(ग) जी, हां। यद्यपि, पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है, तथापि, भारत सरकार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के प्रावधान के लिए राजस्थान सहित राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत शत-प्रतिशत केन्द्रीय विभाजन के आधार पर जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग तथा निगरानी (डब्लूक्यूएमएस) के लिए 3% निधियों का विनिधान राज्यों के लिए किया गया है, जिसमें, साथ ही साथ, सामान्य क्षेत्र परीक्षण किटों के उपयोग से पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों की जांच, नए जिला/उप जिला परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए मौजूदा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन भी शामिल है। तकनीकी सहायता के रूप में, सभी राज्यों के दवाई विक्रेताओं को राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपकरण, यंत्रीकरण, रसायनों, ग्लासवेयर, मानव श्रम, स्थान, अवधि एवं सैम्पलिंग के पैरामीटरों के स्तर में मानक स्थापित करने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर प्रयोगशालाओं के लिए एक समरूप पेयजल गुणवत्ता मानिटरिंग प्रोटोकॉल एक उपयोगी संदर्भ दस्तावेज के रूप में जारी किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान, एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत जल गुणवत्ता मानिटरिंग एवं निगरानी घटक के रूप में सभी राज्यों को 314.98 करोड़ रु. का विनिधान किया गया है। 32.19 करोड़ रु. की राशि का विनिधान राजस्थान राज्य के लिए किया गया है, जिसमें से 7.74 करोड़ रु. की राशि अवमुक्त की गई है। दिनांक 01.04.2012 के अनुसार, 10.37 करोड़ रु. के आरंभिक शेष के साथ चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान के पास उपलब्ध कुल निधियां 18.11 करोड़ रु. की हैं। दिनांक 04.03.2013 के अनुसार

वर्ष 2012-13 के दौरान, डब्ल्यूक्यूएमएस घटक के अंतर्गत निधियों की राज्य-वार उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(घ) और (ङ) एनआरडीडब्लूपी-डब्लूक्यूएमएस घटक के अंतर्गत सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि एनआरडीडब्लूपी/डब्लूक्यूएमएस निधियों का प्रयोग करके कम से कम जिला स्तर पर जलगुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की तथा उप प्रभागी पेयजल गुणवत्ता परीक्षा प्रयोगशालाओं की, जहां कहीं आवश्यकता हो, स्थापना की जाए ताकि समय समय पर पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता की मानिटरिंग करने के लिए आज की तारीख में मौजूदा प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 के दौरान एनआरडीडब्लूपी के जलगुणवत्ता मानिटरिंग एवं निगरानी घटक के अंतर्गत विनिधान तथा अवमुक्त की गई राशि

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	दिनांक 01.04.2012 के अनुसार, प्रारंभिक शेष	2012-13 के दौरान, विनिधान	(04.03.2012 तक) अवमुक्त राशि	कुल उपलब्ध निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7.29	21.46	4.34	11.63
2.	बिहार	5.14	15.96	3.47	8.61
3.	छत्तीसगढ़	2.29	5.87	0.88	3.17
4.	गोवा	0.1	0.25	0.03	0.13
5.	गुजरात	3.89	15.87	6.84	10.73
6.	हरियाणा	3.45	5.22	0	3.45
7.	हिमाचल प्रदेश	0.62	6	0	0.62
8.	जम्मू और कश्मीर	16.38	20.27	0	16.38
9.	झारखंड	3.03	7.75	1.15	4.18
10.	कर्नाटक	5.01	20.45	2.72	7.73
11.	केरल	1.44	6.74	2.19	3.63
12.	मध्य प्रदेश	0.95	17.41	8.44	9.39
13.	महाराष्ट्र	16.5	30.84	1.11	17.61

1	2	3	4	5	6
14.	ओडिशा	7.4	9.58	0	7.4
15.	पंजाब	0.65	3.7	1.35	2
16.	राजस्थान	10.37	32.19	7.74	18.11
17.	तमिलनाडु	0.09	11.88	8.94	6.03
18.	उत्तर प्रदेश	9.22	30.98	7.48	16.7
19.	उत्तराखंड	1.47	6.51	2.04	3.51
20.	पश्चिम बंगाल	5.64	14.44	2.14	7.78
21.	अरुणाचल प्रदेश	1.71	4.78	0.91	2.62
22.	असम	7.27	16.05	1.51	8.78
23.	मणिपुर	0.3	2.12	0.86	1.16
24.	मेघालय	1.12	2.44	0.22	1.34
25.	मिजोरम	0.53	1.39	0.69	1.22
26.	नागालैंड	0	2.01	1.01	1.01
27.	सिक्किम	0.21	0.6	0.12	0.33
28.	त्रिपुरा	0.88	2.1	0.27	1.15
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.05	0.02	0.02
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0.07	0	0
	कुल	112.95	314.98	63.47	176.42

विवरण-II

दिनांक 04.03.2013 के अनुसार, ऑनलाइन आईएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या	जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या	उप जिला/ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	51	119
2.	बिहार	1	40	0
3.	छत्तीसगढ़	1	23	3
4.	गोवा	1	0	10
5.	गुजरात	1	27	15
6.	हरियाणा	0	21	22
7.	हिमाचल प्रदेश	0	18	3
8.	जम्मू और कश्मीर	0	37	11
9.	झारखंड	1	24	3
10.	कर्नाटक	1	42	71
11.	केरल	1	14	16
12.	मध्य प्रदेश	1	51	114
13.	महाराष्ट्र	0	39	428
14.	ओडिशा	0	32	44
15.	पंजाब	3	22	12
16.	राजस्थान	1	32	0
17.	तमिलनाडु	0	34	48
18.	उत्तर प्रदेश	1	75	7
19.	उत्तराखंड	0	28	0
20.	पश्चिम बंगाल	1	19	101
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	17	31
22.	असम	1	27	32
23.	मणिपुर	1	9	2
24.	मेघालय	1	7	1
25.	मिजोरम	1	8	18
26.	नागालैंड	1	11	1
27.	सिक्किम	2	1	0
28.	त्रिपुरा	1	8	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	2
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	9	0
35.	पुदुचेरी	0	2	0

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

***153. श्री पन्ना लाल पुनिया :**
श्री जयंत चौधरी :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कंपनियों द्वारा आरंभ की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों में पारदर्शिता लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा दान में दी गई धनराशि को उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल माना जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत धनराशि के उपयोग को विनियमित करने हेतु एक बोर्ड गठित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत धनराशि के प्रावधान का प्रचार करने का आदेश देने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। कंपनी विधेयक, 2012 में (खंड 135 में) यह प्रावधान शामिल है कि (i) 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवल मूल्य; या (ii) 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर; या (iii) एक वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवल लाभ वाली कंपनियों द्वारा कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति के अनुसरण में (पिछले तीन वर्षों के) औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2% सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करना होगा और ऐसा न होने की स्थिति में बोर्ड के रिपोर्ट में ऐसी राशि व्यय न करने का कारण स्पष्ट करना होगा। उपर्युक्त वर्ग में आने वाली प्रत्येक कंपनी से अपनी सीएसआर नीति के कार्यान्वयन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए औसत निवल लाभों का 2% प्रति वर्ष व्यय करना अपेक्षित है।

(ग) कंपनी विधेयक, 2012 के खंड 135 में यथासंदर्भित अनुसूची-VII में कंपनियों द्वारा सीएसआर गतिविधि में शामिल गतिविधियों की सूची दी गई है।

(घ) जी, हां। (i) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर में यथासंदर्भित कंपनी विधेयक, 2012 के खंड 135 में बोर्ड के सीएसआर समिति के गठन का प्रावधान है।

(ii) सीएसआर समिति से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं:—

(क) सीएसआर नीति बनाना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना जिसमें कंपनी द्वारा की जाने वाली अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट गतिविधियां दर्शायी जाएंगी;

(ख) खंड (क) में संदर्भित गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की अनुशंसा करना; तथा

(ग) कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना।

(ङ) बोर्ड के प्रतिवेदन के भाग के रूप में सीएसआर नीति और उसके तहत गतिविधियों के प्रकटीकरण हेतु प्रारुप विधेयक के लागू होने पर बनाए गए नियमों में विहित की जाएंगी।

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल क्षेत्र को पैकेज

***154. श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री प्रदीप माझी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को कोई प्रोत्साहन पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु विभिन्न हितधारकों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पैकेज को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके ऑटोमोबाइल क्षेत्र के व्यापक और सतत् विकास के लिए उपाय करती है। इस संबंध में, उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तारपूर्वक परामर्श करने के पश्चात् सरकार द्वारा **ऑटो मिशन योजना 2006-16** तैयार की गई है। यह मिशन योजना इस क्षेत्र के लिए सरकारी नीति की आधारशिला है। इसके अतिरिक्त, देश में इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई अन्य क्षेत्रों में पहल की गई है; जैसे कि **ऑटो सेक्टर दक्षता विकास परिषद् (एएसडीसी)** की स्थापना करना; ऑटोमोटिव उपकर वित्तपोषण के माध्यम से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता देना, आधिकारिक रूप से प्रमाणन तथा परीक्षण के लि विश्वस्तरीय अवसरंचना की स्थापना हेतु 2288 करोड़ रुपए से एक परियोजना अर्थात् **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास अवसरंचना परियोजना (नैट्रिप)** आरंभ करना, ऑटो अनुसंधान और विकास विशेषज्ञता के भंडार तथा सहयोगपूर्ण अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को पूरा करने नैट्रिप केन्द्रों के कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए शीर्ष समन्वयकारी निकाय के रूप में **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)** की स्थापना करना; नई अनुमोदित **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020** के माध्यम से पर्यावरण पर ईंधन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करते हुए भावी ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करना। विभाग उपर्युक्त सभी कदमों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करता है और नीति निरुपण और कार्यान्वयन पर प्रत्येक वर्ष बजट में निधियों के पर्याप्त आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग सहित संबंधित हितधारकों को सुझाव देता है।

महिलाओं के प्रति अपराध

***155. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकल ट्रेनों सहित चलती रेलगाड़ियों में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जोन-वार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों सहित ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या रेल सुरक्षा बल में जनशक्ति और पर्याप्त आधुनिक निगरानी उपस्करों को भी कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) महिला रेल यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रेलवे द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेलों में लोकल गाड़ियों सहित चलती गाड़ियों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) रेलों पर पुलिसिंग राज्य सरकार का विषय है और महिलाओं के एिल सुरक्षित वातावरण तैयार करने और चलती गाड़ियों के साथ-साथ रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से करते हैं। बहरहाल, रेलवे सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूण गाड़ियों के एस्कार्ट के लिए अपने कर्मचारियों को तैनात करके राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों में सहायता प्रदान करती है और महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण ड्यूटियां करते हैं।

चूंकि पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है, इसलिए रेल सुरक्षा बल में नव सृजित पदों के साथ-साथ मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक उपाय पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। सब-इंसपेक्टरों के 511 पदों और कांस्टेबलों के 11952 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

रेल सुरक्षा बल में जनशक्ति सुदृढ़ करने हेतु, कोलकाता मेट्रो की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए 723 पदों सहित 5857 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा, 3 अतिरिक्त रेल सुरक्षा विशेष बल बटालियन और 8 महिला कंपनियां तैयार करने के लिए 3243 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।

202 संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए क्लोज़ सर्किट टेलीविजन कैमरा नेटवर्क के माध्यम से संवेदनशील स्टेशनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, एक्सेस कंट्रोल, तोड़फोड़ निरोधक जांचों से युक्त एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली निश्चित की गई है।

रेलवे सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए हाल ही में शुरू किए गए अन्य उपायों में आधुनिक सुरक्षा से संबंधित उपकरणों की खरीद, अखिल

भारतीय सुरक्षा हैल्पलाइन की स्थापना, आरपीएफ चौकियों और सुरक्षा नियंत्रण कक्षों की नेटवर्किंग, रेल सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्रों का अपग्रेडेशन और अतिरिक्त पदों का सृजन आदि शामिल है।

(ङ) महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

1. विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रोजाना 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा औसतन 1275 गाड़ियों का मार्गरक्षण रेल सुरक्षा बल द्वारा किया जाता है।

2. मध्य, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण रेलों के उपनगरीय खंडों में जहां-कहीं महिला रेल सुरक्षा बल कर्मी उपलब्ध हैं, वहां महिला स्पेशल गाड़ियों का मार्गरक्षण उनके द्वारा किया जाता है।

3. फ्रंट लाइन रेलवे कर्मचारियों जैसे टिकट चैकिंग स्टाफ, आरपीएफ और ऑन-बोर्ड कर्मचारियों, जिनका यात्रियों के साथ महिला अपराधों के प्रति निरंतर हस्तक्षेप रहता है, के बीच जागरुकता अभियानों के जरिए संवेदनशील कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

4. किसी भी अप्रिय घटना की सूचना देने के लिए यात्रियों की सुविधा, विशेषरूप से महिला यात्रियों के लिए कुछ क्षेत्रीय रेलों के क्षेत्रीय नियंत्रण कक्षों में सुरक्षा हैल्प लाइन नंबर दिए गए हैं। इन सुरक्षा हैल्प लाइनों के नंबर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों के सवारी डिब्बों में ऐसे स्थानों पर प्रदर्शित किए गए हैं, जहां से वे स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

5. महिला कंपार्टमेंटों में पुरुष यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं और पकड़े जाने पर रेल अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उन पर मुकदमा चलाया जाता है।

6. ट्रेन एसकॉर्टिंग पार्टियों को मार्गवर्ती और हाल्टिंग स्टेशनों पर महिला सवारी डिब्बों में अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने की हिदायत दी गई है।

7. राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपराध को समुचित रूप से पंजीकृत करने और उसकी जांच करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलिस के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण

भारतीय रेलों में लोकल गाड़ियों सहित चलती गाड़ियों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

रेलवे	वर्ष	बलात्कार के मामलों की संख्या	उत्पीड़न के मामलों की संख्या	छेड़खानी के मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
मध्य	2010	0	13	4	15
	2011	1	6	1	4
	2012	0	14	6	9
	2013*	0	4	0	0
पूर्व	2010	0	6	0	11
	2011	0	7	0	6

1	2	3	4	5	6
	2012	1	5	1	8
	2013*	0	3	0	3
पूर्व मध्य	2010	0	0	0	0
	2011	0	5	1	13
	2012	1	5	0	4
	2013*	0	3	0	4
पूर्व तट	2010	0	2	0	3
	2011	0	2	1	3
	2012	0	3	0	8
	2013*	0	0	0	0
उत्तर	2010	0	1	15	17
	2011	0	1	11	11
	2012	0	8	14	28
	2013*	0	1	2	8
उत्तर मध्य	2010	0	3	1	4
	2011	0	2	1	3
	2012	0	3	2	6
	2013*	0	1	0	1
पूर्वोत्तर	2010	0	1	0	1
	2011	0	1	0	1
	2012	0	1	0	4
	2013*	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
पूर्वोत्तर सीमा	2010	0	2	0	2
	2011	0	1	1	2
	2012	0	1	0	1
	2013*	0	1	0	0
उत्तर पश्चिम	2010	0	0	0	0
	2011	1	3	1	12
	2012	0	6	5	7
	2013*	0	0	10	10
दक्षिण	2010	0	10	9	22
	2011	0	29	12	41
	2012	0	45	13	58
	2013*	0	1	3	5
दक्षिण मध्य	2010	0	2	1	6
	2011	0	0	3	9
	2012	0	0	4	18
	2013*	0	0	0	0
दक्षिण पूर्व	2010	0	0	0	0
	2011	1	0	0	2
	2012	0	0	0	0
	2013*	0	0	0	0
दक्षिण पूर्व मध्य	2010	0	1	0	3
	2011	0	1	0	0
	2012	1	5	0	9
	2013*	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6
दक्षिण पश्चिम	2010	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0
	2012	2	1	0	2
	2013*	0	0	0	0
पश्चिम	2010	0	4	0	6
	2011	0	3	2	5
	2012	0	3	0	3
	2013*	0	2	0	3
पश्चिम मध्य	2010	0	7	0	9
	2011	0	11	0	7
	2012	2#	19	1	20
	2013*	0	1	0	1

*वर्ष 2013 के आंकड़े जनवरी तक हैं।

#02 मामलों में से, 01 मामला 2009 से संबंधित है परन्तु इसकी शिकायत 2012 में दर्ज की गई थी।

जम्मू और कश्मीर में रेल परियोजनाएं

***156. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में चल रही/लंबित रेल परियोजनाओं की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन्हें पूरा करने में अत्यधिक विलंब होने के क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इनके लिए आबंटित/इन पर खर्च की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लागत वृद्धि से बचने के लिए इन्हें शीघ्र पूरा करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) बारहवीं योजनावधि में जम्मू और कश्मीर के लिए शामिल की जाने वाली अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जम्मू और कश्मीर में ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला नई लाइन (273 कि.मी.) का निर्माण शुरू हो गया है। 31.12.2012 तक इस परियोजना की समग्र प्रगति 48% है। इस परियोजना को तीन भागों में बांटा गया है और तत्संबंधी प्रगति निम्नानुसार है:—

खंड	31.12.2012 तक प्रगति	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
ऊधमपुर-कटरा (25 कि.मी.)	92%	2013-14
कटरा-काजीगुंड (129 कि.मी.)	13%	काजीगुंड-बनिहाल (19 कि.मी.) खंड 2012-13 में और कटरा-बनिहाल (110 कि.मी.) 2017-18 तक
काजीगुंड-बारामूला (119 कि.मी.)	पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।	

जालंधर-जम्मू तवी रेल लाइन का दोहरीकरण आंशिक रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में आता है जो कि 203 कि.मी. लंबी परियोजना है जिसमें से 184 कि.मी. भाग का कार्य पहले ही पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है। शेष 19 कि.मी. का कार्य भी निष्पादन के अंतिम चरण में है।

(ख) ऊधमपुर-कटरा खंड (25 कि.मी.) का कार्य सुरंग टी-1 के कहीं-कहीं संकरे होने और कहीं-कहीं अपेक्षाकृत रूप से खुले होने की समस्या तथा सुरंग टी-3 में अत्यधिक रिसाव की समस्या के कारण लंबित हुआ है। कटरा-बनिहाल खंड (110 कि.मी.) में कार्य के निर्माण के दौरान पेश आ रही भूवैज्ञानिक समस्याओं के कारण पिछले एक वर्ष से अधिक समय से रोक दिया गया है। परिणामस्वरूप, परियोजना की निर्माण अवधि बढ़ गई है जिसके कारण परियोजना की लागत बढ़ गई है। बहरहाल, सामान्य वृद्धि के अलावा सीमेंट एवं इस्पात की कीमतों में वृद्धि, कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल स्थितियों के कारण सुरक्षा प्रावधानों में बढ़ोत्तरी और विद्युतीकरण, पहुंच सड़कों और स्टेशनों के लिए उन पहुंच मार्गों, जिन पर पहले विचार नहीं किया गया था, जैसे अन्य विभिन्न कारकों के कारण भी परियोजना की लागत बढ़ गई है। परियोजना की लागत, जो पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार 3,077 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जिसकी अब मौजूदा लागत 19,565 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ग) दिसंबर, 2012 तक इस परियोजना पर 8,537 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2013-14 के रेलवे बजट प्रस्तावों में 2013-14 के कार्यों हेतु 1100 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) ऊधमपुरा-कटरा खंड के सुरंग टी-1 और टी-3 में पेश आ रही समस्याओं के लिए सलाहकार की नियुक्ति की गई थी और इसके लिए उपचारात्मक हल ढूंढ लिया गया है। कटरा-काजीगुंड खंड में आ रही भूवैज्ञानिक समस्याओं के निदान के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जो वैकल्पिक संरेक्षण सहित इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों की जांच करेगी। समिति की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय पुन:संरेखण को अपनाने/कुछ स्थानों को छोड़ देने सहित पुराने संरेखण के साथ-साथ सितंबर, 2009 में इस खंड में कार्य करने की सिफारिश की थी।

(ङ) जम्मू और कश्मीर राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से आने वाली जम्मू-पुंछ और बिलासपुर-मंडी-लेह नई लाइनों के सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं। ये उच्च लागत वाली परियोजनाएं हैं और इनके वित्त पोषण संबंधी मामले को अभी निपटाया जाना है।

गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करने वाले पोत

***157. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जलवायु आकलन हेतु डाटा बेस तैयार करने के लिए गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करने और उससे नमूने एकत्रित करने हेतु अमेरिका अथवा जापान से एक ड्रिलिंग पोत प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस ड्रिलिंग पोत की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) यह जलवायु और मानसून संबंधी बेहतर पूर्वानुमान लगाने में किस प्रकार सहायक होगा; और

(घ) उक्त पोत के कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने समुद्रों में वैज्ञानिक वेधन के लिए बने एकीकृत समुद्र वेधन कार्यक्रम (आईओडीपी) नामक

संघ का सहयोगी सदस्य बनने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (एनएसएफ), यूएसए तथा शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईएक्सटी), जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संघ द्वारा प्राप्त की गई तलछट तथा समुद्र पर्पटी क्रोड़ों ने विगत तीन दशकों में की गई अनेक मौलिक खोजों में वैज्ञानिकों की अत्याधिक मदद की है। आईओडीपी ने गहरे समुद्र से तलछट नमूने प्राप्त करने के लिए जोइडस रिजॉल्यूशन (यूएसए द्वारा प्रबंधित) तथा चिकयु (जापान द्वारा प्रबंधित) नामक अनन्य वेधन प्लेटफॉर्मों को तैनात किया है।

इस संघ से जुड़ने के पश्चात् शीघ्र ही भारत ने हिमालयी अपलिफ्ट तथा भारतीय मानसून के बीच संबंध का निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए गहरे समुद्र के तलट नमूने प्राप्त करने के लिए अरब सागर में वेधन के लिए एक वैज्ञानिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना का परीक्षण करने के एिल गहरे समुद्र की फैन से उन तलछट नमूनों की आवश्यकता होती है जिनका कई लाख वर्षों के दौरान हिमालय से अपरदन हुआ तथा वे अरब सागर के तल पर जमा हो गए। आईओडीपी जलयान प्लेटफॉर्म पृथ्वी की गतिकी का पता लगाने तथा जलवायु सहित अतीत की पुनर्संरचना के लिए अनुसंधान के लिए समुद्र तल के नीचे से क्रोड़ प्राप्त करने के लिए नियामित रूप से वेधन करता है। भारत के आईओडीपी प्रस्ताव, जिसकी वर्तमान में संघ द्वारा वैज्ञानिक रूप से समीक्षा की जा रही है, का उद्देश्य अरब सागर में लगभग 3.5 मीटर की जल गहराई में समुद्र के तल में 1.5 कि.मी. तक के गहरे समुद्री तलछह क्रोड़ प्राप्त करना है।

इसकी लागत का अनुमान वेधन प्लेटफॉर्म (उदा. जोइडस रिजॉल्यूशन अथवा चिकयू) की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। यह भारतीय आईओडीपी प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा।

(ग) प्रस्तावित तलछट क्रोड़ से वैज्ञानिकों को विगत कई सहस्राब्दियों में हिमालय की विगत अपलिफ्ट तथा भारतीय मानसून की परिवर्तनीयता के बीच संबंध का परीक्षण करने में सहायता प्राप्त होगी। इस सिद्धांत के आधार पर कि अतीत के ज्ञान से हमें भविष्य का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी, इन तलछट क्रोड़ों से व्युत्पन्न डेटा से हमें दीर्घवधि मानसून परिवर्तनयता को समझने तथा जलवायु मॉडलों को समझने में सहायता प्राप्त होगी। जिसमें हमें मानसून की भावी गतिकी को समझने में सहायता मिलेगी।

(घ) वेधन प्लेटफॉर्म की उपलब्धता अनेक आईओडीपी समीक्षा पैनलों द्वारा भारत के आईओडीपी प्रस्ताव की सफल्ता सिफारिश पर निर्भर करेगी। अभी यी आईओडीपी के बाह्य समीक्षा पैनल के पास विचारधीन है।

[हिन्दी]

उर्वरकों की कीमतें

***158. डॉ. भोला सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न उर्वरक के उत्पादन के लिए आवश्यक फीड स्टाक और संबंधित सामग्री के आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के लिए कच्चे माल की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कीमतों में वृद्धि के तुलनात्मक ब्यौरे सहित देश में उर्वरकों की वर्तमान कीमतों पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) तैयार उर्वरकों और कच्ची सामग्री के मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव होता रहता है। फर्टिलाइजर मार्केट बुलेटिन (एफएमबी) में दिए गए तैयार फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों तथा इनकी कच्ची सामग्री के मूल्यों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। आम तौर पर वर्ष 2012-13 के दूसरे भाग में तैयार पीएंडके उर्वरकों और इनकी कच्ची सामग्री के मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हुई है।

देश कच्ची सामग्री अथवा तैयार उत्पादों के रूप में पोटाश के लिए 100% और फास्फेटयुक्त उर्वरकों के लिए 90% की सीमा तक आयात पर निर्भर है। राजसहायता नियत होने के कारण, कच्ची सामग्री अथवा तैयार उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में होने वाले किसी उतार-चढ़ाव का इन उर्वरकों के घरेलू मूल्यों पर असर पड़ता है। राजसहायता की दरों में इस संभावना के साथ भी परिवर्तन किए जाते हैं कि अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) नहीं बढ़ेगा अथवा स्थिर रहेगा। पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी में हाल ही में हुई वृद्धि मुख्यत: उर्वरकों और इनकी कच्ची सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव और भारतीय रुपए के अवमूल्यन के कारण भी हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) पीएंडके उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव और भारतीय रुपए के अवमूल्यन के कारण भी हुई है जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, यूरिया की एमआरपी में 1 अप्रैल, 2010 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें 1 नवंबर, 2012 से 50 रु. प्रति टन की मामूली वृद्धि की गई है। इसके अलावा, सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को विदेश में उर्वरक खनिज परिसंपत्तियां हासिल करने और वरीय मूल्य पर उर्वरक कच्ची सामग्री तथा तैयार उर्वरकों की दीर्घावधिक आपूर्ति हेतु संयुक्त उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

विवरण-I

पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन में प्रयोग होने वाली कच्ची सामग्री का आयात

(मात्रा मी.टन)

वर्ष	अमोनिया	फॉस एसिड	रॉक	सल्फर
2009-10	19.157	27.210	53.270	12.940
2010-11	17.351	21.398	63.870	18.040
2011-12	17.258	19.064	75.220	17.480
2012-13 दिसम्बर, 12 तक	7.573	9.857	26.429*	6.516*

*एसएसपी उद्योग द्वारा किया गया आयात शामिल नहीं है।

विवरण-II

फर्टिलाइजर मार्किट बुलेटिन (एफएमवी) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य रुझान

माह यूएस डॉलर	डीएपी सीएंडएफ यूएस	एमओपी*** एफओबी	यूरिया* एफओबी	फॉस एसिड इंडिया सीएंडएफ	अमोनिया सीएंडएफ	सल्फर सीएंडएफ	रॉक** सीएंडएफ	विनिमय दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल-10	536.60	347.50	285.00	775.00	398.80	192.10	145.80	44.50
मई-10	528.00	338.75	256.25	775.00	365.63	159.88	159.00	45.81
जून-10	510.13	330.00	239.00	775.00	349.13	116.00	159.00	46.57
जुलाई-10	508.60	330.00	261.90	780.00	336.10	93.40	160.40	46.84
अगस्त-10	547.38	330.00	285.00	780.00	346.38	141.13	162.50	46.57
सितम्बर-10	581.90	336.00	316.50	780.00	375.30	177.30	162.50	46.06
अक्तूबर-10	617.38	361.25	343.75	780.00	411.88	186.88	162.50	44.41
नवम्बर-10	628.75	380.00	380.63	780.00	431.25	192.75	163.63	45.02
दिसम्बर-10	637.38	380.63	384.50	780.00	434.00	189.50	164.88	45.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनवरी-11	640.00	382.50	391.00	830.00	434.13	179.50	167.50	45.39
फरवरी-11	654.25	385.00	387.50	830.00	453.25	206.20	162.63	45.44
मार्च-11	673.20	409.50	357.10	830.00	485.00	223.10	161.00	44.99
अप्रैल-11	663.75	437.50	343.25	980.00	507.00	234.83	168.88	44.37
मई-11	659.00	437.50	404.38	980.00	510.38	242.50	192.50	44.90
जून-11	680.75	462.50	495.50	980.00	527.40	240.10	194.50	44.85
जुलाई-11	701.92	462.50	507.50	1050.00	529.88	231.50	202.50	44.42
अगस्त-11	706.75	462.50	506.88	1050.00	541.88	233.00	202.50	45.28
सितम्बर-11	697.67	462.50	520.50	1050.00	564.40	239.00	202.50	47.63
अक्तूबर-11	682.38	471.25	509.50	1080.00	587.75	239.00	202.50	49.26
नवम्बर-11	675.13	480.00	514.13	1080.00	601.75	235.13	202.50	50.86
दिसम्बर-11	635.50	480.00	429.63	1080.00	597.25	224.88	222.50	52.68
जनवरी-12	586.13	480.00	403.75	1080.00	478.13	197.00	222.50	51.34
फरवरी-12	572.88	480.00	405.63	960.00	375.63	195.25	222.50	49.17
मार्च-12	555.80	474.00	420.50	960.00	392.00	195.00	222.50	50.32
अप्रैल-12	565.13	465.00	479.38	960.00	458.00	223.50	218.75	51.812
मई-12	594.70	465.00	517.00	877.50	519.70	234.00	217.50	54.473
जून-12	617.13	465.00	434.38	877.50	572.88	226.38	217.50	56.03
जुलाई-12	610.50	465.00	405.63	885.00	627.50	215.38	212.50	55.49
अगस्त-12	605.40	465.00	398.50	885.00	656.90	207.50	197.50	55.559
सितम्बर-12	596.63	464.38	392.50	885.00	685.00	212.50	197.50	54.605
अक्तूबर-12	589.17	462.50	401.67	885.00	713.00	207.50	197.50	53.023
नवम्बर-12	563.13	457.50	397.50	855.00	734.88	179.13	197.50	54.777
दिसम्बर-12	539.17	444.17	397.50	855.00	715.50	176.50	197.50	54.647
जनवरी-13	528.00	422.50	405.90	770.00	693.40	171.70	197.50	54.316
फरवरी-13	518.75	400.00	422.50	770.00	615.00	166.50	197.50	53.903

*वस्तु का सीएंडएफ मूल्य प्राप्त करने के लिए लगभग 63 अमेरिकी डॉलर की दर से मालभाड़ा जोड़ा जा सकता है।

**60-70% बीपीएल रॉक फास्फेट सीएफआर इंडिया का मूल्य

***सीएंडएफ मूल्य प्राप्त करने के लिए लगभग 63 अमेरिकी डॉलर की दर से मालभाड़ा जोड़ा जा सकता है।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी

#	उर्वरकों की ग्रेडें	2009-10	10-11 (तिमाही-वार)				11-12 (तिमाही वार)				2012-13 (तिमाही-वार)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV (फरवरी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	डीएपी : 18-46-0-0	9350	9950	9950	9950	10750	12500	18200	20297	20000	24800	26500	26500	26500
2.	एमएपी : 11-52-0-0	9350	9950	अनु.	अनु.	अनु.		18200	20000	20000	20000	24200	24200	0
3.	टीएसपी : 0-46-0-0	7460	8057	8057	8057	8057	8057	8057	17000	17000	17000		0	0
4.	एमओपी : 0-0-60-0	4455	5055	5055	5055	5055	6064	11300	12040	12040	16695	23100	24000	18750
5.	16-20-0-13	5875	6620	6620	6620	7200	9675	14400	15300	15300	15300	18200	18200	18200
6.	20-20-0-13	6295	7280	7280	7395	8095	11400	14800	15800	15800	19000	24800	19176	24800
7.	23-23-0-0	6145	अनु.	अनु.	अनु.	7445	7445	7445					0	0
8.	10-26-26-0	7197	8197	अनु.	8300	10103	10910	16000	16633	16386	21900	22225	22225	22225
9.	12-32-16-0	7637	8637	8237	8637	9437	11313	16400	16500	16400	22300	23300	22500	24000
10.	14-28-14-0	7050	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.		14950	17029				0	0
11.	14-35-14-0	8185	अनु.	अनु.	अनु.	9900	11622	15148	17424	17600	17600	23300	23300	23300
12.	15-15-15-0	0	अनु.	अनु.	अनु.	7421	8200	11000	11500	11500	13000	15600	15600	15600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	एएस: 20.3-0-0-23	10350	8600	8600	7600	8700	7600	11300	10306	10306	11013	11013	11013	11013
14.	20-20-0-0	5343	5943	अनु.	6243	7643	9861	14000	15500	18700	18700	24450	24450	18500
15.	28-28-0-0	7481	अनु.	अनु.	अनु.	11181	11810	15740	18512	18700	24720	24720	23905	23905
16.	17-17-17-0	5804	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.				17710	20427	20522	20572	20672
17.	19-19-19-0	6487	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.				18093	19470	19470	19470	0
18.	एसएसपी (0-16-0-11)*		3200	3200	3200	3200	3200		4000 से 6300			6500 से 7500		
19.	16-16-16-0		अनु.	अनु.	अनु.	7100	7100	7100	15200	15200	15200	अनु.	अनु.	अनु.
20.	डीएपी लाइट (16-44-0-0)		अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	11760	17600	19500	19500	19500	24938	24938	24938
21.	15-15-15-09		अनु.	अनु.	अनु.	6800	9300	12900	15750	14851	15000	15000	15000	अनु.
22.	24-24-0-0		अनु.	अनु.	अनु.	7768	9000	11550	14151	14297	14802	16223	16223	अनु.
23.	13-33-0-6		अनु.	अनु.	अनु.	अनु.		16200	17400	17400	17400	17400	17400	अनु.
24.	एमएपी लाइट-I (11-44-0-0)		अनु.	अनु.	अनु.	अनु.		16000	18000	18000	18000	21500	21500	17000
25.	डीएपी लाइट-II (14-46-0-0)		अनु.	अनु.	अनु.	अनु.		14900	18690	18300	18300	24800	24800	24000
26.	यूरिया	4830	5310											5360

*एमआरपी में कर शामिल नहीं हैं।

#क्र.सं. 7, 23, 24, 25 में उल्लिखित उर्वरकों की ग्रेड वर्तमान में राजसहायता योजना के अंतर्गत नहीं हैं।

अनु. का अर्थ है उपलब्ध नहीं/राजसहायता योजना में नहीं है।

चुनाव सुधार

***159. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में व्यापक चुनाव सुधार करने का विचार है अथवा कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग ने देश में चुनाव सुधार के लिए कोई सुझाव दिए है/सिफारिशें की है तो और यदि हां, तो इस संबंध में निर्वाचन आयोग के सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी हितधारकों से परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) भारत सरकार को, निर्वाचन सुधारों पर, भारत निर्वाचन आयोग, राजनैतिक दलों, सार्वजनिक जीवन में विख्यात व्यक्तियों और विधान मंडलों और विभिन्न लोक निकायों में विचार-विमर्शों सहित विभिन्न निकायों से समय-समय पर सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हो रही हैं। निर्वाचनों के दौरान और समय-समय पर प्राप्त सुझावों से अभिप्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए उत्तरवर्ती सरकारों ने, निर्वाचन सुधार करने के लिए निर्वाचन विधियों में संशोधनों सहित उपाय किए हैं।

अतिरिक्त सुधारों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, निर्वाचन सुधारों का मुद्दा, पूर्णतः भारत विधि आयोग को, विगत में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग और अन्य पणधारियों के मतों पर विचार करने के पश्चात् मुद्दे पर विचार करने और विधि में परिवर्तनों के लिए व्यापक उपायों का सुझाव देने के अनुरोध के साथ, निर्दिष्ट किया गया है। विधि आयोग से इस वर्ष अप्रैल तक ठोस सुझाव देने के लिए अनुरोध किया गया है। निर्वाचन आयोग ने सुझाए गए निर्वाचन सुधारों के कुछ पहलुओं पर उसके विचारों को प्रस्थापित किया है। विधि आयोग की सिफारिश की प्राप्ति पर मामले की पणधारियों के परामर्श से और समीक्षा की जाएगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी

***160. श्री रतन सिंह :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अकुशल कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर न्यूनतम मजदूरी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को दी जा रही मजदूरी की दर और अन्य सुविधाएं बढ़ाने हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत कामगारों के लिए मजदूरी दरों का निर्धारण महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में निहित अन्य बातों के होते हुए भी केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है। इसलिए एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत कार्यों के लिए प्रयोज्य मजदूरी दरें राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गई मजदूरी दरों से अलग हैं।

(ग) से (ङ) केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा उनके 2009 के बजट भाषण में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हकदारी के रूप में प्रतिदिन 100 रुपए की वास्तविक मजदूरी दिए जाने की घोषणा के अनुसरण में सरकार ने डॉ. प्रणब सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की

अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कि मनरेगा मजदूरी के अद्यतन के लिए अलग सूचकांक बनाने वाला फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु एक तंत्र विकसित करेगी। इस समिति में अन्य मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं मनरेगा कामगारों की मजदूरी पर मुद्रास्फीति का कोई प्रभाव न पड़े, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब तक उपर्युक्त समिति एक संतोषप्रद सूचकांक का प्रस्ताव नहीं कर लेती और सरकार इस पर विचार नहीं कर लेती, तब तक कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) के हिसाब से ही मजदूरी दरों की सूची बनाई जाएगी। 14 जनवरी, 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरी दरों को सीपीआईएएल से जोड़ते हुए इसे संशोधित करने वाली अधिसूचना जारी की थी। मजदूरी दर को प्रत्येक वर्ष बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। दिनांक 26.2.2013 की अधिसूचना के जरिए मजदूरी दरों में अंतिम संशोधन 2013 में किया गया है। यह अधिसूचना 1.4.2013 से प्रभावी है। समिति से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

[अनुवाद]

रामगुण्डम उर्वरक इकाई का पुनरुद्धार

1611. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) की सिफारिश के अनुसार आंध्र प्रदेश की रामगुण्डम उर्वरक इकाई के पुनरुद्धार के उद्देश्य से उसकी निधि के एकमुश्त निपटान पर जोर दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी, हां। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की रामागुण्डम इकाई के प्रमुख असुरक्षित लेनदार यथा आंध्र प्रदेश की गदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (एपीएनपीडीसीएल) और सिंगरेनी कोलियेरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के रूप में अपनी 30% देय राशि को स्वीकार करने पर सहमत हो गए हैं। पुनरुद्धार की प्रक्रिया में जैसे ही एफसीआईएल की सभी देयताओं के लिए निधियां उपलब्ध होंगी, बीआईएफआर के अनुमोदन से ओटीएस राशि जारी कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

भेषज उद्योग की समस्याएं

1612. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के भेषज उद्योग के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए एक दीर्घावधिक कार्यनीति बनाने के लिहाज से एक कार्यदल गठित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यदल के विचारार्थ विषय क्या हैं तथा इसने किन-किन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है;

(ग) क्या उक्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो देश को भेषजिक अनुसंधान एवं विकास का एक केंद्र बनाने के लिए क्या-क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) इन पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई या करने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) इस विभाग द्वारा इस तरह का कोई कार्यबल गठित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, 12वीं योजना के भेषज और औषध संबंधी कार्य-समूह ने योजना आयोग को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 500.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से अनुसंधान और विकास की संवृद्धि के लिए फार्मा वेंचर केपिटल फंड स्थापित करने के एक प्रस्ताव की सिफारिश की है। इसके अलावा, भारत को औषध खोज एवं फार्मा नवोत्पाद केन्द्र 2020 के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु विश्व स्तरीय परामर्शदाता के रूप में मैसर्स अर्नस्ट एंड यंग प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स ई एंड वाई), गुड़गांव की नियुक्ति की गई है।

[अनुवाद]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्य

1613. श्री नलिन कुमार कटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का बुनियादी उद्देश्य गरीब परिवारों की सहायता करके उन्हें गरीबी-रेखा से ऊपर लाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी-रेखा से ऊपर लाए गए गरीब परिवारों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है/करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) वर्ष 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आय सृजनात्मक परिसंपत्तियों/आर्थिक कार्यकलापों के जरिए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को स्थायी आय उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें गरीबी से बाहर लाया जा सके। यह पक्रिया उन्मुख स्कीम है जिसमें सामाजिक एकजुटता, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, परिक्रामी निधि के प्रावधान, ऋण एवं सब्सिडी, प्रौद्योगिकी; अवसंरचना और विपणन उपलब्ध कराने के लिए जरिए निर्धन ग्रामीणों (बीपीएल) को स्वसहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। समाज के संवेदनशील वर्गों के सशक्तीकरण पर बल दिया जाता है अर्थात् अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत। एसजीएसवाई को अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठित किया गया है।

(ग) और (घ) एसजीएसवाई के अंतर्गत गरीबी रेखा से बाहर लाए गए निर्धन परिवारों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि प्रबंधन विकास केन्द्र ने एसजीएसवाई सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी कार्यकलापों का समवर्ती मूल्यांकन किया था और 2011 में प्राप्त उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि लगभग 52 प्रतिशत लाभार्थियों ने सकीम का लाभार्थी बनने के बाद आय में वृद्धि की सूचना दी है। वार्षिक आय में सर्वाधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश (31,032 रु.), पुदुचेरी (7,333 रु.) और बिहार (7,604 रु.) में पाई गई थी। वर्ष 2009-10 से 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले स्वरोजगारियों की संख्या संबंधी लक्ष्य एवं उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एसजीएसवाई के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले स्वरोजगारियों की राज्य-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (जनवरी, 2013)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	98391	295568	116974	165205	105746	108814	101653	144145
2.	अरुणाचल प्रदेश	4277	1496	5375	1036	5211	308	4536	0
3.	असम	111087	164752	139636	143941	135418	143883	118024	0
4.	बिहार	234063	157801	278264	162009	251565	135426	241808	3065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	51982	50311	61814	53564	55885	44885	53711	25920
6.	गोवा	1426	1489	1881	768	1632	184	1432	0
7.	गुजरात	37036	46131	44034	46820	39799	30267	38259	14104
8.	हरियाणा	21792	24392	25902	30199	23427	24435	22510	10715
9.	हिमाचल प्रदेश	9171	12284	10903	11615	9863	10828	9483	4902
10.	जम्मू और कश्मीर	11360	5644	13497	4271	12204	5236	11740	0
11.	झारखंड	88258	116670	104932	113903	94850	57019	91179	21191
12.	कर्नाटक	74295	96470	88327	107283	79861	80754	76760	50229
13.	केरल	33342	47426	39633	47046	35832	40311	34440	0
14.	मध्य प्रदेश	111385	106481	132407	97761	119712	88860	115060	22021
15.	महाराष्ट्र	146869	159026	174609	159855	157855	152429	151726	17421
16.	मणिपुर	7449	3362	9565	603	9082	363	7911	0
17.	मेघालय	8344	5211	10491	40552	10169	5182	8861	941
18.	मिजोरम	1932	8159	2429	3565	2352	3010	2046	0
19.	नागालैंड	5721	3884	7194	4993	6973	5519	6076	0
20.	ओडिशा	112544	131334	133803	138595	120957	129363	116263	5039
21.	पंजाब	10594	14504	12581	15657	11382	10287	10939	3108
22.	राजस्थान	56421	62094	67072	74853	60642	76149	58279	24472
23.	सिक्किम	2135	1463	2688	1294	2616	1337	2279	0
24.	तमिलनाडु	87004	107486	103430	138916	93510	72095	89882	201323
25.	त्रिपुरा	13448	30959	16900	63890	16392	13456	14282	4797
26.	उत्तर प्रदेश	336975	345408	400612	391700	362184	341935	348314	108334
27.	उत्तराखंड	17738	18590	21090	20789	19071	17673	18333	9649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिम बंगाल	125070	63092	148696	66942	134417	74494	129205	53212
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	170	587	176	448	169	359	169	0
30.	दमन और दीव	170	0	176	0	169	0	169	0
31.	दादरा और नगर हवेली	170	0	176	0	169	0	169	0
32.	लक्षद्वीप	170	0	176	0	169	0	169	0
33.	पुदुचेरी	1695	3103	2100	1913	1899	2256	1804	0
	कुल	1822482	2085177	2177343	2109986	1981182	1677117	1887471	724588

मुस्लिम समुदाय का गरीबी-अनुपात

1614. श्री एम. कृष्णास्वामी : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना में मुस्लिम समुदाय के बीच पैठी भेद-भाव और उपेक्षापूर्ण बरताव की धारणा का उपयुक्त तरीके से समाधान करने का उद्देश्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के शहरी क्षेत्रों में मुस्लिमों का गरीबी-अनुपात 33.9 प्रतिशत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारोपाय किए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) और (ख) जी, हां। मुस्लिम समुदाय के समक्ष मुख्य चिंता, भेद-भाव और उपेक्षापूर्ण अवधारणा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस अवधारणा को कम करने के लिए, मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले गांवों और कस्बों में सुसाध्यता को विस्तारित करना, जिससे कि वह राज्य संस्थानों और समुदाय के बीच अंतरापृष्ठ का कार्य कर सके, जैसे, कई नवीन कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैं। इस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए युवा नेतृत्व कार्यक्रमों की भी शुरूआत की जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण, विकासात्मक प्रक्रिया में प्रतिभागियों के तौर पर उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से करने की संकल्पना है न कि विकासात्मक लाभों में निष्क्रिय प्राप्तिकत्ता बनाकर। तेजी से, अधिक समावेशी और सतत् विकास के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन का अधिदेश है कि विभिन्न सामाजिक-धार्मिक समुदायों के समावेशन को सुनिश्चित करने और उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु साहसी तथा सृजनशील सकारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 27 दिसम्बर, 2012 को अनुमोदित 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के प्रारुप में यह स्वीकार किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में मुस्लिमों का गरीबी अनुपात विशेषकर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कारण 33.9% था। 2009-10 तक गरीबी अनुपात उत्तर प्रदेशमें 49.5%, गुजरात में 42.4%, बिहार में 56.5% और पश्चिम बंगाल में 34.9% है। इसका कारण अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में मुस्लिमों में कम साक्षरता दर और कार्य सहभागिता दर का होना है।

(ङ) मंत्रालय ने 12वीं योजना के दौरान, मुस्लिम समुदाय सहित अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए एक कौशल विकास योजना का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) स्व-रोजगार और आय सृजक क्रियाकलापों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है, लक्षित लाभार्थियों को कौशल प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करता है और शिल्पियों को उनके उत्पाद बिक्री करने हेतु विपणन सहायता भी देता है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से भी अल्पसंख्यकों को बाधा रहित ऋण सुनिश्चित हुआ हैं ये कदम अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए सहायक होंगे।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र

1615. श्री नारेनभाई काछादिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने घटते भूजल स्तर के कारण सभी भवन-निर्माताओं से उनकी भवन निर्माण-योजनाएं स्वीकृत कराने हेतु केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या निगरानी-तंत्र रखा गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) भूमि जल आहरण के लिए प्रस्तावों/अनुरोधों के मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देशों/मानदंडों के अनुसार सभी नई और विस्ताराधीन अवसंरचना परियोजनाओं को भूमि जल के आहरण हेतु केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ अवसरंचना परियोजना हेतु भूमि जल आहरण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। सीजीडब्ल्यूए भूमि जल आहरण के लिए एनओसी जारी करने से पहले प्रस्तावों के मूल्यांकन से संबंधित दिशा-निर्देशों/मानदंडों के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है। अवसंरचना परियोजना के संबंध में कुछ विशिष्ट शर्तों में यह भी शर्त शामिल है कि पूरे परियोजना क्षेत्र से होने वाले अपवाह का इस्तेमाल तब तक भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए किया जाए जब तक कि संदूषण होने का जोखिम न हो अथवा उस क्षेत्र में जल जमाव न हो। इसके अतिरिक्त आवासीय परियोजनाएं/रिहायशी टाउनशिप के मामले में पीने/घरेलू उपयोगों के अतिरिक्त भूमि जल के उपयोग की मात्रा आहरित कुल जल के 25% से अधिक नहीं होगी।

सीजीडब्ल्यूबी, निर्धारित सीमा तक भूजल आहरण को सीमित करने, भूमि जल संसाधनों के संवर्धन हेतु कृत्रिम पुनर्भरण, भूमि जल गुणवत्ता और जल के पुनर्चक्रण/पुन:प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करके एनओसी में निर्धारित शर्तों की अनुपालना की निगरानी करता है।

कैंसर की दवाओं का मूल्य

1616. श्री पी. विश्वनाथन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर के लिए उन जेनेरिक दवाओं और इनके मूल्य का ब्यौरा क्या है जो देश में निर्मित नेक्सावर को समतुल्य है;

(ख) क्या सरकार भारतीय कैंसर दवाओं के मूल्य को अमेरिकी निर्माताओं द्वारा बनाई गई ऐसी ही दवाओं के मूल्य के बराबर रखने के दबाव में है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऐसी जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों की नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के पास उपलब्ध आईएमएस स्वास्थ्य डाटा के अनुसार निक्सावर जो एक कैंसर-रोधी औषध है, के ब्यौरे सूचित किए गए हैं। जो औषधियां औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियां है उनके संबंध में विनिर्माता सरकार/एनपीपीए का अनुमोदन लिए बिना स्वयं लांच मूल्यों का निर्धारण करते हैं। कैंसर-रोधी दवाइयां गैर-अनुसूचित औषधियां है। मूल्य निर्धारण के वर्तमान ढांचे के अधीन गैर-अनुसूचित दवाइयों के लांच मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मैसर्स नेटको फार्मा लिमिटेड ने पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 84 के अधीन मैसर्स बेयर लिमिटेड द्वारा पेटेंट की गई औषधि 'सोराफेनिबटोसाइलेट' के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने हेतु जुलाई,

2011 में पेटेंटस डिजाइन एवं ट्रेड मार्क्स के महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) का आवेदन किया था। पेटेंटस डिजाइन एवं ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक ने आवेदन की जांच करने के लिए मार्च, 2012 में मैसर्स नेटको फार्मा लिमिटेड को अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया। तथापि, मैसर्स बेयर लिमिटेड ने सीजीपीडीटीएम के उक्त आदेशों के खिलाफ आईपीएबी (बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड) के समक्ष एक अपील दायर की।

(घ) जीवन रक्षक औषधियां डीपीसीओ, 1995 में जीवन रक्षक औषधियों का कोई वर्गीकरण नहीं हैं। हाल ही में सरकार ने दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को नई औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2012 (एनपीपीपी-2012) अधिसूचित की है। एनपीपीपी-2012 में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएलईएम-2011) में विनिर्दिष्ट निर्धारित खमता और खुराक वाली कैंसर औषधियों के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था है। जैसा कि एनपीपीपी-2012 में परिकल्पित है, इन विनिर्दिष्ट कैंसर-रोधी औषधियों के मूल्य सरकार द्वारा नए डीपीसीओ को प्रख्यापित करने के बाद निर्धारित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, मूल्यों को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को तीन कैंसर औषधियों नामत: ट्रास्टुजुमेब, इक्साबेपिलोन और दास्तिनिब को भारतीय पेटेंटस अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेसिंग के अधीन रखने की सिफारिश की है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

1617. **श्री पी.आर. नटराजन :** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के उद्देश्यों और कार्यकारी शक्तियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इसके संबंधित अधिनियम के कथित उल्लंघन और विविध क्षेत्रकों में प्रभाव का दुरुपयोग करने के कितने मामले उक्त आयोग की जानकारी में आए हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा पर विपरित प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकने; बाजार में प्रतिस्पर्धा का संवर्द्धन करेन और उसे बनाए रखने; उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने; तथा भारत में बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा पर व्यापक विपरित प्रभाव तथा विशिष्ट सहमतियों में प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली सूचनाओं/ शिकायतों की जांच करता है। इसके अतिरिक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं के ऊपर उद्यमों के विलयों एवं अधिग्रहण पर आयोग के अनुमोदन हेतु इसे सूचित किया जाना अपेक्षित है।

(ख) और (ग) आयोग ने अब तक 338 मामलों पर विचार किया है, जिनमें से 224 मामले निपटाए गए हैं। 28 मामलों में समाप्ति और निषेध आदेश पारित किए गए हैं तथा 19 मामलों में समाप्ति और निषेध आदेश के साथ-साथ कुल 8013.08 करोड़ रुपए का दंड भी लगाया गया है।

अर्जित जनजातीय भूमि का सर्वेक्षण

1618. **श्री हेमानन्द बिसवाल :**
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त पड़ी अर्जित जनजातीय भूमि का कोई सर्वेक्षण करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि जनजातीय समुदायों को बिना दीर्घावधिक और स्थायी आजीविका प्रदान किए ही उनके पुनर्वास से विस्थापित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें संरक्षण प्रदान करते हुए पुनर्वासित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लाल चन्द कटारिया) : (क) से (घ) जनजातीय लोगों के विस्थापन, उन्हें दिए गए मुआवजे तथा अप्रयुक्त पड़ी हुई उनकी भूमि के परिमाप संबंधी ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भूमि अर्जन तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी विभिन्न मुद्दों का विस्तारपूर्वक समाधान करने

के लिए, विभाग ने एक राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एनआरआरपी-2007) तैयार की है जो 31 अक्तूबर, 2007 को इसके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त हो गई हैं। इस नीति को कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों को प्रचालित कर दिया गया है। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति-2007 के उपबंधों के उन मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था है जिनका समाधान उन सभी परियोजनाओं द्वारा करना होता है जिसके कारण लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होता है। तथापि, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा एजेंसियों और अन्य अर्जन निकाओं को एनआरआरपी-2007 नीति में निर्धारित लाभों से अधिक लाभ देने की भी स्वतंत्रता है। इस नीति के सिद्धांत ऐसे उन परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन संबंधी मामलों में लागू हो सकते हैं जो न केवल भूमि अधिग्रहण के कारण अनैच्छिक रूप से स्थायी रूप से विस्थापित हुए हों परंतु किसी अन्य कारण से। यह नीति इस विभाग की वेबसाइट अर्थात् *www.dolr.nic.in* पर उपलब्ध है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी सभी मुद्दों का ध्यान रखने हेतु, इस विभाग द्वारा एक समेकित भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 तैयार किया है। मंत्रिमंडल द्वारा एलएआरआर विधेयक, 2011 को 5 सितम्बर, 2011 को संसद में पुर:स्थापित किया गया था। एलएआरआरआर विधेयक, 2011 संबंधी शासकीय संशोधनों को संसद में बजट स. में प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है।

सरकारी उपक्रमों के लेखे

1619. **श्री ए.के.एस. विजयन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी उपक्रमों ने पिछले कई वर्षों से अपने लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन पर लोक उद्यम सर्वेक्षण (2011-12) संसद के दोनों सदनों में 26 और 27 फरवरी, 2013 को रखा गया था। इसमें दो वर्षों अर्थात् 2010-11 और 2011-12 के संबंध में उनके वार्षिक लेखे का भी उल्लेख है। इस सर्वेक्षण में सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वार्षिक लेखे से संबंधित सूचना है। जहां बहुतायत संख्या में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने अपने लेखा-परीक्षित लेखे के संबंध में सूचना दी, वहीं शेष केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने अपने वार्षिक लेखे पर अंनतिम आंकड़े दिए।

संदेहास्पद मतदाता ('डी'-वोटर)

1620. **श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम राज्य से संदेहास्पद मतदाताओं ('डी'-वोटरों) और गैर-'डी' वोटरों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) 'डी'-वोटरों के लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि संक्षिप्त पुनर्विलोकन 2013 के पश्चात् सक्षम राज्य में संदेहास्पद मतदाताओं की कुल संख्या 147872 है और गैर-संदेहास्पद मतदाताओं की कुल संख्या 18895598 है। डी-वोटरों के लंबित मामलों की कुल संख्या 147872 है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु नम्य विधि

1621. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों द्वारा आकल्पित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और साथ ही केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए एक नम्य निधि (फ्लैक्सी-फंड) बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेत क्या मानदंड रखे गए हैं तथा प्रत्येक राज्य को कितनी राशि उद्दिष्ट की गई है; और

(ग) विशेषकर आंध्र प्रदेश में, 11वीं और 12वीं योजनावधि के दौरान विधि-उपयोग कितना रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए फ्लैक्सी-फंड बनाया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान जो कि 12वीं योजना अवधि का दूसरा वर्ष है, फ्लैक्सी-फंड के लिए एक करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

[हिन्दी]

किसानों को पानी

1622. कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने पूरे देश में किसानों को उनकी फसल के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई एकीकृत योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है और इससे अब तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसी कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (घ) जल राज्य का विषय है, इसलिए सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वियन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम) सहित विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्र की स्कीमों के माध्यम से जल प्रबंधन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को जल प्रयोक्ता संघों (डब्ल्यूयूए) के माध्यम से शामिल किया जाता है। विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न कमानों के अंतर्गत 14.620 मिलियन हैक्टेयर के क्षेत्र में 63,167 जल प्रयोक्ता संघों का गठन किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में वाटरशेड आधार पर 3 क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और एकीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) का कार्यान्वियन कर रहा है। वर्षा-पोषित/निम्नीकृत क्षेत्रों के विकास के लिए 26.2.2009 से इन तीनों कार्यक्रमों को मिला दिया गया है और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम के रूप में समेकित कर दिया गया है। वाटरशेड परियोजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख क्रियाकलापों में रिज क्षेत्र सुधार, जल निकास प्रणाली सुधार, मृदा एवं नमी को बचाये रखना, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, वनरोपण, उद्यान कृषि, चारागाह विकास आदि शामिल हैं।

विवरण

गठित जल प्रयोक्ता संघों (डब्ल्यूयूए) और शामिल किए गए क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	गठित जल प्रयोक्ता संघों (डब्ल्यूयूए) की संख्या	शामिल किया गया क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10748	4169.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	43	9.02
3.	असम	720	47.04
4.	बिहार	80	209.47
5.	छत्तीसगढ़	1324	1244.56
6.	गोवा	57	7.01
7.	गुजरात	1834	486.64
8.	हरियाणा	2800	200.00
9.	हिमाचल प्रदेश	876	35.00
10.	जम्मू और कश्मीर	39	2.758
11.	झारखंड	0	0.00
12.	कर्नाटक	2662	1363.07
13.	केरल	4163	174.89
14.	मध्य प्रदेश	1687	1692.26
15.	महाराष्ट्र	2815	1102.42

1	2	3	4
16.	मणिपुर	73	49.27
17.	मेघालय	151	18.75
18.	मिजोरम	110	14.00
19.	नागालैंड	23	3.15
20.	ओडिशा	18989	1692.60
21.	पंजाब	957	116.95
22.	राजस्थान	1130	983.07
23.	सिक्किम	0	0.00
24.	तमिलनाडु	1641	840.94
25.	त्रिपुरा	0	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	245	121.21
27.	उत्तराखंड	0	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	10000	37.00
	कुल	63167	1462C.08

[अनुवाद]

तिस्ता नदी का मुद्दा

1623. श्री के. सुगुमार :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश सरकार ने दोनों देशों के बीच तिस्ता नदी जल-बंटवारे के मुद्दे का बिना और विलंब किए समाधान ढूंढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां।

(ख) तिस्ता जल समझौते पर हस्ताक्षर कि मुद्दे पर दोनों सरकारों द्वारा फरवरी, 2013 में ढाका में विदेशी मंत्री स्तर के दूसरी संयुक्त परामर्शदाता आयोग की बैठक समेत विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श आ है। इन सभी चर्चाओं में बांग्लादेश ने शीघ्र ही समझौता करने की आवश्यकता दर्शायी है।

(ग) सितम्बर, 2011 में भारत के प्रधानमंत्री के ढाका दौरे के दौरान, दोनों प्रधान मंत्रियों ने तिस्ता नदी के जल में उचित और समान हिस्सेदारी संबंधी अंतरिम समझौतों के नियमों और प्रणालियों के संबंध में हुई प्रगति का स्वागत किया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समझौता पूरा करने के लिए कार्य करने का आदेश दिया था। सरकार का प्रयास है कि तिस्ता जल की उचित और समान हिस्सेदारी के विषय में समझौता किया जाए जो सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो और सभी पणधारियों के हितों की रक्षा करता हो।

जापानी इंसेफ्लाइटिस

1624. कुमारी मौसम नूर : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असुरक्षित पेयजल से होने वाली जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) और एडवांस इंसेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम (एईएस) से प्रभावित पश्चिम बंगाल सहित देश के जिलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित स्टैंड अलोन प्यूरिफिकेशन सिस्टम (एसएपीएस) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में पश्चिम बंगाल में स्थापित एसएपीएस का प्रतिशत कितना है;

(ङ) इसमें असफलता, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 10 जिलों सहित देश के 60 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में जापानीज एनसिफेलाइटस (जेई) तथा तीव्र एनसिफेलाइटिस सिन्ड्रोम (एईएस) मामलों से प्रभावित जिलों की पहचान की है। इन जिलों की सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ख) भारत सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के प्रावधान के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन राज्यों को जल गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 5% के विनिधान किया गया है, जिनके आवासों में अत्यधिक रासायनिक संदूषण तथा ऐसे उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं, जो कि जापानी इंसेफलाइटिस/तीव्र इंसेफलाइटिस सिन्ड्रोम से प्रभावित हैं। इन 5% निधियों में से 5 राज्यों के 60 उच्च प्राथमिकता वाले जेई/एईएस प्रभावित जिलों के लिए 131.25 करोड़ की राशि का विनिधान किया गया है जिसमें से अब तक 65.62 करोड़ रु. की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रावधान के अंतर्गत वित्त पोषण की गई गतिविधियों में शामिल हैं—कम गहराई वाले सार्वजनिक हैण्डपंपों को इंडिया मार्क-II हैण्डपंपों से बदलना, कम गहराई वाले एक्वीफरों में हैण्डपंप प्लेटफॉर्मों को बनाना, उपयुक्त रूप से कीटाणु-रहित बनाकर सार्वजनिक स्टैंड पोस्टों से सुदृढ़ ट्युबवैलों की व्यवस्था कराना, रिसाव को रोकने के लिए गहन स्वच्छता सर्वेक्षण तथा प्लेटफॉर्मों को सीलबद्ध करना, जागरुकता पैदा करना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।

(ग) से (च) दिनांक 04.03.2013 तक राज्यों से समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर प्राप्त सूचना के अनुसार, जलमणि कार्यक्रम के अंतर्गत 1,00,000 ग्रामीण स्कूलों के लक्ष्य की तुलना में 91,771 स्कूलों में स्टैण्डएलोन जल शुद्धिकरण प्रणालियां स्थापित की गई। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 6032 ग्रामीण स्कूलों के लक्ष्य की तुलना में 4581 स्कूलों में इस प्रकार की प्रणालियां संस्थापित की गई अर्थात् 75.94% की उपलब्धि रही। दिनांक 04.03.2013 के अनुसार, राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में स्टैण्डएलोन जल शुद्धिकरण प्रणालियों की संस्थापना में राज्य/संघ राज्य-वार वास्तविक उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई देरी संबंधी कारणों में, प्रापण संबंधी मुद्दे, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का चयन एवं स्कूलों की पहचान शामिल है। इन राज्यों को चालू वित्त वर्ष 2012-13 के अंत तक अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

विवरण-I

जापानी इनसैफलाइटस (जेई) तथा तीव्र इनसैफलाइट्स सिंड्रोम (एईस) प्रभावित 60 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों के नाम
1	2	3
1.	असम	बारपेटा
2.	असम	धीमाजी
3.	असम	डिब्रूगढ़
4.	असम	गोलाघाट
5.	असम	जोरहाट
6.	असम	लखीमपुर
7.	असम	सिबसागर
8.	असम	सोतिनपुर
9.	असम	तिनसुखिया
10.	असम	उदलगुरी
	कुल 10	
11.	बिहार	अरारिया
12.	बिहार	दरभंगा
13.	बिहार	गया
14.	बिहार	गोपालगंज
15.	बिहार	जेहानाबाद
16.	बिहार	मुज्जफरपुर

1	2	3
17.	बिहार	नालंदा
18.	बिहार	नवादा
19.	बिहार	पश्चिम चम्पारन
20.	बिहार	पटना
21.	बिहार	पूर्वी चम्पारन
22.	बिहार	समस्तीपुर
23.	बिहार	सारन
24.	बिहार	सिवान
25.	बिहार	वैशाली
	कुल 15	
26.	उत्तर प्रदेश	आजमबगढ़
27.	उत्तर प्रदेश	बहराइच
28.	उत्तर प्रदेश	बलिया
29.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
30.	उत्तर प्रदेश	बस्ती
31.	उत्तर प्रदेश	देवरिया
32.	उत्तर प्रदेश	गोंडा
33.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
34.	उत्तर प्रदेश	हरदोई
35.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात
36.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर
37.	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खेरी
38.	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज

1	2	3
39.	उत्तर प्रदेश	मऊ
40.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली
41.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
42.	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर
43.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
44.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
45.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
	कुल 20	
46.	तमिलनाडु	करूर
47.	तमिलनाडु	मदुराई
48.	तमिलनाडु	तंजावूर
49.	तमिलनाडु	तिरुवारुर
50.	तमिलनाडु	विल्लुपुरम
	कुल 5	
51.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा
52.	पश्चिम बंगाल	बर्धमान
53.	पश्चिम बंगाल	बिरभूम
54.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
55.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग
56.	पश्चिम बंगाल	हुगली
57.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
58.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी

1	2	3
59.	पश्चिम बंगाल	मालदा
60.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर पश्चिम
	कुल 10	

विवरण-II

04.03.2013 की स्थिति के अनुसार जलमणि कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्यालयों में स्टैण्डएलोन जल शुद्धिकरण प्रणालियों की संस्थापना के संबंध में राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9618	3448
2.	बिहार	3831	3331
3.	छत्तीसगढ़	964	887
4.	गोवा	44	60
5.	गुजरात	8829	10586
6.	हरियाणा	873	604
7.	हिमाचल प्रदेश	3745	5927
8.	जम्मू और कश्मीर	2180	380
9.	झारखंड	1253	1467
10.	कर्नाटक	6143	10869
11.	केरल	1282	811
12.	मध्य प्रदेश	2734	2734
13.	महाराष्ट्र	8348	8150
14.	ओडिशा	3460	3537
15.	पंजाब	2722	2765
16.	राजस्थान	3443	34
17.	तमिलनाडु	8500	8589
18.	उत्तर प्रदेश	13784	10676
19.	उत्तराखंड	711	918
20.	पश्चिम बंगाल	6032	4581
21.	अरुणाचल प्रदेश	264	264
22.	असम	7048	7138
23.	मणिपुर	552	315
24.	मेघालय	919	678
25.	मिजोरम	983	983
26.	नागालैंड	496	363
27.	सिक्किम	440	449
28.	त्रिपुरा	802	1226
	कुल	100000	91771

[हिन्दी]

भूजल का दोहन

1625. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूजल का लगातार दोहन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूजल के लगातार दोहन से उत्पन्न समस्याओं और जल-संकट का अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) जी, हां। देश में भूमि जल का लगातार पेयजल, सिंचाई और विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए दोहन किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में भूजल स्तर में गिरावट आई है। इस प्रभाव का आकलन करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड देश भर में भूमि जल निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से भूमि जल स्तर का नियमित अध्ययन करता है। संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहयोग से सीजीडब्ल्यूबी देश के पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधनों का भी आकलन करती है। पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधन का अद्यतन आकलन (2009 तक) यह दर्शाता है कि 802 आकलन इकाइयां अतिदोहित श्रेणी के तहत और 169 इकाइयां (ब्लॉक/मंडल/तालुका) 'गंभीर' श्रेणी के अंतर्गत तथा 523 इकाइयां 'अर्ध-गंभीर' श्रेणी के तहत आती हैं। राज्य-वार वर्गीकरण और आकलन इकाइयां के वर्गीकरण हेतु मानदंड का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत में ब्लॉकों/मंडलों/तालुकों के वर्गीकरण का राज्य-वार विवरण (2009 तक)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	आकलित इकाइयों की कुल संख्या	अति दोहित		गंभीर		अर्ध-गंभीर	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	1108	84	8	26	2	93	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	0	0	0	0	0	0
3.	असम	23	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	533	0	0	0	0	4	1
5.	छत्तीसगढ़	146	0	0	0	0	14	10
6.	दिल्ली	27	20	74	0	0	5	19
7.	गोवा	11	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	223	27	12	6	3	20	9
9.	हरियाणा	116	68	59	21	18	9	8
10.	हिमाचल प्रदेश	8	1	13	1	13	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	14	0	0	0	0	0	0
12.	झारखंड	208	4	2	2	1	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	कर्नाटक	270	71	26	11	4	34	13
14.	केरल	152	1	1	3	2	22	14
15.	मध्य प्रदेश	313	24	8	4	1	61	19
16.	महाराष्ट्र	353	9	3	1	0	19	5
17.	मणिपुर	8	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	7	0	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	22	0	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	8	0	0	0	0	0	0
21.	ओडिशा	314	0	0	0	0	0	0
22.	पंजाब	138	110	80	3	2	2	1
23.	राजस्थान	239	166	69	25	10	16	7
24.	सिक्किम	4	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	386	139	36	33	9	67	17
26.	त्रिपुरा	39	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	820	76	9	32	4	107	13
28.	उत्तराखंड	17	0	0	1	6	5	29
29.	पश्चिम बंगाल	269	0	0	0	0	38	14
	कुल राज्य	5792	800	14	169	3	518	9
	केन्द्र शासित प्रदेश							
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33	0	0	0	0	0	0
2.	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	दमन और दीव	2	1	50	0	0	1	50
5.	लक्षद्वीप	9	0	0	0	0	4	44
6.	पुदुचेरी	4	1	25	0	0	0	0
	कुल केन्द्र शासित	50	2	4	0	0	5	10
	कुल	5842	802	14	169	3	523	9

वर्गीकरण हेतु मानदंड

अतिदोहित : भूमि जल विकास के अवस्था- >100% पूर्व-मानसून अथवा मानसून के बाद की अवधि अथवा दोनों में दीर्घावधि जल स्तर धारा में महत्वपूर्ण गिरावट।

गंभीर : भूमि जल विकास की अवस्था- >90% और >=100% पूर्व-मानसून अथवा मानसून के बाद की अवधि अथवा दोनों में दीर्घावधि जल स्तर धारा में महत्वपूर्ण गिरावट।

अर्ध-गंभीर : भूमि जल विकास की अवस्था- >70% और >=100% पूर्व-मानसून अथवा मानसून के बाद की अवधि अथवा दोनों में दीर्घावधि जल स्तर धारा में महत्वपूर्ण गिरावट।

[अनुवाद]

मौसम-सूचना रडार का अधिष्ठापन

1626. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित मौसम भवन में सी-बैण्ड मौसम रडार अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे देश में मौसम के पूर्वानुमान संबंधी सूचनाएं देने में कितना सुधार होने और किसानों व अन्य जनों को क्या सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे रडार लगाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं क्योंकि 19 दिसंबर, 2011 को सी-बैंड डॉप्लर मौसम रेडार (डीडब्ल्यूआर) को चालू किया गया है और तभी से यह कार्य कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ)—आईएमडी के माध्यम से वेब आधारित इनपुटों सहित देश में अपनी स्थान विशिष्ट तात्कालिक पूर्वानुमान मौसम सेवा को प्रचालनात्मक बनाया है। इस सेवा गतिविधि के तहत, जो 117 शहरी केन्द्रों को कवर करती है, वर्तमान में प्रायोगिक आधार पर 3-6 घंटे की अवधि में विषय मौसम (गरज के साथ तूफान; भूमि पर बनने वाले विक्षोभों/निम्नता के कारण भारी वर्षा) का तात्कालिक पूर्वानुमान जारी किया जाता है। डीडब्ल्यूआर तथा अन्य उपलब्ध सभी प्रेक्षण प्रणालियों (स्वचालित मौसम स्टेशनों-एडब्ल्यूएस, स्वचालित वर्षा मापी-एआरजी; स्वचालित मौसम प्रेक्षण प्रणालियों-एडब्ल्यूओएस; उपग्रह से प्राप्त पवन वेक्टर, तापमान, फील्ड नमी आदि) के माध्यम से विष मौसम परिघटना की उत्पति, विकास/गति को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है जिनका 3 घंटे की समय अवधि पर पूर्वानुमान देने के लिए (मूल पाठ के साथ-साथ ग्राफिकल रूप दोनों में तैयार किया जाता है) सम्मिश्रण किया जाता है। तात्कालिक पूर्वानुमान उत्पादों को वेब जीआईएस प्रतिदेय को चेतावनियों से जुड़ी विषम मौसम

तीव्रताओं के स्थानिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु कार्यान्वित किया जाता है।

तथापि, कृषक समुदाय के लिए, जिला स्तरीय एकीकृत कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवा पहले से ही कार्य कर रही है जो सप्ताह में दो बार परामर्शी प्रसारण तंत्र के साथ एसएमएस, आईवीआरवीएस, देशी दृश्य/प्रिंट मीडिया चैनलों के माध्यम से फसल वैशिष्ट्य परामर्शी सेवाएं प्रसारित करती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सभी तक, चेन्नै, श्रीहरिकोटा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुम्बई, भुज, हैदराबाद, नागपुर, पटियाला, दिल्ली पालम, लखनऊ, पटना, मोहनबाड़ी, दिल्ली लोधी रोड़ और जयपुर में 17 एस/सी-बैंड डीडब्ल्यूआर चालू किए गए हैं। भोपाल में डीडब्ल्यूआर लगाने का कार्य चालू है। चरणबद्ध तरीके से, पूरे देश को कवर करने हेतु डीडब्ल्यूआर नेटवर्क का विस्तार करने के लिए ऐसे देशव्यापी नेटवर्क की धारणीयता के लिए विभिन्न राज्यों/संघ प्रशासित प्रदेशों में व्यापक आधारभूत संरचना (भूमि/कार्यालय/लाइन ऑफ साइट ऊंची टॉवर) सहायता सेवा प्रणालियों (बिजली/कूलिंग/जल/पुरजे और सेवाएं/फ्रेक्वंसी निकासी का प्रचालन/सुरक्षा निकासी, जन शक्ति आदि) में वृद्धि करना जरूरी है।

वर्ष 2012-13 की रेल-बजट घोषणाएं

1627. श्री अब्दुल रहमान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2012-13 के रेल बजट के दौरान घोषित उन योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीमों और कार्यों इत्यादि का ब्यौरा क्या है जिन्हें आज तक पूरा/कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें कब तक पूरा/कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में रेल विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (घ) रेल बजट 2012-13 में 'रेलवे का निर्माण, मशीनरी और चल स्टॉक कार्यक्रम' जो इसके वार्षिक कार्यक्रम का एक हिस्सा है, के अंतर्गत लगभग 1440 परियोजनाओं/कार्यों की घोषणा की गई। रेल परियोजनाएं पूंजी साध्य हैं जिनके पूरा होने से अधिक समय लगता है। उनका क्रियान्वयन और पूरा होने धन की उपलब्धता, पर्यावरण विभाग आदि से क्लीयरेंस और भूमि अधिग्रहण जैसी अन्य औपचारिकताओं आदि पर निर्भर करता है।

रेलें अपनी परियोजनाओं को शीघ्र निष्पादित करने का अथक प्रयास करती है ताकि उनका शीघ्रतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

राष्ट्रीय जल विवाद अधिकरण

1628. श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में दीर्घकाल से लंबित अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान करने के लिए एक सतत् प्रक्रिया विकसित करने के लिए कोई कदम उठाया गया/उठाया जना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हकदारी के मुद्दे का समाधान करने, पारदर्शी विनियम बनाने और देश की जल अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय जल विवाद अधिकरण की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ङ) देश में लम्बे समय से लम्बित अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के शीघ्र अधिनिर्णयन हेतु स्थायी अधिग्रहण की स्थापना का प्रस्ताव अभी भी संकल्पनात्मक अवस्था में है।

[हिन्दी]

खान-पान के स्टॉल

1629. श्री कीर्ति आजाद : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा बेरोजगार स्नातकों को प्रदत्त खान-पान स्टॉल/विक्रय केन्द्र अनुबंधों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे-स्टेशनों पर स्थान/बूथ आंबटित करने के संबंध में रेलवे की वर्तमान नीति क्या है;

(ग) क्या इस नीति के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों/महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष व चालू वर्ष के दौरान आबंटित स्टॉलों/अनुबंधों की जोन-वार तथा उक्त श्रेणी-वार संख्या व ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) खानपान/वैंडिंग इकाइयों का आवंटन खुली, प्रतिस्पर्धी दो पैकेट निविदा प्रणाली के जरिये या प्रेस अधिसूचना के जरिये आवेदन आमंत्रित करके किया जाता है। बेरोजगार स्नातक भी निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन आवंटन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बेरोजगार स्नातकों के लिए खानपान/वैंडिंग ठेका प्रदान करने के संबंध में नई खानपान नीति, 2010 में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) खानपान स्टॉल के लिए जगह आवंटित करने के संबंध में प्रचलित नीति 21.07.2010 को जारी नई खानपान नीति, 2010 के अनुरूप है।

(ग) जी, हां।

(घ) ए, बी और सी कोटि के स्टेशनों में छोटी स्थैतिक इकाइयों के आवंटन में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	कोटि	आरक्षण प्रतिशत
1	2	3
1.	अनुसूचित जाति	6%
2.	अनुसूचित जनजाति	4%
3.	गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग	3%
4.	स्वतंत्रता सेनानी/महिलाएं, जिनमें युद्ध विधवाएं और रेलकर्मियों की विधवाएं भी शामिल हैं, ऐसे लोग, जिनकी भूमि रेलवे द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए अधिगृहीत किए जाने के कारण विस्थापित हुए हैं/हटाए गए हैं।	4%
5.	अन्य पिछड़े वर्ग	3%
6.	अल्पसंख्यक*	3%
7.	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	25%

*अल्पसंख्यक शब्द में ये समुदाय शामिल किए जाएंगे: (i) मुस्लिम, (ii) ईसाई, (iii) सिक्ख, (iv) बौद्ध धर्म के अनुयायी, (v) पारसी।

डी, ई और एफ कोटि के स्टेशनों में आवंटन में 49.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	कोटि	आरक्षण प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	12%
2.	अनुसूचित जनजाति	8%
3.	अन्य पिछड़ वर्ग	20%
4.	अल्पसंख्यक*	9.5%
	कुल	49.5%**

*अल्पसंख्यक शब्द में ये समुदाय शामिल किए जाएंगे: (i) मुस्लिम, (ii) ईसाई, (iii) सिक्ख, (iv) बौद्ध धर्म के अनुयायी, (v) पारसी।

**49.5% में, 10 प्रतिशत उप-कोटा स्वतंत्रता सेनानी/महिलाएं, जिनमें युद्ध विधवाएं और रेलकर्मियों की विधवाएं भी शामिल हैं, के लिए, 2 प्रतिशत उप-कोटा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए होगा। 49.5 प्रतिशत के कुल आरक्षण में से 2 प्रतिशत उप-कोटा ऐसे लोग को मुहैया कराया जाएगा, जिनकी भूमि रेलवे द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए अधिगृहीत किए जाने के कारण विस्थापित हुए हैं/हटाए गए हैं।

स्वतंत्रता सेनानी/महिलाएं, जिनमें युद्ध विधवाएं और रेलकर्मियों की विधवाएं भी शामिल हैं, के लिए 10 प्रतिशत का उप-कोटा; शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत उप-कोटा सामान्य कोटि के 50.5 प्रतिशत पर भी लागू होगा।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित स्टालों/ठेकों की जोन-वार और कोटि वार संख्या से संबंधित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जल प्रबंधन समझौते

1630. **श्री सुरेश अंगड़ी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रवांडा ने हाल ही में जल संसाधन विकास और प्रबंधन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों के परिणामस्वरूप दोनों देशों को क्या लाभ होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) भारत गणतंत्र की सरकार के जल संसाधन मंत्रालय और रवांडा गणतंत्र के कृषि एवं पशु संसाधन मंत्रालय के बीच 22 जनवरी, 2013 को जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) सहयोग के क्षेत्र, दलदल भूमि एवं पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई सहित कृषि में जल संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण, वाटरशेड प्रबंधन एवं जल प्रशासन; सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना की प्रक्रिया; सिंचाई हेतु जल प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देशों; फसल हेतु जल की आवश्यकता; दाब एवं सतही जल सिंचाई तकनीकें; सिंचाई परियोजनाओं के लिए जल की उपलब्धता एवं निर्भरता; जल उपयोग दक्षता प्रौद्योगिकियों; प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित खेत पर जल प्रबंधन; वाटरशेड जलविज्ञान, कृषि जलवायु विज्ञान, मॉडलिंग एवं नदी बेसिन प्रबंधन; नदी कॉरीडोरों, जल निकायों एवं अवसंरचना का संरक्षण; और जल प्रबंधन में किसानों एवं कार्य करने वालों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि से संबंधित है।

(ग) दोनों देशों को उपर्युक्त सहयोग के क्षेत्रों में विशेषज्ञता, अनुभव एवं प्रौद्योगिकी का साझा करने संबंधी लाभ मिलेंगे।

[हिन्दी]

महिला अभियोजक

1631. **श्री बद्रीराम जाखड : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सहित देश में केन्द्र सरकार के अभियोजकों की संख्या कितनी है और उसमें से महिलाओं की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिला अभियोजकों की संख्या कितनी है; और

(ग) पर्याप्त संख्या में महिला सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों की स्थापना

1632. **श्री शिवराम गौडा : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु और अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम में अल्पसंख्यकों हेतु प्रस्तावित विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त विश्वविद्यालय कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों पर उनकी अवस्थिति सहित, विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु, प्रस्तावित पांच विश्वविद्यालयों की स्थापना की औपचारिकताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति ने 26.02.2013 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह मंत्रालय में विचाराधीन है।

औषध निर्माण इकाइयों का अधिग्रहण

1633. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006 से आज तक विदेशी कंपनियों द्वारा कितनी स्थानीय औषध निर्माण इकाइयों का अधिग्रहण किया गया है और उनके नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में वर्तमान में कार्य कर रही घरेलू औषध निर्माण इकाइयों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुंसंधान और विकास प्रयोजनों हेतु सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त घरेलू औषध निर्माण कंपनियों की संख्या कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) नवम्बर, 2011 से पूर्व, औषध क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत था। उसके बाद विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने निम्नलिखित 10 औषधियें यूनिटों में विदेशी कंपनियों द्वारा 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए अनुमोदन प्रदान किया है:–

क्र.सं.	घरेलू औषधि विनिर्माण यूनिटों का नाम
1.	आरडेन हेल्थक्रेयर प्राइवेट लि. चेन्नै
2.	एडिक्ट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लि. चेन्नै
3.	अरवी सिंथेसिस प्राइवेट लि. बेंगलुरु
4.	कोस्मे फार्मा लेबोरेट्रीज, गोवा
5.	कोस्मे फार्मा लि., गोवा
6.	कोस्मे रेमेडीज लि., गोवा
7 और 8.	ओरचिड फार्मास्युटिकल्स लि., चेन्नै की दो यूनिटें
9.	एसएमएस फार्मास्युटिकल्स लि., हैदराबाद की एक यूनिट
10.	मैसर्स विविन लाइफसाइंसिज की एक यूनिट

(ख) देश के विभिन्न भागों में लगभग 10563 औषधीय यूनिटें पंजीकृत हैं।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचनानुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की भेषज और औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम (डीआरआरपी) स्कीम के अंतर्गत 60 घरेलू फार्मा कंपनियों ने अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की।

[हिन्दी]

गंगा पर पनबिजली परियोजनाएं

1634. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों पर वर्तमान में निर्माणाधीन पन-बिजली परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में जल के प्रवाह और पारिस्थितिकी पर इन परियोजनाओं के कारण पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नदी के अविरल प्रवाह को सुनिश्चित करने और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय, गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों पर 2351 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली आठ जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जल विद्युत परियोजनाओं के संचयी प्रभाव, जिनमें जल के प्रवाह, नदीय पारिस्थितिकी प्रणाली तथा भूमि एवं जलीय जैव-विविधता पर प्रभाव शामिल हैं, का आकलन करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय बे भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून तथा आई.आई.टी, रूड़की के माध्यम से दो अध्ययन करवाएं हैं।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं को उनके द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा निर्धारित की गई, परिभाषित कार्य-विधियों के अनुसार पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियां प्रदान करता है। ये स्वीकृतियां पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययनों/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) जिसमें उपर्युक्त वर्णित विशिष्ट अध्ययन शामिल है, पर आधारित है जिनमें पर्यावरण प्रभाव, जैव-विविधता पर प्रभाव, पर्यावरणीय प्रवाह, पुनर्वास एवं पुन:स्थापना से संबंधित मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

विवरण

गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की परियोजनाओं को छोड़कर)

क्र. सं.	योजना का नाम	बेसिन	राज्य	संस्थापित क्षमता		चालू किए जाने की संभावना
				(संख्या × मेगावाट)	मेगावाट	
	केंद्रीय क्षेत्र					
1.	टेहरी पीएपी (टीएचडीसी)	गंगा	उत्तराखंड	4×250	1000.00	2017-18
2.	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	गंगा	उत्तराखंड	4×130	520.00	2015-16
3.	लता तपोवन (एनटीपीसी)	गंगा	उत्तराखंड	3×57	171.00	2017-18
	उप-जोड़ (केंद्रीय क्षेत्र):				1691.00	
	राज्य क्षेत्र					
4.	स्वारा कुड्डु (एचपीपीसीएल)	गंगा	हिमाचल प्रदेश	3×37	111.00	2014-15
	उप-जोड़ (राज्य क्षेत्र):				111.00	
	निजी क्षेत्र					
5.	टांगु रोमई-I (टीआरपीजीएल)	गंगा	हिमाचल प्रदेश	2×22	44.00	2015.16
6.	श्रीनगर (जीवीके)	गंगा	उत्तराखंड	4×82.5	330.00	2013-15
7.	फाटा ब्योंग (लैंको)	गंगा	उत्तराखंड	2×38	76.00	2014-15
8.	सिंगोली भटवारी (एल एंड टी)	गंगा	उत्तराखंड	3×33	99.00	2015-16
	उप-जोड़ (निजी क्षेत्र):				549.00	
	कुल				2351.00	

सस्ती दर पर विद्युत का प्रावधान

1635. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के बढ़ते हुए प्रशुल्कों और आर्थिक विकास पर इसके नकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 में उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार तथा बिजली के उपयोग और विद्युत उद्योग के विकास से संबंधित प्रेरक उपाय करने, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्तओं के हितों की सुरक्षा करने तथा सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति करने, विद्युत प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने, सब्सिडियों से संबंधित पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने, कुशल तथा पर्यावरणीय अनुकूलन नीतियों का संवर्द्धन तथा उनके प्रासंगिक मामलों से संबंधित कानून समेकित किए गए हैं।

विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने तथा उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर विद्युत प्रदान करने की दृष्टि से संघ सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:—

(i) ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादन, पारेषण, वितरण, सेवाओं की लागत तथा लक्षित सब्सिडी की वसूली, प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान एवं विकस (आर एंड डी), उपभोक्ता हितों पर लक्षित प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र सहभागिता सहित विद्युत क्षेत्र कार्यक्रमों का वित्तपोषण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरवणी मुद्दे, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास, सह-उत्पादन तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा तथा गुणवत्ता मानकों के मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 में अधिसूचित की गई थी।

(ii) 2006 में, उपभोक्ताओं को उचित तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने; क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने तथा निवेश आकर्षित करने; पारदर्शिता को बढ़ावा देने, अधिकार-क्षेत्र में विनियामक सोच में सामंजस्य तथा पूर्वानुमान और विनियामक जोखिमों की संभावना को न्यूनतम करने; प्रचालन में प्रतिस्पर्धा, कुशलता को बढ़ावा देने और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से प्रशुल्क नीति अधिसूचित की गई थी।

(iii) वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के प्रापण और पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश और मानक बोली दस्तावेज जारी किए गए।

(iv) इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना, जल विद्युत नीति भी अधिसूचित की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:—

(क) एपीडीआरपी तथा आर-एपीडीआरपी स्कीमों के माध्यम से वितरण सुधार प्रारंभ किए गए। इनके अतिरिक्त, सार्वजनिक तथा निजी विद्युत यूटिलिटियों को उनके वितरण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए सुधारों से संबद्ध ब्याज सब्सिडी प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) स्कीम अनुमोदित की गई है।

(ख) राज्य सरकारों तथा डिस्कॉम को राज्य विद्युत क्षेत्र में वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्न-अराउंड की नीति बनाने के लिए समर्थ करने के उद्देश्य से, डिस्कॉम के वित्तीय पुनर्गठन की स्कीम को हाल ही में (अक्तूबर, 2012) अनुमोदित किया गया है जिसे ऋणदाताओं द्वारा विद्यमान अल्पकालिक ऋण के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण के लिए ऋणदाताओं द्वारा विद्यमान अल्पकालिक ऋण के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण के लिए ऋणदाताअें की सहमति के माध्यम से समर्थ बनाया जाएगा।

[अनुवाद]

राजीव गांधी जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र

1636. श्री एम.बी. राजेश : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र वैज्ञानिक और गैर-वैज्ञानिक पदों के लिए अपनी भर्तियों में भारत सरकार के आरक्षण मानकों का पालन करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र में कार्य कर रहे अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। राजीव गांधी जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र वैज्ञानिक संस्थानों के लिए भारत सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करता है।

(ग)

	वैज्ञानिक	गैर-वैज्ञानिक (प्रशासन और तकनीकी)
अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या	4	22
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या	0	3
शारीरिक रूप से विकलांगों की संख्या	0	0

[हिन्दी]

सुरंगों का निर्माण

1637. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत देश की सबसे लम्बी रेलवे सुरंग का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेल नेटवर्क के विस्तार को सुकर बनाने के लिए देश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक रेलवे सुरंगों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला नई लाइन परियोजना के भाग के रूप में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में एक 11 किमी. लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है। सुरंग जोकि देश में सबसे लंबी है, परियोजना के काजीगुंड-बनिहाल खंड में पड़ती है जिसे मार्च, 2013 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) जी, हां। हिमालयन राज्यों, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पड़ने वाली नई लाइन, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के भाग के रूप में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और जो लगभग 300 किमी. लंबाई की रेल सुरंगें है।

[अनुवाद]

औषध निर्माण कंपनियों का बंद होना

1638. **प्रो. सौगत राय :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत सी औषध निर्माण कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी कंपनियों जो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बंद हुई हैं, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या इससे देश के आम आदमी को सस्ती औषधियां और दवाइयां उपलब्ध करवाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में इस संकट पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) विभाग द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में परियोजनाएं

1639. **श्री एस. सेम्मलई :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई रेल परियोजनाओं सहित तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उनके लिए आवंटित/खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	चालू परियोजना	शामिल किए जाने का	प्रत्याशित लागत	परिव्यय 2012-13	वर्तमान स्थिति सहित कार्य पूरा करने का लक्ष्य, जहां कहीं भी निर्धारित हो
1	2	3	4	5	6
1.	त्रिवेंद्रम-गिन्गी-तिरुवन्नामलाई (70 किमी.)	2006-07	227.40	10	भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। बड़े पुलों का कार्य शुरू कर दिए गये हैं।
2.	टिर्डीवनम-नागरी (179.2 किमी.)	2006-07	582.83	20	भूमि संबंधी, पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिये गये हैं।
3.	अत्तिपट्टू-पुतुर (88.30 किमी.)	2008-09	527	12	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि संबंधी आवश्यकताएं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं।
4.	इरोड-पलानी (91.05 किमी.)	2008-09	589.73	12	कम परिचालनिक प्राथमिकता के कारण परियोजना को रोक दिया गया है।
5.	चेन्नै-कुड्डालोर बरास्ता महाबलीपुरम (179.28 किमी.)	2008-09	800	20	चेन्नै उप-नगरीय क्षेत्र में परिचालनिक समस्याओं के कारण, महाबलीपुरम को चेंगलपट्टू के साथ लिंक करने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
6.	बेंगलुरु-सत्यामंगलम (260 किमी.)	1996-97	226.00	2	परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के कारण रूकी हुई है। छोटा वन क्षेत्र होने से बेंगलुरु/केनगेरी-चामराजनगर पर कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।
7.	मदुरै-तुतिकोरिन (143.5 किमी.)	2011-12	601.43	10	अंतिम स्थान सर्वेक्षण के लिए निविदाएं प्रदान कर दी गई हैं।
	आमान परिवर्तन				
1.	डिडींगुल-पोलाची-पालघाट एवं पोदन्नूर-कोयम्बटूर (224.88 किमी.)	2006-07	903.98	70	कोयम्बटूर-पोदन्नूर, डिडींगुल-पलानी-पोलाची-मुथलमडा खंडों पर कार्य पूरा हो गया है। मुथलमडा-पालघाट और पोलाची-किणातुक्कडवु खंडों पर कार्य मार्च, 21013 में पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	मईलादुतुरई-तिरुवरुर-कराईकुड्डी एवं तिरुतुरईपुंडी-अगस्त्यममल्ली	2007-08	1005.19	70	मईलादुतुरई-तिरुवरुर के आमान परिवर्तन और नीदामंगलम-मन्नागुड़ी नई लाइन का कार्य पूरा हो गया है। असुगम भू-भाग के कारण शेष खंड के

1	2	3	4	5	6
	(224 किमी.) सहित नीदामंगलम-मन्नारगुडी और मन्नारगुडी-पुतुकोट्टई का पुनरुद्धार				आमान परिवर्तन का कार्य अगले 4-5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है। मन्नारगुड़ी-पटुकोट्टई नई लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। तंजावुर-पटुकोट्टई नई लाइन पर कार्य इस परियोजना के भाग के रूप में स्वीकृत कर दिया गया है।
3.	मदुरै-बोदिनायकन्नूर (90.41 किमी.)	2008-09	267.66	5	बड़े पुलों का कार्य शुरू कर दिया गया है।
4.	तिरुचिरापल्ली-नागोर-कराईकल (200 किमी.) सहित नागापट्टीनम वेलनकनी-तिरुतिरईपुंडी बरास्ता तिरुकुवलई (43 किमी.) का विस्तार	1995-96	690.32	40	नागोर-कराईकल नई लाइन और नागापट्टीनम-वेलांकन्नी नई लाइन पर समस्त आमान-परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया गया है। नागापट्टीनम-तिरुतुरईपल्ली के लिए भूमि संबंधी दस्तावेजों को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है और बड़े पुलों का कार्य शुरू कर दिया गया है।
5.	कोल्लम-तिरुनेलवेली-तिरुचेन्दूर एवं तेनकासी-विरुद्धनगर (357 किमी.)	1997-98	1029.92	52	तमिलनाडु क्षेत्र में सभी कार्यों को पूरा कर दिया गया है।
	दोहरीकरण				
1.	चेन्नै बीच-कोरुक्कुपेट तीसरी लाइन (4.1 किमी.)	2003-04	85.7	7	चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के साथ भूमि का आकलन और लेन-देन प्रक्रियाधीन है।
2.	चेन्नै बीच-अटिपट्टू चौथी लाइन (22.1 किमी.)	2008-09	102.42	20	चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के साथ भूमि का आकलन और लेन-देन प्रक्रियाधीन है।
3.	मौजूदा बड़ी लाइन के साथ-साथ विद्युतीकरण (30 किमी.) द्वारा तंबरम-चेंगलपट्टू तीसरी लाइन सहित चेंगलपट्टू-विल्लुपुरम (103 किमी.)	2006-07	751.24	50	चेंगलपट्टू-ओटिवक्कम-मधुरामटकम्म-मेलमारूवथूर और विल्लुपुरम-पेरानी खंडों पर कार्य पूरा हो गया है और बचे हुए खंड को मार्च, 2013 में पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6
4.	विद्युतीकरण सहित विल्लुपुरम-डिडीगुल (273 किमी.)	2008-09	1280.83	60	कार्य को पांच चरणों में नियोजित किया जा रहा है। चरण-I के कार्य को शुरू कर दिया गया है। 50 किमी. खंड को मार्च, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
5.	तिरुवल्लुर-अरकोणम चौथी लाइन (26.83 किमी.)	2008-09	136.8	10	तिरुवलनगाडु-अरकोणम खंड पर कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष भाग के लिए भूमि संबंधी दस्तावेजों को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।
6.	अत्तिपट्ट-कोरुकुपेट्टई तीसरी लाइन (18 किमी.)	1999-2000	145.63	4	कोरुकुपेट्टई-इन्नौर पर कार्य पूरा हो गया है और शेष कार्य को मार्च, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	विद्युतीकरण सहित ओमालू-मैट्टूर डैम (29.03 किमी.)	2011-12	233.73	7	योजनाएं और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
8.	पोनमलाई से पहले एक बाइपास लाइन (1.13 किमी.) सहित तंजावूर-पोनमलाई (46.96 किमी.)	2011-12	190.1	50	योजनाएं और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

एचएमटी इकाइयों को वित्तीय सहायता

1640. **श्री के.पी. धनपालन :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में स्थित एचएमटी इकाइयों को कोई वित्तीय सहायता/पैकेज प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु आबंटित की गई निधियां जारी कर दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की एक इकाई केरल में कलमासेरी में स्थित है। भारत सरकार ने फरवरी, 2007 में कंपनी का कुल 880.80 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किया था। कंपनी ने पुनरुद्धार पैकेज से अपनी कलमासेरी इकाई, केरल को निधियां निम्नवत् आबंटित कीं:—

क्र.सं.	विवरण	राशि करोड रु.
1	2	3
1.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के पुराने कर्ज की अदायगी	37.62
2.	दीर्घ अवधि वाले कर्जों की अदायगी	1.40
3.	अन्य विविध देयताओं के निर्वहन	13.85
4.	भारत सरकार के कर्जों का इक्विटी में परिवर्तन	18.00

1	2	3
5.	भारत सरकार के कर्जों पर ब्याज माफी	7.00
6.	संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत व्यय	18.50
7.	प्रशिक्षण केन्द्र के उन्नयन, प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण	1.00
8.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए	3.85
	योग	101.22

(ग) और (घ) जी, हां, ब्यौरा निम्नवत् हैं:—

क्र. सं.	विवरण	निर्मुक्ति वर्ष	राशि करोड़ रु.
1	2	3	4
1.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के पुराने कर्ज की अदायगी	2007-08	37.62
2.	दीर्घ अवधि वाले कर्जों की अदायगी	2007-08	1.40
3.	अन्य विविध देयताओं के निर्वहन	2007-08	13.85
4.	भारत सरकार के कर्जों का इक्विटी में परिवर्तन	2007-08	18.00
5.	भारत सरकार के कर्जों पर ब्याज माफी	2007-08	7.00
6.	संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत व्यय	2007-08	5.55
		2008-09	7.40
		2009-10	4.63
		2010-11	0.92
		उप-जोड़	18.50
7.	प्रशिक्षण केन्द्र के उन्नयन, प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण	2007-08	0.30
		2008-09	0.40
		2009-10	0.20
		2010-11	0.10
		उप-जोड़	1.00

1	2	3	4
8.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए	2007-08	3.11
		2008-09	0.74
		उप-जोड़	3.85
	सकल योग		101.22

[हिन्दी]

पंजीकृत राजनीतिक दल

1641. **श्री अर्जुनराम मेघवाल : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं और कार्य कर रहे हैं और उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) पंजीकरण पत्र में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों का राजनीतिक दलों द्वारा पालन न किए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है;

(घ) क्या अभी तक पंजीकृत दलों में से किसी दल की मान्यता रद्द की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि तारीख 18.01.2013 को आयोग के पास 1444 राजनीतिक दल रजिस्ट्रीकृत हैं जिनमें से 52 मान्यताप्राप्त दल (राष्ट्रीय/राज्य) हैं और 1392 रजिस्ट्रीकृत गैर-मान्यताप्राप्त दल हैं। राजनीतिक दलों के ब्यौरे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, अर्थात् *http://eci.nic.in* पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2009 (15वीं लोक सभा) में हुए लोक सभा के अंतिम साधारण निर्वाचन में कुल 1046 में से 363 राजनीतिक दलों ने अभ्यर्थी खड़े किए थे।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन, राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित दिशा-निर्देशों के ब्यौरे, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात् *http://eci.nic.in* पर उपलब्ध है।

(ग) रजिस्ट्रीकरण समाप्त किए जाने के लिए विधि में कोई उपबंध नहीं है। किसी राजनीतिक दल के रजिस्टीकरण के समय किसी राजनीतिक दल द्वारा दिए गए वचनबंध का भंग होना, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दल के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त करने का मानदंड नहीं है।

(घ) और (ङ) राजनीतिक दलों की मान्यता और मान्यता समाप्ति, निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 16क के निर्बंधनों में तथा पैरा 6क और पैरा 6ख के अधीन यथा उपबंधित राजनीतिक दलों के मतदानों के निष्पादन पर आधारित है। भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उसने राजनीतिक दलों के मतदान के निष्पादन पर आधारित, समय-समय पर राजनीतिक दलों की मान्यता को समाप्त किया है। मान्यता समाप्ति के पश्चात्, किसी राजनीतिक दल का, राष्ट्रीय/राज्य दल होना समाप्त हो जाता है।

[अनुवाद]

भारी माल वाहक माल गाड़ियां

1642. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनन्दराव अडसुल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में माल ढुलाई यातायात में सुधार करने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए भारी माल वाहक गाड़ियां चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कौन से मार्गों की पहचान की गई है;

(ग) साधारण माल गाड़ियों की तुलना में ऐसी भारी माल वाहक गाड़ियां किस प्रकार लाभकारी हैं;

(घ) क्या भारतीय रेलवे ने देश में ऐसी मालगाड़ियों को चलाने के लिए इनको स्वदेशीय रूप से विकसित किया है अथवा वांछित प्रौद्योगिकी अधिग्रहित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल ने माल गाड़ियों के धुरा भार को 20.32 टन से बढ़ाकर 22.32 टन कर दिया है। इसके अलावा, कुछ चिह्नित मार्गों की संपूर्ण परिवहन क्षमता में वृद्धि करते हुए उन पर 25 टन धुरा भार वाली माल गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी गई है। 25 टन धुरा भरा वाली गाड़ियों को चलाने के लिए चिह्नित मार्ग निम्नलिखित हैं:—

पूर्व तट रेलवे	बांसपानी-दैतारी-जखपुरा-पारादीप
	किरंडुल-कोट्टवालसा-विशाखापट्टनम
	कोरापुट-रायगडा-विजयनगरम-विशाखापट्टनम
दक्षिण पूर्व रेलवे	नोआमुंडी-बांसपानी-टाटा
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	मरौदा-दल्लीराजहरा
दक्षिण पश्चिम रेलवे	तोरनगल्लु-रंजीतपुरा

(ग) भारी कर्षण वाली गाड़ियों को चलाने के प्रति रेलगाड़ी थ्रूपुट में सुधार लाने में मदद मिलती है। इस प्रकार, किसी खंड में अधिक संख्या में गाड़ियों को चलाने की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे अतिरिक्त माल गाड़ियों के लिए अधिक संख्या में मार्ग तैयार करने में मदद मिलती है।

(घ) और (ङ) भारतीय रेल ने 25 टन धुरा भार पर परिचालन के लिए स्वदेश में माल डिब्बों का विकास किया है। उपर्युक्त (ख) में दर्शाए गए सभी मार्गों को 25 टन धुरा भार वाली गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरोत्तर उन्नत किया गया है।

निजी क्षेत्र में पन बिजली परियोजनाएं

1643. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र को आबंटित की गई अनेक पन बिजली परियोजनाएं अभी भी शुरू नहीं हो पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उनकी अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) विद्युत उत्पादन की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतराल को पाटने के लिए देश की पन बिजली उत्पादन क्षमता का विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में दोहन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 2002 से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत 11,919 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता वाली कुल सोलह जल विद्युत परियोजनाओं को सहमति प्रदान की गई है जिनका निर्माण विभिन्न कारणों से अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि तथा जल विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए बहु-मुखी नीति अपनाई है। सरकार द्वारा किए गए कुछ नीतिगत उपायों तथा पहलों के निवेशक अनुकूल नई हाइड्रो नीति, 2008, उदार राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, पुरानी जल विद्युत उत्पादन इकाइयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार, परियोजनाओं को निर्धारित समय से पूर्व पूरा करने पर प्रोत्साहित इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

निजी क्षेत्र में सीईए द्वारा स्वीकृत सहमति प्रदान की गई परियोजनाएं एवं जिनका कार्यान्वयन अभी शुरू किया जाना है

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	के.वी.प्रा. द्वारा सहमति की तिथि	स्थिति/कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	कुटेहर	240	हिमाचल प्रदेश	मैसर्स जेएसडब्ल्यू इनर्जी प्रा.लि.	31.8.2010	चरण-II वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।
2.	बजोली होली	180	हिमाचल प्रदेश	मैसर्स जीएमआर बाजोलीहोली एचपीपीएल	20.12.2011	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।
3.	अलकनंदा	300	उत्तराखंड	मैसर्स जीएमआर इनर्जी लि.	08.8.2008	चरण-II वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।
4.	जालापुट डैम टो	18	ओडिशा	मैसर्स ओपीसीएल	31.01.2003	आंध्र सरकार ने परियोजना को एपीजेनको कंपनी को सौंपने का निर्णय लिया है। ओडिशा सरकार से सहमति प्राप्त नहीं हुई है।
5.	पानन	300	सिक्किम	मैसर्स हिमगिरी हाइड्रो इनर्जी प्रा.लि.	07.3.2011	वित्तीय व्यवस्था प्रक्रियाधीन है। बोली का मूल्यांकन अंतिम चरण पर है। वित्तीय बंदी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
6.	डिब्बिन	120	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर प्रा.लि.	04.12.2009	चरण-II वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।
7.	देमवे लोअर	1750	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स अथेना देमवे पावर प्रा.लि.	20.11.2009	चरण-II वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।
8.	लोअर सियांग	2700	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स जय प्रकाश अरुणाचल पावर लि.	16.02.2010	चरण-II वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।
9.	नियामजांगछु	780	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स एनजेसी हाइड्रो पावर लि.	24.3.2011	चरण-II वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

1	2	3	4	5	6	7
10.	नाफरा	120	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स एसईडब्ल्यू नाफरा पावर कॉर्पोरेशन प्रा.लि.	11.02.2011	चरण-II वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।
11.	टैटो-II	700	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स टाटो हाइड्रो पावर प्रा.लि.	22.5.2011	वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ।
12.	गोंगरी	144	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स दिरांग इनर्जी प्रा.लि.	04.02.2013	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ।
13.	मियार	120	हिमाचल प्रदेश	मैसर्स एमएचपीसीएल	07.2.2013	चरण-II वन स्वीकृति प्राप्त नहीं होना है।
14.	हिरोंग	500	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स जेपी अरुणाचल पावर लि.	26.11.2012 (*)	(*) सहमति बैठक हुई पत्र जारी किया जाना है।
15.	इटालिन	3097	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स इटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पवार कॉर्पोरेशन लि.	31.3.2013 (*)	(*) सहमति बैठक हुई पत्र जारी किया जाना है।
16.	रैटल	850	जम्मू और कश्मीर	मैसर्स जीवीके रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा.लि.	19.12.2012	पर्यावरण एवं वन स्वीकृत प्राप्त नहीं हुई।
	कुल	11919				

सिद्धपुर रेलवे स्टेशन

1644. **श्री जगदीश ठाकोर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार गुजरात के पाटन जिले में सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर कम्प्युटरीकृत रेलवे बुकिंग प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक शुरू हो जाएगी;

(ग) क्या रेलवे को सिद्धपुर रेलवे स्टेशन के निकट ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसका निर्माण कब तक होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) 19.11.2010 से सिद्धपुर स्टेशन पर अनारक्षित प्रणाली-कम-पैसेंजर आरक्षण प्रणाली (यूटीएस-कम-पीआरएस) को चालू कर दिया गया है और 2.4.2009 से सिद्धपुर डाकघर पर यात्री आरक्षण प्रणाली को मुहैया कराया गया है।

(ग) और (घ) रेलवे द्वारा सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी/निचले पुलों के निर्माण के लिए दो अनुरोध प्राप्त किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:—

1. स्टेशन के दोनों ओर रहने वाले नागरिकों द्वारा स्टेशन को पार करने के लिए सिद्धपुर रेलवे स्टेशन के मौजूदा पैदल पार पुल (जोकि प्लेटफार्म संख्या 1 को आइसलैंड प्लेटफार्म से जोड़ता हैं का विस्तार। प्राप्त अनुरोध/मांग की मंडल पर स्तर पर जांच की जा रही है। विस्तार करने की संभाव्यता है।

2. बस स्टेशन सिद्धपुर में निचले सड़क पुल: चूंकि प्रस्तावित स्थान पर कोई समपार मौजूद नहीं है, निचले सड़क पुल का निर्माण केवल निक्षेप शर्तों पर वही किया जा सकता है जहां निर्माण और अनुरक्षण की संपूर्ण लागत को राज्य सरकार/सिद्धपुर नगरपालिका द्वारा वहन किया जाना है। रेलवे ने उपरोक्त प्रस्ताव को प्रायोजित करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क किया है। राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

लक्षद्वीप में एमपीएलएडीएस हेतु आंकड़े

1645. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप के संबंध में एमपीएलएडीएस योजना के संबंधित आंकड़े नियमित रूप से वेबसाइट पर अद्तन नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 15वीं लोक सभा के दौरान इस संघ राज्य क्षेत्र में एमपीएलएडीएस के माध्यम से खर्च की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) पूरी हो चुकी और लंबित परियोजनाओं की संख्या क्या है और बिना खर्च शेष निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि लक्षद्वीप में एमपीएलएडीएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी विलंब हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना की प्रगति से संबंधित आंकड़े संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर सतत् रूप से अपलोड किए जाते हैं। जैसाकि लक्षद्वीप जिला प्राधिकारण द्वारा दिनांक 02.03.2013 को सूचित किया गया है, एमपीलैड योजना से संबंधित आंकड़े वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्तन किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जैसाकि लक्षद्वीप जिला प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02.03.2013 को सूचित किया गया है, 15वीं लोक सभा के दौरान

एमपीलैड योजना के अंतर्गत व्यय की गई कुल राशि 12,41,83,653/- रु. है। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	वर्ष	व्यय की गई राशि (रुपए)
1.	2009-10	121,90,208
2.	2010-11	337,77,766
3.	2011-12	319,10,261
4.	2012-13	463,05,418

पूरी की गई, लंबित तथा छोड़ी गई परियोजनाओं तथा व्यय न गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ङ) से (च) दिनांक 02.03.2013 को लक्षद्वीप जिला प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लक्षद्वीप में एमपीलैड परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई विशेष विलंब नहीं हुआ है। तथापि, मुख्य भू-भाग से पृथक स्थित होने, पड़ोसी राज्यों से सामग्री की अनियमित आपूर्ति, सिविल निर्माण हेतु सामग्री की नौका द्वारा ढुलाई तथा भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित होता है।

विवरण

संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में 15वीं लोक सभा के दौरान पूर्ण की गई, लंबित तथा छोड़ दी गई एमपीएलएडीएस परियोजनाओं एवं व्यय न की गई निधियों का ब्यौरा

1. पूर्ण की गई परियोजनाएं:

(i) एनड्रॉट/मिनिकॉय/अमिनी को अल्टासाउण्ड मशीनों की आपूर्ति

(ii) सीएचसी, अमिनी में डीफाइब्रीलेटर, स्टील की कुर्सियां तथा डिजी सैट

(iii) जेएनवी, मिनीकॉय को मारूति वैन

(iv) सीएचसी एनड्रॉट को आईसीयू उपस्करों की आपूर्ति

(v) आईटीलैब, जीएसएसएस, कल्पेनी

(vi) चैतलात में पूर्वदिशा की ओर से चिह्नित बिन्दु के परिसर से सीसी रोड तक

(vii) सरकारी अस्पताल, मिनीकॉय में आईसीयू संबंधी उपस्करों की आपूर्ति

(viii) भाषा प्रयोगशाला, सीयूसी कावारती

(ix) मनोविज्ञान लैब डीआईईटी, कावारती

(x) सीएचसी एएमएन में रोगियों और सहयोगियों के लिए पारगमन आवास

2. लंबित परियोजनाएं:

(i) अमिनी इन्डोर स्टेडियम का निर्माण

(ii) बित्रा में डिजी सैट

(iii) सरकारी एसएसएस, अमिनी का पुनर्निर्माण

(iv) सरकारी एसबीएस कालपेनी का पुनर्निर्माण

(v) पीएचसी कालपेनी का पुनर्निर्माण

(vi) कम्प्यूटर लैब जीएसएसएस, मिनीकॉय

(vii) काइमाट में पैविलियन सहित स्टेडियम

(viii) पीएचसी किल्टन के लिए डिजी सैट 25 केबीए तथा एक एम्बुलेंस

(ix) आजीएच, कावारती में रोगियों तथा सहयोगियों के लिए पारगमन आवास का निर्माण

(x) सीटीस्कैन सेंटर, आरजीएसएच, अगाती

(xi) एनड्रों में 50 कक्षों वाला वृद्ध आश्रम

(xii) एम्बुलेंस वैन जेएनएसएसएस, कामडाट

(xiii) श्री अब्दुल राशीद पीपी, काल्पेनी को एक मोटर ट्राई साईकिल

(xiv) मल्टीमिडिया क्लास रूम, सीयूसी काडमाट

(xv) कम्प्यूटर लूब, सीयूसी, काडमाट

(xvi) एसबीएस पन्डाथ एन्ड्रॉट में आईटी लैब

(xvii) एसबीएस केचेरी, एन्ड्रॉट तक सीसी रोड मुलाकुन्नु रोड

3. छोड़ दी गई परियोजनाएं:

(i) केन्द्रीय विद्यालय, कावारती को मारुति वैन
चलाने में उनकी असमर्थता के बारे में सूचित कर दिया गया था।

(ii) स्वराज माजदा, मिनीकॉय
एमपीएलएडीएस के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।

(iii) जेनरेटर 15 केडब्ल्यूए, बॉयलर इत्यादि, जेएनवी
एमपीएलएडीएस के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।

4. व्यय न की गई निधियां:
(फरवरी, 2013 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार)

उपलब्ध निधियों की राशि*
1457.86 लाख रु.

उपयोग की गई निधियों की राशि
1241.83 लाख रु.

व्यय न की गई निधियों की राशि
216.03 लाख रु.
[उपलब्ध निधियां (-) उपयोग की गई निधियां]

*15वीं लोक सभा के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निधियां (900.00 लाख रु.) + 14वीं लोक सभा से प्रयोग न की गई निधियां (514.37 लाख रु.) + निधियों पर अर्जित ब्याज (43.49 लाख रु.)।

विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब

1646. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बहुत-सी विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत, उत्पादन क्षमता और चरण-वार पूर्ण होने, प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन में विलंब के परिणामस्वरूप लागत में बढ़ोत्तरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी निर्माणाधीन और नई परियोजनाओं को समय पर चालू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में परियोजना-वार लागत वृद्धि का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है।

सरकार द्वारा लागत वृद्धि रोकने और विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से चालू किए जाने में तीव्रता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ जल विद्युत विकास से संबंधित सभी मामलों, जिसमें परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन मामले शामिल हैं, की जांच करने के लिए जलविद्युत परियोजना विकास पर कार्यबल का गठन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलविद्युत विकास का मार्गदर्शन करने और इसमें तेजी लाने के लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार करने के लिए अंतर्मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन, परियोजनाओं को कार्यान्वयन समय पर सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रो/थर्मल परियोजनाओं का स्वतंत्र रूप से अनुपालन करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना मॉनीटरिंग पैनल का गठन और माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में विद्युत क्षेत्र से संबंधित आवधिक मामलों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने तथा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार का सुझाव देने के लिए सलाहकार समूह का गठन करना शामिल है।

विवरण-I

निर्धारित कार्यक्रम में शुरू होने वाली निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के पिछड़ने के कारण सहित ब्यौरा

राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	क्षमता (मेवा)	वास्तविक शुरुआती	चालू किए जाने का प्रत्याशित कार्यक्रम	वास्तविक लागत (करोड़ रु.)	अद्यतन लागत (करोड़ रु.)	लागत आधिक्य (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
केन्द्रीय क्षेत्र								
असम	बोगईगांव टीपीपी	यू-1	250	जनवरी-11	जून-14	4375.35	4375.35	0
		यू-2	250	मई-11	मई-15			
		यू-3	250	सितंबर-11	अक्तूबर-15			
बिहार	बारह एसटीपीपी-1	यू-1	660	अक्तूबर-13	जून-15	8693	8693	0
		यू-2	660	अप्रैल-14	अप्रैल-10			
		यू-3	660	अक्तूबर-14	फरवरी-17			
बिहार	बारह एसटीपीपी-2	यू-4	660	दिसम्बर-12	अक्तूबर-13	7341.04	7341.04	
		यू-5	660	अक्तूबर-13	सितंबर-14			
बिहार	मुजफ्फपुर टीपीपी एक्स. (कांती टीपीपी चरण-II)	यू-3	195	अक्तूबर-12	जून-14	3154.33	3154.33	0
		यू-4	195	जनवरी-13	सितंबर-14			
बिहार	नबी नगर टीपीपी	यू-1	250	मई-13	जुलाई-14	5352.51	5352.51	
		यू-2	250	सितंबर-13	जनवरी-15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		यू-3	250	जनवरी-14	जुलाई-15			
		यू-4	250	मई-14	जनवरी-16			
झारखंड	बोकारो तीपीएस "क" एक्स	यू-1	500	दिसंबर-11	अगस्त-14	2313	3552.18	1239.18
महाराष्ट्र	मौडा टीपीपी	यू-2	500	अक्तूबर-12	मार्च-13	5459.28 (2 यूनिट)	6010.89 (2 यूनिट)	551.61
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी-IV	यू-12	500	दिसंबर-12	मार्च-13	5915 (2 यूनिट)	5915 (2 यूनिट)	0
तमिलनाडु	नेवली टीपीएस-II एक्स.	यू-2	250	जून-09	मार्च-14	2030.78 (2 यूनिट)	3027.59 (2 यूनिट)	996.81
तमिलनाडु	तूतीकोरिन सं.उ. टीपीपी	यू-1	500	मार्च-12	दिसंबर-13	4909.54	6478.92	0
		यू-2	500	अगस्त-12	मार्च-14			
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी चरण-II	यू-3	500	दिसंबर-12	सितंबर-13	3086.78	3086.78	0
त्रिपुरा	मानार्चक सीसीपीपी	जीटी+एसटी	101	जुलाई-13	मई-14	623.44	623.44	0
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	मोड्यूल-1	363.3	दिसंबर-11	03.01.13	3429	3429	
		मोड्यूल-2	363.3	मार्च-12	जुलाई-13			
उत्तर प्रदेश	रिहन्द टीपीएस-III	यू-6	500	दिसंबर-12	नवंबर-13	6230.81 (2 यूनिट)	6230.81 (2 यूनिट)	0
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, चरण-I	यू-1	600	फरवरी-11	जुलाई-13	4122	6745	2623
		यू-2	600	मई-11	अप्रैल-14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैह टीपीपी	यू-1	800	जुलाई-12	मई-14	8432	8654	222
		यू-2	800	जनवरी-13	नवंबर-14			
आंध्र प्रदेश	काकातिया टीपीपी एक्स	यू-1	600	जुलाई-12	मई-14	2968.64	3466	497.36
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा चरण-III	यू-6	600	जुलाई-14	दिसंबर-15	3028.86	3525	496.14
असम	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	70	सितंबर-11	सितंबर-13	411	693.73	282.73
		एसटी	30	जनवरी-12	दिसंबर-13			
छत्तीसगढ़	कोरबा पश्चिम चरण-III	यू-5	500	मई-12	मार्च-13	2309.34	3156	846.66
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	यू-1	500	मई-12	जून-13	4735	6318	1583
		यू-2	500	जुलाई-12	अक्तूबर-13			
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	यू-4	250	सितंबर-10	अप्रैल-13	5195.81 (4 जीटी+ 2 एसटी)	5195.81 (4 जीटी+ 3 एसटी)	0
		एसटी-2	250	नवंबर-10	जुलाई-13			
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	ब्लॉक-1	351	सितंबर-10	जुलाई-13	2354.29	4296	1941.71
		ब्लॉक-2	351	नवंबर-10	मार्च-13			
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटेंशन	यू-3	250	अक्तूबर-13	नवंबर-13	2004	2356	352
		यू-4	250	जनवरी-14	फरवरी-14			
गुजरात	उकई टीपीपी एक्सटेंशन	यू-6	500	जनवरी-11	मार्च-13	1950	2135	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-1	250	अक्तूबर-13	अक्तूबर-14	3742.08	3742.08	0
		यू-2	250	दिसंबर-13	फरवरी-15			
महाराष्ट्र	चन्द्रापुर टीपीएस	यू-8	500	जून-12	सितंबर-13	5500	5500	0
		यू-9	500	सितंबर-12	दिसंबर-13			
महाराष्ट्र	कोरडी टीपीपी एक्सटेंशन	यू-8	660	दिसंबर-13	मई-14	11880	11880	0
		यू-9	660	जून-14	अक्तूबर-14			
		यू-10	660	दिसंबर-14	मार्च-15			
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी एक्सटेंशन	यू-8	250	जनवरी-12	दिसंबर-13	1375	1696.24	321.24
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी टीपीपी)	यू-1	600	जून-12	जून-13	4053	6750	2697
		यू-2	600	अक्तूबर-12	दिसंबर-13			
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा तीपीपी एक्सटेंशन	यू-10	250	फरवरी-12	मार्च-13	2350	3032.34	682.34
		यू-11	250	अप्रैल-12	जुलाई-13			
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटेशन	यू-3	250	मई-11	मई-13	2200	2200	0
		यू-4	250	जुलाई-11	सितंबर-13			
राजस्थान	कालीसिंध टीपीएस	यू-1	600	अगस्त-11	अगस्त-13	4600	5500	900
		यू-2	600	मार्च-12	दिसंबर-13			
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्स-III	जीटी	110	मई-11	मार्च-13	640	640	0
		एसटी	50	अक्तूबर-11	अगस्त-13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु	उत्तरी चेन्नई टीपीपी एक्स	यू-1	600	अप्रैल-11	जुलाई-13	3398	3552	154
		यू-2	600	नवंबर-11	मार्च-13	2718.75	2813.58	94.83
उत्तर प्रदेश	अनपरा डी	यू-6	500	मार्च-11	फरवरी-14	5358.79	5358.79	0
		यू-7	500	जून-11	जून-14			
उत्तर प्रदेश	परीच्छा एक्सटेंशन	यू-6	250	नवंबर-09	मार्च-13	1900 (2 यूनिट)	2356 (2 यूनिट)	456
	निजी क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	भावनपडु टीपीपी	यू-1	660	अक्तूबर-13	अक्तूबर-15	6571.94	6571.94	0
		यू-2	660	मार्च-14	मार्च-16			
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	यू-1	660	मार्च-15	मार्च-16	7046	7046	0
		यू-2	660	जून-15	सितंबर-16			
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	यू-1	660	मई-14	सितंबर-14	6869	6869	0
		यू-2	660	अगस्तर-14	दिसंबर-14			
आंध्र प्रदेश	सीम्हापुरी एनर्जी प्रा.लि. चरण-II	यू-3	150	दिसंबर-11	जून-13	1605.9	1605.9	0
		यू-4	150	फरवरी-12	सितंबर-15			
आंध्र प्रदेश	थम्मीनापटनम टीपीपी-I	यू-2	150	नवंबर-11	मार्च-13	1420 (2 यूनिट)	1428 (2 यूनिट)	8
आंध्र प्रदेश	थम्मीनापटनम टीपीपी-II	यू-3	350	मई-12	अक्तूबर-14	3120	3700	580
		यू-4	350	अगस्त-12	जनवरी-14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	वाइजैग टीपीपी	यू-1	520	जून-13	फरवरी-14	5545	5545	0
		यू-2	520	सितंबर-13	जून-14			
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नईयारा) टीपीपी	यू-1	600	अप्रैल-12	जून-13	16190 (6 यूनिट की लागत)	16190 (6 यूनिट की लागत)	0
		यू-2	600	अगस्त-12	अक्तूबर-13			
		यू-3	600	दिसंबर-12	जून-14			
		यू-4	600	अप्रैल-13	अगस्त-14			
छत्तीसगढ़	अवंथा भंदर टीपीएस, यू-1	यू-1	600	जुलाई-12	सितंबर-13	2872	3850	978
छत्तीसगढ़	बाराडारा टीपीपी (डीबी पावर टीपीपी)	यू-1	600	मार्च-13	अगस्त-13	6533	6640	107
		यू-2	600	जुलाई-13	जनवरी-14			
छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी	यू-1	300	फरवरी-11	मार्च-14	4650 (4 यूनिट की लागत)	4650 (4 यूनिट की लागत)	0
		यू-2	300	नवंबर-10	जनवरी-14			
छत्तीसगढ़	बंदकहार टीपीपी	यू-1	300	दिसंबर-12	अगस्त-14	1456	1456	0
छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-1	300	अगस्त-14	सितंबर-14	5058	6848.1	1790.1
		यू-2	300	नवंबर-14	दिसंबर-14			
		यू-3	300	फरवरी-14	मार्च-15			
		यू-4	300	मई-14	जून-15			
छत्तीसगढ़	लेंको अमरकंटक टीपीएस-II	यू-3	660	जनवरी-13	मई-14	6886	7700	814
		यू-4	660	मार्च-13	सितंबर-14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	राइखेड़ा टीपीपी	यू-1	685	सितंबर-13	मई-14	8290	8290	0
		यू-2	685	जनवरी-14	नवंबर-14			
छत्तीसगढ़	सिंहितारई टीपीपी	यू-1	600	जून-14	फरवरी-15	4650	6200	1550
		यू-2	600	सितंबर-14	मई-15			
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	यू-1	25	जून-12	मई-13	136	142	6
छत्तीसगढ़	तामनर टीपीपी (ओ.पी. जिंदल)	यू-1	600	जनवरी-14	फरवरी-14	12800 (4 यूनिट)	12800 (4 यूनिट)	0
		यू-2	600	अप्रैल-14	जून-14			
		यू-3	600	सितंबर-14	मार्च-15			
		यू-4	600	नवंबर-14	अक्तूबर-15			
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	यू-1	300	दिसंबर-13	अगस्त-14	2844	2844	0
		यू-2	300	अप्रैल-14	दिसंबर-14			
छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	यू-1	360	मई-12	अक्तूबर-13	6653.61	6653.61	0
		यू-2	360	नवंबर-12	जनवरी-14			
		यू-3	360	फरवरी-13	अप्रैल-14			
		यू-4	360	जुलाई-13	जुलाई-14			
छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत टीपीपी-छत्तीसगढ़	यू-1	135	जुलाई-11	मार्च-13	1458.44	1458.44	0
		यू-2	135	सितंबर-11	अगस्त-13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	महादेव प्रसाद एसटीपीपी चरण-I	यू-2	270	मार्च-12	जुलाई-13	3151 (2 यूनिट)	3151 (2 यूनिट)	0
झारखंड	मैत्रिसी उषा टीपीपी चरण-I	यू-1	270	मई-12	जुलाई-13	2900	2900	0
		यू-2	270	जून-12	नवंबर-13			
झारखंड	मैत्रिसी उषा टीपीपी चरण-II	यू-3	270	फरवरी-13	जनवरी-14	3182	3182	
		यू-4	270	मार्च-13	मार्च-14			
झारखंड	तोरि टीपीपी	यू-1	600	जून-13	अप्रैल-15	5700	5700	0
		यू-2	600	जून-14	अगस्त-15			
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी चरण-I	यू-1	270	दिसंबर-11	मार्च-13	6889	6889	0
		यू-2	270	दिसंबर-11	जून-13			
		यू-3	270	जनवरी-12	सितंबर-13			
		यू-4	270	फरवरी-12	दिसंबर-13			
		यू-5	270	मार्च-12	मार्च-14			
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी चरण-II	यू-1	270	जुलाई-14	*	6646	6646	0
		यू-2	270	सितंबर-14	*			
		यू-3	270	नवंबर-14	*			
		यू-4	270	जनवरी-15	*			
		यू-5	270	मार्च-15	*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-I	यू-1	270	दिसंबर-11	मार्च-13	1477	1768	291
महाराष्ट्र	धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	यू-1	300	फरवरी-12	अप्रैल-13	2850	2878	28
		यू-2	300	मई-12	अगस्त-13			
महाराष्ट्र	एमको वारोरा टीपीपी	यू-2	300	अप्रैल-12	जून-13	3480	3480	0
महाराष्ट्र	लेंको विदर्भ टीपीपी	यू-1	660	जनवरी-14	सितंबर-14	6936	6936	0
		यू-2	660	मार्च-14	जनवरी-15			
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी चरण-I	यू-1	270	फरवरी-12	मई-13	6789	6789	0
		यू-2	270	अप्रैल-12	अगस्त-13			
		यू-3	270	जून-12	नवंबर-14			
		यू-4	270	अगस्त-12	जनवरी-15			
		यू-5	270	अप्रैल-12	मार्च-15			
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी चरण-II	यू-1	270	अप्रैल-13	*	6789	6789	0
		यू-2	270	जून-13	*			
		यू-3	270	अगस्त-13	*			
		यू-4	270	अक्तूबर-13	*			
		यू-5	270	दिसंबर-13	*			
महाराष्ट्र	तीरोरा टीपीपी चरण-I	यू-2	660	जुलाई-11	मार्च-13	6560 (2 यूनिट)	7309 (2 यूनिट)	749

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	तीरोरा टीपीपी चरण-II	यू-1	660	अक्तूबर-11	अप्रैल-13	8993	9635	642
		यू-2	660	जुलाई-12	अगस्त-13			
		यू-3	660	अक्तूबर-12	नवंबर-13			
मध्य प्रदेश	अनूपुर टीपीपी चरण-I	यू-1	600	अप्रैल-13	जुलाई-13	6240	6240	0
		यू-2	600	अगस्त-13	फरवरी-15			
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	यू-2	250	नवंबर-11	मार्च-13	2750 (2 यूनिट)	2750 (2 यूनिट)	0
मध्य प्रदेश	गॉर्गी टीपीपी (डी.बी. पावर)	यू-1	660	जून-13	जून-16	6640 (2 यूनिट)	6640 (2 यूनिट)	0
मध्य प्रदेश	माहन टीपीपी	यू-2	600	सितंबर-11	मई-13	4860 (2 यूनिट)	4860 (2 यूनिट)	0
मध्य प्रदेश	निगरी टीपीपी	यू-1	660	जून-13	मार्च-14	8100	8100	0
		यू-2	660	दिसंबर-13	जून-14			
मध्य प्रदेश	सियोनी टीपीपी चरण-I	यू-1	600	मार्च-13	जनवरी-14	2910	2910	0
ओडिशा	दिरंग टीपीपी	यू-1	600	मार्च-12	नवंबर-13	5961	5961	0
		यू-2	600	जून-12	फरवरी-14			
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	यू-1	350	सितंबर-11	सितंबर-13	3185	3185	0
		यू-2	350	दिसंबर-11	दिसंबर-13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओडिशा	कामालंगा टीपीपी	यू-1	350	नवंबर-11	मार्च-13	4540	5268	728
		यू-2	350	दिसंबर-11	जून-13			
		यू-3	350	फरवरी-12	सितंबर-13			
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	दिसंबर-11	जनवरी-14	4990	4990	0
		यू-2	350	जनवरी-12	अगस्त-15			
		यू-3	350	मार्च-12	अक्तूबर-15			
ओडिशा	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-13	मार्च-14	6930	6930	0
		यू-2	660	अगस्त-13	जुलाई-14			
ओडिशा	मालीब्राह्मनी टीपीपी (मोनेट इस्पात)	यू-1	525	दिसंबर-12	मई-14	5093 (2 यूनिट)	5093 (2 यूनिट)	0
पंजाब	तलबंडी साबो टीपीपी	यू-1	660	अक्तूबर-12	दिसंबर-13	10250	10250	0
		यू-2	660	जनवरी-13	अप्रैल-14			
		यू-3	660	मई-13	जुलाई-14			
राजस्थान	जलिपा कपूरडी टीपीपी	यू-6	135	अगस्त-10	**	5075	6085	1010
		यू-7	135	सितंबर-10	**			
		यू-8	135	मार्च-11	**			
राजस्थान	कवाई टीपीपी	यू-1	660	दिसंबर-12	मार्च-13	7020	7020	0
		यू-2	660	मार्च-13	जून-13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज टीपीपी	यू-1	660	फरवरी-14	जुलाई-14	11622.3	11622.3	0
		यू-2	660	जुलाई-14	नवंबर-14			
		यू-3	660	दिसंबर-14	मार्च-15			
तमिलनाडु	मेलामरूथर टीपीपी	यू-1	600	फरवरी-12	जुलाई-13	4800	5158	358
		यू-2	600	मार्च-12	सितंबर-13			
तमिलनाडु	तुतिकोरिन टीपीपी (इंड – बारथ टीपीपी)	यू-1	660	मई-12	मार्च-16	3595	3595	0

*कार्यस्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। स्थल पर कार्य पुनः शुरू होने के पश्चात् चालू होने की तिथि निर्धारित की जाएगी।

**जालिपा खदानों के विकास में देरी के कारण चालू किए जाने की तिथि का निर्धारण जालिपा खदानों के विकास के बाद अथवा विद्यमान खदानों से उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मिलने के बाद किया जाएगा।

विवरण-II

समय/लागत आधिक्य वाली जल विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम, क्षमता	संभावित कमीशनिंग कार्यक्रम		परियोजना लागत, करोड़ रुपये मूल्य स्तर		लागत आधिक्य करोड़ रुपये
		आरंभिक महीना/वर्ष	अद्यतन महीना/वर्ष	आरंभिक	अद्यतन	
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र						
1.	कोल बांध (4×200 एमडब्ल्यू) हिमाचल प्रदेश	अप्रैल-09 2008-10	2014-15	4527.15 (12/01)	6358.91 (12/01)	1831.76
2.	तपोवन विष्णुगढ़ (4×130 एमडब्ल्यू) उत्तराखंड	मार्च-13 2012-13	2015-16	2978.48	2978.48	शून्य
3.	पारे (2×55 एमडब्ल्यू) अरुणाचल प्रदेश	अगस्त-12 2012-13	2014-15	573.99 (06/07)	573.99 (06/07)	शून्य
4.	तुरियल (2×30 एमडब्ल्यू) मिजोरम	जुलाई-06 2006-07	2016-17	368.72 (06/97)	913.63 (03/10)	544.91
5.	कमेंग (4×150 एमडब्ल्यू) अरुणाचल प्रदेश	दिसंबर-09 2009-10	2016-17	2496.90 (03/04)	5139.00	2643.90
6.	टिहरी पीएसएस (4×250 एमडब्ल्यू) उत्तराखंड	जुलाई-10 2010-11	2017-18	1657.60 (12/05)	2978.86 (04/10)	1321.26
7.	रामपुर (6×68.67 एमडब्ल्यू) हिमाचल प्रदेश	जनवरी-12 2011-12	2013-15	2047.03	2047.03	शून्य
8.	पार्वती-III (4×33 एमडब्ल्यू) हिमाचल प्रदेश	नवंबर-10 2010-11	2012-14	2304.56 (05/05)	2716.00	411.44

1	2	3	4	5	6	7
9.	निमौ बेजेगो (3×15 एमडब्ल्यू) जम्मू और कश्मीर	अगस्त-10 2010-11	2013-14	611.01 (12/2005)	936.10 (अनुमानित)	325.09
10.	तीस्ता लो डैम-III (4×33 एमडब्ल्यू) पश्चिम बंगाल	मार्च-07 2006-07	2012-14	768.92 (12/02)	1628 (अनुमानित)	859.08
11.	तीस्ता लो डैम-आईवी (4×40 एमडब्ल्यू) पश्चिम बंगाल	सितंबर-09 2009-10	2014-15	1061.38 (03/05)	1502.0	440..62
12.	पार्वती-II (4×200 एमडब्ल्यू) हिमाचल प्रदेश	सितंबर-09 2009-10	2016-17	3919.59 (12/01)	5366 (अनुमानित)	1446.41
13.	सूबनसिरी लोअर (3×15 एमडब्ल्यू) अरुणाचल प्रदेश/असम	सितंबर-10 2010-11	2016-18	6285.33 (12/02)	10667 (आकस्मिक)	4381.67
14.	उरई-II (4×60 एमडब्ल्यू) जम्मू और कश्मीर	नवंबर-09 2009-10	2012-13	1724.79 (02/05)	2081 (अनुमानित)	356.21
15.	किशनगंगा (3×110 एमडब्ल्यू) जम्मू और कश्मीर	जनवरी-16 2015-16	2016-17	3642.04 (11/07)	3642.04 (11/07)	शून्य
राज्य क्षेत्र						
	जम्मू और कश्मीर					
16.	बगलिहर-II (3×150 एमडब्ल्यू)	2014-15	2016-17	2113.09	2113.09	शून्य
	हिमाचल प्रदेश					
17.	कसांग-I (1×65 एमडब्ल्यू)	2013-14	2014-15	1078.00	1078.00	शून्य
18.	कसांग-II और III (1×65 + 1×65 एमडब्ल्यू)	2013-14	2015-16			

1	2	3	4	5	6	7
19.	यूएचएल-III (3×33.33 एमडब्ल्यू)	मार्च-07 2006-07	2014-15	431.56 (09/02)	940.84 (03/08)	509.28
20.	सौरा कुड्डु (3×37 एमडब्ल्यू)	दिसंबर-10 2010-11	2014-15	558.53	1181.90 (03/12)	623.37
21.	सैंज (100 एमडब्ल्यू)	2013-14	2014-15	725.24	725.24	शून्य
	आंध्र प्रदेश					
22.	लोअर जुराला (6×40 एमडब्ल्यू)	2011-12	2014-16	908.34 (2007)	1474.83	566.49
23.	पुलिचिंताला (4×30 एमडब्ल्यू)	2011-12	2015-17	380.00 (2006-07)	396.00	16.00
24.	नागार्जुन सागर तैल पूल बांध (2×25 एमडब्ल्यू)	नवंबर-08 2008-09	2014-15	464.63 (2002-03)	958.67	494.04
	तमिलनाडु					
25.	भवानी कट्टालई एच.ई. प्रोजेक्ट बारेज-II (2×15 एमडब्ल्यू)	मार्च-06 2005-06	2012-13	99.15 (95-96)	497.46	301.44
26.	भवानी कट्टालई एच.ई. प्रोजेक्ट बारेज-III (2×15 एमडब्ल्यू)	मार्च-06 2005-06	2012-14	99.75 (99-00)	442.73	342.98
	केरल					
27.	पाल्लीवासल (2×30 एमडब्ल्यू)	अक्तूबर-10 2010-11	2014-15	222.00 (1999)	268.02	46.02
28.	थोटियर (1×30 + 1×10 एमडब्ल्यू)	2012-13	2015-16	136.79 (2007)	144.58	5.7
	मेघालय					
29.	न्यू उम्तरू (2×20 एमडब्ल्यू)	2011-12	2014-15	226.40	226.40	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
30.	मांटडू (2×42 एमडब्ल्यू) + (1×42 एमडब्ल्यू)	2006-07	2011-13	363.08 (01/99) आईडीसी और शामिल	1173.13 (2010) आईडीसी और शामिल	810.05
निजी क्षेत्र						
	हिमाचल प्रदेश					
31.	तिडोंग-I (2×50 एमडब्ल्यू)	2013-14	2015-16	543.15	543.15	शून्य
32.	तांगनु रोमाई-I (2×22 एमडब्ल्यू)	2014-15	2015-16	255.00	255..0	शून्य
33.	सोरंग (2×50 एमडब्ल्यू)	2012-13	2013-14	586.00	586.00	शून्य
	उत्तराखंड					
34.	श्रीनगर (4×82.5 एमडब्ल्यू)	2005-06	2013-15	1699.12 (3/99)	2069.00	369.88
35.	सिंगोली भाट-टॉवरी (3×33 एमडब्ल्यू)	2014-15	2015-16	666.47	666.47	शून्य
	मध्य प्रदेश					
36.	माहेश्वर (10×40 एमडब्ल्यू)	2001-02	2013-15	1569.27 (96-97)	2760.00 (2010)	1190.73
	सिक्किम					
37.	चुजेचेन (2×49.5 एमडब्ल्यू)	सितंबर-09 2009-10	2013-14	448.76 (2004)	1044.50	595.74
38.	तीस्ता स्टेज-III (6×200 एमडब्ल्यू)	अक्तूबर-11 2011-12	2014-15	5705.55	5705.55	शून्य
39.	तीस्ता स्टेज-VI (4×125 एमडब्ल्यू)	2012-13	2015-16	3283.08	3283.08	शून्य
40.	रंजित-IV एचई प्रोजेक्ट (3×40 एमडब्ल्यू)	2012-13	2014-15	726.16	726.16	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
41.	जोरन्थंग लूप (2×28 एमडब्ल्यू)	दिसम्बर-12 2012-13	2014-15	543.15	543.15	शून्य
42.	भामसे (2×25.5 एमडब्ल्यू)	2012-13	2015-16	408.50	408.50	शून्य

एसडब्ल्यूबीएस के रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन

1647. **श्रीमती अन्नु टन्डन : क्या अल्पसंख्यक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राज्य वक्फ बोर्डों के रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटाइजेशन के कार्य को करने में सक्षम संगत कंपनियों की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) जी, हां, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय "राज्य वक्फ बोर्डों के लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण" नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में विलेखों, कानूनी दस्तावेजों और अन्य संगत अभिलेखों, जो वक्फ सम्पदाओं और वक्फ संपत्तियों का मालिकाना अधिकार स्थापित करते हैं, के डिजिटाइजेशन के लिए एक घटक है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों के डिजिटाइजेशन कार्य की नवीनतम स्थिति/प्रगति संलग्न विवरण पर दी गयी है।

(ग) और (घ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय आसूचना केंद्र सेवाएं इंक (एनआईसीएसआई) को राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (एनआईसी) की निगरानी में सूचना प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन हेतु निधियां उपलब्ध कार्रवाई है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों द्वारा प्री-डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक वक्फ संपत्ति के डिजिटाईजेशन का कार्य करने से पूर्व दस्तावेजों की पहचान और उनको व्यवस्थित करना, मेटाडाटा फोल्डर का निर्माण करना शामिल है। दस्तावेजों की स्कैनिंग का कार्य एनआईसीएसआई द्वारा पैनल में शामिल एजेंसियों से कराया जा रहा है। डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया सार्वभौमिक है और यह भाषाओं में भेद नहीं करती।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड	वक्फ संपदाओं/ परिसंपत्तियों की सूचित संख्या	वामसी पंजीकरण ऑनलाइन माड्यूल में प्रविष्ट किए गये अभिलख		पूर्ण किए गए वक्फ संपदाओं का पूर्व-डिजिटीकरण	(4) के संदर्भ में पूर्ण किए गए पूर्व-डिजिटीकरण कार्य का प्रतिशत	डिजिटीकरण कार्य (वक्फ संपदाएं)	(4) के संदर्भ में पूर्ण किए गए पूर्व-डिजिटीकरण कार्य का प्रतिशत
			वक्फ संपदाएं	अचल संपत्तियां)				
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	84	35	43		0.00		0.00

1	2	3	4		5	6	7	8
2.	असम	179	179	205	179	100.00	168	93.85
3.	बिहार (शिया)	227	219	449	105	46.26	24	10.57
4.	बिहार (सुन्नी)	2392	2390	3218	2101	87.83	830	34.70
5.	दिल्ली	1962	1962	4		0.00		0.00
6.	छत्तीसगढ़	800	800	1979		0.00		0.00
7.	हरियाणा	11606	11606	11453	1075	9.26	90	0.78
8.	हिमाचल प्रदेश	1099	651	1270		0.00		0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	214	1	1		0.00		0.00
10.	कर्नाटक	27548	20516	15469	14000	50.82	7500	27.23
11.	केरल	8157	8157	33835	8143	99.83	820	10.05
12.	लक्षद्वीप	339	339	340	339	100.00	339	100.00
13.	मध्य प्रदेश	14775	14775	18299	14702	99.51	14702	99.51
14.	महाराष्ट्र	6288	6288	16348	5388	85.69	201	3.20
15.	मणिपुर	821	514	529	21	2.56	21	2.56
16.	मेघालय	43	43	53	18	41.86	18	41.86
17.	ओडिशा	3729	2048	3285	5	0.13	5	0.13
18.	पुदुचेरी	45	45	586	45	100.00	45	100.00
19.	पंजाब	24000	22158	7733	4000	16.67		0.00
20.	राजस्थान	18950	15971	19929	14674	77.44		0.00
21.	तमिलनाडु	7154	7154	39590		0.00		0.00
22.	त्रिपुरा	1869	1336	1895	1600	85.61	300	16.05
23.	उत्तराखंड	2054	2028	4177	1050	51.12	610	29.70
24.	उत्तर प्रदेश (सुन्नी)	123115	10519	8394	6600	5.36		0.00
25.	पश्चिम बंगाल	6744	1411	12156	3800	56.35		0.00
	कुल	264194	131145	201240	77845	29.47	25673	9.72

[हिन्दी]

बिहार में जल अभाव

1648. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में जल अभाव की समस्या का समाधान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी योजना-वार स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक अनुमोदित हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा ऐसी कोई केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राशि का पूर्णांकन

1649. श्रीमती सुशीला सरोज :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ऑनलाइन आरक्षण टिकट लेने वाले यात्रियों के बैंक खातों से पैसों को अगले रुपये में पूर्णांकित करके टिकट में मूल्य से अधिक रुपये काट रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों से टिकट की कीमत से अधिक राशि वसूली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त पूर्णांकन में रेलवे को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ग) ई-टिकटिंग के माध्यम से बुकिंग के मामलों में इस यथार्थ के बावजूद भी कि रेलवे और यात्रियों के लिए ई-टिकटिंग प्रक्रिया आसान है, यात्रियों को शयनयान श्रेणी के टिकट पर रुपए 10/- और वातानुकूलित टिकटों पर रुपए 20/- का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं। यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों मसे खरीदी गई टिकटों और भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) वेबसाइट के जरिए ऑन-लाइन बुक की गई टिकटों पर बैंकों/भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं द्वारा संबद्ध भुगतान गेटवे वसूला जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। स्लीपर एवं आरक्षित द्वितीय सीटिंग के लिए ई-टिकट हेतु प्रति पीएनआर 10 रु. तथा अन्य श्रेणियों में ई-टिकट के लिए प्रति पीएनआर 20 रु. का मामूली सेवा प्रभार वसूला जाता है।

सेवा शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि का उपयोग प्रशासनिक लागत, आईटी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की अनुरक्षण लागत, सेवा प्रदाताओं की टेक्निकल जनशक्ति लागतें, आवर्ती व्यय जैसे किराया, बिजली प्रभार, इंटरनेट बैंडविथ प्रभार, आदि को पूरा करने के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

औषधियों की खरीद

1650. श्री नवीन जिंदल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री औषधियों की खरीद के बारे में नवम्बर 22, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) औषधियों की सरकारी खरीद के संबंध में 22 नवंबर, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति स्कीम की जांच/निगरानी

1651. **श्री एम. सम्पत** : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति स्कीम की जांच-निगरानी के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छात्रवृत्तियों को पाने के लिए पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त स्कीमों के अंतर्गत कितने पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त स्कीम पर कितनी राशि व्यय की गई है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाती हैं जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक/स्नातक स्तर पर 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों ताकि अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

(घ) ऐसे 80 पाठ्यक्रम हैं जिनके लिए उक्त योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ङ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष, प्रत्येक के दौरान उक्त योजना के लिए निम्नानुसार राशि खर्च की गई है:—

क्र. सं.	वर्ष	निर्मुक्त राशि (करोड़ रु.)
1.	2009-10	97.51
2.	2010-11	108.76
3.	2011-12	115.72
4.	2012-13 (28.02.2013 की स्थिति के अनुसार)	166.86

देश में रेलवे स्टेशन

1652. **डॉ. पी. वेणुगोपाल** :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अधिक भीड़-भाड़ वाले और यात्रियों के आवागमन से निपटने में असमर्थ रेलवे स्टेशनों की छंटनी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का ऐसे स्टेशनों को पुनर्विकसित करने/पुनः डिजायन तैयार करने और इस प्रयोजन के लिए रेलवे स्टेशनों के पास स्थित जमीन का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों/अतिक्रमणकारियों के लिए निजी पार्टियों/भवन निर्माताओं के सहयोग से मकान बनाने पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों को यात्रियों से प्राप्त आमदनी के आधार पर 'ए-1', 'ए', 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ' कोटि के स्टेशनों के रूप में चिह्नित और वर्गीकृत किया जाता है। स्टेशनों की कोटि के आधार पर मानकों के अनुसार विभिन्न सुविधाएं जैसे प्लेटफॉर्मों और चौड़ा करने और विस्तार करने, ऊपरी पैदल पुल, स्टेशनों के

निकास/प्रवेश द्वारा की संख्या बढ़ाने, परिसंचरण क्षेत्र का विस्तार करने, सबवे का निर्माण करने आदि की योजना बनाई जाती है और तद्नुसार मुहैया कराई जाती है।

(ग) और (घ) इन स्टेशनों के आस-पास की भूमि और स्थान का उपयोग करके विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में पुन: विकास करने के लिए 50 स्टेशनों की पहचान की गई है जहां इन स्टेशनों अर्थात् आनंद विहार (दिल्ली), बिजवासन (दिल्ली), चंडीगढ़, हबिबगंज और शिवाजी नगर (पुणे) में भीड़-भाड़ जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इन स्टेशनों के विकास का कार्य हाल ही में निर्मित भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) को सौंपा गया है।

(ङ) और (च) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय संपूर्ण नगर एक 'स्लम रहित योजना' के आधार पर स्लम में रहने वाले लोगों के पुर्नस्थापन के लिए 'राजीव आवास योजना' नामक एक योजना क्रियान्वित करने जा रही है। इस योजना में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की भूमि पर स्थित स्लम शामिल हैं। चरण-I में, राजीव आवास योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 250 शहरों को शामिल किया जाएगा। शहरों का चयन राज्य सरकार द्वारा उनकी आकांक्षाओं के आधार पर किया जाएगा।

समान अवसर आयोग की स्थापना

1653. **श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समान अवसर आयोग जिसका कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति ने सिफारिश की थी, की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से लाभ जो अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने चाहिए थे, कमजोर निगरानी तंत्र और भ्रष्टाचार के कारण उनको नहीं मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो निगरानी तंत्र को सुधारने और वक्फ की सम्पत्तियों को अतिक्रमण और दुरुपयोग से सुरक्षा के लिए भी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) और (ख) समान अवसर आयोग की स्थापना करने की सच्चर समिति की अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधीन अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित वंचित समूहों के लिए समान अवसर आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। समान अवसर आयोग विधेयक के मसौदे पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) और (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत परिकल्पित लाभ लक्षित समूहों तक पहुंच रहे हैं। इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ मिलकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सच्चर समिति की अनुशंसाओं तथा प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की तिमाही आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचित किया जाता है। राज्य स्तर पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त कार्यक्रम की मॉनीटरिंग के लिए राज्य-स्तरीय तथा जिला स्तरीय समितियां गठित करने की सलाह दी गई है।

जहां तक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का संबंध है, सरकार राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना को क्रियान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत वक्फ अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उनकी रिकॉर्ड-कीपिंग, अंकीकरण और संरक्षण को कारगर बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फ बार्डों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अनुसार, यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फ बोर्ड का दायित्व है कि वक्फ संपत्तियों का समुचित ढंग से रख-रखाव, नियंत्रण तथा संचालन हो तथा उनका अतिक्रमण न हो, जबकि धारा 54 में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सहायता से वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने का प्रावधान किया गया है।

मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति हेतु आय-सीमा

1654. **श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार की वर्तमान आय-सीमा कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की निम्न नामांकन को ध्यान में रखकर तथा देश में अल्पसंख्यक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पात्रता मानक की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना की समीक्षा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वर्तमान आय-सीमा क्रमश: 1.00 तथा 2.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के अंतर्गत मांग इतनी अधिक है कि बजट आबंटन मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अधीन, छात्रवृत्तियों की सभी मांग पूरी की जा रही हैं।

(ङ) और (च) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के मूल्यांकन एवं प्रभाव निर्धारण के लिए पहले से ही कदम उठाए गए हैं।

जल की उपलब्धता

1655. श्री निशिकांत दुबे :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जल की उपलब्धता पर कोई अध्ययन/सर्वेक्षण/मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर झारखंड का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड का इसकी आवश्यकताओं से कम जल संसाधन वाले राज्य के रूप में मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) केन्द्रीय जल आयोग ने देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) आंकी है। तथापि स्थलाकृतिक, जलवैज्ञानिक तथा अन्य बाधाओं को देखते हुए उपयोग योग्य जल संसाधन लगभग 1121 बीसीएम अनुमानित है, जिसमें 690 बीसीएम सतही जल तथा 431 बीसीएम पुनर्भरणीय भूजल है।

(ख) भूजल संसाधनों की राज्य-वार उपलब्धता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। औसत जल संसाधनों की क्षमता तथा उपयोग योग्य सतही जल संसाधनों को बेसिन-वार आकलन किया गया है तथा ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार की बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) तथा वार्षिक योजना (2012-13) में सतही जल की उपलब्धता 27.528 बीसीएम दर्शायी है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने झारखंड राज्य में वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल उपलब्धता 5.96 बीसीएम आंकी है। विभिन्न उपयोगों के लिए जल की आवश्यकता के सम्बन्ध में झारखंड राज्य में कोई विश्वसनीय आकलन नहीं कराया है। तथापि, सृजित सिंचाई क्षमता के वर्तमान स्तर 7.76 लाख हैक्टेयर की तुलना में राज्य सरकार ने 24.25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई को विकसित करने की योजना बनाई है।

विवरण-I

राज्य-वार भूजल संसाधन उलब्धता

(बिलियन घनमीटर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन
1	2	3
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	33.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.45

1	2	3
3.	असम	30.35
4.	बिहार	28.63
5.	छत्तीसगढ़	12.22
6.	दिल्ली	0.31
7.	गोवा	0.221
8.	गुजरात	18.43
9.	हरियाणा	10.48
10.	हिमाचल प्रदेश	0.59
11.	जम्मू और कश्मीर	3.70
12.	झारखंड	5.96
13.	कर्नाटक	16.81
14.	केरल	6.62
15.	मध्य प्रदेश	33.95
16.	महाराष्ट्र	35.73
17.	मणिपुर	0.44
18.	मेघालय	1.2343
19.	मिजोरम	0.044
20.	नागालैंड	0.42
21.	ओडिशा	17.78
22.	पंजाब	22.56
23.	राजस्थान	11.86
24.	सिक्किम	—
25.	तमिलनाडु	22.94
26.	त्रिपुरा	2.97
27.	उत्तर प्रदेश	75.25
28.	उत्तराखंड	2.17
29.	पश्चिम बंगाल	30.50
	संघ क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.310
2.	चंडीगढ़	0.022
3.	दादरा और नगर हवेली	0.059
4.	दमन और दीव	0.012
5.	लक्षद्वीप	0.0105
6.	पुदुचेरी	0.171
	कुल	431.03

विवरण-II

भारत के नदी तटों की जल संसाधन क्षमता

क्र. सं.	नदी बेसिन	औसत जल संसाधन क्षमता (बीसीएम)	उपयोग-योग सतही जल संसाधन (बीसीएम)
1	2	3	4
1.	सिंधु	73.3	46
2.	गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना		
	(क) गंगा	525	250
	(ख) ब्रह्मपुत्र	537.2	24

1	2	3	4
	(ग) बराक एवं अन्य	48.4	
3.	गोदावरी	110.5	76.3
4.	कृष्णा	78.1	58
5.	कावेरी	21.4	19
6.	सुबर्णरेखा	12.4	6.8
7.	ब्रह्माणी-बैतरणी	28.5	18.3
8.	महानदी	66.9	5.0
9.	पेन्नर	6.3	6.9
10.	माही	11	3.1
11.	साबरमती	3.8	1.9
12.	नर्मदा	45.6	34.5
13.	तापी	14.9	14.5
14.	तापी से ताद्री की ओर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	87.4	11.9
15.	ताद्री से कन्याकुमारी की ओर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	113.5	24.3
16.	महानदी और ऐन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	22.5	13.1
17.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	16.5	16.5
18.	लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	15.1	15
19.	राजस्थान में आंतरिक जल निकास	नगण्य	—
20.	म्यांमार (बर्मा) और बांग्लादेश में गिरने वाली छोटे नदियां	31	—
	कुल	1,869.4	690

अल्पसंख्यक बहुल जिलों का चयन

1656. श्री पी. करुणाकरन : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अल्पसंख्यक बहुत जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केरल के कुछ अल्पसंख्यक बहुल जिलों, जिन्हें पूर्व में छोड़ा दिया गया था, को शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) जी, हां। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु, देश में 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलें (एमसीडी) वर्ष 2001 की जनगणना के अल्पसंख्यक बहुत जनसंख्या और पिछड़ेपन के मानदंडों के आधार पर अभिज्ञात किये गये हैं।

(ख) जिलों की सूची संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, योजना ने इकाई क्षेत्र को जिले के बजाय ब्लॉक करने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार, केरल राज्य सरकार ने केरल के 14 जिलों के 50 ब्लॉकों का एमएसडीपी के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे 12वीं योजना अवधि के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संशोधित किया जा रहा है।

विवरण

90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईस्ट कामेंग
3.	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुबंसिरी
4.	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग
5.	अरुणाचल प्रदेश	तिरप
6.	अरुणाचल प्रदेश	तवांग
7.	अरुणाचल प्रदेश	वेस्ट कमेंग
8.	अरुणाचल प्रदेश	पपुर पारे
9.	असम	नोर्थ कछार हिल्स
10.	असम	कोकराझार
11.	असम	धुबरी
12.	असम	गोलपारा
13.	असम	बोगाईगांव
14.	असम	बारपेटा
15.	असम	दारंग
16.	असम	मारीगांव
17.	असम	नागांव
18.	असम	कछार
19.	असम	करीमगंज
20.	असम	हैलाकांडी
21.	असम	कामरूप
22.	बिहार	अररिया
23.	बिहार	किशनगंज
24.	बिहार	पुर्णिया
25.	बिहार	कटिहार
26.	बिहार	सीतामढ़ी
27.	बिहार	पश्चिम चम्पारन
28.	बिहार	दरभंगा
29.	दिल्ली	नोर्थ ईस्ट
30.	हरियाणा	गुड़गांव
31.	हरियाणा	सिरसा
32.	जम्मू और कश्मीर	लेह (लद्दाख)
33.	झारखंड	रांची
34.	झारखंड	गुमला
35.	झारखंड	साहिबगंज
36.	झारखंड	पकौर
37.	कर्नाटक	गुलबर्गा
38.	केरल	बीदर
39.	मध्य प्रदेश	वेयानाद
40.	महाराष्ट्र	भोपाल
41.	महाराष्ट्र	बुलदाना
42.	महाराष्ट्र	वाशिम

1	2	3
43.	महाराष्ट्र	हिंगोली
44.	महाराष्ट्र	परभनी
45.	मणिपुर	सेनापति
46.	मणिपुर	तमेंगलांग
47.	मणिपुर	चूड़चांदपुर
48.	मणिपुर	उखरूल
49.	मणिपुर	चंदेल
50.	मणिपुर	थौबल
51.	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स
52.	मिजोरम	लांगटलाई
53.	मिजोरम	ममित
54.	सिक्किम	नॉर्थ
55.	ओडिशा	गजपती
56.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
57.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
58.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर
59.	उत्तर प्रदेश	मेरठ
60.	उत्तर प्रदेश	बागपत
61.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
62.	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर
63.	उत्तर प्रदेश	बदायूं
64.	उत्तर प्रदेश	बराबंकी
65.	उत्तर प्रदेश	खीरी
66.	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
67.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
68.	उत्तर प्रदेश	रामपुर
69.	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फूले नगर
70.	उत्तर प्रदेश	बरेली
71.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
72.	उत्तर प्रदेश	बहराइच
73.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
74.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
75.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
76.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर
77.	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
78.	उत्तराखंड	हरिद्वार
79.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
80.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
81.	पश्चिम बंगाल	मालदा
82.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबासद
83.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
84.	पश्चिम बंगाल	नादिया
85.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना
86.	पश्चिम बंगाल	बर्धमान
87.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार
88.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
89.	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना
90.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

न्यायालयों में एस.टी. न्यायाधीशों की संख्या

1657. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संस्वीकृत संख्या तथा रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) समुदाय से कितने न्यायाधीश है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में एस.टी. समुदाय के सदस्यों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आजादी के 65 वर्षों के बाद भी देश की जनसंख्या का

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का एस.टी. समुदाय की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए इस पहलू की जांच करने की योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में तारीख 01.03.2013 को न्यायाधीशों की भंजूर पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) से (छ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं। उस रूप में, न्यायाधीशों या रिक्तियों के जाति-वार या वर्ग-वार आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं। तथापि, सरकार ने, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों से संबंधित और स्त्रियों में से उपयुक्त लभ्यर्थियों से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध किया है।

विवरण

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	1.3.2013 को मंजूर संख्या	1.3.2013 को कार्यरत पद संख्या	1.3.2013 को न्यायाधीशों की रिक्ति
1	2	3	4	5
क.	**भारत का उच्चतम न्यायालय**	31	26	5
ख.	**उच्च न्यायालय**			
1.	इलाहाबाद	160	88	72
2.	आंध्र प्रदेश	49	29	20
3.	बम्बई	75	52	23
4.	कोलकत्ता	58	40	18
5.	छत्तीसगढ़	18	12	06
6.	दिल्ली	48	35	13
7.	गुवाहाटी	24	22	02
8.	गुजरात	42	29	13
9.	हिमाचल प्रदेश	11	11	—
10.	जम्मू और कश्मीर	14	07	07
11.	झारखंड	20	11	09
12.	कर्नाटक	50	36	14
13.	केरल	38	33	05
14.	मध्य प्रदेश	43	32	11
15.	मद्रास	60	48	12
16.	ओडिशा	22	13	09

1	2	3	4	5
17.	पटना	43	35	08
18.	पंजाब और हरियाणा	68	43	25
19.	राजस्थान	40	31	9
20.	सिक्किम	03	01	02
21.	उत्तराखंड	09	09	—
	योग	895	617	278

राज्य स्तर के अधिकारी

1658. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्वालियर स्थित वर्तमान कार्यालय को दो भागों में बांटने के पश्चात् रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर क्षेत्राधिकार वाले कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय की स्थापना हेतु कोई अनुरोध/ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक, छत्तीसगढ़ का कार्यालय बिलासपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने बिलासपुर में इस कार्यालय को स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके लिए शीघ्र ही पट्टा करार पर हस्ताक्षर होने की आशा है।

खनिजों हेतु गहरे समुद्र में खनन

1659. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम** : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी अन्वेषण की पद्धति पर जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी द्वारा अनुमति दी गई है, दक्षिणी तथा मध्य हिन्द महासागर में खनिजों के गहरे समुद्र में खनन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण ने भारत के साथ हिंद महासागर में गहरा सागर खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण कार्य करने के लिए वर्ष 2002 में एक 15 वर्ष का अनुबंध किया है, जैसा कि इसने चीन सहित अन्य देशों के साथ अनुबंध में किया है। इस करार के अनुपालन में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मध्य हिंद महासागर बेसिन के 75000 वर्ग किमी. के कुल प्राप्य क्षेत्र में अन्वेषण गतिविधि शुरू की है। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक होने की आशा करता है जो कि आने वाले वर्षों में गहरा समुद्र खनिज संसाधनों के अन्वेषण करने में सक्षम होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोचिंग डिपो

1660. **श्री राकेश सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जबलपुर स्थित कोचिंग डिपो के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त कोचिंग डिपो के कब तक चालू होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) कोचिंग कॉम्पलैक्स के स्वीकृत कार्य में से कोचिंग डिपो सहित 24 सवारीडिब्बों की लम्बाई वाली दो पिटलाइनों और एकीकृत मरम्मत लाइन के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। एक स्टैबलिंग

लाइन बिछाने और कटनी छोर से स्टैबलिंग लाइन तथा मौजूदा पिटलाइनों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

(ख) एकीकृत कोचिंग कॉम्पलैक्स को अंशत: चालू कर दिया गया है। 2013-14 के अंत तक कोचिंग कॉम्पलैक्स को चालू करने की संभावना है।

(ग) 20 सवारी डिब्बों की लम्बाई वाली एक और पिटलाइन को 2012-13 के दौरान स्वीकृत किया गया था और 2013-14 के दौरान इसके पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

बांधों का जल स्तर

1661. **श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में बांधों के निम्न जल स्तर से सिंचाई प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश भर में फैल 84 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है। इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 154.421 बीसीएम है जो देश में सृजित की गई अनुमानित 253.388 बीसीएम (सीडब्ल्यूसी में 2010 में किए गए आकलन के अनुसार) की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 61% है। इन जलाशयों में वर्ष 2008 से 2012 तक मानसून के अंत में उपलब्ध सक्रिय भंडारण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

वर्ष	2008	2009	2010	2011	2012
सक्रिय भंडारण (बीसीएम)	116.446	92.344	117.128	133.689	115.123

जलाशयों का नाम, राज्य, एफआरएल, एफआरएल पर सक्रिय भंडारण, और इन जलाशयों में वर्ष 2008 से 2012 के दौरान 30 सितम्बर को उपलब्ध सक्रिय भंडारण का जलाशय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सीडब्ल्यूसी की निगरानी प्रणाली में हरियाणा का कोई जलाशय नहीं है। तथापि, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों में भाखड़ा एवं पोंग बांधों में अधिकतम एवं न्यूनतम स्तर और हरियाणा समेत राज्यों को जलापूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

जलाशयों में कम भंडारण का मुख्य कारण जलाशय के आवाह क्षेत्र में कम वर्षा अथवा आवाह क्षेत्र में बर्फ का कम गलना है। इसके अलावा जलाशयों से विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के उपयोग के कारण भी जलाशयों का जल स्तर घटता है।

(ग) कम वर्षा के दौरान जल की कमी कमी समस्या के समाधान के लिए जल प्रबंधन पद्धतियां और जल संरक्षण, सुधारात्मक उपाय हैं। जल, राज्य का विषय होने के नाते विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों का उपयोग संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय ने जून, 2012 में जलाशयों में उपलब्ध भंडारण और दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रारंभ की प्रगति की समीक्षा की थी। मानसून के देर से शुरू होने की संभावना और असमान स्थानिक वितरण जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्रों में सामान्य वर्षा से कम वर्षा हो सकती थी, को देखते हुए मंत्रालय ने दिनांक 9.7.2012 को सभी राज्य सरकारों को सलाह जारी की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए जल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि जहां तक संभव हो स्थिति से निपटने के लिए भूमि जल का उपयोग किया जा सकता है।

विवरण-I

मानसून के अंत (30 सितम्बर) की स्थिति के अनुसार 84 जलाशयों में जल स्तर/भंडारण

क्र. सं.	जलाशय का नाम	(राज्य)	एफआरएल (मी.)	एफआरएल पर सक्रिय क्षमता (बीसीएम)	30 सितम्बर, 2008		30 सितम्बर, 2009		30 सितम्बर, 2010		30 सितम्बर, 2011		30 सितम्बर, 2012	
					स्तर (मी.)	सक्रिय भंडारण (बीसीएम)	स्तर (मी.)	सक्रिय भंडारण (बीसीएम)	स्तर (मी.)	सक्रिय भंडारण (बीसीएम)	स्तर (मी.)	सक्रिय भंडारण (बीसीएम)	स्तर (मी.)	सक्रिय भंडारण (बीसीएम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*1.	श्रीसैलम	(आंध्र प्रदेश)	269.75	8.288	269.55	8.175	269.55	8.175	269.65	8.239	267.90	7.224	263.00	4.973
*2.	नागार्जुन सागर	(आंध्र प्रदेश)	179.83	6.841	179.83	6.641	163.46	2.623	178.73	6.524	178.73	6.524	161.06	2.205
3.	श्रीराम सागर	(आंध्र प्रदेश)	332.54	2.300	332.54	1.684	325.74	0	332.54	1.684	332.48	2.300	327.96	1.195
4.	सोमासिला	(आंध्र प्रदेश)	100.58	1.994	95.25	1.055	89.17	0.42	97.26	1.352	97.86	1.456	91.16	0.594
5.	निचला मनायार	(आंध्र प्रदेश)	280.42	0.821	277	0.438	267.71	0.077	280.42	0.621	280.10	0.621	270.45	0.144
6.	तेनुघाट	(झारखंड)	269.14	0.821	259.69	0.329	261.12	0.39	259.89	0.337	259.48	0.320	259.98	0.243
7.	मैथन	(झारखंड)	146.30	0.471	147.18	0.471	149.01	0.471	146.64	0.459	147.67	0.471	147.31	0.471
*8.	पंचेत हिल	(झारखंड)	124.97	0.184	127.66	0.184	127.39	0.184	125.83	0.184	126.32	0.184	126.46	0.184
9.	कोनार	(झारखंड)	425.81	0.176	425.75	0.175	425.2	0.165	420.35	0.088	426.00	0.176	424.57	0.154
10.	तिलैया	(झारखंड)	368.81	0.142	370.25	0.142	369.9	0.142	364.83	0.026	369.52	0.142	368.53	0.131
*11.	उकाई	(गुजरात)	105.16	6.615	102.04	4.997	98.96	3.59	103.59	5.814	104.31	6.237	104.18	6.162
12.	साबरमती (धरोई)	(गुजरात)	189.59	0.735	183.63	0.26	183.09	0.23	186.68	0.467	189.55	0.735	189.15	0.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*13.	कडाना	(गुजरात)	127.70	1.472	124.79	0.905	125.45	0.966	125.71	0.989	127.71	1.192	127.71	1.192
14.	सतरंजी	(गुजरात)	55.53	0.300	55.53	0.3	53.37	0.157	55.53	0.3	55.42	0.291	49.77	0.047
15	भादर	(गुजरात)	107.89	0.188	107.9	0.188	105	0.066	107.9	0.188	107.90	0.188	99.94	0.009
16.	दमनगंगा	(गुजरात)	79.86	0.502	79.9	0.502	79.15	0.47	79.65	0.493	79.35	0.478	78.45	0.413
17.	दांतीवाड़ा	(गुजरात)	184.10	0.399	168.11	0.033	164.9	0.01	173.23	0.093	184.07	0.386	178.22	0.207
18.	पानम	(गुजरात)	127.41	0.697	123.05	0.42	117.95	0.213	123.6	0 448	127.52	0.697	127.41	0.697
*19.	सरदार सरोवर	(गुजरात)	121.92	1.566	120.88	1.377	121	1.399	121.34	1.461	121.94	1.566	121.62	1.511
20.	कर्जन	(गुजरात)	115.25	0.523	115.27	0.523	114.82	0.513	115.05	0.518	114.84	0.514	113.80	0.485
*21.	गोबिंद सागर (भाकरा)	(हिमाचल प्रदेश)	512.06	6.229	512	6.154	499.56	4.09	512.27	5.992	511.84	5.922	505.19	4.893
*22.	पोंग बांध	(हिमाचल प्रदेश)	423.67	6.157	423.48	5.944	407.99	2.661	424.59	6.15	423.46	5.867	422.58	5.656
23.	कृष्णराज सागर	(कर्नाटक)	752.50	1.163	751.87	1.087	751.99	1.098	751.14	0.994	751ए77	1.070	747.84	0.647
*24.	तुंगभ्रदा	(कर्नाटक)	497.74	3.276	497.7	2.942	497.72	2.947	497.74	2.955	497.67	2.831	497.33	2.712
25.	घाटप्रभा	(कर्नाटक)	662.95	1.391	662.95	1.387	662.95	1.387	662.95	1.387	661.80	1.304	660.99	1.247
26.	भद्रा	(कर्नाटक)	657.76	1.785	657.45	1.749	657.75	1.785	657.27	1.729	657.50	1.785	653.71	1.344
27.	लिंगानामक्की	(कर्नाटक)	554.43	4.294	561.47	3.425	553.98	4.155	552	3.572	550.00	4.146	551.37	3.401
28.	नारायणपुर	(कर्नाटक)	492.25	0.863	492.1	0.844	492.17	0.856	491.72	0.795	490.77	0.679	491.96	0.827
29.	मालप्रभा (रेणुका)	(कर्नाटक)	633 83	0.972	633.23	0.895	630.63	0.606	631.82	0.729	633.37	0.913	627.81	0.370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.	कबिनी	(कर्नाटक)	896.16	0.275	695.43	0.232	694.77	0 192	694.18	0.165	695.12	0.215	692.96	0.100
31.	हेमावती	(कर्नाटक)	890.63	0.927	890.06	0.876	890.46	0.912	888.8	0.769	889.68	0.844	887.57	0.675
32.	हरांगी	(कर्नाटक)	871.42	0.220	870.44	0.189	871.37	0.218	871.2	0.212	870.76	0.199	889.03	0.159
33.	सूपा	(कर्नाटक)	564.00	4.120	550.1	2.601	549 13	2.509	547.86	2.305	558.48	3.472	548.55	2.458
34.	वाणी विलास सागर	(कर्नाटक)	652.28	0.802	636.28	0.081	637.96	0.117	639.15	0.145	643.65	0.284	640.43	0.178
*35.	अलमटी	(कर्नाटक)	519.60	3.105	519.6	3.051	519.6	3.051	519.6	3.051	519.59	3.046	519.39	2.944
*36.	गरुसोप्पा	(कर्नाटक)	55.00	0.130	48.31	0.093	54.55	0.127	51.04	0.107	48.40	0.094	50.56	0.105
37.	कल्लडा (परप्पार)	(केरल)	115.82	0.507	111.34	0.388	109.8	0.359	112.63	0.415	114.98	0.465	94.22	0.119
*38.	इडामलायार	(केरल)	169.00	1.018	154.87	0.629	161.9	0.813	157.56	0.694	168.60	1.007	148.76	0.488
*39.	इदुक्की	(केरल)	732.43	1.460	717.77	0.73	721.41	0.889	724.44	1.03	729.06	1.274	710.79	0.461
*40.	कक्की	(केरल)	98146	0.447	979.6	0.413	978.92	0.401	974.22	0.333	977.60	0.381	962.72	0.206
*41.	पेरियार	(केरल)	867.41	0.173	86247	0.081	862.11	0.074	861.31	0.061	861.33	0.064	861.59	0.085
*42.	गांधी सागर	(मध्य प्रदेश)	399.90	6.827	387.21	1.125	388.07	1.339	386.8	1.032	396.81	5.014	398.48	6.050
43.	तवा	(मध्य प्रदेश)	355.40	1.944	352.17	1.475	355.37	1.944	355.4	1.944	355.40	1.944	344.43	1.944
*44.	बार्गी	(मध्य प्रदेश)	422.76	3.180	422.25	3.068	416.45	1.63	422.7	3.175	422.76	3.180	422.76	3.180
*45.	बाण सागर	(मध्य प्रदेश)	341.64	5.166	336.41	2.991	330.71	1.335	334.02	2.217	341.69	5.166	341.63	5.166
*46.	इन्दिरा सागर	(मध्य प्रदेश)	262.13	9.745	255.33	4.567	259.38	7.331	259.65	7.548	259.00	7.832	261.77	9.498
*47.	मिनीमाता बांगो	(छत्तीसगढ़)	359.66	3.046	357.1	2.58	350.8	1.612	351.68	1.73	359.50	3.017	358.25	2.651
48.	महानदी	(छत्तीसगढ़)	348.70	0.767	345.39	0.485	345.32	0.48	348.49	0.747	348.67	0.764	348.26	0.726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49.	जायकवाडी (पैथान)	(महाराष्ट्र)	463.91	2.171	463.91	2.171	458.19	0.473	461.2	1.238	481.71	1.389	455.74	0.033
*50.	कोयना	(महाराष्ट्र)	657.90	2.652	659.36	2.652	658.5	2.652	659.44	2.652	657.20	2.568	656.72	2.652
51.	भीमा (उज्जानी)	(महाराष्ट्र)	496.83	1.517	496.83	1.517	495.26	1.025	496.83	1.517	496.00	1.517	491.63	0.122
52.	इसापुर	(महाराष्ट्र)	441.00	0.965	434.22	0.399	427.37	0.053	440.99	0.963	440.26	0.894	435.86	0.509
53.	मुला	(महाराष्ट्र)	552.30	0.609	552.34	0.609	546.2	0.328	551.03	0.543	552.30	0.609	546.06	0.323
54.	येल्दारी	(महाराष्ट्र)	461.77	0.809	454.9	0.262	449.52	0.05	461.77	0.809	460.28	0.659	449.58	0.051
55.	गिरना	(महाराष्ट्र)	398.07	0.524	396.72	0.45	387.29	0.119	388.86	0.163	390.40	0.208	386.09	0.088
56.	खड़गवासला	(महाराष्ट्र)	582.47	0.056	582.47	0.056	580.34	0.029	581.13	0.038	581.31	0.041	580.16	0.027
*57.	ऊपरी वैतरणा	(महाराष्ट्र)	603.50	0.331	603.5	0.331	600.46	0.232	603.5	0.331	603.41	0.329	602.22	0.290
58.	ऊपरी तापी	(महाराष्ट्र)	214.00	0.255	213.67	0.235	214	0.255	213.99	0.254	213.65	0.234	213.51	0.226
*59.	पेंच (तोतलादोह)	(महाराष्ट्र)	490.00	1.091	4803	0.458	486.83	0.825	489.6	1.017	480.00	1.016	489.92	1.040
60.	ऊपरी वर्धा	(महाराष्ट्र)	342.50	0.564	339.04	0284	341.65	0.474	342.5	0.548	342.50	0.564	342.50	0.564
*61.	हीराकुड	(ओडिशा)	192.02	5.378	191.86	5.282	189.9	4.167	192.02	5.377	192.02	5.378	192.01	5.378
*62.	बालीमेला	(ओडिशा)	462.08	2.676	450.22	0.971	446.2	0.568	458.14	1.985	447.08	0.851	455.49	1.626
63.	सालानदी	(ओडिशा)	82.30	0.558	80.16	0.482	70.62	0.221	65.68	0.126	79.20	0.371	67.89	0.164
*64.	रेंगाली	(ओडिशा)	123.50	3.432	123.69	3.432	119.98	2.269	118.21	1.726	123.44	3.423	123.64	3.432
*65.	मचकुंड (जलापुट)	(ओडिशा)	638.16	0.893	836.67	0.77	833.2	0.517	836.52	0.758	837.54	0.839	837.44	0.822
*66.	ऊपरी कोलाब	(ओडिशा)	858.00	0.935	853.17	0.517	849.78	0.266	855.61	0.709	850.61	0.322	856.45	0.786
*67.	ऊपरी इन्द्रावती	(ओडिशा)	642.00	1.456	640.85	1.326	637.9	1.029	638.45	1.062	631.80	0.483	640.40	1.278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*68.	थेइन	(पंजाब)	527.91	2.344	514.87	1.469	499.03	0.574	524	2.039	523.87	2.028	521.12	1.810
*69.	माही बजाज सागर	(राजस्थान)	280.75	1.711	273.5	0.897	274.55	1.008	274.35	0.986	281.50	1.711	281.45	1.711
70.	झाकम	(राजस्थान)	359.50	0.132	355.95	0.098	352.2	007	351.35	0.063	359.75	0.132	359.75	0.132
*71.	राणा प्रताप सागर	(राजस्थान)	352.61	1.436	352.67	1.415	348.38	0.637	349.02	0.756	340.94	0.901	352.77	1.436
72.	निचली भवानी	(तमिलनाडु)	278.89	0.792	277.7	0.73	270.93	0.358	269.99	0.32	273.72	0.491	259.22	0.051
*73.	मेट्टूर (स्टेंले)	(तमिलनाडु)	240.79	2.647	229.05	1.23	234 79	1.847	226.93	1.039	230.80	1.402	228.95	1.041
74.	वैगाई	(तमिलनाडु)	279.20	0.172	274.18	0.072	275.02	0.088	276.73	0.118	273.92	0.071	267.54	0.014
75.	परम्बीकुलम	(तमिलनाडु)	556.26	0.380	553.69	0.326	55615	0.377	550.34	0.259	556.19	0.378	545.82	0.176
76.	अलियार	(तमिलनाडु)	320.04	0.095	316.71	0.075	319.58	0.092	319.84	0.094	320.01	0.095	308.98	0.031
*77.	शेलायार	(तमिलनाडु)	1002.79	0.143	1000.8	0.133	1002.57	0.142	1000.18	0.13	1003.03	0.143	1002.91	0.143
78.	गुमटी	(तमिलनाडु)	93.55	0.312	88.77	0.116	88 35	0.135	90.35	0.172	68.85	0.118	68.45	0.105
79.	माताटीला	(उत्तर प्रदेश)	308.46	0.707	308.46	0.706	307.76	0.638	308.27	0.688	308.46	0.708	306.46	0.707
*80.	रिहंद	(उत्तर प्रदेश)	268.22	5.649	26207	3.054	25924	1.948	258.17	1.551	265.42	4.440	264.14	3.893
*81.	रामगंगा	(उत्तराखंड)	365.30	2.196	355.74	1.502	337.7	0622	364 23	2.114	381.18	1.888	352.56	1.319
*82.	टेहरी	(उत्तराखंड)	830.00	2.615	818.8	2.158	820	2.206	823.6	2.367	819.10	2.170	823.70	2.357
83.	मयूराक्षी	(पश्चिम बंगाल)	121.31	0.480	120.93	0.457	118.51	0.327	114.99	0.179	119.76	0.392	115.32	0.192
84.	कंगसाबती	(पश्चिम बंगाल)	134.14	0.914	133.07	0.721	131.08	0.524	125.38	0.149	132.34	0.649	131.92	0.607
84 जलाशय के लिए कुल			154.421		116.446		92.344		117.128		133.689		115.123	
एफआरएल क्षमता का प्रतिशत					75		60		76		87		75	

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में जलाशयों में अधिकतम, न्यूनतम जलस्तर एवं राज्यों को जलापूर्ति

वर्ष	फीट में स्तर				जलापूर्ति (क्यूसेक दिन)				
	भाखड़ा एफआरएल 1680		पोंग एफआरएल 1390		पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	दिल्ली जल बोर्ड	जम्मू और कश्मीर
	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम					
2007-08	1661.28	1551.32	1365.28	1321.73	6300136	2815684	3878872	164435	116492
2008-09	1680.69	1513.79	1389.55	1281.60	5906580	2927841	4474109	140230	100250
2009-10	1640.42	1504.36	1339.48	1272.70	5764609	2348372	2569951	162119	88096
2010-11	1681.53	1507.66	1394.49	1279.04	6353872	2824894	4248138	146908	77833
2011-12	1681.02	1571.76	1390.59	1345.42	6111836	2946599	4550621	139468	116097

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए व्यावसायिक और प्रशिक्षण कैम्प

1662. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : क्या अल्पसंख्यक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए व्यावसायिक और अन्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, और

(ख) यदि हां, तो आयोजित किए गये ऐसे व्यावसायिक और अन्य प्रशिक्षण शिविरों की संख्या सहित इन शिविरों से लाभान्वित महिलाओं की स्थान-वार, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) व्यावसायिक प्रशिक्षण की अपनी प्रोत्साहन योजना के अधीन महिलाओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु महाराष्ट्र सहित पूरे देश में अपने राज्य चैनलाइजिंग अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विगत चार वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में एनएमडीएफसी के राज्य चैनलाइजिंग अभिकरण, मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल की ओर से व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, वर्ष 2012-13 से, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास" की योजना का क्रियान्वयन आरंभ किया है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षणों के माध्यम से सरकारी तंत्रों, बैंकों और सभी स्तरों का मध्यस्थों के साथ संपर्क करने के साधन, तकनीकें और जानकारी उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास की भावना भरना और उन्हें सशक्त बनाना है। समाज में बहुलता के स्वरूप को सुदृढ़ करने तथा अपना भाग्य संवारने के उनके स्वयं के प्रयासों के माध्यम से समैक्य एवं एकता लाने के उद्देश्य से इस योजना में गैर-अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं, जो परियोजना प्रस्ताव के 25% से अधिक न हो, को शामिल करने की अनुमति है। यह योजना महाराष्ट्र सहित पूरे देश में भी क्रियान्वित की गई है।

(ख) एनएमडीएफसी की व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के चालू वित्त वर्ष एवं विगत चार वर्षों के दौरान, अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 5,117 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिनमें 2,783 महिला लाभार्थी शामिल है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया

है। साथ ही, ''अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास'' की योजना के अंतर्गत, महिलाओं के लिए स्वीकृत प्रशिक्षणों का राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

''चालू वित्त वर्ष सहित विगत चार वर्षों के दौरान (2009-10 से 22.02.2013)'' वित्तपोषित व्यावसायिक प्रशिक्षण का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/एससीए	कवर किए गए प्रशिक्षुओं की कुल संख्या	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	गुजरात	30	0
2.	हिमाचल प्रदेश	28	0
3.	हरियाणा	200	103
4.	जम्मू और कश्मीर	1,352	1,352
5.	झारखंड	160	49
6.	केरल	350	187
7.	कर्नाटक	30	17
8.	मध्य प्रदेश	30	28
9.	नागालैंड	30	18
10.	ओडिशा	60	2
11.	पंजाब	150	27
12.	तमिलनाडु	350	17
13.	उत्तर प्रदेश	204	204
14.	पश्चिम बंगाल	2,143	779
	कुल	5,117	2,793

विवरण-II

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास योजना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थान	महिलाओं की संख्या जिनके लिए 2012-13 के दौरान प्रशिक्षण स्वीकृत किया गया
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर, बाराबंकी, जालौन, आगरा, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थ नगर, महराजगंज, लखनऊ, फतेहपुर, मऊ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, जे.पी. नगर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, बहराइच, बरेली, मेरठ, पीलीभीत, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर	26025
2.	उत्तराखंड	देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल	1425
3.	राजस्थान	भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, टोंक, जयपुर, नागौर, सवाई माधोपुर	1775

1	2	3	4
4.	कर्नाटक	बेलगाम, रामनगर, शिमोगा	675
5.	ओडिशा	पुरी, संबलपुर, भद्रक	675
6.	गुजरात	राजकोट, अहमदाबाद, आनंद, कच्छ, खेड़ा	1325
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, दतिया, भिड, मुरैना, सिहोर, शिवपुरी	2500
8.	केरल	तिरुवनन्तपुरम, कोल्लम, अलप्पुजा, कोट्टयम, इडुक्की, एर्णाकुलम, त्रिसूर, पालक्काड़, मलप्पुरम, कोजिकोड, वयनाड़, पथनमतिट्टा, कन्नूर, कासरगोड	350
9.	महाराष्ट्र	नागपुर, नांदेड़	450
10.	मणिपुर	सेनापति, सदरहिल्स, चंदेल, चुराचांदपुर, उखरूल, तमेंगलांग, इम्फाल ईस्ट	1300
11.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	225
12.	तमिलनाडु	नामक्काल	225

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

1663. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है और कार्यक्रम के अंतर्गत सभी परियोजनाओं में विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में महाराष्ट्र में कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने महाराष्ट्र में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) का कार्यान्वयन किया है। महाराष्ट्र राज्य के लिए आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, 3954.80 करोड़ रुपये के मूल्य की परियोजनाओं [भाग-क (आईटी) 324.44 करोड़ रुपये जिसमें 130 नगर शामिल हैं, भाग-क, स्काडा : 8 नगरों सहित 161.62 करोड़ रुपये, भाग-ख 123 नगरों को शामिल करते हुए 3468.74 करोड़ रुपये] को मंजूरी प्रदान की गई है।

आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम के भाग-क (आईटी), भाग-क (स्काडा) और भाग-ख के अंतर्गत महाराष्ट्र में मजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य में आर-एपीडीआरपी स्कीम के

अंतर्गत मंजूर परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। महाराष्ट्र में आर-एपीडीआरपी कार्यान्वयन स्थिति निम्नवत है:–

- भाग-क (आईटी) के अंतर्गत, एमएसईडीसीएल ने सभी 130 नगरों में भाग-क (आईटी) के कार्यान्वयन के लिए आईटी कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति की है। कार्यान्वयन अंतिम चरण में है और 10 नगर पूरे कर लिए गए हैं और यूटिलिटी द्वारा 'गो लाइव' घोषित कर दिए गए हैं। आंकड़ा केन्द्र और आपदा राहत केन्द्र भी शुरू किए गए हैं।

- भाग-क (स्काडा) के अंतर्गत, यूटिलिटी ने सभी 8 नगरों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मैसर्स सीमेन्स की नियुक्ति की है और कार्यान्वयन प्रगति पर है।

- भाग-ख के अंतर्गत, यूटिलिटी ने 120 नगरों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति की है और कार्यान्वयन प्रगति पर है।

(ङ) भाग-क और भाग-ख स्कीमों के लिए मानक परियोजना पूर्णत: चक्र परियोजनाओं की मंजूरी की तारीख से क्रमश: 24 माह और 36 माह है। वर्तमान में, आर-एपीडीआरपी स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और इन्हें अभी पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना है।

आर-एपीडीआरपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाना है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) नोडल एजेंसी की भूमिका दिशा-निर्देशों को तैयार एवं जारी करने डीपीआर फार्मेट उपलब्ध करवाने, भाग-क के लिए परामर्शक और कार्यान्वयन एजेंसियों को लगाने के लिए माडल बोली दस्तावेज, भाग-क के लिए परामर्शकों और कार्यान्वयन एजेंसियों की सूची बनाने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन, मंजूरी हेतु आर-एपीडीआरपी स्टियरिंग समिति के समक्ष उन्हें रखने और दिशा-निर्देशों के अनुसार वितरण उपलब्ध करवाने तक ही सीमित है।

विद्युत मंत्रालय और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी सभी राज्यों में आर-एपीडीआरपी परियोजना कार्यान्वयन की नियमित निगरानी भी करते हैं और स्कीम को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में राज्य यूटिलिटियों/कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह भी देते हैं।

विवरण

आर-एपीडीआरपी, भाग (क) (आईटी) के अंतर्गत स्वीकृतियां

राज्य: महाराष्ट्र

(क) यूटिलिटी: महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड

भाग-क (आईटी)	नगर का नाम	स्वीकृति राशि (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	अमलनेर	0.84
2.	अम्बेजोगिल	0.63
3.	अर्वी	0.54
4.	ओसा	0.37
5.	बारामती	1.17
6.	बारशी	0.65
7.	चन्द्रपुर	2.13
8.	चिपलूं	0.67
9.	चोपडा	0.57
10.	देगलूर	0.72
11.	धरनगांव	0.38
12.	डोंडाइची	0.40
13.	गढ़चिरौली	0.98
14.	गंगाखेड़	0.41
15.	गोंदिया	1.45
16.	इस्लामपुर	0.90

1	2	3
17.	जालना	1.38
18.	जयसिंहपुर	1.13
19.	जिंतुर	0.38
20.	कम्प्टी	0.89
21.	कोपरगांव	0.63
22.	लातूर	1.79
23.	माजलगांव	0.43
24.	मालेगांव	1.45
25.	नागपुर	63.00
26.	नासिक	10.88
27.	ओजार	1.08
28.	पंढ़रपुर	0.77
29.	पभानी	1.84
30.	पथरी	0.36
31.	पूरना	0.31
32.	रत्नागिरी	1.62
33.	सैलू	0.40
34.	संगाम्मर	0.90
35.	सांगली	3.07
36.	सतना	0.53
37.	सतारा	1.76
38.	शाहदा	0.90
39.	सिल्लोड	0.61
40.	सीरपुर	0.80
41.	सोलापुर	4.96
42.	तसगांव	0.35
43.	तुलजापुर	0.66
44.	उदगीर	0.95
45.	वसई	0.46
46.	यवल	1.42
47.	अचलपुर सिटी	1.17
48.	अहमदपुर	0.50
49.	अहमेदनगर	2.63
50.	अकोला	2.71
51.	अकोट अरबन	0.87
52.	अन्जनगांव	0.38
53.	आस्था	0.42
54.	औरंगाबाद	6.99
55.	बालापुर	0.26
56.	बासमठ	0.45
57.	बीड	1.26
58.	भद्रावती	0.55
59.	भंडारा	1.20
60.	भुसावल	0.69

1	2	3
61.	बृह्मपुरी	0.64
62.	बुलढ़ना	0.82
63.	चालीसगांव	0.76
64.	दहनू	1.03
65.	देवलाली	1.42
66.	धुले सिटी	3.25
67.	इरनडोल	0.35
68.	हिंगनघाट	0.69
69.	हिंगोली	0.70
70.	इगतपुरी	0.40
71.	कन्नाड़	0.31
72.	करड	0.69
73.	काटोल	0.52
74.	खोपोली	0.56
75.	कोल्हापुर अरबन	4.49
76.	लोनावला	0.90
77.	मन्माड	0.83
78.	मोरशी	0.46
79.	मुर्तिजापुर	0.48
80.	नालसोपारा	0.52
81.	नन्दरबार	1.14
82.	नांदेड़	2.36
83.	नन्दुरा	0.36
84.	नवी मुम्बई	48.32
85.	निलंगा	1.18
86.	ओसमानबाद	1.18
87.	पंचोरा	0.77
88.	पैठन	0.41
89.	पालघर	1.02
90.	पनवेल	3.72
91.	पारली	0.65
92.	परोला	0.44
93.	पेन	0.96
94.	फल्तान	0.61
95.	पुलगांव	0.37
96.	पुणे सिटी	22.60
97.	शेगांव	0.46
98.	सिनार-यू	1.06
99.	तालेगांव	0.96
100.	तुमसार	0.60
101.	उमरेद	0.49
102.	वैजापुर	0.38
103.	वीटा	0.57
104.	वाई	0.42

1	2	3
105.	वर्धा	1.54
106.	वरोडा	0.66
107.	इयुला	0.42
108.	अक्कलकोट	0.54
109.	अमरावती	5.26
110.	बल्लारपुर	0.52
111.	चिखाली	0.70
112.	दरयापुर	0.50
113.	दौंड	0.65
114.	गिरास	0.61
115.	इचलकरनजी	4.40
116.	जलगांव	2.00
117.	करंजा	0.65
118.	खामगांव	1.18
119.	मालकापुर	0.81
120.	मेहकार	0.57
121.	पुसाद	0.70
122.	उमरखेड	0.34
123.	उमर्गा	1.26
124.	विरार	1.27
125.	वदगांव	0.63
126.	वानी	1.07
127.	वरूद	0.45
128.	वाशिम	0.86
129.	यावतमाल	1.42
130.	ग्रेटर मुम्बई	45.98
	कुल भाग-क (आईटी)	324.44

आरएपीडीआरपी, भाग (ख) के अंतर्गत स्वीकृतियां

राज्यः महाराष्ट्र

यूटिलिटीः महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्री.कं. लिमिटेड

क्र.सं.	नगर का नाम	स्वीकृति राशि (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	अमलनेर	6.81
2.	अम्बोजोगई	8.40
3.	अर्वी	1.73
4.	ओसा	4.97
5.	बारामती	49.60
6.	बारशी	8.02
7.	चन्द्रपुर	23.01
8.	चिपलूं	22.81
9.	चोपडा	6.96
10.	देगलूर	8.17
11.	धरनगांव	2.95

1	2	3
12.	दोंदाइचा	7.52
13.	गढ़चिरौली	8.99
14.	गंगाखेड़	5.23
15.	गोंदिया	38.55
16.	इस्लामपुर	25.88
17.	जालना सिटी	87.62
18.	जयसिंहपुर	7.14
19.	जिंतुर	4.56
20.	कम्प्टी	9.03
21.	कोपरगांव	8.06
22.	लातूर	48.84
23.	माजलगांव	2.62
24.	मालेगांव	34.94
25.	नागपुर	296.86
26.	पंढरपुर	30.00
27.	पर्भानी	24.75
28.	पथरी	3.65
29.	पुरना	4.96
30.	रत्नागिरी	17.24
31.	सैलू	5.78
32.	संगमनेर	9.29
33.	सांगली	52.26

1	2	3
34.	सतना	5.78
35.	सतारा	8.00
36.	शाहदा	7.80
37.	सिल्लोड	11.85
38.	शीरपुर	6.51
39.	सोलापुर	128.47
40.	तासगांव	3.95
41.	तुलजापुर	5.37
42.	उदगिर	13.60
43.	वसई	32.88
44.	यावल	4.44
45.	अचलपुर	23.17
46.	अहमदपुर	13.34
47.	अहमदनगर	55.90
48.	अकोला	107.65
49.	अकोट	6.45
50.	अंजनगांव	5.19
51.	आस्था	17.60
52.	बालापुर	1.00
53.	बासमठ	6.47
54.	बीड	56.23
55.	भद्रावती	3.04

1	2	3
56.	भंडारा	5.74
57.	भुसावल	24.91
58.	बृह्मपुरी	2.40
59.	बुलढना	10.38
60.	चालीसगांव	10.20
61.	दहनु	15.95
62.	दिइयुली	10.25
63.	धूले	26.09
64.	इरानडोल	2.53
65.	हिंगनघाट	7.42
66.	हिंगोली	6.22
67.	इगतपुरी	5.13
68.	कन्नड	11.03
69.	कराड	5.95
70.	कतोल	4.44
71.	खोपोली	20.50
72.	कोल्हापुर	34.41
73.	लोनावला	20.88
74.	मन्माड	9.15
75.	मोरशी	4.20
76.	मुर्तिजापुर	6.30
77.	नालसोपरा	27.00
78.	नन्दुरबार	10.28
79.	नांदेड़	30.13
80.	नन्दूरा	2.66
81.	नीलांग	4.49
82.	ओसमानाबाद	11.83
83.	पचोरा	14.09
84.	पैठान	5.51
85.	पालघर	5.98
86.	पारली	9.20
87.	परोला	3.49
88.	पेन	9.24
89.	फल्तान	2.58
90.	पुलगांव	2.14
91.	शेगांव	4.18
92.	तालेगांव	25.10
93.	तुमसार	5.58
94.	उमरेद	5.56
95.	वैजापुर	3.96
96.	वीटा	6.91
97.	वाई	3.79
98.	वर्धा	25.67
99.	वरोरा	2.59

1	2	3
100.	इयूला	6.68
101.	अक्कालकोट	4.12
102.	अमरावती	60.88
103.	बल्लारपुर	1.70
104.	चिश्वली	8.87
105.	दरयापुर	7.41
106.	दौंड	10.71
107.	दिगरास	3.48
108.	इचलकरंजी	79.37
109.	जलगांव	60.50
110.	करंजा	7.60
111.	खामगांव	7.04
112.	मलकापुर	8.97
113.	मेहकर	3.71
114.	पुसाद	13.84
115.	उमेरखेड	3.68
116.	उमर्गा	2.00
117.	विरार	59.15
118.	वडगांव	7.00
119.	वानी	13.70
120.	वरूद	3.75
121.	वसीम	7.72
122.	यवतमाल	25.02
123.	ग्रेटर मुम्बई	1193.91
	कुल भाग (ख)	3468.74

आर-एपीडीआरपी, भाग-क, स्काडा के अंतर्गत स्वीकृतियां

राज्यः महाराष्ट्र

यूटिलिटीः महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड

क्र. सं.	नगर का नाम	स्वीकृति राशि (करोड़ रु.)
1.	मालेगांव	8.03
2.	नाशिक	20.35
3.	सांगली	11.06
4.	सोलापुर	12.16
5.	कोल्हापुर	12.26
6.	पुणे	50.11
7.	अमरावती	11.07
8.	ग्रेटर मुम्बई	36.58
	कुल स्काडा	161.62

[अनुवाद]

गैस आधारित संयंत्रों द्वारा विद्युत की बिक्री

1644. श्री ए. साई प्रताप : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रियायती दरों पर गैस प्राप्त कर रहे गैस

आधारित विद्युत संयंत्रों को उत्पादित विद्युत को अत्यधिक कीमतों पर नहीं बेचने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संयंत्रों में से कुछ संयंत्र सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सहित इस संबंध उमें सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने दिनांक 24.02.2012 की अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि "विद्युत संयंत्रों को गैस की न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एनईएलपी) का वर्तमान और भावी आबंटन इस शर्त पर होना चाहिए कि आबंटित की गई गैस से उत्पादित संपूर्ण विद्युत, विद्युत संयंत्र के प्रशुल्क विनियामक द्वारा निर्धारित अथवा अपनाए गए प्रशुल्कों (बोली की स्थिति में) पर केवल वितरण लाइसेंसधारकों को ही बेची जाएगी। गैस की आपूर्ति केवल विद्युत क्रय करार (पीपीए) की अवधि के लिए की जाएगी और गैस की आपूर्ति केवल पीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही शुरू होगी। आरंभ में पीपीए केवल एक वर्ष (लघु अवधि पीपीए) के लिए होगा जिस दौरान गैस विनियामक द्वारा निर्धारित प्रशुल्क पर बेची जाएगी और बाद में पीपीए मध्यावधि अथवा दीर्घावधि के लि होना चाहिए।" ईजीओएम ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एवं एनजी) को ऐसे किसी भी विद्युत संयंत्र (संयंत्रों), जो उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करता हो, के वर्तमान आबंटन को निरस्त करने का अधिकार भी दिया है।

(ग) मंत्रालय में विद्युत संयंत्रों द्वारा सरकार के निर्देशों का पालन न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऐसे किसी उत्क्रमण की सूचना दी है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं के लिए आवंटन

1665. श्री मानिक टैगोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने द्रुत गति यात्री गलियारा और समर्पित माल भाड़ा गलियारा जैसे दो महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि आवंटित करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राक्कलित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए निधि जुटाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा सकल बजटीय सहायता के रूप में 26,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिसमें पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारे (डीएफसी) के लिए परिव्यय शामिल है। उच्च गति यात्री गलियारों के लिए रेलों द्वारा निध का पृथक आबंटन करने हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। 2013-14 के लिए वार्षिक योजना में डीएफसी के लिए 5,455 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(घ) वर्तमान में भूमि की लागत सहित पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी परियोजनाओं की लागत का अनुमान 95,836 करोड़ रुपए लगाया गया है। उच्च गति यात्री गलियारा परियोजनाओं के लिए लागत अनुमान उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई कार्य स्वीकृत नहीं है।

(ङ) पश्चिमी डीएफसी (1,499 किमी.) परियोजनाओं का वित्तपोषण परियोजना लागत का 77 प्रतिशत तक जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जीका) के ऋण से किया जा रहा है। पूर्वी डीएफसी गलियारे के 1,839 किमी. में से लुधियाना-खुर्जा-दादरी-कानपुर-मुगलसराय खंड के 1,183 किमी. की परियोजना लागत का 66 प्रतिशत विश्व बैंक के ऋणों से वित्तपोषित किया जा रहा है। इन खंडों के एिल शेष निधियां रेलों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

मुगलसराय-सोननगर खंड (122 किमी.) को रेलवे के संसाधनों से वित्तपोषित किया जा रहा है। दानकुनी-सोननगर खंड (534 किमी.) को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।

सीएसआईआर का ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों पर ध्यान

1666. **श्री रवनीत सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और आद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों की ओर अपना ध्यान देकर उन्हें बता रही है कि वे प्रौद्योगिकी का लाभ कैसे उठा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी सूची में शामिल पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) जन साधारण के लिए आवश्यक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराती है। सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों के परिनियोजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देता रहा है। इसके अतिरिक्त इसने ग्रामीण जनसाधारण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर भी बल दिया है। इन प्रौद्योगिकियां में निम्नवत् शामिल हैं:– सस्ते आवास (सामग्री एवं प्रौद्योगिकियां), संगधीय तेल (कृषि प्रौद्योगिकियां और निष्कर्षण प्लांट्स), संदूषित भूजल से आर्सेनिक और आयरन को सिरामिक मेम्ब्रेन के आधार पर समाप्त करना, कार्बनिक प्रदूषकों से मुक्त पेय जल उलपब्ध कराने के लिए कीटनाशियों को समाप्त करना, गांवों के लिए विलरणीकरण संयंत्र आधारित रिवर्स ओसमोंसिस, सीसा मुक्त जयपुर पॉट्री, केट्टुवेलम के लिए समुद्री साफ-सफाई युक्ति (एमएसडी) आदि। सीएसआईआर ने सामुदायिक प्रतिभागिता के माध्यम से उत्तराखंड में जिरेनियम और जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की वाणिज्यिक कृषि को उत्प्रेरित किया है। किसानों को न केवल जिरेनियम और लेवेंडर की कृषि में अपितु इस घास से तेल निकालने में भी प्रशिक्षित किया गया है। मेंथा की महत्वपूर्ण किस्मों के विकास और बृहत्त मात्रा में उनकी कृषि के प्रचार के द्वारा सीएसआईआर के प्रयास उल्लेखनीय रहे हैं। इन प्रयासों से भारत मेंथोल मिंट तेल के उत्पादन व इसके निर्यारित में नेतृत्व हासिल कर पाया है। सीएसआईआर ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के प्रौद्योगिकीय आधार को बढ़ाने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अंतराक्षेप उपलब्ध कराने के लिए नेशनल इनोवेशन काउंसिल (एनआईएनसी) के साथ भागीदारी की है। इस प्रयोजनार्थ छः समूहों को चूना गया है। इनमें निम्नवत् सम्मिलित हैं: (i) आम समूह (मैंगो क्लस्टर) (कृष्णागिरी); (ii) पीतल का साजो-सामान समूह (मुरादाबाद); (iii) बांस समूह (अगरतला); (iv) ऑटों समूह (फरीदाबाद); (v) आयुर्वेद समूह (त्रिसुर); और (vi) जीव विज्ञान समूह (अहमदाबाद)।

(ख) पंजाब के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में सीएसआईआर की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हाल ही में पंजाब के किसानों के लिए गुरदासपुर जिले के लिए गुरदासपुर, सरना, पाठनकोट, दीनानगर गांवों, होशियारपुर जिले के फुगलाणा, गिल, हरनोई, रंधावा, रामपुर बिलरॉन, धक्क, बाबक, मुख्यलियाणा, पंडोरी बाणा, खादिअलार, भुल्लोवाल, गढ़शंकर, टक्खनी, नमोलीहार, तलवाड़ा, भुमगा, कांतिआल, भीलोवाल, बटाला गांवों और रूपनगर जिले के रूपनगर क्षेत्र और तरन तारन जिले के तरन तारन क्षेत्र, शेख, पंडोरी गांवों में वाणिज्यिक तौर पर महत्वपूर्ण फूलों की फसलों और कम लागत वाली पॉली-हाउसिंग प्रौद्योगिकी के संबंध में प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मृत पशुओं के कंकालों की बेहतर बहाली और उपयोग के लिए गुरदासपुर जिले के आलोवाल गांव के चर्म कारीगरों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी गई है। सीएसआईआर ने गुरदासपुर जिले के आईटीआई गुरदासपुर, डोरांगला ब्लॉक, बामियाल ब्लॉक, फतहपुर गांव (नरौट जयमल सिंह ब्लॉक), कलानौर ब्लॉक, नंगल भूर गांव, दोरांग खाड़ गांव (धर कलान ब्लॉक), बहरामपुर, धारीवाली और डेरा बाबा ब्लॉक, नांगल भूर गांव, डोरांग खाड़ गांव (धार कलान ब्लॉक), बेहरामपुर, धारीवाल तथा डेरा बाबा नानक जैसे 10 केन्द्रों पर फुटबाल की सिलाई/नॉन-लैदर बैग बनाने में ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

[हिन्दी]

रेल लाइन

1667. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलगांव-सोलापुर, जालना-खेमगांव-शेगांव, इंदौर-दाहोद, घार-छोटा उदयपुर और सोलापुर-उस्मानाबाद-बीड-जालना-बुल्ढाना खंडों पर नई लाइन परियोजनाएं जिनका सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है, की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त खंडों पर नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्वीकृति लेने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) आवश्यक स्वीकृति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना और नई रेल लाइने बिछाने का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.ज़े.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (ग) नई लाइन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	सर्वेक्षण का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	जलगांव-सोलापुर	2012-13 में सर्वेक्षण पूरा हो गया। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
2.	जालना-खेमगांव-शेगांव	सर्वेक्षण पूरा हो गया। और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
3.	इंदौर-दाहौद	2007-08 के रेल बजट में कार्य को शामिल किया गया था। कार्य शुरू कर दिया गया है। समग्र वास्तविक प्रगति-15%। पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
4.	धार-छोटाउदयपुर	2007-08 के रेल बजट में कार्य को शामिल किया गया था। कार्य शुरू कर दिया गया है। समग्र वास्तविक प्रगति-10%। पूरा करने का लक्ष्य (टीडीसी) निर्धारित नहीं किया गया।
5.	सोलापुर-ओसमानाबाद-बीड़-जालना-बुलधाना	सोलापुर-जलगांव सर्वेक्षण का सोलापुर-ओसमानाबाद-बीड़ एक भाग है और सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा मंत्रालय में रिपोर्ट की जांच की जा रही है। बीड़-जलना (111 किमी.) सर्वेक्षण पूरा हो गया था और परियोजना के अलाभप्रद होने के कारण इस पर विचार नहीं किया गया। जालना-बुलधाना (106 किमी.) जालना-खेमगांव (155 किमी.) का एक भाग है जिसका सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

कार्य की स्वीकृति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। स्वीकृत कार्यों को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

आवास योजनाएं

1668. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित मध्य प्रदेश में चल रही आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सभी योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार को कितनी निधियों का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु आय के मानदंड में संशोधन का पैरामीटर केवल आर्थिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की उपेक्षा कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ कर) के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निधियां आवंटित की जाती हैं। चालू वित्तीय वर्ष, 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश को आईएवाई के अंतर्गत किया गया केंद्रीय आवंटन 288.84 करोड़ रुपए है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार आईएवाई के अंतर्गत महानों के लिए लक्ष्य समूह हैं। आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल आईएवाई निधियों की 60 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, 3 प्रतिशत राशि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा 15 प्रतिशत राशि अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित की जाती है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के साथ रेल संपर्क

1669. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल का विचार दिल्ली-मुंबई समर्पित मालभाड़ा गलियारे को मध्य प्रदेश में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के साथ जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या डीएमआईसी को ध्यान में रखकर इन्दौर-दाहौद रेल लाइन के पीथामपुर-इंदौर खंड पर नई रेल-लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (घ) पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) मुम्बई में जवाहर लाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी) से दिल्ली के निकट तुगलकाबाद तक फैला है और यह सूरत वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, अजमेर और रेवाड़ी से होकर गुजरता है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारिडोर में समर्पित माल यातायात गलियारे के दोनों छोरो सहित औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर विचार किया गया है। डीएमआईसी परियोजना के प्रथम चरण में, मध्य प्रदेश के पीतमपुर-धार-मऊ औद्योगिक क्षेत्र की पहचान की गई है, जिसे इंदौर-दाहौद नई लाइन (निर्माणाधीन) और डीएफसी के फीडर मार्गों से जोड़ा जा सकता है। पीतमपुर-सरदारपुर, झबुआ और धार (201 किमी.) के रास्ते दाहौद-इंदौर नई लाइन एक स्वीकृत परियोजना है और भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। परियोजना की लागत 1642 करोड़ रु. है और मार्च 2012 तक 98.31 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1670. **श्री जयराम पांगी :** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इसके अध्ययन की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) हमें यह ज्ञात है कि आर्कटिक तथा अंटार्कटिक क्षेत्र वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसलिए, हमारे लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि ये जलवायु परिवर्तन से किस तरह प्रभावित होते हैं, तथा इसके प्रभाव किस तरह क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसलिए, यह महसूस किया गया है कि धुव्रीय क्षेत्र विभिन्न स्थानिक तथा कालिक पैमानों में संभावित जलवायु विविधता को दर्शा सकते हैं, जो कि अन्ततोगत्वा भारतीय उप-महाद्वीप के मानसून मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है।

(ग) जी, हां।

(घ) जलवायु परिवर्तन की विस्तारित मॉनीटरिंग के साथ-साथ संभावित प्रभावों पर समुचित अनुसंधान तथा विकास के प्रयास करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति ध्रुवीय क्षेत्रों के फीडबैक की आवश्यकता पर बल देते हुए, एक अनुसंधान अध्ययन का निर्माण किय गया है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय को इस कार्यकलापों पर लगाने के लिए, एक अवधारणा नोट तैयार किया गया तथा इस पर 27-28 फरवरी, 2013 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित बेलमांट फोरम (विश्व की प्रमुख एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं तथा वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन अनुसंधान के वित्तपोषकों तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषदों का समूह) की बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण

1671. **श्री प्रहलाद जोशी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मानदंडों का ब्यौरा क्या है तथा विद्युतीकृत गांव की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या सरकार शत-प्रतिशत घरों में बिजली वाले गांवों को विद्युतीकृत गांव के रूप में घोषित करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विद्युतीकृत गांवों के स्तर की जांच के लिए कोई तंत्र बनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) वर्ष 2004-05 से किसी गांव को तभी विद्युतीकृत माना जाता है यदि:–

(i) बसे हुए स्थानों के साथ-साथ दलित बस्ती/टोला, जहां पर वे स्थित हैं, में वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं वितरण लाइनों जैसी मूलभूत अवसंरचना उपलब्ध करवाई गई हो।

(ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यायों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केन्द्रों आदि को विद्युत उपलब्ध करवाई गई हो; और

(iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव में कुल घरों की संख्या की कम से कम 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) और (ग) उपर्युक्त मानदंड के आधार पर गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

1672. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार के आरोप को देखते हुए राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उप-धारा (1) यह उपबंध करती है कि उसमे विनिर्दिष्ट कतिय अपराधों, जिसमें, अन्य बातों के साथ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 44) भी सम्मिलित है, के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया कोई व्यक्ति निरर्हित होगा, जहां दोषसिद्ध ठहराया गया व्यक्ति – (i) केवल जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए; (ii) कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से और उसकी निर्मुक्ति के पश्चात् एक और छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होना जारी रहेगा। निर्वाचन सुधार, एक सतत् और निरंतर प्रक्रिया है। निर्वाचन सुधारों को पूर्णत:, भारत विधि आयोग को तारीख 16 जनवरी, 2013 को निर्दिष्ट किया गया है और उससे तीन मास के भीतर अपने ठोस सुझावों को प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया हैं और उससे तीन मास के भीतर अपने ठोस सुझावों को प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया है। सिफारिशों की प्राप्ति पर, मामले की पणधारियों के परामर्श से और समीक्षा की जाएगी। सरकार, विस्तृत राजनैतिक मतैक्य पर आधारित निर्वाचन सुधारों के लिए उद्देश्यपूर्ण कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऊर्जा सुरक्षा

1673. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऊर्जा स्रोतों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है तथा देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेशी आस्तियां खरीदने में सक्षम रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों ने अन्य देशों में ऊर्जा

भंडारों के अधिग्रहण के लिए बोली लगाई है लेकिन वे उनके अधिग्रहण में असफल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार, 2016-17 के अंत तक प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों के लिए प्रक्षेपित मांग 937.26 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) होगी। इस मांग की तुलना में, घरेलू उत्पादन से आपूर्ति इसी अवधि (2016-17) के दौरान 267.76 एमटीओई के ऊर्जा संसाधन आयात को अनिवार्य बनाते हुए 669.50 एमटीओई पर होने की संभावना है। आयात में 90 एमटीओई कोयला 152.44 एमटीओई पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध आयात, 24 एमटीओई एलएनजी, और 0.52 एमटीओई जल विद्युत शामिल है। क्रूड ऑयल के उत्पादन को तेज करने और देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार/तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथा निम्नलिखित शामिल है:—

(i) नई खोज लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के विभिन्न राउंडों के अंतर्गत पेश करने के लिए अंवेषण के एिल अधिक से अधिक क्षेत्रों की खोज करना।

(ii) नई तकनीकों जैसे कि होरोजोन्टल वेल ड्रिलिंग आदि का कार्यान्वयन।

(iii) वर्तमान क्षेत्रों से वसूली कारक को बनाने के लिए एन्हेन्सड ऑयल रिकवरी (ईओआर)/इम्प्रूव्ड ऑयल रिकवरी (आईओआर) का प्रयोग।

(iv) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कि कोयला ब्रेड मीथेन (सीबीएम), शेल गैस/तेल और गैस हाइड्रेट आदि की खोज करना।

(v) तेल के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा विदेशी तेल और गैस परिसम्पतियों का अधिग्रहण करना।

(ख) और (ग) आज, भारती की तेल कंपनियों 23 देशों (वियतनाम, रूस, सूडान, दक्षिण सूडान, म्यांमार, इराक, ईरान, मिस्र, सीरिया, क्यूबा, ब्राजील, कजाकस्तान, गेबन, कोलम्बिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, यमन, आस्ट्रेलिया, पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया, यूएसए, लीबिया और मोजाम्बिक) में मौजूद हैं। विदेशों में तेल के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किया गया कुल निवेश 86,904 करोड़ रुपये है जिसमें सूडान और म्यांमार में दो पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल हैं। ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड (ओवीएल) ने सूडान, वियतनाम, वेनेजुएला, रूस, सीरिया, कोलम्बिया, ब्राजील में अपनी विदेशी परियोजनाओं से 2011-12 में 8.75 मिलियन टन तेल और तेल के बराबर गैस (लगभग 10.5% घरेलू तेल और गैस उत्पादन के बराबर) उत्पादन किया था। 2020 तक, ओवीएल का लक्ष्य 20 एमएमटीओई और 2030 तक 35 एमएमटीओई के वार्षिक उत्पादन स्तर को प्राप्त करना है।

कोल इंडिया लिमिटेड को मोजाम्बिक में 5 वर्ष की अवधि के लिए 06.08.2009 से दो कोयला ब्लॉको के लिए खोज लाइसेंस आबंटित किया गया था। कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल), जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक कंपनी है, को खनन के प्रचालनीकरण हेतु मोजाम्बिक में अगस्त 2009 में पंजीकृत किया गया था। 12वीं योजना हेतु कोल इंडिया लिमिटेड की विदेशी कोयला परिसम्पतियों के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त अस्थायी प्रावधानों के लिए कुल पूंजी व्यय योजना 25,000 करोड़ रुपये है और मोजाम्बिक में कोयला ब्लॉक के विकास के लिए अतिरिक्त अस्थायी प्रावधान 10,000 करोड़ रुपये है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

झारखंड में परियोजनाएं

1674. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में चल रही/लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है तथा ये कब से लंबित हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार ने रेलवे के साथ समझौतो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने की गति देने के लिए रेलवे द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) झारखंड में आंशिक/पूर्ण रूप से आने वाले विभिन्न चालू/स्वीकृत आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, नई रेल लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम अद्यतन लागत	रेल बजट में शामिल किया गया	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
	नई लाइन			
1.	देवगढ़-सुल्तानगंज (149.5 किमी.)	607.09	2000-01	बांका-बाराहट (15.53 किमी.) खंड, देवघर-चंदनपुर (14.40 किमी.) खंड और ककवाड़ा-बांका (5.1 कि.मी.) पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। खंड के शेष भाग का कार्य हाथ में ले लिया गया
2.	गया-बोध गया चतरा, गया-नेतसर (97 किमी.)	549.75	2008.09	प्रारंभिक गतिविधियां शुरू की गई हैं।
3.	गया-डालटनगंज (136.88 किमी.)	445.25	2008.09	आंशिक विस्तृत अनुमान स्वीकृत किया गया है। शेष भाग के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
4.	कोडरमा-गिरिडीह (102.05 किमी.)	1211.08	1996-97	कोडरमा-धनवाड़ (49 किमी.) पूरा हो गया है। खंड के शेष भाग का कार्य हाथ में लिया गया।
5.	हंसडीहा-गोड्डा (30 किमी.)	267.09	2011-12	अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) के लिए आंशिक अनुमान और मिट्टी जांच स्वीकृत की गई है। एफएलएस प्रगति में है।
6.	कोडरमा-रांची (189 किमी.)	2957.21	1998-99	138 गांवों में से 125 गांवों की भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। मिट्टी संबंधी कार्य, प्रमुख/छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है।
7.	कोडरमा-तिलैया (68 किमी.)	418.17	2001-02	भूमि अधिग्रहीत का कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे और प्रमुख पुलों का कार्य शुरू किया गया है।

1	2	3	4	5
8.	रामपुरहाट-मुराराय (29.48 किमी.) 3 लाइन के लिए नए महत्वपूर्ण संशोधन के साथ मनडारहिल-रामपुरहाट (130 किमी.)	900.05	1995-96	मंडारहिल-हंसडिया-कुमरडोल (17.1 किमी.) और कुमरडोल-हंसडिया (किमी. 9.15) और रामपुरहाट-पिनारगडिया (18.5 किमी.) पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। दुमका-बाड़ापलासी (13.8 किमी.) पूरा हो गया है। खंड के शेष भाग का कार्य हाथ में लिया गया है।
	आमान परिवर्तन			
1.	तोड़ी तक विस्तार के साथ रांची-लोहरदगा का आमान परिवर्तन (113 मी.)	456.45	1996-97	रांची-लोहरडागा-बाडकीचंपी (81.5 किमी.) का आमान परिवर्तन पूरा कर दिया गया है। खंड के शेष भाग का काम हाथ में ले लिया गया है।
	दोहरीकरण			
1.	चंद्रपुरा-राजबेड़ा-चंद्रपुरा-भंडारीदाह (10.6 किमी.)	44.87	2008-09	मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं।
2.	डंगोआपोसी-राजखरस्वान तीन लाइन (65 किमी.)	388.67	2010-11	विस्तृत अनुमान स्वीकृत। प्रारंभिक गतिविधियां शुरू की गई हैं।
3.	गोयलकेड़ा-मनोहरपुर तीन लाइन (चक्रधरपुर-बोडामुंडा खंड) (40 किमी.)	271.69	2007-08	विस्तृत अनुमान मंजूर। फील्ड के कार्य पूरे हो गए हैं और काम चालू हो गया है।
4.	मनोहरपुर-बोंडामुंडा तीन लाइन (30 किमी.)	258.20	2012-13	2012-13 के रेल बजट में नया कार्य।
5.	मूरी-उत्तरी आउटर केबिन/मूरी-सुवर्णरिखा पर दूसरे पुल की व्यवस्था के साथ खंड का दोहरीकरण (1 किमी.)	23.15	2008-09	विस्तृत अनुमान स्वीकृत. मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं।
6.	राजखरस्वान-चक्रधरपुर तीन लाइन (20 किमी)	148.77	2012-13	2012-13 के रेल बजट में शामिल नया कार्य।
7.	राजखरस्वान-सिनी तीन लाइन (15 किमी.)	91.61	2008-09	विस्तृत अनुमान स्वीकृत. मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5
8.	साहिबगंज-पीरपेंटी (10.45 किमी.)	129.45	2010-11	विस्तृत अनुमान स्वीकृत. मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों के कार्य के ठेके प्रदान कर दिए गए है।
9.	सिनी-आदित्यपुर तीन लाइन (22.5 किमी.)	143.16	2010-11	विस्तृत अनुमान स्वीकृत. मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
10.	तिनपहाड़-भागलपुर के दोहरीकरण के चरण-१ के में तिनपहाड़-साहिबगंज (37.81 किमी.)	167.83	2009-10	मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

संसाधनों की सीमित उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण के मामलों में कठिनाई, वन विभाग संबंधी स्वीकृति, कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति के कारणों से चालू परियोजनाओं में विलंब हो जाता है। संसाधनों की सीमित मात्रा के साथ रेलवे के पास चालू नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपये का थ्रोफारवर्ड है जिसके परिणाम-स्वरूप इन परियोजनाओं को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वार्षिक रूप से अपर्याप्त मात्रा में निधि आबंटित की जाती है।

(ग) जी, हां। कुछ परियोजनाओं के लिए।

(घ) लागत में साझेदारी के आधार पर 6 परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 2002 में रेल मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू), हस्ताक्षर किया गया था। इन परियोजनाओं में 5 लाइनें यथा देवगढ़-दुमका, कोडरेमा-गिरिडीह, दुमका-रामपुरहाट, कोडरेमा-तिलैया और कोडरमा-हजारीबाग-बरकाकाना-रांची और 1 आमान परिवर्तन परियोजना यथा रांजी-लोहारडागा शामिल हैं। नई स्वीकृत परियोजना यथा हंसडीह-गोड्डा नई लाइन के निष्पादन के लिए अन्य एमओयू सहित 14 फरवरी, 2012 को इन 6 परियोजनाओं के लिए एक संशोधित एमओयू पर हस्ताक्षरित किया गया था। देवगढ़-दुमका परियोजना पूरी हो गई है और शेष परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ङ) परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए उच्च स्तर पर वन संबंधी और अन्य स्वीकृतियां ले ली गई हैं। निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती है। परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए फिल्ड इकाइयों का सशक्तिकरण भी किया गया है।

उर्वरक संयंत्रों का विस्तार

1675. श्री जगदीश सिंह राणा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ उर्वरक संयंत्रों के विस्तार के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) देश में यूरिया की मांग और आपूर्ति में बढ़ते अंतर को देखते हुए सरकार ने उर्वरक संयंत्रों के विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं। यूरिया क्षेत्र में नए निवेशों को सरल बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने 2 जनवरी, 2013 को 'नई निवेश नीति-2012' अधिसूचित की है। उर्वरक विभाग के दिनांक 9 जनवरी, 2013 के पत्र के उत्तर में अपनी इच्छा दर्शाने वाली कंपनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की यूरिया उत्पादक कंपनी मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) ने थाल-III (महाराष्ट्र) में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव पर पीआईबी-पूर्व बैठक में 14 फरवरी, 2013 को विचार किया गया था। इस परियोजना के लिए 4112.51 करोड़ रुपये लागत का अनुमान लगाया गया है। परियोजना को स्थापित करने में सरकार से किसी वितीय सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है।

विवरण

कंपनियों की सूची

क्र.सं.	कंपनी	परियोजना	स्वामित्व	राज्य/क्षेत्र
1.	इफ्को-कलोल	कलोल में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया विस्तार संयंत्र	सहकारी समिति	गुजरात
2.	आईजीएफएल-जगदीशपुर	जगदीशपुर में ब्राउनफील्ड यूरिया विस्तार परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
3.	सीएफसीएल-गडेपान	गडेपान कोटा में अमोनिया-यूरिया इकाइयों का विस्तार	निजी	राजस्थान
4.	कृभको-हजारी	ब्राउनफील्ड हजीरा उर्वरक इकाई-फेज-II	सहकारी समिति	गुजरात
5.	टीसीएल-बबराला	बबराला में यूरिया परियोजना का विस्तार	निजी उत्तर प्रदेश	
6.	जीएनवीएफसी-भरूच	दाहेज में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	राज्य संयुक्त उद्यम	गुजरात
7.	जीएसएफसी-वडोदरा	दाहेज में ग्रीनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	राज्य पीएसयू	गुजरात
8.	एनएफसीएल-काकीनाडा	काकीनाडा में अमोनिया-यूरिया परियोजना का विस्तार	निजी	आंध्र प्रदेश
9.	श्रीराम, श्रीराम कंपनी ग्रुप	पाराद्वीप, ओडिशा में ग्रीनफील्ड को गैसीकरण अमोनिया-यूरिया परियोजना	निजी	ओडिशा
10.	आरसीएफ-थाल	आरसीएफ के थाल-III में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना	सीपीएसयू	महाराष्ट्र
11.	केएफएंडसीएल-कानपुर	पंकी कानपुर में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
12.	केएसएफएल-शाजहांपुर	शाहजहांपुर-II में ब्राउनफील्ड यूरिया अमोनिया परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
13.	फैक्ट-कोच्चि	कोच्चि में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	पीएसयू	केरल
14.	मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.	पानागढ़, पश्चिम बंगाल में ग्रीनफील्ड अमोनिया-यूरिया मिश्रित उर्वरक	निजी	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

सामाजिक-धार्मिक समुदायों संबंधी राष्ट्रीय डाटा बैंक

1676. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजेन्द्र सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार सामाजिक-धार्मिक समुदायों से संबंधित राष्ट्रीय डाटा बैंक की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) और (ख) सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को राष्ट्रीय डाटा बैंक (एनडीबी) की स्थापना करने का अधिदेश दिया गया था। तद्नुसार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आवश्यक आईटी बैकअप मुहैया कराते हुए एमओएसपीआई के कम्प्यूटर केन्द्र के साथ केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग को एनडीबी से संबंधित कार्य सौंपे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सामाजिक-धार्मिक समुदायों से संबंधित समस्त उपलब्ध आंकड़े अपलोड करने के उद्देश्य से एक वेब पोर्टल का सृजन किया है। अब तक, जनसंख्या संबंधी 97 तालिकायें (जनगणना, 2011 तथा जनगणना, 2001) वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं।

किसानों को क्षतिपूर्ति

1677. श्री अमरनाथ प्रधान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन किसानों और निवासियों, जिनकी जमीन बांध के निर्माण में चली गई है को इसके लिए अभी भी क्षतिपूर्ति मिलना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी लागत से बन रहे इन बांधों से जल की आपूर्ति सिर्फ बड़े औद्योगिक घरानों और शहरों को की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जल राज्य का विषय है तथा भूमि अधिग्रहण एवं भूमि की क्षतिपूर्ति सहित जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, विकास और प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार, किसानों तथा स्थानीय निवासियों, जो कि बांध निर्माण के लिए अपनी भूमि खो चुके हैं, को मुआवजे का भुगतान न होने के मामले केन्द्रीय जल आयोग को नहीं भेजे गए हैं।

(ग) से (ङ) जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, विभिन्न उपयोगों के लिए जल के वितरण की प्राथमिकताएं भी संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों की होती हैं।

रेलवे लाइनों का दोहरीकरण

1678. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरई-तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी खंड के दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) मदुरई-तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

(ख) मदुरई-तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी खंड का दोहरीकरण स्वीकृत नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा

1679. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मिनी रत्न के दर्जे के पुनर्परीक्षण के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी मंत्रालयों/विभागों ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) उन मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा क्या हे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) लोक उद्यम विभाग ने 20 दिसम्बर, 2011 को संबंधित 25 मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध करते हुए लिखा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम, पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने कार्य-निष्पादन के आधार पर मिनीरत्न दर्जा प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते रहें। चूंकि निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम मिनीरत्न दर्जा दिए जाने के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हैं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को एक बार मिनीरत्न दर्जा मिलने पर वे इस संबंध में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते रहें।

(ग) से (ङ) ये रिपोर्टें अभी तक 22 प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों से प्राप्त हुई हैं। तीन मंत्रालयों/विभागों से अधूरी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं अर्थात (i) उर्वरक, (ii) विद्युत एवं (iii) उच्चतर शिक्षा। इन तीनों मंत्रालयों/विभागों को शीघ्र रिपोर्ट भेजने के लिए पहले ही अनुस्मारक भेज दिए गए हैं।

न्यायालयों की स्थापना

1680. **श्री आर. थामराईसेलवन :**
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में बड़ी संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(घ) नए न्यायालयों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में लागत की हिस्सेदारी किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायालयों की स्थापना करना, राज्य सरकारों का प्राथमिक रूप से उत्तरदायित्व है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को अधीनस्थ न्यायपालिका की अवसंरचना के विकास और कंप्यूटरीकृत करने के लिए निधि उपलब्ध करके सहयोग कर रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्कीमों के अधीन जारी की गई रकम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, तारीख 19.04.2012 को ब्रिज मोहन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, सरकार ने, राज्य न्यायिक सेवाओं में सृजित किए जाने वाले 10% न्यायाधीशों के अतिरिक्त पदों के लिए किसी अनुरूप आधार पर वित्तपोषण करने का विनिश्चय किया है। यह सहायता तारीख 31.03.2015 तक उपलब्ध रहेगी।

न्याय विभाग में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की सलाहकारी परिषद् ने तारीख 15.05.2012 को यह संकल्प किया है कि आगामी पांच (5) वर्षों में अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या को दोगुना कर दिया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी हाल ही में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायालयों की विद्यमान संख्या को दोगुना करने और अवसंरचना और उनके लिए सचिवालयिक कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को सम्मत करने के लिए लिखा है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वर्ष के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई निधियां		
		2010-11	2011-12	2012-13 (फरवरी, 2013 तक)
1.	न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम	142.74	595.74	693.21
2.	ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहायता	7.45	4.46	3.94
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	119.896	90.00	83.51
4.	13वें वित्त आयोग का पंचाट	1000.00	269.06	156.17

[हिन्दी]

औषधियों का खुदरा मूल्य और विनिर्माण लागत

1681. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के खुदरा मूल्य और इनकी विनिर्माण लागत के बीच भारी अंतर है जिसके कारण ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) औषधि (मूल्य और नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन इसकी प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध 74 ब्ल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा इन अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने की अनुमति नहीं है।

तथापि, जो औषधियां डीपीसीओ, 1995 के अधीन शामिल नहीं हैं अर्थात गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके संबंध में विनिर्माताओं द्वारा सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना स्वयं मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। समान रासायनिक संयोजनों पर आधारित विभिन्न ब्रांडों की गैर-अनुसूचित औषधियों के मूल्यों में व्यापक भिन्नताएं हैं क्योंकि इन दवाइयों के लांच मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, गैर-अनुसूचित औषधियों के मूल्यों के रुझान की एनपीपीए द्वारा मानीटरिंग की जाती है और वहां उपर्युक्त कार्रवाई की जाती है जहां मूविंग आधार पर एक वर्ष से अधिक अवधि में 10 प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि हुई हो।

(ग) सरकार द्वारा 07 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित की गई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2012 (एनपीपीपी-2012) में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएलईएम-2011) के अंतर्गत सूचीबद्ध दवाइयों को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

पुराने यूरिया और अमोनिया संयंत्र, कोचीन की नीलामी

1682. श्री महेश जोशी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एफ.ए.सी.टी., कोचीन डिवीजन में स्थित पुराने यूरिया-अमोनिया संयंत्र की नीलामी के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैसर्स अन्नाम स्टील द्वारा दायर 2012 की रिट याचिका सं. 9049 का मामला 19.12.2012 को माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए फिर से खोला जाए। माननीय न्यायालय ने मामले में फिर नए सिरे से 28.02.2013, 01.03.2013 और 05.03.2013 को सुनवाई की और फैसले के लिए 11.03.2013 की तारीख तय की।

महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया

1683. श्री संजय निरुपम : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उस कानून पर पुन: विचार कर रही है जो किसी न्यायाधीश को किसी महाभियोग प्रक्रिया के पूरा होने तक त्याग पत्र देने से रोकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जाना, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के परंतुक (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 124(4) तथा अनुच्छेद 217(1) के परंतुक (ख) द्वारा शासित किया जाता है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, कदाचार या अक्षमता के साबित होने पर, हटाए जाने की प्रक्रिया को, राष्ट्रपति के संसद के सदनों को संबोधित करते हुए अधिकथित करता है।

सरकार ने विभिन्न न्यायिक सुधारों को प्रारंभ किया है। उनमें से एक ''न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक'' है जो वर्तमान में, संसद में विचार-विमर्श के लिए है। विधेयक में एक उपबंध है जिसमें यह नियत है कि ऐसे मामले में जहां किसी न्यायाधीश के विरुद्ध जांच या अन्वेषण प्रारंभ किया गया है तथा ऐसे न्यायाधीश ने ऐसी जांच के दौरान इस्तीफा या पद त्याग किया है वहां जांच अथवा अन्वेषण जारी रह सकेगा यदि कदाचार गंभीर प्रकृति का है तथा उसका अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर, केंद्रीय सरकार तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन मामले में आगे की कार्रवाई कर सकेगी। विधेयक यह और उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम के उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियम बना सकेगी।

एनटीपीसी द्वारा विद्युत आपूर्ति को रोकना

1684. श्री पी. कुमार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने विभिन्न वितरण कंपनियों को अपने बकाए का भुगतान न करने के कारण विद्युत आपूर्ति को रोकने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियां एनटीपीसी के साथ हस्ताक्षरित विद्युत खरीद समझौते का अनुपालन करने में विफल हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) कुछ विद्युत वितरण कंपनियों (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है) के मामले में, एनटीपीसी ने विद्युत क्रय करार के प्रावधानों के अनुसार, बकाये का भुगतान न होने/ अपेक्षित साख पत्र (एलसी) के उपलब्ध न होने के कारण विद्युत आपूर्ति के विनियमन के लिए विनिमन नोटिस भेजे हैं। तथापि विद्युत आपूर्ति नहीं रोकी गई थी।

(ग) और (घ) कभी-कभी, कुछ विद्युत कंपनियां [(i) मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल), (ii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल), (iv) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), (v) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड

(बीआरपीएल) तथा (vi) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)] मुख्य रूप से, निर्धारित तारीख तक भुगतान करने और पर्याप्त साख पत्र (एलसी) बनाए रखने में विद्युत क्रय करार के प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रही हैं।

शौचालय सुविधाएं

1685. **श्री निलेश नारायण राणे :** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनीसेफ के सर्वेक्षण के अनुसार केवल 31 प्रतिशत ग्रामीण घरों और स्कूलों में शौचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन आंकड़ों और डब्ल्यूएचओ और यूनीसेफ के आंकड़ों में भारी अंतर की समस्या से निपटने के लिए देश में स्वच्छता स्तर की नए सिरे से गणना कराने का निर्णय लिया है तथा राज्य सरकारों से कहा है कि वे तथ्यात्मक कवरेज में मदद करें जो भविष्य की रिपोर्ट का आधार होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) तथा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) द्वारा प्रकाशित संयुक्त मॉनिटरिंग कार्यक्रम (जेएमपी) रिपोर्ट के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज लगभग 33% है जो कि वर्ष 2010 के अनुसार है। जनगणना 2011 में भी ग्रामीण क्षेत्रों में 32.67% स्वच्छता कवरेज की सूचना मिली है।

(ग) खुले में शौच जाने की प्रथा को समाप्त करने, शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने बड़ी पहल की है तथा समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसे कि अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्मल भारत अभियान (एनबीए) कहा जाता है। एनबीए का उद्देश्य एक चरणबद्ध, संतृप्तिबोध रूप में संपूर्ण समुदायों में स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान से सतत् व्यावहारिक परिवर्तन लाकर ''निर्मल ग्रामों'' को प्राप्त करना है। नई कार्यनीति यह है कि सामुदायिक संतृप्तिबोध दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण भारत को ''निर्मल भारत'' में बदलना।

एनबीए के अंतर्गत दिनांक 01.04.2012 से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने का प्रावधान किया गया है और यही प्रावधान बीपीएल परिवारों सहित उन सभी एपीएल परिवारों, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, छोटे और सुविधाहीन किसान, अधिवासों वाले भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिला आश्रित परिवार हैं, के लिए विस्तारित किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान के संशोधित प्रावधानों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नए सिरे से आधारभूत सर्वेक्षण करने और संशोधित परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपीएस) को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस आधारभूत सर्वेक्षण में कार्य न कर रहे शौचालय के भी विवरण शामिल करने को कहा गया है।

जनऔषधि विक्रय केन्द्र

1686. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :**
श्री प्रेमदास राय :
श्री धनंजय सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश में सरकारी अस्पतालों में विभिन्न जनऔषधि विक्रय केन्द्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा कौन-कौन सी एजेंसियां ये विक्रय केन्द्र चला रही हैं;

(ख) इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कुल कितनी राशि व्यय हुई और कुल कितनी बिक्री हुई तथा इस कार्यक्रम की शुरुआत से इन एजेंसियों द्वारा कितना लाभ कमाया गया;

(ग) जनऔषधि विक्रय केन्द्र खोलने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से कितने अभिरूचि/प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं और लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से बेची जा रही औषधियों की गुणवत्ता के लिए कोई मानक निर्धारित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा जनऔषधि दवाइयों की गुणवत्ता और उनकी प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए अध्ययन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री

तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) दिनांक 28.2.2013 की स्थिति के अनुसार देश में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित 12 राज्यों में 149 जन औषधि बिक्री केंद्रों को तालिका के नीचे दी गई टिप्पणियों में दिए गए कारणों से बंद कर दिया गया है। इन केंद्रों को चलाने वाली एजेंसियों के नामों सहित ब्यौरा नीचे दिए गए विवरण में प्रस्तुत है:—

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खोले गए जेएएस की संख्या	जेएएस का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश**	03	अस्पताल समिति
2.	हरियाणा**	04	रेड क्रॉस सोसाइटी
3.	हिमाचल प्रदेश	10	रोगी कल्याण समिति
4.	जम्मू और कश्मीर	03	रेड क्रॉस सोसाइटी
5.	ओडिशा	18	रेड क्रॉस सोसाइटी
6.	पंजाब*	23	रेड क्रॉस सोसाइटी/रोगी कल्याण समिति
7.	राजस्थान@	53	
8.	उत्तराखंड	02	चिकित्सा प्रबंधन समिति
9.	पश्चिम बंगाल#	03	
10.	चंडीगढ़	03	रेड क्रॉस सोसाइटी
11.	दिल्ली	03	केन्द्रीय भंडार
12.	झारखंड	24	जिला अस्पताल प्रबंधन सोसाइटियां (रोगी कल्याण समितियां)
	कुल	149	

* प्रशासनिक कारणों से पंजाब के फतेहगढ़ साहिब तथा रूपनगर स्थित 02 जन औषधि बिक्री केंद्र कार्य नहीं कर रहे हैं।

** हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव और यमुना नगर स्थित 03 जन औषधि बिक्री केंद्र तथा आंध्र प्रदेश में एनआईएमएस और उप्पल, हैदराबाद स्थित जन औषधि बिक्री केंद्र भी प्रशासनिक कारणों से कार्य नहीं कर रहे हैं।

@ राजस्थान के मामले में राजस्थान सरकार की नवीनतम स्वास्थ्य नीति के अनुसार दिनांक 02 अक्तूबर, 2011 से उपचार के लिए राज्य के सरकार अस्पतालों में आने वाले सभी अंतरंग रोगियों तथा बहिरंग रोगियों को निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। तदनुसार, दवाओं के लिए निःशुल्क वितरण केन्द्र खोलने के अलावा, राज्य सरकार ने राज्य में मौजूदा सभी 53 जन औषधि बिक्री केन्द्रों को निःशुल्क वितरण केंद्रों में बदल दिया है। राज्य में जन औषधि बिक्री केंद्रों के संचालन से संबंधित मामले को प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान सरकार के साथ उठाया गया है।

पश्चिम बंगाल के मामले में राज्य सरकार ने प्रचालन एजेंसियों को अक्तूबर, 2012 में यह निदेश दिया था कि वे जन औषधि बिक्री केन्द्रों को बंद कर दें और इन जन औषधि बिक्री केन्द्रों के बदले राज्य सरकार द्वारा ऐसे बिक्री केन्द्रों से दवाइयों की बिक्री के लिए उचित मूल्य बिक्री खोले गए हैं।

(ख) जहां तक, अब तक (28.2.2013 तक) खर्च की गई रकम का संबंध है में बीपीपीआई ने ऐसे बिक्री केंद्रों के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करने और प्रारंभिक लागत के संबंध में 2.50 लाख रुपए प्रति जन औषधि बिक्री केंद्र के एकबारगी अनुदान का भुगतान करने के लिए 1,86,80,441/- रुपए का व्यय किया है जन औषधि कार्यक्रम के प्रारंभ से प्रत्येक बिक्री केंद्र में दवाइयों की बिक्री का जहां तक संबंध है ऐसे कोई भी आंकड़े विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, अप्रैल, 2010 से राज्यवार मासिक बिक्री का डाटा उपलब्ध है और अप्रैल, 2010 से फरवरी, 2013 तक की अवधि के लिए यह डाटा विवरण-I के रूप में संलग्न है। जहां तक एजेंसियों द्वारा अर्जित किए गए लाभ का संबंध है, इस प्रकार के आंकड़े विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(घ) जहां तक वर्तमान में, केन्द्रीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जन औषधि बिक्री केन्द्रों को सप्लाई की जा रही जेनरिक दवाइयों की गुणवत्ता का संबंध है, इन दवाइयों का विनिर्माण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित भारतीय भेषज संहिता (आईपी) मानकों के अनुरूप किया जाता है।

(ङ) और (च) जन औषधि बिक्री केन्द्रों को उपलब्ध कराई जा रही दवाइयां अत्यधिक मंहगी ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में केवल गुणवत्ता में ही बराबर नहीं होती है बल्कि उनकी समान प्रभावकारिता और क्षमता भी होती है। इसकी पुष्टि जन औषधि बिक्री केन्द्रों में बेची जा रही दवाइयों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एम्स, नईदिल्ली द्वारा किए जा रहे एक नियमित अध्ययन द्वारा की गई है। एम्स द्वारा औषध विभाग को प्रस्तुत की गई वर्ष 2011-12 की अवधि की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा जांचे गए जन औषधि जेनरिक दवाइयों के सभी 83 नमूने (2010-11 में 42 और 2011-12 में 41) आईपी मानकों को पूरा करते हैं।

विवरण-I

अप्रैल, 2010 से फरवरी, 2013 तक की सीपीएसयू की राज्यवार मासिक बिक्री

क्र. सं.	महीने का नाम	राज्य का नाम	माह के दौरान बिक्री	सीपीएसयू की कुल बिक्री
1	2	3	4	5
1.	अप्रैल, 2010	दिल्ली	88895	1367001
		हरियाणा	43424	
		पंजाब	937018	
		उत्तराखंड	120261	
		चंडीगढ़	44361	
		आंध्र प्रदेश	0	
		ओडिशा	133042	
		राजस्थान	0	
2.	मई, 2010	दिल्ली	107069	1575971
		हरियाणा	84316	

1	2	3	4	5
		पंजाब	971483	
		उत्तराखंड	117917	
		चंडीगढ़	33782	
		आंध्र प्रदेश	0	
		ओडिशा	261404	
		राजस्थान	0	
3.	जून, 2010	दिल्ली	82979	1446879
		हरियाणा	84374	
		पंजाब	956728	
		उत्तराखंड	41276	
		चंडीगढ़	108879	
		आंध्र प्रदेश	0	
		ओडिशा	172643	
		राजस्थान	0	
4.	जुलाई, 2010	दिल्ली	114095	2153537
		हरियाणा	73033	
		पंजाब	1055913	
		उत्तराखंड	29415	
		चंडीगढ़	111881	
		आंध्र प्रदेश	577352	
		ओडिशा	191848	
		राजस्थान	0	

1	2	3	4	5
5.	अगस्त, 2010	दिल्ली	100927	2325311
		हरियाणा	73471	
		पंजाब	1578103	
		उत्तराखंड	173733	
		चंडीगढ़	77594	
		आंध्र प्रदेश	111057	
		ओडिशा	210426	
		राजस्थान	0	
6.	सितम्बर, 2010	दिल्ली	99239	2315338
		हरियाणा	50553	
		पंजाब	1040204	
		उत्तराखंड	24973	
		चंडीगढ़	91165	
		आंध्र प्रदेश	398732	
		ओडिशा	373940	
		पश्चिम बंगाल	236532	
		राजस्थान	0	
7.	अक्तूबर, 2010	दिल्ली	81130	1879680
		हरियाणा	47205	
		पंजाब	898844	
		उत्तराखंड	23299	
		चंडीगढ़	147878	
		आंध्र प्रदेश	300874	

1	2	3	4	5
		ओडिशा	200582	
		पश्चिम बंगाल	179868	
		राजस्थान	0	
8.	नवंबर, 2010	दिल्ली	94899	2043753
		हरियाणा	36617	
		पंजाब	958246	
		उत्तराखंड	9530	
		चंडीगढ़	130107	
		आंध्र प्रदेश	320994	
		ओडिशा	329684	
		पश्चिम बंगाल	163676	
		राजस्थान	0	
9.	दिसम्बर, 2010	दिल्ली	75475	2070114
		हरियाणा	22228	
		पंजाब	1395672	
		उत्तराखंड	7266	
		चंडीगढ़	84095	
		आंध्र प्रदेश	19342	
		ओडिशा	252877	
		पश्चिम बंगाल	213159	
		राजस्थान	0	
10.	जनवरी, 2011	दिल्ली	91981	2569925
		हरियाणा	374647	

1	2	3	4	5
		पंजाब	785291	
		उत्तराखंड	15384	
		चंडीगढ़	104842	
		आंध्र प्रदेश	54157	
		ओडिशा	899945	
		पश्चिम बंगाल	243678	
		राजस्थान	0	
11.	फरवरी, 2011	दिल्ली	135099	2321050
		हरियाणा	18363	
		पंजाब	1020794	
		उत्तराखंड	14898	
		चंडीगढ़	179963	
		आंध्र प्रदेश	249122	
		ओडिशा	427371	
		पश्चिम बंगाल	275440	
		राजस्थान	0	
12.	मार्च, 2011	दिल्ली	110187	2595457
		हरियाणा	127863	
		पंजाब	1470009	
		उत्तराखंड	14480	
		चंडीगढ़	147047	
		आंध्र प्रदेश	3354	
		ओडिशा	448730	

1	2	3	4	5
		पश्चिम बंगाल	273787	
		राजस्थान	0	
13.	अप्रैल, 2011	दिल्ली	168803	1652462
		हरियाणा	21302	
		पंजाब	890509	
		उत्तराखंड	12853	
		चंडीगढ़	69187	
		आंध्र प्रदेश	48280	
		ओडिशा	238128	
		पश्चिम बंगाल	203400	
		राजस्थान	0	
14.	मई, 2011	दिल्ली	76843	2179462
		हरियाणा	25538	
		पंजाब	968979	
		उत्तराखंड	16078	
		चंडीगढ़	105081	
		आंध्र प्रदेश	308245	
		ओडिशा	287195	
		पश्चिम बंगाल	161947	
		राजस्थान	190298	
		जम्मू और कश्मीर	39258	
15.	जून, 2011	दिल्ली	103839	2366643
		हरियाणा	12630	

1	2	3	4	5
		पंजाब	1457882	
		उत्तराखंड	11757	
		चंडीगढ़	49614	
		आंध्र प्रदेश	310	
		ओडिशा	368144	
		पश्चिम बंगाल	128778	
		राजस्थान	213750	
		जम्मू और कश्मीर	19938	
16.	जुलाई, 2011	दिल्ली	115105	2683363
		हरियाणा	88859	
		पंजाब	1137335	
		उत्तराखंड	15090	
		चंडीगढ़	97121	
		आंध्र प्रदेश	327252	
		ओडिशा	565165	
		पश्चिम बंगाल	117779	
		राजस्थान	206763	
		जम्मू और कश्मीर	12894	
17.	अगस्त, 2011	दिल्ली	82583	2292815
		हरियाणा	13478	
		पंजाब	1057590	
		उत्तराखंड	0	
		चंडीगढ़	83707	

1	2	3	4	5
		आंध्र प्रदेश	186292	
		ओडिशा	609542	
		पश्चिम बंगाल	84990	
		राजस्थान	9545	
		जम्मू और कश्मीर	164087	
18.	सितम्बर, 2011	दिल्ली	139922	2430557
		हरियाणा	7637	
		पंजाब	974769	
		उत्तराखंड	19321	
		चंडीगढ़	81814	
		आंध्र प्रदेश	19817	
		ओडिशा	1077568	
		पश्चिम बंगाल	99283	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	10426	
19.	अक्तूबर, 2011	दिल्ली	102691	2317966
		हरियाणा	68869	
		पंजाब	1055062	
		उत्तराखंड	11908	
		चंडीगढ़	102562	
		आंध्र प्रदेश	405	
		ओडिशा	503870	
		पश्चिम बंगाल	110066	

1	2	3	4	5
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	18444	
		हिमाचल प्रदेश	344089	
20.	नवंबर, 2011	दिल्ली	115599	2805269
		हरियाणा	85764	
		पंजाब	1073303	
		उत्तराखंड	17474	
		चंडीगढ़	116820	
		आंध्र प्रदेश	18239	
		ओडिशा	785345	
		पश्चिम बंगाल	159335	
		राजस्थान	11045	
		जम्मू और कश्मीर	0	
		हिमाचल प्रदेश	422345	
21.	दिसम्बर, 2011	दिल्ली	132841	2845513
		हरियाणा	50113	
		पंजाब	849061	
		उत्तराखंड	84207	
		चंडीगढ़	85327	
		आंध्र प्रदेश	234157	
		ओडिशा	864188	
		पश्चिम बंगाल	181003	
		राजस्थान	0	

1	2	3	4	5
		जम्मू और कश्मीर	13191	
		हिमाचल प्रदेश	351425	
22.	जनवरी, 2012	दिल्ली	107431	2397157
		हरियाणा	31357	
		पंजाब	718019	
		उत्तराखंड	131004	
		चंडीगढ़	66662	
		आंध्र प्रदेश	263184	
		ओडिशा	492670	
		पश्चिम बंगाल	147753	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	10836	
		हिमाचल प्रदेश	428241	
23.	फरवरी, 2012	दिल्ली	102027	1978476
		हरियाणा	13362	
		पंजाब	766502	
		उत्तराखंड	0	
		चंडीगढ़	68113	
		आंध्र प्रदेश	136	
		ओडिशा	563383	
		पश्चिम बंगाल	138091	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	13600	

1	2	3	4	5
		हिमाचल प्रदेश	313262	
24.	मार्च, 2012	दिल्ली	131329	2844344
		हरियाणा	20764	
		पंजाब	784515	
		उत्तराखंड	0	
		चंडीगढ़	71020	
		आंध्र प्रदेश	111867	
		ओडिशा	960268	
		पश्चिम बंगाल	288300	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	69297	
		हिमाचल प्रदेश	406984	
25.	अप्रैल, 2012	दिल्ली	100961	1647172
		हरियाणा	12817	
		पंजाब	547884	
		उत्तराखंड	0	
		चंडीगढ़	63966	
		आंध्र प्रदेश	0	
		ओडिशा	467504	
		पश्चिम बंगाल	129156	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	35905	
		हिमाचल प्रदेश	288979	

1	2	3	4	5
26.	मई, 2012	दिल्ली	132952	2217610
		हरियाणा	13914	
		पंजाब	881584	
		उत्तराखंड	546	
		चंडीगढ़	54355	
		आंध्र प्रदेश	69378	
		ओडिशा	513083	
		पश्चिम बंगाल	238711	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	58874	
		हिमाचल प्रदेश	254213	
27.	जून, 2012	दिल्ली	131153	2477521
		हरियाणा	15750	
		पंजाब	609319	
		उत्तराखंड	1965	
		चंडीगढ़	39965	
		आंध्र प्रदेश	17542	
		ओडिशा	741598	
		पश्चिम बंगाल	336210	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	58979	
		हिमाचल प्रदेश	525040	

1	2	3	4	5
28.	जुलाई, 2012	दिल्ली	310449	3338244
		हरियाणा	22492	
		पंजाब	747587	
		उत्तराखंड	3747	
		चंडीगढ़	54406	
		आंध्र प्रदेश	353034	
		ओडिशा	799700	
		पश्चिम बंगाल	298960	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	44053	
		हिमाचल प्रदेश	703816	
29.	अगस्त, 2012	दिल्ली	161898	3455594
		हरियाणा	19400	
		पंजाब	911821	
		उत्तराखंड	13559	
		चंडीगढ़	52432	
		आंध्र प्रदेश	149000	
		ओडिशा	792528	
		पश्चिम बंगाल	351572	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	52945	
		हिमाचल प्रदेश	950439	

1	2	3	4	5
30.	सितम्बर, 2012	दिल्ली	240673	3669701
		हरियाणा	23617	
		पंजाब	816819	
		उत्तराखंड	6687	
		चंडीगढ़	68536	
		आंध्र प्रदेश	0	
		ओडिशा	696332	
		पश्चिम बंगाल	97260	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	344007	
		हिमाचल प्रदेश	1168941	
		झारखंड	206829	
31.	अक्तूबर, 2012	दिल्ली	251224	3310044
		हरियाणा	37032	
		पंजाब	861111	
		उत्तराखंड	2247	
		चंडीगढ़	76633	
		आंध्र प्रदेश	0	
		ओडिशा	967145	
		पश्चिम बंगाल	0	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	321872	
		हिमालच प्रदेश	634699	

1	2	3	4	5
		झारखंड	158081	
32.	दिसम्बर, 2012	दिल्ली	334606	2883627
		हरियाणा	21526	
		पंजाब	542754	
		उत्तराखंड	986	
		चंडीगढ़	39506	
		आंध्र प्रदेश	0	
		ओडिशा	1076808	
		हिमाचल प्रदेश	0	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	274753	
		हिमाचल प्रदेश	488912	
		झारखंड	103776	
33.	दिसम्बर, 2012	दिल्ली	280954	2858299
		हरियाणा	22920	
		पंजाब	661736	
		उत्तराखंड	879	
		चंडीगढ़	21790	
		आंध्र प्रदेश	0	
		ओडिशा	973405	
		पश्चिम बंगाल	0	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	274140	

1	2	3	4	5
		हिमाचल प्रदेश	504924	
		झारखंड	117551	
34.	जनवरी, 2013	दिल्ली	231751	2317991
		हरियाणा	36871	
		पंजाब	515677	
		उत्तराखंड	848	
		चंडीगढ़	19039	
		आंध्र प्रदेश	0	
		ओडिशा	916833	
		पश्चिम बंगाल	0	
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	121085	
		हिमाचल प्रदेश	230725	
		झारखंड	245162	
35.	फरवरी, 2013	दिल्ली	481380	3966024
		हरियाणा	403426	
		पंजाब	347537	
		उत्तराखंड	453	
		चंडीगढ़	26609	
		आंध्र प्रदेश	277134	
		ओडिशा	1045615	
		पश्चिम बंगाल	0	

1	2	3	4	5
		राजस्थान	0	
		जम्मू और कश्मीर	886511	
		हिमाचल प्रदेश	322915	
		झारखंड	174444	

विवरण-II

उत्तर प्रदेश : बीपीपीआई के पास उत्तर प्रदेश सरकार की कोई हित अभिव्यक्ति/प्रस्ताव लंबित नहीं है।

तमिलनाडु : सचिव सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले तथा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तमिलनाडु सरकार के साथ सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सोसाइटी ट्रिप्लिकेन अरबन कोआपरेटिव सोसाइटी कामधेनु द्वारा संचालित 191 फार्मेसियों के माध्यम से जेनरिक ब्रांडरहित औषधियों की बिक्री करने के उनके प्रस्ताव के संबंध में बैठक करने के बाद दिनांक 5 जून, 2012 को सचिव, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तमिलनाडु सरकार के पास एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का प्रारूप भेजा गया था। इस समझौता ज्ञापन के उत्तर में, सचिव, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ ट्रिप्लिकेन अरबन कोआपरेटिव सोसाइटी का पत्र संलग्न था जिसमें कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे जिनका उत्तर बीपीपीआई द्वारा 17 अक्तूबर, 2012 को दिया गया था। उनका उत्तर अभी भी प्रतिक्षित है।

मिजोरम : सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मिजोरम के साथ जनवरी, 2013 में आइजोल में हुई बीपीपीआई अधिकारियों की बैठक के बाद दिनांक 28 जनवरी, 2013 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, को राज्य में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप भेजा गया था और उनका जवाब प्रतिक्षित है।

सिक्किम : बीपीपीआई के दिनांक 18 जून, 2012 के पत्र के उत्तर में सिक्किम राज्य सरकार ने जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए हित अभिव्यक्ति दर्शाई है। बीपीपीआई के अधिकारी बिक्री केन्द्र खोलने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिक्किम सरकार से शीघ्र ही मिलेंगे।

अरुणाचल प्रदेश : जिला अस्पताल टीआईआरएपी में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए डीसी, टीआईआरएपी, अरुणाचल प्रदेश से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। बीपीपीआई ने उनके अनुरोध को दिनांक 12.10.2012 को आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अरुणाचल प्रदेश सरकार को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित कर दिया था कि वे दवाइयों की आपूर्ति चैन का समुचित प्रबंधन करने के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलें।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह : जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से भी अनुरोध प्राप्त हुआ है। बीपीपीआई के अधिकारी बिक्री केन्द्र खोलने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से शीघ्र ही मिलेंगे।

जीवन रक्षक दवाइयों के मूल्य

1687. श्री रमेन डेका :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 348 जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों को नियंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल्य नियंत्रण फार्मूला दवा निर्माता कंपनियों के हित में है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एलोपैथिक दवाओं सहित जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) देश में नकली दवाओं के विपणन को रोकने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) औषध विभाग ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति-2012 अधिसूचित कर दी है जिसके तहत राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2011 के अधीन आने वाली दवाइयों के मूल्यों का नियंत्रण और विनियमन किया जाना है। इसका उद्देश्य औषधियों के मूल्य निर्धारण हेतु विनियामक संरचना स्थापित करना है ताकि उद्योग की प्रगति की सहायता हेतु नवाचार और प्रतियोगिता के लिए पर्याप्त अवसर देते हुए उचित मूल्यों पर अपेक्षित दवाइयों 'आवयक दवाइयों' की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके जिसके परिणामस्वरूप सभी के लिए नियोजन और साझे आर्थिक हित कल्याण के लक्ष्य पूरे हो सकें।

(ङ) माशेलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में शास्तियों में वृद्धि करने हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को को संशोधित किया गया था ताकि नकली और अपमिश्रित औषधियों की समस्या से निपटने में मदद मिल सके। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के संशोधित प्रावधानों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(1) अधिकतम शास्ति आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए अथवा जब्त किए गए सामान के मूल्य का तीन गुणा, इनमें से जो भी अधिक हो, का जुर्माना;

(2) कुछ अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं;

(3) औषध नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारियों के अलावा अन्य राजपत्रित अधिकारी भी अधिनियम के अधीन अभियोग चलाने के लिए प्राधिकृत हैं;

(4) अधिनियम के अंतर्गत शामिल अपराधों के विचारण के लिए विशेष रूप से नामित न्यायालय; और

(5) छोटे अपराधों के प्रशमन के लिए प्रावधान।

[हिन्दी]

पेंशन स्कीम

1688. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री जयंत चौधरी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध लोगों, विधवाओं और नि:शक्त लोगों के लिए चल रही केन्द्र प्रायोजित पेंशन स्कीमों तथा ऐसी स्कीमों के ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी स्कीमों के तहत लाभार्थियों की पहचान करने तथा पेंशन के भुगतान में अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त स्कीमों के तहत स्वीकृत राशि में बढ़ोतरी करने तथा इन पर स्कीमों के तहत अधिकाधिक लोगों को शामिल करने हेतु इसे विस्तारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो विस्तार किए जाने के परिणामस्वरूप इन पेंशन स्कीमों के तहत योजनाओं, पात्रता मानदंडों और संभावित रूप

से शामिल किए जाने वाले लोगों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वृद्ध और विधवा पेंशनधारकों को आगामी वित्तीय वर्ष से वार्षिक आधार पर महंगाई राहत देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के घटक हैं जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए अनन्य रूप से लागू हैं। एनएसएपी को 2002-2003 में राज्य योजना में हस्तांतरित कर दिया था। तत्पश्चात् एनएसएपी के लिए राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएपी के तहत भी सभी योजनाओं के लिए एकसाथ अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के रूप में निधियां जारी की जाती हैं। आईजीएनओएपीएस के तहत 60-79 वर्ष की आयु के लोगों को प्रति माह 200 रुपए/प्रति लाभार्थी और 80 तथा उससे अधिक आयु के लोगों को 500 रुपए प्रतिमाह/प्रति लाभार्थी पेंशन दी जाती है। आईजीएनडब्ल्यूपीएस और आईजीएनडीपीएस के तहत 40-79 वर्ष की विधवा महिलाओं तथा 18-79 वर्ष के व्यक्तियों को, जो उनके अथवा गंभीर विकलांगता से ग्रस्त हैं, को क्रमशः 300 रुपए प्रतिमाह/प्रति लाभार्थी पेंशन दी जाती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त एसीए में बराबरी का अंशदान देने के लिए अनुरोध किया गया है। चूंकि एनएसएपी राज्य योजना के अंतर्गत आता है, इसलिए जमीनी स्तर पर उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की है, जिसमें लाभार्थी को चिह्नित करने तथा लाभों का संवितरण और मंजूरी शामिल हैं। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा भुगतानों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से मासिक प्रगति रिपोर्टों की अपेक्षा की जाती है, जिनकी मासिक नोडल अधिकारियों की बैठक में और त्रैमासिक निष्पादन समिति में समीक्षा की जाती है।

(ग) से (च) केंद्रीय मंत्री मंडल के निदेश पर एक परिपूर्ण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रस्ताव को तैयार करने के लिए योजना आयोग के सदस्य डॉ. मिहिर शाह, की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है। यह कार्यदल द्वारा एनएसएपी के तहत अनेक विभागों से प्राप्त पेंशन योजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों, मांगों और सुझावों पर विचार किया जाता है, जिसमें सहायता के परिमाण से संबंधित मामले भी शामिल है, और इसे महंगाई तथा पात्र मानदंड से सूचीबद्ध किया जाता है। कार्यदल द्वारा इस मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

[अनुवाद]

अनुसंधान के लिए नए अवसर

1689. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व के अन्य देशों की तुलना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्थान क्या है;

(ख) क्या तुलनात्मक विज्ञान अनुसंधान का नया विश्लेषण जिसमें गुणवत्ता और प्रमात्रा दोनों शामिल हैं यह दर्शाता है कि भारत अब काफी पीछे छूट गया है और जबकि चीन ने वैज्ञानिक कार्य में वर्ष 2002 से त्वरित गति से विकास किया है और यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अनुसंधान कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने तथा आविष्कार के क्षेत्र में चीन और पूर्वी एशिया से पिछड़ने के जोखिम से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गत दस वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आवंटित/निर्गमित निधि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। भारत ने अनुसंधान संबंधी प्रकाशनों के क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति की है। नवीनतम युनेस्को विज्ञान रिपोर्ट-2010 के अनुसार, वैज्ञानिक प्रकाशन परिणाम के संबंध में भारत का विश्व में 9वां स्थान है और विश्व प्रकाशन में इसकी प्रतिशत भागीदारी में वर्ष 2002 से वर्ष 2008 के दौरान 2.6 से 3.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान वाचन सूचकांक (एससीआई) डाटा आधार पर भारत के अनुसंधान परिणाम के संबंध में ग्रंथ-सांख्यिकी अध्ययन की शुरुआत की गई है। जुलाई, 2012 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में चीन से पीछे है। चीन गत दशक से वैज्ञानिक अनुसंधान में उल्लेखनीय राष्ट्रीय संसाधनों का अन्वेषण कर रहा है। पूर्वी-एशिया के देश जैसे जापान और कोरिया भी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में उल्लेखनीय अन्वेषण करते हैं। सरकार ने, भारत के संबंध में अनुसंधान और विकास में चीन के उच्चतर निष्पादन की ओर ध्यान दिया है। तथापि, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। अंतरिक्ष, साफ्टवेयर, टीकाकरण, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि जैसे क्षेत्रों में भारत प्रौद्योगिकी क्षमता की दृष्टि से चीन से आगे है। भारत की कार्यनीति, वहनीय और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक नवोन्मेषों दोनों को समान महत्व प्रदान करना है। हमारी अनुसंधान एवं विकास संबंधी योजनाओं में देश की विकासात्मक आवश्यकताओं के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सैद्धांतिक रूप से, सरकार का लक्ष्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय आर एण्ड डी व्यय को वर्ष 2017 तक जीडीपी के वर्तमान स्तर 0.9% से बढ़ाकर 2% करना है। विगत वर्षों में व्यय दोगुना से अधिक हो गया है जो देश के समस्त संसाधनों को देखते हुए संसाधनों के उल्लेखनीय आबंटन को निरूपित करता है।

(घ) विगत 10 वर्षों के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी के संबंध में किए गए राष्ट्रीय व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	अनुसंधान और विकास व्यय (करोड़ रु.)	जीडीपी के % के रूप में आर एंड डी
1998-99	12473.17	0.77
1999-00	14397.60	0.81
2000-01	16198.80	0.84
2001-02	17038.15	0.81
2002-03	18088.16	0.80
2003-04	20086.34	0.79
2004-05	24117.24	0.84
2005-06	28776.65	0.88
2006-07	*32941.64	0.87
2007-08	*37777.90	0.88

*प्रत्याशित।

स्रोत: अनुसंधान एवं विकास संबंधी आंकड़े 2009, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।

नोट: जीडीपी-सकल घरेलू उत्पाद।

एनएसएसओ रिपोर्ट

1690. श्री अशोक तंवर : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004-05 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की औसत दैनिक कैलोरी खुराक में वर्ष 1993-94 से 2004-05 में 106 किलो कैलोरी (4.9 प्रतिशत) की कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, हां।

(ख) एनएसएसओ द्वारा जुलाई 2004-जून 2005 में आयोजित सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कैलोरी खुराक औसतन 2047 किलो कैलोरी है जबकि जुलाई, 1993 — जून, 1994 के दौरान किए गए इसी तरह के सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर यह खुराक 2153 किलो कैलोरी थी जो 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कैलोरी खुराक में 106 किलो कैलोरी की गिरावट और 4.9% की कमी को दर्शाता है।

(ग) संघ सरकार ने ग्रामीण लोगों के वास्ते जीवन-यापन/मजदूरी-रोजगार और खाद्य सुरक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि उन्हें भोजन सुलभ हो सके और बेहतर कैलोरी खुराक मिल सके। मजदूरी पर आधारित रोजगार सृजन करने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं, जिनका केंद्र बिंदु देश की ग्रामीण जनता है, उनमें (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) (ii) स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) शामिल है। जिन योजनाओं में खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, उनमें (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) (ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा योजना (iii) मध्याह्न भोजन (iv) किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला अथवा राजीव गांधी योजना (v) एकीकृत बाल-विकास सेवाएं (आईसीडीएस) शामिल हैं।

स्वीकृति और कार्यान्वयन में देरी

1691. **डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्री संजय दिना पाटील :
श्री एन. पीताम्बर कुरूप :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय परियोजनाओं के पूरे होने में विलंब के कारण लागत बढ़ने और लग रहे अधिक समय का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का परियोजना कार्यान्वयन में विलंब को दूर करने के लिए उच्च लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए नए दिशा-निर्देश बनाने एवं प्रभावी तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजनाओं की लागत तथा निर्धारित समय को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को मॉनीटर करता है। वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा वर्तमान वर्ष 2012-13 (1 जनवरी, 2013 तक) के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के कारण लागत-वृद्धि तथा समय-वृद्धि का परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रमुख परियोजनाओं की स्वीकृतियों/अनुमोदनों से संबंधित मुद्दों सहित उनके कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने तथा उनका शीघ्र और समयानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर, 2012 में निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) का गठन किया गया है।

परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में शामिल हैं: परियोजनाओं का सटीक मूल्यांकन करना, बेहतर मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत मॉनीटरिंग प्रणाली (ओसीएमएस) करने हेतु मंत्रालयों में स्थायी समितियों का गठन करना, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करना और परियोजना के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों को दूर करने तथा प्रमुख परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के लिए राज्यों में संबंधित मुख्य सचिवों के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सीएसपीसीसी) का गठन करना।

विवरण

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा वर्तमान वर्ष (01.01.2013 तक) के दौरान पूरा होने में विलंब के कारण लागत-वृद्धि तथा समय-वृद्धि वाली परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	क्षेत्र	अनुमोदन की तारीख	शुरू करने की तारीख मूल	शुरू करने की तारीख अनुमानित	मूल लागत (करोड़ रुपए)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लागत-वृद्धि (करोड़ रुपए)	लागत-वृद्धि (%)	समय-वृद्धि (महीना)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2010-2011									
1.	मुंबई हाई दक्षिण पुनर्विकास फेज-2	पेट्रोलियम	10/2007	05/2010	03/2013	5713.03	8813.41	3100.38	54.27	34
2.	नई प्रसंस्करण परिसर एमएचएन का निर्माण	पेट्रोलियम	01/2007	05/2010	01/2013	2853.29	6326.40	3473.11	121.72	32
3.	टिहरी पम्प भंडारण संयंत्र (1000 मे.वा.)	विद्युत	07/2006	07/2010	11/2016	1657.00	2978.86	1321.86	79.77	76
4.	330 टीपीएच बॉयलर-6 तथा सहायक प्रणाली	इस्पात	07/2007	08/2010	01/2013	260.00	350.00	90.00	34.62	29
5.	निमू बाजगो जलविद्युत परियोजना	विद्युत	08/2006	08/2010	06/2013	611.01	936.00	324.99	53.19	34
6.	बी-193 कलस्टर क्षेत्रों का विकास	पेट्रोलियम	06/2007	08/2010	12/2013	3248.78	5633.44	2384.66	73.40	40
7.	बी-22 कलस्टर क्षेत्रों का विकास	पेट्रोलियम	01/2007	09/2010	04/2013	2323.40	2920.82	597.42	25.71	31
8.	प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (भाविनी, 500 एमडब्ल्यूई)	परमाणु ऊर्जा	09/2003	09/2010	एनआर	3492.00	5677.00	2185.00	62.57	27*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	सुबानसिरी लोअर एचईपी (एनएचपीसी)	विद्युत	09/2003	09/2010	03/2017	6285.33	10667.00	4381.67	69.71	78
10.	पार्वती एचईपी स्टेज-III (एनएचपीसी)	विद्युत	10/2005	10/2010	09/2013	2304.56	2716.00	411.44	17.85	35
11.	1625000 लाइनों के (2जी) 325000 लाइनों के (3जी) एमपी फेज-V-1 टेलीकॉम	दूरसंचार	11/2009	11/2010	एनआर	916.70	930.60	13.90	1.52	25*
12.	पंडाबेश्वर-चिंपाई डबलिंग (ईआर)	रेलवे	04/2004	12/2010	एनआर	225.68	293.74	68.06	30.16	24*
13.	2 ऑफशोर कंटेनर वर्थ तथा टर्मिनल का निर्माण एवं विकास	पोत परिवहन तथा बंदरगाह	11/2007	12/2010	10/2013	1228.00	1460.00	232.00	18.89	34
14.	बर्द्धमान-कटवा (जीसी)	रेलवे	04/2007	12/2010	एनआर	245.15	1106.62	861.47	351.41	24*
15.	कटिहार-जोगबनी (जीसी) (एनईएफआर)	रेलवे	09/2001	12/2010	03/2015	100.00	1041.79	941.79	941.79	51
16.	डी/ओ कामराज डोमेस्टिक टर-फेज-II) एंड एक्सप. अन्ना इंट. टर बिल्डि.(के1)	नागर विमानन	08/2008	01/2011	एनआर	1808.00	2015.00	207.00	11.45	23*
17.	67.5 मे.वा. टीजी-5 सहा. प्रणाली इमरजेंसी पॉवर रिक्वायरमेंट एक्सप. यूनिट	इस्पात	07/2007	02/2011	03/2013	230.00	343.58	113.58	49.38	25
18.	गढ़वाल-रायचूर (एनएल), एससीआर	रेलवे	04/1998	02/2011	02/2013	92.63	270.00	177.37	191.48	24
19.	टूना, कांडला पोर्ट ट्रस्ट के पास टिकरा में बर्थिंग तथा संबद्ध सुविधाओं का निर्माण	पोत परिवहन तथा बंदरगाह	04/2005	02/2011	एनआर	882.00	1060.00	178.00	20.18	22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	शूटक पनबिजली परियोजना	विद्युत	08/2006	02/2011	01/2013	621.26	913.00	291.74	46.96	23
21.	कांडला में 13 और 14 कारगो बर्थ का निर्माण	पोत परिवहन तथा बंदरगाह	12/2005	03/2011	03/2013	702.00	755.50	53.50	7.62	24
22.	भावनगर-प्रतिमाह 50 बीजी कोचों पीओएच हेतु कार्यशाला सुविधाएं	रेलवे	04/2006	03/2011	एनआर	117.36	196.95	79.59	67.82	21*
23.	मुरादाबाद-रोजा का विद्युतीकरण	रेलवे	12/2004	03/2011	एनआर	129.17	250.00	120.83	93.54	21*
24.	उत्तर ताप्ती-फील्ड विकास	पेट्रोलियम	07/2008	03/2011	03/2013	589.70	755.76	166.06	28.16	24
25.	गलगलिया होकर अलुबारिया रोड सिलीगुड़ी जंक्शन, एनईएफआर	रेलवे	12/2006	03/2011	एनआर	170.00	453.04	283.04	166.49	21*
26.	जिरीबाम से इंफाल (तुपुई)/ (एनएल)(एनईएफआर)	रेलवे	04/2003	03/2011	03/2016	727.56	4444.00	3716.44	510.81	60
	कुल					37533.61	63308.51	25774.90		
	2011-2012									
27.	एनएससीबीआई हवाई अड्डे पर एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	नागर विमानन	08/2008	05/2011	03/2013	1942.51	2325.00	382.49	19.69	22
28.	बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	शहरी विकास	05/2006	06/2011	03/2013	6395.00	11609.00	5214.00	81.53	21
29.	केमरा-III एचईपी से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली	विद्युत	04/2008	07/2011	01/2013	297.37	386.32	88.95	29.91	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	पानीपत-जालंधर 6 लेन (96 किमी से 387.1 किमी)	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग	05/2009	11/2011	08/2013	1108.00	2288.00	1180.00	106.50	21
31.	दक्षिण-बरासल-लक्ष्मीकांतपुर	रेलवे	04/2009	12/2011	एनआर	259.51	533.38	273.87	105.53	12*
32.	बेलाडीला लौह अयस्क परियोजना डिपोजिट-11बी (एनएमडीसी)	इस्पात	01/2007	12/2011	03/2013	295.89	607.17	311.28	105.20	15
33.	घुटियाशरीफ-केनिंग (ईआर)	रेलवे	04/2009	12/2011	11/2013	189.97	611.03	421.06	221.65	23
34	मदारहिल-दुमका-रामपुरहाट (एनएल), ईआर	रेलवे	04/1995	12/2011	03/2013	184.00	900.05	716.05	389.16	15
35.	आईआईएससीओ इस्पात परियोजना का विस्तार	इस्पात	02/2008	12/2011	एनआर	14443.00	16408.00	1965.00	13.61	12*
36.	करनपुर मुरादाबाद-काशीपुर-रुद्रपुर पाइपलाइन परियोजना फेज-I	पेट्रोलियम	07/2009	01/2012	01/2013	238.68	312.00	73.32	30.72	12
37.	पुथुव्यपीन कोचीन में एनएलजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल की स्थापना	पोत परिवहन तथा बंदरगाह	03/2009	01/2012	02/2013	3500.00	4150.00	650.00	18.57	13
38.	तूतीकरन थर्मल पॉवर परियोजना-2%500 मेगावाट	कोयला	05/2008	03/2012	03/2014	4904.54	4909.54	5.00	0.10	24
39.	कोसी ब्रिज (एनएल), ईसीआर	रेलवे	04/2002	03/2012	03/2013	323.41	341.41	18.00	5.57	12
40.	नलिया से वयोर तक विस्तार के साथ भुज-नलिया (जीसी) (डब्ल्यूआर)	रेलवे	04/2008	03/2012	एनआर	318.24	468.62	150.38	47.25	9*
41.	कदुर-चिकमगलूर-सकलेशपुर (एनएल), (एसडब्ल्यूआर)	रेलवे	04/1996	03/2012	03/2013	157.00	333.50	176.50	112.42	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	मानसी-पुर्णिया (मानसी-सहरसा का विस्तार) जीएएन ईसीआर	रेलवे	04/1996	03/2012	03/2013	114.01	477.88	363.87	319.16	12
43.	जिंद-सोनीपत (एनएल), एनआर	रेलवे	01/2004	03/2012	एनआर	190.81	697.50	506.69	265.55	9*
44.	जयनगर-दरभंगा-नरकटि्यागंज (जीसी), ईसीआर	रेलवे	04/1997	03/2012	02/2013	233.00	1043.56	810.56	347.88	11
	कुल					35094.94	48401.96	13307.02		
	2012-2013									
45.	आसाम गैस क्रेकर प्रोजेक्ट	पेट्रोरसायन	04/2006	04/2012	12/2013	5460.61	8920.00	3459.39	63.35	20
46.	मगध ओसी (सीसीएल)	कोयला	08/2008	07/2012	03/2016	469.78	706.40	236.62	50.37	44
47.	नांगलडैम-तलवारा (एनएल), एनआर	रेलवे	03/1981	07/2012	एनआर	37.68	1036.78	999.10	2651.54	5*
48.	मौड़ा एसटीपीपी	विद्युत	11/2008	08/2012	03/2013	5459.28	6010.89	551.61	10.10	7
49.	कोक ओवन बैट्री सं. 4 फेज-II	इस्पात	08/2007	10/2012	03/2013	108.00	216.68	108.68	100.63	5
50.	पारादीप रिफाइनरी परियोजना	पेट्रोलियम	02/2009	11/2012	09/2013	29777.00	30426.00	649.00	2.18	10
51.	देवघर-सुल्तानगंज (आईएनएल), ईआर	रेलवे	04/2000	12/2012	02/2013	138.00	607.09	469.09	339.92	2
52.	चंडीगढ़-लुधियाना (नई बीजी लाइन), एनआर	रेलवे	07/1998	12/2012	01/2013	248.44	1115.21	866.77	348.89	1
	कुल					41698.79	49039.05	7340.26		

एनआर: परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सूचित नहीं किया गया।

*परियोजनाओं हेतु दिनांक 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार विलंब (महीनों में) जहां शुरू करने की अनुमानित तारीख सूचित नहीं की गई है।

खुले में शौच

1692. **श्री सुशील कुमार सिंह : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में खुले में शौच और शौच के गड्ढों का प्रचलन अब भी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खुले में शौच को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, कुल मानवीय शौच जिसे उर्वरकों इत्यादि के उपयोग के लिए सुरक्षित संग्रहीत किया जाता है तथा शोधित वहिस्त्रांव जिसका पुनर्चक्रण किया जाता है, के अनुपात का ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। जनगणना 2011 के अनुसार, बिना स्लैब के गड्ढे वाले शौचालय/खुले गड्ढे वाले शौचालयों की संख्या एवं खुले में शौच करने वाले ग्रामीण परिवारों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। भारत में अभी भी शौच करने वाली बहुत बड़ी आबादी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

I. खुले में शौच से जुड़ी समस्याओं के बारे में उपयुक्त जागरूकता के अभाव के कारण खुले में शौच न करने की आवश्यकता से भारतीय आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा संतुष्ट नहीं है। जो लोग शौचालय का निर्माण एवं उसका उपयोग करने में आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं, वे भी शौचालयों के निर्माण को प्राय: प्राथमिकता नहीं देते हैं।

II. बहुत बड़ी संख्या में लोग खुले में शौच इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने संसाधनों से शौचालय का निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं।

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच जाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए तथा शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी पहल करके समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसे अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का नाम दिया गया है। एनबीए का उद्देश्य संपूर्ण समुदायों में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के प्रावधान के साथ चरणबद्ध रूप में सतत व्यवहारगत परिवर्तन लाना, संतृप्तिबोध कराना है, जिसका सुपरिणाम "निर्मल ग्राम" होगा। नई कार्यनीति यह है कि ग्रामीण भारत को सामुदायिक संतृप्तिबोध दृष्टिकोण के माध्यम से 'निर्मल भारत' में रूपांतरित करना है। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय यूनिटों के लिए बढ़े हुए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। दिनांक 01.04.2012 से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने का प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान बीपीएल परिवारों सहित उन सभी एपीएल परिवारों जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, छोटे और सुविधाहीन किसान, अधिवासों वाले भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिला आश्रित परिवार हैं, उन सभी के लिए विस्तारित किया गया है।

उर्वरकों आदि के प्रयोग के लिए सुरक्षित रूप से एकत्रित किए गए मानव मलमूत्र का ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है। तथापि, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) स्वच्छता शौचालयों को बढ़ावा देता है जिसमें मानव मल-मूत्रों का सुरक्षित तरीके से निपटान होता है।

शोधित अपशिष्ट जल जिसका कि पुन:चक्रण किया जाता है, का अनुपात संबंधी विवरण भी मंत्रालय द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है। तथापि, निर्मल भारत अभियान (एनबीए), एक अभिन्न घटक के रूप में, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराता है। विभिन्न गतिविधियों में, जिन्हें कि घटक के अंतर्गत शुरू किया जा सकता है, में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न लागत की नलिका-प्रणाली, अवशोषण चैनल/गड्ढे तथा अपशिष्ट जल का पुनरुपयोग शामिल है। सभी पंचायतों में सतत् रूप से एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुगम बनाने के लिए प्रत्येक जीपी में परिवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित वित्तीय सहायता के अनुसार, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। केन्द्र और राज्य के मध्य 70:30 के अनुपात में विभाजन आधार पर 150/300/500 और 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 7/12/15/20 लाख रु. की वित्तीय सीमा लागू है। अन्य किसी अतिरिक्त लागत संबंधी आवश्यकता की पूर्ति राज्य/ग्राम पंचायतों की निधियों से पूरी की जाएगी।

विवरण

जनगणना-2011 के अनुसार खुले में शौच जाने वाले ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनगणना-2011 के अनुसार खुले में शौच जाने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या	जनगणना-2011 के अनुसार बिना स्लैब/ खुले गड्ढे वाले शौचालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22793	2159
2.	आंध्र प्रदेश	727763	87845
3.	अरुणाचल प्रदेश	86616	31919
4.	असम	2066999	1448781
5.	बिहार	13776940	122690
6.	चंडीगढ़	386	1
7.	छत्तीसगढ़	3733268	72156
8.	दादरा और नगर हवेली	25040	37
9.	दमन और दीव	4360	37
10.	गोवा	34157	1210
11.	गुजरात	4449164	27382
12.	हरियाणा	1254203	118167
13.	हिमाचल प्रदेश	426566	14886
14.	जम्मू और कश्मीर	873092	37913
15.	झारखंड	4295812	14466
16.	कर्नाटक	5356694	25245
17.	केरल	229103	41369
18.	लक्षद्वीप	42	0
19.	मध्य प्रदेश	9612238	84031
20.	महाराष्ट्र	7262645	87995
21.	मणिपुर	41208	79074
22.	मेघालय	181784	80439
23.	मिजोरम	13531	24862
24.	नागालैंड	63563	56085
25.	दिल्ली	10684	152
26.	ओडिशा	6896152	117062
27.	पुदुचेरी	56685	129
28.	पंजाब	931868	153136
29.	राजस्थान	7579854	274606
30.	सिक्किम	13730	6433
31.	तमिलनाडु	7007398	21895
32.	त्रिपुरा	93644	107015
33.	उत्तर प्रदेश	19649918	204173
34.	उत्तराखंड	632710	9352
35.	पश्चिम बंगाल	7036829	582784
	कुल	112997499	3935286

सारंडा विकास परियोजना

1693. श्री एम.आई. शानवास :
श्री मधु कोड़ा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड राज्य के सारंडा वन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सारंडा कार्य योजना के तहत सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सारंडा वन क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है और क्या यह जनजातीय क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है;

(घ) यदि हां, तो क्या सारंडा कार्य योजना को लागू किए जाने के पूर्व आधारभूत सर्वेक्षण किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार सारंडा कार्य योजना के अंतर्गत पोडाहार वन क्षेत्र को शामिल करने अथवा संतुलित क्षेत्रीय विकास की नीति के अंतर्गत किसी पोडाहार कार्य योजना को लागू करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) जी, हां। सारंडा विकास योजना को झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र के सारंडा वन में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) झारखंड राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत अल्पावधि एवं मध्यावधि मध्यस्थाओं का प्रस्ताव किया गया है। अल्पावधि मध्यस्थाओं में, जो पूरी हो चुकी हैं, सौर लैंप, बाइसाइकिल और ट्रांजिस्टर का वितरण, बीपीएल श्रेणी के तहत लगभग 3000 पात्र परिवारों का समावेशन, आईएवाई आवासों का प्रावधान, अतिरिक्त रोजगार सेवकों की सहायता से मनरेगा के अंतर्गत रोजगार का प्रावधान, युवाओं को रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण और पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का निर्माण सम्मिलित है। प्रस्तावित मध्यावधि मध्यस्थाओं में एसएचसी के मध्य से टिकाऊ आजीविका का प्रोन्नयन, आवासीय विद्यालय-आश्रय विद्यालय और आईसीडीएस केंद्रों का निर्माण शामिल है।

योजना के अधीन प्रगति की निगरानी के लिए झारखंड सरकार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है। परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्न रूप से है:—

(i) 7,000 सौर लैंप, ट्रांजिस्टर और बाइसाइकिल वितरित किए गए हैं;

(ii) इंदिरा आवास योजना के तहत 5500 परिवारों ने पहली किस्त और 1,500 परिवारों ने दूसरी किस्त प्राप्त कर ली है;

(iii) एनआरएलएम के तहत 91 नये एसएचजी स्थापित किए गए हैं और 24 पुराने एसएचजी को मजबूत एवं पुनरुजीवित किया गया है;

(iv) पीएमजीएसवाई के तहत दो सड़कें पूरी की जा चुकी हैं और 11 प्रगति में है;

(v) 10 वन गांवों को वन पट्टा दिया गया है;

(vi) सारंडा के युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देने हेतु गुरूकुल स्थापित किया गया है;

(vii) 118 हैंड पंप संस्थापित किए गए है; और

(viii) 56 अतिरिक्त रोजगार सेवक और 36 अतिरिक्त रोजगार का चयन किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) पौडाहार वन क्षेत्र को सारंडा कार्य योजना के अधीन शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंदिरा आवास योजना के लिए निधियों में कटौती

1694. श्री प्रबोध पांडा :
श्री विभू प्रसाद तराई :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों

के लिए बनी इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के लिए निधियों में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य से गरीब लोगों पर हुए प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीएसआर के लिए निर्धारित निधियां

1695. श्री हर्ष वर्धन :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गत तीन वर्षों के दौरान देश के दस सबसे बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा इनसे जुड़े गैर-सरकारी और अन्य संगठनों के लिए खर्च की गई कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) हेतु निर्धारित निधि के प्रतिशत का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सीएसआर के अंतर्गत खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस शीर्ष के तहत बड़े औद्योगिक घराने अपेक्षित राशि से कम खर्च कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की सीएसआर के तहत खर्च के प्रतिशत में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) संसदीय वित्तीय स्थायी समिति में चर्चा के पश्चात् मंत्रालय ने कुछ कंपनियों के सीएसआर पहलों के अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) को सौंपा है। इस अध्ययन में स्थल दौरे और समुदायों, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों जैसे हितधारकों के साथ बैठकें शामिल हैं। यह अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना है।

(ग) और (घ) ऐसी सूचना सरकारी स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ङ) और (च) कंपनी विधेयक, 2012 में पहली बार सीएसआर संबंधी प्रावधान रखे गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टर्नओवर/निवल लाभ आदि की विहित सीमा की अर्हता प्राप्त कंपनियों से पिछले तीन वर्षों के उनके औसत निवल लाभ का 2% सीएसआर संबंधी गतिविधियों पर व्यय करने की अपेक्षा है।

[अनुवाद]

कोसी बाढ़ रिकवरी परियोजना

1696. श्री विश्व मोहन कुमार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार कोसी बाढ़ रिकवरी परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से कोई राहत धनराशि प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परियोजना के तहत विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) सूचना बिहार सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है और यह बिहार सरकार से मांगी गई है। प्राप्त होने पर सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नारियल जटा (कॅयर) उत्पादों का निर्यात

1697. श्री एंटो एंटोनी :
कुमारी मौसम नूर :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश में नारियल (कॅयर) उद्योगों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में नारियल जटा उद्योगों की वार्षिक वृद्धि दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत में नारियल जटा (कॅयर) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चल रही स्कीमों तथा इसके लिए आवंटित निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान निर्यात किए गए नारियल जटा (कॅयर) उत्पादों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नारियल जटा (कॅयर) उत्पादों के बाधित निर्यात से देश को हानि हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) कॅयर बोर्ड के साथ पंजीकृत कॅयर इकाइयों द्वारा यथा प्रदर्शित देश में कॅयर उद्योगों की स्थिति के संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विगत 3 वर्षों के लिए देश में कॅयर उद्योगों की वार्षिक वृद्धि दर निम्नानुसार है:—

वर्ष	फाइबर उत्पादन (एमटी)	वृद्धि दर (%)	कुल रोजगार (%)	वृद्धि दर (%)	कुल पंजीकृत कॅयर इकाइयों की संख्या	वृद्धि दर (%)	निर्यात का कुल मूल्य (करोड़ रुपए)	वृद्धि दर (%)
2009-10	5,15,500	5	6,83,350	1	14,050	7	804.05	26.0
2010-11	5,25,000	2	6,96,690	2	14,300	2	807.07	0.5
2011-12	5,31,500	1	7,02,010	1	14,637	2	1052.62	30

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में कॅयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और इसके विकास के लिए निधि के आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) निर्यात का मद वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कॅयर और कॅयर उत्पादों के निर्यात की मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

कॅयर बोर्ड के साथ पंजीकृत कॅयर इकाइयां

राज्य	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
केरल	8649	8693	8744
तमिलनाडु	3379	3490	3626
आंध्र प्रदेश	662	674	685
ओडिशा	675	702	721

1	2	3	4
कर्नाटक	487	540	656
पश्चिम बंगाल	40	42	42
पुदुचेरी	30	30	31
महाराष्ट्र	20	21	23
दिल्ली	17	17	17
उत्तर प्रदेश	17	17	17
पूर्वोत्तर क्षेत्र	37	37	37
संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप	16	16	16
गोवा	3	3	4
गुजरात	1	1	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	1
राजस्थान	4	4	4
हरियाणा	2	2	2
पंजाब	5	5	5
मध्य प्रदेश	3	3	3
जम्मू और कश्मीर	2	2	2
योग	14050	14300	14637

विवरण-II

देश में कॅयर उद्योग को बढ़ावा देने वाली चल रही योजना

तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए योजना परिव्यय/बजट अनुमान (बीई) का आवंटन

क्र. सं.	योजना का नाम	2009-10 स्वीकृत बजट अनुमान	2010-11 स्वीकृत बजट अनुमान	2011-12 स्वीकृत बजट अनुमान	2012-13 स्वीकृत बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6
1.	योजना-(विज्ञान और प्रौद्योगिकी)	700.00	700.00	700.00	700
2.	योजना-(सामान्य)	2700.00	2800.00	2500.00	4500.00
2.1	कौशल उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, महिला कॅयर योजना	550.00	500.00	535.00	1000.00
2.2	उत्पादन आधारभूत ढांचे का विकास	450.00	400.00	100.00	400.00
2.3	घरेलू बाजार संवर्द्धन	870.00	1100.00	1256.00	2300.00
2.4	निर्यात बाजार संवर्द्धन	280.00	300.00	205.00	350.00

1	2	3	4	5	6
2.5	व्यापार सूचना सेवा सूचना प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक ढांचा को सुदृढ़ करना	300.00	300.00	174.00	400.00
2.6	कल्याणकारी उपाय	250.00	200.00	230.00	50.00
3.	कॉयर उद्योग का योजना-पुनरुज्जीवन, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन योजना	2100.00	2100.00	2100.00	1600.00
4.	स्फूर्ति	0.00	0.00	0.00	4.00
	कुल योजना (1+2+3+4)	5500.00	5600.00	5300.00	6804.00

विवरण-III

भारत से कॉयर व कॉयर उत्पादों का निर्यात
(वर्ष: अप्रैल से मार्च)

मात्रा टन में व मूल्य लाख रुपये

उत्पाद का नाम	2009-10		2010-11		2011-12	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
कर्ल्ड कॉयर	3365.70	668.33	5527.08	1056.52	11855.97	3171.30
कॉयर फाइबर	73074.93	9742.03	83393.01	12148.55	119684.54	20323.98
कॉयर रग्स एवं कार्पेट	46.17	45.38	1146.81	826.22	191.00	185.एू55
कॉयर पिथ	131916.67	12347.06	157854.93	14829.02	206424.57	22150.70
कॉयर की रस्सी	430.56	165. 92	211.56	86.72	792.82	340.99
अन्य कॉयर	55.04	28.53	45.96	35.84	58.36	68.75
कॉयर यार्न	6108.35	2461.21	5021.96	2685.34	5562.87	3140.70
जियो टेक्सटाइल्स	3754.44	2023.77	3266.63	1823.05	3680.91	2433.12

1	2	3	4	5	6	7
हैंडलूम मैट्स	36297.71	25428.01	29409.00	21525.80	27656.17	23545.00
हैंडलूम मैटिंग	1832.24	1425.28	1406.49	1244.72	1473.78	1582.83
पावरलूम मैट	2.84	2.03	0.00	0.00	36.14	24.56
पावरलूम मैटिंग	2.41	3.04	0.00	0.00	0.00	0.ए00
रबर मिश्रित कॅयर	629.78	713.39	383.39	476.89	415.60	549.80
टफ्टेड मैट्स	36991.21	25351.24	33349.20	23968.41	33021.17	27745.26
कुल	294508.05	80405.22	321016.02	80707.08	410853.90	105262.54

कॅयर बोर्ड के पास निर्यात के आंकड़े केवल राष्ट्रीय स्तर के होते हैं।

[हिन्दी]

विभिन्न नदियों पर किए गए अध्ययन

1698. श्री नारायण सिंह अमलाबे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में विभिन्न नदियों की दशा के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नदियों के जल स्तर में लगातर कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इन नदियों के जल स्तरों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) मध्य प्रदेश की सभी नदियों को शामिल करते हुए कोई भी व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नदी में बहाव वर्षापात (स्थानिक और कालिक), उपभोग-योग उपयोग, भूमि जल निस्सरण आदि पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश की नदियां नामतः नर्मदा, चंबल, बेतवा, पार्वती, कालीसिंध, केन और शिप्रा के विभिन्न स्थलों पर जल स्तर प्रेक्षणों का विश्लेषण नदियों में बहाव की कमी होने संबंधी किसी निश्चित धारा को नहीं दर्शाती हैं।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दी गई सचूना के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय उर्वरक नीति

1699. श्री के.डी. देशमुख : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के हितों में एक राष्ट्रीय उर्वरक नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में राज्यों की मांग के अनुरूप उर्वरकों की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में उर्वरक के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के चरण-III के बाद, वर्तमान यूरिया इकाइयों के लिए नीति का निर्माण सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) सरकार देश में राज्यों की मांग के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है। उर्वरकों की मांग एवं घरेलू उपलब्धता के बीच के अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। तथापि, यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाने और यूरिया उत्पादन में भारत की आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने हाल ही में 2 जनवरी, 2012 को नई निवेश नीति, 2012 अधिसूचित की है।

(ङ) सरकार 1.4.2010 से फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए पोषण आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति कार्यान्वित कर रही है। इस नीति के तहत, वार्षिक आधार पर तय, राजसहायता की एक निश्चित राशि पीएण्डके उर्वरकों के पोषक तत्वों के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। इस नीति के तहत उर्वरक कम्पनियां पीएण्डके उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निर्धारित करती हैं। तथापि, किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित 5360 रुपए प्रति मी.टन के एमआरपी पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है।

[अनुवाद]

भूमि अधिग्रहण

1700. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्रीमती मीना सिंह :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिगृहीत कृषि भूमि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी अधिगृहीत भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं होता है जिसके लिए इसका अधिग्रहण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी संगत नियमों और निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि कार्य के अलावा किसी अन्य तरह के उपयोग के लिए उपजाऊ भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) की प्रविष्टि संख्या 18 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार, भूमि तथा इसका प्रबंधन राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों/संघ-शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अंतर्गत किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत की गई कृषि भूमि तथा विभिन्न प्रयोजना हेतु अधिगृहीत भूमि के उपयोग संबंधी आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए, इस विभाग ने एक राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 तैयार की है जिसे 31 अक्तूबर, 2007 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। नीति में यह व्यवस्था की गयी है कि 'जहां तक संभव हो परियोजना की स्थापना बंजर भूमि, अवक्रमित भूमि अथवा असिंचित भूमि पर ही की जाए'। किसी भी परियोजना में गैर-कृषीय उपयोग हेतु कृषि भूमि का अधिग्रहण न्यूनतम सीमा तक ही किया जाए, ऐसे प्रयोजनों हेतु बहु-फसलीय भूमि के अधिग्रहण से यथा-संभव सीमा तक बचा जाए, और सिंचित भूमि का अधिग्रहण यदि अपरिहार्य हासे, न्यूनतम किया जाए। इसके अलावा, कृषि और सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए एक राष्ट्रीय नीति, 2007 तैयार की है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि महत्वपूर्ण फार्म भूमि केवल कृषि के लिए ही सुरक्षित रखी जाए सिवाए अपवाद स्वरूपी परिस्थितियों के, बशर्ते कि वे एजेंसियां जिन्हें गैर-कृषि परियोजनाओं हेतु कृषि भूमि उपलब्ध करायी जाती है, अन्यत्र बराबर की अवक्रमित/बंजर भूमि के निरुपण तथा पूर्ण विकास हेतु मुआवजा अदा करें। गैर-कृषीय उद्देश्यों हेतु, जहां तक संभव हो, फार्मिंग हेतु कम जैविक क्षमता वाली भूमि चिह्नित एवं आवंटित की जाएगी।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता

1701. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता में तेजी से कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता में कमी के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय द्वारा 1970-71, 1976-77, 1980-81, 1985-86, 1990-91, 1995-96, 2000-01 तथा 2005-06 में की गई विभिन्न पंचवार्षिकी कृषि जनगणनाओं के अनुसार, देश में प्रचालनात्मक जोतों का औसात आकार क्रमश: 2.28, 2.00, 1.84, 1.69, 1.55, 1.41, 1.33 तथा 1.23 हैक्टेयर था जो यह दर्शाता है कि 1970-71 की तुलना में प्रचालनात्मक जोतों के औसत आकार में 2005-06 में लगभग 46 प्रतिशत की कमी हुई है। प्रचालनात्मक जोतों के क्षेत्र में हुई यज कमी शहरीकरण/औद्योगीकरण हेतु भूमि के परिवर्तन अथवा गैर-कृषीय प्रयोजनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि के अंतरण के कारण है।

उर्वरकों पर सब्सिडी

1702. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों को कई करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को किस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी दिए जाने की संभावना है;

(घ) इसकी निगरानी के लिए क्या तंत्र बनाया गया है ताकि यह लाभ सभी किसानों को मिलें;

(ङ) किसानों की शिकायतों के लिनवारणसा के लिए प्राधिकृत प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त प्राधिकण द्वारा अधिकारों के किसी दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या तंत्र है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत कुमार जेना) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2011-12 के दौरान उर्वरक राजसहायता के रूप में सरकार द्वारा 73790.94 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए उर्वरक राजसहायता हेतु 65592.13 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) और (घ) अपेक्षित लाभार्थी को उर्वरक राजसहायता का सीधे नगद अंतरण निम्न तरीके से किया जा रहा है:—

चरण-I : मोबाइल उर्वरक निगरानी प्रणाली (एमएफएमएस) के जरिए खुदरा डीलरों से उर्वरकों की प्राप्ति की पावती के आधार पर उर्वरक कंपनियों को आंशिक राजसहायता का वितरण।

चरण-II : एमएफएमएस के जरिए खुदरा डीलरों द्वारा उर्वरकों की बिक्री की पावती के आधार पर उर्वरक कंपनियों को राजसहायता की आंशिक अदायगी।

चरण-III : कृषि उद्देश्य के लिए उर्वरक खरीददारों को उनके द्वारा खरीदे गए उर्वरकों के आधार पर राजसहायता अदायगी।

चरण-IV : किसानों को उनकी खरीद के ब्यौरे के आधार पर राजसहायता अदायगी।

चरण-I का कार्यान्वयन पहले से ही चल रहा है। परियोजना के बाद के चरण में, अपेक्षित लाभार्थी को सीधे राजसहायता के अंतरण की प्रणाली चरण-I के कार्यान्वयन के स्थिर होने के बाद तैयार और कार्यान्वित की जाएगी।

(ङ) और (च) किसानों को राजसहायता के सीधे अंतरण का कार्यान्वयन वेब-आधारित होगा और प्राधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं होगी। इसके कार्यान्वयन से पहले एक विस्तृत मॉनीटरिंग प्रणाली तैयार हो जाएगी।

[अनुवाद]

सामुद्रिक अपरदन

1703. श्री एन. पीताम्बर कुरूप :
श्री भीष्म शंकर ऊर्फ कुशल तिवारी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में व्यापक सामुद्रिक अपरदन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस अपरदन से कितनी क्षति हुई है;

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इन प्रस्तावों को अनुमति देने में विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सामुद्रिक अपरदन की समस्या को नियंत्रित करने के लिए 'राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना' को अंतिम रूप दे दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सामुद्रिक अपरदन की समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सहायता दी जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सामुद्रिक अपरदन को रोकने के लिए राज्य सरकारों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कटाव प्रभावित तट रेखा का ब्यौरा इस प्रकार है:—

कर्नाटक: 152.73 किमी., केरल: 478.14 किमी., तमिलनाडु: 151.81 किमी.

इन राज्यों में तटीय कटाव का मुख्य कारण खासकर मॉनसून मौसम में लहरों का टकराना और अवसादन आपूर्ति/परिवहन की बाधा का होना है।

हुए नुकसान का ब्यौरा संबंधित राज्यों से मंगवाया गया है और यह ब्यौरा प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) प्राप्त प्रस्तावों, सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई और विलंब के कारण आदि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बाह्य सहायता से तटीय सुरक्षा कार्य के लिए वित्तपोषण की संभावना तलाशने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना (एनसीपीपी) प्रारंभ की गई थी। तटीय सुरक्षा कार्यों के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच हुए विचार-विमर्श के बाद एडीबी ने परियोजना की तैयारी हेतु तकनीकी सहायता (पीपीटीए) के लिए अनुदान अनुमोदित किया था। पीपीटीए का उपयोग, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में स्थायी तट सुरक्षा एवं प्रबंधन परियोजना के लिए निवेश कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया गया था। पीपीटीए के अंतर्गत 250 मिलियन यूएसडी ऋण समेत 404.6 मिलियन का निवेश कार्यक्रम परिकल्पित है। उपर्युक्त के अलावा कर्नाटक में उल्लाल तट कटाव एवं इनलेट सुधार परियोजना और महाराष्ट्र मे मीर्या खाड़ी तट कटाव एवं सुरक्षा परियोजना को सरकार ने एशियाई विकास बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से एनसीपीपी के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में कार्यान्वित किए जाने के लिए स्वीकार किया था।

(ङ) जी, हां। XIवीं योजना के दौरान समुद्री कटावरोधी कार्यों सहित बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" नामक राज्य क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(च) XIवीं योजना के पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्री कटावरोधी कार्य करने के लिए 2.00 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2012-13 के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	स्कीम का नाम	केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	स्वीकृति देने में हुए विलंब के कारण
1.	कर्नाटक	उल्लाल तट कटाव एवं इनलेट सुधार परियोजना अनुमानित लागत: 170.7 करोड़ रुपए	परियोजना, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2011 को केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) मुख्यालय, नई दिल्ली में हुई अपनी 110वीं बैठक में स्वीकार कर लिया गया है और इस परियोजना को एशियाई विाकस बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से भारत सरकार की राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।	शून्य
2.	केरल	केरल तट में समुद्र कटाव से निपटने के लिए ग्रोएंस शृंखला के निर्माण हेतु परियोजना प्रस्ताव अनुमानित लागत: 750.00 करोड़ रुपए	सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव की जांच की गई थी और टिप्पणियां राज्य सरकार को मई, 2012 में भेज दी गई थीं।	सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों के संबंध में राज्य सरकार ने अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
3.	तमिलनाडु	तमिलनाडु में प्राकृतिक आपदाओं से चार चरणों में तट सुरक्षा हेतु परियोजना प्रस्ताव अनुमानित लागत: 1012.26 करोड़ रुपए	सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव की जांच की गई थी। सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियां तमिलनाडु राज्य सरकार को अक्तूबर, 2008 में भेज दी गई थीं।	सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों के संबंध में राज्य सरकार ने अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां

1704. श्री समीर भुजबल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) समुदाय के जजों के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत अपिव समुदाय के जजों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अपिव को आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्रमशः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 की अधीन की जाती है जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग हेतु आरक्षण के लिए उपबंध नहीं करते हैं। उस रूप में, न्यायाधीशों या रिक्तियों का जाति-वार या वर्ग-वार आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं। तथापि, सरकार ने, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों से संबंधित और स्त्रियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जातिगत जनगणना

1705. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

डॉ. संजय सिंह :

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

श्री गजानन ध. बाबर :

श्री अजय कुमार :

श्री नलिन कुमार कटील :

श्री शिवराम गौडा :

श्री जयवंत गंगाराम आवले :

श्री विश्व मोहन कुमार :

श्री आनंदराव अडसुल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गरीबी से संबंधित सर्वेक्षण के सफल और समयबद्ध ढंग से पूरे होने में स्पष्टता की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या बीपीएल मानकों और बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिए जाने में वर्तमान मुद्रा स्फीति और रुपए के गिरते मूल्य जैसे घटकों का ध्यान रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस जनगणना के कब तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देशभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के परिवारों के संबंध में बड़ी संख्या में सामाजिक और आर्थिक संसूचक तैयार करने के लिए देश में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी 2011) 29 जून, 2011 को शुरू की थी और इस आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, महा पंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय तथा राज्य सरकारें शामिल हैं। देश में संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय की वित्तीय और तकनीकी सहायता से एसईसीसी, 2011 चरणबद्ध तरीके से करा रहे हैं। संक्षेप में इस प्रक्रिया में (i) आंकड़े दर्ज करने के कार्य में गलतियां न्यूनतम करने के लिए हैंड-हेल्ड कम्प्यूटर (टैब्लेट पीसी) के जरिए गणना; (ii) पर्यवेक्षकों द्वारा आंकड़ों के नमूनों का सत्यापन; (iii) परिवारों के कुछ पैरामीटरों के विषय में आंकड़ों की यथातथ्यता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन और संशोधन; (iv) परिवारों की सूची का प्रारुप प्रकाशित करके जनसाधारण के अवलोकनार्थ गांव में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर, ग्राम पंचायत और ब्लाक विकास कार्यालय में प्रदर्शित किया जाना शामिल हैं। सूची का यह प्रारूप वेबसाइट *(www.secc.nic.in)* पर भी उपलब्ध होगा; (v) परिवारों की सूची के प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से 10 दिनों के भीतर इसमें दी गई जानकारी का सत्यापन ग्राम सभा से कराया जाएगा; (vi) पदनमित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दावों और आपर्तियों को आमंत्रित करने तथा शिकायत निपटान करने के लिए दो चरणों वाली अपील की प्रक्रिया 82 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी तथा (vii) परिवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग 5 वर्ष के अंतराल पर किए जाने वाले उपभोक्ता व्यय के व्यापक सैम्पल सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों के प्रतिशत और संख्या का अलग-अलग आकलन करता है। योजना आयोग के अद्यतन गरीबी आकलन एनएसएसओ के वर्ष 2009-10 के 66 वे दौर के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(घ) और (ङ) जनसंख्या, आवास/मकान, रोजगार/आय,

परिसंपत्तियों, भूमि और सुविधाओं इत्यादि से संबंधित जानकारी एसईसीसी के अंतर्गत एकत्र कर ली गई है। इन परिवारों से संबंधित जानकारी का इस्तेमाल विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों के वर्ग निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 97 प्रतिशत गणना कार्य संपन्न हो गया है। गणना कार्य के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सूची के प्रकाशन के लिए दावे और आपत्ति चरण का कार्य शुरू करेंगे। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तैयारी के आधार पर इन राज्यों में सूची का प्रकाशन अलग-अलग समय पर किया जाएगा। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची सितम्बर, 2013 के अंत तक प्रकाशित होने की संभावना है।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या और प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य	कुल	
		व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	21.1	176.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.9	3.5
3.	असम	37.9	116.4
4.	बिहार	53.5	543.5
5.	छत्तीसगढ़	48.7	121.9
6.	दिल्ली	14.2	23.3
7.	गोवा	8.7	1.3
8.	गुजरात	23.0	136.2
9.	हरियाणा	20.1	50.0
10.	हिमाचल प्रदेश	9.5	6.4
11.	जम्मू और कश्मीर	9.4	11.5
12.	झारखंड	39.1	126.2
13.	कर्नाटक	23.6	142.3
14.	केरल	12.0	39.6
15.	मध्य प्रदेश	36.7	261.8
16.	महाराष्ट्र	24.5	270.8
17.	मणिपुर	47.1	12.5
18.	मेघालय	17.1	4.9
19.	मिजोरम	21.1	2.3
20.	नागालैंड	20.9	4.1
21.	ओडिशा	37.0	153.2
22.	पुदुचेरी	1.2	0.1
23.	पंजाब	15.9	43.5
24.	राजस्थान	24.8	167.0
25.	सिक्किम	13.1	0.8
26.	तमिलनाडु	17.1	121.8
27.	त्रिपुरा	17.4	6.3
28.	उत्तर प्रदेश	37.7	737.9
29.	उत्तराखंड	18.0	17.9
30.	पश्चिम बंगाल	26.7	240.3
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.4	0.01
32.	चंडीगढ़	9.2	0.95
33.	दादरा और नगर हवेली	39.1	1.27

1	2	3	4
34.	दमन और दीव	33.3	0.75
35.	लक्षद्वीप	6.8	0.04
	अखिल भारत	29.8	3546.8

नोट:

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या का आकलन 1 मार्च, 2010 तक की जनसंख्या (वर्ष 2001 और 2011 की जनगणनाओं के बीच अंतर्वेशित) के आधार पर किया गया है।
2. तमिलनाडु की गरीबी रेखा का इस्तेमाल अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए भी किया गया है।
3. पंजाब की शहरी गरीबी रेखा का इस्तेमाल चंडीगढ़ के ग्रामीण व शहरों, दोनों क्षेत्रों के लिए किया गया है।
4. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा का इस्तेमाल दादरा और नगर हवेली के लिए किया गया है।
5. गोवा की गरीबी रेखा का इस्तेमाल दमन और दीव के लिए किया गया है।
6. केरल की गरीबी रेखा का इस्तेमाल लक्षद्वीप के लिए किया गया है।

[अनुवाद]

भारत निर्माण स्वयं सेवक

1706. श्री एल. राजगोपाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में देश में सबसे अधिक संख्या में भारत निर्माण स्वयं सेवक (बीएनवी) हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में मजबूत बीएनवी होने के बावजूद विभिन्न स्कीमों के तहत सरकार की लोक सेवाओं को प्रभावी तरीके से प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों तक स्कीमों को पहुंचाने के लिए बीएनवी के प्रभावी उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष योजना बनायी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) 35,600 भारत निर्माण स्वयं सेवकों (बीएनवी) का नामांकन करके वर्तमान में आंध्र प्रदेश देश में भारत निर्माण स्वयं सेवकों के नामांकन में दूसरे स्थान पर है।

(ख) आंध्र प्रदेश की 21,600 ग्राम पंचायतों में से 2060 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण स्वयं सेवकों का नामांकन किया गया है जो राज्य की कुल ग्राम पंचायतों के 10% से भी कम है। इसके अतिरिक्त, भारत निर्माण स्वयं सेवक गैर-वेतनभोगी स्वयं सेवक होते हैं जो केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के संबंध में ग्रामीण परिवारों में जागरुकता लाने के लिए आगे आए हैं। वे अपने ग्रामों के बेहतरीकरण के लिए अपने खाली समय में यह स्वैच्छिक कार्य कर रहे हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों से संपर्क करके अधिकाधिक क्षेत्रों में इस पहल का विस्तार करने का सतत् प्रयास कर रहा है। देश के और अधिका ब्लॉकों में पहल का विस्तार करने के लिए समय-समय पर राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी), विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) तथा राज्यों से परामर्श किए जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप अब तक दो लाख से अधिक भारत निर्माण स्वयं सेवकों का नामांकन किया जा चुका है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यूनियन कार्बाइड संयंत्र में रासायनिक अपशिष्ट

1707. श्री तूफान सरोज :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी के 28 वर्ष बाद भी यूनियन कार्बाइड संयंत्र के परिसर में 350 मीट्रिक टन रासायनिक अपशिष्ट अभी पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वहां से उक्त अपशिष्ट को हटाने का निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जहरीले अपशिष्ट को हटाने की लागत यूनियन कार्बाइड से ली जाएगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त अपशिष्ट के निपटान हेतु विदेशी फर्म के साथ कोई समझौता किया था परन्तु बाद में उक्त फर्म ने स्वयं को समझौते से बारह कर लिया;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा उक्त अपशिष्ट को हटाने/निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी, हां। यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. (यूसीआईएल), भोपाल परिसर के भीतर सुरक्षित गोदाम में लगभग 350 मीट्रिक टन विषैला अपशिष्ट पड़ा हुआ है। पूर्व में इसे अंकलेश्वर, गुजरात एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), नागपुर, महाराष्ट्र में दहन करने का प्रयास फलीभूत नहीं हो सका क्योंकि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने अपेक्षित "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी नहीं किया था। जनवरी, 2010 में उच्चतम न्यायालय के विषैले अपशिष्ट को पीतमपुर, मध्य प्रदेश में भस्म करने का निर्णय के बाद भी इस कार्य को जन विरोध के कारण पूरा नहीं किया जा सका। सभी संभावित विकल्प, जिसमें ओवरसाइट समिति द्वारा 2011 में डीआरडीओ, नागपुर में अपशिष्ट को भस्म करने की सिफारिश की गई थी, शामिल है, के समाप्त हो जाने के बाद जैसा कि पूर्व में निर्णय लिया गया था, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने फरवरी, 2012 में अपशिष्ट को पीतमपुर में भस्म करने निर्णय लिया। किन्तु इस निर्णय का विरोध मध्य प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन दायर करके किया।

(ग) और (घ) रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करके रिट याचिका संख्या 2802/2004 में प्रतिवादी कंपनियों को पर्यावरण उपचारण की लागत के लिए अग्रिम के रूप से 100 करोड़ रुपए जमा करवाने का निदेश देने का अनुरोध किया गया था, जोकि न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित है। "प्रदूषक भुगतान करेगा" के सिद्धांत पर पर्यावरण के नुकसान के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों/कंपनियों से क्षतिपूर्ति के दावे को लंबित रखते हुए, जून, 2010 में, भारत सरकार ने, प्रथम दृष्टया, उपचारण की अनुमानित लागत लगभग 310 करोड़ रुपए का वहन करने का निर्णय लिया। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय में 3 दिसंबर, 2010 को एक क्यूरेटिव याचिका (सिविल) दायर की गई, जिसमें 470 मिलियन यूएस डॉलर मुआवजा राशि को बढ़ाने, जिसमें पर्यावरण उपचारण के लिए होने वाले खर्च/वास्तविक व्यय भी शामिल है, की मांग प्रतिवादियों से की गई।

(ङ) और (च) जर्मनी सरकारी एजेंसी नामत: मैसर्स जीआईजेड आईएस, के एक प्रस्ताव जिसमें 24.56 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अपशिष्ट को जर्मनी ले जाकर भस्म करना था, को मंत्रिमंडल ने जुलाई, 2012 में अनुमोदित किया था। जबकि अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत अंतिम दौर में थी, जर्मनी में प्रतिकूल मीडिया रिपार्टों का हवाला देते हुए, जीआईजेड आईएस ने 17 सितंबर, 2012 को प्रस्ताव वापिस ले लिया।

(छ) मंत्रिसमूह ने 22 अक्तूबर, 2012 को टीएसडीएफ, पीतमपुर, मध्य प्रदेश को इसी तरह के अपशिष्ट के दहन के लिए तैयार करने का निदेश दिया ताकि भोपाल से अपशिष्ट के नमूने को वहां ले जाया जा सके और वहां भस्मक सुविधा का परीक्षण किया जा सके। जीओएम ने यह भी निर्णय लिया कि भोपाल के विषैले अपशिष्ट को निपटाने के लिए देश में भर में मौजूद 22 अन्य भस्मकों के निष्पादन का मूल्यांकन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) करेगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय इस संदर्भ में एक जारी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में उच्चतम न्यायालय में कृत कार्रवाई रिपोर्ट नियमित रूप से दायर कर रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1708. श्री बाल कुमार पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विधवा पेंशन की आयु को घटाकर 18 वर्ष करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विधवा पेंशन अकेली और तलाकशुदा महिलाओं को भी प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) से (ङ) केंद्रीय मंत्रिमंडल के निदेश पर डॉ. मिहिर शाह, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है जो व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव करेगी। एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन योजनाओं के संबंध में देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त विभिन्न मुद्दों, मांगों और सुझावों, जिनमें विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा को घटा कर 18 वर्ष किया जाना है और अकेली एवं तलाकशुदा महिलाओं को विधवा पेंशन दिया जाना शामिल है, पर विचार कर रही है। कार्यबल ने इस मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

भोपाल में डॉपलर राडार की स्थापना

1709. **श्री देवराज सिंह पटेल :**
श्री प्रेमचन्द गुड्डू :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल, मध्य प्रदेश में डॉपलर मौसम राडार स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसे हेतु भूमि और इमारत दोनों उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो स्थापना कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख वर्तमान में, सिविल/इलैक्ट्रिकल कार्य, कूलिंग/पॉवर प्रणाली आदि का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। डीडब्ल्यूआर चालू करने संबंधी कार्य तथा प्रणाली के परीक्षण से जुड़ा कार्य 2013 के अंत तक पूरा किए जाने का अनुमान है।

[अनुवाद]

रेल टिकट प्रतिदाय दावे

1710. **श्री अम्बिका बनर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना यात्रा किए निरस्त टिकटों या अंशत: की गई यात्रा के यात्रा टिकटों पर प्रतिदाय के विनियम/स्वीकृति संबंधी विद्यमान नियम क्या है;

(ख) रेलवे के पावस रेल आरक्षण टिकटों के प्रतिदाय के कुल कितने मामले लंबित है;

(ग) क्या यात्रियों के प्रतिदाय दावों के समाधान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा आरक्षण टिकटों के शीघ्र प्रतिदाय हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) इस्तेमाल न की गई टिकटों का रिफंड दिनांक 24 जुलाई, 1998 के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 410(ई) के द्वारा अधिसूचित रेल यात्री नियम, 1998 (टिकटों का रद्दकरण और किराये का रिफंड) में दिए गए प्रावधानों और समय-समय पर राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इसमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाता है।

(ख) रेलों द्वारा रिफंड के मामलों पर दैनिक आधार पर कार्यवाही की जाती है और दावों के समुचित सत्यापन के बाद रिफंड दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय, रेलों में लगभग 90,000 मामले लंबित हैं।

(ग) और (घ) अगर टिकटें निर्धारित समय-सीमा के अंदर किसी भी आरक्षण काउंटर पर प्रस्तुत की जाती हैं तो देय रिफंड उसी समय दे दिया जाता है। दूसरे मामलों में दावों की सत्यता की जांच की जानी होती है और इसके बाद ही रिफंड दिया जाता है। ऐसे मामलों को तीन माह की निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) रिफंड के मामलों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) मामलों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिए संवर्धित कोचिंग रिफंड सिस्टम विकसित किया गया है।

(ii) यात्री के दावों का शीघ्रता से सत्यापन करने के लिए एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट (ईडीआर) सिस्टम का विकास किया गया है।

(iii) जोनल और बोर्ड स्तर पर रिफंड के मामलों की निगरानी की जाती है।

राष्ट्रीय रसायन नीति, 2012

1711. **चौधरी लाल सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय रासायन नीति, 2012 का मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा हरित उत्पादों और प्रक्रियों के विकास के लिए इसमें क्या प्रोत्साहन परिकल्पित किए गए हैं; और

(ग) नई नीति के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) सरकार ने रसायन क्षेत्र के समेकित, समन्वित एवं सतत् रूप से विकास व वृद्धि के लक्ष्यों के साथ, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से रसायन क्षेत्र में फीडरस्टॉक की उपलब्ध सुनिश्चित करते हुए उत्पादन बढ़ाना, क्षमता वृद्धि करते हुए निवेश बढ़ाना, गुणवत्ता पूर्ण अवसंरचना प्रदान करने के साथ-साथ सतत् व हरित प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान व विकास को संवर्द्धित करने के साथ राष्ट्रीय रसायन नीति, 2012 का प्रारुप तैयार किया है।

इस नीति में रित रसायन को संवर्द्धित करते हुए रसायनिक नवोन्मेषण के निधियन की संकल्पना है।

(ग) प्रारुप नीति को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है और स्टेक धारकों की टिप्पणियों को प्रसंस्कृत किया जा रहा है। प्रारुप नीति को अंतिम रूप देने के पश्चात्, उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष्ज्ञ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल को मुफ्त बिजली

1712. **श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :**
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री वरुण गांधी :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री निलेश नारायण राणे

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों (बीपीएल) को मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने परिवारों तक बिजली पहुंचायी गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार शेष बीपीएल परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए निधियां बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत सरकार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत गांवों/वास-स्थलों में ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) सृजित करने के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करती है। स्कीम के अंतर्गत 2,74,98,652 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए 648 परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं। 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 2,05,15,472 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (ङ) सरकार का निधियों की उपलब्धता के अनुसार, शेष गांवों/वास-स्थलों तथा बीपीएल परिवारों को शामिल करने के लिए आरजीजीवीवाई को, 12वीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्य-वार कवरेज तथा बीपीएल घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	बीपीएल घर	
			कवरेज*	संचयी उपलब्धि (31.01.12013 के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	26	2484665	2783390
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	40726	24615
3.	असम	23	1150597	882554
4.	बिहार	54	5658692	2305704
5.	छत्तीसगढ़	18	987834	944103
6.	गुजरात	25	742094	827788
7.	हरियाणा	21	257273	194461
8.	हिमाचल प्रदेश	12	13196	14753
9.	जम्मू और कश्मीर	14	81217	51012
10.	झारखंड	22	1803377	1283770
11.	कर्नाटक	27	978219	856401
12.	केरल	14	74571	52993
13.	मध्य प्रदेश	52	1817544	942734
14.	महाराष्ट्र	35	1202882	1180284
15.	मणिपुर	9	107369	28814
16.	मेघालय	7	109696	83067
17.	मिजोरम	8	27417	15144
18.	नागालैंड	11	69899	36062
19.	ओडिशा	32	3045979	2802221
20.	पंजाब	17	148860	79104
21.	राजस्थान	40	1224417	1120242
22.	सिक्किम	4	11458	9695
23.	तमिलनाडु	29	527234	501202
24.	त्रिपुरा	4	107506	97625
25.	उत्तर प्रदेश	86	1907419	1042593
26.	उत्तराखंड	13	238522	234593
27.	पश्चिम बंगाल	29	2679989	2120548
	कुल	648	27498652	20515472

*आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत स्वीकृत 72 परियोजनाओं के 4559141 बीपीएल घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

1713. श्री सोमेन मित्रा :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला :
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
श्री ए. सम्पत :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :
डॉ. बलीराम :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
डॉ. एम तम्बिदुरई :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री रमाशंकर राजभर :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान स्रोत, क्षेत्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उत्पादित बिजली और अतिरेक विद्युत यदि कोई हो तो उत्पादन की कुल प्रमात्रा कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश में विद्युत मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विद्युत की कमी और विद्युत की बढ़ती मांग के कारण विभिन्न राज्य सरकारों से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों को विद्युत की कम आपूर्ति के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) देश में विभिन्न परंपरागत ऊर्जा स्रोतों अर्थात् ताप, हाइड्रो, न्यूक्लियर तथा भूटान से जल विद्युत के आयात द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक) सकल विद्युत उत्पादन क्रमशः 771.551 बीयू, 811.143 बीयू, 876.887 बीयू तथा 762.667 बीयू था सकल विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार, स्रोत-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

स्रोत	सकल ऊर्जा उत्पादन (बीयू)			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*#
ताप	640.877	665.008	708.806	631.436
हाइड्रो	106.680	114.257	130.510	99.071
न्यूक्लियर	18.636	26.266	32.287	27.450
भूटान से आयात	5.358	5.611	5.284	4.710
कुल	771.551	811.143	876.887	762.667

*जनवरी, 2013 तक।

#माह जनवरी, 2013 के अनंतिम आंकड़े शामिल हैं।

विद्युत उत्पादन का राज्य-वार, स्रोत-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश में, वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) के दौरान विद्युत आपूर्ति स्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	व्यस्ततम (मेगावाट)				ऊर्जा (एमयू)			
	व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	कमी		आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	
			मेगावाट	%			एमयू	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009-10	119116	104009	15157	12.7	830594	746644	83950	10.1
2010-11	122287	110256	12031	9.8	861591	788355	73236	8.5
2011-12	130006	116191	13815	10.6	937199	857886	79313	8.5
2012-13 (जनवरी, 2013 तक)*	135453	123294	12159	9.0	833230	759849	73381	8.8

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि क्षेत्र के अधिकतर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विद्युत की कमी झेल रहे हैं, अत: विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर सीजीएस से अनाबंटित विद्युत का अतिरिक्त आबंटन करने का अनुरोध करते हैं। सीजीएस की अनावंटित विद्युत की मात्रा सीमित होने के कारण, यह अन्य स्रोतों से उपलब्ध विद्युत का केवल अनुपूरण ही कर सकती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई संचयी मांग निरपवाद रूप से, उपलब्ध अनावंटित विद्युत से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की संपूर्ण अनावंटित विद्युत हर वक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित रहती है, अत: किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आबंटन में वृद्धि करना अन्य राज्य (यों)/संघ राज्य क्षेत्र (त्रों) के आबंटन में समान मात्रा में कमी करके ही संभव हो सकता है। अत: अनावंटित विद्युत का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अनुरोध की मात्रा के अनुसार आबंटन करना कई बार संभव नहीं होता है। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, सीजीएस से आबंटन के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) विभिन्न राज्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत की कमी के मुख्य कारण हैं:—

(i) उत्पादन और क्षमता अभिवृद्धि की तुलना में मांग में ज्यादा वृद्धि होना।

(ii) कुछ ताप विद्युत उत्पादक इकाइयों में जो अधिकतर राज्य क्षेत्र में है, निम्न संयंत्र भार कारक।

(iii) ईंधन की कमी के कारण कम उत्पादन।

(iv) उच्च स्कल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां।

(v) राज्य यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति से पर्याप्त उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणाली के सृजन हेतु अपेक्षित निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना उनके लिए कठिन बन जाता है और जहां तक कि वे कई बार वित्तीय बाधाओं के कारण विद्युत क्रय करने में भी असमर्थ होती हैं।

देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) बारहवीं योजनावधि (2012-17) के दौरान 88,537 मेगावाट की खमता अभिवृद्धि का प्रस्ताव।

(ii) निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि का गहन प्रबोधन।

(क) बाधा क्षेत्रों को चिन्हित करने और उनके तीव्र समाधान को सुगम बनाने के लिए माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री, सचिव, विद्युत मंत्रालय तथा अध्यक्ष, सीईए द्वारा उच्चतम स्तर पर विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है ताकि परियोजनाएं समय पर चालू हो सकें।

(ख) बाधा क्षेत्रों की पहचान करने एवं अंतर मंत्रालयी तथा अन्य बकाया मामलों के तीव्र समाधान को सुगम बनाने हेतु विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, योजना आयोग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।

(iii) प्रत्येक 4,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का विकास।

(iv) संयुक्त उद्यम के माध्यम से विद्युत उपकरणों की घरेलू विनिर्माण क्षमता का संवर्द्धन।

(v) विद्यमान उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर एवं गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और अनुरक्षण।

(vi) स्वदेशी स्रोतों से थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले के आयात पर बल।

(vii) पुरानी एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(viii) उपलब्ध विद्युत के इष्टतम उपयोग के एिल अंतर राज्यीय एवं अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

विवरण-I

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में राज्य-वार, क्षेत्र-वार और स्रोत-वार वास्तविक उत्पादन

	राज्य	श्रेणी	क्षेत्र	वास्तविक उत्पादन 2012-13 (जनवरी, 13 तक)	वास्तविक उत्पादन 2011-12	वास्तविक उत्पादन 2010.11	वास्तविक उत्पादन 2009.10
1	2	3	4	5	6	7	8
उ.क्षे.	बीबीएमबी	जलविद्युत	केंद्रीय	9549.64	12459.46	11273.43	9371.32
	दिल्ली	तापीय	केंद्रीय	3827.57	4775.23	4549.54	5107.97
			राज्य	5139.01	4953.63	4491.66	5044.86
			निजी	137.46	241.83	88.8	0
	हरियाणा	जलविद्युत	राज्य	0	0	0	235.44
		तापीय	केन्द्रीय	6556.53	5489.33	3286.95	3211.95
			राज्य	13046.36	18391.45	15567.88	14942.98
			निजी	2376.32	165.7	0	0
	हिमाचल प्रदेश	जलविद्युत	केंद्रीय	11224.67	12521.92	11698.27	11075.21
			राज्य	1285.93	1657.3	1738.59	1771.89
			निजी	6332.64	4981.39	1951.74	1605.22
			निजी यूटिलिटी	157.69	0	0	0
	जम्मू और कश्मीर	जलविद्युत	केन्द्रीय	7668.02	8684	8865.85	7990.92
			राज्य	3286.88	3595.07	3552.2	3431.44
		तापीय	राज्य	0	5.41	14.13	12.54
	पंजाब	जलविद्युत	राज्य	3383.58	4626.85	4190.82	3499.29
		तापीय	राज्य	15938.8	19068.43	18324.82	20295.69

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्थान	जलविद्युत	राज्य	628.52	821.57	390.14	352.1
		तापीय	केंद्रीय	2873.19	3311.68	2753.13	3003.52
			राज्य	21205.08	26535.36	23441.92	22326.69
			निजी	2942.12	1684.41	961.15	223.44
		नाभिकीय	केंद्रीय	7218.58	8974.12	7704.54	3488.25
	उत्तर प्रदेश	जलविद्युत	राज्य	1326.16	1403.67	700	947.33
		तापीय	केन्द्रीय	53931.61	66931.22	67215.82	63478.8
			राज्य	17211.76	20627.04	21556.78	22910.41
			निजी	12642.32	6061.78	2873.17	124.35
		नाभिकीय	केंद्रीय	2084.47	1983.79	1886.47	817.55
	उत्तराखंड	जलविद्युत	केंद्रीय	5144.33	6235.7	4715.1	3721.75
			राज्य	4013.49	5129.97	4750.91	4080.45
			निजी	1777.65	2176.87	2022.72	1977.35
प.क्षे.	छत्तसीगढ़	जलविद्युत	राज्य	258.63	314.11	125.21	279.9
		तापीय	केंदीय	35755.98	33565.84	29851.1	28549.21
			राज्य	10225.54	12636.64	13875.87	13292.93
			निजी	10510.53	12858.76	12303.48	9675.82
	गोवा	तापीय	निजी	209.77	277.09	292.28	320.92
	गुजरात	जलविद्युत	राज्य	4206.57	4958.95	4164.31	2956.83
		तापीय	केंद्रीय	5596.09	7322.47	7940.2	8815.06
			राज्य	20811.01	29797.05	29359.67	30514.16
			निजी	38285.34	29140.3	24688.95	17715.02
			निजी यूटिलिटी	2582.45	3418.65	3614.95	4092.92

1	2	3	4	5	6	7	8
		नाभिकीय	केंद्रीय	2838.59	3787.37	1446.12	1068.07
	मध्य प्रदेश	जलविद्युत	केंद्रीय	3648.42	4662.37	3197.72	3071.23
			राज्य	2591.88	3073.72	1700.25	1758.97
			निजी	0	0	0	0
			निजी यूटिलिटी	0	0	0	0
		तापीय	केंद्रीय	21487.28	25885.58	27013.39	27585.85
			राज्य	14010.52	15810.74	15695.55	16010.67
			निजी	375.98	0	0	0
	महाराष्ट्र	जलविद्युत	राज्य	3156.07	4590.68	4461.21	4205.01
			निजी यूटिलिटी	1274.08	1647.76	1367.03	1535.31
		तापीय	केंद्रीय	5056.67	11619.08	11876.85	8290.55
			राज्य	35629.85	42344.77	43043.2	46827.78
			निजी	12245.22	9712.87	2965.32	0
			निजी यूटिलिटी	11698.28	13662.13	13953.81	14648.85
		नाभिकीय	केंद्रीय	8346.06	9814.45	9116.95	7990.89
द.क्षे.	आंध्र प्रदेश	जलविद्युत	राज्य	2732.53	6370.8	8009.58	5880.42
			निजी	0	0	0	0
		तापीय	केंद्रीय	27505.33	31659.85	28976.64	30115.44
			राज्य	32314.18	35924.33	29441.12	26567.85
			निजी	9780.5	18113.67	18704.97	16717.38
	कर्नाटक	जलविद्युत	राज्य	7967.73	14259.88	10746.89	12358.32
			निजी	0	0	0	293.06

1	2	3	4	5	6	7	8
		तापीय	केंद्रीय	11580.99	14042.83	11974.09	13770.05
			निजी	11657.06	10069.87	10238.93	5815.92
		नाभिकीय	केंद्रीय	4586.64	5210.69	3873.07	3225.57
	केरल	जलविद्युत	राज्य	4020.39	7807.98	6801.62	6642.35
			निजी	0	0	0	68.04
		तापीय	केंद्रीय	1334.84	706.42	1902.82	2417.65
			राज्य	417.72	290.57	335.23	592.31
			क्षेत्र	23.17	48.74	223.05	648.49
	लक्षद्वीप	तापीय	राज्य	0	0	0	29.27
	पुदुचेरी	तापीय	राज्य	183.02	251.46	195.45	227.25
	तमिलनाडु	जलविद्युत	राज्य	2431.64	5199.27	4957.52	5614.91
		तापीय	केंद्रीय	15655.96	18142.76	17614.09	17655.65
			राज्य	18158.02	22586.98	20521.02	22209.38
			निजी	5183.53	5968.09	7087.17	7159.8
		नाभिकीय	केंद्रीय	2375.42	2516.14	2239.25	2046.11
पू.क्षे.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	जलविद्युत	राज्य	0	0	0	11.05
		तापीय	राज्य	106.58	94.87	86.76	79.75
			निजी	0	0	0	134.2
	बिहार	जलविद्युत	राज्य	0	0	0	30.19
		तापीय	केंद्रीय	12128.89	13645.55	14348.29	11771.62
			राज्य	0	166.74	220.44	264.71
	डीवीसी	जलविद्युत	केंद्रीय	187.83	296.12	115	198.13
		जलविद्युत	केंद्रीय	21329.76	19536.57	16549.86	14690.6

1	2	3	4	5	6	7	8
	झारखंड	जलविद्युत	राज्य	139.09	270.05	3.46	115.68
		तापीय	राज्य	3000.92	2710.94	3129.78	3181.48
			निजी	6135.9	3676.3	2548.67	2376.21
	ओडिशा	जलविद्युत	राज्य	3556.61	4987.33	4754.25	3920.01
		तापीय	केन्द्रीय	21118.54	25597.18	26329.48	27420.66
			राज्य	2629.72	2950.14	3184.72	2961.13
			निजी	7097.86	6751.23	1396.25	391.81
	सिक्किम	जलविद्युत	केंद्रीय	2427.15	2920.6	2976.46	2926.84
			राज्य	0	0	0	41.25
			निजी	0	0	0	0
		तापीय	राज्य	0	0	0	0.09
	पश्चिम बंगाल	जलविद्युत	केंद्रीय	0	0	0	0
			राज्य	1042.15	1077.89	1129.99	1110.82
		तापीय	केंद्रीय	9539.95	10416.29	11089.09	10239.32
			राज्य	21061.34	25625.22	24009.12	23969.5
			निजी	1.68	50.94	100.98	195.37
			निजी यूटिलिटी	7464.05	8938.2	8756.39	7834.72
पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	जलविद्युत	केंद्रीय	1171.97	978.4	1399.56	1033.08
			राज्य	0	0	0	19.88
	असम	जलविद्युत	केंद्रीय	696.92	992.06	792.02	784.43
			राज्य	322.21	460.94	406.78	400.37
		तापीय	केंद्रीय	1381.41	1765.17	1833.87	1744.14
			राज्य	1172.88	1337.72	1296.06	1308.74

1	2	3	4	5	6	7	8
			निजी	0	0	0	80.27
	मणिपुर	जलविद्युत	केंद्रीय	541.79	523.5	603.89	381.39
		तापीय	राज्य	0	0	0	0.27
	मेघालय	जलविद्युत	केंद्रीय	159.7	178.79	155.57	149.43
			राज्य	552.68	415.71	283.23	525.6
	मिजोरम	तापीय	राज्य	0	0	0	0
	नागालैंड	जलविद्युत	केंद्रीय	206.23	228.84	256.04	183.55
			राज्य	0	0	0	74.09
		तापीय	राज्य	0	0	0	0
	त्रिपुरा	जलविद्युत	राज्य	0	0	0	49.77
		तापीय	केन्द्रीय	526.67	666.12	644.1	662.71
			राज्य	637.47	776.72	669.32	619.79
आयात	भूटान (आयात)	जलविद्युत	आयात	4710.24	5284.51	5610.9	5358.57
कुल योग			762668.05	876886.53	811142.79	771551.1	

विवरण-II

2009-10 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2009 — मार्च, 2010				उच्चतम अप्रैल, 2009 — मार्च, 2010			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अतिरिक्त(+)/कमी(-)		उच्चतम मांग	उच्चतम उपलब्धता	अतिरिक्त(+)/कमी(-)	
	(मियू)	(मियू)	(मियू)	(%)	मेगावाट	मेगवाट	मेगवाट	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,576	1,528	-48	-3	308	308	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	24,277	24,094	-183	-0.8	4,502	4,408	-94	-2.1
हरियाणा	33,441	32,023	-1,418	-4.2	6,133	5,678	-455	-7.4
हिमाचल प्रदेश	7,047	6,769	-278	-3.9	1,118	1,158	40	3.6
जम्मू और कश्मीर	13,200	9,933	-3,267	-24.8	2,247	1,487	-760	-33.8
पंजाब	45,731	39,408	-6,323	-13.8	9,786	7,407	-2,379	-24.3
राजस्थान	44,109	43,062	-1,047	-2.4	6,859	6,859	0	0.0
उत्तर प्रदेश	75,930	59,508	-16,422	-21.6	10,856	8,563	-2,293	-21.1
उत्तराखंड	8,921	8,338	-583	-6.5	1,397	1,313	-84	-6.0
उत्तरी क्षेत्र	254,231	224,661	-29,570	-11.6	37,159	31,439	-5,720	-15.4
छत्तीसगढ़	11,009	10,739	-270	-2.5	2,819	2,703	-116	-4.1
गुजरात	70,369	67,220	-3,149	-4.5	10,406	9,515	-891	-8.6
मध्य प्रदेश	43,179	34,973	-8,206	-19.0	7,490	6,415	-1,075	-14.4
महाराष्ट्र	124,936	101,512	-23,424	-18.7	19,388	14,664	-4,724	-24.4
दमन और दीव	1,934	1,802	-132	-6.8	280	255	-25	-8.9
दादरा और नगर हवेली	4,007	3,853	-154	-3.8	529	494	-35	-6.6
गोवा	3,092	3,026	-66	-2.1	485	453	-32	-6.6
पश्चिमी क्षेत्र	258,528	223,127	-35,401	-13.7	39,609	32,586	-7,023	-17.7
आंध्र प्रदेश	78,996	73,765	-5,231	-6.6	12,168	10,880	-1,288	-10.6
कर्नाटक	45,550	42,041	-3,509	-7.7	7,942	6,897	-1,045	-13.2
केरल	17,619	17,196	-423	-2.4	3,109	2,982	-127	-4.1
तमिलनाडु	76,293	71,568	-4,725	-6.2	11,125	9,813	-1,312	-11.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पुदुचेरी	2,119	1,975	-144	-6.8	327	294	-33	-10.1
लक्षद्वीप	24	24	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	220,576	206,544	-14,032	-6.4	32,178	29,049	-3,129	-9.7
बिहार	11,587	9,914	-1,673	-14.4	2,249	1,509	-740	-32.9
डीवीसी	15,199	14,577	-622	-4.1	1,938	1,910	-28	-1.4
झारखंड	5,867	5,407	-460	-7.8	1,088	947	-141	-13.0
ओडिशा	21,136	20,955	-181	-0.9	3,188	3,120	-68	-2.1
पश्चिम बंगाल	33,750	32,819	-931	-2.8	6,094	5,963	-131	-2.1
सिक्किम	388	345	-43	-11.1	96	94	-2	-2.1
अंडमान औन निकोबार द्वीपसमूह	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	87,927	84,017	-3,910	-4.4	13,220	12,384	-836	-6.3
अरुणाचल प्रदेश	399	325	-74	-18.5	95	78	-17	-17.9
असम	5,122	4,688	-434	-8.5	920	874	-46	-5.0
मणिपुर	524	430	-94	-17.9	111	99	-12	-10.8
मेघालय	1,550	1,327	-223	-14.4	280	250	-30	-10.7
मिजोरम	352	288	-64	-18.2	70	64	-6	-8.6
नागालैंड	530	466	-64	-12.1	100	96	-4	-4.0
त्रिपुरा	855	771	-84	-9.8	176	173	-3	-1.7
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	9,332	8,296	-1,036	-11.1	1,760	1,445	-315	-17.9
अखिल भारतीय	830,594	746,644	-83,950	-10.1	119,166	104,009	-15,157	-12.7

#लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पास स्वयं की प्रणाली है, इनके यहां विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

2010-11 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2010 — मार्च, 2011				उच्चतम अप्रैल, 2010 — मार्च, 2011			
	आवश्यकता (मियू)	उपलब्धता (मियू)	अतिरिक्त(+)/कमी(-) (मियू)	(%)	उच्चतम मांग मेगावाट	उच्चतम उपलब्धता मेगावाट	अतिरिक्त(+)/कमी(-) मेगावाट	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,519	1,519	0	0	301	301	0	0
दिल्ली	25,625	25,559	-66	-0.3	4,810	4,739	-71	-1.5
हरियाणा	34,552	32,626	-1,926	-5.6	6,142	5,574	-568	-9.2
हिमाचल प्रदेश	7,626	7,364	-262	-3.4	1,278	1,187	-91	-7.1
जम्मू और कश्मीर	13,571	10,181	-3,390	-25.0	2,369	1,571	-798	-33.7
पंजाब	44,484	41,799	-2,685	-6.0	9,399	7,938	-1,461	-15.5
राजस्थान	45,261	44,836	-425	-0.9	7,729	7,442	-287	-3.7
उत्तर प्रदेश	76,292	64,846	-11,446	-15.0	11,082	10,672	-410	-3.7
उत्तराखंड	9,850	9,255	-595	-6.0	1,520	1,520	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	258,780	237,985	-20,795	-8.0	37,431	34,101	-3,330	-8.9
छत्तीसगढ़	10,340	10,165	-175	-1.7	3,148	2,838	-310	-9.8
गुजरात	71,651	67,534	-4,117	-5.7	10,786	9,947	-839	-7.8
मध्य प्रदेश	48,437	38,644	-9,793	-20.2	8,864	8,093	-771	-8.7
महाराष्ट्र	128,296	107,018	-21,278	-16.6	19,766	16,192	-3,574	-18.1
दमन और दीव	2,181	1,997	-184	-8.4	353	328	-25	-7.1
दादरा और नगर हवेली	4,429	4,424	-5	-0.1	594	594	0	0.0
गोवा	3,154	3,089	-65	-2.1	544	467	-77	-14.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिमी क्षेत्र	268,488	232,871	-35,617	-13.3	40,798	34,819	-5,979	-14.7
आंध्र प्रदेश	78,970	76,450	-2,520	-3.2	12,630	11,829	-801	-6.3
कर्नाटक	50,474	46,624	-3,850	-7.6	8,430	7,815	-615	-7.3
केरल	18,023	17,767	-256	-1.4	3,295	3,103	-192	-5.8
तमिलनाडु	80,314	75,101	-5,213	-6.5	11,728	10,436	-1,292	-11.0
पुदुचेरी	2,123	2,039	-84	-4.0	319	302	-17	-5.3
लक्षद्वीप	25	25	0	0	7	7	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	229,904	217,981	-11,923	-5.2	33,256	31,121	-2,135	-6.4
बिहार	12,384	10,772	-1,612	-13.0	2,140	1,659	-481	-22.5
डीवीसी	16,590	15,071	-1,519	-9.2	2,059	2,046	-13	-0.6
झारखंड	6,195	5,985	-210	-3.4	1,108	1,052	-56	-5.1
ओडिशा	22,506	22,449	-57	-0.3	3,872	3,792	-80	-2.1
पश्चिम बंगाल	36,481	35,847	-634	-1.7	6,162	6,112	-50	-0.8
सिक्किम	402	402	0	0.0	106	104	-2	-1.9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	94,558	90,526	-4,032	-4.3	13,767	13,085	-682	-5.0
अरुणाचल प्रदेश	511	436	-75	-14.7	101	85	-16	-15.8
असम	5,403	5,063	-340	-6.3	971	937	-34	-3.5
मणिपुर	568	505	-63	-11.1	118	115	-3	-2.5
मेघालय	1,545	1,352	-193	-12.5	294	284	-10	-3.4
मिजोरम	369	315	-54	-14.6	76	70	-6	-7.9
नागालैंड	583	520	-63	-10.8	118	110	-8	-6.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	882	801	-81	-9.2	220	197	-23	-10.5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9,861	8,992	-869	-8.8	1,913	1,560	-353	-18.5
अखिल भारतीय	861,591	788,355	-73,236	-8.5	122,287	110,256	-12,031	-9.8

#लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पास स्वयं की प्रणाली है, इनके यहां विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

टिप्पणी — विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों सकल खपत को दर्शाते हैं (पारेषण हानियों सहित)। सकल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खाते में दर्शाया जाता है।

2011-12 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2011 — मार्च, 2012				उच्चतम अप्रैल, 2011 — मार्च, 2012			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अतिरिक्त(+)/कमी(-)		उच्चतम मांग	उच्चतम उपलब्धता	अतिरिक्त(+)/कमी(-)	
	(मियू)	(मियू)	(मियू)	(%)	मेगावाट	मेगवाट	मेगवाट	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,568	1,564	-4	0	263	263	0	0
दिल्ली	26,751	26,674	-77	-0.3	5,031	5,028	-3	-0.1
हरियाणा	36,874	35,541	-1,333	-3.6	6,533	6,259	-274	-4.2
हिमाचल प्रदेश	8,161	8,107	-54	-0.7	1,397	1,298	-99	-7.1
जम्मू और कश्मीर	14,250	10,889	-3,361	-23.6	2,385	1,789	-596	-25.0
पंजाब	45,191	43,792	-1,399	-3.1	10,471	8,701	-1,770	-16.9
राजस्थान	51,474	49,491	-1,983	-3.9	8,188	7,605	-583	-7.1
उत्तर प्रदेश	81,339	72,116	-9,223	-11.3	12,038	11,767	-271	-2.3
उत्तराखंड	10,513	10,208	-305	-2.9	1,612	1,600	-12	-0.7
उत्तरी क्षेत्र	276,121	258,382	-17,739	-6.4	40,248	37,117	-3,131	-7.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	15,013	14,615	−398	−2.7	3,239	3,093	−146	−4.5
गुजरात	74,696	74,429	−267	−0.4	10,951	10,759	−192	−1.8
मध्य प्रदेश	49,785	41,392	−8,393	−16.9	9,151	8,505	−646	−7.1
महाराष्ट्र	141,382	117,722	−23,660	−16.7	21,069	16,417	−4,652	−22.1
दमन और दीव	2,141	1,915	−226	−10.6	301	276	−25	−8.3
दादरा और नगर हवेली	4,380	4,349	−31	−0.7	615	605	−10	−1.6
गोवा	3,024	2,981	−43	−1.4	527	471	−56	−10.6
पश्चिमी क्षेत्र	290,421	257,403	−33,018	−11.4	42,352	36,509	−5,843	−13.8
आंध्र प्रदेश	91,730	85,149	−6,581	−7.2	14,054	11,972	−2,082	−14.8
कर्नाटक	60,830	54,023	−6,807	−11.2	10,545	8,549	−1,996	−18.9
केरल	19,890	19,467	−423	−2.1	3,516	3,337	−179	−5.1
तमिलनाडु	85,685	76,705	−8,980	−10.5	12,813	10,566	−2,247	−17.5
पुदुचेरी	2,167	2,136	−31	−1.4	335	320	−15	−4.5
लक्षद्वीप	37	37	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	260,302	237,480	−22,822	−8.8	37,599	32,188	−5,411	−14.4
बिहार	14,311	11,260	−3,051	−21.3	2,031	1,738	−293	−14.4
डीवीसी	16,648	16,009	−639	−3.8	2,318	2,074	−244	−10.5
झारखंड	6,280	6,030	−250	−4.0	1,030	868	−162	−15.7
ओडिशा	23,036	22,693	−343	−1.5	3,589	3,526	−63	−1.8
पश्चिम बंगाल	38,679	38,281	−398	−1.0	6,592	6,532	−60	−0.9
सिक्किम	390	384	−6	−1.5	100	95	−5	−5.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	244	204	−40	−16	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	99,344	94,657	−4,687	−4.7	14,707	13,999	−708	−4.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	600	553	-47	-7.8	121	118	-3	-2.5
असम	6,034	5,696	-338	-5.6	1,112	1,053	-59	-5.3
मणिपुर	544	499	-45	-8.3	116	115	-1	-0.9
मेघालय	1,927	1,450	-477	-24.8	319	267	-52	-16.3
मिजोरम	397	355	-42	-10.6	82	78	-4	-4.9
नागालैंड	560	511	-49	-8.8	111	105	-6	-5.4
त्रिपुरा	949	900	-49	-5.2	215	214	-1	-0.5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	11,011	9,964	-1,047	-9.5	1,920	1,782	-138	-7.2
अखिल भारतीय	937,199	857,886	-79,313	-8.5	130,006	116,191	-13,815	-10.6

#लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पास स्वयं की प्रणाली है, इनके यहां विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

2012-13 (अनंतिम) के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				उच्चतम			
	अप्रैल, 2012 — मार्च, 2013				अप्रैल, 2012 — मार्च, 2013			
	आवश्यकता (मियू)	उपलब्धता (मियू)	अतिरिक्त(+)/कमी(-) (मियू)	(%)	उच्चतम मांग मेगावाट	उच्चतम उपलब्धता मेगवाट	अतिरिक्त(+)/कमी(-) मेगवाट	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,434	1,434	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	22,827	22,694	-133	-0.6	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	35,828	32,783	-3,045	-8.5	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	7,576	7,342	-234	-3.1	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू और कश्मीर	12,792	9,594	-3,198	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	41,747	39,239	−2,508	−6.0	11,520	8,751	−2,769	−24.0
राजस्थान	45,953	44,299	−1,654	−3.6	8,940	8,515	−425	−4.8
उत्तर प्रदेश	77,497	64,692	−12,805	−16.5	13,940	12,048	−1,892	−13.6
उत्तराखंड	9,660	9,064	−596	−6.2	1,757	1,674	−83	−4.7
उत्तरी क्षेत्र	255,314	231,141	−24,173	−9.5	45,860	41,790	−4,070	−8.9
छत्तीसगढ़	14,210	13,968	−242	−1.7	3,271	3,134	−137	−4.2
गुजरात	75,423	75,275	−148	−0.2	11,999	11,960	−39	−0.3
मध्य प्रदेश	43,770	39,017	−4,753	−10.9	10,077	9,462	−615	−6.1
महाराष्ट्र	104,016	100,539	−3,477	−3.3	17,934	16,765	−1,169	−6.5
दमन और दीव	1,567	1,436	−131	−8.4	311	286	−25	−8.0
दादरा और नगर हवेली	3,643	3,474	−169	−4.6	629	629	0	0.0
गोवा	2,509	2,439	−70	−2.8	491	452	−39	−7.9
पश्चिमी क्षेत्र	245,138	236,148	−8,990	−3.7	40,075	39,486	−589	−1.5
आंध्र प्रदेश	82,067	68,006	−14,061	−17.1	13,974	11,335	−2,639	−18.9
कर्नाटक	54,365	47,104	−7,261	−13.4	10,124	8,458	−1,666	−16.5
केरल	17,649	16,967	−682	−3.9	3,578	3,262	−316	−8.8
तमिलनाडु	76,560	63,308	−13,252	−17.3	12,606	11,053	−1,553	−12.3
पुदुचेरी	1,938	1,900	−38	−2.0	348	320	−28	−8.0
लक्षद्वीप	30	30	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	232,579	197,285	−35,294	−15.2	36,934	31,287	−5,647	−15.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	12,630	10,800	-1,830	-14.5	2,295	1,784	-511	-22.3
डीवीसी	14,464	13,715	-749	-5.2	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखंड	5,801	5,575	-226	-3.9	1,106	1,033	-73	-6.6
ओडिशा	21,234	20,443	-791	-3.7	3,968	3,694	-274	-6.9
पश्चिम बंगाल	35,483	35,230	-253	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	341	341	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	201	156	-45	-22	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	90,306	86,104	-4,202	-4.7	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरुणाचल प्रदेश	503	472	-31	-6.2	116	114	-2	-1.7
असम	5,544	5,186	-358	-6.5	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	488	462	-26	-5.3	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,510	1,314	-196	-13.0	312	310	-2	-0.6
मिजोरम	339	315	-24	-7.1	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	480	453	-27	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	936	890	-46	-4.9	229	228	-1	-0.4
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9,800	9,092	-708	-7.2	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारतीय	833,230	759,849	-73,381	-8.8	135,453	123,294	-12,159	-9.0

#लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पास स्वयं की प्रणाली है, इनके यहां विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

टिप्पणी – विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों सकल खपत को दर्शाते हैं (पारेषण हानियों सहित)। सकल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खाते में दर्शाया जाता है।

विवरण-III

31.01.2013 को राज्यों के अनाबंटित विद्युत का आबंटन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	(मेगावाट
1	2
चंडीगढ़	111
दिल्ली	30
हरियाणा	140
हिमाचल प्रदेश	194
जम्मू और कश्मीर	364
पंजाब	87
राजस्थान	395
उत्तर प्रदेश	642
उत्तराखंड	125
छत्तीसगढ़	0
गुजरात	0
मध्य प्रदेश	425
महाराष्ट्र	567
दमन और दीव	134
दादरा और नगर हवेली	573
गोवा	30
आंध्र प्रदेश	395
कर्नाटक	269
केरल	265
तमिलनाडु	362
पुदुचेरी	158
लक्षद्वीप	0
बिहार	296
डीवीसी	160
झारखंड	45
ओडिशा	70
पश्चिम बंगाल	13
सिक्किम	0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15
असम	193
मणिपुर	16
मेघालय	111
मिजोरम	24
नागालैंड	8
त्रिपुरा	10

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई

1715. श्री तथागत सत्पथी :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री हेमानंद बिसवाल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत देश में माओवादी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क में सुधार के लिए एक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या ठेकेदार नक्सल प्रभवित जिलों में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं से बच रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका सामना करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत इसे स्थानीय पंचायतों को सौंपने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नक्सल प्रभावित जिलों में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) (क) पीएमजीएसवाई कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ, समेकित कार्य योजना (आईएपी) के तहत कवर किए गए 82 चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में 250 और उससे अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली बसावटों में सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क मार्गों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) ग्रामीण सड़कें राज्य संबंधी विषय हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकारों की है। समेकित कार्य योजना (आईएपी) के तहत चयनित जनजातिय एवं पिछड़े जिलों में समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा अभिज्ञात किया गया है, पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निम्न प्रकार से छूट दी गई है:—

(i) निविदा पैकेज की न्यूनतम राशि घटाकर 50 लाख रुपए की गई है।

(ii) निविदा दस्तावेज में "बोली क्षमता निर्धारण फॉरमूला" में "एम" वैल्यू (बहुगुणन फेक्टर) को ठेकेदार के द्वारा अधिक बोलियां देने हेतु बोली क्षमता को बढ़ाने के लिए "2" से बढ़ाकर "3" कर दिया गया है।

(iii) कार्य पूरे होने के लिए 24 कैलेण्डर महीनों तक की बढ़ाई गई समय-सीमा की अनुमति दी गई है।

(iv) ठेकेदार के प्लांट एवं मशीनरी पर आग लगने अथवा कोई क्षति जैसे जोखिमों के विरुद्ध बीमा प्रीमियम की लागत को भी आकलनों में शामिल किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में संबंधित ग्राम पंचायतों को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, ग्रामीण सड़क कार्य का निर्माण सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) आईएपी जिलों में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन का वर्तमान स्तर (दिसंबर, 2012 तक) का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

पीएमजीएसवाई के तहत 31 दिसम्बर, 2012 की समाप्ति पर 82 आईपी जिलों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	राज्य	आईएपी जिलों की संख्या	पीएमजीएसवाई के तहत पात्र बसावटों की संख्या	पीएमजीएसवाई के तहत संपन्न की बसावटों संख्या	पीएमजीएसवाई के तहत सड़क मार्गों से जोड़ी गई बसावटों की संख्या	अन्य योजनाओं के तहत सड़क मार्गों से जोड़ी की बसावटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8	4864	1230	1194	1722
2.	बिहार	11	10868	3897	1759	1528
3.	छत्तीसगढ़	10	7685	6041	3774	730

1	2	3	4	5	6	7
4.	झारखंड	17	7466	5215	2459	1063
5.	मध्य प्रदेश	10	4977	3748	2898	—
6.	महाराष्ट्र	2	139	96	66	43
7.	ओडिशा	18	11116	7189	4232	159
8.	उत्तर प्रदेश	3	1615	508	457	1000
9.	पश्चिम बंगाल	3	3224	2508	2165	—
	कुल	82	51954	30432	19004	6245

ईंधन आपूर्ति समझौता

1716. **डॉ. अनूप कुमार साहा :**
श्री आधि शंकर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने प्रारुप एफएसए में बिना किसी प्रमुख परिवर्तनों के कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया है और क्या इन दोनों के बीच मतभेद सुलझा दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी द्वारा नए एफएसए के अंतर्गत सीआईएल आपूर्ति के 35 प्रतिशत से अधिक कोयले को उठाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एफएसए के हस्ताक्षर में विलंब के कारण एनटीपीसी की इकाइयों और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) में विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो एफएसए के हस्ताक्षर में विलंब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मुद्दे के यथाशीघ्र समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एनटीपीसी और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों से नए एफएसए के अंतर्गत सीआईएल कोयले के लगभग 25% के लिए ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) जहां तक एनटीपीसी का संबंध है, एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाने में विलंब के कारण इसकी यूनिटों में अब तक विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। एनटीपीसी को कुछ खंड स्वीकार्य नहीं होने के कारण हस्ताक्षर करने में विलंब हुआ है जोकि सीआईएल के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति होने की प्रक्रिया में है।

डीवीसी को दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट यूनिट-1 व 2 (1000 मेगावाट) जिसके लिए अभी एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, ने जनवरी, 2013 में 78% पीएलएफ पर विद्युत उत्पादन किया है। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट के लिए एफएसए में विलंब हुआ है क्योंकि मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) संबद्ध सी-ई ग्रेड कोयले के स्थान पर ए-ई ग्रेड कोयले के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर दे रहा है। विद्युत मंत्रालय ने सी से ई ग्रेड में पूर्ण संबद्ध मा.। के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों को उचित निर्देश देने और यह कहने कि ईसीएल के पास सम्बद्ध ग्रेड का पर्याप्त स्टॉक नहीं है, तो इसे ईसीएल

से अन्य कंपनियों अर्थात् बीसीसीएल और सीसीएल को पुन: आवंटित किए जाने के लिए कोयला मंत्रालय को लिखा है।

गुजरात से प्रस्ताव

1717. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ विभिन्न रेल लाइनों/अवसंरचना के विकास और कालूपुर स्टेशन के निकट वाहन ट्रैफिक को कम करने के लिए साबरमती रेलवे स्टेशन के विकास हेतु प्राप्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (ग) विभिन्न स्तरों से अनुरोध प्राप्त होते हैं जिनका संकलन नहीं रखा जाता है। बहरहाल, गुजरात राज्य में आंशिक/पूर्ण रूप से आने वाले हाल ही में नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के प्रस्तावों और उनकी स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	स्थिति
1	2	3
नई लाइनें		
1.	धनगधारा-संतालपुर	2011-12 के बजट में सर्वेक्षण शामिल किया गया है, धनगधारा-संतालपुर तक सर्वेक्षण करना संभव नहीं पाया गया है। इसलिए, खारगोदा-संतालपुर से सर्वेक्षण का सरेखण बदल दिया गया है।
2.	पालनपुर-अंबाजी-अबू रोड	सर्वेक्षण 2011-12 के बजट में शामिल है। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
3.	धनेरा-गोरादू	सर्वेक्षण 2011-12 के बजट में शामिल है।
4.	धनेरा-थारड-वाव-सुइगाम	सर्वेक्षण 2011-12 के बजट में शामिल है। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई है।
5.	भरूच-दहेज-जम्बूसर	भरूच-दहेज — जम्बूसर मौजूदा छोटी लाइन थी जिसका भरूच — सामनी-दहेज खंड पहले से ही बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है और सामनी — जम्बूसर-विश्वामित्रि तथा जम्बूसर-कवि आमान परिवर्तन परियोजना के एक भाग के रूप में सामनी-जम्बूसर खंड के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण प्रगति पर है।
6.	भावनगर-अधेलाल-धोलेरा-पेटलाड	सर्वेक्षण 2012-13 के बजट में शामिल है। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
7.	खंभाट-खंभाट पोर्ट	2012-13 के बजट में सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
8.	भीमनाथ-धोलेरा	सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

1	2	3
9.	नाडियाड ढोलका	सर्वेक्षण 2011-12 के बजट में शामिल है। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
10.	पोर्ट संपर्कता-मुंद्रा-गांधीधाम-समख्यिाली-रढानपुर-पालनपुर	पोर्ट संपर्कता पहले से ही मौजूदा है। पालनपुर – समखियाली का दोहरीकरण 2013-14 के बजट में प्रस्तावित है। मुंद्रा – आदिपुर के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
11.	सूरत-हजीरा नया रेल लिंक	विगत में इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रेल विकास निगम द्वारा एक एसपीवी प्रस्तावित किया गया था, जिसके संरेखण को गुजरात सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसके अलावा, इस लाइन को निजी लाइन के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
12.	बेदी पोर्ट-जामनगर स्टेशन	सर्वेक्षण 2012-13 के बजट में शामिल है। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
13.	पोरबंदर पोर्ट-पोरबंदर स्टेशन	सर्वेक्षण 2012-13 के बजट में शामिल है। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
14.	छारा पोर्ट-कोडीनार (वेरावल-सोमनाथ-कोडीनार का विस्तार)	पीपीपी मॉडल के अंतर्गत विकसित किया जा सकता है। बहरहाल, बेरावल – सोमनाथ (281 किमी.) का विस्तार और सोमनाथ-कोडीनार (36.91 किमी.) को राजकोट – वेरावल, वंसजेलिया-जेतलसर स्वीकृत आमान पविर्तन परियोजना के महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में शुरू किया गया है।
15.	महुवा पोर्ट-महुवा स्टेशन	एक निजी साइडिंग के रूप में विकसित किया जा सकता है।
16.	कच्चीगाध पोर्ट संपर्कता-वेरावल स्टेशन	एक निजी साइडिंग के रूप में विकसित किया जा सकता है।
17.	भिलाड से संजन तक दो जंक्शनों की व्यवस्था	एक निजी साइडिंग के रूप में विकसित किया जा सकता है।
आमान परिवर्तन		
1.	अहमदाबाद-बोटाड-भावनगर	अहमदाबाद-बोटाड का आमान परिवर्तन 2012-13 के बजट में शामिल किया गया है। परियोजना निष्पादित करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को सौंपी गई है। प्रारंभिक गतिविधियां जैसे योजना और अनुमान तैयार करना शुरू कर दी गई है। बोटाड-भावनगर खंड पहले से ही बड़ी लाइन नेटवर्क में है।
2.	धासा-जेतलसर	यह कार्य 2012-13 के बजट में शामिल किया गया है। परियोजना निष्पादित करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)

1	2	3
		को सौंपी गई है। प्रारंभिक गतिविधियां जैसे योजना और अनुमान तैयार करना शुरू कर दी गई हैं।
3.	अहमदाबाद-मेहसाणा	सर्वेक्षण 2012-13 के बजट में शामिल है। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई है।
4.	खंभाट-खंभाट पोर्ट	सर्वेक्षण 2012-13 के बजट में शामिल है। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई है।
5.	नाडियाड-भद्रान	सर्वेक्षण अभी शुरू नहीं किया गया है।
6.	भरूच-समानी-दहेज	इस खंड का पविर्तन पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
7.	विरमगाम-समखियाली	यहां पहले से ही एक बड़ी आमान लाइन मौजूदा है। इस खंड का दोहरीकरण वर्ष 2011-12 में स्वीकृत किया गया है।
8.	नवलाखी-मालिया-राजकोट	पहले से ही बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया।
9.	मेहसाणा-विरमगाम	पहले से ही बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया।
10.	विरमगाम-सुरेन्द्रनगर	पहले से ही बड़ी लाइन में परिवर्तित है। इस खंड के दोहरीकरण के 2010-11 के बजट में शामिल किया गया है। काम शुरू कर दिया गया है।
11.	मेहसाणा-पाटन	पहले से ही बड़ी लाइन में परिवर्तित है।
12.	समख्यिाली-गांधीधाम-कांडला	पहले से ही बड़ी लाइन में परिवर्तित है। मीटर आमान लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन द्वारा गांधीधाम-कांडला पोर्ट का दोहरीकरण 2009-10 के बजट में शामिल किया गया है।
13.	गांधीधाम-अंजार-मुंद्रा	खंड पहले से ही बड़ी लाइन में परिवर्तित है।
दोहरीकरण		
1.	अहमदाबाद-मेहसाणा-जयपुर	इस मार्ग पर अहमदाबाद-पालनपुर खंड को छोड़कर, पालनपुर-अजमेर का दोहरीकरण टुकड़ों में किया गया है। मेहसाणा-पालनपुर के दोहरीकरण के साथ-साथ अहमदाबाद-मेहसाणा के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। 2012-13 के दौरान केशवगंज-स्वरूपगंज खंड को पूरा करने का लक्ष्य है। अजमेर-जयपुर खंड का दोहरीकरण पूरा हो चुका है और चालू हो गया है।
2.	राजकोट-ओखा	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

1	2	3
3.	राजकोट-वेरावल	इस खंड के लिए दोहरीकरण पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह परिचालनिक आवश्यकताओं की दृष्टि से उचित नहीं था।
4.	राजकोट-विरमगाम	इस मार्ग पर, सुरेंद्रनगर-विरामगाम खंड का दोहरीकरण शुरू किया गया है। राजकोट-सुरेंद्रनगर का सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
5.	दहेज-भरूच	यह खंड हाल ही में बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है और चालू हो गया है। यातायात औचित्य के आधार पर दोहरीकरण करने की आवश्यकता पर विचार किया जाना है।
6.	पालनपुर-समखियाली-गांधीधाम-मुंद्रा	आदिपुर-मुंद्रा के हिससे का दोहरीकरण मैसर्स मुंद्रा पोर्ट सेज लिमिटेड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। आदिपुर से गांधीधाम को 2009-10 के बजट में शामिल किया गया है। कच्छ रेलवे निगम द्वारा प्रस्तावित गांधीधाम-पालनपुर का दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। पालनपुर-समखियाली के दोहरीकरण का कार्य 2013-14 के बजट में प्रस्तावित किया गया है।
7.	गांधीधाम-कांडला	इस खंड का दोहरीकरण पहले ही पूरा कर लिया गया है।
8.	पीपावाव-राजुला-धासा-बोटाड-सुरेंद्रनगर-मेहसाणा-विरामगाम	फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यातायात औचित्य के आधार पर दोहरीकरण पर विचार किया जाएगा।

जहां तक साबरमती स्टेशन के विकास का संबंध है, साबरमती स्टेशन पर दूसरे कोचिंग टर्मिनल का निर्माण 2013-14 के बजट में 9.0 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर प्रस्तावित किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बांधों का निर्माण

1718. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में जल भंडारण के लिए कांक्रीट के बांधों का निर्माण प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य राज्यों में ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने भूजल स्तर में कमी का प्रभावी रूप से संवर्धन तथा फसलों को संरक्षित सिंचाई प्रदान करने के लिए वर्ष 2012-13 में सूखा न्यूनीकरण उपायों की शृंखला के रूप में सीमेंट नाला बंधों (समतल सीमेंट कांक्रीट) के निर्माण का निर्णय लिया है। राज्य बजट में से 150 करोड़ रु. का आबंटन किया गया तथा 1652 सीमेंट नाला बांधों का निर्माण पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) से (ङ) ऐसे कोई प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा नहीं बनाए गए हैं। जल राज्य का विषय है तथा यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे जल संसाधन परियोजनाओं की संकल्पना, योजना कार्यान्वयन, विकास तथा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करें।

[अनुवाद]

पंजाब से प्रस्ताव

1719. **डॉ. रतन सिंह अजनाला : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष से और आज की तिथि के अनुसार पंजाब सरकार से नई रेल लाइनों को बिछाने/आमान परिवर्तन/स्टेशनों के उन्नयन/ओवर ब्रिज अथवा अंडरब्रिजों के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा इस पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) कब तक इन प्रस्तावों को स्वीकृत और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (ग) नई लाइनें/आमान परिवर्तन/स्टेशनों का उन्नयन और उपरि सड़क पुलों के निर्माण के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान, पंजाब सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

प्रस्ताव	की गई कार्यवाही/स्थिति	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
नई लाइन		
रामामंडी-मौर मंडी नई लाइन	प्रस्ताव को 2013-14 के रेल बजट में शामिल किया गया है।	निर्धारित नहीं
आमान परिवर्तन		
कोई नहीं		
उपरि/निचले सड़क पुल		
भटिंडा-फिरोजपुर खंड पर किलोमीटर 351/5-6 पर समपार संख्या बी-31 के स्थान पर उपरि सड़क पुल	प्रस्ताव को 2013-14 के रेल बजट में शामिल किया गया है।	निर्धारित नहीं
अमृतसर-सानेवाल खंड पर 506/2-4 किलोमीटर पर समपार संख्या एस-28 के स्थान पर उपरि सड़क पुल	प्रस्ताव को 2013-14 के रेल बजट में शामिल किया गया है।	निर्धारित नहीं
भटिंडा-फिरोजपुर खंड पर किलोमीटर 323/6-7 पर समपार संख्या ए-17 के स्थान पर उपरि सड़क पुल	प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जा सकी क्योंकि राज्य सरकार ने समपार को बंद करने की वचनबद्धता नहीं दी है।	निर्धारित नहीं
स्टेशनों का उन्नयन		
पिछले एक वर्ष के दौरान और आलोच्य वर्ष में आज की तारीख तक पंजाब सरकार से स्टेशनों के उन्नयन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।		

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

1720. **श्री सज्जन वर्मा :**
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित और संवितरित योजनागत निधियों का ब्यौरा क्या है और इनके निष्पादन हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) वर्तमान में अधूरी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और विलंब के कारण परियोजना-वार समय और लागत में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और सिंचाई के अंतर्गत कितना क्षेत्र है और परियोजना-वार किसानों को प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा राज्य में सिंचाई प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) विगत दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा विचार की गई तथा स्वीकृत मध्य प्रदेश की बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल पात्र बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता (सीए) जारी की है। गत पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान एआईबीपी में शामिल परियोजनाओं को जारी केन्द्रीय सहायता, एआईबीपी में उनके शामिल होने का वर्ष, एआईबीपी के अंतर्गत समापन की वास्तविक/संभावित तारीख का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) एआईबीपी में शामिल होने के समय उनकी लागत सहित एआईबीपी के अंतर्गत चालू परियोजनाओं के ब्यौरे, अद्यतन अनुमोदित लागत तथा उनके समापन में विलम्ब हेतु कारण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) एआईबीपी के अंतर्गत शामिल पात्र परियोजनाओं को किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत समय सीमा के अनुसार पूरा किया जाना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार, उनके शीघ्र समापन हेतु इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है।

(ङ) और (च) एआईबीपी के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं की सूची तथा उनकी क्षमता सृजन का लक्ष्य संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार की गई और स्वीकृत की गई मध्य प्रदेश की परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	बैठक की संख्या	बैठक तारीख	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	बृहद/मध्यम	अनुमानित लागत करोड़ रु.	लाभ हैक्टेयर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	80वीं	07.02.2003	महान सिंचाई परियोजना (गुलाब सागर परियोजना)	मध्य प्रदेश	बृहद	140.51	19,740

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	84वीं	12.05.2005	पुनासा लिफ्ट सिंचाई	मध्य प्रदेश	बृहद	185.03	36758,4
3.	85वीं	22.02.2006	पेंच डाइवर्जन परियोजना	मध्य प्रदेश	बृहद	583.4	96519
4.	94वीं	09.07.2008	निचली गोई सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	बृहद	360.37	15686
5.	98वीं	09.07.2009	पुनासा लिफ्ट सिंचाई स्कीम (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	488.08	36758
6.	99वीं	24.08.2009	इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	3181.77	16900/ 1000 मे.वा.
7.	99वीं	24.08.2009	ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	2504.8	283324
8.	99वीं	24.08.2009	माही सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	490.39	26429
9.	99वीं	24.08.2009	ऊपरी बेदा सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	224.41	13400
10.	100वीं	09.10.2009	बारगी डाइवर्जन परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	5127.22	3,77,000
11.	100वीं	09.10.2009	सागर मध्यम सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	239.99	17,061
12.	101वीं	30.11.2009	बरियारपुर बायां तट नहर परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	477.26	43,850
13.	101वीं	30.11.2009	बाणसागर नहर परियोजना-यूनिट-II (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	2143.65	2,49,359
14.	101वीं	30.11.2009	सिंध नदी परियोजना फेज-II (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	2045.74	1,62,100
15.	101वीं	30.11.2009	सिंहपुर सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	200.52	6,000
16.	101वीं	30.11.2009	बह सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	मध्यम	250.33	17,807

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	102वीं	28.01.2010	बाणसागर बांध (यूनिट-I) परियोजना, मध्य प्रदेश (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	1582.94	4,93,000
18.	103वीं	11.03.2010	महान (गुलाब सागर) सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	486.96	19,740
19.	103वीं	11.03.2010	जोबट मध्यम सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहद	230.61	12,507
20.	104वीं	12.05.2010	राजीव सागर (बावनथाडी) (संशोधित)	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	बृहद	161.57	57,120
21.	105वीं	25.06.2010	हालोन सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	बृहद	414.21	16,782
22.	105वीं	25.06.2010	मन सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	बृहद	246.03	17,700
23.	105वीं	25.06.2010	ऊपरी नर्मदा सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	बृहद	683.93	26,622
24.	107वीं	27.10.2010	कछाल सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	62.48	3470
25.	107वीं	27.10.2010	ऊपरी ककेटा सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	196.27	3423
26.	109वीं	14.03.2011	कुशलपुरा सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	83.975	7540
27.	109वीं	14.03.2011	बाघेरू सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	50.57	3350
28.	109वीं	14.03.2011	रेहती सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	48.77	2905
29.	110वीं	20.07.2011	राजघाट नहर परियोजना-ईआरएम	मध्य प्रदेश	बृहद	34.15	164789 (पुनरुद्धार-60642 हेक्टे.)
30.	110वीं	20.07.2011	रंगवान उच्च स्तरीय नहर प्रणाली-ईआरएम	मध्य प्रदेश	बृहद	39.04	17085
31.	110वीं	20.07.2011	उर्मिल दायां तट नहर प्रणाली-ईआरएम	मध्य प्रदेश	बृहद	45.69	7692
32.	113वीं	12.01.2012	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना (एमपीडब्ल्यूएसआरपी)	मध्य प्रदेश	नई-ईआरएम	1919.00	488,682

विवरण-II

मध्य प्रदेश राज्य में एआईबीपी के अंतर्गत Xवीं एवं XIवीं योजनाओं के लिए बृहद, मध्यम, ईआरएम परियोजनाओं के संबंध में जारी केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	प्रारंभ करने की योजना	एआईबीपी में शामिल करने का वर्ष	शामिल किए जाने के समय एआईबीपी की अनुमानित लागत	एआईबीपी घटकों की अद्यतन अनुमानित लागत	स्थिति		Xवीं योजना		XIवीं योजना जारी अनुदान	राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना में विलंब होने के कारण
						पूरा होने का वास्तविक वर्ष	पूरा होने का प्रत्याशित वर्ष	जारी केन्द्रीय ऋण सहायता	जारी अनुदान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मध्य प्रदेश										
1.	इंदिरा सागर यूनिट-I	VI	1996-97	752.16	5150	जारी	2014-15	0.000	0.000	0.000	वन भूमि की स्वीकृति न मिलना
	इंदिरा सागर यूनिट-II		1996-97	772	1354.67	जारी	2014-15	351.622	89.322	232.879	वन भूमि की स्वीकृति न मिलना
2.	बाणसागर यूनिट-I	V	1996-97		452.275	2010-11	—	115.808	24.989	20.607	पूर्ण
	बाणसागर यूनिट-II		2003-04	435.97	1548.74	जारी	2013-14	88.240	42.582	237.606	बजट प्रावधान का न होना और ठेकेदारों का असफल होना
3.	ऊपरी वेनगंगा	V	1996-97	50.60	100.74	2002-03	—	6.576	0.000	0.000	पूर्ण
	राजघाट बांध	V	1998-99	61.61	63	2004-05	—	10.800	3.600	0.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	सिंध चरण-I	VI	1998-99	510.94	1862.42	जारी	2014-15	255.834	58.795	101.097	भूमि अधिग्रहण समस्या
5.	सिंध चरण-I	V	1999-2000	4.95	21.84	2006-07	—	10.376	0.000	0.000	पूर्ण
6.	माही	VI	2000-01	61.52	490.28	जारी	2012-13	68.706	23.220	213.674	शेष कार्य एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए अभिकरण निर्धारित करने में विलम्ब
7.	बरियारपुर एलबीसी	V	2000-01	18.4	365.78	जारी	2010-11	54.449	14.992	26.140	अभिकल्प को अंतिम रूप देने में विलम्ब शेष कार्य, भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए अभिकरण निर्धारित करने में विलम्ब
8.	उर्मिल आरबीसी	V	2000-01	2.12	4.81	2002-03	—	1.056	0.000	0.000	पूर्ण
9.	बंजर	V	2000-01	2.09	2.38	2002-03	—	0.196	0.000	0.000	पूर्ण
10.	बावनथाड़ी	VI	2003-04	126.81	587.16	जारी	2013-14	37.853	11.327	42.779	वन भूमि की स्वीकृति न मिलना
11.	महान	VI	2003-04	140.51	395.11	जारी	2013-14	13.499	8.641	9.340	बजट प्रावधान का न होना और ठेकेदारों और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना का असफल होना
12.	ओंकारेश्वर चरण-I	VIII	2003-04	576.64	576.64	जारी	2014-15	70.116	32.510	61.658	भूमि अधिग्रहण समस्या
13.	बार्गी डाइवर्जन चरण-I	VIII	2001-02	411	411	जारी	2012-13	0.000	25.548	17.067	भूमि अधिग्रहण समस्या
	बार्गी डाइवर्जन चरण-II	VIII	2002-03	322.71	322.71	जारी	2012-13	65.000	13.390	47.150	भूमि अधिग्रहण समस्या

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	बार्गी डाइवर्जन चरण-III	XI	2007-08	1229.15	1229.15	जारी	2016-17	0.000	0.000	55.994	भूमि अधिग्रहण समस्या
14.	पेंच डाइवर्जन-I	X	2007-08	342	342	जारी	2011-12	0.000	0.000	16.378	भूमि अधिग्रहण समस्या
	ओंकारेश्वर चरण-II	XI	2007-08	188.79	287.06	जारी	2014-15	0.000	0.000	111.853	भूमि अधिग्रहण समस्या
	ओंकारेश्वर चरण-III	XI	2007-08	395.17	482.36	जारी	2014-15	0.000	0.000	82.086	भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे के निर्माण हेतु अनुमति लेने में विलंब और भूमि अधिग्रहण के बाद मुकदमेबाजी
	इंदिरा सागर नहर चरण	XI	2007-08	704.46	704.46	जारी	2014-15	0.000	0.000	86.260	भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा/गैस पाइपलाइनों की क्रासिंग हेतु निर्माण की अनुमति लेने में विलंब और भूमि अधिग्रहण के बाद मुकदमेबाजी तथा रबी की सिंचाई के दौरान नहर में पानी छोड़ने के फलस्वरूप विलंब हुआ
15.	उपरी बेदा	XI	2008-09	80.96	208.6	जारी	2011-12	0.000	0.000	88.348	भूमि अधिग्रहण एवं वन स्वीकृति में विलंब
16.	पूनासा लिफ्ट	XI	2008-09	265.9	464.17	जारी	2011-12	0.000	0.000	381.267	भूमि अधिग्रहण एवं वन स्वीकृति में विलंब
17.	निचली गोई	XI	2008-09	332.71	332.71	जारी	2014-15	0.000	0.000	170.683	भूमि अधिग्रहण एवं वन स्वीकृति में विलंब

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	इंदिरा सागर नहर यूनिट	XI	2008-09	298.01	298.01	जारी	2014-15	0.000	0.000	48.486	भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा/गैस पाइपलाइनों की क्रासिंग हेतु निर्माण की अनुमति लेने में विलंब और भूमि अधिग्रहण के बाद मुकदमेबाजी तथा रबी की सिंचाई के दौरान नहर में पानी छोड़ने के फलस्वरूप विलंब हुआ
	बार्गी डाइवर्जन चरण-IV	XI	2008-09	792.83	792.83	जारी	2016-17	0.000	0.000	7.369	भूमि अधिग्रहण एवं वन स्वीकृति में विलंब
18.	जोबट	XI	2010-11	41.01	41.01	जारी	2011-12	0.000	0.000	6.660	रबी की सिंचाई के दौरान नहर में पानी छोड़ने के कारण कार्य करने के दिनों में कमी करने में विलंब
19.	सागर (सागड)	XI	2011-12	129.06	129.06	जारी	2013-14	0.000	0.000	14.751	भूमि अधिग्रहण एवं वन स्वीकृति में विलंब
20.	सिंहपुर	XI	2011-12	128.8	128.8	जारी	2014-15	0.000	0.000	15.750	भूमि अधिग्रहण एवं वन स्वीकृति में विलंब
21.	संजय सागर (बाह)	XI	2011-12	103.82	129.02	जारी	2013.14	0.000	0.000	12.975	लागत में वृद्धि

विवरण-III

31.3.2012 तक एआईबीपी के अंतर्गत पूर्ण परियोजना

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	एआईबीपी में शामिल किए जाने का वर्ष	पूर्ण होने का वर्ष	एआईबीपी के अंतर्गत लक्षित क्षमता (हजार हैक्टेयर)
	मध्य प्रदेश			
1.	बाणसागर यूनिट-I (बांध)	1996-97	2010-11	शून्य
2.	ऊपरी वेनगंगा	1996-97	2002-03	28.255
3.	सिंध चरण-I	1999-2000	2006-07	10.58
4.	उर्मिल आरबीसी	2000-01	2002-03	2.123
5.	बंजर	2000-01	2002-03	1.095
	राजघाट यूनिट-I (केवल बांध हिस्सा)	1998-99	2004-05	शून्य

[अनुवाद]

रेलवे परियोजनाएं

1721. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :**
श्री लालजी टन्डन :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री गणेश सिंह :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में अपूर्ण रेल परियोजनाओं की जोन-वार कुल संख्या कितनी है तथ उसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जोन-वार देश में स्वीकृत रेल परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इनमें से कितनी परियोजनाएं अलग से गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हैं;

(ग) मध्य प्रदेश सहित, जोन-वार दस से अधिक वर्षों से लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उन स्वीकृत की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने कार्य निष्पादन प्रारंभ नहीं किया है और इसके जोन-वार कारण क्या हैं; और

(ङ) इस पर व्यय की गई/आवंटित निधियों का ब्यौरा क्य है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) 01.04.2012 के 347 चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाएं हैं, जिनका जोन-वार विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	रेलवे जोन	नई लाइन		आमान परिवर्तन		दोहरीकरण	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मध्य	3	2753.42	0	0.00	7	1216.95

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	पूर्व तट	6	4949.91	0	0.00	14	6188.96
3.	पूर्व मध्य	26	17322.91	4	2347.26	3	255.83
4.	पूर्व	10	5550.17	1	1106.62	38	9923.77
5.	उत्तर	11	30709.77	0	0.00	20	4071.26
6.	उत्तर मध्य	3	1258.94	2	1798.50	3	1231.11
7.	पूर्वोत्तर	5	930.91	6	3948.06	5	926.45
8.	पूर्वोत्तर सीमा	19	24877.73	5	8546.36	4	972.61
9.	उत्तर पश्चिम	3	2637.5	3	2041.91	11	2229.23
10.	दक्षिण	8	5032.09	5	3897.07	15	4164.44
11.	दक्षिण मध्य	17	12848.95	0	0.00	9	4593.99
12.	दक्षिण पूर्व	5	2484.82	3	2514.18	17	2822.97
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	2	1337.63	3	2361.65	7	2111.34
14.	दक्षिण पश्चिम	10	5943.31	2	896.57	9	3426.73
15.	पश्चिम मध्य	2	2542.73	0	0.00	7	2630.40
16.	पश्चिम	2	2992.67	8	5593.17	4	2395.67

(ख) परियोजनाओं को जोन-वार स्वीकृत किया जाता है न कि राज्य-वार। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश भर की स्वीकृत चालू परियोजनाओं की जोन-वार संख्या निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	रेलवे जोन	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	मध्य	4
2.	पूर्व तट	5
3.	पूर्व मध्य	2
4.	पूर्व	28
5.	उत्तर	16
6.	उत्तर मध्य	3
7.	पूर्वोत्तर	3
8.	पूर्वोत्तर सीमा	10
9.	उत्तर पश्चिम	12
10.	दक्षिण	5

1	2	3
11.	दक्षिण मध्य	11
12.	दक्षिण पूर्व	13
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	3
14.	दक्षिण पश्चिम	10
15.	पश्चिम मध्य	5
16.	पश्चिम	5

(ग) मध्य प्रदेश सहित देश भर की 347 परियोजनाओं में से 54 नई लाइन, 19 आमान परिवर्तन और 16 दोहरीकरण परियोजनाएं 10 वर्ष पहले अर्थात् 2002-03 से पहले स्वीकृत की गई है। विवरण और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	रेलवे जोन	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	मध्य	3
2.	पूर्व तट	6
3.	पूर्व मध्य	11
4.	पूर्व	9
5.	उत्तर	6
6.	उत्तर प्रदेश	4
7.	पूर्वोत्तर	5
8.	पूर्वोत्तर सीमा	9
9.	उत्तर पश्चिम	1
10.	दक्षिण	5
11.	दक्षिण मध्य	8
12.	दक्षिण पूर्व	7
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	3
14.	दक्षिण पश्चिम	6
15.	पश्चिम मध्य	2
16.	पश्चिम	3

(घ) और (ङ) इस तरह की कोई स्वीकृत रेल परियोजना नहीं है जिसे निष्पादन के लिए अभी तक शुरू नहीं किया गया है। 2012-13 के दौरान सभी नई लाइन परियोजनाओं के लिए 5922 करोड़ रुपए, सभी आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए 1950 करोड़ रुपए और सभी दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए 3393 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

चालू परियोजनाएं आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरी कर ली जाएगी। चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए राज्य की भागीदारी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, रक्षा वित्तपोषण, कुछ परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके पूंजी निजी भागीदारी, रक्षा वित्तपोषण, कुछ परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके पूंजी निजी को पुन: बहाल करना और रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा अतिरिक्त बजटीय वित्तपोषण सृजन के लिए प्रयास किए गए हैं।

[हिन्दी]

मनरेगा के अंतर्गत अनियमितताएं

1722. श्री प्रेमचन्द गुड्डू :
श्री देवराज सिंह पटेल :
श्री लालजी टन्डन :
श्री उदय सिंह :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत गंभीर अनियमितताओं और निधियों के गबन/दुरुपयोग के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मामले सौंपने सहित इस मामले में कोई जांच आयोजित/प्रस्तावित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत निधियों की अनियमितताओं/गबन के ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सांविधिक और सीएजी द्वारा सोशल आडिट करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सृजित मानव दिवसों की संख्या कितनी है;

(छ) क्या सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में कमियां नोटिस की हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित विभिन्न नवाचारों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) इस मंत्रालय को देश में मनरेगा के कार्यान्वयन के विषय में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से जॉब कार्ड न दिए जाने, निधियों के दुर्विनियोजन, ठेकेदारों को काम पर लगाए जाने, मस्टर रोल में जालसाजी, जॉब कार्डों में हेरा-फेरी, मजदूरी के कम भुगतान, मजदूरी का भुगतान न किए जाने, भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं, मशीनों के इस्तेमाल, भुगतान में देरी इत्यादि से संबंधित होती हैं। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। चूंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं के जरिए किया जाता है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त ऐसी सभी शिकायतें कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। सेंटर फार इंवायरनमेंट एंड फूड सिक्योरिटी के मामले में दायर वर्ष 2007 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 645 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आग्रह से अप्रैल, 2011 में ओडिशा राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने पर केंद्र सरकार ने ओडिशा में मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार और निधियों के दुर्विनियोजन के आरोपों की जांच करने का आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दिया। सीबीआई ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट पहले ही उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए जाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष वर्ष 2011 की रिट याचिका संख्या 12802 (एम/बी) भी दायर की गई है। अत: यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 24 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार सभी स्तरों पर योजनाओं के खातों की लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित कर सकती है। तदनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 दिनांक 30 जून, 2011 को अधिसूचित की दी गई है। मंत्रालय ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से राज्यों की विशेष वित्तीय और निष्पादन लेखा परीक्षा करने का अनुरोध भी किया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने पहले ही 29 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में लेखा परीक्षा कर ली है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट अभी संसद में प्रस्तुत की जानी है।

(च) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों की संख्या संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

(छ) और (ज) मंत्रालय के ध्यान में आई मनरेगा के कार्यान्वयन की कमियों में कानूनी हक न दिया जाना, कामगारों को मजदूरी के भुगतान में देरी, निधियों का दुर्विनियोजन, भ्रष्टाचार और वित्तीय एवं अन्य अनियमितताएं शामिल हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन में ऐसी अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) भारत ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से मनरेगा योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 अधिसूचित कर दी गई है। सभी राज्यों से कहा गया है

कि वे इन नियमों में यथानिर्धारित सुदृढ़ सामाजिक लेखा परीक्षा व्यवस्था स्थापित करें।

(ii) समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता लाने और ईमानदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II में संशोधन करके बैंकों या डाकघरों में खातों के जरिए मनरेगा कामगारों को मजदूरी के वितरण का प्रावधान किया गया है।

(iii) जॉब कार्डों, मस्टर रोल, मांगे गए रोजगार और किए जाने वाले काम के श्रम दिवसों, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियों, सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों, शिकायतें दर्ज कराने इत्यादि से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) शुरू की गई है।

(iv) मजदूरी के भुगतान में देरी को कम करने के लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों में 'इलैक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम' (ई-एफएमएस) शुरू कर दिया है। यह सिस्टम देशभर में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।

(v) मंत्रालय ने सभी राज्यों में सबसे अधिक धनराशि खर्च करने वाली 10 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के पंचायत-स्तरीय मनरेगा लेखा और वित्तीय लेखा परीक्षा के प्रमाणन के विषय में परिपत्र जारी किया है।

(vi) सभी राज्यों को शिकायतों के निपटान के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

(vii) योजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों को सौंपी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा

मनरेगा के तहत शिकायतें

क्र. सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (15.2.2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4	14	18	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0
3.	असम	6	6	8	7
4.	बिहार	34	25	61	43
5.	छत्तीसगढ़	11	17	55	22
6.	गोवा	1	0	0	0
7.	गुजरात	11	18	9	48
8.	हरियाणा	8	19	29	26

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	8	12	8	7
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1	4	3
11.	झारखंड	15	10	44	16
12.	कर्नाटक	7	12	13	12
13.	केरल	3	2	5	4
14	लक्षद्वीप	0	0	0	0
15.	मध्य प्रदेश	98	135	88	124
16.	मेघालय	0	0	4	3
17.	महाराष्ट्र	7	6	6	5
18.	मणिपुर	1	1	8	18
19.	मिजोरम	0	0	0	0
20.	नागालैंड	2	1	0	0
21.	ओडिशा	9	19	30	11
22.	पंजाब	8	4	5	17
23.	पुदुचेरी	0	0	1	2
24.	राजस्थान	101	30	57	28
25.	सिक्किम	1	0	0	0
26.	तमिलनाडु	5	7	5	1
27.	त्रिपुरा	0	0	1	0
28.	उत्तर प्रदेश	168	266	605	367
29.	उत्तराखंड	9	8	18	5
30.	पश्चिम बंगाल	10	8	8	2
	अखिल भारत	528	621	1091	785

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में इस योजना के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	सृजित श्रम दिवस (लाख)			
		2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 12.2.2013 तक सूचित
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4044.30	3351.61	2884.75	2701.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.98	31.12	0.53	10.66
3.	असम	732.95	470.52	352.55	208.58
4.	बिहार	1136.88	1602.62	656.52	563.10
5.	छत्तीसगढ़	1041.57	1110.35	1206.85	833.04
6.	गुजरात	585.09	491.84	312.93	210.98
7.	हरियाणा	59.04	84.20	109.38	86.89
8.	हिमाचल प्रदेश	284.94	219.46	266.77	174.42
9.	जम्मू और कश्मीर	128.71	210.68	201.85	128.20
10.	झारखंड	842.47	830	609.12	389.83
11.	कर्नाटक	2003.43	1097.85	701.24	262.56
12.	केरल	339.71	480.34	633.15	633.23
13.	मध्य प्रदेश	2624.00	2198.18	1642.64	834.51
14.	महाराष्ट्र	274.35	200.00	734.21	635.53
15.	मणिपुर	306.18	295.61	223.97	113.52
16.	मेघालय	148.48	199.81	166.94	106.11
17.	मिजोरम	170.33	165.98	125.43	101.10
18.	नागालैंड	284.27	334.34	259.50	78.81

1	2	3	4	5	6
19.	ओडिशा	554.09	976.57	453.75	363.24
20.	पंजाब	77.17	75.40	64.51	48.61
21.	राजस्थान	4498.10	3026.22	2119.14	1706.11
22.	सिक्किम	43.27	48.14	32.85	15.17
23.	तमिलनाडु	2390.75	2685.93	3015.79	3188.13
24.	त्रिपुरा	460.22	374.51	489.74	418.02
25.	उत्तर प्रदेश	3559.23	3348.97	2664.45	1074.58
26.	उत्तराखंड	182.41	230.20	197.45	104.94
27.	पश्चिम बंगाल	1551.68	1553.08	1484.74	1334.51
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.83	4.03	8.17	3.43
29.	दादरा और नगर हवेली	0.70	0.47	एनआर	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	1.85	3.70	3.11	0.46
32.	लक्षद्वीप	1.41	1.34	1.64	0.35
33.	पुदुचेरी	9.07	11.27	10.79	8.53
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	28359.46	25715.24	21634.43	16338.49

एनआर = सूचित नहीं

[अनुवाद]

एनटीपीसी की विकास योजनाएं

1723. **श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) व्यापक विकास योजनाएं लक्षित कर रहा है और 2017 और 2022 तक क्रमश: 70,000 मेगावाट और 1,00,000 मेगावाट की नई परियोजनाओं को प्रारंभ करने का इरादा रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी का इरादा पन, सौर, पवन और कोयला खनन क्षेत्रों में से प्रवेश करने का है और सुपर-क्रिटिकल,

अल्ट्रा-क्रिटिकल विद्युत परियोजनाओं इत्यादि की अग्रणीय प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो जून, 2010 में नए उद्यमों में ऐसे विविधीकरण के एिल की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्तमान में, एनटीपीसी [संयुक्त उद्यम (जेवी) और सहायक कंपनियों सहित] ने 40,174 मेगावाट की क्षमता शुरू की है। 12वीं योजना की शेष अवधि के दौरान 10,800 मेगावाट क्षमता शामिल किए जाने की आयोजना की गई है, अतः वर्ष 2017 तक लगभग 51,000 मेगावाट की कुल क्षमता प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने (जेवी और सहायक कंपनियों सहित) वर्ष 2032 तक 1,28,000 मेगावाट क्षमता की दीर्घकालिक कॉर्पोरेट योजना बनाई है जिसमें मुख्य रूप से थर्मल पावर शामिल होगी।

(ग) और (घ) जल, परमाणु, सौर इत्यादि को शामिल करने के लिए ईंधन मिश्रण का विविधीकरण करना एनटीपीसी की दीर्घकालिक बढ़ोत्तरी रणनीति का एक हिस्सा है। वर्ममान में, 1,499 मेगावाट की चार जल विद्युत परियोजनाएं (कोलडैम: 800 मेगावाट, तपोवन-विष्णुगाड: 520 मेगावाट, लता तपोवन: 171 मेगावाट और सिंगरौली शीतल जल निकास: 8 मेगावाट) कार्यान्वयनाधीन है। 20 मेगावाट की क्षमता वाली सौर परियोजनाएं (दादरी में 5 मेगावाट, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 5 मेगावाट और रामगुंडम में 10 मेगावाट) निर्माणाधीन है।

एनटीपीसी उच्च कुशलता और निम्न CO_2 एमिशन वाली सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी अपना रहा है और सिपत में 660 मेगावाट की 3 यूनिटें शुरू की हैं। 660 मेगावाट की अन्य 14 यूनिटें और 800 मेगावाट क्षमता की 5 यूनिटें निर्माणाधीन हैं।

एनटीपीसी भारत हैवल इलैक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) के साथ 800 मेगावाट के लिए एड्वांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के विकास कार्य में लगा हुआ है।

एनटीपीसी द्वारा जून, 2010 से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और न्यूक्लियर विद्युत में इसके विविधीकरण के रूप में की गई पहलों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

- न्यूक्लीयर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए दिनांक 27.11.2010 को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और एनटीपीसी के बीच (एनपीसीआईएल के 51% हिस्से और एनटीपीसी के 49% हिस्से सहित) जेवी कंपनी अणुशक्ति विद्युत निगम लि. की स्थापना की गई है।

- लगभग 200 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 18.07.11 को केरल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

- भारत में नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संसाधनों की 500 मेगावाट क्षमता के विकास के लिए दिनांक 14.10.2011 को पैन एशियन रिनुएबल्स के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (एनटीपीसी के 50% हिस्से और प्रत्येक एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और कुदेन के 25% हिस्से सहित) की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

रेलवे लाइनों का दोहरीकरण

1724. श्री संजय सिंह चौहान :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री जगदीश सिंह राणा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत दोहरीकरण परियोजनाओं समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रेलवे लाइनों की चालू/लंबित दोहरीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रयाग फाफामाऊ और मेरठ-टापरी खंडों पर दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना-वार इस हेतु आवंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में पूर्णतः/आंशिक रूप से चालू/लंबित दोहरीकरण परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

दोहरीकरण परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	नवीनतम प्रत्याशित लागत	मार्च, 2013 तक प्रस्तावित व्यय	2013-14 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	भौतिक प्रगति
उतरेतिया-सुल्तानपुर-जाफराबाद का शेष खंड	2006-07	60.06	18.06	—	23%
बाराबंकी-बुढ़वल	2007-08	231.41	151.00	1.50	95%
भदोई-जंघई	2010-11	132.96	61.70	55.00	35%
घाघराघाट-चौकाघाट	2006-07	142.27	136.00	1.50	80%
गोरखपुर-बैतालपुर	2006-07	189.62	159.52	10.00	74%
लोहटा-भदोई चरण-I	2009-10	139.01	58.11	40.00	48%
पलवल-भूतेश्वर तीसरी लाइन	2005-06	345.00	336.70	3.72	90%
फाफामऊ-इलाहाबा	2009-10	144.73	33.00	10.00	5%
मेरठ-मुजफ्फरनगर	2012-13	289.79	0.50	1.00	0%
उतरेतिया-राय बरेली	2011-12	259.82	—	38.00	0%
लक्सर-हरिद्वार	2012-13	219.89	1.00	1.50	0%
औड़ीहार-मंडुआडीह भाग	2011-12	199.75	46.20	10.00	0%
भीमसेन-झांसी	2012-13	797.30	1.00	25.00	0%
टुंडला-यमुना ब्रिज	1995-96	89.61	67.62	11.00	चरण-I 100% चरण-II 70%
छपरा-बलिया	2012-13	295.00	0.50	5.00	0%

फाफामऊ-प्रयाग-इलाहाबाद रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए मिट्टी संबंधी/ब्लैंकेटिंग और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड के दोहरीकरण के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू की दी गई हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने की लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं है। मुजफ्फरनगर-टपरी खंड का दोहरीकरण इस समय विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

रेल उत्पादन इकाइयां

1725. **श्री वैजयंत पांडा :**
श्री जगदानंद सिंह :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :

श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री पी. कुमार सिंह :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल उत्पादन इकाइयों का इकाई-वार क्षमता, उपयोगिता और वार्षिक उत्पादन निर्गम का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में रैक, वैगन, कोचों, डिब्बों की कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सीतापली (ओडिशा) मारहैरा और माधेपुरा (बिहार), पलक्काड (केरल) सहित देश में नई उत्पादन इकाइयों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) रेलवे द्वारा इन इकाइयों विशेष्ष रूप से मारहैर और माधेपुरा इकाइयों की स्थापना हेतु तैयार किए गए वित्तीय मॉड्यूल का ब्यौरा क्या है और

(ङ) उक्त कमी/आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) पिछले वर्ष (2011-12) के दौरान भरतीय रेलों की उत्पादन इकाइयों का वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है:—

उत्पादन इकाइयां	वास्तविक उत्पादन 2011-12
1	2
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका), चित्तरंजन	246
डीजल रेल इंजन कारखाना (डीरेका), वाराणसी	259
सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), पेरंबूर, चेन्नै	1511
रेल डिब्बा कारखाना (रेडिका), कपूरथला	1421
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना (डीआका), पटियाला	
पुनर्निर्माण	86
नए इंजन	25
रेल पहिया फैक्ट्री बेंगलुरु (रेपका)	
पहिए	201135
धुरे	99570

वर्ष 2011-12 में सभी उत्पादन इकाइयों की इष्टतम क्षमता का उपयोग किया गया है।

(ख) भारतीय रेलों पर इंजनों और मालडिब्बों की कोई कमी नहीं है। भारतीय रेलों पर निर्धाथ्रत गाड़ी सेवाओं के लिए सवाीर डिब्बों को भी कोई कमी नहीं है। परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) नई उत्पादन इकाइयों की स्थापना क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सीतापली, मरहौरा, मधेपुरा और पालक्काड़ विनिर्माण कारखानों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:—

(i) **सीतापली में माल डिब्बा विनिर्माण कारखाना:**

सीतापली में माल डिब्बा विनिर्माण कारखाना 2012-13 में स्वीकृत किया गया है। इस कारखाने को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस कारखाना के लिए भूमि अभी अंतरित की जानी है।

(ii) **मरहौरा में डीजल रेल इंजन विनिर्माण कारखाना:**

इस कारखाने के लिए अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) मांगे गए हैं और दो फर्मों का चुनाव किया गया है। बोली-पूर्व सम्मेलन के दौरान चर्चित मुद्दों और रेल मंत्रालय द्वारा किए गए यथोचित परिश्रम को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव संबंधी अनुरोध (आरएफपी) के दसतावेजों में आशोधन किए जा रहे हैं। यह कारखाना संयुक्त उद्यम/सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है।

(iii) **मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन विनिर्माण कारखाना**

मधेपुरा, बिहार में ग्रीनफील्ड इलैक्ट्रिक इंजन निर्माण कारखाना को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा चुने गए साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। वित्तीय बोली में भागीदारी के लिए बोलीदाताओं को चुन लिया गया है।

(iv) **पलक्काड़ में सवारी डिब्बा विनिर्माण कारखाना**

मैसर्स राइट्स को कारखाना की स्थापना के लिए प्रक्रिया प्रबंधन के लिए सलाहाकार के रूप में नियुक्त किय गया है। इसी प्रकार इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप (आईएमजी) के नामांकन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू), प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) और अन्य दस्तावेजों को आईएमजी के परामर्श से स्वीकृत किया गया है। कारखाने के लिए भूमि को चिह्नित कर लिया गया है और रेल मंत्रालय द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है।

(ङ) विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के अतिरिक्त, रेलें बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मौजूदा उत्पादन इकाइयों की क्षमताओं में वृद्धि कर रही है। रेलें देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यशील विभिन्न उद्योगों से अलग-अलग प्रकार के चल स्टॉक की खरीद कर रही है।

संदूषित पेयजल

1726. श्री भक्त चरण दास :
श्री अर्जुन राय :
श्री वरुण गांधी :
श्रीमती अन्नू टन्डन :
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :
श्री प्रह्लाद जोशी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में पेयजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य रसायन पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किए गए सर्वेक्षण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) संदूषित पेयजल की जांच हेतु की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है और पेयजल की जांच हेतु निर्धारित समय-अंतराल/अवधि क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार गुणवत्ता प्रभावित पर्यावासों के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस प्रयोजन हेतु कितना आवंटन किया गया और कितना उपयोग में लाया गया; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा देश में सभी पर्यावासों के लिए स्वच्छ पेयजल प्रदान कराने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2012 को देश में 1.04 लाख ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराया जाना शेष है। राज्य, उन गुणवत्ता प्रभावित आवासों की सूचना देते हैं, जिन्हें कि जलगुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से पेयजल स्रोतों की नियमित जांच द्वारा पहचान की जाती है। ऐसे शेष जलगुणवत्ता प्रभावित बसावटें, जहां की अन्य बातों के साथ-साथ आर्सेनिक, फ्लुओराइड तथा अन्य रासायनिक संदूषण शामिल हैं, की दिनांक 01.04.2012 के अनुसार राज्य/संघ राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्यों को विनिधान की गई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) निधियों का 3%, शत-प्रतिशत केन्द्रीय विभाजन के आधार पर जलगुणवत्ता मॉनिटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएमएस) के लिए निर्धारित किया गया है जिसमें कि अन्य बातों के साथ-साथ साधारण क्षेत्र परीक्षण किटों का प्रयोग करके पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों का परीक्षण करना, जिला/उप-जिलों पर नई जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा मौजूदा जलगुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन शामिल है। राज्य सरकारों को वर्ष में कम से कम एक बार पेयजल हेतु तथा वर्ष में कम से कम दो बार बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटरों के लिए रासायनिक पैरामीटरों का परीक्षण

करने की सलाह दी गई है। आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 24 राज्य-स्तरीय प्रयोगशालएं, 728 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं तथा 1127 उप-जिला/ब्लॉक स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रशेगशालाएं स्थापित की गई हैं। प्रयोगशालाओं का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, लक्षित जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों तथा स्वच्छ पेयजल के प्रावधान से कवर की गई बसावटों की राज्य/संघ राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) और (च) ग्रामीण जलापूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरउीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता करता है। वर्ष 2012-13 में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 10,500 करोड़ रु. का बजटीय विनिधान किया गया है। केन्द्र:राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में विभाजन आधार पर राज्यों को विनिधान की गई एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के 67% तक का (पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10) उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल का प्रावधान करने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र:राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में विभाजन आधार पर (पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर) निर्धारित तथा विनिधान की गई एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 5% उन राज्यों के लिए किया गया है, जहां कि पेयजल में रासायनिक संदूषण जैसी समस्याएं हैं अथवा जापानी एंसिफेलाइटस तथा तीव्र एंसिफेलाइटस सिन्ड्रोम प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को आबंटित की गई एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 10% तक भूजल के कृत्रिम रिचार्ज तथा अन्य पद्धतियों के माध्यम से पेयजल स्रोतों की निरन्तरता के लिए किया जा सकता है, जिससे कि एक्वीफेरों में संदूषण के स्तर को भी कम किया जा सके। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत किए गए विनिधान तथा किए गए यय के संबंध में दिनांक 04.03.2013 को राज्यों द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण-IV में दी गई है। राज्यों को संदूषित जल के शोधन के लिए प्रौद्योगिकियों के संबंध में सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, बैठकों, हैण्डबुक तथा तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करके तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय ने राज्यों को दो सूत्रीय कार्यनीति अपनाने की सलाह दी है यथा, विशिष्ट संदूषकों को हटाने के लिए यथा स्थान शोधन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की लघु अवधि की कार्यनीति अनाना तथा दीर्घावधि समाधान के रूप में वैकल्पिक स्वच्छ सतही/भूजल स्रोतों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की कार्यनीति अपनाना।

विवरण-I

1.4.2012 तक ऐसी जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संदूषण-वार बसावटों की संख्या					
		कुल	फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	लवनता	नाइट्रेट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	396	332	0	0	64	0
2.	बिहार	14580	2698	1004	10877	0	1
3.	छत्तीसगढ़	8815	313	0	8339	163	0
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गुजरात	274	57	0	0	64	153
6.	हरियाणा	17	12	0	0	5	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	30	2	0	22	6	0
9.	झारखंड	412	41	1	369	0	1
10.	कर्नाटक	5875	2806	19	938	734	1378
11.	केरल	934	106	0	585	186	57
12.	मध्य प्रदेश	2789	2485	0	156	148	0
13.	महाराष्ट्र	1671	483	0	337	342	509
14.	ओडिशा	12465	398	0	11051	991	25
15.	पंजाब	33	19	0	1	13	0
16.	राजस्थान	26729	7130	5	46	18924	624
17.	तमिलनाडु	528	5	0	405	111	7
18.	उत्तर प्रदेश	882	144	9	23	705	1
19.	उत्तराखंड	17	2	0	13	0	2
20.	पश्चिम बंगाल	5448	873	2119	1955	501	0
21.	अरुणाचल प्रदेश	115	0	0	115	0	0
22.	असम	15979	80	1157	14742	0	0
23.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
24.	मेघालय	97	0	0	97	0	0
25.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
26.	नागालैंड	130	0	0	130	0	0
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
28.	त्रिपुरा	5935	0	0	5935	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार निकोबार	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
34.	पुदुचेरी	9	0	0	8	1	0
	कुल	104160	17986	4314	56144	22958	2758

विवरण-II

4.3.2013 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाई गई जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या	जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या	उप-जिला/ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	51	119
2.	बिहार	1	40	0
3.	छत्तीसगढ़	1	23	3
4.	गोवा	1	0	10
5.	गुजरात	1	27	15
6.	हरियाणा	0	21	22
7.	हिमाचल प्रदेश	0	18	3
8.	जम्मू और कश्मीर	0	37	11
9.	झारखंड	1	24	3
10.	कर्नाटक	1	42	71
11.	केरल	1	14	16

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	1	51	114
13.	महाराष्ट्र	0	39	428
14.	ओडिशा	0	32	44
15.	पंजाब	3	22	12
16.	राजस्थान	1	32	0
17.	तमिलनाडु	0	34	48
18.	उत्तर प्रदेश	1	75	7
19.	उत्तराखंड	0	28	0
20.	पश्चिम बंगाल	1	19	101
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	17	31
22.	असम	1	27	32
23.	मणिपुर	1	9	2
24.	मेघालय	1	7	1
25.	मिजोरम	1	8	18
26.	नागालैंड	1	11	1
27.	सिक्किम	2	1	0
28.	त्रिपुरा	1	8	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	2
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	9	0
35.	पुदुचेरी	0	2	0
	कुल	24	728	1127

विवरण-III

4.3.2013 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज

इकाई: बसावटों की संख्या

वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक एमआरडब्ल्यूपी के तहत गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित बसावटों का वास्तविक लक्ष्य और कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		लक्ष्य	कवरेज	%	लक्ष्य	कवरेज	%	लक्ष्य	कवरेज	%	लक्ष्य	कवरेज	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	126	217	100	810	134	16.54	201	189	94.03	170	26	15.29
2.	बिहार	7748	10036	100	7909	5975	75.55	6375	3949	61.94	6100	2040	33.44
3.	छत्तीसगढ़	3551	1246	35.09	3426	1752	51.14	3283	1540	46.91	4589	1060	23.1
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	390	379	97.18	391	398	100	405	322	79.51	225	165	73.33
6.	हरियाणा	88	91	100	36	14	38.89	23	20	86.96	10	4	40
7.	हिमाचल प्रदेश	13	12	92.31	42	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	1	1	100	310	0	0	20	1	5	25	19	76
9.	झारखंड	132	221	100	432	1074	100	804	415	51.62	389	57	14.65
10.	कर्नाटक	2638	2344	88.86	4002	1453	36.31	2000	1495	74.75	2218	1070	48.24
11.	केरल	152	101	66.45	47	49	100	157	55	35.03	61	26	42.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	मध्य प्रदेश	502	620	100	700	393	56.14	575	499	86.78	835	530	63.47
13.	महाराष्ट्र	2086	1009	48.37	4124	1866	45.25	1272	1177	92.53	774	346	44.7
14.	ओडिशा	3452	2257	65.38	1721	1581	91.86	1609	1544	95.96	2407	1632	67.8
15.	पंजाब	466	273	58.58	392	64	16.33	22	10	45.46	33	4	12.12
16.	राजस्थान	1210	3109	100	3977	2708	68.09	3801	4301	100	1500	732	48.8
17.	तमिलनाडु	0	1	0	1009	1009	100	77	77	100	64	56	87.5
18.	उत्तर प्रदेश	1558	1562	100	2142	1831	85.48	800	634	79.25	850	306	36
19.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
20.	पश्चिम बंगाल	2202	1789	81.24	5304	2788	52.56	4160	1565	37.62	1623	725	44.67
21.	अरुणाचल प्रदेश	34	38	100	264	215	81.44	0	0	0	0	0	0
22.	असम	6868	6061	88.25	3515	2906	82.67	3158	3453	100	3537	1834	51.85
23.	मणिपुर	0	0	0	25	1	4	4	2	50	0	0	0
24.	मेघालय	8	6	75	102	17	16.67	12	4	33.33	40	1	2.5
25.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	नागालैंड	20	19	95	105	4	3.81	50	36	72	30	22	73.33
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	त्रिपुरा	1346	733	54.46	309	871	100	982	833	84.83	1034	621	60.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	4	4	100	0	4	0	0	0	0	7	0	0
	कुल	34595	32129	92.87	41094	27107	65.96	29790	22121	74.26	26521	11278	42.52

*4.3.2013 की जानकारी

विवरण-IV

4.3.2013 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जल एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटन

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अथशेष, आवंटन, रिलीज तथा व्यय

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	2009-10				2010-11				2011-12				2012-13			
		अथशेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	4.05	437.09	53737	394.45	149.79	491.02	558.74	423.38	285.2	546.32	462.47	446.37	301.3	563.39	240.16	429.12
2.	बिहार	668.94	372.21	186.11	279.36	578.1	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	36.73	285.65	449.36	206.86	274.74
3.	छत्तीसगढ़	2759	116.01	128.22	104.06	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12	80.82	145.01	64.5	103.68
4.	गोवा	0	5.64	3.32	0.5	3.08	5.34	0	1.16	1.92	5.2	5.01	1.16	5.91	6.07	0.03	0
5.	गुजरात	92.11	482.75	482.75	511.83	70.1	542.67	609.1	527.29	180.09	478.89	571.05	467.7	327.59	537.1	381.62	571.21
6.	हरियाणा	0	207.89	206.89	132.35	75.62	233.69	276.9	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71	43.98	245.78	230.95	205.67
7.	हिमाचल प्रदेश	8.31	138.52	182.85	160.03	31.6	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97	61.94	152.04	25.93	86.03
8.	जम्मू और कश्मीर	239.56	447.74	402.51	383.49	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07	147.04	510.76	233.82	283.27
9.	झारखंड	64.94	149.29	111.34	86.04	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84	74.31	189.51	85.66	133.56
10.	कर्नाटक	32.05	573.67	627.86	473.71	191.39	644.92	703.8	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85	213.14	681.57	587.24	464.78
11.	केरल	1.36	152.77	151.89	150.56	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98	16.08	168.89	82.05	96.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	मध्य प्रदेश	107.42	367.66	379.66	354.3	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.3	35.82	438.41	210.28	241.49
13.	महाराष्ट्र	204.24	652.43	647.81	625.59	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.2	320.1	783.66	474.42	342.96
14.	ओडिशा	25.85	187.13	226.66	198.87	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.6	84.34	238.58	107.13	166.86
15.	पंजाब	19.18	81.17	88.81	110.15	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32	3	90.33	83.49	70.32
16.	राजस्थान	3.88	1036.46	1012.16	671.29	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18	319.68	1340.44	661.42	660.35
17.	तमिलनाडु	57.24	320.43	317.95	370.44	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.6	240.27	294.33	144.6	400.31
18.	उत्तर प्रदेश	173.71	959.12	956.36	967.38	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.3	802.32	754.2	159.9	878.77	396.62	298.17
19.	उत्तराखंड	42.77	126.16	124.9	67.24	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65	141.74	158.4	3.78	91.96
20.	पश्चिम बंगाल	69.2	372.29	3943	87.76	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.6	342.51	521.41	265.96	462.27	143.96	377.17
21.	अरुणाचल प्रदेश	27.47	180	178.2	193.8	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	10.09	143.51	78.82	97.96
22.	असम	4.85	301.6	323.5	269.34	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61	127.51	510.96	226.72	466.22
23.	मणिपुर	16.7	61.6	38.57	30.17	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.6	47.03	9.29	63.72	27.33	15.83
24.	मेघालय	0.62	70.4	79.4	68.57	11.56	63.48	84 88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	36.83	73.35	33.61	58.33
25.	मिजोरम	17.43	50.4	55.26	51.11	21.38	46	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	9.74	41.66	19.26	23.47
26.	नागालैंड	29.61	5ए2	47.06	71.58	5.1	7951	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	1.1	6042	28.4	24.44
27.	सिक्किम	9.92	21.6	20.6	28.94	0.59	26.24	2.32	19.27	4.78	281	69.19	24.49	49.71	18.03	8.38	14.28
28.	त्रिपुरा	18.92	62.4	77.4	77.35	19.18	57.17	74.66	67.2	27.53	56.2	83.86	108.39	4.01	64.28	28.9	51.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	1.01	0		0	0	0		0	1.15	0.58	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0.4	0		0	0	0		0	1.75	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	1.09	0		0	0	0		0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0.61	0		0	0	0		0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	4.31	0		0	0	0		0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0.24	0		0	0	0		0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	1.54	0		0	0	0		0	0	0	0
	कुल	1967.92	7986.43	7989.72	6920.26	3043.88	8550	8941.81	8078.18	3901.61	8330	8474.02	9079.65	3376.85	9313.5	4816.52	6050.85

[हिन्दी]

विभिन्न उर्वरकों के लिए नीतियां

1727. **श्री अर्जुन राय :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रयोग किए जाने वाले रसायनिक उर्वरकों के संबंध में विभिन्न उर्वरकों के लिए पृथक नीतियां तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अपनाई गई पृथक नीति के परिणामस्वरूप उर्वरक उद्योग, सरकार और प्रयोक्ता को कितना लाभ और हानि हुई?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी, हां। यूरिया और फास्फेटयुक्त व पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए राजसहायता नीतियां अलग-अलग हैं क्योंकि यूरिया के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री देश में ही उपलब्ध है जबकि पीएण्डके उर्वरकों की कच्ची सामग्री के लिए देश पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है।

यूरिया पर राजसहायता मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना चरण-III की मानकीय उत्पादन लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), जिसे सरकार द्वारा नियत किया जाता है, के बीच के अंतर के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में राजसहायता का भुगतान पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति के तहत किया जाता है जिसके अंतर्गत राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर इनमें निहित पोषक तत्व के आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर किया जाता है। एमआरपी उर्वरक कंपनियों द्वारा नियत की जाती है।

(ग) अलग नीतियों के कारण यूरिया, जिसका अधिकतर उत्पादन स्वदेशी रूप से किया जाता है, वर्तमान में 5360 रु. प्रति मी.टन. के हिसाब से बेची जाती है और यह कीमत इसकी सुपुर्दगी लागत से काफी कम है। पीएण्डके उर्वरकों, जो तैयार उर्वरकों अथवा इनकी कच्ची सामग्री के रूप में आयात पर निर्भर हैं, के मामले में सरकार द्वारा राजसहायता की एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है और उर्वरक कंपनियों को बाजार दशाओं के अनुसार एमआरपी का निर्धारण करने की अनुमति दी जाती है।

मनरेगा के अंतर्गत श्रम दिवस

1728. **श्री लालजी टन्डन :**
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री निलेश नारायण राणे :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रम दिवसों की संख्या में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के लिए अपना नाम पंजीकृत कराने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उनमें से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लोगों को रोजगार प्रदान किए गये;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत कथित रूप से पंजीकरण दर में गिरावट आयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(छ) योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को भुगतान का तरीका और मजदूरी की दर क्या है;

(ज) क्या सरकार को योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों को मांग आधारित योजनाओं के रूप में लागू किया जाता है। देश के कुछ भागों में कम वर्षा होने की वजह से मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग बढ़ सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि वे मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए आकस्मिक योजना बनाएं। राज्यों को यह आश्वासन दिया गया है कि सूखा जैसी स्थिति में केंद्र सरकार रोजगार की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के श्रम बजट में संशोधन करने के लिए तैयार है। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों पर जोर देते हुए कार्य की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए परियोजनाओं की पूरक सूची बनाएं ताकि कम वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ, मंत्रालय ने सूखा ग्रस्त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए तालुकों/ब्लॉकों में पंजीकृत परिवारों को वित्त वर्ष 2012-13 में मनरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त 50 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को वित्त पोषित करने की अनुमति दे दी है। उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसरण में 7 राज्यों अर्थात् झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुल 143 जिलों को सूखा प्रभावित जिलों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ग) से (च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या एवं रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मनरेगा की शुरूआत से उसके अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

(छ) समयबद्ध भुगतान, पारदर्शिता लाने और वेतन भुगतान में ईमानदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से एमजीएनआरईजी अधिनियम की संलग्न विवरण-II में संशोधन किया गया है ताकि जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा छूट न दी गई हो, मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघरों के खातों के जरिए किए जाने का प्रावधान किया जा सके। मजदूरी की मौजूदा दरें संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ज) और (झ) मंत्रालय को देश में मनरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में कई प्रकार की शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैं। मनरेगा की शुरूआत से लेकर 15.2.2013 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय को मजदूरी के देर से भुगतान संबंधी 52 मामले, कम मजदूरी दिए जाने संबंधी 67 मामले तथा मजदूरी का भुगतान न किए जाने संबंधी 212 मामले प्राप्त हुए हैं। चूंकि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्यों द्वारा तैयार की गई स्कीमों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम का कार्यान्वयन किया जाता है, अत: मंत्रालय को प्राप्त सभी ऐसी शिकायतें/मामले कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही किए जाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित किए जाते हैं। भुगतान में विलम्ब पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कई सलाहकारी पत्र जारी किए गए हैं। प्रशासनिक विलम्ब कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मजदूरी के भुगतान हेतु एक समय अनुसूची का सुझाव दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	04.03.2013 तक पंजीकृत परिवारों की संख्या	उन परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया			
			2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (04.03.2013 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरुणाचल प्रदेश	17027	6158493	6200423	4980822	5493664

1	2	3	4	5	6	7
2.	असम	3960492	68157	134527	3306	76280
3.	बिहार	12798417	2137270	1798372	1348958	1028578
4.	छत्तीसगढ़	4437655	4127330	4738464	1716603	1752943
5.	गुजरात	3836007	2025845	2485581	2724228	2583100
6.	हरियाणा	731965	1596402	1096223	822039	712880
7.	हिमाचल प्रदेश	1131620	156406	235281	277834	263195
8.	जम्मू और कश्मीर	995351	497336	444247	503102	469210
9.	झारखंड	4069235	336036	492277	421185	374490
10.	कर्नाटक	5374590	1702599	1987360	1573677	1260920
11.	केरल	2535377	3535281	2224468	1652116	1254109
12.	मध्य प्रदेश	12022367	955976	1175816	1416444	1682880
13.	महाराष्ट्र	7163946	4714591	4407643	3817389	2782757
14.	मणिपुर	479023	591547	451169	1465398	1406997
15.	मेघालय	460132	418564	433856	357649	413218
16.	मिजोरम	209957	300482	346149	333715	283948
17.	नागालैंड	385437	100140	170894	168560	172890
18.	ओडिशा	6299157	325242	350815	367173	358714
19.	पंजाब	910992	1398300	2004815	1378597	1358321
20.	राजस्थान	9979594	271934	278134	245443	218087
21.	सिक्किम	82183	6522264	5859667	4519270	4430430
22.	तमिलनाडु	9066151	54156	56401	54642	42589
23.	त्रिपुरा	639543	4373257	4969140	6347303	6743912
24.	उत्तर प्रदेश	15054875	576487	557055	566770	591175

1	2	3	4	5	6	7
25.	उत्तराखंड	1047507	5483434	6131213	7316757	4939530
26.	पश्चिम बंगाल	11316922	522304	542391	466663	339970
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	45783	3479915	4998239	5502371	5251746
28.	दादरा और नगर हवेली	7849	20337	17636	18890	9454
29.	दमन और दीव	एनआर	3741	2290	एनआर	एनआर
30	गोवा	32941	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	लक्षद्वीप	8442	6604	13897	11167	3617
32.	पुदुचेरी	67802	5192	4507	3855	1482
33.	चंडीगढ़	एनआर	40377	38118	42546	41391
	कुल	127397856	552585999	54947068	50424472	46342782

एनआर = असूचित

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मजदूरी की मौजूदा दर (रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	124
3.	असम	136
4.	बिहार	122
5.	छत्तीसगढ़	132
6.	गुजरात	134
7.	हरियाणा	191
8.	हिमाचल प्रदेश-गैर अनुसूचित क्षेत्र	126
8क	हिमाचल प्रदेश-अनुसूचित क्षेत्र	157
9.	जम्मू और कश्मीर	131
10.	झारखंड	122
11.	कर्नाटक	155
12.	केरल	164
13.	मध्य प्रदेश	132
14.	महाराष्ट्र	145

1	2	3
15.	मणिपुर	144
16.	मेघालय	128
17.	मिजोरम	136
18.	नागालैंड	124
19.	ओडिशा	126
20.	पंजाब	166
21.	राजस्थान	133
22.	सिक्किम	124
23.	तमिलनाडु	132
24.	त्रिपुरा	124
25.	उत्तर प्रदेश	125
26.	उत्तराखंड	125
27.	पश्चिम बंगाल	136
28.	गोवा	158
29क.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (अंडमान)	178
29ख.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (निकोबार)	189
30.	दादरा और नगर हवेली	157
31.	दमन और दीव	136
32.	लक्षद्वीप	151
33.	पुदुचेरी	132
34.	चंडीगढ़	189

[अनुवाद]

योजना आयोग की टिप्पणियां

1729. श्री उदय सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में रेलवे के संबंध में विशेषकर देश में अवसंरचना परियोजनाओं में निजी भागीदारी को आकर्षित करने में विफल रहने पर कुछ टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त टिप्पणियों के मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसके मद्देनजर रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) योजना आयोग से इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूजल स्तर में गिरावट

1730. प्रो. राम शंकर :
डॉ. सजीव गणेश नाईक :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री महाबली सिंह :
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भूजल आधारित कृषि उत्पादन का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने भूजल की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गिरते भूजल स्तर से देश के कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और साथ ही पेयजल की भारी कमी हुई है और यदि

हां, तो कृषि और पेयजल प्रयोजन के लिए जल संसाधनों के सतत प्रयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या नई तकनीकों का प्रयोग कर नए जल स्रोतों का पता लगाया जा रहा है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ङ) क्या अमरीका के वैज्ञानिकों ने भारत में भूजल स्तर के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी और तापी सिंचाई विकास कारपोरेशन से महाराष्ट्र में जल पुनर्भरण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) 2009-10 के दौरान 632.6 लाख हेक्टेयर निवल सिंचित क्षेत्र में से भूमि जल से सिंचित क्षेत्र 390.4 लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार यह कुल सिंचाई का 61.71 प्रतिशत योगदान है।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) राज्य सरकारों के साथ सहयोग से देश के भूमि जल संसाधनों का आवधिक आकलन करती है। भूमि जल संसाधनों के अद्यतन आकलन के अनुसार (2009 तक) देश के कुल वार्षिक पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधन 431 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड देश भर में स्थित 15653 प्रेक्षण कुओं के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर भूमि जल स्तरों की निगरानी करता है। जल स्तरों की निगरानी वर्ष में चार बार जनवरी, अप्रैल/मई, अगस्त और नवम्बर, के दौरान की जाती है। विगत पांच वर्षों (2007-12) के दौरान पूर्व-मानसून अवधि (अप्रैल/मई) के लिए भूमि जल स्तर आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विश्लेषित 55 प्रतिशत कुंओं में जल स्तर गिर रहा है। पूरे देश में गिरते भूमि जल स्तर की समस्या को दूर करने के लिए कृत्रिम पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भूमि जल विकास को विनियमित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि जल संचयन के लिए विभिन्न वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय सूक्ष्म सिंचाई संबंधी राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वित करता है जिसके तहत ड्रिप और छिड़काव सिंचाई प्रणालियों को अपनाया जाता है।

(घ) 2012-13 के दौरान, सीजीडब्ल्यूबी ने विभिन्न जल-भूविज्ञानीय क्षेत्र में जलभृतों के मापन में तकनीकों की दक्षता का परीक्षण करने के लिए अद्यतन भू-भौतिकीय तकनीकों का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र (नागपुर जिले का भाग), राजस्थान (दौसा और जैसलमेर जिलों के भाग), बिहार (पटना जिले के भाग), कर्नाटक (तुमकुर जिले का भाग) और तमिलनाडु (कुड्डालोर जिले का भाग) राज्यों के 6 क्षेत्रों में जलभृत मापन संबंधी प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। जनवरी, 2013 तक प्रायोगिक परियोजना के लिए 673.13 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

(ङ) नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र अमरीका के अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर' के अगस्त, 2009 अंक में "भारत में भूमि जल गिरावट का उपग्रह आधारित आकलन" संबंधी एक पेपर प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों को शामिल करते हुए लगभग 4.4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को भूमि जल स्तर के वास्तविक फील्ड मापन के बगैर एकल इकाई के रूप में लिया गया है। वैज्ञानिकों ने अगस्त 2002 से अक्तूबर, 2008 की अवधि के लिए नासा ग्रैविटी रिकावरी एडं क्लाईमेट एक्सपेरिमेंट (जीआरएसीई) सैटेलाइट डेटा से टेरेस्टेरियल जल भंडारण (टीडब्ल्यूएस) परिवर्तन प्रेक्षणों का उपयोग करते हुए उत्तर पश्चिम भारत में भूमि जल गिरावट का आकलन करने हेतु प्रयास किए हैं। अध्ययन यह दर्शाता है कि भूमि जल उपर्युक्त चार राज्यों में 4.0.+1.0 सें.मी./वर्ष के औसत दर से गिर रही है जो कि जल की ऊंचाई (17.7+4.5 क्यूबिक कि.मी./वर्ष) के समतुल्य है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पेपर की समीक्षा किए जाने पर यह देखा गया कि जीआरएसीई मिशन भूमि जल भंडाराण अध्ययन उपग्रह आधारित आकलन हैं और जीआरएसीई डाटा लिमिट का अस्पष्ट रिजोल्यूशन आंकड़ा भूमि जल भिन्नताओं के अध्ययन हेतु इसकी उपयोगिता को सीमित करता है जबकि सीजीडब्ल्यूबी आकलन फील्ड आधारित आंकड़े हैं और विस्तृत क्षेत्र में भूमि जल भंडारण पैटर्न में छोटे स्तर पर विभिन्नताओं को लिया जाता है।

(च) XIवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में भूमि जल के पुनर्भरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर को तापी सिंचाई विकास निगम (टीआईटीसी) से छः प्रस्ताव और भूमि जल सर्वेक्षण और विकास अभिकरण (सीएसडी) से सात प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। टीआईडीसी से प्राप्त सभी छः प्रस्तावों को लौटा दिया गया था चूंकि वे प्रस्ताव या तो निर्धारित डीपीआर प्रपत्र में नहीं थे अथवा तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं थे। जीएसडीए से प्राप्त सात प्रस्तावों के संबंध में चार प्रस्तावों को निर्धारित

प्रपत्र में नहीं होने के कारण लौटा दिया गया था। इसके अलावा, दो प्रस्तावों को 'सुरक्षित' श्रेणी क्षेत्र के तहत आने के कारण उन पर विचार नहीं किया गया था। एक प्रस्ताव केन्द्र प्रायोजित स्कीम के 'प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण' घटक की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ था, जो कि ग्वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयनाधीन था।

विवरण

अद्यतन आकलन के अनुसार पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधन का राज्य-वार ब्यौरा (2009 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूमि जल संसाधन आकलन (2009) वार्षिक पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधन (बीसीएम में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	33.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.45
3.	असम	30.35
4.	बिहार	28.63
5.	छत्तीसगढ़	12.22
6.	दिल्ली	0.31
7.	गोवा	0.221
8.	गुजरात	18.43
9.	हरियाणा	10.48
10.	हिमाचल प्रदेश	0.59
11.	जम्मू और कश्मीर	3.70
12.	झारखंड	5.96
13.	कर्नाटक	16.81
14.	केरल	6.62
15.	मध्य प्रदेश	33.95
16.	महाराष्ट्र	37.73
17.	मणिपुर	0.44
18.	मेघालय	1.2343
19.	मिजोरम	0.044
20.	नागालैंड	0.42
21.	ओडिशा	17.78
22.	पंजाब	22.56
23.	राजस्थान	11.86
24.	सिक्किम	—
25.	तमिलनाडु	22.94
26.	त्रिपुरा	2.97
27.	उत्तर प्रदेश	75.25
28.	उत्तराखंड	2.17
29.	पश्चिम बंगाल	30.50
	कुल राज्य	430.45
	संघ क्षेत्र	
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.310
31.	चंडीगढ़	0.022
32.	दादरा और नगर हवेली	0.059
33.	दमन और दीव	0.012
34.	लक्षद्वीप	0.0105
35.	पुदुचेरी	0.171
	कुल संघ क्षेत्र	0.59
	सकल योग	431.03

[अनुवाद]

कम लागत वाली औषधियों की बिक्री

1731. **श्री वरुण गांधी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय पेटेंट कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे कम लागत पर औषधियां बेचने वाले स्थानीय औषधि निर्माताओं को अपनी क्षमता से समझौता करना पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त उत्तर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2005 में पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन किए जाने के पश्चात, भारतीय पेटेंट अधिनियम अब व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (टीआरआईपीएस) करार के प्रावधानों के अनुरूप है।

भूजल की स्थिति

1732. **श्री एम.के. राघवन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने केरल में भूजल की स्थिति रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और क्या यह राज्य में भूजल की उपलब्धता में गंभीर गिरावट को इंगित करती है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में भूजल उपलब्धता को बढ़ाने और कमी की दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने केरल में भूमि जल का प्रलेखन नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जल विवरणिका

1733. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बड़े उद्योगों के लिए जल विवरणिका भरने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बड़े उद्योगों के लिए जल विवरणिका भरने के लिए उल्लेख की जाने वाली आवश्यक जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योग वर्तमान में प्रवाहित गंदे जल और प्रयोग किए गए जल का पुनर्चक्रण कर पुन: उपयोग नहीं करते; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17), के दस्तावेज में अधिक जल उपयोग करने वाले उद्योगों और व्यापारों द्वारा "वाटर रिटर्न्स" लागू किए जाने की अभिकल्पना की गई है, जिसमें प्रमुख उपायों जैसे प्रति इकाई उत्पाद पर जल आयोग, बहि:स्रवण का विवरण, संचित वर्षा जल, जल पुन: उपयोग विवरण, स्वच्छ जल उपयोग आदि को शामिल करना चाहिए।

(ग) और (घ) कई उद्योगों द्वारा वर्तमान में प्रवाहित गंदे जल और उपयोग किए गए जल का पुनर्चक्रण कर पुन: उपयोग नहीं किए जाने की सूचना मिली है। राष्ट्रीय जल नीति (2012) में यह निर्धारित किया गया कि "वापसी प्रवाह सहित जल का पुनर्चक्रण और पुन: प्रयोग सामान्य मानक होना चाहिए" और यह कि निर्धारित मानदंडों तक उपचार के बाद जल के पुनर्चक्रण और पुन: प्रयोग को भी उचित प्रकार से नियोजित प्रभार प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में जल की कमी

1734. **राजकुमार रत्ना सिंह :**
श्री हरीश चौधरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जल की कमी की समस्या, जिससे विशेष रूप से गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशी भी प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार जल मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गये हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जी, हां। 2011 की जनगणना में दर्शाई गई जनसंख्या के आधार पर भारत में प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता लगभग 1545 घनमीटर है जिसके कारण भारत एक जल की समस्या वाला देश है। फॉकेनमार्क जल समस्या सूचक के अनुसार प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1700 घनमीटर से कम होने की स्थिति को जल की समस्या वाली स्थिति दर्शाया गया हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण जल की सीमित उपलब्धता एवं बढ़ती मांग जिससे जल की समस्या हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गर्मी के मौसम में, पशुओं को भी प्रभावित कर सकती है।

(ग) राज्य सरकारें पशुओं की आवश्यकताओं सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल की पर्याप्त आपूर्ति हेतु अन्य बातों के साथ-साथ जलाशयों, परंपरागत जल निकायों, वर्षा जल संचयन, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण आदि के माध्यम से जल संसाधन के संरक्षण हेतु उपाय करती हैं और विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करती हैं। केन्द्र सरकार जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकार के इन प्रयासों में तकनीकी एवं वित्तीय दोनों प्रकार से सहयोग करती है।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान

1735. श्री अजय कुमार :
श्री धनंजय सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत देश के विभिन्न जिलों में चल रहे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) का उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुल राज्यों में आरएसईटीआई की स्थापना में विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) देश के सभी जिलों में आरएसईटीआई की स्थापना की गति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना में 500 आरएसईटीआई की स्थापना के लक्ष्य की तुलना में 31.1.2013 तक 563 आरएसईटीआई की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.1.2013 की स्थिति के अनुसार देश में चल रहे आरएसईटीआई की संख्या

क्र. सं.	राज्य	आरएसईटीआई की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	25
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	18
5.	बिहार	38
6.	छत्तीसगढ़	18
7.	दादरा और नगर हवेली	1

1	2	3
8.	गोवा	1
9.	गुजरात	26
10.	हरियाणा	15
11.	हिमाचल प्रदेश	10
12.	जम्मू और कश्मीर	20
13.	झारखंड	25
14.	कर्नाटक	32
15.	केरल	14
16.	मध्य प्रदेश	51
17.	महाराष्ट्र	35
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	1
20.	नागालैंड	1
21.	ओडिशा	30
22.	पुदुचेरी	1
23.	पंजाब	19
24.	राजस्थान	35
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	33
27.	त्रिपुरा	5
28.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	1
29.	उत्तर प्रदेश	71
30.	उत्तराखंड	13
31.	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	563

[हिन्दी]

योजनाओं के लिए प्रस्ताव

1736. श्री सतपाल महाराज : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय भूजल बोर्ड को योजनाओं के लिए कुल कितने प्रस्ताव भेजे गये हैं;

(ख) कुल भेजे गए प्रस्तावों में कितनी योजनाओं को स्वीकृत किया गया और कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक संस्वीकृत किए जाने की संभावना है।

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान, केन्द्रीय जल आयोग में दो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं नामत: (1) तुमरिया-बहल्ला और नकटिया फीडर के संरेखण कार्य का निर्माण और (2) मालन नहर प्रणाली का विस्तार, पुनरूद्धार एवं अनुरक्षण प्राप्त हुई थीं जिन्हें जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

इनके अतिरिक्त 3.4.2012 को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) में 3 परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं जिन पर सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रचालित स्कीम को 31.3.2012 को बंद कर दिये जाने के कारण विचार नहीं किया जा सका। इन प्रस्तावों का ब्यौरा और उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 के दौरान उत्तराखंड के संबंध में चालू लघु सिंचाई स्कीमों के कुल 522 प्रस्ताव और नई लघु सिंचाई स्कीमों के 40 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उत्तराखंड को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत 232.7513 करोड़ रुपये की

राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई थी। वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त हुई सभी लघु सिंचाई स्कीमों को अनुदान जारी किया गया था।

वर्ष 2011-12 के दौरान सीएडीडब्ल्यूएम और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी स्कीमों का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था।

(ग) ऊपर भाग (क) एवं (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्थिति
1.	यूकोस्ट, देहरादून के भवन में छत का वर्षा जल संचयन (अनुमानित लागत 4.29 लाख रुपये)	परियोजना 3.4.2012 को सीजीडब्ल्यूबी में प्राप्त हुई थीं परंतु सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीम को 31.3.12 का समाप्त कर दिये जाने के कारण इन पर विचार नहीं किया जा सका।
2.	लखवर फील्ड होस्टल यमुना कालोनी, देहरादून के भवन में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण (अनुमानित लागत 9.60 लाख रुपये)	
3.	दून विश्वविद्यालय, देहरादून के भवन में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण (अनुमानित लागत 5.27 लाख रुपये)	

सीएसआईआर द्वारा अध्ययन

1737. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने प्राकृतिक और अन्य आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अवसंरचना संबंधी इंजीनियरिंग का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का क्या निष्कर्ष रहा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नांकित ज्ञानाधार/विशेषज्ञता का विकास किया गया है:—

- मेट्रो कारिडोर के किनारे-किनारे अनेक इमारतों और अवसंरचना के जोखिम मूल्यांकन और इंजीनियरिंग उपायों की जांच की गई है और की गई सिफारिशों के आधार पर इन संरचनाओं को रहने योग्य बनाया गया है;
- एएलटीटीसी केन्द्र, बीएसएनएल; आईओसीएल; और सीएसआईआर मुख्यालय की अग्नि से क्षतिग्रस्त इमारतों की संरचनात्मक अखंडता और स्थिरता का मूल्यांकन किया गया है। तदनुसार मरम्मत कार्य और संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण किया गया है;
- शाहदरा, अशोक विहार, जनक सेतु, जखीरा और सराय रोहिल्ला नामक दिल्ली के पांच फलाई ओवरों की विस्तृत जांच और कम्पन मॉनीटरन किया गया और उपयुक्त सुदृढ़ीकरण उपाय उपलब्ध कराए गए;
- इमारत अवसंरचनाओं की दीर्घावधि संरचनात्मक स्थिति मॉनीटरन (एसएचएम) हेतु दिल्ली की ऊची इमारतों के व्यापक प्रणाली अभिनिर्धारण अध्ययन किए गए हैं। इस प्रकार सृजित ज्ञान का उपयोग वायरलैस सेंसर नेटवर्क के इस्तेमाल से एसएचएम की क्रियाविधि विकसित करने के लिए किया जा रहा है;
- दिल्ली और जबलपुर जैसे विभिन्न शहरों में फैली मौजूदा इमारतों की भूकंपीय सुभेद्यता का मूल्यांकन किया गया

है और विभिन्न प्रकार की इमारतों की भूकंपीय सुभेद्यता के रूप में क्षेत्र वार प्रस्तुत किया गया है;

- देश में पहली बार क्षेत्रीय परीक्षणों के माध्यम से ब्लास्ट प्रतिरोधी संरचनाओं के डिजाइन का प्रदर्शन। इसे सीईएस (डीआरडीओ की प्रयोगशाला) द्वारा अपनाया गया है; और

- पांच समूहों (I-V), जिसमें I को पूर्णतया स्थिर और V को पूर्णतया अस्थिर माना गया है, में भूस्खलन सुभेद्यता का वर्गीकरण (राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर पाताल गंगा भूस्खलन और कालियासौर भूस्खलन के विस्तृत अध्ययन के आधार पर)।

रेल उपरिपुल का निर्माण

1738. श्री इन्दर सिंह नामधारी :
डॉ. बलीराम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में तोरी और महुआमिलन स्टेशनों के बीच रेल समपार पर रेल उपरिपुल के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे झारखंड के डाल्टनगंज और बड़वाडीह स्टेशनों के बीच रेलवे के सीआईसी खंड पर बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) नई दिल्ली में बिजवासन में निर्माण किए जा रहे उपरिपुल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इस संबंध में स्वीकृत और व्यय की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है और बिजवासन में उपरिपुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) कुल 14.60 करोड़ रु. की लागत में भागीदारी के आधार पर टोरी और महुमिलन रेलवे स्टेशनों के बीच समपार सं. 24ए/टी के स्थान पर उपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य को 2011-12 में स्वीकृत दी गई है जिसमें रेलवे की 5.98 करोड़ रु. की भागीदारी और राज्य सरकारों की 8.62 करोड़ रु. की भागीदारी होगी।

प्रारंभिक गतिविधियों के लिए आंशिक अनुदान को 16.04.2012 को स्वीकृत किया गया है। सामान्य आरेखण व्यवस्था (जीएडी) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम ओआरटीएच) की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। रेल मंत्रालय ने जीएडी के संबंध में शीघ्र अनुमोदन के लिए दिनांक 03.01.2013 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया है। जीएडी की स्वीकृति मिलने के बाद, अन्य गतिविधियां जैसे विस्तृत अनुमान की मंजूरी, कार्य शुरू करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(ग) और (घ) झारखंड में डाल्टनगंज और बरवाडीह स्टेशनों के बीच स्थित चौकीदार रहित मवेशी समपार है। रेल मंत्रालय की नीति अनुसार मवेशी समपारों को चौकीदार युक्त नहीं बनाया जाता है।

(ङ) और (च) नई दिल्ली में बिजवासन पर समपार सं. 21 के स्थान पर उपरी सड़क पुल के निर्माण के कार्य को लागत में भागीदारी के आधार पर कुल 59.30 करोड़ रु. की लागत पर (रेलवे के भाग के लिए 28.62 करोड़ रु. और राज्य सरकार के भाग के लिए 30.68 करोड़ रु.) स्वीकृति दी गई थी। राज्य संपर्क भागों के साथ-साथ रेलवे पुल के भागों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

रेलवे फरवरी, 2013 तक इस कार्य पर 9.37 करोड़ रु. खर्च कर चुकी है। मई, 2013 तक रेल पुल के भाग के पूरा होने की संभावना है।

मनरेगा के अंतर्गत कार्यकलाप

1739. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री मुरारी लाल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में विशेष रूप से नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में समीक्षा/संशोधन/परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कुशल श्रमिकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दे रही है और जन स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल और साक्षरता कार्यक्रमों और योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना और विकास के अन्य कार्यकलापों के बीच समन्वय की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक पहलें की हैं, जो कि इस प्रकार हैं:—

1. मनरेगा मामगारों के लिए समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना, ऐसे क्षेत्रों, जहां बैंकों/डाकघरों की मौजूदगी काफी कम है, में कतिपय शर्तों के अधीन मजदूरी का नकद भुगतान करने की अनुमति दी गई है।

2. मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए जिला और उप-जिला स्तरों पर पर्याप्त मानवीय एवं तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना, मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि राज्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत विकास अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता नामक कोर पेशेवर स्टाफ तैनात कर सकते हैं।

3. मंत्रालय ने समेकित कार्य योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए जिलों में मनरेगा के अंतर्गत खेल के मैदानों के निर्माण की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी कर दी है।

4. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला प्रशासन को प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आईएपी जिलों में निर्धारित अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो नियुक्त किए गए हैं।

जहां तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध है, कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए इन क्षेत्रों में निम्नलिखित छूट दी गई है:—

(i) मंत्रालय ने आईएपी के अंतर्गत चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों (योजना आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित), जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे ब्लॉकों और 10 पर्वतीय राज्यों एवं मरूभूमि क्षेत्रों (डीडीपी के अंतर्गत यथानिर्धारित) तथा मैदानी क्षेत्रों (2001 की जनगणना के अनुसार) में छूट गई बसावटों (2001 की जनगणना के अनुसार) को शामिल करने के लिए कोर नेटवर्क को संशोधित करने की अनुमति दे दी है।

(ii) मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे ब्लॉकों में लागू क्लस्टर एप्रोच को अरुणाचल प्रदेश राज्य में 10 कि.मी. के दायरे में आने वाली आबादी को इकट्ठा करके और कार्यक्रम के अंतर्गत इसे पात्रता के लिए क्लस्टर मानते हुए इसे राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में लागू किया है।

(iii) आईएपी के अंतर्गत चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों (योजना आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित) के लिए:—

(क) न्यूनतम टेंडर पैकेज की राशि को घटाकर 50 लाख रु. कर दिया गया है।

(ख) टेंडर दस्तावेज में, ठेकेदार की बोली लगाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए 'बोली क्षमता मूल्यांकन फार्मूला' में 'एम' वेल्यू (गुणक फैक्टर) को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है।

(ग) कार्य को पूरा करने के लिए 24 कलैंडर माह तक की समय-सीमा मंजूर की गई है।

क्षति या संयत्रों और मशीनरी के जल जाने जैसे जोखिमों के लिए ठेकेदारों की बीमा प्रीमियम की लागत को भी अनुमान में शामिल किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीआरएनईजीएस) के प्रचालन दिशा-निर्देशों में अन्य मंत्रालयों/ विभागों की ग्रामीण विकास योजनाओं का मनरेगा के साथ तालमेल करने का प्रावधान किया गया है। तदनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पर्यावरण एवं वन, कृषि, जल संसाधन मंत्रालयों; भूमि संसाधन विभाग

तथा ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के निर्मल भारत अभियान (संपूर्ण स्वच्छता अभियान) के साथ तालमेल संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों को इन तालमेल संबंधी दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित करने की जरूरत है।

मतदाता पहचान पत्र

1740. **श्री महाबली सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से आकर दिल्ली में रहने वाले अधिकांश लोगों के पास दिल्ली में कोई संपत्ति नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वे मतदाता पहचान पत्र से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के वंचित लोगों विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मतदाता पहचान पत्र प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को कब तक मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति के नाम का नामांकन तथा उसके पश्चात् निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) को जारी किया जाना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित नहीं है। रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताओं को पूरा करने वाला पटरी निवासी भी, निर्वाचक नामावली में नामांकित किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 तथा धारा 19 में यथा उपबंधित निर्वाचक नामावली में नामांकन की शर्तें निम्नानुसार हैं– (क) कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, (ख) सूक्ष्म न्यायालय द्वारा विकृत चित्त के रूप में घोषित नहीं किया गया है, (ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान से निरर्हित नहीं किया गया है, (घ) अर्हता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु कम नहीं है, तथा (ङ) किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है। इसके अतिरिक्त, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन ऐसा अनिवासी भारतीय, जो अपने मामूली निवास स्थान से अपने नियोजन, शिक्षा या अन्यथा के कारण स्वयं अनुपस्थित रहा है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में, जिसमें भारत में उसका ऐसा निवास-स्थान, जो उसके पासपोर्ट में उल्लिखित है, अवस्थित है, मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए भी पात्र है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम

1741. **श्री महाबल मिश्रा : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यकों को रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) (क) जी, हां।

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों की योजनाओं में लक्ष्यों के अधीन कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्यों/परिव्ययों के 15% निर्धारण की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के लिए अन्य योजनाओं/पहलों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह/लाभों की निगरानी की जाती है। ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान, प्रधानमंत्री के 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत की गई प्रगति के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से XXVIII में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2011-12 के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों के कम होने के मामले में उनसे कारणों का विश्लेषण करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए

उचित कदम उठाने का आग्रह किया गया है। सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिए योजना-वार लक्ष्यों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया है और उन्हें यह सुझाव दिया है कि वह तिमाही आधार पर इस उद्देश्य के लिए गठित समितियों राज्य स्तरीय समिति/जिला समिति/जिला स्तरीय समिति को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी रखें।

(ङ) अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नये 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अनुपालन में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने दिनांक 08.01.2007 के का.ज्ञा.सं. 39016/7(एस)/2006-स्था (ख) के द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि को यह दिशानिर्देश जारी किये हैं कि भर्ती में और केंद्रीय सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह दिशानिर्देश डीओपीटी की वेबसाइट *(http://persmin.nic.in/DOPT.asp)* पर भी उपलब्ध है। डीओपीटी के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) चयन बोर्डों/समितियों के संघटन में अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।

(ii) सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में सभी नियुक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

(iii) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भर्ती परिपत्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में वितरित किया जाना चाहिए।

(iv) सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग, अर्धवार्षिक/वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित दिशानिर्देशों को जारी करने के पश्चात्, यह सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यकों का सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कुल भर्तियां 2006-07 के 6.93% से बढ़कर 2010-11 में 11.55% हो गई हैं।

विवरण-I

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अल्पसंख्यकों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत वास्तविक उपलब्धि वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	274	0	274	0	413	0	367	49	358	46
2.	आंध्र प्रदेश	28822	6347	28820	34989	55797	49822	38566	38208	37352	36139
3.	अरुणाचल प्रदेश	1015	0	1016	0	1631	0	1159	0	1132	0
4.	असम	22439	26165	22455	31556	36067	39932	25627	30289	25037	28453
5.	बिहार	85076	42332	85069	103949	164700	155573	113836	155118	110623	141775
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	छत्तीसगढ़	4457	998	4457	1334	8628	2192	5964	1051	5620	416
8.	दादरा और नगर हवेली	46	0	46	0	69	0	61	0	60	0
9.	दमन और दीव	20	0	20	0	31	0	27	0	27	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	गोवा	177	86	177	67	344	112	238	109	232	234
12.	गुजरात	14135	1737	14134	8406	27364	11533	18914	4167	18475	1272
13.	हरियाणा	1985	1658	1984	2980	3842	4137	2655	2656	2594	2578
14.	हिमाचल प्रदेश	636	90	636	514	1232	314	869	248	849	197
15.	झारखंड	7588	4230	7588	11141	14689	16211	25154	21305	9522	7262
16.	कर्नाटक	11104	4323	11103	13253	21497	29413	14858	11857	14514	22943
17.	केरल	6175	5756	6175	12581	11954	9755	8263	9935	8071	11679
18.	मध्य प्रदेश	8864	852	8864	6407	17159	8485	11861	4774	11420	5098
19.	महाराष्ट्र	17382	10981	17380	18991	33648	24684	23258	17017	22659	12175
20.	मणिपुर	881	0	882	267	1416	154	1006	481	983	70
21.	ओडिशा	16715	2860	16713	3986	32357	14729	22365	8298	21312	5765
22.	पुदुचेरी	137	10	137	8	206	0	183	0	179	0
23.	राजस्थान	7103	3109	7103	8105	13751	11223	9504	9509	9284	13729
34.	सिक्किम	194	0	194	216	312	578	222	1015	217	721
25.	तमिलनाडु	11540	8432	11539	24880	22339	25901	15441	13053	15083	12604
26.	त्रिपुरा	1977	295	1978	3796	3177	2400	2258	2036	2206	1298
27.	उत्तर प्रदेश	38213	23932	38209	43427	73973	55745	51130	39920	49921	37279
28.	उत्तराखंड	1742	905	1742	1448	3371	3457	2378	2882	2323	2485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	पश्चिम बंगाल	23056	10217	23055	51808	44635	75759	30851	49965	29876	33274
30.	जम्मू और कश्मीर	1977	266	1976	96	3826	245	2699	320	2637	49
31.	मेघालय	1534	0	1535	208	2466	65	0	58	0	190
32.	मिजोरम	327	0	327	188	526	0	0	0	0	0
33.	नागालैंड	1015	0	1016	0	1632	0	0	0	0	0
34.	पंजाब	2454	399	2454	589	4751	994	3284	1935	3208	1176
35.	लक्षद्वीप	18	0	18	105	34	0	24	0	23	0
	योग	319078	155980	319076	384875	607837	543413	433022	426255	405797	378907

विवरण-II

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अल्पसंख्यकों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय उपलब्धि वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.6854	0	0.9595	0	1.444	0.000	1.6508	0.3307	1.61	0.09
2.	आंध्र प्रदेश	72.0555	17.2294	100.87	129.0117	195.290	141.995	173.5452	167.4464	169.52	122.61
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.7906	0	3.90	0	6293	0.000	5.6209	0	5.49	0.00
4.	असम	61.707	72.4374	86.45	104.1300	139.168	129.107	124.2929	170.6658	121.43	147.84
5.	बिहार	212.69	131.31	297.74	304.50	576.45	456.62	512.26	471.67	500.39	433.14
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.000	0.000	0	0	0.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	छत्तीसगढ़	11.1428	2.6159	15.6	4.4376	30.190	5.484	26.8373	3.833	26.22	1.37
8.	दादरा और नगर हवेली	0.1142	0	0.16	0	0.240	0.000	0.2751	0	0.27	0.00
9.	दमन और दीव	0.0511	0	0.07	0	0.108	0.000	0.123	0	0.12	0.00
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0.000	0.000	0	0	0.00	—
11.	गोवा	0.4438	0.1055	0.62	0.2565	1.200	0.178	1.0689	0.2605	1.04	0.79
12.	गुजरात	35.3376	5.0811	49.47	19.1123	95.775	30.952	85.1105	19.8244	83.14	13.25
13.	हरियाणा	4.9614	3.9848	6.95	6.316	13.446	9.354	11.9496	10.8481	11.67	7.38
14.	हिमाचल प्रदेश	—	0.2631	2.45	1.0753	4.742	1.019	4.2147	1.2521	4.12	0.74
15.	झारखंड	18.9709	10.8187	26.56	19.8491	51.411	32.475	113.1913	84.7555	44.63	44.98
16.	कर्नाटक	27.761	10.8075	38.86	16.6037	75.238	34.809	66.8622	51.9311	65.31	38.81
17.	केरल	15.4377	16.5167	21.61	24.9571	41.830	28.205	37.816	42.3574	36.32	39.90
18.	मध्य प्रदेश	22.161	2.5906	31.02	39.8749	60.050	21.300	53.3745	19.5784	52.14	14.45
19.	महाराष्ट्र	43.4545	33.7954	60.83	64.8765	117.760	73.603	104.6599	105.8909	102.23	58.89
20.	मणिपुर	2.4224	0	3.39	0.4202	5.463	0.535	4.8792	1.9108	4.77	0.95
21.	ओडिशा	41.7865	9.0052	58.50	7.7334	113.250	23.087	100.6425	33.8956	98.31	16.82
22.	पुदुचेरी	0.3414	0.025	0.48	0.0166	0.719	0.000	0.8222	0	0.80	—
23.	राजस्थान	17.7577	8.4239	24.86	20.4668	48.126	25.990	42.7693	41.5202	41.78	44.42
24.	सिक्किम	0.5339	0	0.75	0.4346	1.204	2.679	1.0755	4.92	1.05	1.76
25.	तमिलनाडु	28.8494	19.1934	40.39	49.6376	78.187	77.668	69.4835	47.4678	67.87	27.88
26.	त्रिपुरा	5.4359	1.7804	7.62	6.4745	12.250	4.876	10.9492	9.8582	10.70	4.19
27.	उत्तर प्रदेश	95.5312	63.1728	133.73	138.3556	258.906	170.896	230.0862	179.0656	224.76	138.81
28.	उत्तराखंड	4.7894	1.7651	6.70	4.5522	12.980	9.489	11.5351	13.8172	11.27	10.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	पश्चिम बंगाल	57.641	31.2452	80.69	81.0198	156.220	176.730	138.828	201.6703	135.61	160.53
30.	जम्मू और कश्मीर	5.4354	0.0335	7.61	0.3952	14.731	0.186	13.091	0.7504	12.79	0.05
31.	मेघालय	4.2189	0	5.9107	0.7491	9.514	0.250	0	0.2817	0.00	0.92
32.	मिजोरम	0.8991	0	1.26	0	2.028	0.000	0	0	0.00	0.00
33.	नागालैंड	2.7918	0	3.91	0	6.296	0.000	0	0	0.00	0.00
34.	पंजाब	6.1358	0.8575	8.59	1.2278	16.620	2.190	14.7781	6.3919	14.44	2.33
35.	लक्षद्वीप	0.0443	0	0.06	0.3677	0.120	0.000	0.1067	0	0.10	0.00
	योग	806.13	443.06	1128.56	1046.85	2147.310	1459.69	1961.2649	1692.20	1849.91	1333.60

विवरण-III

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (आजीविका) के तहत वास्तविक उपलब्धि वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	0	25	0	25	0	26	15	25	45
2.	आंध्र प्रदेश	10709	8684	14040	19708	14759	8947	17546	10838	15862	967
3.	अरुणाचल प्रदेश	594	151	732	0	642	0	806	0	782	0
4.	असम	15444	31923	19031	31938	16663	34297	20945	42329	20313	30715
5.	बिहार	25475	9682	33400	14914	35109	16839	41740	20800	37735	10110
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	656	—	594	—	—
7.	छत्तीसगढ़	5657	460	7417	735	7797	741	9272	0	8383	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	दादरा और नागर हवेली	22	0	25	0	25	0	26	0	25	0
9.	दमन और दीव	22	0	25	0	25	0	26	0	25	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0	—	—	0	—	—
11.	गोवा	89	58	165	73	215	17	284	18	284	3
12.	गुजरात	4031	2092	5285	2121	5555	3262	6605	2959	5970	2052
13.	हरियाणा	2371	1988	3109	2386	3269	2269	3885	4230	3514	1775
14.	हिमाचल प्रदेश		338	1309	555	1376	251	1635	427	1479	213
15.	झारखंड	9605	6278	12594	6513	13239	6740	15740	7007	14228	4426
16.	कर्नाटक	8086	11072	10602	11454	11144	8664	13249	10869	11979	6323
17.	केरल	3628	7397	4757	8017	5001	6104	5945	8887	5375	6098
18.	मध्य प्रदेश	12124	2687	15896	6134	16708	9845	19861	10120	17957	2629
19.	महाराष्ट्र	15985	8577	20959	20492	22030	11581	26191	15216	23678	10791
20.	मणिपुर	1035	0	1276	1206	1117	0	1405	0	1362	0
21.	ओडिशा	12248	3592	16058	4714	16882	3553	20070	5973	18144	3213
22.	पुदुचेरी	134	30	198	62	254	48	315	13	285	47
23.	राजस्थान	6140	4094	8051	3570	8463	3367	10061	6546	9096	3319
24.	सिक्किम	294	101	366	607	320	450	403	366	392	512
25.	तमिलनाडु	9469	10962	12415	16108	13051	12828	15515	26543	14027	10352
26.	त्रिपुरा	1869	973	2304	2699	2017	674	2535	2107	2459	954
27.	उत्तर प्रदेश	36675	23021	48085	48220	50546	32020	60092	45514	54328	33525
28.	उत्तराखंड	1931	772	2532	979	2661	907	3164	1068	2861	1032
29.	पश्चिम बंगाल	13612	7826	17846	68094	18761	11622	22304	17805	20163	16711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	जम्मू और कश्मीर	1236	146	1621	88	1704	161	2025	24	1831	2622
31.	मेघालय	1160	0	1429	190	1252	90	1574	222	1525	30
32.	मिजोरम	268	192	331	0	290	76	364	87	353	249
33.	नागालैंड	796	0	981	3205	858	105	1079	0	1046	0
34.	पंजाब	1153	248	1511	339	1589	1807	1887	3661	1707	1206
35.	लक्षद्वीप	22	41	25	0	25	0	26	0	25	0
	योग	201909	143385	264401	275121	273372	177821	326601	244225	297218	150128

विवरण-IV

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवा विभाग

अल्पसंख्यकों को राज्य-वार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तथा वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 की शेष तिमाही की प्रगति

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29.73	23.67	35.01	47.62	55.76	103.61	38.02	120.74	135.49	172.26
2.	आंध्र प्रदेश	4461.68	4105.26	6072.51	6470.41	11115.95	9194.47	14776.5	10679.90	15571.84	12402.56
3.	अरुणाचल प्रदेश	139.85	39.12	57.87	66.3	70.64	140.25	87.15	145.51	111.98	149.63
4.	असम	1859.91	718.68	1063.08	751.46	1329.01	1924.55	1557.25	2106.50	1894.90	2471.58
5.	बिहार	1812.96	1019.31	1507.77	1056.19	1790.25	1426.53	2212.9	2387.64	2984.70	2927.39
6.	चंडीगढ़	555.17	702.6	1039.29	713.51	1213.98	1277.25	2064.41	1531.68	2164.90	1264.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	छत्तीसगढ़	231.18	514.24	760.67	658.39	1144.61	584.39	914.88	687.11	1127.34	835.14
8.	दादरा और नगर हवेली	4.02	7.08	10.47	7.11	18.87	4.85	15.2	6.12	20.37	10.46
9.	दमन और दीव	12.24	2.3	3.4	2.63	19.99	9.75	17.01	12.03	21.11	12.97
10.	दिल्ली	1988.94	2195.13	3247.04	2601.77	5981.87	3165.29	6659.1	2980.31	5827.82	4224.67
11.	गोवा	554.71	451.74	668.22	676.84	1033.39	782.12	1010.06	1011.28	1216.53	1466.66
12.	गुजरात	1811.17	1502.13	2221.96	1274.31	5341.21	1860.81	4689.73	2658.39	5497.36	2953.34
13.	हरियाणा	1958.6	1836.01	2715.83	2309.00	4160.16	3760.11	5468.74	4520.12	6841.45	4655.65
14.	हिमाचल प्रदेश		298.44	441.45	400.41	753.96	926.75	1458.77	680.13	1122.71	635.35
15.	झारखंड	606.62	816.66	1208.00	940.13	1300.16	1177.13	1563.41	1590.79	2054.61	1753.00
16.	कर्नाटक	4493.84	3873.43	5729.59	5738.76	9959.62	7031.87	9485.23	8270.14	12430.00	10477.32
17.	केरल	10487.6	7954.47	11766.28	11905.84	11298.34	15106.13	16704.27	21539.13	20847.27	23048.67
18.	मध्य प्रदेश	1604.62	1971.85	2916.77	2623.40	4968.33	3160.71	4463.95	3638.51	5653.52	4164.84
19.	महाराष्ट्र	4685.07	4086.75	6045.13	5572.50	17139.84	8655.43	19455.79	12085.74	20406.65	12755.66
20.	मणिपुर	344.37	57.83	85.54	54.29	90.75	216.12	117.52	219.82	118.76	242.73
21.	ओडिशा	402.21	1043.86	1544.09	1270.67	2083.81	1695.11	2099.44	1917.27	2333.81	2236.86
22.	पुदुचेरी	76.3	81.54	120.61	128.77	184.67	184.78	255.77	242.78	331.97	286.57
23.	राजस्थान	2596.22	1661.24	2457.31	2117.78	4630.00	2699.72	5208.38	3412.01	5182.29	4065.46
24.	सिक्किम	127.84	91.56	135.44	241.71	173.73	311.17	153.78	346.16	388.42	409.16
25.	तमिलनाडु	4409.1	5283.96	7816.05	7657.68	11892.93	10276.65	14908.11	12893.80	16954.02	14763.37
26.	त्रिपुरा	50.95	47.3	69.97	69.97	104.83	271.80	132.65	281.72	151.48	288.20
27.	उत्तर प्रदेश	6657.17	5124.09	7579.57	7477.53	102.62	9850.54	13543.05	12467.34	15085.86	14953.17
28.	उत्तराखंड	674.68	889.9	1316.34	853.71	1339.52	1181.23	1529.55	1636.27	2129.98	1831.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	पश्चिम बंगाल	4209.37	3076.28	4550.44	4487.34	6387.26	5687.76	6553.96	6619.15	9197.26	8189.95
30.	जम्मू और कश्मीर	360.19	593.39	877.74	899.39	546.05	961.23	777.71	1061.15	1423.26	1077.31
31.	मेघालय	149.22	117.75	174.18	195.31	243.01	654.14	257.52	695.39	301.75	813.68
32.	मिजोरम	65.44	87.56	129.52	140.18	151.31	664.82	183.7	629.79	161.64	610.51
33.	नागालैंड	76.45	86.32	127.68	151.20	133.07	433.63	177.36	440.66	169.52	593.57
34.	पंजाब	7678.27	8280.57	12248.64	13280.83	13520.2	16660.57	17365.66	23848.57	24256.67	27939.34
35.	लक्षद्वीप	21.13	20.65	30.55	22.41	23.35	42.55	10.04	33.03	35.70	65.32
	योग	65558.27	58662.67	86774.01	82864.65	130462.43	112038.8	155916.57	143396.70	184162.94	164748.42

विवरण-V

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अल्पसंख्यक समुदायों में स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के वित्तीय लक्ष्य उपलब्धियां

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0014	0.0002	0.001	0	0.009	0.00	0.001	0	0.0000	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	4.5218	3.3137	3.069	0.16	2.998	3.1659	3.3144	3.46	3.3300	7.34
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.0025	0	0.002	0	0.0017	0.00	0.0018	0	0.0000	0.00
4.	असम	0.1531	0.0201	0.104	0	0.10175	0	0.1122	0	0.1154	0.16
5.	बिहार	2.0915	2.3168	1.42	0	1.3867	0.00	1.5331	0.626	1.5403	0.00
6.	चंडीगढ़	0.0098	0	0.007	0	0	0	0.0072	0.1008	0.0087	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	छत्तीसगढ़	0.4558	0.3084	0.309	0.767	0.3022	0.41	0.3341	1.5363	0.3357	1.01
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	—
9.	दमन और दीव	0.0006	0	4E-04	0	0.0004	0	0.0005	0	0.0000	—
10.	दिल्ली	0.7949	0.0667	0.54	0	0.527	0.00	0.5827	0.0633	0.5854	0.16
11.	गोवा	0.0602	0.0014	0.041	0	0.0399	0	0.04441	0	0.0443	0.01
12.	गुजरात	1.7149	0.9047	1.164	0.3237	1.137	0.5685	1.257	0.0722	1.2629	2.35
13.	हरियाणा	0.0581	0.7892	0.039	0.3299	0.0385	0.2862	0.0426	0.5914	0.0428	0.40
14.	हिमाचल प्रदेश	0.0081	0.0041	0.006	0.0012	0.0054	0	0.0059	0.0062	0.0060	0.07
15.	झारखंड	0.0022	0	0.002	0	0.0014	0.00	0.0016	0	0.0000	0.00
16.	कर्नाटक	1.3039	0	0.885	0	0.8645	0	0.9557	0.4437	0.9602	0.10
17.	केरल	4.212	2.6367	2.859	3.387	2.7926	2.7926	3.0847	3.0668	3.1019	1.66
18.	मध्य प्रदेश	2.0026	0.7251	1.359	0.8303	1.3277	1.6326	1.4679	1.6326	1.4748	1.73
19.	महाराष्ट्र	3.178	0.307	2.157	2.1568	2.107	2.4473	2.3294	3.3769	2.3404	4.66
20.	मणिपुर	8.9847	7.0775	6.098	9.6886	5.9569	2.2864	6.5857	3.8247	6.6167	4.87
21.	ओडिशा	0	0.0113	0	0.0977	0	0.79	0	0.0148	0.0000	0.03
22.	पुदुचेरी	0.7451	0.0283	0.506	0	0.494	0.1958	0.5482	0.6083	0.5487	0.25
23.	राजस्थान	0.0558	0.0037	0.038	0.0005	0.037	0.0254	0.0409	0.0045	0.0411	0.01
24.	सिक्किम	1.7303	0.1880	1.174	0	1.1472	0	1.2683	1.5275	1.2742	0.55
25.	तमिलनाडु	0	0.008	0	0	0	0	0	0.0214	0.0000	0.11
26.	त्रिपुरा	3.1175	0.9588	2.116	0	2.0669	0.3192	2.2851	1.8055	2.2958	1.25
27.	उत्तर प्रदेश	0.0011	0.039	7E-04	0	0.0007	0.00	0.0008	0.04	0.0000	0.00
28.	उत्तराखंड	12.6973	1.2011	8.617	0	**8.4184**	**0**	9.307	5.691	9.3508	4.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	पश्चिम बंगाल	0.463	0.0535	0.314	0	0.307	0.7389	0.3394	0.412	0.3426	0.85
30.	जम्मू और कश्मीर	2.0592	0.8848	1.398	1.0882	1.3652	1.9775	1.5094	1.8464	1.5165	2.50
31.	मेघालय	0	0.0113	0	0.0032	0	0.00	0	0	0.0000	—
32.	मिजोरम	0	0.1400	0	0	0	0.00	0	0.2	0.0000	0.39
33.	नागालैंड	0	0.2000	0	0	0	0.00	0	0	0.0000	0.00
34.	पंजाब	0.0495	0	0.034	0.0142	0.0328	0.00	0.0363	0	0.0365	0.00
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.0000	—
	योग	50.4749	25.12	34.25	18.158	33.47	17.64	36.99	30.9725	37.17	34.58

विवरण-VI

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अल्पसंख्यक समुदायों में स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के वास्तविक (लघु उद्यम) लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1613	1557	1613	2151	336	1176	336	1597	663	1093
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0	0	0	0	0	59	0
3.	असम	55	39	55	0	11	0	11	0	690	22
4.	बिहार	746	0	746	183	155	0	155	160	527	192
5.	चंडीगढ़	3	62	3	75	1	0	1	25	30	0
6.	छत्तीसगढ़	163	218	163	144	34	92	31	186	173	250
7.	दादरा और नगर हवेली	3	0	3	—	0	0	0	0	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	दमन और दीव	5	0	5	—	0	0	0	0	3	0
9.	दिल्ली	283	99	283	64	59	0	59	425	49	38
10.	गोवा	21	2	21	—	4	—	4	0	22	2
11.	गुजरात	612	1220	612	1489	127	1867	127	2446	541	1816
12.	हरियाणा	21	248	21	140	4	96	4	160	203	102
13.	हिमाचल प्रदेश	3	4	3	5	1	0	1	2	8	11
14.	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	0	0	0	0	0	37	19
15.	झारखंड	465	0	465	—	97	0	97	86	201	10
16.	कर्नाटक	1502	2093	1502	2630	313	430	313	529	654	547
17.	केरल	714	551	714	788	149	104	149	135	202	153
18.	मध्य प्रदेश	1133	1390	1133	3376	236	1997	236	2953	795	2305
19.	महाराष्ट्र	3204	2289	3204	11742	668	374	668	1949	1497	1668
20.	मणिपुर	6	0	6	0	0	0	0	0	160	0
21.	ओडिशा	266	73	266	734	55	187	55	170	292	60
22.	पुदुचेरी	20	31	20	7	4	23	4	48	21	10
23.	राजस्थान	617	630	617	1328	129	1113	129	1213	552	943
24.	सिक्किम	1	2	1	5	0	0	0	10	9	7
25.	तमिलनाडु	1112	850	1112	905	232	852	232	1056	791	913
26.	त्रिपुरा	5	52	5	71	0	71	0	186	118	23
27.	उत्तर प्रदेश	4528	4351	4528	2830	943	210	943	1253	1979	304
28.	उत्तराखंड	165	237	165	469	34	182	34	129	82	127
29.	पश्चिम बंगाल	734	1349	734	1412	153	686	153	331	747	950
30.	मेघालय	3	4	3	5	0	4	0	3	85	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	मिजोरम	4	15	4	0	0	0	0	21	75	35
32.	नागालैंड	3	18	3	10	0	0	0	0	56	0
33.	पंजाब	18	0	18	11	4	0	4	2	222	1
34.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	1	0	0	4	0	4	5	10
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
	योग	18031	17384	18031	30574	3750	9468	3750	15079	11252	11611

विवरण-VII

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

अल्पसंख्यक समुदायों में स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के वास्तविक (कौशल प्रशिक्षण) लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	0	1	0	14	0
2.	आंध्र प्रदेश	2016	4104	2016	4815	2688	3167	2688	4211	2637	7349
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0	1	0	1	0	35	0
4.	असम	68	31	68	31	91	0	91	0	434	182
5.	बिहार	932	409	932	350	1243	0	1243	1864	2101	34
6.	चंडीगढ़	4	215	4	333	0	0	6	18	91	0
7.	छत्तीसगढ़	203	3	203	194	271	50	271	216	690	544
8.	दादरा और नगर हवेली	4	0	4	0	0	0	0	0	11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	दमन और दीव	6	59	6	0	0	0	0	0	8	0
10.	दिल्ली	354	0	354	42	472	42	472	914	972	23
11.	गोवा	27	3	27	0	36	0	36	0	88	3
12.	गुजरात	764	2327	764	402	1019	3553	1019	3198	2154	2846
13.	हरियाणा	26	358	26	244	35	202	35	216	810	473
14.	हिमाचल प्रदेश	4	37	4	5	5	22	5	3	15	17
15.	झारखंड	581	0	581	0	775	0	775	459	799	51
16.	कर्नाटक	1878	1725	1878	2019	2503	2512	2503	2410	2608	3283
17.	केरल	893	935	893	869	1190	422	1190	1144	804	499
18.	मध्य प्रदेश	1417	5670	1417	8240	1889	5450	1889	5223	3168	4347
19.	महाराष्ट्र	4005	16265	4005	9977	5341	9832	5340	7310	5966	15263
20.	मणिपुर	7	0	7	131	0	433	0	17	106	1073
21.	ओडिशा	332	257	332	496	443	379	443	165	1166	183
22.	पुदुचेरी	25	0	25	53	33	10	33	21	36	6
23.	राजस्थान	771	834	771	1089	1028	0	1028	501	2201	1527
24.	सिक्किम	1	22	1	10	0	545	0	49	1	53
25.	तमिलनाडु	1390	990	1390	1105	1853	150	1853	792	3152	3688
26.	त्रिपुरा	6	36	6	15	1	15	1	32	69	246
27.	उत्तर प्रदेश	5660	6570	5660	4932	7547	1353	7547	5766	6692	2601
28.	उत्तराखंड	206	0	206	365	276	317	275	241	326	339
29.	पश्चिम बंगाल	918	119	918	383	1224	1962	1224	412	2976	3075
30.	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	1044	1	0	1	0	147	74
31.	मेघालय	4	0	4	3	0	0	0	0	62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	मिजोरम	5	278	5	0	0	0	0	100	19	232
33.	नागालैंड	3	200	0	10	0	0	0	0	8	0
34.	पंजाब	22	22	22	22	29	0	29	6	884	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	22535	41466	22532	37179	30000	30416	30000	35288	41250	48011

विवरण-VIII

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में शिक्षकों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4	0	0	0	0	0	0	108	108
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	66	66	415	401	130	130	310	310	228	0
4.	असम	0	0	0	0	0	0	6406	0	3660	3261
5.	बिहार	9796	9796	6397	6397	2124	2000	2517	0	13177	1837
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	2	2	2	0	0	0	0	0	874	523
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	हरियाणा	18	1214	0	0	0	0	269	269	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	9	9	0	0	21	21	26	26
15.	झारखंड	414	414	1053	1053	45	45	1011	47	142	56
16.	कर्नाटक	1869	1869	324	324	303	303	282	0	0	0
17.	केरल	256	256	0	0	0	0	12	0	236	236
18.	मध्य प्रदेश	40	34	38	18	15	8	14	14	233	223
19.	महाराष्ट्र	0	0	1413	1413	483	483	141	141	0	0
20.	मणिपुर	195	0	0	0	0	0	262	0	1240	1240
21.	ओडिशा	114	108	125	125	346	300	195	195	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	राजस्थान	636	457	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	सिक्किम	0	0	25	0	8	0	0	0	2	2
25.	तमिलनाडु	11	11	3	3	1	1	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	5198	4339	5729	1031	1516	1516	7598	5000	18	0
28.	उत्तराखंड	254	145	192	0	114	114	0	0	36	0
29.	पश्चिम बंगाल	2400	0	5605	4740	2691	2282	28418	28418	11960	0
30.	जम्मू और कश्मीर	75	6118	142	142	33	33	37	18	0	0
31.	मेघालय	56	0	370	0	505	483	372	372	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	मिजोरम	33	33	103	103	115	45	136	136	81	81
33.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	21437	24866	21945	15759	8429	7765	48001	34941	32164	7603

विवरण-IX

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में निर्मित प्राइमरी स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	128	35	56	56	116	116	69	12
4.	असम	0	0	0	0	984	984	785	60	1260	1093
5.	बिहार	0	0	2018	1177	1417	1217	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	दिल्ली	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
15.	झारखंड	1212	1058	779	779	0	0	226	226	32	32
16.	कर्नाटक	144	144	75	75	0	0	52	52	0	0
17.	केरल	12		0	0	0	0	6	0	130	85
18.	मध्य प्रदेश	17	17	0	0	0	0	1	1	0	0
19.	महाराष्ट्र	474	182	371	325	320	320	174	174	0	0
20.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	ओडिशा	39	39	25	25	75	75	25	25	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	सिक्किम	0	0	1	1	4	0	0	0	1	1
25.	तमिलनाडु	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	241	241	901	753	291	287	6	6	0	0
28.	उत्तराखंड	64	35	12	2	6	6	0	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	234	234	3449	2784	0	0
30.	जम्मू और कश्मीर	0	8	0	0	8	8	14	14	5	0
31.	मेघालय	28	0	80	80	62	42	96	96	0	0
32.	मिजोरम	0	0	13	13	8	8	0	0	15	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	2078	1725	4404	3266	3465	3237	4969	3573	1522	1241

विवरण-X

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में निर्मित उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	2	28	0	6	0	61	61	1	0
4.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	हरियाणा	6	138	0	0	0	0	77	77	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
15.	झारखंड	269	463	818	818	362	265	331	331	26	26
16.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	केरल	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	49	49	9	9	0	0	4	4	0	0
19.	महाराष्ट्र	14	14	5	5	0	0	28	28	0	0
20.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	ओडिशा	34	34	25	25	22	22	5	5	19	19
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	1572	1306	1153	1153	363	386	385	382	0	0
28.	उत्तराखंड	42	2	56	56	34	22	0	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	1825	361	430	388	223	180	0	0
30.	जम्मू और कश्मीर	0	0	25	25	126	126	33	33	0	0
31.	मेघालय	11	0	210	210	0	0	0	0	0	0
32.	मिजोरम	0	0	0	0	5	5	0	0	17	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	2018	2008	4154	2662	1348	1220	1147	1103	67	66

विवरण-XI

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में निर्मित अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	10	0	13	0	61	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	100	74	362	316	425	200
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	461	461	240	240	61	61	443	253
4.	असम	0	0	6257	6557	2156	2156	2711	2711	8399	7660
5.	बिहार	0	0	1638	1638	1897	1897	3912	3594	17933	13199
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	दिल्ली	41	41	29	29	0	0	20	0	91	50
11.	गोवा	46	46	0	0	0	0	0	0	52	22
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	हरियाणा	69	86	399	399	862	862	750	750	800	705
14.	हिमाचल प्रदेश	44	44	41	41	0	0	21	21	24	9
15.	झारखंड	0	0	100	100	1840	1840	2300	2300	1556	1556
16.	कर्नाटक	469	412	909	697	288	288	806	806	53	37
17.	केरल	448	448	202	202	228	228	1289	1289	85	85
18.	मध्य प्रदेश	310	310	400	341	310	310	274	274	0	0
19.	महाराष्ट्र	909	769	818	818	758	658	1777	1777	3102	1029
20.	मणिपुर	286	143	0	0	173	92	660	660	722	637
21.	ओडिशा	560	560	390	390	18	18	205	205	615	574
22.	पुदुचेरी	0	0	7	7	2	0	1	1	0	0
23.	राजस्थान	343	343	27	27	85	85	20	20	257	257
24.	सिक्किम	0	0	0	0	75	75	40	40	24	24
25.	तमिलनाडु	0	0	59	59	0	0	20	20	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	8646	9012	3779	3779	1939	1939	1710	1710	5987	5708
28.	उत्तराखंड	252	252	338	104	328	150	24	23	542	542
29.	पश्चिम बंगाल	24424	24399	5104	98	9363	9363	18414	17883	4233	4233
30.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	27	5
31.	मेघालय	0	0	100	100	381	177	280	280	0	0
32.	मिजोरम	0	0	44	16	115	135	136	136	10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	36847	36865	21102	15563	21168	20588	35806	34877	45541	36895

विवरण-XII

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में खोले गए नए प्राइमरी स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0	0	0	0	0	0	6	4
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश		0	128	128	56	56	116	116	57	57
4.	असम	0	0	0	0	984	984	2219	2219		0
5.	बिहार	735	735	104	104	0	0	345	345	823	611
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0
15.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	183	183	32	32
16.	कर्नाटक	144	82	75	75	77	77	52	52	0	0
17.	केरल	124	0	0	0	0	0	6	0	118	118
18.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	12	12
19.	महाराष्ट्र	639	0	65	65	239	239	59	59	0	0
20.	मणिपुर	125	0	0	0	0	0	17	17	401	401
21.	ओडिशा	39	0	25	0	0	0	25	25	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	राजस्थान	168	132	0	0	75	40	0	0	0	0
24.	सिक्किम	0	0	11	0	4	4	0	0	1	1
25.	तमिलनाडु	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	241	252	901	901	301	301	6	6	0	0
28.	उत्तराखंड	64	0	12	12	34	30	0	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	234	112	8781	8781	0	0
30.	जम्मू और कश्मीर	0	0	8	8	0	0	96	3	0	0
31.	मेघालय	28	0	80	80	62	62	0	96	0	0
32.	मिजोरम	8	0	13	13	0	0	0	0	15	15
33.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	2322	1201	1423	1386	2066	1905	11930	11922	1470	1251

विवरण-XIII

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में खोले गए नए उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	11	7
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	0	28	28	6	6	26	26	13	13
4.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	782	782	546	546	708	708	433	433	209	128
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	गोवा	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	हरियाणा	6	138	0	0	0	0	77	77	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	3	3	0	0	7	7	4	0
15.	झारखंड	0	0	3	3	0	0	7	7	4	0
16.	कर्नाटक	55	55	174	174	0	0	89	89	26	0
17.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	20	20	9	9	2	2	4	4	0	0
19.	महाराष्ट्र	14	14	5	5	0	0	6	6	0	0
20.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146
21.	ओडिशा	12	7	25	25	22	22	5	5	19	19
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	राजस्थान	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	सिक्किम	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	1572	1302	1133	1133	364	364	385	385	0	0
28.	उत्तराखंड	42	37	56	42	34	25	0	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	800	199	1825	715	430	345	1054	1054	0	0
30.	जम्मू और कश्मीर	25	25	42	42	11	11	9	3	0	0
31.	मेघालय	0	0	70	70	127	127	60	60	0	0
32.	मिजोरम	11	11	33	33	0	0	0	0	17	17
33.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	3666	3001	4301	3179	1719	1625	2370	2364	445	356

विवरण-XIV

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0			0	
2.	आंध्र प्रदेश	5	5	7	0	12	12			0	
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	9	4	4	13	13			1	1
4.	असम			9	9	9	9			25	9
5.	बिहार	53	45	22	5	76	72	अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए स्वीकृत सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रचालित किए गए। वर्ष 2010-11 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है		1	1
6.	चंडीगढ़			0	0	0	0			0	
7.	छत्तीसगढ़	1	1	0	0	1	1			0	
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0			0	
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0			0	
10.	दिल्ली	0	0	1	0	1	1			0	
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0			0	
12.	गुजरात	3	3	4	4	7	7			0	
13.	हरियाणा	6	6	0	0	6	6			6	
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0			0	
15.	झारखंड	30	30	6	6	32	32			3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	कर्नाटक	3	3	2	2	5	5			0	
17.	केरल	0	0	0	0	0	0			0	
18.	मध्य प्रदेश	1	0	1	1	1	1			0	
19.	महाराष्ट्र	1	1	0	0	1	1			0	
20.	मणिपुर	1	1	0	0	1	1			4	4
21.	ओडिशा	4	4	5	5	9	9			0	
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0			0	
23.	राजस्थान	11	11	14	14	25	25	अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए स्वीकृत सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रचालित किए गए। वर्ष 2010-11 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है		0	
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0			0	
25.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0			0	
26.	त्रिपुरा	4	4	0	0	4	4			0	
27.	उत्तर प्रदेश	113	48	58	58	171	171			32	32
28.	उत्तराखंड	7	7	0	0	7	7			0	
29.	पश्चिम बंगाल	17	11	5	4	22	22			28	24
30.	जम्मू और कश्मीर	41	26	26	18	68	68			2	
31.	मेघालय	1	1	1	0	2	2			5	1
32.	मिजोरम	1	1	0	0	1	1			0	
33.	नागालैंड	0	0	2	2	2	2			0	
34.	पंजाब	2	2	1	1	3	3			0	
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0			0	
	योग	313	219	168	133	28	27			109	75

विवरण-XV

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों में समन्वित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रचालन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य	उपलब्धि (संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या)	आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य	उपलब्धि (संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या)	आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य	उपलब्धि (संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या)	आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य	उपलब्धि (संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या)	आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य	उपलब्धि (संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0			3	2	1	1	0	
2.	आंध्र प्रदेश	482	619			185	0	185	106	79	52
3.	अरुणाचल प्रदेश	205	205			661	661	36	36		
4.	असम	2790	2790	मंत्रिमंडल द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के विस्तार को दिनांक 16.10.2008 अनुमोदित कर दिया गया था वर्ष 2008-09 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं।		7232	7602	0	0	0	
5.	बिहार	24	24			0	0	1706	0	1706	0
6.	चंडीगढ़	0	0			0	0		0		
7.	छत्तीसगढ़	248	229			345	0	345	434	0	
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0			0	0	0	0		
9.	दमन और दीव	0	0			0	0	0	0		
10.	दिल्ली	0	0			0	0	754	0	754	839
11.	गोवा	45	45			44	39	25	44	0	
12.	गुजरात	213	213			102	23	79	102	0	
13.	हरियाणा	98	98			1081	0	1081	229	852	647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0			2	0	2	1	1	
15.	झारखंड	175	175			1151	1151	0	0	0	
16.	कर्नाटक	109	109			181	181	0	0	0	
17.	केरल	2476	2476			880	0	880	819	61	39
18.	मध्य प्रदेश	0	0			0	0	0	0		
19.	महाराष्ट्र	497	0			862	0	862	242	620	210
20.	मणिपुर	1521	1558			2074	0	2074	999	1075	340
21.	ओडिशा	614	614	मंत्रिमंडल द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के विस्तार को दिनांक 16.10.2008 अनुमोदित कर दिया गया था वर्ष 2008-09 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं।		1539	830	709	709	0	
22.	पुदुचेरी	0	0			0	0	0		0	
23.	राजस्थान	0	280			612	0	612	631	0	
24.	सिक्किम	0	0			103	94	9	9		
25.	तमिलनाडु	276	276			62	62	0	0		
26.	त्रिपुरा	206	265			653	0	653	657	0	
27.	उत्तर प्रदेश	54	54			66	0	66	66	0	
28.	उत्तराखंड	1212	755			1844	0	1844	1033	811	546
29.	पश्चिम बंगाल	6431	6279			8319	6690	1629	813	816	816
30.	जम्मू और कश्मीर	3658	0			1767	0	1767	0	1767	
31.	लक्षद्वीप	13	13			20	17	3	3	0	
32.	मेघालय	1076	1195			460	477	0	0	0	
33.	मिजोरम	87	87			176	177	0	0	0	
34.	नागालैंड	146	146			207	207	0	0	0	
35.	पंजाब	2509	2509			5335	5499	0	0	0	
	योग	25165	21014			37672	23712	15322	6934	8542	3489

विवरण-XVI

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

वर्ष 2007-08 से 2011-12 से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वीटीआईपी के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 60 चिनिहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (60 संस्थान) को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नत किया जाना

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईटीआई की संख्या	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलबिध	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0.75	0.75	1.4124	0	1.8269	0	1.892	0.479
2.	आंध्र प्रदेश	1	2.05	2.05	0.240	0	0.13	0	0	0.318	0.252	0
3.	अरुणाचल प्रदेश		0	0	0.00	0	0	0	0.485	0	—	—
4.	असम	2	1.57	1.57	2.07	0	1.705	2.08	2.275	0.78	1.87	0
5.	बिहार	4	2.28	2.28	5.8300	2.876	1.8721	0	5.4517	0	5.3343	1.596
6.	चंडीगढ़		0	0	0.00	0	0	0	0	0	—	—
7.	छत्तीसगढ़		0	0	0.00	0	0	0	0	0	—	—
8.	दादरा और नगर हवेली		0	0	0.00	0	0	0	0	0	—	—
9.	दमन और दीव		0	0	0.00	0	0	0	0	0	—	—
10.	दिल्ली	1	0.54	0.54	0.72	0.33	0.19	0	0.65	0.3821	0.3279	0
11.	गोवा	3	2.23	2.23	3.0100	2.33	1.59	0	2.79	1.96	1.36	0.14
12.	गुजरात		0	0	0.0000	0	0	0	0	0		
13.	हरियाणा	1	1.48	1.48	0.6400	0	0.16	0.34	0.63	0.32	0.49	0.24
14.	हिमाचल प्रदेश	2	0.79	0.79	1.4900	0.28	0.5	0.81	1.062	0.71	0.41	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	झारखंड	2	0	0	2.7510	2.2	1.3576	0	2.2714	2.2018	0.7124	0.338
16.	कर्नाटक	7	4.82	4.82	7.6920	3.41	2.197	4.6303	2.9296	2.2283	3.2854	1.1387
17.	केरल	7	3.53	3.53	6.4800	3.16	2.6593	2.736	4.1974	0.8405	4.3995	4.2755
18.	मध्य प्रदेश	1	0.53	0.53	2.3100	1.73	0.14	0.0784	0.7516	0.1541	0.1325	0.1125
19.	महाराष्ट्र	13	2.57	2.57	10.0800	8.14	8.2767	7.734	6.2753	5.3388	4.7181	3.2015
20.	मणिपुर		0	0	0.0000	0	0	0	0	0	—	—
21.	ओडिशा		0	0	0.0000	0	0	0	0	0	—	—
22.	पुदुचेरी		0	0	0.0000	0	0	0	0	0	—	—
23.	राजस्थान	1	0.81	0.81	0.4900	0	0.06	0	0.63	0.28	0.41	0
24.	सिक्किम	1	1.38	1.38	1.2000	0	0.01575	0.412	0.8173	0.11585	0.02715	0.01395
25.	तमिलनाडु		0	0	0.0000	0	0	0	0	0		
26.	त्रिपुरा		0	0	0.0000	0	0	0	0	0		
27.	उत्तर प्रदेश	6	6.305	6.305	6.4300	4.12	0.426	2.33	0.8492	0	1.2816	0.3938
28.	उत्तराखंड	2	1.13	1.13	0.8700	0	0.5495	0	1.8283	2.0805	0.9091	0.559
29.	पश्चिम बंगाल	4	1.83	1.83	3.3400	0.56	2.1952	0.7049	5.3262	1.8537	4.2651	1.162
30.	जम्मू और कश्मीर		0	0	0.0000	0	0	0	0	0	—	—
31.	लक्षद्वीप		0	0	0.0000	0	0	0	0	0	—	—
32.	मेघालय	1	0	0	0.5400	0	0.54	0.33	1.29	1.61	0.76	0
33.	मिजोरम		0	0	0.0000	0	0	0	0	0	—	—
34.	नागालैंड		0	0	0.0000	0	0	0	0	0	—	—
35.	पंजाब		0	0	0.0000	0	0	0	0	0	—	—
	योग	60	33.84	33.84	56.95	29.86	25.98	22.19	42.3369	21.17365	32.83705'	13.64995

इसमें गत वर्षों का 11.68 करोड़ रु. का लक्ष्य और 21.157 करोड़ रु. का बैकलॉग शामिल है।

विवरण-XVII

शहरी विकास मंत्रालय

शहरी अवसंरचना एवं शासन (वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12)

अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले शहरों/नगरों को लाभ/धनराशि प्रदान करना। विकास परियोजनाओं का एक निश्चित अनुपात 15 प्रतिशत तक होना चाहिए

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह						
2.	आंध्र प्रदेश				552.37		552.37
3.	अरुणाचल प्रदेश						
4.	असम	राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया	राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया		59.49		36.26
5.	बिहार						
6.	चंडीगढ़						
7.	छत्तीसगढ़						
8.	दादरा और नगर हवेली						
9.	दमन और दीव						
10.	दिल्ली						
11.	गोवा						
12.	गुजरात				0.00		301.95
13.	हरियाणा						

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	हिमाचल प्रदेश						
15.	झारखंड				339.79		339.79
16.	कर्नाटक						
17.	केरल						
18.	मध्य प्रदेश				1031.06		1040.42
19.	महाराष्ट्र				1086.44		1073.50
20.	मणिपुर						
21.	ओडिशा						
22.	पुदुचेरी						
23.	राजस्थान						
24.	सिक्किम	राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया	राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया				
25.	तमिलनाडु						
26.	त्रिपुरा						
27.	उत्तर प्रदेश				4344.74		4344.74
28.	उत्तराखंड						
29.	पश्चिम बंगाल				453.07		841.83
30.	जम्मू और कश्मीर				402.29		402.29
31.	मेघालय						
32.	मिजोरम						
33.	नागालैंड				75.68		115.94
34.	पंजाब						
35.	लक्षद्वीप						
	योग	58283.32	8623.66	60528.99	8623.66	60718.15	9049.09

विवरण-XVIII

शहरी विकास मंत्रालय

लघु एवं मध्य नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास की योजना (वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12)

अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले शहरों/नगरों को लाभ/धनराशि प्रदान करना। विकास परियोजनाओं का एक निश्चित अनुपात 15 प्रतिशत तक होना चाहिए

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों के लिए संस्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों के लिए संस्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों के लिए संस्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	कार्यक्रम के तहत इस योजना को वर्ष 2009-10 के मध्य में शामिल किया गया था। इस अवधि के लिए राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।		राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।		राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।	
2.	आंध्र प्रदेश				474.96		385.01
3.	अरुणाचल प्रदेश						
4.	असम				7.10		3.29
5.	बिहार						
6.	चंडीगढ़						
7.	छत्तीसगढ़						
8.	दादरा और नगर हवेली						
9.	दमन और दीव						
10.	दिल्ली						
11.	गोवा						
12.	गुजरात				22.14		17.45
13.	हरियाणा						

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	हिमाचल प्रदेश						
15.	झारखंड				5.69		2.36
16.	कर्नाटक				107.90		81.15
17.	केरल				27.62		11.10
18.	मध्य प्रदेश				131.82		52.73
19.	महाराष्ट्र				896.33		670.82
20.	मणिपुर						
21.	ओडिशा						
22.	पुदुचेरी						
23.	राजस्थान	कार्यक्रम के तहत इस योजना को वर्ष 2009-10 के मध्य में शामिल किया गया था। इस अवधि के लिए राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।		राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।	134.53	राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।	56.17
24.	सिक्किम						
25.	तमिलनाडु				15.35		12.28
26.	त्रिपुरा						
27.	उत्तर प्रदेश				668.65		489.19
28.	उत्तराखंड						
29.	पश्चिम बंगाल				20.63		8.25
30.	जम्मू और कश्मीर				87.15		39.22
31.	मेघालय						
32.	मिजोरम						
33.	नागालैंड						
34.	पंजाब				24.93		9.97
35.	लक्षद्वीप						
	योग	12824.63	2533.16	12933.04	2620.31	13565.17	1838.99

विवरण-XIX

पेयजल आपूर्ति मंत्रालय

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12)

अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले शहरों/नगरों को लाभ/धनराशि प्रदान करना। विकास परियोजनाओं का एक निश्चित अनुपात 15 प्रतिशत तक होना चाहिए

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		आवासों के कवरेज	क्रियान्वित योजनाओं की अनुमानित लागत	आवासों के कवरेज	क्रियान्वित योजनाओं की अनुमानित लागत	आवासों के कवरेज	क्रियान्वित योजनाओं की अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	0	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	241	203.66	265	80.21	186	73.51
4.	असम	6457	581.97	3657	357.99	3024	494.79
5.	बिहार	5822	35.92	3500	21.06	2621	39.53
6.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—
8.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
9.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
10.	दिल्ली	—	—	—	—	0	0.00
11.	गोवा	—	—	—	—	—	—
12.	गुजरात	—	—	—	—	—	—
13.	हरियाणा	19	20.74	109	26.55	66	84.89
14.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	झारखंड	2244	25.67	1235	72.79	2237	490.54
16.	कर्नाटक	405	76.16	427	61.85	429	144.93
17.	केरल	42	13.2	—	—	0	39.16
18.	मध्य प्रदेश	92	3.61	192	3.7	113	16.33
19.	महाराष्ट्र	399	374.82	785	382.42	237	691.72
20.	मणिपुर	131	48.72	175	48.15	173	87.59
21.	ओडिशा	171	6.39	155	3.58	32	9.02
22.	पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—
23.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—
24.	सिक्किम	8	3.53	14	3.04	12	6.31
25.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—
26.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	487	59.64	735	64.8	2844	2345.77
28.	उत्तराखंड	20	9.74	2	0.52	0	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	3416	2193.51	4741	2310.5	3244	2113.68
30.	जम्मू और कश्मीर	2	9.21	28	10.28	30	46.73
31.	मेघालय	116	53.19	115	24.89	135	136.04
32.	मिजोरम	43	12.96	34	12.23	32	17.58
33.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
34.	पंजाब	—	—	—	—	—	—
35.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
	योग	20115	3732.66	16169	3484.59	15415	6828.12
	राष्ट्रीय उपलब्धि	148879	28567.53	119383	25744.47	122674	38640.84
	राष्ट्रीय उपलब्धि की प्रतिशतता	14%	13.07%	13.54	13.54%	12.56%	17.67%

विवरण-XX

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत शहरी निर्धनों को आधारभूत सेवा (उप-मिशन-II) (वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12) अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले शहरों/नगरों को लाभ/धनराशि प्रदान करना। विकास परियोजनाओं का एक निश्चित अनुपात 15 प्रतिशत तक होना चाहिए

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में स्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में स्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में स्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में स्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में स्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			0	0	0	0	0	0		
2.	आंध्र प्रदेश	इस अवधि के लिए राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं।		3010.18	0	3010.18	0	3393.65	0	3393.59	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश			49.25	0	49.25	0	49.25	0	60.94	0.00
4.	असम			108.44	0	108.44	0	108.44	0	108.44	0.00
5.	बिहार			709.98	11.57	709.98	11.57	709.98	11.57	709.98	11.57
6.	चंडीगढ़			564.94.	0	564.94	0	564.94	0	564.94	0.00
7.	छत्तीसगढ़			420.23	0	462.49	0	462.49	0	462.49	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली			0	0	0	0	0.00	0		
9.	दमन और दीव			0	0	0	0	0.00	0		
10.	दिल्ली			1814.49	1814.49	1814.49	1814.49	0.00	3259.75	3257.72	3257.72
11.	गोवा			10.22	0	10.22	0	0.00	0	10.22	0.00
12.	गुजरात			1436.88	0	1709.94	0	0.00	0	1886.39	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	हरियाणा	इस अवधि के लिए राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।		64.23	0	64.23	0	0.00	0	64.23	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश			24.01	0	24.01	0	0.00	0	24.01	0.00
15.	झारखंड			370.67	263.58	370.67	263.58	0.00	263.58	530.38	263.58
16.	कर्नाटक			747.18	0	747.18	0	0.00	0	843.47	0.00
17.	केरल			343.93	0	343.67	0	0.00	0	343.67	0.00
18.	मध्य प्रदेश			704.65	443.45	704.65	443.45	0.00	443.45	704.65	443.45
19.	महाराष्ट्र			5874.75	659.83	6817.86	1001.62	0.00	1001.62	6054.58	1001.62
20.	मणिपुर			51.23	0	51.23	0	0.00	0	51.23	0.00
21.	ओडिशा			74.62	0	74.62	0	0.00	0	74.62	0.00
22.	पुदुचेरी			43.97	0	135.98	0	0.00	0	135.98	0.00
23.	राजस्थान			277.14	0	277.14	0	0.00	0	289.21	0.00
24.	सिक्किम			33.58	0	33.58	0	0.00	0	33.58	0.00
25.	तमिलनाडु			2327.32	0	2327.32	0	0.00	0	2327.32	0.00
26.	त्रिपुरा			16.73	0	16.73	0	0.00	0	16.73	0.00
27.	उत्तर प्रदेश			2330.84	1442.75	2330.84	1442.75	0.00	1454.42	2353.8	1465.80
28.	उत्तराखंड			36.12	0	86.03	0	0.00	0	86.03	0.00
29.	पश्चिम बंगाल			3293.04	350.92	3293.04	351.12	0.00	394.93	4071.54	483.13
30.	जम्मू और कश्मीर			162.39	113.3	162.39	113.3	0.00	113.3	162.39	113.30
31.	मेघालय			51.74	0	51.74	0	0.00	0	51.74	0.00
32.	मिजोरम			91.32	0	91.32	0	0.00	0	91.32	0.00
33.	नागालैंड			134.5	134.5	134.5	134.5	0.00	134.50	134.50	134.50
34.	पंजाब			72.43	0	72.43	0	0.00	0	72.43	0.00
35.	लक्षद्वीप			0	0	0	0	0.00	0		0.00
	योग	17421.11	6368.52	25251.00	5234.39	26651.11	5576.38	29719.67	7077.12	28972.10	7174.67

विवरण-XXI

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12)

अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले शहरों/नगरों को लाभ/धनराशि प्रदान करना। विकास परियोजनाओं का एक निश्चित अनुपात 15 प्रतिशत तक होना चाहिए

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में स्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में स्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में स्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में स्वीकृत परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों/शहरों में स्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			15.15	0	15.15	0	15.15	0	15.15	0.00
2.	आंध्र प्रदेश			1139.13	202.02	1139.1	202.02	1139.1	202.02	1139.10	185.21
3.	अरुणाचल प्रदेश			9.95	0	28.44	0	9.95	0	9.95	0.00
4.	असम			67.07	19.84	84.99	19.84	84.99	19.84	84.99	19.84
5.	बिहार			194.11	46.56	294.2	67.82	431.85	98.37	431.85	98.37
6.	चंडीगढ़			0	0	0	0	0.00	0		0.00
7.	छत्तीसगढ़			225.6	0	225.6	0	225.60	0	225.60	
8.	दादरा और नगर हवेली			0.5	0	5.74	0	5.74	0	5.74	0.00
9.	दमन और दीव			0.69	0	0.69	0	0.69	0	0.69	0.00
10.	दिल्ली			0	0	0	0	0.00	0		
11.	गोवा			0	0	0	0	0.00	0	4.10	0.00
12.	गुजरात			342.07	25.76	381.78	25.76	381.78	25.76	533.64	49.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	हरियाणा			272.26	0	272.26	0	272.26	0	272.26	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश			55.34	0	55.34	0	72.71	0	72.71	0.00
15.	झारखंड			143.34	39.79	143.34	39.79	217.93	39.79	217.93	39.79
16.	कर्नाटक			379.66	104.89	379.66	104.89	398.13	107.06	404.00	113.36
17.	केरल			192.2	45.86	273.32	57.08	273.32	57.08	273.32	57.08
18.	मध्य प्रदेश			270.37	44.26	319.26	61.67	345.72	61.67	362.41	61.67
19.	महाराष्ट्र			1789.29	724.25	1803.93	724.25	1803.93	724.25	2126.99	0.00
20.	मणिपुर			27.33	0	43.3	0	43.38	0	43.38	0.00
21.	ओडिशा			267.68	9.13	284.67	9.13	292.84	9.13	292.84	9.13
22.	पुदुचेरी			17.03		17.03	0	17.03	0	17.03	0.00
23.	राजस्थान			418.82	13.42	500.68	13.42	804.96	33.93	780.67	83.37
24.	सिक्किम			0	0	19.91	0	19.91	0	19.91	0.00
25.	तमिलनाडु			474.91	13.45	515.88	13.45	515.88	13.45	515.88	13.45
26.	त्रिपुरा			27.2	0	43.64	0	43.64	0	43.64	0.00
27.	उत्तर प्रदेश			805.05	191.32	965.41	203.31	1265.18	288.35	1325.10	305.68
28.	उत्तराखंड			6.85	0	161.12	37.28	161.28	37.28	161.28	37.28
29.	पश्चिम बंगाल			943.72	52.6	1103.33	52.6	1103.33	52.6	944.36	52.60
30.	जम्मू और कश्मीर			85	17.45	110.72	28.96	147.60	28.96	147.60	28.96
31.	मेघालय			41.48	21.82	41.48	21.82	41.48	21.82	41.48	21.82
32.	मिजोरम			39.27	0	39.27	0	39.27	0	39.27	0.00
33.	नागालैंड			87.74	87.74	90.13	87.74	90.13	87.74	90.13	87.74
34.	पंजाब			63.42	0	63.42	0	316.43	12.99	316.43	12.99
35.	लक्षद्वीप				0	0	0	0.00	0		
	योग	4009.90	832.17	8401.26	1660.16	9422.79	1770.83	10581.19	1922.09	10959.43	1278.11

विवरण-XXII

मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं सक्षारता विभाग

वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए मदरसा शिक्षा कार्यक्रम का आधुनिकीकरण

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गहण क्षेत्र एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एआईएमएमपी)			मदरसा में बेहतर शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम)											
		2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		संस्वीकृत धनराशि	मदरसा	शिक्षकों की संख्या	संस्वीकृत धनराशि	मदरसा	शिक्षकों की संख्या	संस्वीकृत धनराशि	मदरसा	शिक्षकों की संख्या	संस्वीकृत धनराशि	मदरसा	शिक्षकों की संख्या	संस्वीकृत धनराशि	मदरसा	शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33.65 करोड़ (5 राज्यों से मदरसाओं को नियुक्त की गई (आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं त्रिपुरा)	5523	65.42 करोड़ (9 राज्यों एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र में आधुनिक विषय पढ़ाने वाले अध्यापक एवं मदरसा को मानदेय के रूप में नियुक्त की गई)												
2.	आंध्र प्रदेश										2.60	40	228			
3.	अरुणाचल प्रदेश															
4.	असम															
5.	बिहार										10.39	486	1458	4.60		
6.	चंडीगढ़							0.0036	1	1						
7.	छत्तीसगढ़										8.12	439	1306	2.30	255	609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	दादरा और नगर हवेली	33.65 करोड़ (5 राज्यों से मदरसाओं को निर्मुक्त की गई (आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं त्रिपुरा)		65.42 करोड़ (9 राज्यों एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र में आधुनिक विषय पढ़ाने वाले अध्यापक एवं मदरसा को मानदेय के रूप में निर्मुक्त की गई)												
9.	दमन और दीव															
10.	दिल्ली					5297	10214									
11.	गोवा															
12.	गुजरात															
13.	हरियाणा										0.38	6	18			
14.	हिमाचल प्रदेश															
15.	झारखंड							4.97	164	492						
16.	कर्नाटक										4.90	160	446	2.10	48	133
17.	केरल										14.90	724	1444			
18.	मध्य प्रदेश							1.91	110	212	13.43	764	1172	10.85	1028	1708
19.	महाराष्ट्र										0.37	11	33	1.47	34	99
20.	मणिपुर															
21.	ओडिशा															
22.	पुदुचेरी															
23.	राजस्थान										5.47	220	460	0.72	21	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24.	सिक्किम															
25.	तमिलनाडु	11.30 करोड़ (क्षेत्र गहन घटक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एवं बिहार को निर्मुक्त की गई)	0.25 करोड़ (क्षेत्र गहन घटक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को निर्मुक्त की गई)													
26.	त्रिपुरा							3.74	129	387						
27.	उत्तर प्रदेश							31.90	1356	3621	35.55	1758	3903	111.75	4539	11754
28.	उत्तराखंड										1.89	65	192	0.35	9	27
29.	पश्चिम बंगाल															
30.	जम्मू और कश्मीर										3.48	372	722	5.39		
31.	मेघालय															
32.	मिजोरम															
33.	नागालैंड															
34.	पंजाब															
35.	लक्षद्वीप															
	योग	44.95	5523		65.67	5297	10214	46.24	1979	4962	101.47	5045	11382	139.53	5934	14412

*राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं

#क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की पूर्ववर्ती योजनाओं को नवम्बर, 2008 से दो जिला योजनाओं अर्थात मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने के लिए योजना और अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अवसंरचना विकास के रूप में संशोधित किया गया था।

विवरण-XXIII

2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2011-12 के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अवसंरचना विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		संस्वीकृत धनराशि	संस्थान	संस्वीकृत धनराशि	संस्थान	संस्वीकृत धनराशि	संस्थान	संस्वीकृत धनराशि	संस्थान	संस्वीकृत धनराशि	संस्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह										
2.	आंध्र प्रदेश										
3.	अरुणाचल प्रदेश										
4.	असम									0.94	4
5.	बिहार										
6.	चंडीगढ़										
7.	छत्तीसगढ़										
8.	दादरा और नगर हवेली										
9.	दमन और दीव										
10.	दिल्ली										
11.	गोवा										
12.	गुजरात							1.91	15	1.24	6
13.	हरियाणा							2.01	12	1.45	10
14.	हिमाचल प्रदेश										
15.	झारखंड										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	कर्नाटक							2.81	15	3.57	31
17.	केरल							3.38	15	25.89	126
18.	मध्य प्रदेश							2.53	12		
19.	महाराष्ट्र							3.88	19	7.55	39
20.	मणिपुर										
21.	ओडिशा										
22.	पुदुचेरी										
23.	राजस्थान							1.03	7		
24.	सिक्किम									3.46	15
25.	तमिलनाडु										
26.	त्रिपुरा										
27.	उत्तर प्रदेश							3.28	16	2.00	10
28.	उत्तराखंड							1.9	12	2..08	17
29.	पश्चिम बंगाल										
30.	जम्मू और कश्मीर							0.25	1		
31.	मेघालय										
32.	मिजोरम									0.25	1
33.	नागालैंड										
34.	पंजाब										
35.	लक्षद्वीप										
	योग					4.48	22	22.98	124	48.43	259

#क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की पूर्ववर्ती योजनाओं को नवम्बर, 2008 से दो जिला योजनाओं अर्थात मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा मुहैया कराने के लिए योजना और अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अवसर्रचना विकास के रूप में संशोधित किया गया था।

विवरण-XXIV

एमएईएफ —11वीं योजना अवधि के दौरान राज्य-वार संस्वीकृत छात्रवृत्ति का सारांश (2007-08 से 2011-12)

(धनराशि लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		लक्ष्य	बालिकाओं की संख्या	राशि	लक्ष्य	बालिकाओं की संख्या	राशि	लक्ष्य	बालिकाओं की संख्या	राशि	लक्ष्य	बालिकाओं की संख्या	राशि	लक्ष्य	बालिकाओं की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	0	7	0	0	9	1	0.12	10	2	0.24	11	0	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	260	223	26.76	522	828	99.36	652	1072	128.64	782	924	110.88	868	903	108.36
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	0	0	24	0	0	29	0	0	36	0	0.00	39	2	0.24
4.	असम	295	128	15.36	589	419	50.28	736	346	41.52	884	429	51.48	982	487	58.44
5.	बिहार	439	342	41.04	874	680	81.6	1094	1159	139.08	1312	1425	171.00	1458	1493	179.16
6.	चंडीगढ़	6	1	0.12	12	2	0.24	15	0	0	18	0	0.00	20	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	30	2	0.24	60	0	0	75	2	0.24	90	13	1.56	99	5	0.60
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	5	0	0	2	0	0	2	0	0.00	2	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0	0	5	3	0.36	1	6	0.72	1	0	0.00	1	1	0.12
10.	दिल्ली	14	0	0	28	0	0	36	3	0.36	43	5	0.60	48	3	0.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	गोवा	157	147	17.64	313	623	74.76	392	709	85.08	470	610	73.20	523	604	72.48
12.	गुजरात	77	2	0.24	153	7	0.84	193	7	0.84	231	28	3.36	257	16	1.92
13.	हरियाणा	8	0	0	18	0	0	22	1	0.12	26	1	0.12	30	0	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश	226	55	6.6	452	21	2.52	564	25	3	678	7	0.84	753	10	1.20
15.	जम्मू और कश्मीर	156	119	14.28	310	670	80.4	390	691	82.92	467	556	66.72	519	537	64.44
16.	झारखंड	250	127	15.24	499	355	42.6	624	913	109.56	749	546	65.52	832	1017	122.04
17.	केरल	441	462	55.44	882	2884	346.08	1101	24.02	288.24	1322	2338	280.56	1469	2318	278.16
18.	लक्षद्वीप	2	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0.00	6	0	0.00
19.	मध्य प्रदेश	139	123	14.76	277	371	44.52	346	217	26.04	415	400	48.00	461	481	52.72
20.	महाराष्ट्र	551	336	40.32	1101	1390	166.8	1380	1570	188.4	1657	1394	167.28	1841	1475	177.00
21.	मणिपुर	29	2	0.24	58	19	2.28	73	14	1.68	88	11	1.32	98	43	5.16
22.	मेघालय	55	1	0.12	110	3	0.36	137	1	0.12	164	4	0.48	184	4	0.48
23.	मिजोरम	26	0	0	54	0	0	68	0	0	81	0	0.00	90	0	0.00
24.	नागालैंड	58	0	0	115	0	0	145	0	0	173	0	0.00	193	15	1.80
25.	राष्ट्रीय राजधानी	74	51	6.12	147	72	8.64	184	171	20.52	221	228	27.36	247	228	27.36
26.	ओडिशा	54	24	2.88	106	49	5.88	133	41	4.92	160	43	5.16	179	39	4.68
27.	पुदुचेरी	4	0	0	8	1	0.12	10	6	0.72	12	10	1.20	13	14	1.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.	पंजाब	484	13	1.56	969	8	0.96	1211	83	9.96	1454	1685	202.20	1615	215	25.80
29.	राजस्थान	180	162	19.44	360	408	48.96	450	470	56.4	541	561	67.32	600	641	76.92
30.	सिक्किम	6	0	0	12	0	0	16	0	0	18	0	0.00	21	0	0.00
31.	तमिलनाडु	230	122	14.64	460	990	118.8	576	1188	142.56	692	1176	141.12	767	1230	147.60
32.	त्रिपुरा	14	2	0.24	28	1	0.12	36	0	0	43	3	0.36	48	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	1012	1016	121.92	2023	839	100.68	2528	2518	302.16	3034	3676	441.12	3370	3906	468.72
34.	उत्तराखंड	40	6	0.72	80	35	4.2	100	38	4.56	120	32	3.84	133	37	4.44
35.	पश्चिम बंगाल	667	545	65.4	1334	1386	166.32	1667	1416	169.92	2001	1219	146.28	2223	1976	237.12
	योग	6000	4011	481.32	12000	12064	1447.7	15000	15070	1808.4	18000	17326	2079.1	20000	17700	2124.00

विवरण-XXV

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

सावधि एवं लघु वित्त योजनाओं के तहत राज्य-वार वितरण

31.03.2012 तक

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	888.70	2631	47.25	637	45.00	704	0.00	0	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.	असम	134.00	654	0.00	0	12.42	230	200.00	2500	124.00	689
4.	बिहार	204.51	893	904.50	3357	4.50	60	793.50	1854	438.00	674
5.	चंडीगढ़	5.00	13	2.00	4	6.00	14	4.00	9	7.00	11
6.	छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	0	100.00	222	100.00	222	0.00	0
7.	दिल्ली	21.25	107	17.00	34	45.25	158	17.00	38	45.20	366
8.	गुजरात	200.00	474	300.00	1009	314.93	957	0.00	0	38.84	0
9.	हिमाचल प्रदेश	150.00	375	75.00	202	230.00	511	115.00	255	120.00	185
10.	हरियाणा	450.00	1073	359.00	777	1,076.00	5474	0.00	0	0.00	
11.	जम्मू और कश्मीर	387.72	1350	420.00	1641	560.00	2272	1,083.00	2920	1,016.00	1764
12.	झारखंड	54.44	218	110.00	447	0.00	0	0.00	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	केरल	3,150.00	10250	4,229.50	14729	5,183.50	31010	6,079.91	42200	7,650.00	25429
14.	कर्नाटक	525.00	1234	450.00	1425	350.00	1600	0.00	0	0.00	0
15.	महाराष्ट्र	800.00	1933	500.00	1000	500.00	1111	1,040.00	2311	419.00	645
16.	मणिपुर	1.80	80	1.80	20	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18.	मेघालय	3.60	62	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19.	मिजोरम	400.00	1000	300.00	910	309.81	790	129.00	287	0.00	0
20.	नागालैंड	712.50	1681	500.00	1836	1,170.00	3114	451.00	2029	700.00	1479
21.	ओडिशा	0.00	0	27.00	382	38.25	553	0.00	0	79.00	439
22.	पुदुचेरी	22.50	57	100.00	303	200.00	1061	200.00	443	0.00	0
23.	पंजाब	750.00	1875	400.00	1628	469.64	1044	961.13	2135	500.00	770
24.	राजस्थान	252.25	636	100.00	205	302.25	692	700.00	1555	650.00	1000
25.	तमिलनाडु	1,516.00	8042	965.25	8039	2,134.55	16439	3,220.00	31823	0.00	0
26.	त्रिपुरा	30.00	75	50.00	207	96.00	213	100.00	222	200.00	308
27.	उत्तर प्रदेश	45.00	615	0.00	0	0.00	0	5.40	24	0.00	0
28.	उत्तराखंड	0.00	0	0.00	0	20.00	45	0.00	0	0.00	0
29.	पश्चिम बंगाल	3,707.74	12415	3,214.49	12406	6,606.75	36320	8,128.00	67683	15,150.00	72115
	योग	14,412.01	47733	13,072.79	51198	19,774.85	104594	23,326.94	158510	27,137.04	105874

विवरण-XXVI

निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		वास्तविक	वित्तीय (रु.)	वास्तविक	वित्तीय (रु.)	वास्तविक	वित्तीय (रु.)	वास्तविक	वित्तीय (रु.)	वास्तविक	वित्तीय (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	185	3206875	650	4927500	100	1705000	50	3724875	200	2661000
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	90	1347500	0	0	150	2338500	500	9374000	1100	28815250
5.	बिहार	0	0	0	0	100	1300750	500	8469500	1000	26990000
6.	चंडीगढ़	0	0	50	680000	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	80	1311800	90	1044375	50	757299	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	473	4128174	541	8238313	500	5695843	0	744750	0	1856000
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	गुजरात	0	0	100	1206250	0	1027950	50	630000	0	0
13.	हरियाणा	50	140000	140	1590750	40	1681125	100	1159000	200	3493500
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	25	282000	0	0	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	240	920115	0	0	0	920115	0	0	500	4750000
16.	झारखंड	0	0	75	710250	0	0	200	3350000	500	12278500
17.	कर्नाटक	450	7557375	520	8146750	535	10648750	0	1447500	500	15017250
18.	केरल	0	0	200	1837050	25	418750	600	4844000	500	7997000
19.	मध्य प्रदेश	90	1255870	220	2232125	215	4881855	0	1179625	150	1792500
19.	मध्य प्रदेश	0	0	980	11609750	130	1693125	2200	58199500	200	2337500
21.	मणिपुर	160	1567750	118	1499000	230	3366000	30	775750	0	1016750
22.	मेघालय	0	0	0	0	50	668750	0	0	0	0
23.	मिजोरम	250	5358500	180	2947500	50	948875	0	655625	300	9601500
24.	नागालैंड	0	0	50	702500	0	702500	0	0	0	0
25.	ओडिशा	190	3033800	75	791250	230	3994250	70	723000	0	0
26.	पंजाब	160	2086000	50	580625	220	3688750	0	1083250	0	0
27.	राजस्थान	1004	15295310	75	7570725	682	15535420	50	1932625	350	3908000
28.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	150	1495500	50	396000
30.	त्रिपुरा	0	0	100	854625	0	0	40	1253900	100	1607500
31.	उत्तर प्रदेश	675	10206525	685	8224750	150	8010918	225	5309250	930	15018975
32.	उत्तराखंड	0	0	0		0	0	30	348750	50	658775
33.	पश्चिम बंगाल	0	0	623	7602500	2050	41919000	50	37031375	1200	19604000
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	4097	57415594	5522	72996588	5532	112185525	4845	143731775	7830	159800000

विवरण-XXVII

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य तथा वर्ष-वार वित्तीय उपलब्धि

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना				मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना					मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना					मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10 से 2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	5.37	13.90	42.85	26.88	0.00	6.23	19.96	35.24	17.28	2.23	3.61	2.36	3.39	3.09	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	असम	0.00	16.83	8.37	21.25	0.00	4.87	8.32	5.6	4.46	1.33	3.68	5.86	5.39	4.94	
4.	बिहार	10.71	9.22	34.12	29.01	0.00	10.86	3.8	15.96	25.49	3.73	4.71	8.68	9.46	9.98	
5.	छत्तीसगढ़	0.24	1.07	1.31	2.93	0.00	0.24	0.6	1.03	1.57	0.08	0.21	0.32	0.39	0.43	
6.	गोवा	0.02	0.04	0.04	0.00	0.00	0.13	0	0.21	0.07	0.08	0.13	0.19	0.20	0.23	
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	2.88	4.47	7.78	0.37	1.07	1.43	2.02	2.26	
8.	हरियाणा	0.51	1.58	2.41	2.03	0.34	0.93	0.68	1.48	1.48	0.30	0.87	0.74	0.83	0.03	
9.	हिमाचल प्रदेश	0.18	0.09	0.19	0.52	0.04	0.08	0.17	0.21	0.20	0.03	0.05	0.09	0.09	0.12	
10.	जम्मू और कश्मीर	1.02	7.44	12.93	31.44	0.00	0.98	3.67	5.24	14.15	1.46	3.24	2.73	3.62	4.75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	झारखंड	2.71	2.10	4.13	10.53	0.00	2.86	3.67	6.15	10.05	1.02	1.52	1.96	2.54	2.70	
12.	कर्नाटक	1.89	13.93	33.16	49.05	2.91	0.46	8.82	12.35	24.85	2.46	3.64	4.60	5.30	5.99	
13.	केरल	3.50	12.24	42.69	52.77	0.84	2.43	11.21	9.98	21.69	3.97	5.40	9.45	11.85	13.12	
14.	मध्य प्रदेश	2.44	2.18	6.89	17.93	0.62	1.85	1.1	3.31	6.17	1.04	1.21	2.44	2.10	2.27	
15.	महाराष्ट्र	4.51	15.78	40.98	54.72	2.23	4.03	8.17	20.09	31.06	2.88	4.81	7.67	5.49	9.27	
16.	मणिपुर	0.46	3.10	0.00	1.19	0.00	0.75	2.85		0.00	0.31	0.54	0.23	0.68	0.77	
17.	मेघालय	0.71	1.26	1.63	2.44	0.02	0.03	0.04	0.19	0.19	0.07	0.08	0.32	0.66	0.95	
18.	मिजोरम	0.44	1.58	2.25	2.49	0.42	0.87	2.54	2.81	3.43	0.40	0.67	0.33	0.49	0.39	
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.51	2.07	0.00	0.01	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.57	1.57	1.22	
20.	ओडिशा	0.28	1.34	1.39	2.00	0.06	0.35	0.46	1.03	0.00	0.23	0.50	0.63	0.53	0.68	
21.	पंजाब	3.79	15.10	25.66	29.23	0.56	1.26	10.73	14.83	39.42	1.52	1.63	5.37	7.12	8.65	
22.	राजस्थान	1.83	4.72	10.85	10.14	0.64	2.14	4	4.66	12.77	1.35	2.15	2.40	2.23	3.26	
23.	सिक्किम	0.00	0.09	0.40	0.61	0.00	0	0.1	0.31	0.40	0.00	0.00	0.10	0.49	0.24	
24.	तमिलनाडु	2.33	7.82	28.17	32.28	0.96	2.42	11.04	10.67	17.68	3.51	4.40	5.80	5.57	6.33	
25.	त्रिपुरा	0.07	0.08	0.12	0.10	0.01	0.05	0.07	0.17	0.12	0.01	0.07	0.16	0.21	0.18	
26.	उत्तर प्रदेश	12.98	48.63	65.27	148.11	0.00	16.46	24.78	46.42	74.81	6.94	10.82	14.47	17.97	16.17	
27.	उत्तराखंड	0.00	0.07	0.23	0.43	0.00	0.1	0.06	0.08	0.19	0.06	0.22	0.30	0.35	0.67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.	पश्चिम बंगाल	5.36	19.72	76.53	82.98	0.00	7.72	18.43	25.77	46.87	5.04	8.73	17.40	17.14	14.84	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.04	0.01	0.01	0.03	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.04	0.04	
30.	चंडीगढ़	0.04	0.17	0.00	0.51	0.00	0.05	0.05	0.09	0.06	0.02	0.05	0.09	0.16	0.12	
31.	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.02	0.04	0.06	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32.	दमन और दीव	0.01	0.02	0.03	0.07	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
33.	दिल्ली	0.71	2.77	3.03	1.35	0.17	0.39	0.43	0.38	0.56	0.46	0.65	0.79	0.80	0.99	
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35.	पुदुचेरी	0.05	0.01	0.03	0.30	0.00	0.04	0.03	0.13	0.10	0.01	0.03	0.04	0.05	0.04	
	योग	62.21	202.94	446.25	615.47	9.62	70.62	148.72	228.96	362.99	40.91	64.73	97.51	108.76	115.72	

विवरण-XXVIII

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य तथा वर्ष-वार वित्तीय उपलब्धि

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना				मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना					मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना					मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति		
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	25923	86248	225462	191973	0	9248	26692	42972	20550	889	1411	1319	1314	1126	32	69	103
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
3.	असम	0	87376	38259	86159	0	8479	9908	4730	6119	504	1372	1910	1908	1702	34	67	102
4.	बिहार	43582	35668	320107	193967	0	18192	13245	24709	42765	1195	2500	2718	3133	3703	56	108	163
5.	छत्तीसगढ़	1600	4765	6976	12610	0	563	822	1396	1863	11	78	121	148	140	7	11	17
6.	गोवा	151	594		0	0	269	0	523	187	29	52	68	79	84	1	5	9
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	5763	7766	12290	15559	195	526	705	928	941	9	27	39
8.	हरियाणा	3727	14867	24823	0	256	1934	1897	2564	575	132	344	300	310	362	0	13	21
9.	हिमाचल प्रदेश	540	1095	1166	5171	63	158	349	355	517	11	19	35	37	36	4	9	13
10.	जम्मू और कश्मीर	4842	53421	116571	250983	0	1867	5992	10766	28427	1012	1392	1278	1443	1614	32	62	101
11.	झारखंड	12003	18510	26107	51082	0	4473	7221	9825	14418	399	620	709	916	941	17	36	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	कर्नाटक	21018	86829	314508	426813	5721	7232	27598	43344	65887	879	1383	1756	1986	2217	27	55	88
13.	केरल	46347	161590	563560	696630	4321	13018	52861	60782	75220	1786	2239	3504	4443	4661	63	116	173
14.	मध्य प्रदेश	13719	18278	61052	135932	1615	4319	3107	7795	11138	393	490	984	814	843	16	31	45
15.	महाराष्ट्र	58052	201490	545201	701343	5170	11551	15333	44579	48505	1126	2006	3028	2463	3475	72	138	205
16.	मणिपुर	1960	10780		9438	0	1055	3422	1400	0	83	158	98	184	247	6	10	15
17.	मेघालय	5479	10518	12846	17781	9	56	65	256	227	3	51	85	224	305	6	12	18
18.	मिजोरम	2661	9428	14053	13485	682	1226	3184	3416	3417	88	179	122	188	145	5	9	13
19.	नागालैंड	0	0	4400	10056	0	27	23	68	48	0	0	143	345	399	5	11	17
20.	ओडिशा	3542	17049	17909	24553	125	837	1288	1049	1114	84	188	241	191	201	3	9	14
21.	पंजाब	49996	123907	279082	296660	1585	2647	17737	27245	50928	528	592	1884	2541	2774	75	134	196
22.	राजस्थान	18775	60318	121988	148816	1905	4341	8144	10873	19555	550	882	956	1001	1187	21	42	62
23.	सिक्किम	0	604	2434	3269	0	0	245	625	549	0	0	20	145	77	0	4	8
24.	तमिलनाडु	24135	84150	312415	301278	2858	8004	26342	34107	35484	1311	1659	2209	2118	2390	35	68	102
25.	त्रिपुरा	821	1069	1617	1356	71	203	165	329	376	2	23	54	73	65	0	4	4
26.	उत्तर प्रदेश	97785	371189	465812	971245	0	31995	53928	90386	138138	3539	4268	4808	6962	6634	130	251	381
27.	उत्तराखंड	0	449	1132	3103	0	264	145	171	444	24	65	109	127	214	4	8	13
28.	पश्चिम बंगाल	68235	240548	913002	955205	0	31289	75660	87752	118441	1897	3336	6379	6599	5539	78	158	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	220	96		237	0	49	27	9	9		5	8	11	7	1	2	2
30.	चंडीगढ़	398	1518		4000	0	120	159	77	140	6	25	28	17	18	4	8	13
31.	दादरा और नगर हवेली	21	40	72	152	0	17	25	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	30	110	113	183	0	4	20	22	29		0	0	1	2	0	0	0
33.	दिल्ली	6918	26313	30904	12732	456	951	922	866	1061	178	322	387	385	408	8	17	26
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7
35.	पुदुचेरी	177	259		2345	31	122	98	333	230	4	10	16	22	19	4	8	12
	योग	512657	1729076	4421571	5528557	24868	170273	364387	525644	701950	17258	26195	35982	41056	42476	757	1511	2266

विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

1742. **श्री अशोक कुमार रावत :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 2x660 मेगावाट की बिल्हौर परियोजना के लिए कोयला आवंटन और पर्यावरणीय स्वीकृत प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश में 2x660 मेगावाट की बिल्हौर परियोजना के लिए कोयला मंत्रालय को दिनांक 17.02.2011 को लिंकेज के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। तथापि, कोयला मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए कोयला लिंकेज अभी प्रदान किया जाना है। निश्चित कोयला लिंकेज की उपलब्धता होने के पश्चात् ही पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

बंद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

1743. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्थापित किए गए नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बंद किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कार्यरत पंजीकृत और गैर-पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और उनसे सृजित प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की क्या नीति है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत दर्ज उद्यमी ज्ञापन (भाग-II) की संख्या के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्र के उद्योग आयुक्तालयों/निदेशालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान स्थापित नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बंद होने के संबंध में सूचना केवल पंजीकृत क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की अखिल भारतीय गणना के आयोजन के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अब तक आयोजित नवीनतम गणना (चौथी गणना) (संदर्भ: आधार वर्ष 2006-07 के साथ), जिसमें 2009 तक आंकड़े संग्रहित किए गए थे और जिसका परिणाम 2011-12 में प्रकाशित हुआ था, के अनुसार पंजीकृत क्षेत्र में बंद हो चुके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) देश में कार्यरत पंजीकृत और गैर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल संख्या तथा इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सूचना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा चौथी गणना से बाहर की गतिविधियां नामत: थोक/खुदरा व्यापार, विधिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक सेवाओं, होटल एवं रेस्तरां, परिवहन तथा भंडारण एवं वेयर हाऊसिंग (शीत भंडार गृहों के अलावा) के लिए आयोजित चौथी गणना और आर्थिक सर्वेक्षण 2005 के अनुसार संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार की नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का संवर्द्धन करना है। इस नीति का मुख्य जोर और प्राथमिकता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करने पर केंद्रित है। इस दिशा में सरकार ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 बनाया है जो 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ पहली बार "उद्यम" (इसमें विनिर्माण और सेवाएं दोनों शामिल हैं) की संकल्पना को मान्यता प्रदान करने के लिए कानूनी ढांचा दिया गया है। प्रत्येक वर्ग के उद्यमों का स्पष्ट और अधिक प्रगामी वर्गीकरण के अलावा इस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक परामर्शदात्री तंत्र की व्यवस्था है जिसमें सभी वर्गों के पणधारियों विशेषकर उद्यमों की तीन श्रेणियों तथा परामर्शदात्री कार्यों की व्यापक शृंखला सहित व्यापक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। इस योजना के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों की अधिसूचना प्रगामी क्रेडिट नीतियों और कार्यप्रणालियों, सरकारी खरीद में सूक्ष्म, और लघु उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित अन्यों को विलंबित भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/सघ शासित क्षेत्रों के उद्योग आयुक्तालयों/निदेशालयों के तहत जिला उद्योग केंद्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा दर्ज किए गए उद्यमी ज्ञापनों की संख्या (भाग-II)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	1,192	914	1,170	749
2.	हिमाचल प्रदेश	1,053	942	856	372
3.	पंजाब	2,189	2,988	3,087	1,681
4.	चंडीगढ़	255	174	259	एनआर
5.	उत्तराखंड	1,871	1,973	2,121	1,643
6.	हरियाणा	2,357	2,707	2,759	952
7.	दिल्ली	165	199	345	1,383
8.	राजस्थान	14,630	14,904	14,678	10,176
9.	उत्तर प्रदेश	33,479	33,027	33,568(पी)	28,580
10.	बिहार	4,010	4,302	4,108	2,321
11.	सिक्किम	18	40	30	एनआर
12.	अरुणाचल प्रदेश	111	50	36(पी)	एनआर
13.	नागालैंड	1,445	141(पी)	एनआर	एनआर
14.	मणिपुर	81	122	120	110

1	2	3	4	5	6
15.	मिजोरम	500	198	131	एनआर
16.	त्रिपुरा	218	218	205	एनआर
17.	मेघालय	1,040	748	573	एनआर
18.	असम	1,678	1,506	1,218	1,096
19.	पश्चिम बंगाल	11,685	10,109	13,470	6,896
20.	झारखंड	669	690	939	2,321
21.	ओडिशा	1,758	1,657	2,155	1,283
22.	छत्तीसगढ़	1,089	1,206	1,741	652
23.	मध्य प्रदेश	19,748	19,704	20,104	12,245
24.	गुजरात	19,992	27,939	51,781	48,654
25.	दमन और दीव	107	126	83	39
26.	दादरा और नगर हवेली	104	74	106	एनआर
27.	महाराष्ट्र	11,896	14,496	15,606	11,683
28.	आंध्र प्रदेश	9,144	9,204	9,260	5,684
29.	कर्नाटक	17,195	18,434	21,021	16,577
30.	गोवा	112	88	97	64
31.	लक्षद्वीप	23	24	8	एनआर
32.	केरल	12,013	10,194	10,020	2,230
33.	तमिलनाडु	41,799	57,902	70,639	66,264
34.	पुदुचेरी	200	186	120	57
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	68	77	82	एनआर
	अखिल भारतीय	213,894	237,263	282,496	223,712

स्रोत: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग आयुक्तालयों/निदेशालयों टिप्पण (पी)-अनंतिम, (एनआर)-सूचना प्राप्त नहीं हुई, '31.12.2012 तक।

विवरण-II

31.3.2007 तक पंजीकृत क्षेत्र में बंद हो चुके उद्यमों का राज्य वार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बंद हो चुके उद्यम
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	1831
2.	हिमाचल प्रदेश	4034
3.	पंजाब	24553
4.	चंडीगढ़	559
5.	उत्तराखंड	8219
6.	हरियाणा	10973
7.	दिल्ली	0
8.	राजस्थान	17342
9.	उत्तर प्रदेश	80616
10.	बिहार	16344
11.	सिक्किम	86
12.	अरुणाचल प्रदेश	167
13.	नागालैंड	2395
14.	मणिपुर	929
15.	मिजोरम	669
16.	त्रिपुरा	424
17.	मेघालय	665
18.	असम	6266
19.	पश्चिम बंगाल	10708
20.	झारखंड	3712
21.	ओडिशा	5744
22.	छत्तीसगढ़	15485
23.	मध्य प्रदेश	36502
24.	गुजरात	34945
25.	दमन और दीव	24
26.	दादरा और नगर हवेली	0
27.	महाराष्ट्र	41856
28.	आंध्र प्रदेश	2250
29.	कर्नाटक	47581
30.	गोवा	2754
31.	लक्षद्वीप	0
32.	केरल	34903
33.	तमिलनाडु	82966
34.	पुदुचेरी	711
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	142
	अखिल भारतीय	4,96,355

विवरण-III

एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमों की अनुमानित संख्या और रोजगार का राज्य-वार वितरण: 2006-07

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उद्यमों की अनुमानित संख्या (लाख)			रोजगार (लाख)		
		पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू और कश्मीर	0.15	2.86	3.01	0.90	4.85	5.75
2.	हिमाचल प्रदेश	0.12	2.45	2.87	0.65	4.03	4.68
3.	पंजाब	0.48	13.97	14.46	4.16	22.63	26.79
4.	चंडीगढ़	0.01	0.48	0.49	0.12	1.11	1.23
5.	उत्तराखंड	0.24	3.50	3.74	0.80	6.16	6.96
6.	हरियाणा	0.33	8.33	8.66	3.82	15.03	18.84
7.	दिल्ली	0.04	5.48	5.52	0.58	19.23	19.81
8.	राजस्थान	0.55	16.09	16.64	3.42	27.37	30.79
9.	उत्तर प्रदेश	1.88	42.16	44.03	7.55	84.81	92.36
10.	बिहार	0.50	14.20	14.70	1.48	26.78	28.26
11.	सिक्किम	0.00	0.16	0.17	0.01	0.78	0.79
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.40	0.41	0.05	1.13	1.19
13.	नागालैंड	0.01	0.37	0.39	0.16	1.55	1.71
14.	मणिपुर	0.04	0.87	0.91	0.20	2.16	2.36
15.	मिजोरम	0.04	0.26	0.29	0.26	0.55	0.81
16.	त्रिपुरा	0.01	0.97	0.98	0.23	1.52	1.75
17.	मेघालय	0.03	0.85	0.88	0.13	1.80	1.92
18.	असम	0.20	6.42	6.62	2.11	12.14	14.25
19.	पश्चिम बंगाल	0.43	34.21	34.64	3.60	82.17	85.78

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	झारखंड	0.18	6.57	6.75	0.75	12.16	12.91
21.	ओडिशा	0.20	15.53	15.73	1.73	31.51	33.24
22.	छत्तीसगढ़	0.23	4.97	5.20	0.75	8.77	9.52
23.	मध्य प्रदेश	1.07	18.26	19.33	2.98	30.68	33.66
24.	गुजरात	2.30	19.48	21.78	12.45	35.28	47.73
25.	दमन और दीव	0.01	0.05	0.06	0.26	0.12	0.37
26.	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.07	0.09	0.26	0.14	0.41
27.	महाराष्ट्र	0.87	29.76	30.63	10.89	59.15	70.04
28.	आंध्र प्रदेश	0.46	25.50	25.96	3.86	66.86	70.69
29.	कर्नाटक	1.36	18.83	20.19	7.89	38.82	46.72
30.	गोवा	0.03	0.83	0.86	0.33	1.54	1.88
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.02	0.02	0.00	0.06	0.06
32.	केरल	1.50	20.63	22.13	6.21	43.41	49.62
33.	तमिलनाडु	2.34	30.79	33.13	14.26	66.71	80.98
34.	पुदुचेरी	0.01	0.34	0.35	0.21	0.80	1.01
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.13	0.14	0.06	0.32	0.38
	अखिल भारतीय	15.64	346.12	361.76	93.09	712.15	805.24

[अनुवाद]

रेलवे संरक्षा आयोग

1744. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे रेल दुर्घटनाओं हेतु विनियामक, प्रचालक और अन्वेषकों की भूमिका को अलग करने हेतु रेलवे संरक्षा अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे इससे भी अवगत है कि रेलवे संरक्षा आयोग और रेलवे के मध्य समन्वय की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) "रेल संरक्षा अधिनियम" के नाम से कोई अधिनियम नहीं है। रेलवे संरक्षा आयुक्त की कार्यप्रणाली रेल अधिनियम, 1989 द्वारा शासित है। नियामक, प्रचालक और अन्वेषक और भूमिका को अलग-अलग करने के संबंध में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) रेल संरक्षा आयोग और रेलों के बीच समन्वय की कोई कमी नहीं है। रेल संरक्षा आयोग नागरिक विमानन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और यह आवश्यकता पड़ने पर रेल मंत्रालय के साथ बातचीत करता रहता है। रेल मंत्रालय और नागरिक विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग, दोनों सरकारी निकाय हैं और जनहित में काम कर रहे हैं तथा रेल अधिनियम में यथा परिभाषित अपने-अपने कार्य कर रहे हैं। रेल संरक्षा आयुक्त पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए मुक्त ढंग से निर्णय लेते हैं। जब कभी आयोग को जरूरत होती है, रेल मंत्रालय उसे बुनियादी सुविधाएं/लॉजिस्टिक्स से संबंधित सभी सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों की गति

1745. श्री अनंत कुमार :
श्री के. सुगुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अवगत है कि देश में अनेक महत्वपूर्ण मार्गों पर स्थायी रूप से पटरी की खराब स्थिति के कारण रेलगाड़ियों की गति सीमा को नियंत्रित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) बोगियों, इंजनों और पटरियों आदि में प्रौद्योगिकी सुधार करके रेलवे की रेलगाड़ियों के रनिंग समय में सुधार लाने की योजना है;

(घ) क्या रेलवे ने इस संबंध में जापान से सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रेलों पर गाड़ियों की गति सीमा विशेष प्रकार की रेलपथ संरचना वाले मार्गों के वर्गीकरण के अनुसार विनियमित की जाती है। भारतीय रेलों पर बड़ी आमान वाली लाइनों को भावी अधिकतम अनुमेय गति के आधार पर छः समूहों 'ए' से 'ई' में वर्गीकृत किया गया है:—

(i) समूह 'ए' — 160 किमी. प्रति घंटे तक गति

(ii) समूह 'बी' — 130 किमी. प्रति घंटे तक गति

(iii) समूह 'सी' — मुंबई, चेन्नै, दिल्ली और कलकत्ता के उपनगरीय खंड

(iv) समूह 'डी' — स्पेशल और 'डी' — 110 किमी. प्रति घंटे तक गति

(v) समूह 'ई' — 100 किमी. प्रति घंटे तक गति

रेलपथ संरचना का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है जिसे रेलपथ नवीकरण के दौरान किया जाता है। रेलपथ संरचना का उन्नयन यातायात की मांग के आधार पर किया जाता है।

(ग) परिचालन समय में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित तकनीकी सुधार किए जाते हैं:—

(i) **रेलपथ** — रेलपथ में सुधार की योजना थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य कास्ट मेंगनीज स्टील (सीएमएस) क्रॉसिंग सहित बेहतर रेलपथ संरचना मुहैया कराकर बनाई जाती है।

(ii) **सवारी डिब्बे** — भारतीय रेल ने उच्च गति वाले सवारी डिब्बों के लिए वर्ष 1995 में मैसर्स एएलएसटीओएम, जर्मनी के साथ तकनीक हस्तांतरण करार पहले कर लिया है। ऐसी तकनीक प्राप्त होने के बाद स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है जो इस समय 160 किमी. प्रति घंटे तक की गति से चलने के लिए उपयुक्त हैं। यदि आवश्यक हुआ तो इन सवारी डिब्बों

के ढांचे में कुछ परिवर्तन करके 200 किमी. प्रति घंटा चलाने के लिए उन्नत किया जा सकता है।

(iii) **रेल इंजन (इंजन)** — चालन समय को कम करने हेतु अधिकतम अनुमेय गति में वृद्धि करने के लिए मौजूदा विद्युत और डीजल इंजनों, जो 160 किमी. प्रति घंटे की अनुमेय गति पर चलने में समर्थ हैं, की प्रौद्योगिकी में कोई विशेष बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) **सिगनल प्रणाली** — गाड़ियों के चालन समय में सुधार लाने के लिए लोको पायलटों को बेहतर ढंग से सिगनल दिखाई पड़ने के लिए उपनगरीय और गैर-उपनगरीय खंडों पर ब्लॉक प्रूविंग ऐक्सल काउंटर (बीपीएसी), डबल डिस्टैंट सिगनल्स, लेड सिगनल्स, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम (टीपीडब्ल्यूएस) की व्यवस्था की जा रही है।

(घ) और (ङ) रतलाम, कोटा के रास्ते दिल्ली-मुबई मार्ग को 160-200 किमी. प्रति घंटे की गति हेतु उन्नत करने के लिए जापानी सरकार के सहयोग से एक व्यावहारिकता अध्ययन किया गया था। जापानी टीम ने अप्रैल, 2012 में अध्ययन आरंभ कर दिया और मार्च, 2013 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 160-200 किमी. प्रति घंटे की गति बढ़ाने के लिए विद्युत, सिगनल और दूरसंचार, रेलपथ, सिविल कार्य, डिपो और चल स्टॉक के अनुरक्षण को उन्नत करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

हाथियों का हताहत होना

1746. **श्री आनंदराव अडसुल :**
श्री प्रबोध पांडा :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों की उच्च गति के कारण हाल में हाथी गलियारों में रेल पटरियों पर अनेक दुर्घटनाएं हुईं जिसमें अनेक हाथ हाथी मारे गए;

(ख) विगत कुछ माह के दौरान जोन-वार कितने मामले होने की रिपोर्ट है;

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया है कि हाथी गलियारों में रेलगाड़ियां काफी कम गति से चलें;

(घ) यदि हां, तो रेलवे ने इस संबंध में सभी मंडलों को एक अनुदेश जारी किया है;

(ङ) क्या रेलवे ने उन मार्गों पर हाथी समपार के साइन बोर्ड लगाए हैं जहां हाथी रेल पटरियों को पार करते हैं; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और उन अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) 28.02.2013 तक पिछले 6 माह के दौरान रेलपथ पर हाथियों के मारे जाने के संबंध में सूचित किए गए मामलों (दुर्घटनाओं) की जाने-वार संख्या निम्नानुसार है:—

पूर्व तट रेलवे	उत्तर रेलवे	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	दक्षिण पश्चिम रेलवे	कुल
1	1	2	1	5

(ग) से (ङ) गाड़ी कर्मी दलों और मास्टरों को शिक्षित करने के लिए जोनल रेलों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है। ऐसी घटनाओं में कमी लाने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी/समीक्षा करने के लिए जोनल स्तर और मंत्रालय (रेल मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय) स्तर पर एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है। रेल मंत्रालय हाथियों की मौतों को रोकने के लिए निवारक कदम उठाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित कर रहा है। वन विभाग द्वारा हाथियों के आवागमन के मार्गों की पहचान की गई है और ऐसे मार्गों पर गति प्रतिबंध लगाए गए हैं और ट्रेन ड्राइवरों को पहले से सतर्क करने के लिए संकेत बोर्ड मुहैया कराए गए हैं। रेल भूमि के अंदर पटरियों के दोनों ओर उगे पड़े-पौधों को साफ करने के लिए आवश्यकता के आधार पर निर्देश जारी किए गए हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय और राज्य सरकारों के वन विभागों के साथ परामर्श के बाद रैंप और भूमिगत पथों आदि के निर्माण, जिनकी लागत वन विभाग द्वारा वहन की जाएगी, जैसे उपायों वाले निक्षेप कार्यों के जरिये इस मामले में दीर्घकालिक समाधान खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान को ताजेवाला से पानी

1747. श्री शीश राम ओला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 दिसम्बर, 2001 को ऊपरि यमुना नदी बोर्ड की 22वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान को हरियाणा स्थित ताजेवाला हेड से 3198 क्यूसेक पानी दिया जाना है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने राजस्थान में झुनझुनु और चुरू जिलों के सिंचाई और पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 934.70 करोड़ रुपए का प्राक्कलन तैयार किया था और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) जल संसाधन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की 80वीं बैठक में सहमत शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकार द्वारा उक्त शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त सूचना को शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, नहीं। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) ने दिनांक 21.12.2001 को हुई अपनी 22वीं बैठक में राजस्थान को जुलाई से अक्तूबर की अवधि में ताजेवाला से 1917 क्यूसेक और ओखला से 1281 क्यूसेक अर्थात उक्त अवधि के लिए कुल मिलाकर 3198 क्यूसेक जल आवंटित किया था।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने उक्त प्राक्कलन तैयार नहीं किया था। राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार के झुनझुन और चुरू जिलों के लिए यमुना का जल लेने हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत रिपोर्ट पर जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) ने दिनांक 7.2.2003 को हुई अपनी 80वीं बैठक में विचार किया और इसे 934.70 करोड़ रुपए की लागत हेतु स्वीकार किया। आगे की कार्रवाई संबंधित राज्य पर निर्भर करती है।

(ग) टीएसी ने दिनांक 7.2.2003 को हुई अपनी 80वीं बैठक में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था:—

(i) हरियाणा सरकार से उनके क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की लागत और हरियाणा तथा राजस्थान में एक साथ निर्माण शुरू करने के लिए सहमति प्राप्त करना;

(ii) राज्य वित्त विभाग से सहमति;

(iii) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के परामर्श से सिंचाई के बाद की अवस्था में भूमि जल स्तर और सतही तथा भूमि जल के संयुक्त उपयोग की निगरानी;

(vi) परियोजना का निर्माण करने से पहले स्रोत पर प्रति दस दिन के आधार पर सिंचाई एवं पेय जलापूर्ति की सफलता की पुष्टि; और

(v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति।

(घ) राजस्थान सरकार को हरियाणा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हरियाणा सरकार की सहमति नहीं मिल पाई है। ताजेवाला पर आवंटित जल की आपूर्ति पश्चिमी यमुना नहर के माध्यम से करने के विषय में राजस्थान के अनुरोध पर हरियाणा एवं राजस्थान के बीच सहमति नहीं बन पाई है। हरियाणा चाहता है कि राजस्थान यमुना जल का अपना हिस्सा, मावी नामक स्थान से अलग नहर के माध्यम से ले।

(ङ) जुलाई, 2011 में हुई ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की चौथी बैठक में माननीय जल संसाधन मंत्री ने सुझाव दिया था कि दोनों राज्य यदि आवश्यक हो तो सीडब्ल्यूसी की मदद लेकर शीघ्र यूवाईआरबी द्वारा ताजेवाला पर राजस्थान के आबंटन संबंधी मुद्दे पर चर्चा करें और मामले को निपटा लें ताकि राजस्थान के हिस्से के जल को ले जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ढूंढा जा सके और दोनों राज्य इस सुझाव पर सहमत हुए थे।

[अनुवाद]

बलात्कार के मामले

1748. श्री यशवीर सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ और अन्य अपराध से संबंधित बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्ष (2009-2011) में विचारण के लिए लंबित बलात्संग मामलों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति से, जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में अधिक लंबित मामलों के रहते हुए लंबित बलात्संग के मामलों के शीघ्र विचारण के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों को गठित किए जाने का अनुरोध किया है। सरकार ने, मामलों की प्रगति की समय से उनका निपटान सुनिश्चित करने के लिए उनसे मॉनीटरी करने का भी अनुरोध किया है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने पृथक् पत्र-व्यवहार में, विलंब को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालयों उके मुख्य न्यायमूर्तियों से त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए और पदासीन न्यायिक अधिकारियों में से अधिकारियों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। ऐसा करते हुए, वे, न्यायिक अधिकारियों के साथ सहायक कर्मचारिवृंद तथा अवसंरचना दोनों के पदों की संख्या में वृद्धि करके शीघ्रता के साथ राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र उके साथ विषय को आगे बढ़ा सकते हैं।

पृथकत:, सरकार ने, बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार, जिला/अधीनस्थ स्तर पर अनुरूप भाग के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित 10% अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थिति के प्रयोग द्वारा त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना में उच्च न्यायालयों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है।

विवरण

बलात्संग के लिए, वर्ष 2009, 2010 और 2011 में, वर्ष के आरंभ में विचारण के लिए मामले (सीएफटी), वापस लिए गए मामले (सीडब्ल्यू), ऐसे मामले जिनमें विचारण पूर्ण हो चुके हैं (सीटीसी) और वर्ष के अंत में लंबित विचारण मामले (सीपीटी

2009

क्र.सं.	राज्य	सीएफटी	सीडब्ल्यू	सीटीसी	सीपीटी
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	12812	4	953	11855
2.	पश्चिम बंगाल	11381	2	861	10518
3.	मध्य प्रदेश	10083	8	2278	7797
4.	उत्तर प्रदेश	5719	0	1353	4366
5.	असम	4771	47	499	4225

1	2	3	4	5	6
6.	ओडिशा	4352	0	673	3679
7.	बिहार	4361	2	738	3621
8.	छत्तीसगढ़	4377	1	831	3545
9.	केरल	3764	1	336	3427
10.	गुजरात	2725	2	183	2540
11.	राजस्थान	3150	14	606	2530
12.	आंध्र प्रदेश	3377	4	967	2406
13.	झारखंड	2340	23	722	1595
14.	तमिलनाडु	1856	7	406	1443
15.	कर्नाटक	1522	10	342	1170
16.	जम्मू और कश्मीर	1173	6	206	961
17.	हरियाणा	1364	0	475	889
18.	त्रिपुरा	677	2	96	579
19.	पंजाब	963	0	465	498
20.	अरुणाचल प्रदेश	488	0	5	483
21.	हिमाचल प्रदेश	564	0	118	446
22.	मेघालय	437	0	23	414
23.	उत्तराखंड	333	0	94	239
24.	मिजोरम	156	0	66	90
25.	मणिपुर	62	0	0	62
26.	गोवा	86	0	25	61
27.	सिक्किम	76	1	17	58
28.	नागालैंड	47	0	11	36
	कुल	83016	134	13349	69533

2010

क्र.सं.	राज्य	सीएफटी	सीडब्ल्यू	सीटीसी	सीपीटी
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	13313	11	1048	12254
2.	पश्चिम बंगाल	12384	15	655	11714
3.	मध्य प्रदेश	10886	27	2751	8108
4.	असम	5335	44	526	4765
5.	उत्तर प्रदेश	5537	0	1392	4145
6.	ओडिशा	4805	0	666	4139
7.	केरल	4071	0	256	3815
8.	छत्तीसगढ़	4487	2	825	3660
9.	बिहार	4154	0	873	3281
10.	राजस्थान	3502	16	656	2830
11.	गुजरात	2931	2	187	2742
12.	आंध्र प्रदेश	3616	6	1031	2579
13.	झारखंड	2300	17	596	1687
14.	तमिलनाडु	1930	1	432	1497
15.	कर्नाटक	1682	1	350	1331
16.	हरियाणा	1479	0	456	1023
17.	जम्मू और कश्मीर	1138	1	143	994
18.	त्रिपुरा	764	1	112	651
19.	अरुणाचल प्रदेश	517	2	6	509
20.	मेघालय	494	2	9	483
21.	हिमाचल प्रदेश	585	1	110	474
22.	पंजाब	947	0	490	457

1	2	3	4	5	6
23.	उत्तराखंड	343	0	111	232
24.	मिजोरम	184	0	87	97
25.	सिक्किम	89	0	3	86
26.	गोवा	105	0	27	78
27.	मणिपुर	66	0	3	63
28.	नागालैंड	49	0	19	30
	कुल	87693	149	13820	73724

2011

क्र.सं.	राज्य	सीएफटी	सीडब्ल्यू	सीटीसी	सीपीटी
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	13718	0	686	13032
2.	पश्चिम बंगाल	13819	9	1012	12798
3.	मध्य प्रदेश	11331	34	3507	7790
4.	असम	5777	15	769	4993
5.	उत्तर प्रदेश	5176	0	639	4537
6.	ओडिशा	4521	0	201	4320
7.	केरल	5725	0	1447	4278
8.	छत्तीसगढ़	4687	37	886	3764
9.	बिहार	4101	1	847	3253
10.	राजस्थान	3949	37	785	3127
11.	गुजरात	3151	5	211	2935
12.	आंध्र प्रदेश	3794	5	1007	2782

1	2	3	4	5	6
13.	झारखंड	2279	10	474	1795
14.	तमिलनाडु	1973	3	353	1617
15.	कर्नाटक	1864	1	374	1489
16.	जम्मू और कश्मीर	1225	4	169	1052
17.	हरियाणा	1555	0	578	977
18.	त्रिपुरा	889	0	202	687
19.	मेघालय	564	0	20	544
20.	अरुणाचल प्रदेश	547	0	23	524
21.	हिमाचल प्रदेश	617	1	130	486
22.	पंजाब	883	3	427	453
23.	उत्तराखंड	330	0	88	242
24.	मिजोरम	165	0	57	108
25.	गोवा	111	0	14	97
26.	सिक्किम	98	0	20	78
27.	मणिपुर	68	0	1	67
28.	नागालैंड	50	1	19	30
	कुल	92967	166	14946	77855

[अनुवाद]

बंद/रुग्ण उर्वरक विनिर्माण इकाइयों को पुनर्जीवित करना

1749. **योगी आदित्यनाथ :**
श्री एंटो एंटोनी :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री पी. लिंगम :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारी घाटा उठाने वाले बंद/रूग्ण उर्वरक विनिर्माण इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने घाटा उठा रही इकाइयों के प्रचालन में

सुधार लाने और बंद इकाइयों को पुनर्जीवित करने या उनके स्थान पर नये संयंत्र लगाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बंद उर्वरक इकाइयों को पुनर्जीवित करने से किस हद तक देश में उर्वरकों की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बंद/रुग्ण उर्वरक उपक्रमों, जिन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा गया है, की इकाइयों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

रुग्ण पीएसयू का नाम	इकाई	राज्य
फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)	सिंदरी	झारखंड
	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
	तलचर	ओडिशा
	रामगुंडम	आंध्र प्रदेश
	कोरबा	छत्तीसगढ़
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)	बरौनी	बिहार
	हल्दिया	पश्चिम बंगाल
	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
मैसर्स फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल)	मणलि, चेन्नई	तमिलनाडु

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने बंद/रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं—

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल):

ईसीओएस की सिफारिश के आधार पर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 4.8.2011 को आयोजित अपनी बैठक में एफसीआईएल तथा एचएफसीएल की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव को इस पूर्वापेक्षा के साथ अनुमोदित किया था कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) की कार्यवाहियों में शीघ्रता लाई जाए और तत्पश्चात् मामले में परिवर्तन, यदि कोई हो, जो बोली मानदंडों में अपेक्षित हों, को अंतिम निर्णय के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार, एचएफसीएल और एफसीआईएल की पुनर्वास योजनाओं का प्रारूप (डीआरएस) को बीआईएफआर को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। बीआईएफआर ने एचएफसीएल और एफसीआईएल की डीआरएस की जांच करने के लिए प्रचालन एजेंसी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक को नियुक्त किया है।

हाल ही में हुई सुनवाई में बेंच ने उर्वरक विभाग को सलाह दी है कि वह कंपनी के निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने की संभावना का पता लगाए और एफसीआईएल तथा एचएफसीएल के लेनदारों के बकाया का भुगतान करने के तरीके की गणना करने का निदेश दिया ताकि कंपनी बीआईएफआर के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ सके। एचएफसीएल/एफसीआईएल के पुनरुद्धार से जुड़े विभिन्न मुद्दों और बीआईएफआर के द्वारा हाल ही में दिए निदेश पर चर्चा करने के लिए 23.01.2013 को ईसीओएस की बैठक हुई थी। ईसीओएस ने सिफारिश की कि मामले को सीसीईए के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। एक मंत्रिमंडल नोट अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए सभी पणधारक मंत्रालयों को परिचालित किया गया है।

मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल):

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीएफआइआर) ने 2 अप्रैल, 2009 को आयोजित अपनी सुनवाई में मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल) को एक रूग्ण कंपनी घोषित किया था और भारतीय स्टेट बैंक को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था और उसे कंपनी के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था। अभी तक बीआईएफआर के समक्ष 11 सुनवाइयां हुई है। दिनांक 27.08.2012 को हुई पिछली सुनवाई में पीठ ने भारत सरकार और अन्य साम्या भागीदार को कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित विकल्प के संबंध में निर्णय लेने के लिए निदेश दिया था, तथा तत्पश्चात् प्रचालन एजेंसी प्रस्ताव की जांच करेगी और बीआईएफआर को एक डीआरएस प्रस्तुत करेगी। तदनुसार, कंपनी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए एक संशोधित पुनर्वास प्रस्ताव

सरकार का विचार जानने के लिए परिचालित किया गया है। सरकार और अन्य साम्या भागीदारी की राय के आधार पर प्रचालन एजेंसी एक डीआरएस तैयार करेगी तथा उसे अनुमोदन के लिए बीएफआईआर को प्रस्तुत करेगी।

उपर्युक्त कंपनियों के अलावा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), जिसकी इकाइयां नामरूप में है, 2002 में अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही घाटे में चल रही है और 31.03.2012 तक कंपनी का निवल मूल्य (-) 412 करोड़ रुपए है। कंपनी ने उर्वरक विभाग के विचार हेतु एक वित्तीय पुनर्गठन एवं पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्गठन उद्यम बोर्ड को भेजने की (बीआरपीएसई) सिफारिश की है। अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद, बीआरपीएसई नोट को बोर्ड (बीआरपीएसई) को उनके विचार हेतु भेजा जाएगा।

(घ) एचएफसीएल और एफसीआईएल की प्रारूप पुनर्वास योजना के अनुसार बंद पड़ी प्रत्येक इकाई पर न्यूनतम 1.15 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) यूरिया उत्पादन क्षमताएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

एमएसडीपी के तहत धनराशि को जारी करना

1750. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों हेतु बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के तहत राज्यों को आवंटित और जारी धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जहां उक्त धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम का कोई वास्तविक सत्यापन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) (क) **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत,** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित, **अनुमोदित तथा निर्मुक्त निधियों** का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए निधियां प्रयुक्त की गई हैं, उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) यह कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। वास्तविक सत्यापन प्राथमिक तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय के अधिकारी वास्तविक सत्यापन के लिए परियोजनाओं के स्थलों का दौरा भी करते हैं। इसके साथ-साथ, आईसीएसएसआर ने 24 प्रतिदर्श जिलों में इस कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन किया है।

विवरण-I

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) हेतु स्वीकृत और निर्मुक्त राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	11वीं योजना के दौरान आबंटन	2009-10 निर्मुक्ति	2010-11 निर्मुक्ति	2011-12 निर्मुक्ति	2012-13 निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	101570.0	29436.3	21106.29	16027.59	23040.60
2.	पश्चिम बंगाल	68610.00	23539.1	23105.55	10208.23	19868.26
3.	हरियाणा	4920.00	460.45	1186.17	1140.04	0.00
4.	असम	70350.00	15192.1	9611.71	17859.10	491.17

1	2	3	4	5	6	7
5.	मणिपुर	13910.00	6004.25	371.25	2655.72	0.00
6.	बिहार	52320.00	10503.9	12250.15	16152.29	2844.15
7.	मेघालय	3050.00	1086.82	1519.83	441.00	762.33
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1500.00	1.04	15.94	51.27	541.28
9.	झारखंड	18140.00	4429.83	5533.46	3981.41	2255.23
10.	ओडिशा	3130.00	1041.24	1517.24	3.73	783.34
11.	केरल	1500.00	76.5	641.63	744.81	412.07
12.	कर्नाटक	3990.00	580.18	2129.39	1089.58	1028.25
13.	महाराष्ट्र	6000.00	2227.11	2953.59	490.99	1085.00
14.	मिजोरम	4590.00	403.04	1456.78	865.09	721.62
15.	जम्मू और कश्मीर	1500.00	599.58	0	750.03	0.00
16.	उत्तराखंड	5950.00	811.85	2229.65	194.34	202.88
17.	मध्य प्रदेश	1500.00	645.6	752.7	0	0.00
18.	दिल्ली	2210.0	155	48.75	895.98	0.00
19.	सिक्किम	1500.00	0	568.879	526.98	191.26
20.	अरुणाचल प्रदेश	11800.00	0	4319.499	3912.65	4190.14
	योग	378040.0	97193.95	91318.46	77990.82	58417.59

विवरण-II

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदन परियोजनाओं के प्रकार

क्र.सं.	प्रशासनिक अनुमोदित परियोजनाएं
1	2
1.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) मकानों का निर्माण
2.	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण
3.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एपीएचसी) भवनों का निर्माण
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केंद्रों (पीएचएससी) भवनों का निर्माण (एनआरएचएम)
5.	हैंड पंप लगाए जाना

1	2
6.	गांवों हेतु पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण
7.	पेयजल हेतु रिंग वैल का निर्माण
8.	रिचार्जिंग यूनिट वाले सोक पिट
9.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण
10.	राजकीय उच्च विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों (एसीआर) का निर्माण
11.	निम्नतर प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण
12.	प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में स्कूल भवनों का निर्माण (एसीआर)
13.	राजकीय उच्च विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरण (आरएमएसए)
14.	राजकीय उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर कक्षों का निर्माण (आरएमएसए)
15.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण
16.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) भवनों का निर्माण
17.	राजकीय आईटीआई का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण, नए व्यवहारों, उपकरणों इत्यादि की शुरूआत
18.	आईटीआई हेतु छात्रावास का निर्माण, आईटीआई के विभिन्न व्यवहारों के लिए उपकरण
19.	पोलिटेक्निक के लिए छात्रावास का निर्माण तथा पोलिटेक्निक संस्थान का निर्माण/उन्नयन
20.	उच्च/माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण
21.	उच्च/माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के लिए छात्रावास का निर्माण
22.	आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना
23.	सहायक सामग्रियों सहित कम्प्यूटर
24.	एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम
25.	गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए सौर लैंप
26.	सड़कों पर सौर-प्रकाश की व्यवस्था
27.	गवर्नमेंट इंटर-कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण
28.	लिंक रोड
29.	हैट शैड्स का निर्माण
30.	व्यावसायिक प्रशिक्षण

स्वच्छता सुविधाएं

1751. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की आवश्यकता संबंधी कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि की जरूरत होने का अनुमान है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वच्छता सुविधाओं हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता और केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वच्छता संबंधी कार्यों में सरकारी-निजी भागीदारी के तहत निजी कंपनियों को लगाने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या कार्य-योजना है; और

(छ) 12वीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र सहित देश के जनजातीय क्षेत्रों सहित उक्त प्रयोजन हेतु आवंटित/निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। शौचालय सुविधाओं सहित एवं रहित ग्रामीण परिवारों की संख्या के आधार पर जनगणना कार्यालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की आवश्यकता को परिलक्षित किया गया है। जनगणना, 2011 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी स्थिति/कवरेज के संबंध में राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी)/निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत समय-समय पर संस्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें पिछड़ा क्षेत्र शामिल है, स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जनवरी, 2013 तक सूचित किए गए राज्य-वार/संघ राज्य-वार संस्वीकृत निधि, अवमुक्त राशि एवं खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। तथापि, पहचान में आई एपीएल श्रेणियों को भी एनबीए के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं प्रदान करने, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि करने तथा जनगणना, 2011 के परिणामों के संदर्भ में, एनबीए के दिशा-निर्देशों में किए गए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, राज्यों से कहा गया है कि वे नए सिरे से आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर संशोधित परियोजनाएं भारत सरकार की संस्वीकृति के लिए भेजें।

(घ) टीएससी/एनबीए मांग-चालित कार्यक्रम है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य-वार स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) एनबीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कारपोरेट घरानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आईईसी, एचआरडी अथवा प्रत्यक्ष लक्ष्योन्मुख सुझावों के माध्यम से स्वच्छता संबंधी मुद्दों को हाथ में लेकर कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अनिवार्य अंग के रूप में निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के कार्यान्वयन में अपनी हिस्सेदारी निभाएं।

विवरण-I

जनगणना, 2011 के अनुसार, शौचालय तथा शौचालय रहित राज्य/संघ राज्य-वार कुल ग्रामीण परिवार

क्र. सं.	राज्य	कुल परिवार	घरों के निकट स्थित शौचालय वाले परिवार	सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता वाले परिवार	शौचालय रहित परिवार
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	59030	35540	517	22973
2.	आंध्र प्रदेश	14246309	4585620	383046	9277643
3.	अरुणाचल प्रदेश	195723	103139	5968	86616
4.	असम	5374553	3201625	105929	2066999
5.	बिहार	16926958	2978607	171411	13776940
6.	चंडीगढ़	6785	5970	429	386
7.	छत्तीसगढ़	4384112	636991	13853	3733268
8.	दादरा और नगर हवेली	35408	9389	979	25040
9.	दमन और दीव	12750	6550	1840	4360
10.	गोवा	124674	88423	2094	34157

1	2	3	4	5	6
11.	गुजरात	6765403	2235623	80616	44499164
12.	हरियाणा	2966053	1663159	48691	1254203
13.	हिमाचल प्रदेश	1310538	872545	11427	426566
14.	जम्मू और कश्मीर	1497920	578924	45904	873092
15.	झारखंड	4685965	357289	32864	4295812
16.	कर्नाटक	7864196	2234534	272968	5356694
17.	केरल	4095674	3818327	48244	229103
18.	लक्षद्वीप	2523	2474	7	42
19.	मध्य प्रदेश	11122365	1459201	50926	9612238
20.	महाराष्ट्र	13016652	4946854	807153	7262645
21.	मणिपुर	335752	288713	5831	41208
22.	मेघालय	422197	227487	12926	181784
23.	मिजोरम	104874	88698	2645	13531
24.	नागालैंड	284911	197223	24125	63563
25.	दिल्ली	79115	60355	8076	10684
26.	ओडिशा	8144012	1146552	101308	6896152
27.	पुदुचेरी	95133	37130	1318	56685
28.	पंजाब	3315632	2333985	49779	93868
29.	राजस्थान	9490363	1864447	46062	7579854
30.	सिक्किम	92370	77694	946	13730
31.	तमिलनाडु	9563899	2220793	335708	7007398
32.	त्रिपुरा	607779	495053	19082	93644
33.	उत्तर प्रदेश	25475071	5545881	279272	19649918
34.	उत्तराखंड	1404845	759392	12743	632710
35.	पश्चिम बंगाल	13717186	6411152	269205	7036829
	भारत	167826730	51575339	3253892	112997499

विवरण-II

जनवरी, 2013 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य/संघ राज्य-वार मंजूर की गई/अवमुक्त गई तथा खर्च की गई निधियां

(सभी राशियां लाख)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल परियोजना परिव्यय	अनुमोदित अंश			अवमुक्त की गई निधियां				किया गया व्यय			
			केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	कुल	केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	178187.67	114766.51	43841.36	19579.80	78691.96	36554.52	14460.15	129706.63	52456.67	32223.56	11057.23	95737.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	6700.94	4662.35	1562.98	475.61	3121.10	1277.84	166.61	4565.55	2610.60	672.58	157.67	3440.85
3.	असम	92814.80	65248.07	20582.96	6983.77	46448.63	9773.55	3610.93	59833.10	42006.27	9601.53	3340.49	54948.29
4.	बिहार	293380.80	197840.73	71151.11	24388.96	113128.25	31800.45	4268.86	149197.56	73531.93	27021.17	3998.42	104551.52
5.	छत्तीसगढ़	67877.81	45596.64	16475.61	5805.56	28348.60	15738.83	2800.15	46887.57	26203.26	11916.68	2573.03	40692.98
6.	दादरा और नगर हवेली	91.00	80.89	0.00	10.31	3.15	0.00	0.00	3.15	1.67	0.00	0.00	1.67
7.	गोवा	1059.43	634.96	292.25	132.22	172.32	112.86	0.00	285.18	149.93	97.97	0.00	247.90
8.	गुजरात	70231.96	43924.90	17352.98	8954.08	34803.45	14997.22	9367.89	59168.56	30261.29	12408.54	8344.48	51014.32
9.	हरियाणा	23087.84	13922.67	5687.00	3478.17	11136.10	5220.10	4210.40	20566.60	10626.82	4460.59	2666.69	17754.10
10.	हिमाचल प्रदेश	19632.55	13118.40	4997.33	1516.82	8748.19	3267.68	824.09	12839.96	7416.16	2728.88	590.79	10735.83
11.	जम्मू और कश्मीर	40598.74	28374.07	9628.36	2596.31	11754.80	3454.01	2294.35	17503.15	9034.44	3232.65	1079.54	13346.64
12.	झारखंड	90728.43	604485.48	22185.77	8057.18	34362.22	19202.48	2348.43	55913.13	21297.75	11044.97	1815.17	34157.89
13.	कर्नाटक	108474.68	70077.23	26898.26	11499.19	40326.59	16381.71	17914.80	74623.10	30367.30	13977.25	5012.06	49356.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	केरल	22189.92	11873.91	5544.08	4771.93	10297.81	4765.53	7573.47	22636.81	9904.32	4200.36	6040.18	20144.86
15.	मध्य प्रदेश	170288.99	113086.85	41987.69	15214.45	96567.47	32846.09	16378.46	145792.02	76570.55	28566.51	9453.65	114590.71
16.	महाराष्ट्र	148969.04	97771.77	36414.52	14782.75	68124.10	29361.45	12671.44	110156.99	54237.25	22813.12	7052.38	84102.75
17.	मणिपुर	11274.03	7908.73	2579.50	785.80	4349.06	934.01	781.48	6064.54	4109.61	904.02	317.80	5331.42
18.	मेघालय	14008.99	9562.87	3411.07	1035.05	7814.86	2442.24	1280.18	11537.27	6999.52	2220.98	174.58	9395.07
19.	मिजोरम	6302.14	4331.58	1521.50	449.06	2903.48	793.50	350.06	4047.04	2857.08	751.57	350.06	3958.71
20.	नागालैंड	7957.58	5607.04	1759.75	590.79	3512.77	1032.95	175.77	4721.49	3605.34	1026.65	172.24	4804.23
21.	ओडिशा	156204.83	104509.10	37841.95	13853.78	51676.92	18868.56	5554.72	76100.20	35427.51	13438.38	5410.25	54276.15
22.	पुदुचेरी	572.56	481.72	0.00	90.84	94.84	0.00	0.00	94.84	79.07	0.00	0.00	79.07
23.	पंजाब	24134.47	15139.89	6532.40	2462.18	2921.46	822.21	106.29	3850.36	1645.37	527.96	105.40	2278.74
24.	राजस्थान	102243.17	69096.73	25759.93	7386.51	35971.66	9523.55	3037.82	48533.03	26720.76	9060.89	2091.21	37872.86
35.	सिक्किम	2053.82	1338.56	440.74	274.52	1192.94	1051.82	729.45	2974.21	1010.21	1051.82	729.45	2791.48
26.	तमिलनाडु	114367.01	69366.01	28683.56	16317.44	5661.43	27308.09	12445.51	96415.04	49171.28	22150.50	11134.64	82456.42
27.	त्रिपुरा	9838.52	6120.24	2400.50	1317.78	5479.14	2199.23	1051.59	8729.96	5136.10	2045.99	1047.35	8229.44
28.	उत्तर प्रदेश	294726.00	192171.80	71925.16	30629.04	171973.58	122584.88	36008.38	330566.84	153751.21	102829.59	26915.52	283496.33
29.	उत्तराखंड	15091.07	9993.12	3641.26	1456.69	8311.87	2704.40	958.18	11974.45	6279.48	2304.28	956.68	9540.44
30.	पश्चिम बंगाल	174147.94	111799.51	43820.36	18528.07	81256.98	20460.02	33082.32	134799.32	56995.00	18888.75	32832.81	108716.56
	कुल	2267236.73	1488892.12	554919.95	223424.66	1020156.13	435479.78	194451.77	1650087.67	800463.76	362167.75	145419.76	1308051.27

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई राज्य-वार निधि

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जनवरी, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11078.44	14218.46	9657.28	15022.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	404.97	119.26	204.88	227.15
3.	असम	6729.84	9437.36	12251.18	2772.21
4.	बिहार	9046.72	11259.76	17219.09	39814.56
5.	छत्तीसगढ़	5018.42	5479.58	2702.42	0
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0
8.	गुजरात	3036.91	4692.36	4308.28	3949.42
9.	हरियाणा	718.15	2361.49	335.27	0
10.	हिमाचल प्रदेश	1017.74	2939.78	469.57	1666.96
11.	जम्मू और कश्मीर	332.90	2792.51	967.95	3511.01
12.	झारखंड	3941.66	5466.98	7264.92	4193.31
13.	कर्नाटक	5571.00	4458.66	8709.28	8352.77
14.	केरल	975.45	2286.34	158.89	0
15.	मध्य प्रदेश	9987.48	14402.60	15076.00	25823.23
16.	महाराष्ट्र	9894.05	12911.70	5799.94	11872.83
17.	मणिपुर	1177.54	80.30	1087.87	912.63
18.	मेघालय	1378.78	3105.23	1115.72	792

1	2	3	4	5	6
19.	मिजोरम	412.98	653.40	31.38	0
20.	नागालैंड	1059.27	1229.45	174.06	396.37
21.	ओडिशा	5031.55	6836.73	11171.70	0
22.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0
23.	पंजाब	116.02	1116.39	283.18	0
24.	राजस्थान	4352.64	5670.74	5424.41	6885.49
25.	सिक्किम	0.00	112.86	0.00	69.87
26.	तमिलनाडु	6166.18	7794.35	7662.06	6239.19
27.	त्रिपुरा	836.66	925.14	133.92	124.74
28.	उत्तर प्रदेश	11579.77	22594.00	16920.72	25776.25
29.	उत्तराखंड	773.98	1707.61	804.76	2541.96
30.	पश्चिम बंगाल	3246.26	8327.50	14124.34	15319.32
	कुल	103885.36	152980.54	144059.07	176263.96

[अनुवाद]

कापार्ट के तहत परियोजनाएं

1752. श्री प्रेमदास राय : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) के माध्यम से बांस की खेती पर किन्हीं परियोजनाओं को प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार ने कापार्ट के माध्यम से सतत् विकास हेतु बांस आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, हां।

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं, स्वीकृत और रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) कपार्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत बांस आधारित ऐसे कार्यकलापों को प्रोत्साहन दिया जाता है। जो अभिनवीन, आवश्यकता आधारित, अनुकरणीय और समर्थन योग्य हों।

विवरण

(राशि रुपए)

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	स्वैच्छिक संगठन का पता	योजना	स्वीकृत राशि	स्वीकृति की तारीख	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम सेनटेर फॉर रूरल डेवलपमेंट	29, पीबी रहबरी, गुहावाटी	आर्ट्स	668000	14-दिसम्बर-04	668000
2.	भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनीरिंग	पीओ साबौर, जिला भागलपुर, बिहार	आर्ट्स	621000	24-मार्च-87	543000
3.	शुभा सोसल वेलफैर सोसाइटी	26, एमआईजी, कंकर बाक कॉलोनी, पटना-800020	आर्ट्स	525800	23-दिसम्बर-03	525800
4.	अकेमेडी ऑफ डेवलपमेंट साइंस	गांव एंड पीओ कशेले कर्जत टीक्यू, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	आर्ट्स	1323550	6-जुलाई-01	1140334
5.	प्रेरक	अरर्कस, पीओ घुटुक, वाया गोरियाबोंद, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	आर्ट्स	1623275	30-मार्च-05	727000
6.	सोबती	रोहिंजन, पीओ तलोजा, ब्लॉक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	आर्ट्स	980000	31-मार्च-03	980000
7.	अलरिप्पू	बी-3/99 सफदरजंग एंक्लेव, न्यू दिल्ली	आर्ट्स	1035425	23-जनवरी-86	1035425
8.	अलरिप्पू	बी-3/99 सफदरजंग एंक्लेव, न्यू दिल्ली	आर्ट्स	200000	4-मई-94	200000
9.	कल्पतरु विकास समिति	7, फोर्ट व्यू कॉलोनी, कोटेश्वर रोड, ब्लॉक एंड जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश	आर्ट्स	672000	14-अगस्त-03	672000
10.	महावीर ओझा शिक्षा प्रसार समिति, शिवपुरी	हाउस नंबर 84, कमला गंज, नियर ब्रिज एवी रोड, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	आर्ट्स	240400	3-अगस्त-05	240400

1	2	3	4	5	6	7
11.	मंथन ग्रामीण एवं समाज सेवा समिति	हाउस नंबर 31, सैक्टर वन, शक्ति नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	आर्ट्स	784612	31-दिसम्बर-04	784612
12.	प्राकृतिक स्रोत सुरक्षा एवं विकास संस्थान	सेठ कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, रसाल चौक, ब्लॉक पनगर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश-482001	आर्ट्स	434500	20-अप्रैल-05	434500
13.	श्री वेदमता खंडी ग्रामोद्योग समिति, पिपला	वार्ड नंबर 1, ब्लॉक सौसर, जिला छिंदवारा, मध्य प्रदेश-480106	आर्ट्स	218375	2-नवम्बर-05	196538
14.	अप्रोप्रियट रूरल टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट	कर्वे बुंग्लोव, एनआर अधिकार्गः लक्ष्मी नगर, फलटन, जिला सतार, महाराष्ट्र	आर्ट्स	428500	24-दिसम्बर-04	224000
15.	इंस्टीट्यूट ऑफ विललगे एनतेरपृसेस डेवलपमेंट फॉर हंडिक्राफ्ट आर्टिसन्स	प्लॉट नंबर एन 9, विश्व योगी, लक्ष्मी नगर, ब्लॉक/जिला नागपुर, मूहाराष्ट्र	आर्ट्स	946103	19-दिसम्बर-02	946103
16.	जीवन सुधार बहुदेशीय शिक्षण संस्था	सवाले निवास 57, ओल्ड सुभेदर लेआउट एक्सटेंशन नागपुर	आर्ट्स	519705	17-अप्रैल-06	318127
17.	सेंट फॉर मेंटल हाईजेन	संगईप्रो एयरपोर्ट रोड, इम्फाल	आर्ट्स	81400	14-दिसम्बर-04	81400
18.	मणिपुर वुमेन कूरडी नटिंग काउंसिल	चिल्ड्रेन होम कॉम्प्लेक्स, ओप्प। एमवी कांचीपुर इम्फाल ईस्ट	आर्ट्स	1083470	29-जुलाई-03	975123
19.	पीपल सोसीओ इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन	हरिभवन, थॉगमेबंद, लौरउन पीयू लैकाई पोस्ट लंफेल, मणिपुर	आर्ट्स	200000	9-जनवरी-04	200000
20.	प्लेंटेशन क्रॉप्स इंडस्ट्रीज एंड मार्केटिंग असोशिएशन	यौरिपाक नाओरेंठोंग खुलेआम लैकाई	आर्ट्स	346390	26-फरवरी-05	346390
21.	रेसौसे डेवलपमेंट एजेंसी	वंगखे अंगोम लैकाई इम्फाल ईस्ट-II ब्लॉक	आर्ट्स	68400	14-दिसम्बर-04	68400

1	2	3	4	5	6	7
22.	दी ईचूम लाइरेम्बी वुमेन वेलफैर असोशिएशन	तकयेल खोंगबाई, खुमानथें लौकाई, इम्फाल वेस्ट जिला मणिपुर-795001	आर्ट्स	216900	21-फरवरी-04	216900
23.	दी वेस्टर्न सोसीओ इकनॉमिक	संगईठेल, इम्फाल वेस्ट जिला — पीएस लंफेल, पोस्ट इम्फाल, मणिपुर	आर्ट्स	199300	29-जनवरी-05	199300
24.	दी यौथ्य स्टेप फारवर्ड	वंगजिंग बाजार पोस्ट वंगजिंग, थौबल, मणिपुर	आर्ट्स	236500	26-फरवरी-05	236500
25.	उपलिफ्टमेंट आम्फ हुमण रिसौर्सेस एंड वफ्कटीओनाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	वंगजिंग सोराखाइरम लैकाई, पोस्ट — वंगजिंग जिला थौबल, मणिपुर-795148	आर्ट्स	279810	21-फरवरी-04	279810
26.	सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन	पोस्ट बॉक्स नंबर 287, एचपी ऑफिस कोहिमा, नागालैंड-797111	आर्ट्स	289800	6-अक्तूबर-05	179900
27.	टेसोफेन लाइट बेयरर यूथ क्लब	गांव एंड पोस्ट-टेशुफेन्यू जिला-कोहिमा, पोस्ट बॉक्स नवंबर-287, नागालैंड	आर्ट्स	374850	6-अक्तूबर-05	374850
28.	दी गुड शेफेरेड मिनिस्टरी	लोवर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, पोस्ट बॉक्स नंबर 312, कोहिमा	आर्ट्स	47900	14-दिसम्बर-04	47900
29.	एजेंसी फॉर सोशल एक्शन	एट पोस्ट — ककतपुर ब्लॉक-ककतपुर जिला-पूरी, ओडिशा	आर्ट्स	672000	28-जुलाई-03	604800
30.	आइडियल डेवलपमेंट एजेंसी	एट — बोनजोड़ी, पोस्ट — पदमपुर	आर्ट्स	1041125	18-जनवरी-05	1041125
31.	साबुजा बिपलव	एट — अदर्शपाड़ा, पोस्ट बालानगीर	आर्ट्स	672000	29-जुलाई-03	413500
32.	दी वोलुन्तरी हैल्थ एडुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	41 (ओल्ड नवंबर 19) सर्क्युलर रोड, यूनाइटेड इंडिया कॉलोनी, कोडम्बक्क चेन्नई, तमिलनाडु	आर्ट्स	2201000	14-अगस्त-03	1100000

1	2	3	4	5	6	7
33.	क्राफ्ट सोसाइटी ऑफ त्रिपुरा	गांव कालिकपुर, पोस्ट रामपुर, अगरतला वेस्ट त्रिपुरा, जिला, त्रिपुरा-799002	आर्ट्स	330600	16-दिसम्बर-06	314070
34.	अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद सेवा संस्थान	गांड एंड पोस्ट-नांदेकौन, बस्ती	आर्ट्स	282750	2-मार्च-05	282750
35.	भारतीय सामाजिक चेतना एवं ग्राम विकास संस्थान	5, फ्रेंड्स एंकलेव, डायल बाग जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश	आर्ट्स	498450	22-नवम्बर-04	383725
36.	फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड एक्शन	5/8 विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ	आर्ट्स	568050	30-दिसम्बर-04	
37.	हुमण डेवलपमेंट सोसाइटी	डुबकी खुर्द, हंडिया, इलाहाबाद	आर्ट्स	237000	27-जून-05	237000
38.	जन सेवा समिति	गांव एंड पोस्ट-गोहीलव, जिला-संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश	आर्ट्स	237000	27-जून-05	237000
39.	महिला उत्थान एवं कल्याण समिति	302, श्रीया अपार्टमेंट मुईर रोड, इलाहाबाद	आर्ट्स	237000	27-जून-05	237000
40.	मैत्री संस्थान	42, सिद्धार्थ अपार्टमेंट शास्त्री नगर एक्सटेंशन, सिगरा, वाराणसी	आर्ट्स	237000	20-जुलाई-05	123500
41.	नवयुग ग्रामोदया समिति	17, टागौर टाउन-इलाहाबाद जिला, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	आर्ट्स	620550	24-फरवरी-04	620550
42.	शहीद अब्दुल हमीद जन सेवा एवं शौर्य कला समिति	5/7 द्रौमोंद रोड, (नियारा जी ऑफिस) इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	आर्ट्स	237000	27-जून-05	213300
43.	शिव साहित्य परिषद्	गांव एंड पोस्ट-कुमहरवान बख्श, इका तलब, लखनऊ	आर्ट्स	282750	2-मार्च-05	141375

1	2	3	4	5	6	7
44	सोसाइटी फॉर एग्रिकल्चर फारिस्ट्रि हैल्थ हैंड एजुकेशन	गांव-खरकपुर, पोस्ट-गौसपुर नवाबन	आर्ट्स	282750	2-मार्च-05	171000
45.	सोसाइटी फॉर यौटिलीजटिओन साइंस एंड टेक्नालॉजी फॉर अपलिफ्ट ऑफ रूरल	447, आर्यनगर जिला सीतापुर	आर्ट्स	687700	23-दिसम्बर-03	506500
46.	सोलीदारिटी ऑफ दी नटीओन सोसाइटी	10/32 बाहर बी सहारा, इस्टेट जानकीपुरम, लखनऊ	आर्ट्स	1003300	2-फरवरी-05	1003300
47.	स्वर्गीय भगवती क्षिछन संस्थान	गांव/पोस्ट बैतालपुर जिला – देवरिया, उत्तर प्रदेश	आर्ट्स	282750	2-मार्च-05	282750
48.	थारु जनजाति महिला विकास समिति	638, आवास आवास विकास कॉलोनी, गोंडा, जिला गोंडा उत्तर प्रदेश	आर्ट्स	282750	2-मार्च-05	282750
49.	विकलांग केंद्र रूरल रिसर्च सोसाइटी	13 लुकेरगंज जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	आर्ट्स	360785	31-जुलाई-87	360785
50.	पर्वतीय ग्रामीण विकास एंड सेवा समिति	मलासी भवन (नियर कान्वेंट स्कूल) पदमपुर सुखरु, कोटदावरा पौरी गढ़वाल, उत्तराखंड	आर्ट्स	1248054	20-दिसम्बर-02	1248054
51.	अग्रदूत पाल्ली उन्नयन समिति	गींव/पो गाजा, जिला हावड़ा वेस्ट बंगाल	आर्ट्स	292992	22-नवम्बर-04	188000
52.	शतमोनीशा शांति संघ (महिला समिति)	गांव शतमोनीशा पो बसुलदंगा, ब्लॉक डायमोंड हारबोर जिला 24 परगानस वेस्ट बंगाल	आर्ट्स	480700	22-नवम्बर-04	210000
53.	श्रीकृष्णा क्लब	शिरीष बारी पीओ बारबारी (साऊथ)	आर्ट्स	1227526	23-दिसम्बर-03	772500

1	2	3	4	5	6	7
54.	ऑल मणिपुर हैंडीकैप ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सोसाइटी	खुरई कोनसम लेखई इम्फाल ईस्ट-1 सीडी ब्लॉक (सवोबंग) इम्फाल ईस्ट इम्फाल ईस्ट मणिपुर-795010	डिसबिलिटी	391000	17-जुलाई-02	391000
55.	स्त्री कर्मिका एकयामयाथा संघा	पीओ अंतपुरम तालुक हिन्दूपुर जिला अन्नतापुर, आंध्र प्रदेश	डीडब्ल्यूसीआरए	86500	13-फरवरी-89	0
56.	यूनिवरसल सोसाइटी	वेलगोड़े, खुरनोल जिला, आंध्र प्रदेश	डीडब्ल्यूसीआरए	52300	13-दिसम्बर-89	52300
57.	आदर्श महिला शिल्प काला केन्द्र	मनोरमा भवन अमीर गंज तापुर रोड जिला समस्तीपुर बिहार	डीडब्ल्यूसीआरए	177950	14-दिसम्बर-92	119550
58.	अरविंदा महिला शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	मस्जिद के पास, चंम डोरिया, पटना सिटी, पटना-800008	डीडब्ल्यूसीआरए	126450	21-मार्च-94	79150
59.	अरविंद महिला शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	एट/पीओ दरपुर जिला सीमामढ़ि बिहार	डीडब्ल्यूसीआरए	68160	14-दिसम्बर-92	44460
60.	महिला बाल उत्थान केंद्र	साहू रोड, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	डीडब्ल्यूसीआरए	274400	28-अक्तूबर-93	274400
61.	आंचलिक हरिजन सेवा परिषद्	एड भटपाड़ा पीओ कनस	डीडब्ल्यूसीआरए	88300	28-जुलाई-98	57300
62.	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफयरस	एट असवाखोला, पीओ कारमुला वाया महिलागढ़ि जिला धेनकनाल, ओडिशा	डीडब्ल्यूसीआरए	124600	16-मार्च-92	124600
63.	अरुणोदया युवक संघ	एट + पीओ रायपुर	डीडब्ल्यूसीआरए	151000	20-नवम्बर-93	151000
64.	भगवती युवक संघ	एट + पीओ पोकटुंगा वया बनताला जिला अंगुल, ओडिशा	डीडब्ल्यूसीआरए	165500	11-मार्च-98	126300
65.	डेमोक्रेटिक हुमंतरीयन औक्सिलियरी एंड रूरल मास एजेंसी	एट + पीओ राधाधीरपुर	डीडब्ल्यूसीआरए	77400	25-जनवरी-92	67150

1	2	3	4	5	6	7
66.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च फॉर उत्कल रूरल ट्राइबल	एटपीओ काबरा मधापुर वाया महिमगरी	डीडब्ल्यूसीआरए	143500	24-जनवरी-92	143500
67.	एक्नीमिक रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	6 किरण संकर रॉय रोड ग्राउंड फ्लौर रूम नंबर 3 कोलकाता, पश्चिम बंगाल	डीडब्ल्यूसीआरए	102300	13-जनवरी-89	102300
68.	संकरगाछी पल्ली उन्नयन समिति	गांव संकरगाछी, पीओ गोलाबारी, बाजार, परगानस-एन, पश्चिम बंगाल	डीडब्ल्यूसीआरए	178110	8-मार्च-91	99110
69.	ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर रिसर्च इन रूरल एरिया	नॉर्थ कृष्णापुरी, 10, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जिला पटना, बिहार	आईआरडीपी	172500	9-फरवरी-94	156500
70.	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान	त्रियार भवन, काशीपुर, ब्लॉक समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर बिहार	आईआरडीपी	165500	23-दिसम्बर-95	100000
71.	नगर युवा विकास संघ	विलेज/पीओ-वहेरा, वाया नानपुर, जिला सीतामढ़ी, बिहार	आईआरडीपी	132500	17-मार्च-94	116500
72.	बिहार समाज कल्याण संस्थान	हवाई नगर, खुटी रोड, पीओ-हतिया रेलवे स्टेशन, जिला रांची, झारखंड	आईआरडीपी	131250	16-सितम्बर-94	82250
73.	सेंट्रल एकेडमी यूथ एसोसिएशन	चरंगपट ममंग लेकई, पीओ थोउबल	आईआरडीपी	145600	29-जुलाई-93	145600
74.	चिंगामाथक नेमियाराकपम माखा लेकई क्राफ्ट सेंटर	चिंगामाथक नेमियाराकपम माखा लेकई	आईआरडीपी	156600	4-अक्तूबर-94	156600
75.	आदर्श समाज कल्याण एवं खादी ग्रामोद्योग	एट/पीओ गणेशीपुर, खापटीहा	आईआरडीपी	129000	9-दिसम्बर-94	0

1	2	3	4	5	6	7
76.	केनसिली यौबक संघा	एट + पीओ – केनसिली	आईआरडीपी	153600	3-अक्तूबर-94	128600
77.	मकरामपुर मनीषा जुबा कल्याण संघ	विलेज/पीओ मकरामपुर, वाया पतासपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आईआरडीपी	141200	7-अगस्त-94	141200
78.	मकरामपुर मनीषा जुवा कल्याण संघा	विलेज/पीओ मकरामपुर, वाया पतासपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आईआरडीपी	534500	21-अप्रैल-97	534500
79.	पल्लीकाथा	48/29ए, साउथ सिन्टी रोड, कोलकाता	आईआरडीपी	343300	11-नवम्बर-93	283200
80.	वेणु भारती	आपरूप निर्माण, बी-2, पुष्पागंधा, फ्लैट्स, आशा मंगल कार्यालय के सामने, धरमपेठ	एमडीडी	400000	20-अप्रैल-98	400000
81.	स्पष्टवादी सहयोगी मैत्री संघ	स्टेट बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी, 2/26-खाजपुरा, ब्लॉक-पटना सदर, जिला पटना, बिहार	ओआरपी	126240	14-दिसम्बर-04	126240
82.	लोटस प्रोग्रेसिवल सेंटर	लिकेज-मोरेवा, नालबारी	पीसी	98800	6-अगस्त-07	98800
83.	शान्ति साधना आश्रम	शांतिवन, बसिस्ठा, पीओ–बेलतोला, गुवाहाटी, असम	पीसी	4906800	31-मार्च-05	
84.	सोसायटी फॉर एफेक्टेड विलेज एंड एनवायरनमेंटल डेवलपमेंट (सेवड)	टैक्सी मोथाडोंग, पीओ चौकारा, सिबसागर	पीसी	247000	21-फरवरी-04	247000
85.	उरावू इंडेजीनियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडी सेंटर	थ्रिक्काप्पेट्टा पी.ओ. मेप्पाडी (वाया), वायानाड जिला	पीसी	335500	27-फरवरी-03	335500
86.	समरितन फाउंडेशन	समारितन इंगलिश स्कूल कैम्पस, सुगनु, टोंगडोनफई	पीसी	394900	26-फरवरी-05	355410

1	2	3	4	5	6	7
87.	तराव आर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन	लेईशोकचिंग, बीपीओ-लीवाचांगनिंग	पीसी	90000	12-जुलाई-01	
88.	खासी बईयार डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	शिलांग, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	पीसी	396000	21-फरवरी-04	396000
89.	मिजोरम यंग बुद्धिष्ठ एसोसिएशन	बीपीओ-नुनसुरी, पीओ-डेमागिरी (त्लेबंग), जिलस लूंगलेई, मिजोरम-796751	पीसी	129200	13-फरवरी-93	129200
90.	भांजा इंस्टीट्यूट फोर रूरल डेवलपमेंट	एट + कुल्लोआडा, ब्लॉक-भांजानगर	पीसी	228000	8-दिसम्बर-08	228000
91.	गौरी शंकर युवा परिषद्	प्लॉट नं. 36, हतियासूनी येन, टंकापानी रोड, भुवनेश्वर	पीसी	2334392	4-फरवरी-10	1029955
92.	ग्राम विकास	पीओ मोधुआ, वाया बेहरामपुर	पीसी	209000	6-फरवरी-92	209000
93.	इंस्टीट्यूट फोर सोशल सर्विसस — रूरल आर्ट	एट बालीझटी, पीओ रामाकृष्णापुर, वाया भुबन,	पीसी	424000	8-दिसम्बर-08	377360
94.	नेताजी युवक संघा	एट पीथमपुरम पीओ बिसलिखडा, ब्लॉक धानकौडा, जिला सम्बलपुर	पीसी	428100	16-अक्तूबर-08	379205
95.	वॉलण्टरी एक्शन फोर रूरल रिकंस्ट्रक्शन	एट/पीओ-अनलबेरेनी, ब्लॉक कामाख्यानगर	पीसी	376500	13-जुलाई-07	330600
96.	सेंट जोसफ सोशल वेलफेयर सेंटर	वेल्लामदम, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु	पीसी	110000	20-सितम्बर-94	110000
97.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	261, हिन्द सागर कन्याकुमारी, तलिनाडु	पीसी	141200	26-अप्रैल-01	141200
98.	जन सेवा संस्थान	काठपुरिया (कोशी) जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश	पीसी	137250	20-दिसम्बर-93	120000

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाएं

1753. श्री जगदानंद सिंह :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों को नियत समय में पूरा नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत आवंटित और व्यय की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अनेक योजनाएं/कार्यक्रम चला रहा है, जैसेकि मजदूरी और स्वरोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीणं रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण गरीबों हेतु मकानों के निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास के लिए समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11, 2011-12 के दौरान मात्रात्मक पैरामीटरों के अनुसार मनरेगा, एसजीएसवाई/एनआरएलएम, आईएवाई, पीएमजीएसवाई और आईडब्ल्यूएमपी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय और वास्तविक प्रगति तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अद्यतन प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) वास्तविक लक्ष्य एसजीएसवाई/एनआरएलएम और आईएवाई के तहत निर्धारित किए जाते हैं जबकि अन्य योजनाएं मांग/परियोजना आधारित हैं। कर्मचारियों की कमी, कम निष्पादन क्षमता, राज्यों में विभिन्न स्तरों पर चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने और एसजीएसवाई के स्थान पर एनआरएलएम शुरू किए जाने, राज्यों की सीमित संस्थागत और ठेके देने की सीमित क्षमता, भूमि उपलब्ध न होने, वन संबंधी मजदूरी न मिलने और प्रतिकूल मौसम जैसे विभिन्न कारणों से कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वास्तविक उपलब्धियां लक्ष्य से कम पाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष (2012-13) के दौरान केंद्रीय आबंटन और उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्टों, प्रबंधन सूचना प्रणाली, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारी योजना, उपयोग प्रमाण-पत्र/लेखा परीक्षारिपोर्टों, केंद्रीय मंत्रियों द्वारा समीक्षा, राज्य/जिला स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियों तथा कार्यों की गुणवत्ता और कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुपालन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं के माध्यम से कार्यक्रमों की निगरानी की व्यापक प्रणाली अपनाई है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 5 सूत्री कार्यनीति अपनाने की सलाह दी है जिसमें (i) योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाना (ii) लोगों की भागीदारी (iii) पारदर्शिता (iv) जवाबदेही एवं सामाजिक लेखा परीक्षा और (v) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सतर्कता एवं निगरानी शामिल हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष 2012-13 (फरवरी, 2013 तक) आईएवाई के अंतर्गत आबंटित, रिलीज तथा उपयोग की गई राशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	75900.82	85629.11	130796.29	86772.58	87366.08	113480.85	84762.05	89237.169	111300.65	93916.18	76017.21	370471.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	2935.66	3336.76	2401.38	3372.56	3784.31	3821.79	3294.85	3197.949	580.45	3640.22	2235.68	9654.30
3.	असम	64914.87	66736.67	86355.23	74575.72	71031.77	93331.94	72857.40	76768.361	91573.69	80494.43	40952.34	289788.82
4.	बिहार	224039.39	200854.99	299594.41	256130.00	226058.94	332483.78	250195.44	217691.100	273858.07	277216.04	138923.12	907688.33
5.	छत्तीसगढ़	11737.44	16279.90	32204.97	13418.67	13279.76	19630.74	13107.75	25387.097	34623.57	14523.36	13392.35	87926.38
6.	गोवा	467.49	467.49	543.14	534.46	517.43	803.90	522.07	545.200	1183.64	578.46	490.39	2797.69
7.	गुजरात	37223.48	41574.95	56795.96	42555.24	51934.99	69276.70	41569.23	38069.209	57884.60	46058.62	16376.59	158389.11
8.	हरियाणा	5226.21	5244.96	8453.32	5974.79	5974.80	8226.32	5836.35	6045.434	8163.20	6466.67	5480.45	26155.75
9.	हिमाचल प्रदेश	1843.31	1863.81	3055.84	2107.33	2143.04	2925.48	2058.51	2118.672	2765.31	2280.82	1941.02	9105.83
10.	जम्मू और कश्मीर	5725.42	5725.42	5968.31	6543.51	6643.35	5375.77	6393.85	5830.043	2325.45	7084.38	4508.79	19743.66
11.	झारखंड	19983.33	30160.35	35997.79	56595.67	55864.20	69357.02	23316.33	21816.657	51599.18	24726.46	24769.24	122911.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	29242.52	30227.03	53634.35	33431.11	38798.37	48249.34	32656.50	29895.677	30267.46	36183.34	17882.13	1144228.61
13.	केरल	16261.55	16261.55	21256.92	18590.80	18590.80	23758.63	18160.05	18964.620	26418.42	20121.29	11500.43	77004.76
14.	मध्य प्रदेश	23343.61	24086.27	33954.03	26687.27	44223.47	32418.00	26068.92	43588.240	68247.66	28884.31	36763.09	177483.30
15.	महाराष्ट्र	45773.50	47443.24	128589.14	52329.94	52313.82	105934.60	51117.44	53881.901	90493.58	56638.03	48563.29	249576.80
16.	मणिपुर	2548.30	2065.92	1684.17	2927.55	2541.31	1450.05	2860.10	2362.857	1558.99	3159.90	1688.59	8770.34
17.	मेघालय	4438.24	3783.31	3854.48	5098.75	5572.45	5404.88	4981.27	5513.122	7072.81	5503.42	2991.26	21080.63
18.	मिजोरम	945.84	1267.79	1422.31	1086.60	1335.55	1340.29	1061.56	1108.600	1261.26	1172.84	910.14	4452.84
19.	नागालैंड	2936.92	3996.01	3038.92	337401	4455.68	5081.19	3296.27	3442.320	4740.04	3641.79	3641.79	15465.94
20.	ओडिशा	44016.50	46025.72	76884.11	50321.27	47573.66	69101.95	49155.32	62730.576	62887.58	54464.00	42121.35	222203.51
21.	पंजाब	6463.27	6463.27	7782.73	7389.05	6358.58	7641.13	7217.84	2175.071	6274.38	7997.36	659.49	17106.30
22.	राजस्थान	18705.35	18869.60	29866.62	21384.64	37422.23	37643.04	20889.15	39472.876	60449.37	23145.13	17631.20	140698.57
23.	सिक्किम	561.69	561.69	781.01	645.29	852.16	1328.40	630.42	501.535	1024.14	696.50	348.25	2570.43
24.	तमिलनाडु	30388.96	30547.07	44487.29	34741.77	34801.21	44072.40	33936.80	35173.294	34942.10	37601.90	33308.84	141026.13
25.	त्रिपुरा	5718.48	6368.57	3018.96	6569.52	10826.77	8621.91	6418.13	11530.633	14927.33	7090.90	3545.45	37094.31
26.	उत्तर प्रदेश	100629.31	101479.94	158769.94	115043.10	114990.43	147833.00	112377.53	115805.740	142435.34	124514.06	76540.89	459296.03
27.	उत्तराखंड	5044.94	5044.94	7828.18	5767.56	5395.01	8062.20	5633.93	5827.079	7444.27	6242.38	3926.97	23440.70
28.	पश्चिम बंगाल	60717.10	60727.47	89164.28	69414.01	63014.36	79682.63	67805.68	67609.087	84937.98	75128.55	40440.39	268116.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	962.66	98.04	167.30	1100.55	77.09	234.83	1075.04	98.040	247.09	1191.15	791.891	2328.09
30.	दादरा और नगर हवेली	160.40	80.20	0.00	183.77	91.69	0.00	179.12	89.560	0.00	198.96	0.00	288.02
31.	दमन और दीव	71.75	0.00	0.00	82.03	41.02	0.00	80.17	0.000	0.00	88.79	0.00	88.79
32.	लक्षद्वीप	62.21	62.21	56.72	71.12	71.12	0.00	69.47	0.000	0.00	76.98	0.00	76.98
33.	पुदुचेरी	479.48	239.74	38.30	548.16	0.00	0.00	535.46	0.000	0.00	593.28	0.00	593.28
	कुल	849470.00	863573.99	1329246.40	1005370.00	1013945.4	1346572.75	949120.00	986477.80	1281487.61	1051320.00	668337.535	3987622.95

उपयोग/खर्च कुल उपलब्ध निधि में से है जिसमें अथशेष + केंद्रीय + राज्य रिलीज + विविध प्राप्तिया शामिल हैं।

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष 2012-13 (फरवरी, 2013 तक)
आईएवाई के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि

(बनाए गए मकानों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	371982	434733	257104	257104	249013	249013	270399	1025529
2.	अरुणाचल प्रदेश	10873	6026	7726	9915	7548	1400	8339	27202
3.	असम	240446	181162	170849	156911	166913	143770	184408	652002
4.	बिहार	1098001	653214	758904	566148	737486	469885	816305	2589824
5.	छत्तीसगढ़	57520	58449	39759	58419	37466	77485	41511	214881
6.	गोवा	2291	1864	1584	667	1547	1087	1714	5015
7.	गुजरात	182429	166760	126090	167313	123168	111999	136470	538950
8.	हरियाणा	25611	25138	17703	18055	17293	17282	19163	71793
9.	हिमाचल प्रदेश	8212	9295	5793	5834	5659	6019	6271	23783
10.	जम्मू और कश्मीर	25508	18594	17995	19666	17578	8305	19476	65025
11.	झारखंड	97926	87524	167691	167254	63477	117343	69503	417577
12.	कर्नाटक	143311	158417	99055	95567	96760	26965	107210	326502
13.	केरल	79695	51590	55084	54853	53808	54499	59620	222780
14.	मध्य प्रदेश	114396	96877	79073	79097	76135	98447	84358	338037
15.	महाराष्ट्र	224323	207695	155052	156575	151063	141479	167379	616496
16.	मणिपुर	9439	3296	6707	4682	6552	2956	7238	21428
17.	मेघालय	16440	9875	11681	11439	11412	13147	12608	48606
18.	मिजोरम	3504	4851	2489	3517	2432	3227	2687	11863
19.	नागालैंड	10878	11645	7730	15514	7552	13362	8343	44771
20.	ओडिशा	215715	170766	149100	171223	142082	141398	155363	610066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब	31676	27108	21893	20483	21386	16622	23696	82187
22.	राजस्थान	91670	86882	63362	63464	61894	125642	68578	319578
23.	सिक्किम	2080	1819	1478	2739	1444	1805	1596	7584
24.	तमिलनाडु	148929	169753	102939	96256	100553	88579	111410	396798
25.	त्रिपुरा	21182	8322	15050	12310	14704	26529	16245	69788
26.	उत्तर प्रदेश	493156	483949	340868	305376	332804	307012	368322	1313514
27.	उत्तराखंड	22476	20373	15856	15924	15488	15573	17162	64147
28.	पश्चिम बंगाल	297564	230155	205671	178832	199176	184425	219553	781986
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2750	242	2446	316	2389	578	2646	5929
30.	दादरा और नगर हवेली	458	0	407	0	398	0	441	839
31.	दमन और दीव	205	0	182	0	178	0	197	375
32.	लक्षद्वीप	229	88	158	0	154	0	171	325
33.	पुदुचेरी	1370	47	1218	0	1190	0	1318	2508
	कुल	4052243	3385619	2908697	2715453	2726702	2465833	3009700	10917688

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष 2012-13 (फरवरी, 2013 तक) मनेरगा के अंतर्गत उपयोग तथा रिलीज की गई निधि

(बनाए गए मकानों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	378160.23	450918.00	741807.00	543938.55	147757.89	417791.65	274784.89	417438.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	3386.17	1725.74	3528.47	5057.31	6078.58	95.07	2654.39	1302.71
3.	असम	77888.50	103389.76	60928.65	92104.35	42685.8	74721.26	44963.25	45394.75
4.	बिहार	103278.45	181687.63	210365.46	266425.17	130073.42	132128.96	98401.36	140155.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	82710.30	132266.65	168504.95	163397.81	163855.88	203660.6	203136.31	152287.24
6.	गोवा	77729.70	73938.25	89486.13	78822.00	32429.03	65888.11	35334.74	44836.01
7.	गुजरात	12400.38	14355.28	13100.11	21470.43	27512.23	31251.6	33685.09	25293.46
8.	हरियाणा	39542.50	55655.76	63625.00	50196.38	31138.16	50730.18	32136.64	34905.54
9.	हिमाचल प्रदेश	17568.95	18531.34	31359.89	37776.70	78130.96	40124.88	54921.59	36895.05
10.	जम्मू और कश्मीर	81216.22	137970.19	96286.92	128435.40	123733.08	116796.6	43067.26	811023.58
11.	झारखंड	276998.19	273919.35	157305.00	253716.51	66256.92	163207.82	95000.00	131610.11
12.	कर्नाटक	46771.42	47151.35	70423.24	70434.07	95105.43	99414.47	105373.04	112845.95
13.	केरल	351923.66	372228.08	256576.96	363724.90	296851.28	329633.35	130914.52	201354.79
14.	मध्य प्रदेश	24965.06	32109.32	20471.11	35811.97	104043.62	158544.82	157324.33	164044.43
15.	महाराष्ट्र	43691.36	39316.87	34298.83	44070.51	62496.73	2915.66	49296.60	21549.81
16.	मणिपुर	21136.81	18352.79	20980.84	31902.39	28498.33	29657.83	17981.94	19857.50
17.	मेघालय	27697.03	23823.99	21602.83	29315.12	32956.72	22332.28	23357.67	17929.68
18.	मिजोरम	56292.34	49945.76	51156.84	60537.48	67346.57	49734.45	35216.68	14191.12
19.	नागालैंड	44581.26	93898.37	156186.38	153314.26	97821.72	104484.88	76937.53	74114.11
20.	ओडिशा	14318.45	14991.96	12879.17	16584.21	11429.36	15970.34	9577.68	12901.39
21.	पंजाब	594264.49	566903.40	278882.00	328907.14	161969.6	318122.73	237748.74	272272.85
22.	राजस्थान	8857.35	6408.99	4448.55	8525.72	10079.77	4826.97	5326.91	3685.58
23.	सिक्किम	137118.92	176123.49	202489.77	232331.96	281552.22	292321.51	354605.42	309611.65
24.	तमिलनाडु	88636.01	72940.80	38260.70	63186.85	95932.57	94221.58	76799.05	69199.48
25.	त्रिपुरा	531887.16	590003.87	526658.86	563120.10	424048	499036.81	117029.09	196792.48
26.	उत्तर प्रदेश	27960.22	28309.06	28980.93	38019.88	37351.42	39969.35	23906.41	23062.09
27.	उत्तराखंड	178728.96	210898.16	211761.00	253246.13	259703.16	283111.91	311697.96	315456.58
28.	पश्चिम बंगाल	241.15	1226.12	768.63	903.66	1643.85	1562.93	1247.63	760.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	39.20	133.95	47.73	123.00	100	0	39.56	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	एनआर
31.	दमन और दीव	20.72	470.12	507.76	993.28	259.64	698.28	241.16	114.49
32.	लक्षद्वीप	200.00	201.48	233.58	251.70	35	161.63	117.55	108.82
33.	पुदुचेरी	459.93	726.90	2982.05	1082.11	100	1017.56	480.93	1226.10
34.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	एनआर
	कुल	3350661.09	3790522.78	3576895.33	3937727.05	2918976.94	3670733.07	2653305.92	2942221.65

मांग आधारित योजना होने की वजह से राज्यों को मनरेगा के अंतर्गत आबंटन नहीं किया जाता है।

उपयोग/खर्च कुल उपलब्ध निधि में से है जिसमें अथशेष + केंद्रीय + राज्य रिलीज + विविध प्राप्तिया शामिल हैं।

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष 2012-13 (फरवरी, 2013 तक)
मनरेगा के अंतर्गत सृजित रोजगार लाख श्रम दिवस में

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4044.30	3351.61	2767.72	2701.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.98	31.12	0.52	10.66
3.	असम	732.95	470.52	353.47	208.58
4.	बिहार	1136.88	1602.62	626.76	563.10
5.	छत्तीसगढ़	1041.57	1110.35	1212.89	833.04
6.	गुजरात	585.09	491.84	311.22	210.98
7.	हरियाणा	59.04	84.20	108.92	86.89
8.	हिमाचल प्रदेश	284.94	219.46	261.10	174.42
9.	जम्मू और कश्मीर	128.71	210.68	162.18	128.20
10.	झारखंड	842.47	830.90	601.24	389.83
11.	कर्नाटक	2003.43	1097.85	699.55	262.56

1	2	3	4	5	6
12.	केरल	339.71	480.34	631.94	633.23
13.	मध्य प्रदेश	2624.00	2198.18	1574.96	834.51
14.	महाराष्ट्र	274.35	200.00	651.21	635.53
15.	मणिपुर	306.18	295.61	205.13	113.52
16.	मेघालय	148.48	199.81	161.66	106.11
17.	मिजोरम	170.33	165.98	122.85	101.10
18.	नागालैंड	284.27	334.34	225.93	78.81
19.	ओडिशा	554.09	976.57	453.75	363.24
20.	पंजाब	77.17	75.40	64.38	48.61
21.	राजस्थान	4498.10	3026.22	2107.71	1706.11
22.	सिक्किम	43.27	48.14	32.76	15.17
23.	तमिलनाडु	2390.75	2685.93	3014.16	3188.13
24.	त्रिपुरा	460.22	374.51	490.13	418.02
25.	उत्तर प्रदेश	3559.23	3348.97	2653.01	1074.58
26.	उत्तराखंड	182.41	230.20	190.34	104.94
27.	पश्चिम बंगाल	1551.68	1553.08	1433.59	1334.51
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.83	4.03	8.10	3.43
29.	दादरा और नगर हवेली	0.70	0.47	0.00	छत
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	छत
31.	गोवा	1.85	3.70	3.11	0.46
32.	लक्षद्वीप	1.41	1.34	1.46	0.35
33.	पुदुचेरी	9.07	11.27	10.79	8.53
34.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	छत
	कुल	28359.46	25715.24	21142.04	16338.49

मनरेगा मांग आधारित योजना है।

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष 2012-13 (फरवरी, 2013 तक)
एसजीएसवाई के अंतर्गत आबंटित, रिलीज तथा उपयोग की गई राशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	10887.00	11476.59	16221.54	12557.00	12695.33	18460.59	11472.00	11472.00	8658.25	11623.00	8746.53	334.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	568.00	435.14	247.83	692.00	608.87	135.87	678.00	343.26	86.09	623.00	110.70	0.00
3.	असम	14750.00	17734.34	22522.07	17988.00	20436.85	21924.00	17628.00	10836.74	16917.99	16194.00	10365.44	0.00
4.	बिहार	25899.00	13727.48	30504.10	29872.00	14024.71	27334.28	27291.00	24249.98	13811.05	27649.00	13825.00	816.42
5.	छत्तीसगढ़	5752.00	6046.62	7979.52	6635.00	6584.38	7736.15	6062.00	5927.91	5074.83	6141.00	5527.47	4197.89
6.	गोवा	150.00	75.00	84.71	200.00	108.10	77.89	176.00	25.87	53.88	175.00	25.72	0.00
7.	गुजरात	4098.00	4319.90	6216.22	4727.00	4727.00	6949.44	4318.00	3734.97	3982.91	4375.00	4374.52	2724.36
8.	हरियाणा	2411.00	2541.56	3609.80	2781.00	2807.87	3907.13	2541.00	2499.56	2121.78	2574.00	2415.21	1618.54
9.	हिमाचल प्रदेश	1015.00	843.65	1466.90	1171.00	1171.00	1460.85	1070.00	777.60	1133.33	1084.00	547.46	650.09
10.	जम्मू और कश्मीर	1257.00	828.47	698.59	1449.00	779.59	734.12	1324.00	651.72	408.90	1342.00	327.41	0.00
11.	झारखंड	9766.00	6706.52	12882.67	11264.00	11129.00	12369.65	10290.00	6670.04	8448.25	10425.00	5212.50	2904.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	8221.00	8666.22	12027.24	9482.00	9482.00	12646.39	8663.00	6775.01	8516.58	8777.00	4942.74	6269.64
13.	केरल	3689.00	3855.01	5087.97	4255.00	4156.17	5851.54	3887.00	3692.71	3393.67	3938.00	1969.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	12325.00	13590.63	15690.17	14214.00	13994.63	17926.16	12986.00	11338.67	11360.31	13156.00	9339.00	4944.10
15.	महाराष्ट्र	16251.00	17131.08	22659.18	18744.00	18710.25	22067.39	17125.00	16979.23	17777.73	17349.00	15528.84	4913.69
16.	मणिपुर	989.00	463.49	252.17	1206.00	1187.18	360.69	1182.00	618.82	355.47	1086.00	453.61	0.00
17.	मेघालय	1108.00	648.01	678.88	1351.00	926.70	818.23	1324.00	391.85	544.99	1216.00	241.95	120.25
18.	मिजोरम	256.00	370.18	411.09	313.00	533.85	493.21	306.00	306.03	310.27	281.00	140.53	0.00
19.	नागालैंड	760.00	650.11	405.40	927.00	872.14	399.91	908.00	787.14	271.04	834.00	375.89	0.00
20.	ओडिशा	12453.00	11981.12	18184.11	14363.00	14211.13	17282.97	13122.00	12119.13	12860.26	13294.00	6647.00	1396.64
21.	पंजाब	1172.00	1022.42	1589.76	1351.00	1247.66	1748.22	1235.00	988.96	731.32	1251.00	316.32	229.87
22.	राजस्थान	6243.00	6581.09	9209.61	7200.00	7183.13	9954.67	6578.00	6049.46	7367.77	6664.00	6664.00	4532.66
23.	सिक्किम	284.00	382.27	291.30	346.00	573.80	373.35	340.00	170.00	451.46	313.00		0.00
24.	तमिलनाडु	9627.00	10148.45	13889.17	11103.00	11218.05	14835.21	10144.00	10134.27	7954.04	10277.00	9683.35	103.07
25.	त्रिपुरा	1785.00	1845.71	1981.05	2177.00	2580.10	3080.41	2134.00	2134.01	1210.11	1960.00	1528.53	327.46
26.	उत्तर प्रदेश	37286.00	41205.26	48871.72	43006.00	42539.13	49220.95	39290.00	28340.26	37107.16	39827.00	20004.13	13589.78
27.	उत्तराखंड	1963.00	2069.31	2735.58	2264.00	2230.25	3182.68	2069.00	2067.88	2100.65	2096.00	1653.95	1328.64
28.	पश्चिम बंगाल	13839.00	11863.68	21228.62	15962.00	15961.96	18897.82	14582.00	13175.61	14862.57	14773.00	11383.08	9257.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	10.43	20.74	25.00	35.84	25.64	25.00	12.48	20.06	25.00	8.47	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	25.00	0.00		25.00	25.00		25.00	0.00		25.00		0.00
31.	दमन और दीव	25.00	12.50	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00		0.00
32.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	2.30	25.00	25.00	0.00	25.00	12.50	0.00	25.00		0.00
33.	पुदुचेरी	250.00	263.50	269.09	300.00	300.00	148.52	275.00	137.50	220.30	275.00		0.00
	कुल	205154.00	197495.74	277919.08	238000.00	223066.64	280403.93	219100.00	183446.17	188113.00	219672.00	142358.34	60259.63

उपयोग/खर्च कुल उपलब्ध निधि में से है जिसमें अथशेष + केंद्रीय + राज्य रिलीज + विविध प्राप्तिया शामिल हैं।

विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष 2012-13 (फरवरी, 2013 तक) एसजीएसवाई के अंतर्गत स्वरोजगारियों की संख्या

(स्वरोजगारियों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	98391	295568	116974	165205	105746	108814	101653	144145
2.	अरुणाचल प्रदेश	4277	1496	5375	1036	5211	308	4536	एनआर
3.	असम	111087	164752	139636	143941	135418	143883	118024	एनआर
4.	बिहार	234063	157801	278264	162009	251565	135426	241808	3065
5.	छत्तीसगढ़	51982	50311	61814	53564	55885	44885	53711	25920
6.	गोवा	1426	1489	1880	768	1632	184	1432	एनआर
7.	गुजरात	37036	46131	44034	46820	39799	30267	38259	14104
8.	हरियाणा	21792	24392	25902	30199	23427	24435	25510	10715
9.	हिमाचल प्रदेश	9171	12284	10903	11615	9863	10828	9483	4902
10.	जम्मू और कश्मीर	11360	5644	13497	4271	12204	5236	11740	एनआर
11.	झारखंड	88258	116670	104932	113903	94850	57019	91179	21191
12.	कर्नाटक	74295	96470	88326	107283	79861	80754	76760	50229
13.	केरल	33342	47426	39634	47046	38532	40311	34440	एनआर
14.	मध्य प्रदेश	111385	106481	132406	97761	119712	88860	115060	22021
15.	महाराष्ट्र	146869	159026	174609	159855	157855	152429	151726	17421
16.	मणिपुर	7449	3362	9366	603	9082	363	7911	एनआर
17.	मेघालय	8344	5211	10491	40552	10169	5182	8861	941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	1932	8159	2429	3565	2352	3010	2046	एनआर
19.	नागालैंड	5721	3884	7194	4993	6973	5519	6076	एनआर
20.	ओडिशा	112544	131334	133803	138595	120957	129363	116263	5039
21.	पंजाब	10594	14504	12580	15657	11382	10287	10939	3108
22.	राजस्थान	56421	62094	67072	74853	60642	76149	58279	24472
23.	सिक्किम	2135	1463	2688	1294	2616	1337	2279	एनआर
24.	तमिलनाडु	87004	107486	103431	138916	93510	72095	89882	201323
25.	त्रिपुरा	13448	30959	16900	63890	16392	13456	14282	4797
26.	उत्तर प्रदेश	336975	345408	400612	391700	362184	341935	348314	108334
27.	उत्तराखंड	17738	18590	21091	20789	19071	17673	18333	9649
28.	पश्चिम बंगाल	125070	63092	148696	66942	134417	74494	129205	53212
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	170	587	176	448	169	358	169	एनआर
30.	दादरा और नगर हवेली	170	0	176	0	169	0	169	एनआर
31.	दमन और दीव	170	0	176	0	169	0	169	एनआर
32.	लक्षद्वीप	170	0	176	0	169	0	169	एनआर
33.	पुदुचेरी	1695	3103	2100	1913	1899	2256	1804	एनआर
	कुल	1822482	2082078	2175248	2108079	1979290	1674869	1887471	724588

एनआर : प्राप्त नहीं

2009-10, से 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पूरी की गई सड़कों की लंबाई, जोड़ी गई बसावटें तथा किया गया खर्च

क्र. सं.	राज्य	सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)				जोड़ी गई बसावटें (कि.मी. में)				किया गया खर्च (कि.मी. में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जनवरी, 13 तक)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जनवरी, 13 तक)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जनवरी, 13 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3092.00	2121.48	932.14	461.79	80	291	119	32	88637.00	47394.00	29175.00	15446.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	622.55	266.87	419.21	208.95	19	38	40	5	24761.00	34885.00	17337.00	19442.00
3.	असम	2095.88	2057.11	2131.43	1055.54	1046	696	444	273	141291.00	130079.00	131218.00	36702.00
4.	बिहार	2843.27	2515.13	7539.82	5047.46	902	1551	2447	2508	187451.00	269491.00	284708.00	142470.00
5.	छत्तीसगढ़	4020.44	1570.66	1053.69	476.28	1200	335	291	103	80506.00	30416.00	24435.00	17048.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1511.02	605.97	431.44	83.86	243	242	173	35	19046.00	24384.00	15055.00	667.00
8.	हरियाणा	785.35	389.24	188.31	65.42	1	0	0	0	27716.00	10803.00	6080.00	3205.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1505.61	661.82	761.09	41.47	66	35	46	33	22010.00	14267.00	11917.00	5228.00
10.	जम्मू और कश्मीर	661.54	474.00	999.63	1266.64	366	108	201	152	35942.00	29740.00	50843.00	35575.00
11.	झारखंड	1530.90	1599.25	1123.03	1014.27	408	1059	459	669	45779.00	53844.00	32323.00	23769.00
12.	कर्नाटक	3019.75	1848.93	1858.64	320	0	0	0	0	88397.00	63480.00	25662.00	1487.00
13.	केरल	264.10	245.87	214.14	58.59	35	7	8	1	11377.00	14614.00	5807.00	4229.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	10398.01	9163.26	2926.66	2077.99	1027	618	776	420	223483.00	140949.00	89417.00	50795.00
15.	महाराष्ट्र	3111.50	3718.27	2592.46	518.28	30	0	48	56	99460.00	101248.00	54605.00	11944.00
16.	मणिपुर	879.68	487.42	374.61	116.45	29	35	63	19	14513.00	12234.00	16652.00	5288.00
17.	मेघालय	97.92	83.31	44.67	13.98	23	8	6	9	2038.00	3639.00	2768.00	2329.00
18.	मिजोरम	202.71	252.13	130.90	56.57	16	35	4	4	6686.00	8224.00	8547.00	3603.00
19.	नागालैंड	273.66	86.00	24.89	53.50	15	9	6	0	7161.00	2967.00	1226.00	6652.00
20.	ओडिशा	3838.43	4941.90	3167.06	1822.69	367	971	574	377	189525.10	192425.00	123578.00	85911.00
21.	पंजाब	710.00	622.72	71.76	244.87	0	0	0	0	32264.00	15534.00	6149.00	15538.00
22.	राजस्थान	4350.11	3019.47	450.78	1609.15	79	35	20	352	79503.30	68639.00	24763.00	41027.00
23.	सिक्किम	98.82	85.72	74.98	29.05	27	18	24	19	8017.00	8553.00	1393.00	6699.00
24.	तमिलनाडु	1940.49	2229.01	814.10	45.93	6	2	9	0	56020.00	30481.00	21136.00	1917.00
25.	त्रिपुरा	519.93	432.11	352.17	119.61	383	260	201	40	25374.00	23751.00	23022.00	10069.00
26.	उत्तर प्रदेश	9526.81	3593.79	522.53	196.30	436	228	55	7	291496.00	86854.00	19484.00	5881.00
27.	उत्तराखंड	764.49	551.88	639.58	309.44	159	120	68	17	17257.00	19174.00	25548.00	1682.00
28.	पश्चिम बंगाल	1452.04	1385.20	1154.79	765.56	914	883	455	360	57582.00	53029.00	41793.00	29560.00
	कुल योग	60116.99	45108.53	30994.50	18080.47	7877	7584	6537	5491	1883292.40	1491098.00	1094641.00	584163.00

2009-10 से 2012-13 (6.3.2013 तक) के दौरान परियोजनाओं की संख्या, क्षेत्रफल, स्वीकृत तथा रिलीज की गई केंद्रीय राशि का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			कुल		
		परियोजना की संख्या	केंद्रीय रिलीज	व्यय	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	व्यय	परियोजना की संख्या	केंद्रीय रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	110	0.473	30.68	171	0.741	119.8	173	0.747	160.94	102	0.42484	125.137	556	2.386	436.56
2.	बिहार							40	0.192	3			9.43	40	0.192	12.43
3.	छत्तीसगढ़	41	0.209	13.69	71	0.284	50.38	69	0.299	62.37			0	181	0.792	126.44
4.	गोवा							0	0	0			0	0	0.000	0.00
5.	गुजरात	151	0.708	50.23	141	0.714	161.73	138	0.712	160.71	59	0.317	329.237	489	2.451	701.91
6.	हरियाणा							47	0.179	11.63	13	0.06	0	60	0.239	11.63
7.	हिमाचल प्रदेश	36	0.204	16.51	44	0.238	57.77	30	0.148	48.93	21	0.100	8.023	131	0.690	131.23
8.	जम्मू और कश्मीर							41	0.179	0			14.535	41	0.179	14.54
9.	झारखंड	20	0.118	7.64	22	0.097	24.1	45	0.242	15.7	30	0.163	48.173	117	0.620	95.61
10.	कर्नाटक	119	0.492	81	127	0.547	70.96	116	0.548	127.41	68	0.333	334.549	430	1.920	613.92
11.	केरल				26	0.142	11.01	15	0.082	10.81	5	0.023	4.809	46	0.247	26.63
12.	मध्य प्रदेश	116	0.671	43.48	99	0.548	113.25	111	0.615	108.6			37.60	326	1.834	303.13
13.	महाराष्ट्र	243	0.996	67.77	370	1.614	208.14	215	0.931	378.69	120	0.5265	501.60	948	4.068	1156.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	ओडिशा	65	0.336	21.77	62	0.35	73.47	68	0.38	77.53	39	0.212	89.700	234	1.278	262.47
15.	पंजाब	6	0.035	2.29	13	0.053	3.45	14	0.067	8.44	12	0.046	14.888	45	0.201	29.07
16.	राजस्थान	162	0.926	69.92	213	1.257	257.47	229	1.301	318.33	145	0.788	424.53	749	4.272	1070.25
17.	तमिलनाडु	50	0.26	16.17	62	0.311	60.16	56	0.271	17.57	32	0.171	138.73	200	1.013	232.63
18.	उत्तर प्रदेश	66	0.35	22.68	183	0.897	132.13	174	0.86	164.46	64	0.318	128.43	487	2.425	447.70
19.	उत्तराखंड				39	0.207	15.97	18	0.099	2.34			4.218	57	0.306	22.53
20.	पश्चिम बंगाल							77	0.323	16.06			6.645	77	0.323	22.71
	पूर्वोत्तर राज्य															
21.	अरुणाचल प्रदेश	13	0.068	5.45	32	0.091	20.08	41	0.124	22.09			15.970	86	0.283	63.59
22.	असम	57	0.221	32.53	86	0.36	40.82	83	0.37	37.53			42.97	226	0.951	153.85
23.	मणिपुर				27	0.128	10.37	33	0.17	15.33	15	0.0691	22.48	75	0.367	48.18
24.	मेघालय	18	0.03	2.43	29	0.052	9.88	14	0.038	12.87	12	0.039	22.26	73	0.159	47.44
25.	मिजोरम	16	0.062	5.06	16	0.066	17.14	17	0.072	5.84	15	0.05914	12.32	64	0.259	40.36
26.	नागालैंड	22	0.106	8.56	19	0.083	26.71	20	0.086	59.42	17	0.069	63.12	78	0.344	157.81
27.	सिक्किम	3	0.015	1.17	3	0.014	3.88	3	0.014	1.15	2	0.00695	0	11	0.050	6.20
28.	त्रिपुरा	10	0.03	2.45	10	0.03	8.16	11	0.03	18.17	6	0.021	17.634	37	0.111	46.41
	कुल योग	1324	6.31	501.48	1865	8.824	1496.83	1898	9.079	1865.92	777	3.75	2417.185	5864	27.960	6281.41

आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत नई परियोजनाएं 2009-10 से रिलीज की जा रही हैं।

2009-10, से 2012-13 (6.3.2013 तक) के दौरान परियोजनाओं की संख्या, क्षेत्रफल, स्वीकृत तथा रिलीज की गई केंद्रीय राशि का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

राज्य	डीपीएपी रिलीज की गई निधियां					डीडीपी रिलीज की गई निधियां					आईडब्ल्यूडीपी रिलीज की गई निधियां				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	37.38	44.27	25.27	1.00	107.92	8.68	17.43	4.36	1.64	31.11	34.35	12.20	3.35	1.33	51.23
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						5.71	0.00	2.46	3.98	12.15
छत्तीसगढ़	20.76	14.92	16.61	2.78	55.07						13.82	8.42	12.02	4.56	38.82
गोवा												0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	51.31	18.65	22.27	7.49	99.72	113.63	28.63	5.41	2.78	150.45	23.69	15.74	6.47	6.70	52.60
हरियाणा						27.22	25.06	8.37	3.85	64.50	3.84	5.58	2.53	0.56	12.51
हिमाचल प्रदेश	4.04	19.36	6.18	1.47	31.05	0.00	13.73	0.00	0.00	13.73	13.52	16.95	13.23	3.85	47.55
जम्मू और कश्मीर	3.87	9.61	6.31	0.20	19.99	9.45	20.76	6.40	0.84	37.45	11.21	2.28	4.31	2.57	20.37
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						3.07	1.30	0.86	0.75	5.98
कर्नाटक	54.06	40.39	18.36	2.64	115.45	43.79	27.65	2.00	0.41	73.85	35.34	17.42	7.26	1.48	61.50
केरल											3.20	6.98	0.00	2.03	12.21
मध्य प्रदेश	47.56	37.48	9.10	2.68	96.82						28.90	12.41	5.09	1.24	47.64
महाराष्ट्र	79.79	80.93	24.72	11.16	196.60						37.56	38.27	10.66	6.00	92.49
ओडिशा	43.29	27.45	11.11	2.36	84.21						27.45	25.29	26.03	5.92	84.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पंजाब											2.90	2.09	2.77	0.00	7.76
राजस्थान	18.71	21.93	8.72	0.47	49.83	101.39	118.03	46.48	6.44	272.34	22.53	7.92	1.38	0.23	32.06
तमिलनाडु	14.48	16.18	13.60	1.29	45.55						11.22	13.61	6.15	5.23	36.21
उत्तर प्रदेश	25.11	12.52	1.57	1.63	40.83						46.38	8.45	2.62	0.27	57.72
उत्तराखंड	4.11	15.01	2.58	8.41	30.11						7.60	15.64	11.05	4.39	38.68
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						5.46	3.52	0.38	0.25	9.61
कुल एनएनई	404.47	358.70	166.40	43.58	973.15	304.16	251.29	73.02	15.96	644.43	337.75	214.07	118.62	51.34	721.78
पूर्वोत्तर राज्य															
अरुणाचल प्रदेश											26.68	26.79	15.71	3.98	73.16
असम											21.52	13.36	8.30	8.60	51.78
मणिपुर											10.97	15.43	9.70	0.71	36.81
मेघालय											15.95	25.80	13.16	4.95	59.86
मिजोरम											36.70	28.01	6.36	8.39	79.46
नागालैंड											7.49	0.44	0.00	0.00	7.93
सिक्किम											8.45	1.84	1.54	1.62	13.45
त्रिपुरा											0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
कुल एनई											128.15	111.67	54.77	28.25	322.84
कुल जोड	404.47	358.70	166.40	43.58	973.15	304.16	251.29	73.02	15.96	644.43	464.90	325.74	173.39	79.59	1044.62

डीपीएपी 16 राज्यों में, डीडीपी 7 राज्यों में और आईडब्ल्यूएनपी एवं आईडब्ल्यूडीपी 25 राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण

1754. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री समीर भुजबल :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार संस्वीकृत रेल स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां उन्नयन/आधुनिकीकरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ में उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जिसका उन्नयन और आधुनिकीकरण किया गया है तथा जिनका उन्नयन/आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या रेलवे का आगामी कुंभ मेले को ध्यान में रखकर नासिक स्टेशन का उन्नयन/आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) रेलवे द्वारा सभी उक्त स्टेशनों पर उन्नयन/आधुनिकीकरण संबंधी लंबित कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाया गया/उठाया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण विभिन्न आधुनिकीकरण योजनाओं यथा माडल स्टेशन योजना, माडर्न स्टेशन योजना और आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। 'माडल स्टेशन योजना' (जून, 1999 से नवंबर, 2008 तक) और 'माडर्न स्टेशन योजना' जो कि (2006-07 और 2007-08) बंद कर दी गई हैं। इस समय, वर्ष 2009 में शुरू की गई 'आदर्श स्टेशन योजना' के अंतर्गत स्टेशनों का उन्नयन किया जा रहा है। 'आदर्श' 'माडल' तथा 'माडर्न' स्टेशन योजनाओं के तहत विकसित किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों के राज्य-वार नाम निम्नानुसार है:—

राज्य	स्टेशनों के नाम
1	2
आंध्र प्रदेश (16)	अलर, बोब्बिली, दुवादा, द्वारापुदी, हिन्दुपुर, जनगांव, कमाररेड्डी, करीम नगर, मछरेला, मछलीपट्टनम, मलकाजगिरि, पिदुगुरल्ला, रघुनाथपल्ली, सत्तेनापल्ली, शंकरपल्ली और विनुकोंडा
असम (7)	बारपेटा रोड, फकीराग्राम, गोरेसवर, कोकराझार, रोता बागान, टंगला, उदलगुड़ी
बिहार (28)	आरा, बैरगनिया, बरौनी, बरसोई जं., बेगूसराय, भागलपुर, गढ़पुरा, घोघा, घोरा सहान, हसनपुर रोड, हिसुआ, जनकपुर रोड, जिराद्रई, कहलगांव, खडिक, किशनगंज, महेशकुंट, मानसी, नारायणपुर, नवादा, शाहपुर पटोरी, सलौना, शेखपुरा, शिवनारायणपुर, सिमरिबख्तियारपुर, सुपौल, थानाबिहपुर और वरसालीगंज
छत्तीसगढ़ (1)	महासमुंद
दिल्ली (2)	दिल्ली-किशनगंज और सब्जी मंडी
गुजरात (12)	बेचराजी, भारतीय, कड़ी, नवसारी, पालनपुर, सिद्धपुर, उधना, उंजा, वडनगर, वीजापुर, विसनगर और व्यारा
हरियाणा (6)	बहादुरगढ़, गुड़गांव, कुरूक्षेत्र, पानीपत, रोहतक जं. और सोनीपत
जम्मू और कश्मीर (2)	हीरा नगर और कठुआ
झारखंड (8)	डाल्टनगंज, धनबाद, गढ़वा रोड जंक्शन, लोहरदगा, पाकुर, फुसरो, रांची, और सिल्ली

1	2
कर्नाटक (15)	अलमाटी, बादामी, बागलकोट, चिकबल्लापुर, चिंतामणि, गदग, गौरीबिदानुर, गोकक रोड, हावेरी, कबकपुत्तर, कोलार, कोप्पल, सिदलाघाट, श्रीनिवासपुरा और येलहंका जं.
केरल (15)	औवनीस्वरम, चारवाथुर, ईटाकोट, फिरोक, कन्नापुरम, कोटिकुलम, मांजेश्वरम, निलेश्वर, पप्पनीसेरी, पारापननगडी, पारावुर, पायनगडी, पायननूर, त्रिचूर (त्रिसुर) और वालापट्टीनम
मध्य प्रदेश (16)	बियोरा राजगढ़, बिरला नगर, बुरहानपुर, दमोह, घटरिया (पथरिया), जूनारेडो (जमई), करेली, खंडवा, मदनमहल, निंभोरा, परासिया, पथरिया, पथारिया, सवदा, शिवपुरी और सिंगरौली
महाराष्ट्र (31)	अहमदनगर, अजनी, अमलनेर, अम्बरनाथ, दहिसर, दिवा, गंगाखेड़, हिंगोली, जलगांव, जालना, जयसिंहपुर, कलमेश्वर, कांदिवली, काटोल, खेपोली, कोपरगांव, लोअर परेल, मल्कापुर, मुलताई, नगरसोल, नाहुर, नंदौरा, नंदुरबार, नरखेड़, पंधुरना, पनवेल, नरसिंह पोकरनी, पुंताबा शिरडी, उदगीर और वरागांव
ओडिशा (15)	अंगुल, बरखाबाद, बारीपदा, भद्रक, डोईकल्लू, जाखपुरा, लांजीगढ़ रोड़, लापंगा, मेरामंडोली, नारायणगढ़, नेकुरसेनी, रघुनाथपुर, रेंगाली, सोरो, तालचेर
पंजाब (11)	बरनाला, फाजिल्का, गिद्दड़बाहा, लहरागंगा, मलेरकोटला, मौर, मुक्तसर, फगवाड़ा, संगरूर, सुनाम, टपा
राजस्थान (16)	अनूपगढ़, बालोत्रा, चुरू, धौलपुर, जयपुर, खैरथल, कोलायत, लूंकारानसर, नोहार, राजगढ़, रिंगस, सादुलपुर, सरदार सहार, श्री डुंगरगढ़, सुजानगढ़ और तहसील भद्र
तमिलनाडु (4)	अरियालुर, होसुर रोयापुरम, और थिरूवेरूमबूर
उत्तर प्रदेश (49)	अलीगढ़, अयोध्या, बहराइच, बाला मऊ, बारागांव, भारत कुंड, भरवारी, बिल्हार घाट, चित्रकूट धाम कार्वी, चोला, दारागंज, दरियाबाद, देवरिया सदर, दिलदारनगर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौरा, गौरी गंज, गाजियाबाद, गाजीपुर सिटी, जाखनिया, झूसी, कालपी, खजुराहो, खलीलाबाद, खुर्जा जंक्शन, कुंदा हरनाम गंज, लाल गंज, लाल गोपाल गंज, मगहर, मानिकपुर, मिर्जापुर, मुंदरवा, मुजफ्फरनगर, नैमिषारण्य, नैनी, उरई, परतापुर, पतरंगा, फूलपुर, पोखरयान, प्रयाग घाट, रुदोली, सकोटी टांडा, शोहरतगढ़ शिराथु, सीतापुर कैंट, टूंडला और ऊंचाहार
पश्चिम बंगाल (94)	अंबलग्राम, अशोकनगर रोड, अजीमगंज जं. बागुला, बहादुरपुर, बहारू, बहिरगच्छी, बहिरपुया, बालागढ़, बलरामबती, बालगोना, बल्लारपुर, बल्लीघाट, बामनगच्छी, बांका पासी, बंकिमनगर, बांसतला, बारासात जं, बसुदेवपुर, बसुलडंगा, बाथनकरिट्टबा, बेलदंगा, बेलियाघाट रोड, बेलियाटोर, बेटबरिया घोला, भगवानगोला, बिद्याधरपुर, विष्णुपुर, बोइंची, चांचई, चंदनपुर, चतरा, चोरीगचा, डैनहट, दासनगर, धातरीग्राम, ढुबुलिया, दुमारदहा, दुर्गाचक, फलकटा, गददहरपुर, घोराघटा, गिधनी, गोबरा, गुरप, हरिदासपुर, हंसीमारा, हिंदमोटर, होटर, हृदयापुर, जमुरिया, जनाई रोड, जेस्सोर रोड, झंतीपहाड़ी, कैकला, कलीननगर, खागड़ाघाट रोड, खलतीपुर, खेमसौली, खिदिरपुर, कोडलिया-बिशरपाड़ा, कुल्पी, लोहापुर, लोकनाथ, मधुसूदनपुर, माझडिया, मालतीपुर,

1	2
	मनीग्राम, मोल्लारपुर, मुरारी, नवाद्वीप घाट, नबाग्राम, नरेन्द्रपुर, न्यू कूच बिहार, पल्ला रोड, पालसिट, पटौली, पिरताला, प्रांतिक, राजगोडा, रामराजतला, रिमाउंट रोड, रूपनारायणपुर, सागरडिगी, सालनपुर, सालबोनी, संकरेल, सरदिहा, शालीमार, शिमलागढ़, तल्डी तलिट, और टिलडंगा।
राज्य	'माडर्न' स्टेशन योजना के तहत स्टेशन
असम (2)	जोरहट टाउन और माल बाजार
बिहार (12)	अक्षयवट राय नगर, अनुग्रह नारायण रोड, बेटिह, भीभुआ रोड, दलसिंहसराय, लकी सराय, मननपुर, नरकटियागंज जं. नयागांव, राजगीर, सगौली जं. और सासाराम जं.
नागालैंड (1)	दीमापुर
पश्चिम बंगाल (4)	अलीपुरद्वार, डलकोल्हा, न्यू अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी जं.
बिहार (15)	बाढ़ बेतिया, भगवानपुर, बक्सर, दलसिंहसराय, दौरम, मधेपुरा, जमुई, क्यूल जं., लखीसराय, मानसी जं, नरकटियागंज जं, नौगछिया, रफीगंज, सगौली जं. और सहरसा जं.
झारखंड (2)	चन्द्र पुरा जं. और हैदरनगर।
उत्तर प्रदेश (2)	दिलदारनगर जं. और चंदौली माझवर।

स्टेशनों का अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य निधि की उपलब्धता के अनुसार किए जाते हैं।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे स्टेशन जिन्हें अपग्रेड/आधुनिक बना दिया, के नाम निम्नानुसार हैं:—

योजनाएं	स्टेशनों के नाम
आदर्श (9)	अम्बिकापुर, चंपा, चिरिमिरी, डोंगरगढ़, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़, रायपुर तथा राजनांदगांव
माडल (8)	भाटापाड़ा, बिलासपुर, चंपा, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव तथा तिल्डा
माडर्न (18)	अम्बिकापुर, बेल्हा, भाटापाडा, बिलासपुर, बीपीएचबी, चंपा, दल्लीराजहारा, डोंगरगढ़, दुर्ग, कोरबा, महसामुंद, नैला, नैपनिया, पेन्ड्रा, रोड, रायगढ़, रायपुर राजनांदगांव तथा तिल्डा

आदर्श स्टेशन के तहत चिन्हित महसामुंद रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाना है।

(ग) और (घ) नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर मानदंडों के अनुसार सभी अनिवार्य सुविधाएं हैं। कुंभ मेले के दौरान रेलगाड़ी से आने-जाने वाले तीर्थ यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से मुहैया करायी जाएंगी।

(ङ) चिह्नित किए गए आदर्श रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन एवं उनकी प्रगति पर निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है। इन कार्यों की प्रगति संसाधनों की समग्र उपलब्धता के भीतर सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

खान-पान में एकाधिकार

1755. श्री एस. अलागिरि :
श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान-पान नीति, 2010 का लक्ष्य एकाधिकार को खत्म करना होने के बावजूद रेलवे का खान-पान क्षेत्र में एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों/व्यक्तियों/एजेंसियों की संख्या कितनी है जो खान-पान स्टॉल, चल खान-पान स्टॉलों, खाद्य प्लाजा और फास्ट फूड इकाइयों में तीन वर्षों से ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खान-पान स्टॉल, चल खान-पान स्टॉल, खाद्य प्लाजा और फास्ट फूड इकाइयों में उक्त आवंटन से किराए के रूप में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पेयजल और स्वच्छता योजनाएं

1756. डॉ. बलीराम : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के कार्यान्वयन की रीति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को उक्त योजनाओं के तहत लाभ दिलाने के मध्यम क्या हैं और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत/जारी और व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। एनआरडीडब्ल्यूपी का कार्यान्वयन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रभारी राज्य सरकार के विभागों/बोर्डों के माध्यम से किया जाता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं को तैयार करने, अनुमोदित और निष्पादित करने की शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है। इस मंत्रालय के परामर्श के राज्य सरकारें इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं और कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करती हैं, ताकि आंशिक रूप से कवर की गई और गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित बसावटों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति कराई जा सके। राज्य जल और स्वच्छता मिशनों को निधियां रिलीज की जाती है, जो आगे राज्य/जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां रिलीज करते हैं।

एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान आबंटित, रिलीज और खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

जहां तक निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का संबंध है, इसका कार्यान्वयन जिले को इकाई मानकर किया जाता है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यान्वयन व्यवस्था का प्रावधान है।

एनबीए के तहत निधियां संबंधित राज्यों के राज्य जल एवं स्वच्छता मिशनों को रिलीज की जाती हैं। राज्य ये निधियां जिला पंचायत/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) को रिलीज करते हैं। जिला पंचायत/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) को निधियां रिलीज करते हैं। ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण और इस्तेमाल किए जाने पर पात्र बीपीएल परिवारों और एपीएल परिवार को निधियां रिलीज करते हैं। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान रिलीज और खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत योजनाओं से लाभान्वित लोगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-III में दर्शायी गई है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान एनबीए के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-IV में दर्शायी गई है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत अथशेष, आवंटन रिलीज और व्यय

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10				2010-11				2011-12				2012-13			
		अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	4.05	437.09	537.37	394.45	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37	301.30	563.39	356.42	429.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.47	180.00	178.20	193.80	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	10.09	143.51	206.86	274.74
3.	असम	4.85	301.60	323.50	269.34	59.32	449.64	481.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61	127.51	510.96	79.9	103.68
4.	बिहार	668.94	372.21	186.11	279.36	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30	285.65	449.36	0.03	0
5.	छत्तीसगढ़	27.59	116.01	128.22	104.06	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12	80.82	145.01	511.54	571.21
6.	गोवा	0.00	5.64	3.32	0.50	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16	5.91	6.07	230.95	205.67
7.	गुजरात	92.11	482.75	482.75	511.83	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70	327.59	537.10	72.06	86.03
8.	हरियाणा	0.00	207.89	206.89	132.35	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71	43.98	245.78	466.5	283.27
9.	हिमाचल प्रदेश	8.31	138.52	182.85	160.03	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97	61.94	152.04	150.29	133.56
10.	जम्मू और कश्मीर	239.56	447.74	402.51	383.49	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07	147.04	510.76	601.44	464.5
11.	झारखंड	64.94	149.29	111.34	86.04	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84	74.31	189.51	112.95	96.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	कर्नाटक	32.05	573.67	627.86	473.71	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85	213.14	681.57	387.27	241.49
13.	केरल	1.36	152.77	151.89	150.56	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98	16.08	168.89	490.99	342.96
14.	मध्य प्रदेश	107.42	367.66	379.66	354.30	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.67	292.78	379.30	35.82	438.41	120.44	147.86
15.	महाराष्ट्र	204.24	652.43	647.81	625.59	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20	320.10	783.66	83.49	70.32
16.	मणिपुर	16.70	61.60	38.57	30.17	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03	9.29	63.72	1162.46	660.85
17.	मेघालय	0.62	70.40	79.40	68.57	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	36.83	73.35	273.64	400.81
18.	मिजोरम	17.43	50.40	55.26	51.11	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	9.74	41.66	741.2	298.17
19.	नागालैंड	29.61	52.00	47.06	71.58	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	1.10	60.42	3.78	91.96
20.	ओडिशा	25.85	187.13	226.66	198.87	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60	84.34	238.58	173.96	377.17
21.	पंजाब	19.18	81.17	88.81	110.15	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32	3.00	90.33	143.56	97.96
22.	राजस्थान	3.88	1036.46	1012.16	671.29	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18	319.68	1340.44	460	466.22
23.	सिक्किम	9.92	21.60	20.60	28.94	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49	49.71	18.03	27.33	15.83
24.	तमिलनाडु	57.24	320.43	317.95	370.44	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60	240.27	294.33	67	58.33
25.	त्रिपुरा	18.92	62.40	77.40	77.35	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39	4.01	64.28	20.83	23.47
26.	उत्तर प्रदेश	173.71	959.12	956.36	967.38	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20	159.90	878.77	57.69	24.44
27.	उत्तराखंड	42.77	126.16	124.90	67.24	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65	141.74	158.40	8.38	14.28
28.	पश्चिम बंगाल	69.20	372.29	394.30	87.76	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41	265.96	462.27	59.28	51.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	1.15	0.58	0
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
34.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
35.	चंडीगढ़					0.00	0.40			0.00	0.00	0.00		0.00	1.75	0	0
	कुल	1967.92	7986.43	7989.72	6920.26	3043.88	8550.00	8941.81	8079.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65	3376.85	9313.50	7070.83	6031.57

04.03.2013 को आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान एनबीए के तहत निधियों की रिलीज तथा व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (जनवरी, 2013 तक)	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11078.44	3915.05	14218.46	7177.90	9657.28	9151.88	15022.69	5331.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	404.97	659.28	119.26	610.28	204.88	511.09	227.15	94.69
3.	असम	6729.84	9436.95	9437.36	6712.08	12251.18	12251.18	2772.21	7579.77
4.	बिहार	9046.72	9014.63	11259.76	12421.48	17219.09	16761.44	39814.56	15929.55
5.	छत्तीसगढ़	5018.42	6437.99	5479.58	2530.57	2702.42	3286.35	0.00	1323.32
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	3036.91	5154.34	4692.36	3332.98	4308.28	3525.46	3949.42	2782.98
9.	हरियाणा	718.15	1220.09	2361.49	1410.41	335.27	1542.35	0.00	540.60
10.	हिमाचल प्रदेश	1017.74	1312.38	2939.78	2130.20	469.57	1274.65	1666.96	1226.53
11.	जम्मू और कश्मीर	332.90	1383.15	2792.51	1101.93	967.95	2463.42	3511.01	1863.19
12.	झारखंड	3941.66	3871.91	5466.98	3653.66	7264.92	2334.84	4193.31	1288.78
13.	कर्नाटक	5571.00	4816.90	4558.66	6240.93	8709.28	4115.18	8352.77	5029.31
14.	केरल	975.45	1346.20	2286.34	808.52	158.89	987.89	0.00	823.61
15.	मध्य प्रदेश	9987.48	12732.13	14402.60	12826.57	15076.00	16700.46	25823.23	10097.76
16.	महाराष्ट्र	9894.06	11741.67	12911.70	7263.49	5799.94	8391.45	11872.83	2562.40
17.	मणिपुर	1177.54	409.58	80.30	861.00	1087.87	701.18	912.63	1331.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मेघालय	1378.78	985.46	3105.23	1437.34	1115.72	3290.85	792.00	529.99
19.	मिजोरम	412.98	419.27	633.40	272.81	31.38	691.60	0.00	159.82
20.	नागालैंड	1059.27	971.60	1229.45	264.95	174.06	1371.36	396.37	388.50
21.	ओडिशा	5031.55	5258.97	6836.73	4928.22	11171.70	4652.38	0.00	2958.09
22.	पुदुचेरी	0.00	5.19	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	116.02	326.41	1116.39	420.64	283.18	108.36	0.00	387.74
24.	राजस्थान	4352.64	3217.59	5670.74	3757.52	5424.41	3136.60	6885.49	6478.44
25.	सिक्किम	0.00	258.95	112.86	0.00	0.00	0.00	69.87	0.00
26.	तमिलनाडु	6166.18	5406.86	7794.35	5213.14	7662.06	10710.19	6239.19	3416.64
27.	त्रिपुरा	836.66	535.74	925.14	574.08	133.92	752.89	124.74	267.43
28.	उत्तर प्रदेश	11579.77	33657.29	22594.00	22738.91	16920.72	12056.46	25776.25	15538.03
29.	उत्तराखंड	773.98	1102.22	1707.61	1159.57	804.76	1312.67	2541.96	1051.30
30.	पश्चिम बंगाल	3246.26	7809.32	8327.50	7654.57	14124.34	11514.02	15319.32	14173.97
	कुल	103885.36	133407.43	152980.54	117506.70	144059.07	133572.68	176263.96	103156.62

विवरण-III

एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत 2009-10 से 2012-13 तक बसावटों की कवरेज और जनसंख्या (जनसंख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13*	
		कवर की गई बसावट	कवर की गई जनसंख्या	कवर की गई बसावट	कवर की गई जनसंख्या	कवर की गई बसावट	कवर की गई जनसंख्या	कवर की गई बसावट	कवर की गई जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5374	79.61	6971	108.72	6183	98.54	5033	73.59
2.	बिहार	26622	348.09	14221	162.91	11243	125.36	6984	72.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	छत्तीसगढ़	12002	54.22	7847	28.52	7977	30.67	5379	25.00
4.	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	गुजरात	1441	13.17	1079	13.17	1165	14.03	1465	20.70
6.	हरियाणा	885	24.02	752	22.43	859	27.96	475	15.37
7.	हिमाचल प्रदेश	5204	6.63	5094	5.73	2558	2.76	2059	2.46
8.	जम्मू और कश्मीर	424	4.76	903	8.11	536	4.73	651	6.45
9.	झारखंड	14605	55.53	11399	50.32	17425	75.26	5011	21.65
10.	कर्नाटक	11625	132.71	6130	83.24	8757	101.30	7128	97.37
11.	केरल	241	5.23	405	8.86	419	9.32	644	14.48
12.	मध्य प्रदेश	10781	81.93	13937	95.35	15644	100.64	11617	77.15
13.	महाराष्ट्र	7465	60.52	8987	87.56	6364	59.85	2439	25.58
14.	ओडिशा	9525	42.86	7525	30.80	6782	28.89	13014	58.22
15.	पंजाब	1874	23.02	1658	18.12	643	7.22	317	3.83
16.	राजस्थान	10388	91.34	7254	64.13	7885	48.72	2011	13.26
17.	तमिलनाडु	8206	27.02	7039	36.83	6000	24.36	6066	25.23
18.	उत्तर प्रदेश	1874	21.75	1879	17.83	23134	135.00	2537	37.59
19.	उत्तराखंड	1200	1.72	1324	1.56	1102	1.34	227	0.71
20.	पश्चिम बंगाल	4806	58.91	5967	62.60	4619	47.55	3059	38.57
21.	अरुणाचल प्रदेश	567	1.22	601	1.62	415	0.89	138	0.22
22.	असम	12004	41.30	6657	22.77	6601	22.17	4038	12.37
23.	मणिपुर	158	1.59	227	2.58	234	2.46	143	1.68
24.	मेघालय	407	1.18	380	1.13	510	1.23	154	0.44
25.	मिजोरम	124	0.84	121	0.61	122	0.78	5	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	नागालैंड	84	1.20	128	1.72	116	1.50	80	1.55
27.	सिक्किम	110	0.23	100	0.21	50	0.10	41	0.09
28.	त्रिपुरा	843	3.59	976	3.81	1024	4.17	788	3.16
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33.	दिल्ली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35.	पुदुचेरी	40	0.76	12	0.14	0	0.00	0	0.00
	कुल	148879	1184.96	119383	942.37	138367	976.80	81833	648.85

*'04.03.2013 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीपीएल के लिए बनाए गए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जनवरी, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	238305	656048	515650	243683
2.	अरुणाचल प्रदेश	13412	14346	23659	2872
3.	असम	350830	414742	390671	153867

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	472722	545770	646052	473470
5.	छत्तीसगढ़	257149	149902	48320	25378
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	0	800	0	0
8.	गुजरात	283359	168636	93921	28872
9.	हरियाणा	31909	52877	28727	8005
10.	हिमाचल प्रदेश	57302	57848	4528	552
11.	जम्मू और कश्मीर	48672	30038	60639	27560
12.	झारखंड	270839	264958	41458	25860
13.	कर्नाटक	485425	435097	191070	140113
14.	केरल	56723	20047	2188	4766
15.	मध्य प्रदेश	584526	621743	472521	233027
16.	महाराष्ट्र	351898	265218	253423	67004
17.	मणिपुर	7565	36545	44671	18890
18.	मेघालय	36620	48249	41969	5537
19.	मिजोरम	3574	1494	16216	3321
20.	नागालैंड	25993	13266	29370	18630
21.	ओडिशा	285318	396500	222420	81805
22.	पुदुचेरी	208	77	0	0
23.	पंजाब	37397	71405	9343	43101
24.	राजस्थान	153642	189885	201396	58040
25.	सिक्किम	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
26.	तमिलनाडु	281848	290606	258521	153910
27.	त्रिपुरा	16390	10431	11383	4226
28.	उत्तर प्रदेश	1159837	1042578	711103	20399
29.	उत्तराखंड	55874	52324	51998	30501
30.	पश्चिम बंगाल	302271	304503	363599	351566
	कुल	5869608	6155933	4734816	2224955

थावे-गोपालगंज लिंक

1757. **श्री पूर्णमासी राम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थावे स्टेशन को गोपालगंज स्टेशन से ब्रॉड-गेज लाइन से जोड़ने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) रेलवे ने इस पर क्या कदम उठाए/उठा रही है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (ग) थावे-गोपालगंज खंड का आमान परिवर्तन को कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा खंड के (233.50 किमी.) स्वीकृत आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में पहले ही शुरू कर दिया गया है। कप्तानगंज-थावे-सिवान खंड (127.50 किमी.) का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। थावे-गोपालगंज-छपरा (106.20 किमी.) के शेष खंड का आमान परिवर्तन कार्य, जिसमें भूमि संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, ब्लैंकेटिंग, सिगनल एवं दूरसंचार कार्य, बिजली से संबंधित कार्य इत्यादि को भी शुरू कर दिया गया है। मार्च, 2012 तक 475.30 करोड़ रु. खर्च किया गया है। 2013-14 के बजट में इस परियोजना के लिए 5.00 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। थावे-छपरा खंड को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विनियंत्रित उर्वरकों की श्रेणी में यूरिया और डीएपी उर्वरक

1758. **श्री जयवंत गंगाराम आवले :**
श्री के.डी. देशमुख :
श्री विजय बहादुर सिंह :
श्री के. सुधाकरण :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खेती हेतु यूरिया और डी.ए.पी. उर्वरकों को विनियंत्रित उर्वरकों के अंतर्गत लाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यूरिया के गौण माल ढुलाई दर को संशोधित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) वर्तमान में यूरिया को विनियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पोषण आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत डीएपी उर्वरक 01.04.2010 से विनियंत्रित है।

(ग) और (घ) उर्वरक विभाग ने प्रशुल्क आयोग की संस्तुतियों के आधार पर एक-समान माल ढुलाई राजसहायता योजना के तहत

1 सितम्बर, 2011 को गौण माल ढुलाई के लिए यूरिया का उत्पादन/आयात करने वाली इकाइयों के लिए सड़क माल ढुलाई दर अधिसूचित की है। इन दरों को डब्ल्यूपीआई (एकीकृत सड़क परिवहन संकेत) द्वारा प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाएगा।

[अनुवाद]

पेंशन योजनाओं के तहत पात्रता

1759. श्री मनोहर तिरकी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 2011-12 और 2012-13 के दौरान लाभार्थियों की कुल संख्या तथा राज्यों को आवंटित और जारी धनराशि का योजना-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) मौजूदा मानदंडों के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस) का लाभ लेने के लिए आवेदक चाहे वह पुरुष हो या महिला, की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (एनएफबीएस) के लाभ ऐसे शोक संतप्त परिवार को प्रदान किए जाते हैं जिसके 18-59 वर्ष आयु-वर्ग के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो गई हो। स्कीम में निर्दिष्ट किए गए के अनुसार मुख्य जीविकोपार्जक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, परिवार का ऐसा सदस्य होगा जिसका सकल पारिवारिक आय में महत्वपूर्ण योगदान हो। ये दोनों स्कीमें केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए हैं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले परिवारों से संबंधित हों।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जिसमें इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन स्कीम (आईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (एनएफबीएस) तथा अन्नपूर्णा स्कीम शामिल हैं, को 2002-03 से राज्य योजना को अंतरित कर दिया गया है। तब से एनएसएपी हेतु निधि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के रूप में राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है जो कि एनएसएपी के अंतर्गत सभी स्कीमों को एक साथ लेते हुए संयुक्त आवंटन के रूप में होती है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 में एनएसएपी के अंतर्गत सूचित लाभार्थियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित एवं जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत सूचित राज्य-वार एवं वर्ष-वार आवंटन, रिलीज और लाभार्थियों की संख्या

वर्ष : 2011-12 (लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवंटन	कुल रिलीज	लाभार्थियों की सूचित संख्या				
				आईजीएनओएपीएस	आईजीएन डब्ल्यूपीएस	आईजीएन डीपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	40949.02	40949.02	1386401	303945	64595	22369	93200
2.	बिहार	97147.75	97147.75	3525109	360242	20072	36804	142576

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	छत्तीसगढ़	23506.54	23506.54	600957	116134	30426	10471	19015
4.	गोवा	129.00	129.00	2136	एनआर	एनआर	569	एनआर
5.	गुजरात	8998.00	8998.00	355087	1406	3828	1406	एनआर
6.	हरियाणा	6929.82	6929.82	131326	31202	12202	5668	0
7.	हिमाचल प्रदेश	2934.39	2934.39	94220	8891	381	1287	2645
8.	जम्मू और कश्मीर	2372.00	2372.00	126914	4517	3732	3000	एनआर
9.	झारखंड	27728.08	27728.08	732991	121311	15266	9369	54539
10.	कर्नाटक	39782.87	39782.87	933891	202186	56283	18684	एनआर
11.	केरल	8594.37	8594.37	254397	34244	15686	1974	एनआर
12.	मध्य प्रदेश	53973.36	53973.36	1281512	354652	148956	36648	0
13.	महाराष्ट्र	20505.99	20505.99	1071000	323000	114000	17000	108000
14.	ओडिशा	51086.43	51086.43	1777083	194379	110822	14861	64800
15.	पंजाब	4414.00	4414.00	177040	14745	3653	519	0
16.	राजस्थान	25538.44	25538.44	632860	99658	15442	एनआर	105293
17.	तमिलनाडु	31909.00	31909.00	1204245	335103	45180	13082	65113
18.	उत्तर प्रदेश	131679.43	131679.43	3799208	584781	56300	94023	0
19.	उत्तराखंड	7578.09	7578.09	252827	11865	2257	1908	एनआर
20.	पश्चिम बंगाल	47504.93	47504.93	1883799	389432	36306	25099	65068
21.	अरुणाचल प्रदेश	504.12	504.12	31209	1849	1802	500	एनआर
22.	असम	11207.50	11207.50	598965	44087	7534	8830	25308
23.	मणिपुर	1893.93	1893.93	72514	4675	1341	एनआर	एनआर
24.	मेघालय	1486.49	1486.49	48112	6749	1326	2000	9263
25.	मिजोरम	792.78	792.78	26359	891	544	365	2583
26.	नागालैंड	1027.72	1027.72	46483	1961	1276	600	6727

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	सिक्किम	455.53	455.53	17027	326	241	56	एनआर
28.	त्रिपुरा	3978.37	3978.37	152550	10605	2411	1900	14552
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	198.00	198.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
30.	चंडीगढ़	158.00	158.00	3784	2910	97	80	
31.	दादरा और नगर हवेली	238.00	238.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	दमन और दीव	32.00	32.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
33.	एनसीटी दिल्ली	3709.00	3709.00	140791	58522	20705	1168	
34.	लक्षद्वीप	22.00	22.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
35.	पुदुचेरी	682.00	682.00	23607	4199	1585	एनआर	एनआर
	कुल	659646.95	659646.95	21384404	3628467	794249	330240	778682

एनआर : सूचित नहीं।

विवरण-II

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत सूचित राज्य-वार एवं वर्ष-वार आवंटन, रिलीज और लाभार्थियों की संख्या

वर्ष : 2012-13 (लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवंटन	कुल रिलीज	लाभार्थियों की सूचित संख्या				
				आईजीएनओ एपीएस	आईजीएन डब्ल्यूपीएस	आईजीएन डीपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	67563.36	39481.19	1587813	303945	64595	21264	93200
2.	बिहार	101216.67	68637.49	3786539	396780	22463	14752	एनआर
3.	छत्तीसगढ़	23072.95	16848.01	634674	117758	33801	6033	19015
4.	गोवा	292.00	292.00	2136	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	गुजरात	13246.21	11830.37	391912	2107	4283	2633	0
6.	हरियाणा	7505.39	5469.18	147191	45108	16804	1630	0
7.	हिमाचल प्रदेश	3098.36	2162.24	94607	8981	394	1105	2756
8.	जम्मू और कश्मीर	4308.89	2821.15	131194	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
9.	झारखंड	18215.64	18215.64	636213	123733	17305	3036	10442
10.	कर्नाटक	45649.44	27632.08	1239641	202186	56283	4592	एनआर
11.	केरल	9164.00	9164.00	256901	34244	15686	288	257189
12.	मध्य प्रदेश	54351.43	37103.02	1476300	364818	154937	37988	0
13.	महाराष्ट्र	43866.00	43866.00	1200000	5000	2000	36000	108000
14.	ओडिशा	74305.32	46014.70	1777083	194379	110822	15000	64800
15.	पंजाब	5783.11	4447.20	165735	15198	3899	150	0
16.	राजस्थान	25513.08	19333.96	680804	104364	17494	2690920	105293
17.	तमिलनाडु	57350.39	37461.40	1150537	777458	85655	12415	65113
18.	उत्तर प्रदेश	163952.23	111027.03	3766717	584781	856300	33216	0
19.	उत्तराखंड	7904.87	6108.75	245692	11991	2185	2208	0
20.	पश्चिम बंगाल	78165.01	50327.51	1509901	752096	47540	23102	65068
21.	अरुणाचल प्रदेश	1138.98	704.33	31209	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
22.	असम	22504.42	15613.07	598965	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
23.	मणिपुर	1697.50	1044.22	72514	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
24.	मेघालय	1062.00	1062.00	50977	7615	1470	2000	9263
25.	मिजोरम	867.57	580.31	26359	891	544	614	2583
26.	नागालैंड	1677.27	1048.52	47191	1961	1276	600	6727
27.	सिक्किम	236.00	236.00	18707	645	646	63	
28.	त्रिपुरा	4491.91	2946.85	152550	7432	2426	500	14552

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	230.69	174.00	1011	781	413		
30.	चंडीगढ़	189.61	144.00	3784	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	दादरा और नगर हवेली	272.14	204.00	8891	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	दमन और दीव	43.44	33.00	1115	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
33.	एनसीटी दिल्ली	4860.31	3240.00	399087	66624	24585	एनआर	एनआर
34.	लक्षद्वीप	27.44	21.00	738	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
35.	पुदुचेरी	872.80	656.00	23607	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	844696.42	585950.22	22318295	4130876	743806	2910109	824001

टिप्पणी : अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 के दौरान रिलीज।

एनआर : असूचित।

रेलवे लाइन

1760. **श्री नामा नागेश्वर राव :**
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोव्वूर-भद्राचलम तथा बागलकोट-कुडाची रेल लाइनों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस हेतु अब तक आवंटित/व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार बागलकोट-कुडाची लाइन के संरेखण को बदलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे को संरेखण के ऐसे बदलाव करने पर कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) कोव्वूर-भद्राचलम रोड नई लाइन परियोजना को रेल बजट 2012-13 में शामिल किया गया था और प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 31.03.2012 तक 0.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 2013-14 के रेल बजट में 1.00 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

बागलकोट-कुदाची रेलवे लाइन के लिए 31.03.2012 तक 0.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 2013-14 के रेल बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

(ग) रेलवे के पास परियोजनाओं का भारी थ्रोफारवर्ड है। संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण, परियोजनाओं की धनराशि की उपलब्धता के आधार पर प्रगति हो रही है।

(घ) से (च) जी, हां। बहरहाल, लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट के खान मालिकों ने रेलपथ के पुन:संरेखण की मांग की है ताकि खान क्षेत्रों को बचाया जा सके और तदनुसार लोकपुर गांव के समीप

20 किमी. लम्बाई का डायवर्जन शुरू कर दिया गया है। परिवर्तित संरेखण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

एससी/एसटी हेतु आरक्षण

1761. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार शैक्षिक संस्थानों, अन्य संगठनों और निगमों सहित लोक सभा, विधान सभाओं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार आरक्षण देने के लिए आवश्यक प्रावधान करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) सरकार को इस संबंध में आज की तारीख तक जनप्रतिनिधियों और अन्य संगठनों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्थान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में, राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए गए हैं तथा संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में, एक रिट याचिका (सिविल) संख्या 540/2011, वीरेन्द्र प्रताप और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, यह तर्क देते हुए फाइल की गई थी कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का संख्यांक 10) के कारण, अनेक जातियां, जो अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं की गईं थीं, अनुसूचित जनजातियों के रूप में सम्मिलित की गई और ऐसे सम्मिलित किए जाने के बावजूद संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र आदेश, 2008 में उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 10 जनवरी, 2012 के अपने निर्णय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को ऐसी अनुसूचित जनजातियों के मामले पर, जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन), 2002 (2002 का संख्यांक 10), के कारण अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित की गई थीं, विचार करने के लिए और लोक सभा के साथ राज्य विधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व हेतु समुचित उपाय करने के लिए निदेश दिया था। इसके अनुसरण में, संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन अध्यादेश, 2013 को तारीख 30 जनवरी, 2013 को प्रख्यापित किया गया था। तत्पश्चात्, एक प्रतिस्थापन विधेयक, तारीख 26 फरवरी, 2013 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां, क्रमश: भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती हैं, जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण हेतु उपबंध नहीं करते हैं। शैक्षिक संस्थाएं, अन्य संगठनों और निगमों सहित विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार आरक्षण से संबंधित जानकारी मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध है।

[अनुवाद]

चुनाव का वित्तपोषण

1762. डॉ. थोकचोम मैन्या : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव को और ज्यादा खुला और पारदर्शी बनाने के लिए इसके वित्तपोषण हेतु कोई नया कानून पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा वित्तपोषण मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वैयक्तिक उम्मीदवारों दोनों के लिए भी अनुमान होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) निर्वाचन सुधारों का मुद्दा, पूर्णत: जिसमें अन्य बातों के साथ, निर्वाचन का निधिकरण भी सम्मिलित है, भारत विधि आयोग को निर्दिष्ट किया गया है। विधि आयोग से उसके ठोस सुझावों को 16 जनवरी, 2013 से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया है। सिफारिशों की प्राप्ति पर, मामले की पणधारियों के परामर्श से और समीक्षा की जाएगी।

[हिन्दी]

महिला न्यायालय

1763. श्री भूदेव चौधरी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में महिला न्यायालय गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) अधीनस्थ स्तर पर न्यायालयों का, संबद्ध उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा गठन किया जाता है। महिला न्यायालयों सहित न्यायालयों, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिश्चय और स्थापना करना राज्य सरकारों का कार्य है। हाल ही में, दिल्ली के सामूहिक बलात्संग के परिणामस्वरूप भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में नियुक्त की गई एक समिति में, जिसमें अन्य बातों के साथ, सिफारिश की थी कि बलात्संग तथा लैंगिक हमले के मामलों को महिला अभियोजकों द्वारा तथा यथासंभव सीमा तक महिला न्यायाधीशों द्वारा विचारण किया जाना चाहिए।

महिला न्यायालयों संबंधी ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राज्यों में 212 कुटुंब न्यायालयों को स्थापित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं। कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4(4)(ख) के अनुसार, न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्तियों में महिलाओं को वरीयता दी जाती है।

विवरण

संबंधित उच्च न्यायालय/राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार कार्यरत कुटुंब न्यायालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	राज्य में कार्यरत कुटुंब न्यायालयों की संख्या	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27	
2.	असम	2	
3.	बिहार	30	
4.	छत्तीसगढ़	19	
5.	दिल्ली	5	
6.	गुजरात	9	
7.	झारखंड	8	
8.	कर्नाटक	10	
9.	केरल	16	12 अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अत्यावश्यक उपाय किए गए हैं
10.	मध्य प्रदेश	15	
11.	महाराष्ट्र	22	
12.	मणिपुर	1	
13.	मिजोरम	—	चार कुटुंब न्यायालय अधिसूचित
14.	नागालैंड	2	
15.	ओडिशा.	5	सात अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय अधिसूचित
16.	पुदुचेरी	1	
17.	राजस्थान	6	सात अतिरिक्त कुटुंब न्यायांलय अधिसूचित
18.	सिक्किम	1	
19.	तमिलनाडु	6	
20.	त्रिपुरा	3	
21.	उत्तर प्रदेश	15	
22.	उत्तराखंड	7	
23.	पश्चिम बंगाल	2	
	कुल	212	

[अनुवाद]

कावेरी बेसिन सिंचाई परियोजनाएं

1764. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कावेरी बेसिन सिंचाई परियोजनाओं, विशेषकर देवराज उर्स नहर, हरांगी, हेमवती, काबिनी, चिकलिहोले और के.आर.एस. आधुनिकीकरण को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 2011 तक परियोजनाओं हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना से अनेक परिवार विस्थापित हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) कर्नाटक सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देवराज उस नहर, हारंगी, हेमवती, कबीनी, चिकलीहोल और के.आर.एस. आधुनिकीकरण परियोजनाओं के पूर्ण होने की तारीख निम्नलिखित सारणी में दी गई है।

परियोजना का नाम	स्तर तथा पूरा होने की प्रस्तावित तिथि	अभ्युक्तियां
देवराज उर्स नहर	वास्तविक रूप से पूर्ण	–
हारंगी	वास्तविक रूप से पूर्ण	–
हेमवती	2016-17	सीएच: 200 से 240 कि.मी. तक तुमकुर शाखा नहर का कार्य प्रगति पर है।
कबीनी	प्रवाह सिंचाई वास्तविक रूप से पूर्ण	जल का आवंटन न होने के कारण लिफ्ट सिंचाई शुरू नहीं की गयी है।
चिकलीहोल	वास्तविक रूप से पूर्ण	–
केआरएस आधुनिकीकरण	वास्तविक रूप से पूर्ण	–

(ख) देवराज उर्स नहर, हारंगी, हेमवती, कबीनी, चिकलीहोल और के.आर.एस. आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए 31 दिसम्बर, 2011 तक कर्नाटक सरकार द्वारा कुल आवंटित निधि क्रमश: 496.96 करोड़ रुपये, 584.01 करोड़ रुपये, 3061.69 करोड़ रुपये, 771.14 करोड़ रुपये, 19.20 करोड़ रुपये और 445.01 करोड़ रुपये है।

(ग) कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार देवराज उर्स नहर, हारंगी, हेमावती, कबीनी, चिकलीहोल, और केआरएस आधुनिकीकरण परियोजनाओं हेतु विस्थापित परिवारों की संख्या क्रमश: शून्य 512, 2283, 4241, शून्य और शून्य है।

(घ) हारंगी, हेमवती और कबीनी परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों के लिए परिवारों की बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया कराने हेतु पुनर्वास केन्द्रों का निर्माण किया गया था। हारंगी परियोजना के लिए 127.01 लाख रुपये की लागत से 4 केन्द्रों, हेमवती परियोजना के लिए 2506.71 लाख रुपये की लागत से 50 केन्द्रों और कबीनी परियोजना के लिए 49.78 लाख रुपये की लागत से 25 केन्द्रों का निर्माण किया गया था। उनकी भूमि अधिग्रहण करने के बदले में क्षतिपूर्ति की अदायगी के अलावा विस्थापित परिवारों के लिए जमीन भी उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

कॉर्पोरेट घोटाले

1765. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कॉर्पोरेट घोटालों का यथाशीघ्र पता लगाने के लिए एक नयी आसूचना इकाई की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह इकाई कब तक कार्य करना शुरू कर देगी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान गंभीर अपराध जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा कितने कॉर्पोरेट घोटालों का पता लगाया गया और उनकी जांच की गई है तथा इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त थी;

(घ) उक्त अवधि में एसएफआईओ द्वारा घोटालों के ऐसे कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे कॉर्पोरेट घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में विद्यमान बाजार अनुसंधान एवं विश्लेषण इकाई (एमआरएयू) को आसूचना इकाई के रूप में कार्य करने में समर्थ करने हेतु पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है। एमआरएयू को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। प्रस्तावित इकाई का अग्रिम परीक्षण वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान किए जाने की उम्मीद है।

(ग) वर्ष 2009-10 से 2011-12 से लेकर वर्तमान वित्त वर्ष तक एसएफआईओ ने 63 मामलों में जांच पूरा किया है। इन जांचों में 18 कंपनियों द्वारा 5607.37 करोड़ रुपए की राशि का दुरुपयोग पाया गया है।

(घ) मामलों का निस्तारण एसएफआईओ के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है क्योंकि उन्हें क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में शिकायत दायर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ङ) कॉर्पोरेट धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु अन्य जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय तंत्र के माध्यम से कौशल, प्रणाली एवं ज्ञान को अद्यतन करने हेतु मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है।

ट्रेन के अपहरण का प्रयास

1766. श्री जगदीश शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि 7-8 गुंडों द्वारा छत्तीसगढ़ में भिलाई और रायपुर स्टेशन के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस का अपहरण किया गया और 10 किलोमीटर तक ट्रेन उनके कब्जे में रही;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त घटना के दौरान जनशताब्दी एक्सप्रेस में कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और यात्रियों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) 06.02.2013 को लगभग 17.40 बजे, जब छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के तीन निशस्त्र कर्मी एक विचाराधीन कैदी को अदालत में पेश करने के बाद गाड़ी संख्या 12070 जनशताब्दी एक्सप्रेस से दुर्ग से बिलासपुर ले जा रहे थे, तभी अभियुक्त के 6/7 साथियों ने घातक हथियारों से इन जवानों पर हमला करके इन पर काबू कर लिया और खतरे की जंजीर खींच कर अभियुक्त के साथ गाड़ी से उतर कर भाग गए। तत्पश्चात्, वे सहायक लोको पायलट, जो खतरे की जंजीर को रिसेट करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया था, पर हमला करके इंजन की ओर बढ़े और गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर पर दबाव डाला। लगभग 10 किलोमीटर यात्रा करने के बाद, वे लोग कुमहारी और सरोना स्टेशनों के बीच किलोमीटर सं. 839/15-17 पर एक पृथक खंड पर ड्राइवर से जबरन गाड़ी रुकवा ली और मुक्त कराए गए कैदी के साथ वहां से फरार हो गए।

(ख) इस गाड़ी का न तो रेलवे पुलिस बल और न ही राजकीय रेलवे पुलिस बल द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा था क्योंकि गाड़ी दिन के समय चल रही थी।

(ग) रेलों पर पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और रेल परिसरों के साथ-साथ चलती गाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से करते हैं। रेलों पर अपराध के मामलों के बारे में राजकीय रेलवे पुलिस को सूचित किया जाता है और उनके द्वारा इन्हें दर्ज और इनकी जांच की जाती है। बहरहाल, रेलवे सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गाड़ियों में मार्गरक्षण करने और महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्टेशनों पर एक्सेस कंट्रोल ड्यूटी के

लिए अपने कर्मचारी तैनात करके राजकीय रेलवे पुलिस के प्रयासों में सहयोग करता है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलों द्वारा निम्नांकित कदम उठाए जा रहे हैं:–

1. प्रतिदिन विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, औसतन प्रतिदिन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अतिसंवेदनशील और चिह्नित मार्गों/खंडों पर 1275 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।

2. 202 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा नेटवर्क, एक्सेस कंट्रोल, तोड़फोड़ निरोधक जांचों के माध्यम से अतिसंवेदनशील स्टेशनों की इलेक्ट्रॉनिक सर्वीलेंश की एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को स्वीकृति दी गई है।

3. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा अपराधों का उचित पंजीकरण और जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार योजना

1767. **श्री सुरेश कलमाडी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जल क्षेत्र सुधार की अंतिम तिथि मार्च, 2014 है, महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता/ऋण से निष्पादित की जा रही बड़ी, मध्यम और लघु परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कार्यान्वित की जा रही जल क्षेत्र सुधार परियोजनाओं/योजनाओं के निष्पादन की क्या स्थिति है तथा इस पर कितना व्यय हुआ है तथा इन परियोजनाओं में परियोजना-वार पृथक्-पृथक् कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) परियोजना के मध्य में मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) की जाती है। मध्यावधि समीक्षा के दौरान बैंक और परियोजना के प्रतिनिधि पुनः आकलन करते हैं कि क्या परियोजना के विकास संबंधी उद्देश्य पूरे किये जा रहे हैं और क्या नई परिस्थितियों के परिदृश्य में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी परिवर्तन की आवश्यकता है। महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए मध्यावधि समीक्षा फरवरी, 2009 में की गई थी।

महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना की निगरानी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा और फील्ड दौरों के माध्यम से भी की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग ने दल ने 17.2.2011 से 19.2.2011 तक परियोजना का दौरा किया है।

महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विश्व बैंक कार्यान्वयन समीक्षा एवं सहयोग मिशन ने 7-19 जनवरी, 2013 तक महाराष्ट्र का दौरा किया था।

(ग) लागू नहीं।

(घ) नहर पुनर्वास/आधुनिकीकरण संबंधी परियोजना के अंतर्गत शामिल 235 सिंचाई स्कीमों में से 163 स्कीमों में कार्य पूरे कर लिए गए हैं और शेष 72 स्कीमों में यह कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें फरवरी, 2014 तक पूरा किए जाने की योजना है; (ii) बांध सुरक्षा कार्यों संबंधी परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए 281 बांधों में से 227 बांधों में कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 54 बांधों में यह कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें फरवरी, 2014 तक पूरा किए जाने की योजना है; (iii) अन्य परियोजना घटकों के अंतर्गत क्रियाकलापों में भी अच्छी प्रगति हो रही है और इन्हें या तो पूरा कर लिया गया है या पूरी होने वाली हैं; और (iv) परियोजना के अंतर्गत लगभग 80 प्रतिशत संवितरण किया जा चुका है। उपर्युक्त को देखते हुए परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति को "संतोषजनक" श्रेणी में रखा गया है।

दिसंबर, 2012 तक परियोजना पर किया गया कुल व्यय 1437 करोड़ रुपये है (संस्थागत पुनःसंरचना और क्षमता निर्माण: 432.81 मिलियन रुपये; सिंचाई सेवा एवं प्रबंधन में सुधार: 13731.93 मिलियन रुपये; नूतन प्रायोगिक परियोजनायें: 61.92 मिलियन रुपये और परियोजना प्रबंधन: 143.66 मिलियन रुपये), जो कि कुल परियोजना लागत का 77.3 प्रतिशत है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटन

1768. श्री जोसेफ टोप्पो :
श्री रमेन डेका :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम राज्य में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को आवंटित किए गए आवासों की संख्या क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए क्या तंत्र है;

(ग) क्या असम राज्य में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों की गुणवत्ता घटिया होने की शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) और अल्पसंख्यकों को स्वीकृत/आबंटित किए गए मकानों की संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(ख) से (ङ) इंदिरा आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण लाभार्थी स्वयं करते हैं। आईएवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला परिषद्/डीआरडीए को टिकाऊ, किफायती और आपदाओं को सहने में सक्षम मकानों का निर्माण/उन्नयन करने में लाभार्थियों की मदद करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों, सामग्री, डिजाइन और तरीकों के विषय में विशेषज्ञतापूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न संगठनों/संस्थाओं से संपर्क करना होता है। राज्य सरकारें भी जिला/ब्लॉक स्तर पर किफायती, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों, सामग्री और डिजाइनों इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठकों और क्षेत्र अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं के जरिए आईएवाई योजना की निरंतर निगरानी की जा रही है। इस योजना की स्वतंत्र जांच और निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम) नियुक्त और तैनात किए जाते हैं। राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी जाती है कि वे आईएवाई के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले मकानों का निर्माण सुनिश्चित करें। आईएवाई के अंतर्गत मकानों की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से इस मंत्रालय ने कार्यबल गठित किया था। इस कार्यबल ने सिफारिश की थी कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिएं कि मकान पक्का हो और उसमें स्थायी दीवारें तथा छत हों।

पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राज्य से प्राप्त शिकायतों की सूची संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

असम	स्वीकृत/आबंटित मकानों की संख्या			
	एससी	एसटी	अल्पसंख्यक	महिला के नाम/पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर
2009-10	57830	79529	40551	199348
2010-11	45432	54402	30289	966724
2011-12	42234	50939	29154	133671

विवरण-II

असम से प्राप्त शिकायतों की सूची और उन पर की गई कार्रवाई

1. **असम**

(क) आईएवाई आवासों के आबंटन में जालसाजी के आरोप लगाने संबंधी श्री असब उद्दीन, गांव व डाकखाना-बाजारघाट, जिला - करीमगंज, असम से दिनांक 29.11.2010 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई तथा मामले की जांच के लिए दिनांक 17.2.2011 को शिकायत असम राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ख) बेचमारी देव के कनिष्ठ अभियंता श्री एम.एम. दास द्वारा आईएवाई लाभार्थी के खाते से धनराशि निकाले जाने और मकान का निर्माण न किए जाने के विषय में शिकायत 1 फरवरी, 2011 को प्राप्त हुई।

की गई कार्रवाई

इस मामले में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने और आईएवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुधारात्मक, दण्डात्मक और निवारक कार्रवाई करने के लिए यह शिकायत 11.4.2011 को राज्य सरकार को भेजी गई थी।

(ग) असम में आईएवाई के क्रियान्वयन में कनिष्ठ अभियंता (जे.ई.) और लाभार्थी के संयुक्त नाम से खाता खोलकर, धनराशि निकाले जाने के समय रिश्वत लेकर और जे.ई. की बताई दुकानों से ही निर्माण सामग्री खरीदने के लिए आईएवाई लाभार्थी पर दबाव डालकर आईएवाई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने के विषय में श्री रोहित चौधरी की 23.4.2011 की शिकायत प्राप्त हुई।

की गई कार्रवाई

राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्त्ता ने इस मामले की जांच की और यह पाया कि इस योजना के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताएं थीं। यह रिपोर्ट मामले की जांच करने और आईएवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए असम सरकार को 17.6.2011 को भेजी गई है।

(घ) असम के कछार जिले में आईएवाई लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं के विषय में संयोजक, नॉर्थ-ईस्ट रूरल डेवलपमेंट फोरम, कछार जिला समिति, सिलचर की दिनांक 11.1.2012 की शिकायत प्राप्त हुई।

की गई कार्रवाई

मामले की जांच करके आईएवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह शिकायत 18.1.2013 को असम राज्य सरकार को भेजी गई।

[हिन्दी]

दीपक एस. पारीख समिति

1769. श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए दीपक एस. पारीख की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और रेलवे द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या हाल ही में की गई किराया वृद्धि उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद की गई थी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता

1770. श्री बलीराम जाधव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अनियमित वर्षा के कारण देश में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, 36 मौसम विज्ञानी उप-मंडलों में से वर्ष 2010 में 6 उप-मंडलों, वर्ष 2011 में 6 और वर्ष 2012 में 13 उप-मंडलों में उनकी दीर्घकालिक सामान्य वर्षा की तुलना में कम वर्षा हुई थी। इससे इन क्षेत्रों में सिंचाई समेत विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की कुल उपलब्धता प्रभावित हुई है। वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान प्राप्त मौसम विज्ञानी उप-मंडल-वार वार्षिक वर्षा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जल, राज्य का विषय होने के नाते, भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न उपाय अर्थात् बांधों, चैकबांधों और खेत तालाबों का निर्माण किया जाता है। भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर भंडारण क्षमता बढ़ाने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देती है।

विवरण

वर्ष 2010, 2011 और 2012 में उप-मंडल-वार वार्षिक वर्षा (मि.मी.)

क्र. सं.	मौसम विज्ञानी उप-मंडल	2010				2011				2012			
		वास्तविक	सामान्य	%कमी	श्रेणी	वास्तविक	सामान्य	%कमी	श्रेणी	वास्तविक	सामान्य	%कमी	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3147.8	2980.1	6%	एन	3833.6	2926.3	31%	ई	3515.8	2926.3	20%	
2.	अरुणाचल प्रदेश	2397.6	2785.9	-14%	एन	1923.4	2933.7	-34%	डी	2762.3	2933.7	-6%	
3.	असम और मेघालय	2499.7	2897.7	-14%	एन	1758.5	2624.9	-33%	डी	2321.3	2624.9	-12%	
4.	एनएमएमटी	2023.3	2142.9	-6%	एन	1655.1	2278.0	-27%	डी	1666.6	2278.0	-27%	
5.	एसएचडब्ल्यू और सिक्किम	2844.0	2603.8	9%	एन	2359.9	2708.9	-13%	एन	2630.2	2708.9	-3%	
6.	गंगेटिक पश्चिम बंगाल	1081.4	1493.4	-28%	डी	1671.7	1527.2	9%	एन	1258.4	1527.2	-18%	
7.	ओडिशा	1332.3	1478.6	-10%	एन	1300.4	1460.5	-11%	एन	1429.0	1460.5	-2%	
8.	झारखंड	806.1	1307.4	-38%	डी	1274.7	1296.3	-2%	एन	1092.2	1296.3	-16%	
9.	बिहार	943.4	1213.7	-22%	डी	1217.3	1205.6	1%	एन	922.8	1205.6	-23%	
10.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	758.5	1035.9	-27%	डी	874.7	1018.6	-14%	एन	853.6	1018.6	-16%	
11.	पश्चिम उत्तर प्रदेश	818.9	885.0	-7%	एन	775.9	886.2	-12%	एन	582.8	886.2	-34%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	उत्तराखंड	1863.9	1562.8	19%	एन	1708.3	1580.9	8%	एन	1309.6	1580.9	-17%	
13.	हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली	597.7	562.6	6%	एन	433.2	562.8	-23%	डी	312.7	562.8	-44%	
14.	पंजाब	502.1	640.4	-22%	डी	533.5	635.9	-16%	एन	338.8	635.9	-47%	
15.	हिमाचल प्रदेश	1220.2	1323.8	-8%	एन	1051.7	1373.9	-23%	डी	1035.0	1373.9	-25%	
16.	जम्मू और कश्मीर	1240.7	1227.6	1%	एन	1122.2	1205.3	-7%	एन	1116.5	1205.3	-7%	
17.	पश्चिम राजस्थान	473.2	295.7	60%	ई	426.6	299.2	43%	ई	318.4	299.2	6%	
18.	पूर्वी राजस्थान	471.5	684.7	8%	एन	849.1	671.3	26%	ई	695.8	671.3	4%	
19.	पश्चिम मध्य प्रदेश	818.2	987.8	-17%	एन	1062.2	956.3	11%	एन	1012.3	956.3	6%	
20.	पूर्वी मध्य प्रदेश	966.6	1219.3	-21%	डी	1220.7	1169.4	4%	एन	1097.0	1169.4	-6%	
21.	गुजरात क्षेत्र	1059.7	954.1	11%	एन	903.9	943.4	-4%	एन	652.0	943.4	-31%	
22.	सौराष्ट्र और कच्छ	1073.9	519.2	107%	ई	725.1	507.0	43%	ई	315.2	507.0	-38%	
23.	कोंकण और गोवा	3749.0	2975.4	26%	ई	3842.6	3100.2	24%	ई	2993.9	3100.5	-3%	
24.	मध्य महाराष्ट्र	1006.1	849.7	18%	एन	842.9	876.8	-4%	एन	663.8	876.8	-24%	
25.	मराठवाड़ा	1039.3	845.9	23%	ई	685.7	821.6	-17%	एन	538.4	821.6	-34%	
26.	विदर्भ	1355.2	1103.7	23%	ई	958.5	1084.5	-12%	एन	1090.3	1084.5	1%	
27.	छत्तीसगढ़	1145.7	1363.8	-16%	एन	1313.0	1290.7	2%	एन	1366.2	1290.7	6%	
28.	तटीय आंध्र प्रदेश	1614.0	1011.6	60%	ई	835.5	1024.2	-18%	एन	1183.5	1024.2	16%	
29.	तेलंगाना	1247.6	941.7	32%	ई	739.6	942.6	-22%	डी	972.8	942.6	3%	
30.	रयालसीमा	915.8	677.8	35%	ई	642.9	706.1	-9%	एन	665.3	706.1	-6%	
31.	तमिलनाडु और पुदुचेरी	1118.8	908.7	23%	ई	1013.2	914.4	11%	एन	709.6	914.4	-22%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	तटीय कर्नाटक	4007.6	3612.8	11%	एन	4146.4	3526.3	18%	एन	3394.9	3526.3	-4%	
33.	एन.आई. कर्नाटक	857.3	719.9	19%	एन	620.1	740.3	-16%	एन	529.5	740.3	-28%	
34.	एस.आई. कर्नाटक	1308.7	1029.5	27%	ई	1040.6	1019.2	2%	एन	832.4	1019.2	-18%	
35.	केरल	3141.9	3094.6	2%	एन	3041.2	2924.3	4%	एन	2187.4	2923.4	-25%	
36.	लक्षद्वीप	1725.4	1584.7	9%	एन	1531.4	1600.0	-4%	एन	1433.2	1600.0	-10%	

ई-अधिक; एन-सामान्य; डी-कमी।

[अनुवाद]

उर्वरक इकाइयों की हानि

1771. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान यूरिया मूल्य निर्धारण नीति एनपीएस-III के कारण कितनी उर्वरक इकाइयों को प्रचालनात्मक आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान वर्तमान यूरिया मूल्य निर्धारण नीति एनपीएस-III के कारण इन इकाइयों द्वारा उठायी गयी प्रचालनात्मक आर्थिक हानि का इकाई-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यूरिया क्षेत्र के लिए नयी मूल्य निर्धारण नीति की वर्तमान स्थिति क्या है और इस मामले का समाधान करने के लिए नयी यूरिया मूल्य निर्धारण नीति में संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) उर्वरक विभाग सभी मौजूदा इकाइयों के उनके प्रचालनों के कारण होने वाली लाभप्रदत्ता के आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, केवल यूरिया उत्पादक इकाइयों नामतः आरसीएफ, एनएफएल, बीवीएफसीएल और एमएफएल के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के चरण-III के बाद की नीति का निर्माण सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. आरसीएफ

आरसीएफ थाल-यूरिया को परिवर्तन लागत, ब्याज, बिक्री खर्च आदि, जैसी मदों, जिनमें अत्यधिक वृद्धि हुई है, पर लगभग 670 रुपए प्रति मी.टन की अल्प-वसूली का सामना कर रही है। तद्नुसार अक्तूबर, 2010 से फरवरी, 2013 तक की अवधि के लिए इस पर लगभग 294.00 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

अवधि	बेचे गए यूरिया की मात्रा	दर/मी.टन	करोड़ रुपए
अक्तूबर, 2010-मार्च, 2011	9.25	670	61.98
2011-12	17.25	670	115.58
2012-13 फरवरी, 2012 तक	17.36	670	116.31

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल):

एनएफएल ने सूचित किया है कि एनएफएल की तीन इकाइयां

नामतः नांगल, पानीपत और बठिण्डा मौजूदा यूरिया मूल्य निर्धारण नीति एनपीएस-III के कारण आज की तारीख में प्रचालन वित्तीय हानि का सामना कर रही हैं। इन इकाइयों द्वारा यूरिया कार्यकलाप पर उठाई गई प्रचालनगत वित्तीय हानि इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

इकाइयां	2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर, 2012)	2011-12	2010-11	2009-10
नांगल	(35.03)	(58.67)	(43.21)	(43.13)
पानीपत	(85.49)	(71.06)	(31.75)	(6.66)
बठिण्डा	(46.00)	(4.75)	57.48	57.18

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड:

बीवीएफसीएल ने सूचित किया है कि कंपनी मौजूदा यूरिया मूल्यनिर्धारण नीति एनपीएस-III के कारण प्रचालन हानि का सामना कर रही है। नई मूल्य-निर्धारण योजना चरण-III (एनपीएस-III) के अंतर्गत नामरूप-III संयंत्रों में पुनरुत्थान के लिए पूंजी निवेश की अनुमति केवल 31.3.2003 तक किए गए व्यय हेतु ही दी गई थी जो 117.20 करोड़ रुपए के कुल व्यय की तुलना में 37.59 करोड़ रुपए है। 31.3.2003 के बाद पुनरुत्थान पर किए गए 79.62 करोड़ रुपए के व्यय पर विचार नहीं किया गया है। वास्तविक व्यय को मान्यता नहीं दिए जाने से मौजूदा पूंजी आधार घटा है और नामरूप-III के लिए पूंजी संबंधी प्रभार कम हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप नामरूप-III के लिए रियायत दर में लगभग 652.0 रुपए/मी. टन यूरिया की अल्प वसूली हुई है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मौजूदा यूरिया मूल्य निर्धारण नीति एनपीएस-III के कारण हुई इकाई-वार हानि को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपए)

इकाइयां	2009-10	2011-12	2012-13	पूर्वानुमान
नामरूप-III	15.02	12.98	11.52	18.06

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड:

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी मौजूदा यूरिया मूल्य निर्धारण नीति, एनपीएस-III के कारण 31 मार्च, 2009 तक प्रचालनगत आर्थिक हानि का सामना कर रही इकाइयों में से एक है। एमएफएल द्वारा एनपीएस-III अवधि के दौरान उठाई गई प्रचालनगत आर्थिक हानि इस प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	हानि (करोड़ रुपए)
2006-07	114.78
2007-08	134.85
2008-09	145.35

एमएफएल की निर्धारित लागत पर हुई अल्प वसूली का समाधान 1 अप्रैल, 2009 से निर्धारित लागत में 10% की कमी तक सीमित करते हुए यूरिया हेतु एनपीएस-III में संशोधन करके किया गया है। तथापि, मूल्य-निर्धारण नीति में अनियमितता के कारण 01.10.2006 से 31.03.2009 तक उठाई गई नकद हानि के लिए कंपनी को क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। यूरिया का उत्पादन केवल एनपीएस-III संशोधन के जारी रहने से ही व्यवहार्य रह पाएगा, जैसा कि वर्तमान में है।

बीटीओ योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

1772. श्री पुलीन बिहारी बासके : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में कुछ परियोजनाएं बनाओ, चलाओ और हस्तांतरण (बीओटी) योजना के अंतर्गत निजी कंपनियों को प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी जोन-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर पाई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में बोट आधार पर रेल लाइन निर्माण की कोई परियोजना प्रदान नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिन्धु जल का आवंटन

1773. श्री सी.आर. पाटिल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात का कच्छ क्षेत्र सिन्धु बेसिन का हिस्सा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से गुजरात को सिन्धु जल आवंटन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात सरकार के प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को संबोधित माननीय जल आपूर्ति, जल संसाधन, शहरी विकास तथा शहरी आवास मंत्री, गुजरात सरकार द्वारा दिनांक 07.02.2008 को भेजे गए पत्र के माध्यम से सिन्धु जल (अर्थात् रावी-ब्यास-सतलुज जल) को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आवंटित करने का अनुरोध किया गया था।

(घ) गुजरात राज्य सरकार का प्रस्ताव सिंधु बेसिन की पूर्वी नदियों के वर्तमान लाभग्राही राज्यों के मध्य विभिन्न जल मामलों के समाधान, जोकि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले से ही प्रस्तुत हैं, साथ ही साथ लाभग्राही राज्यों की जल देने की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत वितरण कंपनियों से बकाया

1774. श्री सुदर्शन भगत :
श्री पी.आर. नटराजन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार की राज्य विद्युत वितरण कंपनियों पर राज्य-वार ऋण की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) राज्यों पर इस भारी ऋणभार के परिणामस्वरूप देश में विद्युत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या विद्युत वितरण कंपनियां अपने विकास संबंधी क्रियाकलाप के लिए धन की कमी का सामना कर रही हैं और केन्द्र सरकार बिजली के मूल्य की समीक्षा करने की योजना बना रही है ताकि बिजली को उत्पादन लागत पर बेचा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) संघ सरकार राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण मुहैया नहीं करा रही है। तथापि, पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के तहत मंजूर परियोजनाओं के लिए वितरण कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के सफल कार्यान्वयन पर आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया ऋण अनुदान परिवर्तनीय है। आर-एपीडीआरपी के भाग 'क' के अंतर्गत 100% ऋण अनुदान में परिवर्तनीय है जबकि भाग 'ख' के अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन 50% तक ऋण अनुदान में परिवर्तनीय है।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत दिनांक 05.03.13 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में संचयी रूप से 6456.01 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत मंजूर व वितरित ऋण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों का टर्नअराउंड कर सकने तथा उनकी दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्वामित्व वाली विद्युत कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना अधिसूचित की गई है। योजना में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्त प्रक्रिया के सहयोग से अपने कार्य के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय टर्नअराउंड प्राप्त करने के लिए राज्य विद्युत वितरण कंपनियों, ऋणदाता बैंकों तथा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय दिए गए हैं।

(ग) और (घ) यूटिलिटियों द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखा ब्यौरे पर आधारित "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के वर्ष 2008-09 से 2010-11 के निष्पादन" पर पीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करने वाली यूटिलिटियों ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान हानि उठाई है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) उपभोक्ताओं के लिए खुदरा प्रशुल्क निर्धारित करते हैं। अधिनियम की धारा 61 में यह अपेक्षा की गई है कि एसईआरसी प्रशुल्क निर्धारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ इन कारकों से निदेशित हों "कि प्रशुल्क प्रगामी रूप से विद्युत की आपूर्ति की लागत को दर्शाएं और उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट ढंग से क्रॉस सब्सिडी भी कम करें।

राज्य विनियामक मंच तथा सीईआरसी ने मॉडल प्रशुल्क दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने का संकल्प किया है, जो प्रशुल्क का युक्तिकरण करने के संबंध में है। विनियामक मंच ने मॉडल प्रशुल्क दिशा-निर्देशों को अपनाने के लिए इसे एसईआरसी को परिचालित कर दिया है।

विद्युत मंत्रालय ने "विद्युत संबंधी अपीलीय अधिकरण" से सामान्यत: विद्युत क्षेत्र और विशेषकर यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति और दीर्घावधि व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए प्रशुल्क को उपयुक्तत: संशोधित करने (स्वयंमेव, यदि अपेक्षित हो) के लिए राज्य विनियामक प्राधिकारियों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के तहत निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

"विद्युत संबंधी अपीलीय अधिकरण" (एपटेल) ने अपने दिनांक 11 नवंबर, 2011 के आदेश में राज्य बिजली बोर्डों/वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने और अन्तत: वितरण कंपनियों के बढ़ते लंबित बकायों से निपटने के मद्देनजर राज्य आयोगों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वचालित ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन लागत, यदि यूटिलिटी द्वारा याचिका दायर नहीं की गई है तो प्रशुल्क का स्वयंमेव निर्धारण, लेखों का वार्षिक ट्रुइंगअप शामिल है और एसईआरसी द्वारा कोई भी संसाधन अंतर सम्मिलित करने से छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

विवरण-I

दिनांक 05.03.2013 के अनुसार आर-एपीडीआरपी स्वीकृतियां एवं संवितरित स्थिति

राज्य	स्वीकृत राशि/कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	संवितरित राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3
हरियाणा	839.21	49.68
हिमाचल प्रदेश	435.37	155.16
जम्मू और कश्मीर	1870.15	561.04
पंजाब	1834.94	368.07
चंडीगढ़	33.34	0.00
राजस्थान	2007.31	371.13

1	2	3
उत्तर प्रदेश	4200.82	827.31
उत्तराखंड	535.00	189.13
मध्य प्रदेश	2368.26	456.93
गुजरात	1363.01	314.22
छत्तीसगढ़	873.75	155.59
महाराष्ट्र	3954.78	666.11
गोवा	110.73	31.47
आंध्र प्रदेश	1562.21	310.17
कर्नाटक	1340.14	259.68
केरल	1375.85	250.99
तमिलनाडु	3878.73	671.69
पुदुचेरी	27.53	4.50
बिहार	1371.81	140.90
झारखंड	160.60	48.18
पश्चिम बंगाल	872.54	231.78
असम	839.65	251.89
अरुणाचल प्रदेश	37.68	11.30
नागालैंड	34.58	10.37
मणिपुर	31.55	9.47
मेघालय	33.97	10.19
मिजोरम	35.12	10.57
सिक्किम	94.76	28.43
त्रिपुरा	200.28	60.09
कुल	32323.67	6456.01

विवरण-II

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटीज को हुआ लाभ (हानि) का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	लाभ (हानि) बीमांकित आधार पर कर पश्चात्	लाभ (हानि) सब्सिडी प्राप्त के आधार पर	लाभ (हानि) बीमांकित आधार पर कर पश्चात्	लाभ (हानि) सब्सिडी प्राप्त के आधार पर	लाभ (हानि) बीमांकित आधार पर कर पश्चात्	लाभ (हानि) सब्सिडी प्राप्त के आधार पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	−1,005	−1,005	−1,412	−1,412	−1,332	−1,332
	झारखंड	जेएसईबी	−1,048	−1,048	−707	−707	−723	−723
	ओडिशा	सेसको	−125	−125	−146	−146	−150	−150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		नेसको	-0	-0	-28	-28	-72	-72
		सेसको	-36	-36	-40	-40	-19	-19
		वेसको	13	13	-27	-27	-38	-38
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	10	10	-9	-9	-38	-38
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	39	39	71	71	95	95
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश पीडी	-48	-48	-212	-212	-182	-182
	असम	सीएईडीसीएल	-13	-13				
		एलएईडीसीएल	-15	-15				
		यूएईडीसीएल	-19	-19				
		एपीडीसीएल			-319	-319	-446	-446
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-113	-113	-87	-87	-134	-134
	मेघालय	मेघालय एसईबी	10	10	-56	-56		
		मेघालय ईसीएल					-91	-91
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-72	-72	-139	-139	-158	-158
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-68	-68	-108	-108	-159	-159
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	49	38	2	-11	-126	-130
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	-108	-108	187	187	388	388
		बीएसईएस यमुना	58	58	77	77	155	155
		एनडीपीएल	171	171	351	351	258	258
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-265	-265	-633	-680	-393	-556
		यूएचबीवीएनएल	-1,218	-1,218	-912	-912	-129	-129
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	32	32	-153	-153	-122	-122
		एचपीएसईबी लि.					-389	-389

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर पीडीडी	-1,316	-1,316	-2,106	-2,106	-2,167	-2,167
	पंजाब	पीएसईबी	-1,041	-1,041	-1,302	-1,302		
		पीएसपीसीएल					-1,482	-1,482
	राजस्थान	एवीवीएनएल	-0	-2,403	0	-3,924	0	-3,071
		जेडीवीवीएनएल	0	-2,185	0	-3,169	0	-3,069
		जेवीवीएनएल	0	-2,227	-0	-3,913	0	-3,389
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-974	-974	-1,707	-1,707	-1,117	-1,117
		केएससीओ	-152	-152	-181	-181	-73	-73
		एमवीवीएन	-418	-418	-1,040	-1,040	-348	-348
		पश्चिमी वीवीएन	-612	-612	-1,188	-1,188	-304	-304
		पूर्वी वीवीएन	-1,346	-1,346	-1,170	-1,170	-969	-969
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	-355	-355	-527	-527	-216	-219
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	13	-2,780	36	-1,198	3	-778
		एपीईपीडीसीएल	14	-531	18	-435	13	-572
		एपीएनपीडीसीएल	6	-1,191	7	-892	7	-409
		एपीएसपीडीसीएल	11	-1,485	4	-1,116	3	-418
	कर्नाटक	बेसकोम	-588	-588	12	112	0	0
		चेसकोम	-221	-280	-74	-318	11	11
		जेसकोम	-198	-198	-31	-31	61	61
		हेसकोम	-560	-560	-174	-174	-65	-65
		मेसकोम	-41	-41	9	-14	2	2
	केरल	केएसईबी	217	217	241	241	241	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पुदुचेरी	पुदुचेरी	-80	-80	-47	-47	-134	-134
	तमिलनाडु	टीएनईबी	-7,771	-8,021	-10,295	-10,295	-6,273	-6,273
		टैंज्डको					-6,202	-6,202
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	764	764				
		सीएसपीडीसीएल	74	74	-314	-314	-468	-468
	गोवा	गोवा पीडी	158	158	16	16	-79	-79
	गुजरात	डीजीवीसीएल	3	3	22	22	63	63
		एमजीवीसीएल	5	5	17	17	25	25
		पीजीवीसीएल	1	1	4	4	3	3
		यूजीवीसीएल	6	6	6	6	13	13
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-574	-574	-779	-779	-605	-605
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-833	-833	-1,433	-1,433	-578	-578
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-1,077	-1,077	-1,131	-1,131	-974	-974
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-902	-902	-1,085	-1,085	-1,505	-1,505

स्रोत– ''राज्य विद्युत यूटिलिटियों के वर्ष 2008-09 से 2010-11 के निष्पादन'' पर पीएफसी की रिपोर्ट।

औषधियों के उत्पादन और विपणन की निगरानी

1775. **श्रीमती कमला देवी पटले :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औषधियों के उत्पादन में लगी भारतीय और विदेशी पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान देश में उत्पादित औषधियों की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या औषधियों के उत्पादन और विपणन की निगरानी के लिए सरकार के पास कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा अपंजीकृत कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) देश के विभिन्न भागों में 10563 औषधीय यूनिटें पंजीकृत हैं।

(ख) सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडिया इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई की इकोनामिक इंटेलिजेंस सर्विस के अनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान भेषज और औषधीय बिक्री मूल्य लगभग 119075.00 करोड़ रुपए था।

(ग) और (घ) औषधियों का विनिर्माण और बिक्री एक लाइसेंसशुदा गतिविधि है और इसे लाइसेंसिंग और निरीक्षण पद्धति के माध्यम से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक साक्षरता कक्षाएं

1776. **श्रीमती मेनका गांधी : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक साक्षरता की कक्षाएं शुरू करने का है ताकि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है किंतु देश में विधिक साक्षरता प्रदान करने के विभिन्न उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ओडिशा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजना

1777. **श्री बिभू प्रसाद तराई : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडिशा में दरलीपाली में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) की 1600 मेगावाट मेगा पावर परियोजना की स्थापना में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संयंत्र के लिए निर्धारित कोयला खानों संबंधी काम भी रूक गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) दरलीपाली में एनटीपीसी की 1600 मेगावाट सुपर क्रिटिकल बल्क टेंडर प्रोजेक्ट के लिए दिनांक 04.02.2011 को टेंडर इनवाइटिंग नोटिस (एनआईटी) जारी किया गया था और एनटीपीसी बोर्ड द्वारा दिनांक 29.11.2011 को अवार्ड रिकमेंडशन का अनुमोदन किया गया था। तथापि, ओडिशा राज्य सरकार से भूमि की अनुपलब्धता और वन स्वीकृति के कारण परियोजना के लिए अनुमोदित निवेश में विलंब हुआ है।

(ग) और (घ) ओडिशा राज्य सरकार द्वारा खनन हेतु वन स्वीकृति की प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण के लिए भूमिदरों को अंतिम रूप नहीं देने की वजह से डुलंगा कोयला खानों (दरलीपाली सुपर ताप विद्युत परियोजना (एसटीपीपी) पर कार्य रूका हुआ है।

(ङ) इस मामले पर विद्युत मंत्रालय और एनटीपीसी द्वारा राज्य सरकार के साथ नियमित बैठकों और पत्राचार के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर लगातार संपर्क किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

1778. **श्री विजय बहादुर सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने नई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निगम ने उक्त प्रौद्योगिकियों को पेटेंट कराया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रौद्योगिकियों के विपणन से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआरडीसी) नई प्रौद्योगिकियों के विकास में शामिल नहीं है लेकिन यह वाणिज्यीकरण के लिए देश के विभिन्न शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों से प्रौद्योगिकियों के कार्यों को एकत्र करने में लगा हुआ है। पिछले तीन वर्षों में वाणिज्यीकरण के लिए देश भर के विभिन्न शोध एवं विकास संस्थानों द्वारा कुल 141 प्रौद्योगिकियों और तकनीकी ज्ञान को कॉर्पोरेशन को सौंपा गया था।

(ग) उपरोक्त प्रौद्योगिकियों को एनआरडीसी द्वारा पेटेंट नहीं कराया गया है लेकिन कॉर्पोरेशन प्रौद्योगिकी विकासकर्ता यथा शोध संस्थानों/विश्वविद्यालयों को उनके अन्वेषण, प्रौद्योगिकियों और तकनीकी ज्ञान को पेटेंट करने में सहायता करता है यदि वे ऐसा चाहते हैं। पिछले तीन वर्षों में एनआरडीसी को सौंपी गई 141 प्रौद्योगिकियों और तकनीकी ज्ञान में से 22 प्रौद्योगिकियों को, शोध संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा पेटेंट सुरक्षा के लिए फाईल किया गया है, एनआरडीसी ने 37 प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट फाईल करने के लिए सहायता प्रदान की है और शेष प्रौद्योगिकियां बिना पेटेंट सुरक्षा की थीं।

(घ) एनआरडीसी ने पिछले तीन वर्षों में लाइसेसिंग, मार्केटिंग और वाणिज्यीकरण के माध्यम से एकमुश्त प्रीमिया और रॉयल्टी के रूप में 1968 लाख रुपए का कुल राजस्व प्राप्त किया।

कुंभ मेले में लाठीचार्ज

1779. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 2013 को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 6 पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के कारण भगदड़ मच गई थी जिसके परिणामस्वरूप वहां पर 20 लोगों की मृत्यु हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां पर तीन से चार घंटों तक चिकित्सा सुविधाएं न मिलने के कारण अनेक घायलों की मौत हो गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने उक्त त्रासदी के लिए पुलिसकर्मियों की लापरवाही के संबंध में आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं। चालू कुंभ मेले के दौरान 'शाही स्नान' करने के बाद 10.02.2013 को लगभग 18.30 बजे तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंची। 18.30 बजे से 19.00 बजे के बीच सीढ़ियों पर, जो प्लेटफार्म सं. 4/6 को ऊपरी पुल सं. 1 से जोड़ती है और जो पहले ही यात्रियों से ठसाठस भरा था, अचानक इतनी अधिक संख्या मे भीड़ उमड़ने के परिणामस्वरूप भगदड़ मच गई। राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे स्टेशन पर उपस्थित रेल अधिकारियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए रेलवे अस्पताल और स्वरूप रानी अस्पताल, इलाहाबाद में शिफ्ट किया।

(ग) चिकित्सा सहायता के अभाव के कारण किसी भी घायल व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत नहीं हुई क्योंकि कम-से-कम संभव समय में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर घटना स्थल पर पहुंच गए थे।

(घ) और (ङ) रेल मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है जो भगदड़ के कारण की जांच करेगी, उत्तर मध्य रेलवे की ओर से तैयारियों की अपर्याप्तता, यदि कोई हो, का पता लगाएगी और इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार किन्हीं अन्य कारणों का पता लगाएगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को टालने के लिए अपेक्षित निवारक उपाय सुझाएगी।

कुंभ मेले के लिए अधिभार

1780. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने इलाहाबाद कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त अधिभार लगाया है;

(ख) यदि हां, तो अधिभार के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई है और अब तक अधिभार के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है;

(ग) कुल अर्जित धनराशि में से कुंभ यात्रियों की सुविधाओं पर कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है; और

(घ) उक्त अवसर के लिए प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत शीर्ष-वार कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रति यात्री उगाही किया जाने वाला मेला सरचार्ज निम्नानुसार है:

श्रेणी	उगाही किया जाने वाला सरचार्ज (रुपए)
द्वितीय	5
शयनयान	5
एसी चेयर कार एवं एसी-3 टीयर	10
प्रथम श्रेणी एवं एसी-2 टीयर	15
एसी प्रथम	20

25 फरवरी, 2013 तक कुंभ मेले के दौरान एकत्रित की गई कुल राशि लगभग 1.34 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) कुंभ आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलों द्वारा वहन किया गया कुल व्यय 53.22 करोड़ रुपए है जिसमें पूंजीगत व्यय का 34.97 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय का 13.70 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित निक्षेप कार्यों का 4.55 करोड़ रुपए शामिल है।

सच्चर समिति की सिफारिशें

1781. श्री रामकिशुन :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों संबंधी सच्चर समिति की सिफारिशों का आकलन करने और सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों के कल्याण के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए लाभार्थियों की पहचान करने हेतु जिलों के स्थान पर ब्लॉकों का सृजन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सच्चर समिति की सिफारिशों को पूर्णत: लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : (क) और (ख) जी, नहीं। सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तिमाही आधार पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नोडल अधिकारियों के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन की समीक्षा छमाही आधार पर सचिवों की समिति द्वारा की जाती है और तत्पश्चात् इसकी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को दी जाती है।

(ग) और (घ) क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित सच्चर समिति की सिफारिशों पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) अभिज्ञात 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में इन जिलों को सामाजिक-आर्थिक और पिछड़ेपन मानकों के राष्ट्रीय औसत के समान लाने के लिए वर्ष 2008 से कार्यान्वित किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों को उचित रूप से लक्षित करने के लिए योजना की इकाई क्षेत्र को जिले से बदलकर ब्लॉक करना प्रस्तावित है।

(ङ) सच्चर समिति की रिपोर्ट से कुल 76 सिफारिशों को सूचीबद्ध किया गया और सरकार द्वारा इस पर विचार किया गया था और 72 सिफारिशों को सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित किया गया था। निम्नलिखित तीन, (i), (ii) और (iii) की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और एक सिफारिश (iv) को सरकार द्वारा टाल दिया गया था।

(i) जाति/समूहों की गणना को दशवार्षिक गणना प्रक्रिया का हिस्सा बनाना।

(ii) राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद् के कार्यों का संचालन करने के लिए अखिल भारतीय अधिकारियों का एक नया संवर्ग बनाना।

(iii) नियमित विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों में सभी एसआरसी में से सर्वाधिक पिछड़ों के लिए दाखिला सुविधाजनक बनाने हेतु वैकल्पिक दाखिला मानदंड होना।

(iv) अरजलों को अनुसूचित जाति की सूची में समाविष्ट करना अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्धारित किये गये पृथक अत्यंत पिछड़े वर्ग (एमबीसी) में ही समाविष्ट करना।

हालांकि, उपर्युक्त सिफारिश के संबंध में, गृह मंत्रालय इस पर अब कार्रवाई कर रहा है। इसके अतिरिक्त (iv) की सिफारिश के संबंध में सरकार ने अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) में यथा परिभाषित अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण में से अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% का उप-कोटा निर्धारित किया है। हालांकि, मामला अभी न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

प्रशिक्षण संस्थाएं

1782. डॉ. रामचन्द्र डोम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने इन संस्थानों के छात्रों को रोजगार/प्लेसमेंट सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने छात्रों को रोजगार/प्लेसमेंट मिला है; और

(घ) यदि नहीं, तो योग्य छात्रों को ऐसी सहायता प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

1783. श्री सुल्तान अहमद : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) क्या कुछ योजनाओं में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और ये योजनाएं कब तक पूरी होंगी; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य पर कोई विशेष बल दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की किसी भी वृहत, मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की 4 चालू एमएमआई परियोजनाओं को एआईबीपी के तहत जारी केन्द्रीय सहायता का स्कीम-वार, वर्ष-वार और किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की 23 और 24 सतही लघु सिंचाई स्कीमों को क्रमशः 2007-08 और 2010-11 में एआईबीपी के तहत शामिल किया गया है। उपर्युक्त सतही लघु सिंचाई स्कीमों का स्कीम-वार, वर्ष-वार विवरण और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विलम्बित स्कीमों और विलम्ब के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। पश्चिम बंगाल की कोई भी सतही लघु सिंचाई स्कीमें विलम्बित नहीं है।

(ङ) परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण पश्चिम बंगाल सहित राज्यों के लिए XIIवीं योजना हेतु प्रस्तावों में सुझाए गए सुधारों में ही आता है।

विवरण-I

गत पांच वर्षों के दौरान एआईबीपी के तहत पश्चिम बंगाल की वृहत, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण (2007-08 से 2011-12)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	शामिल करने का वर्ष	विगत पांच वर्षों के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता (2007-08 से 2011-12 तक)					विगत पांच वर्षों के दौरान किया गया व्यय (2007-08 से 2011-12 तक)				
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	तीस्ता बैराज	1996-97	0.0000	21.9300	0.0000	81.0000	97.2000	12.23	56.16	31.56	0.00	89.30
2.	टटको	2000-01	0.4200	0.6200	0.0000	0.0000	3.7260	0.36	1.14	0.07	0.32	1.80
3.	पतलोई	2000-01	0.4100	0.2600	0.9144	0.0000	1.6200	0.37	1.01	1.08	0.35	1.38

विवरण-II

गत पांच वर्षों के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत एमआई स्कीमों को जारी किए गए और उपयोग किए गए अनुदानों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	शामिल की गई एम आई	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		जारी किया गया अनुदान	उपयोग की गई निधियां	जारी किया गया अनुदान	उपयोग की गई निधियां	जारी किया गया अनुदान	उपयोग की गई निधियां	जारी किया गया अनुदान	उपयोग की गई निधियां	जारी किया गया अनुदान	उपयोग की गई निधियां
1.	23	8.12	0.00	0.00	8.12	लागू नहीं	*	लागू नहीं	*	लागू नहीं	*
2.	34	लागू नहीं	*	लागू नहीं	*	लागू नहीं	*	8.10	0.00	4.4561	8.10

लागू नहीं – कोई केन्द्रीय अनुदान जारी नहीं।

* – केन्द्रीय अनुदान के विरुद्ध निधियों का उपयोग शून्य है क्योंकि उस वर्ष के दौरान कोई केन्द्रीय अनुदान जारी नहीं किया गया।

विवरण-III

एआईबीपी के तहत परियोजनाओं के विलम्ब होने का कारण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	शामिल करने का वर्ष	समझौता ज्ञापन के अनुसार पूरा होने का वर्ष	01.04.2012 की स्थिति के अनुसार टाइम ओवर रन	विलम्ब का कारण
1.	तीस्ता बैराज	1996-97	2014-15	12 वर्ष विलम्ब	भूमि अधिग्रहण समस्याएं और अदालती मामले
2.	टटको	2000-01	2012-13	8 वर्ष विलम्ब	भूमि अधिग्रहण समस्याएं और अदालती मामले एवं स्थानीय व्यवधान
3.	पतलोई	2000-01	2012-13	8 वर्ष विलम्ब	भूमि अधिग्रहण समस्याएं और अदालती मामले एवं स्थानीय व्यवधान
4.	सुवर्णरिखा बैराज	2001-02	2015-16	8 वर्ष विलम्ब	स्थानीय विरोध और निधि की कमी

पानी की उपलब्धता

1784. **डॉ. एम. तम्बिदुरई** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवारों के लिए पानी की कुल उपलब्धता और प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार कमी हो रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए देश में जल की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपलब्धता 1816 घन मीटर थी जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार घट कर 1545 घन मीटर रह गई।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधन का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए संवर्धन, संरक्षण एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न कदम उठाती हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (सीएडी एवं डब्ल्यूएम); कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (एआईबीपी); जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार; वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देती है। भारत सरकार ने "एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से जल संरक्षण, अपशिष्ट को कम-से-कम करने और राज्यों के बीच एवं राज्यों में जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने" के मुख्य उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन भी शुरू किया है।

भारी उद्योगों की स्थापना

1785. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में चल रहे भारी उद्यमों/सरकारी क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में किसी भारी उद्यम/पीएसई की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में विभिन्न राज्यों से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011-12 जो संसद के दोनों सदनों में 26 और 27 फरवरी, 2013 को रखा गया था, के अनुसार दिनांक 31.03.2012 को देश में 260 केन्द्रीय सरकारी उद्यम काम कर रहे थे। पंजीकृत कार्यालयों के आधार पर इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का राज्य-वार ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-I में पृष्ठ संख्या एस-200 से एस-208 में दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न सेक्टरों में और ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न स्थानों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की स्थापना तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर की जाती है। संबंधित मंत्रालय/विभाग इन पहलुओं के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की स्थापना हेतु पहल करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश के विभिन्न हिस्सों में 30 केन्द्रीय सरकारी उद्यम स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नाम और राज्य-वार स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) नए केन्द्रीय सरकारी उद्यम यदि कोई हो, की स्थापना करने हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम	राज्य (पंजीकृत कार्यालय)
1	2	3
	2011-12	
1.	भारत ब्रॉडलैंड नेटवर्क लि.	दिल्ली
2.	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद्	दिल्ली
3.	सीजीईएन ट्रांसमिशन कम्पनी लि.	दिल्ली
4.	एचएलएल बायोटेक लि.	केरल
5.	सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लि.	दिल्ली
6.	इंडियन ऑयल केरडा बायोफ्यूल लि.	छत्तीसगढ़
7.	महानदी बेसिन पावर लि.	ओडिशा
8.	एनएमडीसी पावर लि.	आंध्र प्रदेश
9.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लि.	दिल्ली
10.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्रा.लि.	दिल्ली
11.	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लि.	दिल्ली

	2	3
12.	सेल रिफ्रैक्ट्री कम्पनी लि.	दिल्ली
13.	प्राइज पेट्रोलियम कम्पनी लि.	दिल्ली
14.	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लि.	दिल्ली
	2010-11	
15.	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन लि.	केरल
16.	एनएमडीसी-सीएमडी लि.	छत्तीसगढ़
17.	राइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि.	दिल्ली
	2009-10	
18.	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लि.	मणिपुर
19.	रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कम्पनी लि.	दिल्ली
20.	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि.	दिल्ली
21.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि.	दिल्ली
22.	एमएनएच शक्ति लि.	ओडिशा
23.	एमजेएसजे कोल लि.	आंध्र प्रदेश
24.	तातिया आंध्र प्रदेश मेगा पावर लि.	दिल्ली
25.	भोपाल धुले ट्रांसमिशन कम्पनी लि.	दिल्ली
26.	जबलपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लि.	दिल्ली
27.	एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लि.	बिहार
28.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लि.	पश्चिम बंगाल
29.	ओडिशा मिनरल डवलपमेंट कम्पनी लि.	पश्चिम बंगाल
30.	बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लि.	पश्चिम बंगाल

विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की कमी

1786. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत संयंत्रों द्वारा सामना की जाने वाली ईंधन की कमी की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) समीक्षा के आधार पर ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में एक अंतर-मंत्रालयी ग्रुप के द्वारा थर्मल पावर स्टेशनों के कोयले की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ईंधन की कमी का आंकलन स्वदेशी कोयला एवं गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वर्ष 2012-13 के

लिए, 476 मिलियन टन (एमटी) की घरेलू कोयले की आवश्यकता की तुलना में, 69 एमटी की कमी को छोड़कर के 417 एमटी घरेलू कोयले की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया था। इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से विद्युत यूटिलिटियों को 46 एमटी कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है, जो कि 69 एमटी घरेलू कोयले के समतुल्य है क्योंकि आयातित कोयले का ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जीसीवी) अधिक होता है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति को मूर्त रूप देने के लिए 2011-12 की संगत अवधि के दौरान 91% से बढ़ाकर वर्ष 2012-13 के दौरान (जनवरी, 2013 तक) 98% तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत संयंत्रों को 2011-12 की अवधि के दौरान कोयले की प्राप्ति में वृद्धि 0.88% से बढ़कर 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) में 12.2% हो गई है।

इस समय देश में गैस आधारित विद्युत स्टेशनों को 90% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर लगभग 85 एमएमएससीएमडी गैस की आवश्यकता की तुलना में लगभग 35 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) गैस की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

(ii) विद्यमान खानों और नए कोयला ब्लॉकों को चालू करने में तीव्रता लाने के लिए कैप्टिव कोयला ब्लॉक आबंटियों द्वारा कोयला उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया गया है।

(iii) सीआईएल को डिस्कॉमों के साथ दीर्घावधिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) करने वाले तथा 31 मार्च, 2015 को अथवा पहले चालू हो चुके/होने वाले विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने का निदेश दिया गया है।

(iv) गैर-प्रोत्साहन लेवी के लिए 80% और प्रोत्साहन लेवी के लिए 90% के ट्रिगर लेवल के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए आश्वासन पत्र (एलओए) में वर्णित कोयले की पूर्ण मात्रा हेतु एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(v) अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल 12वीं योजना के अंत तक अपने उत्पादन को उत्तरोत्तर ई-आक्शन के माध्यम से 10% से 7% कोयले में कमी ला सकती है।

(vi) अपने स्वयं के उत्पादन से एफएसए के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किसी कमी के मामले में सीआईएल आयात या पीएसयू को वाणिज्यिक खनन हेतु आबंटित कोयला ब्लॉकों की व्यवस्था के द्वारा कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था करेगी।

(vii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, विद्युत यूटिलिटियां बॉयलर की मिश्रण सीमाओं के अधीन कोयले की मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए कोयले का आयात कर रही हैं।

(viii) विद्युत यूटिलिटियों द्वारा आयात सहित विद्युत क्षेत्र के लिए गैस की उपलब्धता बढ़ाना।

[हिन्दी]

खादी उत्पादों का निर्यात

1787. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री राम सुन्दर दास :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खादी के आधुनिक डिजाइन तैयार करने में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का सहयोग करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खादी के उत्पादन और इसके निर्यात को बढ़ाने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम क्या हैं; और

(ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी उद्योगों को लगाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) में खादी के आधुनिक डिजाइन तैयार करने में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के साथ सहयोग करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने देश में खादी एवं ग्रामोद्योगों के सम्पूर्ण विकास एवं संवर्धन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) नामक एक सांविधिक निकाय की स्थापना की है।

केवीआईसी खादी के विकास और संवर्धन (खादी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी सहित) के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिसमें (i) विपणन विकास सहायता (एमडीए) जिसके तहत संस्थान को कारीगरों, उत्पादनरत संस्थानों और बिक्री संस्थानों के बीच 25:30:45 के अनुपात से बांटे जाने के लिए खादी एवं पॉलिवस्त्रों के उत्पादन के मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, (ii) पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) जिसके तहत अप्रचलित उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने, उत्पाद विकास, विपणन संवर्धन के लिए सहायता तथा क्लस्टरों में अन्य सहयोग प्रदान किए जाते हैं, (iii) खादी उद्योग एवं कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु योजना जिसके तहत चरखा के प्रतिस्थापन, उत्पाद विकास, डिजाइन इंटरवेंशन और पैकेजिंग आदि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

केवीआईसी, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से खादी क्षेत्र के लिए खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) नामक एक व्यापक सुधार पैकेज भी कार्यान्वित करता है।

केवीआईसी द्वारा नए खादी संस्थानों के गठन को भी बढ़ावा दिया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान देश में 234 नए खादी संस्थान भी स्थापित किए गए हैं।

केवीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने केवीआईसी को 'निर्यात संवर्धन परिषद्' के समकक्ष दर्जा प्रदान किया है जिसके तहत केवीआईसी ने पहले ही 900 से अधिक निर्यातकों को सूचीबद्ध किया है। इसमें केवीआई उत्पादों के प्रत्यक्ष निर्यात के 5 प्रतिशत एफओबी मूल्य के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा केवीआईसी, केवीआई उत्पादों के लिए नए/उभरते बाजारों में पहुंच बनाने के लिए विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं क्रेता-विक्रेता बैठकों में गुणवत्तापूर्ण भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मनरेगा के तहत एससी/एसटी को रोजगार

1788. श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री बदरूद्दीन अजमल :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कुल कितने मजदूरों को श्रेणी-वार और लिंग-वार रोजगार प्रदान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष में श्रेणी-वार और लिंग-वार कितने लोगों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या जॉब कार्डों का अवैध वितरण के कारण विशेषकर असम में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान असम सहित देश में योजना के तहत कितने प्रतिशत गरीबी रेखा के परिवारों (बीपीएल) को राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार जॉब कार्ड दिया गया है;

(च) क्या योजना के तहत बीपीएल का जॉब कार्ड धारकों का प्रतिशत बहुत कम है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है/कर रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कुल सृजित रोजगार में कुल परिवारों को उपलब्ध किया गया रोजगार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की भागीदारी के प्रतिशत का ब्यौरा, जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2009-10 से आगे के लिए प्रस्तुत किया है, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारों के द्वारा वर्ष 2009-10 से आगे के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार प्रदान किए गए कुल व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष देश में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के बारे में असम सहित अनेक राज्यों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं करने, जॉब कार्ड में हेराफेरी, निधियों का दुर्विनियोजन, ठेकेदारों को काम सौंपना, मस्टर रोल में गड़बडी, कम मजदूरी के भुगतान, मजदूरी का भुगतान न किया जाना, रिश्वतखोरी और अन्य विसंगतियां, मशीनरी का प्रयोग, भुगतान में देरी आदि के मामलों से संबंधित होती हैं। योजना के प्रारंभ से अब तक असम में जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं किए जाने और उनमें हेराफेरी के संबंध में इस मंत्रालय में 15.02.2013 तक 8 मामलों पर शिकायत प्राप्त हुई हैं। चूंकि अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुरूप किया जाता है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें कानून के अनुसार जांच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं

(ङ) से (छ) चूंकि मनरेगा के प्रावधान ग्रामीण परिवारों पर, उनके स्तर तथा गरीबी रेखा के बावजूद, लागू होते हैं इसलिए बीपीएल जॉबकार्ड धारकों के आंकड़ों से संबंधित प्रतिशत को अलग रूप से कायम नहीं किया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	रोजगार उपलब्ध किए गए परिवारों की संख्या				अनुसूचित जाति के श्रम दिवसों का %				अनुसूचित जनजाति के श्रम दिवसों का %				महिलाओं के श्रम दिवसों का %			
		2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (12.02.2013 तक)	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (12.02.2013 तक)	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (12.02.2013 तक)	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (12.02.2013 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	6158493	6200423	4980822	5482671	24.68	24.32	26.84	24.00	14.71	16.02	18.44	15.37	58.10	57.05	57.79	58.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	68157	134527	3306	50207	0.00	0.03	0.01	0.04	97.76	90.26	99.86	87.24	17.20	33.26	40.07	31.09
3.	असम	2137270	1798372	1348958	990888	12.15	11.00	5.57	5.75	31.02	27.26	22.72	19.55	27.70	26.51	24.87	25.08
4.	बिहार	4127330	4738464	1716603	16334049	45.30	45.40	24.61	23.97	2.16	2.14	1.74	1.87	30.04	28.49	28.82	30.36
5.	छत्तीसगढ़	2025845	2485581	2724228	2480164	15.32	14.57	9.62	9.40	38.20	36.51	37.47	35.92	49.21	48.63	45.16	46.79
6.	गुजरात	1596402	1096223	822039	675309	14.87	14.54	7.82	9.04	39.46	41.17	40.43	36.34	47.55	44.23	44.54	42.74
7.	हरियाणा	156406	235281	277834	246795	53.61	48.93	49.74	51.28	0.00	0.00	0.01	0.04	34.81	35.62	36.44	39.46
8.	हिमाचल प्रदेश	497336	444247	503105	436725	33.35	32.58	30.00	29.28	8.70	8.19	6.11	7.15	46.09	48.25	59.48	61.03
9.	जम्मू और कश्मीर	336036	492277	421185	332232	8.38	7.21	6.92	4.90	26.14	25.09	15.51	12.37	6.67	7.48	18.57	20.23
10.	झारखंड	1702599	1987360	1573677	1187488	16.04	13.44	12.73	12.48	42.98	42.08	39.30	40.56	34.25	33.47	31.35	32.53
11.	कर्नाटक	3535281	2224468	1652116	1041315	16.70	16.16	5.72	16.92	8.57	9.36	8.29	9.38	36.79	46.01	45.71	46.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	केरल	955976	1175816	1416444	1662595	16.77	16.22	14.68	15.30	5.33	3.10	2.39	2.74	88.20	90.39	92.76	92.74
13.	मध्य प्रदेश	4714591	4407643	3817389	2622550	18.48	19.34	21.00	19.19	45.34	43.45	27.59	28.51	44.23	44.00	42.48	42.51
14.	महाराष्ट्र	591547	451169	1465398	1355632	25.61	22.01	6.08	6.86	33.16	25.56	16.76	13.57	39.66	45.89	45.95	44.59
15.	मणिपुर	418564	433856	357649	391852	27.53	2.58	0.58	1.01	42.85	70.64	69.77	58.03	47.98	35.07	33.76	36.06
16.	मेघालय	300482	346149	333715	273579	0.52	0.38	0.65	0.56	94.09	94.51	92.94	94.63	47.20	43.92	41.41	41.13
17.	मिजोरम	180140	170894	168560	172130	0.01	0.00	0.14	0.01	99.86	99.84	99.55	99.75	34.99	33.94	23.33	22.51
18.	नागालैंड	325242	350815	367173	263782	0.00	0.00	0.61	0.03	100.00	100.00	92.61	94.11	43.53	35.02	27.13	24.51
19.	ओडिशा	1398300	2004815	1378597	1498701	19.16	18.13	17.49	18.17	36.26	35.55	38.18	35.13	36.25	39.41	38.60	36.93
20.	पंजाब	271934	278134	245443	204044	78.92	78.29	77.40	78.38	0.00	0.01	0.04	0.04	26.25	33.86	43.17	46.34
21.	राजस्थान	6522264	5859667	4519270	4323224	26.53	25.50	16.79	18.34	22.50	23.28	24.50	24.63	66.89	68.34	69.20	69.01
22.	सिक्किम	54156	56401	54642	37846	9.66	12.03	4.53	4.31	42.55	39.90	36.09	36.27	51.24	46.66	44.71	45.36
23.	तमिलनाडु	4373257	4969140	6347303	6657992	59.07	57.71	28.88	28.25	2.50	2.19	1.28	1.31	82.91	82.59	73.86	74.82
24.	त्रिपुरा	576487	557055	566770	590325	18.03	17.95	18.00	17.50	40.98	43.45	42.00	42.62	41.09	38.55	38.56	41.36
25.	उत्तर प्रदेश	5483434	6431213	7316757	4776187	56.41	53.96	32.53	32.65	1.48	2.10	1.25	1.06	21.67	21.42	16.98	19.06
26.	उत्तराखंड	522304	542391	466663	314091	26.03	26.37	18.44	18.32	4.04	4.24	2.88	2.64	40.27	40.30	44.52	44.91
27.	पश्चिम बंगाल	3479915	4998239	5502371	5037608	36.86	36.92	33.55	32.96	14.38	13.41	10.31	9.38	33.42	33.69	32.46	32.91
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20337	17636	18890	8580	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	13.65	3.70	4.84	44.94	47.39	46.20	46.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29.	दादरा और नगर हवेली	3741	2290	एनआर	एनआर	0.00	0.00	एनआर	एनआर	100.00	100.00	एनआर	एनआर	87.14	85.11	एनआर	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	6604	13897	11167	3617	5.41	4.05	3.33	4.40	27.03	24.32	21.17	13.95	62.70	68.38	75.64	81.47
32.	लक्षद्वीप	5192	4507	3855	1376	0.00	0.00	0.16	0.00	100.00	100.00	98.72	97.72	37.59	34.33	33.90	24.96
33.	पुदुचेरी	40377	38118	42546	41151	46.20	32.83	34.50	35.14	0.00	0.09	0.09	0.06	63.51	80.39	80.37	83.95
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	52585999	54947068	50424472	44794678	30	31	22	22	21	21	18	16	48	48	48	53

एनआर: असूचित।

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या (संख्या में)			
		2009-10	2010-11	2011-12 (अनिंतम)	2012-13 (12.02.2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1395537	964713	921135	602759
2.	अरुणाचल प्रदेश	276	602	0	913
3.	असम	130457	45490	15701	2195
4.	बिहार	282797	284063	162940	76781
5.	छत्तीसगढ़	160851	184497	208146	78866
6.	गुजरात	103752	67653	41759	31751
7.	हरियाणा	8837	9977	13762	9081
8.	हिमाचल प्रदेश	48283	22052	46553	14480
9.	जम्मू और कश्मीर	21360	60224	34672	13125
10.	झारखंड	133296	131149	57974	28528
11.	कर्नाटक	445930	131575	45252	23976
12.	केरल	43596	67970	124865	77660
13.	मध्य प्रदेश	678717	467119	280656	62745
14.	महाराष्ट्र	22630	28240	184323	152647
15.	मणिपुर	101	109339	112237	91
16.	मेघालय	13453	19576	34838	17573
17.	मिजोरम	7059	131970	63500	0
18.	नागालैंड	103436	190261	59434	35

1	2	3	4	5	6
19.	ओडिशा	82710	204229	47629	25807
20.	पंजाब	7702	5243	3786	1874
21.	राजस्थान	1514420	495830	335418	178846
22.	सिक्किम	12633	25695	8746	1691
23.	तमिलनाडु	760689	1102070	602703	488962
24.	त्रिपुरा	214218	81442	199503	50901
25.	उत्तर प्रदेश	796929	600559	306398	27565
26.	उत्तराखंड	20664	25412	22179	5137
27.	पश्चिम बंगाल	72123	104967	117723	81175
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	657	174	2181	357
29.	दादरा और नगर हवेली	24	0	एनआर	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	121	413	143	0
32.	लक्षद्वीप	20	71	134	26
33.	पुदुचेरी	385	137	202	4
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	7083663	5561812	4054492	2055551

एनआर = असूचित

[अनुवाद]

सामान्य दवाइयों पर लाभ

1789. श्री खगेन दास : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि देश में दवा कंपनियों द्वारा निर्मित 21 सामान्य दवाइयों पर 500 प्रतिशत लाभ होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के इस विनियमन के लाभ 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए के बावजूद इन दवाइयों के 500 प्रतिशत लाभ पर बिकने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर फार्मूलेशनों की एक सूची प्रकाशित की है जिनके मामले में संबंधित फार्मूलेटर निम्नलिखित औषधियों पर आधारित फार्मूलेशनों के संबंध में अपनी वैध लागतों पर बहुत अधिक लाभ मार्जिन वसूल कर रहे थेः—

(i) एम्लोडिपाइन

(ii) एजिथ्रोमाइसिन

(iii) सिप्रोफ्लाक्सासिन

(iv) मेटफोरमाइन

मूल्य निर्धारण/संशोधन तथा मानीटरिंग के प्रयोजन के लिए औषधि (मूल्य और नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अंतर्गत मौटे तौर पर औषधियों की दो श्रेणियां हैं। ये अनुसूचित औषधियां (मूल्य नियंत्रण के अधीन औषधियां) और गैर-अनुसूचित औषधियां हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर 74 अनुसूचित बल्क औषधियों और उनसे संबंधित फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करता है। डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन है। कोई भी व्यक्ति एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को बेचने के लिए प्राधिकृत नहीं है। एनपीपीए डीपीसीओ, 1995 के पैरा 7 में दिए फार्मूले के अनुसार समय-समय पर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करता है।

डीपीसीओ, 1995 के पैरा 7 के अनुसार 100 प्रतिशत के एमएपीई की अनुमति दी जाती है। एमएपीई (अधिकतम अनुमेय कारखानागत व्यय) का अर्थ विनिर्माता द्वारा कारखानागत लागत के स्तर से खुदरा विक्रेता तक किए गए सभी प्रकार के लागत संबंधी व्ययों से है और इसमें व्यापार मार्जिन और विनिर्माता का मार्जिन शामिल है और यह स्वदेशी रूप से विनिर्मित अनुसूचित फार्मूलेशनों के लिए 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते कि आयातित फार्मूलेशनों के मामले में अवतरण लागत ब्याज सहित बिक्री और वितरण खर्चों और आयातकर्त्ता के लाभ जो अवतरण लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा को शामिल करने के लिए ऐसे मार्जिन सहित इसके, मूल्यों को निर्धारित करने का आधार हो।

जो औषधियां, औषधियां औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत शामिल नहीं है अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियां हैं उनके मामले में विनिर्माता सरकारी/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना स्वयं मूल्यों का निर्धारण करते हैं। एनपीपीए का गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के लांच मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि एनपीपीए गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य में उतार-चढ़ाव की नियमित रूप से जांच करता है। आईएमएस-स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग विनिर्माताओं द्वारा भेजी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं एक वर्ष की अवधि में मूविंग के आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां विनिर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य कम करे, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10(ख) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है।

उपर बताई गई चार औषधियों में से सिप्रोफ्लाक्सासिन ही डीपीसीओ, 1995 के अधीन एक अनुसूचित औषधि है। जहां तक इस औषधि का संबंध है सिप्रोफ्लाक्सासिन बल्क औषधियों और संबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य संशोधित नहीं किए जा सके क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है। एनपीपीए को भी बल्क औषधि सिप्रोफ्लाक्सासिन का डीपीसीओ, 1995 के अंतर्गत अधिसूचित मूल्य से कम बाजार मूल्य होने की जानकारी है। सिप्रोफ्लाक्सासिन आधारित फार्मूलेशनों के मामले में एनपीपीए ने फार्मूलेटरों के विरुद्ध अधिक मूल्य लेने के लिए कार्रवाई शुरू की थी। तथापि, कुछ चुककर्त्ता प्रमुख फार्मूलेटर न्यायालय में चले गए हैं और बम्बई उच्च न्यायालय में मैसर्स रेनबेक्सी द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका में प्रदान किए गए स्थगन आदेश के कारण सिप्रोफ्लाक्सासिन का मूल्य निर्धारण/संशोधन प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए पर भी बम्बई उच्च न्यायालय में वर्तमान में लंबित पड़े उक्त मामले के कारण मैसर्स रेनबेक्सी से अधिप्रभार की रकम की वसूली करने के लिए जबरदस्ती कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई है।

शेष तीन औषधियां अर्थात् एम्लोडिपाइन, मेटफारमिन और एजिथ्रोमाइसिन गैर-अनुसूचित फार्मूलेशन हैं।

इसके अलावा सिप्रोफ्लाक्सासिड, एम्लोडिपाइन, मेटफारमिन और एजिथ्रोमाइसिन पर आधारित फार्मूलेशनों की एनपीपीए द्वारा फरवरी, 2012-फरवरी, 2011 के आईएमएस, स्वास्थ्य आंकड़ों के आधार पर जांच की गई है। यह देखा गया है कि किसी भी उत्पाद/पैक पर वृद्धि निर्धारित मापदंडों के संदर्भ में 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं है।

गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एनपीपीए ने 30 फार्मूलेशन पैकों के मामले में पैरा (ख) के अधीन मूल्य निर्धारित किए हैं और कंपनियों ने अगस्त, 1997 में एनपीपीए की स्थापना से अब तक 75 फार्मूलेशन के पैकों के मामले में स्वेच्छा से मूल्य कम किए हैं। इस प्रकार एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप गैर-अनुसूचित औषधियों के कुल 95 पैकों के मूल्य घटाए गए हैं।

अधिसूचित उच्चतम मूल्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जहां कंपनियों को अधिक मूल्य लेते हुए पाया जाता है वहां एनपीपीए बाद के बैचों के नियंत्रण नमूने और फार्मूलेशनों के संबंध में कंपनियों की मूल्य सूची मंगवाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनियां एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्यों का अनुपालन करे राज्य औषध नियंत्रकों का सुग्राहीकरण किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वे अधिसूचित मूल्य के गैर-अनुपालन से संबंधित मामले अग्रेषित करें। सतत् बाजार निगरानी के भाग के रूप में एनपीपीए भी कंपनियों द्वारा अधिसूचित उच्चतम मूल्य के अनुपालन की जांच करने के लिए विभिन्न अनुसूचित फार्मूलेशनों के नमूनों का प्रापण करता है।

अलग-अलग व्यक्तियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों, राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त रिपोर्टों और एनपीपीए द्वारा देश के विभिन्न भागों से खरीदे गए नमूनों के आधार पर एनपीपीए द्वारा निर्धारित/अधिसूचित मूल्यों के अनुपालन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है और उनका सुनिश्चिय किया जाता है। कंपनी द्वारा फार्म-V में प्रस्तुत की गई मूल्य सूची की इस प्रयोजन के लिए जांच की जाती है। यदि किसी कंपनी को किसी भी अनुसूचित फार्मूलेशन को एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हुए पाया जाता है तो अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए किसी कंपनी के खिलाफ डीपीसीओ, 1995 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

भ्ष्टाचार के मामले

1790. **श्री रुद्र माधव राय : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में भ्रष्टाचार के लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन पर चुनाव लड़ने या किसी भी क्षमता में लोगों के प्रतिनिधित्व करने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टचार के आरोपों की जांच से तेजी लाने और समय-सीमा निर्धारित करने के लिए कोई कानून अधिनियमित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) भारत विधि आयोग के अनुसार 'प्रभावशाली (हाई प्रोफाइल) व्यक्तियों' पद की परिभाषा संभव नहीं है क्योंकि न केवल वे, जो लोक पद धारण किए हुए हैं या ऐसे पूर्व व्यक्ति बल्कि यहां तक कि उनके घनिष्ठ साथी भी जांच और विचारणों पर समाघात के लिए प्रभावित कर सकते हैं। उस रूप में हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित भ्रष्टाचार के मामलों के विनिर्दिष्ट आंकड़े सुसंगत नहीं हो सकते हैं। उनके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व करने या निर्वाचन लड़ने पर पाबंदी के संबंध में वर्तमान में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उपबंध है, जो यह उपबंध करता है कि उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया कोई भी व्यक्ति, जिसमें अन्य बातों के साथ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध भी सम्मिलित है, संसद और राज्य विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, जहां सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति– (i) केवल जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए, (ii) कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से और उसकी निर्मुक्ति से छह वर्ष की एक और कालावधि के लिए निरर्हित होना जारी रहेगा। मामलों के वहनीय और शीघ्र निपटाने को सुनिश्चित करने सहित, न्याय परिदान प्रणाली में सुधारों से संबंधित मुद्दे लगातार सरकार का ध्यान खींच रहे हैं। सरकार, शासन में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है।

कबाड़ का निपटान

1791. **श्री जोस के. मणि :**
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान रेलवे कबाड़ की कुल मात्रा तथा उससे राज्य-वार कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(ख) रेलवे द्वारा कबाड़ के प्रभावी एवं उचित निपटान के लिए क्या मानदंड अंगीकार किए गए हैं;

(ग) क्या कबाड़ को आरक्षित मूल्य से कम पर बेचने की घटनाएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कुल कितनी हानि हुई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान नीलामी के लिए रखे गए कबाड़ की कुल मात्रा कितनी थी और वास्तव में कितनी मात्रा की नीलामी की गई और अविक्रीत कबाड़ के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(च) रेलवे द्वारा ऐसे अविक्रीत कबाड़ का किस रीति से उपयोग किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, बेचे गए स्क्रैप की कुल मात्रा और अर्जित कुल राजस्व का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

स्क्रैप की किस्म	2009-10 मात्रा	2010-11 मात्रा	2011-12 मात्रा
पटरियां और रेलपथ लौह (एम.टी.)	1216166	1410893	912882
अन्य लौह (एम.टी.)	377546	393205	338637
गैर-लौह (एम.टी.)	21166	21836	18465
मालडिब्बे (अदद्)	16223	13472	11896
सवारीडिब्बे (अदद्)	2468	1621	1500
रेलइंजन (अदद्)	174	237	170
विविध (करोड़ रुपये)	146.61	176.72	206.96
कुल बिक्री मूल्य (करोड़ रुपये)	3525.46	4408.84	4002.11

(ख) स्क्रैप की बिक्री सामान्यत: सार्वजनिक नीलामी या विज्ञापित निविदा के माध्यम से की जाती है। विभिन्न समाचार-पत्रों के नीलामी की तारीख प्रकाशित करने के बाद अलग-अलग स्थानों पर सार्वजनिक नीलामी आयोजित की जाती है। अधिक प्रतिस्पर्धा लाने और खरीदारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीलामी कार्यक्रम और नीलामी नामसूची रेलवे की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। हाल ही में भारतीय रेलों पर स्क्रैप के निपटान के तरीकों में से एक ई-नीलामी शुरू की गई है।

(ग) और (घ) यदि प्राप्त अंतिम बोली आरक्षित मूल्य से कम होती है तो आमतौर पर सामग्री बेची नहीं जाती है और इसे निरस्त कर दिया जाता है। बहरहाल, अगर नीलामी पर्यवेक्षी अधिकारी को लगता है कि अधिकतम मूल्य प्राप्त हो गया है और सामग्री को आरक्षित मूल्य से थोड़े कम मूल्य पर मगर निर्धारित रेंज में इसका निपटान वांछनीय है, तो वह कारण दर्ज करके सामग्री का विक्रय कर सकता है। हालांकि ऐसे लॉट के लिए अलग से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है मगर प्रणाली में ऐसे मामले कभी-कभार होते हैं। आरक्षित मूल्य केवल एक आकलन मात्र है और इस प्रकार से न तो आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचना लाभप्रद है और न ही आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर बेचना हानिकारक है क्योंकि सभी बिक्री मूल्य पब्लिक डोमेन में होने के साथ परिवर्तनशील बाजार दशाओं में खुली सार्वजनिक नीलामी के जरिये उच्चतम बोलीदाता को स्क्रैप सामग्री बेची जाती है।

(ङ) और (च) स्क्रैप का निपटान रेलों पर एक सतत् चक्रीय कार्य है जिसमें चिह्नित स्क्रैप सामग्री का सार्वजनिक निलामियों के माध्यम से निपटान किया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक स्क्रैप डिपो में एक माह में 1 से 2 नीलामियां आयोजित की जाती हैं। उपयुक्त बोली प्राप्त नहीं होने के कारण किसी विशिष्ट नीलामी में न बिके हुए शेष लॉट बाद की नीलामी में बेचने के लिए रखे जाते हैं। इस तरह से न बिके स्क्रैप और इससे हानि की कोई अवधारणा नहीं है।

प्राकृतिक गैस की घरेलू कीमतों में बढ़ोत्तरी का प्रभाव

1792. श्री पी. लिंगम : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्राकृतिक गैस की घरेलू कीमतों में बढ़ोत्तरी का यूरिया की कीमतों तथा किसानों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : जब गैस के मूल्य में 1.00 रु. प्रति एमएमबीटीयू की वृद्धि होती है तो यूरिया के उत्पादन की लागत में 24.893 रुपए की वृद्धि होगी। अत:, घरेलू यूरिया के लिए राजसहायता की अतिरिक्त देयता लगभग 24.893 रुपए मी.टन होगी। जब तक सरकार द्वारा यूरिया की एमआरपी में वृद्धि नहीं की जाती है, किसानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र

1793. श्री के. सुधाकरण : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों के दौरान अपर्याप्त मानसून के कारण सिंचित कृषि के अंतर्गत भूमि क्षेत्र घट रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सिंचाई के लिए भू-जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल स्तर नीचे जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार केरल को इसके पौधरोपण तथा बागवानी फसल उत्पादन को बनाए रखने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने पर विचार करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के प्रकाशन "एग्रीकल्चर स्टेटिसटिक्स एट ए ग्लांस 2012" के अनुसार सिंचाई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र निम्नानुसार है:—

(मिलियन हैक्टेयर)

वर्ष	निवल सिंचित क्षेत्र	सकल सिंचाई क्षेत्र
2007-08 (अनंतिम)	63.29	87.98
2008-09 (अनंतिम)	63.74	88.87
2009-10 (अनंतिम)	63.26	86.42

(ख) केरल के परिवर्तनशील भूमि जल संसाधनों का राज्य के भूमि जल विभाग तथा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से भूमि जल प्राक्कलन समिति के मानकों के अनुसार मूल प्रशासनिक इकाई के रूप में ब्लॉक के साथ आवधिक आँकलन किया जा रहा है। केरल के परिवर्तनशील भूमि जल संसाधनों का नवीनतम आकलन वर्ष 2009 में किया गया था। गणना के अनुसार मार्च, 2009 में राज्य में सिंचाई उपयोग के लिए 1305 मि.घन मीटर (एमसीएम) भूमि जल की निकासी की गई है जो सभी उपयोगों के लिए की गई। भूमि जल की निकासी का लगभग 46 प्रतिशत है। वर्ष 2004 और 2009 में सिंचाई के लिए की गई भूमि जल निकासी के तुलना किए जाने पर अवधि के दौरान लगभग 3.8 प्रतिशत जल निकासी की मात्रा में गिरावट पाई गई है।

राज्य के भूमि जल विभाग तथा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के प्रेक्षण कुंओं के भूमि जल स्तरों के दीर्घकालीन स्थिति का परिवर्तनशील भूमि जल संसाधनों के हिस्से के रूप में आकलन भी किया गया है। जल स्तरों के विश्लेषण में राज्य में किसी उल्लेखनीय दीर्घकालीन गिरावट का पता नहीं चला है।

(ग) कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 2006 में केरल समेत देश में सूक्ष्म सिंचाई संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को प्रारंभ किया गया था। इसको जून, 2010 में राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एनएमएमआई) के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इस स्कीम को टपक एवं छिड़काव सिंचाई प्रणाली के कार्यान्वयन, इसके बागवानी तथा कृषि फसलों दोनों के लिए प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा जागरुकता कार्यक्रमों हेतु तैयार किया गया है। स्कीम के अंतर्गत केरल को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	जारी की गई निधियां
2005-06	32.00
2006-07	6.36
2007-08 से 2010-11	0.00
2011-12	2.00
2012-13	2.75
कुल	43.11

[हिन्दी]

स्टेशनों पर व्यय

1794. श्रीमती मीना सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आनंद विहार, हज़रत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के सौन्दर्यीकरण के लिए मंजूर/आबंटित धनराशि का स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त धनराशि को जिन कार्यों पर व्यय किया गया उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि को अन्यत्र व्यय कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन स्टेशनों पर उक्त सौन्दर्यीकरण के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) खर्च का स्टेशन-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। ऐसे कार्यों के खर्च का वित्तपोषण योजना शीर्ष 'यात्री सुविधाएं' के अंतर्गत किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे, जिसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य स्टेशनों के अलावा, आनंद विहार, हज़रत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन शामिल हैं, पर योजना शीर्ष 'यात्री सुविधाएं' के तहत किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये)
2009-10	80.36
2010-11	121.52
2011-12	73.01

(ख) स्टेशन-वार शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

1. आनंद विहार, हज़रत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर परिपथन क्षेत्र का विकास और उन्नयन करना।

2. आनंद विहार, हज़रत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की सतह में सुधार करना।

3. आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर धुलनीय एप्रन का निर्माण करना।

4. आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालयों की फ्लोरिंग करना।

5. आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर परिपथन क्षेत्र आदि में मस्टिक फ्लोरिंग मुहैया कराना।

6. आनंद विहार स्टेशन पर नए टर्मिनल का विकास करना।

7. निजामुद्दीन स्टेशन पर पहले और दूसरे प्रवेश की ओर वाली स्टेशन इमारतों का विकास करना।

8. नई दिल्ली स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर वाली स्टेशन इमारत का विकास करना।

9. दिल्ली स्टेशन के दूसरे प्रवेश के विकास कार्य और प्लेटफार्म 1-ए पर परिपथन क्षेत्र, प्रतीक्षा कक्ष, बुकिंग काउंटरों, सायबान वाले शौचालयों का उन्नयन करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्टेशनों पर सुविधाएं मुहैया कराना और इनका उन्नयन करना एक सतत् प्रक्रिया है। विशेषकर, दिल्ली क्षेत्र के बड़े स्टेशनों पर यातायात में वृद्धि और यात्रियों की आवश्यकताओं के आधार पर सुविधाओं के उन्नयन के नए कार्य नियमित आधार पर प्रस्तावित और स्वीकृत किए जाते हैं। बहरहाल, इन स्टेशनों के लिए पहले से स्वीकृत कार्यों को जून, 2014 तक पूरा करने की योजना है।

[अनुवाद]

पंजीकृत मतदाता

1795. श्री धनंजय सिंह : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार अर्ह नागरिकों की संख्या कितनी है जो मतदान के लिए पंजीकृत नहीं है;

(ख) उन पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है जो कि एक से अधिक राज्य में पंजीकृत है;

(ग) उन मृत व्यक्तियों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार संख्या कितनी है जो अभी भी मतदाता सूची में हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मतदाता पंजीकरण प्रणाली के उन्नयन तथा मतदाता सूची की सफाई हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उल्का पिंडों के टकराने से खतरा

1796. श्री ताराचंद भगोरा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वॉशिंगटन स्थित भारतीय वैज्ञानिक श्री अमिताभ घोष ने चेतावनी दी है कि लाखों छोटी चट्टानें हैं जो कि किसी भी समय कहीं भी पृथ्वी से टकरा सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में हर संभव ऐहतिहाती उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) वैज्ञानिक समुदाय इस बात से अवगत है कि सौरमंडल में लाखों उल्कापिंड हैं और उनमें से कुछ पृथ्वी से टकरा सकते हैं। यद्यपि पृथ्वी के किसी बड़े उल्कापिंड से टकराने की संभावना बहुत ही कम है, इस प्रकार की टक्कर के परिणाम विध्वसंकारी हो सकते हैं।

(ख) यह सर्वविदित है कि इसके एक वैश्विक मुद्दा होने के कारण, सभी देशों को उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के संबंध में मिटिगेशन प्लान तैयार करना होगा। अंतरिक्ष विभाग इस मुद्दे के समाधान के लिए और मिटिगेशन प्लान के संबंध में निरंतर कार्य करते हुए अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष कचरा समन्वय समिति, ग्रहीय रक्षा सम्मेलन इत्यादि जैसे विभिन्न मंचों में भाग ले रहा है। उल्कापिंडों को पृथ्वी से दूर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जिन विभिन्न तकनीकी विकल्पों का विचार एवं मूल्यांकन किया गया है वे इस प्रकार हैं; बल-गति संबंधी प्रभाव, गुरूत्व घृषक, सौर संकेंद्रक, लेजर विक्षेपण और नाभिकीय विस्फोट।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

1797. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अभी तक स्थापित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (बीएनआरजीएसके) की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन पर अभी तक वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना व्यय किया गया है;

(ग) बीएनआरजीएसके की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं और ये उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं;

(घ) चूक, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं?

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों में कुछ बीएनआरजीएसके निष्क्रिय हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2010-11 से 2012-13 (04.03.2013 तक) भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र द्वारा किए गए (बीएनआरजीएसके) कार्यों (पूरा किए गए एवं जारी) की कुल संख्या तथा किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (छ) भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों (बीएनआरसीएसके) का उद्देश्य ग्राम पंचायत (जीपी)/ब्लॉक स्तरों के मनरेगा कार्यालय के कार्यकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराना और निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाने के लिए ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना है:—

(i) मनरेगा तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों संबंधी सूचना तक नागरिकों की पहुंच।

(ii) ग्रामीण परिसंपत्तियों के स्थायित्व एवं उत्पादकता में सुधार हेतु तालमेल लाने के लिए प्रौद्योगिकियों एवं उत्तम प्रथाओं के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराना।

(iii) ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक अधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) को समर्थन देने तथा विकास प्रक्रिया से संबंधित जानकारी एवं ऑनलाइन लेन देन तक जनत को पहुंच प्रदान करने के लिए आईसीटी सुविधाओं का प्रचालन।

राज्यों में प्रचालन न कर रहे बीएनआरजीएसके के संबंध में मंत्रालय के पास कोई विशिष्ट जानकारी/शिकायत उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र								
		2010-11			2011-12			2012-13 04.03.2013 तक		
		किए गए कार्य (पूरा किए गए + + जारी) (संख्या)	पूरा किए गए कार्य (संख्या)	कुल व्यय (लाख)	किए गए कार्य (पूरा किए गए + जारी) (संख्या)	पूरा किए गए कार्य (संख्या)	कुल व्यय (लाख)	किए गए कार्य (पूरा किए गए + जारी) (संख्या)	पूरा किए गए कार्य (संख्या)	कुल व्यय (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1617	7	एनआर	4135	118	17619.04	5040	27	13688.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
3.	असम	80	0	582.11	114	27	635.24	190	22	1114.26
4.	बिहार	58	0	270.24	399	2	518.98	740	0	1627.62
5.	छत्तीसगढ़	223	0	104.66	1032	15	1586.79	1442	69	2091.54
6.	गुजरात	1015	2	1265.31	2041	14	2841.55	2507	29	5286.91
7.	हरियाणा	428	22	1861.17	790	50	3307.38	814	107	2033.83
8.	हिमाचल प्रदेश	4	0	3.25	79	2	110.19	101	0	166.38
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0.00	9	0	3.35	117	0	202.90
10.	झारखंड	1201	2	4578.34	1582	18	5224.64	1597	77	1643.27
11.	कर्नाटक	1148	22	2898.12	1589	208	5685.77	1697	78	3820.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	केरल	1	1	0.30	0	0	0.00	3	0	0.32
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
14.	महाराष्ट्र	39	0	32.62	507	7	1333.44	635	8	771.99
15.	मणिपुर	0	0	0.00	88	40	452.48	67	6	108.58
16.	मेघालय	125	3	809.44	314	86	1689.06	287	11	644.11
17.	मिजोरम	112	16	936.77	210	78	364.15	150	18	199.91
18.	नागालैंड	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
19.	ओडिशा	6043	460	30750.09	5769	1802	19604.43	4061	957	4934.07
20.	पंजाब	204	7	980.81	394	83	2389.59	359	58	983.24
21.	राजस्थान	9267	241	24283.66	9142	769	45450.37	8421	287	11946.73
22.	सिक्किम	1	0	1.00	2	2	9.00	0	0	0.00
23.	तमिलनाडु	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
24.	त्रिपुरा	78	62	670.56	99	46	872.61	71	1	177.51
25.	उत्तर प्रदेश	275	0	637.83	359	14	1334.43	351	11	399.57
26.	उत्तराखंड	17	3	41.04	42	5	130.64	47	1	113.38
27.	पश्चिम बंगाल	1[illegible]	24	266.70	227	41	1214.19	328	26	1315.27
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.00	1	0	0.00	2	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
32.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	22050	872	70974.03	28924	3427	112377.32	29027	1793	53270.21

एनआर = असूचित।

[हिन्दी]

बीएचईएल द्वारा बॉयलरों का उत्पादन

1798. **श्री रेवती रमन सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएचईएल द्वारा देश में बॉयलरों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बॉयलरों का उत्पादन वांछित गति से नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त परिस्थितियों के कारण चीन से बॉयलरों का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या भविष्य में बॉयलरों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं, यद्यपि भेल देश में बॉयलरों का अग्रणी आपूर्तिकर्त्ता है, तथापि अन्य घरेलू विनिर्माता भी मौजूदा है।

(ख) जी, नहीं, उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप है। देश में बॉयलरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भेल ने पर्याप्त विनिर्माण क्षमता और योग्यता हासिल कर ली है।

(ग) देश की घरेलू विनिर्माण क्षमता काफी अधिक है। तथापि, कुछ निजी कंपनियों ने परियोजना संबंधी सस्ते वित्त पोषण के विकल्पों आदि जैसे कई अन्य कारणों से बॉयलरों को चीन से मंगाया है।

(घ) और (ङ) बॉयलरों के उत्पादन में हमारा देश पहले से ही स्वावलंबी है। भेल ने विगत वर्षों के दौरान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल स्वदेशी रूप से समाहित, अनुकूल और विकसित प्रौद्योगिकी से युक्त बॉयलरों की इंजीनियरी, उनके विनिर्माण और आपूर्ति की क्षमता हासिल कर ली है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ जल संबंधी चर्चा

1799. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री प्रदीप माझी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ जल संबंधी वार्ता का अगला दौर स्थगित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) जल के मुद्दे पर पिछली वार्ता के दौरान दोनों देशों द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) दोनों देशों द्वारा उनमें से लागू किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोनों देशों के मध्य वार्ता के अगले दौर के लिए नई तारीखें तय कर दी गई हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) तुलबुल नौवहन परियोजना के विषय में वार्ता भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा आपसी विचार-विमर्श से तय की जाती हैं।

(ग) और (घ) मार्च, 2012 में उपर्युक्त परियोजना पर हुई पिछली वार्ताओं के दौरान, इस बात पर सहमति बनी थी कि भारत उपर्युक्त परियोजना के विषय में अतिरिक्त तकनीकी आंकड़े उपलब्ध कराएगा, पाकिस्तान सभी आंकड़ों की जांच करेगा तथा अगले दौर की वार्ता से पहले अपने विचार रखेगा और यदि आवश्यक होगा, दोनों देश सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अंतर्गत, मुद्दे के समाधान के लिए आगे का रास्ता तलाशेंगे। सहमति के अनुसार दोनों देशों द्वारा कार्रवाई करना एक निरंतर प्रक्रिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सीसीआई को अधिक शक्तियां

1800. **श्री आधि शंकर :** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को और अधिक शक्तियां प्रदान करने और सभी क्षेत्रों के विलयन तथा अधिग्रहण (एमएंडए) संबंधी सौदों को इसके क्षेत्राधिकार में लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीसीआई को खोज एवं जब्ती की शक्तियां प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 विलयों एवं अधिग्रहणों से संबंधित मामलों में किसी क्षेत्र को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान नहीं करता है।

(ग) और (घ) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 41(3) के तहत महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर किसी जांच में खोज एवं जब्ती की शक्तियां प्राप्त हैं। किन्तु प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012 में अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ऐसे खोज एवं जब्ती हेतु महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को प्राधिकृत करने की शक्तियां देने का प्रस्ताव है।

यह विधेयक जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया गया, को जांच हेतु माननीय संसदीय वित्तीय स्थायी समिति को संदर्भित किया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान के साथ जल का बंटवारा

1801. **श्री राम सिंह कस्वां :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब और हरियाणा से राजस्थान को दी जाने वाली प्रस्तावित जल की मात्रा कितनी है और वर्तमान में कितने प्रतिशत क्यूसेक पानी दिया जा रहा है; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के शेष जल भाग की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या इस राज्य को इसके जल का पूरा भाग दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा निर्णय ली गई वितरण की तदर्थ अंतरिम व्यवस्था के अनुसार रावी व्यास जल की भागीदारी की जाती है। भाखड़ा नांगल करार 1959 के अनुसरण में सतलुज के जल की भागीदारी की जाती है। बीबीएमबी अपनी मासिक तकनीकी समिति की बैठकों में शेयर और सुपुर्दगी का निर्णय करता है। पंजाब और हरियाणा के मार्ग से राजस्थान के संबंध में जल के शेयर और सुपुर्दगियां इस प्रकार हैं:–

वर्ष	पंजाब के मार्ग से रावी, व्यास और सतलुज का जल		हरियाणा द्वारा सतलुज का जल	
	राजस्थान	सुपुर्दगियां	राजस्थान का शेयर	सुपुर्दगियां
2007-08	35.0	37.2	1.90	1.57
2008-09	34.3	42.6	1.95	2.17
2009-10	25.0	24.3	1.87	1.41
2010-11	34.1	40.3	2.07	2.19
2011-12	35.9	42.4	1.97	2.18

जुलाई-अक्तूबर, नवंबर-फरवरी और मार्च-जून की अवधि के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) द्वारा निर्णय लिए गए चार मासिक वितरण के अनुसार यमुना के जल का राजस्थान का भाग ओखला में क्रमश: 1281 क्यूसेक, 238 क्यूसेक और 288 क्यूसेक और शेष वर्ष में जुलाई-अक्तूबर की अवधि के लिए ताजेवाला में 1917 क्यूसेक हैं। यूवाईआरबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजस्थान को ताजेवाला (हाथीकुंड बैराज) से कोई जल नहीं और ओखला बैराज से आवंटित शेयर से कम जल प्राप्त होता है।

(ख) जलाशयों की क्रिटिकल स्थिति के बावजूद बीबीएमबी संभव सीमा तक अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने सभी सहभागी राज्यों को जल की आपूर्ति करता रहा है। यह अन्य सहभागी राज्यों नामतः पंजाब और हरियाणा से राजस्थान को सही और सहमत जल की आपूर्ति करने का अनुरोध करता रहा है। 19.07.2011 को आयोजित ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की बैठक में ताजेवाला में राजस्थान की आपूर्ति के मुद्दे का द्विपक्षीय रूप से समाधान करने का प्रस्ताव किया गया था और वे इस पर सहमत हो गए थे। ओखला में राजस्थान के पूर्ण शेयर की आपूर्ति के संबंध में, सदस्य सचिव, यूवाईआरबी ने 2010 में गुड़गांव नहर का निरीक्षण किया था और नहर की नामोद्दिष्ट क्षमता को पुनर्बहाल करने के लिए गाद हटाने (डी सिल्टिंग) और मरम्मत कार्य करने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश (यू.पी.) को सलाह दी। यूवाईआरबी ने समय-समय पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी सलाह दी है ताकि राजस्थान का पूर्ण शेयर इसकी सीमा तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके, इसके अतिरिक्त, राजस्थान ने भरतपुर और चुरू और झंझुनू क्षेत्रों में यमुना के जल का उपयोग करने के लिए दो स्कीमों का प्रस्ताव किया था। इन स्कीमों को 2003 में जल संसाधन की सलाहकार समिति द्वारा हरियाणा द्वारा अपने राज्य क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति देने की शर्त पर स्वीकृति दे दी गई थी। अब तक, हरियाणा ने इस पर स्वीकृति नहीं दी है। चूंकि, राजस्थान को इसके पूर्ण शेयर का जल प्राप्त होना उन अन्य संबंधित राज्यों पर निर्भर करता है, जिसमें से जल प्रवाहित होता है, किसी निश्चित समय-सीमा को नहीं बताया जा सकता।

रेलवे लाइन

1802. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सकरी-निर्माली-भपतियाही, सीतामढ़ी-जयनगर-निर्माली, दरभंगा-मुजफ्फरपुर, मधुबनी-बेनीपट्टी-पुपरी खंडों पर रेल लाइन परियोजनाओं और दरभंगा-सीतामढ़ी खंड पर हरिहरपुर हॉल्ट के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा इन परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:—

(i) सकरी-निर्माली-भपतियाही, सकरी-निर्माली-लौकाहाबाजार-सहरसा-फारबिसगंज आमान परिवर्तन परियोजना का भाग है जिसके लिए संपूर्ण खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस खंड में, नई लाइन परियोजना के रूप में कोसी नदी पर पुल का कार्य भी निष्पादन के अग्रिम चरण में है।

(ii) **सुसंद के रास्ते सीतामढ़ी-जयनगर-निर्माली नई लाइन (188.9 किमी.):** अनुमान स्वीकृत हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित जिला प्रशासन सीतामढ़ी को धनराशि जमा करा दी गई हैं। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

(iii) **दरभंगा-मुजफ्फरपुर नई लाइन (56 किमी.):** अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। कार्य प्रारंभिक चरण में है।

(iv) **मधुबनी-बेनीपट्टी-पुपरी नई लाइन (56 किमी.):** सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

दरभंगा-सीतामढ़ी खंड पर हरिहरपुर हॉल्ट के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) संसाधनों की सीमित उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण में समस्या आदि के कारण चालू परियोजनाओं में देरी हो जाती है। रेलवे के पास संसाधनों की सीमित उपलब्धता के साथ चालू नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का 1.47 लाख करोड़ रुपए का भारी थ्रोफारवर्ड है, परिणामस्वरूप धन का कम आवंटन होता है जो संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए वार्षिक रूप से आबंटित किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए वन संबंधी और अन्य क्लीयरेंसों के लिए उच्चतम स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। कार्य स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए फील्ड इकाइयों को भी सशक्त किया गया है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन

1803. **श्री शिवराज भैया :**
श्री एस. सेम्मलई :
श्री रमेश बैस :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री हरि मांझी :
कुमारी मौसम नूर :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री अरविंद कुमार चौधरी :
श्री लालजी टंडन :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना के धीमे कार्यान्वयन के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बेघर व्यक्तियों को मकान प्रदान किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत आबंटित, जारी और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आईएवाई के अंतर्गत आबंटित धनराशि में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने आईएवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार योजना के अंतर्गत मौजूद दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का है ताकि निविदाओं के माध्यम से मकानों का निर्माण हो सके और बाद में उन्हें लाभार्थियों को दिया जा सके; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आईएवाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) कुल मिलाकर, देश में इंदिरा आवास योजना संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक वर्ष 90% से भी अधिक वास्तविक लक्ष्य पूरे किए जाते हैं।

(ख) और (ग) इंदिरा आवास योजना के तहत वर्तमान वर्ष में तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा आवंटित, जारी की गई निधियों का, राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई निधियों तथा निर्मित किए गए मकानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा 1.4.2013 से आईएवाई के तहत मकान बनाने के लिए इकाई सहायता में मैदानी क्षेत्रों में 45,000 रुपयों से 70,000 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों/दुर्गम क्षेत्रों/आईएपी जिलों के लिए 48,500 से 75,000 रुपये तक की बढ़ोत्तरी पहले ही कर दी गई है।

(च) वर्ष 2009-10 के दौरान आईएवाई के तहत वास्तविक लक्ष्य पूरे किए जाने का प्रतिशत 83.52 था। इसका मुख्य कारण था वर्ष 2009 में लोक सभा आम चुनाव घोषणा के फलस्वरूप आचार संहिता का लागू होना। वर्ष 2010-11 के दौरान लक्ष्य पूरे करने का प्रतिशत 93 से अधिक था और 2011-12 के दौरान यह 90 प्रतिशत था। इसके अलावा, वर्ष की समाप्ति पर जिन मकानों का निर्माण पूरा नहीं होता, उन्हें अगले वित्त वर्ष के दौरान पूरा किया जाता है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) लक्ष्यों को पूरा किए जाने की सुनिश्चितता तथा प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए, मासिक समन्वयन अधिकारी बैठकें, त्रैमासिक निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें की जाती हैं। अधिकारियों द्वारा ऑनसाइट प्रगति देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से दौरे किए जाते हैं। वर्ष 2012-13 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उक्त प्रक्रिया जारी रहेगी।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	2009-10				2010-11			
		केन्द्रीय आबंटन (सीए)	केन्द्रीय रिलीज (सीआर)	निधियों का उपयोग	निर्मित आवास	केन्द्रीय आबंटन (सीए)	केन्द्रीय रिलीज (सीआर)	निधियों का उपयोग	निर्मित आवास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	75900.82	85629.11	130796.29	434733	86772.58	87366.08	113480.85	257104
2.	अरुणाचल प्रदेश	2935.66	3336.76	2401.38	6026	3372.56	3784.31	3821.79	9915
3.	असम	64914.87	66736.67	86355.23	181162	74575.72	71031.77	93331.94	156911
4.	बिहार	224039.39	200854.99	299594.41	653214	256130.00	226058.94	332483.78	566148
5.	छत्तीसगढ़	11737.44	16279.90	32204.97	58449	13418.67	13279.76	19630.74	58419
6.	गोवा	467.49	467.49	543.14	1864	534.46	517.43	803.90	667
7.	गुजरात	37223.48	41574.95	56795.96	166760	42555.24	51934.99	69276.70	167313
8.	हरियाणा	5226.21	5244.96	8453.32	24138	5974.79	5974.80	8226.32	18055
9.	हिमाचल प्रदेश	1843.31	1863.81	3055.84	9295	2107.33	2143.04	2925.48	5834
10.	जम्मू और कश्मीर	5725.42	5725.42	5968.31	18594	6545.51	6643.35	5375.77	19666
11.	झारखंड	19983.33	30160.35	35997.79	87524	56595.67	55864.20	69357.02	167254
12.	कर्नाटक	29242.52	30227.03	53634.35	158417	33431.11	38798.37	48249.34	95567
13.	केरल	16261.55	16261.55	21256.92	51590	18590.80	18590.80	23758.63	54853
14.	मध्य प्रदेश	23343.61	24086.27	33954.03	96877	26687.27	44223.47	32418.00	79097
15.	महाराष्ट्र	45773.50	47443.24	128589.14	207695	52329.94	52313.82	105934.60	156575
16.	मणिपुर	2548.30	2065.92	1684.17	3296	2927.55	2541.31	1450.05	4682

(लाख रुपए) (नम्बर संख्या)

2011-12				2012-13			
केन्द्रीय आबंटन (सीए)	केन्द्रीय रिलीज (सीआर)	निधियों का उपयोग	निर्मित आवास	केन्द्रीय आबंटन (सीए)	केन्द्रीय रिलीज (सीआर)	निधियों का उपयोग	निर्मित आवास
11	12	13	14	15	16	17	18
84762.05	89237.17	111300.65	249013	93916.18	47263.09	101236.92	225153
3294.85	3197.95	580.45	1400	3640.22	1803.17	674.97	1581
72857.40	76768.36	91573.69	143770	80494.43	40009.25	50835.37	75632
250195.44	217691.10	273858.07	469885	277216.04	127713.83	265789.52	507880
13107.75	25387.10	34623.57	77485	14523.36	12172.94	23959.87	16248
522.07	545.20	1183.64	1087	578.46	289.23	449.31	621
41569.23	38069.29	57884.60	111999	46058.62	13424.45	35035.46	51619
5836.35	6045.43	8163.20	17282	6466.67	5033.31	3950.54	7095
2058.51	2118.67	2765.31	6019	2280.82	150074	1663.08	1892
6393.85	5830.04	2591.46	9042	7084.38	3531 40	841.13	2599
22316.33	21816.66	51599.18	117343	24726.46	12508.24	31114.88	50795
32656.50	29895.68	30267.46	26965	36183.34	17826.49	59757.86	61830
18160.05	18964.62	26418.42	54499	20121.29	10060.65	13194 00	30172
26068.92	43588.24	68247.66	98447	28884.31	17420.88	25867.40	72075
51117.44	53881.90	90493.58	141479	56638.03	46981.94	65686.66	48211
2860.10	2362.86	1558.99	2956	3159.90	1459.78	821.83	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	4438.24	3783.31	3854.48	9875	5098.75	5572.45	5404.88	11439
18.	मिजोरम	945.84	1267.79	1422.31	4851	1086.60	1335.55	1340.29	3517
19.	नागालैंड	2936.92	3996.01	3038.92	11645	3374.01	4455.68	5081.19	15514
20.	ओडिशा	44016.50	46025.72	76884.11	170766	50321.27	47573.66	69101.95	171223
21.	पंजाब	6463.27	6463.27	7782.73	27108	7389.05	6358.58	7641.13	20483
22.	राजस्थान	18705.35	18869.60	29866.62	86992	21384.64	37422.23	37643.04	63464
23.	सिक्किम	561.69	561.69	781.01	1819	645.29	852.16	1328.40	2739
24.	तमिलनाडु	30388.96	30547.07	44487.29	169753	34741.77	34801.21	44072.40	96256
25.	त्रिपुरा	5718.48	6368.57	3818.96	8322	6569.52	10826.77	8621.91	12310
26.	उत्तर प्रदेश	100629.31	101479.94	158769.94	483949	115043.10	114990.42	147833.00	305376
27.	उत्तराखंड	5044.94	5044.94	7828.18	20373	5767.56	5395.01	8062.20	15924
28.	पश्चिम बंगाल	60717.10	60727.47	89164.28	230155	69414.01	63014.36	79682.63	178832
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	962.66	98.04	167.30	242	1100.55	77.09	234.83	316
30.	दादरा और नगर हवेली	160.40	80.20	0.00	0	183.37	91.69	0.00	0
31.	दमन और दीव	71.75	0.00	0.00	0	82.03	41.02	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	62.21	62.21	56.72	88	71.12	71.12	0.00	0
33.	पुदुचेरी	479.48	239.74	38.30	47	548.16	0.00	0.00	0
	कुल	849470.00	863573.99	1329246.40	3385619	1005370.00	1013945.40	1346572.75	2715453
क.	उ.पू. राज्य	85000.00	88116.72	103356.46	226996	97650.00	100400.00	120380.44	217027
ख.	गैर-उ.पू. राज्य	764470.00	775457.27	1225889.94	3158623	907720.00	913545.40	1226192.30	2498426
	कुल योग	849470.00	863573.99	1329246.40	3385619	1005370.00	1013945.40	1346572.75	2715453

11	12	13	14	15	16	17	18
4981.27	5513.12	7072.81	13147	5503.42	2991.26	3402.37	3504
1061.56	1108.60	1261.26	3227	1172.84	709.99	605.98	1508
3296.27	3442.32	4740.04	13362	3641.79	1820.90	0.00	0
49155.32	62730.58	62887.58	141398	54464.00	41884.65	46282.98	54207
7217.84	2175.07	6274.38	16622	7997.36	659.49	1246.00	4388
20889.15	39472.88	60449.37	125642	23145.13	11572.57	42098.66	45846
630.42	501.54	1024.14	1805	696.50	348.25	540.45	1410
33936.80	35173.29	45354.31	91631	37601.90	30934.90	31062.25	24616
6418.13	11530.63	14927.33	26529	7090.90	3545.45	0.00	0
112377.53	115805.74	142435.34	307012	124514.06	69208.82	65116.58	56282
5633.93	5827.08	7444.27	15573	6242.38	3121.19	4810.98	8594
67805.68	67609.09	85404.89	186224	75128.55	38948.84	62473.73	132719
1075.04	98.04	247.09	578	1191.15	791.81	104 23	316
179.12	89.56	0.00	0	198.46	0.00	0 00	0
80.17	0.00	0.00	0	88.79	000	0.00	2
69.47	0.00	0.00	0	76.98	0.00	0.00	0
535.46	0.00	0.00	0	593.28	0.00	0.00	0
949120.00	986477.80	1292632.74	2471421	1051320.00	565537.47	938622.99	1488828
95400.00	104425.38	122738.71	206196	105400.00	52688.03	56880.97	85668
853720.00	88205242	1169894.03	2265225	945920.00	512849.44	881742 01	1403160
949120.00	986477.80	1292632.74	2471421	1051320.00	565537.47	938622 99	1488828

[हिन्दी]

ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध

1804. **श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला :**
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री राकेश सिंह :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री मानिक टैगोर :
श्री जोस के. मणि :
श्री नारेनभाई काछादिया :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री देवजी एम. पटेल :
प्रो. सौगत राय :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन की ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ बड़े बांध बनाने की योजना है जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में जल और पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बांधों का देश विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या चीन ने इस संबंध में भारत सरकार से कोई चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में मामले को चीन के सामने उठाने का है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) हाल ही में प्रकाशित "चीन गणराज्य के राष्ट्रीय, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा" ये दर्शाती है कि तिब्बत स्वाधीन क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा में चीन के प्राधिकारियों द्वारा तीन बांध परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए मंजूर की गईं हैं। चूंकि, ये परियोजनाएं अपवाह नदी जल विद्युत परियोजनाएं मानी जाती हैं, उत्तर पूर्वी भारत में जल के प्रवाह की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की आशा नहीं है।

(ग) से (ङ) नदी के जल के विचारणीय स्थापित उपयोग के अधिकारों वाला निचला नदी तटीय राज्य होने के कारण भारत के चीन गणराज्य की सरकार के उच्चतम स्तर सहित चीन के प्राधिकारियों को अपने विचार तथा चिंताएं सम्प्रेषित की हैं। भारत ने चीन से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि अपस्ट्रीम क्षेत्रों में किन्हीं कार्यकलापों द्वारा निचले राज्यों के लाभों को क्षति न हो।

[अनुवाद]

आईएवाई में अनियमितताएं

1805. **श्री नरहरि महतो :**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
श्रीमती भावना गवली पाटील :
श्री विजय बहादुर सिंह :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंदिरा आवास योजना के कार्यक्रमों में कथित अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न पक्षों से शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) क्य सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) आईएवाई में अनियमितताएं रोकने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) से (ङ) कुल मिलाकर इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) स्कीम देश में सफलतापूर्वक चल रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। केन्द्रीय स्तर पर मासिक एवं तिमाही समीक्षा बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों के दौरों, समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्टों और प्रभाव मूल्यांकन अनुसंधान अध्ययनों जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं के जरिए इस योजना की निरंतर निगरानी की जाती है। स्वतंत्र जांच और योजना की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्त्ताओं (एनएलएम) को नियुक्त और तैनात किया जाता है। जब कभी, योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत मंत्रालय के ध्यान में लाई जाती है, तो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ तत्काल मामला उठाया जाता है। अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के मामले में, इस मंत्रालय के पैनल से राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्त्ताओं को शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। यदि अनियमितताओं का पता चलता है तो संबंधित राज्य सरकार से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन में निधियों की अनियमितताओं के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में राज्य-वार विवरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. **असम**

(क) दुल्लाचेरा डेवलपमेंट ब्लॉक के तहत दुल्लाचेरा ग्राम पंचायत में आईएवाई मकानों का निर्माण न किए जाने और निधि के दुरुपयोग के संबंध में श्री टोपू राजकुमार, ग्राम-फेटीपथ, जिला-करीमगंज, असम से दिनांक 23.09.2010 को शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

एनएलएम द्वारा मामले की जांच की गई थी जिसने स्कीम के कार्यान्वयन में कुछेक अनियमितताएं पाई थीं। आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए 13.7.2011 को असम राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

(ख) आईएवाई आवासों के आबंटन में जलासाजी के आरोप लगाने संबंधी श्री असब उद्दीन, गांव व डाकखाना – बाजारघाट, जिला – करीमगंज, असम से दिनांक 29.11.2010 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई तथा मामले की जांच के लिए दिनांक 17.2.2011 को शिकायत असम राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ग) बेचमारी देव के जे.ई. श्री एम.एम. दास द्वारा आईएवाई लाभार्थी के खाते से आईएवाई के अंतर्गत प्राप्त राशि निकालने और जेई द्वारा आवास का निर्माण न करने के संबंध में दिनांक 1.2.2011 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

मामले के तथ्यों के सत्यापन तथा सुधारात्मक, दण्डात्मक और निवारक कार्रवाई के लिए दिनांक 11.4.2011 को शिकायत राज्य सरकार को भेज दी गई थी।

(घ) श्री रोहित चौधरी से दिनांक 23.4.2011 को शिकायत प्राप्त हुई, जो जूनियर इंजीनियर (जे.ई.) और लाभार्थी का संयुक्त खाता खोलकर, खाते से धनराशि निकालने के समय रिश्वत लेकर और इंदिरा आवास योजना लाभार्थी पर निर्माण-सामग्री असम में आईएवाई योजना के कार्यान्वयन में जे.ई. की बताई दुकानों से ही खरीदने का दबाव डालकर असम में इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने के संबंध में है।

की गई कार्रवाई

एनएलएम द्वारा मामले की जांच की गई थी, जिन्हें योजना के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताओं का पता चला। आईएवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा मामले की जांच करने के लिए दिनांक 17.6.2011 को असम राज्य सरकार की रिपोर्ट अग्रेषित कर दी गई है।

2. **बिहार**

(क) श्री शशिभूषण हजारी, विधायक से दिनांक 14.12.2010 को उनके निर्वाचन क्षेत्र 78-कुशेशवास्थन पूर्वी, बिहार में आईएवाई अनुदानों के दुरुपयोग के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत को बिहार राज्य सरकार को दिनांक 15.2.2011 को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ख) आईएवाई के कार्यान्वयन के संबंध में बताई गई अनियमितताओं के बारे में श्री उमेश कुमार त्रिवेदी, महासचिव, पंचायत समिति, मुजफ्फरपुर, बिहार की शिकायत जो दिनांक 6.1.2011 को श्री सागर रायका, सचिव, अखिल भारत कांग्रेस समिति के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत को संलग्नकों के साथ बिहार राज्य सरकार को दिनांक 31.1.2011 को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ग) रिश्वत लेकर अपात्र व्यक्तियों को आईएवाई के अंतर्गत मकान देकर तथा निर्धनों या जरूरतमंद व्यक्तियों की अनदेखी करके बरती जाने वाली अनियमितताओं के बारे में एनजीओ युवा जागृति स्वयं सेवा सहायता संस्था, ग्राम-नेतवार, जिला-सीवान, बिहार से शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्नकों सहित शिकायत को बिहार राज्य सरकार को दिनांक 02.4.2011 को अग्रेषित कर दिया गया है।

(घ) बिहार राज्य के सहरसा जिला में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों के दुर्विनियोजन संबंधी श्री राम कुमार 'रमन', निवासी-बलुआहा, जिला-सहरसा, बिहार की शिकायत दिनांक 25.5.2012 को श्री राम विलास पासवान, संसद सदस्य (राज्य सभा) द्वारा अग्रेषित की गई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्नकों सहित शिकायत को बिहार राज्य सरकार को दिनांक 17.7.2012 को अग्रेषित कर दिया गया है।

3. झारखंड

(क) बीडीओ, जरमुंडी, दुमका द्वारा गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आबंटित करके बरती गई अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 23.2.2011 को श्री जुली यादव, पार्षद, जिला-दुमका, झारखंड से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा मामले की जांच करने के लिए दिनांक 07.4.2011 को झारखंड राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित कर दी गई है।

4. पंजाब

(क) पंजाब के तरण-तारण जिले में आईएवाई के अंतर्गत निधि के दुर्विनियोजन के संबंध में श्री रंजीत सिंह, अध्यक्ष- जिला परिषद्, तरण-तारण, पंजाब से 27.5.2010 को शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार मामले की जांच करने और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए 27.9.2010 को शिकायत पंजाब राज्य सरकार को अग्रेषित की गई थी। राज्य सरकार ने मामले की जांच की थी और डिविजनल उप-निदेशक पंचायत, जालंधर की जांच रिपोर्ट के अनुसार निधि के किसी दुर्विनियोजन की जानकारी नहीं मिली थी।

(ख) पंजाब के मनसा जिले में गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आवंटित करके आईएवाई दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में अनियमितता संबंधी श्री संदीप कुमार की दिनांक 30.9.2011 की शिकायत।

की गई कार्रवाई

एनएलएम द्वारा मामले की जांच की गई थी, जिन्हें योजना

के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताओं का पता चला। आईएवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा मामले की जांच करने के लिए पंजाब राज्य सरकार को रिपोर्ट अग्रेषित कर दी गई है।

5. उत्तर प्रदेश

(क) आईएवाई के कार्यान्वयन में गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आबंटित करके बरती गई अनियमितताओं के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार सिंह सुपुत्र श्री राजबख्श सिंह, ग्राम पंचायत-कपरवाल कयामपुर, ब्लॉक-महासी, जिला-बहराइच, उत्तर प्रदेश से दिनांक 08.02.2011 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

एनएलएम द्वारा मामले की जांच की गई थी, जिन्हें कुछ अनियमितताओं का पता चला। दिनांक 21.7.2011 को स्टेट्स रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ख) अपात्र व्यक्तियों को आईएवाई मकान आवंटित करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल परिवारों के कल्याणार्थ कार्यान्वित की जा रही स्कीमों में भ्रष्टाचार के बारे में श्री राजदेव सिंह निवासी ग्राम-पुराभागी, जिला-रामनगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की शिकायत श्री पी.एल. पुनिया, संसद सदस्य, अध्यक्ष - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जरिए प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार मामले की जांच और उपयुक्त कार्रवाई के लिए शिकायत 12.9.2012 को उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित की गई थी।

(ग) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान परियोजना निदेशक, देवरिया द्वारा बीपीएल सूची के बजाय बाहर से आईएवाई लाभार्थियों का चयन करके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के बारे में श्री गोरख प्रसाद जायसवाल की शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार मामले की जांच और उपयुक्त कार्रवाई के लिए शिकायत 8.9.2012 को उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित की गई थी।

6. ओडिशा

(क) केंद्रपाड़ा जिले के देराबिश पंचायत ब्लॉक में लाभार्थियों से 5000 रु. की रिश्वत लेकर अमीर एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को आईएवाई मकान आवंटित किए जाने का आरोप लगाते हुए ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले के केन्द्र सरकार की स्कीमों में भ्रष्टाचार के संबंध में श्री रामचंद्र खुंटिया, संसद सदस्य से 23.3.2011 को वीआईपी शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत को ओडिशा राज्य सरकार को दिनांक 27.7.2012 को अग्रेषित कर दिया गया।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

1806. श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री सी. राजेन्द्रन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ताप विद्युत संयंत्रों, उनकी संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता और उनसे उत्पादित हो रही वास्तविक विद्युत का संयंत्र-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विद्युत उत्पादन क्षमता को प्रभावित करने वाली इन विद्युत संयंत्रों की कोयले की मांग और वास्तव में पूर्ति किए जा रहे कोयले की मात्रा का संयंत्र-वार और राज्य-वार क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कोयले की कमी के कारण संयंत्र-वार विद्युत उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा; और

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) थर्मल पावर स्टेशनों की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चालू वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान स्टेशनों से उत्पादित विद्युत, जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में मॉनीटर किया जा रहा है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) चालू वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान सीईए में मॉनीटर किए जा रहे थर्मल उत्पादन संयंत्रों को कोयले की वास्तविक आपूर्ति की आवश्यकता एवं मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) विद्युत यूटिलिटियों ने कोयले की कमी के कारण 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) 11.7 बिलियन यूनिट (बीयू) की उत्पादन हानि की सूचना दी है। यूटिलिटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि का राज्य-वार एवं स्टेशन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

(ii) विद्यमान खानों में कैप्टिव कोयला ब्लॉक आबंटियों द्वारा कोयला उत्पादन को बढ़ाने पर और नए कोयला ब्लॉकों को चालू करने में तीव्रता लाने के लिए बल दिया गया है।

(iii) सीआईएल को डिस्कॉमों के साथ दीर्घावधिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) करने वाले तथा 31 मार्च, 2015 के पहले चालू हो चुके/तक चालू होने वाले विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने का निदेश दिया गया है।

(iv) गैर-प्रोत्साहन लेवी के लिए 80% और प्रोत्साहन लेवी के लिए 90% के ट्रिगर लेवल के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए आश्वासन पत्र (एलओए) में वर्णित कोयले की पूर्ण मात्रा हेतु एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(v) अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल 12वीं योजना के अंत तक अपने उत्पादन को उत्तरोत्तर ई-आक्शन के माध्यम से 10% से 7% कोयले में कमी ला सकती है।

(vi) अपने स्वयं के उत्पादन के एफएसए के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किसी कमी के मामले में सीआईएल आयात या पीएसयू को वाणिज्यिक खनन हेतु आबंटित कोयला ब्लॉकों की व्यवस्था के द्वारा कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था करेगी।

(vii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, विद्युत यूटिलिटियां बॉयलर की मिश्रण सीमाओं के अधीन कोयले की मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए कोयले का आयात कर रही हैं।

विवरण-I

31 जनवरी, 2013 को ताप विद्युत केंद्रों द्वारा राज्य-वार प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता

(मेगावाट)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र का नाम	कुल क्षमता
1	2	3	4
1.	दिल्ली	राजघाट टीपीएस	135
2.		बदरपुर टीपीएस	705.00

1	2	3	4
3.	हरियाणा	यमुना नगर टीपीएस	600
4.		राजीव गांधी टीपीएस	1200
5.		पानीपत टीपीएस	1360
6.		महात्मा गांधी टीपीएस	1320
7.		इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500.00
8.	उत्तर प्रदेश	नेशनल कैपीटल रिजन पावर स्टेशन	1820
9.		रिहंद पावर स्टेशन	2500
10.		सिंगरौली टीपीएस	2000
11.		टांडा टीपीएस	440
12.		उचाहार टीपीएस	1050
13.	पंजाब	गुरूनानक देव टीपीएस	440
14.		हरगोविंद (लेहरा मो.) टीपीएस	920
15.		राइस स्ट्रा (जलखेरा)	10
16.		रोपर टीपीएस	1260
17.	राजस्थान	कोटा टीपीएस	1240
18.		गिराल टीपीएस (लिगनाइट)	250
19.		जलीपा कपूर्डी टीपीपी	540
20.		छाबरा टीपीपी	500
21.		बरसिंगसर टीपीएस	250.00
22.		सूरतगढ़ टीपीएस	1500
23.	उत्तर प्रदेश	अनपारा टीपीएस चरण-I	1630
24.		हरदुआगंज	665
25.		ओबरा टीपीएस	1278

1	2	3	4
26.	उत्तर प्रदेश	पनकी टीपीएस	210
27.		परीछा टीपीएस	890
28.		अनपारा सी टीपीएस	1200
29.		बरखेरा टीपीएस	90
30.		मकसूदपुर टीपीएस	90
31.		खाम्बरखेड़ा टीपीएस	90
32.		कुंडारकी टीपीएस	90
33.		उतरौल टीपीएस	90
34.		रोजा टीपीएस	1200
35.	छत्तीसगढ़	डीएसपीएम टीपीएस कोरबा-II	940
36.		हसदेव टीपीएस कोरबा वेस्ट	840
37.		लैंको टीपीएस पथाड़ 1	600
38.		कसाइपल्ली टीपीपी	270
39.		एसवीपीएल टीपीपी	63
40.		काठघोरा टीपीपी	35
41.		रायगढ़ टीपीएस संख्या 1	1000
42.	गुजरात	साबरमती टीपीएस	400
43.		मुंद्रा टीपीएस फेज-I	7820
44.		सलाया टीपीपी	1200
45.		गांधी नगर टीपीएस	660
46.		कच्छ लिग. थर्मल पावर स्टेशन	290
47.		सिक्का थर्मल पावर स्टेशन	240

1	2	3	4
48.		उकाई थर्मल पावर स्टेशन	850
49.		वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	1260
50.		सूरत लिगनाइट थर्मल पावर स्टेशन	500
51.		गांधी नगर थर्मल पावर स्टेशन	210
52.		वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	210
53.		एक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन	250
54.	मध्य प्रदेश	अमर कंटक टीपीएस	450
55.		बिसिंगपुर (संजय गांधी) थर्मल पावर स्टेशन	1340
56.		सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन	1080
57.		बिना थर्मल पावर स्टेशन	250
58.	महाराष्ट्र	दहानु थर्मल पावर स्टेशन	500
59.		वर्धा वरोरा टीपीपी	540
60.		भुसावल थर्मल पावर स्टेशन	1420
61.		चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	2340
62.		खापरखेरा थर्मल पावर स्टेशन	1340
63.		कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	1040
64.		नासिक थर्मल पावर स्टेशन	630
65.		पारस थर्मल पावर स्टेशन	500
66.		पार्ली थर्मल पावर स्टेशन	630
67.		नई पार्ली थर्मल पावर स्टेशन	500
68.		तिरौरा टीपीपी	660
69.		जीईपीएल टीपीपी	120

1	2	3	4
70.		बुटीबोरी टीपीपी	300
71.		मिहान टीपीपी	246
72.		जेएसडब्ल्यू इनर्जी टीपीपी (रत्नागिरी)	1200
73.		ट्रांबे थर्मल पावर स्टेशन	1400
74.	आंध्र प्रदेश	कोथागुडेम थर्मल पावर स्टेशन	1720
75.		काकटीया थर्मल पावर स्टेशन	500
76.		रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन बी	62.5
77.		रायल सीमा थर्मल पावर स्टेशन	1050
78.		डॉ. एन. टाटा राओ टीपीएस	1760
79.		थामपीपटनम टीपीपी	150
80.		सिम्हाद्री टीपीपी	300
81.	कर्नाटक	तोरांगलू थर्मल पावर स्टेशन	860
82.		रायचुर थर्मल पावर स्टेशन	1720
83.		उडीपी थर्मल पावर स्टेशन	1200
84.		बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन	1000
85.	तमिलनाडु	नेवेली थर्मल पावर स्टेशन	250
86.		इन्नैर थर्मल पावर स्टेशन	450
87.		मेट्टूर थर्मल पावर स्टेशन	1440
88.		नौर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन	630
89.		तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन	1050
90.	बिहार	बरौनी थर्मल पावर स्टेशन	210
91.		मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन	220
92.	डीवीसी	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन	630

1	2	3	4
93.		चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	890
94.		दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन	1340
95.		कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन	500
96.		मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	2340
97.	झारखंड	जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन	360
98.		महादेव प्रसाद एसटीपीपी	270
99.		मैथन आरबी टीपीपी	1050
100.		पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	770
101.		तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन	420
102.	ओडिशा	स्टलाईट (झारसुगुडा) टीपीपी	2400
103.		आईबी वैली थर्मल पावर स्टेशन	420
104.	पश्चिम बंगाल	बज-बज थर्मल पावर स्टेशन	750
105.		नई कोसीपुर थर्मल पावर स्टेशन	160
106.		सदर्न रिप्लेसमेंट टीपीएस	135
107.		टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	240
108.		डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन	630
109.		चीनाकुरी थर्मल पावर स्टेशन	30
110.		दीसेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	18
111.		सीबपोर थर्मल पावर स्टेशन	8.38
112		बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन	1050
113.		बंडेल थर्मल पावर स्टेशन	450
114.		कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन	1260

1	2	3	4
115.		संतालडीह थर्मल पावर स्टेशन	980
116.		सागरदीघी थर्मल पावर स्टेशन	600
117.	असम	चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	60
118.	केंद्रीय क्षेत्र	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन	2600
119.		भिलाई थर्मल पावर स्टेशन	500
120.		मौदा थर्मल पावर स्टेशन	500
121.		सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन	2980
122.		फरक्का थर्मल पावर स्टेशन	2100
123.		कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन	2340
124.		तलचर थर्मल पावर स्टेशन (एसटीपीएस)	2500
125.		तलचर थर्मल पावर स्टेशन-II, यूनिट-3	500
126.		तलचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड	470
127.		नेवेली थर्मल पावर स्टेशन (विस्तार)	420
128.		नेवेली थर्मल पावर स्टेशन-I	600
129.		नेवेली थर्मल पावर स्टेशन-II	1470
130.		नेवेली थर्मल पावर स्टेशन चरण-II	250
131.		रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन	2600
132.		वल्लुर थर्मल पावर स्टेशन	500
133.		सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन	2000
134.		विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	3760
	कुल अखिल भारतीय		121610.88

विवरण-II

वर्तमान वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) ताप विद्युत केंद्रों द्वारा केंद्र-वार वास्तविक विद्युत उत्पादन

राज्य	केंद्र का नाम	वास्तविक उत्पादन 2012-13 (जनवरी 13 तक)
1	2	3
दिल्ली	राजघाट टीपीएस	670.2
	बदरपुर टीपीएस	3827.57
हरियाणा	यमुना नगर टीपीएस	398.98
	राजीव गांधी टीपीएस	4755.34
	पानीपत टीपीएस	7892.04
	महात्मा गांधी टीपीएस	2376.32
	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	4325.49
पंजाब	जीएच टीपीएस (लेहरा मो.)	6346.77
	जीएस टीपीएस-II (लेहरा मो.)	
	जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	1443.15
	रोपर टीपीएस	8148.88
राजस्थान	बरसिंगसर लिग.	988.3
	छाबरा टीपीपी	2370.48
	गिराल टीपीएस	364.37
	जलीपा कपुर्डी टीपीपी	2942.12
	कोटा टीपीएस	8111.63
	सूरतगढ़ टीपीएस	8936.29
उत्तर प्रदेश	अनपारा टीपीएस	3638.57
	अनपारा टीपीएस	8475.35
	बरखेरा टीपीएस	493.72
	दादरी (एनसीटीपीपी)	11080.44
	हरदुआगंज टीपीएस	1102.8
	खांबरखेरा टीपीएस	472
	कुंडारकी टीपीएस	430.57
	मकसूदपुर टीपीएस	466.8
	ओबरा टीपीएस	3349.54
	पनकी टीपीएस	789.59
	परीछा टीपीएस	3494.48
	रिहंद एसटीपीएस	13287.37
	रोजा टीपीपी फेज-I	6847.03
	सिंगरौली एसटीपीएस	13403.1
	टांडा टीपीएस	2596.34
	उचाहार टीपीएस	7164.46
	उतरौला टीपीएस	293.63
छत्तीसगढ़	भिलाई टीपीएस	3389.59
	डीएसपीएम टीपीएस	3022.47
	कसाईपल्ली टीपीपी	1158.58
	काटघोरा टीपीपी	74.52
	कोराबा एसटीपीएस	17100.11
	कोरबा-II	1097.46

1	2	3
	कोरबा-III	906.59
	कोरबा वेस्ट टीपीएस	5199.02
	ओपी जिंदल टीपीएस	6560.21
	पथाडी टीपीपी	2669.11
	सिपत एसटीपीएस	15266.28
	एसवीपीएल टीपीपी	48.11
गुजरात	एक्रीमोटा लिंग टीपीएस	825.9
	धुवरण टीपीएस	0
	गांधी नगर टीपीएस	3427.84
	कच्छ लिग. टीपीएस	1453.35
	मुंद्रा टीपीएस	18177.81
	मुंद्रा यूएमटीपीपी	8098.95
	साबरमती (सी स्टेशन)	375.68
	साबरमती (डी.एफ. स्टेशन्स)	2082
	सालया टीपीएस	3037.95
	सिक्का आरईपी टीपीएस	675.32
	सूरत एलआईसी टीपीएस	3036.09
	उकाई टीपीएस	4534.47
	वानकबोरी टीपीएस	7542.93
मध्य प्रदेश	अमरकंटक	0
	अमरकंटक टीपीएस	2351.09
	बीना टीपीएस	375.98
	संजय गांधी टीपीएस	7088.78

1	2	3
	सतपुरा टीपीएस	4570.65
	विध्यांचल एसटीपीएस	21487.28
महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस	2710.09
	बुटीबोरी टीपीएस	0
	चन्दरपुर (महाराष्ट्र)	11567.3
	दहनु टीपीएस	3658.46
	जीईपीएल टीपीएस पीएच-I	311.1
	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीएस	7609.97
	खापरखेडा टीपीएस	6189.86
	कोराडी टीपीएस	2071.17
	नौदा टीपीएस	2.2
	मिहान टीपीएस	672.87
	नासिक टीपीएस	3540.27
	न्यू पारली टीपीएस	0
	पारस ईएक्सपी.	0
	पारस टीपीएस	2353.34
	पारली टीपीएस	4039.07
	तिरोरा टीपीएस	785.26
	त्रोम्बे टीपीएस	6710.61
	वर्धा वरोरा टीपीएस	2866.02
आंध्र प्रदेश	डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	11077
	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड ककीनदा	384.17

1	2	3
	काकाटिया टीपीएस	3326.08
	कोठागुंडम टीपीएस	3789.98
	कोठागुंडम टीपीएस (न्यू)	6444.24
	नील्लोर	0
	रामागुंडम बीटीपीएस	353.66
	रामागुंडम एसटीपीएस	17185.5
	रायलसीमा टीपीएस	6322.01
	सिम्हाद्री टीपीएस	10319.83
	सिम्हाद्री टीपीएस	1253.28
	थम्मिनापटनम टीपीएस	225.68
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	3052.57
	जीएमआर लिमिटेड - काकीनदा (शिफ्टेड)	0
	रायचुर टीपीएस	8326.09
	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	1882.03
	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	4505.29
	उदुपी टीपीएस	5175.45
तमिलनाडु	इन्नोर टीपीएस	597.7
	मेत्तुर टीपीएस	5201.95
	नेवली (ईएक्सटी) टीपीएस	2716.56
	नेवली ईएलआई टीपीएस-I	3244.5
	नेवली ईएलआई टीपीएस-I	1522.45
	नेवली ईएलआई टीपीएस-II	9218.4
	नेवली ईएलआई टीपीएस-II ईएक्सपी	28

1	2	3
	नार्थ चेन्नई टीपीएस	4260.07
	तूतीकोरिन टीपीएस	6798.05
	वल्लूर टीपीएस	448.5
बिहार	बरौनी टीपीएस	0
	काहलगांव टीपीएस	12128.89
	मुजफ्फरपुर टीपीएस	0
डीवीसी	बोकारो बी टीपीएस	2641.31
	चन्द्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	4526.28
	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1974.18
	दुर्गापुर टीपीएस	1653.71
	कोडरमा टीपीएस	0
	मेजिया टीपीएस	10534.28
झारखंड	जोजोबेरा टीपीएस	2240.78
	महादेव प्रसाद टीपीएस	79.12
	मैथोन आरबी टीपीएस	3816
	मैत्रीशी ऊषा टीपीएस	0
	पत्रातु टीपीएस	563.66
	टेनू घाट	2437.26
ओडिशा	आईबी वेली टीपीएस	2629.72
	स्टेरलाइट टीपीएस	6803.95
	तालचेर (ओएलडी) टीपीएस	3227.17
	तालचेर एसटीपीएस	17891.37

1	2	3
पश्चिम बंगाल	बाकेश्वर टीपीएस	6674.47
	बंडेल टीपीएस	1525.88
	बुड बुंड टीपीएस	4991.68
	चिनाकुरी टीपीएस	1.68
	डी.पी.एल. टीपीएस	1438.7
	दीशरगढ़ टीपीएस	0
	फारक्का एसटीपीएस	9539.95
	कोलाघाट टीपीएस	6174.3
	न्यू कोसिपोर टीपीएस	170.41
	सागादिघी टीपीएस	3274.67
	सांतलदीह टीपीएस	1973.32
	साउथर्न आरईपीएल टीपीसी	893.21
	टीटागढ़ टीपीएस	1408.75

विवरण-III

चालू वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों को वास्तविक कोयला आपूर्ति की मात्रा और आवश्यकताओं का राज्य-वार ब्यौरा

(मात्रा 000 टन)

क्र. सं.	तापीय विद्युत स्टेशन का नाम	आवश्यकता	वास्तविक प्राप्ति कुल मात्रा
1	2	3	4
1.	राजघाट टीपीएस	660	546
2.	बदरपुर टीपीएस	3472	3322
3.	पानीपत टीपीएस	6240	6034
4.	यमुनानगर टीपीएस	2910	409
5.	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	4720	3077
6.	महात्मा गांधी टीपीएस	4688	1681
7.	राजीव गांधी टीपीएस	5465	4048
8.	जीएच टीपीएस (लेह.-मोह)	3720	3625
9.	रोपड टीपीएस	4246	4853
10.	जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	1488	988
11.	कोटा टीपीएस	5810	5138
12.	सूरतगढ़ टीपीएस	6004	5662
13.	छाबड़ा टीपीएस	2068	1421
14.	मकसूदपुर टीपीएस	372	403
15.	खंबारखेड़ा टीपीएस	372	427
16.	बारखेड़ा टीपीएस	375	426
17.	कुंडरकी टीपीएस	372	379
18.	उतरुला टीपीएस	372	281
19.	अनपरा टीपीएस	7276	6347
20.	हरदुआगंज टीपीएस	2542	916
21.	ओबरा टीपीएस	4093	2736
22.	पनकी टीपीएस	828	699
23.	परिच्छा टीपीएस	3378	2612
24.	दादरी (एनसीटीपीपी)	7604	7170
25.	रिहंद एसटीपीएस	10226	8806

1	2	3	4
26.	सिंगरौली एसटीपीएस	9092	9278
27.	टांडा टीपीएस	2148	2381
28.	ऊंचाहार टीपीएस	4796	5185
29.	रोजा टीपीपी चरण-I	4960	3644
30.	अनपरा सी टीपीएस	4332	2044
	उत्तरी क्षेत्र कुल	114629	94538
31.	ओपी जिंदल टीपीएस	4712	4423
32.	डीएसपीएम टीपीएस	2316	2077
33.	कोबरा-II	2232	2215
34.	कोरबा-पश्चिम टीपीएस	4452	4042
35.	कोरबा एसटीपीएस	10748	12432
36.	सीपत एसटीपीएस	9920	9153
37.	पठाडी टीपीपी	2246	2118
38.	भिलाई टीपीएस	2068	2198
39.	सलाया टीपीपी	1380	1405
40.	मुंद्रा टीपीएस	4841	9806
41.	गांधीनगर टीपीएस	3804	2315
42.	उकई टीपीएस	4117	3473
43.	सिक्का रैप. टीपीएस	1535	572
44.	वानकबरी टीपीएस	7108	5498
45.	साबरमती (सी स्टेशन)	1652	1389
46.	मुंद्रा यूएमटीपीपी	1687	3582
47.	अमरकंटक एक्स. टीपीएस	1412	1744
48.	संजय गांधी टीपीएस	5174	5150
49.	सतपुड़ा टीपीएस	5456	4616
50.	विंध्याचल एसटीपीएस	16013	15031
51.	बीना टीपीएस	96	76
52.	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	2728	3695
53.	ट्राम्बे टीपीएस	2316	2368
54.	भुसावल टीपीएस	4132	2365
55.	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	9920	9580
56.	खापरखेडा टीपीएस	5856	5288
57.	कोरडी टीपीएस	3883	1737
58.	नासिक टीपीएस	3804	2746
59.	पार्ली टीपीएस	4960	3441
60.	पारस टीपीएस	2068	1849
61.	दाहनु टीपीएस	2232	2258
62.	वर्धा वरोरा टीपीपी	1984	1882
63.	तिरोरा टीपीएस	1040	368
	पश्चिमी क्षेत्र कुल	137892	130892
64.	सीम्हापुरी टीपीएस	258	507
65.	डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	7108	8097
66.	कोठगुंडम टीपीएस	7308	8422
67.	रामागुंडम-बी टीपीएस	288	266

1	2	3	4
68.	रायलसीमा टीपीएस	4132	4141
69.	रामागुंडम एसटीपीएस	10912	10643
70.	सीम्हाद्री	6966	7543
71.	काकातिया टीपीएस	1900	1943
72.	तोरनगल्लु टीपीएस (एसबीयू-I)	2148	2323
73.	रायचुर टीपीएस	6451	6326
74.	बेल्लारी टीपीएस	3308	2183
75.	उडुपी टीपीपी	2892	2137
76.	इन्नोर टीपीएस	1652	748
77.	मेत्तूर टीपीएस	4448	3224
78.	उत्तरी चेन्नई टीपीएस	4960	2923
79.	तूतीकोरिन टीपीएस	4796	5419
80.	वेल्लूर टीपीपी	195	197
	दक्षिणी क्षेत्र कुल	69722	67042
81.	बरौनी टीपीएस	164	0
82.	मुजफ्फरपुर टीपीएस	332	0
83.	कहलगांव टीपीएस	10332	11019
84.	पतरातू टीपीएस	496	683
85.	तेनुघाट टीपीएस	1240	1698
86.	बोकारो 'बी' टीपीएस	2480	2377
87.	चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	4132	3506
88.	मैथन आरबी टीपीपी	3720	2755
89.	कोडरमा टीपीपी	486	0
90.	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	0	0
91.	आईबी वैली टीपीएस	2048	2262
92.	तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	2316	2535
93.	तालचेर एसटीपीएस	14468	14269
94.	स्टरलाइट टीपीपी	7308	5096
95.	दुर्गापुर टीपीएस	1240	1385
96.	मेजिया टीपीएस	6612	7003
97.	बाकरेश्वर टीपीएस	4914	4380
98.	बंडेल टीपीएस	1235	1388
99.	डी.पी.एल. टीपीएस	1840	1303
100.	कोलाघाट टीपीएस	4851	5377
101.	सागरडीह टीपीएस	2068	2148
102.	संतालडीह टीपीएस	1652	1365
103.	बज-बज टीपीएस	2728	3076
104.	न्यू कोसीपोर टीपीएस	372	205
105.	दक्षिणी रिपैल. टीपीएस	704	646
106.	टीटागढ़ टीपीएस	1076	913
107.	फरक्का एसटीपीएस	9092	7369
108.	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	3109	1190
	पूर्वी क्षेत्र कुल	91015	83948
	अखिल भारत कुल	413258	376420

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष (जनवरी, 2013 तक) में कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि का ब्यौरा

क्र. सं.	विद्युत यूटिलिटियों के नाम/ टीपीएस	उत्पादन हानि (एम.यू.) के दौरान			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली				
	बदरपुर (एनटीपीसी)			13.60	
	कुल	0	0	13.6	
2.	हरियाणा				
	महात्मा गांधी (जेपीएल)			11.9	1562
	इंदिरा गांधी (एनटीपीसी संख्या 3)			2	0
	कुल	0	0	13.9	1562
3.	राजस्थान				
	छाबड़ा			138.5	
	कुल	0	0	138.5	
4.	उत्तर प्रदेश				
	सिंगरौली (एनटीपीसी)	0.0	69.0	187.50	
	रिहंद (एनटीपीसी)	0.0	5.0	152.10	159.0
	दादरी (एनटीपीसी)	0.40		191.50	169.0
	ऊंचाहार (एनटीपीसी)	0.30		132.10	18.0
	रोजा (रिलायंस)				611.9
	अनपरा सी (लैंको)			1023.80	1441.0
	कुल	0.7	74.0	1687	2398.9

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़				
	सीपत (एनटीपीसी)	142.5			1471.0
	कोरबा (एनटीपीसी)	4.1			24.0
	कुल	146.6	0.0	0	1495.0
6.	गुजरात				
	गांधीनगर	5.0	105.7	1.6	
	वानकबरी	1491.0	157.4	9.3	
	कुल	1496.0	263.1	10.90	
7.	मध्य प्रदेश				
	बीरसिंहपुर		634.0	94.0	
	सतपुड़ा		471.0	216.7	27.0
	अमरकंटक				5.1
	विंध्याचल (एनटीपीसी)	0.4	229.9	749.0	692.00
	कुल	0.4	1334.9	1059.7	724.10
8.	महाराष्ट्र				
	नासिक	146.2			
	पार्ली	411.7		594.4	460.4
	पारस	49.6		109.8	
	भुसावल	155.5			
	चंद्रपुर	88.4			59.1
	खापेरखेड़ा	356.4		36.5	672.6
	कोरडी	12.8			0
	कुल	1220.5	0	740.7	1192.1

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक				
	बेल्लारी				918.0
	रायचूड़			52.2	0.0
	कुल			52.2	918.0
10.	आंध्र प्रदेश				
	रायलसीमा			17.0	
	एन. टाटा राव				
	काकातिया			28.0	
	कोठगुंडम			53.0	
	रामागुंडम (एनटीपीसी)			546.2	5.0
	सीम्हाद्री (एनटीपीसी)	1.3		498.6	548.0
	कुल	1.3	0	1142.8	553.0
11.	तमिलनाडु				
	तूतीकोरिन				
	इन्नौर	65.7	41.3		
	मेट्टूर	18.1	132.3		
	उत्तरी चेन्नई		3.3		
	कुल	83.9	176.9	0.0	
12.	बिहार				
	बरौनी	39.5		51.1	
	कहलगांव (एनटीपीसी)	3997.0	3749.2	4820.5	232.0
	कुल	4036.5	3749.2	4871.6	232

1	2	3	4	5	6
13.	झारखंड				
	मेजिया टीपीएस (डीवीसी)	2635.2	1026.6	950.9	596.8
	बोकारो (डीवीसी)				
	चंद्रपुर (डीवीसी)			96.0	
	तेनुघाट			275.0	0
	कुल	2635.2	1026.6	1321.9	596.8
14.	ओडिशा				
	आईबी वैली				
	तालचेर (एनटीपीसी)	1094.0	872.5	383.6	1021.0
	तालचेर (एनटीपीसी)	0.1			0
	कुल	1094.1	872.5	383.6	1021.0
15.	पश्चिम बंगाल				
	बकरेश्वर	299.2	76.2		
	बंडेल	74.7	72.7		
	कोलाघाट	722.3	136.9		
	सागरडीह	415.2	348.7		29.0
	संतालडीह	1.2			
	दक्षिणी रीईपीएल (सीईएससी)				
	न्यू कोसीपोर (सीईएससी)				
	बज बज (सीईएससी)		81.0		
	फरक्का (एनटीपीसी)	2122.2	170.0	195.1	1014
	दुर्गापुर (डीपीएल)	136.6			0
	कुल	3771.5	885.5	195.1	1043.00
	कुल योग	14486.8	8382.7	11631.5	11736

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1807. **श्री अंजन कुमार एम. यादव :**
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री के.डी. देशमुख :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री कीर्ति आजाद :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी खर्च की गई;

(ख) उन स्थानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अब तक सम्मिलित किया गया और जिन्हें धनराशि जारी करने के बावजूद अब तक सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और अगले वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) आरजीजीवीवाई के दूसरे चरण में स्वीकृत/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा दूसरे चरण में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत किए गए कार्यों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी के लिए नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्ताओं और इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए पिछली किश्तों में राशि के उपयोग और अन्य शर्तों को पूरा किए जाने की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को किश्तों में निधियां जारी की जाती हैं। राज्य सरकारें अपनी यूटिलिटियों/डिस्कॉमों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से टर्नकी ठेकेदारों को भुगतान करती हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 27 राज्यों के 579 जिलों को शामिल करते हुए 648 परियोजनाएं 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल की गई हैं। स्कीम के अंतर्गत, मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए निधियां केवल पिछली किश्तों में राशि के उपयोग और अन्य शर्तों को पूरा करने संबंधी रिपोर्ट के आधार पर किश्तों में जारी की जाती हैं, अत: ऐसा कोई जिला नहीं है जिसके लिए निधियां जारी की गई हों किन्तु वह आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल न हो।

(ग) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों के लक्ष्यों एवं उपलब्धि और बीपीएल घरों को नि:शुल्क बिजली के कनेक्शन जारी किए जाने का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे अनुवर्ती कदम निम्नवत् हैं:—

- भारत सरकार ने अंतर्मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया है जो परियोजनाओं को मंजूरी देने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक करती है।
- सभी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए जिला समितियों का गठन किया गया है।
- राज्य भी आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन करते हैं।

- भारत सरकार और रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी), जो कि आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी है, सहमत कार्यक्रम के अनुसार स्कीम के तीव्र कार्यान्वयन हेतु सभी पणधारियों; संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बार-बार समीक्षा बैठकों का आयोजन करते हैं।

- ग्रामीण विकास मंत्री ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 के पत्र संख्या क्यू-13018/11/09-वीएमसी के माध्यम से जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों में नियमित कार्यसूची के रूप में "आरजीजीवीवाई की समीक्षा" के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है।

- हाल ही में विद्युत मंत्री ने सभी माननीय संसद सदस्यों को, उनके अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां आरजीजीवीवाई का कार्य प्रगति पर है, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए, उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजना की प्रगति को दर्शाते हुए पत्र लिखा है। उनसे अपने स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी करने का अनुरोध भी किया गया है और जन प्रतिनिधियों तथा जिला अधिकारियों की उपस्थिति में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों में चर्चा करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि प्रगति को प्रभावित करने वाले मामलों को तेजी से निपटाया जा सके।

- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के गुणवत्तापरक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, 11वीं योजना में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र लागू किया गया है।

- जहां भी वन स्वीकृति/रेलवे स्वीकृति आदि में विलंब होता है तथा अंतर-मंत्रालयी मध्यस्थता अपेक्षित होती है वहां पर अनिवार्य स्वीकृतियों के मामले में तीव्रता लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर संबंधित मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के साथ मामलों को उठाया जाता है।

(घ) 8103.81 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 1909 यूई गांवों, 53,505 पीई गांवों, 72,553 वास-स्थलों के विद्युतीकरण और 45,59,141 बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए, 2011-12 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 11वीं योजना में चरण-II के अंतर्गत 72 परियोजनाओं (33 नई और 39 पूरक परियोजना) को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में है। आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) 11वीं योजना के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी हेतु नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्ताओं तथा किए गए निरीक्षण का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में है।

विवरण-I

गत तीन वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आरईसी द्वारा संवितरित राज्य-वार एवं वर्ष-वार निधियां (ऋण और सब्सिडी सहित)

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10 के दौरान	2010-11 के दौरान	2011-12 के दौरान	2012-13 के दौरान (31.01.2013 की स्थिति के अनुसार)	जारी की गई संचित निधियां (वर्ष 2009-10 से पहले जारी निधियों सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	157.20	154.86	31.48	15.13	804.12

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	225.27	165.54	40.01	32.15	737.76
3.	असम	499.76	698.42	545.27	55.75	2413.48
4.	बिहार	706.28	571.58	289.72	21.06	3886.66
5.	छत्तीसगढ़	333.55	163.67	120.37	30.08	846.43
6.	गुजरात	94.32	76.80	30.62	1.35	286.98
7.	हरियाणा	60.68	21.27	20.97	0.00	177.74
8.	हिमाचल प्रदेश	122.46	59.90	21.25	0.00	290.55
9.	जम्मू और कश्मीर	363.92	67.32	75.56	46.79	784.15
10.	झारखंड	752.36	161.89	116.53	80.63	3065.89
11.	कर्नाटक	67.61	62.92	48.95	9.25	741.68
12.	केरल	10.59	31.89	0.00	55.93	119.37
13.	मध्य प्रदेश	416.48	288.27	430.99	152.85	1737.33
14.	महाराष्ट्र	205.64	162.09	55.00	11.48	595.86
15.	मणिपुर	63.17	95.95	80.12	0.00	297.18
16.	मेघालय	129.38	86.86	105.05	32.80	186.22
17.	मिजोरम	81.02	78.28	0.00	0.00	238.24
18.	नागालैंड	54.37	61.86	28.14	12.93	226.67
19.	ओडिशा	998.60	605.73	390.35	79.55	3308.72
20.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
21.	राजस्थान	151.44	83.18	221.51	29.89	1108.87
22.	सिक्किम	44.91	43.62	40.73	0.00	172.89
23.	तमिलनाडु	119.30	39.12	41.40	0.00	317.32

1	2	3	4	5	6	7
24.	त्रिपुरा	52.30	33.96	52.38	11.01	175.73
25.	उत्तर प्रदेश	192.94	72.45	95.48	32.51	3401.01
26.	उत्तराखंड	102.06	9.70	-0.07	18.55	685.90
27.	पश्चिम बंगाल	582.91	505.10	168.01	7.68	2288.34
	कुल	6588.52	4402.23	3049.82	737.37	29154.99

विवरण-II

गत तीन वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के राज्य-वार एवं वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.01.2013 की स्थितिनुसार)		31.1.2013 को संचित उपलब्धि (वर्ष 2009-10 के पहले की उपलब्धि सहित)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	277	215	600	464	1450	634	392	247	1560
3.	असम	1030	1198	2380	4086	2062	1810	353	161	7990
4.	बिहार	2530	2584	1723	1937	2230	1048	1577	536	22565
5.	छत्तीसगढ़	79	48	41	77	901	682	695	84	941
6.	गुजरात*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	हरियाणा*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	3	0	20	26	83	52	17	5	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	जम्मू और कश्मीर	36	22	75	45	136	35	91	25	173
10.	झारखंड	7592	7088	4650	3901	2153	724	982	177	18082
11.	कर्नाटक	0	0	10	1	0	2	0	1	62
12.	केरल*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	42	5	150	187	492	228	163	62	566
14.	महाराष्ट्र*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मणिपुर	140	35	150	143	591	345	330	0	616
16.	मेघालय	29	47	200	13	1616	1022	694	434	1606
17.	मिजोरम	56	0	40	36	81	53	48	5	94
18.	नागालैंड	10	14	28	43	38	22	26	5	84
19.	ओडिशा	4765	5870	6773	5890	2162	1039	380	98	14324
20.	पंजाब*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	562	773	550	1258	418	182	231	103	4102
22.	सिक्किम	8	0	5	20	5	5	0	0	25
23.	तमिलनाडु*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	त्रिपुरा	30	13	48	65	82	49	21	16	143
25.	उत्तर प्रदेश	0	56	0	23	0	0	0	3	27762
26.	उत्तराखंड	47	80	0	28	0	2	0	0	1511
27.	पश्चिम बंगाल	264	326	60	63	0	0	0	16	4185
	कुल	17500	18374	17500	18306	14500	7934	6000	1978	106474

*आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में इन राज्यों द्वारा डीपीआर में किसी भी गैर-विद्युतीकृत गांव का प्रस्ताव नहीं किया गया। तथापि इन राज्यों में पहले में ही विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण किया जा रहा है।

विवरण-III

गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने के राज्य-वार एवं वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य	2009-10 के दौरान		2010-11 के दौरान		2011-12 के दौरान		2012-13 के दौरान (31.01.2013 की स्थिति के अनुसार)		31.1.2013 की स्थिति के अनुसार संचित उपलब्धि (वर्ष 2009-10 से पहले हासिल उपलब्धि सहित)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	592200	566518	85000	258751	96855	98232	0	81117	2783390
2.	अरुणाचल प्रदेश	2820	967	5000	9205	10638	11474	5507	2969	24615
3.	असम	206800	189816	365000	352237	315819	232519	343464	75264	882554
4.	बिहार	310200	560985	660000	641016	717358	405736	625733	155870	2305704
5.	छत्तीसगढ़	103400	145990	175000	196552	334460	481971	247434	28696	944103
6.	गुजरात	160740	85931	95000	420126	138987	102134	70904	24970	827788
7.	हरियाणा	80355	69453	40000	90535	33139	10617	43258	19	194461
8.	हिमाचल प्रदेश	564	148	1000	3637	4364	5901	3199	4675	14753
9.	जम्मू और कश्मीर	8460	14163	20000	8452	19793	13413	37784	6998	51012
10.	झारखंड	578100	555289	415000	359213	466502	111597	213727	11015	1283770
11.	कर्नाटक	236880	134949	35000	48861	72281	49604	121791	22205	856401
12.	केरल	5740	6131	0	1117	18517	0	38517	35755	52993
13.	मध्य प्रदेश	238001	75477	245000	211816	658498	352976	581845	225340	942734
14.	महाराष्ट्र	329000	429026	250000	403387	150000	126317	43692	19552	1180284
15.	मणिपुर	3760	1640	20000	4397	37976	19421	78555	0	28814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मेघालय	4230	17832	20000	12880	27502	30792	46929	20299	83067
17.	मिजोरम	6580	378	5000	8129	8910	6236	12674	401	15144
18.	नागालैंड	3760	4368	10000	13434	18097	10712	41385	7548	36062
19.	ओडिशा	761400	650678	1290000	1435007	106042	518324	293830	54084	2802221
20.	पंजाब	37600	19507	20000	28890	0	5528	94935	25179	79104
21.	राजस्थान	258500	208695	133000	255939	133399	85783	180713	76720	1120242
22.	सिक्किम	940	66	1000	7121	3271	2197	2119	329	9695
23.	तमिलनाडु	141000	383533	75000	115044	0	4083	0	-1754	501202
24.	त्रिपुरा	6110	22085	55000	36886	49066	22015	26520	16639	97625
25.	उत्तर प्रदेश	37600	157263	0	15818	0	172574	0	-1901	1042593
26.	उत्तराखंड	37600	72382	0	19596	0	5288	0	4035	234593
27.	पश्चिम बंगाल	547660	345198	780000	925309	824144	559476	525485	194165	2120548
	कुल	4700000	4718468	4700000	5883355	5200000	3444902	3680000	1090189	20515472

विवरण-IV

आरजीजीवीवाई के चरण-II में स्वीकृत 72 परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	गांवों एवं वासस्थलों का कवरेज						वासस्थलों का कवरेज		परियोजना लागत (लाख रुपये)
		यूईडीई गांव	पीई गांव	कुल गांव	यूई वासस्थल	पीई वासस्थल	कुल वासस्थल	आरएचएच (बीपीएल वासस्थल सहित)	बीपीएल वासस्थल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नई परियोजनाएं										
छत्तीसगढ़										
1.	कोरिया	82	441	523	855	0	855	29057	23571	8132.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	जाशपुरनगर	44	636	680	1750	0	1750	97497	60763	9370.86
	कुल छत्तीसगढ़	126	1077	1203	2605	0	2605	126554	84334	17503.11
	हरियाणा									
3.	गुड़गांव	0	202	202	0	0	0	19286	8325	424.04
4.	फरीदाबाद	0	145	145	0	0	0	3944	3944	443.95
5.	पलवल	0	278	278	0	0	0	9163	9163	833.54
	कुल हरियाणा	0	625	625	0	0	0	32393	214432	1701.53
	कर्नाटक									
6.	दक्षिण कन्नड	0	356	356	98	0	98	31445	22121	5947.19
7.	उडुपी	0	231	231	50	0	50	10288	5661	2157.06
	कुल कर्नाटक	0	587	587	148	0	148	41733	27782	8104.25
	केरल									
8.	अलाप्पुझा	0	77	77	0	183	183	26121	5486	1366.81
9.	एरनाकुलम	0	90	90	0	210	210	25450	3828	2471.24
10.	कोलम	0	92	92	0	123	123	7229	718	328.05
11.	कोटायम	0	84	84	0	84	84	1800	1118	796.51
12.	पथानामथिट	0	65	65	0	74	74	8833	1977	575.65
13.	तिरूवंतपुर	0	91	91	0	211	211	3633	3034	2182.13
14.	त्रिसूर	0	144	144	0	199	199	3361	2678	1262.70
	कुल केरल	0	643	643	0	1084	1084	76427	18839	8983.09
	मध्य प्रदेश									
15.	भिंड	5	884	889	0	400	400	133726	35509	5215.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	भोपाल	0	499	499	210	0	210	26917	15989	2449.26
17.	ग्वालियर	0	583	583	0	11	11	66745	20067	3066.24
18.	होशंगाबाद	0	896	896	0	106	106	78692	28649	5182.19
19.	रायसेन	3	1376	1379	0	181	181	72477	29389	6541.56
20.	राजगढ़	6	1671	1677	0	79	79	132565	51418	9187.11
21.	सिहोर	2	1011	1013	0	123	123	75184	16600	4986.17
22.	विदिशा	19	1501	1520	0	90	90	100134	33972	7939.31
23.	बरवानी	0	647	647	154	0	154	34403	21975	5327.82
24.	बुरहानपुर	0	260	260	146	0	146	39996	26213	2352.65
25.	देवास	0	1055	1055	188	0	188	51152	27156	5801.26
26.	खांडवा	0	510	510	147	0	147	41566	21568	4188.10
27.	खारागोन	6	1169	1175	0	85	85	84029	44471	8994.26
28.	मंदसौर	0	906	906	0	0	0	56567	20580	4598.38
29.	नीमच	0	451	451	0	0	0	23636	8558	2332.11
30.	शाजापुर	0	1068	1068	0	7	7	81772	37935	5883.61
	कुल मध्य प्रदेश	41	14487	14528	845	1082	1927	1099561	440049	4045.51
	तमिलनाडु									
31.	धरमपुरी	0	251	251	4	0	4	24035	6002	1072.48
32.	तिरूनवेली	0	425	425	370	0	370	73374	9477	1891.02
33.	निलगिरी	0	53	53	79	0	79	24827	8890	763.87
	कुल तमिलनाडु	0	729	729	453	0	453	122236	24369	3727.37
	कुल (33 नयी डीपीआर)	167	18148	18315	4051	2166	6217	1498904	616805	24064.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सहायक परियोजना									
	बिहार									
1.	अररिया	109	590	699	1337	934	2271	267352	267352	3409.76
2.	बांका	91	1567	1658	516	2150	2666	160300	160300	9912.31
3.	भोजपुर	115	884	999	136	1195	1331	236433	236433	6909.34
4.	गया	402	2283	2685	1253	3788	5041	275296	275296	49841.2
5.	किशनगंज	184	438	622	2493	722	3215	221900	221900	4093.49
6.	नालंदा	42	956	998	834	1898	2732	273647	304109	30753.8
7.	नवादा	22	947	969	1743	408	2151	161658	161658	21839.7
8.	पटना	96	1158	1254	1444	1279	2723	378569	378569	2007.69
9.	पूर्णिया	190	906	1096	1107	3043	4150	365941	365941	17362.6
10.	रोहतास	70	1640	1710	277	1547	1824	247396	247396	2062.88
11.	सिवान	17	1421	1438	292	3838	4130	279374	279374	34811.3
	कुल बिहार	1338	12790	14128	11432	20802	32234	2867866	2898328	13004.1
	मध्य प्रदेश									
12.	बालाघाट	115	0	115	115	0	115	3648	3648	3445.07
13.	सिधी	5	296	301	0	518	518	25201	13776	2926.95
14.	छतरपुर	16	526	542	226	0	226	87017	30547	4750.08
15.	सतना	6	326	332	31	680	711	16414	8694	3152.43
	कुल मध्य प्रदेश	142	1148	1290	372	1198	1570	132280	56665	4274.53
	महाराष्ट्र									
16.	सोलापुर	0	1139	1139	0	686	686	39407	19279	3364.2
	कुल महाराष्ट्र	0	1139	1139	0	686	686	39407	19279	3364.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उत्तर प्रदेश									
17.	एटा	0	269	269	520	0	520	59123	17764	4341.84
18.	कन्नौज	54	321	375	822	0	822	100544	20110	7722.53
19.	मैनपुरी	31	244	275	614	0	614	59224	20743	6072.23
20.	अम्बेडकर नगर	0	1231	1231	2233	0	2233	121227	44660	2000.26
21.	बाराबंकी	0	1583	1583	2770	0	2770	329923	55400	0991.03
22.	बहराईच	0	627	627	1318	0	1318	379527	26360	3050.13
23.	फैजाबाद	0	840	840	1349	0	1349	108372	26980	4288.04
24.	गोंडा	0	796	796	1725	0	1725	295174	36225	7592.45
25.	हरदोई	0	761	761	1567	0	1567	187137	32251	5551.93
26.	लखीमपुर	0	1505	1505	3027	0	3027	494621	54486	0268.19
27.	शाहजहापुर	0	1709	1709	1994	0	1994	314668	39880	0703.27
28.	उन्नाव	0	1552	1552	3323	0	3323	193598	66500	0725.77
29.	बिजनौर	87	1655	1742	29	0	29	160702	17681	3545.29
30.	मुजफ्फरनगर	0	820	820	2	0	2	147443	33384	9777.18
31.	बुलंदशहर	73	1134	1207	551	0	551	395108	46722	2399.12
32.	इलाहाबाद	0	737	737	1351	0	1351	172808	48780	2402.67
33.	बलिया	0	603	603	984	0	984	163981	72491	9918.02
34.	देवरिया	0	302	302	584	0	584	79556	26253	7042.36
35.	गोरखपुर	0	1450	1450	2011	0	2011	252491	58519	1299.94
36.	जौनपुर	0	930	930	2311	0	2311	318716	159358	8613.47
37.	प्रतापगढ़	0	639	639	1081	0	1081	65766	20526	1512.41
38.	सिद्धार्थ नगर	0	283	283	503	0	503	27836	18568	5516.73
	कुल उत्तर प्रदेश 22 परियोजनाएं	245	19991	20236	30669	0	30669	4427545	943641	45334.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	पश्चिम बंगाल									
39.	दार्जलिंग	17	289	306	82	1095	1177	50746	24423	0338.41
	कुल पश्चिम बंगाल	17	289	306	82	1095	1177	50746	24423	0338.41
	कुल (39 अनुपूरक डीपीआर)	1742	35357	37099	42555	23781	66336	7517844	3942336	86316.1
	कुल (33 नई डीपीआर)	167	18148	18315	4051	2166	6217	1498904	616805	24064.9
	सकल योग (33 नई + 39 अनुपूरक	1909	53505	55414	46606	25947	72553	9016748	4559141	810381

विवरण-V

स्तर-III एनक्यूएम प्रगति रिपोर्ट

(30.01.2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एजेंसी का नाम	एनक्यूएम का स्कोप		निरीक्षण किया गया	
			गांव	एस/एस	गांव	एस/एस
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स इंटरटेक	58	1	45	1
2.	पंजाब		118	1	0	0
3.	हरियाणा		49	0	22	0
4.	महाराष्ट्र		362	2	293	2
5.	राजस्थान		220	0	162	0
6.	बिहार		126	28	86	12
7.	झारखंड		140	17	92	8
8.	ओडिशा		375	42	267	19
9.	तमिलनाडु		102	0	102	0

1	2	3	4	5	6	7
10.	पश्चिम बंगाल		238	5	133	0
11.	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स शंथाला	33	9	11	0
12.	मिजोरम		6	8	2	0
13.	सिक्किम		3	0	2	0
14.	हिमाचल प्रदेश	मैसर्स मेधाज	98	2	0	0
15.	गुजरात		157	0	128	0
16.	मध्य प्रदेश		248	10	105	0
17.	छत्तीसगढ़		141	14	80	0
18.	असम	मैसर्स वैपकोस	185	17	153	10
19.	कर्नाटक	मैसर्स सीइएस	66	9	49	0
20.	जम्मू और कश्मीर		37	8	11	2
21.	मणिपुर		19	9	2	0
22.	मेघालय		42	3	17	0
23.	नागालैंड		10	11	8	5
24.	त्रिपुरा		8	4	3	0
	सकल योग		2841	200	1773	64

[अनुवाद]

डाभोल विद्युत परियोजना

1808. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाभोल स्थित रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा गत वर्षों में कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संस्थापित क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान संयंत्र से विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से डाभोल विद्युत संयंत्र का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) विद्युत खंड की कुल क्षमता 1967.08 मेगावाट (एम.डब्ल्यू.) है जिसमें तीन विद्युत खंड शामिल हैं। संपूर्ण विद्युत खण्ड का पुनरुद्धार किया जा चुका है तथा यह 19 मई, 2009 से वाणिज्यिक प्रचालन के लिए उपलब्ध है। आरजीपीपीएल का संपूर्ण विद्युत खंड भारत सरकार द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रिज लिमिटेड (आरआईएल) केजी डी6 खंड से [7.6 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी)] तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी (ओएनजीसी) के मार्जनल फील्ड्स से (0.9 एमएमएससीएमडी) आबंटित घरेलू गैस पूरी तरह से प्रचालित किए जाने के लिए परिकल्पित है।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जीएआईएल) ने उनके तथा ओएनजीसी के बीच की तकनीकी बाध्यताओं के कारण 0.9 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति करने में कठिनाई दर्शायी है। तथापि, गेल 30 जनवरी, 2012 से इसकी कुछ मात्रा की आपूर्ति अन्य उपभोक्ताओं के साथ अदला-बदली के माध्यम से कर रहा था, परंतु इसे भी 4 मार्च, 2013 से पूरी तरह से रोक दिया गया है।

अधिकार प्राप्त मंत्री-समूह (ईजीओएम) द्वारा केजी डी6 बेसिन से आबंटित की गई 7.6 एमएमएससीएमडी गैस के संबंध में, सितंबर, 2011 से आपूर्ति में निरंतर कमी आ रही है तथा यह 1 मार्च, 2013 से पूरी तरह से बंद हो गई है क्योंकि आरआईएल ने विद्युत क्षेत्र की तुलना में उर्वरक क्षेत्र तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) में, केजी डी6 गैस की आपूर्ति में उच्च प्राथमिकता रखते हुए पाइप लाइन के प्रचालन में आवश्यक गैस की जरूरत को पूरा करने के पश्चात् आरजीपीपीएल की केजी डी6 गैस की आपूर्ति में पूर्ण कटौती कर दी है।

आरजीपीपीएल से वर्ष-वार विद्युत उत्पादन निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	संस्थापित क्षमता	मिलियन यूनिटों (एमयू) में सकल उत्पादन
2009-10	1967.08 एमडब्ल्यू	8289 एमयू (वार्षिक लक्ष्य:ह्ल 7500 एमयू)
2010-11	1967.08 एमडब्ल्यू	11877 एमयू (वार्षिक लक्ष्य: 11340 एमयू)
2011-12	1967.08 एमडब्ल्यू	11619 एमयू (वार्षिक लक्ष्य: 13815 एमयू)
2012-13 (फरवरी, 2013 तक)	1967.08 एमडब्ल्यू	5122 एमयू (वार्षिक लक्ष्य: 13785 एमयू)

(ग) मंत्रालय को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क

1809. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रांस एशियन रेलवे (टीएआर) सहित पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क विकसित करने में की गई प्रगति की वर्तमान स्थिति सहित देश-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत और बांग्लादेश ने हाल में दोनों देशों के बीच रेल संपर्क परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू रेल संपर्क

परियोजनाओं के नाम क्या हैं इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु समय-सीमा क्या है; और

(घ) पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क बढ़ाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (घ) पड़ोसी देशों से रेल संपर्क का विकास रेल मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ निकट समन्वय बना कर किया जाता है। पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क के विकास में की गई मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:—

(i) नेपाल के साथ रेल लाइन से जुड़ने के लिए पांच मार्गों की पहचान की गई थी, जो निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	से	तक	दूरी (किलोमीटर में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1.	जोगबनी (बिहार)	बिराटनगर (नेपाल)	18	239
2.	जयनगर (बिहार)	बिजलपुरा (नेपाल) और बर्डिदास तक विस्तार	69	470
3.	नेपालगंज रोड (उत्तर प्रदेश)	नेपालगंज (उत्तर प्रदेश)	12	149
4.	नौतनवा (उत्तर प्रदेश)	भैरहवा (नेपाल)	15	176
5.	न्यू जलपाईगुढ़ी (पश्चिम बंगाल)	काकारभिटा वाया पानिटटंकी (नेपाल)	46	358

जिन पांच मार्गों का सर्वेक्षण किया गया था उनमें से दो परियोजनाएं यथा जोगबनी-बिराटनगर नई लाइन और बर्डिदास तक विस्तार सहित जयनगर-बिजलपाड़ा आमान परिवर्तन को स्वीकृति दे दी गई है। जोगबनी-बिराटनगर परियोजना के लिए भारत के हिस्से का कार्य शुरू हो गया है। नेपाल वाले भाग में भूमि की उपलब्धता की अभी नेपाल सरकार द्वारा पुष्टि की जानी है। जयनगर से बिजलपुरा तक आमान परिवर्तन के कार्य का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।

(ii) भूटान के साथ रेल लाइन से जुड़ने के लिए पांच मार्गों की पहचान की गई थी जो निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	से	तक	दूरी (किलोमीटर)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1.	हसिमारा (पश्चिम बंगाल)	फुंटशोलिंग	18	271
2.	रंगिया (असम)	समद्रुपजोंगखर वाया दारंगा	48	583
3.	कोकराझार (असम)	गेलुफू	58	304
4.	बनारहट (पश्चिम बंगाल)	समस्ती	23	206
5.	पाठशाला (असम)	नंगलम	51	751

बहरहाल, इनमें से कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है।

(iii) श्रीलंका में तलाईमनार से मेदावाचया तक उत्तरी प्रांत में रेल लाइनों के पुनर्निर्माण का कार्य इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम द्वारा शुरू किया गया है इससे भारत में रामेश्वरम से श्रीलंका में तलाईमनान तक और आग श्रीलंका के भीतरी प्रदेशों तक नौका सेवाओं के जरिये बेहतर संपर्क उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

(iv) बंगला देश के लिए अतिरिक्त संपर्क मुहैया कराने के लिए अगरतला से अखौरा (13 किलोमीटर) तक नई लाइन को स्वीकृति दी गई है। 16 फरवरी, 2013 को ढाका, बांग्लादेश में बांग्लादेश गणराज्य और भारत सरकार के बीच अगरतला (भारत) और अखौरा (बांग्लादेश) के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(v) ट्रांस एशियन रेलवे (टीएआर) के दक्षिणी कॉरिडोर का सरेखण भारत में पंजाब में पश्चिम की ओर से अटारी पर प्रवेश करता है और बांग्लादेश की ओर पश्चिम बंगाल में गेडे से बाहर निकलता है और दोबारा असम के महिसासन पर पुन:प्रवेश करता है और पूर्वी भाग में मणिपुर के मोरे पर म्यांमार की ओर बाहर निकलता है।

टीएआर फ्रेमवर्क के अनुरूप, जिरिबाम और इंफाल के बीच नई लाइन का कार्य निर्माणाधीन है। इसके अलावा, इंफाल और मोरे तक नई लाइन के सर्वेक्षण का कार्य 2012-13 में शुरू किया गया है। इससे भविष्य में म्यांमार में तामू और कले के रास्ते म्यांमार के साथ रेल संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलेगी जिससे टीएआर नेटवर्क और सुदृढ़ होगा।

(vi) कार्यों का पूरा होना भूमि अधिग्रहण और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कोहरे के कारण ट्रेन का विलंब से चलना

1810. **श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला :**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री भूदेव चौधरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान कोहरे के कारण जोन-वार कितनी ट्रेनें रद्द हुईं/विलंब से चलीं और इसके कारण रेलवे को अनुमानत: कितना घाटा उठाना पड़ा;

(ख) क्या रेलवे ने कतिपय ट्रेनों में कोहरे से सुरक्षा संबंधी उपकरणों पर आधारित ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम लगाने हेतु कोई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समस्या का समाधान करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और यात्रियों के लाभ के लिए ट्रेनों के चलने के बारे में सूचना देने के बारे में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) दिसम्बर, 2012 से फरवरी, 2013 तक विगत तीन महीनों के दौरान धुंध के कारण रद्द/विलंबित हुई मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विलंब से गाड़ी चलने और उसके रद्दकरण के कारण हुए वित्तीय घाटे के आंकड़े गाड़ी-वार या जोन-वार नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) जी, हां। इस समय उत्तर रेलवे की 670 गाड़ियों में, पूर्वोत्तर रेलवे की 190 गाड़ियों और उत्तर पश्चिम रेलवे की 124 गाड़ियों में ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली उपलब्ध हैं।

(घ) गाड़ी आगमन और प्रस्थान संबंधी सूचना 139 डायल करने या वेबसाईट *www.trainenquiry.com* माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस सेवा को और सटीक बनाने के लिए राष्ट्रीय गाड़ी

पूछताछ प्रणाली (एनटीईएम) जिसके द्वारा सूचना का प्रसार किया जाता है, को गाड़ी के प्रत्येक स्टेशन पर वास्तविक आगमन/प्रस्थान संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए सभी मंडलों में बने कन्ट्रोल आफिस एप्लीकेशन (सीओए) से जोड़ा गया है। इस एकीकरण द्वारा वास्तविक समय आधार पर गाड़ी चालन संबंधी सूचना देना व्यवहार्य हो गया है।

विवरण

दिसम्बर, 2012 से फरवरी, 2013 तक विगत तीन महीनों में रद्द/विलंबित हुई मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या का जोन-वार ब्यौरा

जोन	रद्द हुई गाड़ियों की संख्या	विलंबित गाड़ियों की संख्या
1	2	3
मध्य रेलवे	—	25
पूर्व रेलवे	01	590
पूर्व मध्य रेलवे	01	1863
पूर्व तट रेलवे	—	114
उत्तर रेलवे	17	5263
उत्तर मध्य रेलवे	02	5835
उत्तर पूर्व रेलवे	01	1487
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	—	378
उत्तर पश्चिम रेलवे	02	329
दक्षिण रेलवे	—	66
दक्षिण पूर्व रेलवे	01	334
दक्षिण मध्य रेलवे	—	138
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	—	13
दक्षिण पश्चिम रेलवे	—	13
पश्चिम रेलवे	01	42
पश्चिम मध्य रेलवे	—	340
कुल	26	16830

न्यायाधीशों की नियुक्ति

1811. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यायाधीशों के चयन एवं विभिन्न न्यायालयों में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न न्यायालयों हेतु न्यायाधीशों के चयन की मौजूदा प्रक्रिया प्रणाली सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों के चयन की मौजूदा प्रणाली को और पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने हेतु इसकी समीक्षा/इसमें परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और संशोधित प्रणाली को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) वर्तमान में, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, 1998 में तैयार किए गए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन पर आधारित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया

का पुनर्विलोकन/परिवर्तन करने के लिए विभिन्न अभिकरणों और विशेषज्ञ निकायों द्वारा अभ्यावेदन किए गए हैं। सामान्यतया, यह महसूस किया गया है कि विगत अनुभव के दृष्टि से नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया का पुनर्विलोकन किए जाने की आवश्यकता है।

सांविधानिक संशोधन के माध्यम से कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। किंतु संविधान में संशोधन किए जाने की कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है, यह समय लेने वाली प्रक्रिया है।

रिक्त पद

1812. **श्री राज बब्बर :**
श्री सोमेन मित्रा :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री संजय निरुपम :
श्री जगदीश शर्मा :
श्री रमेन डेका :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड सहित विभिन्न रेलवे जोन में तकनीकी, गैर-तकनीकी और सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत कुल कितने पद रिक्त हैं और इनमें से अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में कितने पद रिक्त हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रिक्त पदों विशेषकर तकनीकी और सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत पदों को नहीं भरे जाने के कारण रेलवे का कार्यकरण प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन रिक्त पदों को भरने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) 01.04.2012 को क्षेत्रीय रेलों में तकनीकी, गैर-तकनीकी सहित समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' की पद-वार, कोटि-वार रिक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:—

रेलवे	पद-वार		कोटि-वार	
	गैर-तकनीकी विभाग	तकनीकी विभाग	संरक्षा	गैर-संरक्षा
मध्य	7699	12690	11748	8641
पूर्व	4376	18288	13582	9082
पूर्व मध्य	6102	18306	13234	11174
पूर्व तट	3270	8994	8837	3427
उत्तर	5099	19428	12897	11630
उत्तर मध्य	4528	10837	7000	8365
पूर्वोत्तर	2535	7987	5173	5349
पूर्वोत्तर सीमा	4041	8088	5611	6518
उत्तर पश्चिम	3009	7471	5110	5370
दक्षिण	3069	11090	9593	4566
दक्षिण मध्य	4994	12877	13340	4531
दक्षिण पूर्व	5208	11497	11714	4991
दक्षिण पूर्व मध्य	3001	9229	8640	3590
दक्षिण पश्चिम	2066	7682	4966	4782
पश्चिम	4944	10860	9675	6129
पश्चिम मध्य	3520	8545	8151	3914
कुल	67461	183869	149271	102059

01.04.2012 को अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. की बैकलॉग रिक्तियां 8664 हैं।

रेलवे बोर्ड में समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' की टेक्निकल/गैर-टेक्निकल पदों की कोई रिक्ति नहीं हैं।

(ख) 01.04.2012 को रिक्तियां सामान्य सेवानिवृत्तियों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियों, मृत्यु, पदोन्नतियों और पदों आदि के सृजन के कारण हुई हैं। भर्ती के विभिन्न तरीकों के जरिए रिक्तियों को भरना एक सतत् प्रक्रिया है। रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरने की प्रक्रिया के बीच हमेशा एक समय अंतराल होता है जिसमें रिक्तियों की अधिसूचना, परीक्षा लेना, चयनित पैनलों को अंतिम रूप देना और नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और अनुरक्षण पद्धति को युक्तिसंगत बनाने के कारण विगत वर्षों के दौरान कर्मचारी उत्पादकता सहित कार्यक्षमता मापदंडों में बढ़ता हुआ रूख दर्शाया गया है।

(ङ) संरक्षा और परिचालनिक पदों सहित लगभग 2 लाख पदों को भरने के लिए अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन परियोजनाएं

1813. श्री लक्ष्मण टुडु :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर तमिलनाडु और ओडिशा में चालू आमान परिवर्तन योजनाओं की राज्य/जोन-वार और खंड-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में आमान परिवर्तन हेतु जोन-वार लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए;

(ग) देश में मीटर गेज लाइनों की जोन/राज्य-वार कुल कितनी लंबाई है;

(घ) देश में विशेषकर तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में आमान परिवर्तन हेतु उन स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है; और

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमान परिवर्तन हेतु प्रस्तावित रेल लाइनों और इस संबंध में रेलवे की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं की स्थिति राज्य-वार नहीं रखी जाती है। बहरहाल, तमिलनाडु एवं ओडिशा सहित देश में चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं (01.04.2012 को) की जोन-वार संख्या निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	रेलवे जोन	चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं की संख्या
1.	मध्य	0
2.	पूर्व तट	0
3.	पूर्व मध्य	4
4.	पूर्व	1
5.	उत्तर	0
6.	उत्तर मध्य	2
7.	पूर्वोत्तर	6
8.	पूर्वोत्तर सीमा	5
9.	उत्तर पश्चिम	3
10.	दक्षिण	5
11.	दक्षिण मध्य	0
12.	दक्षिण पूर्व	3
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	3
14.	दक्षिण पश्चिम	2
15.	पश्चिम मध्य	0
16.	पश्चिम	8

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (अर्थात् 2007-08 से

2011-12) के दौरान पूर्ण किए गए आमान परिवर्तन (किमी. में) का जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	रेलवे जोन	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे किए गए आमान परिवर्तन (किमी.)
1.	मध्य	209
2.	पूर्व तट	90
3.	पूर्व मध्य	277
4.	पूर्व	40
5.	उत्तर	11
6.	उत्तर मध्य	142
7.	पूर्वोत्तर	365
8.	पूर्वोत्तर सीमा	652
9.	उत्तर पश्चिम	1342
10.	दक्षिण	879
11.	दक्षिण मध्य	476
12.	दक्षिण पूर्व	78
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	47
14.	दक्षिण पश्चिम	312
15.	पश्चिम मध्य	0
16.	पश्चिम	104

ग्यारहवीं योजना के दौरान आमान परिवर्तन के 7067 किमी. को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित था।

(ग) देश में (01.04.2012 को) मीटर लाइन का जोन-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः तालिका-I एवं तालिका-II में दिया गया है:—

तालिका-I

क्र. सं.	रेलवे जोन	मीटर गेज की लंबाई (किमी.)
1.	मध्य	0.00
2.	पूर्व तट	0.00
3.	पूर्व मध्य	438.31
4.	पूर्व	0.00
5.	उत्तर	0.00
6.	उत्तर मध्य	11.48
7.	पूर्वोत्तर	1272.16
8.	पूर्वोत्तर सीमा	1221.36
9.	उत्तर पश्चिम	1050.74
10.	दक्षिण	764.63
11.	दक्षिण मध्य	175.93
12.	दक्षिण पूर्व	0.00
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	0.00
14.	दक्षिण पश्चिम	0.00
15.	पश्चिम मध्य	0.00
16.	पश्चिम	1412.39

तालिका-II

क्र. सं.	राज्यों के नाम	मीटर गेज की लंबाई (किमी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.00

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.26
3.	असम	988.87
4.	बिहार	559.03
5.	छत्तीसगढ़	0.00
6.	दिल्ली	0.00
7.	गोवा	0.00
8.	गुजरात	1191.77
9.	हरियाणा	13.58
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00
12.	झारखंड	0.00
13.	कर्नाटक	0.00
14.	केरल	72.09
15.	मध्य प्रदेश	348.76
16.	महाराष्ट्र	105.75
17.	मणिपुर	1.35
18.	मेघालय	0.00
19.	मिजोरम	1.50
20.	नागालैंड	1.72
21.	ओडिशा	0.00
22.	पंजाब	0.00
23.	राजस्थान	979.20
24.	सिक्किम	0.00
25.	तमिलनाडु	692.54
26.	त्रिपुरा	151.40
27.	उत्तराखंड	61.15
28.	उत्तर प्रदेश	1113.72
29.	पश्चिम बंगाल	63.31
30.	चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश	0.00
31.	पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश	0.00

(घ) सभी स्वीकृत परियोजनाओं के कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शुरू किया गया है।

(ङ) बारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान अर्थात् 2012-13 और 2013-14 में 575 किमी. और 450 किमी. के आमान परिवर्तन को पूरा करने का लक्ष्य है। संपूर्ण 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1800 किमी. के आमान परिवर्तन की योजना संसाधनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़

1814. श्री अशोक अर्गल :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री डी.वी. चन्द्रे गौडा :
श्री राज बब्बर :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री तूफानी सरोज :
श्री उदय सिंह :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सतपाल महाराज :
श्री यशवीर सिंह :
योगी आदित्यनाथ :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

श्री भूदेव चौधरी :
श्री जगदीश शर्मा :
श्री रामकिशुन :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों और पीड़ितों को अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घटना की रेलवे द्वारा कराई गई जांच के निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त घटना हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) जी, नहीं। चालू कुंभ मेले के दौरान 'शाही स्नान' करने के बाद 10.02.2013 को लगभग 18.30 बजे तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंची। 18.30 बजे से 19.00 बजे के बीच सीढ़ियों पर, जो प्लेटफार्म सं. 4/6 को ऊपरी पुल सं. 1 से जोड़ती है और जो पहले ही यात्रियों से ठसाठस भरा था, अचानक इतनी अधिक संख्या में भीड़ उमड़ने के परिणामस्वरूप भगदड़ मच गई। राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे स्टेशन पर उपस्थित रेल अधिकारियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए रेलवे अस्पताल और स्वरूप रानी अस्पताल, इलाहाबाद में शिफ्ट किया।

(ख) 10 फरवरी, 2013 को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की दुर्भाग्यशाली और दु:खदपूर्ण घटना में 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 42 व्यक्ति घायल हुए। मानवीय आधार पर प्रधानमंत्री ने जान गंवाने वाले व्यक्तियों के निकट संबंधी को 2 लाख रुपए और जिन्हें चोटें आयीं, उन्हें 50,000 रु. की अनुग्रह राशि भुगतान की घोषणा की। इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने जिन व्यक्तियों की जाने गयीं, उनके निकट संबंधियों को 1,00,000/- रु. तथा घटना में गंभीर और मामूली रूप से घायल होने वाले व्यक्तियों को 50,000/- रु. तथा 25,000/- रु. की अनुग्रह राशि के भुगतान करने की घोषणा की। अभी तक प्रभावित परिवार/व्यक्तियों को 15.93 लाख रु. की राशि वितरित की जा चुकी है। रेलवे द्वारा घटना में कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि रेलों द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए कोई डिक्री प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) रेल मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है जो भगदड़ के कारण, उत्तर मध्य रेलवे की ओर से तैयारियों की अपर्याप्तता, यदि कोई हो, और इस त्रासदी के लिए बाहरी कारणों और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपेक्षित निवारक उपायों की जांच करेगी।

क्रमवार तैनाती हेतु दिशा-निर्देश/नीति

1815. श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न संवेदनशील पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति/तैनाती के क्रम के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का रेलवे में पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे पदों के जोन-वार क्रम को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे में संवेदनशील श्रेणी के अंतर्गत पदों के नाम क्या हैं और क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों के मामले में दिशा-निदेशों का पालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय रेलों

और रेलवे बोर्ड में परिचालित संवेदनशील पदों की पहचान की गई है और यह निर्धारित किया गया है कि इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों को निहित स्वार्थों को विकसित होने से बचने के लिए प्रत्येक चार वर्ष के बाद बदलते रहना चाहिए। कुछ अधिकारियों जिन्हें प्रशासनिक हित में रखा जाता है, को छोड़कर सीवीसी के अधिकांश दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) संवेदनशील पदों की विभाग-वार पहचान की जाती है न कि जोन-वार। बोर्ड के 18.02.2009 के पत्र संख्या 2008/V-1/सीवीसी/1/4 द्वारा जोनों/उत्पादन इकाइयों में चिह्नित संवेदनशील पदों की सूची को परिपत्रित कर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे में केवल तीन अधिकारियों जिन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रशासनिक हित में चार वर्ष की निर्धारित अवधि से अधिक के लिए रखा गया है, को छोड़कर संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों को बदलने के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट

1816. श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री वरूण गांधी :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री विजय बहादुर सिंह :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट शीघ्र न्याय दिलाने में कितने मददगार सिद्ध हुए हैं और विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों में चल रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ब्यौरा क्या है और इन कोर्ट्स में राज्य/संघ राज्य-वार कितने मामलों का निपटारा हुआ और कितने मामले लंबित है;

(ख) वर्ष 2009 से 2011 तक की अवधि में ऐसे कोर्ट्स के लिए वर्ष और राज्य/संघ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने मार्च, 2011 से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम बंद कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) त्वरित निपटान न्यायालयों को आबंटित किए गए 38.98 लाख मामलों में से, उनके द्वारा वर्ष 2000-2011 के दौरान 32.9 लाख मामलों के निपटान कर दिए गए थे। कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय की संख्या, उनके द्वारा निपटान किए गए मामले तथा राज्य-वार लंबित मामलों की संख्या को दर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2009-2011 के दौरान त्वरित निपटान न्यायालय के लिए जारी किया गया राज्य-वार केंद्रीय अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) सेशन मामलों की लंबित मामलों की संख्या को कम करने के एकमुश्त उपाय के रूप में त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन को 11वें वित्त आयोग द्वारा समर्थित किया गया था। इसको बाद में केंद्रीय सरकार द्वारा 31 मार्च, 2010 तक अतिरिक्त पांच वर्ष के लिए जारी रखा गया था। सुचारू पारगमन सुनिश्चित करने के लिए इसको अतिरिक्त वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था। केंद्रीय निधिकरण तारीख 31.03.2011 के बाद नहीं दिया गया है।

तारीख 31.03.2011 को 1192 त्वरित निपटान न्यायालयों का कार्यरत होना रिपोर्ट किया गया था। राज्य सरकारों पर, अपनी स्वयं की निधियों से इन न्यायालयों को जारी रखने का कोई वर्जन नहीं है।

(ङ) तारीख 19.04.2012 को ब्रिज मोहन लाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उसने राज्यों को निदेश दिया है कि वे या तो ग्यारहवें वित्त आयोग के पंचाट का अनुसरण करते हुए वर्ष 2000 में आरंभ की गई त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम को समाप्त करने या स्थायी आधार पर उनको जारी रखने का विनिश्चय कर सकेंगे। न्यायालय ने यह भी निदेश किया है कि अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए जाने वाले 10% अतिरिक्त पद जिनके लिए वित्तपोषण अपेक्षा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुरूप आधार पर प्रदान की जाएंगी। केंदीय सरकार ने, अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए जाने वाले न्यायाधीशों के अतिरिक्त पदों के वेतनों के लिए तेरहवें वित्त आयोग पंचाट से तारीख 31.03.2015 तक अनुरूप आधार पर वित्तपोषित करने का विनिश्चय किया है। राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों

से अनुरोध किया है कि वे त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए भी इन स्थितियों का उपयोग कर सकेंगे।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य का नाम	31.03.2011 को कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	31.03.2011 को निपटाए गए कुल मामलों की संख्या	30.03.2011 को लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	108	199953	36975
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1660	2502
3.	असम	20	55811	16380
4.	बिहार	179	159105	80173
5.	छत्तीसगढ़	25	76575	18095
6.	गोवा	5	434296	103340
7.	गुजरात*	61	4017	1079
8.	हरियाणा**	6	33590	4769
9.	हिमाचल प्रदेश	9	33427	6699
10.	झारखंड	39	87789	22238
11.	कर्नाटक#	87	184067	34335
12.	केरल	38	95367	13793
13.	मध्य प्रदेश**	84	317363	43239
14.	महाराष्ट्र*	51	381619	41899
15.	मणिपुर	2	2861	198
16.	मेघालय	3	843	188
17.	मिजोरम	3	1635	233
18.	नागालैंड	2	716	129
19.	ओडिशा	35	60441	5758
20.	पंजाब**	15	46347	12223
21.	राजस्थान	83	123024	26423
22.	तमिलनाडु$	49	371336	40621
23.	त्रिपुरा	3	5591	221
24.	उत्तर प्रदेश	153	411658	53117
25.	उत्तराखंड	20	98797	
26.	पश्चिम बंगाल	109	113903	32180
	कुल	1192	3292785	605813

*फरवरी, 2011 को यथाविद्यमान

**दिसंबर, 2010 को यथाविद्यमान

#अगस्त, 2010 को यथाविद्यमान

$दिसंबर, 2008 को यथाविद्यमान

विवरण-II

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	1096.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.40	14.40
3.	असम	96.00	96.00
4.	बिहार	720.00	720.00

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	148.80	129.60
6.	गोवा	14.40	24.00
7.	गुजरात	0	777.60
8.	हरियाणा	76.80	67.20
9.	हिमाचल प्रदेश	43.20	43.20
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—
11.	झारखंड	196.80	192.00
12.	कर्नाटक	446.40	441.60
13.	केरल	148.80	148.80
14.	मध्य प्रदेश	316.80	316.80
15.	महाराष्ट्र	412.80	537.60
16.	मणिपुर	9.60	9.60
17.	मेघालय	—	28.80
18.	मिजोरम	14.40	14.40
19.	नागालैंड	9.60	9.60
20.	ओडिशा	168.00	168.00
21.	पंजाब	163.20	81.60
22.	राजस्थान	398.40	398.40
23.	सिक्किम	—	—
24.	तमिलनाडु	470.40	235.20
25.	त्रिपुरा	11.56	0
26.	उत्तर प्रदेश	1161.60	1094.40
27.	उत्तराखंड	0	99.62
28.	पश्चिम बंगाल	571.20	571.20
	कुल	5613.16	7315.62

स्वच्छ पेयजल

1817. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री वरूण गांधी :
श्री देवराज सिंह पटेल :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री एस. अलागिरी :
श्री पूर्णमासी राम :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
डॉ. थोकचोम मैन्या :
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री प्रेमचन्द गुड्डू :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री नलिन कुमार कटील :
श्री राम सुन्दर दास :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री देवेन्द्र नागपाल :
श्री जगदीश सिंह राणा :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेयजल की सुविधा से पूर्णतः लाभान्वित, आंशिक रूप से लाभान्वित और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान पेयजल योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार राज्य/संघ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई;

(ग) क्या सरकार ने योजना के अंतर्गत धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे राज्यों/जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के सभी गांवों/बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) देश में पेयजल के संबंध में पूर्णत: कवर की गई, आंशिक रूप से कवर की गई तथा गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बसावटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 11वीं तथा 12वीं योजना अवधि के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत आवंटित तथा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य उन्हें रिलीज की गई निधियों का उचित उपयोग करें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अनेक तंत्र बनाए गए हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों और क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को एक वार्षिक कार्य योजना बनानी होती है। उन्हें लक्षित बसावटों चिह्नित करना होता है और ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर कार्यों, योजनाओं और क्रियाकलापों का ब्यौरा देना होता है। ऑनलाइन आईएमआईएस में कवरेज और प्रगति संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि भी की जानी होती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की निगरानी के लिए 19 प्रपत्र तैयार किए गए है। 11वीं तथा 12वीं योजना अवधि के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का उपयोग करके राज्यों ने 29632 कवर न की गई, 489283 आंशिक रूप से कवर की गई तथा 133529 गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बसावटों में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। निधियों का उपयोग मौजूदा पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए तथा पेयजल स्रोतों का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया है।

(ङ) कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, पंजाब और हरियाणा ने यह जानकारी दी है कि उनके राज्यों में सूखे जैसी स्थिति है।

(च) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करता है। 2012-13 में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 10,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 की वित्त पोषण पद्धति (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10) के आधार पर राज्यों को आवंटित की गई एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों की 67% तक की राशि का उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 की वित्त पोषण पद्धति (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10) के आधार पर दी जाने वाली एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों की 5% राशि ऐसे राज्यों के लिए निर्धारित तथा आवंटित की जाती है जिनमें पेयजल में रासायनिक संदूषण की समस्या है या जहां जापानी इंसेफालाइटिस अथवा एक्यूट इंसेफालाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, बैठकों, लघु पुस्तिकाओं और तकनीकी अधिकारियों के दौरों में संदूषित जल के शोधन की प्रौद्योगिकियों पर जानकारी का आदान-प्रदान करके राज्यों को तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाती है। मंत्रालय ने राज्यों को दो-सूत्री कार्यनीति अर्थात् विशिष्ट संदूषक हटाने के लिए स्व-स्थाने शोधन प्रौद्योगिकियां अपनाने की अल्पकालिक कार्यनीति तथा वैकल्पिक सुरक्षित सतही/भूजल स्रोतों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध का दीर्घकालिक स्थाई समाधान, अपनाने की सलाह दी है। इसके अलावा भारत सरकार जल गुणवत्ता निगरानी और जांच, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नई जिला/उप-जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना या उन्नयन करने, प्रयोगशालाओं को केमिकल्स एंड कन्ज्यूमेबल उपलब्ध कराने और पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण के लिए ग्राम पंचायतों को फील्ड टेस्ट किट/रीफिल उपलब्ध कराने संबंधी कार्य शामिल हैं, के लिए राज्यों को शत्-प्रतिशत् केंद्रीय सहायता आधार पर 3% एनआरडीडब्ल्यूपी निधियां प्रदान करती है। इसके अलावा राज्यों को आवंटित की गई एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों की 10% तक की राशि का उपयोग भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण या अन्य पद्धतियों के जरिए पेयजल स्रोतों के स्थायित्व के लिए किया जा सकता है, जिसमें एक्वीफर में संदूषण के स्तर को कम भी किया जा सकता है।

विवरण-I

पेयजल आपूर्ति के संबंध में ग्रामीण बसावटों की स्थिति (1.4.2012 तक की स्थिति)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल बसावटें	बसावटें		
			पूर्णत: कवर	आंशिक रूप से कवर	गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	72387	44463	27528	396
2.	बिहार	107642	82203	10859	14580
3.	छत्तीसगढ़	72231	36801	26615	8815
4.	गोवा	347	302	45	0
5.	गुजरात	34415	33127	1014	274
6.	हरियाणा	7385	5893	1475	17
7.	हिमाचल प्रदेश	53201	42476	10725	0
8.	जम्मू और कश्मीर	13938	6062	7866	30
9.	झारखंड	119191	114308	4471	412
10.	कर्नाटक	59575	21333	32367	5875
11.	केरल	11883	10949	0	934
12.	मध्य प्रदेश	127197	83565	40843	2789
13.	महाराष्ट्र	100683	87448	11564	1671
14.	ओडिशा	141928	73988	55475	12465
15.	पंजाब	15170	12316	2821	33
16.	राजस्थान	121133	70876	23528	26729
17.	तमिलनाडु	94614	84115	9971	528

1	2	3	4	5	6
18.	उत्तर प्रदेश	260110	245390	13838	882
19.	उत्तराखंड	39142	26997	12128	17
20.	पश्चिम बंगाल	95395	86205	3742	5448
21.	अरुणाचल प्रदेश	5612	2630	2867	115
22.	असम	86976	47220	23777	15979
23.	मणिपुर	2870	1589	1281	0
24.	मेघालय	9326	4903	4326	97
25.	मिजोरम	777	711	66	0
26.	नागालैंड	1460	1015	315	130
27.	सिक्किम	2498	1805	693	0
28.	त्रिपुरा	8132	2032	165	5935
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	491	434	57	0
30.	चंडीगढ़	18	18	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	70	0	70	0
32.	दमन और दीव	21	0	21	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	9	0	9	0
35.	पुदुचेरी	248	237	2	9
	कुल	1666075	1231411	330504	104160

विवरण-II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित और रिलीज की गई एनआरडीडब्ल्यूपी निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08				2008-09				2009-10			
		प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	86.17	295.30	305.24	388.41	3.00	394.53	395.05	398.05	4.05	437.09	537.37	394.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.87	112.41	112.41	121.31	25.97	146.12	162.46	160.97	27.47	180.00	178.20	193.80
3.	असम	5.50	189.59	189.59	117.26	77.83	246.44	242.78	265.40	4.85	301.60	323.50	269.34
4.	बिहार	122.68	279.37	169.69	0.00	292.37	425.38	452.38	73.30	668.94	372.21	186.11	279.36
5.	छत्तीसगढ़	22.97	95.95	95.95	104.16	14.76	130.42	125.26	112.42	27.59	116.01	128.22	104.06
6.	गोवा	0.65	3.31	1.66	2.31	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	5.64	3.32	0.50
7.	गुजरात	19.85	205.89	205.89	219.12	6.62	314.44	369.44	289.33	92.11	482.75	482.75	511.83
8.	हरियाणा	16.13	93.41	93.41	109.54	0.00	117.29	117.29	117.29	0.00	207.89	206.89	132.35
9.	हिमाचल प्रदेश	2.03	117.46	130.42	132.45	0.00	141.51	141.51	141.49	8.31	138.52	182.85	160.03
10.	जम्मू और कश्मीर	49.58	329.92	329.92	361.41	18.09	397.86	396.49	176.67	239.56	447.74	402.51	383.49
11.	झारखंड	33.06	113.88	84.46	117.51	0.00	160.67	80.33	18.85	64.94	149.29	111.34	86.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	6.76	278.51	283.16	286.57	3.35	477.19	477.85	449.15	32.05	5 73.67	627.86	473.71
13.	केरल	0.00	82.93	84.25	83.46	0.79	103.33	123.33	106.56	1.36	152.77	151.89	150.56
14.	मध्य प्रदेश	37.58	251.62	251.62	267.56	21.65	370.47	380.47	368.61	107.42	367.66	379.66	354.30
15.	महाराष्ट्र	29.06	404.40	404.40	378.38	55.08	572.57	648.24	511.06	204.24	652.43	647.81	625.59
16.	मणिपुर	6.90	38.59	45.59	34.71	17.79	50.16	45.23	36.33	16.70	61.60	38.57	30.17
17.	मेघालय	12.60	44.46	55.29	56.61	11.30	57.79	107.79	74.50	0.60	70.40	79.40	68.57
18.	मिजोरम	0.00	31.88	38.88	30.16	8.72	41.44	54.19	45.48	17.73	50.40	55.26	51.11
19.	नागालैंड	14.32	32.72	39.75	27.39	26.68	42.53	42.53	39.60	29.61	52.00	47.06	71.58
20.	ओडिशा	61.66	168.85	171.95	233.60	0.00	298.68	298.68	273.12	25.85	187.13	226.66	198.87
21.	पंजाब	5.14	52.91	51.80	40.28	16.66	86.56	86.56	96.68	19.18	81.17	88.81	110.15
22.	राजस्थान	12.95	606.72	606.72	619.67	0.00	970.13	971.83	967.95	3.88	1036.46	1012.16	671.29
23.	सिक्किम	1.96	13.42	20.13	15.36	6.73	17.35	32.45	28.85	9.92	21.60	20.60	28.94
24.	तमिलनाडु	0.00	190.90	190.90	190.90	0.00	241.82	287.82	230.58	57.24	320.43	317.95	370.44
25.	त्रिपुरा	13.71	39.43	54.43	54.30	13.84	51.25	41.01	36.99	18.92	62.40	77.40	77.35
26.	उत्तर प्रदेश	92.10	401.51	401.51	421.14	72.48	539.74	615.78	514.54	173.71	959.12	956.36	967.38
27.	उत्तराखंड	37.12	89.30	89.30	114.14	12.28	107.58	85.87	61.09	42.77	126.16	124.90	67.24
28.	पश्चिम बंगाल	42.35	191.37	191.37	230.55	3.18	389.39	389.39	371.62	69.20	372.29	394.30	87.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.50	0.00	0.00	4.72	30.78	0.00	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पुदुचेरी	1.00	0.31	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	804.24	4757.01	4699.67	4762.96	740.94	6896.72	7172.01	5998.28	1967.92	7986.43	7989.72	6920.26

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित और रिलीज की गई एनआरडीडब्ल्यूपी निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11				2011-12				कुल		
		प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37	2164.26	2258.87	2050.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	682.44	837.89	866.85
3.	असम	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61	1622.85	1765.79	1601.16
4.	बिहार	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30	1793.40	1308.93	1145.87
5.	छत्तीसगढ़	56.36	130.27	122.01	99.77	82.13	143.57	139.06	141.12	616.22	610.50	559.53
6.	गोवा	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16	23.47	9.99	5.13
7.	गुजरात	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70	2024.64	2238.23	2015.27
8.	हरियाणा	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71	862.79	932.23	905.46
9.	हिमाचल प्रदेश	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97	662.67	795.18	745.53
10.	जम्मू और कश्मीर	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07	2060.95	2018.25	1935.16
11.	झारखंड	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84	752.29	554.25	520.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	कर्नाटक	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85	2661.40	2760.45	2566.21
13.	केरल	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98	627.74	632.69	605.53
14.	मध्य प्रदेश	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30	1760.76	1692.86	1694.71
15.	महाराष्ट्र	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20	3091.02	3137.22	2871.02
16.	मणिपुर	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03	258.35	229.76	217.51
17.	मेघालय	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	297.80	423.25	355.59
18.	मिजोरम	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	209.39	248.74	238.80
19.	नागालैंड	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	288.44	287.77	301.02
20.	ओडिशा	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60	1066.09	1163.10	1156.30
21.	पंजाब	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32	390.87	457.20	478.36
22.	राजस्थान	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18	4862.32	4843.95	4540.91
23.	सिक्किम	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49	106.81	165.57	116.91
24.	तमिलनाडु	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60	1400.10	1619.75	1382.93
25.	त्रिपुरा	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39	266.45	331.36	344.23
26.	उत्तर प्रदेश	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20	3642.79	3624.65	3590.54
27.	उत्तराखंड	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65	598.97	512.05	416.56
28.	पश्चिम बंगाल	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41	1714.68	1816.76	1574.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	35.50
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
34.	पुदुचेरी	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
	कुल जोड़	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65	36520.16	37277.23	34839.33

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित, रिलीज और उपयोग की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13			
		प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	301.3	563.39	356.42	429.12
2.	बिहार	285.65	484.25	224.30	274.74
3.	छत्तीसगढ़	80.42	168.88	148.64	103.68
4.	गोवा	5.91	6.08	0.03	0
5.	गुजरात	327.59	578.29	702.73	571.21
6.	हरियाणा	43.98	250.24	311.41	205.67
7.	हिमाचल प्रदेश	61.94	153.58	72.83	86.03
8.	जम्मू और कश्मीर	147.04	510.76	466.50	283.27
9.	झारखंड	74.31	191.86	168.43	133.56
10.	कर्नाटक	213.14	922.67	842.54	464.5
11.	केरल	16.08	193.59	167.86	96.57
12.	मध्य प्रदेश	35.82	447.33	396.18	241.49
13.	महाराष्ट्र	320.1	897.96	605.28	342.96
14.	ओडिशा	84.34	243.92	210.58	147.86
15.	पंजाब	3	101.89	142.42	70.32
16.	राजस्थान	319.68	1352.53	1266.36	660.85
17.	तमिलनाडु	240.27	394.81	570.17	400.81
18.	उत्तर प्रदेश	259.9	1060.88	923.31	298.17

1	2	3	4	5	6
19.	उत्तराखंड	141.74	159.75	3.78	91.96
20.	पश्चिम बंगाल	265.96	523.54	250.46	377.17
21.	अरुणाचल प्रदेश	10.09	145.33	215.36	97.96
22.	असम	127.51	525.71	500.43	466.22
23.	मणिपुर	9.29	69.99	63.07	15.83
24.	मेघालय	36.83	73.95	67.67	58.33
25.	मिजोरम	9.74	48.34	42.72	23.47
26.	नागालैंड	1.1	110.25	107.52	22.44
27.	सिक्किम	49.71	36.68	17.71	14.28
28.	त्रिपुरा	4.03	70.65	99.88	51.1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1.15	0.58	0
30.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	0
32.	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0
33.	दिल्ली	0	0.00	0.00	0
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0
35.	पुदुचेरी	0	1.75	0.00	0
	कुल	3376.87	10290.00	8945.04	6031.57

*आईएमआईएस पर 4.3.2013 तक प्राप्त सूचना के अनुसार।

[अनुवाद]

कापार्ट और पंचायती राज संस्थाओं के बीच समन्वय

1818. श्रीमती ज्योति धुर्वे :

श्री नारेनभाई काछादिया :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्

(कापार्ट) और पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के बीच समन्वय का वर्तमान स्तर क्या है;

(ख) क्या कापार्ट पी.आर.आई. के साथ संबद्ध करने में सफल नहीं रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) कापार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में स्वायत्त निकाय है। कापार्ट के उद्देश्यों में स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन, बढ़ावा और सहायता देना तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों को सुदृढ़ बनाना एवं उन्हें बढ़ावा देना शामिल है। यद्यपि कापार्ट ग्रामीण कार्यकलापों से संबंधित है, तथापि अब तक पंचायती राज संस्थाओं से उसका कोई समन्वय नहीं है, क्योंकि यह निकाय मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ ही काम करता रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास

1819. श्री पी.के. बिजू :
श्री नारेनभाई काछादिया :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री ए. सम्पत :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की राज्य/संघ राज्य-वार मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्य/संघ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) कार्यरत विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) छात्रों के नामांकन के संबंध में उक्त संस्थानों की क्षमता क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) यद्यपि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित नहीं करता और इसके पास राज्य-वार आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि ये मंत्रालय अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) पुरस्कार स्कीम, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एसएसटीपी) तथा पेटेंट सुगमीकरण प्रकोष्ठ (पीएफसी) कार्यक्रम जैसी कुछ केन्द्रीय स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के साथ कार्य करते हैं और इनसे प्रस्ताव मंगाते हैं। वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (वर्तमान वर्ष) के लिए इंस्पायर पुरस्कार, एसएसटीपी और पीएफसी कार्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की इंस्पायर पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत, पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 6 से 10वीं कक्षा वाले देश के सभी माध्यमिक एवं उच्चतर स्कूलों से, विज्ञान प्रोजेक्ट/मॉडल तैयार करने के लिए 5,000/- रु. प्रत्येक के इंस्पायर पुरस्कार के लिए, दो छात्रों को चुना जाता है। स्कूलों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य को शामिल करते हुए राज्य सरकार के कार्यतंत्र द्वारा विद्यार्थियों का प्रतिभा आधारित चयन किया जाता है। पुरस्कार की राशि को बैंक द्वारा जारी इंस्पायर पुरस्कार अधिपत्र के रूप में चयनित विद्यार्थी को सीधे भेजा जाता है। ये पुरस्कार विजेता जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिताओं (डीएलईपीसी) में भाग लेते हैं और जिले की 5% से 10% सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिताओं (एसएलईपीसी) में भाग लेने के लिए चुना जाता है। कम-से-कम 5 प्रविष्टियों के अध्यधीन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ 5% प्रविष्टियों को राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता (एनएलईपीसी) में भाग लेने के लिए चुना जाता है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सभी 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम में भाग ले रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं के संचालन की संपूर्ण लागत का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। जिला और राज्य स्तरों पर प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए राशि को इंस्पायर के प्रभारी राज्य नोडल अधिकारी को जारी किया जाता है।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के राज्य विज्ञान

और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एसएसटीपी) के अंतर्गत देश में राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को वार्षिक मुख्य अनुदान सहायता प्रदान की गई। राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यकलापों की आयोजना, अनुवीक्षण और कार्यान्वयन में इन परिषदों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को यह मुख्य सहायता दी जाती है। इस मुख्य अनुदान सहायता में वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक मानव शक्ति, यातायात, कार्यालयी खर्चों तथा आधुनिक कार्यालय संबंधी उपकरणों आदि के लिए आंशिक रूप से सहायता शामिल होती है।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के पेटेंट सुगमीकरण प्रकोष्ठ (पीएफसी) कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य स्तर पर पेटेंट, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत आदि सहित बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के संरक्षण पर जागरुकता पैदा करने और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 24 पेटेंट सूचना केन्द्रों (पीआईसी) को सहायता प्रदान की जाती है। ये पीआईसी अपने संबंधित राज्यों के विश्वविद्यालय बौद्धिक संपदा प्रकोष्ठ (आईपीसीयू) भी सृजित कर रहे हैं। अब तक राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 84 आईपीसीयू का सृजन किया गया है। पीआईसी स्थापित करने के लिए बिहार राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इस अवधि के दौरान राज्यों को दिए गए कार्यक्रम-वार और वर्ष-वार अनुदानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(लाख रुपए)

कार्यक्रम का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (फरवरी, 13 तक)	कुल
इंस्पायर पुरस्कार*	8283.40 (126468)	15125.05 (250009)	15142.79 (243325)	12156.40 (219176)	50707.64 (838978)
एसएसटीपी	985.20	1317.64	1480.14	1657.67	5440.65
पीएफसी	45.83	78.00	51.62	97.00	272.45
कुल	9314.43	16520.69	16674.55	13911.07	56420.74

*कोष्ठक में दी गई संख्या सभी राज्यों के लिए इंस्पायर पुरस्कार की संख्या को दर्शाती है।

(ग) नीचे दिए गए विवरणानुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 78 संस्थान हैं:—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	6
असम	2
दिल्ली	11
गोवा	1
गुजरात	2
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	1

1	2
जम्मू और कश्मीर	1
झारखंड	2
कर्नाटक	8
केरल	4
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	5
मणिपुर	1
मेघालय	1
ओडिशा	2
पंजाब	2
राजस्थान	1
तमिलनाडु	3
उत्तर प्रदेश	7
उत्तराखंड	4
पश्चिम बंगाल	8
चंडीगढ़	2
कुल योग	78

(घ) इन संस्थानों की क्षमता नामांकित होने वाले छात्रों के संबंध में 2012-13 के दौरान पीएचडी तथा परा-स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में 14812 थी।

[हिन्दी]

उद्योगों की स्थापना

1820. श्री इज्यराज सिंह :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने देश में ऐसे 43 स्थानों को सूचीबद्ध किया है जहां उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं और उक्त स्थानों पर भूजल का स्तर क्या है;

(ग) क्या उक्त स्थानों पर किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने हेतु ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने देश के 162 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जोकि पूर्व में 43 थे। किसी नए उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि जल की निकासी की अनुमति नहीं दी जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 162 अधिसूचित क्षेत्रों में, उर्जायुक्त साधनों के माध्यम से पेयजल से इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि जल निकासी की अनुमति नहीं दी जाती है। ये अधिसूचित क्षेत्र 'अतिदोहित' तथा 'गंभीर' श्रेणियों में आते हैं, जहां भूमि जल की निकासी वार्षिक पुनर्भरण से अपेक्षाकृत अधिक है तथा क्षेत्र भूमि जल में अत्यधिक कमी का अनुभव कर रहे हैं। सरकार, ऐसे क्षेत्र में जल संरक्षण और वर्षाजल संचयन उपायों को अपनाने पर बल दे रही है, ताकि भूजल संसाधनों की आगे गिरावट को रोका जा सके।

विवरण

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	औसत भूमि जल स्तर (पूर्व मानसून-2012) (एमबीजीएल में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर जिले का मिदजिल मंडल	29.135

1	2	3	4
2.	आंध्र प्रदेश	चित्तौड़ जिले की तिरुपति (ग्रामीण) मंडल	29.03
3.	आंध्र प्रदेश	कुद्दापाह जिले का वेमपल्ली मंडल	15.7
4.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर जिले का चिलमाथुर मंडल	11.07
5.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर जिले का नरपाला (एनसी) मंडल	38.95
6.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद जिले का वैलपूर (एनसी) मंडल	23.29
7.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम जिले का गिड्डालुरू मंडल	38.95
8.	दीव	दीव संघ राज्य क्षेत्र	7.92
9.	गुजरात	गांधीनगर तालुका (200 एमबीजीएल से कम जलभृत को पेयजल एवं घरेलू जरूरतों को पूरा करने के रूप में अधिसूचित किया गया है।), जिला, गांधीनगर	60.8
10.	गुजरात	गांधीनगर जिले का कालोल तालुका	98.27
11.	गुजरात	गांधीनगर जिले का मनसा तालुक	120.45
12.	गुजरात	महेसाणा जिले का महेसाणा तालुक	21.58
13.	हरियाणा	फरीदाबाद और बल्लभगढ़ नगर निगम	30.0
14.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र जिले का शाहबाद ब्लॉक	33.02
15.	हरियाणा	महेन्द्रगढ़ जिले का नांगल चौधरी ब्लॉक	25.23
16.	हरियाणा	महेन्द्रगढ़ जिले का नारनौल ब्लॉक	9.50
17.	हरियाणा	पानीपत जिले का समालखा ब्लॉक	24.68
18.	हरियाणा	करनाल जिले का करनाल ब्लॉक	22.86
19.	हरियाणा	रेवाड़ी जिले का खोल ब्लॉक	38.42
20.	हरियाणा	समूचा गुड़गांव जिला	18.10
21.	हरियाणा	भिवानी जिले का बाद्रा ब्लॉक	54.0
22.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र जिले का लाड़वा ब्लॉक	27.50
23.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र जिले का पेहोवा ब्लॉक	27.52

1	2	3	4
24.	हरियाणा	सिरसा जिले का रनिया ब्लॉक	19.07
25.	हरियाणा	फतेहाबाद जिले का तोहाना ब्लॉक	6.50
26.	हरियाणा	कैथल जिले का गुल्हा ब्लॉक	17.05
27.	हरियाणा	पानीपत जिले का बापोली ब्लॉक	14.53
28.	हरियाणा	कैथल जिले का राजौंद ब्लॉक	9.81
29.	हरियाणा	सिरसा जिले का एल्लेनाबाद ब्लॉक	22.34
30.	कर्नाटक	बगलकोट जिले का बदामी तालुका	6.63
31.	कर्नाटक	बगलकोट जिले का बगलकोट (पी) तालुका	20.12
32.	कर्नाटक	बेंगलूरू (शहरी) जिले का अन्कल तालुका	33.31
33.	कर्नाटक	बेंगलूरू (शहरी) जिले का बेंगलूरू (उत्तरी) तालुका	3.18
34.	कर्नाटक	बेंगलूरू (शहरी) जिले का बेंगलूरू (दक्षिणी) तालुका	4.09
35.	कर्नाटक	बेंगलूरू (ग्रामीण) जिले का देवनहल्ली तालुका	7.52
36.	कर्नाटक	बेंगलूरू (ग्रामीण) जिले का डोड बल्लापुर तालुका	7.31
37.	कर्नाटक	बेंगलूरू (ग्रामीण) जिले का होसकोटे तालुका	36.06
38.	कर्नाटक	बेंगलूरू (ग्रामीण) जिले का नेलामंगला तालुका	7.50
39.	कर्नाटक	बेलगाम जिले का रामदुर्ग तालुका	14.38
40.	कर्नाटक	बेलगाम जिले का रेबग (पी) तालुका	10.92
41.	कर्नाटक	गडग जिले का गडग (एनसी) तालुका	6.65
42.	कर्नाटक	कोलार जिले का बंगारापेट तालुका	3.96
43.	कर्नाटक	चिकबल्लापुर जिले का चिकबल्लापुर तालुका	63.58
44.	कर्नाटक	चिकबल्लापुर जिले का चिंतामणि तालुका	5.27
45.	कर्नाटक	चिकबल्लापुर जिले का गौरीबिदानुर तालुका	4.17
46.	कर्नाटक	चिकबल्लापुर जिले का गुडीबंडा तालुका	5.46

1	2	3	4
47.	कर्नाटक	कोलार जिले का मलुर तालुका	49.83
48.	कर्नाटक	कोलार जिले का मुलबगल तालुका	3.87
49.	कर्नाटक	चिकबल्लापुर जिले का सिडलाघट्टा तालुका	24.07
50.	कर्नाटक	तुमकुर जिले का कोराटागेरे (पी) तालुका	3.50
51.	कर्नाटक	तुमकुर जिले का मधुगिरी (पी) तालुका	5.97
52.	मध्य प्रदेश	धार जिले का धार ब्लॉक	17.45
53.	मध्य प्रदेश	धार जिले का मनवार ब्लॉक	8.54
54.	मध्य प्रदेश	मंदसौर जिले का मंदसौर ब्लॉक	16.7
55.	मध्य प्रदेश	मंदसौर जिले का सीतामाऊ ब्लॉक	9.66
56.	मध्य प्रदेश	नीमच जिले का नीमच ब्लॉक	7.62
57.	मध्य प्रदेश	रतलाम जिले का जौरा ब्लॉक	10.7
58.	मध्य प्रदेश	इंदौर नगर निगम	11.26
59.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	दक्षिणी जिला	33.94
60.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	दक्षिणी-पश्चिम जिला	17.18
61.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	यमुना बाढ़ मैदानी क्षेत्र	4.12
62.	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	3.44
63.	पंजाब	लुधियाना जिले का लुधियाना शहर	20.19
64.	पंजाब	मोगा जिले मोगा-I ब्लॉक	27.11
65.	पंजाब	मोगा जिले मोगा-II ब्लॉक	30.81
66.	पंजाब	संगरूर जिले का संगरूर ब्लॉक	24.00
67.	पंजाब	संगरूर जिले का महलकालां ब्लॉक	25.00

1	2	3	4
68.	पंजाब	संगरूर जिले का अहमदगढ़ ब्लॉक	26.14
69.	पंजाब	जालंधर जिले का नाकोदर ब्लॉक	17.52
70.	पंजाब	जालंधर जिले का शाहकोट ब्लॉक	25.16
71.	पंजाब	जालंधर जिले का लोहियन ब्लॉक	15.68
72.	पंजाब	पटियाला जिले का पट्टरान ब्लॉक	33.76
73.	पंजाब	कपूरथला जिले का फगवाड़ा ब्लॉक	22.08
74.	पंजाब	मोगा जिले का निहालसिंहवाला ब्लॉक	28.85
75.	पंजाब	संगरूर जिले का धुरी ब्लॉक	24.75
76.	पंजाब	संगरूर जिले का सुनाम ब्लॉक	29.45
77.	पंजाब	संगरूर जिले का बरनाला ब्लॉक	30.30
78.	पंजाब	संगरूर जिले का शेरपुर ब्लॉक	35.00
79.	पंजाब	संगरूर जिले का मलेरकोटला ब्लॉक	29.98
80.	पंजाब	लुधियाना जिले का खन्ना ब्लॉक	20.09
81.	पंजाब	अमृतसर जिले का अजनाला ब्लॉक	12.50
82.	पंजाब	तरन तारण जिले का पट्टी ब्लॉक	19.66
83.	पंजाब	तरन तारण जिले का तरन तारण ब्लॉक	17.62
84.	पंजाब	फतेहगढ़ जिले का अमलोह ब्लॉक	18.66
85.	पंजाब	फतेहगढ़ जिले का कम्मानों ब्लॉक	19.50
86.	पंजाब	फतेहगढ़ जिले का खेरा ब्लॉक	16.63
87.	पंजाब	होशियारपुर जिले का तांडा ब्लॉक	6.72
88.	पंजाब	जालंधर जिले का भोगपुर ब्लॉक	8.72
89.	पंजाब	जालंधर जिले का गोराया/रूरका ब्लॉक	22.15
90.	पंजाब	जालंधर जिले का जालंधर पूर्व ब्लॉक	32.11

1	2	3	4
91.	पंजाब	जालंधर जिले का जालंधर पश्चिम ब्लॉक	12.00
92.	पंजाब	जालंधर जिले का नूरमहल ब्लॉक	25.7
93.	पंजाब	जालंधर जिले का फिलौर ब्लॉक	15.05
94.	पंजाब	कपूरथला जिले का भोलाथ/नदाला ब्लॉक	7.62
95.	पंजाब	कपूरथला जिले का धिलवान ब्लॉक	6.95
96.	पंजाब	कपूरथला जिले का कपूरथला ब्लॉक	17.73
97.	पंजाब	कपूरथला जिले का सुल्तानपुर ब्लॉक	24.99
98.	पंजाब	लुधियाना जिले का पखोवल ब्लॉक	12.28
99.	पंजाब	मनसा जिले का भिखी ब्लॉक	9.01
100.	पंजाब	मनसा जिले का बुधलादा ब्लॉक	9.15
101.	पंजाब	मनसा जिले का सरदुल ब्लॉक	5.66
102.	पंजाब	नवांशहर जिले का और ब्लॉक	14.72
103.	पंजाब	नवांशहर जिले का बंगा ब्लॉक	8.36
104.	पंजाब	पटियाला जिले का पटियाला ब्लॉक	23.59
105.	पंजाब	पटियाला जिले का सानौर ब्लॉक	7.36
106.	पंजाब	रोपड़ जिले का मोरिंदा ब्लॉक	28.03
107.	पंजाब	संगरूर जिले का भवानीगढ़ ब्लॉक	30.32
108.	राजस्थान	झोटवारा ब्लॉक, जयपुर जिला	46.6
109.	राजस्थान	पुष्कर घाटी, अजमेर जिला	24.50
110.	राजस्थान	जालौर ब्लॉक, जालौर जिला	24.50
111.	राजस्थान	रानीवाड़ा ब्लॉक, जालौर जिला	32.20
112.	राजस्थान	बुधाना ब्लॉक, झुंझुनू जिला	24.80
113.	राजस्थान	चिरावा ब्लॉक, झुंझुनू जिला	81.15

1	2	3	4
114.	राजस्थान	मुंडवा ब्लॉक, नागौर जिला	54.54
115.	राजस्थान	सुरजगढ़ ब्लॉक, झुंझुनु जिला	67.66
116.	राजस्थान	धोड ब्लॉक, सीकर जिला	66.39
117.	राजस्थान	श्री माधोपुर ब्लॉक, सीकर जिला	35.40
118.	राजस्थान	बेहरोर ब्लॉक, अलवर जिला	60.07
119.	राजस्थान	भीनमल ब्लॉक, जालौर जिला	33.88
120.	राजस्थान	चुरू जिले का राजगढ़ ब्लॉक	32.74
121.	राजस्थान	जोधपुर जिले का ओसियान ब्लॉक	52.56
122.	राजस्थान	जोधपुर जिले का भोपालगढ़ ब्लॉक	35.99
123.	राजस्थान	जोधपुर जिले का बिलारा ब्लॉक	28.46
124.	राजस्थान	नागौर जिले का मेरता ब्लॉक	28.70
125.	राजस्थान	बारमेड़ जिले का बेतू ब्लॉक	31.95
126.	राजस्थान	जयपुर जिले का सांभर ब्लॉक	28.60
127.	राजस्थान	जयपुर जिले का गोविंदगढ़ ब्लॉक	53.55
128.	राजस्थान	जयपुर जिले का संगानेर ब्लॉक	27.23
129.	राजस्थान	जयपुर जिले का बस्सी ब्लॉक	35.55
130.	राजस्थान	जयपुर जिले का आमेर ब्लॉक	63.20
131.	राजस्थान	जयपुर जिले का शाहपुरा ब्लॉक	45.10
132.	राजस्थान	जोधपुर जिले का मंदोर ब्लॉक	20.54
133.	राजस्थान	जालौर जिले का स्याला ब्लॉक	25.59
134.	राजस्थान	जालौर जिले का संचोर ब्लॉक	23.98
135.	राजस्थान	झुंझुनू जिले का नवालगढ़ ब्लॉक	51.52
136.	राजस्थान	झुंझुनू जिले का उदयपुरावती ब्लॉक	37.88

1	2	3	4
137.	राजस्थान	झुंझुनू जिले का झुंझुनू ब्लॉक	51.98
138.	राजस्थान	करौली जिले का टोडाभीम ब्लॉक	13.10
139.	राजस्थान	अजमेर जिले का पिसनगान ब्लॉक	14.86
140.	राजस्थान	चित्तौरगढ़ जिले का चित्तौरगढ़ ब्लॉक	18.39
141.	राजस्थान	चित्तौरगढ़ जिले का निंबहेरा ब्लॉक	20.05
142.	राजस्थान	नालौर जिले का कुचामन ब्लॉक	22.54
143.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर जिले का पोल्लाची एस ब्लॉक	4
144.	तमिलनाडु	धर्मापुरी जिले का मोरप्पुर ब्लॉक	7.29
145.	तमिलनाडु	धर्मापुरी जिले का पप्पीरेड्डीपट्टी ब्लॉक	9.32
146.	तमिलनाडु	मदुरै जिले का उसिलामपट्टी	7.09
147.	तमिलनाडु	नागापट्टिनम जिले का कुट्टालम ब्लॉक	3.71
148.	तमिलनाडु	नामाक्कल जिले का रासिपुरम ब्लॉक	10.93
149.	तमिलनाडु	सलेम जिले का अट्टुर-एस ब्लॉक	8.02
150.	तमिलनाडु	सलेम जिले का गंगावल्ली ब्लॉक	4.41
151.	तमिलनाडु	सलेम जिले का पानामरूथुपट्टी ब्लॉक	6.75
152.	तमिलनाडु	सलेम जिले का तलाईवसाल ब्लॉक	6.62
153.	तमिलनाडु	सलेम जिले का वीरापंडी ब्लॉक	6.41
154.	तमिलनाडु	तिरूवन्नामलाई जिले का चेनगाम ब्लॉक	7.32
155.	तमिलनाडु	तिरूवरूर जिले का वालनगैमन ब्लॉक	2.47
156.	तमिलनाडु	तूतिकोरिन जिले का वालनगैमन ब्लॉक	3.86
157.	तमिलनाडु	वेल्लौर जिले का गुडियाथम ब्लॉक	14.28
158.	तमिलनाडु	वेल्लौर जिले का जोलारपेट ब्लॉक	9.75
159.	तमिलनाडु	वेल्लौर जिले का पेरनामपेट ब्लॉक	9.88

1	2	3	4
160.	तमिलनाडु	वेल्लौर जिले का तिरूप्पथुर ब्लॉक	7.71
161.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद जिला	15.73
162.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया औद्योगिक काम्प्लेक्स (जलभृत्त 120 एमबीजीएल से कम), हल्दिया, पूर्वी मेदिनीपुर जिला	12.17

[अनुवाद]

खाद्य का मूल्य

1821. प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री संजय निरूपम :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री रूद्रमाधव राय :
श्री नवीन जिन्दल :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाला खाना और खाद्य पदार्थ डिब्बों में शौचालय के निकट रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत एक वर्ष के दौरान ट्रेनों में परोसे गए अस्वास्थ्यकर खाने की शिकायतों को जोन-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या रेलवे ने भोजन को शौचालयों के निकट रखे जाने के कारण उक्त भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त आकलन का क्या परिणाम निकला है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या रेलवे ने ट्रेनों में परोसे जा रहे खाने के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया है और क्या रेलवे को खाद्य पदार्थों का अधिक मूल्य वसूलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या रेलवे को खाद्य पदार्थों के मूल्यों को आम आदमी के लाभ के लिए युक्तिसंगत सीमा में रखना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (घ) नई खानपान नीति, 2010 के संदर्भ में भोजन रखने और परोसने तथा खानपान उपकरण एवं ट्रॉली रखने के लिए राजधानी/शताब्दी और दुरांतों गाड़ियों के डिब्बों में उचित स्थान निश्चित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए डिब्बों के अंत में अलग से हॉट केस और बर्थे/स्थान उपलब्ध हैं। इससे इस कार्य के लिए गलियारों और शौचालय के आस-पास की जगह के प्रयोग पर रोक लगाई जा सकेगी और स्वास्थ्यप्रद सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा, राजधानी/दुरांतों गाड़ियों में हल्की कंपेक्ट ट्रालियों (विशेष रूप से निर्मित) का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाना परोसने के दौरान, भोजन गाड़ी के फर्श पर न रखा जाए। इन ट्रॉलियों के जरिए गाड़ियों में शीघ्र, साफ-सुथरी और स्वास्थ्यप्रद सेवाएं मुहैया होती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि खाने को स्वास्थ्यप्रद स्थिति में रखा जाए। जोन-वार प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) से (छ) गाड़ियों में बेचे जाने वाले भोजन की लागत को कच्ची सामग्रियों और ईंधन की इनपुट लागत से सीधा तालमेल है। मानक भोजन, नाश्ते, पेय पदार्थ और जनता भोजन के खानपान प्रभार, जो 2003 में अधिसूचित किए गए थे, में दिसंबर, 2012 में संशोधन किए गए हैं। जोनल रेलों द्वारा भी अक्तूबर, 2012 में व्यंजन सूची की 97 मदों की कीमतें अधिसूचित की गई हैं, जिनमें अंतिम बार सितंबर, 2011 में संशोधन किया गया था। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के खानपान प्रभारों में अंतिम बार मई, 1999 में संशोधन किए गए थे।

गत वर्ष (01.02.2012 से 31.01.2013) के दौरान, रेलों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने के संबंध में 161 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अपराध की गंभीरता के अनुसार, काउंसलिंग, चेतावनी, जुर्माना लगाना, और ठेका समाप्त करने आदि जैसी समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक कार्यवाही भी की गई हैं।

जनता भोजन, सस्ता और किफायती भोजन, क्षेत्रीय व्यंजन मुहैया कराकर और जन आहार आउटलेट स्थापित करके सभी श्रेणी के यात्रियों को उचित मूल्य पर क्वालिटी भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। भारतीय रेलों पर अभी तक 61 जनआहार आउटलेट शुरू किए जा चुके हैं।

विवरण

पिछले एक वर्ष के दौरान (01.02.2012 से 31.01.2013 तक) गाड़ियों में जोन-वार प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या और उन पर की गई कार्यवाही

जोनल रेलवे	क्वालिटी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	की गई कार्यवाही								
		जिन पर जुर्माना लगाया गया	जिनको चेतावनी दी गई	ठेके समाप्त किए गए	जिनको उचित सलाह दी गई	साबित नहीं हो सका	अनुशासन एवं नियम के अंतर्गत कार्यवाही	कोई अन्य	लंबित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य	36	13	8	0	9	1	1	4	0	36
पूर्व मध्य	45	3	0	0	0	0	0	41	1	45
पूर्व तट	22	8	7	0	7	0	0	0	0	22
पूर्व	43	8	17	0	18	0	0	0	0	43
उत्तर मध्य	4	3	0	0	0	1	0	0	0	4
पूर्वोत्तर	7	0	2	0	0	4	0	1	0	7
पूर्वोत्तर सीमा	11	1	0	0	2	2	0	6	0	11
उत्तर	366	64	124	0	174	4	0	0	0	366
उत्तर पश्चिम	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
दक्षिण मध्य	4	1	2	0	1	0	0	0	0	4
दक्षिण पूर्व मध्य	3	1	0	0	0	0	0	2	0	3
दक्षिण पूर्व	89	30	26	7	13	5	6	1	1	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दक्षिण	53	22	3	0	18	0	0	1	9	53
दक्षिण पश्चिम	5	4	0	0	1	0	0	0	0	5
पश्चिम मध्य	4	2	0	0	2	0	0	0	0	4
पश्चिम	49	6	23	0	16	2	0	2	0	49
जोड़ (जोनल रेलवे)	743	168	212	7	261	19	7	58	11	743
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	799	206	238	8	164	48	43	92	0	799
सकल जोड़ (जोनल रेलें+आईआरसीटीसी)	1542	374	450	15	425	67	50	150	11	1542

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अधीन मानदंडों में परिवर्तन

1822. **श्रीमती जयाप्रदा :**
श्री तूफानी सरोज :
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री आधि शंकर :
श्री राजू शेट्टी :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या मानदंडों की अनदेखी करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र और सुदूर क्षेत्रों में बस्तियों को जोड़ने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा बलों ने पहाड़ी बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसमें चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा शामिल है, को जोड़ने के लिए संपर्क सड़क बनाने की मांग भी की है; और

(घ) यदि हां, तो पहाड़ी बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उक्त संपर्क सड़क जनसंख्या मानदंडों में शिथिलता देकर बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया) : (क) से (घ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क उपलब्ध करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरूआत 25 दिसम्बर, 2000 को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में की गई। इस कार्यक्रम के तहत मैदानी इलाकों में 500 और उससे अधिक की जनसंख्या (2001 मतगणना के अनुसार), पहाड़ी राज्यों, जनजाति क्षेत्रों (अनुसूची-V) में (जैसा मरूभूमि विकास कार्यक्रम में अभिज्ञात है) और गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग के द्वारा चिंहित समेकित कार्य योजना (आईएपी) के तहत 9 राज्यों में 82 चयनित जनजाति एवं पिछड़े राज्यों में 250 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कोर नेटवर्क के अनुसार सड़क मार्गों से नहीं जुड़ी सभी पात्र बसावटों को सड़क मार्गों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार पहाड़ी राज्यों के मामले में 1.5 कि.मी. के दायरे में स्थित सभी बसावटों को कलस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक साथ जोड़ा जा सकता है। पहाड़ी राज्यों में (जैसा गृह मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात है) अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे ब्लॉकों की अनेक बसावटों को सड़क संपर्क

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 कि.मी. के दायरे में बसी सभी बसावटों को इस प्रयोजन के लिए एक कलस्टर के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार के अनुरोध पर अरुणाचल प्रदेश को राज्य में 10 कि.मी. के दायरे में जनसंख्या को समेकित कर और पात्रता के लिए इसे एक कलस्टर के रूप में विचार कर तथा राज्य में सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों पर कलस्टर एप्रोच के प्रावधान को, रणनीतिक दृष्टि से, लागू कर एक विशेष सहायता की मंजूरी दी गई है।

कुंभ मेले के लिए विशेष ट्रेनें

1823. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री अर्जुन राय :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री यशवीर सिंह :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री नीरज शेखर :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने इलाहाबाद कुंभ मेले के लिए विशेष व्यवस्था/विशेष ट्रेनों का प्रबंधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या रेलवे ने उक्त मेला यात्रियों द्वारा खरीदी गई टिकटों पर कुंभ सरचार्ज भी लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) इलाहाबाद जंक्शन पर हुई भगदड़ के बाद चलाई जा रही अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मेले के स्टेशनों यथा इलाहाबाद, नैनी, चिओकी, विंध्याचल, इलाहाबाद सिटी, दारागंज, झुंसी, प्रयाग, प्रयाग घाट और फाफामऊ स्टेशनों पर विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है जिनमें अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियों, पूछताछ कार्यालयों, यात्री प्रांगणों, शौचालयों, पानी के बूथों, खानपान स्टालों की व्यवस्था शामिल हैं। 17 फरवरी, 2013 तक भारतीय रेलों ने कुम्भ मेले की भीड़ की निकासी के लिए कुल 559 कुम्भ विशेष रेल गाड़ियां चलाई थीं।

मुख्य मेलों के दौरान यात्रियों की असाधारण भारी भीड़ को देखते हुए, क्षेत्रीय रेलों द्वारा गाड़ियों के परिचालन, तीर्थयात्री शेडों के निर्माण, अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियों को खोलने आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए काफी मात्रा में धनराशि खर्च की जाती है। इस अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए, क्षेत्रीय रेलें मेला अवधि के दौरान मेला स्थान को सेवित करने वाले कतिपय स्टेशनों पर 'मेला अधिभार' वसूला करती हैं। 25 फरवरी, 2013 तक कुम्भ मेले के दौरान (लगभग) 1.34 करोड़ रु. की राशि एकत्रित की गई है।

(घ) मेले की भीड़ की निकासी के लिए कुम्भ विशेष रेल गाड़ियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

दिनांक	स्टेशन का नाम	गाड़ियों की संख्या
1	2	3
10.02.2013 (मौनी अमावस्या)	इलाहाबाद जं.	36
	नैनी जं.	10
	प्रयाग	12
	इलाहाबाद सिटी	11
	कुल	69
11.02.2013	इलाहाबाद जं.	32
	नैनी जं.	09
	प्रयाग	10
	इलाहाबाद सिटी	05
	झुसी	09
	कुल	65
12.02.2013	इलाहाबाद जं.	19
	नैनी जं.	09
	प्रयाग	04
	वाराणसी	02

1	2	3
	इलाहाबाद सिटी	01
	झुसी	04
	मंडुवाडीह	03
	भटनी	01
	कुल	43
13.02.2013	इलाहाबाद जं.	06
	नैनी जं.	04
	प्रयाग	02
	मंडुवाडीह	02
	इलाहाबाद सिटी	01
	कुल	15
14.02.2013	इलाहाबाद	09
	नैनी जं.	01
	कुल	10
15.02.2013 (बसंत पंचमी)	इलाहाबाद जं.	25
	इलाहाबाद सिटी	02
	प्रयाग	04
	नैनी जं.	08
	कुल	39
16.02.2013	इलाहाबाद	19
	नैनी जं.	04

1	2	3
	मंडुवाडीह	01
	झुसी	01
	इलाहाबाद सिटी	02
	प्रयाग	01
	कुल	28
17.02.2013	इलाहाबाद जं.	10
	नैनी जं.	02
	झुसी	01
	इलाहाबाद सिटी	02
	प्रयाग	02
	कुल	17

कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे

1824. श्री रघुवीर सिंह मीणा :
श्री अर्जुन राय :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री पी.आर. नटराजन :
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :
श्री एम. कृष्णा स्वामी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पारेषण और वितरण (टीएंडडी) के कारण हुए विद्युत घाटे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस घाटे को न्यूनतम करने के लिए किए जा रहे उपाय क्या हैं;

(ख अन्य देशों की तुलना में अपने देश में हो रहे कुल तकनीकी और वा .ज्यिक (एटीएंडटी) घाटों का मौजूदा स्तर क्या है तथा इस

संबंध में घाटों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं;

(ग) '2012 तक सबको बिजली' योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं तथा क्या उक्त योजना शुरू होने के बावजूद देश की जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा अभी भी विद्युत रहित और व्यस्ततम समय में आपूर्ति बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो देश के सभी नागरिकों को व्यस्ततम समय में बिजली आपूर्ति कटौती को कम करने और बाधा रहित विद्युत आपूर्ति देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) सामान्य समीक्षा के अनुसार वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लिए पारेषण व वितरण (टीएंडडी) के कारण हुई विद्युत की हानि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

विद्युत एक समवर्ती विषय है तथा बिजली वितरण का दायित्व राज्यों का होता है। भारत सरकार उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से बिजली मुहैया कराने के राज्य सरकारों के प्रयास के अनुपूरण के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में काम करती है।

(ख) वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां 26.15% थीं जबकि उपलब्ध सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीएंडडी हानियां 6% से 8% तक हैं।

देश में वितरण क्षेत्र में सुधार करने के लिए और एटीएंडसी हानियां कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना बनाने तथा घरों को विद्युतीकृत करने के लिए अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)-कार्यक्रम प्रारंभ किया। योजना के तहत, 1,12,795 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) को विद्युतीकृत करने, 3,96,336 आंशिक रूप से विद्युतीकृत (पीईवी) गांवों का गहन विद्युतीकरण करने तथा गरीबी रेखा से नीचे के 2,74,98,652 घरों को नि:शुल्क बिजली के कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए 648 परियोजनाओं को मंजूर किया गया था। दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार, योजना के अंतर्गत 1,06,474 यूई गांवों, 2,87,827 पीई गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्य संपन्न हो गया है तथा गरीबी रेखा से नीचे के 2,05,15,472 घरों को नि:शुल्क बिजली के कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। आरजीजीवीवाई के तहत निर्धारित मार्च, 2012 तक एक लाख गांवों और गरीबी रेखा से नीचे के 1.75 करोड़ घरों को विद्युतीकृत करने का भारत निर्माण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 की अवधि के लिए व्यस्ततम विद्युत की कमी 9% रही है तथा ऊर्जा की कमी 8.8% रही।

देश में बिजली की मांग व आपूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि।

(ii) चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी।

(क) विद्युत परियोजनाओं की प्रगति में अवरोध क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा उनके तीव्र निराकरण के लिए माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री, सचिव, विद्युत मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जा रही है, ताकि परियोजनाओं को समय पर चालू किया जा सके।

(ख) अवरोध क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा अंतर्मंत्रालयी एवं अन्य बकाया मामलों के तीव्र निराकरण को सहज बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, योजना आयोग एवं केंद्रीय सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।

(iii) 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता का संवर्धन।

(v) वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के

लिए जल विद्युत, तापीय, नाभिकीय एवं गैस आधारित पावर स्टेशनों का समन्वित प्रचालन एवं अनुरक्षण।

(vi) तापीय पावर स्टेशनों को देशी स्रोतों से कोयला आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले के आयात पर बल देना।

(vii) पुरानी व अकुशल उत्पादन इकाइयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन-विस्तार।

(viii) उपलब्ध विद्युत के अधिकतम उपयोग के लिए अंतर्राज्यीय तथा अंतर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को सुदृढ़ करना।

विवरण-I

क्षेत्र	राज्य/यूटिलिटिज		2008-09	2009-10	2010-11
1	2		3	4	5
उत्तरी क्षेत्र	1.	हरियाणा	30.74	31.00	29.66
	2.	हिमाचल प्रदेश	15.51	20.52	22.22
	3.	जम्मू और कश्मीर	58.02	67.35	63.27
	4.	पंजाब	23.08	23.39	25.10
	5.	राजस्थान	31.47	29.99	27.87
	6.	उत्तर प्रदेश	30.94	33.15	34.01
	7.	उत्तराखंड	41.79	25.27	29.97
	8.	चंडीगढ़	22.36	23.19	20.25
	9.	दिल्ली	22.22	22.09	20.04
पश्चिमी क्षेत्र	1.	गुजरात	24.07	22.77	19.24
	2.	मध्य प्रदेश	38.46	38.32	37.62
	3.	छत्तीसगढ़	26.38	18.62	15.06
	4.	महाराष्ट्र	23.88	25.16	20.68
	5.	दादरा और नगर हवेली	15.57	11.22	10.14
	6.	गोवा	17.12	16.99	15.27
	7.	दमन और दीव	20.06	17.19	16.83

1		2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र	1.	आंध्र प्रदेश	19.56	18.37	16.59
	2.	कर्नाटक	17.03	18.76	17.34
	3.	केरल	13.16	19.59	18.29
	4.	तमिलनाडु	18.14	18.41	13.47
	5.	लक्षद्वीप	24.87	11.59	25.65
	6.	पुदुचेरी	12.24	11.84	12.41
पूर्वी क्षेत्र	1.	बिहार	46.37	43.58	50.77
	2.	झारखंड	24.27	22.24	17.07
	3.	ओडिशा	42.65	37.00	42.47
	4.	सिक्किम	38.80	39.01	33.67
	5.	पश्चिम बंगाल	16.79	18.33	22.40
	6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24.16	19.76	20.68
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1.	असम	37.59	32.82	34.17
	2.	मणिपुर	63.37	54.66	50.87
	3.	मेघालय	37.45	39.06	35.77
	4.	नागालैंड	58.30	56.91	48.24
	5.	त्रिपुरा	35.78	35.55	27.36
	6.	अरुणाचल प्रदेश	46.88	48.04	47.12
	7.	मिजोरम	52.70	53.80	45.63
		अखिल भारतीय	25.47	25.39	23.97

स्रोत: के.वि.प्रा. (सामान्य समीक्षा)

विवरण-II

देश में वितरण को सुधारने और विद्युत की एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

आरएपीडीआरपी

देश में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां कम करने और राज्य यूटिलिटियों के विद्युत वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) की शुरूआत की है। आरएपीडीआरपी में क्षेत्रों में सतत् एटी एंड सी हानि में कमी लाने में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर मुख्य बल दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं 2001 की जनगणना के अनुसार 30000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो भागों में ली जाती हैं। स्कीम का भाग(क) बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा निवेश 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा तथा सुपरवाइजरी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण (स्काडा) हेतु आईटी युक्त प्रणाली की स्थापना के लिए है जबकि भाग(ख) परियोजना शहरों में विद्युत अवसंरचना के उत्थान, वृद्धि तथा सुदृढ़ीकरण के लिए है।

आरएपीडीआरपी के अंतर्गत अब तक 32323.70 करोड़ रुपए [भाग-क 1402 शहरों तथा 63 शहरों में 63 स्काडा परियोजनाओं को शामिल करते हुए 6638.79 करोड़ रुपये, भाग(ख) 1132 नगरों में 25684.91 करोड़ रुपये] के मूल्य की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

यूटिलिटियों की रेटिंग

राज्य वितरण यूटिलिटियों के वित्तपोषण हेतु वित्तीय संसाधनों (एफआई)/बैंकों द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने राज्य वितरण यूटिलिटियों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया विकसित की है। एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया का समग्र उद्देश्य वितरण यूटिलिटियों को प्रोत्साहित/निरूत्साहित करने के लिए तंत्र तैयार करना है ताकि स्वयं सतत् प्रचालन के लिए वित्तपोषण समर्थन सहित सब्सिडी, इक्विटी समर्थन पर प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए उनके प्रचालन तथा वित्तीय निष्पादन को सुधारा जा सके विनियामक अनुपालन को सक्षम बनाया जा सके तथा संबंधित राज्य सरकारों को प्रभावित किया जा सके।

विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) का आदेश

विद्युत मंत्रालय ने सामान्य रूप से विद्युत क्षेत्र तथा विशेष रूप से वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति तथा दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुधारने के हित में उचित रूप से (यदि अपेक्षित हो तो स्वत: संज्ञान पर) टैरिफ को संशोधित करने के लिए राज्य विनियामक प्राधिकरणों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत दिशा-निर्देश जारी करने के लिए ''विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल'' से अनुरोध किया है।

विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) ने दिनांक 11 नवंबर, 2011 के अपने आदेश में राज्य विद्युत बोर्डों/डिस्काम की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा वितरण यूटिलिटियों के लंबित बकाया के निपटारे के लिए मदद देने की दृष्टि से राज्य आयोगों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वचालित ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन लागत, टैरिफ का स्वत: निर्धारण, यदि यूटिलिटी द्वारा याचिका दाखिल नहीं की गई है, वार्षिक लेखे की तैयारी भी शामिल है और एसईआरसी द्वारा कोई पिछला अंतर नहीं छोड़ा जाना है। विनियामक परिसंपत्तियां असाधारण परिस्थितियों में ही सृजित की जानी हैं और अधिकतम 3 वर्षों में परिसमाप्त किया जाना है।

मॉडल टैरिफ दिशा-निर्देश

राज्य विनियामक फोरम तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने मॉडल टैरिफ दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए संकल्प किया है, जिसमें टैरिफ के यौक्तिकीकरण के मामले का निपटारा किया गया है। एफओआर (विनियामक मंच) ने एसईआरसी को उन्हें अपनाने के लिए मॉडल टैरिफ दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं। अब राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से इन टैरिफ दिशा-निर्देशों को अपनाने और विनियम बनाने की अपेक्षा की गई है। मॉडल टैरिफ दिशा-निर्देशों का अपनाया जाना पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा यूटिलिटियों को ऋण के वितरण की एक पूर्व शर्त है।

राज्य वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन

राज्य डिस्काम के व्यवसाय को सक्षम बनाने तथा उनकी दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य स्वामित्व प्राप्त डिस्काम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम अधिसूचित की गई है। स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्तीय

तंत्र के माध्यम से समर्थन के साथ उनके ऋण के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय व्यवसाय की प्राप्ति हेतु राज्य डिस्काम तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं।

[अनुवाद]

रेलवे में निजी निवेश

1825. श्री के. शिव कुमार उर्फ जे.के. रितीश :
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पत्तन संपर्कता संहिता रेल संपर्कता परियोजनाओं/अवसंरचनाओं के लिए निजी निवेश पाने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु पहचान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा निजी क्षेत्र द्वारा उन पर निवेश की जाने वाली निधियां कितनी हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) तथाकथित पहचान की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन/पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (ग) रेल संपर्कता के निर्माण और सुदृढ़ीकरण और क्षमता आवर्धन के लिए एक नई नीति हाल ही में घोषित की गयी है। रेल मंत्रालय ने संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा पत्तन संपर्कता के लिए निम्न परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है:—

(i) सुरेंद्रनगर-पीपावाव आमान परिवर्तन परियोजना, (ii) हासन-मंगलोर आमान परिवर्तन परियोजना (iii) गांधीधाम-पालनपुर आमान परिवर्तन परियोजना, (iv) भरूच-दाहेज आमान परिवर्तन परियोजना, (v) ओबुलवरीपल्ले-कृष्णापटनम नई लाइन परियोजना।

पत्तन संपर्कता को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित स्वीकृत परियोजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा रहा है:—

(i) अंगुल-सुकिंदा नई लाइन, (ii) हरिदासपुर-पारादीप नई लाइन।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित परियोजनाओं को भी निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए पहचान की गयी है: (i) इंदापुर-दीघी पोर्ट (597 करोड़ रुपए), (ii) हमरपुर-रेवास पोर्ट (485 करोड़ रुपए), (iii) दिगनी-जयगढ़ पोर्ट (775 करोड़ रुपए), (iv) भद्रक-धमरा पोर्ट (760 करोड़ रुपए), (v) अस्त्रंगा पोर्ट तक रेल संपर्कता (750 करोड़ रुपए), (vi) गोथागांव-हजीरा पोर्ट (765 करोड़ रुपए), (vii) पालनपुर-समख्याली दोहरी लाइन (1266 करोड़ रुपए), (viii) सुर्जापुर-पर्सा कंटे कोयला खदान (457 करोड़ रुपए)।

निजी क्षेत्र ने उपरोक्त सभी परियोजनाओं में भागीदारी करने के लिए अपनी रूचि दर्शाई है।

(घ) निजी क्षेत्र द्वारा क्रियान्वयन योजना के अनुसार परियोजनाएं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा होने की आशा है।

(ङ) रेल मंत्रालय ने संयुक्त उद्यम के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में भूपदेवपुर-मेड कोलियारी (390 करोड रुपए) और गेवरा-पेंड्रा रोड (838 करोड़ रुपए) के बीच नई लाइन परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। किरणडुल-जगदलपुर लाइन (826 करोड़ रुपए) के दोहरीकरण को भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) की भागीदारी से किए जाने की भी योजना है।

उर्वरक सब्सिडी में कटौती

1826. शेख सैदुल हक :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री पूर्णमासी राम :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री जयराम पांगी :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी वित्त वर्ष 2013-14 में उर्वरक कटौती पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तत्संबंधी कारण उर्वरक-वार क्या हैं;

(ग) वर्तमान में उर्वरकों पर प्रदान की जा रही राजसहायता की राशि कितनी है और उस पर कितनी कटौती का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों जैसे कृषि और वित्त की राय ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने इस कटौती और उर्वरकों की अतिरिक्त लागत जो किसान वहन करेंगे का उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (छ) वर्तमान पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) योजना के तहत, शामिल सभी पीएण्डके उर्वरकों के लिए पोषण घटक के आधार पर राजसहायता की एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से घोषित की जाती है। उर्वरक विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, व्यय विभाग, योजना आयोग और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी), प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, पीएण्डके उर्वरकों के माल-सूची स्तर और देश में उनके मूल्य तथा विनिमय दर समेत सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए एनबीएस दरों के बारे में संस्तुतियां करती है। वर्ष 2013-14 के लिए राजसहायता की दर (विवरण संलग्न) पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार द्वारा पीएण्डके उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर राजसहायता दरों के प्रभाव पर विचार किया जाएगा। कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय समेत सभी संबंधित मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

तथापि, यूरिया हालांकि निश्चित एमआरपी पर उपलब्ध होता रहेगा और किसान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विवरण

क्र. सं.	पीएण्डके उर्वरकों के ग्रेड	प्रति टन राजसहायता (रुपए)
1.	डीएपी (18-46-0-0)	14350
2.	एमएपी (11-52-0-0)	13978
3.	टीएसपी (0-46-0-0)	10030
4.	एमओपी (0-0-60-0)	14400
5.	एसएसपी (0-16-0-11)	3676
6.	16-20-0-13	8419
7.	20-20-0-13	9379
8.	20-20-0-0	9161
9.	28-28-0-0	12825
10.	10-26-26-0	14309
11.	12-32-16-0	13697
12.	14-28-14-0	12825
13.	14-35-14-0	14351
14.	15-15-15-0	10471
15.	17-17-17-0	11867
16.	19-19-19-0	13263
17.	अमोनियम सल्फेट (20-6-0-0-23)	5330
18.	16-16-16-0	11169
19.	15-15-15-9	10622
20.	24-24-0-0	10993
21.	डीएपी लाइट (16-44-0-0)	13434

रुग्ण और घाटे वाले सीपीएसईएज़

1827. श्री पी.टी. थॉमस :
श्री प्रेमदास राय :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण और घाटे वाले केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन उद्यमों के पुनरुत्थान/पुनर्गठन के लिए सलाहकार रखे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन उद्यमों को घाटे से उबारने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(च) इन उद्यमों को प्रदान की जाने वाली कुल वित्तीय सहायता का सीपीएसई-वार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) दिनांक 26.2.2013 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011-12 में उपलब्ध सूचना और लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के गठन संबंधी दिनांक 06 दिसम्बर, 2004 के भारत सरकार के संकल्प के अंतर्गत दी गई "रुग्ण" की परिभाषा के अनुसार दिनांक 31.3.2012 (संलग्न विवरण-I) को 64 केन्द्रीय सरकारी उद्यम रुग्ण है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्संरचना के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु उत्तरदायी है और अपने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को उनकी पुनरुद्धार/पुनर्संरचना योजनाएं तैयार करने हेतु परामर्श देते हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यम स्वयं या सलाहकारों के माध्यम से अपने पुनरुद्धार/पुनर्संरचना योजनाएं तैयार कर सकते हैं। यदि कोई ऐसे सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं तो उनका ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता।

(घ) से (च) रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का पुनरुद्धार एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसी आशा की जाती है कि पुनरुद्धार योजना के बाद रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की कायापलट हो जाती है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के बाद सरकार ने अब तक 44 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अनुमोदित किया है जिसके लिए भारत सरकार से 27250 करोड़ रुपए (राशियों के रूप में 4825 करोड़ रुपए की नकद सहायता और ब्याज/ऋणों की माफी/समाप्त करने और ऋणों को इक्विटी में परिवर्तन आदि के रूप में और 22425 करोड़ रुपए की गैर-नकद सहायता) की सहायता ली जाएगी।(संलग्न विवरण-II)। 02 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों नामत: भारत कोकिंग कोल लि. और हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लि. के मामले में उनकी धारक कम्पनी कोल इंडिया लि. और हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. पुनरुद्धार योजना का क्रियान्वयन कर रही है। आज तक उन 15 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कायापलट जाने की घोषणा की जा चुकी है जो भारत सरकार की सहायता के बाद निरन्तर 03 वर्षों या इससे अधिक वर्षों से लाभ अर्जित कर रही है।

विवरण-I

दिनांक 31.03.2012 तक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	नगर/राज्य जहां केन्द्रीय सरकारी उद्यम का पंजीकृत कार्यालय स्थित है
1	2	3
	भारी उद्योग विभाग	
1.	हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड जयपुर (राजस्थान)	जयपुर (राजस्थान)

1	2	3
2.	टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
3.	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
4.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	बेल्लारी (कर्नाटक)
5.	नागालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमिटेड	तुली (नागालैंड)
6.	नेपा लिमिटेड नेपानगर	नागपुर (मध्य प्रदेश)
7.	रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड	मुम्बई (महाराष्ट्र)
8.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	बेंगलूरू (कर्नाटक)
9.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	इलाहाबाद (उत्तर रेलवे)
10.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड	विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)
11.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
12.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड	बेंगलूरू (कर्नाटक)
13.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	कोटा (राजस्थान)
14.	एचएमटी लिमिटेड	बेंगलूरू (कर्नाटक)
15.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
16.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कॉरपोरेशन लि.	ऊटामुंड (तमिलनाडु)
17.	सांभर साल्ट लिमिटेड	जयपुर (राजस्थान)
18.	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
	वस्त्र मंत्रालय	
19.	पक्षी, जूट और निर्यात लिमिटेड	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
20.	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड	कानपुर (उत्तर प्रदेश)
21.	नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली
22.	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
23.	एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड	कानपुर (उत्तर प्रदेश)

1	2	3
	उर्वरक विभाग	
24.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मनाली (तलिनाडु)
25.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	कोच्चि (केरल)
26.	फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नई दिल्ली
27.	हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड	नई दिल्ली
28.	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	नामरूप (असम)
	औषधि विभाग	
29.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	पुणे (महाराष्ट्र)
30.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
31.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	गुड़गांव (हरियाणा)
32.	ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	भुवनेश्वर (ओडिशा)
33.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड	चेन्नई (तमिलनाडु)
34.	बिहार ड्रग्स और कार्बनिक रसायन लिमिटेड	मुजफ्फरपुर (बिहार)
	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	
35.	हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन लिमिटेड	मुम्बई (महाराष्ट्र)
36.	हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
	कोयला मंत्रालय	
37.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	बर्दवान (पश्चिम बंगाल)
38.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	धनबाद (झारखंड)
	इस्पात मंत्रालय	
39.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
40.	जम्मू और कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	जम्मू और कश्मीर
	जहाजरानी मंत्रालय	
41.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

1	2	3
42.	हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
	रक्षा मंत्रालय	
43.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	दिल्ली
	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	
44.	भारत प्रतिरक्षाविज्ञानी और बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)
	जल संसाधन मंत्रालय	
45.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	दिल्ली
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
46.	बीको लॉरी लिमिटेड	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	
47.	हिंदुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड	नई दिल्ली
	रेल मंत्रालय	
48.	फ्रेश एवं हेल्दी उद्यम लिमिटेड	नई दिल्ली (दिल्ली)
49.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	पटना (बिहार)
50.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
	नागर विमानन मंत्रालय	
51.	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	मुम्बई (महाराष्ट्र)
52.	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	नई दिल्ली
53.	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	मुम्बई (महाराष्ट्र)
54.	नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	मुम्बई (महाराष्ट्र)
55.	होटल निगम इंडिया लिमिटेड	मुम्बई (महाराष्ट्र)
	दूरसंचार विभाग	
56.	आईटीआई लिमिटेड	बेंगलूरु (कर्नाटक)

1	2	3
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय	
57.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा देव. लिमिटेड	शिलांग (मेघालय)
	पर्यावरण और वन मंत्रालय	
58.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन एवं पादप कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
	पर्यटन मंत्रालय	
59.	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गुवाहाटी (असम)
60.	मध्य प्रदेश के अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भोपाल (मध्य प्रदेश)
61.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड	रांची (झारखंड)
62.	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पुरी (ओडिशा)
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
63.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	मुम्बई (महाराष्ट्र)
	वाणिज्य विभाग	
64.	एसटीसीएल लिमिटेड	बेंगलूरू (कर्नाटक)

विवरण-II

बीआरपीएसई द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों के संबंध में सरकार द्वारा अनुमोदित नकद एवं गैर-नकद सहायता

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	सहायता (करोड़ रुपए)		
		नकद#	गैर-नकद@	कुल
1	2	3	4	5
	भारी उद्योग विभाग			
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	4.28	73.30	77.58
2.	ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (इंडिया) लि.	60.00	42.92	102.92
3.	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन कं. लि.	—	54.61	54.61

1	2	3	4	5
4.	एचएमटी बियरिंग्स लि.	7.40	43.97	51.37
5.	प्रागा टूल्स लि.	5.00	209.71	214.71
6.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि.	102.00	1116.30	1218.30
7.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	184.29	1267.95	1452.24
8.	रिचर्डसन और क्रूडास लि.	—	—	—
9.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि.	—	—	—
10.	भारत पम्प्स और कम्प्रेसर्स लि.	3.37$	153.15	156.52$
11.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	723.00	157.80	880.80
12.	भारत हैवी प्लेट वेसल्स लि.	—	—	—$$
13.	एण्ड्रयू यूले एंड कं. लि.	87.06	457.14	544.20
14.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	48.36	549.36	597.72$$$
15.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	—	1018.45	1018.45&&
16.	नेपा लि.	234.18	634.94	869.12
17.	स्कूटर्स इंडिया लि.	90.38	111.58	201.96
	खान मंत्रालय			
18.	हिंदुस्तान कॉपर लि.	—	612.94	612.94
19.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.	—	104.64	104.64
	पोत-परिवहन मंत्रालय			
20.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	73.60	280.00	353.60
21.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	148.08	628.86	776.94
	रक्षा उत्पादन विभाग			
22.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.	452.68	372.22	824.90
	इस्पात मंत्रालय			
23.	मेकॉन लि.	93.00**	23.08	116.08
24.	भारत रिफ्रेक्टोरीज लि.	—	479.16	479.16

1	2	3	4	5
	वस्त्र मंत्रालय			
25.	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि.	39.23	—	39.23
26.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि.	338.04	108.93	446.97
27.	नेशनल जूट मेन्यूफेक्चर्स निगम लि.	517.33	6815.06	7332.39
	फार्मास्युटिकल्स विभाग			
28.	हिंदुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.	137.59	267.57	405.16
29.	बंगाल केमिकल्स और फार्मास्युटिकल्स लि.	207.19	233.41	440.60
	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग			
30.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	250.00	110.46	360.46
31.	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	—	267.29	267.29
	उर्वरक विभाग			
32.	फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	—	670.37	670.37
	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
33.	सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	—	16.28	16.28
	कोयला विभाग			
34.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	—*	—*	—*
	कृषि और सहकारिता विभाग			
35.	स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	21.21	124.42	145.63
	रेल मंत्रालय			
36.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि.	857.05	3222.46	4079.51
37.	भारत वेगन्स एंड इंजीनियरिंग कं. लि.	49.45	258.73	308.18
38.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	4.00	280.21	284.21
39.	बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लि.@@@	75.43	1139.16	1214.59
	जल संसाधन मंत्रालय			
40.	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.	—	219.43***	219.43***

1	2	3	4	5
	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय			
41.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.	—	128.00	128.00
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
42.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	3.00	28.40	31.40
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
43.	बीको लारी लि.	—	59.60	59.60
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय			
44.	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट्स कॉर्पोरेशन लि.	8.50	83.06	91.56
	कुल	4824.70	22424.92	27249.62

नकद सहायता में इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता शामिल है।

@ गैर-नकद सहायता में ब्याज/पैनल ब्याज/भारत सरकार का ऋण/गारंटी शुल्क की छूट, ऋण को इक्विटी/ऋण-पत्र में बदलना शामिल है।

* सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पुनरुद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 2470.77 करोड़ रुपए की गैर-नकद सहायता और कोल इंडिया लिमिटेड से वर्ष 2004-05 से 14 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के सेवा प्रभार की छूट शामिल है।

$ इसके अलावा ओएनजीसी और बीएचईएल क्रमशः 150 करोड़ रु. और 20 करोड़ रुपये की नकद सहायता प्रदान करेंगे।

** वीआरएस ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज सहायता अधिकतम 6.50 करोड़ रु. प्रतिवर्ष जारी रखे जाने को छोड़कर।

$$ मंत्रिमंडल ने बीएचपीवी का बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण करने को सिद्धांत रूप में इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया है कि बीएचपीवी का मूल्य निर्धारण स्थापित सिद्धांतों के आधार पर विवेकसम्मत ढंग से किया जाएगा और यदि अधिग्रहण व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, तो मामले को पुनः मंत्रिमंडल के सम्मुख लाया जाए।

&& संसद ने कंपनी का सरकारी उद्यम स्वरूप बदलने के लिए टायर कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि. (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक 2007 अनुमोदित कर दिया है। तुलन पत्र संतुलित करने के बाद विनिवेश।

*** इसके अतिरिक्त सरकार ने आज की तारीख तक भारत सरकार के ऋणों पर देय एवं संचित ब्याज की इक्विटी पूंजी में परिवर्तित करने तथा मूल्य के 10% का पुनः अवलेखन करने का भी अनुमोदन कर दिया है।

$$$ प्रौद्योगिकी उन्नयन और परिवर्तन हेतु बीएचईएल से ब्याजमुक्त 30 करोड़ रु. अग्रिम लेना जिसका भुगतान बीएचईएल के क्रय आदेशों की आपूर्ति के एवज में किया जाएगा। वर्ष 2008-09 से अगले दिन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के आरंभ में बीएचईएल से आईएलके को 25 करोड़ रुपये की ब्याजमुक्त अग्रिम राशि जिसका समायोजन बीएचईएल को उसी वर्ष में की जाने वाली आपूर्ति में किया जाएगा।

@@@ भारी उद्योग विभाग से स्थानांतरित किया गया। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड की रिफ्रेक्टरी यूनिट को इस्पात मंत्रालय के अधीन सेल में हस्तांतरित किया गया था।

विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

1828. **श्री यशवंत लागुरी :**
श्री एस. अलागिरी :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों की स्थापना और अन्य उद्देश्यों के लिए भू-अधिग्रहण के कारण विस्थापित परिवारों के लिए कोई नीति या प्रावधान का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) से (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार, भूमि तथा इसका प्रबंधन एकांतिक रूप से राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा ही किया जाता है। भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वासन और पुनर्स्थापन संबंधी विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए, इस विभाग ने एक संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एनआरआरपी) नीति, 2007 तैयार की है जिसे 31 अक्तूबर, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था और इसे इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा विभिन्न संघशासित प्रदेशों को प्रचालित कर दिया गया था। इस नीति में प्रभावित परिवारों के लाभों के लिए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना की विस्तृत व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

आर.ओ. जल प्रणाली

1829. **श्री कामेश्वर बैठा :**
श्री पूर्णमासी राम :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोतलबंद पानी की कमी को देखते हुए राजस्थान सहित देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर आर.ओ. जल प्रणाली लगाने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात और बिहार सहित देशभर में पहचान किए गए ऐसे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को विशेष दर्जा

1830. **श्री देवजी एम. पटेल :**
श्री पूर्णमासी राम :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण विकासजल मिशन (एनआरडीडब्ल्यूएम) के अधीन बिहार, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु को विशेष दर्जा देते हुए अतिरिक्त निधि का आबंटन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के तहत जारी होने वाली अतिरिक्त निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को निधियों का विनिधान अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, किया गया है। बचत की उपलब्धता, और राज्यों की और अधिक निधियां उपयोग करने की क्षमता तथा व्यय करने की प्रवृत्ति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष के अंत में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त विनिधान और पर्याप्त मात्रा में निधियां अवमुक्त की जाती हैं। वर्ष 2012-13 में राज्यों को अवमुक्त की गई अतिरिक्त निधियों का विवरण इस प्रकार से है:—

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अवमुक्त की गई अतिरिक्त राशि (करोड़ रु.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	66
2.	त्रिपुरा	31
3.	हरियाणा	76
4.	पंजाब	45
5.	गुजरात	150
6.	तमिलनाडु	178
	कुल	546

[अनुवाद]

रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण

1831. श्री राजू शेट्टी :
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा :
श्री के. सुधाकरण :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर-कोडागू, पानीपत-हरिद्वार वाया मेरठ, कैथल-करनाल वाया निसिंवग, थालासेरी-मैसूर, कोल्हापुर-वैभववादी, बाड़मेर-कांडला वाया सांचौर, जालौर-फालना, सीतापुर-लखनऊ खंडों पर रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त खंडों पर रेल लाइन बिछाने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ग) उक्त खंडों पर रेल लाइन बिछाने के काम में तेजी लाने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) से (ग) स्थिति नीचे दी गई है:—

क्र.सं.	सर्वेक्षण	स्थिति
1	2	3
1.	मैसूर-कोडगु	कोडगु के रास्ते थलस्सेरी-मैसूर के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
2.	मेरठ के रास्ते पानीपत-हरिद्वार	पानीपत-मेरठ (104 किमी.) सर्वेक्षण पूरा हो गया है और परियोजना के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया था। बहरहाल, योजना आयोग ने प्रस्ताव को वापिस कर दिया है। मेरठ-मुजफ्फरनगर लाइन पहले से ही मौजूद है। रूड़की के रास्ते मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक सर्वेक्षण पूरा हो गया था और मुजफ्फरनगर से रूड़की के बीच कार्य को बजट 2007-08 में शामिल किया गया था। रूड़की-हरिद्वार को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।
3.	निसिंग के रास्ते कैथल-करनाल	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। लाइन की अलाभप्रद प्रकृति को देखते हुए इस प्रस्ताव को शुरू नहीं किया गया है।
4.	थलस्सेरी-मैसूर	कोडगु के रास्ते थलस्सेरी-मैसूर के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
5.	कोल्हापुर-वैभववाडी	कोल्हापुर-राजापुर सर्वेक्षण शुरू हो गया है। वैभववाड़ी, कोंकण रेलवे से लगभग 20 किमी. दूर राजापुर का समीपवर्ती स्टेशन है।
6.	संचोर के रास्ते बाड़मेर-कांडला	भभर-कांडला के लिए लाइन पहले ही मौजूद है। बाड़मेर-भभर के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच शुरू कर दी गई है।
7.	जालोर-फलना	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

1	2	3
8.	सीतापुर-लखनऊ	सीतापुर-लखनऊ के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और कार्य स्वीकृत है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। कार्य को पूरा करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

*1832. **श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नए विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापना लक्ष्य को 78,700 मे.वा. से घटाकर 62,000 मे.वा. कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) योजना आयोग ने ग्यारहवीं योजना के लिए मूल रूप से 78,700 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था। तथापि, योजना आयोग द्वारा किए गए मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) के दौरान ग्यारहवीं योजना अवधि में विद्युत परियोजनाओं के चरण और निर्माण की गति और उनके चालू किए जाने की संभावना, को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवीं योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य को संशोधित करके 62,374 मेगावाट कर दिया गया था।

वैज्ञानिकों का प्रतिभा पलायन

1833. **श्री नारेनभाई काछादिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व के विभिन्न हिस्सों में बसे प्रतिभावान भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षक पारिश्रमिक देकर अध्येतावृत्ति देने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश से प्रतिभा पलायन की स्थिति को कम करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करने और स्वदेशी अनुसंधान कार्यक्रम के लिए विश्व के विभिन्न भागों में बसे हुए भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए अध्येतावृत्ति सहित अनेक पहलें कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

I. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत में कार्य अवसरों का पता लगाने के लिए विदेश में कार्यरत अनुसंधानकर्त्ताओं एवं वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दो योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए दुनिया भर के प्रतिभावान वैज्ञानिकों एवं अभियंताओं को आकर्षित करने के लिए "रामानुजन अध्येतावृत्ति": रामानुजन अध्येता देश में किसी वैज्ञानिक संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में कार्य कर सकते हैं और वे भारत सरकार की विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी एजेंसियों की एक्सट्राम्यूरल वित्तपोषण योजनाओं के जरिए नियमित अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। रामानुजन अध्येतावृत्ति की अवधि पांच वर्ष है। अध्येतावृत्ति की राशि पांच वर्षों के लिए प्रतिमाह 75000 रुपए है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अध्येता प्रतिवर्ष 5.00 लाख रुपए का अनुसंधान अनुदान प्राप्त करना है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक विदेश में कार्यरत भारतीय मूल के 184 वैज्ञानिकों को यह "अध्येतावृत्ति" दी गई है।

(ii) वर्ष 2011-12 के दौरान आरंभ अनुसंधान जीवन वृत्तियों के लिए सुनिश्चित अवसर योजना के अंतर्गत "अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवोन्मेष" (इंस्पायर) संकाय पुरस्कार के तहत 32 वर्षों से कम उम्र के एवं विश्व में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाओं से डॉक्टोरल

अनुसंधान कार्य पूरा करने वाले वैज्ञानिकों को अवसर उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक "इंस्पायर संकाय पुरस्कार पाने वाले" को 5 वर्षों के अनुसंधान अनुदान के रूप में 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष की अध्येतावृत्ति राशि के रूप में एक आईआईटी के सहायक प्रोफेसर के वेतनमान के बराबर समेकित राशि मिलती है। इसकी शुरुआत से अब तक, पीएचडी उपाधि वाले अनिवासी भारतीय सहित भारतीय मूल के 33 अभ्यर्थियों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

II. जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत में कार्य अवसरों का पता लगाने के लिए विदेश में कार्यरत अनुसंधानकर्त्ताओं एवं वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए तीन योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) वेलकम-डीबीटी इंडिया एलायंस: जैव चिकित्सीय अनुसंधान अध्येतावृत्ति जीवनवृत्ति कार्यक्रम: डीबीटी ने पोस्ट डॉक्टोरल स्तर पर जैव चिकित्सीय अनुसंधान संबंधी त्रि-स्तरीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वेलकम ट्रस्ट (डब्ल्यूटी) डीबीटी इंडियन एलायंस के रूप में कार्यरत है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वेलकम ट्रस्ट ने 10 वर्षों की अवधि के लिए 8 मिलियन पौंड स्टलिंग उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अध्येतावृत्ति वित्तपोषण कार्यक्रम भारत में जीवनवृत्ति संबंधी अवसरों की तलाश करने के लिए विदेशों में कार्यरत योग्य वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। अब तक 64 अध्येतावृत्ति पुरस्कार प्रदान किये गये है। जिनमें से 30 पुरस्कार श्रेष्ठ विदेशी प्रयोगशालाओं के लिए है और ये अब विभिन्न भारतीय संस्थानों में स्थित है।

(ii) रामलिंगास्वामी पुन: प्रवृष्ट अध्येतावृत्ति: यह योजना विदेशी - संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में कार्यरत और अपने अनुसंधान कार्य को संचालित करने के लिए भारत आने के इच्छुक वैज्ञानिकों के लिए डीबीटी द्वारा वर्ष 2006 में आरंभ की गई है। वह अध्येतावृत्ति आरंभ में 5 वर्षों की अवधि के लिए दी जाती है और की गई प्रगति के अनुसार नये मूल्यांकन के आधार पर अन्य कार्यकाल के लिए भी विचार किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 75000 रुपए प्रतिमाह (समेकित) की अध्येतावृत्ति राशि, 7500 रुपए प्रतिमाह का मकान किराया भत्ता और 5.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष का अनुसंधान/आकस्मिक अनुदान मिलता है। इस वर्ष (2012-13) से प्रथम वर्ष के लिए अनुसंधान/आकस्मिक अनुदान को 5.00 लाख रुपए और तृतीय वर्ष के लिए 5.00 लाख रुपए कर दिया गया है। अब तक विगत पांच बैचों में 147 वैज्ञानिकों को चयनित किया गया है और विदेशी प्रयोगशालाओं के 102 अध्येताओं को विभिन्न भारतीय प्रायोजक संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस वर्ष (2012-13), 136 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 50 अभ्यर्थियों के चयन के लिए समीक्षा की जा रही है।

(iii) युवा अन्वेषक वार्ता (वाईवाईएम): इसे भारत में उपलब्ध कार्य के विभिन्न अवसरों के विदेशी प्रयोगशालाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए भारत एवं विदेश में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। विगत 4 वर्षों में अब तक भारत में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 45 युवा अन्वेषक वार्ता अभ्यर्थियों ने इस संकाय में सफलता प्राप्त की है। इनमें से 20 अन्वेषकों को विभिन्न भारतीय अध्येतावृत्ति, यथा डीबीटी - वेलकम ट्रस्ट, रामानुजन अध्येतावृत्ति, रामलिंगास्वामी पुन: प्रवृष्टि अध्येतावृत्ति दी गई है।

III. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों (एसटीआईओ) जिन्हें उत्कृष्ट वैज्ञानिक, एसटीआईओ का पदनाम दिया गया है, को आकर्षित करने के लिए योजना की अवधारण तैयार की एवं कार्यान्वित किया है। उन्हें निर्धारित

सीएसआईआर प्रयोगशाला में नियुक्त किया जाता है ताकि विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र में अनुसंधान क्षेत्र को विकसित कर सके।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार भारतीय शैक्षिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं में कार्य करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने के लिए अधिक अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), मोहाली एवं बेंगलूरू में तीन प्रमुख नई योजना आरंभ की है; और भारत में कार्य करने के लिए विदेश में कार्यरत उत्तम भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त अवसर एवं अनुकूलन वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अपनी संस्था तथा अन्य कार्यक्रमों का विस्तार किया है।

[हिन्दी]

ब्रेल लिपि

1834. श्री रमाशंकर राजभर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के मद्देनजर रेलवे बोगियों पर ब्रेल लिपि स्टिकर चिपकाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य कौन से उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) जी, हां। यात्रा के दौरान दृष्टिबाधित यात्रियों के आवागमन को सरल बनाने और उनकी सूचना हेतु रेल डिब्बों पर ब्रेल स्टीकर लगाने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) डिब्बों पर लगाए जाने वाले ऐसे विशिष्ट ब्रेल स्टीकरों के लिए विशिष्टियों का विकास सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै कर रही है।

इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक उपाय के रूप में प्लेटफार्म के किनारों पर ऐसे स्टीकर लगाने की योजना है ताकि दृष्टिहीन यात्रियों को सुविधा हो सके।

मुंबई उप-नगरीय प्रणाली में दृष्टिहीन व्यक्तियों की सुविधा के लिए विकलांग डिब्बे की स्थिति बताने के लिए प्लेटफार्म पर ऑडियो बजर की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

एमएसएमई योजनाएं

1835. कुमारी मौसम नूर : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसएमई के विकास हेतु प्रचलित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पश्चिम बंगाल सहित देश में परम्परागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु निधियों की योजना (एसएफयूआरटीआई) की स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान एसएफयूआरटीआई के अंतर्गत विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) देश में कार्यरत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या संबंधी सूचना क्षेत्र की आवधिक रूप से अखिल भारतीय गणना संचालित करके एकत्र की जाती है। नवीनतम गणना (चौथी गणना) संचालित की गई थी (आधार संदर्भ वर्ष 2006-07), जिसमें 2009 तक आंकड़े संग्रहित किए गए थे और 2011-12 में परिणाम प्रकाशित किए गए थे। चौथी गणना में शामिल न किए गए कार्यकलापों अर्थात् थोक/फुटकर व्यापार, विधि, शैक्षणिक एवं सामाजिक सेवाएं, होटल एवं रेस्तरां, परिवहन एवं भंडारण और वेयरहाउसिंग (शीत भंडारण के अलावा) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित चौथी गणना एवं आर्थिक गणना 2005 के अनुसार पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार देश में एमएसएमई की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) एमएसएमई के विकास के लिए योजनाएं/कार्यक्रम अन्य के साथ क्रेडिट, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास से संबंधित हैं। कार्यान्वित की जा रही कुछ प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

(ii) क्रेडिट गारंटी योजना

(iii) निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग योजना

(iv) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना

(v) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम

(vi) एमएसएमई को कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम

(vii) एमएसएमई क्लस्टरों को आधारभूत संरचना और सामान्य सुविधा केन्द्र उपलब्ध कराना

(viii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से कच्चा माल और विपणन सहयोग उपलब्ध कराना

(ix) एमएसएमई को विपणन विकास सहायता सहयोग

(ग) चूंकि ये योजनाएं केन्द्रीय योजनाएं हैं अत: राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है और औद्योगिक इकाइयों/क्लस्टरों की मांग पर आधारित हैं। तथापि विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कॉयर बोर्ड 2005-06 से पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) नामक एक क्लस्टर आधारित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत 29 खादी, 47 ग्रामोद्योग तथा 25 कॉयर क्लस्टरों को समुन्नत उपकरण, सामान्य सुविधा केन्द्र, व्यवसाय विकास सेवाएं, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, डिजाइन एवं विपणन सहयोग आदि प्रदान करके विकसित करने हेतु लिया गया है। पश्चिम बंगाल में एक कॉयर, दो खादी और तीन ग्रामोद्योग क्लस्टर विकसित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्फूर्ति के तहत राज्य-वार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण-I

एमएसएमई के राज्य-वार वितरण की संख्या: 2006-07

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्यमों की संख्या (लाख)
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	3.01
2.	हिमाचल प्रदेश	2.87
3.	पंजाब	14.46
4.	चंडीगढ़	0.49
5.	उत्तराखंड	3.74
6.	हरियाणा	8.66
7.	दिल्ली	5.52
8.	राजस्थान	16.64
9.	उत्तर प्रदेश	44.03
10.	बिहार	14.70
11.	सिक्किम	0.17
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.41
13.	नागालैंड	0.39
14.	मणिपुर	0.91
15.	मिजोरम	0.29
16.	त्रिपुरा	0.98
17.	मेघालय	0.88
18.	असम	6.62
19.	पश्चिम बंगाल	34.64
20.	झारखंड	6.75

1	2	3
21.	ओडिशा	15.73
22.	छत्तीसगढ़	5.20
23.	मध्य प्रदेश	19.33
24.	गुजरात	21.78
25.	दमन और दीव	0.06
26.	दादरा और नगर हवेली	0.09
27.	महाराष्ट्र	30.63
28.	आंध्र प्रदेश	25.96
29.	कर्नाटक	20.19
30.	गोवा	0.86
31.	लक्षद्वीप	0.02
32.	केरल	22.13
33.	तमिलनाडु	33.13
34.	पुदुचेरी	0.35
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.14
	अखिल भारतीय	361.76

विवरण-II

पीएमईजीपी के तहत केवीआईसी द्वारा प्रदत्त राज्य-वार मार्जिन मनी सब्सिडी

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13#
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	1820.00	2544.81	2780.57	1667.62
2.	हिमाचल प्रदेश	567.79	1374.78	1141.28	1449.79
3.	पंजाब	1290.13	1833.28	1695.61	845.70
4.	चंडीगढ़	0.00	63.98	0.00	135.38
5.	उत्तराखंड	332.94	1120.18	1123.74	989.59
6.	हरियाणा	1066.22	1887.82	1396.25	949.02
7.	दिल्ली	-150.00@	173.83	213.02	368.98
8.	राजस्थान	1125.77	4401.64	3684.10	3368.62
9.	उत्तर प्रदेश	9739.75	13848.08	18851.45	14789.65
10.	बिहार	900.00	3504.32	7417.30	7234.44
11.	सिक्किम	270.00	173.77	0.00	216.09

1	2	3	4	5	6
12.	अरुणाचल प्रदेश	351.43	248.00	349.25	290.74
13.	नागालैंड	350.00	466.00	695.46	1049.83
14.	मणिपुर	300.00	0.00	630.42	1057.31
15.	मिजोरम	327.40	306.00	508.00	362.26
16.	त्रिपुरा	350.00	811.25	2868.06	362.62
17.	मेघालय	606.01	515.00	833.42	597.44
18.	असम	1635.00	5538.00	4035.14	3307.01
19.	पश्चिम बंगाल	7200.00	6719.17	5581.67	3663.22
20.	झारखंड	300.00	1562.68	3620.64	3396.37
21.	ओडिशा	3422.13	4949.26	4220.87	7937.60
22.	छत्तीसगढ़	1952.54	2983.58	3182.97	4456.87
23.	मध्य प्रदेश	709.91	5440.13	5172.54	9831.73
24.	गुजरात*	234.52	3042.54	6101.97	3140.04
25.	महाराष्ट्र**	3150.15	4793.82	4730.07	6875.53
26.	आंध्र प्रदेश	6159.93	7443.94	5568.30	3595.43
27.	कर्नाटक	1979.34	3696.02	3863.96	3718.84
28.	गोवा	136.59	391.71	215.22	387.68
29.	लक्षद्वीप	0.00	77.00	0.00	0.00
30.	केरल	1245.20	3164.19	2910.66	1632.70
31.	तमिलनाडु	3930.61	4389.80	7383.44	3584.58
32.	पुदुचेरी	6.57	85.64	164.32	17.00
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33.76	171.83	83.22	149.75
	कुल	51343.69	87722.05	101022.92	91429.43

*दमन और दीव सहित।

**दादरा और नगर हवेली सहित।

#जनवरी, 2013 तक।

@धीमे उपयोग के कारण यह राशि 2008-09 के व्यय न किए गए शेष से हटा ली गई थी और अन्य राज्यों को पुर्नवितरित कर दी गई थी।

विवरण-III

केवीआईसी और कॅयर बोर्ड द्वारा स्फूर्ति के तहत प्रदान की गई राज्य-वार निधियां

(हजार रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	3220	4977	2800
2.	हिमाचल प्रदेश	180	1265	1325
3.	पंजाब	6950	1347	1005
4.	उत्तराखंड	4496	2406	719
5.	हरियाणा	540	486	1427
6.	राजस्थान	2737	1930	811
7.	उत्तर प्रदेश	4658	2689	3436
8.	बिहार	540	2850	2180
9.	सिक्किम	180	2320	1560
10.	अरुणाचल प्रदेश	180	1710	500
11.	नागालैंड	1210	528	804
12.	मणिपुर	360	2941	1911
13.	मिजोरम	180	1737	500
14.	त्रिपुरा	1460	5697	1274
15.	मेघालय	180	1294	500
16.	असम	1640	3242	1271
17.	पश्चिम बंगाल	5593	5593	2077
18.	झारखंड	396	2415	3345
19.	ओडिशा	360	5581	2065
20.	छत्तीसगढ़	180	4508	200
21.	मध्य प्रदेश	360	2000	1380
22.	गुजरात	280	675	530
23.	महाराष्ट्र	3106	6080	1203
24.	आंध्र प्रदेश	4452	6544	4250
25.	कर्नाटक	7356	2887	4073
26.	लक्षद्वीप	128	90	0
27.	केरल	9248	13231	455
28.	तमिलनाडु	9711	18413	4486
29.	पुदुचेरी	1108	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	608	1600	0
	अखिल भारतीय	71597	107036	46087

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण संपर्क

1836. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत कितने गांव शामिल किए गए तथा कितने गांवों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लंबित है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत पूर्वोक्त लंबित डीपीआर के कब तक पूरा होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए बनाई गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कोर नेटवर्क के तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली (2001 की जनगणना के अनुसार) तथा पर्वतीय राज्यों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथा-निर्धारित) और गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत निर्धारित किए गए 82 चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली (2001 की जनगणना के अनुसार) सड़क संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। खेतों से बाजार तक पूर्ण रूप से संपर्क मुहैया कराने के लिए चुनिंदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन भी इस योजना का उद्देश्य है किंतु इसे कार्यक्रम में प्रमुखता नहीं दी गई है। इसलिए योजना के अधिदेश के अनुसार, राज्यों द्वारा तैयार किए गए कोर नेटवर्कों में पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार शामिल की गई सभी सड़क संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए उन्हें पीएमजीएसवाई में शामिल किया जाता है।

(ख) से (घ) राज्यों द्वारा किए गए प्राक्कलनों और दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत सड़क संपर्क विहीन 178184 पात्र बसावटों को कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की बसावटें भी शामिल हैं। मंत्रालय ने सड़कों से न जुड़ी 126,973 पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और जनवरी, 2013 तक सड़क संपर्क विहीन 89,905 पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। 51,211 सड़क संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने के परियोजना प्रस्तावों पर मंत्रालय विचार करेगा। राज्यों द्वारा इन प्रस्तावों को तैयार करने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान देते हुए पीएमजीएसवाई को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में राज्य की संस्थागत और निविदात्मक क्षमता, सर्वेक्षण और निगरानी तंत्र के आधार पर राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

मनरेगा के तहत मजदूरी को भुगतान

1837. श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी की दरों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने योजना के तहत संशोधित मजदूरी के संबंध में केन्द्र सरकार के फार्मूला से सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने संशोधित मजदूरी पर आपत्ति करके विरोध जताया है;

(ङ) उक्त आपत्तियों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से योजना के तहत मजदूरों को मजदूरी के भुगतान आदि में विलंब करने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किये गये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की धारा 6(1) के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में दिनांक 26.02.2013 की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत संशोधित मजदूरी दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2013 से लागू होंगी और इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) मनरेगा की धारा 6(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार को मनरेगा के तहत मजदूरी दरें अधिसूचित करने की शक्ति दी गई है। राज्य सरकारों द्वारा अकुशल कृषि मजदूरों के लिए 1.12.2008 तक नियत की गई मजदूरी दर को ही अपनाते हुए जनवरी, 2009 में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर के रूप में अधिसूचित किया गया। यही मजदूरी पर दिनांक 1.4.2013 को लागू होने वाले संशोधन सहित मजदूरी दरों में हुए सभी संशोधनों का आधार रही है। मजदूरी दरों में संशोधन के इस सूत्र पर किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कोई आपत्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(च) और (छ) इस मंत्रालय को देश में मनरेगा के कार्यान्वयन के विषय में सभी प्रकार की शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैं।

इस अधिनियम की शुरुआत से 15.2.2013 तक मजदूरी के भुगतान में विलंब की 52 शिकायतें इस मंत्रालय को प्राप्त हुई हैं। इन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है। चूंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं के जरिए किया जाता है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त ऐसी सभी शिकायतें/मामले कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवाइजरी जारी करके भुगतान में विलंब के मामलों की रोकथाम करने को कहा गया है। प्रशासनिक देरी को कम करने के लिए मजदूरी के भुगतान की समय-सारणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाई गई है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संशोधित मजदूरी दर (रु.)
1	2	3
1.	असम	152.00 रु.
2.	आंध्र प्रदेश	149.00 रु.
3.	अरुणाचल प्रदेश	135.00 रु.
4.	बिहार	138.00 रु.
5.	गुजरात	147.00 रु.
6.	हरियाणा	214.00 रु.
7.	हिमाचल प्रदेश— गैर-अनुसूचित क्षेत्र	138.00 रु.
7(क)	हिमाचल प्रदेश— अनुसूचित	171.00 रु.
8.	जम्मू और कश्मीर	145.00 रु.
9.	कर्नाटक	174.00 रु.
10.	केरल	180.00 रु.
11.	मध्य प्रदेश	146.00 रु.
12.	महाराष्ट्र	162.00 रु.
13.	मणिपुर	153.00 रु.
14.	मेघालय	145.00 रु.
15.	मिजोरम	148.00 रु.
16.	नागालैंड	135.00 रु.
17.	ओडिशा	143.00 रु.
18.	पंजाब	184.00 रु.
19.	राजस्थान	149.00 रु.
20.	सिक्किम	135.00 रु.
21.	तमिलनाडु	148.00 रु.
22.	त्रिपुरा	135.00 रु.
23.	उत्तर प्रदेश	142.00 रु.
24.	पश्चिम बंगाल	151.00 रु.
25.	छत्तीसगढ़	146.00 रु.
26.	झारखंड	138.00 रु.
27.	उत्तराखंड	142.00 रु.
28.	गोवा	178.00 रु.
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (अंडमान)	198.00 रु.
29(क)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (निकोबार)	210.00 रु.
30.	दादरा और नगर हवेली	175.00 रु.
31.	दमन और दीव	150.00 रु.
32.	लक्षद्वीप	166.00 रु.
33.	पुदुचेरी	148.00 रु.
34.	चंडीगढ़	209.00 रु.

विवरण-II

मजदूरी के भुगतान में देरी की शिकायतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भुगतान में देरी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	4
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	2
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	0
13.	केरल	0
14.	लक्षद्वीप	0
15.	मध्य प्रदेश	7
16.	महाराष्ट्र	1
17.	मणिपुर	0
18.	मेघालय	0
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैंड	0
21.	ओडिशा	3
22.	पंजाब	1
23.	पुदुचेरी	0
24.	राजस्थान	5
25.	तमिलनाडु	0
26.	त्रिपुरा	0
27.	उत्तर प्रदेश	15
28.	उत्तराखंड	2
29.	पश्चिम बंगाल	3
30.	सिक्किम	0
	कुल	52

[हिन्दी]

जोनों/मंडलों का पुनर्गठन

1838. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश में जोनों और मंडलों के पुनर्गठन का और दक्षिण मध्य रेलवे के नानदेड़, मुडखेड और धर्मबाद के मंडल रेल प्रबंधकों को मध्य रेल में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जोन/मंडल के क्षेत्राधिकार का निर्णय किसी क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखे बगैर जोन की संरचना में मंडलों की भौगोलिक निकटता, यातायात का सुगम संचलन, बेहतर नियंत्रण प्रदान करने और कुशलता बढ़ाने के लिए परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाता है।

इस प्रकार के सभी प्रासंगिक मुद्दों के आधार पर भारतीय रेल का पुर्नगठन पहले ही वर्ष 2002 और 2003 के दौरान किया गया है और वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

[अनुवाद]

असम में एआईबीपी योजनाओं की स्थिति

1839. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान असम में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अधीन शुरू की गई योजनाओं का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं में प्रत्येक के लिए स्वीकृत और जारी निधियों और उक्त अवधि के दौरान उनके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है और यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और विलंबित योजनाओं को कब तक पूरा कर दिया जाएगा; और

(घ) क्या एआईबीपी के अधीन असम के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा विशेष जोर दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरिश रावत) : (क) और (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान असम की किसी भी वृहत, मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, विगत पांच वर्षों के दौरान असम की 5 चालू एमएमआई परियोजनाओं को एआईबीपी के तहत जारी केन्द्रीय सहायता का स्कीम-वार, वर्ष-वार और किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 5 चालू स्कीमों में से एक स्कीम पूरी कर ली गई है। विगत पांच वर्षों के दौरान असम की 102,320 और 505 सतही लघु सिंचाई स्कीमों को क्रमश: 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में एआईबीपी के तहत शामिल किया गया है। उपर्युक्त सतही लघु सिंचाई स्कीमों का स्कीम-वार, वर्ष-वार विवरण और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां। विलम्बित एमएमआई स्कीमों का विवरण और विलम्ब के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है और सतही लघु सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण असम सहित राज्यों के लिए XIIवीं योजना हेतु प्रस्तावों में सुझाए गए सुधारों में ही आता है।

विवरण-I

विगत पांच वर्षों के दौरान एआईबीपी के तहत असम की वृहत, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा (2007-08 से 2011-12)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	शामिल करने का वर्ष	विगत पांच वर्षों के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता (2007-08 से 2011-12 तक)					विगत पांच वर्षों के दौरान किया गया व्यय (2007-08 से 2011-12 तक)				
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	पहुमारा सी	1996-97	1.2600	1.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	3.15	पूर्ण		
2.	धनश्री	1996-97	5.2900	59.1170	0.0000	49.5000	0.0000	12.770	23.964	59.117	6.109	*
3.	चम्पामती	1996-97	0.000	0.0000	12.0040	0.0000	40.5000	3.100	2.000	13.429	1.000	*
4.	बोरोलिया	1996-97	4.320	6.4800	0.0000	0.0000	6.4650	3.50	8.30	4.62	2.58	*
5.	जमुना सिंचाई सी का आधुनिकीकरण	2001-02	4.320	15.7630	0.0000	0.0000	0.0000	4.5	22.883	2.000	पूर्ण	

*राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण।

विवरण-II

विगत पांच वर्षों के दौरान एआईबीपी के तहत असम की एमआई स्कीमों को जारी किए गए और उपयोग किए गए अनुदानों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	शामिल की गई एमआई स्कीमों की संख्या	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		जारी अनुदान	उपयोग की गई निधियां	जारी अनुदान	उपयोग की गई निधियां	जारी अनुदान	उपयोग की गई निधियां	जारी अनुदान	उपयोग की गई निधियां	जारी अनुदान	उपयोग की गई निधियां
1.	102	36.7033	36.7033	65.466	65.466	11.3905	11.3905	एनए	*	एनए	*
2.	320	एनए	*	204.333	204.333	244.3789	244.3789	317.8860	317.8860	60.5910	60.5910
3.	505	एनए	*	एन.ए.	*	322.20	322.20	39.0170	39.0170	317.1546	40.4999

एनए - कोई केन्द्रीय अनुदान जारी नहीं किया गया।

* - केन्द्रीय अनुदान के विरुद्ध निधियों का उपयोग शून्य है क्योंकि उस वर्ष के दौरान कोई केन्द्रीय अनुदान जारी नहीं किया गया।

विवरण-III

एआईबीपी के तहत परियोजनाओं के विलम्ब होने का कारण

क्र. सं.	योजना का नाम	शामिल करने का वर्ष	समझौता ज्ञापन के अनुसार पूरा होने का वर्ष	01.04.2012 की स्थिति के अनुसार टाइम ओवर रन	विलम्ब का कारण
1.	धनश्री	1996-97	2012-13	12 वर्षों का विलम्ब	अशांत क्षेत्र
2.	चम्पामती	1996-97	2012-13	12 वर्षों का विलम्ब	भूमि अधिग्रहण की समस्या, कानून-व्यवस्था की समस्या
3.	बोरोलिया	1996-97	2012-13	12 वर्षों का विलम्ब	निधि की कमी, भूमि अधिग्रहण की समस्या, कानून-व्यवस्था की समस्या
4.	बुढ़ी दीहिंग	1997-98	2012-13	12 वर्षों का विलम्ब	निधि की कमी और कार्य करने का सीमित मौसम

विवरण-IV

एआईबीपी के तहत असम की विलंबित सतही लघु सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा

क्र. सं.	शामिल एमआई स्कीमों की संख्या	शामिल करने का वर्ष	पूरा होने का लक्षित वर्ष	विलंबित एमआई स्कीमों की संख्या	पूरा करने की संशोधित तारीख	विलंब का कारण
1.	320	2008-09	मार्च, 2011	42	मार्च, 2013	कानून-व्यवस्था की समस्या और राज्य द्वारा अपर्याप्त बजट रखा जाना।
2.	505	2009-10	31.3.2012	384	मार्च, 2014	कानून-व्यवस्था की समस्या और राज्य द्वारा अपर्याप्त बजट रखा जाना।

उर्वरकों के उपयोग में कमी

1840. श्री नीरज शेखर :
श्री भक्त चरण दास :
श्री यशवीर सिंह :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में देश में विभिन्न उर्वरकों की मांग कितनी है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हाल के वर्षों के दौरान उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण वर्तमान वर्ष के दौरान किसानों द्वारा उर्वरकों का उपयोग कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि देश में किसानों को घटिया गुणवत्ता के उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (फरवरी, 2013 तक) के दौरान विभिन्न उर्वरकों यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके) की मांग को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) यूरिया की बिक्री पिछले वर्ष की 290.37 लाख मी. टन की तुलना में कुछ अधिक 295 लाख मी. टन रहने की संभावना है। फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की बिक्री पिछले वर्ष की 225.48 लाख मी. टन की तुलना में 159.74 लाख मी. टन रहने की संभावना है, जिसमें वर्ष 2012-13 के लिए जनवरी से मार्च, 2012 तक के महीनों में रखा गया लगभग 31 लाख मी. टन का पूर्व-स्टॉक भी शामिल है। इस प्रकार खपत/बिक्री समान स्तर पर रहने की संभावना है।

(ग) बिक्री का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

(घ) उर्वरक विभाग पीएण्डके उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत योजना में शामिल पीएण्डके उर्वरकों के लिए उनमें निहित पोषक तत्व के आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर किया जाता है। एनबीएस नीति के अंतर्गत पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी को खुला रखा गया है और पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादक और आयातक पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी युक्तिसंगत स्तर पर नियत करते हैं।

पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों में उतार-चढ़ाव, रुपए/डॉलर की विनिमय दर में विभिन्नता और लागत के अन्य तत्व आदि शामिल हैं। यूरिया की एमआरपी सरकार द्वारा तय की जाती है।

(ङ) और (च) सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) भारत में उत्पादित/आयातित और विपणित उर्वरकों की गुणवत्ता उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के अंतर्गत शामिल है। इस आदेश में किसी ऐसे उर्वरक के बिक्री हेतु उत्पादन/आयात, बिक्री, बिक्री का प्रस्ताव, बिक्री के लिए स्टॉक अथवा प्रदर्श अथवा वितरण करने की मनाही है जो विहित मानक के अनुसार न हो।

(ii) राज्य सरकारों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के तहत उर्वरकों की मानक गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूने लेने के पर्याप्त अधिकार दिए हैं।

(iii) उर्वरक विभाग राज्य सरकारों को उर्वरकों की आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नियमित रूप से सलाह देता रहता है ताकि किसानों को केवल अच्छी गुणवत्ता के उर्वरक ही उपलब्ध हों।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े लाख मी. टन)

राज्य	वर्ष	यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित उर्वरक		
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	2009-10	27.50	26.16	25.95	9.75	8.89	8.85	6.60	6.07	6.01	20.50	18.69	18.15
	2010-11	28.50	31.73	31.30	11.00	10.40	10.30	6.60	6.09	6.04	20.50	22.12	21.88
	2011-12	31.00	29.87	29.34	12.30	10.93	10.39	6.60	4.44	3.82	22.30	25.73	23.58
कर्नाटक	2009-10	13.75	13.77	13.77	8.20	8.46	8.46	5.15	6.12	6.08	11.20	10.95	10.76
	2010-11	14.00	14.28	14.28	8.60	8.46	8.42	5.65	4.24	4.14	11.20	13.78	13.51
	2011-12	14.60	14.53	14.45	8.75	9.40	9.06	5.65	3.82	3.64	13.10	17.34	16.40
केरल	2009-10	1.63	1.53	1.53	0.35	0.30	0.30	1.54	1.57	1.54	1.90	2.12	2.05
	2010-11	1.90	1.44	1.44	0.35	0.42	0.41	1.55	1.58	1.56	2.50	2.28	2.22
	2011-12	1.90	1.50	1.49	0.47	0.44	0.41	1.80	1.51	1.42	2.55	2.20	1.99
तमिलनाडु	2009-10	11.50	9.98	9.98	4.25	2.94	2.94	5.84	5.14	5.12	4.00	6.18	6.13
	2010-11	11.50	10.23	10.15	4.25	3.20	3.19	5.84	4.74	4.72	4.25	6.91	6.83
	2011-12	11.50	10.47	10.45	4.30	3.84	3.71	5.31	4.27	4.16	6.61	8.75	7.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
गुजरात	2009-10	18.75	18.21	18.12	8.00	7.64	7.62	2.30	2.86	2.69	4.72	4.20	4.01
	2010-11	19.50	21.26	21.19	8.40	8.11	8.09	2.30	2.02	2.02	4.83	6.62	6.55
	2011-12	22.75	21.26	21.18	8.80	6.99	6.80	2.30	1.75	1.72	5.10	7.32	7.08
मध्य प्रदेश	2009-10	15.25	16.00	15.93	8.50	9.52	9.47	1.20	1.67	1.43	3.55	2.48	2.43
	2010-11	16.75	17.05	16.92	10.00	10.94	10.92	1.45	1.36	1.33	3.69	3.55	3.52
	2011-12	17.50	18.16	17.86	10.95	11.89	10.57	1.65	0.93	0.75	4.05	5.33	4.66
छत्तीसगढ़	2009-10	5.48	5.27	5.27	1.77	2.65	2.65	0.84	0.96	0.90	1.42	1.04	1.04
	2010-11	5.70	5.56	5.54	2.84	2.41	2.41	1.06	0.96	0.94	1.40	1.32	1.32
	2011-12	6.25	6.30	6.30	2.90	2.71	2.58	1.15	0.85	0.83	1.54	2.21	197.00
महाराष्ट्र	2009-10	24.75	22.87	22.87	12.50	13.83	13.82	5.60	7.07	7.06	14.00	11.25	11.13
	2010-11	25.25	25.52	25.51	16.70	14.35	14.31	6.75	6.52	6.37	14.80	17.98	17.92
	2011-12	27.50	25.67	25.43	17.25	12.69	12.22	6.40	4.26	3.99	18.30	20.86	19.74
राजस्थान	2009-10	15.10	13.37	13.15	6.50	5.86	5.85	0.35	0.55	0.42	1.37	0.78	0.78
	2010-11	15.60	15.73	15.70	7.00	7.20	7.16	0.55	0.35	0.28	1.18	1.40	1.37
	2011-12	16.25	17.58	16.90	7.30	7.33	7.07	0.50	0.25	0.23	1.76	1.54	1.40
हरियाणा	2009-10	19.65	18.05	17.95	7.00	6.66	6.66	0.52	0.90	0.90	0.45	0.48	0.48
	2010-11	19.65	18.75	18.38	7.20	7.40	7.37	0.70	0.66	0.66	0.55	0.69	0.69
	2011-12	19.75	19.45	19.15	7.20	8.45	8.32	0.75	0.48	0.46	0.85	0.79	0.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पंजाब	2009-10	25.50	24.65	24.46	8.50	8.08	8.06	0.91	1.00	1.08	0.55	0.57	0.55
	2010-11	26.00	27.61	27.17	9.25	9.04	9.01	1.06	1.06	0.96	0.70	1.05	1.03
	2011-12	26.00	28.50	28.25	10.15	10.08	9.66	1.06	0.73	0.69	1.00	1.30	1.19
उत्तर प्रदेश	2009-10	55.00	53.64	53.08	17.00	16.51	16.49	2.85	3.47	3.43	8.50	9.47	9.40
	2010-11	57.60	55.08	54.51	19.60	17.71	17.64	3.70	2.17	1.92	9.45	10.61	10.30
	2011-12	58.00	59.12	58.05	19.65	18.76	18.15	4.00	1.82	1.80	11.25	12.86	11.26
उत्तराखंड	2009-10	2.15	2.33	2.33	0.40	0.38	0.38	0.13	0.04	0.04	0.45	0.41	0.40
	2010-11	2.20	2.24	2.23	0.40	0.28	0.28	0.09	0.05	0.05	0.50	0.57	0.57
	2011-12	2.40	2.51	2.50	0.33	0.39	0.38	0.09	0.04	0.04	0.71	0.53	0.50
जम्मू और कश्मीर	2009-10	1.40	1.22	1.22	0.78	0.48	0.48	0.26	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00
	2010-11	1.50	1.28	1.27	0.85	0.81	0.81	0.36	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
	2011-12	1.45	1.20	1.19	0.85	0.67	0.65	0.35	0.09	0.08	0.00	0.00	0.00
बिहार	2009-10	19.00	17.04	17.03	4.50	3.98	3.97	2.10	2.26	2.26	3.10	2.68	2.68
	2010-11	19.50	16.96	16.94	4.75	4.60	4.59	2.30	2.00	1.97	3.35	3.14	3.11
	2011-12	20.75	18.16	18.11	5.00	4.72	4.41	2.45	1.29	1.26	3.75	4.03	3.56
झारखंड	2009-10	2.05	1.50	1.50	1.15	0.82	0.82	0.15	0.17	0.17	0.50	0.69	0.68
	2010-11	2.10	1.36	1.35	1.10	0.66	0.65	0.15	0.08	0.06	0.85	0.36	0.36
	2011-12	2.60	2.19	2.16	1.25	0.71	0.68	0.34	0.06	0.06	1.08	0.52	0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ओडिशा	2009-10	5.75	4.61	4.59	2.25	2.24	2.21	1.70	1.31	1.27	3.00	2.28	2.24
	2010-11	5.75	4.74	4.57	2.50	2.20	2.19	1.90	1.36	1.32	3.00	2.33	2.31
	2011-12	6.40	5.28	5.10	2.60	1.90	1.73	2.05	0.92	0.83	3.14	3.46	3.12
पश्चिम बंगाल	2009-10	13.00	11.71	11.71	4.80	4.56	4.55	4.15	4.97	4.97	7.50	8.39	8.39
	2010-11	13.00	11.26	11.26	5.10	4.64	4.62	4.00	3.29	3.23	8.25	8.95	8.76
	2011-12	13.25	12.76	12.74	5.10	5.05	4.76	4.00	3.08	3.01	9.00	8.96	8.13
असम	2009-10	2.60	2.56	2.56	0.35	0.22	0.22	1.26	0.97	0.97	0.06	0.06	0.06
	2010-11	2.60	2.50	2.50	0.60	0.29	0.27	1.30	0.96	0.96	0.05	0.11	0.11
	2011-12	3.00	2.68	2.68	0.60	0.37	0.28	1.40	0.94	0.91	0.27	0.07	0.05
अखिल भारत	2009-10	281.90	265.97	264.48	106.98	104.09	103.92	43.85	47.60	46.74	87.73	83.38	82.03
	2010-11	290.79	284.62	282.23	120.92	113.09	112.87	47.80	39.83	38.91	92.00	104.39	102.98
	2011-12	305.16	298.65	294.77	126.16	117.44	111.95	48.27	31.64	29.91	107.36	124.27	113.93

विवरण-II

वर्ष 2012 (अप्रैल 12 से फरवरी, 13) (अनुमानित) पहले से रखे गए स्टॉक सहित उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े लाख मी. टन)

राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीके		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	31.50	27.39	26.36	11.80	7.49	5.52	6.45	3.65	2.60	21.75	19.96	15.82
कर्नाटक	14.20	13.04	12.53	8.50	5.72	3.15	5.25	2.88	2.27	13.40	10.74	7.64
केरल	1.97	1.29	1.27	0.44	0.29	0.21	1.84	1.00	0.84	2.44	1.67	1.47
तमिलनाडु	10.99	8.79	8.57	4.36	2.33	2.10	5.17	2.29	2.09	6.49	6.39	5.16
गुजरात	22.65	18.07	17.40	8.40	4.93	3.02	1.90	0.81	0.73	5.25	5.55	3.71
मध्य प्रदेश	18.42	19.55	17.95	11.48	13.73	9.02	1.40	1.01	0.72	4.34	2.90	2.09
छत्तीसगढ़	6.80	6.60	5.49	3.07	2.98	1.87	1.18	0.98	0.60	1.70	1.32	0.93
महाराष्ट्र	26.25	21.36	20.39	14.87	8.73	5.93	5.85	3.45	2.77	18.01	14.92	10.91
राजस्थान	16.61	17.82	17.21	7.18	7.08	5.42	0.48	0.15	0.12	1.55	0.85	0.80
हरियाणा	19.75	20.32	18.64	7.00	8.62	6.09	0.71	0.21	0.19	0.93	0.26	0.24
पंजाब	25.70	28.71	25.45	7.95	10.19	8.39	1.01	0.43	0.33	1.45	0.48	0.37
हिमाचल प्रदेश	0.63	0.68	0.62	0.00	0.00	0.00	0.06	0.07	0.06	0.45	0.23	0.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जम्मू और कश्मीर	1.42	1.28	0.90	0.83	0.58	0.40	0.34	0.15	0.11	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	59.00	62.05	56.20	18.05	24.99	19.05	3.40	1.54	1.23	11.28	7.70	6.34
उत्तराखंड	2.36	2.39	2.28	0.33	0.33	0.24	0.08	0.05	0.04	0.55	0.39	0.31
बिहार	20.60	19.39	18.72	4.90	5.93	4.80	2.25	1.51	1.01	3.60	3.47	2.60
झारखंड	2.64	1.94	1.78	1.23	0.59	0.46	0.32	0.07	0.03	1.24	0.26	0.26
ओडिशा	6.00	4.97	4.63	2.70	1.35	1.22	1.88	0.75	0.66	3.89	2.40	1.87
पश्चिम बंगाल	12.28	13.17	11.21	4.93	4.60	3.63	3.63	2.85	1.85	7.61	8.35	7.40
असम	2.94	2.37	2.31	0.60	0.30	0.24	1.36	0.71	0.48	0.21	0.06	0.05
अखिल भारत	304.30	291.91	270.58	119.83	110.83	80.84	45.03	24.66	18.84	106.69	88.06	68.30

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बॉयोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बॉयोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8489/15/13]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8490/15/13]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8491/15/13]

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8492/15/13]

(3) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[श्री अश्विनी कुमार]

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8493/15/13]

(5) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8494/15/13]

(7) (एक) नेशनल जूडिशियल अकादमी, इंडिया, भोपाल के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूडिशियल अकादमी, इंडिया, भोपाल के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8495/15/13]

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8496/15/13]

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदया, आपकी अनुमति से अपने सहयोगी श्री के.एच. मुनियप्पा की ओर से मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8497/15/13]

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : महोदया, आपकी अनुमति से, श्री सचिन पायलट की ओर से, मैं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 93(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एक बैंककारी कम्पनी को उक्त अधिनियम की धारा 5 और 6 के उपबंधों के प्रयोग से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8498/15/13]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8499/15/13]

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (भूमि का विकास तथा अन्य संकर्म) विनियम, 2012 जो 31 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 57(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल (वैगन की ओवरलोडिंग के लिए दंडात्मक प्रभार) (संशोधन) नियम, 2012 जो 17 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 898(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8500/15/13]

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी, विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) की 233वें प्रतिवेदन में सिफारिशों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति ने लोक सभा में 20 दिसम्बर, 2012 को अपना 233वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण अनुबंध में संलग्न है जिसे सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति दी जाये।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8501/15/13]

अपराह्न 12.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन

*सभा पटल पर रखे माने गए।

मामले सभा पटल पर रखे जायेंगे। सदस्य जिन्हें, आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को, सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रखे दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जायेंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए मानदंडों में छूट दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) **:** मैं सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ओर आकर्षिक करना चाहता हूं। सरकार द्वारा शुरू की गई यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसे जनता द्वारा भी सराहा गया है। मेरा संसदीय क्षेत्र विषय भौगोलिक परिस्थितियों वाला पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी सीमाएं चीन व नेपाल से लगती हैं। प्रशासनिक त्रुटियों के कारण वहां से सुदूरवर्ती गांवों को मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ दिखा दिया जाता है जबकि वास्तविकता में वह बने ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उनको बनवाने के लिए संशोधन की एक जटिल प्रक्रिया है जिसके कारण वे मार्ग वर्षों तक लंबित पड़े रहते हैं। जैसे पौड़ी जिले के कल्जीखाल ब्लॉक में ही दो गांव है — थापली और थापला। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत थापली की तो सड़क बन गई परंतु गलत रिपोर्ट के कारण जिसमें थापला को जुड़ा हुआ दिखाया गया, वह मार्ग अभी तक लंबित है। इस प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र के दर्जनों गांव मार्ग निर्माण से वंचित है। चमोली जिले में सल्ड से मोवारी, कपकोट से धीमी गांव किराई, कपकोट से दयाली कुरौली, कपकोट से गदेरा, कपकोट से सामा तथा जीवई से बीरांगणा मार्ग इसी प्रकार से अटके हुए हैं। जिलाधिकारी की आख्या को ही आधार मानकर इस प्रकार त्रुटिपूर्ण संयोजित दिखाए गए असंयोजित मार्गों का निर्माण प्रमुखता से होना चाहिए।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के मार्गों का शीघ्र निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संशोधन मानकों का सरलीकरण करें जिससे इन मार्गों का शीघ्र निर्माण हो सके।

(दो) महाराष्ट्र में नागभीड़ और नागपुर के बीच रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गढ़चिरोली-चिमूर) **:** महाराष्ट्र राज्य का गढ़चिरोली चिमुर संसदीय क्षेत्र एक अति पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत नागभीड़ से नागपुर छोटी रेलवे लाइन जो चन्द्रपुर व नागपुर जिलों से होकर गुजरती है, की दूरी मात्र 106 कि.मी. है। इस छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने हेतु विगत काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित नहीं किया गया है। इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित नहीं किए जाने से आदिवासी पिछड़े क्षेत्र के लोगों को गोंदिया, भंडारा, चन्द्रपुर, मुम्बई सहित अनेक बड़े शहरों में आवागमन की सुविधा सुलभ होगी।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह नागभीड़-नागपुर छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) **:** मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच विकास व आर्थिक/सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरा संसदीय क्षेत्र दलित, अन्य पिछड़ा समुदाय व मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र में शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है। मुस्लिम समुदाय के बच्चे शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे मदरसों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन मदरसों और शिक्षकों की स्थिति धन के अभाव में बद से बदतर हो रही है। शिक्षकों को समय पर मानदेय नहीं मिलने के कारण वह भुखमरी के कगार पर है। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मदरसा आधुनिकीकरण योजना (एसपीक्यूईएम) का उत्तर प्रदेश के क्रियान्वयन नहीं किया गया है। आज की मदरसों के शिक्षक मामूली मानदेय से अपना गुजारा करने के लिए मजबूर हैं और इस मानदेय के लिए उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता है। इस संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों के शिक्षक लगातार अपने हकों के लिए आवाज उठाते आए हैं, मेरे संसदीय क्षेत्र बहराइच के मदरसों के शिक्षक

भी स्थाई नियुक्ति हेतु आंदोलन कर रहे हैं और अन्य शिक्षक संस्थानों की तरह मासिक वेतन की मांग कर रहे हैं।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि अविलंब मदरसों के आधुनिकीकरण योजना को क्रियान्वयन किए जाने हेतु कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि इन करोड़ों शिक्षकों एवं उनके परिवार भुखमरी से उबर सकें और मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

(चार) सड़क राज्य परिवहन निगमों को आम उपभोक्ता के समान किफायती दरों पर डीजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. सुधाकरण (कन्नूर) : मैं सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी कम करने के प्रयासों की सराहना करता हूं। हाल ही में डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने एक साथ कीमतों में वृद्धि करने की बजाय प्रति माह मामूली वृद्धि का रास्ता अपनाया। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल आम आदमी के अधिक काम आता है। डीजल का उपयोग वस्तुओं, सब्जियों और नाशवान वस्तुओं की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जिस पर आम आदमी यात्रा के लिए निर्भर रहता है में भी किया जाता है। तथापि सरकार ने खुदरा केन्द्रों को सड़क राज्य परिवहन निगमों की बसों, जो आम जनता को रेल जैसी सस्ती सुविधाओं से जोड़ती हैं, को सब्सिडी युक्त डीजल की आपूर्ति करने से मना कर दिया है और उन्हें थोक उपभोक्ता (बल्क कंसूयमर) की श्रेणी में डाल दिया है। यदि सड़क राज्य परिवहन स्वयं खुदरा केन्द्रों में हर सुबह लाइन लगा कर घंटों खड़े रहेंगे तो अजीब स्थिति पैदा हो जायेगी और आम आदमी को परेशानी होगी। हाल में डीजल की कीमतों में वृद्धि ने सड़क राज्य परिवहन निगमों के कार्य प्रचालन को बुरी तरह प्रभावित किया है क्योंकि केरल जैसे कुछ सड़क राज्य परिवहन पहले ही वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। डीजल कीमतों में वृद्धि को कवर अप करने के लिए यदि ये निगम बस किरायों में वृद्धि करते हैं तो उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन निगमों को आम उपभोक्ताओं के समान खुदरा केन्द्रों पर किफायती दरों पर डीजल उपलब्ध करा उन्हें थोक उपभोक्ता (बल्क कंसूयमर) की श्रेणी से अलग कर दिया जाए ताकि वे जनता की सेवा कर सकें।

(पांच) डेंगू को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों, विशेष रूप से तिरुनेलवेली को चिकित्सा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बु (तिरुनेलवेली) : पिछले कुछ वर्षों में भारत में विशेष रूप से दक्षिण तमिलनाडु में डेंगू से असंख्य जानें गई हैं। इस राज्य में तिरुनेलवेली सबसे अधिक डेंगू प्रभावित क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय देशों में डेंगू जन स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। विश्व की लगभग 40% आबादी (2.5 बिलियन) जिनमें सर्वाधिक बच्चों को इस बीमारी से खतरा है। इससे शरीर में प्लैटलैट्स कम हो जाते हैं। अधिकांश लोगों में तो बीमारी के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। डेंगू हैमरैजिक फीवर में मृत्यु दर बहुत अधिक है। वर्ष 2012 में, तमिलनाडु में डेंगू से लगभग 35 लोगों की मौत हो गई।

मेरे जिले में चिकुनगुनिया भी फैला हुआ है। अधिकतर बूढ़े लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ठीक हो जाने के बाद भी वे इस बीमारी के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं।

मेरे जिले में इन बीमारियों से प्रभावित रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों तथा सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, टीके, डॉक्टर, स्वास्थ्य परिचारक आदि उपलब्ध कराए जाने चाहियें। नगर निगमों को पूरे नगर में स्प्रे करने के लिए कीट नाशक पर्याप्त मात्रा में प्रदान किये जायें। इसके अतिरिक्त स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय टीम तुरंत वहां भेजी जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रभावित लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। इन रोगों से लड़ने के लिए राज्य सरकारों को भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करायी जाए।

चूंकि यह अत्यंत गंभीर मामला है, अत: इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाने चाहियें। इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में मैं केन्द्र सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु के दक्षिण जिलों में डेंगू से निपटने के लिए सभी आवश्यक चिकित्सीय और वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।

(छह) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मदरसों के शिक्षकों की नौकरियों को नियमित करने के साथ-साथ उन्हें वेतन प्रदान कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में काफी तादाद में अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या है परंतु उनकी साक्षरता का स्तर अन्य वर्गों की अपेक्षा बहुत ही कम हैं जिसके कारण इनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास नहीं हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रतापगढ़ जिले के मदरसों में हिन्दी, गणित, विज्ञान एवं सामान्य विषय के कार्यरत शिक्षकों को गत तीन वर्षों से लगातार वेतन नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा सुविधा दिलाये जाने के कार्य में उत्साह नहीं है एवं शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्य में दिक्कत आ रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक वेतन पैकेज के तहत शिक्षकों के वेतन मुहैया करवाता है। गत तीन वर्षों से इस पैकेज को नहीं दिया गया है जिसके कारण इन शक्षिकों को वेतन नहीं मिल पाया है जिनके कारण इन शिक्षकों के 48 हजार परिवारों के सदस्य आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मदरसों के इन शिक्षकों को नियमित किया जाये और गत तीन सालों का भुगतान हेतु वेतन पैकेज उपलब्ध करवाया जाये।

(सात) ओएनजीसी द्वारा असम के तेल क्षेत्रों में तेल उत्पादन में तेजी लाने के लिए जरूरी उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी) : तेल और प्राकृतिक गैस निगम अपनी स्थापना के समय से ही असम के तेल क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हाल ही में ओएनजीसी को असम में विभिन्न तेल क्षेत्रों से तेल के उत्पादन में सुधार करने हेतु असम नवीकरण परियोजना के लिए 2400 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। ओएनजीसी का लक्ष्य असम नवीकरण परियोजना के अंतर्गत 3 टीएमसी कच्चा तेल उत्पादन करना था। हालांकि, 2400 करोड़ रुपये में से बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है परन्तु कच्चे तेल का उत्पादन उतना ही रहा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस मामले पर विचार करें और असम में तेल उत्पादन में तेजी लाने के लिए कदम उठायें।

(आठ) अहमदाबाद, गुजरात में एक नया ईएसआई मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), नई दिल्ली ने ईएसआई अस्पताल, नरोदा, अहमदाबाद में एक नया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एक प्रस्ताव गुजरात सरकार को प्रस्तुत किया है। ईएसआईसी ने दिनांक 14.07.2008 के पत्र द्वारा गुजरात सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। किन्तु उसके पश्चात् ईएसआईसी ने वक्ष रोग ईएसआई अस्पताल, नरोदा और अहमदाबाद में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के नए स्थल का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया था परन्तु जहां नए मेडिकल की स्थापना की जानी थी उस स्थान की भूमि का नगर निगम, अहमदाबाद द्वारा वि-आरक्षण किए जाने की आवश्यकता थी। एक टोकन राशी में ईएसआईसी के लिए भूमि का वि-आरक्षण कर दिया गया और गुजरात सरकार ने दिनांक 24.09.2008 के अपने आदेश के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया था। गुजरात सरकार ने ईएसआईसी से नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने जो कि आज तक नहीं हुआ है, की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। अच्छी और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत पूरी करने, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य-व्यय, एचडीआई में सुधार, मातृ मृत्यु-दर/शिशु मृत्यु-दर नियंत्रण इत्यादि का इष्टतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्पेशलिस्ट/सुपर स्पेशलिस्ट की व्यवस्था करने हेतु एमबीबीएस सीटों की संख्या की कमी को पूरा करने के लिए अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु गुजरात राज्य एक उपयुक्त मामला है। अत: मैं माननीय श्रम और रोजगार मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में युद्धस्तर पर कार्रवाई करें और शीघ्रातिशीघ्र अहमदाबाद में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापन करें।

(नौ) झारखंड में संथाल परगना के पाकुड़, दुमका और देवघर जिलों के विकास में तेजी लाने के लिए इन जिलों को एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : झारखंड के 17 जिले एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत हैं और इन्हें अतिरिक्त धन मिल रहा है। इसके अतिरिक्त 250 से अधिक की आबादी वाले क्षेत्रों को प्रधानमंत्री ग्राम

सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, संथाल परगना के तीन जिलों – पाकुड़, दुमका और देवघर को सुरक्षा से जुड़े खर्च वाले जिलों में परिवर्तित कर दिया गया है। ये तीन जिले नक्सलियों का केंद्र बन गए हैं और इन जिलों में शरण लिए हुए बांग्लादेश और नेपाल के नक्सलियों ने इन जिलों के लोगों में भय और आंतक का वातावरण बना दिया है।

ऐसी परिस्थितियों में, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि कम-से-कम उक्त जिलों को एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत शामिल करें और एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर इन एसआरई जिलों को भी दी जाएं।

(दस) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ियों में बच्चों की बढ़ी हुई दरों के अनुसार भोजन दिए जाने तथा आंगनवाड़ियों में रसोइयों के मानदेय में भी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट) : भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन मिशन रूप में किया जा रहा है। जिसमें तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जिलों को इसमें सम्मिलित किया जाना है। मिशन अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय मापदंडों में बढ़ोत्तरी की गई है। इन मापदंडों में महत्वपूर्ण घटक पोषण आहार मद भी सम्मिलित हैं। वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में एक समान पोषण आहार मीनू अनुसार प्रदान किया जाता है। मिशन अंतर्गत प्रथम वर्ष में प्रदेश के चयनित 30 जिलों में नवीन बढ़े हुए वित्तीय मानदंड अनुसार पोषण आहार प्रदान किया जाना है। जबकि शेष जिलों में पूर्व प्रचलित दर से पोषण आहार प्रदान किया जाएगा। पोषण आहार पद आंगनवाड़ी केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो हितग्राहियों को आंगनवाड़ी केंद्र के प्रति आकर्षित करता है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले रसोइयों को बहुत कम ही मानदेय प्रदान किए जा रहे हैं।

अत: भारत सरकार से यह मांग है कि प्रथम चरण से ही प्रदेश के समस्य 50 जिलों में पोषण आहार की संशोधित दर लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाये एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले रसोइयों का मानदेय को महंगाई के अनुरूप वृद्धि की जाये/बढ़ाई जाए।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, नोएडा में मैसर्स देवू मोटर्स के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर) : उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा में स्थित मैसर्स देवू मोटर्स, जो व्हीकल्स एवं ऑटो पार्टस के व्यापार में संलग्न थी, में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते थे। इस कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में हजारों श्रमिक प्रभावित होकर बेरोजगार हो चुके हैं।

इस कंपनी से गरीब श्रमिकों की आजीविका जुड़ी हुई थी, मगर अब ये गरीब श्रमिक भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं और उनकी आजीविका का सहारा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रमिकों के हितों के लिए बनाए गए केंद्रीय श्रम प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना की गयी है, जो उचित नहीं है। श्रम संबंधी केन्द्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप इन गरीब श्रमिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह श्रम संबंधी केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप गरीब श्रमिकों के हितों की रक्षा किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(बारह) तमिलनाडु में धर्मापुरी जिले में एमपीलैड्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : तमिलनाडु के धर्मापुरी, का जिला प्रशासन एमपीलैड्स के अंतर्गत संस्तुत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति अनिच्छुक है। कई मामलों में, संस्तुत परियोजनाओं हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियों में अत्यधिक विलंब हुआ है। अनेक मामलों जिनमें पहले कार्य आरंभ किया गया था, में अनुचित दबाव के कारण कार्य बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन एमपीलैड्स के अंतर्गत नयाचार का पालन नहीं कर रहा है। जिला प्रशासन ने जिला कलैक्ट्रेट परिसर में संसद सदस्य को कार्यालय उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। अत:, मैं सरकार से इस संबंध में समुचित कार्यवाही करने और बिना किसी विलंब के एमपीलैड्स के अंतर्गत संस्तुत कार्य आरंभ करने और उसे शीघ्रत: पूरा करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) महाराष्ट्र में भीषण सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभनी) : वर्ष 2003 से भीषण कृषि संकट के कारण महाराष्ट्र के लगभग 15 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस समय राज्य में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति है। जालना दशक के भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। वहां बिल्कुल पानी नहीं है। महिलाओं को सड़कों पर जल के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और सड़कों पर पानी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। खेडगांव में कई सप्ताह से टैंकर नहीं आए हैं। क्षेत्र में बहुत से ग्रामीण लोग अपने घरों पर ताला लगाकर कार्य की तलाश में औरंगाबाद, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में चले गए हैं।

महाराष्ट्र के इस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि पिछले एक दशक से किसानों ने पारंपरिक फसलों की बजाय कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें बोना आरंभ कर दिया है क्योंकि इन फसलों से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। परंतु, इन फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जब कभी सूखे की स्थिति पैदा होती है तो वहां पूर्ण विनाश हो जाता है।

सिंचाई परियोजनाओं जिनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दशक में लगभग 70,000 करोड़ रुपये व्यय किए थे उनके पूरा न होने से स्थिति और बदतर हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 0.1 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि को सिंचित किया गया है। यह एक प्राकृतिक आपदा न होकर मानव निर्मित आपदा है। अतः, मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि इस स्थिति से निपटने के लिए और राज्य को राहत, जल और मवेशियों के लिए चारा कैंप खोलने के लिए महाराष्ट्र राज्य को तत्काल पर्याप्त धनराशि जारी की जाए और केन्द्र सरकार की मनरेगा तथा अन्य सामाजिक योजनाओं को महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों से संबद्ध किया जाए।

(चौदह) ईपीएफ पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम) : ईपीएफ पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने वाले ऐसे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो प्रतिमाह 300 रुपये से 2000 रुपये की मामूली सी पेंशन प्राप्त करते हैं। यह धनराशि योजना आरंभ होने के समय निर्धारित की गई थी। यद्यपि, सरकार ने यह कहा था कि उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि को प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् संशोधित किया जाएगा परन्तु, अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। पेंशन की यह धनराशि पर्याप्त नहीं है और इस धनराशि से पेंशनर की वृद्धावस्था संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। हमें यह पता है कि संशोधन संबंधी एक प्रस्ताव कैबिनेट के पास पिछले एक वर्ष से लंबित है।

मैं सरकार से ईपीएफ पेंशनरों को भूतलक्षी प्रभाव से न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन योजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा नियम 193 के अंतर्गत श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा विषय पर अल्पकालीन चर्चा करेगी।

माननीय सदस्यगण इससे पहले कि हम नियम 193 के अंतर्गत श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा पर अल्पकालीन चर्चा आरंभ करें, मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहती हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि चर्चा की विषय-वस्तु हमारे एक पड़ोसी देश से संबंधित है जिसके साथ हमारे नजदीकी और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। अतः, मेरा सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए केवल वस्तुस्थिति की ही चर्चा करें और ऐसी कोई बात न कहें जिसका उस देश के साथ हमारे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मेरा माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले पर चर्चा करें और वाद-विवाद का स्तर बनाए रखें। अब मैं, श्री टी.आर. बालू को चर्चा आरंभ करने के लिए आमंत्रित करती हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खान आवंटन...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : हम इस मुद्दे पर 'शून्य काल' में चर्चा करेंगे।

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरुम्बुदूर) : माननीय महोदया, सर्वप्रथम, श्रीलंकाई तमिलों की दुर्दशा पर चर्चा करने की अनुमति देने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदया, मुझे अल्फ्रेड टेनीसन की लिखी एक कविता याद आती है: 'लोग आते-जाते रहते हैं परन्तु मैं हमेशा चलता रहूंगा'। नदी के तटों पर लोग आते-जाते रहते हैं परन्तु नदी हमेशा बहती रहती है। इसलिए, विदेश मंत्री आते-जाते रहते हैं परंतु नीति वही रहती है, श्रीलंका से संबंधित नीति अपरिवर्तित रहती है। माननीय प्रणब मुखर्जी वहां थे। वह भारत के राष्ट्रपति बन गए हैं। माननीय एस.एम. कृष्णा वहां थे। परन्तु जहां तक श्रीलंका का संबंध है वास्तविक नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मेरे मित्र जो बहुत अच्छे, सुन्दर और सदा मुस्कराते हैं, श्री सलमान खुर्शीद आये हैं। मुझे लगता है कि माननीय महोदया जो यहां बैठी हैं उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से कुछ परिणाम निकलेगा।

पिछले वर्ष 1 नवम्बर को, डॉ. कलैगनार करुणानिधि, श्रीलंका के तमिलों के हित-संरक्षक, मानवाधिकारों के संरक्षक, डीएमके के अध्यक्ष के निर्देशों और मार्गदर्शन के अंतर्गत, 'तमिल ईलम सर्पोटर्स ऑरगेनाइजेशन' के अध्यक्ष डॉ. स्टालिन 1 नवम्बर, 2012 को संयुक्त राष्ट्र संघ के उप-महासचिव, डॉ. जॅन ईलियसन से मिलने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ गए थे। 6.11.2012 को वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मैडम नवनीतम् पिल्लै से मिले। मुझे उनके साथ जाने का अवसर मिला था। हमने श्रीलंकाई तमिलों के समक्ष आ रही समस्याओं से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा। चर्चा के पश्चात्, इन दोनों व्यक्तियों ने एक खास प्रश्न पूछा। जो कुछ डॉ. ईलियसन ने पूछा, मैडम नवनीतम् पिल्लै ने भी वही पूछा। वह प्रश्न क्या था? उन्होंने कहा कि डॉ. स्टालिन आप भारत से इतनी दूर प्रकृति से जूझते हुए और सैंडी चक्रवात जिसने न्यूयॉर्क में आम जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया से जूझकर आये हैं। हम उसकी सराहना करते हैं परन्तु साथ ही आपकी सरकार का क्या दृष्टिकोण है? डॉ. मनमोहन सिंह का क्या दृष्टिकोण है? जहां तक श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे का संबंध है, इस बारे में भारत सरकार क्या सोचती है? यही प्रश्न मैडम नवनीतम् पिल्लै ने भी पूछा था। यह एक प्रकार से हम दोनों के लिए एक सुविधापूर्ण प्रश्न था। परंतु साथ ही, मैं इसका जबाव नहीं दे सका क्योंकि यह हमारी सरकार है। हमने दोनों व्यक्तियों को जबाव दिये। हमने कहा कि भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और श्रीलंकाई तमिलों की सहायता करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसका नेतृत्व मैडम सोनिया जी कर रही हैं जो श्रीलंकाई तमिलों के संबंध में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखती है क्योंकि मुझे इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से पता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, इसमें एक समस्या है। हम जहां भी जाते हैं, यहां तक कि जब हमारे संसद सदस्य यहां बैठे हैं, पिछले एक महीने से, हम विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं जो यूएनएचआरसी के सदस्य हैं। उसके 47 सदस्य देश हैं। हरेक दिन हमें आमंत्रण मिलता है, हम उनसे मिलते हैं और उन्हें ब्यौरा देते हैं। हम श्रीलंकाई मुद्दे के बारे में एक ज्ञापन देते हैं। हमारे संसद सदस्यों को भी, राजदूतों और उच्चायुक्तों, जो यूएनएचआरसी के सदस्य हैं द्वारा पूछा गया प्रश्न हमारी सरकार के दृष्टिकोण के बारे में है। इसका अर्थ है, कहीं कुछ अनुचित है। अन्यथा, यह देखना भारत सरकार का काम है कि कम-से-कम अब इसे ठीक किया जाए। हमें नहीं पता कि उस प्रश्न का क्या अर्थ है। मैं वह नहीं कह सकता। यह हमारी सरकार है। हमने यह सरकार बनाई है। हम इस सरकार के अभिन्न अंग हैं परंतु साथ ही, मुझे नहीं लगता कि श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कोई छुपा हुआ एजेंडा है। परंतु लोग संदेह करते हैं। विश्व के देश संदेह कर रहे हैं। इसीलिए आज अपराह्न 5 बजे दिल्ली में ही हमने 'तमिल ईलम सर्पोटर्स ऑरगेनाइजेशन की एक बैठक का प्रबंध किया है। मेरे नेता, डॉ. कलैगनार करुणानिधि ने मैडम सोनिया गांधी सहित संसद में सभी दलों के नेताओं को पहले ही निमंत्रण भेज दिया है।

मेरा अनुरोध यह है, कम-से-कम अब तो, भारत सरकार को स्पष्ट रूप से ईमानदारी से बताना चाहिए कि श्रीलंकाई तमिलों की समस्याओं को दूर करने के बारे में उसकी क्या सोच है। हम तमिल ईलम की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हम तमिल ईलम की मांग कर रहे हैं। केवल एक ऐसे दल का नाम बताइये जिसने तमिल ईलम की मांग न की हो। हम एकजुट है परन्तु साथ ही, अभी, मुद्दे का बिन्दु एक अलग ईलम नहीं है। यह हमारी नीतियों और सिद्धांतों में है और जब तक लंकाई तमिलों के साथ भेदभाव हो रहा है, हम तमिल ईलम हेतु संघर्ष करेंगे क्योंकि हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

जहां तक डीएमके का संबंध है और जहां तक टीईएसओ का संबंध है, हम तमिल ईलम की मांग करेंगे। परन्तु अभी के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है? न्यूनतम आवश्यकता तमिलों के मानवाधिकारों

[श्री टी.आर. बालू]

संबंधी हितों की रक्षा करना है। हमें आगे बढ़ना होगा और देखना होगा कि श्रीलंकाई तमिलों की समस्यायें जल्दी खत्म हों। पिछले चार वर्षों से, श्रीलंकाई तमिल 27 वर्ष पुरानी लंबी लड़ाई से तितर-बितर हुई अपनी जिंदगी के टुकड़ों को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक क्रूर युद्ध था। यह ऐसा युद्ध था जो *... श्रीलंकाई प्रशासन और उसके अपने नागरिकों के बीच चला। हम सभी जानते हैं कि सशस्त्र संघर्ष तमिल भाषा, तमिल परंपरा, तमिल संस्कृति, समग्र रूप से तमिल जाति से ही बड़े पैमाने पर भेदभाव करने से शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त, जहां तक शिक्षा और रोजगार का संबंध है तो उन्हें समान अधिकारों और समान अवसरों से वंचित किया गया है। उनकी तानाशाही अभी तक चल रही है। यह अभी तक समाप्त नहीं हुई है। युद्ध से क्या हासिल हुआ? खुनी युद्ध से क्या हासिल हुआ है? लगभग 90,000 महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया। वे विधवा हो गई हैं। उनके मंगलसूत्र खो गए हैं। हमें लगभग दो लाख श्रीलंकाई तमिलों, आदमी, औरत और बच्चों की जानकारी नहीं है। लगभग 1,20,000 लोग युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा और संरक्षा हेतु अपने देश से भाग गए हैं, अपनी मातृभूमि से भाग गए हैं, श्रीलंका से बाहर भाग गए हैं। तमिल महिलाओं को मारा गया; तमिल महिलाओं में विभिन्न सुरक्षा शिविरों में कैद कर रखा गया। बेलगाम अत्याचार अभी भी जारी हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन अभी भी हो रहा है। 2009 में युद्ध के बाद, 23.3.2009 को डॉ. बानकी मून और श्रीलंकाई सरकार के प्रमुख ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया कि मनवाधिकारों की जवाबदेही की प्रतिबद्धता के क्रियान्वयन के संबंध में महासचिव को सलाह देने के लिए एक पैनल की नियुक्ति की जाएगी। आपको मालूम है कि इंडोनेशिया के दारूसमैन को इस खास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के यास्मीन सूका और अमेरिका के स्टीवन रैटनर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह कहा गया है कि 40,000 लोग मारे गए हैं। यह पहली रिपोर्ट थी। यूएनएचआरसी की आयुक्त मैडम नवनीतम् पिल्लै ने एक समिति नियुक्त की है। उसने 11.02.2013 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यूएनएचआरसी में इस समय इस पर, चर्चा चल रही है।

इस समय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्यूयार्क के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वाच ने 140 पेज की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसने श्रीलंका के तमिलों की डरावनी कहानी का वर्णन किया है। केवल तमिल बहनों ही नहीं बल्कि भाइयों के साथ भी घृणित रूप से बलात्कार और यौन शोषण की 75 घटनाएं हैं। ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक 31 वर्ष की तमिल महिला को उसके घर से सीआईडी कार्मिकों द्वारा उठा लिया गया था। उसे श्रीलंकाई लड़की ने कहा: "मुझे कोलम्बो में सीआईडी कार्यालय के चौथे तल पर ले जाया गया। मुझे भोजन या पानी नहीं दिया गया। उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया — हमें यह समझना है कि इसका क्या अर्थ है। मुझे पूछताछ के दौरान सिगरेट से जलाया गया। मुझसे पूछा गया कि मेरे पति कहां हैं। मैंने बताया कि मेरे पति विदेश में गए हैं। उन्होंने मुझे नंगा कर दिया।"

मुझे अत्यंत खेद है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह एक रिपोर्ट है। यह विभिन्न मीडिया में आयी है। ''एक रात मेरे साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद दूसरे दिन दो लोग मेरे कमरे में आये और उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए और दोनों ने दूसरे दिन मेरे साथ बलात्कार किया।''

अन्य घटना, महोदया। एक 23 वर्ष की आयु का पुरुष; उस युवक को अगस्त 2012 में पकड़ा गया था। उसने बताया, "मुझे एक कुर्सी से बांधा गया और उन्होंने मेरे हाल की विदेश यात्रा के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे नंगा कर दिया और मुझे बिजली के तार से पीटना शुरू कर दिया। बाद में उसी रात, सर्वप्रथम एक पुरुष द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया गया, जो कि अकेला आया और गुदा के माध्यम से मेरे साथ बलात्कार किया। दूसरी और तीसरी रात, दो व्यक्ति मेरे कमरे में आये, उन्होंने न केवल मेरे साथ गुदा के माध्यम से बलात्कार किया बल्कि मुझे मुख मैथुन करने के लिए भी बाध्य किया।" यह वही तथ्य है जिसे इस मुद्दे पर ह्यूमन राइट्स वाच बताया है।

अध्यक्ष महोदया, बलात्कार और यौन शोषण की 75 घटनाओं में से मैंने केवल दो के बारे में वर्णन किया है, जिसे ह्यूमन राइट्स वाच रिपोर्ट में बताई गई हैं। जब विभिन्न देशों में इस प्रकार की घटनाएं हुई तो दुनिया के देशों ने क्या कार्यवाही की? दक्षिण पूर्वी यूरोप में यूगोस्लाविया से अलग हुए समूह बोस्निया में भी इसी प्रकार की बलात्कार और यौन शोषण की घटनाएं हुई हैं। इसी प्रकार का बलात्कार और यौन शोषण बोस्नियाई महिला के साथ हुआ था। सर्वियाई सुरक्षा बलों द्वारा हजारों बोस्नियाई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया था।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

बोस्नियाई महिलाओं की यह दुर्दशा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच गयी। किसने बहस की? फ्रांसिस बॉयल द्वारा बहस की गई, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की जानकारी है। इस विशेष सज्जन ने बहस की और राहत दिलाई। यह विशिष्ट सज्जन एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट पर टिप्पणी पर कहते हैं, "श्रीलंका सरकार द्वारा तमिलों के साथ यह विस्तृत और जानबूझकर किया गया बलात्कार – वे कहते हैं श्रीलंका सरकार – 1948 के नरसंहार अभिसमय, जिसका श्रीलंका एक पक्ष है, के अनुच्छेद 2ख का उल्लंघन है।"

नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 2ख क्या है? यह कहता है, "नरसंहार का अर्थ है कि राष्ट्रीय, नृजातीय, प्रजातीय या धार्मिक समूह को पूर्णत: या आंशिक रूप से समाप्त करने के इरादे से इस समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाने के लिए की गई काई कार्यवाही।" मैं समझता हूं कि माननीय विदेश मंत्री जी समझ सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक विशेष व्यक्ति या लोगों का एक विशेष समूह मारे जाएं बल्कि इन घटनाओं के बाद, यहां तक कि मानसिक पीड़ा, यहां तक कि मानसिक तनाव दोनों नरसंहार को प्रदर्शित करती है। श्रीलंकाई तमिल नरसंहार के विभिन्न घृणित स्वरूप के शिकार हुए थे।

दरूसमैन कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 40,000 लोग मारे गये हैं। ये सभी असैनिक हत्याएं थीं। यह नरसंहार का एक रूप है। अगला, जिसे एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट में जानबूझकर किया गया बलात्कार और यौन शोषण कहा गया है नरसंहार का दूसरा रूप है। अब, मैं आपको नरसंहार के तीसरे रूप जो आज भी श्रीलंका की सेना और श्रीलंका की सरकार द्वारा किया जा रहा है, का साक्ष्य देता हूं। यह और कुछ नहीं बल्कि सांस्कृतिक नरसंहार है, जिसमें तमिलों की भाषा, पहचान, परम्परा और संस्कृति को लगभग मिटा दिया जाता है।

शेष विश्व को यह जानना चाहिए कि 367 हिन्दू मंदिर नष्ट किए जा चुके हैं। मेरे पास एक सूची है। मैं इसे पढ़ सकता हूं परन्तु समयाभाव के कारण मैं पढ़ना नहीं चाहता। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके पास बाद में प्रस्तुत कर सकता हूं। सिंहल में ये 367 हिन्दू मंदिर गिराये जा चुके हैं और 89 गांवों का पुन:नामकरण किया गया है। यह कहानी मेरे नेता डॉ. कलैगनार एम. करुणानिधि द्वारा सरकारी संस्था 'मुरासोली' डीएमके आर्गन में लिखी गयी है। उन्होंने उपचारात्मक उपाय के लिए भारत सरकार को भी लिखा है। उन्होंने ऐतिहासिक नामों को बदल दिया है। यह सांस्कृतिक नरसंहार के सिवाय और कुछ नहीं है।

यहां, मुझे प्रसिद्ध ....* के याद आ रही है जिन्होंने अल्बर्ट आइन्सटीन और सिग्मण्ड फ्रायड द्वारा लिखी गई हजारों पुस्तकों को नष्ट कर दिया था। बर्लिन लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकों को जला दिया गया। यहूदी संस्कृति के अन्य प्रतीकों को नष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार, महोदया, श्रीलंका के लोग प्रजाति, भाषा, संस्कृति और परम्परा के प्रतीकों को नष्ट कर रहे हैं। यदि यहूदियों पर....* अत्याचारों को नरसंहार कहा जा सकता है, तो क्या श्रीलंका के तमिलों पर श्रीलंका की नृशंसता को नरसंहार कहना आवश्यक नहीं है?

हमारे धर्म – विभिन्न धर्म – ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और हिन्दू धर्म क्या कहते हैं? बाइबिल मैथ्यू अध्याय 2 पंक्ति 16 में कहता है, निर्दोषों की हत्या। बेथलेहम के राजा हेरोड, जो शिशु जीसस को ढूंढ नहीं पाया, ने सभी बच्चों को मार डाला क्योंकि उसने सोचा कि शिशु जीसस उसके लिए एक खतरा है। उसने अपने संपूर्ण शरीर में फैले स्पष्ट घावों, जिनसे खाज हो गयी, से अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस राजा को बाइबिल और सम्पूर्ण विश्व द्वारा निन्दा की जाती है। केवल ईसाई धर्म ही नहीं बल्कि सारे विश्व ने उसके इतिहास पर थूका है। इस्लाम, साहीह मुस्लिम पुस्तक 019, हदिथ 1319 और 4320 के अनुसार – महिलाओं और बच्चों को युद्ध के दौरान भी मारना नहीं चाहिए। हिन्दू धर्म में, ऋग्वेद श्लोक 6-75:15 कहता है कि एक योद्धा यदि किसी बच्चे या महिला पर आक्रमण करता है तो वह नर्क में जायेगा; बूढ़े पर आक्रमण मत करो या उन्हें मत मारो; पीछे से आक्रमण मत करो; और अपने तीर के अग्रबिन्दु पर विष न लगाओ। ऋग्वेद यही कहता है। परन्तु, महोदया, एक युद्ध अपराधी, जिसे 40,000 नागरिकों को मारने का आरोपी बनाया जा रहा है; एक युद्ध अपराधी जिसने हजारों तमिल महिलाओं का बलात्कार और यौन शोषण कियस है; एक युद्ध अपराधी जिसने सैंकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया है, को प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर में जाने की अनुमति दी गयी है। यह कैसे हुआ? यह कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति, जिसने हिन्दू मंदिरों को ध्वस्त किया है, एक व्यक्ति, जिसने भारत के पवित्र स्थानों को ध्वस्त किया है, का भारत में भव्य स्वागत किया गया। क्या आपको यह ज्ञात है कि वह क्यों आया है? वह तमिलों के खून से भरे अपने हाथों को धोने के लिए आ रहा है।

महोदया, न केवल श्रीलंका के हजारों तमिल लोग मारे गये हैं, बल्कि बच्चा, बालचन्द्रन, भी मारा गया है। 12 वर्ष के एक बच्चे को मारने के लिए, उसके सीने में एक गोली दागी गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सिर्फ 10 मिनट पहले ही, वह बंकर के

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री टी.आर. बालू]

अंदर बिस्कुट खा रहा था। उसे बाहर लाया गया और बहुत ही निकट से एक सुरक्षाकर्मी ने उसकी छाती में एक गोली मार दी। उसके मरने के बाद भी, उस आदमी ने उस पर चार गोलियां और चलाई। कुल मिलाकर उसने उसे पांच गोलियां मारी। मुझे विश्वास है कि श्रीलंकाई सरकार और वह आदमी जिसने इस निर्दोष लड़के को मारा उन्हें — जैसाकि बाइबिल — राजा हेरोड की मृत्यु के बारे में कहती है — उस तरह से भुगताना होगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं एक बार फिर बोस्निया मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं — बोस्निया जो युगोस्लाविया से अलग हुआ एक देश; और वहां नस्लीय नरसंहार के प्रमाण हैं और विभिन्न एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर हत्याएं, बलात्कार और हमले दोहराए गए। बोस्निया में, सर्बियाई सुरक्षा बलों द्वारा 8,000 मुस्लिमों को मारा गया। यह 1991 में हुआ। 1992 में, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की जांच करने के लिए स्वयं संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की गई। 1993 में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक न्यायाधिकरण का गठन किया। यह न्यायाधिकरण एक मुकदमा चला रहा है जिसमें ...* और ...* अब 8,000 बोस्नियाई मुस्लिमों की हत्या के अभियोग का सामना कर रहे हैं। न्यायाधिकरण की सुनवाई अभी तक चल रही है और मुझे लगता है, इस साल के अंत तक, जल्द ही निर्णय सुना दिया जाएगा। श्रीलंका के युद्ध अपराधियों को ऐसे ही सजा दी जानी चाहिए। महोदया, क्या यह जरूरी नहीं है?

मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद आता है। इस महान व्यक्ति ने स्वयं दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ एक संकल्प प्रस्तुत किया था। दक्षिण अफ्रीका को राष्ट्रमंडल देशों से बाहर करने का मूल कारण वही थे। यदि मानवीय मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो कुछ नेहरू ने किया, वह ठीक है, तो क्यों नहीं ....* दण्ड दिया जाए। यदि 2009 के चुनावों के दौरान ईरान में इसके द्वारा अपनाए गए रुख के लिए सैकड़ों लोगों का मारा जाना ठीक है; यदि ...* प्रजातंत्र की मांग करने के लिए 1,300 सीरियाईयों को मारने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का सामना करना ठीक है; यदि संयुक्त राष्ट्र द्वारा ...* को दो लाख लोगों को मारने के लिए वारंट जारी करना ठीक है, तो क्यों नहीं ...* द्वारा वैसी कार्यवाही का सामना किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : मुझे नहीं लगता आपको इस तरह नाम लेने चाहिए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री टी.आर. बालू : ठीक है, महोदया, श्रीलंकाई प्रशासन को क्यों नहीं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में ही बताया था। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, 140 पेजों की एक मानव अधिकार निगरानी रिपोर्ट है जो मानव अधिकारों के उल्लंघनों के तरीकों और अर्थों का समाधान करती है। मुझे यही लगता है, कि इस मुद्दे का मूल कारण वहां का प्रशासन है और उनकी निन्दा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री टी.आर. बालू : हम सभी इस खास मुद्दे पर संघर्ष के बारे में जानते हैं। यह और कुछ नहीं; समान अधिकारों और समान अवसरों से वंचित करना है। हम सभी जानते हैं कि श्रीलंकाई तमिलों के साथ भेदभाव के कारण, भावनाएं भड़की हैं। इसलिए हमें, इसके रास्ते और साधन ढूंढने होंगे; और हमें इस समस्या से छुटकारा पाना होगा। भारत सरकार को इस पर नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए। उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। एक स्पष्ट निर्णय होना चाहिए और भारत सरकार को यूएनएचआरसी में जाकर यह देखना चाहिए कि इस खास मुद्दे का तत्काल समाधान हो।

महोदया, 13वें संशोधन का क्या हुआ? भारत-श्रीलंका समझौते का क्या हुआ? 25 साल पहले दो बड़े नेताओं श्री राजीव गांधी और श्री जयवर्धने के बीच भारत-श्रीलंका समझौता हुआ था। इस समझौते का रजत जयंती समारोह चल रहा है। लेकिन आज की तारीख तक हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। परन्तु एक महीने पहले उनके भाई रक्षा सचिव ने क्या कहा है? उन्होंने कहा: "यदि ऐसा कुछ भी हुआ है, तो मैं इसे कायम न रखने और 13वें संशोधन को न बनाए रखने की अनुशंसा करूंगा।" श्रीलंका के राष्ट्रपति ने स्वयं कहा है: "हम 13वें संशोधन से नहीं बंधे हैं। कोई भी निर्णय, जो लिया जाएगा, सिर्फ घरेलू परिस्थितियों पर ही होगा। आप नूडल्स की तरह निर्णय की उम्मीद नहीं कर सकते जिन्हें एक मिनट में तैयार किया जा सकता है।"

उन्हें कितने साल लग गए हैं? पिछले चार वर्षों से वह यह कह रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही कारण है मुझे अनुरोध करना पड़ रहा है; मुझे भारत सरकार से यह देखने की मांग करनी पड़ रही है कि एक ऐसा संकल्प हो, संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में ऐसा संशोधन हो कि एलएलआरसी प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए श्रीलंका की सरकार की समुचित जवाबदेही निर्धारित की जाए। सिर्फ यही नहीं,

दोषी को सजा भी दी जाए। जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के दोषी हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख लाया जाए। जहां तक डीएमके पार्टी का संबंध है, यह अधिक जरूरी है।

मैं एक अनुरोध करूंगा। श्रीमती सोनिया गांधी यहां हैं। उनके मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ, भारत सरकार को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि यूएनएचआरसी के समक्ष ऐसा संकल्प प्रस्तुत हो और यह सुनिश्चित हो कि श्रीलंकाई तमिलों को राहत मिले।

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदया, मैं बड़े भारी दिल से चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

एक पड़ोसी देश, जिससे विगत में हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, के बारे में चर्चा करना एक पेचीदा कार्य है, अत: स्थिति की संवेदनशीलता और इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदया, चूंकि मैंने विदेश मंत्रालय में कुछ वर्ष कार्य किया है इसलिए मुझे यह स्मरण है कि हमारे सभी पड़ोसी देशों में से श्रीलंका के साथ कार्य करना सबसे आसान था। सभी देशों के साथ कोई न कोई मुद्दे थे लेकिन केवल श्रीलंका ही एकमात्र ऐसा देश था जिसके साथ हम बिना किसी विवाद या मतभेद के संप्रभु समानता के आधार पर कार्य कर रहे थे और पूरी सभा को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका हमारा ऐसा निकटतम पड़ोसी देश रहा है जिसके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध थे और आधुनिक समय में भी हमारे उस देश के साथ बहुत मधुर संबंध है। परंतु, साथ ही श्रीलंकाई तमिलों की त्रासदी हमारे समय की एक बहुत बड़ी त्रासदी है।

किसी पड़ोसी देश से व्यवहार करते हुए उस देश में घट रही घटनाओं से प्रभावित न होना बहुत मुश्किल है। हम उनसे प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका में जिन लोगों से हमारे घनिष्ठ संबंध है उनके साथ इस संघर्ष में बहुत दुर्व्यवहार किया गया है और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि श्रीलंकाई तमिलों की त्रासदी अभी समाप्त नहीं हुई है। न केवल युद्ध के समय उनका नरसंहार किया गया, उनके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन और उनका उत्पीड़न किया गया अपितु, जैसा कि मेरे मित्र श्री टी.आर. बालू ने भी कहा है उनके साथ यह सब आज भी हो रहा है।

हममें से जिस किसी ने 12 वर्ष के उस बच्चे की तस्वीर या वीडियो देखा है जो कि एक बंकर में बैठकर बिस्कुट खा रहा था और उसके कुछ देर बाद उसके मृत शरीर जिसमें पांच गोलियां मारी गई थी को देखकर युद्ध की विभीषिका से विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। यदि इस लंबे संघर्ष की भयावह तस्वीर हम सबके समक्ष पेश की जाए तो हम यह देखते हैं कि उस निर्दोष बच्चे की जिस प्रकार हत्या की गई वह पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है।

महोदया, मेरे सहयोगी श्री बालू ने व्यापक रूप से तमिलों की दुदर्शा का जिक्र किया है। मैं अपने भाषण में उस मुद्दे का फिर से उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु, मैं इस वाद-विवाद में निश्चित रूप से नीति संबंधी मुद्दों को उठाना चाहता हूं क्योंकि मेरा यह मानना है कि सभा के लिए भारत सरकार को यह बताना महत्वपूर्ण है कि बदली हुई परिस्थितियों में श्रीलंका के प्रति हमारी नीति कैसी होनी चाहिए। आप पिछले दिनों इस संबंध में आए उतार-चढ़ाव से परीचित हैं। मैं इस मुद्दे को पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं उठा रहा हूं परंतु, ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता। एलटीटीई की उत्पत्ति कैसे हुई यह इतिहास इसका साक्षी है। पहले हमने उन्हें बढ़ावा दिया। तत्पश्चात्, हमने उन्हें नष्ट करने के लिए श्रीलंका में अपनी सेना भेजी। परंतु, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सका। महोदया, श्रीलंका में हमारे 2900 बहादुर जवान और अधिकारी शहीद हुए। उनकी याद में हमारे देश में अभी तक कोई स्मारक नहीं है। भारतीय सेना की यह अब तक की सबसे बड़ी क्षति है।

चूंकि इस नीति से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ इसलिए हम जहां से चले थे वहीं पर आज भी हैं। आज हम सभी को यह ज्ञात है कि 2005 के आरंभ में श्रीलंका में सरकार बदली। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति बहुत कम अंतर से विजयी हुए हैं। उन्होंने एलटीटीई को संघर्ष में उलझाए रखा। यह संघर्ष कुछ समय ही चला। परंतु, उन्होंने एलटीटीई पर अंतिम प्रहार करने का समय बड़ी सावधानी से तय किया और मैं चाहता हूं कि सभा इस तथ्य को ध्यान में रखे। एलटीटीई पर अंतिम प्रहार तब किया गया जब हम 2009 के आम चुनावों में व्यस्त थे। हम सभी व्यस्त थे तथा वे लोग जो चुनाव नहीं जीते और आज सभा में नहीं है सहित हम सभी उस समय व्यस्त थे। पूरा देश चुनाव कार्यों में लगा हुआ था। उस समय श्रीलंका की सरकार ने एलटीटीई और श्रीलंका के तमिलों के विरुद्ध अंतिम प्रहार करने का निर्णय लिया। उन्होंने सुप्रसिद्ध संघर्ष में विजय प्राप्त की जिसमें एलटीटीई प्रमुख और उसके पुत्र को मार दिया गया; हजारों तमिलों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। अनगिनत अत्याचार किए गए और मई के मध्य में जब लोक सभा के चुनावों का परिणाम आ रहा था, एलटीटीई का पूर्ण विध्वंस कर दिया गया। आपको स्मरण होगा कि लोक सभा चुनाव की मतगणना उस वर्ष 16 मई को आरंभ हुई थी। दुर्भाग्यवश, उसके

[श्री यशवंत सिन्हा]

पश्चात् विजय अभियान श्रीलंका की राजकीय नीति बन गई और वह विजय की भावना आज भी जीवित है।

महोदया, उस समय भारत सरकार क्या कर रही थी। जब हम सभी का ध्यान चुनावों पर केन्द्रित था। नितिन गोखले जो कि एनडीटीवी के रक्षा और राजनीतिक मामलों के संवाददाता थे ने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी उन्होंने अपनी पुस्तक 'श्रीलंका फ्रोम वार टू पीस' में 33 माह तक चले इस ईलम संघर्ष को व्यापक रूप से कवर किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाया कि एलटीटीई के विरुद्ध श्रीलंकाई सेना की सफलता के पीछे भारत सरकार का हाथ था। मैं उस पुस्तक से कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं कि यद्यपि, प्रारंभ में श्रीलंका के राष्ट्रपति को एलटीटीई के साथ एक समझौता वार्ता करने की सलाह दी गई थी, परन्तु नई दिल्ली को श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह तर्क उचित लगा कि एलटीटीई स्वयं को फिर से एकजुट करने और अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित करने के लिए समय व्यतीत कर रहा है और कभी भी युद्ध हो सकता है। नई दिल्ली को केवल इस बात की चिंता थी कि युद्ध 2009 के ग्रीष्म काल जबकि भारत में आम चुनाव होने थे, से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली को दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक परस्पर वार्ता तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया और तीन व्यक्तियों की नियुक्ति की जिसमें दो लोग उनके भाई थे और विभिन्न पदों पर आसीन थे और एक उनका निजी सचिव था। भारत ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया की।

हमारे दल में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तत्कालीन विदेश सचिव और तत्कालीन रक्षा सचिव शामिल थे। दोनों तरफ से यही तीन सदस्यीय समूह थे जो कि कार्यवाही में समन्वय स्थापित कर रहे थे। कार्यवाही इतनी अधिक समन्वित थी कि भारतीय नौसेना ने इसमें हस्तक्षेप किया और 'सी टाइगर' पोतों को नष्ट करके उनकी कमर तोड़ दी। ये एलटीटीई की शक्ति थी और इनके नष्ट होने के बाद वे कुछ नहीं कर सकते थे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विचार कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता जो कि हमारे देश की नीति का मूल सिद्धांत है, को छोड़ दिया गया। तब से लेकर ईलम युद्ध समाप्त होने तक इस पुस्तक के अनुसाार हमने भारत में सार्वजनिक या निजी तौर पर यह कभी नहीं कहा है कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं था। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अप्रैल, 2009 में चेन्नई का दौरा किया और तत्कालीन मुख्य मंत्री और श्री बालू की पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात की उन्होंने श्रीलंका का दौरा किया लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। उन्हें चेन्नई में कुछ और कहा जा रहा था और श्रीलंका की सरकार को अलग भाषा में कुछ और कहा जा रहा था। वह नीति की वैद्यता थी जिसे उस समय विशेष में अनुसरण किया जा रहा था।

यही एक मात्र साक्ष्य नहीं है। भारतीय शांति रक्षक दल के पूर्व कमाण्डर, मेजर जनरल अशोक मेहता ने जून, 2009 में कहा—यह सभी समसामयिक साक्ष्य है—और मैं उद्धृत करता हूं:—

"आक्रमण के अंतिम चरण में, जब काफी अधिक संख्या में नागरिक मारे गए थे, हम भी सह अपराधी थे। अभियान शुरू करने का निर्णय लेने के बाद, हम इस पर आगे बढ़ते हुए और जो कुछ भी वास्तव में हो रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया।"

उसके बाद, ...* ह्यूमन राइट्स वाच — के एशियाई निदेशक...

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, मुझे नाम को निकालना होगा। कृपया सावधान रहिए।

श्री यशवंत सिन्हा : ठीक है, नाम को काट दें।

मैं यह कह रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स वाच के एशियाई निदेशक सरकारी पदाधिकारी नहीं हैं। वह ह्यूमन राइट्स वाच के प्रमुख हैं— श्री बालू जी उनको उद्धृत कर रहे थे — और उन्होंने कहा कि जब रेड क्रास ने एक अकल्पनीय मानव विध्वंश के बारे में चेतावनी दिया तो भारत इस पर कार्य करने में असफल रहा। भारत द्वारा यदि एक स्व-सक्रिय रूख अपनाया जाता तो अनेक जानें बच सकती थीं।

अमनेस्टी इंटरनेशनल के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के निदेशक ने कहा "भारत ने केवल श्रीलंका सरकार की इस कार्यवाही को ही समर्थन देने के लिए चुना कि चूंकि इसे टाइगर को परास्त करना है अत: यह कितने भी नागरिकों को मार सकता है।"

वास्तव में, सबसे निंदनीय साक्ष्य, श्रीलंका के तत्कालीन रक्षा सचिव, जो संयोग से श्रीलंका के राष्ट्रपति के भाई भी थे, का कथन है, जब उन्होंने 1987 और 2009 के अंतर को विस्तृत रूप से बताते हुए 01 जून, 2011 को कहा मेरे मित्र याद करेंगे कि सन् 1987 में, वदामराची में तमिल टाइगर्स के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया था,

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

जिसे वदामराची अभियान के रूप में जाना जाता है, और जब कुछ समय के लिए युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने हस्तक्षेप किया था। इसने तमिल टाइगर्स का समूह विनाश करने से श्रीलंकाईयों को रोका। हमें पता है कि क्या हुआ। भारत के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, 1987 के समझौते पर हस्ताक्षर हुए और श्रीलंकाई संविधान का 13वां संशोधन किया गया। उस संशोधन का वर्ष 1987 है।

1987 के साथ 2009 की तुलना करते हुए उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा: "1987 में मुख्य समस्या दोनों देशों — भारत और श्रीलंका — के बीच संबंधों की थी, जिसका ठीक से निर्वहन नहीं हो पा रहा था, परंतु इस बार श्रीलंका के राष्ट्रपति असाधारण रूप से श्रीलंका में हो रहे सभी नए घटनाक्रमों के बारे में नई दिल्ली को जानकारी देते रहे। वह यह बात जानते थे कि जहां अन्य देश कूटनीतिक रूप से या आर्थिक साधनों से हम पर दबाव बना सकते हैं वहां भारत सैन्य अभियान को प्रभावित कर सकता है।" उन्होंने उसके आगे कहा कि: "श्रीलंका और भारत के संबंध सरकार में सर्वोच्च स्तर पर स्पष्ट रूप से संवाद कायम करके संचालित किए गए।" यह श्रीलंका के रक्षा सचिव द्वारा दिया गया वक्तव्य है।

इसके अतिरिक्त, जनवरी 2010 में अपने पुनर्निर्वाचन के बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने जून, 2010 में भारत का दौरा किया। मेरे पास संयुक्त घोषणा की एक प्रति है, जिसे उसके बाद जारी किया गया था। भारत ने उन धर्मवाक्यों को दुहराया जिनमें शांतिपूर्ण समाधान, बातचीत द्वारा समाधान की मांग है परन्तु उस संयुक्त घोषणापत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघनों के बारे में, उत्तरी प्रांत में तमिल नागरिकों पर हुए अत्याचारों के बारे में, और उनकी हत्या के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। संयुक्त घोषणापत्र में कुछ भी नहीं है।

अपराह्न 12.58 बजे

[**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

श्रीलंका में प्रकाशित एक पुस्तक, जिसे गोटा का युद्ध कहा जाता है में वही भावना दुहराई गयी है, और वह इस बात का प्रमाण है कि दुर्भाग्य से, जो कुछ भी श्रीलंका में हो रहा था हम अच्छी तरह जानते थे, इसके बावजूद, हम न केवल चुप हैं, बल्कि तमिलों के विरुद्ध अपराध में हम सह अपराधी बन गए। इसके अलावा आपको और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी भारतीयों के साथ-साथ श्रीलंका के लोगों द्वारा पुष्टि की गई है।

महोदय, मुझे ज्ञात नहीं है कि जब यह युद्ध चल रहा था उस समय मेरे अन्य सहकर्मी क्या कर रहे थे, परन्तु, दुर्भाग्य से, मैं कुछ वक्तव्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाया, जिसे मैंने उसी समय इस समस्या के प्रति अपने पार्टी के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए उद्धृत किया था।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं लोक सभा चुनावों में प्रचार हेतु कर्नाटक गया था। यह अप्रैल, 2009 के अंत की बात है। अतः, जो कुछ मैं इस सभा में कह रहा हूं वह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मैं आज कल्पना कर रहा हूं। मैं अप्रैल, 2009 के साक्ष्य का उद्धरण दे रहा हूं। उस पार्टी, जिससे डॉ. थम्बीदुरई संबंधित हैं, के नेता ने एक वक्तव्य यह कहते हुए जारी किया था "कि उनके ऊपर किए जा रहे इन अत्याचारों को रोकने हेतु श्रीलंका के विरुद्ध भारत को प्रतिबंध लगाना चाहिए।" उसी संदर्भ में मीडिया के लोग मुझसे बेंगलुरु में मिले और यह वही बात थी जिसे मैंने बताया। मैं दुहरा रहा हूं क्योंकि यह आज भी भारतीय जनता पार्टी की नीति है।

"हम लोग श्रीलंका को विभाजित कर एक अलग राष्ट्र के निर्माण के पक्ष में नहीं हैं; परन्तु तमिल नागरिकों की बर्बर हत्या के पूर्णतः विरुद्ध हैं। उनकी रक्षा की जानी चाहिए। मेरी पार्टी श्रीलंका की अखंडता और प्रादेशिक एकता के दायरे में ही उत्तरी तमिलों को अधिकार दिलाना चाहती है। हमारी चिन्ता, केवल असैनिक तमिल, जो लिट्टे और साथ ही साथ श्रीलंकाई सरकार दोनों की सैन्य कार्यवाही — के परिणामस्वरूप अनेक कठिनाइयां और पीड़ा झेल रहे हैं के लिए थी, है और रहेगी। भारत को श्रीलंका से अपने इरादों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। जब कूटनीतिक माध्यम और उच्च स्तरीय शिष्टमंडल सफल नहीं हो पा रहे हैं (और मैंने अभी बताया कि एनएसए श्रीलंका के दौरे पर थी) यदि श्रीलंका इसी नीति पर कायम रहता है और हमारी सलाह का सम्मान नहीं करता है तो इस पर प्रतिबंध लगाने का ही विकल्प शेष रहता है।"

मैंने अपनी पार्टी की ओर से यही बात, जिसे अन्नाद्रमुक के नेता ने कहा था, को दुहराते हुए कहा था। हमें यही करना चाहिए था।

उसके बाद, पुनः, महोदय, मेरे मित्र, श्री वाइको, जो इस सभा के एक सदस्य थे। श्रीलंका में तमिलों की नरसंहार के विरुद्ध दिल्ली में अपनी विरोध रैलियों में से एक में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए अगस्त, 2011 में आये थे। अपने साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री से मिले हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा सकता क्योंकि इससे

[श्री यशवंत सिन्हा]

चीन को श्रीलंका के एक रणनीतिक और व्यापारिक भागीदार के रूप में हमें विस्थापित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। जब मैंने श्री वाइको से पूछा कि क्या मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें उद्धृत कर सकता हूं तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अतः, जब मैं उनकी रैली को संबोधित करने के लिए गया तो मैंने स्वाभाविक रूप से इस वक्तव्य का उल्लेख किया और कहा कि यह भारत सरकार की विवशता को दर्शाता है और मैं यह नहीं मानता कि हमें विशेष रूप से अपने पड़ोसी देशों से संबंधित नीति इस विवशता पूर्ण स्थिति में बनानी चाहिए।

इसलिए, महोदय, आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से तमिलों के बारे में बोलते हुए उनकी दुर्दशा पर मेरे आंसू निकल रहे हैं। यह इसलिए नहीं है कि क्योंकि आज सभा में इस संबंध में वाद-विवाद हो रहा है। बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम श्रीलंका में अपने भाइयों और बहनों की वेदना को महसूस करते हैं। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो कि अज्ञानतावश या नीति के माध्यम से इस विचार से सहमत नहीं होंगे।

विजय की भावना से काम नहीं चलेगा। युद्ध के बाद हमेशा शांति वार्ता की जाती है। अतः, यदि श्रीलंका में नस्ली समस्या का कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकाला है तो यह संघर्ष व्यर्थ होगा। महोदय, इस संबंध में हम भारत सरकार से किस प्रकार की कार्यवाही चाहते हैं? मैं बहुत विशेष सुझाव देना चाहता हूं।

श्रीलंका के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं परन्तु, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और इसलिए, भारत को उनसे अनुरोध करने, उन्हें परामर्श देने, मैत्रीपूर्ण तरीके से उनका विरोध करने और उनके साथ तर्क करने का अधिकार है। अतः, मैं भारत सरकार को भविष्य में निम्नलिखित कार्यवाही करने का सुझाव देता हूं।

सबसे पहले, श्रीलंका सरकार से 'नार्दर्न प्रोविन्स' से अपनी सेना हटाने का अनुरोध किया जाए। युद्ध चार वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका है। श्रीलंका में पहले ही कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो जानी चाहिए थी और पुलिस को यह दायित्व सौंप दिया जाना चाहिए था। श्रीलंका के सेना को वहां से हट जाना चाहिए। सेना को 'नार्दर्न प्रोविन्स' में स्थिति पर नियंत्रण रखने और जैसा कि मेरे मित्र श्री बालू ने कहा कि वहां लोगों का उत्पीड़न करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

दूसरे, उन्हें एलएलआरसी की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। एलएलआरसी का अर्थ है 'लैसंस लर्न्ट एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। समिति ने सिफारिशे की हैं। श्रीलंका सरकार उन सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। उन्हें, उन सिफारिशों को लागू करना चाहिए।

तीसरे, उन्हें बिना किसी विलंब के 13वें संशोधन और उसके अतिरिक्त प्रावधानों को लागू करना चाहिए। श्रीलंका की सरकार ने हमारे साथ चर्चा के दौरान सदैव यह वादा किया है कि वह 13वें और अन्य संशोधनों को लागू करेगी। परन्तु, मुझे इस बात पर कुछ शंका है। महोदय, मुझे इस बात पर शंका किसलिए है? इस वर्ष जनवरी में, श्रीलंका सरकार ने दीवी नेगुमा विधेयक प्रस्तुतः किया जिसने वस्तुतः 'प्रोविन्सियल काउंसिलों की शक्तियों में और कमी कर दी है। 13वें संशोधन की सिफारिशों को लागू करने की बजाय 'प्रोविन्स' को 13वां संशोधन प्रदान करने की बजाय उन्होंने दीवी नेगुमा विधेयक प्रस्तुत किया है जो कि 'प्रोविन्सियल काउंसिलों की शक्तियों को कम करता है और वस्तुतः श्रीलंका के आर्थिक विकास मंत्री को और अधिक शक्तियां प्रदान करता है जो कि स्वयं श्रीलंका के राष्ट्रपति का एक भाई है। जब श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश शी-रानी भंदरनायके ने इसका विरोध किया और यह कहा कि यह कानून असंवैधानिक है तो अपर तत्काल महाभियोग चला दिया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग जो कि श्रीलंका का दौरा करना चाहता था उस आयोग को श्रीलंका का दौरा करने की अनुमति नहीं दी गई।

चौथी बात यह है कि ईलम युद्ध के दौरान श्रीलंकाई सेना द्वारा आम तमिलों के किए गए नरसंहार और उन पर किए गए अत्याचारों के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और बाहरी लोगों अर्थात् श्रीलंका से बाहर के लोगों द्वारा यह जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि सच्चाई बाहर ला सके।

पांचवीं बात यह है कि श्रीलंका सरकार की तरफ से यह स्पष्ट आश्वासन दिया जाए कि जांच के पश्चात् दोषियों को दंड दिया जाएगा। छठा मुद्दा यह है कि भारत यूएनएचआरसी में न केवल मतदान करे बल्कि यूएनएचआरसी में संकल्प तैयार करने में अग्रणी भूमिका भी निभाए। ऐसा इसलिए है कि मैंने कहीं एक वक्तव्य पढ़ा था और संभवतः प्रधानमंत्री ने कल यह कहा था कि हम पहले संकल्प की भाषा का अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात् यह निर्णय करेंगे कि हमें मतदान करना चाहिए अथवा नहीं। भारत को उक्त संकल्प की भाषा तैयार करने और यूएनएचआरसी में उसे पारित कराने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

अंत में, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत को स्पष्ट शब्दों

में हमारे अन्य पड़ोसी देशों और पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहिए कि श्रीलंका के अंदरूनी मामलों और भारत-श्रीलंका संबंधों में उनके अनुचित हस्तक्षेप को भारत स्वीकार नहीं करेगा। हमेशा सदैव इस बात का भय लगा रहता है कि चीन हमें पछाड़ देगा। नहीं, विदेश नीति भय से निर्धारित नहीं होती। विदेश नीति विश्वास से चलती है। भारत सरकार की विदेश नीति और पड़ोस नीति में यह विश्वास झलकना चाहिए।

महोदय, भारत एक ऐसा देश है जिसका आस-पास के देशों पर बहुत प्रभाव है। परन्तु, ऐसा लगता है कि वह प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। हम वह गति खो चुके हैं। इसीलिए, हमारे पड़ोस में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मुझे आशा है कि भारत के पड़ोस में क्या हो रहा है इस विषय पर किसी दिन सभा में चर्चा होगी। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता – आपने घंटी बजा दी है – पड़ोसी देशों से संबंधित नीति पर बोलने हेतु अब आपकी बारी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैंने अपने विशिष्ट सहयोगी की जसवंत सिंह जी से विदेश मंत्रालय का कार्यभार लिया तो मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने गया। मैंने कहा: "मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपना कार्य किस प्रकार आरंभ करना चाहिए?" उन्होंने मुझे यह परामर्श दिया "कृपया सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों का खयाल रखो। इससे पहले कि भारत विश्व के अन्य देशों के साथ अपने संबंध सुधारे, हमारे पड़ोसी देशों के भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध होना आवश्यक है।" अतः, भारत के विदेश मंत्री की हैसियत से मैंने सबसे पहले माले और उसके बाद श्रीलंका की यात्रा की।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : माले में भी हालात खराब हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : जी वहां भी हालात खराब हैं। *[अनुवाद]* अतः, भारत को एलान के साथ विश्वास सहित अपनी विदेश नीति चलानी चाहिए। उर्दू में एक शब्द है "इकबाल" *[हिन्दी]* सरकारें इकबाल पर चलती हैं लेकिन हमारे इकबाल को क्या हो गया है? *[अनुवाद]* भारत के इकबाल को क्या हो गया है कि हमारे पड़ोस में भी कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? यह बहुत खराब स्थिति है। परन्तु मुझे आशा है कि सरकार इस संबंध में सतर्क होगी। हमारे विदेश मंत्री युवा और बहुत चतुर हैं। मुझे आशा है कि वह भारत की खोई हुई साख को वापस लौटाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सभा की अनुमति हो तो भोजनावकाश न करके इस चर्चा को जारी रखा जाए।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा कोई हाल की घटना नहीं है। यह पिछले 60 वर्ष से चली आ रही है। श्रीलंका में बहुत से तमिल उचित सम्मान नहीं दिये जाने के कारण दुःख भोग रहे हैं। संविधान के अनुसार जो कुछ वे चाहते हैं वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है।

सिंहली शासकों द्वारा तमिल अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। यही मुद्दा है। यही कारण है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सन् 1987 में श्रीलंका का दौरा किया और भारत तथा श्रीलंका ने एक समझौता किया जिसे राजीव गांधी-जयवर्द्धने समझौता कहा जाता है। इसी समझौते के कारण श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन हो पाया। इस संशोधन के अनुसार, श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों को मिलाना था और श्रीलंकाई तमिलों के लिए होमलैण्ड बनाया जाना था। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समझौता, जिसकी श्री राजीव गांधी ने पहल की थी, श्रीलंका में लागू किया जा रहा है या नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि इसका पालन नहीं हो रहा है। इस स्थिति में, प्रश्न उठता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है?

चूंकि यह समझौता वहां पर कार्यान्वित नहीं किया गया है इसीलिए नस्लीय मुद्दे पर श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिवेदन के अनुसार 2009 के युद्ध में सिंहली सेना द्वारा लिट्टे कैडर के अलावा, 40,000 से अधिक श्रीलंकाई तमिल नागरिक मारे गए थे। यह संख्या वास्तविक सख्या से कम है। यदि आप वास्तविक संख्या देखें तो पता चलेगा कि श्रीलंका में लगभग तीन लाख श्रीलंकाई तमिल मारे गए हैं। यह जातिसंहार है। भारत अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। भारत एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जो मानवाधिकारों का समर्थन करता है। चूंकि यह हमारे देश का शासी सिद्धांत है, इसलिए भारत को तब कठोर कार्यवाही करनी चाहिए थी और इस प्रकार के जातिसंहार को

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

रोकना चाहिए था जब श्रीलंका, में हमारे भाई इस प्रकार के अपमान सह रहे थे। जैसा कि माननीय सदस्य यशवंत सिन्हा ने भी कहा है, हालांकि, 2009 के युद्ध, जातिनरसंहार युद्ध, के बारे में भारत को कई सुराग मिले पर उस समय हमारी सरकार आवश्यक कार्यवाही करने में असफल रही है। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

अब, भारत की सरकार इस बारे में अधिक गंभीर नहीं लग रही है। हमें ज्ञात है कि इस बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने कैसे उत्तर दिया। परन्तु, अधिकांश अन्य देश श्रीलंकाई तमिलों के विरुद्ध ....* द्वारा किए गए मानवाधिकार हनन और जातिसंहार तथा अपराधों के प्रति बहुत गंभीर हैं। यह एक गंभीर मामला है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) में प्रस्तुत होने जा रहे संकल्प को समर्थन दे। हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार संकल्प को पूर्ण समर्थन अवश्य देगी।?

माननीय सदस्यों ने कई घटनाओं, के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे श्रीलंकाई तमिल अपमानित हो रहे हैं, उनका बलात्कार हो रहा है और मारे जा रहे हैं; कैसे इस जातिसंहार को सह रहे हैं? उन्हें उनके अपने देश श्रीलंका से बाहर भगा दिया गया। जब वे वापस गए, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें उनकी सम्पत्ति वापस नहीं दी गई। वे बहुत कष्ट भोग रहे हैं। परन्तु, श्रीलंका श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास करने की स्थिति में नहीं है। यही मुद्दा है। उसके लिए, हम कुछ मुद्दे लेना चाहते हैं। हमारे लोगों ने विस्तार से बतलाया है कि कैसे उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ, कितने लोग मारे गए, ...* के नेतृत्व में श्रीलंकाई सेना ने क्या आत्याचार किया? ये सभी चीजे विस्तार से बतायी जा चुकी हैं। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वहां क्या घटित हुआ? परन्तु, हमें अब क्या करना है? क्या कार्यवाही किए जाने की जरूरत है? माननीय सदस्य यशवंत सिन्हा ने सरकार के विचार के लिए कुछ संकल्प प्रस्तुत किया है। वह एक अच्छा सुझाव है।

जैसे ही, तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री डॉ. अम्मा ने पदभार ग्रहण किया, उन्होंने 8 जून, 2009 को तमिलनाडु विधान सभा में निम्नलिखित कार्यवाही की मांग करते हुए पहले ही एक संकल्प पारित करवाया जिसे केन्द्र सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम, केन्द्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) में इस मुद्दे को अवश्य उठाना चाहिये। वह तमिलनाडु विधान सभा में पारित हुआ एक संकल्प था। यह भी मांग की गई कि श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। यह दूसरा संकल्प था जो उसी समय पारित हुआ। इसके आगे, उन्होंने मांग की कि श्रीलंका पर सभी तमिल लोगों के मुद्दे को हल करने तक, श्रीलंकाई तमिलों की समस्याओं के समाधान और उनके सम्मान और सभी अधिकारों को प्राप्त होने तक आर्थिक प्रतिबंध अवश्य लगाना चाहिए। तब तक, भारत को अवश्य देखना चाहिए कि श्रीलंका पर आर्थिक प्रतिबंध लागू रहे।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उन्होंने, उस संकल्प में आगे मांग की कि ....* को युद्ध अपराधी घोषित किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह तमिलनाडु विधान सभा द्वारा पारित संकल्प है। इसे इस सरकार द्वारा गंभीरता से किया जाना चाहिए।

मैं कुछ दृष्टान्त का उल्लेख करना चाहता हूं जो हमारी पार्टी के नेता और तमिलनाडु की मुख्य मंत्री की ओर से की गई। उन्होंने श्रीलंकाई तमिलों की सहायता के लिए कई सारे कदम उठाए हैं।

09.06.2011 को, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) श्री शंकर मेनन तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री से मिले, मुख्य मंत्री जी ने मांग की कि श्रीलंकाई तमिलों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। वह श्रीलंका जाने से पहले मुख्य मंत्री से मिले। उस समय, मुख्य मंत्री ने मांग की कि इसे करना चाहिए। 14.06.2011 को, हमारी मुख्य मंत्री दिल्ली में आयीं और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें मांग की गई कि श्रीलंकाई तमिलों का जल्दी ही पुनर्वास किया जाना चाहिए और उन्हें उनके अधिकार वापस सौंपे जाने चाहिए। 29.02.2012 को, उन्होंने श्रीलंका की निन्दा करते हुए अमेरिका द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र संकल्प को समर्थन देने का निवेदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री को लिखा। 06.11.2012 को उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई सैनिकों को तमिलनाडु में प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। चूंकि वे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अतः इसे रोकना आवश्यक है। 16.07.2012 को, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को यह मांग करते हुए लिखा कि श्रीलंकाई वायु सैनिकों को केवल तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी हिस्से में प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। हाल ही में, 21.02.2013 को उन्होंने कहा कि एशियाई खेल जो जुलाई में तमिलनाडु में आयोजित होने हैं उसे आयोजित नहीं होना चाहिए क्योंकि श्रीलंका के खिलाड़ी

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

भी इसमें भाग ले रहे हैं। ये सारे कदम हैं जिसे माननीय मुख्य मंत्री ने उठाये हैं; वह जनता की निर्वाचित जन नेता हैं; वह तमिलनाडु की जनता की भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। अत:, सरकार ने ये उपाय किए हैं।

हमें अच्छी तरह से पता है कि यूएन के पैनेल विशेषज्ञों ने उन घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून की समस्त व्यवस्था पर गंभीर हमला कहा है, और चूंकि संघर्ष श्रीलंका में छह दशकों से चले आ रहे तमिलों के अधिकारों के हनन और उत्पीड़न की परिणति है, श्रीलंका की सरकार द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति को देखते हुए, जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए।

श्री सिन्हा ने यह भी कहा कि यदि कोई समिति गठित की जाए तो इसमें दूसरे देशों को भी शामिल करना चाहिए; उन्हें वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए, और निष्पक्षता से विश्लेषण करना चाहिए कि वहां क्या हुआ; और जिसने भी अपराध किया है, उनका पता लगाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच में मुकदमा चलाया जाए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात एक लेख के बारे में है जिसे आज दि इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। यह राष्ट्रमंडल के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि यदि यह बैठक श्रीलंका से बाहर आयोजित नहीं की गई, तो राष्ट्रमंडल अपनी प्रबुद्ध प्रतिबद्धताओं को खो देगा।

वे यही कह रहे हैं। मैं पहला वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं:

"1991 से, राष्ट्रमंडल लोकतंत्र, अधिकारों और मानव गरिमा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रबल शक्ति रहा है। उदाहरण के लिए, इसे कई एक-दलीय देशों के नेताओं को खुली बहु-दलीय प्रणाली आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया है और यह सुनिश्चित किया कि जो नेता चुनाव हार गए हैं वे सत्ता से चिपके न रहें। यह प्रशंसनीय रिकॉर्ड समाप्त होने को है।"

मैं यह क्यों बात रहा हूं? आपको श्रीलंका में वास्तविक स्थिति का पता है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, यदि श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय की जज भी यदि कुछ कहती हैं तो उनपर भी महाभियोग चलाया जाता है। इसलिए, वहां न्यायपालिका में अराजकता है। प्रेस को वहां समुचित सुरक्षा नहीं है। यदि कोई कुछ लिखता है, तो उसे प्रताडित किया जाता है और मार भी दिया जाता है। वहां बहुत से पत्रकारों को मारा गया है। यह श्रीलंका में व्याप्त स्थिति है। उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। वहां उनके अधिकारों में कटौती कर दी गयी है। इस तरह का लोकतंत्र वहां चल रहा है। वहां अराजकता का राज है और तानाशाही प्रणाली चल रही है।

इसलिए, यदि राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की बैठक वहां होती है, तो यह भारतीय लोकतंत्र का अपमान होगा। हम इसे श्रीलंका से बाहर आयोजित करने के पक्ष में हैं। हम उस अधिकार को नकार नहीं सकते; चूंकि यह एक पड़ोसी देश है, हम चुप नहीं रह सकते; क्योंकि मानव अधिकार का मुद्दा इसमें समाहित है।

महान महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वहां गए थे। वह इस देश में पैदा हुए थे और हम उन्हें अपने राष्ट्रपिता मानते हैं। हम उसी देश में रह रहे हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, तो श्रीलंका में रह रहे तमिलों के अधिकारों के लिए हमारे लड़ने में क्या गलत है? हमें देखना चाहिए कि हमारे तमिल सुरक्षित रहें और उन्हें समान अधिकार मिले। चूंकि इसमें एक पड़ोसी देश शामिल हैं इसलिए हम उसके साथ मैत्री संबंधों के नाम पर चुप नहीं रह सकते। हमारे उनके साथ मैत्री संबंध हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ भी मैत्री संबंध हैं। लेकिन उन्हें भी उन संबंधों की उचित प्रतिक्रिया देनी होगी, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं है।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री सुश्री जयललिता द्वारा 4.10.2008 को दिए गए एक वक्तव्य को उद्धृत करना चाहता हूं। 2008 में वह सत्ता में नहीं थीं। उन्होंने कहा था, "मुझे एक बड़ा आघात लगा जब मैंने एक मीडिया रिपोर्ट देखी कि श्रीलंकाई सेना के सैकड़ों जवानों ने हरियाणा में एक महीने के गुप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।" इसके अतिरिक्त, हमारी सरकार ने बहुत से नवीनतम सैन्य उपकरण श्रीलंका को दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह किस उद्देश्य के लिए दिया गया था। क्या ये सारी चीजें हम पाकिस्तान को दे सकते हैं? कोई इससे इंकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में भी आतंकवाद है। श्रीलंका में आतंकवाद को काबू में करने के लिए यदि हम किसी समझौते के अंतर्गत इन लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, तो वे निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग करेंगे। उन्होंने इन सभी हथियारों का उपयोग वहां हमारे तमिलों का सफाया करने में किया है। हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं। हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। हम एक पृथक तमिल ईलम नहीं चाहते।

श्री बालू ने ईलम के बारे में उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि वह किस तरह इसे प्रचारित करेंगे जबकि वह संप्रग सरकार में हैं। यह दल पिछले 18 वर्षों से सत्ता में है। 1999 से लेकर,

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

पांच वर्षों के लिए, राजग की सरकार थी। अब भी यह, 2004 से सत्ता में है। कांग्रेस पार्टी भी 15 सालों तक सत्ता में नहीं बनी रह सकी। भाजपा छह वर्षों के लिए सरकार में नहीं रह सकी लेकिन, द्रमुक पिछले 18 वर्षों से लगातार केन्द्र की सत्ता में है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है श्रीलंका मे श्रीलंकाई तमिलों की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के अलावा किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई : मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे श्रीलंकाई सेना के यहां प्रशिक्षण की रिपोर्ट को नकार सकते हैं। सरकार के घटक कौन है? उन्हें उत्तर देने दीजिए कि क्या वे सरकार के घटक हैं अथवा नहीं। तब वे इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? मैं आपको वास्तविकता बताता हूं। उन्हें इसे नकारने दीजिए ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूं। 1998-99 में मैं श्री वाजपेयी की सरकार में मंत्री था।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी श्री वाजपेयी के साथ कावेरी मुद्दे पर वैचारिक भिन्नता थी क्योंकि या तमिलनाडु से जुड़ा मुद्दा था। अपनी नेता डॉ. अम्मा की सलाह पर, मैंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। यह वह भावना थी जो मैंने उस दिन अपने दल की तरफ से दर्शाई। क्या वे वैसा कर सकते हैं? मैं सरकार में एक वर्ष तक भी नहीं रहा परंतु मैंने अपने पद का त्याग किया क्योंकि इसमें तमिलनाडु के हित शामिल थे ...*(व्यवधान)* मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

...**मुद्दे...के संबंध में।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : महोदय, मैं बस समाप्त कर ही रहा हूं। महोदय, कल, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यूएनएचआरसी, जेनेवा में श्रीलंका के विरुद्ध पेश किए गए संकल्प की शब्दावली का उल्लेख किया। यहां तक कि श्री सिन्हा ने भी इसका उल्लेख किया। यह हमारा कर्त्तव्य है। हमें यह पहल करनी होगी। यहां तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने भी विभिन्न देशों में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किये। जब पूर्वी पाकिस्तान में समस्या उत्पन्न हुई और बांग्ला-भाषी लोगों को परेशानी हुई, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी बहुत सहायता की। इसी तरह, हमारे तमिल लोगों की सहायता के लिए राजीव गांधी श्रीलंका गए। इसलिए, हमें खुद को एकजुट करना होगा क्योंकि हमें उनके लिए लड़ना है। हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने तमिलनाडु की विधान सभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया कि जिसने भी युद्ध अपराध किए हों, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। प्रधानमंत्री ने भी यूएनएचआरसी में अमेरिका द्वारा श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प की शब्दावली का भी उल्लेख किया। क्या हमारे सदस्यों ने कहा कि यह हमारा परम कर्त्तव्य है और हमें कार्यवाही शुरू करनी होगी? हम भारतीय हैं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम मानव अधिकारों के संरक्षक हैं। हम लोकतंत्र के संरक्षक है। यह उचित समय है कि भारत को ....* के द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के विरुद्ध संकल्प लाने के लिए पहल करनी चाहिए। यह संकल्प पारित होना चाहिए।

इसलिए, मैं हमारी केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि श्री राजीव गांधी और श्री जयवर्धने के बीच हुए समझौते को पूर्णरुपेण लागू किया जाए। इसका कारण यह है कि जब तक वहां आतंकवाद रहेगा, तब तक वे हमसे अनुचित लाभ लेते रहेंगे। उन्होंने भारत को गलत जानकारी दी है। श्री सिन्हा ने भी ऐसा ही कहा है। लिट्टे के खात्मे के बाद, उन्होंने अलग रूख अपना लिया और वे भारत के खिलाफ कूटनीतिक रिश्ते बनाने के लिए चीन के पास चले गये हैं। चीन ने...* श्रीलंकाई सरकार को 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। भारत इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि ये रिश्ते किस तरह मजबूत हो रहे हैं। जहां तक मालदीव के साथ रिश्तों का संबंध हैं हम भी प्रभावित हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी, हम प्रभावित हो रहे हैं। मैं इस पर सहमत हूं कि अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते विकसित करना आवश्यक है परन्तु, यह श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों की

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कीमत पर नहीं हो सकता जो बहुत-सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

इसलिए मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी यह अनुरोध करता हूं कि जो कुछ भी हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है उसे स्वीकार करें। इसे पूर्ण रूप से माना जाए और श्रीलंकाई तमिलों के हित में इसे लागू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, आज तमिलों के साथ अत्याचार हो रहा है तथा उनके बच्चों, महिलाओं और विधवाओं के साथ हिंसा हो रही है। इसके संबंध में बालू साहब और सिन्हा साहब ने काफी चर्चा की है। एक ही मुश्किल सवाल हमारी विदेश नीति का है। इस संबंध में हमारी विदेश नीति शुरू से ऐसी रही है, जब नेहरू जी ने भी घोषण की थी और देश में सारे नेताओं ने घोषणा की थी कि यदि दुनिया में कहीं भी मानवाधिकारों का हनन होगा तो भारत चुप नहीं रहेगा। यह हमारी नीति है और उस नीति का पालन न करने के कारण ही आज तमिलों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे श्रीलंका से बहुत अच्छे रिश्ते थे। इस पूरे सदन को याद करना चाहिए कि जब चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था तो दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था, जिसने चीन के संबंध में उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कहने की हिम्मत की और न किसी ने हिन्दुस्तान का साथ दिया। तब अकेला श्रीलंका ऐसा देश था, जिसने कहा था कि चीन को तत्काल अपनी सेनाओं को हटाना चाहिए। हमारे उससे बहुत गहरे संबंध थे और श्रीलंका हमारा इतना साथ देने वाला देश था और श्रीलंका का साथ देने वाला हिन्दुस्तान था। फिर आखिर इतने समय से यह स्थिति क्यों चली आ रही है? कोई एकाध साल से नहीं बल्कि कई सालों से तमिलों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हिन्दुस्तान में चाहे कोई भी सरकार रही हो, उसने इस बारे में गंभीरता से न तो कोई कदम उठाया है और न ही बातचीत की है।

महोदय, यह मामूली बात नहीं थी कि जब श्री राजीव गांधी श्रीलंका गये थे तो उनके सैनिकों ने उन पर ही हमला कर दिया। वह वहां सैल्यूट लेने गये थे, लेकिन किसी तरह से उनकी जान बच गई। फिर हिन्दुस्तान सावधान क्यों नहीं हुआ। क्या उसके बाद भी उनकी नीयत समझ में नहीं आई कि तमिलों की वजह से हिन्दुस्तान के प्रति श्रीलंका की नीति बदल गई। लंका हमारा इतना खास है, कई मायनों में हिन्दुस्तान के एक साथ था, सांस्कृतिक दृष्टि से भी साथ था। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। सिन्हा साहब, बालू साहब और एआईएडीएमके के नेता ने विस्तार से कहा है, उन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। इतने वर्षों के बाद सरकार क्या कोई कदम उठा रही है? तमिलों के खिलाफ इतना अत्याचार हुआ, बच्चों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ और हो रहा है। भारत सरकार तमिलों के लिए वार्षिक मदद करती है। आप भी सरकार में रहे हैं और हम भी रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इसके बाद भी तमिलों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है? वे शिक्षा में क्यों पिछड़ गए हैं। वहां रोजगार नहीं मिल रहा है। वे आर्थिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ते चले जा रहे हैं और कमजोर होते चल रहे हैं और उसके बाद उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। हमारी यह नीति है कि दुनिया में कहीं थी मानव अधिकारों का हनन होगा तो हिन्दुस्तान चुप नहीं रहेगा। यह हमारे देश की नीति है। आप विदेश नीति के बारे में कह रहे हैं, आप बताइए कि विदेश नीति क्या है? सदन में कोई खड़ा हो कर कहे, स्पष्ट बताए कि सरकार की विदेश नीति क्या है?

सभापति जी, सच्चाई यह है कि कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे देश की विदेश नीति क्या है? किस देश के साथ क्या रिश्ते हैं? विदेश नीति तो सबसे महत्वपूर्ण नीति है। विदेश नीति का मतलब है कि दुनिया के जितने देश हैं, उन देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हों। दुनिया से हमारा कम-से-कम विरोध हो। यह कोशिश करनी चाहिए।

सभापति जी, मैंने एक बार कहा था कि हमारा कांग्रेस पार्टी की नीतियों से विरोध है, इंदिरा जी की नीतियों से हमारा बहुत विरोध रहा था, समाजवादियों का बहुत विरोध रहा था, लेकिन विदेश नीति के मामले में इंदिरा जी सबसे चतुर थीं। उन्होंने यह साबित कर दिया था। जब बांग्लादेश में अत्याचार हुआ और बांग्लादेश से यहां लाखों लोग आए तो हिन्दुस्तान के लिए समस्या पैदा हो गई थी। फिर इंदिरा जी ने किसको चुना? यह प्रकाश जी को चुना। उनको दुनिया में भेजा और उन्होंने प्रचार किया कि बताइए कि हिन्दुस्तान क्या करे क्योंकि बांग्लादेश के लाखों लोग आ रहे हैं, उनको ठहराने का, खाने का, दवाई का तमाम इंतजाम करना पड़ रहा है, हिन्दुस्तान पर दबाव है। अब हिन्दुस्तान क्या कदम उठाए? पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण बना दिया। आज जो तमिलों के साथ हो रहा है, क्या विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई यह बताएगा कि क्या उन्होंने दुनिया के देशों में प्रचार किया कि तमिलों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। इसमें नाकामयाब रहे या नासमझी रही, कोई महत्व नहीं दिया गया। कोई न कोई ऐसा है, जिसकी वजह से दुनिया को नहीं बता पाए कि तमिलों के ऊपर अत्यार हो रहा है। अगर हमें कोई कदम उठाना भी पड़े

[श्री मुलायम सिंह यादव]

तो दुनिया के देश यह तो कहें कि हिन्दुस्तान ठीक कर रहा है। हम सब कुछ दे रहे हैं, लंका को दे रहे हैं।

लंका हमारा मित्र रहा है। सबसे अच्छा मित्र रहा है। मुसीबतों के दिनों में दुनिया में सबसे पहले खड़ा हुआ है। पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने की हमारी नीति तो है और नीति रखनी पड़ेगी, लेकिन साथ में श्रीलंका की यह समस्या इतनी गंभीर होती चली गई कि हमारे प्रधानमंत्री पर भी हमला हुआ। तमिलों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अभी सिन्हा साहब और बालू साहब ने जिक्र किया है कि कितना दर्दनाक और हृदयविदारक अत्याचार हो रहा है और हम चुप हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि हमारी सरकार कहीं सक्रिय हैं। नहीं तो अभी बताएं कि सरकार ने क्या-क्या किया है? लंका की सरकार से क्या बातचीत की है? हम चाहते हैं कि बातचीत से ही मामला सुलझे। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना पड़े जो ठीक न हो। लंका हमारा पड़ोसी देश है। मुसीबतों के दिनों में एक बार साथ दे चुका है। तमिल विधवाओं की हालत ठीक नहीं है। सरकार ने क्या किया है? सरकार क्यों चुप है? आप लंका से बात क्यों नहीं करते हैं? वहां एक डैलिगेशन क्यों नहीं जाता है? वहां कोई डैलिगेशन नहीं भेजा गया है। सरकार चुप-चाप है। मैंने तो पहले भी कहा है और अब भी सिन्हा साहब कह रहे हैं, खड़े हो कर बताइए कि आपकी विदेश नीति क्या है। बताएं कि इन्होंने किस देश के साथ क्या किया है? प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का दौरा तो बहुत किया है। यह दौरा करना अच्छा है, दूसरों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की गयी है। जैसा मैंने अभी कहा और कई बार कह चुका हूं कि सरकार सावधान हो, दुनिया में एक देश बात दो, जो आपका मित्र हो। अच्छे सम्बन्ध हो सकते हैं, मैं बार-बार कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी मित्र देश आज हिन्दुस्तान का नहीं है। हमारा देश बहुत विशाल है और उस देश के लोगों पर इतना बड़ा अत्याचार करने की हिम्मत श्रीलंकाई सरकार करे, यह मामूली बात नहीं है, इसमें कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है। आंतरिक कमजोरी या बाहरी कमजोरी, कहीं न कहीं कमजोरी है। इस बारे में मजबूती के साथ कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? विदेश नीति के बारे में आपने ठीक कहा कि कमजोरी से विदेश नीति नहीं चलेगी। विदेश नीति के लिए साहस चाहिए, इच्छाशक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए, यह काम आपको करना चाहिए। सारी दुनिया में क्या यह मजाक नहीं है कि ये लोग हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं और कितने ही सालों से वहां बसे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और हिन्दुस्तान जैसा देश देख रहा है, लगातार देख रहा है। इसलिए आज यह महत्वपूर्ण सवाल उठा है, जिसके बारे में यशवंत सिन्हा साहब ने भी अपने विचार कहे, बालू साहब ने भी कहा और हमारे एआईएडीएमके के नेता ने भी कहा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि लंका में तमिलों को अच्छे मकान, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार, व्यवसाय एवं नौकरी दी जाए। इस संबंध में सरकार को मजबूती के साथ कदम उठाना चाहिए। वहां उनके ऊपर अत्याचार बंद हों। यह आपकी नीति होनी चाहिए।

हम चाहते हैं कि हमारे सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रहें। मैं कह ही चुका हूं कि वह विदेश नीति सफल है जिसमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश हमारे हमदर्द बनें, सहायक बनें और हमारे विरोधी कम-से-कम हों, तब हमारी विदेश नीति सफल होगी। हम यही कह सकते हैं कि यह समय ऐसा नहीं है। तमिलों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं मतलब उन पर अत्याचार बंद हो। सरकार क्या चाहती है, हम लोगों से भी पूछिए, हम उनके साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। तमिलों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वह बंद होना चाहिए। जब हमारी नीति यह है कि दुनिया में सब जगह मानवाधिकारों का हनन बंद हो, हम उसके खिलाफ रहेंगे और पहले भी रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया है? मंत्री जी खड़े होकर बतायें कि हमारी विदेश नीति क्या है? तमिलों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, विधवाओं और बच्चों के खिलाफ जो हुआ, जिसके बारे में यहां कहा गया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, उसके संदर्भ में आपने क्या कदम उठाए हैं, लंका की सरकार से क्या-क्या बात हुयी, कितनी बार बात हुयी, लंका की सरकार ने क्या कहा? यह सदन के सामने आना चाहिए कि सरकारी स्तर पर इस संदर्भ में क्या प्रयास किए गए? यह हम जानना चाहते हैं। इस अवसर पर हम आज इतना ही कहेंगे कि सबसे पहले यह कोशिश करनी चाहिए और साफ कहना चाहिए कि तमिलों के इलाके से लंका की सेना को हटाया जाए। जब सेना इस्तेमाल की जा रही है, तो हम लोग चुप क्यों हैं? हिन्दुस्तान चुप नहीं रहेगा। पहले से हमारी यह नीति रही है कि दुनिया में कहीं भी अत्याचार होगा, तो हिन्दुस्तान चुप नहीं रहेगा तो इस मामले में हिन्दुस्तान चुप क्यों है, विदेश मंत्री चुप क्यों हैं, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं और माननीय सोनिया गांधी जी आप चुप क्यों हैं? आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आपको भी आवाज उठानी चाहिए। आपके बिना इस सरकार की हिम्मत नहीं है, इस सरकार पर आपका पूरा हाथ है, नियंत्रण तो पूरा आपका है, ये आपकी बात नहीं काट सकते हैं। आप बुलाकर बात कीजिए, प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, विदेश मंत्री जी पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी तक क्या किया है? तमिलों

पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ क्या उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है, क्या चिट्ठी लिखी है, क्या संपर्क किया है? यह आज सदन के सामने आना चाहिए। यह हमारी मांग है।

[अनुवाद]

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर) : माननीय सभापति महोदय धन्यवाद। मैं श्रीलंकाई तमिल और उनकी पीड़ा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। 21वीं सदी में भी तमिलों के एक बड़े वर्ग ने भारत के एक पड़ोसी देश श्रीलंका में बिना किसी राजनैतिक अधिकारों के काफी पीड़ा झेली है। इस संबंध में संप्रग के एक घटक दल डीएमके ने श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया है। हम तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी के संसद सदस्य डीएमके के प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देते हैं और उनकी सफलता की कामना करते हैं।

महोदय, श्रीलंका में तमिलों को राज्य प्रशासन में कोई स्थिति प्राप्त नहीं है। ये लोग केवल जिला प्रशासन में ही हैं। उन्हें श्रीलंका में सिंहली लोगों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अत्यधिक निंदनीय कार्य है। पूरे विश्व में जहां कहीं भी तमिल लोग रह रहे हैं वे श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे यह चाहते हैं कि श्रीलंका में तमिलों को उनके राजनैतिक अधिकार मिलें। उनका यह विश्वास है यह केवल भारत के सहयोग से ही संभव है। केवल भारत सरकार श्रीलंकाई तमिलों के लिए यह कार्य कर सकती है। अत:, भारत को यूएन मानव अधिकार परिषद् में अमेरिकी संकल्प का समर्थन करना चाहिए। पहले भी भारत ने ऐसा किया है। इस कार्य के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। करोड़ों तमिल यह चाहते हैं कि भारत यूएन मानव अधिकार परिषद् में अमेरिकी संकल्प का समर्थन करना चाहिए।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे स्वयं अमेरिकी संकल्प के संबंध में कुछ शंकाएं है। अमेरिका, मानव अधिकारों का 'गॉडफादर' नहीं है। उसने स्वयं वियतनाम, इराक और अन्य अनेक देशों में उसका उल्लंघन किया है। जब श्रीलंका में भीषण युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका मौन था परन्तु, अब वह यूएनएचआरसी में इस संबंध में एक संकल्प प्रस्तुत कर रहा है। बहरहाल, हमें संकल्प का समर्थन करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। परन्तु, मुझे यह शंका है कि अमेरिका श्रीलंकाई तमिलों के अधिकारों का समर्थक नहीं है। अमेरिका चीन से भयभीत है क्योंकि चीन की स्थिति श्रीलंका में बहुत मजबूत है। अत:, अमेरिका श्रीलंका पर संयम बरतने और निष्पक्ष स्थिति अपनाने के लिए दबाव बनाना चाहता है। फिर भी हमें अमेरिकी संकल्प का लाभ उठाना चाहिए और संकल्प का समर्थन करना चाहिए।

महोदय, कांग्रेस पार्टी में हम श्रीलंकाई तमिलों का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। हम उनकी पीड़ा में भागीदार हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने उस समय श्रीलंकाई तमिलों को अपने घरों का निर्माण करने, उनकी शिक्षा और आजीविका चलाने के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि प्रदान की। तभी वह इस युद्ध के पश्चात् एक अच्छी स्थिति में पहुंच सके। इसके लिए मैं भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

तमिलनाडु में कुछ चरमपंथी संगठनों ने श्रीलंका सरकार और राजपक्षे की बजाय कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार पर आरोप लगाया है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने हम पर यह आरोप क्यों लगाया है। उनका यह कहना है कि चूंकि एलटीटीई के लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की थी इसलिए संप्रग सरकार और कांग्रेस पार्टी श्रीलंकाई तमिलों को कोई सुरक्षा प्रदान या उनकी सहायता नहीं करना चाहती। यह बिल्कुल गलत आरोप है। कांग्रेस का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है। हमारी पार्टी किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, भाषा, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती। जब एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या की थी तब भी हमने उन्हें आतंकियों न कि तमिलों के रूप में देखा। इस सम्माननीय सभा को यह स्मरण होगा। हमारी प्रिय नेता सोनिया जी ने नलिनी की मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए माननीय राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। इस सभा को इस पर विचार करना चाहिए कि यदि हमारे परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति की इस प्रकार हत्या कर दी जाए तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा दृष्टिकोण रख सकता है? परन्तु, हमारी नेता सोनिया जी ने नलिनी की सजा को कम करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। तमिलनाडु में चरमपंथी संगठनों को हमारी मैडम सोनिया जी की इस उदारता को स्वीकार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी भी आतंकवाद का शिकार हुईं, महात्मा गांधी भी आतंकवाद का शिकार हुए थे। जिस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी हमने हत्यारे में एक आतंकवादी को देखा न कि एक सिक्ख को। सिक्ख समुदाय से जुड़े होने के बावजूद हमने श्री मनमोहन सिंह जी को माननीय प्रधानमंत्री चुना। हम सबसे पहले उन्हें एक भारतीय मानते हैं; उसके बाद एक कांग्रेसी नेता; उसके पश्चात् वह एक बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री हैं। मैं यहां इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कांग्रेस किसी व्यक्ति को उसके

[श्री एस. अलागिरी]

धर्म, भाषा या अन्य किसी पहलू के आधार पर नहीं देखती। अतः मैं अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि जो श्रीलंकाई तमिलों का समर्थन और उनकी आजीविका बनाए रखने में उनकी सहायता कर रहा है।

श्रीलंका पर चीन का दबाव है। माननीय श्री यशवंत सिन्हा जी ने सभा में कहा है कि हमारी विदेश नीति साहसपूर्ण होनी चाहिए। जी, हां यह सही बात है। साथ ही, हमारी विदेश नीति वस्तु-स्थिति पर भी आधारित होनी चाहिए। यदि हम सच्चाई की अनदेखी करते हैं तो उसका परिणाम काफी बुरा होगा। इस समय चीन और पाकिस्तान की सरकारों के श्रीलंका के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। यदि भारत यूएन में कोई प्रस्ताव या संकल्प लाता है तो चीन अपने वीटो अधिकार का उपयोग करेगा। हमें इस बात का डर नहीं है। परन्तु, हमें यह समझना चाहिए कि श्रीलंका की समस्या का समाधान तभी होगा जब भारत और श्रीलंका आमने-सामने बैठकर इस संबंध में वार्ता करेंगे। कोई अन्य महाशक्ति अथवा अन्य पड़ोसी देश इस मुद्दे के प्रति 100 प्रतिशत वचनबद्ध नहीं हैं। जिस प्रकार वार्ता के माध्यम से हम पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं उसी तरह श्रीलंका में अपने भाईयों के लिए शांति स्थापित करने हेतु श्रीलंका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के वार्ता के माध्यम से इस समस्या का समाधान करना चाहिए। यह तरीका काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। माननीय विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी यहां उपस्थित हैं। एक सप्ताह पहले एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि श्रीलंका हमारा मित्र देश है। मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। श्रीलंका कभी हमारा मित्र देश नहीं रहा है। हम यह बात जानते हैं। श्री राजीव गांधी जी के श्रीलंका के दौरे के समय परेड में सीलोन के सुरक्षाकर्मी ने उन पर हमला किया था। यदि श्रीलंका हमारा मित्र देश है तो वह श्रीलंका में हमारे तमिल भाईयों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किस प्रकार कर सकते हैं? इक्कीसवीं सदी में दास प्रथा का सर्वत्र उन्मूलन हो रहा है। परन्तु, श्रीलंका में आज भी दास प्रथा कायम है। हमारे श्रीलंकाई तमिलों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है।

मैं इस सम्माननीय सभा में यह विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि श्रीलंका की समस्या का समाधान करने और तमिल लोगों को सिंहली लोगों के बराबर अधिकार प्रदान कराने के लिए केवल भारत ही एकमात्र स्रोत है। वहां सिंहली लोग बहुसंख्यक हैं और तमिल लोग अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक लोगों के बीच क्या अल्पसंख्यकों को बराबर सम्मान के साथ नहीं जीना चाहिए। भारत में हमने इस संबंध में सफलता प्राप्त की है। भारत में कोई बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नहीं है। परन्तु, श्रीलंका में जातिभेद अभी भी विद्यमान है। इसलिए, भारत को उस असमानता को रोकना चाहिए और तमिलों को समानता प्रदान करने के लिए श्रीलंका सरकार को नियंत्रित करना चाहिए।

महोदया, माननीय सदस्य, श्री टी.आर. बालू ने गीता, बाईबल और कुरान से कई उदहारण दिये। मैं बताना चाहता हूं कि श्रीलंका में उच्च पदाधिकारी यहां तक कि बौद्धधर्म को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तब, वे कुरान, बाईबल और गीता या वेदों को पढ़ने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? यह सम्भव नहीं है।

येन-केन-प्रकारेण, हमारे विद्वान और प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री श्रीलंकाई सरकार की जानकारी में यह बात ला सकते हैं और 13वें संशोधन को लागू करने के लिए उनसे आग्रह कर सकते हैं। महोदय, 13वां संशोधन हमारे अमर नेता राजीव गांधी के प्रयास से हुआ था। यदि राजीव गांधी – जयवर्द्धने समझौता लिट्टे नेता द्वारा स्वीकार किया गया होता तो श्रीलंका में समस्या नहीं पैदा हुई होती। 30 वर्ष के बाद, मैं गर्व से कह सकता हूं कि राजीव गांधी – जयवर्द्धने समझौता ही श्रीलंकाई समस्या को सुलझाने के लिए एक मात्र समाधान है। अतः, हमारे भारत की सरकार को श्रीलंकाई सरकार पर दबाव डालने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और भारत के प्रभाव का प्रयोग करके श्रीलंकाई सरकार को प्रभावित करना चाहिए और तभी श्रीलंकाई तमिल वहां पर सिंहलियों और अन्य लोगों के समान रह सकेंगे।

अपराह्न 2.00 बजे

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, आपने मुझे श्रीलंका में वर्ग विशेष पर जो हमला हो रहा है, उस पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज पूरा देश, खासकर भारत जो है, श्रीलंका में जिस तरीके से मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको तार-तार किया जा रहा है। आज भारत, पूरा सदन इससे चिन्तित है। इस नाते पूरी दुनिया में मानवाधिकार का अगर प्रबल पक्षधर कोई है तो वह भारत है। आज जिस तरीके से श्रीलंका में वर्ग विशेष के लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, यह पूरा देश और दुनिया जानती है। मैं समझता हूं कि एक सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है, श्रीलंका में जो वर्ग विशेष के लोग रह रहे हैं, उनको सुनियोजित

तरीके से समूल उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमने कई फोटोग्राफ्स में देखा और लोग भी जानते होंगे कि जिस तरीके से बच्चों की निर्मम हत्या वहां हुई है, निश्चित रूप से महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुए हैं, उन्हें गोली मार कर मौत के घाट सुला दिया गया, बहुजन समाज पार्टी इसकी घोर निन्दा करती है।

अपराह्न 2.03 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि भारत ने हमेशा पड़ोसी देश श्रीलंका होने के नाते हर मुसीबत में भारत ने श्रीलंका का समर्थन एवं सपोर्ट किया है। अगर आपने उसकी हर मुसीबत में मदद की है तो मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सरकार से मांग करता हूं कि अगर आपने मुसीबत में उनका समर्थन एवं सहयोग किया है तो आज श्रीलंका में जिस तरीके से वर्ग विशेष के साथ सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है। अगर इच्छाशक्ति है तो निश्चित रूप से वहां पर जो मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको रोका जाए। जो पशुवत व्यवहार उनके साथ श्रीलंका में तमिलों का हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए, जो वर्ग विशेष के साथ वहां पर कत्लेआम, पशुवत व्यवहार हो रहा है, यह तभी रुक पाएगा, जब दुनिया का सबसे मजबूत मानवाधिकार का जो प्रबल पक्षधर है, भारत सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना होगा।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। तमिल हमारे भाई हैं और श्रीलंका में ये कोई विदेशी नहीं हैं। ये श्रीलंका के स्थायी निवासी हैं और वहां इनका रहने का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारी जो विदेश नीति है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ व्यवहार, सद्भाव, मैत्री का संबंध है, हमारी विदेश नीति की जड़ में सद्भाव और अच्छे संबंध का मामला होता है।

महोदय, अभी कुछ देर पहले आदरणीय यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे कि राज इकबाल से चलता है। जब किसी सरकार का इकबाल खत्म हो जाएगा, तो देश का भूगोल नहीं बचेगा। श्रीलंका के संबंध में सभी जानते हैं। देश के बड़े नेता परम् आदरणीय राजीव गांधी की शहादत हुयी। जिस देश के लिए शहादत हुयी, आज उसी देश में जो हमारे तमिल भाई रहते हैं, उनके साथ नरसंहार हुए। अखबार, मैगजीन, टेलीविजन आदि सारे मीडिया के स्रोत पर जो दिखलाया गया, वह बहुत ही हृदय विदारक है। इस सदन में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के माननीय सदस्य आपस में भिड़ रहे थे। हमारे सामने चुनौती है कि जो तमिल श्रीलंका में हैं, उनके मान-सम्मान और स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो। हम आपस में लड़ना-भिड़ना बंद करें। तमिलों की श्रीलंका में जो बुनियादी जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम सबको एकजुट होकर उनके हाथ रहना है।

महोदय, हम आपके माध्यम से एक राय सदन को देना चाहते हैं। अभी जो नरसंहार हुए, उसकी पूरी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंक्वायरी हो और जो उसमें दोषी लोग हैं, जिन्होंने नरसंहार को अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हुकूमत इतना बड़ा जल्लाद होने का काम नहीं करे, उसे सबक मिले।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, मैं श्री टी.आर. बालू और डॉ. एम. तम्बिदुरई द्वारा भी प्रस्तुत नियम 193 के अधीन चर्चा में बोलने के लिए शामिल हुआ हूं।

मैं तमिल साथियों के उत्पीड़न पर श्री टी.आर. बालू की वेदना को समझ सकता हूं परन्तु, हम उसी प्रकार युद्ध अपराधियों के खिलाफ ढाका में शाहबाग में प्रदर्शन कर रहे बंगालियों के बारे में भी यही महसूस करते हैं। जब हम समान भाषा का प्रयोग करते हैं, यद्यपि ये अलग-अलग देश हैं, तो यहां भावनात्मक बंधन का प्रश्न है। यही कारण है कि हम एक बंगाली होने के नाते, शाहबाग ढाका में कट्टरवादी शक्तियों और युद्ध अपराधियों के विरुद्ध प्रदर्शनरत लोगों के साथ हैं।

परन्तु श्री टी.आर. बालू की एक बात मेरी समझ में नहीं आती। यदि आप श्रीलंकाई तमिलों के साथ जो हो रहा है और इसके प्रति भारत सरकार के रूख से इतने व्यथित हैं, तो आप अभी भी मंत्रालय में क्यों हैं? हम, टीएमसी वालों का डीजल के मूल्य में वृद्धि और एफडीआई मुद्दे पर सरकार से मतभेद था, तो हमने सरकार छोड़ दिया।

[प्रो. सौगत राय]

कौन सी बड़ी समस्या है? आप सरकार से क्यों चिपके हुए हैं? यह वे सवाल हैं, जिनका में उनसे उत्तर चाहता हूं।

महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए चेतावनी का उल्लेख करता हूं। उन्होंने कहा कि हमें एक पड़ोसी देश, अन्य किसी देश के बारे में गैर-जिम्मेदारी वाली बात नहीं करनी चाहिये। यह सत्य है कि श्रीलंका एक अन्य देश है; एक नीति के रूप में, हमें अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप या बातचीत नहीं करनी चाहिए।

विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हित द्वारा निर्धारित होती है; और विदेश नीति पर हमेशा सर्वसम्मति रही है। अतः, मुझे यशवंत सिन्हा जी के भाषण का अभिप्राय पसंद नहीं आया जहां उन्होंने बचकाना लाभ लेने की कोशिश की। हो सकता है कि उन्हें विदेश मंत्रालय में अपने कार्यकाल से अभी भी मोह हो, जहां वह प्रत्येक दो सप्ताह में विदेश यात्रा पर चले जाते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। श्रीलंका में तमिलों की समस्याओं की संक्षेप में जानकारी लेते हैं।

महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, श्रीलंका रामेश्वरम से धनुषकोडि तक 22 मील के पाक जलऽसमध्य द्वारा अलग किया गया भाग है। लोगों ने पाक जलऽस्मध्य को तैर कर पार भी किया है। बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। अब, श्रीलंका में कई तरह के तमिल हैं। एक बागानों वाले तमिल हैं, जो कैन्डी में चाय बागानों में लगे हुए हैं। अन्य जाफ़ना के तमिल हैं। जाफ़ना में तमिल कई वर्षों से हैं; और उत्तर में जाफ़ना तमिल मुख्यतः हिन्दू और ईसाई हैं। उत्तर में, बड़े ईसाई गिरिजाघर और हिन्दू मंदिर हैं। उत्तर-पूर्व में, तमिल मुख्यतः मुस्लिम हैं। अतः, श्रीलंका में तमिलों में भी अंतर है।

अब, यह सच है कि आजादी के बाद से, श्रीलंका में तमिलों को उनका उचित अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। पहले, वहां अमृतलिंगम के नेतृत्व में टीयूएलएफ (तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट); नामक डेमोक्रेटिक पार्टी थी। उन्होंने तमिलों की मांग को लोकतांत्रिक रूप से उठाने की कोशिश की। सन् 1976 में लिट्टे का गठन हुआ, और 1983 के तमिल विरोधी दंगे, जिसमें श्रीलंकाई आर्मी पेट्रोल ने घात लगाकर हममला किया, के बाद कई तमिलों ने हथियार उठा लिया।

मैं संक्षेप में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि श्रीलंका में तमिलों की वर्तमान स्थिति के लिए वेलुपिल्लई प्रभाकरण नाम के व्यक्ति का उतना ही दोष है जितना श्रीलंकाई नेताओं का है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : उसे किसने पैदा किया?

प्रो. सौगत राय : मैं उसके बारे में बात करूंगा।...*(व्यवधान)*

उसे कुछ कारणों से प्रभाकरण कहा जाता था। प्रभाकरण ने फासीवादी और आतंकी संगठन बनाया।...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : वह केवल हथियार के साथ संघर्ष चला रहा था।...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : बालू जी, मेरी बात सुनिये।...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : वह केवल हथियार बंद संघर्ष करता था। ...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : श्री बालू जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपके विचार के विरुद्ध नहीं हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप वाइको जैसा मत बनिए। याद कीजिए कि लिट्टे ने एक अन्य तमिल संगठन ईपीआरएलएफ के नेताओं की हत्या की थी। वे अन्य संगठन टीईएलओ के नेताओं की हत्या के लिए चेन्नई आए थे। लिट्टे एक पूर्णतः आतंकी संगठन था।

पहली बार – यशंवत सिन्हा जी ने इसे स्वीकार नहीं किया ... जिसने, वास्तव में श्रीलंकाई तमिलों की समस्याओं पर ध्यान दिया वह राजीव गांधी थे, जिनकी यशवंत सिन्हा जी ने आलोचना की थी। सन् 1986 में, 'एलीफैंट पास' को बंद कर दिया गया। यदि हम जाफ़ना और मुख्य भूमि के बीच स्थित ऐलीफैंट पास को बाधित कर दें तो हम मुख्य श्रीलंका तक नहीं पहुंच सकते। तमिल परेशानी में थे। यह न भूलें कि राजीव गांधी ने ही जाफ़ना में खाद्यान्न पहुंचाने की पहल की। तत्पश्चात्, 1987 में उन्होंने जयवर्धने के साथ इंडो-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह एक प्रगतिशील समझौता था। एक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन प्रस्तावित किया गया। इस संशोधन के अनुसार श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिण प्रांतों का विलय कर मूल रूप से वहां रह रहे तमिल लोगों का प्रांत बना दिया जाए।

इस समझौते पर जयवर्धने ने हस्ताक्षर किये थे जिसे अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणीकारों बहुत ही चतुर व्यक्ति मानते हैं। सीधे सरल हृदय वाले श्री राजीव गांधी ने वहां भारतीय शांति सेना भेजी। आपने भारतीय शांति सेना की आलोचना की। भारतीय सेना लिट्टे को खत्म कर सकती थी किन्तु यदि आप भारतीय शांति सेना अभियान के बारे में पढ़े तो हमें पता चलता है कि उनका क्या कहना था – "हम लड़ रहे हैं मगर हमारे हाथ बंधे हैं।" भारतीय सेना लिट्टे को दो सप्ताह

में खत्म कर सकती थी। हमने ऐसा नहीं किया। हमने उन्हें नहीं पकड़ा ...*(व्यवधान)* कृपया समझने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें।

प्रो. सौगत राय : श्री अनुराग सिंह, कृपया मेरी बात सुनें। आप युवा हैं। आपको इतिहास जानना चाहिये। यशवंत सिन्हा जी की बात से भ्रमित न हो। हुआ यह था कि हमने प्रभाकरन को पकड़ा नहीं था। इससे पहले बातचीत करने के उद्देश्य से प्रभाकरन थिम्फू आया था और दिल्ली में होटल अशोक में ठहरा था। कृपया भूलें नहीं, हम प्रभाकरन को पकड़ सकते थे...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई रिकॉर्ड में नहीं जायेगा। सिर्फ उनका जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : मैं भर्त्सना नहीं, प्रशंसा कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, कृपया पीठ को सम्बोधित करें। सदस्यों को सम्बोधित न करें।

प्रो. सौगत राय : मैं बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगा। मुझे बस यह कहना है कि राजीव जी पूरी ईमानदारी से श्रीलंका की समस्या का समाधान करना चाहते थे किन्तु लिट्टे ने धोखा दिया। उन्होंने हथियार डाल दिये थे। जोगीरत्नम् नामक एक व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल नीचे रख दी थी किन्ते लिट्टे ने अपने हथियार नहीं सौंपे, इसीलिये आईपीकेएफ को उग्रवादियों को निशस्त्र करने के लिए श्रीलंका जाना पड़ा।...*(व्यवधान)* मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। मैं अब अपनी बात पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें और अपनी बात समाप्त करें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. सौगत राय : चूंकि मैं बंगाली हूं, इसलिये मुझे तमिल लोगों के विषय पर बोलने नहीं दिया जायेगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

प्रो. सौगत राय : मैं वापिस अपने विषय पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो. सौगत राय : महोदय, यह कहानी 1991 में समाप्त हुई जब लिट्टे को आत्मघाती मानव बम्ब द्वारा किये गये विस्फोट में श्री राजीव गांधी जी की मौत हो गई। किन्तु यह लिट्टे आतंक का अंत नहीं था। राजीव गांधी जब सत्ता में नहीं थे तो प्रेमदास और लिट्टे की मिली भगत चल रही थी। वे आईपीकेएफ को बाहर करना चाहते थे। उस समय राजीव गांधी सत्ता में नहीं थे। आईपीकेएफ को श्रीलंका से वापिस बुला लिया गया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो. सौगत राय : मैं श्री वाइको का समर्थक हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। कृपया चर्चा का रूख मत बदलिये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चर्चा का विषय मत बदलिये।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : श्री पलानिमनिक्कम, आप केन्द्रीय मंत्री हैं। मैं एक साधारण सदस्य हूं। आप केन्द्रीय राज्य मंत्री...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो. सौगत राय : मैं अब मुख्य विषय पर आता हूं। क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितनी देर तक बोलेंगे। आपने पहले ही पांच मिनट ले लिए हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. सौगत राय : महोदय, लिट्टे की आतंकवादी गतिविधियां जारी रहीं। वर्ष 2005 में महिन्द्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। किसी कारण से महिन्द्रा राजपक्षे ने लिट्टे का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने हर जगह से हथियार एकत्र किये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नाम मत लें।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : जरूरी है, पांच मिनट में खत्म करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट तो हो गये। अब किसी का नाम नहीं लेंगे। विषय पर बात कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : उनका नाम महिन्द्रा है और उनके भाई का नाम गोताभइया है। उन्होंने लिट्टे का सामना करने का निर्णय लिया *...(व्यवधान)* कृपया मेरे शब्द सुने...*(व्यवधान)* हो सकता है मुझे अच्छे लगे। चूंकि आप केवल एकपक्षीय विचार व्यक्त कर रहे हैं, अत: मुझे यहां पूरी कहानी कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : अब आप तो यूपीए छोड़ दें और मुझ पर चिल्लाएं। सरकार छोड़ दो, सरकार से त्यागपत्र दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : वे इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? मैं इतिहास नहीं दोहराना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी अन्य माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : मैं उसी पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)* कृपया समझने की कोशिश करें...*(व्यवधान)* फिर 2005 और 2009 के बीच तमिल लोगों का नरसंहार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर बोलें।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं; कहानी बता रहे हैं। कहानी मत बताइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हुआ यह था कि नरसंहार का मामला था। श्रीलंका में तमिलों के इस नरसंहार की बोस्निया-हर्जेगोबिना में मुस्लिमों के नरसंहार हुतू और टुटसी के बीच खांडा में नरसंहार और पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में बंगालियों के नरसंहार से तुलना की जा सकती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक लाख से अधिक तमिल लोगों की मृत्यु हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : सर दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात खत्म करिए। आप लम्बी बात कर रहे हैं दुनिया की। *[अनुवाद]* यह अच्छी बात नहीं है।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, एक लाख तमिल मारे गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? गलती फिर लिट्टे (एलटीटीई) की है। गुरिल्ला लड़ाई करने के बजाय उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी और एक पारंपरिक सेना की भांति लड़ने का प्रयास किया। श्रीलंका सेना बेहतर ढंग से सृज्जित थी और उसने पूरी तरह से तमिलों का सफाया कर दिया।

लिट्टे ने भी क्या किया, उन्होंने श्रीलंका सेना के सामने नागरिकों को मानव ढाल के रूप में रखा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : मैं कह रहा हूं कि लिट्टे के पास खराब सुरक्षा तंत्र था और उन्होंने यह किया कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप विवाद पैदा कर रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी.आर. नटराजन, आप शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अपना भाषण लिखित में देना चाहें, वे सभा पटल पर रख सकते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

***श्री पी.आर. नटराजन** (कोयम्बटूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार फिर सबूत सामने आए हैं जो श्रीलंकाई सशस्त्र बलों द्वारा युद्ध के अंतिम चरण में लिट्टे (एलटीटीई) के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन और गंभीर अपराधों की ओर संकेत कर रहे हैं। लिट्टे के प्रमुख वेलुपिल्लै प्रभाकरन के छोटे पुत्र बालाचंद्रन के फोटोग्राफ, जिन्हें इस सप्ताह ब्रिटिश टेलीविजन चैनल द्वारा सार्वजनिक किया गया था, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि श्रीलंकाई सैनिकों द्वारा बारह वर्ष के लड़के को नजदीक से मारा गया था।

ऐसा लगता है कि लड़के के गोली मारे जाने से कुछ घंटे पहले से लड़का सैनिकों के कब्जे में था। उसी चैनल द्वारा गत वर्ष जारी किए गए वीडियो फुटेज संकेत करते हैं कि लड़के को अंगरक्षकों के साथ गोली मारी गई थी। हाल के फोटो इस संदेह की पूर्ति करते हैं कि बालाचंद्रन, एक बालक, युद्ध में दुर्घटनावश नहीं मारा गया था बल्कि वह श्रीलंकाई सैनिकों की निर्दयतापूर्वक हत्या का निशाना था। सभी युद्ध बर्बर होते हैं परन्तु श्रीलंकाई सरकार द्वारा अपने ही लोगों के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध विशेष रूप से भयानक था। 30 वर्षों के युद्ध के दौरान इसने हजारों निहत्थे तमिल नागरिकों को बम बरसाये। इस युद्ध के अंतिम चरण में सैनिकों को खतरनाक स्तर तक भ्रष्ट होते हुए देखा गया था। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले लड़कों और बेकसूर नागरिकों को निर्वस्त्र किया, उन्हें पीड़ा पहुंचाई और गोली से मार दिया। उन्होंने बच्चों को भी फांसी दी। यह युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का घोर उल्लंघन है। संभव है कि बालाचंद्रन की हत्या की ...** द्वारा मंजूरी दी गई थी। उन पर युद्ध के नियमों के घोर उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नवीनतम फोटोग्राफ ने पूरे विश्व में असंतोष पैदा कर दिया है। लिट्टे के शीर्ष नेताओं को उनके संबंधियों सहित फांसी देने का आदेश अवश्य ही उच्च स्तर से आया होगा। अतः हम यह बात दोहराते हैं कि इस भायनक अपराधों के जिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए।

अनेक जांच में श्रीलंका के युद्ध संचालन में युद्ध अपराधों के साक्ष्य पाये गए हैं। यद्यपि; श्रीलंका सरकार ने इन आरोपों से इंकार किया है, अब समय था गया है कि पीड़ितों की ओर से न्याय मांगने के लिए विश्व कार्रवाई करे और भारत को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा होना चाहिए। इसे बेहतर तंत्र विकसित करने और आगे न्याय

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रुपांतर।
**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी.आर. नटराजन]

की प्रक्रिया हेतु चिंता व्यक्त करने के लिए संकल्प पारित करने से आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने तमिलों की विधिवत हत्या का आदेश दिया उन पर, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

महोदय, तमिलों की भावनाएं, और नाराजगी सभी भारतीय राजनैतिक दलों ने महसूस की है। अब सभा श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने हेतु एकमत है।

हम कहते हैं कि श्रीलंका एक मित्र देश है। हमें उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने पड़ेंगे। हमारा यही पक्ष होना चाहिए। भारत के लिए श्रीलंका के साथ संबंध तोड़ना आवश्यक नहीं है।

किन्तु इसके साथ ही श्रीलंका ने राजीव गांधी — जयवर्धने समझौता लागू करने से मना कर दिया जिसपर भारत और श्रीलंका द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। संप्रग सरकार उपर्युक्त समझौते के कार्यान्वयन के बारे में जानने में संकोच क्यों कर रहा है। यह इस सरकार पर भरोसे को कम करता है।

विदेश मंत्री द्वारा दिए वक्तव्य के 13वें पैरा में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् के समक्ष किए गए वायदों को लागू करने की बात श्रीलंका सरकार से दोहराई है। वस्तुत: इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। इस सरकार को बहुत सतर्क रहना होगा। श्रीलंका में तमिलों के कष्ट जारी हैं। आप भारत श्रीलंका समझौता क्यों नहीं लागू कर सकते? इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार को श्रीलंकाई तमिलों के कष्टों में हस्तक्षेप करना चाहिए। तमिलों के लिए राजनैतिक समाधान लाने के लिए भारत को अपने राजनयिक संबंधों का प्रयोग करते हुए श्रीलंका सरकार को मनाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री पी. लिंगम** (तेनकासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। मैं इस सदन में श्रीलंका में जाति के आधार पर हो रहे नरसंहार और मानवीय अधिकारों के हनन का मामला उठाना चाहता हूं। श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद अर्थात् 1956 के बाद से इस देश में नस्लभेद की नीति अपनाई जा रही है। इस देश में दो समुदाय तमिल और सिंहली रहते हैं। तमिल भाषा की अपेक्षा की जा रही थी। जबकि सिंहली भाषा को प्राथमिकता दी जा रही थी। तमिल भाषी लोगों ने समानता के लिये संघर्ष किया। 1980 के दशक के बाद से समानता के लिये उनके संघर्ष ने उग्रवाद का रूप ले लिया। यह काफी निराश्शाजनक है। इसका मुख्य कारण तत्कालीन श्रीलंकाई सरकार द्वारा की गई उपेक्षा है। आज की तारीख तक वहां एक लाख 50 हजार लोगों को मारा जा चुका है। 14 लाख लोग श्रीलंका छोड़कर जा चुके हैं। हमारे देश में लगभग डेढ़ लाख तमिल शरणार्थी रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत की स्थिति कैसी है? हमारा देश श्रीलंका में तमिलों की स्थिति के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। यह अत्यंत निराशाजनक है। हमारे देश में सदैव निर्गुट आंदोलन के सिद्धांत का पालन किया है। किन्तु भारत जैसा देश श्रीलंकाई तमिलों की दु:खद स्थिति से अछूता कैसे रह सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है? हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री का कहना है कि श्रीलंका हमारा मित्र राष्ट्र है।

लगभग 600 भारतीय मछुआरे जिनमें से अधिकांश तमिल मछुआरे थे, श्रीलंका में मारे गये हैं। ऐसा मित्र राष्ट्र यह देश? हमारे मछुआरों की सम्पत्ति उन्होंने जब्त कर ली है। लगभग 25,000 करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। अभी कल ही तमिल मछुआरों पर हमारा किया गया है। मैं पुन: पूछना चाहूंगा कि क्या यह एक मित्र राष्ट्र है? बांग्लादेश युद्ध के दौरान, जब हम पाकिस्तान से युद्ध रत थे, श्रीलंका ने पाकिस्तान को सहयोग दिया था। उन्होंने भारत के विरुद्ध यह कदम उठाया था। आज भी जो कुछ श्रीलंका में हो रहा है, वह भारत के खिलाफ है...* भारत को श्रीलंका की असलियत समझनी चाहिये। श्रीलंका की उपस्थिति में भारत की कूटनीति विफल नहीं होनी चाहिये....** श्रीलंका में 2009 में हुए युद्ध के बाद, 17 और 18 मई, 2009 को 45 हजार लोग मारे गये जिसमें बच्चे, महिलाएं और वृद्धजन भी मारे गये। यह जातीय नरसंहार था। वह आंतरिक मामला नहीं है। यह मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा किये गये समझौते के अनुसार, श्रीलंका सरकार ने कहा कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में स्वायत्तता स्थापित की जानी चाहिये। यही 13वें संशोधन का मूल भाव था। किन्तु श्रीलंकाई सरकार ने 13वें संशोधन को कार्यान्वित नहीं किया बल्कि तमिल क्षेत्रों में सिंहली लोगों को पुन: स्थापित कर दिया। 1980 में श्रीलंका के उत्तरी और पूर्व क्षेत्रों में केवल 40 हजार सिंहली रह रहे थे। वर्तमान में वहां 4 लाख सिंहली रह रहे हैं। उनका मुख्य इरादा वहां रह रहे तमिल लोगों को मारना है।

केवल इतना ही नहीं, श्रीलंका के कारण तमिलनाडु की स्थिति भी प्रभावित हुई है। तमिलनाडु के बहुत से मछुआरे मारे गये हैं। आज श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, उससे पूरा विश्व दु:खी है। परन्तु भारत जो इसका पड़ोसी देश है, इस मामले के प्रति बिल्कुल उदासीन

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रुपांतर।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। भारत एकता और अखंडता में विश्वास रखता है। तमिलनाडु भी भारत का अखंड राज्य है। भारत जैसा देश जो सदैव अपनी अखंडता के लिये प्रतिबद्ध है, श्रीलंका में रह रहे तमिलों की दु:खद स्थिति के प्रति बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाए हुए है। यह उदासीनता हमारी अखंडता के लिये खतरा बन सकती है।

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में श्रीलंका में हो रहे जातीय नरसंहार और मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध एक संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। किन्तु भारत ने ऐसा नहीं किया। यह वास्तव में बहुत ही निराशाजनक है। अब यह संकल्प अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हम अभी भी यह कह रहे हैं कि हम संकल्प पर विचार करेंगे। क्या यह शर्मनाक नहीं है? भारत को अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प को बिना किसी शर्त के समर्थन देना चाहिये। भारत को श्रीलंका के तमिलों की स्थिति के संबंध में राजनैतिक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से संकल्प को आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास करने चाहिये। अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर मात्र विचार करना काफी नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने की दिशा में पहले भी कड़े प्रयास किये हैं। अत: संकल्प पर पुन: विचार करना निर्गुट आंदोलन की नीति के विरुद्ध है जबकि भारत ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है।

केवल राजनैतिक समाधान से ही तमिलों को उनकी दुर्दुशा से उबारा जा सकता है। श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवाद को सुरक्षित रखने का यही सर्वोत्तम उपाय है। 13वें संशोधन में राजनैतिक समाधान की ही सिफारिश की गई है। भारत ने 13वें संशोधन के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। अत: राजनैतिक समाधान ढूंढने के प्रयास किये जाने चाहिए। राजनैतिक समाधान ढूंढने के लिये....* इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजनैतिक समाधान की नीति अपनाने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये। उस देश में युद्ध अपराध हुए हैं। मानवीय अधिकारों का हनन किया गया है। 2009 तक 16 हजार तमिल गायब हो चुके हैं। बहुत से पत्रकारों का कोई पता नहीं है। हाल ही में अखबारों में प्रभाकरन के बेटे बालाचन्द्रन की मृत देह का चित्र प्रकाशित हुआ था। वह केवल एक लड़के का चित्र था। उसके जैसे हजारों नौजवान वहां मारे गये हैं। इससे सबक लेकर श्रीलंका ने एक समाधान आयोग का भी गठन किया। किन्तु वह देश अपने ही द्वारा गठित किये गये समाधान आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तमिलों के अधिकारों की रक्षा के लिये, तमिलों के जीवन में शांति लाने के लिये तथा तमिलों की समस्या का राजनैतिक हल ढूंढने के लिये भारत को अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का समर्थन करना चाहिये। श्रीलंका में रह रहे तमिल समाज के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीलंकाई तमिलों की दुर्दशा के संबंध में श्री टी.आर. बालू और डा. तम्बिदुरई द्वारा प्रस्तुत अल्पकालीन चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

एक समाचार में जो फोटो हमने देखा और उसके बाद चैनल-IV द्वारा प्रसारित फिल्म में हममें से अनेक लोगों ने 12 वर्ष के उस बच्चे को अनमने तरीके से कैमरे से दूसरी ओर कुछ खाते हुए देखा होगा।

अगले चित्र में उसकी छाती में पांच गोलियां लगी हुई दिखाई देती हैं। उस समय वह क्या देख रहा था? संभवत: वह विनाश, मानवीय त्रासदी के दृश्यों को देख रहा होगा। उसके चेहरे पर भय की बजाय वेदना दिखाई दे रही थी वे दो निर्दोष आंखें न केवल श्री बालू अथवा डॉ. तम्बिदुरई बल्कि हममें से अधिकतर लोगों जिन्होंने बालाचन्द्रन का वह फोटो देखा है, को अभी भी भयतीत करती है। उसकी हत्या क्यों की गई? क्या उसकी हत्या इस आशंका से की गई कि 10 या 15 वर्षों के पश्चात् वह प्रभाकरन के अधूरे कार्यों को आगे जारी रखेगा या जैसा कि श्रीलंका के लोग कह रहे हैं उसकी हत्या दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में हुई? या वह अभी जीवित है? यदि वह जीवित है, तो श्रीलंका की सरकार उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं कर रही है यह प्रश्न उन सभी लोगों को परेशान कर रहा है जिन्होंने वह फोटो देखा है। इसलिए, चार वर्षों के पश्चात् हम आज श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने जाफना प्रायद्वीप में तमिल गांवों और नगरों का पुनर्निर्माण करने हेतु सहायता प्रदान की है। नि:संदेह इस दौरान तमिलों की दुर्दशा भारत सरकार द्वारा उनकी सहायता के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर और अन्य प्रस्तावों पर सभा में चर्चाएं हुई हैं। भारतीय सांसदों के एक शिष्ट मंडल ने यह देखने के लिए कि श्रीलंका में तमिलों का पुनर्वास किस प्रकार किया जा रहा है, श्रीलंका का दौरा किया था। परंतु, यह फोटो न केवल भारतीय लोगों की संवेदना को झकझोरता है परन्तु, इस फोटो ने विश्व के प्रत्येक मनुष्य के अन्तर्मन को झकझोर कर रख दिया है। इस मंच पर भारत जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समिति की बैठक में भाग लेगा। इस फोटो के सामने आने और फोरेंसिक साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरन के किशोर पुत्र की हत्या करके उसके साथ भयंकर अपराध किया गया, श्रीलंका की सेना को बहुत से उत्तर देने होंगे। कम-से-कम यह किसी अंतर्राष्ट्रीय पैनल द्वारा एक स्वतंत्र जांच का

[श्री भर्तृहरि महताब]

आदेश दे सकती है। इस घटना पर पूरा विश्व सकते में हैं। वर्ष 2009 में जब श्रीलंका की सरकार ने एलटीटीई के विरुद्ध इस संघर्ष में विजय प्राप्त की तो हमें काफी आश्चर्य हुआ। कोलंबों ने यह सफलता आपत्तिजनक कृत्य किए बिना नहीं प्राप्त की। श्रीलंका के तमिल नागरिकों को इस दौरान बहुत कड़े अनुभव हुए। उन्होंने अवर्णनीय वेदना झेली। वीडियो प्रसारण, शांति स्थापना के नाम पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के वीभत्स दृश्य दिखलाता है। श्रीलंका इसे पश्चिमी देशों द्वारा अपने दृष्टिकोण से किया जाने वाला हस्तक्षेप बता रहा है और उसका यह कहना है कि इससे श्रीलंका में युद्ध के पश्चात शांति स्थापना और वार्ता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। यह बात उचित नहीं है। भारत को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। पूरे विश्व में श्रीलंका सेना की इस कार्यवाही से रोष व्याप्त है जिसने यह नहीं सोचा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

जहां, उत्पीड़न का पूरा ब्यौरा देते हुए संघर्ष के अंतिम दिनों के घटनाक्रमों का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु, हमें यह जानकारी है कि एलटीटीई लोगों को अपनी ढाल बना रहे थे। कई वीडियो दृश्यों में यह दिखलाई पड़ रहा है कि किस प्रकार लोगों के समूह हाथ में सफेद झंडा लिए आ रहे हैं और स्वयं को विस्फोट करके उड़ा रहे हैं। ऊपर से और आसमान से भी गोलियां बरसाई जा रही थीं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए वे बदूंकों के निशाने पर थे। यह श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा को दर्शाता है। उन्हें यह नहीं सूझ रहा था कि वे कहां जाएं। 2009 में जनवरी से मई तक यह स्थिति बरकरार थी। तमिलों को खदेड़ने के लिए जब आसमान से उन पर अंधाधुंध बम बरसाए गए तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों की जान चली गई। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश किया गया। बम से या रोग अथवा भुखमरी से बड़े भयानक तरीके से उनकी मौत हुई।

2009 में एलटीटीई को पराजित करने के बाद श्रीलंका सरकार ने अभी तक 13वें संशोधन का पालन नहीं किया है जिसके अंतर्गत तमिल बहुल क्षेत्रों को और अधिक शक्तियां प्रदान की जानी थीं। एक समय था जबकि 1987 में वर्तमान राष्ट्रपति श्री राजपक्षे ने भारत-श्रीलंका समझौते का उल्लेख किया गया था और श्रीलंकाई तमिलों को स्वायत्तता प्रदान करने की वकालत की थी। परन्तु, अब वह अपनी बातों से मुकर चुके हैं।

मैं यह चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी इस बात को स्मरण करें कि इस प्रकार का वादा पहले भी किया गया था। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। परन्तु, साथ ही कूट नीति ही कायम रहती है। हमें यह देखना है कि क्या पड़ोसी देशों में सरकार हमारे प्रति सद्भावना रखती है या हमारे विरुद्ध कार्य कर रही है। यह कोई ऐसा मंच नहीं है जहां हम श्रीलंका सहित विभिन्न देशों से संबंधित कूटनीतिक संबंधों पर चर्चा करें। श्रीमती इंदिरा गांधी का श्रीलंका के प्रति अलग दृष्टिकोण क्यों था? स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने उस निर्णय में सुधार क्यों किया? हम उस निर्णय को जारी क्यों रख रहे हैं और आज भी हम इस संबंध में ढुलमुल रवैया क्यों अपना रहे हैं? इन परिस्थितियों में भारत को एक मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। किसी भी देश को अपने युद्ध संबंधी अपराध का बचाव करने और भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुचलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भारत सरकार को दो मुद्दों पर श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। पहला मुद्दा है कि युद्ध अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए और इससे बड़ा मुद्दा है कि श्रीलंका के तमिलों को राजनैतिक अधिकार प्रदान दिए जाएं। भारतीय विदेश नीति की बाध्यता को समझा जा सकता है जिसके फलस्वरूप हम इस मुद्दे को तमिल भावना से बाहर रखकर देखने और श्रीलंका को एक पड़ोसी देश मानने के लिए बाध्य हैं। यह तथ्य श्रीलंका के प्रति यूएन संकल्प में नरमी लाए जाने से सिद्ध होता है। परन्तु, हम कम-से-कम अब श्रीलंका को 12 वर्ष के एक बच्चे की हत्या करने और अन्य युद्ध अपराधों की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सहमत कर सकते हैं। हम यह समझते हैं कि इन परिस्थितियों में भारतीय कूटनीति के सामने गंभीर चुनौती है। हम श्रीलंका में तमिलों पर किए गए अत्याचारों की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें श्रीलंका में कड़वी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कोई रूख अपनाना चाहिए। स्थिति की गंभीरता अत्यधिक सटीक कार्यवाही किए जाने की मांग करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रीलंकाई तमिल अल्पसंख्यकों को राजनैतिक भागीदारी, कानूनी समानता और संस्कृतिक सम्मान की गारंटी दिए जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : वह अपनी बात समाप्त करने जा रहे हैं। यह काफी गंभीर मामला है। काफी लंबे समय के बाद हम यह वाद-विवाद कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हमारे पास सीमित समय है। अभी कई सदस्यों को बोलना है।

...*(व्यवधान)*

श्री दयानिधि मारन (चेन्नई मध्य) : सभा इस मुद्दे पर एकमत है।

श्री भर्तृहरि महताब : आक्रामक नृजातीय राष्ट्रवाद, जिसे विशेषतौर पर सिंहली राजनेताओं की पूर्व पीढ़ी प्रोत्साहित करती थी, का आज के संसार में कोई स्थान नहीं है। अत: यह महत्वपूर्ण है कि वृहद दृश्य की अनदेखी न की जाए। 21वीं सदी के भू-राजनैतिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के रूप में हिन्द महासागर के उभरने के साथ श्रीलंका को केवल एक पहलू के परिप्रेक्ष्य में देखना हमारी आदूरदर्शिता होगी। मुझे विस्तार से इस पर बोलने की जरूरत नहीं है।

मैं इन तीन मुद्दों का पूर्णत: समर्थन करता हूं तमिलों को श्रीलंका में गरिमापूर्ण ढंग से रहना चाहिए। उन्हें राजनैतिक शक्ति मिलनी चाहिए। उन्हें अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखना चाहिए। इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 2009 से पिछले छह महीने से चल रहे गृह युद्ध के युद्ध अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए और भारत को इस संबंध में आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय से श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन कानुभाई पटेल और श्री रमेन डेका अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम) : जब से कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में आई है तब से देश की विदेश नीति में हम निष्फल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेज की बात के सिवा हम हमारे पड़ोसी देशों के संबंध में भी कुछ गलत नीतियों की वजह से, जो हमारे परंपरागत साथी एवं मित्र थे, हम उनके साथ भी संबंध अच्छे नहीं बना पाए हैं।

हमार पड़ोसी, पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, उसे समझा भी जाता है, मगर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं रह पाए हैं। भारतीय उप-महाद्वीप में हमारे पड़ोसी देश के साथ में कमजोर रिश्ते, मैं यूपीए सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता मानता हूं।

श्रीलंका में तमिलों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं एवं बच्चे को भी निशाने पर लिया जाता है और निर्दोष तमिलों की हत्या की जाती है, उनके ऊपर में कड़ा रवैया अपनाना चाहिए और उनकी रक्षा के लिए श्रीलंकन सरकार को सख्त नसीहत देनी चाहिए।

मुझे स्मरण है कि लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज पिछले साल भारतीय पार्लियामेंट्री प्रतिनिधि मंडल के नेता के तौर पर वहां गई थी। तब श्रीलंकन सरकार को मंत्रणा में दो टूक बातें कहीं थी श्रीलंका में तमिलों की रक्षा एवं मानवाधिकारों को लेकर अहम बातें तथा सुझाव दिए थे।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। नेता प्रतिपक्ष (लोक सभा) के सुझावों पर ध्यान दिया जाए और तमिलों के मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

समुद्री मछुआरे चाहे वो गुजरात के हों या फिर तमिल हो, उनकी रक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए और पाकिस्तान एवं श्रीलंका को उनका अपहरण और बंदी बनाने से रोकना चाहिए। जो मछुआरे जेलों में बंद हैं उनको मुक्त कराने के राजनैतिक उपाय शीघ्र ही होना चाहिए।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा) : हम सभी जानते हैं कि आज श्रीलंका में तमिलों की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। वहां पर युवाओं, बच्चों, महिलाओं तथा बूढ़ों पर अत्याचार हो रहा है। श्रीलंका में तमिलों, उनकी संस्कृति परंपरा तथा भाषा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका की सरकार ने तमिल बाहुल्य क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करने का अपना वायदा आज तक पूरा नहीं किया है। आज भी श्रीलंका में विस्थापित तमिलों के पुनर्वास का मुद्दा बना हुआ है। श्रीलंका सरकार तमिलों के पुनर्वास की समस्या पर ध्यान न देकर वह तमिलों पर बर्बर अत्याचार को अंजाम दे रही है जिसके चलते वहां रहने वाले तमिलों की हालत दिन प्रति दिन दयनीय होती जा रही है। श्रीलंका की सेना ने 2008-09 में तमिल हितों के लिए संघर्ष करने वाले तमिल उग्रवादी संगठन लिट्टे को जिस बर्बरता और अमानवीयता से कुचला था उसे लेकर हर तमिल भाषी नागरिक का गुस्सा अस्वाभाविक नहीं है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है इसलिए हमें कुछ भी करते समय एक परिपक्व देश की तरह व्यवहार करना चाहिए। वहां पर हमें तमिल नागरिकों की हिफाजत तथा सम्मान बरकरार रखने के प्रयासों के साथ-साथ यह भी सोचना होगा कि कहीं भी हम उसे दूसरे देशों की गोद में तो नहीं फेंक रहे हैं। श्रीलंका में भारत की आवासीय परियोजना एक प्रशंसनीय कदम है। इस आवासीय परियोजना से श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान विस्थापित हुए लोगों को आसरा मिल जाएगा। श्रीलंका में इस आवासीय परियोजना का फायदा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण]

मन्नार और जाफना से हटकर अन्य तमिल बाहुल्य इलाकों तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही वहां मानवाधिकार संगठनों के सम्मान, तमिलो को बराबरी का हक देने तथा प्रेस को स्वतंत्र रखने के मुद्दों को भारत को राजनयिक स्तर पर उठाना चाहिए। अंत में श्रीलंका में रह रहे तमिलों के सुरक्षा, सम्मान तथा विकास के लिए भारत सरकार को राजनयिक स्तर पर बात कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां रह रहे तमिलों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

[अनुवाद]

***श्री सुवेन्दु अधिकारी** (तामलुक) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान श्रीलंका में इस समय हो रही घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और हमारी नेता सुश्री ममता बनर्जी ने श्रीलंका में हुई घटना की पुरजोर निंदा की है। यह एक नरसंहार जैसी घटना है और हमें श्रीलंकाई सेना द्वारा की गई इस जघन्य घटना का विरोध करना चाहिए। केन्द्र सरकार आवश्यक कदम उठाए ताकि तमिलों के जीवन की रक्षा की जा सके।

***श्री एस. सेम्मलई** (सलेम) : 2009 में श्रीलंका में, श्रीलंका संघर्ष के अंतिम महीनों में क्रमबद्ध तरीके से हजारों तमिल और वह भी युवा मारे गए थे जिससे मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार हुआ। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के पैनल ने उन घटनाओं को "अंतर्राष्ट्रीय कानून की समग्र व्यवस्था पर गम्भीर हमला" बताया था। यह संघर्ष श्रीलंका में तमिलों को अधिकारों से वंचित रखने और उनके उत्पीड़न के छह दशकों की पराकाष्ठा है। श्रीलंका सरकार द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति को देखते हुए जांच अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की होनी चाहिए।

नवम्बर में राष्ट्रमंडल के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक श्रीलंका में होनी है। श्रीलंका सरकार ने नरसंहार, कई तरह से अत्याचार किया है। जब अन्य राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों ने बैठक का स्थल श्रीलंका से बदलकर कहीं और करने की कोशिश की तो इसके महासचिव, कमलेश शर्मा ने बदलाव को रोक दिया। वह एक भूतपूर्व भारतीय राजनयिक हैं।

ऐसा लगता है कि भारत ने उनसे श्रीलंका को नाराज न करने का आग्रह किया था। भारत, श्रीलंका में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित है। चीन ने श्रीलंका में भारी निवेश किया है। ऐसी सूचना है कि चीन ने राजपक्षे को 9 मिलियन डॉलर अपनी इच्छा से प्रयोग करने के लिए दिए हैं। राष्ट्रपति ने रिपोर्ट दबाने के लिए समाचार-पत्र के सम्पादक को धमकी भरा टेलीफोन किया था।

श्रीलंका में कोई लोकतंत्र नहीं है। अव्यवस्था फैली हुई है। स्थान बदल जाना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रमंडल बैठक का मानवीय गरिमा के लिए अपनी प्रतिष्ठा है।

अब देखना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कैसा व्यवहार करते हैं। श्रीलंका में कोई कानून का शासन नहीं है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने प्रभाकरन की मृत्यु के बारे में झूठ बोला; वह उसके 12 वर्ष के पुत्र की मृत्यु के बारे में भी झूठ बोलते रहे जोकि ब्रिटिश चैनल-4 टीवी पर दिखाया गया था। उसकी नजदीक से नृशंस हत्या की गई थी; किन्तु राजपक्षे ने बताया था कि वह मारा गया था।

हाल ही में श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया क्योंकि उन्होंने असुविधाजनक निर्णय दिया था। कोई न्यायिक स्वतंत्रता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा को श्रीलंका भेजना चाहते थे। उन्हें वीजा नहीं दिया गया।

हथियारबंद लोग पत्रकारों का अपहरण करते जा रहे हैं। श्रीलंका की संसद में श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी के मुख्य सचेतक द्वारा यह स्वीकार किया गया था। 2012 में, श्रीलंका के एक मंत्री ने बीबीसी के पत्रकार पर शारीरिक हमला किया था और कहा था कि उन्हें ऐसी चीजें कहीं लिखनी चाहिए जिनसे उन्हें फांसी हो सकती है। दो सप्ताह पहले सशस्त्र लोग कोलम्बों के पत्रकार के घर में घुसे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

राजपक्षे ने निर्वाचित क्षेत्रीय परिषदों को शक्तियों के हस्तांतरण करने और तमिल अल्पसंख्यकों को कुछ स्वायत्तता देने के लिए भारतीय नेताओं को दिया गया आश्वासन पूरा नहीं किया। परन्तु उन्होंने यह घोषणा की कि शक्तियों का केन्द्रीकरण किया जाएगा। अब भारत सरकार क्या कर रही है?

2010 तक श्रीलंका का राष्ट्रीयगान तमिल और सिंहली भाषाओं में गाया जाता था किन्तु 2010 के बाद उन्होंने तमिल में गाना बंद कर दिया। राजपक्षे का यही रवैया है। जुलाई, 2012 में, गोटाभैया राजपक्षे (रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति के भाई) ने पत्रकार को टेलीफोन पर अपशब्द कहे; उन्होंने दो टेलीफोन वार्ताओं में 22 बार गलत और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अराजकता फैली हुई है; तानाशाही और मनमाने नेतृत्व के अधीन बर्बर कार्य हो रहे हैं। परन्तु वर्तमान सरकार पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों में विफल रही है। प्रधानमंत्री ठीक ढंग से श्रीलंकाई राष्ट्रपति को नहीं समझ रहे हैं। वह मौका चूक रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारतीय सरकार सयुंक्त राष्ट्र में संकल्प का समर्थन करें।

श्रीलंका सरकार ने बर्बरतापूर्वक तमिलों पर हमला किया; उन्हें समान अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं; उन्हें श्रीलंका में समान दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत को ही यह मानते हुए कि तमिल लोग हमारे अपने भाई हैं कार्रवाई करनी चाहिए थी और श्रीलंका के खिलाफ एक संकल्प पारित करने की पहल करनी चाहिए। परन्तु यहां श्रीलंका के बर्बर कार्य देखकर अमेरिका, श्रीलंका के खिलाफ संकल्प ला रहा है। स्पष्ट तौर पर यह कहने के बजाए कि भारत समर्थन करेगा, अब श्री प्रधानमंत्री कमजोरी से श्रीलंका के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और सदन में इस तरह का बयान दे रहे हैं।

यदि आप महात्मा गांधी को लें तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने मानवाधिकारों और मानव जीवन की गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी। ये शर्म की बात है कि महात्मा गांधी की धरती पर हम इतनी आसानी से अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं।

भारत को 6-7 करोड़ तमिल आबादी की आकांक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का आदर नहीं करते तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। श्रीलंकाई तमिलों की स्वाभाविक मौत नहीं मरने देना चाहिए। भारत को मामला श्रीलंका के साथ उठाना चाहिए।

बहस के अंत में भारत सरकार को यह जबाव देना चाहिए कि वह श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका समर्थित संकल्प का समर्थन करेगी।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, मैं इसका समर्थन करता हूं। जो श्रीलंकन तमिलियन्स हैं, मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मेरे पास वक्त नहीं था, मैं दूसरी मीटिंग में चला गया था। लेकिन जितने भी लोगों ने बोला है, बालू साहब से लेकर एआईएडीएमके के सभी लोगों का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन (चेन्नई मध्य) : महोदय, आज का सबसे गंभीर मुद्दा, श्रीलंकाई तमिलों, जिन्हें श्रीलंकाई सेना के अधीन निस्सहाय रूप से पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया गया है, जिस पर पूरी सभा दलगत प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर एक समान विचार है, की दयनीय स्थिति पर मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

इस सभा ने 1980 से ही कई वक्ताओं, जिसमें मेरे पिता भी शामिल थे, ने यहां खड़े होकर इसी मुद्दे-श्रीलंकाई तमिलों की दयनीय स्थिति पर अपनी बात रखी। कई वक्ता चले गए, परन्तु श्रीलंका की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह ज्यों कि त्यों है। हम भविष्य में क्या कर सकते हैं इसके लिए हमें भूतकाल में झांकना होगा। भूतकाल को भुलाया नहीं जा सकता – मैं 1980 के भूतकाल में नहीं जा रहा हूं – कम-से-कम 2009 में घटित भूतकाल।

युद्ध के दौरान, श्रीलंका के तमिलों का श्रीलंकाई सेना द्वारा उत्पीड़न किया गया है, उनकी हत्या की गई। यूनाइटेड किंगडम के चैनेल 4 ने श्रीलंकाई सेना द्वारा किए गए युद्ध अपराधों को दिखाने के लिए प्रमाण दिये हैं। वहां पर कुछ क्षेत्र गोली-बारी रहित क्षेत्र घोषित हुए थे। संयुक्त राष्ट्र रेड क्रास वहां मौजूद था और उसने लोगों को इलाज के लिए वहां आने और ठहरने के लिए कहा। कुछ क्षेत्रों को गोलीबारी रहित क्षेत्र घोषित करने के बाद भी श्रीलंकाई सेना ने उन स्थानों पर बमबारी किया और वहां के सभी निर्दोष तमिलों को मार डाला।

उस समय, मेरी पार्टी के नेता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले और आग्रह किये कि वे जायें और श्रीलंकाई सरकार को समझाए कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन न करें और गोलाबारी रहित क्षेत्र में लोगों पर गोली न चलाएं। मेरी पार्टी के नेता हमेशा तमिलों के हित के लिए खड़े रहे।

आज हम देखते हैं कि एक निर्दोष लड़का जो 2009 में मर गया था वह तमिलों की ओर से युद्ध नहीं कर रहा था। हां, वह बालाचन्द्रन है। उसे बिल्कुल पास से पांच गोली मारी गई थीं। जो फोटो, अभी आए हैं, किसी श्रीलंकाई तमिल द्वारा नहीं लिए गए हैं। ये फोटो विजय की निशानी हैं, जिसे श्रीलंकाई सेना द्वारा अपने लोगों के बीच यह दिखाने के लिए, कि उनके पास प्रभाकरण के पुत्र के रूप में एक विजयोपहार है, खींचा गया था। हमें ज्ञात है कि प्रभाकरण के पुत्र के साथ क्या हुआ और किस प्रकार उसे मारा गया – उसे यह आश्वासन देने के बाद भी, कि उसे उसकी किसी नजदीकी संबंधी के पास भेज दिया जायेगा, गोली मार दी गयी। जब वह बहुत शर्मीले ढंग से भोजन

[श्री दयानिधि मारन]

कर रहा था, आप उसके निर्दोष चेहरे को देखिए। उसके ठीक सामने, उसके नजदीकी अंगरक्षक के हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया गया और गोली मार दी गयी। उसके भी हाथों को बांध दिया गया और उसे भी गोली मार दी गई। हमें नहीं पता कि अन्य लोगों – उसकी मां और उसकी बहन, जिन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, के साथ क्या हुआ। यदि जांच कराई जाये तो शायद हम जान पायेंगे कि श्रीलंकाई सेना के पास कैसा वॉर चेस्ट या ट्राफी चेस्ट है, फोटोग्राम और विडियो साक्ष्य के प्रकार, जिसे उन्होंने अपने लोगों को दिखाने के लिए खींचा कि उन्होंने किस तरह बेरहमी से तमिलों की हत्या कर दी – हम उसके बाद ही सच्चाई से अवगत हो पायेंगे।

हम क्या मांग कर रहे हैं और हम भारत सरकार से क्या मांग रहे हैं? जब मैं 1986 में स्कूल में विद्यार्थी था, तब, मुझे एक भारतीय होने पर गर्व था क्योंकि उस समय, राजीव गांधी जी ने पूमलाई अभियान भेजा, जहां हमारी भारतीय वायु सेना जाकर श्रीलंका के तमिलों के लिए अनाज गिराया। तब मुझे अपने देश पर गर्व था। मुझे तब स्पष्ट अनुभव हुआ कि मेरा देश बड़ा मजबूत है और मेरा देश पड़ोसियों, मेरे तमिल पड़ोसियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत और शक्तिशाली निर्णय ले सकता है।

मुझे एक तमिल होने पर गर्व है; तमिल विश्व की सबसे मधुर भाषा है। मेरे लिए, तमिल मेरी भाषा है और मैं अपने नागरिकों का ध्यान रखता हूं। जैसाकि हर सदस्य ने यहां अपनी बात रखी है, हम यहां क्या मांग कर रहे हैं? हम आपको युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे हमारे पड़ोसी हैं, निकटतम पड़ोसी। यदि हमारा पड़ोसी दुर्व्यवहार करने लगे और यदि हमारा पड़ोसी बुरा बर्ताव करने लगे और अपने ही सगे-संबंधियों की हत्या करने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हम क्या मांग कर रहे हैं? हम एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? आप हमें डरा क्यों रहे हैं कि वहां चीन आ जायेगा और पाकिस्तान वहां आ जायेगा? चीन और पाकिस्तान तो वहां पहले से ही हैं। चीन वहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा बना रहा है, तो क्या हुआ? भारत कोई छोटा देश नहीं है; हम जन्मजात भारतीय हैं। जैसा कि हमारे वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने कहा, हमारे युवक जिज्ञासु हैं; वे जानना चाहते हैं। तमिलनाडु में आठ करोड़ से अधिक लोग हैं; हम आपकी ओर देख रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होना। हमारे युवक इसके बारे में जानना चाहेंगे; हमारे युवक आपको देख रहे हैं, कि जब श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा आता है तो कौन सा निर्णायक फैसला आप लेने जा रहे हैं?

हमारे सामने प्रमाण हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं – क्या हमें आगे नहीं आना चाहिए, क्या भारत को आगे आकर संयुक्त राष्ट्र में संकल्प प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि तमिल की दुर्दशा और युद्ध के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ उस पर एक जांच जोनी चाहिए? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यह श्रीलंका में तमिलों के लिए एक दयनीय स्थिति है। भारतीय नागरिकों के बारे में क्या विचार है? हमारे खुद के मछुवारे परेशान हो रहे हैं। वे कौन हैं और वे किस देश के हैं? वे हमारे देश के हैं; वे भारत के नागरिक हैं; वे श्रीलंकाई सेना द्वारा मारे गये हैं। उनकी रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया है? क्या एक भी ऐसी घटना है जिसमें भारतीय तटरक्षक दल ने गलती से एक भी सिंहली मछुवारे को गोली मारी है? नहीं। प्रतिदिन, केवल हमारे तमिलनाडु के मछुवारे, केवल हमारे भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं। क्या यह उचित है? मैं पूछ रहा हूं; तमिलनाडु के युवक आपसे पूछ रहे हैं – आप क्या कर रहे हैं?

हम एक निर्णायक फैसला चाहते हैं। हम श्रीलंका के साथ एक मित्रवत संबंध रखना चाहते हैं। परन्तु, आप एक बड़े देश हैं। आप इस क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति हैं। विश्व आपकी तरफ देख रहा है।

हमारे भारतीयों ने केवल श्रीलंका में ही प्रवजन नहीं किया है। बहुत से भारतीय हैं जिन्होंने विश्व के कई हिस्सों में प्रवजन किया, जो यह सोचकर कि संकटकाल में आप भारत सरकार उनकी रक्षा करेंगे, शान्तिपूर्वक रह रहे हैं। यदि आप श्रीलंका में तमिलों की तरह उन्हें भी छोड़ देंगे, यदि आप उनकी समस्याओं का समाधान करने का उपाय नहीं करेंगे, तो वे आप पर कैसे विश्वास करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसके अलावा हम और क्या चाहते हैं?

आज हम नागरिकों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल सभा में बोला तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तमिलों की मान-मर्यादा और आत्म सम्मान की रक्षा की जायेगी। हमें प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है। परन्तु उन्होंने जैसा कहा है वैसा अवश्य होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि – भारत एक निर्णायक फैसला लेगा और उनकी बातों में नहीं आयेगा क्योंकि प्रत्येक बार; श्रीलंका ने वादा करके भारत को केवल गुमराह ही किया है।

अपराह्न 3.00 बजे

हमें स्वयं को और अधिक धोखे में नहीं रखना चाहिए। कार्यवाई करने का समय आ गया है। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में जघन्य अत्याचार की घटना हुई थी जिसमें मास्को शहर में 1,00,000 महिलाएं विधवा हो गई थीं। उसके बाद, ऐसी दु:खद घटना श्रीलंका में ही घटी है जहां 90,000 महिलाएं एक रात में विधवा हो गईं। उनकी कैसी दुर्दशा है? छोटे बच्चों को श्रीलंकाई सेना ने यह कहते हुए उठा लिया कि वे विद्रोहियों का हिस्सा थे। वह कहां हैं? कोई नहीं जानता। युवा पीढ़ी का सफाया कर दिया गया है। महोदय हम भारतीय लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट वक्तव्य दिया है। हम भारत से कार्यवाही करने की आशा रखते हैं। यह कार्यवाही करने का समय है। मेरी इच्छा है और मुझे विश्वास है कि विदेश मंत्री सिर्फ बातें न करके काम करने के लिए आगे आयेंगे। हमें पहली कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र में होने की आशा है।

मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर पूरी सभा एकमत थी, परंतु मेरे प्रिय मित्र श्री तम्बिदुरई ने संघर्ष का रास्ता अपनाया, हमें भी कुछ कहना चाहिए। हम त्यागपत्र देने को तैयार हैं। यदि त्यागपत्र से इस मुद्दे का समाधान होता है, तो हम आज ही त्यागपत्र दे देंगे। हमें ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।...*(व्यवधान)* क्या कावेरी जल समस्या सुलझ गई है? नहीं, महोदय। उन्हें फिर इतिहास का अवलोकन करने दीजिए और देखने दीजिए कि उनके नेता ने 1993 में तमिलनाडु विधान सभा में क्या संकल्प पारित किया था।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर) : मैं श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा के बारे में 193 के अंतर्गत चर्चा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं:—

1. भारत को विदेश नीति इस प्रकार से बनानी चाहिए कि भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे यह मानव अधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर हो अथवा उन पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर। भारत को पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करना चाहिए।

2. भारत को श्रीलंका के तमिल लोगों के साथ हो रही प्रत्येक गतिविधि के साथ-साथ पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के मुद्दों को देखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हिन्दू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। अजा/अजजा समुदायों और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित बहुत से हिन्दू पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर हैं और वे भारत में विशेषकर राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में बसने के इच्छुक हैं। वे भारत में आश्रय चाहते हैं क्योंकि उनका परिवार और सम्पत्ति सुरक्षित और संरक्षित नहीं हैं।

3. हालांकि तमिल मुद्दा संवेदनशील है, भारत को श्रीलंका में तमिलों और पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों का भी मुद्दा उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : महोदय, पूरा सदन, सभी पार्टियों के लोग तमिल भाईयों के ऊपर लंका आर्मी के द्वारा जो अत्याचार, अनाचार हुआ है, हम सब लोग उसके सख्त खिलाफ हैं। सिर्फ भाषण के लिए नहीं, ठीक है कि वह हमारा मित्र देश है, समय-समय पर लंका को सुनामी से लेकर हर तरह का पैकेज भारत सरकार मुहैया कराती है। जो हमारे तमिल भाई और बहन हैं, वहां उन पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, हम लोग भारत सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि यह जो जुल्म और मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, आज समय की पुकार है कि उसके खिलाफ जबरदस्त आवाज बुलन्द की जाये। मंत्री जी यहां बैठे हैं, हम सरकार को पूरी शक्ति देते हैं, लेकिन बार-बार ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए।

अपराह्न 3.03 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

इसका सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए और उनका रीसैटलमेंट होना चाहिए और जो लंका आर्मी ने अन्याय किया है, उनको सजा दिलाने के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। यह सवाल सिर्फ तमिल भाईयों का ही नहीं, यह पूरे भारत का सवाल है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हम सब भारत के लोग, जो वहां हमारे तमिल भाईयों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। उनको इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़-चढ़कर हर तरह का सहयोग करेंगे।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***श्री ए. गणेशमूर्ति** (इरोड) : सभापति महोदय, इस अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज सुबह से ही, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता ईलम में वर्तमान स्थिति और वहां के घटनाक्रम को इस सभा के समक्ष रख रहे हैं। वहां जो भी हो रहा है वो नरसंहार है, एक जातीय समूह का संहार है। वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। श्रीलंका में इस युद्ध के अंतिम चरण के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निषिद्ध बमों का इस्तेमाल किया गया और युद्ध अपराध किए गए। इन सभी नेताओं ने वहां हो रही चीजों का वर्णन किया है। इस बात को जारी रखने के लिए आप मुझे उतना समय नहीं देंगे। इसलिए मैं अपने अनुसार अपनी बात कह रहा हूं। ईलम में जो भी हो रहा है वह नरसंहार है। यह आज ही शुरू नहीं हुआ है। शास्त्री-सिरिमाओ समझौते के बाद, श्रीलंका से बागान श्रमिकों के प्रत्यावर्तन के बाद से ही ईलम में तमिल जाति के सफाये का काम लगातार चल रहा है। चाहे वह भंडार नायके हो अथवा सिरिमाओं भंडारनायके अथवा चाहे राजपक्षे हो, 'ईलम में अब तमिल नहीं रहेंगे' के जोश के साथ वहां सब कुछ हो रहा है।

जैसा कि यहां मुझसे पहले मेरे मित्रों ने कहा है, शुरूआत में तमिलों को उनका उचित स्थान नहीं दिया गया, उसके बाद रोजगार के अवसर नहीं दिए गए, तत्पश्चात् शिक्षा नहीं दी गयी। और इसी तरह जब आध्यात्मिक रूप से प्रेरित अहिंसक 'अहिंसा' संघर्ष भी असफल हो गया तब थन्थाई सेल्वा, एक पुरोधा, ने वट्टुकोट्टाई सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया और इसे सामने लाए। इस संकल्प को आधार मानते हुए, जिसमें कहा गया है कि तमिल ईलम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता, उस समय हुए आम चुनावों के दौरान, लोगों ने 'जनमत संग्रह' के रूप में अपना संकल्प व्यक्त करते हुए इसके लिए मतदान किया। श्रीलंकाई सरकार ने उस आंदोलन को दबाने के लिए अपनी सेना का प्रयोग किया। उसके बाद से ईलम तमिलों का संहार जारी रहा और उनका नरसंहार होता रहा। मैं वहां हो रहे नरसंहार को प्रकाश में लाने के लिए चैनल 4 को धन्यवाद देता हूं।

विश्व ने अब जाकर अपनी आंखें खोली हैं। विश्व ने अपनी अब तक बंद आंखों को अब जाकर खोला है। अब इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मंच पर चर्चा करने का परिवेश तैयार हो गया है। एक समय पर, संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं अपनी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि संयुक्त राष्ट्र से गलती हुई है और हम सभी इसके साक्षी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अलावा और कौन इस संबंध में उपाय सुझा सकता है। भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। हम, दस करोड़ तमिल तमिलनाडु में रह रहे हैं। और हमने आपको स्वीकार किया है। हम तमिलों ने भारत की संप्रभुता को स्वीकार किया है। किसी देश की संप्रभुता का अर्थ इसके लोगों पर अधिपत्य मात्र नहीं है। बल्कि यह लोगों द्वारा अपनी सरकार पर दर्शाया गया विश्वास है। आपका संप्रभुता को खतरे में डाले बिना कोई कदम उठाना चाहिये जितने भी लोगों ने मुझसे पहले अपनी बात रखी है उन सभी ने वहां हो रही मौतों और नरसंहार का वर्णन किया है। मेरे सम्मानित सहकर्मी, श्री यशवंत सिन्हा ने भारत सरकार की बड़ी भारी भूल के बारे में बताया है और वहां हुए नरसंहार में भारत सरकार की भूमिका को उजागर किया है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अब, सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। लगभग सभी ने यही कहा है।

श्री दयानिधि मारन ने भाषण में कहा कि हम सभी का दृष्टिकोण लगभग एक ही है। केवल जरा सा अंतर है। हमारे मित्र श्री लिंगम ने कहा कि हमें अमेरिका द्वारा लाए गए संकल्प का समर्थन करना चाहिए। अमेरिका द्वारा लाए जाने वाला संकल्प क्या है? यह मात्र एक दिखावा है, एक चालाकी है। पिछली बार भी वे एक संकल्प लाए थे। एक एलएलआर का गठन किया गया था। इसका क्या हुआ? यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित समिति ने भी गलती की है। यूएनएचआरसी रिपोर्ट के अंतिम भाग में इसे उजागर किया गया है। हम पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र पर भी निर्भर रह नहीं सकते। यदि भारत बचाव के लिए आगे नहीं आता, तो वहां लोगों को कौन बचाएगा? हम उन्हें एक पड़ोसी देश कहते हैं, एक मित्र देश कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तमिलनाडु में हम 10 करोड़ तमिल रह रहे हैं। जबकि बाकी पूरे देश में हिन्दू रह रहे हैं। यह हमारा कर्त्तव्य है। एक धर्म को खत्म करने के लिए श्रीलंका में 2500 से अधिक मंदिरों का ध्वंस कर दिया गया है। वहां अपना जीवन बिताने के लिए तमिलों को अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है। वहां महिलाओं के साथ यौन अत्याचार हो रहे हैं। मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाने दिया जा रहा है। वे खेती भी नहीं कर सकते। उनके पास स्वयं के बचाव का कोई अवसर नहीं है। एक जाति को समाप्त करने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का अंत होना चाहिए। समुचित कार्यवाही करने की जरूरत है। एक अमेरिकी संकल्प पर भरोसा करना सिर्फ निरर्थक ही होगा। भारत सरकार को एक संकल्प लाने के लिए खुद से आगे आना चाहिए। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट अपने निष्कर्ष में कहा है कि श्रीलंका में मानव अधिकारों का खुले आम उल्लंघन हुआ है। इसलिए एक स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच होनी चाहिए। हमारे

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रुपांतर।

संकल्प में दोषियों के लिए उचित दंड पर भी जोर होना चाहिए। जो कुछ भी ईलम में हुआ उसे सिर्फ युद्ध अपराध के तौर पर अनदेखा नहीं किया जा सकता, बल्कि यह निश्चित तौर पर किसी जाति विशेष का सफाया और नरसंहार है। तमिल जाति का श्रीलंकाई द्वीप से पूरी तरह से सफाया किया जाना था। इसलिए, अब साथ-साथ रहना असंभव हो गया है। तमिल राष्ट्रीय जाति मुद्दे को सुलझाने का एक मात्र तरीका एक स्वतंत्र और स्वच्छ विश्वसनीय जनमत संग्रह या रायशुमारी कराना है जिसमें विदेशों में बसे, विस्थापित तमिल सभी सम्मिलित हो। हमें संयुक्त राष्ट्र मंच में इस संबंध में एक संकल्प लाना चाहिए।

इस महीने की 4 तारीख को मुझे संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एकत्रित हुए प्रवासी तमिलों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां हजारों तमिलों ने कहा कि तमिल ईलम ही एक मात्र समाधान है और कोई अन्य रास्ता नहीं है। उनका एक स्वर में स्थायी मत था "अन्यथा, इल्लालन वापस आयेगा"। मैं आपको वह स्मरण कराने के लिए कर्त्तव्यबद्ध हूं। यह कि ईलम में यह चर्चा जोरों पर है कि इल्लालन वापस आयेगा उस आवाज को दबाना और तमिलों की रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है।

जनमत संग्रह आजकल नई चीज नहीं है। जनमत संग्रहों के परिणामस्वरूप आज लगभग 15 नये देश विश्व पटल पर उभरे हैं। संप्रभुता और स्व-निर्धारण का अधिकार जनमत संग्रह के माध्यम से प्राप्त किया गया है। हम इसे श्रीलंका में क्यों नहीं अपना सकते? भारत उस पर जोर क्यों नहीं देता? क्या हमें कोई नैतिक अधिकार प्राप्त है? भारत के पास न केवल नैतिक अधिकार प्राप्त है बल्कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं। ऐसा हमारे आपसे जुड़े रहने के कारण ही हुआ है कि हमने कच्चातिवु खो दिया है। यह हमारे आपके साथ रहने से ही हुआ है कि लाखों पौधा रोपण श्रमिक जिन्होंने श्रीलंका को समृद्ध किया है उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया गया। 1956 से लेकर, आज तक, इन सभी सालों में तमिलनाडु विधान सभा में प्रस्तुत बजट में विस्थापित तमिलों की राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास हेतु लगातार राहत कोष का आवंटन किया जा रहा है। लोगों का आगमन अभी भी जारी है और तमिलनाडु सरकार 1956 से हर वर्ष उन्हें यहां बसने और भरण पोषण में सहायता देने के लिए धनराशि आवंटित कर रही है। क्या यह हमारा दायित्व नहीं है कि श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, वह समाप्त हो? इसलिए, मैं भारत सरकार से का अनुरोध करता हूं कि वह स्वयं एक संकल्प लाये भारत को जनमत संग्रह हेतु संयुक्त राष्ट्र मंच पर एक संकल्प लाना चाहिए।

उससे पहले तमिल क्षेत्रों से, सेना और पुलिस को तत्काल हटाया जाए। तमिलों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर की जा रही प्रताड़ना, यौन अत्याचार और अन्य प्रकार की हिंसा को खत्म किया जाना चाहिए। जो तमिल अभी भी शिविरों में रह रहे हैं उन्हें उनके संबंधित स्थानों पर भेजा जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाएं जो प्रभावित तमिलों की सहायता कर रही हैं उन्हें वहां अपनी सेवाओं का विस्तार करने की अनुमति दी जाए। तमिल क्षेत्रों में सिंहलियों की बसावट को तुरंत रोका जाए। तमिल क्षेत्रों में अभी तक बसाए गए सिंहलियों को तुरंत वहां से निकाला जाए। श्रीलंकाई जेलों में बंद तमिल युवाओं को तत्काल रिहा किया जाए। इन सभी उपायों को लागू करना भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। चाहे हम चाहें या न चाहें पर हम दस करोड़ तमिलों ने भारत को स्वीकार किया है और भारत में रह रहे हैं। भारत का यह उत्तरदायित्व है वह हमारे इस दृढ़ संबंध की रक्षा करे। इस विश्व में हिन्दू संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, करोड़ों लोग भारत में रह रहे हैं और इसीलिए यह नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपसे साग्रह अनुरोध करता हूं कि भारत को अपनी संप्रभुता को खतरे में डाले बिना कार्यवाही करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री थोल तिरूमावलावन** (चिदम्बरम) : महोदय, मैं ईलम तमिलों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस सभा को धन्यवाद देता हूं। यह चर्चा पिछले तीन घंटे से जारी है। केवल तमिलनाडु के सदस्यों ने ही नहीं बल्कि भारत के सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भी ईलम तमिल के कल्याण की बात की है। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह मेरा कर्त्तव्य है। हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय ने, चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि हमें एक मित्रवत पड़ोसी देश की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को खराब नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, आप चिन्तित हैं कि दो देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को खराब नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु, हम इस दुर्दशा को एक जातीय समुदाय के मुद्दे की दृष्टि से देखते हैं। हमारी मुख्य चिन्ता है कि एक जातीय समुदाय का विनाश नहीं होना चाहिए। हम एक जातीय समुदाय के विनाश पर आंसू बहा रहे हैं। भारत सरकार इसे एक संगठन के एक मुद्दे के रूप में देख रही है। परन्तु, हम इस समस्या को एक जातीय समुदाय के मुद्दे के रूप में देखते हैं। हम उसी उद्देश्य के लिए चर्चा कर रहे हैं। भारत के सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने ईलम तमिलों की दुर्दशा पर इस सभा में चर्चा की। इन सभी चर्चाओं के बावजूद यह वास्तव में निराशाजनक है कि श्रीलंका को भारत द्वारा एक मित्र देश माना जाता है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रुपांतर।

[श्री थोल तिरूमावलावन]

महोदय, जब भी श्रीलंकाई पदाधिकारी भारत का दौरा करते हैं तब हम उनका भव्य स्वागत करते हैं। परन्तु हमें यह सोचना है कि क्या सिंहली राष्ट्रवादियों ने उस सभ्य संस्कृति का पालन किया है? मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने उस घटना की चर्चा की है जो सन् 1987 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्रीलंका की यात्रा के दौरान घटित हुई थी। वहां एक नृशंस हमले द्वारा हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने का प्रयास हुआ। यह शर्मनाक कार्य है।

हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। महोदय, आप कहते हैं कि हमें एक विदेशी राज्य की सरकार के नेता के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह वास्तव में हृदय विदारक है। आप कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए जिसने लाखों नागरिकों की हत्या की है। यह वास्तव में लज्जाजनक है। महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार यह कैसे भूल गयी कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था? हमें शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए। कई राजनीतिक नेताओं ने राजीव गांधी-जयवर्धने समझौते का उल्लेख किया। वे तेरहवें संशोधन का उल्लेख करते हैं। तेरहवें संशोधन के अनुसार श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांत को मिलाकर उसे स्वायत्तता दी जानी चाहिए। उन क्षेत्रों को तमिलों की मातृ भूमि घोषित किया जाना चाहिए। इस संशोधन को मान्यता दी जानी चाहिए। परन्तु, अब उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को अलग कर दिया है और घोषित कर दिया है कि वे अलग प्रांत है। क्या उन्होंने राजीव-जयवर्धने समझौते का सम्मान किया है? उन्होंने ऐसा नहीं किया। महोदय, हमें इसके बारे में सोचना है। यह राजीव गांधी का अपमान है। ऐसा प्रतीत होता कि यह भारत सरकार का अपमान है। कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि वहां पर इसके बाद क्या हुआ।

क्या उन्होंने भारत को एक मित्र देश माना है? पिछले पच्चीस सालों के दौरान तमिलनाडु के लगभग पांच सौ भारतीय मछुआरे श्रीलंका द्वारा मारे गए हैं। श्रीलंकाई नौसेना हमारी भारतीय समुद्री सीमा का अतिक्रमण कर हमारे मछुआरों पर हमला करती रही है। कल, कराईकल के एक मछुवारे को गोली लगी और वह अब अस्पताल में भर्ती है। तमिलनाडु के सैकड़ों भारतीय मछुआरों का अपहरण कर लिया गया। बहुत से मछुआरे श्रीलंकाई जेलों में दिन काट रहे हैं। इस समय भी तीस से अधिक मछुआरे कोलम्बो जेल में हैं।

यह बताना हमारा कर्त्तव्य है कि उन्होंने भारत को कभी भी एक मित्र देश नहीं माना। श्रीलंका में जो कुछ हुआ वह केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है। हम प्रतिदिन इन मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना कर रहे हैं। यह केवल युद्ध अपराध नहीं है। युद्ध अपराध केवल हथियार बन्द लोगों के ही विरुद्ध किया जा सकता है। युद्ध अपराध युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उल्लंघन से संबंधित है। परन्तु, वहां वास्तव में जो हो रहा है वह और कुछ नहीं बल्कि जातीय नरसंहार है। इसके अतिरिक्त, वे संरचनात्मक नरसंहार में शामिल हैं। एक सम्पूर्ण जातीय समुदाय को लक्ष्य बनाया गया है। उनकी सभी पहचान को निशाना बनाया जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है। यह संरचनात्मक नरसंहार ...*... के नेतृत्व में किया गया। भारत सरकार को इसे एक देश की आंतरिक समस्या के रूप में ही देखना चाहिए। इसे इसको एक क्षणिक मुद्दे के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस मुद्दे को संरचनात्मक जातीय सफाये के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे एक जातीय समुदाय की सभी पहचान के विनाश के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। सभी राजनीति दलों के नेताओं ने बताया है कि जेनेवा में चल रही संयुक्त राष्ट्र मानवाअधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) की बैठक में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित प्रारुप संकल्प के संबंध में क्या किया जाना चाहिए। अमेरिका द्वारा लाया जाने वाला उपर्युक्त प्रारुप संकल्प बेकार है। इससे लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने लेसन्स लर्न्ट एंड रीकन्सीलिएसन कमीशन (एलएलआरसी) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की मांग की है। इसमें और कुछ भी नहीं कहा गया है। अत: यह पर्याप्त नहीं है। हम एलएलआरसी की सिफारिश के कार्यान्वयन की मांग नहीं कर रहे हैं। लोगों को उनकी अपनी भूमि पर सताया जा रहा है। यह इतिहास में अभूतपूर्व है। जहरीली गैसों से भरे बम उनके अपने ही लोगों के ऊपर गिराये गये। क्या ऐसी सरकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनसे पूछताछ नहीं की जानी चाहिए? क्या इसे संयुक्त राष्ट्र की निगरानी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए?

महोदय, एक पड़ोसी देश होने के कारण यह भारत का कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वह उपर्युक्त कार्यवाही की पहल करे। महोदय, भारत का नागरिक होने के नाते, इस सभा के सदस्य होने के नाते हमें यह निवेदन करने का अधिकार है कि भारत सरकार इस संबंध में हस्तक्षेप करे। हमें ज्ञात है कि भारत के हस्तक्षेप के बिना ईलम मुद्दे का समाधान नहीं हो पायेगा।

परन्तु, भारत सरकार सदैव सिंहलियों का समर्थन करती है। आठ

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

करोड़ तमिल लोग कहते हैं कि ...*... को भारत में नहीं घुसना चाहिये। परन्तु, हमारे मंत्री दोहरा रहे हैं कि श्रीलंका हमारा मित्र देश है और हम सिंहलियों को आमंत्रित करेंगे और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

महोदय, यह आग में घी डालने जैसा है। इन उन्मादी सिंहलियों को किसी भी कमित पर भारत में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह तमिलनाडु के लोगों की भावना है। यह हमारा नम्र निवेदन है। हमारी मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जांच हो। जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और संयुक्त राष्ट्र के निगरानी में ही होनी चाहिए। इस प्रकार की जांच बहुराष्ट्रीय मंच द्वारा ही संचालित की जानी चाहिए। उन हत्यारों से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछताछ की जानी चाहिए और उन्हें नरसंहार के अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मांग का भी उल्लेख करना चाहूंगा। ऐसी जानकारी मिली है कि आगामी सितम्बर में राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन कोलम्बों में आयोजित होना है। इंग्लैंड की संसद के एक सौ सत्रह सदस्यों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर मांग की है कि श्रीलंका में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार को भाग नहीं लेना चाहिए। उस आधार पर, तमिलनाडु की तरह से, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कोलम्बों में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भारत को भाग नहीं लेना चाहिए। इन सभी विचारों को सुनने के बाद भी, भारत सरकार अपने इस दृष्टिकोण पर टिकी हुई है कि श्रीलंका एक मित्र देश है और भारत सरकार श्रीलंका का सदैव समर्थन करेगी। यदि यही रवैया चलता रहेगा तो तमिलनाडु की युवा पीढ़ी को ऐसा लगेगा कि वे भारतीय नहीं हैं। हो सकता है वे भारत को अपना देश ही नहीं मानें। तमिलनाडु में इस भावना के बलवती होने के लिए केन्द्र सरकार उत्तरदायी होगी।

महोदय, इस अपराधिक इरादे से, कि दुबारा कोई प्रभाकरण पैदा न हो सके, श्री प्रभाकरण के छोटे लड़के की नृशंस हत्या कर दी गई। उस लड़के के पास हथियार नहीं थे। उसने लड़ाई नहीं की। वह एक छोटा लड़का है। उसके जैसे कई छोटे बच्चे मारे गए। कई महिलाएं मार डाली गईं/कई बूढ़े लोग मारे गए। कई विकलांग लोग मारे गए। एक जाति का सफाया करने के उद्देश्य से ये सभी हत्याएं की गईं। छोटा लड़का, बालाचन्द्रन दुश्मनों के बंकर में गया था और उनका साहस के साथ सामना किया। मैं बालाचन्द्रन की बहादुरी को सलाम करता हूं। उसने अपने सीने में गोलियां खायीं। वह अपनी मौत का सामना भी उसने बहादुरी से किया। यद्यपि, यह एक छोटा बारह साल का एक बच्चा था, फिर भी, उसने साहस के साथ मौत को गले लगाया। हमें उस पर गर्व है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

भारत सरकार को श्रीलंका के साथ मित्रवत् संबंध नहीं रखने चाहिए। हमें चीन और पाकिस्तान संबंधी मुद्दों के नाम पर उनके साथ मित्रवत् संबंध बनाने के लिये किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। भारत को इस ऐतिहासिक भूल को जारी नहीं रखना चाहिए। अपने देश की विदेश नीति के नाम पर हमें अपने तमिल जातीय समुदाय के प्रति बदला नहीं लेना चाहिए। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। सिंहली भारत का अपमान कर रहे हैं। हमें उन्हें एक मित्र देश नहीं मानना चाहिए।

महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह भारत की विदेश नीति है कि श्रीलंका को एक जाति का सफाया जारी रखने की अनुमति दी जाये और उनके साथ द्विपक्षीय संबंध भी बनाए रखे जायें? श्रीलंका के संबंध में भारत की विदेशी नीति में एक परिवर्तन होना चाहिये। महोदय, यह तमिल बोलने वाले आठ करोड़ लोगों की तरफ से निवेदन है। हम भारत में रह रहे हैं। हम भारत के नागरिक हैं। भारत वर्ष के नागरिक होने के नाते यह सरकार से हमारा निवेदन है। जेनेवा सम्मेलन में, भारत सरकार को अपनी तरफ से श्रीलंका के विरुद्ध एक नये संकल्प लाने के लिये स्वयं आगे आना चाहिए। अमेरिका द्वारा लाये गये संकल्प को आपको समर्थन देना चाहिए। यह हमारी मांग है। यह भारत सरकार का कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है।

अन्यथा यह भारत के इतिहास में एक काला धब्बा है और रहेगा। केवल ईलम तमिल ही नहीं, बल्कि, तमिलनाडु के तमिल भी भारत सरकार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे यदि भारत उसी विदेश नीति, जो तमिलों के खिलाफ है, का अनुपालन करता है।

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी) : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि भारत की एक जिम्मेदारी बनती है; अन्यथा, भविष्य में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि तमिलनाडु के युवकों को एक अलग तमिल देश के लिए संघर्ष करना होगा। इसे निकाल दिया जाना चाहिए।

***श्री थोल तिरुमावलावन** : महोदय, इसीलिए मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत के विरुद्ध भावनाओं को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। अत:, भारत सरकार को तमिलों के खिलाफ जाने की नीति को छोड़ देना चाहिए। महोदय, आज के तमिल युवक अपने राज्य

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रुपांतर।

[श्री थोल तिरुमावलावन]

तमिलनाडु की तरह ही भारत का आदर करते हैं। भारत सरकार को ईलम तमिलों के संबंध में अपनी विदेश नीति को बदलना चाहिए। इस मुद्दे का एक मात्र समाधान तमिल ईलम है। समाधान प्राप्त करने के लिये, तमिल ईलम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जनमत संग्रह करवाना चाहिये। हमारी सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। मैं, एक बार पुन: आपको मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : किसी आपत्तिजनक हिस्से की जांच कर उसे हटा दिया जायेगा।

***श्री सी. शिवासामी** (तिरुपुर) : श्रीलंकाई सरकार लगातार श्रीलंका में रह रहे तमिलों पर हमला कर रही है। श्रीलंका की सरकार तमिल समुदाय को अपनी भूमि से पूरी तरह से खदेड़ना चाहती है। भारत को श्रीलंका में तमिलों पर किये जा रहे अत्याचारों को मूक दर्शक की भांति देखते नहीं रहना चाहिये। तमिलों को भी उस देश में सिंहलियों की भांति समान अधिकार दिये जाने चाहिये। केन्द्र सरकार को श्रीलंका में तमिलों के हितों की रक्षा हेतु तुरंत कार्यवाही करनी चाहिये। हमारे पड़ोसी देश में गृह युद्ध के दौरान लंकाई सेना द्वारा तमिलों पर किये गये क्रूर हमलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। तमिलों को सिंहलियों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिये। जिन क्षेत्रों में तमिल लोगों को विस्थापित किया गया है, वहां सिंहलियों को बसाया जा रहा है। भारत सरकार को श्रीलंका सरकार पर इस बात के लिये जोर देना चाहिये जिन क्षेत्रों में पहले तमिल लोग रह चुके हैं, उन स्थानों को सिंहलियों से खाली कराया जाए। जिन गांवों के तमिल नामों को बदल कर सिंहली नाम रख दिये गये हैं, उनके मूल नाम वापिस रख दिये जाएं। भारत सरकार को अपने कुशल अधिकारियों के निरीक्षण में वहां प्रभावित लोगों की सहायता के लिये आगे आना चाहिये। श्रीलंका स्वयं को हमारा मित्र राष्ट्र कहता है। भविष्य में हमें पता चलेगा कि श्रीलंका हमारा शत्रु राष्ट्र है। तमिल मछुआरों पर हमले किये जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, लंकाई सेना उन्हें मार रही है। यह सब रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? श्रीलंका सोचता है कि उसके इस द्वीपीय राष्ट्र में तमिलों की रक्षा के लिए कोई भी नहीं है। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। तभी हमारे पड़ोसी देश भारत से डरेंगे।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रुपांतर।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

चेयरमैन साहब, श्रीलंका में तमिलों के साथ जो हुआ, इसके लिए भारत देश में हम लोगों को भी शेम फील करना चाहिए। यह टोटल ह्यूमन राइट्स का वाइलेशन है। ह्यूमन राइट्स का इतना वाइलेशन आज तक वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ। इतना होने के बावजूद हमारी गवर्नमेंट ने आज तक काई भी एक्शन नहीं लिया है। अभी सिन्हा साहब ने अपनी स्पीच में बहुत सारे उदाहरण कोट किये कि किस तरीके से उन लोगों ने प्लान किया है। एक या दो नहीं उन्होंने बहुत सारे उदाहरण कोट किये हैं। कैसे उन लोगों ने प्लान किया है, वर्ष 2009 में भारत का जनरल इलेक्शन के समय में उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इसके साथ-साथ इनडायरेक्ट की भी कुछ मैसेज आये, इनडायरेक्ट में भी उधर से जो मिला है, श्रीलंका आफिशियल्स ने जिस तरीक से इंडियंस के साथ बात की है, इस सबके साथ यह प्रूव हो रहा है। इससे एक डाउट क्रिएट हो रहा है। यह गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर इश्यू में डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रही है। इसमें इस गवर्नमेंट को आज बहुत क्लियर कट देश को बताना पड़ेगा। श्रीलंका में तमिलों के साथ जिस तरीके से हुआ है, इसके बारे में क्लियर कट बोलना चाहिए। हम भारत के लोग श्रीलंका के तमिलों के साथ हैं। मगर इस गवर्नमेंट की जो दोहरी नीति, डबल स्टैंडर्ड है, उससे कुछ डाउट लग रहा है। उसे क्लेरीफाई करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है।

महोदय, रिसेंटली बहुत सारे इश्यूज़ हम लोगों के पास आये हैं। कभी भी इस गवर्नमेंट ने श्रीलंका गवर्नमेंट को वार्न नहीं किया है। कभी भी एक स्ट्रांग स्टेटमेंट भी नहीं किया है। जब श्रीलंका तमिलों को किल कर रहा था, तब कभी भी ओपनली इस गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। इस सबसे काफी डाउट लग रहा है। *[अनुवाद]* सरकार को अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करना होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संकल्प पारित करना होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि श्रीलंका में युद्ध अपराधों में लिप्त पाये गये लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में मुकदामा चलाया जाए। *[हिन्दी]* इस तरह से आयेगा या नहीं आयेगा, गवर्नमेंट को इसके बारे में बताना पड़ेगा। उससे यह पता चलेगा कि गवर्नमेंट की इस इश्यु के ऊपर क्या नीति? मुलायम सिंह यादव साहब ने भी कई बार बहुत क्लियरली बोला है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नेबर कंट्रीज के साथ ठीक नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। इस सबके लिए भी यह गवर्नमेंट जिम्मेदार है। *[अनुवाद]* मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह सर्वप्रथम

श्रीलंका सरकार की मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों और वहां हो रहे युद्ध अपराधों की भर्त्सना करे और इसे नरसंहार कहा जाना चाहिये।

[हिन्दी]

इन्हीं शब्दों के साथ यह बहुत सेंसेटिव और इंपोर्टेंट ईश्यू है, गवर्नमेंट को इस पर अपना स्टैंड बताना चाहिए।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बहुत सी बातें कहीं हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नन्हें बालाचन्द्रन की हत्या और जो अन्य अनेक हजारों लोगों की हत्या हुयी, यह एक विचित्र नरसंहार है। आफीशियल रिकॉर्ड है कि चालीस हजार लोगों की हत्या हुयी और एक लाख साठ हजार लोग मिसिंग हैं। हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि श्रीलंका सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक चालीस हजार लोगों की हत्या हुयी है और एक लाख साठ हजार लोग मिसिंग हैं। वर्तमान सरकार की एक पार्टी है, झेचू नेशनल हैरिटेज पार्टी, जिसने आफीशियली कहा है कि इस युद्ध में जो नागरिक लोग फंस गए थे, उनको एक बार क्रिमिनल के रूप में देखा जाएगा और इनके ऊपर हर तरह की कार्रवाई ये लोग कर सकते हैं।

माननीय मंत्री महोदय से हम यह कहना चाहेंगे कि पूरे दुनिया को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम विदेश नीति को देखते हैं, लीबिया से ले कर, सीरिया से ले कर, हम लोगों ने हर समय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेट्री काउंसिल में ऐब्सटेन किया है। मुझे लगता है कि जिस तरह लीबिया में नरसंहार हो रहा था, अगर उस समय हम लोगों ने रोक लगा दिया होता तो श्रीलंका की सरकार को इतनी हिम्मत इस तरह की कार्रवाई करने लिए नहीं होती। हमारे विदेश बहुत ही बुद्धिजीवि व्यक्ति हैं, हम आप से अनुरोध करेंगे कि अब समय आ गया है कि भारत की विदेश नीति को सिर्फ सरकारी आफिसर या ब्यूरोक्रैट्स, सिविल सर्वेन्ट्स के ऊपर न निर्भर कर के, आप को सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में रखना होगा। इतना बड़ा देश हो कर भी एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रीन नहीं हुआ है जिसमें राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग, डिफेंस एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स सभी लोगों को ले कर, इस सरकार से एक थिंक टैंक क्रिएट करने के लिए अनुरोध करूंगा जिससे हम लोगों की विदेश नीति स्पष्ट हो जाए। जहां तक श्रीलंका सरकार की बात है वह तो स्पष्ट हो जाता है कि वह कभी चाइना को आगे करता है तो कभी भारत को आगे करता है। किसी ने तो सही कहा कि चाइना श्रीलंका में एयरपोर्ट भी बना रहा है। हम आप से यह पूछना चाहते हैं कि यदि हम चाइना के पास एयरपोर्ट बनाते तो क्या वह बनाने देता? इसलिए हम लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में भारत का दबदबा रहे।

आप के माध्यम से हम विदेश मंत्री से सिर्फ चार-पांच मुद्दे पर अनुरोध करेंगे – एक तो श्रीलंका के खिलाफ वोट डालने के लिए युनाइटेड नेशंस पर, एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसायटी को वहां पर काम करने के लिए पूरा फ्री हैंड दिया जाए। तीसरी बात है, जैसा कि यशवंत जी ने वहां से तुरंत आर्मी को हटाने को कहा। चौथा है कि एक इंटरनेशनल इंक्वायरी इस नरसंहार के बारे में हो जाए। यदि यह सब नहीं होगा तो हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे कि 10-15 साल बाद श्रीलंका में एक विस्फोटक स्थिति फिर से उत्पन्न होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, तमिलों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सदन ने जो विचार प्रकट किया है हम उसके साथ हैं।

[अनुवाद]

***श्रीमती जे. हेलन डेविडसन** (कन्याकुमारी) : भारत सरकर को उस देश में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को पुन: बसाना चाहिये और तमिल लोगों के लिए शांतिपूर्ण, गौरवपूर्ण तथा समानता का जीवन सुनिश्चित करना चाहिये। यूपीए सरकार ने सदैव कहा है कि श्रीलंका हमारा मित्र राष्ट्र है और श्रीलंका के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिये। यदि तमिलों के अलावा विदेशों में रह रहे किसी अन्य भारतीय समुदाय के लोगों को वहां की सरकारों द्वारा मारा जा रहा हो, तो क्या भारत देश और इसका मीडिया चुपचाप बैठा रहेगा। अब श्रीलंका में किये जा रहे तमिलों के निर्मम नरसंहार जिसमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी सम्मिलित हैं, के बारे में पूरा विश्व जान गया है। श्रीलंकाई सरकार द्वारा हजारों तमिल महिलाओं का बलात्कार कर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी अध्यात्मिकता और राष्ट्रीय अखंडता के लिये प्रसिद्ध है। यदि हम ऐसे युद्ध अपराधियों को भारत आने देंगे तो इससे हमारा नाम और शोहरत मिट्टी में मिल जायेंगी।

हमारे दल के नेता थलाइवर कलंगनर ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से कई बार अनुरोध किया है कि इस वर्ष जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवीय अधिकार परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किये गये अमेरिका समर्थित संकल्प को समर्थन दे। चैनल 4 श्रीलंकाई सेना द्वारा किये जा रहे अत्याचारों को और राजपक्षे जो एक अच्छा इंसान

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती जे. हेलन डेविडसन]

होने का दावा करते हैं, के असली चेहरे को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा है। परन्तु यह बहुत खेदजनक है कि भारत ने अभी तक अधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। अत: जब अमेरिका जैसे देश श्रीलंका के खिलाफ आगे आ सकते हैं, तो भारत सरकार को भी ऐसी पहलों को और सुदृढ़ बनाने के लिए आगे आना चाहिये न कि इनसे बचना चाहिये। तमिलनाडु के लोगों और तमिलनाडु के अन्य माननीय सदस्यों की यही इच्छा है।

डॉ. तरूण मंडल (जामनगर) : महोदय, श्रीलंका में तमिलों के कष्टों का बखान नहीं किया जा सकता। यह चिंताजनक बात है कि वहां लोकतांत्रिक सरकार के नाम पर बड़ी संख्या में मौतें, विनाश, अपंगता, बलात्कार, बच्चों की हत्या जैसे अपराध किए गए। इसे किसी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, मानवाधिकारों के प्रतिज्ञापन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

महोदय, मैं पुन: अपराधों की संख्या के परिमाण की गणना नहीं करना चाहता परन्तु मैं यह स्पष्ट शब्दों में रिकॉर्ड कराना चाहता हूं कि अपराध करने वालों अर्थात् श्रीलंका की सेना, जिसने दिन दहाड़े ऐसा किया है, पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार को अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य का निर्वहन करने हेतु कदम उठाना चाहिए।

महोदय, यह घटना हमें ब्रिटिश राज द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिलाती है। यह हमें नाजी हिटलर द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किए गए विध्वंस की याद दिलाती है। यह हमें अमेरिका साम्राज्यवाद द्वारा वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में युद्ध अपराधों की याद दिलाती है। यह मध्य एशिया में साम्राज्यवादियों द्वारा समर्थन इजराइली सेनाओं द्वारा फिलिस्तीन पर लगभग नियमित रूप से किए गए अपराधों की भी याद दिलाती है। यह हमें 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष में 30 लाख से अधिक मौतों की याद दिलाती है जिसके लिए आज भी शाहबाग स्क्वायर पर बांग्लादेश के युवा विरोध कर रहे हैं और अपराधों के दोषियों के लिए वास्तविक दंड की मांग कर रहे हैं।

महोदय, श्रीलंका के तमिल लोगों की जातीयता, भाषा, समानता और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें श्रीलंका की सीमा के भीतर गैर-तमिल लोगों के साथ हर प्रकार से समान अधिकार दिए जाने चाहिएं।

महोदय, जब किसी भी तरह के जातीय लोगों द्वारा किसी भी तरह का संघर्ष या आंदोलन किया जाए तो उसे राजनैतिक संवाद द्वारा शांत किया जाना चाहिए, किसी सैन्य शक्ति द्वारा नहीं। जो लोग वहां मारे गए थे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनका सबसे मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पुनर्वास किया जाना चाहिए ताकि श्रीलंका में तमिल लोगों का सरकार पर विश्वास बहाल हो सके। अपने पड़ोसियों की आलोचना करते हुए हमें अपने कार्यों को भी देखना चाहिए और स्वयं की भी आलोचना करनी चाहिए। हमें कोई ऐसी नीति या अधिनियम नहीं बनाना चाहिए जिससे हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए जोकि हम कश्मीर के कुछ भागों में, मणिपुर के कुछ भागों में और बहुत से अन्य भागों में देख रहे हैं। हमारी सेना, हमारे प्रशासन और हमारी सरकार को ऐसे कार्यों गलतियों, कानून और व्यवस्था में नहीं पड़ना चाहिए अन्यथा हमारी अपनी धरती पर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

महोदय, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध पौराणिक, ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक हैं। बंगाली में एक कहावत है। एक महान कवि हुए थे। उन्होंने कहा था:

''बंगालीर चेले बिजॉय सिंह लंका कोरिआ जॉय,
सिंहल नामे रेखे एलो निजो शौरजर परिचय''

इसका अर्थ है, 'एक बंगाली व्यक्ति विजय सिंह ने एक दिन श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और अपने नाम पर इसका नाम सिंहल रखा।' आज, निश्चय ही हम किसी तरह का युद्ध छेड़कर या हथियार से श्रीलंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते किन्तु हमें अपने मानवीय, प्रगतिशील और बंधुत्ववादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अपने पड़ोसी को जीतना चाहिए।

महोदय, मैं मानता हूं कि श्रीलंका भी विश्व के किसी दूसरे पूंजीवादी और लोकतांत्रिक देश की भांति मंदी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की अपनी आंतरिक समस्या से पीड़ित है। आज यह अपने लोगों को भिन्न-भिन्न धर्म, संकीर्णताओं, जातियों और समुदायों इत्यादि में विभाजित करने के लिए इस प्रकार के लोकतंत्र का हथियार बन गया है। हमें श्रीलंका के तमिल लोगों और सिंहली लोगों के बीच भेद नहीं मानना चाहिए। उन्हें एकसाथ मिलकर श्रीलंका सरकार द्वारा लागू की जा रही अलोकतांत्रिक, अमानवीय और जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध लड़ना चाहिए। हमारी भारतीय सरकार को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभानी चाहिए और भारत तथा हमारे अन्य पड़ोसी देशों के लोगों को दिलासा देना चाहिए।

*__श्री आर. थामराईसेलवन__ (धर्मापुरी) : हम सभी यह जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का श्रीलंका के विरुद्ध उसके युद्ध अपराधों और श्रीलंका में निर्दोष तमिलों के नरसंहार के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है:

सबसे पहले मैं इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस देश से सदियों पहले तमिल लोग श्रीलंका गए थे क्या उसके पास, श्रीलंका में तमिलों के विरुद्ध मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए श्रीलंका की सरकार के विरुद्ध कोई संकल्प प्रस्तुत करने का समय नहीं है। परन्तु, मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि अब अमेरिका ने यह कदम उठाया है।

जब तानाशाही नीतियों की ओर पूरे विश्व का ध्यान गया है ...** और उनकी निंदा की गई है, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी सरकार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के समक्ष ऐसा कोई संकल्प प्रस्तुत क्यों नहीं कर सकी या ऐसा करने में संकोच क्यों कर रही है? भारत कब उस व्यक्ति को समझ पाएगा जो कि चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे हुए श्रीलंका के तमिलों के विरुद्ध हृदय में विद्वेष की भावना पाले हुए है। हमारी सरकार उनके दोहरे मानदंड को पहचानने में विफल रही है...**

चैनल-4 ने हाल ही में श्रीलंकाई तमिलों के विरुद्ध श्रीलंका सरकार द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के फोटो लिए हैं। उनमें से एक फोटो में 12 वर्ष के मासूम बच्चे बालाचन्द्रन जो कि प्रभाकरन का पुत्र है की निर्मम हत्या के दृश्य को दिखाया गया है। परन्तु हमारे विदेश मंत्री जी का यह कहना है कि इस फोटो का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। यह माननीय विदेश मंत्री जी का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है।

हम इस बात को नहीं भूल सकते कि श्रीलंका में महिलाओं बच्चों और वृद्धों सहित एक दिन में 40,000 हजार से अधिक निर्दोष तमिलों की हत्या की गई। कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक लोगों की हत्या की गई।

ऐसी रिपोर्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी तमिल लोगों को मुक्त कराने में विफल रहे हैं। तमिल लोगों से आबाद स्थान अब निर्जन दिखाई देते हैं और किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

हमारी सरकार द्वारा श्रीलंकाई तमिलों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता को श्रीलंका के लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस धनराशि का उपयोग तमिल लोगों के पुनर्वास के लिए नहीं किया गया है।

अत:, मेरा सरकार से यह पुरजोर आग्रह है कि श्रीलंका के विरुद्ध उसके युद्ध अपराधों, मानव अधिकारों के हनन और निर्दोष तमिल लोगों के नरसंहार के लिए श्रीलंका के विरुद्ध जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के समक्ष एक संकल्प प्रस्तुत करे और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे संकल्प का भी समर्थन करे।

[हिन्दी]

*__श्री राजेन्द्र अग्रवाल__ (मेरठ) : श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा पर चल रही चर्चा पर आपने भाग देने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, तीन घंटे से भी अधिक समय से यह चर्चा चल रही है तथा संपूर्ण सदन श्रीलंका में तमिलों की स्थिति पर अत्यंत चिंतित एवं दु:खी है। सभी दलों से यही सर्वसम्मत संवेदना प्रकट हुई है कि तमिलों के ससम्मान पुनर्वासन में पड़ोसी के नाते भी तथा मानवता के नाते भी भारत की भूमिका है तथा हमारे देश की सरकार को इस संबंध में उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए।

किसी भी पड़ोसी देश में उसकी सरकार के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा भारतीय मूल के किसी भी वर्ग पर कोई अत्याचार होता है तो उस वर्ग के व्यक्तियों की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा? अंतर्राट्रीय मसलों में हस्तक्षेप की जिम्मेदारी, यदि वह आवश्यक है तो वह किसकी है? नि:संदेह यह जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की नहीं है, यह केन्द्र सरकार की ही जिम्मेदारी है। यह अत्यंत दु:ख तथा चिंता का विषय है कि दुनिया के विभिन्न देशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों पर अत्याचार होते हैं, उनका अपमान होता है तथा हमारी सरकार की प्रतिक्रिया बड़ी कमजोर होती है। श्रीलंका में जो कुछ हजारों-लाखों तमिलों के साथ हुआ है वह मानवाधिकारों का घोर एवं पाश्विक उल्लंघन है जो शर्मनाक है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, परपंरा से भारत तथा श्रीलंका का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। हम श्रीलंका की इस मित्रता का सम्मान करते हैं परंतु हमें इतना कमजोर क्यों समझ लिया जाता है कि श्रीलंका ने हमारी मित्रता को मूल्यवान नहीं माना। मुझे यह लगता है कि विदेश नीति के संबंध में हम अपने राष्ट्रीय हितों को ऊपर नहीं रख पाते, कहीं हम स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं कर पाते। तिब्बत के प्रकरण

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री राजेन्द्र अग्रवाल]

से लेकर आज तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमें दुनिया के सबसे बड़े एवं समर्थ लोकतंत्र के नाते प्रतिष्ठित नहीं करते। विदेश नीति सर्वसम्मति का विषय है परंतु आज यह स्थिति नहीं है। सरकार को इस संबंध में खुले मन से, पूर्वाग्रहों को छोड़कर अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए सर्वदलीय विचार-विमर्श करना चाहिए। तमिलों की चिंता दूर होनी चाहिए। देश की एकता-अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार पर विभिन्न वर्गों का सुरक्षा की दृष्टि से भरोसा तो है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस भरोसे का सरकार निर्माण करे। श्रीलंका सरकार के साथ बैठकर दृढ़ता के साथ ऐसी व्यवस्था करे कि तमिलों का ससम्मान पुनर्वासन हो, वे श्रीलंका में सुरक्षित रहें। साथ ही हम ऐसा भी सुनिश्चित करें कि अन्य किसी देश में भी भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपमानित या उत्पीड़ित न किया जाए।

***श्री नारेनभाई काछादिया** (अमरेली) : आने वाले समय में सरकार को श्रीलंका के प्रति संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के संदर्भ में सख्त कदम उठाना होगा। श्रीलंका का शासन बिना जिम्मेवारी और जवाबदेही वाला है। ये पूरे देश में कहीं भी, कुछ भी कर सकते हैं। तमिल क्षेत्र दुनिया के सबसे क्रूर और गैर-जिम्मेदाराना सशस्त्र बलों को ऐड़ी के नीचे रहने को मजबूर हैं। केवल यह एक ऐसा शासन है जो श्रीलंका में या बाहर विदेश में, कही भी जवाबदेह नहीं है। और यह कहीं भी कुछ भी, जब इनकी मरजी हो, न केवल तमिल क्षेत्रों में बल्कि पूरे देश में कुछ भी करने के लिए महाराथ हासिल है। यह भय उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं है, वास्तव में, मरते हुए तमिलों के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन और हनन है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव द्वारा तमिलों के लिये तबाही शब्द का उपयोग करता है, इस शब्द का प्रयोग, जहां तक मेरा मानना है, कभी नहीं किया गया है। जो कुछ भी श्रीलंका में हो रहा है, उस "नरसंहार" के ऊपर तत्काल कार्यवाही करने हेतु एक अलार्म है, यह एक ऐसा शासन है, जो गंभीर युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जनवरी, 2009 के प्रारंभ से हजारों बेहिसाब निहत्थे तमिल नागरिकों की मात्र 5 महीनों के अंदर वहशीयाना रूप से हत्या कर दी गई, जिसका कोई गवाह मौजूद नहीं है। यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम इस प्रकार के अत्याचार के सख्त खिलाफ हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चर्चा समाप्त हो चुकी है। अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदय, श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा के संबंध में श्री टी.आर. बालू द्वारा आरंभ की गई अल्पकालीन चर्चा का उत्तर देने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सभा में आज सभी वर्गों की तरफ से मानव मात्र के लिए जो संवेदना, भावना, ईमानदारी और सरोकार व्यक्त किए गए हैं वह हमने इस सभा में पहले कभी नहीं देखे।

महोदय, मैं श्री बालू को यह चर्चा आरंभ करने के लिए बधाई देता हूं। इस चर्चा में पीड़ा को सच्चाई के साथ व्यक्त किया गया है; पूरी ईमानदारी से एक समाधान तलाशने का प्रयास किया गया है और यदि और भी सटीक शब्दों में कहें तो सभा में आज पीड़ा को पूरी गंभीरता से व्यक्त किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सभा में उपस्थित उन सभी सदस्यों के बहुत आभारी हैं। जिन्होंने श्री बालू के साथ इस चर्चा में भाग लिया।

तत्पश्चात्, मेरे पूर्ववर्ती विदेश मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी ने बहुत बुद्धिमता पूर्ण तरीके से अपना मत व्यक्त किया उनके पश्चात् डॉ. तम्बिदुरई, पुनः ने बहुत प्रभावशाली वक्तव्य दिया। *[हिन्दी]* मुलायम सिंह जी इस समय यहां नहीं हैं। उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से मित्रता की बात की और पूरे हाउस के सामने जो इतनी बड़ी समस्या है, उसके संदर्भ में भी कुछ दूरगामी सुझाव दिए

[अनुवाद]

महोदय, मैं इस संबंध में श्री एस. अलागिरी के योगदान का भी आभारी हूं *[हिन्दी]* दारा सिंह जी हमेशा बड़ी सहानुभूति और सकारात्मक सुझाव सामने रखते हैं। आज भी उन्होंने संक्षेप में ऐसा ही कहा। जगदीश शर्मा जी ने इस बात को आगे बढ़ाया। *[अनुवाद]* मेरा मानना है कि सौगत राय जी ने बहुत सटीक तरीके से दूरदर्शिता पूर्ण भाषण दिया परन्तु कुछ ऐसे कारण जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूं, के फलस्वरूप सभा में एक हलचल सी पैदा हो गई। श्री नटराजन जी ने किशोर बालक बालाचन्द्रन के बारे में बहुत उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया; जिसकी जैसा कि जानकारी मिली है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हत्या की गई। श्री लिंगम और श्री महताब जी ने भी चर्चा में भाग लिया। श्री दयानिधि मारन जी ने हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत की है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव जी ने सभी लोगों की भावनाओं को अपना पूर्ण समर्थन दिया। लालू जी ने अपने ही अंदाज में आगे बढ़ने के सकारात्मक सुझाव हमें दिए। लालू जी की बात हमेशा बहुत पोलीटिकल भी होती है। और इसीलिए उससे हमें बड़ा सहयोग मिलेगा। गणेशमूर्ति जी, तिरुमावलावन जी, श्री नागेश्वर राव, श्री तरुण मंडल और श्री अजय कुमार। श्री अजय कुमार ने कहा कि वे चाहते हैं कि थिंक टैंक हो, भारत की विदेश नीति पर सभी स्टेकहोल्डर्स का समावेश हो, उनकी बातों का समावेश हो। सबसे पूछकर, समझकर और वार्ता के बाद विदेश नीति बननी चाहिए और सिर्फ सरकारी अधिकारियों पर नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे अजीब लगा कि जिस व्यक्ति को सरकार की सेवा करने का बहुत लम्बा अवसर मिला और जिसने बहुत अच्छी तरह सरकार की सेवा की, वह आज हाउस में आकर ऐसी बात कह रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि किसी और अवसर पर आप यह भी कहेंगे कि अधिकारियों की बात भी कभी-कभी सुन लिया कीजिए, सिर्फ अपनी ही बात न करें।

[अनुवाद]

महोदय, मैं बालू जी के विचारों की सराहना करता हूं और यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभा की भावनाएं हम सभी की भावनाएं हैं। यद्यपि हम सभी सभा की हर छोटी से छोटी भावना साझा करते हैं तथापि मैं कहना चाहता हूं कि इसमें दिल और दिमाग दोनों शामिल हैं। क्रोध कहां से आता है? मैं नहीं जानता। मैंने सुना है कि कई बार लोग क्रोध के कारण आवेश में आज जाते हैं। हमें क्रोधित नहीं होना चाहिये क्योंकि यह एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या है जिसका हल हमारी पीढ़ी को ढूंढना होगा और श्रीलंका में हमारे मित्रों को समाधान ढूंढने में अब सहायता करनी ही होगी क्योंकि ऐसा एक लम्बे समय से वे यह सब झेल रहे हैं।

महोदय, 27 वर्षों से हमारे पड़ोस में एक देश दु:ख और वेदना सह रहा है, जो हमारे देश को भी प्रभावित कर रही है परंतु यह समय उसे याद करने का नहीं है क्योंकि यदि मैं ऐसा करता हूं, तो मैं सिर्फ पुराने घावों को ताजा करूंगा। मैं पुराने घावों को ताजा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि हममें से हरेक किसी न किसी क्षण श्रीलंका में हो रहे घटनाक्रम से प्रभावित हुआ है। यह स्पष्ट है कि हम सभी चाहते हैं कि यह खत्म हो। यह स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि श्रीलंका में शान्ति हो। यह स्पष्ट है कि श्रीलंका में शान्ति हो। यह स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि श्रीलंका में सभी लोग, श्रीलंका के सभी नागरिक, विशेषकर श्रीलंका के तमिल नागरिकों को एक ऐसे लोकतंत्र में जो उन्हें सम्मान, राहत और भूतकाल के उनके घावों को बंद करता हो, में समान भागीदारी से रहने का अवसर मिले। उनके साथ हो रहा अन्याय बंद होगा और हम और वे केवल तभी आगे बढ़ने के लिए सक्षम होंगे यदि सत्य को स्वीकार किया जाएगा और सत्य को स्वीकार करने के पश्चात् एक समझौता किया जाये जिसके तहत भविष्य में श्रीलंकाई तमिलों हेतु एक सम्मानजनक जीवन और समान नागरिक के रूप में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

सत्य को स्वीकार करने के लिये, व्यक्ति को बड़े दिल वाला और मजबूत कंधों वाला होना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने के क्रम में, प्रत्येक समाज और देश के लिए कई बार पीछे देखना बहुत पीड़ादायक होता है। परंतु हमें भूतकाल से परे जाना होगा। लेकिन, मैं आज हमारे सभी माननीय सदस्यों, से जिन्होंने अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त की है, विशेषकर तमिलनाडु के माननीय सदस्यों से, क्योंकि यह मामला उनके दिल के करीब है; उनके तट के निकटतम है; उनकी दु:ख, संवेदना और पहचान के निकटतम है; यह कहना चाहता हूं कि यह अकेले उनकी समस्या नहीं है। बल्कि इसमें संपूर्ण भारत शामिल है और पूरा भारत आपकी चिन्ताओं में साझी है और आपकी वेदना समझता है। अपनी वेदना हमारे साथ बांटिए, आपकी वेदना कम हो जाएगी; अपनी व्यथा हमारे साथ बांटिए, आपकी व्यथा कम होगी। उसी भावना के साथ मैं आपसे यही कह सकता हूं; कि आज यहां हम जो कुछ भी कह रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, कल को वापिस हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह एक जटिल दुनिया है। हर कोई हमारा मित्र नहीं है और ना ही हर कोई हमारा शत्रु है। लेकिन, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो हर देश और हर समाज के बारे में हर तरह के प्रश्न उठाते हैं।

हमने दुनिया भर में देखा है, कि मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में पूर्वी यूरोप और अफ्रीका में क्या हुआ है। हमने देखा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में क्या हुआ है। इसलिए, आज हम जो भी निर्णय लेते हैं उससे हमारी विदेश नीति में एक आयाम जुड़ना चाहिए कि उनका प्रयोग भविष्य में हमारे ही विरुद्ध न हो — तथापि ऐसा कहे बिना हमें अपनी प्रतिबद्धता और निश्चय में थोड़ी कमी लानी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरह के अमानवीय कृत्यों के लिए पूरी जवाबदेही तय की जाए, प्रतिबंध लगाए जाएं जिनका उल्लंघन करने पर दंड भी दिया जाए। तभी हम अपना सिर गर्व से ऊंचा रख सकेंगे। लेकिन, क्या यह केवल हमारे करने से ही होगा अथवा श्रीलंकाई समाज, उनकी सरकार और लोगों के लिए भी है?

[श्री सलमान खुर्शीद]

यदि हम बाहर से ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने उस विश्वास का उल्लंघन करेंगे कि हमें समाजों के पुनर्कम को निर्धारित नहीं करना चाहिए; कि हम किसी देश के संप्रभु मामलों में दूसरे देशों को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देंगे और हम विश्व अथवा अपने क्षेत्र के रक्षक की भूमिका नहीं निभायेंगे और किसी पर दबाव डालने का प्रयास नहीं करेंगे। सार्क क्षेत्र के एशिया के और वास्तव में पूरे विश्व के सभी देश भारत के लिए समान संप्रभु सहभागी हैं। यह सच है कि कभी-कभी कोई, जो एक मित्र रहा होता है, एक ऐसा रास्ता चुनता है जिससे हम असहमत होते हैं। भारत का साहस और नैतिक शक्ति इसी बात में विर्हित है कि वह एक मित्र को यह कह सके कि उन्होंने गलत किया है। किसी शत्रु को यह कहना बड़ा सरल है 'तुमने गलत किया है'; परंतु एक मित्र को ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। यह साहस ही है कि मैं आज इस सभा से इस बात पर समर्थन चाहता हूं, कि जब हम कुछ गलत होता देखे, चाहे यह ऐसे देश में हो, जो हमारा मित्र है; अथवा हमारे अपने देश में कुछ गलत हो रहा हो तो, हमें एक स्वर में कहना चाहिए कि यह गलत है और हम इसे ठीक करेंगे। जैसा कि मानव इतिहास साक्षी है मानव का स्वभाव है कि हम गलत चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और इससे परे एक ऐसा भविष्य की ओर बढ़ने का रास्ता खोजते हैं जो विगत में झेली हुई परेशानियों की अपेक्षा उज्जवल। मुझे विश्वास है कि ऐसी ही भावना से हमें आगे ले जा सकती है।

मैं जानता हूं कि कुछ मानव अधिकारों संबंधी रिपोर्टें आयी हैं और टीवी चैनलों और समाचार-पत्रों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबूत दिखाये गए हैं और समस्या का समाधान किया जाना शेष है। वह समस्या जिसके कारण हम श्रीलंका से जुड़े हुए हैं, का राजनीतिक स्तर पर समाधान यही है कि यह सुनिश्चित किया जाए श्रीलंका में रह रहें तमिल लोगों के वैध अधिकारों और आकांक्षाओं का पूर्णरुपेण कार्यान्वयन हो।

हममें से कुछ ने 13वें संशोधन के बारे में बात की है। वास्तव में हमने 13वें संशोधन-प्लस के बारे में बात की है; 13वें संशोधन-माइनस के बारे में नहीं। 13वें संशोधन को पूरी तरह लागू किया जाए और हमें आशा है कि तत्पश्चात् हम 13वें संशोधन-प्लस से परे देख सकते हैं।

इसी तरह, एलएलआरसी को पूरी तरह लागू किया जाए और तत्पश्चात् हम उससे परे और आगे देख सकते हैं। हमने महसूस किया कि बहुत से माननीय सदस्यगण यह चाहते हैं कि जो भी तथाकथित रूप से श्रीलंका में हुआ है इसकी एक बाह्य अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि निर्णय आवश्यक है और यह अपरिहार्य है।

यह सुधार की प्रक्रिया का एक अंश है। श्रीलंका की समस्या के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए तथ्यों को स्थापित करना होगा और स्वीकार करना होगा और उन तथ्यों को स्वीकारने से प्राप्त परिणामों का अनुपालन करना होगा। परन्तु जैसा कि मेरे मित्र प्रो. सौगत राय ने कहा है केवल एक समाज में ही नहीं वरन् ऐसे प्रत्येक समाज में जहां गलत काम हो रहे हों, इसका अनुपालन होना चाहिये। इस संबंध में उन्होंने कुछ अन्य देशों के नाम भी लिए हैं।

मेरा मानना है कि यह सिद्धांत पूरे विश्व में लागू होना चाहिए मगर मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि यहां माननीय सदस्य विरोध प्रदर्शित करें — हमें अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में ऐसा स्वयं करना चाहिए। ऐसा साउथ अफ्रीका में भी हुआ है जहां उन्होंने स्वयं ऐसा किया है। बांग्लादेश में भी यह हो रहा है, वहां भी उन्होंने स्वयं ऐसा किया है। स्थायी समाधान तभी संभव है यदि एक देश स्वयं ऐसा करता है। हां, हम इसके लिए प्रेरित अवश्य कर सकते हैं, कोई हल निकालने में उनकी सहायता कर सकते हैं ताकि उन्हें यह विश्वास हो कि उन्हें भी वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। यही कूटनीति भी है।

कूटनीति से वह संभव है जो युद्ध द्वारा संभव नहीं। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने दिलों में झांके और स्वयं से यह पूछे कि यदि युद्ध होगा तो क्या होगा। युद्ध चाहे किसी भी मंशा से किया गया हो, उसमें ऐसे अमानवीय कृत्य किये जाते हैं जो पूर्णत: अस्वीकार्य होते हैं। युद्ध के दौरान महिलाओं, बच्चों, और आम जनता का क्या हाल होता है और हमारे संस्थानों का क्या हाल होता है। इसीलिए भारत शांति में विश्वास रखता है किन्तु हमें यह भी पता है कि यदि कोई अन्य जबरदस्ती हम पर युद्ध थोप देता है, हमारे लिए युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देता है, तो हमारे पास अपनी रक्षा करने के लिए युद्धरत होना ही अंतिम उपाय रह जाता है। किन्तु हम जानबूझ कर अपनी इच्छा से युद्ध में भाग नहीं लेते। शांतिपूर्ण वार्ता का परिणाम सदैव युद्ध के अंत और परिणाम से अच्छा होता है।

श्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि युद्ध के उपरांत भी शांति स्थापित करने के लिये वार्ता करनी पड़ती है। अत: जब युद्धोपरांत भी वार्ता करनी ही है तो क्या यह बेहतर नहीं है कि युद्ध से पहले ही शांति स्थापित करने के प्रयास किये जाएं। हमें शांति वार्ता करने दें, परन्तु मैं जानता हूं कि कुछ लोग युद्ध संपूर्ण शांति स्थापना के प्रयास नहीं

करना चाहते। मेरे विचार से आज भारत को युद्ध और हिंसा के शांतिपूर्ण कूटनीतिक उपायों के प्रति अपने विश्वास को और दृढ़ करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिये कि हमारा यह विश्वास है कि न्याय की स्थापना हेतु कुछ कदमों का उठाना नितांत आवश्यक है।

यही कारण है कि हमने पिछले वर्ष अमेरिका द्वारा प्रस्तुत संकल्प को समर्थन दिया। आज जो भी हो रहा है वह उल्लेखनीय है। हमारे बहुत से साथी जो अमेरिका के दृष्टिकोण के प्रति शंकित थे, आज उनके संकल्प का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि अक्सर पहले जिन लोगों में मतभेद होता है, बाद में उनमें सहमति बन जाती है। मगर यह परिवर्तन सार्थक, लाभकारी और उपयोगी मामले पर होना चाहिये। आज यदि सदन में ऐसा परिवर्तन होता है तो यह पिछले वर्ष के जैसा ही है जब हमें इस संकल्प को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया गया था। क्या आपको लगता है कि यह काफी सरल है? यदि कोई व्यक्ति किसी देश के विरुद्ध किसी संकल्प को समर्थन देता है तो आपको लगता है यह सरल कार्य है, आपको इस संबंध में पूरा स्पष्टीकरण देना होता है तथा उनके खिलाफ वोटिंग करते हुए भी उनके साथ लगातार चर्चा करनी होती है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसा निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि उनके ही लाभ के लिए कर रहा हो, पूरी मानवता के हित में कर रहा हो, तो उन लोगों के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करना संभव है और हम कह सकते हैं कि हमने आपके खिलाफ वोट दिया है क्योंकि इससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

इस वर्ष भी यदि पिछले वर्ष लिए गये संकल्प की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में एक प्रक्रियात्मक संकल्प प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारा रूख क्या हो? हम इस संबंध में विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं सहित सभी सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कोई दृष्टिकोण अपनाएं। हम इस संबंध में वहां की भूमि पर घटित पूरे घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे। जो भी जानकारी प्राप्त होगी वह प्रमाणिक और विश्वसनीय होगी। हम सारे तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत करेंगे और देखेंगे कि श्रीलंका का क्या कहना है? हम अन्य देशों का रूख भी देखेंगे और फिर एक उचित निर्णय लेंगे। वह निर्णय हम आपके साथ साझा करेंगे। जो कुछ हम करेंगे। उसकी जानकारी आपको दी जायेगी। पूरा विश्व हमारे निर्णय से अवगत होगा। हो सकता है हमारा निर्णय आज सदन में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से कुछ भिन्न हो किन्तु अन्य बहुत से माननीय सदस्यों के विचारों के अनुरूप अवश्य होगा।

मैं जानता हूं कि जब आप अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो आप वहां की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। वे आपसे पूछेंगे कि आपने क्या कदम उठाए। कृपया सभी सदस्यों की ओर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने पूरे साहस और दृढ़ निश्चय से अपना कर्त्तव्य निभाया है। मैं सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मानवीय हित से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को उठाया है... *(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : माननीय मंत्री जी, मैं सरकार से एक सुस्पष्ट जबाव चाहता हूं। क्या आप कम-से-कम एक अलग संबोधन करने जा रहे हैं? मैं यह केवल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप अभी कोई संकल्प नहीं ले सकते हैं। आप यह देखने के लिए संशोधन ला सकते कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी/बहुपक्षीय एजेंसियां इस पक्ष पर विचार करें अथवा युद्ध अपराधों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि अपराधियों को सजा मिले।

श्री सलमान खुर्शीद : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हमें क्या करना है। मैं मानता हूं कि हमें कुछ करना पड़ेगा; जो हम करें वह प्रभावकारी; सुस्पष्ट होना चाहिए और उसमें वह उदासीनता नहीं होनी चाहिए—चूंकि मुझे बताया गया है कि हमें उदासीन नहीं होना चाहिए। पर हमें यह कैसे करना है और वास्तव में क्या करना है, यह स्वतंत्रता सरकार को दी जानी चाहिए कि वह आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यवहारकुशल रूप से अंजाम दे सके जिससे कि हम वह प्राप्त कर सकें जो हम करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : यहां कोई राजनीतिक समझौता नहीं हैं; कोई पुनर्वास नहीं है; और अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है। इस पर आपका क्या उत्तर है?

श्री सलमान खुर्शीद : मेरा उत्तर है कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मुख्य विपक्ष की तरफ से इकबाल की बात कही गई। मैं पहले समझा कि मोहम्मद इकबाल की बात कर रहे हैं, लेकिन वे दूसरे इकबाल की बात कर रहे थे।...*(व्यवधान)* मैं समझा कि आप सारे जहां से अच्छा-हिन्दुस्तां हमारा कहने वाले थे।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : वह तो कहकर चले गए।

श्री सलमान खुर्शीद : वही तो मैं कह रहा हूं कि हर कहानी वहां समाप्त नहीं होती। हमने वह गीत गाया, हिन्दुस्तान की आजादी का वह गीत गाया। वह चले गए, लेकिन वह भावना वह यहां छोड़ गए, शब्द यहां छोड़ गए। इसलिए आज भी वह गीत हम यहां गाते हैं। लेकिन आपने इकबाल की बात की, मैं यह मानता हूं कि इकबाल हमारे मुल्क का है और होना चाहिए। इकबाल तब मजबूत होगा, जब आप और हम एक ही आवाज में, एक ही ध्वनि में, एक ही भावना से और एक ही भाषा में अपनी बात कहेंगे, तो हमारा इकबाल बढ़ेगा। अगर हमें दुनिया देखेगी कि हम आपस में ही बंटे हुए हैं, हमारा आपस में ही झगड़ा है, तो कौन हमारी बात बाहर मानेगा। तब मानेंगे अगर हमारी एक आवाज हो। अगर आप यह मानें कि हम सच्चे मन से, सत्य दिल से हम आपके सामने वही बात रख रहे हैं जो शायद आप भी सत्ता करते। हम यह भी नहीं कहने जा रहे हैं कि आपके सामने चुनौतियां आईं, आपे सामने ऐसी दुविधाएं आईं, जिसमें आपको भी कुछ वे बातें करनी पड़ी, जिस पर हो सकता था हमें कष्ट होता। आप कंधार गए, लेकिन इसलिए गए कि आपको देश को सबसे आगे रखना था। इसलिए हर बात पर हम प्रश्न चिह्न लगाएं, हर बात पर कहें कि ऐसा क्यों करते हो, तो जबाव यही होगा कि हर बात पर प्रश्न चिह्न लगता है तो बाहर इकबाल की बात नहीं हो सकती। हम पर भरोसा करें, हम कह चुके हैं कि यह दु:ख़ जितना आपका है, उतना ही हमारा है। कुछ न कुछ तो करना है और जो करना है, वह करके दिखाएंगे।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : युद्ध समाप्त होने के चार साल बाद आप क्या करने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्रीमान्, बालू कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : मंत्री आते हैं और जाते हैं, पर एक ही उत्तर दिया जाता है।...*(व्यवधान)* यह चौथी बार है कि मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं चाहे नियम 139 के अंतर्गत या ध्यानाकर्षण...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री जी बात इधर-उधर घुमा रहे हैं और बिंदु पर नहीं आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* पिछली बार भी उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध संकल्प का समर्थन किया था और जब वह संपन्न हुआ तो उन्होंने कहा कि जब अन्य देश पहल कर रहे हैं तो भारत इसमें क्यों नहीं पहल कर रहा है। क्यों आप 2009 के संघर्ष में श्रीलंकाई तमिलों के मानवाधिकार उल्लंघन और नरसंहार के विरुद्ध अपना संकल्प नहीं निर्मित कर सकते। यह जानते हुए भी कि अन्य देश यह निर्मित कर रहे हैं? पर आप कहते रहते हैं कि वे पड़ोसी हैं। चीन पहले से ही उसका एक पड़ोसी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपने अपना पक्ष रख दिया।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : अब संकल्प बनाना संभव नहीं है। उनके पास ऐसा करने का कौन सा अवसर है? आपको संशोधन लाना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* क्या आप कोई संशोधन ला रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया एक-एक कर अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, यदि मेरे दो माननीय दोस्त मुझे अनुमति देंगे तब मैं वह कहूंगा, यदि मैं अपने ही दो मित्रों को सदन में किसी बात पर राजी नहीं कर सकता तो मैं बाहर किसी को भी कैसे सहमत करूंगा?

अपराह्न 04.00 बजे

कृपया मेरी बात सुनिए। हम यहां एक अंतिम निर्णय नहीं ले सकते। मैं कह रहा हूं कि हम अंतिम निर्णय लेंगे, आपकी भावनाओं, चिंताओं और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : हम उत्तर से पूर्णत: असंतुष्ट हैं। हम आपसे सहमत नहीं हैं। हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 04.0¼ बजे

इस समय श्री टी.आर. बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई : हम उत्तर से संतुष्ट नहीं है। हम बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 04.0½ बजे

इस समय डॉ. एम. तम्बिदुरई और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया सदन में कुछ व्यवस्था बनाएं। सदन में क्या हो रहा है? जो बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं पर कृपया सदन को ऐसे बाधित न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सलमान खुर्शीद : इस समय हमारी चेष्टा है कि आप यहां रहें और आप यहां रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद और बधाई। लेकिन इसके साथ-साथ यह न कहा जाए कि आपने जो कुछ कहा वह सिर्फ शब्द थे, कुछ करके दिखाया भी है कुछ किया है या नहीं किया है? यह डिस्कशन जो हमारे तमिल साथी श्रीलंका में हैं उनकी स्थिति पर था।

[अनुवाद]

महोदय, नि:संदेह श्रीलंका के साथ सहयोग का हमारा लंबा इतिहास रहा है। पर 2009 से हमने एक निश्चित तरीके से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है और श्रीलंका के उस भाग में अपने अभागे भाईयों और बहनों के लिए कल्याणकारी उपाय किए हैं। अत: मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जैसाकि संसद सदस्य जानते हैं, जून, 2009 में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में राहत, पुनर्वास और सुधार कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा की थी। तबसे अब तक काफी राशि खर्च की जा चुकी है। हमने भीतरी तौर पर विस्थापित लोगों के पुनर्वास और अवसंरचना के निर्माण की विभिन्न परियोजनाएं भी शुरू की हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन में व्यवस्था बनाए रखें। कृपया इस प्रकार न चिल्लाएं।

श्री सलमान खुर्शीद : हमने श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में अवसंरचना के पुनर्निमाण की परियोजनाएं भी शुरू की है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं रेल, आवास, व्यवसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक पुनरुद्धार से संबंधित हैं और उन्हें तत्काल आधार पर लिया गया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की अत्यावश्यकताओं को पूरा करती हैं। हमने श्रीलंका में डी-माइनिंग टीमें भी नियोजित की हैं और उत्तरी श्रीलंका के जाफना और वावुनिया में कृत्रिम अंग उपकरण कैम्प भी लगाए हैं।

उत्तरी श्रीलंका में कृषि गतिविधियों को फिर से चालू करने के लिए भारत ने श्रीलंका को 95,000 कृषि आरंभिक पैक, बीज और 500 ट्रैक्टर भीतरी तौर पर विस्थापित लोगों के उपयोग के लिए दिए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें क्यों नही सुन रहे हैं उन्होंने वह बात कही है। आप सुनना नहीं चाहते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सर, ये एक ही पाइंट को घुमा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशंवत सिन्हा : मैं बहुत अदब के साथ आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रैक्टर भेजने से या मकान बनाने से श्रीलंकन तमिल्स का ह्यूमन राइट्स इस्टेब्लिश नहीं होता। होगा क्या ? अगर मैं सदन की भावना को सही ढंग से समझा हूं तो सदन की भावना आज यह है कि श्रीलंकन तमिल्स के ह्यमून राइट्स को, उनकी मर्यादा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की क्या योजना है? अगर कोई योजना नहीं है तो माननीय मंत्री महोदय कहें कि हमारी आज के दिन योजना नहीं है, आगे इस पर विचार करेंगे, हम फिर इस पर तय करेंगे।

श्री सुलमान खुर्शीद : सर, मैं बड़े आदर के साथ माननीय यशवंत सिन्हा जी को एक शेर सुना दूं, कल भी शेर सुनाए गये थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप मंत्री जी को सुन क्यों नहीं रहे हैं? प्रश्न पूछने के बाद आपको कम से कम उसका उत्तर तो सुनना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सलमान खुर्शीद : "मेरी आंखर बंद थी जब तलक मेरे सामने नूरे जमाल था, और खुली आंख मेरी तो न खबर रही वो ख्वाब था या ख्याल था।"

मैं इसलिए कहा रहा हूं आप मुझे माफ करें मैं आपको बताने जा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति जी, मैं शेरो-शायरी में एक्सपर्ट नहीं हूं, फिर भी एक शेर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि भारत सरकार की आज पालिसी क्या है:

"तनज्जुल की हद देखना चाहता हूं कि शायद वहीं हो तरक्की का जीना।''

श्री सलमान खुर्शीद : जब आपने कह ही दिया है तो मुझे कहना पड़ेगा:

"गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले।"

अब हमें घोड़े पर सवार होने दीजिए। हम भी देखते हैं।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : मंत्री जी ने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अत: हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 04.06 बजे

इस समय श्री यशवंत सिन्हा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री सलमान खुर्शीद : मैं बताना चाहता हूं कि 50 हजार घर हम दे रहे हैं। हम 50 हजार घर दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जगदीश शर्मा : सभापति महोदय,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको अनुमति नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जारी रखे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 04.07 बजे

इस समय श्री जगदीश शर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री सलमान खुर्शीद : लगभग 50,000 मकानों का निर्माण स्वीकृत किया गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 10,000 मकानों के निर्माण की पायलट परियोजना अगस्त, 2012 में पूरी हुई थी और मकान लाभग्राहियों को सौंपे जा चुके है। हमने 43,000 मकानों के निर्माण तथा मरम्मत हेतु दूसरा चरण प्रारंभ किया है जो "स्वामित्व चालित मॉडल" पर होगा और यह 2 अक्तूबर, 2012 को किया गया था। मैं सभा को सहर्ष सूचित करना चाहूंगा कि इस चरण में प्रगति अच्छी है और 8,314 लाभग्राहियों को पहले ही पहली किश्त का भुगतान मिल चुका है। "एजेंसी चालित मॉडल" के अंतर्गत शेष 6,000 मकानों के लिए तीसरे चरण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। हमें 10,000 मकान इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उत्तरी रेल लाइनों के पुनर्स्थापन हेतु लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। हमें आशा है। कि दिसम्बर, 2013 तक आधारभूत कार्य पूरा कर लिया जाएगा जिससे जाफना, मन्नार और उत्तरी राज्यों के अन्य स्थानों के साथ रेल संपर्क फिर से बहाल किया जा सके। हम आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को वापस लाने और उनका पुनर्वास करने के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कर रहे हो ताकि श्रीलंका के उत्तरी तथा पूर्वी प्रदेशों के प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायता मिले।...*(व्यवधान) [हिन्दी]* मैं लालू जी को एक बात बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना भाषण पूरा करें।

श्री सलमान खुर्शीद : मैं लालू जी और अन्य सदस्यों को बताना

चाहता हूं कि एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका गया था और उसने वहां यह सब देखा है। इसका नेतृत्व श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने किया था। उन्होंने यह सब देखा था और जब वे लौटे तो हमने उनसे इसकी प्रगति के संबंध में कोई असंतोष नहीं सुना था। मैं मानता हूं कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। *[हिन्दी]* ऐसा नहीं है कि आज जो कुछ कहा है वह काफी है। हम संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए हम बार-बार श्रीलंका सरकार के सामने यही बात रखते रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद : आपके नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां जाए। हम लोगों को हनुमान बनकर वहां पता करना पड़ेगा कि क्या-क्या गड़बड़ हुई है।

श्री सलमान खुर्शीद : अगर आप हनुमान बन जाएं, तो सारे मसले हल हो जाएंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें।

श्री सलमान खुर्शीद : मैं मानता हूं कि इससे कई सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावना संक्षेप में परिलक्षित होगी। मेरा कहना है कि तेरहवां संशोधन लागू करना एक शुरुआत है। हम तेरहवें संशोधन में आगे और चीजें शामिल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि उत्तरी प्रादेशिक परिषद के चुनाव सितम्बर में कराए जाएंगे। इसमें पारदर्शिता होगी। इसमें पर्यवेक्षक होंगे और हमें इन चुनावों के परिणामों में व्यक्त की गई उत्तरी राज्यों के लोगों की आकांक्षाओं के बारे में पता चलेगा।

हम मानते हैं कि इसमें एक नैतिक कर्तव्य है। प्रभाकरन के परिवार सहित, असहाय व्यक्तियों के शोषण, यौन हमले तथा यातनाएं दिए जाने के संबंध में उल्लिखित अमानवीय कृत्यों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हम यह मानते हैं और श्रीलंका सरकार से आग्रह करते रहेंगे कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो ताकि श्रीलंका के 27 वर्ष के इस दुखद एवं कटु इतिहास का अंत हो।

जैसा कि मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संकल्प पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व हम सदन में व्यक्त की गई भावनाओं को पूर्णतया ध्यान में रखेंगे। महोदय, मैं आपका और सभी सदस्यों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

अपराह्न 4.11 बजे

रेल अभिसमय समिति के तीसरे प्रतिवेदन का अनुमोदन के बारे में संकल्प

रेल बजट (2013-14) — सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगे (रेल), 2013-14

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2012-13

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल), 2010-11

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 12 से 16 पर एक साथ विचार करेगी। माननीय रेल मंत्री संकल्प प्रस्तुत करें।

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के तीसरे प्रतिवेदन, जिसे 18 मई, 2012 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के लिए पैरा 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81 और 82 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के तीसरे प्रतिवेदन, जो 18 मई, 2012 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के लिए पैरा संख्या 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81 और 82 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 6 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 3, 8, 9, 10, 13 और 16 के संबंध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 3 से 8 और 10 से 13 के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांगों के नाम	31.3.2013 को सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगों की राशि (रुपए)	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांग की राशि (रुपए)
1	2	3	4
1	रेलवे बोर्ड	42,33,50,000	211,67,50,000
2	विविध व्यय (सामान्य)	149,81,50,000	749,07,50,000
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	986,73,85,000	-4933,69,26,000
4	रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	1579,64,05,000	7898,20,23,000
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	732,84,16,000	3664,20,77,000
6	सवारी डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	1705,53,93,000	8527,69,67,000
7	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	908,34,04,000	4541,70,17,000
8	परिचालन-व्यय - चल स्टॉक और उपस्कर	1414,65,38,000	7073,31,88,000
9	परिचालन व्यय - यातायात	4840,89,70,000	12333,05,44,000
10	परिचालन व्यय - ईंधन	4412,34,94,000	22061,74,69,000
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	802,78,12,000	4013,90,58,000
12	विविध संचालन व्यय	814,83,46,000	4074,17,30,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति	3771,07,88,000	18855,39,38,000
14	निधियों में विनियोग	7110,30,00,000	35551,50,00,000

1	2	3	4
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण के भुगतान तथा अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान	4,28,83,000	6244,91,17,000
16	परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव	10,00,00,000	50,00,00,000
	पूंजी	17081,12,63,000	77537,63,15,000
	रेलवे निधियां	3706,30,75,000	12543,53,75,000
	रेलवे संरक्षा निधि	333,28,33,000	1666,41,67,000
	जोड़	50407,16,05,000	232531,84,11,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि (रुपए)
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	30,93,16,000
8	परिचालन व्यय - चल स्टॉक और उपस्कर	500,03,24,000
9	परिचालन व्यय - यातायात	97,27,46,000
10	परिचालन व्यय - ईंधन	382,61,62,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं - निवृत्ति लाभ	1456,06,05,000
16	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव - अन्य व्यय	
	पूंजी	265,00,01,000
	कुल	2731,91,54,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2010-11 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की राशि (रुपए)
1	2	3
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	5,13,23,778
4	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	5,67,47,772
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	73,28,28,634
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	221,26,08,251
7	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	39,72,37,284
8	परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर	184,54,91,597

1	2	3
10	परिचालन व्यय - ईंधन	414,80,05,059
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	53,38,80,412
12	विविध संचालन व्यय	645,53,31,891
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	1403,97,51,918
	कुल	3047,32,06,596

अब, श्री अनुराग ठाकुर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : सभापति महोदय, रेल बजट पर चर्चा करने के लिए हमारी पार्टी की ओर से हमारी नेता सुषमा जी ने मुझे चर्चा प्रारंभ करने का मौका दिया है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आजादी के समय से पहले रेल का बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता रहा है। विलियम ऑकवर्थ के नाम से एक व्यक्ति को अंग्रेजों ने रेलवे कमेटी का अध्यक्ष बनाया था और विलियम ऑकवर्थ ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे ऑकवर्थ रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। उस रिपोर्ट में प्रस्ताव रखा गया कि सैपरेशन कंवेंशन 1924 के तहत रेलवे का अलग से बजट प्रस्तुत किया जाए। आज 7 मार्च, 2013 हो गई है। लगभग 90 वर्ष बीत गये हैं। लेकिन हम आज भी लगभग उसी प्रथा पर चले आ रहे हैं। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या 90 वर्षों के बाद भी हमें अंग्रेजों को दी हुई प्रथा पर चलना चाहिए? मैं मानता हूं कि रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन क्या यह खाद्य सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या यह कृषि से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं भी मानता हूं कि रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन क्या कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस बात का उत्तर मेरे पास नहीं है कि क्या अब भी अलग से इसका रेलवे बजट प्रस्तुत करना चाहिए? लेकिन सदन में उपस्थित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी बुद्धिजीवियों के सामने मैं इस प्रश्न को रखता हूं। शायद उनके पास कोई उत्तर हो।

अपराह्न 4.14 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मैं अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि सर्विस सैक्टर्स में अगर सबसे बड़ा सैक्टर कोई है तो वह शायद रेलवे है जहां पर 14 लाख लोग काम करते हैं और जहां प्रतिदिन दो करोड़ लोग रेल के माध्यम से देश के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचते हैं। इसलिए जब हम किसी सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो कुछ मापदंडों को लेकर हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मैं रेल बजट का मूल्यांकन करने के लिए पांच मापदंडों पर बात करूंगा-सेवा प्रभार, सुरक्षा, गुणवत्ता, रफ्तार और जीवन क्षमता यानी सर्विस चार्जिस, सेफ्टी, स्पीड और सस्टेनेबिलिटी। मैं इन पांच मापदंडों को अपने वक्तव्य की बुनियाद बनाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले सर्विस चार्जिस के बारे में कहूंगा। वर्तमान रेल मंत्री जी से पहले जो भी रेल मंत्री रहे हैं, चाहे वह लालू जी रहे हैं, जिस तरह से लालू जी इंद्रजाल बुना करते थे, आंकड़ों का हेरफेर करते रहे थे, यही प्रथा 2004 से चली आई और आज तक वहीं आंकड़ों को हेरफेर बंसल जी करते आ रहे हैं। पवन जी ने कह दिया कि मैंने रेल किराया नहीं बढ़ाया है जबकि सच्चाई यह है कि शायद 15 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी के पास यह मंत्रालय आया और जैसे ही यह मंत्रालय आया इन्होंने बजट का इंतजार भी नहीं किया और 21 फीसदी किराया बढ़ा दिया। इनकी सरकार ने किराया बढ़ाया जिससे आम आदमी की कमर टूट जाएगी। शायद बजट में उन्हें कहते हुए थोड़ी सी भी झिझक नहीं हुई कि 21 प्रतिशत किराया बढ़ा दिया गया है। यह तो प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ाया गया और अप्रत्यक्ष तौर पर जो बढ़ाया वह फ्रेट चार्जिस हैं। माल भाड़ा 5.8 प्रतिशत बढ़ाया। इसके बाद कहा गया कि इसका कोई प्रभाव आम आदमी पर नहीं पड़ेगा मैं बताना चाहता हूं कि फ्रेट चार्जिस का प्रभाव कैसे पड़ता है। आप कुल मिलाकर देखें कि खाद, यूरिया ट्रेन से आएगा तो किसानों पर इसका बोझ पड़ेगा और बाद में इसका बोझ आम आदमी पर ही पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की बात करें, जब इन पर माल भाड़ा बढ़ेगा तो उसका बोझ भी आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। मैं सीमेंट और स्टील की बात करना चाहता हूं, एक तरफ सरकार कहती है कि घर बनाइए और दूसरी तरफ माल भाड़ा बढ़ाकर उनकी जेब से पैसा निकाल लेती है। आपने कोल की बात कही, बिजली के दाम दिल्ली सरकार ने जिस तरह से बढ़ाए हैं उसके कारण लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद दाम और बढ़ेंगे। जब आपका मन यहीं नहीं भरा तो आपने कह दिया कि हम टेरिफ बोर्ड का गठन करेंगे। आपने तो वही बात कर दी जो पी.सी. चिदंबरम जी करते हैं, वो किसी पीसी सरकार से कम नहीं, जादूगर से कम नहीं, बाजीगर से कम नहीं। आप आंकड़ों से खेलते हो, इंद्रजाल बिछाते हो ताकि आम आदमी को समझ न आए कि रेट बढ़ते कहां से हैं।

महोदय, पेट्रोल और डीजल के दाम हर दूसरे महीने बढ़ जाते हैं। पिछले दो वर्षों में 24 बार दाम बढ़े हैं। आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने दाम नहीं बढ़ाया पेट्रोल कंपनियों ने बढ़ाया है। बैंक की ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने नहीं बढ़ाई हैं आरबीआई ने बढ़ाई हैं। इसी तरह अगले एक वर्ष जब दाम बढ़ेंगे तो रेल मंत्री जी कहेंगे मैंने नहीं बढ़ाए ये तो टैरिफ बोर्ड ने बढ़ाए हैं। आप भलीभांति जानते हैं कि आम आदमी की जेब से पैसा कैसे निकाल जाता है। आप वोट लेना भी जानते हैं, उनका पैसा निकालना भी जानते हैं। आम आदमी की कमर कैसे तोड़ी जाए, यह आपकी सरकार जानती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 21 प्रतिशत किराया और साढ़े पांच फीसदी से ज्यादा माल भाड़ा बढ़ाने के बाद जो कसर रह गई थी और जिसकी शुरुआत लालू जी ने की थी उसे बंसल जी, आपने भी नहीं रोका। चाहे सप्लीमेंटरी चार्जिस सुपरफास्ट ट्रेन्स के लिए हों, चाहे रिजर्वेशन फीस हो, कैंसलेशन चार्जिस हों या क्लर्केज चार्जिस हों, इसके अलावा तत्काल चार्जिस में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने भाषण में कहा – *[अनुवाद]* वर्ष 2013-14 में, 30 प्रतिशत वृद्धि के साथ यात्री किराए से 42,210 करोड़ रुपए की आय अर्जित करने का लक्ष्य है *[हिन्दी]* 30 प्रतिशत आमदनी रेल यात्री किराए से बढ़ेगी लेकिन ट्रैफिक केवल 5.6 प्रतिशत बढ़ेगा। यह कैसे बढ़ेगा? दाम बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी। आपने सीधा नहीं कहा बल्कि किताबों में लिखकर भेज दिया। आपने सीधे तौर पर 21 प्रतिशत दाम बढ़ाएं, साढ़े पांच प्रतिशत माल भाड़े के बढ़ाए और बाकी तत्काल चार्जिस आदि के बढ़ाए। तत्काल के नाम पर एक दिन पहले टिकट मिले तो मैं मान लूं, 70 फीसदी टिकटें खिड़की पर देते हैं और 30 परसेंट टिकटों का कोटा रोक देते हैं और छह महीन पहले तत्काल टिकट बेच देते हैं। क्या आपने दुनिया भर में कहीं सुना है कि तत्काल टिकट छह महीने पहले बिकती है? मान लीजिए आपको दिल्ली से लुधियाना जाना है और वह ट्रेन मुम्बई से पठानकोट जा रही है तो आपको मुम्बई से पठानकोट तक का किराया देना पड़ेगा और तत्काल के चार्जिस अलग से देने पड़ेंगे। यह आम आदमी के साथ सरेआम लूट है। क्या उसके हिस्से की टिकटें उसे नहीं मिलनी चाहिए। 30 परसेन्ट टिकटें आप तत्काल में रोककर रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमने दाम नहीं बढ़ाये। यह इंद्रजाल नहीं तो और क्या है, यह आप लोगों की बाजीगरी है।

आपने फ्रेट एडजस्टमैन्ट कम्पोनेन्ट की बात कही। आप खुद ही कहते हैं कि साल में दो-तीन बार किराया-भाड़ा बढ़ जाया करेगा। अगर ये सब होना है तो आम आदमी अंदाजा लगा सकता है कि यह सरकार आम आदमी के नाम पर वोट मांगती है और अगले तथा पिछले दरवाजे से उसे लूटती भी है। उसी माल भाड़े से ग्रेन्स, पल्सेज, ग्राउंडनट, ऑयल, यूरिया आदि सब कुछ जाता है, इन पर इसका असर पड़ेगा। क्या रेलवे की माली हालत खराब है? आपने आपरेटिंग रेश्यो की बात कही। आपरेटिंग रेश्यो एनडीए के समय 91 प्रतिशत था, लेकिन पिछले चार-पांच वर्षों में यह कहा है, 2009-10 में 95.3 प्रतिशत, 2010-11 में 94.6 प्रतिशत और 2011-12 में 94.9 प्रतिशत यानी 95 प्रतिशत के लगभग आपरेटिंग रेश्यो है। यह हालत कैसे हुई। लालू जी अपने शुरू-शुरू के भाषण में कहा करते थे, यह रेल नहीं एक जर्सी गाय है, जिसका आज तक दूध नहीं निकाला गया। फिर कुछ वर्षों के बाद उन्होंने कहा कि मैंने बहुत दूध निकाल लिया है। क्या यह सच्चाई है? उसके बाद ममता जी आईं तो उन्होंने कह दिया कि इनके आंकड़े फर्जी थे, इस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए। उन्होंने एक नई दिशा पकड़ ली। पिछले पांच वर्षों में इस देश ने पांच नये रेल मंत्री देखे हैं। यह हमारे देश की हालत है और रेलवे की हालत मैं आपके सामने रख ही रहा हूं। जब इनसे एक प्रश्न में पूछा गया कि क्या आप बाकी दुनिया के सिस्टम को स्टडी करते हो? मैंने इकोनोमिस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा था कि 1931 में वर्ल्ड वार-1 और वर्ल्ड वार-2 के दौरान जर्मन रेलवे की जो हालत खराब हुई, उसकी वजह से उन्होंने 120 मिलियन डॉलर का भारी लॉस सहा। लेकिन आज उनकी यह हालत है कि लगभग दो बिलियन पैसेंजर्स प्रतिवर्ष उनके माध्यम से सफर करते हैं। उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी गई हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है। क्या आपकी सरकार के नाम पर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार है। क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पैसा खर्च किया है कि आज से बीस वर्षों के बाद हम कह सकें कि हमारी रेलवे की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा गया तो आपने उत्तर में कहा-*[अनुवाद]* अन्य देशों में रेल प्रणालियों के प्रचालन अनुपात के बारे में इस मंत्रालय में कोई सूचना न तो संकलित की जाती है और न ही रखी नहीं जाती है। *[हिन्दी]* आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। यह हमारे देश की रेल की हालत है। अगर पूरी व्यवस्था की बात की जाए तो मैंने कहा था कि मैं कुछ विषयों पर अपनी बात रखूंगा, अभी मैंने केवल पैसेंजर्स के किराये, भाड़े और सर्विस चार्जेज की बात की है।

महोदय, सेफ्टी भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जो आंकड़े आपके सामने आयेंगे, उन्हें सुनकर आप भी परेशान हो जायेंगे। मंत्री जी ने अपने भाषण में जो कहा, उस पर सब लोगों ने बड़ी मेजें थपथपाई। *[अनुवाद]* रेल दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। यद्यपि यात्री संख्या और माल ढुलाई यातायात में कई गुणा वृद्धि हुई है, फिर भी परिणामी रेल दुर्घटनाएं प्रति मिलियन रेल

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

किमी. 2003-04 के 0.41 से घटकर 2011-12 के अंत में 0.13 रह गई हैं। *[हिन्दी]* मुझे कई बार सुनकर हैरानी होती है और दु:ख भी होता है, जब मैं मंत्री जी की ओर देखता हूं तो लगता नहीं कि इनमें मानवता नहीं होगी एक देश का रेल मंत्री आंकड़ों में कहता है कि पहले दुर्घटनाएं 0.41 होती थीं, अब 0.13 रह गई हैं। क्या एक आम आदमी के जीवन की कीमत आपके लिए कुछ महत्व नहीं रखती है। क्या यह आंकड़ों का हेर-फेर नहीं है? आपने फिर से इंद्रजाल बिछाया है। पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन्स के किलोमीटर्स जोड़कर आप आंकड़े फज करके उसे नीचे ले आये। अगर यह सच्चाई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु कड़वा सच यह भी है कि आपने जो आंकड़ों में हेर-फेर किया, उसके बावजूद मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, जो आपने प्रश्न के उत्तर में दिये थे, उन्हें मैं इस सदन के सामने रखना चाहूंगा। सबसे ज्यादा मौंते अनमैंड लेवल क्रॉसिंग्स के कारण होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2011-12 में 14611 लोगों की जानें गई हैं। सन् 2012-13 के पहले छह महीने में, केवल सितंबर तक 15,934 लोगों की जाने गई हैं। मात्र छह महीनों में एक साल की तुलना में लगभग 1300 जानें ज्यादा गई हैं। क्या आपके पास इस बात का उत्तर है, कोई तर्क है? आप घुमा-फिरा कर अपने लिए केवल तालियां बजवाना चाहते हैं, मेज थपथपाना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों की जानें जाती हैं, उनके बारे में आपकी कोई सोच नहीं है। वैसे हम आपसे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते हैं। इसलिए किसी ने दो लाइनें कही हैं मैं यह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

"तुम और वफ़ा करोगे, यह मैं मानता नहीं। उसको फ़रेब दो, जो तुम्हें जानता नहीं।"

यह देश आपको जान चुका है। लालू जी के समय से ले कर अब नौ वर्षों में जो आपकी सरकारों ने किया है, वह केवल आम आदमी को ठगा है। आंकड़ों का हेर-फेर किया है और रेलवे को घाटे की ओर ले जाते चले जा रहे हैं। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने दो-दो कमेटियां बनाई हैं- एक सैम पित्रोदा की और दूसरी अनिल काकोदकर की। उन्होंने कुछ रिकमंडेशंस दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई की जो सब-अर्बन रेलवे लाइन है, उसके आस-पास लगभग छह हजार लोगों की मौतें होती हैं। वे भी अनमैंड रेलवे क्रॉसिंग्स के कारण होती हैं। ट्रेनों में जगह न होने के कारण जहां बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ते हैं, कोई दरवाजे के बाहर लटकता है, कोई गाड़ी के ऊपर बैठता है, जिनको जगह नहीं मिलती है, वे लोग या तो टक्कर के कारण या बाहर लटकने के कारण गिर कर मर जाते हैं। सच्चाई यह भी है कि जो 64 हजार किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, वह कई ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिसके आस-पास कई घनी आबादी वाली बस्तियां हैं, झुग्गी-झोंपड़ियां हैं। उनके लिए कोई और चारा नहीं है, बल्कि उन रेल पटरियों के ऊपर से क्रॉस कर के उन्हें इधर-उधर जाना पड़ता है और अधिकतर लोग वहां पर मर जाते हैं। आपने अपने आंकड़ों में कहा है कि लगभग 17,000 हजार अनमैंड लैवल क्रॉसिंग्स इस देश में हैं। आप खुद ही कहते हैं कि सैंट्रल रोड फण्ड से केवल 1100 करोड़ रुपये हमें मिलते हैं, जब कि आपको 5000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसका मतलब अगले दस-बीस सालों के लिए यही आंकड़े आते रहेंगे, 15-20 हजार लोग प्रतिवर्ष इन रेल दुर्घटनाओं में मारे जाते रहेंगे। आप क्या करने वाले हैं? अनिल काकोडकर ने उसी कमेटी में कहा है कि

[अनुवाद]

"अतिक्रमण निरोधक उपायों, बाड़ और पैदल यात्री उपरि पुलों की कमी के कारण होता है।"

[हिन्दी]

हमारे देश में अगर इन सब की कमी है तो आप क्या करने जा रहे हैं और कितने कम समय में करने जा रहे हैं? उन्होंने सेफ्टी सेस लगाने की बात कही है। क्या आप सेफ्टी सेस लगाने जा रहे हैं? आप अपने उत्तर में यह जरूर बताएं क्योंकि यह बात भी आपने आम आदमी से जरूर छुपाई है। आपने अपना जो रेवन्यु दिखाया है, उसमें कहीं न कहीं सेफ़्टी फण्ड के नाम पर लगभग दो हजार करोड़ रुपये आप इस साल रेज करने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप यह भी आम आदमी की जेब से निकालने वाले हैं। यह आपके ही एन्युअल प्लान के पेज 22 के प्वाइंट नंबर 72 में लिखा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि लगभग दो करोड़ लोग प्रतिवर्ष इंडियन रेलवे के माध्यम से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। उनकी जान को भी ये लोग खतरे में डालते हैं। उसकी कभी चर्चा नहीं करते हैं। डेढ़ लाख से ज्यादा वैकेंसीज केवल सुरक्षा सेक्टर में खाली छोड़ी हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की जो रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए, उसको लेकर रेल मंत्री गंभीर नहीं हैं। 31 मार्च, 2001 को रेलवे के कुल कर्मचारी थे 15,12,530 और 31 मार्च, 2009 को कम हो कर 13,800 रह गए। आज क्या स्थिति है, वह आप जानते हैं। उससे भी कई लाख कम हो गए हैं। कुल

मिला कर केंद्र सरकार के पांच प्रमुख विभागों के जो कर्मचारी थे, वे 38 लाख से कम हो कर 30 लाख रह गए हैं। आपकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। आम आदमी की सुरक्षा पर भी आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जो आपने डेढ़ लाख पोस्ट्स भरने की बात कही, पिछले नौ वर्षों में आपने कितनी पोस्ट्स भरीं जो आप एक वर्ष में डेढ़ लाख पोस्ट्स भर देंगे। आपकी सरकार के पास पैसा है नहीं, आपके कहने के बावजूद कोई पीपीपी मॉडल में नहीं आता है। आप कहते हैं कि आपने आरपीएफ में दस परसेंट वीमेन के लिए सीट्स रिजर्व रखी हैं, केवल दस प्रतिशत, संसद में हम 33 प्रतिशत महिलाओं को लाने की बात करते हैं और आप रेलवे में केवल दस प्रतिशत पोस्ट्स भरने की बात करते हैं। आपकी ही रिपोर्ट में कहा गया है कि *[अनुवाद]* चालीस प्रतिशत परिणामी और 60 प्रतिशत घातक दुर्घटनाएं समपारों के कारण होती हैं। *[हिन्दी]* मैं बार-बार उसी बात पर इसलिए आ रहा हूं कि इसके लिए आपके पास उपाय क्या है? सर, मेरे पास कुछ है, क्या मैं इसे एक मिनट में यहां दिखा सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : पवन जी, यह मेरे पास एक मिनट का वीडियो है। मैं मंत्री जी को इसके बाद इसे दे सकता हूं उन्हीं ट्रैक के नीचे जो आपका सीमेंट का ब्लॉक लगा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा जेनरेटर फिक्स हो जाता है। स्लीपर निकालना है, उसकी जगह दूसरा लगाना है, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और वह बैटरी में स्टोर हो जाती है, जो उसे मैंड या अनमैंड क्रासिंग तक ले जाएगी और आपको बिजली के कनेक्शन की जरूरत नहीं है। यह जो आपने सोलर का प्रयोग किया और विंड मिल की आप बात करते हैं, ये दोनों फेल हो गयी हैं। आप आरडीएसओ से पता कर सकते हैं, जहां आपने सोलर के पैनल लगाए थे, दूसरे दिन वे मिट्टी से भर जाते हैं, उसके लिए आपको उतनी मैनपॉवर और रखनी पड़ेगी। अगर इन्हीं ट्रैक्स पर आप यह काइनेटिक एनर्जी का उपकरण लगाते हैं तो न आपको खर्च करना पड़ेगा और दो सौ मैंड या अनमैंड क्रासिंग्स के ऊपर आपको केवल एक यूनिट बनाना पड़ेगा, जो आपके जीएसएम ऑपरेटर्स के माध्यम से सीधा चल सकता है और आपके लाखों, करोड़ों रुपए बच सकते हैं। यह मैं आपको इसके बाद देने के लिए तैयार हूं।

मैं यहां आपकी केवल आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। देश में हमारा सहयोग कैसे हो सकता है, विपक्ष की भूमिका हम सकारात्मक तौर पर कैसे निभायें, उसमें मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं। सेफ्टी ऑफ ब्रिजेज की बात की जाये, देश में लगभग 36,700 पुल ऐसे हैं, जो आजादी से पहले के बने हुए हैं। वे सौ साल पुराने हैं। आज उनकी स्थिति क्या है? दिल्ली और मुंबई से महत्वपूर्ण लिंक देश के लिए क्या होगा, उसकी हालत क्या है? भैरवगढ़ ब्रिज, जो रतलाम में है, उसे आज से आठ साल पहले डिस्ट्रेक्ट कह दिया गया। उस पर आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की, आठ वर्ष में कुछ नहीं किया। कह दिया कि पैसे की कमी है, इसलिए उस पर काम शुरू नहीं हो पाया। यह 330 मीटर का ब्रिज है, अगर यह टूट जाये तो जो 50 ट्रेन प्रतिदिन जाती हैं, इसका मतलब है कि वे 50 ट्रेन रोज की आनी जानी बंद हो जायेंगी। यानी कि रेलवे इंजन में जो ड्राइवर है, वह लगभग आधा घंटा पहले ट्रेन की स्पीड कम कर लेता है, उसे दस किलोमीटर की रफ्तार पर लाकर पुल भर से गुजरता है और आधा घंटा बाद फिर उसकी रफ्तार बढ़ाता है। आप सोच सकते हैं कि इससे कितना नुकसान होता होगा, कितनी बिजली, कितना डीजल कितनी खपत होती होगी? जितना समय का नुकसान होता है, उससे ज्यादा नुकसान होता होगा, लेकिन मंत्री महोदय ने कह दिया कि हमारे पास पैसों की कमी है, यह हो नहीं सकता। जिस दिन टूट जायेगा तो ट्रेन बंद हो जायेगी या फिर जिस दिन हजारों लोगों की जान चली जायेगी तो आप फोटो खिंचवाने के लिए हाथ में चैक लेकर उनके परिवारों के पास चले जायेंगे, लेकिन पहले कोई कदम नहीं उठायेंगे। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि आपने 50 वर्षों तक राज किया है और यह रेलवे की स्थिति कर दी है।

[अनुवाद]

मैं मंत्रीजी से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वह यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है। क्या इन पुलों की जांच गैर-विनाशक तकनीकों यथा अवध्वनिक, ध्वनि उत्सर्जन, विकृति प्रमापन और राडार, जलगत निरीक्षण, अज्ञात आधार मापन, पुलों की नींव की जांच, कमजोर होने और शेष जीवन मूल्यांकन तकनीकों के लिए की गई है? यदि हां, तो कितनी बार और किस अंतराल पर?

[हिन्दी]

कृपया करके इसका उत्तर जरूर दें क्योंकि यह आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा की चिन्ता या रेल के स्वास्थ्य की चिन्ता यदि किसी ने की थी, मैं सुरक्षा और स्वास्थ्य को साथ में इसलिए जोड़ रहा हूं कि इस बारे में किसी व्यक्ति ने सोचा था तो देश के केवल एक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा था, जिन्होंने रेल सेफ्टी फंड बनाया था और 17 हजार करोड़ रुपये

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

दिये थे। अगर रेल आज ज्यादा ढुलाई कर सकती है, ज्यादा बोझ ले जा सकती है तो नीतीश कुमार जी उस समय रेल मंत्री थे और अटल बिहार वाजपेयी जी ने 17 हजार करोड़ रुपये दिये थे, जिसके लिए हम उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

कई एम्बीशियस प्रोजैक्ट्स की शुरुआत उस समय की गई और नेशनल रेल विकास परियोजना की बात की गई। इसके अंतर्गत जितने प्रोजैक्ट्स चले हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी स्थिति आज की तारीख में क्या है। यशवंत सिन्हा जी ने मुझे अभी-अभी बताया था कि हजारीबाग को जोड़ने वाली लाइन के बारे में कहा गया था कि उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह जल्द कितना जल्द होता है, कृपा करके यह भी बताइए क्योंकि इस पर मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। 1975 में जो रेल लाइनें बनानी शुरू हुईं, 40 वर्ष हो गए लेकिन 347 प्रोजैक्ट्स आज भी पैन्डिग हैं। इनसे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। अगले वर्ष हमारी सरकार आएगी, शायद तब बनकर तैयार होंगी। इनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मैं क्वालिटी और गुणवत्ता पर आना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी छलांग लगाने से पहले ही धराशाही हो गए। इन्होंने आसमान की तरफ नहीं देखा, ये जमीन से जुड़े रह गए। इन्होंने अपने वक्तव्य में पॉइंट 8, पेज नंबर 3 पर कहा है:

[अनुवाद]

पृष्ठ संख्या 3 में बिंदु संख्या 8 में कहा गया है: "वर्ष 2011-12 में यात्री रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 12,335 कर दी गई जो कि वर्ष 2001-02 में 8897 थी। फिर भी, इन प्रचालनों पर घाटा होता रहा जो वर्ष 2001-02 में 4,955 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 22,500 करोड़ रु. हो गया तथा वर्ष 2012-13 में इसके 24,600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।"

[हिन्दी]

आगे सुनने वाली बाती है।

[अनुवाद]

"इसके परिणामस्वरूप हमारे सम्मानित यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं की भी अवनति हुई है।"

[हिन्दी]

इन्होंने खुद माना है कि सर्विसेज और गिरी हैं। दूसरी और आप कहते हैं कि हम आईएसओ सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहां जितने सांसद बैठे हैं, इनमें से 90 प्रतिशत लोग ट्रेन के माध्यम से अपनी कांस्टीट्यूएंसी जाते हैं, शुक्रवार को जाते हैं, सोमवार को फिर आते हैं। इनसे पूछ लीजिए कि क्या सर्विसेज सुधरी हैं या खराब हुई हैं। बद से बदतर हुई हैं।...*(व्यवधान)* इनको काहे की सर्टिफिकेशन चाहिए, हाउस सर्टिफिकेशन दे देगा। चूहे और कॉक्रोच मिलते हैं। आज यह हालत है। मैं मंत्री जी को भी कितना कोसूं, इनके पास तो अभी-अभी मंत्रालय आया है। लेकिन आम आदमी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी पैंसेजर फेयर बढ़ाकर और रेल फ्रेट बढ़ाकर। देखिए, चर्चा शुरू हो गई जब गुणवत्ता की बात आई। हमारे सांसद कितने गंभीर हैं गुणवत्ता को लेकर, क्योंकि ये आपकी तरह किसी अनुभूति की बात नहीं करते, ये अपने एक्सपीरियेन्स की बात करते हैं जो आम नागरिक की तरह ये ट्रेन में सफर करके करते हैं। मंत्री जी चंडीगढ़ से आते हैं, वह बहुत पॉश इलाका है। इसलिए उन्होंने अनुभूति की बात की कि वहां पर वाई-फाई होगा।...*(व्यवधान)* वहां पर जहाज की कमी न रहे, वे इसका प्रयास कर रहे हैं आम आदमी के नाम पर कांग्रेस केवल वोट मांगती है लेकिन आम आदमी सैकेन्ड क्लास के डिब्बे में सफर कैसे करता है, शौचालयों की स्थिति क्या है, उसके लिए खाने की सुविधा क्या है, उसके बैड की सुविधा क्या है? और तो और, मैं उस वास्तुकार की ढूंढ में हूं जिसने ट्रेन में ऊपर की बर्थ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी डिजाइन की थी। मुझे एक बार एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा क्या ऊपर की सीट ले लोगे? ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है? यह हमारे जैसे नौजवानों के लिए मुश्किल है तो आम बुजुर्ग और महिलाएं ऊपर वाली सीट पर कैसे चढ़ेंगे? क्या उस डिजाइन को चेन्ज करने के बारे में आपने कभी सोचा है? गुणवत्ता की बात पर तो आपने पहले ही घुटने टेक दिये हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि गुणवत्ता की बात अपने डिपार्टमैंट से शुरू होती है। आपने अपने शुरुआती भाषण में कहा कि 14 लाख कर्मचारियों के बल पर हम भारतीय रेल को बुलंदियों पर ले जाएंगे लेकिन उनको दो साल बाद जब वर्दी देने की बात आती है, तो आप उनको बिलो क्वालिटी की वर्दी देते हैं। वे आंदोलन करते हैं। वे कोई डिजाइनर वर्दी नहीं मांगते। केवल आपने अपनी किताबों में जो लिखा है कि ब्रांडेड कपड़ा देंगे, यदि आपकी सरकार वह देने में भी सक्षम नहीं है तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप आम ग्राहक को क्या देंगे?

खाने की बात कही गई। कभी खाने में कॉक्रोच निकलता है, कभी चूहा निकलता है, कभी लंबे बाल निकलते हैं। यह तो रेलवे के खाने की हालत है। इस देश की हालत क्या होगी, वह देश जान सकता है। ट्रेन में सफर करने वाला कहीं न कहीं यह सोचता है कि मैं थोड़े पैसे और खर्च कर लूं, तो शायद मैं हवाई जहाज से सफर कर सकता हूं, क्योंकि एयरलाइंस बहुत आ गयी हैं।

टायलेट्स की मैंने बात कही। इनके मंत्री अपना प्वाइंट स्कोर करने के लिए देश भर में कहते हैं कि बायो टायलेट्स, ग्रीन टायलेट्स या इको टायलेट्स होने चाहिए। लेकिन आपके इस बजट में इस पर कोई चर्चा ही नहीं की गयी है कि कितने समय के अंदर आप ट्रेनों में बायो या इको टायलेट्स देंगे। हम देश को खुले शौच से मुक्त करने की बात करते हैं, निर्मल ग्राम की बात करते हैं, लेकिन आज तक आप ट्रेन्स में यह नहीं कर पाए हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। आप आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन आप फर्स्ट एसी के टायलेट्स को जाकर देखिए, उनमें जाकर हालत खराब हो जाती है।

जहां तक चादर और तकिए की बात है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, जो मैं पवन जी को दिखाऊंगा। ऐसे तकिए और चादर मिलते हैं कि वह मैले होते हैं, मुश्क मारते हैं। कम्बल से मुश्क आती है। आप यह बाकी सांसदों से पूछिए। इसलिए मैं अपने साथ हमेशा सफर के दौरान चादर साथ लेकर जाता हूं। यदि फर्स्ट ऐसी की यह हालत है तो सैकेंड और थर्ड एसी की क्या हालत होगी? लेकिन आप जर्मनी, फ्रांस और चीन की ट्रेन से तुलना करना चाहते हैं। इस पर मैं दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं:

"छुपती नहीं है जो तेरे जहां की हालत,
यहां तो सांस लेना भी बड़ी जिसारत है।"

आपने यह हालत रेलवे की कर रखी है कि आम आदमी भी शायद उसमें सफर करने से तंग आ गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपका एकाधिकार है, इसलिए आम आदमी के पास कोई रास्ता बचा भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह से हमारा रोड नेटवर्क बढ़ा है, अटल जी ने उसकी कल्पना की थी और आज बढ़िया नेशनल हाइवे बने हैं, जिससे वोल्वो बसों में कई लोग सफर करते हैं। लेकिन रेल से कन्नी काटते हैं। इसीलिए आपको फ्रेट में और पैसेंजर में शेयर कम हुआ है। यह बहुत चिंता का विषय है और इस पर आपको चिंता करने की आवश्यकता है।

आपने अनुभूति की बात कही है कि आप कैसी अनुभूति करना चाहते हैं। वहां एक कॉफी मशीन लगी होगी, एक टीवी लगाया होगा। आप अमीर आदमी की पार्टी की तरह बात करते हैं, लेकिन वोट के समय आपको आम आदमी की याद आ जाती है। क्या आपको बजट के समय आम आदमी याद नहीं आया, जब आपने 21 प्रतिशत रेल किराया बढ़ाया, जब आपने फ्रेट बढ़ाए, जब तत्काल चार्जिज बढ़ा दिए और क्लैरिकल चार्जिज से लेकर सभी चार्जिज बढ़ा दिए। आपने पिछले रास्ते से और अगले से उसकी जेब से पैसा निकाला, तब शायद आपको आम आदमी की याद नहीं आयी। अनुभूति या एक्सपीरियंस, लेकिन आम आदमी क्या चाहता है, आपने उस पर नहीं सोचा। आपने चंडीगढ़ के अमीर को कैसी अनुभूति हो, आपने अपनी कांस्टीट्यूएंसी वाले के लिए सोचा है कि किस तरह से उसको लैदर की सीटें दें, कॉफी दें, बढ़िया सर्विस हो रही हो। एयर होस्टेस की तरह एक महिला वहां आकर परोस रही हो। लेकिन गरीब आदमी की आपने इसमें चिंता नहीं की है। मैं आशा करता हूं कि आप गरीब आदमी की भी चिंता करेंगे।

अगला विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने तत्काल चार्जिज स्लीपर में 75 रुपये से बढ़ा कर 90 रुपये कर दिए हैं, एसी थ्री टियर में दो सौ रुपये से बढ़ा कर ढाई सौ रुपये कर दिए हैं, एसी टू टियर में दो सौ से बढ़ाकर तीन सौ कर दिए हैं। इसके अलावा पूरा रेल किराया तो यह एक कोने से दूसरे कोने का लेते ही हैं। आम आदमी को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सप्लीमेंटरी चार्जिज भी इन्होंने बढ़ाए हैं, 20 से 30, 30 से 45 और 50 से 75 कर दिए हैं। रिजर्वेशर्न फीस इन्होंने एसी थ्री टियर के लिए 25 से बढ़ा कर 40 कर दी है, एसी फर्स्ट के लिए 35 से 60 कर दी है और इसी तरह से बाकी भी चार्जिज इन्होंने बढ़ाए हैं।

अगला विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्पीड से जुड़ा हुआ है। लालू जी ने जो कलाकारी की, उसमें आप भी पीछे नहीं रहे। जो इंद्रजाल वह बिछाया करते थे, वह आपने भी बिछाया है। मैं उसमें से निकल कर जनता के सामने आंकड़े देना चाहता हूं। आपने दाम बढ़ा दिए ट्रेनों का नाम सुपरफास्ट रख कर। उनकी कैटेगिरी बदल देते हैं, जिससे आम आदमी को किराया ज्यादा देना पड़ता है। उसके बाद तत्काल में तीस परसेंट सीटें रिजर्व करके उसको फिर से लूटने का प्रयास करते हैं।

जब स्पीड की बात आती है तो सुपरफास्ट ट्रेन जो कहीं से सुपर नहीं है और न ही फास्ट है, न उसमें सुपर वाली कोई बात है, न कोई फास्ट वाली बात है लेकिन आप ने सुपरफास्ट ट्रेनों की कैटेगरी कर दी। उनकी कितनी स्पीड है? यह 50 किमी/घंटा है। यह एक

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

अखबार में छपा है कि ट्रेनों की स्पीड फ्रांस में 320 किमी/घंटा, चीन में 300 किमी/घंटा, बेल्जियम में 300 किमी/घंटा, जापान में 300 किमी/घंटा, जर्मनी में 300 किमी/घंटा और भारत में औसतन 90 किमी/घंटा है। यह हालत है भारतीय रेल की। आप कहां की कल्पना कर रहे हैं? आप किस रफ्तार की बात कर रहे हैं? आपकी फ्रेट ट्रेन औसतन 25 किमी/घंटा की गति से भागती है जबकि दुनिया भर की ट्रेन 300 किमी/घंटा की गति से भागती है।

सर, ट्रेनों की स्पीड को मैं पंक्चुअलिटी के साथ जोड़ना चाहूंगा। यह जो आपके अधिकारीगण यहां बैठे हैं। ये भी कमाल के हैं। ये कह देते हैं कि एक कोने से शुरू होकर ट्रेन दूसरे कोने पर खत्म होती है। ये उसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां से शुरू हुई, इस कोने पर इतने समय पर पहुंचेगी और उस में चार-पांच घंटे का समय ज्यादा रख लेते हैं ताकि इंटरमीडिएड स्टेशन पर जो लेट होती है, उस समय को आखिर में पूरा कर लिया जाए। अगर पंक्चुअलिटी देखनी है तो इंटरमीडिएट स्टेशन पर आपकी ट्रेन कब कितने समय में पहुंचती है, आप कृपया इसके आंकड़े सदन को दीजिए। तब पता चलेगा कि भारतीय रेल की क्या हालत है। यह जो आप चार-चार घंटे का गैप बीच में डालते हैं, इस में बिजली की खपत ज्यादा होती है, डीजल की खपत ज्यादा होती है, आम आदमी के समय का ज्यादा नुकसान होता है और आप को अपनी मैनपावर पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आप को अपने इफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप को अपनी पंक्चुअलिटी में सुधार करना होगा। इस बात को मैं बल देकर कहना चाहता हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेज छोड़ कर गए थे तो उस समय लगभग 55,000 किलो मीटर रेल ट्रेक बने हुए थे। पिछले पैंसठ वर्षों में आप केवल उसे 63,000 किलो मीटर तक पहुंचा पाए हैं। वैगन्स भी पहले से कम हो गए हैं। पहले दो लाख हजार वैगन थे, अब दो लाख चार हजार वैगन रह गए। ट्रेनों की स्पीड भी नहीं बढ़ी। आपके रेल ट्रेक भी कम रफ्तार से बन रहे हैं। आपके वैगन्स भी पहले से कम हो गए हैं। इससे पता चलता है कि आज की तारीख में भारतीय रेल कि क्या स्थिति है। आप के आंकड़ों से ही सब पता चल जाता है।

ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है क्योंकि आपकी सरकार की रफ्तार भी बड़ी धीमी है। आपने स्वयं इसमें आंकड़े दिए हैं। आप ने आंकड़े दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैन्सन में 700 किलोमीटर की नयी लाइंस का टारगेट था। उसे कम कर के आपने इस वर्ष 470 किलो मीटर कर दिया। क्या यह सच्चाई है? आप ने खुद अपने भाषण में कहा-

[अनुवाद]

"चालू वर्ष में 700 कि.मी. की नई लाइन के लक्ष्य को अर्याप्त संसाधनों के कारण कम करके 470 कि.मी. का कर दिया गया।"

[हिन्दी]

मंत्री जी, रेल बजट पर चर्चा हो रही है। जो नयी लाइन है, उस को आप ने 700 किलो मीटर से कम कर के 470 किलो मीटर कर दिया। जो गेज कंवर्जन था, वह भी आप ने इस वर्ष पैसों के अभाव में, धन के अभाव में 800 किलो मीटर से कम कर के 575 किलो मीटर कर दिया यह तो इस सरकार की हालत है। देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर भाग रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद करो जिन के समय में देश में प्रतिदिन तेरह किलो मीटर नेशनल हाईवे बना सकते थे। वह आप की सरकार में आ कर दो किलो मीटर प्रतिदिन रह गए। हमारे समय में 17,000 करोड़ रुपये रेल सेफ्टी फण्ड में दिए गए ताकि रेल नेटवर्क को स्ट्रेंथेन किया जाए। आप के समय में वह किलो मीटर भी कम हो गए। मैं कई बार सोचता हूं कि अटल जी नहीं होते तो इस देश के क्या हालत होती। आप इस की हालत को बद से बदतर करते जा रहे हैं।

मैं आगे जिस विषय पर आ रहा हूं वह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह सस्टैनिबिलिटी के साथ, जीवन क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। रेलवे की सस्टैनिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी सेवा नेक इरादों से जीवन क्षमता हासिल नहीं करती, बल्कि उसे इफिशिएंट और वाएबल होना पड़ता है। रेलवे को इफिशिएंट और वाएबल बनाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, यह भी मैं आप से जानना चाहता हूं। आपकी इंटेंशंस तो मुझे बहुत सही नजर नहीं आती। यूपीए-टू में देखें तो पहले दिन से टू-जी स्पेक्ट्रम, कॉमन वेल्थ गेम, कोल घोटाला और अब हेलिकॉप्टर घोटाला है। घोटाले पर घोटाला है। आप की सोच घोटालों वाली है तो आप आगे कहां बढ़ने वाले हैं?

[अनुवाद]

"यदि वादों को अमली जामा न पहनाया जाए तो वे बेकार हैं।"

[हिन्दी]

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ये आंकड़े जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। पहले जब लालू जी रेल मंत्री बने तो उन्हें बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज में भाषण देने के लिए बुलाया गया। वे अपने समय में कहते थे कि 25 हजार करोड़ तक का प्रोफिट हो गया और पवन जी के आते-आते उस समय तक वह सारा प्रोफिट चला गया। ममता जी जब आईं तो उन्होंने आते ही यूपीए-टू में कहा कि इसके फाइनेंसेस पर वाइट पेपर लाना चाहिए। मुझे नहीं पता चलता कि लालू जी वह कमाई कहां करके गए। क्या वह सच्चाई नहीं, वह केवल इन्द्रजाल बुना गया था। आंकड़ों का हेर-फेर था। आज वे असली आंकड़े सामने आते हैं। ममता जी आईं तो लालू जी से अलग राय लेकर चल पड़ीं। उन्होंने कहा कि मॉल्स, रेस्टोरेंट, 17 मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग इंस्टीट्यूटस बनाएंगे। ऑप्टीकल फाइबर बिछाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। बसुमती साहित्य मंदिर को टेकओवर करेंगे और प्रिंटिंग प्रेस भी बनाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि इस सरकार की मानसिकता क्या है। कोर इश्यु से हट कर हम नोन कोर इश्युस की बात करते हैं। हमारा कोर इश्यु क्या है कि रेलवे लाइंस को और स्ट्रेंथन्ड कैसे करना है, आम आदमी की सुरक्षा की दृष्टि से समय पर कैसे पहुंचना है। स्वच्छता कैसे हो, अच्छा खाना कैसे मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी जो कहते थे, वह मुझे आज तक कहीं नजर नहीं आता। शायद पवन बंसल जी की अनुभूति में वह नजर आए, लेकिन वह गिने-चुने एक करोड़ कमाने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए वह होगी, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। वाइट पेपर जो आया, उसके बाद आगे जो आंकड़े हैं, आज फ्रेट ट्रेंस की क्या हालत है। हमारा शेयर आजादी के समय लगभग 85 प्रतिशत फ्रेट ट्रेंस का था 85 प्रतिशत देश का जो भाड़ा उठाती थी, माल उठाती थी, उसे माल गाड़ियां उठा कर लेकर जाती थी। आज यह स्थिति है कि आपकी फ्रेट ट्रेंस का शेयर केवल 36 प्रतिशत रह गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनियाभर में कहा जाता है और पांडेय जी की कमेटी जो 1960 में बनी थी, उन्होंने कहा था कि 70 फीसदी शेयर रहना चाहिए। आप वह शेयर कम करके 36 फीसदी पर ले आए। रोड नेटवर्क का शेयर 57 प्रतिशत हो गया है। ये 57 प्रतिशत क्यों हुआ, क्योंकि अटल जी ने बढ़िया नेशनल हाइवे देश के लिए बना कर दिया। चाइना में ट्रेन का जो फ्रेट का हिस्सा है, वह लगभग 47 प्रतिशत है, यूनाईटेड स्टेट्स में 48 प्रतिशत है। दुनियाभर के देशों में पचास प्रतिशत से कम कहीं नहीं होता, केवल भारत में 36 प्रतिशत है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो फ्रेट से हम कमाते हैं, वह हमारी आमदनी 70 फीसदी है। रेलवे का रेवेन्यू, जहां से निशिकांत दुबे जी और यशवंत सिन्हा जी आते हैं, झारखंड जैसा राज्य शायद आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता होगा, लेकिन उनके राज्य में आप उतना पैसा खर्च नहीं करते।

ओडिशा से आपकी कमाई होती है, लेकिन आप 14 हजार करोड़ के बदले चार करोड़ भी वहां पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आपकी कमाई होती है, वहां पर भी आप उतना खर्च नहीं करते। आप केवल कांग्रेस शासित राज्यों तक सीमित होकर रह गए, इसीलिए लोगों ने कहा था कि रायबरेली और कांग्रेस का बजट होकर रह गया है, ये रेल मंत्री पूरे देश के रेल मंत्री नहीं बन पाए। आपको निकलना पड़ेगा, अपनी सोच बड़ी करनी होगी।

मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी सोच बदली है? एक हजार टन से कम वाला जो फ्रेट सैक्टर है, क्या उसके लिए आपने कुछ सोचा है? कंटेनराइजेशन की जो बात की जाती है, क्या आपकी सरकार उस सेक्टर को पकड़ने के लिए सोचती है? आज भी 50 से 60 बोगी की ट्रेन में कई बोगिस ऐसी होती हैं, जो खाली रहती हैं क्या आप उसमें दूसरे सैक्टर्स का सामान लाद कर ले जाना चाहेंगे ताकि आपका ये जो 36 प्रतिशत पर आया है, इसको बढ़ा कर हम वापिस 50 प्रतिशत पर ले सकें। आपको इसके ऊपर प्रयास करना चाहिए।

मैं यहां पर कोच रेशनलाइजेशन की बात करना चाहता हूं जिसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। बहुत सारे मुख्य मंत्रियों ने यह बात कही है कि आपको इस दिशा में बढ़ना चाहिए ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है, उसमें बदलाव हो सके। आप केवल मिनरल, कोल, सीमेंट और स्टील तक अपने आपको सीमित न रखें, बल्कि बाकी इंडस्ट्रीज को आप रेलवे पर लें। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी जो एक ट्रक पर माल भरता है, पहले लोडिंग होती है, फिर स्टेशन पर ऑफलोडिंग होती है, उसके बाद फिर ट्रेन पर ऑनलोडिंग होती है। फिर जाकर ऑफलोडिंग होती है और ट्रक में भरकर पोर्ट पर सामान जाता है। आज उन्होंने सोचा है कि बार-बार लोडिंग-अनलोडिंग का खर्च क्यों सहन किया जाए, ट्रक पर ही माल लादकर भेजते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस देश में बहुत बढ़िया नेशनल हाइवेज बनाकर दे दिए थे। इसलिए आपके कंपटीटर के रूप में रोड नेटवर्क आज पहले ही है।

महोदय, मैं यहां पर लिंकेज की बात करना चाहता हूं। आपको हाई डेंसिटी नेटवर्क वाले एरियाज को चिन्हित करना होगा, चार मेट्रोज,

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

टियर वन सिटीज, जहां पर मैक्सिमम ट्रैफिक है, वहां के नेटवर्क की आप डबलिंग कीजिए, थर्ड लाइन बिछाइए, चौथी लाइन बिछाइए, ताकि वहां से आपकी कमायी ज्यादा हो सके। आप बैकवर्ड एरियाज की ओर भी ध्यान दीजिए। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, 65 वर्षों में केवल 44 किलोमीटर रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में बनी है। अंग्रेज ज्यादा बना गए थे, अपनी सरकारों ने कम बनायी है। उत्तराखंड में रेलवे लाइन नहीं है, झारखंड में नहीं है, जहां से सबसे ज्यादा आपका रेवेन्यू आता है। ओडिशा, राजस्थान, नॉर्थ-ईस्ट की बात मैं करना चाहता हूं, पर बाकी देश का भी आप देखिए।

लास्ट माइल लिंकेज की आपने बात कही है, लेकिन आपके बजट में देखा जाए तो आपने कहीं यह नहीं कहा कि हम इस योजना को अगले दो वर्षों के अंदर पूरा कर लेंगे, लास्ट माइल लिंकेज के लिए पैसा देंगे, इससे हमारा इतना रेवेन्यू बढ़ेगा, यह सोच भी आपके बजट में कहीं नजर नहीं आती है। वर्ष 1975 से 347 रेलवे लाइन आपने चलायी हैं, जो पेंडिंग हैं, उन पर भी आपका कहीं कोई विचार देखने को नहीं मिलता है। केवल आपने कहा है कि इसे पूरा करेंगे, लेकिन आपने उनके लिए पूरा पैसा नहीं दिया है।

माननीय मंत्री जी, आपने पीपीपी मॉडल के माध्यम से 1 लाख करोड़ जुटाने की बात 12वीं पंचवर्षीय योजना में कही है। यह अपने आप में हास्यास्पद लगता है। आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी हाशिए पर है। ...* इसीलिए वर्ष 2007 से 2012 में आप मात्र आठ हजार करोड़ रुपए बाजार से उठा पाए हैं। आप एक लाख करोड़ रुपए पीपीपी मॉडल के माध्यम से उठाने की बात करते हैं, यह कहां से आएगा? यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि न ही यह संभव है और यूपीए के रहते हुए कभी संभव नहीं होगा। हां, अगली बार जब एनडीए की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर इस पर पैसा भी आएगा और यह प्रोजेक्ट भी हम पूरा करेंगे।

आपने रेल टूरिज्म की बात कही है। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, जहां आबादी साठ लाख की है, लेकिन एक करोड़ अस्सी लाख टूरिस्ट्स एक वर्ष में आते हैं। आपकी इस पूरी योजना में हिमाचल का कहीं नाम ही नहीं आता है। चंडीगढ़ से दो घंटे की दूरी पर शिमला है। अंग्रेज रेल शिमला तक ले गए थे, लेकिन आपकी सरकार में पिछले तीन वर्षों में एक नया इंजन या एक नया डिब्बा भी लगाने का प्रयास भी नहीं किया गया। उस नैरो गैज को ब्रॉड गेज करने की बात आपने नहीं कही। पठानकोट से जोगिन्दरनगर तक रेलवे लाइन अंग्रेज ले गए थे, लेकिन आपकी सरकार उसमें एक नया डिब्बा तक नहीं जोड़ पायी। उस पर नयी ट्रेन नहीं शुरू कर पायी। नैरो गेज को ब्रॉड गेज नहीं कर पायी। आप रेल टूरिज्म की बात करते हैं, लेकिन आपके बजट में रेल टूरिज्म के नाम पर केवल दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं है। टूरिज्म क्षेत्र की आपने घोर अनदेखी की है। रेल टूरिज्म से हम कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं। नेशनल इंपोर्टेंस की प्रोजेक्ट्स की बात पर आपने बड़े गुणगान किए।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, तीन-प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की बात करते हैं, आपने भनुपली, बिलासपुर, मनाली, लेह रेलवे लाइन की बात कही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री...*(व्यवधान)* बंसल जी, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपके केवल दो मिनट लूंगा।...*(व्यवधान)* यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यह रेलवे से संबंधित है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मुझे पता है कि यह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने हिमाचल प्रदेश से जुड़ी भनुपली, बिलासपुर, मनाली, लेह रेलवे लाइन की बात कही। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2008 के शुरुआत में कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुयी रेलवे लाइन है। इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाएगा। पिछले चार बजट में उसकी केवल चर्चा की जाती है और इस बार भी रेल मंत्री जी ने कहा कि मैं इसको पर्स्यू करूंगा, केवल पर्स्यू करने की बात की जाती है, उसको बनाने की बात कहीं नहीं की जाती। इसके लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया, उसकी बात कहीं नहीं की जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब उत्तर दें, तो भनुपली, बिलासपुर, मनाली, लेह रेलवे लाइन को राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व से नेशनल इंपोर्टेंस का घोषित करें।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अपराह्न 5.00 बजे

उसका काम-काज शीघ्र शुरू कराएं। उसके लिए जो प्रावधान किया गया है उसको किया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : कई बार आपने मेरा नाम लिया है। मैं अनुपस्थित था। हम पता भी कर लेंगे, मुझे बोलना भी है। आप नौजवान हैं। आप थोड़ा पढ़ने-लिखने का काम करिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नाम लिया तो कोई बुरा नहीं किया है। बहुत लोगों का नाम लिया जाता है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी जब आपका मौका आएगा तो आप बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ये रेल मंत्री बोले हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप को बुलाएंगे तो आप बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री भूदेव चौधरी (जमुई) **:** आप रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री का नाम लिया जाएगा। इसमें क्या कठिनाई है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री थे। इसलिए इन्होंने आप का नाम लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि लालू जी आज भी अपने आप को रेल मंत्री समझते हैं। उस समय उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद वर्ष 2008-09 में सुषमा जी राज्य सभा में बोली थीं उन्होंने इनके भाषण का जो तार-तार किया था, मैं वह भाषण पढ़ चुका हूं। इन्होंने जो इंद्रजाल बुना था। सुषमा जी ने इनका असली चेहरा देश को दिखाया था। उसकी कुछ बातें मैंने यहां पर की। जिस तरह मेरी नेता ने इनके भाषण को तार-तार किया, मैं उस तरह का भाषण नहीं दे सकता हूं। उस भाषण को बाकी सदस्यों को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि लालू जी बदलाव करने में माहिर हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उसे देश जान गया है। व्हाइट पेपर जो उस समय लाए थे...*(व्यवधान)* आप वर्ष 2008-09 का भाषण देखिए। वे आंकड़े अपने-आप में सब बताते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा किसी और की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

(व्यवधान)...*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : वर्ष 2005-06 में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात प्रधानमंत्री जी ने लालकिले पर की कि हम डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, इस्टर्न एण्ड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। आज आठ वर्ष बीत गए हैं, उस पर आज तक एक ईंट तक नहीं लगी है। यह देश का दुर्भाग्य है कि यूपीए सत्ता में है। लालू जी आपके समय में केवल लालकिले से घोषणा की जाती है और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हालत है। ...*(व्यवधान)*

कृपया मंत्री जी बताएं कि डेडीकेट फ्रेट कॉरिडोर पर आगे देश कब तक देख पाएगा कि कब तक वह बने? कैग की रिपोर्ट में कहा गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट समय मांगा, अब पांच मिनट हो गया।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : देश का अगर कोई भ्रष्ट सरकारी विभाग है तो वह रेलवेज है। वर्ष 2011 में 8805 करप्शन के केसेज आए, इससे पता चलता है कि आप आम आदमी को रेल किराया बढ़ा कर भी लूटते हो, पिछले दरवाजे से भी लूटते हो, तत्काल चार्जेज बढ़ाकर भी लूटते हो और ट्रेनों को सुपरफास्ट बना कर भी लूटते हो, करप्शन के माध्यम से भी लूटते हो। आपकी सरकार केवल देश में लूट करने के लिए आई है, आम आदमी को सुविधा देने के लिए नहीं आई है। आप ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने केवल दो मिनट बोला।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितने समय तक बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मुझे 45 मिनट बोलना है। 40 मिनट हो गया है। मैं 5 मिनट और बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : समय हो गया। घड़ी सामने है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हिमाचल में जो 45 प्रतिशत खेती जिस जमीन पर होती है, वहां पर सेब पैदा किए जाते हैं। हमारे यहां जो खेती होती है उसमें लगभग 80 प्रतिशत खेती फलों की होती है। उसको दिल्ली की मंडी तक लाने के लिए लगभग 30 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। आपने उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया। आप एफडीआई रिटेल की बात करते हैं लेकिन क्या कोई एफडीआई में आकर रेलवे लाइन बिछाएगा, वह आपको बिछानी पड़ेगी। अगर किसानों के लिए काम करना है तो कृपया रेलवे लाइन बिछाइए। आपने वर्ष 1975 के बाद जो 347 प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं उनकी बात कही। उनमें नंगल, उन्ना, तलवाड़ा रेलवे लिंक, पिछले 32 वर्षों से यह चल रहा है जो आज तक पूरा नहीं हुआ। केवल 44 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी है। 35 किलोमीटर रेलवे लाइन आज भी बनना बाकी है। आप के बजट में उसके लिए भी कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। आप कितने किलोमीटर रेलवे लाइन इस वर्ष बनाने वाले हैं?

भनुपली, बिलासपुर, मनाली-लेह रेलवे लाइन की नेशनल इर्म्पोटेंस है। आपने कहा मेरे प्रदेश से जुड़ी हुई है। ममता जी कह गई थीं कि साढ़े छह सौ करोड़ रुपए देंगे, लेकिन हमें एक रुपया भी नसीब नहीं हुआ। आपने 22 नई रेलवे लाइन की बात कही। मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरे भाई निशिकांत जी को एक लाइन मिली है। आपने मात्र दस-दस लाख रुपये दिए। दस लाख रुपये में तो आजकल बस नहीं आती, रेलवे लाइन कहां से बनेगी।...*(व्यवधान)* अटल जी की सरकार ने बद्दी में इंडस्ट्री दी थी, फाइनेंशियल पैकेज दिया था। इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, आपकी सरकार ने आकर वापिस ले लिया। आपने रेलवे लिंक भी नहीं दिया। शिमला के सांसद कश्यप जी यहां बैठे हैं। इन्होंने हरिद्वार से जोड़ने के लिए दो लाइनों की मांग उठाई थी। आपने वह तक नहीं की। आपकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया क्या है। केवल भेदभाव किया है। मैं इस पर आपके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा:

गजब किया तेरे वादे पे ऐतवार किया
नौ साल कयामत का इंतजार किया।

आप नौ सालों तक केवल वायदे करते रहे और आज आपने एक बार फिर कयामत ढाई है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय और लेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें बोलना पड़ रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा मेरा मंत्रालय, मेरी कांन्सीट्यूएंशी। यह एक सांसद के तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुझे हमीरपुर लोक सभा क्षेत्र के लोगों ने चुना है। मुझे हिमाचल की बात करती है। मंत्री जी, आप चंडीगढ़ से चुनकर आते हैं। हो सकता है कि आपको देश के कोने-कोने से लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन आप देश के रेल मंत्री हैं। आपको मेरा मंत्रालय, मेरी कांस्टीट्यूएंशी, मेरा राज्य या केवल कांग्रेस शासित राज्य है, कांग्रेस के सांसदों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप रायबरेली तक सीमित होकर रह गए। आप देश के रेल मंत्री हैं, देश की बात करते कि फ्रेट में अपना शेयर कैसे बढ़ाना है, ट्रेन के किलोमीटर कैसे ज्यादा बढ़ाने हैं। रेलवे में इकोनॉमिक वॉयबिलिटी के साथ-साथ सोशल वॉयबिलिटी भी जुड़ी है। अगर इकोनॉमिकली वॉयबल होगा तो सोशली

वॉयबल होगा। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फ्रेट पर ज्यादा ध्यान दीजिए और आम आदमी की सुविधाओं पर भी बात कीजिए। आपने पैसेंजर्स किराए में जो 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, उसे वापिस लीजिए। मैं मांग करता हूं कि रेलवे में आम आदमी को जो अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, कृपया करके उनकी ओर विचार कीजिए। अगर सही अनुभूति होगी तो आम आदमी को वह रेल सुविधाएं दे कर होगी जिसकी वह अपेक्षा करता है। केवल गिने-चुने करोड़पतियों को वह अनुभूति न हो। आपने आम आदमी से वोट लिया है, उनकी अनदेखी न कीजिए। केवल इन बातों को कहकर मैं अपनी नेता सुषमा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे रेल बजट पर चर्चा प्रारंभ करने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अपना भाषण ले करना चाहते हैं, वे सभा पटल पर रख दें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2013-14 के माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट के समर्थन में बोलने की अनुमति दी। आज बहुत जिम्मेदारी के साथ माननीय युवा साथी, जिन्होंने रेल बजट इनीशिएट किया, उन्होंने कहा कि आज एक परम्परा पड़ गई है कि रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाता है। मैं समझता हूं कि अगर बिना हिमालय, बिना गंगा के भारत की कल्पना नहीं की जाती, तो बिना भारतीय रेल के भी भारत की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहता है, उसमें दो करोड़ लोगों का घर प्रतिदिन रेल होता है। वे अपने घर से किसी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए यात्रा करता है। वह कहीं न कहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करता है, तो जब लोग घरों में सोते हैं, तो उस समय भारतीय रेल करोड़ों लोगों को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कोलकाता से त्रिवेंद्रम तक या पुरी से हिमालय तक, चारों तरफ एक दूसरे को ले जाने का प्रयास करती है।

अपराह्न 5.10 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

आज रेल देश की लाइफ लाइन है, मुख्य धारा है। आज 12335 ट्रेनों के द्वारा 2 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन रेल, जो देश की जीवन रेखा बन चुकी है, ले जाती है। भारतीय रेल का विश्व में चौथा स्थान है। आज इस मुकाम पर भारतीय रेल ने अपने को पहुंचाया है। आज उस रेल बजट में हमारा एक युवा साथी यह कहे, अगर बजटरी सपोर्ट बढ़ाने की बात करते, इंटरनल रिसोर्सेज की बात करते, मार्केट बॉरोइंग की बात करते, पीपीपी में किस तरह से पैसा आयेगा, इसकी बात करते, तो मैं समझता कि एक युवा साथी के मन में चिंता है कि किस तरीके से भारत की रेल हिन्दुस्तान की जनता के लिए सार्थक हो सके, उसकी उपयोगिता हो सके, उसकी उपादेयता हो सके और उसकी प्रासंगिकता हो सके।

आज देश में 14 लाख रेल परिवार हैं। वह किस प्रतिबद्धता से रात के दो बजे भी सिगनल देता है, हर गेट पर गेटमैन खड़ा रहता है। यह कहना बहुत आसान है कि दुर्घटनाएं हो रही हैं या दुर्घटनाओं में सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन उन रेल परिवार के लोगों की प्रतिबद्धता, उनकी कार्य संस्कृति आदि की तारीफ करनी चाहिए। मैं कहूंगा कि आज उत्तर में बारामूला से, दक्षिण की कन्याकुमारी से, पश्चिम की द्वारिका से और पूर्व में लिडो तक अगर किसी ने जोड़ा है, तो इस भारतीय रेल ने देश को जोड़ा है, जो एक दूसरे की तरफ जोड़ने की बात करती है।

मैं अपने युवा साथी से कह सकता हूं कि शायद इस रेल मंत्रालय के, जो उन्होंने अपने प्रारंभिक इंट्रोडक्ट्री स्पीच में कही कि इस रेल मंत्रालय को क्यों अलग कर दिया गया? इसका बजट जनरल बजट के साथ आना चाहिए था। वास्तविकता यह है—

देश की रगो में दौड़ती है रेल,
देश के हर अंग को जोड़ती है रेल,
धर्म, जात-पात नहीं जानती है रेल,
छोटे-बड़े सभी को अपनाती और अपना मानती है रेल।

आज चाहे कोई छोटा आदमी हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई गरीब हो, आम आदमी हो, ए.सी. फर्स्ट क्लास में चलने वाला हो या स्लीपर क्लास में चलने वाला हो, वही ट्रेन उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है।

मान्यवर, किस तरीके के आंकड़े प्रस्तुत किये गये? जिस तरह से लालू यादव जी के लिए कहा गया कि लालू यादव जी ने इन्द्रचाल दिया। वही बात हमारे रेल मंत्री जी के लिए कही। कम से कम कोई बजट इनीशियेअ करे, ठीक है, मैं संसदीय परम्परा की उस परिभाषा में नहीं जाता हूं, लेकिन भारत का रेल बजट प्रस्तुत हो और उस रेल बजट के लिए कहा जाये कि यह इन्द्रजाल है, मायाजाल है, मैं समझता हूं कि यह भारत की सर्वोच्च संस्था, इस सदन के लिए कदाचित ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है, समीचीन नहीं है।

[श्री जगदम्बिका पाल]

मैं एक बात और करना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि आज कांग्रेस यूपीए सरकार में आपरेटिंग रेशियो सबसे ज्यादा हो गया है, जबकि यह कांग्रेस यूपीए सरकार में बहुत कम था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वर्ष 2004 तक भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार थी। वर्ष 2002-03 में 92.3 परसेंट आपरेटिंग रेशियो था। यह मैं उनको करैक्ट करना चाहता हूं। वर्ष 2003-04 में वह आपरेटिंग रेशियो 92.1 परसेंट था। वर्ष 2004-05 में जब तक उनकी सरकार थी, वह 91 परसेंट हुआ। उनको जानकारी होनी चाहिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वर्ष 2004 के बाद इस देश में जिस दिन से कांग्रेस यूपीए की सरकार आयी है, उसने इस देश के भारतीय रेल के आपरेटिंग रेशियों को कम किया है, यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। वर्ष 2004-05 में जो 91.0 परसेंट था, वह 2005-06 में 83.7 परसेंट हो गया। वर्ष 2006-07 में 78.7 परसेंट हो गया। वर्ष 2007-08 में 75.9 परसेंट हो गया। मैं हर साल को नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं वर्ष 2012-13 और 2013-14 के भी जिसे परिचालन कास्ट कहते हैं, क्योंकि जब तक आपरेटिंग रेशियो कम नहीं होगा, तब तक सरप्लस नहीं बढ़ेगा। जब तक भारतीय रेलवे के पास परिचालन कास्ट, हम सौ रुपये कमायेंगे, 91 रुपये परिचालन पर खर्च कर देंगे, एक्सपेंडीचर पर खर्च कर देंगे, गाड़ी चलाने पर खर्च कर देंगे, तो स्वाभाविक है कि न तो नयी रेल बन सकती है, न डबलीकरण हो सकता है, न कन्वर्जन हो सकता है, न इलैक्ट्रीफिकेशन हो सकता है, कोई काम नहीं हो सकता। यह बात समझाना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि आज वर्ष 2012-13 में यह ऑपरेटिंग रेशियो घटकर 88.8 पर्सेंट था। इस पर मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 2013-14 में इस ऑपरेटिंग रेशियो को 88.8 से घटाकर 87.8 पर्सेंट करने का लक्ष्य रखा है। मैं निश्चित तौर से बधाई देना चाहूंगा कि इनके मन में इस बात का एक संकल्प है कि हमको इस भारतीय रेल के परिचालन के रेशियो को कम करना है। आज कहा कि एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके आंकड़े दे रहे हैं। मेरे पास भी दुर्घटनाओं की संख्याएं हैं। आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वर्ष 2003-04 में भारतीय जनता पार्टी-एनडीए की सरकार थी, उस समय 325 कांसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। बीआरएस के रिसर्च के आंकड़े हैं। वर्ष 2004-05 में उसी तरीके से और आज जहां भारतीय जनता पार्टी-एनडीए में एक साल में 325 रेल की दुर्घटनाएं हुई थीं, वह घटकर वर्ष 2012-13 में मात्र 92 रह गई हैं। मैं इसके लिए निश्चित तौर पर भारतीय रेल परिवार को और मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। मैं इस पर संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि जिस दिन ये रेल एक्सीडेंट्स जीरो पर पहुंच जाएंगे, उस दिन हमें संतोष होगा। यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी-एनडीए में 325 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए और आज 92 है, तो हम इस पर संतोष करें। लेकिन, मैं स्वाभाविक रूप से कहूंगा कि आज इसका लक्ष्य है, आखिर माननीय रेल मंत्री जी ने क्या कहा, इस बार सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया है, चाहे काकोदकर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे पित्रोदा की रिपोर्ट हो, मॉडनाईजेशन और सेफ्टी के लिए उन्होंने संरक्षा पर सबसे पहले डिस्ट्रेस पुलों की बात कर रहे हैं। इतने पुल पड़े हुए हैं, जिन पुलों को बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी-एनडीए में कोई इस तरह के पुल, जो जर्जर हो गए हों, किसी समय जानलेवा हो सकते थे, कितने पुल बनाए गए। इस बार के बजट में 17 ऐसे पुलों को चिह्नित करके, जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, वे कभी भी टूट सकते हैं और वे जानलेवा हो सकते हैं, उस कांग्रेस-यूपीए की सरकार ने बदलने का काम किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गणेश सिंह, अब कृपया परेशान न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जगदम्बिका पाल के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : आपको तो कुछ-न-कुछ कहना है। मैं कहता हूं कि कितना इनिशिएट करने वाला व्यक्ति कहे कि यह बजट केवल रायबरेली का बजट है, यह बजट केवल कांग्रेस शासित राज्यों का बजट है, निश्चित तौर से इस सदन से केवल देश को गुमराह करने की बात है। मैं समझता हूं कि इसी सदन में पिछले कुछ वर्षों से हम भी बैठे हैं, हमारे सभी दल के साथी बैठे हैं, जब पिछले दिनों भी बजट प्रस्तुत किया जाता था, तो कहा जाता था कि यह बंगाल का बजट है। उसके पहले जब प्रस्तुत किया जाता था, तो कहा जाता था कि यह बिहार का बजट है। लेकिन आज यह बजट पढ़ लें, तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता का

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय सोच में यह राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत है, जो देश के हर हिस्सों को जोड़ने वाला है।

मान्यवर, यह मैं केवल भाषणों से नहीं कहना चाहता हूं कि यह देश का बजट है। मैं इसको निश्चित तौर से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह देश का बजट है।...*(व्यवधान)* मेरी बात सुनिए। यह हम नहीं कहते थे, आप नहीं कहते थे। यह भारतीय जनता पार्टी-एनडीए के लोग कहते थे, जो आज भी लालू जी को इंद्रजाल की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : रायबरेली में एक व्हील फैक्ट्री दी गई, तो कहा गया यह रायबरेली का बजट है। मैं कहता हूं कि यदि यह रायबरेली का बजट है, तो देश में आज जितने फैक्ट्री और वर्क-शॉप दिये गए हैं, आज कोच मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट सोनीपत, हरियाणा में दिया गया है, आज ग्रीन फील्ड मेन-लाइन इलेक्ट्रीकल मल्टीपल्स यूनिट मैन्यूफैक्चरिंग राजस्थान में दिया गया, मिड-लाइफ रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप आंध्र प्रदेश में दिया गया, पीरियॉडिकल ओवर हॉल बी.जी. वैगन वर्कशॉप बीकानेर, राजस्थान और प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में दिया गया, रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ मोटराइज्ड बोगी मध्य प्रदेश में दिया गया, जहां के माननीय गणेश सिंह जी हैं, यह तो कांग्रेस का राज्य नहीं है। वैगन मेन्टेनेन्स वर्कशॉप कालाहांडी, ओडिशा में दिया गया, वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

आज नीर के छह बॉटलिंग प्लांट दिए गए हैं, जो देश की जनता को चाहिए। हमने एक बॉटलिंग प्लांट विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में दिया, दूसरा नागपुर, महाराष्ट्र में दिया, तीसरा ललितपुर, उत्तर प्रदेश में दिया, चौथा बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में दिया जहां हमारी सरकार नहीं है। जयपुर, राजस्थान में दिया, अहमदाबाद, गुजरात में भी दिया, जहां हमारी सरकार नहीं है। अगर इसके बाद भी यह कहें कि यह रायबरेली का बजट है, तो मैं समझता हूं कि जैसे अंधे को हरियाली के सिवाय कुछ दिखता नहीं है, उसी तरीके से लोगों को इस बजट की बातें नहीं दिखती हैं, नहीं तो उनको निश्चित तौर से दिखता कि देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, जिसके लिए इस बजट में कुछ न कुछ परियोजना न दी गयी हो।

महोदय, आज एक यात्री क्या चाहता है? एक यात्री चाहता है कि अगर हम सफर करें, हमें आसानी से टिकट मिल जाए, हमारी सीट आरक्षित हो जाए, जब हम ट्रेन में बैठें तो हमें क्वालिटी फूड मिल जाए, अच्छा बेडरोल मिल जाए, लिनेन मिल जाए। इसकी चर्चा, आलोचना हम करते रहते थे, लेकिन लिनेन और कॉक्रोच की बात क्या केवल आलोचना के लिए है, मैं समझता हूं कि पहली बार उस लिनेन और बेडरोल, जिसमें मुश्कें आती हैं, जिसमें दुर्गन्ध आती है, उसको दूर करने का काम माननीय पवन बंसल जी ही कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में दस मैकेनाइज्ड लांड्री स्थापित होंगी, उनमें रेल के ही कपड़े धुले जाएंगे, रेल की बेडरोल्स और लिनेन धुली जाएंगी। दस सुपर मैकेनाइज्ड लांड्रीज बनाएंगे जिससे देश में ट्रेन्स की गंदी बेडरोल्स की शिकायत होती थी, वह दूर हो सके। हम आज जो आलोचना कर रहे हैं, उसको एड्रेस करने का काम, समाधान करने का काम हम कर रहे हैं।

इसी तरीके से कहा गया कि आईएसओ से क्या होगा। आखिर देश में कोई सर्टिफिकेशन एजेंसी है, आखिर देश में आप किसी को तो मानते हैं कि वह क्वालिटी कंट्रोल करने की एजेंसी है। आईएसओ के बारे में माना जाता है कि अगर किसी चीज पर इसकी स्टैंपिंग है, तो आम आदमी बाजार से उसकी चीज को खरीदता है कि इसकी क्वालिटी कंट्रोल होगी क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन आईएसओ ने किया है। पहली बार रेल मंत्री जी ने यह इनिशिएटिव लिया है। जिस दिन उन्होंने ओथ ली, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं भी एक यात्री रहा हूं, मैं भी दिल्ली से हर फ्राइडे को चंडीगढ़ जाता था, मैंने भी उस ट्रेन में बहुत अनुभव किया है कि ट्रेन्स में क्वालिटी ऑफ फूड ठीक हो, लिनेन और बेडरोल की व्यवस्था ठीक हो। अब रेल के जितने बेस किचन होंगे, उनको आईएसओ से सर्टिफिकेशन कराना होगा, तो निश्चित तौर से उस किचन के बने हुए खाने की गुणवत्ता होगी। यह ठीक है कि हम लोग भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन हमको सर्टिफिकेशन की संस्था नहीं हैं कि संसद सदस्य से पूछ लीजिए। आखिर संसद सदस्यों को शिकायतें मिलीं, पैसेंजर्स को शिकायतें मिलीं, तो आज के रेल मंत्री जी ने एक पैसेंजर की तरह अनुभूत किया कि इसमें सुधार करना होगा और खाने की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्होंने प्रयास किया।

महोदय, जब एक यात्री घर से टिकट लेने के लिए निकलता है और आज ई-टिकटिंग की बात होती है। लोग कहते हैं कि ई-टिकटिंग के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक ई-टिकटिंग करने की क्षमता प्रति मिनट केवल 2000 लोगों की थी, आज उसको तीन गुना कर दिया गया है, आज

[श्री जगदम्बिका पाल]

प्रति मिनट 7200 टिकटिंग हो सकती है जिससे लोग घर बैठकर आसानी से टिकट ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि यात्री को जो सबसे पहले बुनियादी सुविधा होनी चाहिए कि उसको टिकट आसानी से मिल जाए, उसके लिए इस बजट में पहली बार इस पर ध्यान दिया गया कि कम से कम एक लाख बीस हजार आदमी एक साथ इसको यूज कर सकते हैं और 7200 लोगों को प्रति मिनट टिकट मिल सकता है। हमारी सरकार और रेल मंत्री जी ने इस बजट में इस ओर ध्यान दिया है कि एक यात्री को कौन सी मूलभूत कठिनाइयां आती हैं, कौन सी बुनियादी कठिनाइयां हैं, जिसके कारण उसे असुविधा होती है, चाहे टिकट की बात हो, आरक्षण की बात हो। आरक्षण के बाद ट्रेन में खाने की बात या लिनेन की बात या बेडरोल की बात हो, मैं समझता हूं कि इन चीजों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गयी है। यह दिखता नहीं है लोगों को, कहते हैं कि इस बजट में कुछ है नहीं। अभी तक दिल्ली में केवल एक एग्जीक्यूटिव लाउंज था। कह दिया गया कि अनुभूति ट्रेन है, अनुभूति बोगी लगेगी और यह बजट केवल करोड़पति लोगों के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की यह धारणा हो कि ट्रेन में कोई अच्छी बोगी लगने से केवल किसी करोड़पति को लाभ होगा, तो हर ट्रेन में फर्स्ट एसी को डिडक्ट कर दिया जाना चाहिए। एसी टू टियर को डिटेक्ट कर देना चाहिए और जनरल स्लीप क्लास कर देना चाहिए कि देश का आम आदमी तब ही उससे लाभान्वित होगा। जब रिसेशन था, हमारी पार्टी ने तब तय किया था कि हमारे सभी सांसद और मंत्री हवाई जहाज के एक्जीक्युटिव क्लास के एंटाइटल हैं, वे इकोनॉमी क्लास में जाएंगे। उसे हमने देखा कि हम लोग तो इकोनॉमी क्लास में चलते थे और हमारे ये मित्र एक्जीक्युटिव क्लास में सफर करते थे। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। यह हमने अपनी आंखों से देखा है कि उस समय पूरी दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। उस समय हमने यह समझा कि हम कटौती करेंगे, मितव्ययिता करेंगे और अगर दुनिया के सामने सस्टेन करना है तो यही कारण था कि हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी की नीतियां थीं इसलिए उस समय वैश्विक मंदी के बाद दुनिया में अगर चीन के बाद किसी की जीडीपी दर बढ़ती तो हिन्दुस्तान की रही, भारत ने अपने को सस्टेन किया। निश्चित रूप से इस बात के लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं।

आज हमारे साथी ने रेल बजट की आलोचना करते हुए कहा कि अटल जी की सरकार ने यह किया, रेल में उन्होंने यह कर दिया, वह कर दिया। उन्होंने अटल जी के लिए काफी सम्मान जताया, हमारे मन में भी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को भी इस देश में सवा छह साल सत्ता में रहने का मौका मिला। उन्होंने भी छह रेल बजट पेश किए थे। हम और देश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि ये जो कह रहे हैं कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में यह किया, वह किया और कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हम कहना चाहते हैं कि छह रेल बजट जो उन्होंने पेश किए, कोई एक ट्रेन का नाम बता दें, जिसमें जनता बैठना चाहती हो कि यह भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के समय की ट्रेन है।

कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार ने क्या किया, यह मैं बताना चाहता हूं। सन् 1969 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं, तो उन्होंने सोचा कि हमें दुनिया में अगर भारत को प्रतिस्पर्धा में खड़ा करना है तो रेल में कुछ बदलाव करना होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने राजधानी ट्रेन देश में इंट्रोड्यूस की। आज इंदिरा जी नहीं हैं, लेकिन आज हर सांसद की ख्वाहिश होती है कि हमारे क्षेत्र से राजधानी ट्रेन गुजरे। सन् 1988 में जब राजधानी ट्रेंस की मांग बढ़ने लगी, तो राजीव गांधी जी ने शताब्दी ट्रेन इंट्रोड्यूस की, जो देश के विभिन्न राज्यों राजधानियों से दूसरी राजधानी को जोड़ने का काम करेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी वाली यूपीए सरकार ने 2010 में दुरोन्तो एक्सप्रेस ट्रेन इंट्रोड्यूस की। अगर आज पवन बंसल जी ने ट्रेन में एक अनुभूति कोच लगाने की बात कही है, तो देखना भविष्य में मांग उठेगी कि हर ट्रेन में यह कोच लगाया जाए। इस तरह जैसे आज राजधानी, एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस या दुरोन्तों से रेल की पहचान है, वैसे ही अनुभूति से भी रेल की पहचान बनेगी। भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए सरकार में ऐसी कौन सी ट्रेन चली, कोई भी एक ट्रेन का नाम बताएं। इसलिए इस तरह की आलोचना करना ठीक नहीं है।

आज हमारे देश में करोड़ों की संख्या में पर्यटक विदेश से आते हैं, ज्यादातर रेल से सफर करते हैं। वे चाहते हैं कि हम डालर्स में पैसा दें और हमें क्वालिटी ऑफ जर्नी मिले इसलिए वह अधिक से अधिक पैसा देने के लिए तैयार है। आम, आदमी, जिसे सेकंड क्लास में जाना है वह उसमें जाएगा। जिसे स्लीपर क्लास में जाना है, वह स्लीपर क्लास में जाएगा। इसी तरह जिसे एसी या एसी टू और थ्री टियर में जाना है, वह उसमें यात्रा करेगा। देश में कई ऐसे भारतीय हैं और जो बाहर से बुद्धिस्ट पर्यटक आते हों, चाहे यूरोप और अन्य देशों से लोग आते हों, मैं समझता हूं कि उनके आने से अगर अनुभूति कोच को इंट्रोड्यूस करने की बात कही है, तो वह अपने में एक नया कदम है।

सभापति जी, आप देखें हर जगह ट्रैफिक बढ़ी है, एयर की ट्रैफिक भी बढ़ी है। हमें याद है कि आज से 20 साल पहले दिल्ली से लखनऊ, पटना, रांची, कोलकाता और कोलकाता से रांची, पटना, लखनऊ और दिल्ली एक फ्लाइट थी। हम 110 रुपए में आते-जाते थे। आज 24 फ्लाइट्स हो गई हैं। उसके बावजूद भी इतना ट्रैफिक है कि जगह नहीं मिलती। इसलिए यह कह दिया जाए कि अनुभूति कोच लग जाने से रेल बजट करोड़पतियों का बजट हो गया, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, यह ठीक नहीं है।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : कुछ गोरखपुर के लिए बोलिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य को परेशान न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : कहा जाता है कि रेल में सुरक्षा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर हमारे माननीय सदस्य ने पढ़ा होता तो पता चलता। आज देश में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें से 60 प्रतिशत अनमैन्ड लेवल क्रासिंग पर होते हैं। जो 40 प्रतिशत हैं वे परिणामी दुर्घटनाएं हैं। दो तरह की दुर्घटनाएं हैं, एक तो जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग और दूसरी ट्रेन की हैं। आज 60 परसेंट दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 10,979 समपार पर कोई मैन नहीं है, अनमैन्ड है, जिसके कारण कभी कोई ट्रॉली निकलती है, कभी कोई बस, कभी कोई मोटर-साइकिल, कभी कोई महिला या व्यक्ति उस गेट से क्रॉस हो रहा है तो वे आये दिन दुर्घटना के शिकार होते हैं। मैं समझता हूं कि यह संकल्प पहली बार दोहराया गया है कि अब भविष्य में कोई समपार या गेट अनमैन्ड नहीं होगा, यह संकल्प यूपीए की सरकार का है। हम निश्चित तौर से जो 60 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं।

आप रेल बजट को देखिये, उसमें किस बात पर फोकस किया गया है। हमने उसमें न्यू रेल लाइन्स को ही फोकस किया है। आज हमने डैडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर को फोकस किया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशन को फोकस किया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडर्न सिग्नल सिस्टम को फोकस किया है और इलैक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूट को फोकस किया है। मान्यवर, इस सदन को गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से हमारे माननीय युवा साथी ने कहा कि जो नई रेल लाइन्स थीं उनके टारगेट को माननीय मंत्री जी ने कम कर दिया है, कंवर्जन को कम कर दिया। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि 700 न्यू लाइन्स का जो टॉर्गेट था, उसे 500 कर दिया, 470 प्रॉविजनल कहा जबकि टॉर्गेट 500 का है। मैं उनकी बात को बिल्कुल मानता हूं। गेज कंवर्जन की बात उन्होंने कही कि 800 टॉर्गेट था, प्रॉविजनल कर दिया 575 और जो वास्तविक है उसे 450 कहा। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है। एक तरफ 2003 से हमने किराया नहीं बढ़ाया, जनवरी में थोड़ा बढ़ाया, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से उसमें केवल 3300 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वे कह रहे थे कि हम लूटने का काम कर रहे हैं तो हमने उसे रिवाइज्ड भी किया है लेकिन उससे केवल 6600 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। आपकी नई रेल लाइन की बड़ी इच्छा है। लेह तक रेल लाइन चाहते हैं जहां सड़क द्वारा जाना भी मुश्किल है। हम पहली बार मनाली-लेह के लिए जहां 12 महीने बर्फ रहती है रेल चलाना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में शुरू में अपने दिल की बात कही कि चाहे बर्फ से ढकी ट्रेन हो लेकिन एक मीठी गुनगुनाती हुई सीटी की आवाज के साथ लोगों को लेह तक पहुंचाने का काम हम करेंगे।

कहा गया कि न्यू लाइन्स में गेज कन्वर्जन का टॉर्गेट कम कर दिया, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है कि आज रेल लाइन्स के इलैक्ट्रिफिकेशन की मांग होती है, आपने दुनिया से कम्पेयर कर दिया कि हमारी औसत स्पीड 90 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप उस 90 किलोमीटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, आप उसे सुपरफास्ट करना चाहते हैं, दुनिया की प्रतिस्पर्धा में अपनी ट्रेन को तेज चलाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? वह है उसका विद्युतीकरण, दोहरीकरण और हमारे ट्रेकों पर क्रॉसिंग न हों। अगर दोहरीकरण होगा तो निश्चित तौर से हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकेंगे। योगी जी, लखनऊ से गोरखपुर हम 6 घंटे में जाते थे लेकिन जब से डबल लाइन हुई है, एक घंटा समय कम हो गया है। हमने विद्युतीकरण का अपना टार्गेट 1100 किलोमीटर का रखा था, उसका प्रॉविजनल हमने 1200 किलोमीटर किया है। मैं माननीय मंत्री अधीर जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने टार्गेट 1100 से 1300 किलोमीटर किया है।

इसी तरह से आप दोहरीकरण की बात कर रहे हैं। जो उनको समझ में आ रहा था कि जिससे वे आलोचना कर सकते हैं कि न्यू

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जगदम्बिका पाल]

लाइन्स हैं, गेज कंवर्जन है, उसे पढ़कर सुना दिया, अरे नीचे विद्युतीकरण को पढ़कर नहीं सुनाया, दोहरीकरण को नहीं सुनाया। दोहरीकरण का हमारा टार्गेट 700 किलोमीटर था, हमने जो प्रॉविजन किया वह 705 किलोमीटर किया और माननीय रेल मंत्री जी ने उसे बढ़ाकर 750 किलोमीटर किया है। जब हम दोहरीकरण अपने टार्गेट से ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं, विद्युतीकरण भी अपनी रेल लाइनों पर टार्गेट से ज्यादा करने जा रहे हैं तो इनके लिए भी तो संसाधन चाहिए। हम अपने संसाधन भी न बढ़ाएं? मैं समझता हूं कि आज इस देश की रेल व्यवस्था जिस स्थिति पर पहुंच रही थी, अगर वही स्थिति चलती तो एक कौलेप्स की स्थिति आ रही थी। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा कि इस रेल को बचाने का काम किसने किया तो लिखा जाएगा कि कांग्रेस यूपीए की सरकार ने किया।

सदन में कहा गया कि पहले दो लाख नौ हजार वैगन पहले थे और इस बार दो लाख चार हजार वैगन हैं। यह किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता था कि जैसे पड़ोसियों में मित्रता होती है, वैसे ही हिमाचल और चंडीगढ़ में मित्रता होनी चाहिए थी, लेकिन यह पड़ोसी वाली भावना ही नहीं थी और बजट की बजाय मंत्री जी को ही टार्गेट किया जा रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आंकड़े ही देने थे, तो वे दुरुस्त होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि पहले दो लाख नौ हजार वैगन थे और अब घटकर दो लाख चार हजार हो गए। आपने ऐसा किस लिटरेचर में पढ़ा? मेरे हाथ में भी बजट है। आज न तो दो लाख नौ हजार है और न ही दो लाख चार हजार है, मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि इस समय भारतीय रेल के पास 239321 वैगन हैं। हमारे पास 7793 कोचिज हैं। हमारे पास 4109 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं। इस तरह से 5197 डीजल लोकोमोटिव्स हैं। मैं समझता हूं कि यह इसलिए कहा गया क्योंकि वे सदन को बताना चाहते थे कि एनडीए के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ था। वे सवा छह वर्ष भारतीय रेल के लिए सबसे खराब दिन थे। आप यकीन कीजिए। चाहे वह परिचालन रेश्यो हो, आपरेटिंग रेश्यो हो या गाड़ियों की संख्या हो। इस बात से आप भी सहमत होंगे।...*(व्यवधान)* योगी जी ने आज बहुत अच्छी और मौलिक बात कही है। नार्थ-ईस्ट रेलवे का हैडक्वार्टर गोरखपुर है। मैं कहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम इस बार के बजट में आप आदर्श रेलवे स्टेशनों की संख्या देखिए। यह कहा गया कि यूपी को कुछ नहीं मिला है। यूपी को 33 ट्रेनें मिली हैं। ललितपुर में एक फैक्टरी बोटलिंग प्लांट की मिली। एक फैक्टरी रायबरेली को मिली। गोरखपुर, महाराजगंज को ट्रेन मिली और पहली बार बुद्धिस्ट सर्किट जो नीतीश जी ने शिलान्यास वर्ष 2002-03 में कर दिया था और आज तक वहां कोई काम नहीं हुआ था, पहली बार उस बुद्धिस्ट सर्किट को गोरखपुर से बरनी-गोंडा जोड़ने का काम, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बार उन्होंने केवल बुलेट ट्रेन के लिए केवल घोषणाएं नहीं की हैं, बल्कि संकल्प दोहराया है कि जो बात कह रहे हैं, वे वर्ष 2013 के मार्च या अप्रैल तक पूरी होंगी। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, समय की कमी है नहीं तो मैं राज्यवार आपको बताता।

रेल डवलपमेंट ऑथोरिटी के लिए एक हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसी तरह से दूसरे काम भी हो रहे हैं। चाहे बिहार का बोधगया हो या वाराणसी का सारनाथ हो, चाहे कुशी नगर हो या गोरखपुर हो। गोरखपुर को एक केंद्र बिंदु बनाना होगा। मैं निश्चित तौर से सुझाव देना चाहूंगा कि रेल के जो जोनल हैडक्वार्टर हैं, वहां से राजधानी ट्रेन चलती है, वहां से दुरांतो चलती है, शताब्दी चलती है और अगर आप एनसीआर में देखें चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, चाहे भिवाड़ी हो, गाजियाबाद हो, सबसे ज्यादा लोग एनसीआर में ईस्टर्न यूपी के लोग हैं। योगी जी ने बिलकुल सही कहा है कि आज वहां से दुरांतो की भी मांग है, राजधानी की भी मांग है, क्योंकि वहां से नेपाल का भी ट्रैफिक है। नेपाल के लाखों लोग जो भी भारत के किसी भी हिस्से में जाते हैं, वे गोरखपुर ही आते हैं। वहां एक रेलयात्री निवास बनाने की भी बहुत जरूरत है। हम यह मांग करेंगे कि निश्चित तौर पर आज जब हम उन दुर्गम स्थानों पर जा रहे हैं जहां के लिए कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और यह कहा जाए कि भारत की रेल ने क्या किया, मैं समझता हूं कि यह पहली बार भारत की रेल उन हिस्सों में जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारत की रेल जाएगी, वहां रेल जा रही है।

हिमाचल में कितनी दुर्गम पहाड़ियां हैं लेकिन हमने यह संकल्प किया है कि बिलासपुर-मनाली-लेह को पूरा करेंगे। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर में जम्मू-पुंछ को वाया अखनूर टेक-अप किया है। उत्तराखंड में टनकपुर-बागेश्वर को किया है। इसी तरह से परशुराम कुंड-रूपई को किया है। हम नागालैंड में जा रहे हैं। हम अरुणाचल में जा रहे हैं और बारामूला में जा रहे हैं। हम देश के उन हिस्सों में जहां आजादी के बाद रेल की केवल कल्पना लोगों ने की थी और शायद वहां कोई व्यक्ति कभी दिल्ली या हिन्दुस्तान के चार महानगरों में आता था। तब उसे एहसास होता था कि हम कहीं कुछ करेंगे।

आज इस बजट ने देश के उन सभी राज्यों को छुआ है चाहे वह हिमाचल हो, जम्मू और कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, नॉर्थ-ईस्ट के स्टेट्स हों और इसके बावजूद भी इसको कहा जाए कि यह कांग्रेस शासित बजट है, यह केवल रायबरेली का बजट है तो ऐसा कहना उपयुक्त नहीं होगा। अगर केवल आलोचना के लिए आलोचना करनी है तो यह उचित नहीं है। अन्यथा देश की जनता यह बात जान गई है और देश की जनता ने जिसमें चाहे संगठन हों, एसोसिएशंस हों या कर्मचारी हों, सभी ने इस बजट की तारीफ की है।

हमने स्टेशंस को भी आइडेंटिफाइ किया है। देश के 104 ऐसे स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया है जहां 10 लाख से अधिक की आबादी हो। तो क्या केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ही 10 लाख की पोपुलेशन है? क्या वह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात नहीं हैं? देश के ऐसे 104 स्टेशंस को हमने आइडेंटिफाइ किया है जहां दस लाख से ज्यादा आबादी हो और वे चाहे रिलीजियस या ट्यूरिस्ट प्वाइंट ऑफ व्यू से महत्व रखते हों। इसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया है। अगर आप इस बजट को देखेंगे कि यह पहला बजट है जिसमें ने हमने कोई रीजन देखा है और न हमारी सरकार ने कोई क्षेत्रीयता देखी है, अगर कुछ देखा है तो इस देश के हित को देखा है, क्षेत्रीय असंतुलन को देखा है कि हम कैसे रीजनल इम्बैलेंसेज को दूर कर सकें? देश के उन सभी हिस्सों में जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो इस देश की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को हम पूरा कर सकें, उस बात को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। यह भी कह दिया गया कि बॉयो-टॉयलेट्स बनेंगे। कम से कम हम पहल कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा शिकायतें ट्रेन्स के टॉयलेट्स की होती है कि टॉयलेट्स साफ-सुथरे नहीं होते हैं और बड़े गंदे होते हैं अगर इस बार यह तय हुआ कि हम बॉयो-टॉयलेट्स बनाएंगे और कम से कम लोगों को एक साफ सुथरा टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह से यात्री सुख-सुविधाओं को बढ़ाने का आखिर और कौन सा तरीका हो सकता है? एक तरफ आप सुरक्षा की बात करते हैं और एक तरफ यात्री सुविधाओं की बात करते हैं। दूसरी तरफ फिसकल डिसिप्लिन की बात करते हैं। मैं समझाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं।

हमारे एक नेता एक दिन कह रहे थे कि अर्थशास्त्री से काम नहीं चलेगा, यथार्थशास्त्री बनना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि नेता, प्रतिपक्ष के दल में अगर कोई यथार्थशास्त्री हो कि जो किराया न बढ़ाए, अपने इंटरनल रिसोर्सेज को न बढ़ाए, कोई मार्केट बोरोइंग न करे, पीपीपी न करे या बजटरी सपोर्ट न मिले और इसके बावजूद देश की जनता की आकांक्षाओं को हम पूरा कर देंगे, अगर ऐसा कोई यथार्थशास्त्री उनके यहां हैं तो वे उदाहरण दे दें कि कौन उनके यहां ऐसा यथार्थशास्त्री है?

मैं कहता हूं कि अगर आज जो सबसे पहला संकल्प रेल मंत्री ने दोहराया था कि हम यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाएंगे, उस पर उन्होंने बुनियादी तौर से इस बात के लिए गौर किया कि हमको यात्रियों की सुविधाओं के लिए कटिबद्ध रहना है और उन्होंने चाहे वह बैड-शीट्स हों, बेडरोल हों या लैनिन्स हों या क्वॉलिटी ऑफ फूड हो या रिजर्वेशन हो। सुरक्षा के विषय में भी उन्होंने जो किया है, वह बहुत सराहनीय है। यह पहली बार नहीं हुआ कि हम इस देश में स्किल्ड डवलपमेंट का काम करेंगे।

अगर इन्होंने माननीय मंत्री जी का बजट पढ़ा होता तो मालूम होता कि अगरतला कहां है, अलवर कहां है, अंकलेश्वर कहां है, जैस कहां है, चंडीगढ़ कहां है, देहरादून कहां है, दीमापुर कहां है, इम्फाल कहां है, जगदलपुर कहां है, कटिहार कहां है, काजीपेट कहां है, कोल्लम कहां है, कोरापुट कहां है, लमडिंग कहां है, मंगलौर कहां है, मुर्शिदाबाद कहां है, नागपुर कहां है, नहरलागुन कहां है, पठानकोट कहां है, रांची कहां है, रतलाम कहां है, शिमला कहां है, सिरसा कहां है, श्रीनगर कहां है, तिरुचिरापल्ली कहां है। 25 लोकेशन की बात कहते हैं। "हर हाथ को काम और हर खेत को पानी" सवा छह साल रहे, न किसी खेत को पानी दे पाए और न ही किसी हाथ को काम दे पाए। जब हम हर हाथ को काम देने की बात कहते हैं, मनरेगा की बात कहते हैं तो कहा जाता है कि सीएजी रिपोर्ट में कर्ज माफी की बात आई है। मैं कहना चाहता हूं कि हम नीति बनाते हैं और हमारी नीयत भी रहती है लेकिन अगर इम्पलीमेंटेशन में किसी जिले या बैंक के किसी बाबू ने गलती की तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि उस बाबू की होगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कहीं किसी निचले स्तर पर किसी ने फायदा लिया तो जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप फिर भी आलोचना करेंगे? हमने राइट टू वर्क की जिम्मेदारी ली। यह उसी राइट टू वर्क की शृंखला में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। यह कोई छोटा कदम नहीं है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट का काम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करेगी। 25 लोकेशन आइडेंटिफाई की गई हैं जहां लोगों को कौशल विकास होगा।

महोदय, इस बार के बजट में सिकंदराबाद में परियोजना रखी

[श्री जगदम्बिका पाल]

गई। नागपुर में इलैक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण की योजना रखी गई। मैं समझता हूं कि बहुत वर्षों बाद ऐसा बजट आया है जो देश की सौ करोड़ जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्लानिंग कमीशन ने अंतिम रूप से प्रोवीजन किया है और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना अगले पांच वर्षों के लिए रोड मैप होती है कि भारतीय रेल की रूपरेखा क्या होगी माननीय रेल मंत्री जी ने भारतीय रेल की रूपरेखा जिस बुनियाद पर रखी है, उसे पटरी पर लाने के लिए और एक अच्छी दिशा में तीव्रतर चलाने के लिए बात कही है लेकिन यह बिना संसाधन के नहीं हो सकती है। आप एक व्यावहारिक पक्ष की आलोचना कर रहे हैं। मेरा कहना है कि यदि जिम्मेदार प्रतिपक्ष होता तो कहता कि आज पैसेंजर चाहता है कि हम फेयर दे दें क्योंकि उसे सुविधाएं और सुरक्षा चाहिए। आप एक तरफ देश को केवल यह कहना चाहेंगे कि कोई रिसोर्सिस न हों। इसके बावजूद प्लानिंग कमीशन ने 5.19 लाख करोड़ का प्रोवीजन किया है जिसमें 1.94 लाख करोड़ ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मिलेगा। हमें आंतरिक संसाधन से 1 लाख पांच हजार करोड़ लेना है, बाजार से उधार 1.20 लाख करोड़ लेना है, पीपीपी के माध्यम से एक लाख करोड़ लेना है। अगर इसी तरह से आलोचना होती रहेगी तो कौन व्यक्ति पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करने आएगा। आज यहां हमारे युवा साथी ने कह दिया कि मनमोहन सिंह जी ने लालकिले से कहा कि कोरिडोर फ्रेट है। आपका कहना है कि कब तक इस आशा और उम्मीद पर पड़े रहेंगे? मेरा कहना है कि केवल देश की जनता के बीच गोबल्स की थ्योरी की तरह से लगातार झूठ बोलना, इसमें उन्हें महारत हासिल है क्योंकि सौ बार एक झूठ बोलते रहेंगे तो कभी वह किसी सैक्शन में सच हो ही जाएगा। उन्हें नहीं मालूम कि इस बार दोनों कोरिडोर की करीब 2800 किलोमीटर लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही पूरी हो गई है। अगर वे देखना चाहते हैं कि कब तक यह दिखाई पड़ेगा तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं हालांकि माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों का जवाब देंगे।

लेकिन आज जो देश की जनता को अपने इंट्रोडक्टरी भाषण में गुमराह करना चाहते हैं कि जैसे कारिडोर के लिए हमने कुछ किया ही नही। हमने 2800 किलोमीटर उस कॉरीडोर के लिए लैंड एक्युजिशन कर ली है। इस मामले में लैंड एक्युजिशन ही सबसे ज्यादा बुनियादी कार्रवाई होती है, क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग होना चाहिए। इसे सीधे रेल मंत्रालय नहीं करता। आज माननीय मंत्री जी ने बुद्धिस्ट सर्किट के लिए हमारे यहां नई लाइन दी है कि बस्ती से सिद्धार्थनगर तक नई रेल लाइन होगी, उसके लिए उन्होंने दस लाख रुपये टोकन मनी दिया है। माननीय सदस्य, निशिकांत जी को धन्यवाद देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें भी नई रेल लाइन दी गई है। इसमें उन्होंने अपना-पराया नहीं देखा। मैंने उस दिन पूछा कि आप लोगों ने बजट भाषण क्यों नहीं सुना, मैंने शरद यादव जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि और लोग खड़े हो गये, लोगों ने हमसे भी कहा कि खड़े हो जाओ। हमने कहा आपका भी काम हुआ। बिहार में दयालु स्टेशन से हाजीपुर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : सभी को मिला है, किसी को समझ में नहीं आया कि हम क्यों खड़े हो रहे हैं और सब खड़े हो गये और बाद में सबको समझ में आया कि शायद ऐसा बजट कभी प्रस्तुत नहीं हुआ। सबको इस बात का एहसास हुआ।...*(व्यवधान)* मैंने आपसे भी पूछा, माननीय नेता जी से भी पूछा। इसलिए ऐसा नहीं है, आखिर एक बजट जब देश के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हो तो उस बजट को पूरा सुन लिया जाए और बजट को सुनने के बाद बोलने का यह अवसर है। माननीय अनुराग ठाकुर ने अपनी पूरी बात एक घंटे से अधिक समय लेकर कही, मैं भी दस-बीस मिनट से अपनी बात कह रहा हूं। इसी तरह से और माननीय सदस्य भी अपनी बात कहेंगे। इस तरह से लोगों को इस बजट का तार-तार करने का पूरा अवसर मिलेगा। लेकिन अगर इस देश में यह नई परम्परा पड़ेगी, हम दुनिया में कहते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्य बहुत मजबूत हैं, भारत के प्रजातांत्रिक मूल्यों की जड़ें बड़ी गहरी हैं। हमारे यहां प्रजातंत्र बहुत मजबूत हो चुका है। तब फिर क्या रेल बजट के समय इस तरह से हाउस में डिसऑर्डर कर दिया जाए। कभी जनरल बजट जब तत्कालीन वित्त मंत्री, प्रणब मुखर्जी साहब प्रस्तुत करें तो यह जो पार्टी अपने को विद डिफरेंस कहती है कि हम अन्य पार्टियों से भिन्न हैं और अगर वह यह परम्परा डालेगी तो आने वाल देश का इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र पर कुठाराघात करने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का काम कर रहे हैं। यह सदन है, इस सदन में लोगों को अवसर मिलता है कि वे अपनी बात कह सकें। ठीक है, उन्होंने कुछ बिन्दु उठाये हैं, उन बिन्दुओं का हम जवाब दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। इसके अलावा और बातें भी कही जायेंगी, लेकिन यह कहना कि कोई काम नहीं हुआ। जो पहला मेजर सिविल कंस्ट्रक्शन कांट्रैक्ट कानपुर-खुर्जा के बीच में है,...*(व्यवधान)* मैं आपके कॉरिडोर की बात कर रहा हूं। आप जिस डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे थे, कानपुर से खुर्जा 343 किलोमीटर...*(व्यवधान)* यह कोलकाता से शुरू हो रहा है।

प्रो. सौगत राय : दानकुनी से शुरू होता है।

श्री जगदम्बिका पाल : अब हमने 2800 किलोमीटर लैंड एक्वायर की है। आज हम खड़े होकर डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में कह सकते हैं। क्योंकि लैंड कई राज्यों से एक्वायर करनी थी। दादा, आप सब राज्यों के एसएलोज. की हालत जानते हो, आप राज्यों के कलक्टर की हालत जानते हो। केन्द्र की परियोजनाओं में आज हमारे यहां केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत पड़ा है, आज ग्रेजुएट नर्सिंग इंस्टीट्यूट स्वीकृत पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार से जमीन नहीं मिल पा रही है। मैं लगातार नीरज जी और शैलेन्द्र से कहकर प्रयास कर रहा हूं। अब रेल स्वीकृत हो गई है, उसके लिए भी लैंड एक्युजिशन की कार्रवाई आपको ही करनी पड़ेगी। निश्चित तौर से आज 2800 किलोमीटर लैंड एक्वायर हो गई है, उसके बाद 343 किलोमीटर कानपुर-खुर्जा के बीच कांट्रैक्ट भी एवार्ड हो गया है और *[अनुवाद]* 1500 कि.मी. तक के लिए निर्माण संविदा को वर्ष 2013-14 के अंत तक दे दिया जाएगा। *[हिन्दी]* मतलब मार्च-अप्रैल जो वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने होते हैं, उसमें 1500 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर है, उसका काम एवार्ड हो जायेगा। चूंकि आपने यह सवाल किया था कि यह कब बनेगा, कब तक हम उम्मीदों में रहेंगे, बार-बार इंद्रजाल, मायाजाल जो आप कह रहे थे, कोई इंद्रजाल, मायाजाल नहीं है, यह वास्तविक बात है, जो वास्तविकता के धरातल पर उतरने जा रही है, इसकी आप जानकारी कर लें और मैं सझमता हूं कि पूरा देश इस बात को जान जायेगा कि जो बहुत दिनों से लोगों की डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर की परिकल्पना थी, उस 1500 किलोमीटर के डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर का काम 2013-14 में एवार्ड हो जायेगा, उसके पहले 343 किलोमीटर हो गया।...*(व्यवधान)* कह दिया कि सोलर एनर्जी कुछ नहीं है, काम नहीं कर रहा है। 35 रेलवे स्टेशंस पर सोलर पावर का काम कम्पलीट हो गया है। उन 35 स्टेशंस को देखिये, वे सोलर पावर से ही चल रहे हैं। वहां बिजली नहीं चल रही है। एक तरफ हम रिन्युएबल इनर्जी की बात करते हैं, एक तरफ हम सोलर लाइट की बात कर रहे हैं, बिना बिजली खर्च किये हुए, बिना पावर का इतेमाल किये हुए अगर हम सौलर के रूप में या सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाकर अपने 450 स्टेशंस रोशन करना चाहते हैं, तो अनुराग आपको खड़े हो कर माननीय मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। यह मत कीजिए कि हर वाक्य में खाली आलोचना ही करें।...*(व्यवधान)* आज कह दिया कि आठ हजार से 12 हजार, मैं समझता हूं कि आज निश्चित तौर से अगर आठ हजार से 12,335 नई ट्रेनें चलीं हैं। जैसे इस बार भी 66 एक्सप्रेस ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें, मैमु, डैमु आदि इतनी ट्रेनें चल रही हैं तो निश्चित तौर पर उस पर खर्चा बढ़ेगा। दूसरी तरफ हमने ऑपरेटिंग रेश्यो को भी रोका है। अनुराग जी, आप चले गए थे, मैंने आपका ऑपरेटिंग रेश्यो की भी एक्सिटेंड की भी, सारी चीजों को बताया है कि आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे, वे आंकड़े बिल्कुल ठीक नहीं थे। इस समय सन् 2012-13 में 88.8 पर्सेंट हो गया और जो इस बार घट कर के 87.8 पर्सेंट रहेगा। ऑपरेटिंग रेश्यो का यह संकल्प है।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : वह 98 प्रतिशत है।...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : नहीं 98 प्रतिशत कहां है? हम यील्ड कर जाएंगे अगर आप खड़े हो कर बता दें। फिर मैं उस वर्ष का बता दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : यह मंत्री जी की स्पीच में है। मैंने आंकड़े पढ़े थे। सन् 2009-10 में 95.6 प्रतिशत था और सन् 2010-11 में 94.9 प्रतिशत था। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूं। ये आंकड़े जो रिपोर्ट में कहे गए हैं, मैंने वही पढ़ कर बताए हैं। इन आंकड़ों में एक भी हेर-फेर नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)* अगर मंत्री जी भी कह दें...*(व्यवधान)* यह सरकारी प्रश्न के उत्तर में कहा गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : हमने यील्ड का दिया था तो आप खड़े हो गए।...*(व्यवधान)* अब आप बैठ जाइए।...*(व्यवधान)* सर, इन्होंने

[श्री जगदम्बिका पाल]

कहा कि सन् 2010-11 में 94.6 था और सन् 2011-12 में 94.9 था, यह बिल्कुल सही है।...*(व्यवधान)* लेकिन क्या सन् 2010-11 का पढ़ना चाहिए। सन् 2012-13 का भी पढ़ देते।...*(व्यवधान)* अब आप बैठ जाइए, परंपरा सीखिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। अब कृपया आप बैठ जाएं। अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : अनुराग जी, अब आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)* हम आपके बीच में नहीं खड़े हुए थे।...*(व्यवधान)* हमने यील्ड किया तो अब आप बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पाल जी, आप पहले ही 50 मिनट बोल चुके हैं। कृपया अगले 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, इसलिए मैं समझता हूं कि अगर सन् 2012-13 का देखा जाए तो 88.8 प्रतिशत और सन् 2013-14 का 87.8 पर्सेंट है। जैसा हमने कहा कि सन् 2002-03 में जब भाजपा-एनडीए सरकार थी, तब 92.3 पर्सेंट था। सन् 2003-04 में 92.1 पर्सेंट था और सन् 2004-05 में 91 पर्सेंट था। 90 से ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : यही मैंने कहा। जब हमने छोड़ा था तो यह 91 प्रतिशत था। यही तो मैंने कहा था।

श्री जगदम्बिका पाल : यह सही आंकड़ा है। मैं जो भी कह रहा हूं रिकॉर्ड के अनुसार कह रहा हूं। यह बिल्कुल ठीक है। *[हिन्दी]* अगर आप कभी-भी इसको गलत कर देंगे तो मैं सदन से माफी मांग लूंगा। मैं जो आंकड़ें दे रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं। मैं सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। काठ की हाण्डी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ने वाली है, चाहे कितनी ही बार देश की जनता को गुमराह करें।...*(व्यवधान)* आज सुरक्षा के बारे में कहा गया कि सन् 2001 में प्रति मिलियन किलोमीटर दुर्घटना का जो रेश्यो था, उसे 0.55 से 0.17 किया जाएगा। उसको हमने पूरा कर लिया है। आज उस 12वीं योजना में जैसा मैंने कहा कि अगर अनमैंड लैवल क्रॉसिंग को खत्म कर रहे हैं तो उससे जो 60 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती थीं, वे निश्चित तौर से नहीं होंगी। ये दुर्घटनाएं जीरो हों, उसे जीरो डेथ के लिए, सेफ्टी के लिए आज हमने दस साल का एक प्लान बनाया है कि सन् 2014 से 2024 तक हमारी सरकार एक कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान बना रही है।

सायं 6.00 बजे

उस कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान में आप निश्चित देखेंगे कि जहां 92 दुर्घटनाएं एक साल में रह गयीं, कहां 325 दुर्घटनाएं इनकी सरकार के कार्यकाल में हुइ थीं, निश्चित तौर से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। इस बात की कोशिश करेंगे कि एक-एक व्यक्ति सुरक्षित रहे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, हम क्यों बैठ जाएं? मान्यवर, उनको बैठाइए। हम कंक्ल्यूड तो कर लें।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप दोनों बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने कहा, कृपया बैठ जाएं। मैं आपको समय दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : मैं आपकी अनुमति से केवल दो मिनट का समय लूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको समय दूंगा। कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, अब सायं के 6 बज गए हैं और रेल बजट पर बोलने वाले सदस्यों की लंबी सूची है। शून्य काल के मामले भी हैं। यदि सभा सहमत हो तो मैं सभा का समय 8 बजे तक बढ़ा दूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आप दो मिनट का समय ले सकते हैं और अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, फिर हमारा भाषण सोमवार के लिए कांटीन्यू कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने कहा था कि आप दो मिनट का समय लें और समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय सदस्य जो बस्ती के बारे में कह रहे हैं, बस्ती तो पूरी बस्ती है, देश की बस्ती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब उन्हें बोलते समय बीच में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कुछ अच्छी बातें आ जाएं, कम-से-कम इसको गंभीरता से सुन लें।...*(व्यवधान)*

सायं 6.02 बजे

[डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए***]**

कैबिनेट कमेटी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पॉलिसी एप्रूव की है।...*(व्यवधान)* मैं जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं, उसको कम-से-कम सुन लीजिए, आप लोगों का ज्ञान बढ़ जाएगा।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने रेल संपर्क और क्षमता संवर्धन परियोजनाओं में भागीदारी मॉडल हेतु नीति अनुमोदित की है; इस नीति के अंतर्गत, पांच मॉडल हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : अभी तक पीपीपी की बात का केवल उल्लेख होता था, इसीलिए मान्यवर, जो पीपीपी की बात होती थी, उसमें एक टार्गेट रखा जाता था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में हम वह एचीव नहीं कर पाए। इसीलिए कि उसकी कोई मारेलिटी नहीं बनती थी, उसके कोई पैरामीटर नहीं बनते थे। हम एक लाख करोड़ का टार्गेट किसी चीज का रख देते थे कि यह पीपीपी में होगा। मैं बस दो मिनट लूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने एक घंटा लिया। कृपया बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : आपने मुझ पर कृपा की है, और आप मेरे अच्छे मित्र हैं।

सभापति महोदय : कृपया दो मिनट लें और समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : हां, मैं केवल दो मिनट लूंगा। *[हिन्दी]* मान्यवर, फाइव मॉडल्स फॉर प्राइवेट पर्टिसिपेशन, जैसे इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरशिप, अब बीओटी भी हम रेलवे में शुरू करने जा रहे हैं। कि बिल्ड एवं ऑपरेट एंड ट्रांसफर...*(व्यवधान)* अब होगा,...*(व्यवधान)* कम-से-कम इस बात को आप देखिए कि यह फर्क आया है।...*(व्यवधान)* गटबंधन के कुछ धर्म होते हैं।...*(व्यवधान)* उस गठनबंधन के धर्म को हमने निभाया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री धनंजय सिंह।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : मैं केवल नार्थ-ईस्ट रेलवे की बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा।...*(व्यवधान)* मान्यवर, मैं कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि आज जो पूरे देश की ट्रेनों को लेकर चलते हैं, उसमें रेलवे के ड्राइवर की भूमिका होती है, रेलवे के गार्ड्स की भूमिका होती है, रेलवे के टीटीज की भूमिका होती है। रेलवे के ड्राइवर्स, गार्ड्स को रनिंग स्टाफ की तरफ से ट्रीट किया जाता है, लेकिन टीटीज को रनिंग स्टाफ की तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर गए, अंग्रेज उनसे नाराज हुए, जबकि पाकिस्तान में फिर से उनको रनिंग स्टाफ के रूप में सुविधाएं मिलने लगी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस बजट में चाहूंगा, जब वे उत्तर देंगे तो वे टीटी को भी रनिंग स्टाफ में मानें।...*(व्यवधान)* अब मैं कुछ ट्रेनों की बात करना चाहता हूं। जैसे आज पैन्ट्री कार वैशाली में है, लेकिन गोरखधाम में नहीं है।...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें।

[अनुवाद]

***श्री मोहन जेना** (जाजपुर) : बड़ी पीड़ा और दुःख के साथ मैं 2013-14 के रेल बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसे माननीय मंत्री श्री पी.के. बंसल द्वारा 26 फरवरी, 2013 को पेश किया गया था। ये रेल बजट कुछ नहीं बल्कि ओडिशा के लिए एक खाली बड़े थैले के समान है। मुझे यहां यह उल्लेख करते हुए खेद हो रहा है कि रेल बजट पूरे देश के लिए होता है। इसमें केप कैमोरिन से लेकर जम्मू और कश्मीर के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाया जाना चाहिए। परन्तु मुझे बड़ी निराशा हुई कि इसमें संकीर्ण पक्ष ही दिखाई पड़ता है।

ये ऐसी प्रवृत्ति है जो कई पूर्ववर्ती रेल मंत्रियों के समय से जारी है। मंत्री जिसे सभी राज्यों के साथ समान ढंग से व्यवहार करना चाहिए वो भी अपने स्वयं के राज्य के प्रति पक्षपात को अधिमानता देते हैं। जिसके परिणामस्वरूप ओडिशा जैसा राज्य हमेशा पिछड़ जाता है और कोई भी इस वंचित, पिछड़े राज्य पर ध्यान नहीं देता।

रेल मंत्री ओडिशा में रेल संपर्कता की स्थिति से अवगत हैं। स्वतंत्रता-पूर्ण युग में, ब्रिटिश शासन के दौरान, बीएनआर कंपनी ने ओडिशा में कम-से-कम 1200 किमी. रेल लाइन का निर्माण किया था। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, गत 60 वर्षों में, दिल्ली से शासन कर रही सरकार, जो जोर-शोर से 'आम आदमी' का प्रतिनिधि होने का दावा करती है, ने ओडिशा में केवल 1200 किमी. रेल लाइन का निर्माण किया है। दूसरे शब्दों में, यदि ब्रिटिश सरकार ने ओडिशा में रेल लाइन नहीं बिछाई होती, तो संभवत: केन्द्र सरकार ने ओडिशा को रेल से अछूता रखा होता।

अन्य प्रश्नगत मुद्दा 1000 वर्ग किमी. में रेल लाइन मार्ग के संबंध में दयनीय रेल घनत्व है, जो कि केवल 14.6 किमी. है जबकि बिहार में यह 35.9 किमी., झारखंड में 24.3 किमी. और पश्चिम बंगाल में 43.4 किमी. है। रेल घनत्व का राष्ट्रीय औसत 19.13 किमी. है। केंद्रीय सरकार और रेल मंत्रालय की इस संबंध में लगातार अनदेखी के कारण ओडिशा के सात जिलों में अभी भी रेल लाइन नहीं आई है। आंकड़ों के अनुसार रेल संपर्क से जुड़े 23 जिलों में से सात जिले केवल नाम मात्र के लिए जुड़े हैं। ओडिशा का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र कुख्यात अविभाजित के.बी.के. जिले हैं, इन जिलों के मुख्य हिस्से रेल नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं हैं।

केंद्र सरकार इन क्षेत्रों को सर्वाधिक पिछड़ा मानती है और इनके विकास के लिए आर्थिक पैकेजों की घोषणा करती है। परन्तु क्या ये प्रत्येक जिला मुख्यालय को कम-से-कम रेल से जोड़ने का प्रयास नहीं कर सकती? रेलवे के बिना कोई कैसे प्रगति कर सकता है? रेलवे जीवन-रेखा होती है और ओडिशा के कई हिस्से इस जीवन-रेखा से कटे हुए हैं।

भारत में संघीय सरकार है जिसमें प्रत्येक राज्य समान भागीदार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। परन्तु दिल्ली से शासन चलाने वाली सरकार अपने दायित्वों से अनजान है। रेल बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले, माननीय अध्यक्ष, ओडिशा विधान सभा की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल ने आडिशा में रेल नेटवर्क की दयनीय स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए रेल मंत्री से मुलाकात की थी। हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर न्याय करने का अनुरोध किया है। परंतु रेल बजट ओडिशा के लिए बड़े झटके के रूप में आया है। अब हम महसूस करते हैं कि मानो हम इस संघ का हिस्सा नहीं है। लगातार इस सौतेले रूख से हमें विरक्ति हो गई है। अब हम और सहन करने की मनोदशा में नहीं है। यदि हम वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण करें तो, रेलवे को ओडिशा से बहुत राजस्व मिलता है। परन्तु क्या इस धनराशि को ओडिशा में रेलवे के विकास के लिए इतनी ही उदारता से खर्च किया जाता है? उदाहरणार्थ, चालू प्रशासनिक वर्ष में, हमने ओडिशा के लिए 3050 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान मांगा था, परन्तु हमें केवल 869 करोड़ रुपए मिले जो कि मांगी गई धनराशि का एक तिहाई भी नहीं है।

विभिन्न राज्यों को निधियों के आबंटन के मौजूदा मानदंड में निम्न शामिल हैं (क) राज्य का क्षेत्र (ख) आबादी (ग) राज्य की मौजूदा परियोजना का थ्रो फॉरवर्ड। चूंकि ये अवैज्ञानिक थे, इसलिए ओडिशा सरकार ने इसमें कुछ अतिरिक्त मानदंड शामिल करने का अनुरोध किया था। इसमें निम्न सम्मिलित हैं (क) राज्य में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर में मौजूदा मार्ग की लंबाई (ख) राज्य द्वारा रेलवे राजकोष में राजस्व का योगदान और व्यापक रेल संपर्क के लिए भारी धातु आधारित उद्योगों, विद्युत संयंत्रों और पत्तन की विशेष आवश्यकता। मेरा प्रश्न यह है कि रेल मंत्रालय ने इस तार्किक मानदंड को अपनाना सही क्यों नहीं समझा? क्या रेलवे बोर्ड जनता की इच्छा से बड़ा है?

ये कुछ रेल लाइनें हैं जो दशकों से लंबित पड़ी हैं। उदाहरण के लिए, लांजीगढ़ रोड – जूनागढ़ रेल परियोजना। 56 किमी. का यह मार्ग वर्ष 1993-94 में मंजूर किया गया था। परन्तु ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए 227.93 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। परन्तु, 2013-14 में, रेल मंत्री ने केवल 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसी प्रकार खुर्दा रोड – बोलांगिर रेल परियोजना 289 किमी. की है जिसे वर्ष 1994-95 में मंजूर किया गया था। यह लाइन तटीय ओडिशा को पश्चिमी ओडिशा से जोड़ने के लिए बड़ी अनिवार्य है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1995.25 करोड़ रुपए है। परंतु केवल 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार, पत्तन-आधारित हरिदासपुर-पारादीप रेलवे लाइन अन्य महत्वपूर्ण लाइन है। क्योंकि यह जाजपुर जिले में स्टील हब 'कलिंगा नगर' को वर्ष 1996-97 से आरंभ पारादीप पत्तन को जोड़ती है, इसका कार्य धीमी गति से चल रहा है। परियोजना के समापन के लिए प्रत्याशित लागत 8.3 करोड़ रुपए से अधिक है परन्तु इस वर्ष केवल 72.46 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

ऐसी कई लंबित परियोजनाओं को सूचीबद्ध कर रहा हूं जिन्हें पूरा किया जाना बाकी है। ये निम्नवत् हैं:—

1. अंगुल-दुबरी-सुकिंदा रोड (90 कि.मी.)

2. तालचर-बिमलागार्च (154 किमी.)

3. जालेश्वर-दीघा (41 किमी.) आदि

4. बांगिरीपोजी-गोरुमाहीशानी

पूर्व तटीय रेलवे का पुनर्गठन इस क्षेत्र की तत्काल आवश्यकता है। मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूं। वर्तमान में ईसी रेलवे में तीन प्रभाग शामिल हैं – नामत: खुर्दा रोड, संबलपुर और वाल्टेयर। भौगोलिक दृष्टिकोण से, जाजपुर-क्योंझर प्रभाग बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ईसी रेलवे के अंतर्गत पृथक प्रभाग के रूप में नई पहचान दी जाए। बांसपानी-बादामपहार, भ्रदक-लक्ष्मणनाथ का पूर्व तटीय रेलवे के साथ विलय किया जाए और एक नया रेल प्रभाग बनाया जाए जिसका मुख्यालय जाजपुर-क्योंझर रोड पर हो।

जाजपुर-क्योंझर रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय रेलवे स्टेशन है और कलिंगा नगर में नए सृजित स्टील हब का मुख्य द्वार है। चूंकि जाजपुर और क्योंझर खनिज-प्रचुरता वाले जिले हैं इस जगह से खनिजों का परिवहन होता है। इस स्टेशन से यात्रियों की संख्या भी बहुत अधिक है। फिर भी ना तो राजधानी ना ही दुरंतों या अन्य कोई महत्वपूर्ण ट्रेन यहां रूकती है। इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं अथवा कार्गो-लदान सुविधाओं का अभाव है। हमें कम-से-कम दो रेलवे ऊपरी-सेतु और छत सहित दो नए प्लेटफार्मों की आवश्यकता है।

इसी प्रकार, स्वतंत्रता-पूर्व युग का सांस्कृतिक धरोहर स्टेशन धनमंडल मेरे जिले का एक अन्य उपेक्षित रेलवे स्टेशन है। मैं धनमंडल से संबंधित हूं और यह मेरी जन्मभूमि है। पर मुझे यहां यह उल्लेख करते हुए शर्मिंदा हूं कि 2004 से, मैं इस छोटे से रेलवे स्टेशन में प्रगति लाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं पर कुछ नहीं हुआ। यहां का प्रतीक्षालय कुत्तों, मानसिक रूप से विक्षिप्तों, भिखारियों के लिए आश्रय और कुत्ते वे बिल्लियों के लिए प्रसव कक्ष का काम करता

[श्री मोहन जेना]

है। यहां पर्याप्त प्रकाश, शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है और संकरा फुट ओवर-ब्रिज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जो कभी भी गिर सकता है। इस स्टेशन के लिए कम-से-कम 4 उच्च स्तर के प्लेटफार्मों की आवश्यकता है। यहां कोई भी महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रूकती है हालांकि यह बुद्धिस्ट डायमंड सर्किट और महत्वपूर्ण जिलों जैसे ग्रामीण कटक और केंद्रपाड़ा के लिए सड़क संपर्क उपलब्ध कराता है।

मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं। केन्द्रीय सरकार की समस्त नकारात्मक सोच के बावजूद, मुझे विश्वास हे कि ओडिशा की न्यायपूर्व मांग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे आशा है कि अच्छी भावना बनी रहेगी और रेल मंत्रालय की गलतियों को सुधारा जाएगा तथा ओडिशा को उन्नति करने और समृद्ध होने के लिए उसका समुचित हिस्सा मिलेगा।

***श्री रुद्रमाधव राय** (कंधमाल) : जहां तक आर्थिक और सामाजिक विकास का संबंध है, भारतीय रेल देश के सभी भागों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय रेल को आम आदमी का मित्र कहा जाता है और इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क है।

रेलवे, अवसंरचना का अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, जो आर्थिक विकास तथा तीव्र सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वह ओडिशा में पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगभग नदारद है। यह तथ्य कि लगभग रेल घनत्व (रेलवे लाइन का मार्ग किलोमीटर में 1000 वर्ग किलोमीटर) बिहार में 35.9, झारखंड में 24.3, पश्चिम बंगाल में 43.4 और ओडिशा में केवल 14.3 सब कुछ बता देता है, जबकि समूचे भारत में औसत घनत्व का स्तर 19.13 है। स्वतंत्रता से पूर्व ओडिशा में कुल 1200 किलोमीटर लंबाई वाली दो प्रमुख रेल लाइनें थी। स्वतंत्रता के पश्चात् पिछले 65 वर्षों में केवल 1200 किलोमीटर रेल लाइन ही जोड़ी गई है परंतु कोई प्रमुख इंटर-सेक्टिंग लाइन नहीं जोड़ी गई। यद्यपि ओडिशा में भारतीय रेल लाइनों का केवल 4 प्रतिशत मौजूद है, लेकिन यह भारतीय रेल की 12 प्रतिशत सामग्री को ढ़ोती है और भारतीय रेल के राजस्व लाभ का 10 प्रतिशत हिस्सा यहां से आता है। ओडिशा की पूर्व तटीय रेलवे प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व देती है परंतु इसका रेल बजट न्यूनतम है। पिछले वर्ष ओडिशा के लिए 714 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया जिसमें से 221 करोड़ रुपए वापस लिए गए थे, जबकि

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राज्य सरकार ने 2345 करोड़ रुपए की मांग की थी। सबसे दयनीय स्थिति यह है कि ओडिशा के 7 जिलों में स्वतंत्रता के 65 वर्षों के बाद भी रेल संपर्क नहीं पहुंचा है। 289 किलोमीटर लंबी खुदरा-बोलंगीर रेल लाइन 5 जिलों से होकर जाती है और ओडिशा के मध्य से गुजरते हुए राज्य को पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है। यह एकमात्र स्रोत है जो ओडिशा राज्य के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करेगा। इस रेल लाइन को वर्ष 1994-95 में स्वीकृत किया गया था, परन्तु पर्याप्त बजटीय आवंटन के अभाव में प्रगति नगण्य है। पिछले वर्ष के 40 करोड़ रुपए के आवंटन में से, 17 करोड़ रुपए वापिस ले लिए गए, नगण्य आवंटन के कारण यह रेल लाइन एक सपना रह गया है।

यद्यपि 2012-13 में माननीय रेल मंत्री ने 36 किमी. कार्य पूर्ण करने का वायदा किया था, जबकि अब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इस रेल लाइन के संशोधित अनुमान 1994-95 के मूल अनुमानों से बढ़ कर 4 गुणा हो गए हैं। इस रेल लाइन के प्रति रेल मंत्री की अनदेखी के कारण जनता में काफी असंतोष है और इन 5 जिलों के लोग भविष्य में आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अत: मैं माननीय रेल मंत्री से वर्ष 2013-14 के दौरान कम-से-कम 200 करोड़ रुपए का आवंटन करने का अनुरोध करता हूं।

इसी प्रकार, भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में रेलवे से जुड़ी सामाजिक परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। इस संबंध में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ओडिशा के कंधमाल जिले में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रधानता है। ''बरहामपुर से पुलबनी'' तक रेल लाइन के कार्य को प्रारंभ किया जा चुका है और इसके लिए विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। कंधमाल जिले में वन प्रचुर मात्रा में है और इसमें इको तथा जनजातीय पर्यटन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है इसे रेल लाइनों के साथ जोड़ने के लिए वर्ष 2013-14 में विशेष आवंटन किया जाना चाहिए।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री से बहरामपुर-पुलबनी से नई रेल लाइन प्रारंभ करने के लिए 100 करोड़ रुपए के आबंटन से शुरुआत करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला) : रेल मंत्री जी ने 2013-14 के लिए अपना बजट पेश किया है। इसमें जहां दुविधा व दिक्कतों का

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जिक्र किया गया है, वहीं संरक्षा व सुरक्षा का भी खास ध्यान रखने की बात कही गई है। अनुभूति के कोचों को लगाकर लोगों को लाभान्वित करने की बात कही गई है। यात्री किराया भी बढ़ाया गया है। इस बढ़ोत्तरी से आम यात्री को समस्या का सामना तो करना पड़ेगा, परंतु यदि उसी तरह उन्हें रेल में सुविधाएं दी जायें तो उसका बोझ यात्री को बुरा नहीं लगेगा।

मैं हिमाचल प्रदेश की शिमला लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। हिमाचल प्रदेश जैसे आपको मालूम है कि एक पहाड़ी प्रदेश है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आजादी के 65 वर्षों में हमारे प्रदेश में रेलवे ने कुल 44 किमी. की रेल लाइन में वृद्धि की है, जो भी कुछ हुआ वह अंग्रेज ही करके गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे कह सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों का ध्यान रखा जा रहा है। आजकल हम अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं कि बॉर्डर स्टेट्स के आसपास चीन में किस प्रकार के रेल लाइन व अन्य आवाजाही के साधनों में बढ़ोत्तरी कर दी है। यह भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत की सरकार इस ओर गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। हमारी बिलासपुर-मनाली-लेह की रेल लाइन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इस वर्ष हिमाचल प्रदेश को नए मंत्री श्री पवन कुमार बंसल जी से काफी उम्मीदें थीं कि पहली बार इस क्षेत्र से रेल मंत्री मिला है। परन्तु हिमाचल प्रदेश के लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। गत वर्षों में कुछ रेल लाइनों को सर्वेक्षण के लिए रखा गया था उसमें भी आगे कुछ नहीं हुआ। मैं गत कई वर्षों से घनौली-नालागढ़-बद्दी-बरोटीवाला-सुरजपुर-वला अम्ला-पावंटा साहिब-देहरादून रेल लाइन जो कि 267 किमी. लम्बी है को तैयार करने के लिए मांग कर रहा हूं। सर्वेक्षण किया गया है, परन्तु इस बजट में आगे के लिए कोई भी फंड का प्रावधान नहीं किया गया है। 2012-13 के लिए 60 लाख 10 हजार रुपए का प्रावधान किया गया था। इसी तरह बद्दी से बिलासपुर के बीच नई लाइन हेतु टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण (50 किमी.) के लिए मात्र 1000 रुपए का पव्यिय रखा गया है। इसके साथ-साथ धर्मशाला-पालमपुर (40 कि.मी.) के लिए भी 1000 रुपए का प्रावधान किया गया है। परवाजू-दाड़लाघाट के अद्यतन सर्वेक्षण के लिए 6 लाख 4 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है।

शिमला जो कि हमारे देश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, को स्किल डेवपलमेंट के लिए चुना गया है। परन्तु उसको किस प्रकार से अधिक आकर्षक बनाया जा सके उसकी कोई योजना रेल मंत्रालय के पास नही है। अत: मेरा आग्रह है कि शिमला, सोलर, बडोरा जहां पर इस लाइन पर एक किमी. से लम्बी सुरंग है को पर्यटन की दृष्टि से अधिक आकर्षक अन्यान्य सुविधाओं के साथ बनाया जाए।

मैं रेल मंत्री जी के ध्यान में कुछ निम्नलिखित सुझाव व मांगें रख रहा हूं, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि रेल मंत्री रेल बजट में समायोजित करेंगे:—

(क) कालका से हरिद्वार के लिए कोई रेल एक्सटेंड की जाए।

(ख) चंडीगढ़ से कालका तक कुछ और रेलों को एक्सटेंड किया जाए।

(ग) कालका रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म का सौन्दर्यीकरण कर उसको पूरी तरह से कवर किया जाए।

(घ) कालका-शिमला रेल लाइन को पर्यटन की दृष्टि से अधिक आकर्षक बनाया जाए।

(ङ) कालका-शिमला रेल लाइन पर बंद पड़े सब स्टेशनों को पुन: खोला जाए, खासकर जावली स्टेशन।

महोदय, अत: मेरा सरकार विशेषतौर से रेल मंत्रालय से आग्रह है कि उक्त उठाए गए मामलों को पूरा करें।

***श्रीमती कमला देवी पटले** (जांजीगीर-चम्पा) : माननीय रेल मंत्री जी ने रेल बजट में यात्री भाड़ा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन सरचार्ज के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई की मार रेल मुसाफिरों को दी है। माल भाड़े में पांच फीसदी वृद्धि कर देश में महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रेल टैरिफ प्राधिकरण हर छह महीने में सरचार्ज की समीक्षा कर रेल किराया तय करेगा, जिसका गहरा असर गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा।

महिलाओं, खिलाड़ियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं बेरोजगारों को राहत देने, सफाई और सुधार पर जोर देने के लिए रेल मंत्री जी को बधाई देती हूं, लेकिन ये घोषणाएं धरातल में दिखनी चाहिए।

रेलवे को सर्वाधिक आय देने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगातार भेदभाव होता आ रहा है। इस बजट में भी छत्तीसगढ़ की घोर उपेक्षा की गई है। राज्य के माननीय मुख्य मंत्री जी एवं संसद सदस्यों की आवाज नहीं सुनी गई। रेलवे में लगने वाले लोहे के चादर, रेल की पटरी तो छत्तीसगढ़ से आती है, लेकिन रेल आधारित उद्योग की घोषणा छत्तीसगढ़ में नहीं की गई। यहां तक कि बिलासपुर जोन में लगने वाली लगभग 3700 वस्तुओं को अभी भी कोलकाता से ही क्रय किया

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती कमला देवी पटले]

जा रहा है, जिससे यहां के युवाओं में निराशा हुई है। रेलवे कोच की फैक्टरी छत्तीसगढ़ को दी जानी चाहिए, इस पर माननीय रेल मंत्री जी को आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

मेरे संसदीय क्षेत्र के जांजगीर-नैला रेलवे स्टेशन जिसे जिला मुख्यालय स्टेशन का दर्जा रेलवे द्वारा हाल ही दिया गया है, में जिला मुख्यालय के अनुरूप कम-से-कम साऊथ बिहार गोंडवाना एवं मेल चाम्पा जंक्शन जो औद्योगिक जिला कोरबा के लिए लिंक का काम करता है में गीतांजली, ज्ञानेश्वरी अकलतरा में मेल, बाराद्धार में जनशताब्दी एवं सक्ती में गोंडवाना का स्टॉपेज दिया जाए।

बिलासपुर से रायगढ़ तक तीन रेल लाइनें हैं तथा ये औद्योगिक हब क्षेत्र हैं। इसलिए इनके बीच के सभी पैसेंजर हॉल्ट स्टेशनों, कापन, कोटमीसुनार, जेठा, सारागांव रोड एवं बालपुर में पैदल पुल, पेयजल एवं शौचालयों के साथ-साथ प्रकाश की व्यवस्था, यात्रियों के बैठने के लिए छायादार शेड एवं कुर्सी की व्यवस्था आवश्यक है।

अकलतरा, जांजगीर-नैला, चाम्पा, बाराद्धार एवं सक्ती स्टेशनों के प्लेटफार्मों की लम्बाई बढ़ाई गई है, लेकिन शेड निर्माण नहीं किया गया है जिसमें छाया हेतु शेड निर्माण एवं कुर्सी के साथ-साथ पेयजल की व्यवस्था की जाए।

जांजगीर-नैला एवं चाम्पा के बीच बिरगहनी एवं सक्ती झाराडीह के बीच केरीबंधा में नए पैसेंजर हॉल्ट दिया जाए। कापन पैसेंजर हॉल्ट में पूर्ववत् पैसेंजर गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।

जांजगीर-नैला रेक पाइंट को उपयोगी बनाते हुए जांजगीर-नैला, चाम्पा एवं सक्ती स्टेशनों में नि:शक्त जनों के लिए ट्रायस्कल ओवर ब्रिज बनाया जाए। असामाजिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन जांजगीर-नैला में रेलवे चौकी की स्थापना एवं चाम्पा रेलवे थाना में पर्याप्त बल की तैनाती की जाए।

माननीय रेल मंत्री जी कोरबा या रायगढ़ से इलाहाबाद के लिए एक सीधी ट्रेन सुविधा तथा इंटरसिटी एक्सप्रेस को बिलासपुर से रायगढ़ तक बढ़ाते हुए जांजगीर-नैला में ठहराव दिया जाए। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए जनशताब्दी में अतिरिक्त कोच एवं लोकल ट्रेनों में भी डिब्बे बढ़ाए जाने की जरूरत है।

जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.सं. 49 में जांजगीर-नैला एवं चाम्पा के बीच खोखसा समपार संख्या 342 एवं चाम्पा यार्ड समपार संख्या 337 में ओवर/अंडर ब्रिज का कार्य 15वीं लोक सभा के प्रथम रेल बजट में ही स्वीकृत कर हर बजट में राशि प्रावधान के बाद भी प्रारंभ नहीं हो सका है, शीघ्र प्रारंभ की कार्यवाही की जाए, अकलतरा समपार संख्या 355 विगत कई वर्षों से अपूर्ण है, केवल रेलवे का हिस्सा बनना शेष है शीघ्र पूर्ण किया जाए।

जांजगीर-नैला पश्चिम केबिन के पास नैला फाटक, बाराद्धार-जेठा के बीच सक्ररेली फाटक एवं सक्ती झाराडीह के बीच अड़भार फाटक में नए ओवर/अंडर ब्रिज की स्वीकृति बजट में दी जाए।

***श्री मकनसिंह सोलंकी** (खरगौन) : मैं रेल मंत्री का ध्यान खरगोन-बडवानी, मध्य प्रदेश की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन आज तक किसी भी रेल मंत्री का ध्यान बजट तैयार करते समय मध्य प्रदेश के खरगोन-बडवानी के इन आदिवासियों के विकास की ओर नहीं गया है। लगभग 65 वर्षों तक केन्द्र सरकार की अनेक रेल योजनाएं तैयार हुई है पर हमारे आदिवासियों के कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल एवं पिछड़े संसदीय क्षेत्र खरगोन-बडवानी में लगभग 40 लाख आदिवासी लगे रहते हैं, जिन्होंने आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक रेल नहीं देखी है। यह आदिवासी क्षेत्र रेल मार्ग से पूरी तरह से कटा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में खण्डवा से धार वाया खरगोन-बडवानी एवं इंदौर से मनमाड़, महाराष्ट्र के लिए नई रेल लाइनों के लिए सर्वे किया जा चुका है। पिछले वर्ष इन दोनों रेल लाइनों को मूल्यांकन के लिए योजना आयोग को भेजा गया था, जिसे योजना आयोग के द्वारा असत्य एवं तथ्यहीन जानकारी के आधार पर निरस्त कर दिया गया। सरकार की इन रेल परियोजनाओं से इस आदिवासी क्षेत्र के विकास में बड़ा योगदान मिलेगा। इस क्षेत्र में उद्योग लगेंगे तो शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।

मैं मंत्री जी का ध्यान सर्वे रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जिसके पेज नम्बर 60 पर मेरे आदिवासी क्षेत्र को आर्थिक रूप से एवं औद्योगिक पिछड़ा नहीं बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति महामहिम ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी द्वारा मध्य प्रदेश के बडवानी जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ ही, इस सर्वे रिपोर्ट में पेज नम्बर 36 पर परियोजना की आय एवं व्यय की गणना करते समय आगामी 11 वर्षों तक मालभाड़े से आय नहीं होना बताया गया

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। जबकि मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र की खरगोन एवं सेंधवा मंडियां एशिया की सबसे बड़ी मंडियां हैं तथा बडवानी देश की एकमात्र प्रसिद्ध सौंफ की मंडी है। इन मंडियों का माल देश के अन्य भागों में पहुंचाने के लिए रेल की सख्त आवश्यकता है।

माननीय रेल मंत्री जी मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में रेल लाइन बिछ जाने से किसान अपनी उपज को देश के विभिन्न भागों में बेचकर उचित कीमत पा सकेंगे तथा मेरे क्षेत्र में नर्मदा एवं गोई जल परियोजनाओं के स्थापित होने एवं नहरों का जाल बिछ जाने से मेरा संसदीय क्षेत्र खरगोन-बडवानी राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादन में अग्रणी होगा। स्पष्ट होता है कि सर्व रिपोर्ट से भाड़े से आय नहीं बताया जाना स्वत: असत्य साबित होता है।

अत: माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि खण्डवा से धार वाया खरगोन-बडवानी (मध्य प्रदेश) एवं इंदौर से मनमाड़ (महाराष्ट्र) नई रेल लाइनों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि क्षेत्र की गरीब पिछड़ी आदिवासी जानता का विकास हो सके।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बेतूल) : मेरे क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याएं एवं मांगे निम्न हैं जिसमें से निम्नलिखित 8 ट्रेनें जो कि नागपुर से इटारसी के बीच नॉन स्टापेज चलती हैं इन गाड़ियों का बीच में किसी भी स्टेशनों पर स्टापेज नहीं है। यात्रियों का अतिरिक्त भार एवं बेतूल स्टेशन को लगभग 6 करोड़ की मासिक आय होती है। इन ट्रेनों को नागपुर एवं इटारसी के मध्य लगभग एक से दो घंटे अतिरिक्त समय दिया गया है। इन ट्रेनों का बेतूल एवं हरदा स्टापेज करने पर रेलवे को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी एवं ट्रेनों के अतिरिक्त समय में बचत भी होगी। बेतूल रेलवे स्टेशन से सुबह 6.30 से दोपहर 12.30 तक इटारसी की ओर जाने हेतु कोई गाड़ी नहीं है। इसी तरह भोपाल से सुबह 9.30 के बाद शाम 5 बजे तक नागपुर की ओर जाने हेतु कोई गाड़ी भी नहीं है।

क्र.सं.	ट्रेन नम्बर	कहां से कहां तक	अतिरिक्त समय
1.	12390 डाउन/12389 अप	चैन्नई-गया	85"/80"
2.	12540 डाउन/12539 अप	यशवंतपुर-लखनऊ	90"/50"
3.	12688 डाउन/12687 अप	चैन्नई-देहरादून/चंडीगढ़	55"/60"
4.	14260 डाउन/14259 अप	रामेश्वरम-बनारस	125"/65"
5.	15016 डाउन/15015 अप	यशवंतपुर-गोरखपुर	120"/70"
6.	16318 डाउन/16317 अप	कन्याकुमारी-जम्मूतवी	70"/60"
7.	166688 डाउन/17609 अप	चैन्नई-जम्मूतवी	70"/60"
8.	17610 डाउन/17609 अप	पूना-पटना	50"/75"
9.		कर्नाटक-दिल्ली	हरदा स्टापेज
10.		संचखण्ड	हरदा स्टापेज
11.		पुष्पक	हरदा स्टापेज
12.		नांदेड-अमृतसर	हरदा स्टापेज

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती ज्योति धुर्वे]

51253 आमला-छिंदवाड़ा ट्रेनः- इस ट्रेन का आमला में प्रस्थान सुबह 7 बजे होता है।

51254 छिंदवाड़ा-आमला ट्रेनः- इस ट्रेन का आमला में आगमन रात्रि 8 बजे होता है।

ट्रेन नम्बर 51240/51239 आमला-बेतूल शटल:- यह ट्रेन आमला एवं बेतूल के मध्य संचालित होती है इस ट्रेन के रैक के लगभग 9 घंटे बेतूल रोका जाता है। इस समय का सदुपयोग करते हुए इस ट्रेन को आमला से इटारसी के मध्य संचालित करने पर रेलवे को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही आम जनता को एक अच्छी सेवा भी मिलेगी एवं रेलवे को अतिरिक्त कर्मचारी/राजस्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, हो रही आर्थिक क्षति की पूर्ति होगी।

आमला स्टेशन पर ट्रेन नम्बर 12644/12804/12643/12803 स्वर्णजयंती एक्सप्रेस का स्टॉप दिया जाए, क्योंकि आमला एयरफोर्स का मुख्यालय है एवं भोपाल नागपुर से आवागमन हेतु उपर्युक्त समययुक्त गाड़ी होगी।

पूर्व में महानदी एक्सप्रेस, से बिलासपुर से नागपुर होते हुए भोपाल को जाती थी, के स्थान पर नागपुर-भोपाल इंटरसिटी प्रारंभ की जाए। (यदि भोपाल में तकनीक दृष्टि से संभव नहीं हो, तो हबीबगंज या सिहोर या बैरागढ़ तक की जाए)

02160/02159 नागपुर-जबलपुर को दिनांक 31.11.2012 के बाद नियमित किया जाए।

06513/06514 बेंगलुरु-पटना वाया नरखेड़ को नियमित किया जाए।

09307/09308 बेंगलुरु-इंदौर वाया नरखेड़ को नियमित किया जाए।

नागपुर फास्ट पैसेंजर को टिमहरनी में एक मिनट का हॉल्ट/स्टापेज किया जाए।

माननीय मंत्री जी द्वारा रेल बजट में न्यू अमरावती नरखेड़ पैसेंजर को यदि पांडुर्ण, तिगांव, चिचंडा, मुलताई, आमला जंक्शन तक इसे बढ़ायी जाये क्योंकि यहां के लोगों का महाराष्ट्र से 1956 से आज तक लेन-देन जारी है। अर्थात् इस ट्रेन को प्राथमिकता देते हुए इन्हें यात्री सुविधा प्रदान की जाए।

इंदौर नागपुर को घोड़ाडोंगरी स्टापेज की जाये।

नई रेल लाइन नरखेड़ से बेतूल, बेतूल से हरदा दी जाए।

[अनुवाद]

***श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर** (परभनी) : मैं परभनी-मन्माड और सिकन्दराबाद-मुडखेड़-आदिलाबाद लाइन के दोहरीकरण सर्वेक्षण शुरू कराने के नीतिगत निर्णय की घोषणा के लिए रेल मंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में परभनी-मुडखेड़ रेल लाइन का प्रयोग 116% है और 2013-14 के इस बजट में कुछ और रेलगाड़ियों की घोषणा की गई है। इस मार्ग पर रेलगाड़ियां चलाने से उसकी क्षमता की तुलना में 140-150% का भार पड़ेगा जिससे लाइन का रखरखाव बढ़ जाएगा। जिससे रेलगाड़ियों की गति कम होगी और रेलगाड़ियां समय से पीछे चलेंगी जिसके फलस्वरूप समय नष्ट होगा और राजकोष को घाटा होगा।

इसलिए, मैं आपसे इस बजट में परभनी-मुडखेड़ लाइन के दोहरीकरण के लिए आबंटन को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए करने का अनुरोध करता हूं जिससे काम का कुछ हिस्सा पूरा हो जाएगा।

परभनी-मुडखेड़ लाइन के दोहरीकरण के लिए विस्तृत अनुमान रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया जा चुका है।

इसके अलावा, मैं पूर्ववर्ती बजटों में रेल मंत्रियों द्वारा घोषित निम्नलिखित स्कीमों की स्थिति जानना चाहता हूं:-

(1) पुर्णा (जं.) पर तृतीय स्तरीय बहु-विशेषज्ञता अस्पताल और स्वास्थ्य मंत्रलाय के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार पुर्णा (जं.) अस्पताल को अग्रगामी परियोजना में शामिल करना।

(2) परभनी (जं.) पुर्णा जंक्शन और जालना में 'आदर्श स्टेशन' और सैलू, पर्तुर, पोखरनी (एनआर) और गंगाखेड़ में 'आधुनिक स्टेशन' का नाम पूरा करना। उपर्युक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं पोखरनी जंक्शन के लिए पडगांव-पोखरनी (नरसिंह) बाइपास की मांग करता हूं। उपर्युक्त बातों के साथ-साथ, मैं अपने क्षेत्र की निम्नलिखित मांगों की ओर भी अपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:—

(1) **अकोला-खंडवा आमान परिवर्तन (एमजी से बीजी) :** मैं अपने क्षेत्र की निर्धारित समय में अकोला-खंडवा आमान परिवर्तन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग रखना चाहता हूं और यह आमान परिवर्तन इस पिछड़े क्षेत्र के विकास तथा इस क्षेत्र को उत्तर तथा पूर्वोत्तर के साथ जोड़ने के लिए भी जरूरी है।

(2) **पार्ली-बीड-नगर रेल लाइन :** मेरे क्षेत्र के लोगों के पुणे तथा मुम्बई आवागमन की सुविधा के लिए संपर्क बढ़ाने के लिए पार्ली-बीड-नगर रेल लाइन के काम में तेजी लाना।

(3) दक्षिण मध्य रेल के नांदेड़ मंडल में पुर्ना (जं.) में अत्याधुनिक डीजल/'इलेक्ट्रिक होम लोको शेड' का निर्माण करना।

मैं इस तथ्य पर बल देना चाहता हूं कि पुर्ना (जं.) में मेरे क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है जहां भाप लोकोशेड स्थित था क्योंकि एमजी लाइन में यह एक केन्द्रीय स्थल था। मुझे ज्ञात हुआ है कि दक्षिण मध्य रेलवे में काजीपेट, लालगुडा, गुंटकल, गुट्टी में भी भाप लोको शेड थे जिन्हें डीजल और विद्युत लोको शेड में परिवर्तित कर दिया गया। इसके विपरीत, पुर्ना जंक्शन, जलाना, मन्माड (जं.), पार्ली (जं.) और अकोला में भाप लोकोशेड समाप्त कर दिए गए और नए डीजल लोको शेड का निर्माण नहीं किया गया यह इस क्षेत्र के साथ अन्याय है क्योंकि ये लाइनें डीजल लोकोमोटिव लाइनें हैं।

वर्तमान डीजल लोको शेड (अर्थात् काजीपेट, लालगुडा, गुंटकल और गुट्टी) विद्युतीकृत लाइन जोन में हैं और नांदेड़ मंडल से काफी दूर (लगभग 350 किमी.) हैं।

पुर्ना जंक्शन पर निम्नलिखित अवसंरचनागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं:—

1. डीजल लोकोशेड
2. सी एंड डब्ल्यू शाप
3. रेलवे यार्ड
4. अधिकारियों के लिए विश्राम गृह और 'रनिंग रूम'
5. कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टर
6. विद्यालय
7. अस्पताल
8. सामुदायिक भवन

अतः, मैं आपसे नांदेड़ मंडल के पुर्ना (जं.) पर कम-से-कम अत्याधुनिक डीजल/विद्युत लोको शेड के निर्माण की मांग पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(4) **आदिलाबाद-पार्ली-नासिक (मन्माड) रेल लाइन का विद्युतीकरण :** मैं आदिलाबाद-पर्ली-नासिक (मन्माड) रेल लाइन के विद्युतीकरण की मांग करता हूं क्योंकि यह लाइन ताप विद्युत केन्द्रों को कोयला आपूर्ति करने के लिए वाणिज्यिक लाइन है।

(5) **पुर्ना (जं.) पर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना :** मानव संसाधन मंत्रालय के साथ हुए एमओयू के अनुसार, पुर्ना (जं.) पर केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर्याप्त भूमि है और वहां हजारों रेलवे कर्मचारी रहते हैं।

(6) **मिराज-पार्ली यात्री रेलगाड़ी का परभनी अथवा पुर्ना (जं.) तक विस्तार :** कुछ नई रेलगाड़ियां आरंभ करने के लिए मैं रेल मंत्री का अत्यंत आभारी हूं क्योंकि इनसे क्षेत्र के लोगों को निश्यित रूप से लाभ होगा इसके साथ ही, मराठवाड़ा क्षेत्र के वरकरी संदाय के लिए, मिराज-पार्ली यात्री रेलगाड़ी का विस्तार पंढरपुर तक किया जाना चाहिए।

मैं सप्ताह में दो बार चलने वाली अमरावर्ती-पुणे रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए भी रेल मंत्री का आभारी हूं लेकिन इसे पोखरनी (एनआर), गंगाखेड़ और बासमत में ठहराव नहीं दिया गया है जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत असुविधाजनक है। अतः, मैं इस रेलगाड़ी को इन रेलवे स्टेशनों पर ठहराव देने की मांग करता हूं। जिससे समय नष्ट नहीं होगा और यात्रियों का बहुमूल्य समय बचेगा। मैं नागरसोल-जालना (डीईएमयू) के पुर्ना (जं.) तक विस्तार की भी मांग करता हूं।

(7) **स्टेशनों का उन्नयन :** मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ढोंडी, सिंग्नापुर,

[श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर]

उखाली (परभनी जिला) और परदागांव (जालना जिला) रेलवे स्टेशन इस लाइन की स्थापना के समय से ही इस हाल में हैं। अतः, मैं माननीय रेल मंत्री से इन स्टेशनों के लिए ब्लॉक स्टेशन स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(8) **नांदेड़ मंडल में रिक्तियां :** मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नांदेड़ मंडल में 'रनिंग स्टाफ' की कमी है और इसके कारण नांदेड़ मंडल में मौजूदा 'रनिंग स्टाफ' पर अत्यधिक दबाव है। नांदेड मंडल में 'रनिंग स्टाफ' की निम्नलिखित रिक्तियां हैं:-

1. लोको पायलट = 77
2. सहायक लोको पायलट = 83
3. गार्ड = 52
4. स्टेशन मास्टर = 60

इसलिए, मैं आपसे उपर्युक्त रिक्तियों को यथाशीघ्र करने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय रेल मंत्री से धानसवांगी, सोनपेट, मंथा और पालम में यात्री आरक्षण सुविधा (पीआरएस) स्थापित करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि ये तालुका स्थल निकटतम रेल शीर्ष से बहुत दूर हैं।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गंगाखेड़ रेलवे स्टेशन के निकट आरओबी का कार्य अत्यंत धीमा चल रहा है। कृपया इस कार्य में तेजी लाएं और इसके साथ ही मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी, मानवत रोड, सैलू और पार्तुर में आरओबी की व्यवस्था करें।

[हिन्दी]

***श्री गजानन ध. बाबर** (मावल) : माननीय रेल मंत्री जी द्वारा 2013-14 का बजट पेश किया गया। यह बजट बहुत अधिक उम्मीदों से भरा हुआ था किन्तु बजट पूर्ण रूप से नकारात्मक रहा। हम उम्मीद कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी द्वारा संतुलित बजट पेश किया जाएगा। किन्तु यह बजट पूर्ण रूप से असंतुलित और गुमराह करने वाला बजट है। रेल बजट में पूरे देश का ध्यान न रखकर विशेष तौर से महाराष्ट्र की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। इस बजट को देश का रेल का बजट न कह कर अमेठी और रायबरेली का रेल बजट कहेंगे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार ने यह कह कर कि यात्री किराया नहीं बढ़ाया जा रहा है देश की जनता को गुमराह किया है। एक तरफ तो सरकार यात्री किराया नहीं बढ़ाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के साथ ही किराए पर सरचार्ज बढ़ाने की बात करती है और यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि एक दिन जितने आरक्षित टिकट बनाये जाते हैं, लगभग उतने ही टिकट रद्द किए जाते हैं। सरकार ने टिकट रद्द करने पर रद्दीकरण चार्ज बढ़ा दिए हैं। इस बढ़े हुए चार्ज को तुरंत वापस लिए जाने की आवश्यकता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं आशा कर रहा था कि मावल संसदीय क्षेत्र के जनता की वर्षों पुरानी मांगों को इस बजट में मंजूर कर लिया जाएगा किन्तु इस बार फिर से मावल संसदीय क्षेत्र की जनता की निराशा ही हाथ लगी है आपके और आपके पूर्व मंत्रियों को संबंधित मांगों को पूरा करने हेतु कई बार मेरे द्वारा पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इन मांगों पर कोई जरूरी एवं उचित निर्णय नहीं लिया गया है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से रेल बजट 2013-14 के तहत अपने संसदीय क्षेत्र मावल की जनता द्वारा वर्षों पुरानी मांगों को फिर से प्रस्तुत करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि रेल बजट 2013-14 का संसद में उत्तर देते वक्त माननीय रेल मंत्री जी इन सभी मांगों को पूरा करने की भी घोषणा करेंगे।

मावल संसदीय क्षेत्र एक नया संसदीय क्षेत्र है तथा यहां रेलवे से संबंधित कई सुविधाओं की आवश्यकता है। मावल संसदीय क्षेत्र में अनेक प्रकार के छोटे एवं बड़े उद्योग हैं और इन उद्योगों को तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता है।

मावल संसदीय क्षेत्र की रेलवे मांगें निम्नलिखित हैं:-

1. कोंकण रत्नागिरी, चिपलून, करजत और पनवेल के बीच नई रेल गाड़ी का आवागमन।
2. वास्को-डी-गामा से पनवेल जो कि बसई, विराट होते हुए 24 डिब्बों की रेल गाड़ी को (उदयपुर एक्सप्रेस) रोजाना चलाया जाए। इससे रेलवे को अच्छी आमदनी भी प्राप्त होगी और गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बीच पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

3. गुरावली जगह, जो कि तितवाली और खाडवाडी के बीच स्थित है पर नया रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाने की मांग 1963 से की जा रही है तथा इससे संबंधित से पत्र व्यवहार भी विभाग के साथ होता रहा है और गुरावली एक अधिकतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अत: यहां पर रेलवे स्टेशन स्थापित करने की कृपया करें।

4. तालेगांव और लोनावाला के बीच एमआईडीसी का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसके लिए प्रतिदिन इन क्षेत्रों के बीच लगभग 6 हजार श्रमिक आवागमन करते हैं। मेरी मांग है कि इसको देखते हुए तालेगांव और लोनावाला के बीच पैसेंजर ट्रेन रात्रि व दिन में चलाई जाए।

5. ट्रेन न. 1618 का विस्तार करजत से पनवेल के बीच किया जाए।

6. सीएसटी पर परवेल के बीच 13 डिब्बों वाली ईएमयू चलाई जाए और हार्वर लाइन पर 5 मिनट के अंतराल पर चलाई जाए। 12 कोच वाली ईएमयू परवेल बोरीवली हार्वर लाइन पर हर 30 मिनट के अतंराल पर चलाई जाए और दहानू के बीच हर 60 मिनट के अंतराल पर चलाई जाए।

7. देहरादून एक्सप्रेस 2287/2288, अमृतसर एक्सप्रेस 2483/2489, चंडीगढ़ एक्सप्रेस 2659/2654 तथा गोवा सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस 2449/2450 को रतलाम में ठहराव देने की व्यवस्था की जाए, जिससे क्षेत्रीय जनता को इन रेलगाड़ियों की सुविधा का लाभ मिल सके।

8. पूना से लोनावाला के बीच नए तीसरे ट्रैक की सुविधा दी जाए तो नेशनल हाइवे पर होने वाले अधिक यातायात की कमी होगी एवं स्थानीय जनता को भी इस सुविधा का लाभ होगा।

9. पुणे से कोलकाता तथा दार्जिलिंग, सिक्किम, झारखंड, ओरिस जाने वाली सिर्फ आजाद हिंद एक्सप्रेस एक ही ट्रेन है। इस ट्रेन में बारह माह बहुत भीड़ रहती है। इसलिए पुणे से कोलकाता के बीच राजधानी या दुरन्तो नॉनस्टाप या गरीब रथ ट्रेन शुरू करने की जरूरत है।

10. राजस्थान, गुजरात की ओर यात्री एवं पर्यटकों की बारह महीने बहुत भीड़ रहती है। सिर्फ पुणे से जोधपुर ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलती है। यह ट्रेन पुणे से 3 दिन राजस्थान में 1. जोधपुन, 2. अजमेर के लिए शुरू किए जाने की जरूरत है।

11. पुणे जयपुर हॉलीडे स्पेशल एक साल से चल रही है और अब मार्च तक चलेगी। इस ट्रेन में बहुत भीड़ रहने के कारणा हमेशा के लिए चलाई जाने की जरूरत है।

12. ऑन-लाइन ई-टिकट यात्रा करते समय यात्रियों के पास पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि रखने की आवश्यकता है। लेकिन स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आयु 18 साल से कम होती है। तो उपरोक्त पहचान-पत्र रखना असंभव है। इसलिए ऑन-लाइन ई-टिकट पर यात्रा करते समय विद्यार्थियों के स्कूल कॉलेज पहचान-पत्र पर यात्रा करने की अनुमति देने की आवश्यकता है।

13. सन् 1995 में पूर्व रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश कलमाड़ी जी ने पुणे नासिक रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। यह मार्ग जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। अभी चलने वाली पुणे नासिक ट्रेन सुविधाजनक नहीं है। यात्रियों को परेशानी होती है। यह मार्ग शुरू होने तक नासिक गाड़ी के समय तथा मार्ग में परिवर्तन किया जाए। पुणे से नासिक वाया पनवेल चलने वाली ट्रेन को पहुंचाने का समय ज्यादा होने के कारण असुविधाजनक है। यह गाड़ी पुणे-करली होती हुए कल्याण स्टेशन, नासिक मनमाड तक चलायी जानी चाहिए। नासिक से सुबह और पुणे से रात को छोड़कर सुबह नासिक पहुंचने से यात्रियों को सुविधा होगी।

14. कल्याण आले फाटा नगर बीड परली की मांग गत 25 वर्षों से हो रही है। इस मार्ग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। यह मार्ग महाराष्ट्र के लिए अति आवश्यक है।

15. मुम्बई, पुणे, पुणे-सोलापुर यात्रा के लिए अलग ट्रेन होने के कारण यात्री का किराया ज्यादा होता हैं। मुंबई से सोलापुर एक ही टिकट देने से यात्रियों को सुविधा होगी। मुम्बई से पुणे-सोलापुर डायरेक्ट ट्रेन इंद्रायणी नाम से गाड़ी चलानी चाहिए।

16. जिस स्थान से यात्रा करनी हो और दूसरे स्थान पर रेलवे टिकट का आरक्षण किया गया, तो रेलवे ज्यादा चार्ज लेती है। वह ज्यादा चार्ज रद्द किया जाना चाहिए।

17. तत्काल कोटा रेलवे के शयनयान आसन संख्या के 30/40 प्रतिशत तक बढ़ाया था। यात्रियों को सर्वमान्य आरक्षण सहजता से उपलब्ध होने के लिए तत्काल कोटा कम करके 10 प्रतिशत तक ही सीमित रखना चाहिए।

18. तत्काल आरक्षण के लिए ज्येष्ठ नागरिक, बच्चे, अपंग, मूक, बधिर, अंधे, कैंसर रोगियों के लिए सामान्य आरक्षण के लिए दी जाने वाली कन्सेशन सुविधा नहीं मिलती है। यह सुविधा तत्काल टिकट आरक्षण करने वालों को भी मिलनी चाहिए। टिकट रद्द करते समय धन वापसी रकम तत्काल चार्ज छोड़कर सर्वसाधारण आरक्षण टिकट की तरह मिलनी चाहिए।

19. रेल आरक्षण टिकट पर टीडीआर तथा रेल रिफंड वापसी रसीद से यात्रियों को धन वापसी मिलने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन धन वापसी की अर्जी करने पर भी 90 प्रतिशत यात्रियों को धन वापसी नहीं मिलता है। धन वापसी कार्य प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता, जिससे कि यात्रियों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा।

20. यात्रा के समय भोजनयान से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दर्जाहीन हैं। दाम भी ज्यादा हैं। अच्छा खान-पान मिलने का आश्वासन मिलता है। खाद्य पदार्थों का दर्जा अच्छा होना चाहिए एवं यात्रियों की जानकारी के लिए खाद्य पदार्थ के दाम की सूची हर डिब्बे में दर्शनीय हो जिससे यात्री ठगे नहीं जाए। यात्रियों से ज्यादा दाम मांगने की कोशिश पर बंधन आ जायेगा।

21. जिस ठिकाने से आरक्षण हो और बाद से बोर्डिंग स्टेशन बदला हो तो सुविधा के लिए यात्री को किसी भी स्टेशन से यात्रा करने की अनुमति दी जाए। यात्रा स्टेशन से बोर्डिंग स्टेशन तक का किराया एक बार लिया जाए।

22. माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए सभी स्टेशनों पर शौचालय की व्यवस्था की जाए तथा महाराष्ट्र में चलने वाली प्रत्येक लोकल गाड़ियों में अलग से और अधिकतम महिला आरक्षित डिब्बों को लगाया जाए जिससे महिलाओं को होने वाली कठिनाई दूर हो सके।

23. पूना रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज पर अत्यधिक आवागमन होने से हमेशा भीड़ एवं दुर्घटना का डर बना रहता है। अत: वहां पर एक अतिरिक्त फुट ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है।

24. मुंबई की तर्ज पर ही पूना में भी स्मार्ट कार्ड सेवा देकर यात्रियों की यात्रा में सुविधा पर ध्यान दिया जाए।

25. केन्द्रीयकृत उद्घोषणा केन्द्र रेल यात्रियों के यात्रा में निश्चित रूप से सुविधा प्रदान करेगा। अत: केन्द्रीयकृत उद्घोषणा केन्द्र बनाने की भी विशेष आवश्यकता है।

26. यात्रियों के हित को ध्यान में रखकर यात्रियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ शौचालय/मूत्रालय की व्यवस्था प्रत्येक स्टेशन पर किए जाने की आवश्यकता है।

27. प्रत्येक स्टेशन की स्वच्छता एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा पूना के हर स्टेशन पर बने शेड की मरम्मत की आवश्यकता है। अत: इस पर भी पूरा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

28. पूना के प्रत्येक प्लेटफार्म तथा रेलवे के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक सड़कों की मरम्मत की अति आवश्यकता है। अत: इस पर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करे।

29. देश के समस्त रेलवे स्टेशनों पर वृद्ध, हृदय रोगी एवं महिलाओं के लिए विशेषरूप से लिफ्ट और एक्सिलेटर लगाए जाने की आवश्यकता है। अत: बजट में इस व्यवस्था का भी प्रावधान करने हेतु उचित कदम उठाने का कष्ट करें।

30. पूना-एर्नाकुलम एक्सप्रेस वाया पनवेल सप्ताह में दो दिन चलती है जोकि कारवार की जनता के लिए पूना आने हेतु एकमात्र रेलगाड़ी है और इसका कारवार में कोई ठहराव नहीं है। यह रेलगाड़ी मार्गो में और फिर मंगलोर में ठहरती है जिसके कारण कारवार के लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अत: कारवार के लोगों की परेशानी को दूर करने हेतु पूना-एर्नाकुलम एक्सप्रेस को कारवार रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने की आवश्यकता है।

31. मुम्बई से कन्याकुमारी वाया कोंकण रेलवे हॉलीडे स्पेशल रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता है।

32. अगर करजद स्टेशन पर एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ठहराव दिया जाता है तो कल्याण और करजद के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुगमता होगी। अत: न्यू पूना-एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को करजद में ठहराव देने की आवश्यकता है।

वर्तमान में पनवेल रेलवे स्टेशन पर पूछताछ और टिकट आरक्षण केन्द्र रात्रि में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत: पनवेल रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे पूछताछ व टिकट जारी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है।

पनवेल रेलवे स्टेशन पर स्थानीय टिकट केन्द्र की संख्या कम है जिसके कारण यात्रियों को घंटों तक लम्बी कतारों में खड़े रहना पड़ता है। अत: यहां पर और अधिक स्थानीय यात्रा टिकट केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है।

यात्रियों की संख्या को देखते हुए पनवेल और पूना के बीच करजद होते हुए और अधिक लोकल रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता है।

पनवेल रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 30% प्लेटफार्म की छते ढ़की हुई हैं जिसके कारण बरसात और गर्मियों में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: यहां के सभी प्लेटफार्म की छतों में शेड लगाए जाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया जाए।

***श्री सोहन पोटाई** (कांकेर) : लोकतंत्र में सभी वयस्कों को मत डालने का अधिकार एवं सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, भोजन व अन्य मूलभूत सुविधा पाने का हक है। इस तरह विकास का हिस्सा आम लोगों तक पहुंचे, यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

छत्तीसगढ़ राज्य बने लगभग सवा बारह वर्ष हुआ है। अभी शैशव अवस्था में रहते हुए यह रेलवे से देश को सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्यों में से एक है। लेकिन रेलवे सुविधा राज्य में नगण्य है। आज भी छत्तीसगढ़ के अधिकतर क्षेत्र के लोगों ने रेल के दर्शन नहीं किए हैं।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है। इसके बावजूद विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। राज्य में लौह अयस्क, कोयला, एल्युमिनियम, अयस्क, लाइम स्टोन एवं खनिज व वन सम्पदा प्रचर मात्रा में है। इस पर आधारित स्टील, ऊर्जा, सीमेंट आदि उद्योग विशाल संख्या में स्थापित हैं।

रेल सम्पर्क से अधिकांश क्षेत्र अब भी विकास के लिए वंचित हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कांकेर जिला रेल सम्पर्क से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन 2011-12 के बजट में सम्मिलित है, जिनका सर्वे बजट में नहीं है। कृपया बजट में जोड़ने की कृपा करें।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि नीचे लिखे प्रस्तावों को शामिल किया जाए:—

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

1. धमतरी नैरोगेज को ब्रॉडगेज में परिवर्तन कर धमतरी से कांकेर-केशकाल, कोण्डागांव-जगदलपुर तक बढ़ाई जाए या दुर्ग-दिल्ली के मध्य पोण्डी स्टेशन से कांकेर-केशकाल, कोण्डागांव-जगदलपुर तक जोड़ा जाए।
2. दुर्ग एक्सप्रेस (दुर्ग-दिल्ली) का नाम तान्दुला एक्सप्रेस नामकरण किया जाए।
3. नई दिल्ली-बिलासपुर को हावड़ा तक बढ़ाए जाए।
4. दुर्ग-निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन किया जाए।
5. दुर्ग से गुवाहाटी तक नई यात्री ट्रेन चलाई जाए।
6. दिल्ली राजहरा तक दोहरीकरण किया जाए।
7. दिल्ली राजहरा-रायपुर को नियमित कर कोरबा तक विस्तार किया जाए।
8. बालोद में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र की स्थापना दिन भर के लिए की जाए।
9. दिल्ली राजहरा-रावघाट नई रेल विस्तार के प्रभावितों को नौकरी एवं उचित मुआवजा शीघ्र प्रदान किया जाए।
10. दिल्ली राजहरा-रावघाट नई रेल लाइन पर भानुप्रतापपुर में रेलवे ट्रेक निर्माण किया जाए।
11. धमतरी नगरी, लिखमा ओडिशा प्रांत के रायगढ़ तक विस्तार किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री धनंजय सिंह, आप बोलना आरंभ करें। केवल आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। उनका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर) : *महोदय बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप बोलना आरंभ नहीं करेंगे। आपके समय में कटौती की जाएगी। केवल श्री धनंजय सिंह का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे रेल बजट 2013-14 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी पार्टी के नेता को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी राय रखने का अवसर दिया है।

सभापति जी, जब रेल मंत्री जी इस बार बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो मुझे लगा कि बहुत लंबे समय के बाद बहुत हो-हल्ला मचा था कि एक बड़े राजनीतिक दल को काफी लंबे अर्से के बाद, करीब 16-17 वर्षों के बाद यह विभाग मिला तो कुछ बेहतर नीतियों के साथ वे सामने आएंगे क्योंकि जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं तो सिर्फ लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं करते हैं, सरकार की नीति उसमें परिलक्षित होती है। परंतु इस बजट में मुझे कहीं से भी कोई सरकारी दीर्घकालिक नीति परिलक्षित होती नहीं दिखती है। कम-से-कम माननीय मंत्री जी से मुझे उम्मीद थी कि कुछ दीर्घकालिक नीतियां बनाएंगे, परंतु इस बजट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अनुराग जी आश्चर्य प्रकट कर रहे थे, मगर मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा क्योंकि पिछले चार वर्षों से मैं जो बजट देख रहा हूं, पूर्ववर्ती जो बजट थे, उसी क्रम में माननीय मंत्री जी ने भी यह बजट प्रस्तुत किया है। कोई नई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 2009-10 में जब माननीय ममता बनर्जी ने यह बजट प्रस्तुत किया था, उस समय एक विज़न डॉक्यूमैंट 2020 आया था। मुझे लगा कि हमारी जो सरकार है, इसने कहीं न कहीं जापान से कुछ प्रेरणा ली है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान ने 1964 ओलंपिक को टार्गेट में रखकर, जबकि वह आर्थिक मंदी के दौर से भी गुज़र रहा था, द्वितीय विश्वयुद्ध की त्रासदी भी जापान झेल रहा था, उसके बावजूद भी उसने लक्ष्य निर्धारित किया था, अपने रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन्स को लक्ष्य दिया था कि जो 1964 ओलम्पिक आएगा, उसमें हम बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर उसने उस लक्ष्य को दस वर्षों के अंदर प्राप्त कर लिया और 1964 के पहले वह लक्ष्य प्राप्त किया। मैं उम्मीद करता था कि विज़न डॉक्यूमैंट 2020 जो है, वह किसी मंत्री विशेष का बजट नहीं होता। बजट एक सरकार का होता है और यूपीए-1 और यूपीए-2 चलाने के बाद यह लगा कि 2020 विज़न डॉक्यूमैंट पर यूपीए की सरकार कुछ न कुछ काम आगे चलकर करेगी। मैं देख रहा हूं कि पिछले 60-62 वर्षों में नई रेल लाइनें बिछाने का जो लक्ष्य प्राप्त किया था, वह 8000 से 10,000 किलोमीटर ही प्राप्त कर पाए थे लेकिन 2009-10 से 2020 तक इन्होंने निर्धारित किया कि लगभग 25000 किलोमीटर नई रेल लाइनें इस देश में बिछाएंगे और लोगों को, देश की जनता को उसका लाभ देने का काम करेंगे। साथ ही साथ न्यू फ्रेट कॉरीडोर की स्थापना की भी बात कही।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगा कि क्या विज़न 2020 डॉक्यूमैंट यूपीए का डॉक्यूमैंट नहीं था? जब ये जबाव दें तो जरूर इस बात को कहें क्योंकि इस बार इन्होंने सिर्फ 500 किलोमीटर नई रेल लाइनों का लक्ष्य रखा है। अगर नई रेल लाइनों का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष इसी हिसाब से 500 किलोमीटर रखेंगे तो 2020 तक जो 25,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाने का लक्ष्य आपने रखा है, वह मुझे प्राप्त होता नहीं दिख रहा है। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि रेल जिन समस्याओं से जूझ नही है, उन समस्याओं का समाधान इसमें है। बल्कि समस्याएं और बढ़ रही हैं, क्योंकि एडहॉकिज्म सिस्टम पर हम काम करने लगे हैं। हमने मांग कर दी तो आपने हमारे यहां एक रेल चला दी। किसी ने कह दिया कि हमारे यहां ट्रैक बिछा दो तो आप वहां काम कर देते हैं। कोई एक कंप्रिहैंसिव या इंटीग्रेटेड पॉलिसी पूरे देश के लिए लाने का काम आप नहीं कर रहे हैं। रेल को लाइफलाइन कहा जाता है। आज तक हमने पूरे देश में कोर नेटवर्किंग नहीं की है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को जोड़ने का काम नहीं किया है। यह काम आज तक हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जरूर यह कहूंगा कि विजन 2020 डॉक्यूमैंट पर आप जरूर गंभीरता से विचार करें। एडॉप्टीज्म सिस्टम पर आप जो काम कर रहे हैं, उससे हटते हुए जब भी आप कोई नई रेल लाइन बिछाते हैं, जब भी कोई आप ट्रेन बढ़ाते हैं, ट्रेनों का एक्स्टेंशन करते हैं, उसकी फिज़ीबिलीटी रिपोर्ट का कैश बैनीफिटी एनालिसीस करते हैं, कम-से-कम कोई साइंटीफिक एप्रोच आपकी इस दिशा में होनी चाहिए। मुझे इसमें सरकार के एप्रोच की कमी दिखती है।

महोदय, हमारे यहां माननीय मंत्री जी ने एक ट्रेन को बढ़ा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से चंडीगढ़ एक्सप्रेस लखनऊ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तक चलती थी, उसे आपने बढ़ा दिया है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि एक ट्रेन चंडीगढ़ से लखनऊ तक चलती थी, उसे आपने बढ़ा दिया है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि एक ट्रेन चंडीगढ़ से लखनऊ तक चलाती थी, उसकी डिमांड बनारस तक थी, लेकिन आपने पटना तक उसे बढ़ा दिया है। जब आप ट्रेनों को बढ़ाते हैं, तब कितना लाभ या नुकसान होता है, क्या आप इस पर भी विचार करते हैं? मुझे लगता है कि इस बारे में ज्यादा विचार नहीं किया जाता है। अभी जैसे बार-बार बात उठी कि रायबरेली और चंडीगढ़ का ही यह बजट रहा है, कई ट्रेनें चलाई गई हैं। जैसे रायबेरली और अमेठी को जोड़ने का काम किया है। अमेठी आज की तारीख में नया डिस्ट्रिक्ट बना है, आप उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि जब आप उत्तर देंगे तो बताएं कि पूरे देश को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से कब तक जोड़ने में कामयाब हो सकेंगे?

मेरा एक सुझाव भी है, क्योंकि मैं सिर्फ आलोचना ही नहीं करना चाहता हूं। हमारी जो मेट्रो सिटीज चेन्नई-मुम्बई, चेन्नई-कोलकाता, कोलकाता-दिल्ली और दिल्ली-मुंबई के बीच में कम-से-कम आप अलग से ट्रैक्स बिछाने काम काम करें। आप लांग टर्म सोच कर रिसर्च विंग को इन्वोलव करते हुए कि पैसेंजर ट्रैक्स अलग हों और गुड्स फ्रेट कोरिडोर आप बना ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ मूट्रो सिटीज के ट्रैक्स हैं, यहां चार-चार ट्रैक्स बनने चाहिए। जिस ट्रैक पर ज्यादा कंजेशन है, उस एरिया की लाइंस को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे में जरूर गंभीरता से विचार करते हुए इस दिशा में काम करेंगे।

माननीय मंत्री जी ने एक बात कही थी कि सदन में जो प्रस्ताव मिले, उनका उत्तर दे रहे थे और अपना भाषण पढ़ रहे थे तब मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि इन्हें जो प्रस्ताव मिले, केवल उन प्रस्तावों को करने का प्रयास किया और बजट में सम्मिलित करने का काम किया और जो प्रस्ताव इन्हें लेट मिले, उन्हें आगे देखेंगे। मेरे पास कुछ पत्र हैं और मैं अपको जरूर बताऊंगा कि पिछले तीन वर्षों से मैं निरंतर कुछ कार्यों के लिए प्रयास करता रहा है कि आप इन कामों को करें। मैंने यह भी कहा कि आप उसकी फिजीबिलिटी देखें और केवल मेरे कहने से ही न करें। मैंने मंत्री जी को कहा था कि मैं जो चीज कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि आप उसे करें, मैं इलेक्टोरल लाभ लेने के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैंने मंत्री जी को कहा कि आप देखें कि क्या ये चीजें सही हैं, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे पास वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012 के पत्र हैं। समय-समय पर मंत्री और मंत्रिमंडल बदलते गए, इसिलए इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले ममता जी मंत्री थीं। उसके बाद दिनेश जी आए और उसके बाद मुकुल जी आए। हमने आपको भी पत्र दिए, लेकिन उन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने यह भी पूछा था कि आपकी ट्रेन स्टोपेज की क्या पॉलिसी है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां तमाम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टस हैं जहां पचास से साठ लाख लोगों को आबादी है, लेकिन वहां ट्रेनें नहीं रुकती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, लखनऊ से बनारस के बीच में एक निहालगढ़ स्टेशन पड़ता है। हो सकता है कि यह आपकी पार्टी के एक बड़े नेता का संसदीय क्षेत्र है। निहालगढ़ में सारी ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन जौनपुर नहीं रुकेंगी, बरेली मण्डल पर नहीं रुकेंगी, बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनका मैं नाम कोट नहीं कर सकता हूं, लेकिन निहालगढ़ में सारी ट्रेनें रुकती हैं। आप ऐसा दोहरा मापदंड न अपनाएं। आप इस बारे में एक नीति जरूर बनाएं कि कहां ट्रेन रुकनी चाहिए और कहां नहीं रुकनी चाहिए।...*(व्यवधान)* सर, मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी में हैं। मेरा बोलने का समय अभी है। मैं अपनी पार्टी से पहला सदस्य हूं और मैंने अभी बहुत कम समय लिया है। मैंने अभी तक केवल पांच-सात मिनट ही लिए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पहले ही दस मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री धनंजय सिंह : महोदय, मंत्री जी इस बारे में जरूर बताएं कि ट्रेन के स्टॉपेज की आपकी क्या पॉलिसी है? हम लोग बार-बार इसलिए कहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रैशर पड़ता है क्योंकि आप छोटे स्टेशन पर तो ट्रेन रोक रहे हैं, लेकिन हमारे यहां नहीं रोक रहे हैं। आप बड़े स्टेशनों पर ट्रेनों को रोकने का काम नहीं करते हैं और छोटे स्टेशनों पर उसे रोकने का काम करते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : आप ट्रेनों को जितनी देर आउटर सिग्नल पर रोक देते हैं उतना समय आप स्टेशनों पर दे दीजिए।

श्री धनंजय सिंह : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने एक नयी ट्रेन चलायी है। दारा सिंह चौहान जी, डॉ. बलिराम और हमारे तमाम साथी सांसदों ने आप से आग्रह किया था। आप ने मऊ से लेकर आनन्द विहार टर्मिनल तक उस ट्रेन को चलाया है। मेरे आप से आग्रह है कि उस ट्रेन को आनन्द विहार टर्मिनल के बजाय

[श्री धनंजय सिंह]

नयी दिल्ली स्टेशन तक करेंगे तो वहां के लोगों को लाभ होगा। यह ट्रेन नयी दिल्ली स्टेशन तक आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मऊ से आजमगढ़, साहिबगंज, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद होते हुए वह रूट आती है। इसमें बहुत ज्यादा आबादी रहती है। इससे उन्हें लाभ होगा। वह ट्रेन कहीं से भी घाटे में नहीं रहेगी।

माननीय मंत्री जी से एक आग्रह है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दें। आज मुल्क बहुत आगे गया है तो वह बगैर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नहीं गया है। आप ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अपने बजट में महज डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्रोवीजन रखा है। क्या यह उचित है? मैं पिछले तीन-चार सालों का रिकॉर्ड देख रहा था। कभी सौ, कभी डेढ़ सौ, कभी पचास करोड़ रुपये का आप इस में प्रोवीजन रखते हैं। आप एक-एक लाख करोड़ रुपये का बजट सदन के सामने, देश के सामने रखते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए महज सौ-डेढ़ सौ करोड़ रुपये रखते हैं। पिछले वर्ष के बजट में मैं आरडीएसओ, लखनऊ में देख रहा था। उसमें तेरह करोड़ रुपये है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर आप कब तक टेक्नॉलोजी को खरीद कर करते रहेंगे? उदाहरण के तौर पर कोलकाता में मेट्रो रेल 1980 के दशक में शुरू हुई। हमारे रेल राज्य मंत्री जी भी पश्चिम बंगाल से हैं। उसके बीस वर्षों के बाद दिल्ली में मेट्रो रेल इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद भी आप बाहरी टेक्नॉलोजी को खरीद कर काम कर रहे हैं। क्या इन बीस सालों में हम अपने आप को इतना सक्षम नहीं कर पाए कि हम अपनी टेक्नॉलोजी के साथ मेट्रो रेल को ले आ पाते? माननीय मंत्री जी, इस विषय पर आप बहुत गंभीरता से प्रयास करें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जितना काम उतना ही अच्छा है। अभी हमारे जगदम्बिका पाल साहब कह रहे थे कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। वे भूल गए हैं कि टेक्नॉलोजी अब इतनी बढ़ गयी है कि काठ की हांडी में बार-बार खाने बनाए जा सकते हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने कहा कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। जो जरूरतें हैं, आप उसे पूरा करने का काम करें।

यूपीए-टू ने जो भी विज़न डॉक्यूमेंट दिया है, आप उसे पूरा करें। आपकी आलोचना करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप को सुझाव देना है कि आप कुछ बेहतर करें और लम्बी पॉलिसी बनाएं। जिस हिसाब से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, मैं कह रहा हूं कि आप वर्ष 2050 तक का टारगेट रखिए। उस समय इस देश की आबादी लगभग डेढ़ सौ करोड़ होगी। हम लोग देखते हैं कि किसी भी ट्रेन में जगह नहीं रहती है, फिर भी हमारा रेल घाटे में रहता है। ...*(व्यवधान)* मैं इस पर बहुत ध्यान नहीं देता हूं कि आप रेल किराया बढ़ाएं, न बढ़ाएं।...*(व्यवधान)*

महोदय, रेवेन्यू जेनरेट करने के तमाम तरीकें आप के पास हैं। आप के पास चालीस-बयालीस हजार एकड़ जमीन हैं। आप उस जमीन को किस तरह से कॉमर्शियल यूज में ला सकते हैं? रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए सिर्फ पैसेंजर्स के किराए नहीं बढ़ाए जा सकते। पहले गुड्स कैरेज में ट्रेन का शेयर अकेले 80 प्रतिशत था, आज हमारा शेयर बीस से पच्चीस प्रतिशत है। आप इसे और बढ़ाने का काम करें और ऐसा करें कि कम-से-कम यह घटे नहीं। अगर इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो आप इसे नीचे भी मत लाइए। इस दिशा में आप काम करिए। रोड्स में पॉल्यूशन भी बहुत होता है। आने वाले समय में डीजल की बहुत कठिनाइयां हैं। हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आप काम करें।

मैं आप को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप वर्ष 2050 तक अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर के कुछ काम करेंगे।

***श्री विष्णु देव साय** (रायगढ़) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र रायगढ़ (छ.ग.) की कुछ रेल सम्बन्धी समस्याओं से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत रायगढ़ लोक सभा क्षेत्र एक आदिवासी एवं पिछड़ा बहुल रहवासी लोक सभा क्षेत्र है। कोयला एवं बॉक्साइट जैसी खनिजी संपदा के परिवहन से रेलवे को विशेष आर्थिक योगदान देने वाले इस क्षेत्र के लोगों की रेल संबंधी मांगों पर ध्यान न दिए जाने से जनता में बेहद नाराजगी है।

15 वर्ष पूर्व लगातार वृहद् आंदोलन के पश्चात् तात्कालिक रेल मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने दिनांक 14.9.1998 को रायगढ़ में रेल कोचिंग टर्मिनल का शिलान्यास किया था और आऊट ऑफ टर्न पांच करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। राज्य सरकार ने भी तत्काल दस एकड़ जमीन रेलवे को टर्मिनल बनाने हेतु प्रदान की थी। किन्तु आज पर्यन्त तक यहां रेल कोचिंग टर्मिनल का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है। जबकि इन पन्द्रह वर्षों में मेरे द्वारा लगातार मंत्रालय से पत्राचार किया गया है। साथ ही, समय-समय पर, यह मांग माननीय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रेल मंत्रीगण के समक्ष रखी जाती रही है। दिनांक 08.2.2012 को तात्कालिक रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी जी ने छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं सांसदों के साथ बैठक की थी। वहां भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मंत्री जी के निर्देशानुसार रेल बजट 2012 में रेल टर्मिनल निर्माण को शामिल करने हेतु आश्वस्त किया था। किन्तु गत वर्ष के बजट में इसे स्थान नहीं दिया गया है और वर्तमान बजट भाषण में भी रायगढ़ रेलवे कोचिंग टर्मिनल का उल्लेख नहीं है। यह अफसोसजनक है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उक्त टर्मिनल निर्माण को इस बजट में शामिल करने का कष्ट करें ताकि रायगढ़ क्षेत्र के लोगों की बहु-प्रतीक्षित मांग पूरी हो सके।

कोरबा-लोहरदगा रेल मार्ग का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है एवं गत वर्ष रेल बजट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया था। गत वर्ष (2012) के बजट भाषण के अनुसार प्राक्कलन योजना आयोग को भेजा गया था। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य रायगढ़-जशपुर क्षेत्र के लोगों को इस प्रमुख मांग पर यह भरोसा था कि इस बजट भाषण में आवंटन के साथ कार्य प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त होगा किन्तु इस बजट भाषण में कोरबा-लोहरदगा रेल मार्ग को शामिल नहीं किया गया है। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि उक्त रेल मार्ग की स्वीकृति यथाशीघ्र देने का कष्ट करें ताकि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रायगढ़ स्थित कोतरा रोड़ हाइवे पर स्थित रेलवे क्रासिंग लगातार बार-बार बंद होने से यहां सदैव सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। यहां रेलवे ओवरब्रिज की मांग वर्षों पुरानी रही है, इसी तरह खरसिया रेलवे स्टेशन के बाइपास क्रमांक-2 में भी ओवरब्रिज निर्माण की आवश्यकता है। अतः इन्हें जल्द से जल्द शुरू करवाकर पूरा करवाया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर बहुत् सी ट्रेनें गुजरती हैं किन्तु ठहराव नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। औद्योगिक परिक्षेप बन रहे हैं। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर मैं माननीय रेल मंत्री जी से उनके ठहराव की मांग करता हूं।

(1) ट्रेन नं. 12102-12101 हावडा-कुर्ला ज्ञानेश्वरी एक्स. रायगढ़ में

(2) ट्रेन नं. 12584-12583 पुरी-वलसाड एक्स. रायगढ़ में

(3) ट्रेन नं. 14710-14709 पुरी-बीकानेर एक्स. रायगढ़ में

(4) ट्रेन नं. 12574-12573 हावड़ा-साई नगर (शिरडी) रायगढ़ में

(5) ट्रेन नं. 17007-17008 सिकन्दराबाद-दरभंगा रायगढ़ में

(6) ट्रेन नं. 22846-22845 हरिया-पुणे रायगढ़ में

मैं कुछ अन्य मांगों की ओर भी माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। इसमें पत्थलगांव, जिला जशपुर में आरक्षण केन्द्र स्वीकृत करने, जशपुर में स्वीकृत आरक्षण केन्द्र में आरक्षण सुविधा प्रारंभ करने, रायगढ़ से चलने वाली गोड़वाना एक्सप्रेस में पेंट्री कार की सुविधा देने एवं 17881 बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस को रायगढ़ से चलाए जाने की मांग शामिल है।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया) : सभापति जी, मैं रेल बजट वर्ष 2013-14 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो वे कह रहे थे कि ऐसा बजट आज तक कभी आया ही नहीं और यह आम लोगों की आकांक्षा का बजट है। पिछले बहुत दिनों से क्षेत्रीय दलों के लोग रेल मंत्री होते थे। लेकिन लम्बी अवधि 17 साल के बाद राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य रेल मंत्री हुए। लोगों को उम्मीद थी कि इनकी सोच पूरे देश की होगी, ये पूरे देश के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब लोक सभा में बजट आया, मंत्री जी बहुत शालीन हैं, हंस कर सभी सांसदों से बात करते हैं। वैसे यह बात अलग है कि बिहार के जितने सांसद हैं, वे बात कर रहे थे कि रेल मंत्री जी से कोई काम कराया है या नहीं। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई काम हुआ ही नहीं। हमें तीसरी बार लोक सभा में आने का मौका मिला। हम 11वीं और 13वीं में भी लोक सभा के सदस्य थे और 15वीं में भी हैं। रेल बजट में इस तरह का प्रतिकार, विरोध किसी भी रेल मंत्री का आज तक नहीं हुआ था। जब रेल बजट आया तो बिहार के बारे में भी मंत्री जी कुछ सोचते। बिहार को आज तक जो कुछ मिला, जो मिलना चाहिए, इस देश में जो हिस्सेदारी विकास के मामले में है, आबादी की दृष्टि से तो बिहार तीसरे स्थान पर है, लेकिन जब आप रेल को देखेंगे तो उसका स्थान बहुत पीछे चला गया।

सभापति महोदय, फिर भी जो कुछ बिहार को मिला, आज हम उसी पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जो कुछ हमें मिला था, वह भी आज पूरा नहीं हो रहा है। इन्होंने इस बजट में लक्ष्य रखा कि सन् 2013-14 में

[श्री दिनेश चन्द्र यादव]

500 कि.मी. नई रेल लाइनों का निर्माण कराएंगे। उसमें बिहार का एक किलोमीटर भी रेल खंड नहीं है। इन्होंने कहा कि मीटर लाइन और छोटी रेल लाइन, 450 किलोमीटर की बड़ी रेल लाइन में हम निर्माण कराएंगे, उसमें से भी एक किलोमीटर बिहार की नहीं है। ये जो दोहरीकरण 750 किलोमीटर कराएंगे, उसमें से भी बिहार का एक किलोमीटर नहीं है। इसलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं है, यह हम जरूर कहेंगे कि एक बात अंजाने में होती, लेकिन जिस बात को जान कर इग्नौर किया जाता है, वह बात बहुत गंभीर होती है। इसलिए माननीय रेल मंत्री जी, पता नहीं क्यों, आपकी मंशा थी कि बिहार को बिलकुल हाशिए से भी नीचे निकाल दिया जाए।

हम उदाहरण के लिए कहना चाहते हैं कि बिहार के ही हमारे संसदीय क्षेत्र में सकरी से हसनपुर 1996 में रेल लाइन स्वीकृत हुई थी, उसका निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ, खास करके हसनपुर से कुशेश्वर स्थान। इस बजट में इन्होंने तीस करोड़ रुपए जरूर दिए हैं, पिछली बार भी इन्होंने राशि दी थी, लेकिन काम बहुत धीमी गति से होता है। खगड़िया से कुशेश्वर स्थान, जो 44 किलोमीटर रेल खंड है, 1996 में उसकी स्वीकृति मिली थी। वह रेल लाइन आज तक पूरी नहीं हुई। पिछले रेल बजट भाषण में रेल मंत्री जी ने उल्लेख किया कि खगड़िया से अलौली 22 किलोमीटर को हम 2012-13 तक पूरा कर देंगे। उसी रेल खंड के बारे में इस बार भी पदाधिकारी ने इनसे भाषण में बुलवा दिया कि इस रेल लाइन के खगड़िया से बिशनपुर 14 किलोमीटर को 2012-13 में पूरा कर देंगे। मतलब, ये बजट सत्र बीतने में हम समझते हैं कि 24 दिन बचे हैं। पता नहीं, किस ने बजट भाषण तैयार करवा दिया और इनसे भी गलत बयानी सदन में करवा दी। अररिया से सुपौल तक रेल लाइन स्वीकृत हुई थी, जिस पर 304 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस बजट में उसमें मात्र एक करोड़ रुपए दिए गए। उसी तरह से आमान परिवर्तन बिहार का है, जो मानसी-सहरसा-दौरम-मधेपुरा-पूर्णियां तक की है, उसमें से खास करके मधेपुरा से पूर्णियां तक, पिछले बजट में कहा गया कि इनको हम जल्द पूरा करेंगे। इस बजट भाषण में भी है कि मुरलीगंज से बनमंक्खी और बनमंक्खी से मुरलीगंज को 2012-13 में पूरा कर देंगे।

वर्ष 2012-13 में अब 24 दिन बचे हैं। हम फिर कहते हैं कि किसने इनको बजट भाषण तैयार करके दे दिया है? उसी इलाके में एक रेलखंड है, सकरी-लौकहा बाजार-निर्मली-सहरसा-फारबिसगंज, जो रक्षा मंत्रालय की डिपोजिट स्कीम है, इसमें पैसा रक्षा मंत्रालय से मिलना है। यह 355 करोड़ रुपए की योजना है। इसमें पिछले बजट में कहा गया कि सहरसा से सरायगढ़ 51 किलोमीटर को हम वर्ष 2012-13 में पूरा कर लेंगे। उसमें कुछ हुआ ही नहीं। इस बार भी कहा गया कि इसे हम वर्ष 2012-13 में पूरा करेंगे। इन्होंने मात्र 45 करोड़ रुपए दिए और इसे पूरा करने में 99 करोड़ रुपए लगेंगे। जो राशि मिलती है, उसका उपयोग नहीं होता है और जो राशि का उपयोग होना चाहिए, उसके अनुरूप काम भी नहीं होता है।

महोदय, हम बिहार के दो-तीन पुलों का उल्लेख करना चाहते हैं। कोशी महासेतु, जो कोशी नदी में कोशी रेल पुल बनाना है। वर्ष 2011-12 के बजट में तत्कालीन रेल मंत्री जी ने कहा था कि 31.03.2012 तक इसे पूरा करेंगे और इस बार भी कहा गया कि इसको 31.03.2013 तक पूरा कर देंगे। इसमें मात्र तीन करोड़ रुपए की राशि दी गयी और अभी भी पचास करोड़ रुपए इसमें देना है। वह राशि नहीं जाएगी तो इसका काम कैसे पूरा होगा? मुंगेर-गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल की 1,363 करोड़ रुपए की योजना है। जो राशि दी गयी, उसमें वर्ष 2011-12 में 31.03.2012 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था। इस बार रेल मंत्री जी ने वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में कहा कि दिसंबर, 2014 तक हम इसे पूरा करेंगे। इसमें अभी भी 1,117 करोड़ रुपए की राशि देनी है। वह अब राशि नहीं देंगे, तो यह कैसे पूरा होगा?

एक पुल है पटना से हाजीपुर व पटना के बीच संपर्क लाइनों के साथ गंगा पर पुल (रेल सह सड़क, पुल) जो 19 किलोमीटर की है। इसके निर्माण पर 1,681 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वर्ष 2011-12 के रेल बजट में कहा गया कि हम 31.03.2012 तक इसे पूरा करेंगे और वर्ष 2012-13 के बजट में कहा गया कि 31.03.2013 तक इसे पूरा करेंगे। इसको पूरा करने के लिए अभी भी 639 करोड़ रुपए इसमें देने होंगे। जब राशि दी नहीं जायेगी तो फिर इसका लक्ष्य कौन तय करता है? इस बार आगे के लिए कोई लक्ष्य नहीं है।

महोदय, हम कुछ कारखानों का उल्लेख करना चाहते हैं, खासकर जो कारखाने बिहार में स्वीकृत हुए हैं। रेल के बहुत सारे कलपुर्जे विदेश से मंगाये जाते हैं, लेकिन जो देशी कारखाना है, बिहार में खासकर उसकी बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। मधेपुरा में ग्रीनफील्ड विद्युत रेल इंजन विनिर्माण कारखाने की स्थापना की स्वीकृति हुयी। यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। इस पर रेल को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस पर 1960 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इसमें अभी कोई काम ही नहीं हुआ है। जमीन अधिग्रहण हो गयी, लेकिन जमीन

देने वाले को अभी तक पैसे का भुगतान नहीं हुआ, अन्य काम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वैसे इस बार के बजट में लगभग 80 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन अभी भी उसमें 1,655 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। छपरा रेल पहिया कारखाना में काम बहत आगे बढ़ गया है। मढ़ोरा डीजल इंजन कारखाना में भी 61 करोड़ रुपए देने हैं। सहरसा में एक वाशिंग पिट का निर्माण हो रहा है। हमने बार-बार लोक सभा में परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी इसकी चर्चा करते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब ने रूचि भी ली थी। इसकी बात भी आगे बढ़ी। इसमें जो पैसा दिया गया, इसमें जो लिंक लाइन है, सिक लाइन और शेड बनना है, क्रेन उसमें लगना है, वह भी नहीं लग सका। हरनौत में भी ओवर लोडिंग का काम शुरू हो गया, लेकिन अभी भी उसमें 63 करोड़ रुपए और देने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* उसका उद्घाटन नहीं हुआ। समपार जो ओवरब्रिज होता है, हम रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर इंजीनियरिंग को धन्यवाद देना चाहते हैं, उस समय बंसल साहब मंत्री नहीं थे, खगड़िया में जो ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति हुयी, उसमें काम शुरू हो गया। हम चाहते थे कि उसका शिलान्यास भी हो। एक चलन चल गया है कि जो शिलान्यास होना चाहिए, वह होता नहीं है और कहीं होता भी है तो पदाधिकारी कर लेते हैं। एक हॉल्ट बना सिमरी बख्तियारपुर, सनबरसा-कचहरी के बीच में, द्वारका हॉल्ट, डीआरएम ने जाकर उद्घाटन किया और हम लोगों को इसकी कोई जानकारी ही नहीं दी।

सुपौल-थरवितिया के समपार संख्या-53 पर ओवर ब्रिज के लिए 17 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत थी उसमें मात्र 90 लाख रुपया दिया गया । नरकटियागंज यार्ड में समपार संख्या-22 पर ओवर ब्रिज निर्माण पर 12 करोड़ 66 लाख रुपया लगना है, इस बार मात्र 36 लाख रुपया दिया गया है। नरकटियागंज-हरिनगर समपार पर ओवर ब्रिज का निर्माण 66 करोड़ की लागत से होना है, इसके लिए मात्र 2 करोड़ 21 लाख रुपया दिया गया है। लेकिन राशि का उपयोग जल्द किया जाना चाहिए।

हम एक-दो सर्वेक्षण की बात करना चाहते हैं बिहारीगंज-सिमरी बख्तियारपुर के बीच रेल लाइन का सर्वेक्षण अद्यतन किया जाना था। पिछले बजट में पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, सामाजिक रूप से वांछनीय परियोजना में इसे सम्मिलित किया गया। उसका अद्यतन सर्वेक्षण नहीं हुआ। कुशेश्वर स्थान से सहरसा तक का सर्वेक्षण होना है राशि दी गई। उसका सर्वेक्षण नहीं हो रहा है। गोगरी, परवत्ता, डुमरिया के रास्ते महेशखुंट-नारायणपुर का सर्वेक्षण पूर्ण नहीं हो रहा है। बरौनी-हसनपुर, बारास्ता, भगवानपुर और चेरिया बरियारपुर के बीच रेल लाइन का जो सर्वेक्षण होना है, वह पूरा नहीं हुआ है। सहरसा, खगड़िया, हसनपुर तक बड़ी रेल लाइन बन गई। उनके बीच के जितने स्टेशन हैं, उसका प्लेटफार्म बिल्कुल नीचे है। बुजुर्ग और बीमार रेलयात्रियों को गाड़ी पर चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए उनको ऊंचा किया जाना चाहिए। खगड़िया में एक फुट ओवरब्रिज के बगल में एक टिकट काउंटर था, वह बंद हो गया है उसको चालू किया जाना चाहिए। सहरसा जंक्शन पर मात्र दो प्लेटफार्म हैं, उनके अतिक्ति तीन प्लेटफार्म का निर्माण होना चाहिए। सिमरी-बख्तियारपुर स्टेशन के बगल में जो रेल का संपर्क सड़क है, आश्वासन था कि उसका निर्माण करेंगे, वह काम नहीं हुआ। सिमरी-बख्तियारपुर में रेक प्वाइंट का निर्माण होना चाहिए। वहां अतिरिक्त प्लेटफार्म होना चाहिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव : हसनपुर स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए और मानसी-सहरसा रेलवे लाइन का दोहरीकरण होना चाहिए। कोशी एक्सप्रेस जो पटना से सहरसा तक जाती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप माननीय मंत्री जी को ये सभी नाम लिखित में दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव : माननीय शरद जी के क्षेत्र मधेपुरा तक वह ट्रेन जाती है, मात्र 18 किलोमीटर तक उसका विस्तार करना है। यह कहा गया था कि इसका विस्तार कर देंगे, लेकिन इस बजट में इसका विस्तार नहीं हुआ। खगड़िया स्टेशन "ए" क्लास स्टेशन है। वहां राजधानी ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। गुवाहाटी-जोधपुर, गरीबनवाज, दिल्ली-गुवाहाटी संपर्क क्रांति का भी ठहराव वहां होना चाहिए। मानसी जंक्शन पर सीमांचल एक्सप्रेस का ठहराव होना चाहिए। हसनपुर रोड स्टेशन पर न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव होना चाहिए। सहरसा समस्तीपुर के बीच रात्रि में पैसेंजर गाड़ी दी जानी चाहिए। इस बजट में एक गाड़ी दी गई है बनमनखी से समस्तीपुर,

[श्री दिनेश चन्द्र यादव]

लेकिन बड़ी रेल लाइन नहीं बनी। इसे शीघ्र पूरा कर के चलाया जाना चाहिए। एक हरिहरनाथ एक्सप्रेस सहरसा से सोनपुर तक चलती थी, जब बड़ी रेल लाइन बनने लगी तो वह बंद हो गई। उसको फिर से चलाया जाना चाहिए। वैशाली एक्सप्रेस जो दिल्ली से बरौनी तक जाती है उसको सहरसा तक ले जाने की योजना बनानी चाहिए। कुछ गाड़ियां जो साप्ताहिक या सप्ताह में दो दिन चलती है, जैसे जानकी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस और जनसाधारण एक्सप्रेस उनको प्रतिदिन किया जाना चाहिए। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर गरीब रथ चलती है उसको प्रतिदिन किया जाना चाहिए। सहरसा से अमृतसर के बीच जनसेवा एक्सप्रेस चलती है, उसमें मजदूर लोग चढ़ते हैं। आज रेल मंत्री जी जांच करा लें, यह लंबी दूरी की गाड़ी है लेकिन उसके टायलेट में आपको एक भी खिड़की में शीशा नहीं मिलेगा। आप रेल यात्रियों की परेशानियों को देख सकते हैं।

हम निवेदन करना चाहते हैं कि सहरसा स्टेशन की आमदनी एक साल में 166 करोड़ रुपया है लेकिन वहां भी पीपी शेल्टर की कमी है, शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है। यात्री को बैठने की सुविधा नहीं है। रेल लाइन की कमी है। इसके दक्षिण तरफ फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए। वहां टिकट काउंटर छह है लेकिन एक टिकट काउंटर खुलता है, जनरल टिकट काउंटर दो खुलते हैं। सभी टिकट काउंटर्स खुलने चाहिए।

एक माननीय सदस्य हमारे भूदेव जी हैं। जमुई जिला मुख्यालय है, हम निवेदन करना चाहते हैं कि हावड़ा-हरिद्वार एक्सप्रेस, हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस का वहां ठहराव होना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय मंत्री जी भाषण नहीं सुने, लेकिन रेलवे के पदाधिकारी सुन रहे हैं। उन्होंने पहले भी सहयोग किया और हम को उम्मीद है कि मेरा जो सुझाव है, उन पर विचार करेंगे।

***श्री वीरेन्द्र कुमार** :-रेलवे भारत में सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा उपक्रम है। योजना 2 करोड़ से ज्यादा लोग रेल से सफर करते हैं। लगभग 14 लाख कर्मचारी रेलवे में कार्य करते हैं। विगत दो वर्षों में रेलवे का विकास बहुत धीमी गति से हुआ है। आधे से अधिक प्रोजेक्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। वित्त की कमी प्रमुख कारण बताया जा रहा है। नई पटरियों का बिछाना, नए कारखानों का खुलना, नए पुलों का बनाना, सब कुछ थम सा गया है। पिछले चार वर्षों में विश्व में हुई रेल दुर्घटनाओं का 15 प्रतिशत भारत में हुआ है। अभी हाल में कुंभ मेले में हुई रेल दुर्घटना ने सरकारी प्रयासों पर फिर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि जब रेल मंत्री एक्सीडेंट का लेवल जीरो प्रतिशत करने का भरोसा जता रहे थे। वहीं दूसरी ओर बिना सुविधाएं बढ़ाये सौ से ज्यादा नई ट्रेनों की घोषणा कर दी। नई नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। पिछले 22 साल में रेलवे की पांच लाख पोस्ट सरेंडर हुई हैं। इस स्थिति में जन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब एक्सीडेंट कम कैसे हो सकते हैं। 40 प्रतिशत ट्रेन एक्सीडेंट अनमैंड रेलवे फाटकों पर होते हैं। रेलवे फाटकों पर अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने के लिए सड़क निधि में मात्र 1100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिल रहे हैं जबकि आवश्यकता पांच हजार करोड़ रुपए की है। देश में 31,846 फाटक हैं जिनके 13,000 से ज्यादा बिना चौकीदार के हैं। दुर्घटनाओं को रोकने, रेलवे फाटक बनाए जाने को बजट में अनदेखा किया गया है।

माल भाड़े में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है उसकी भी 6-6 माह में समीक्षा होगी, यानि वर्ष में 2 बार मालभाड़ा बढ़ाया जाएगा। मालभाड़ा वृद्धि से न सिर्फ व्यापारियों और उद्यमियों पर बोझ बढ़ेगा बल्कि आम आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे सीधे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, कोयला, लौह अयस्क और स्टील, यूरिया, डीजल, मिट्टी का तेल तथा एलपीजी जैसे वस्तुओं की ढुलाई प्रभावित होगी। वह महंगा होगा। कहने को यात्री किराए में बढ़ोत्तरी नहीं की गई लेकिन कई तरह के सरचार्ज लगाने और तत्काल टिकटों का रिजर्वेशन खर्च बढ़ने से यात्री भी सीधे महंगाई के दायरे में आ गए हैं। रेल मंत्रालय ने मुसाफिरों से पैसा वसूलने के लिए कई तरीकों का सहारा लिया है। किन्तु अंग्रेजों के समय के जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण, सिग्नल व्यवस्था की कमियां दूर करने के संबंध में बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में सरकार उदासीन है। सुरक्षाकर्मी महिलाओं की आठ नई कम्पनियां शुरू करने की घोषणा खोखली है। ऐसी 12 कम्पनियां गठित करने के लिए महिला वाहिनी शुरू करने का दो साल पुराना वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। आठ हजार से ज्यादा ट्रेनों और सात हजार स्टेशनों पर 1000 महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करने मात्र से महिलाएं अपने को सुरक्षित कैसे अनुभव करेंगी। रेलवे में सुरक्षा कर्मियों के 17 हजार से ज्यादा खाली पदों को कब भरा जाएगा। सबसे प्रमुख बात यह है कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ)

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के बीच जो समस्या है उसका समाधान यह बजट नहीं कर पाया है। स्टेशनों की सुरक्षा का भी कोई स्पष्ट प्रबंध नहीं है। मुम्बई हमले के बाद 202 स्टेशनों पर बेहतर सुरक्षा प्रबंधों के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे, स्कैनर और बम निरोधक दस्तों की व्यवस्था की जानी थी, इस पर एक चौथाई ही काम हुआ है। खुफिया विभाग ने जिन स्टेशनों को सुरक्षा की दृष्टि से संवदेनशील बताया था वहां भी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित नहीं किए जा सके हैं।

अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए रेलवे ने पुरानी सैकड़ों परियोजनाओं से हाथ खींच लिया है। रेलवे ने 230 नई रेल लाइनों के साथ खींचा है और 225 आमान परिवर्तन की लाइनें अधूरी छोड़ दी है। आजादी के 65 वर्षों के बाद भी देश के अनेक हिस्से अभी भी रेल सुविधाओं से वंचित हैं। वहां इस तरह के निर्णयों से घोर निराशा पैदा हुई है। बजट से प्रतीत होता है कि यह रायबरेली, अमेठी एवं चंडीगढ़ के लिए बनाया गया है।

कई प्रोजेक्ट में बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की बात कही है, यह कितनी कारगर होगी भविष्य तय करेगा। किन्तु ट्रेनों में भोजन व्यवस्था से लेकर सफाई एवं अन्य सुविधाओं के लिए ठेके प्राइवेट कंपनियों को दिए जाते हैं। मगर इसकी टेंडर प्रक्रिया विवादास्पद रहती है। आज पैसेंजरों से भोजन एवं अन्य सुविधाओं के लिए अच्छे खासे दाम वसूले जाते हैं, किन्तु भोजन का स्तर ठीक नहीं रहता। राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस के खानों में भी गुणवत्ता का अभाव देखा जाता है। प्लेटफार्मों पर मिलने वाली खाद्य सामग्री के दास बहुत अधिक होते हैं तथा स्वादहीन होते हैं।

रेलवे की हजारों एकड़ खाली पड़ी जमीन का उपयोग करने की कोई नीति नहीं बनाई जा रही है। उसका कामर्शियल उपयोग तथा यात्रियों की सुविधाओं हेतु सस्ते आवास गृह एवं रेस्टोरेंट सहित माल बनाकर रेलवे की राजस्व आय भी बढ़ायी जा सकती है तथा अतिक्रमण – मुक्त भी किया जा सकता है।

आजादी के 65 साल बाद भी टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र ललितपुर सिंगरोली रेलवे लाइन पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहा है इसमें से ललितपुर से ईसानगर तक रेल पटरियां बिछ गई हैं तथा रास्ते के स्टेशन भी बन गए हैं। ट्रेन से पहले इंजन एवं 2 डिब्बे फिर इंजन सहित पांच डिब्बों का ट्रायल भी हो चुका है। सीआरएस इंस्पेक्शन भी लखनऊ से आकर अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। पिछले साल के बजट में झांसी टीकमगढ़ पैसेंजर ट्रेन की घोषणा की गई थी। झांसी स्टेशन पर समय-सारिणी बोर्ड पर ट्रेन नम्बर एवं ट्रेन के आने-जाने का समय भी लिखा गया था। नया रेल बजट आ गया, किन्तु ट्रेन नहीं आई अत: पिछली घोषित ट्रेन को शीघ्र ही सप्ताह के अंदर चलवाने की कार्यवाही की जाए। खजुराहो से छतरपुर टीकमगढ़ ललितपुर बीना भोपाल इंटरसिटी ट्रेन चलायी जाए ताकि, बुन्देलखंड के लोगों का प्रदेश की राजधानी भोपाल से सीधा संपर्क जुड़ सके। पूर्व में घोषित खजुराहो छतरपुर सागर भोपाल लाइन के सर्वे का कार्य शीघ्र कराकर रेल लाइन बिछाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए तथा इसमें टीकमगढ़ से शाहगढ़ लाइन का भी सर्वे होकर रेल लाइन जुड़ने से बुन्देलखंड के सम्पूर्ण विकास को गति मिलेगी। निवाड़ी स्टेशन पर खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस एवं तुलसी एक्सप्रेस का ठहराव किया जाना चाहिए। इन ट्रेनों के स्टोपेज से उदयपुर एवं मुम्बई सीधा सम्पर्क जुड़ जाएगा। ओरछा एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी एवं पर्यटन केन्द्र है। जहां देश विदेश से यात्री एवं पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। अत: ओरछा स्टेशन का विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण कर एवं सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव किया जाना चाहिए। ओरछा निवाड़ी एवं हरपालपुर स्टेशनों पर प्लेटफार्म नम्बर 2 बनाकर गाड़ियों से अप एंड डाउन ठहराव अलग-अलग प्लेटफार्म पर होने चाहिए। अभी केवल एक ही प्लेटफार्म होने से कई बार प्लेटफार्म पर गाड़ी खड़ी होने की स्थिति में दूसरी पैसेंजर ट्रेन को बीच की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। पैसेंजर ट्रेन से वृद्ध-बुजुर्ग, बच्चे असहज स्थिति में उतरकर ट्रेन के नीचे से झुककर प्लेटफार्म पर आकर बाहर जाते हैं। दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अत: तीनों ही स्टेशनों पर 2 नम्बर प्लेटफार्म के साथ ही फुटओवर ब्रिज भी बनाए जाने चाहिए। ओरछा नगरी में प्रत्येक पुख नक्षत्र पर लाखों लोगों की भीड़ एकत्र हाती है। रेलवे फाटक बंद रहने से गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें लग जाती हैं। अत: ओरछा स्टेशन के पास स्थित रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाना चाहिए। निवाड़ी-टीकमगढ़ झांसी मार्ग पर निवाड़ी स्टेशन के समीप भी रेलवे ओवरब्रिज बनाना चाहिए तथा हरपालपुर जो कि ग्वालियर मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-76 है, इस पर ट्रकों की लंबी-लंबी 2 लाइनें रुक जाती है। अत: हरपालपुर स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज की महती आवश्यकता है, जिसे प्राथमिकता से बनाना चाहिए। निवाड़ी ओरछा हरपालपुर स्टेशनों पर शेड का विस्तार तथा पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। बुन्देलखंड की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए यहां पर और नई ट्रेनें चलाने तथा यहां से माल ढुलाई की व्यवस्थाओं को बढ़ाने तथा किसानों की आवश्यकताओं अनुरुप खाद के लिए रैक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि समय पर किसानों को खाद यूरिया प्राप्त हो सके।

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

लोगों में घोर निराशा पैदा करने वाले बजट में 26,000 करोड़ रुपए का घाटा आम आदमी की जेब से पूरा करने में नहीं बल्कि कुशल वित्तीय प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए तथा बुन्देलखंड जैसे रेल सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में रेल सुविधाओं के विस्तार पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। ललितपुर, सिंगरोली रेल लाइनों को ज्यादा राशि आबंटित कर शीघ्र पूरा करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुवेन्दु अधिकारी (तामलुक) : महोदय, रेल बजट पर मुझे बोलने के लिए अवसर देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं, 26 फरवरी को इस सदन के समक्ष माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, एक प्रजातांत्रिक देश में सरकार लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए होती है। ऐसे देश में किसी भी बजट को एक समाजवादी दृष्टिकोण दिया जाना चाहिए। बजट में मुख्य रूप से पददलित आम लोगों के साथ प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। पर 2013-14 का रेल बजट स्पष्टत: दर्शाता है कि सरकार 'लोगों की, लोगों द्वारा पर लोगों के लिए नहीं है। यह एक पूर्णत: जन विरोधी बजट है जो आज की कठिन परिस्थिति में सामाजिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की उपेक्षा करता है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रेल स्वयं में एक बड़ा उद्योग है। परन्तु इस बजट में आम लोगों के हित को इस प्रकार उपेक्षित किया गया है कि यह बजट महान कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर के शब्दों में आम लोगों को यह बताता है।

"प्रभात आजी मुदेचे आखी
बातास पिता एतेचे ढ़ाकी
नीलज नील आकाशा ढ़ाकी
निबुद मेके दिलो मेले।"

इसका अर्थ है कि आज, सुबह ने अपनी आंखें बंद कर ली है; तीव्र पूर्वी हवा की हठीली आवाजों पर ध्यान न देते हुए और हमेशा जागे रहने वाले नीले आकाश पर एक घना परदा खिंच गया है।

महोदय, बजट में देश की तत्कालीन रेल मंत्री हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी द्वारा विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में घोषणा की गई सभी परियोजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। देश के सभी वर्गों के लोगों ने बजट का जोरदार विरोध और निंदा की है। हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि काफी लंबे समय से भारत महंगाई के दबाव में बढ़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहा है। मूल्य वृद्धि हमारे लिए बहुत दुखदायी हो गई है। आम लोगों पर अधिक दबाव डालने वाली रेल किराए में हाल ही में हुई वृद्धि के बावजूद रेल टिकट आरक्षण शुल्क बढ़ा दिया गया है। जबकि तत्कालीन रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने अपने तीन लगातार रेल बजट में किसी भी यात्री किराए में वृद्धि किए बिना भारतीय रेल की अच्छी वित्तीय स्थिति बनाए रखी थी।

महोदय, अब मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल में वंचन के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। इस रेल बजट 2013-14 में पश्चिम बंगाल को बुरी तरह से उपेक्षित किया गया है। सबसे पहले नंद कुमार से मोयना के लिए नई रेलवे लाइन के लिए एक शब्द नहीं कहा गया जिसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; नंदीग्राम से हिजली पोखाबा वाया हेलिनधाम; दनकुनी से फूरफूरा; जंगलमहल क्षेत्र में बेलदा से नारायणगढ़; भदुतोला से हरग्राम वाया लालगढ़; चंद्रनगर से बक्खाली; इरफाला से घाटल; बोगांव से पोमहेश्तला; बांकुरा से पुरुलिया और जॉयनगर से दुर्गापुर।

दूसरी बात, झारग्राम से पुरुलिया, मिदनापुर से झारग्राम के बीच एमईएमयू सेवाएं शुरू की जानी थी पर इस बजट में इन परियोजनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

तीसरी बात, धुरियारीशरीफ से कैनिंग, मगराहार से डायमंड हार्बर के लिए दोहरी लाइन का कार्य 2011-12 के बजट प्रावधान के अनुसार लिया जाना था परंतु मुझे नहीं पता कि क्या ये परियोजनाएं रोक दी जाएंगी क्योंकि बजट 2013-14 में इन परियोजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

चौथी बात यह है कि कोलकाता मेट्रो केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश के लिए भी गर्व का विषय है। अत: मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है कि इस रेलवे बजट में माननीय रेल मंत्री द्वारा कोलकाता मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए सौतेला रवैया अपनाया गया है। 2011-12 और 2012-13 के रेल बजट में आवंटित किए गए क्रमश: 6000 करोड़ रुपए और 4000 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे बजट में इस वृहत परियोजना के लिए केवल 475 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। वास्तव में, यह भारतीय रेल की इस प्रकार की सार्थर और व्यवहार्य परियोजना के लिए अवरोध पैदा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

पांचवी यह कि नंदीग्राम क्षेत्र में झेलिनघाम में सेल और राज्य सरकार के सहयोग से एक 'रेल उद्योग पार्क' स्थापित किया जाना था। कांचरापाड़ा, दानकुनी के लोकोमोटिव कोच फैक्ट्री स्थापित की जानी थी। महा कवि और लेखक बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय की स्मृति में नैहाटी में एक कोचिंग टर्मिनल और संग्रहालय स्थापित किया जाना था। पर इस रेल बजट 2013-14 में इन परियोजनाओं के लिए कोई पहल नहीं की गई है।

छठी यह कि जाहिर है यह प्रसन्नता की बात है कि हाल्दिया में एक डीईएमयू परियोजना 90 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी है। माननीय रेल राज्य मंत्री पहले ही स्थल का दौरा कर चुके हैं परंतु इस परियोजना के लिए केवल 10 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोई धनराशि अनुमोदित नहीं की गई है और यदि की भी गई है तो वह इतनी कम है कि कांचरापाड़ा, बुडगबुडग, बुनियादपुर, नोआपाड़ा की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बहुत कम है। *[हिन्दी]* इतना बड़ा भेदभाव बंगाल के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार माननीय रेल मंत्री जी और कांग्रेस ने यह काम बंगाल के साथ किया है। *[अनुवाद]* इस प्रकार न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि असम, बिहार, और देश के सम्पूर्ण पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ किए गए वंचन की एक लंबी सूची है। यह बजट केवल रायबरेली, केवल अमेठी के लिए है केवल चंडीगढ़ के लिए है और कुछ नहीं। इस बजट में सारा देश वंचित है।

इसके बावजूद, इस केन्द्रीय रेल बजट, 2013-14 में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण पर बल नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वालों के परिवारों, पत्रकारों, बेरोजगार, युवाओं के हितों को नजरअंदाज किया गया है। इस बजट में उन्हें उपयुक्त महत्व नहीं दिया गया है। 2013-14 रेल बजट का भाव इतना व्यापक नहीं है कि उसमें देश के सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों को शामिल किया जा सके। परन्तु तत्कालीन रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी द्वारा पेश किया गया बजट पद दलित और आम लोगों के साथ समान दृष्टिकोण को देखते हुए इससे कहीं अधिक दूरदर्शी और लोकप्रिय था।

महोदय, हमारे देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए देखें तो 50 प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। इस कारण मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस बजट का जोरदार विरोध करता हूं। यह रेल बजट आम और पददलित लोगों के लिए नहीं है। पददलित लोगों की ओर से मैं केन्द्रीय रेल मंत्री जी को महान बांग्ला कवि काजी नजरूल इस्लाम की दो पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं:

"तोमार कोल्लान दीप जोलीलों ना
दीप नेभा बेरा देवा गेहो।"

अर्थात् अंधेरी सीमित कुटिया में तुम्हारा वरदान दीप नहीं जला।

अपनी पार्टी की ओर से मैं यूपीए-II द्वारा पेश किए गए इस जन विरोधी रेल बजट 2012-13 का पूर्णतः विरोध करता हूं।

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं वर्ष 2013-14 के रेल बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा विरोध अकारण नहीं है। महोदय, इस साल के रेलवे बजट ने रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले लोगों पर तथा हमारे देश के 'आम आदमी' पर भारी बोझ डाला है।

महोदय, पिछले वर्ष 2012-13 के रेल बजट में, तत्कालीन रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी को सच बोलने के कारण अपने पद का त्याग करना पड़ा था, रेलवे की मरणासन्न स्थिति थी, उनके पूर्ववर्ती द्वारा अर्थव्यवस्था को दिया गया आसार बिलकुल भी लोकप्रिय नहीं था, भारतीय रेल को बदत्तर स्थिति में पहुंचा दिया गया था। परतु संप्रग-2 सरकार में राजनैतिक समीकरणों में बदलाव के साथ आर्थिक परिदृश्य में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ।

मेरे सम्मानित साथी श्री पवन कुमार बंसल ने पिछली लोकप्रियता की भ्रांति को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु गलत दिशा में। संप्रग-2 सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं ताकि उनका दूसरा सबसे बड़ा साझेदार रेलवे को अपनी जर्मीदारी के तौर पर प्रयोग कर सके; ताकि वह रेलवे के पैसे को केवल राजनैतिक लाभ के लिए मनमाने ढ़ंग से प्रयोग कर सके न कि पिछले तीन वर्षों में रेलवे के विकास के लिए। इसके परिणामस्वरूप रेलवे की स्थिति दिवालिया जैसी हो गई है।

मैडम ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान, अन्य प्रभारों के साथ-साथ मालभाड़ा प्रभार 21 प्रतिशत की दर पर चुपचाप बढ़ गया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. रामचन्द्र डोम : इस बार भी, बंसल जी ने गलत दावा किया कि रेलवे ने किराया नहीं बढ़ाया है। फिर से रेलवे बजट से केवल दो महीने पहले—संसद की अनदेखी करके—उन्होंने यात्री किराए में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की तथा बजटीय अनुमान से लगभग 6,600 करोड़ रु. की कमाई की।

अब, इस बार, मूल किराए में कोई परिवर्तन नहीं किया गया परंतु अन्य शुल्कों में 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई। आरक्षण शुल्क में 25 रु. की; सुपर-कास्ट रेलगाड़ियों के लिए संपूरक प्रभार में 25 रु. की; रद्द करने के प्रभार में 50 रु. की; तथा तत्काल शुल्क में 100 रु. की बढ़ोत्तरी की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि आम आदमी पर 483 करोड़ रु. का अतिरिक्त बोझ आ गया। मालभाड़ा प्रभार में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई। मालभाड़ा दरों में 4,200 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। इसमें आवश्यक सामग्री जैसे कि कोयला, लोहा तथा इस्पात, अनाज तथा दालें, यूरिया, डीजल, मूंगफली तेल, रसोई गैस सिलेंडर, आदि शामिल होंगे जिससे इसके क्रमिक प्रभात के कारण समग्र मुद्रास्फीति दबाव में और बढ़ोत्तरी हुई।

महोदय, तत्कालीन एआईटीएमसी रेल मंत्री द्वारा पिछले बजट में ईंधन समायोजन घटक को पहली बार प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में, इस बजट में, बहुआयामी एफएसी के अंतर्गत एक प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अनुसार किराए तथा मालभाड़ा दरों में आवधिक संशोधन किए जाएंगे, शायद, वर्ष में दो बार जिसमें हालिया वृद्धि के साथ ईंधन लागत को शामिल किया जाएगा। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में डीजल के दामों में 1.24 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसका भी क्रमिक प्रभाव पड़ेगा।

तत्पश्चात्, महोदय, इस बजट प्रस्ताव में रेल टैरिफ प्राधिकरण के बारे में बात की गई है — पहले इसे तत्कालीन रेल मंत्री ने भी प्रस्तावित किया था — एक स्वतंत्र रेल टैरिफ प्राधिकरण जो रेलवे बोर्ड तथा रेल मंत्रालय के अधीन नहीं होगा, जो भविष्य में मालभाड़ा तथा टैरिफ संरचना पर निर्णय लेगा तथा जो मालभाड़ा तथा यात्री भाड़े में लगातार बढ़ोत्तरी के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और जो भारतीय रेल की सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं उठाएगा।

रेल बजट में वित्तीय संकट से उबरने के लिए कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं जो भारतीय रेल को प्रभावित कर रहा है। विगत तीन वर्षों में परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर, विज्ञापनों पर व्यय करके, शिलान्यास समारोह तथा तथाकथित अन्य लोकप्रिय बनाने वाले क्रियाकलापों पर व्यय करके जानबूझकर संकट उत्पन्न किए गए थे।

महोदय, अब मैं आधारभूत संरचना के विस्तार की बात करता हूं। मंत्री महोदय ने पहले ही खुलकर बताया कि संसाधनों की भयंकर कमी के कारण नई लाइनों के लिए लक्ष्य की प्राप्ति 700 कि.मी. से कम करके 470 कि.मी. कर दी गई है जो इस वर्ष के लक्ष्य से 230 कि.मी. कम है।

इसी प्रकार, आमान परिवर्तन में, 800 कि.मी. का लक्ष्य था। इसे कम करके 575 कि.मी. कर दिया गया है, जो इस वर्ष के लक्ष्य से 225 कि.मी. कम है।

महोदय, रेलवे स्टॉक के आबंटन तथा अधिग्रहण को केवल प्रचालन अनुपात घटाने के लिए कम किया गया है। पहले प्रचालन अनुपात लगभग 95 प्रतिशत था। अब, उन्होंने इसे 87.8 प्रतिशत दर्शाया है। इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा यह प्रश्न समझ से परे है।

नई लाइन का लक्ष्य केवल 500 कि.मी. तय किया गया है। स्वाधीनता से पहले, ब्रिटिश काल के दौरान, 57,000 कि.मी. की भारतीय रेल थी। परंतु स्वाधीनता के पश्चात्, पिछले 65 वर्षों के दौरान, हमने केवल 64,490 कि.मी. की प्राप्ति की है। यही हमारी प्राप्ति है। यही वास्तविक स्थिति है। यदि रेलवे अपना लक्ष्य इस प्रकार से तय करता है तो हमारे देश में दूर-दराज को जोड़ना लगभग असम्भव है।

महोदय, आमान परिवर्तन केवल 450 कि.मी. है। वर्ष 2013-14 के वार्षिक योजना परिव्यय में, प्रस्तावित योजना निवेश 63,363 करोड़ रु. का है सकल बजटीय समर्थन से संसाधन संघटन 26,000 करोड़ रु. का है; सड़क सुरक्षा निधि में रेलवे का हिस्सा 2,000 करोड़ रु. का है तथा आंतरिक संसाधन उत्पत्ति केवल 14,260 करोड़ रु. की है। मंत्री जी को 15,103 करोड़ रु. के बाजार ऋण पर निर्भर रहना होगा तथा 6,000 करोड़ रु. पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) माध्यम से आएगा। मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि मंत्री जी ने दोहरीकरण, सुरक्षा तथा यात्रियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। हम इस का स्वागत करते हैं परंतु वार्षिक योजना लक्ष्य दर्शाए गए अनुमान से मेल नहीं खा रहा है। वार्षिक योजना लक्ष्य पर्याप्त नहीं था क्योंकि पीपीपी असफल रहा है। विगत में पीपीपी मॉडल द्वारा एक भी निवेश नहीं किया गया है। यह भारतीय रेल के निजीकरण का स्पष्ट संकेत है।

मालभाड़ा के लक्ष्य को बढ़ाया गया है परंतु वैगनों के अधिग्रहण के लक्ष्य को 2000 तक कम किया गया है, जिससे मालभाड़ा लक्ष्य

प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। यह केवल प्रचालन अनुपात को 87.8 प्रतिशत तक कम करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार, रेलवे सुरक्षा तथा संरक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या के गंभीर बढ़ोत्तरी हुई है। इन दिनों चोरी, डकैती, छीना-झपटी तथा यहां तक कि यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी हो रही हैं।

महोदय, यात्री यातायात तथा राजस्व के लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है जब यात्री कोच लोकोमोटिव अधिग्रहण योजना को कम किया गया है? इस संबंध में, मैं न केवल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं बल्कि जंगली पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी। हाल ही में, मैंने पाया कि जंगली पशुओं की सुरक्षा भी खतरनाक स्तर तक बाधित हुई है। विशेषकर, उत्तरी-सीमांत रेलवे स्टेशन में, वर्ष 2004 से अब तक, मेरे राज्य के दुआर वन क्षेत्र में, लगभग 39 हाथी रेलगाड़ी की टक्कर से मारे गए। इसलिए, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

डॉ. रामचन्द्र डोम : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं।

महोदय, यह क्षेत्रीय असंतुलन हैं, जिन्हें काफी कम किए जाने की आवश्यकता है। सैंकड़ों परियोजनाएं, विशेषकर हमारे देश के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वर्षों से लटक रही हैं। इन्हें पर्याप्त वित्तीय आबंटन के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आरंभ करना है। यहां मैं एक उदाहरण दूंगा। पूर्व-सीमांत रेलवे में, एक लगभग 400 किमी. की दोहरीकरण परियोजना जो सिलचर के लैमडिंग वाया बदरपुर तथा अगरतला से लुमडिंग वाया बदरपुर 14 वर्षों से भी अधिक समय से लटक रही है। यदि इस परियोजना को पूरा कर लिया जाता है तो इससे तीन राज्य - असम, त्रिपुरा तथा मणिपुर जुड़ जाएंगे। मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए ताकि इसे समयबद्ध ढंग से लागू किया जा सके।

महोदय, अंत में, मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। यह भर्ती के विषय में है। वर्ष 2009 में संप्रग-दो के पहले रेलवे बजट में, तत्कालीन रेल मंत्री ने इस सदन को आश्वस्त किया था कि युवाओं के लिए रिक्तियां भरने के साथ-साथ लगभग 10 लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा। हमारे दो उत्तरोत्तर रेल मंत्रियों ने भी इसका वादा किया। परंतु आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। वे पिछले साढ़े तीन सालों से प्रक्रिया को केवल खींच रहे हैं।

महोदय, वर्तमान रेल मंत्री ने अ.जा./अ.ज.जा. तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिए 47,000 मामलों की पिछली रिक्तियों को भरने के साथ-साथ 1.52 लाख भर्ती का भी वादा किया है।

सभापति महोदय : डॉ. डोम, कृपया समाप्त करें।

डॉ. रामचन्द्र डोम : हां, महोदय। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ...*(व्यवधान)*

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि समस्त रिक्तियां भरने सहित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और सामाजिक रूप से पिछड़े और हाशिए पर आए लोगों के पूरे बैकलॉग को भरें।

अंत में, मैं अपने राज्य की परियोजनाओं के बारे में दो सुझाव दूंगा।

सभापति महोदय : नहीं।

श्री वैजयंत पांडा, अब आप बोलना शुरू करें।

श्री वैजयंत पांडा : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोम : महोदय, रेल मंत्री चालू सिउरी-प्रांतिक नई रेल लाइन के बारे में जानते हैं। इस परियोजना पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद, सैंथिया-कांदी नई लाइन बारास्ता चौरीगाछा को भी शीघ्र पूरा किया जाए। बोलपुर-शांतिनिकेतन स्टेशन के समीप लालपूल पर आरओबी का कार्य भी तत्काल शुरू किया जाए।

सभापति महोदय : डॉ. डोम अपनी सिफारिशों के बारे में आप मंत्री जी को लिखित में दे सकते हैं। यह ठीक रहेगा।

डॉ. रामचन्द्र डोम : महोदय, सिउरी में हटजन बाजार समपार पर भी रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पांडा, आप अपनी बात जारी रखे।

श्री वैजयंत पांडा : महोदय, हम दोनों एक ही समय पर नहीं बोल सकते...*(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोम : पंडाबेश्वर-पालास्थली खंड पर रेल सेवाओं को तत्काल पुनः आरंभ किया जाए...*(व्यवधान)*

श्री वैजयंत पांडा : महोदय, मेरे विचार से, वे कोलकाता में अपने मतभेद सुलझा सकते हैं।

सायं 7.00 बजे

डॉ. रामचन्द्र डोम : नव उदारवादी नीतिगत ढांचे के अंतर्गत बनाए गए रेल बजट 2013-14 में, बोझ बढ़ाने और सेवाओं तथा सुविधाओं में कमी के अलावा जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं रेल बजट की आलोचना करता हूं और रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि भाड़े और शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लिया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं रेल बजट का विरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप मंत्री रह चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया आप बैठ जाएं। मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय : अब, श्री वैजयंत पांडा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मुझे आवेश दिला रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। सर्वप्रथम आपको शिष्टाचार मालूम होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपनी शर्तें न रखें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन की बैठक आठ बजे तक चलने का निर्णय लिया गया है। हम 'शून्य काल' में चर्चा करेंगे या नहीं इसका निर्णय बाद में लिया जाएगा। अब, कृपया श्री पांडा को बोलने दें।

श्री वैजयंत पांडा : महोदय, रेल बजट के संबंध में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : उनके बोलते समय बीच में व्यवधान न डालें। उन्हें बोलने दें। श्री पांडा, आप बोलें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। चर्चा के समय सदन को बाधित न करें। आप वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं।

श्री वैजयंत पांडा (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, कुछ पूर्व माननीय सहयोगियों ने इस बारे में प्रश्न उठाए हैं कि रेल बजट पर संसद में अलग से चर्चा की औपनिवेशिक परंपरा को हम क्यों ढो रहे हैं। मुद्दा यह है कि यह केवल औपनिवेशिक परंपरा की बात नहीं है बल्कि बात यह है कि रेलवे साधारणतया अन्य परिवहन क्षेत्र जैसा नहीं है। हमारे पास विमानसेवाओं के लिए बजट नहीं है। हमारे पास सड़क परिवहन के लिए बजट नहीं है। रेलवे हमारे राष्ट्र के विकास में अनिवार्य भूमिका निभाता है और देश रेलवे से उम्मीद करता है। ये अर्थव्यवस्था के इंजन के सर्वाधिक अनिवार्य पहियों में से एक है।

इसलिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो। अन्य सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हमारे सर्वाधिक वंचित लोगों को आधारभूत पहुंच, मूलभूत संपर्क उपलब्ध कराना है। परंतु अक्सर जब हम क्षेत्रीय असंतुलन की बात करते हैं जिसके बारे में हमारे कुछ सहयोगियों ने बात की है, हमें घिसा-पिटा उत्तर मिलता है कि रेलवे के पास निधियां नहीं हैं। इसलिए, यह उन क्षेत्रों में निवेश नहीं कर पाती। दुर्भाग्यवश, मेरे कुछ सहयोगियों की तरह मैं कोई कवि नहीं हूं। मैं शायरी नहीं पढ़ सकता परंतु एक विनम्र इंजीनियर के रूप में, मैं कुछ आंकड़े दूंगा। मैं स्वयं रेल मंत्रालय के ही कुछ ठोस तथ्य दूंगा जो ये बताएंगे कि ये इस राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं और सबसे दुखद बात यह है कि ऐसा नहीं है कि धनराशि उपलब्ध नहीं है बल्कि ये सामान्य बुद्धिमत्ता का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इन प्रयोजनों के लिए धनराशि का प्रयोग कर रहे हैं।

मैं शीघ्र ही इस विषय पर आऊंगा। एक बहाना यह दिया जाता है कि कई वर्षों से क्षेत्रीय दलों के पास रेलवे मंत्रालय (पोर्टफोलियो) है। विडंबना यह है कि वही क्षेत्रीय दल आज शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें इस बजट में अच्छा नहीं मिला है। मैं यह उल्लेख करना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहता हूं कि देश के कुछ ऐसे भाग हैं जिनको वस्तुत: छोड़ दिया गया है और हम आशा कर रहे थे कि – शायद, संभवत, यह तर्क सही था कि अब जबकि तथाकथित राष्ट्रीय दल के पास ये पोर्टफोलियो है, हमें समुचित न्याय मिलेगा। परंतु, मैं आपको दिखाऊंगा, महोदय कि ऐसी बात नहीं है और वास्तव में हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है।

मैं अपने गृह राज्य ओडिशा का उदाहरण देना चाहता हूं, अपनी प्रान्तीयतावाद के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि इससे बड़े स्पष्ट रूप से इस अनदेखी, इस भेदभाव और सबसे अधिक, इस व्यावहारिक निर्णय की कमी का पता चलता है कि क्या इन प्रयोजनों के लिए धन उपलब्ध है, जो कि नहीं किया जा रहा है। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि ओडिशा का रेल घनत्व, जो कि, प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेलमार्ग (ट्रैक) किलोमीटर होता है, राष्ट्रीय औसत से लगभग 30 प्रतिशत कम है और जबकि ये उन राज्यों से घिरा हुआ है जहां के रेल मंत्रियों के पास ये मंत्रालय पोर्टफोलियो था और उनका राष्ट्रीय औसत अधिक है।

हम आशा करते हैं कि ऐसे क्षेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए विशेषकर क्योंकि ओडिशा राज्य के आठ जिलों में किसी भी प्रकार की रेल सेवा नहीं है। ये मुख्यत: जनजातीय जिले, आदिवासी जिले हैं, जहां हमारी सर्वाधिक वंचित जनता रहती है और जहां रेल लाइन बिछाया जाना राष्ट्रीय उद्देश्य है। ये वो जिले हैं जिनमें माओवाद और नक्सलवाद है क्योंकि हमारा एकमात्र प्रयास बंदूक से इनको नियंत्रित करने के लिए है। हालांकि हम कहते हैं कि हम विकास लाना चाहते हैं, हम इन जिलों में सर्वाधिक मूलभूत विकास भी नहीं ला पा रहे हैं, जो कि रेलवे है।

महोदय, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि माननीय रेल मंत्री यहां सदन में उपस्थित हैं– जब उनके दल के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ने ओडिशा के दौरे पर आदिवासियों को, विशेषकर ओडिशा के आदिवासियों को यह आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली में उनके प्रहरी होंगे; वे दिल्ली में उनके गुप्तचर होंगे, और फिर भी इन जिलों को स्पष्ट रूप से लगभग कुछ भी नहीं मिला है, शून्य के बराबर... *(व्यवधान)*

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि वे हमें तर्क देते हैं कि धनराशि नहीं है; लोगों के दबाव के कारण यात्री भाड़े में वृद्धि नहीं की जा रही है और हम देख सकते हैं कि प्रति वर्ष यात्री खंड पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की हानि हो रही है, जिसे मालभाड़ा खंड से पूरा किया जाता है। वस्तुत: वे मालभाड़ा खंड से इतना अधिक प्रभारित कर रहे हैं कि कुछ सीमा तक कुछ क्षेत्र अव्यवहार्य बन गए हैं परंतु वे मालभाड़े से काफी धनराशि प्राप्त करते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। ये देश के वे हिस्से हैं, विशेषत: ओडिशा के वे भाग विशेषकर मलकानगिरी, कोरापुट और बोलंगीर जैसे जिले, जहां माल ढुलाई के अवसर मौजूद हैं, जहां खनिजों की खानें हैं और जहा औद्योगिक निवेश हो रहा है। रेलवे इस बारे में अवगत है। यह वह क्षेत्र है जहां रेलवे को सर्वाधिक लाभ होता है।

मेरे पास ओडिशा से संबंधित आंकड़े हैं। वे अर्जित की गई कुल आय के 14,000 करोड़ रुपए अर्जित करते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां उनको इतना लाभ हो रहा है और जहां सामाजिक लक्ष्य है क्योंकि यहां आदिवासी हैं, जहां पर माओवाद है और जहां सभी वंचित लोग हैं। यहां आप आशा करते हैं कि 14,000 करोड़ रुपए की सकल आय में से, वे कम-से-कम 1,000 करोड़ रुपए यहां निवेश करें। हमीरपुर से मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि हमें 4,000 करोड़ रुपए की आशा करनी चाहिए। महोदय, राज्य ने 3,050 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन हमें केवल 800 करोड़ रुपए ही मिले। यह बड़ी ही दयनीय स्थिति है। अत:, वास्तविकता यह है कि इन क्षेत्रों से धन अर्जित किया जा रहा है; इन क्षेत्रों में वंचित लोग रहते हैं लेकिन इन आठ जिलों के करीब एक करोड़ आदिवासियों की रेल तक पहुंच नहीं है। आप वहां से लाभ कमा रहे हैं लेकिन आप वहां पुनर्निवेश नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार, यह वास्तव में दु:खद है।

मैं कुछ अन्य उदाहरण देता हूं। हम पश्चिमी और दक्षिणी अर्थात् ओडिशा के आदिवासी हिस्सों के बीच संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तटीय क्षेत्र जो अधिक विकसित है, में खुर्दा-बोलंगीर रेल परियोजना है, जो अनेक वर्षों से चल रही है, और लोग यह भी भूल चुके हैं कि यह कितने दशकों से चल रही है। इस वर्ष, उन्होंने अपेक्षित बजट का केवल तीन प्रतिशत आबंटित किया है। इस प्रकार इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं, में से किसी का प्रभाव पड़े उनमें से किसी को पूरा करने की कोई गंभीरता नहीं है।

मैं आपको एक अन्य उदाहरण देता हूं। मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र, केन्द्रपाड़ा, रेलवे की उस योजना का हिस्सा रहा है जो इन कतिपय खनन जिलों को पत्तनों से जोड़ेगी। यह योजना उन कतिपय जिलों को, जहां उद्योग हैं—मेरे निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रपाड़ा में कोई उद्योग नहीं है—पत्तनों के साथ जोड़ेगी। यह परियोजना अनेक वर्षों से लंबित पड़ी है क्योंकि इस 'पीपीपी मोड' में रखा गया है और इसके लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई। इस वर्ष केवल सात प्रतिशत, अर्थात्

[श्री वैजयंत पांडा]

72 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। यदि इस परियोजना के लिए राशि आवंटित की गई होती तो इससे उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ होता जैसे उन्हें ओडिशा के अन्य भागों और संबंधित क्षेत्रों से हो रहा है।

वे वहां निवेश करने का एक सामान्य समझ वाला निर्णय नहीं ले रहे, जहां अत्यधिक प्रतिफल है, जहां यह हमारी आर्थिक वृद्धि हेतु औद्योगिकीकरण के लिए अवंसरचना निर्माण का राष्ट्रीय हित पूरा करे और जहां यह हमारे वंचित लोगों के हितों की रक्षा करे। यही कारण है कि जब सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने ऐसा बजट कभी नहीं देखा, तो मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि मैंने ऐसा बजट कभी नहीं देखा।

पहले मैं, समझता था कि क्षेत्रीय दबाव के आरोप लगते थे और यही कारण है कि हमारे जैसे क्षेत्र छूट जाते थे। लेकिन आज, जब सत्ता एक कथित रूप से राष्ट्रीय दल के पास है तो, हमें ज्यादा निष्पक्षता की आशा करनी चाहिए, हमें ज्यादा न्याय की आशा करनी चाहिए; हमें सामान्य समझ की उम्मीद करनी चाहिए। यहीं पर रेलवे ज्यादा लाभ अर्जित कर सकती है और राष्ट्रीय हित को पूरा कर सकती है। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि मैं उन विभिन्न कार्यों पर नजर डालूं, जो रेलवे करने का प्रयास करता रहा है, तो मुझे इससे बेहतर की उम्मीद थी।

माननीय मंत्री का मैं अत्यधिक सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे उनसे कुछ बेहतर की आशा थी। रेल बजट प्रस्तुत करते हुए, कायापलट परिदृश्य में उन्होंने इंगित किया कि रेलवे जिस स्थिति में है उसकी वित्तीय स्थिति पिछले कुछ महीनों में उम्मीद से बेहतर रही है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि रेलवे ने 2012-13 के दौरान न तो मानसून सत्र में और न ही शीतकालीन सत्र में, अनुपूरक अनुदानों की कई मांगें प्रस्तुत की गई। ऐसा कहने के पश्चात् पिछले सप्ताह ही बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने न केवल 2,800 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया बल्कि एक पूर्ववर्ती वर्ष 2010-11 के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त अनुदानों का प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया। हेराफेरी के आरोप लगाए जा रहे हैं और यही हेराफेरी है। आप सदन में वक्तव्य देते हैं कि रेलवे बेहतर स्थिति में है। इसे वित्तीय हेराफेरी कहा जाता है। वित्तीय हेराफेरी कोई भी कर सकता है, लेकिन माननीय रेल मंत्री जैसे लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर मुझे बेहतर उम्मीद होती है।

मेरे माननीय मित्र, कालाहांडी से माननीय सदस्य, उन आठ जिलों के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बड़ी संख्या में आदिवासी हैं लेकिन वहां रेल सुविधा नहीं है। महोदय, कालाहांडी की एक परियोजना का उल्लेख हुआ है। लेकिन, यदि आप पीछे देखें तो पाएंगे कि यह वही परियोजना है, जिसका उल्लेख पिछले तीन वर्षों से हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो रहा। गत तीन वर्ष के दौरान तीन अलग-अलग रेल मंत्री एक ही परियोजना का उल्लेख करते रहे हैं लेकिन यह शुरू नहीं हो पा रही है। भारत के लोग और ओडिशा के लोग...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : महोदय, बार-बार कहने के बावजूद राज्य सरकार भूमि नहीं दे रही है।

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दें। आपकी अपनी बारी आने पर उत्तर दे सकते हैं।

श्री वैजयंत पाडा : महोदय, मुख्य मुद्दा परियोजना के लिए किए गए आबंटन का है। यदि आप परियोजना की लागत का तीन प्रतिशत अथवा सात प्रतिशत आबंटन करते हैं, तो यह मुद्दा ही नहीं है कि भूमि उपलब्ध है या नहीं और इसका कोई अर्थ नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा।

विषय यह है कि बजट में कुछ उपाय किए गए हैं जिन पर मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। जो तर्क मैं ओडिशा के लिए दे रहा हूं वही आप सीमा क्षेत्रों के लिए भी दे सकते हैं। कुछ प्रयास किए गए हैं और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लाइनों का विस्तार हुआ है और मैं उसका स्वागत करता हूं। अरुणाचल प्रदेश अब रेल नेटवर्क का हिस्सा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ओडिशा के 'केबीके' जिले अरुणाचल प्रदेश से कम पिछड़े नहीं हैं। हमारे लोग अधिक वंचित हैं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि अब जम्मू और कश्मीर को प्राथमिकता दी जा रही है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे एक करोड़ आदिवासी लोगों की रेल तक पहुंच नहीं है। आप उन्हें अलग-थलग रूप में नहीं देख सकते और यह नहीं कह सकते कि आप उचित और अच्छा कार्य कर रहे हैं। तथ्य यह है कि हम जानते हैं कि रेलवे कई वर्षों से चुनौतियों का सामना कर रही है। जिनके बारे में मैंने उल्लेख किया है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप राजनीतिक ढंग से समाधान नहीं कर सकते हैं।

यह दर्शाने के लिए कि किस प्रकार तार्किक निवेश की उपेक्षा की गई है, मैंने बार-बार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ये तार्किक हैं क्योंकि

यह आपको तुरंत प्रतिफल देते हैं, वे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं और वे हमारे समाज के वंचित वर्गों को पहुंच, संपर्क और गतिशीलता प्रदान करते हैं। फिर भी, महोदय, आप जानते हैं कि देश के कतिपय हिस्सों का विशेषकर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों अथवा महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों (वीआईपी) क्षेत्रों को परियोजनाएं दी गई है और बजट में एक, दो अथवा तीन बार नहीं बल्कि चार बार उल्लेख किया गया है। इसी बात से संकेत मिलता है कि आपको न्याय नहीं, एक राजनीतिक संदेश मिला है और यह संदेश गले से नहीं उतरता। यह महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों के हितों की पूर्ति कर सकता है लेकिन यह ओडिशा जैसे राज्यों के हितों की पूर्ति नहीं कर सकता, इससे देश के शेष भागों के हितों की पूर्ति नहीं होगी। मैं माननीय रेल मंत्री से, इन कुछ गंभीर शिकायतों का संज्ञान लेने और उनका समाधान करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री श्री बंसल साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं शिव सेना की ओर से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनसे मैं जनवरी के महीने में जाकर मिला था और हमारी मराठवाड़ा की और मेरे क्षेत्र की जो भी समस्या थी, उस समस्या से उनको अवगत कराया था। मुझे लगा कि रेलवे बजट में मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ मिलेगा और हम लोग पूरी उम्मीद लगाकर बैठे थे लेकिन इस रेल बजट में हमें कुछ भी नहीं मिला है और महाराष्ट्र के सारे सांसद नाराज हो गये। हम महाराष्ट्र के सारे सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी गये थे। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था।

महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रेवेन्यु, धनराशि देने वाला स्टेट है। महाराष्ट्र पर अन्याय होने लगा तो हमने प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि मैं रेलवे मंत्री से बात करूंगा। आपने मुम्बई के लिए क्या किया? सिर्फ 72 फेरीज लोकल में बढ़ाई। वहां एसी लोकल और एलीवेटिड प्रोजेक्ट के निर्माण की घोषणाा की, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। 60-70 लाख लोग मुम्बई की लोकल ट्रेन में अप डाउन करते हैं लेकिन उनके लिए कोई सुविधा और सुरक्षा नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, उपमुख्य मंत्री और सांसदों ने डिमांड की कि हमें महाराष्ट्र के लिए ये चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके कारण मुख्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद नाराज हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जबाव में इसे शामिल करेंगे।

महोदय, पुणे-नासिक रेल लाइन की बहुत दिनों से डिमांड है। और कल्याण और नगर बहुत महत्वपूर्ण रूट है, इसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। महाराष्ट्र का यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैंने जो लैटर दिया था लेकिन एक परसेंट ही समाधान हुआ। मनमाड़ से परभणी तक दोहरी लाइन करने की बात हुई थी, यह बात मानी गई। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। नरसापुर, नगरसोल से ट्रेन डेली कर दी, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। मेरा कहना है कि हमें जो चाहिए वह तो चाहिए ही है। मराठवाड़ा पहले निजाम में हैदराबाद स्टेट में था इसलिए यह साउथ सैंट्रल रेलवे में हैं। मराठी स्पीकिंग भाग मुम्बई से कलसर है इसलिए इसे सैंट्रल रेलवे में जाना चाहिए। इसका ताल्लुक सैंट्रल रेलवे से है। नांदेड़ डिवीजन धर्माबाद और मुदखेड़ से लेकर सैंट्रल रेलवे में होना चाहिए। इसे साउथ सैंट्रल रेलवे में नहीं होना चाहिए क्योंकि भाषा के हिसाब से मराठी स्पीकिंग एरिया होने के कारण सैंट्रल रेलवे में आना चाहिए। इस संबंध में मंत्रिमंडल में मोशन मूव हुआ है, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है और इसे आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी पास कर दिया है। मेरी विनती है कि नांदेड़ डिवीजन सैंट्रल रेलवे में किया जाए। इसके लिए आपको कैबिनेट के सामने जाना होगा इसलिए आप इसके लिए तैयारी कीजिए। कई वर्षों, से मराठवाड़ा के लोगों की मांग है कि वे साउथ सैंट्रल रेलवे में नहीं सैंट्रल रेलवे में आना चाहते हैं।

महोदय, अभी लालू प्रसाद जी यहां नहीं बैठे हैं। अनुराग जी ने उनका दो-चार बार उल्लेख किया है। मैं भी उल्लेख करना चाहता हूं। सैनिकों की डिमांड थी शोलापुर से जलगांव लाइन होनी चाहिए। प्रमोद जी का डिस्ट्रिक्ट बीड है, यहां अभी तक रेलवे लाइन नहीं है। शोलापुर, तुलजापुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है। यह लाइन शोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, बीड, पैठन, औरंगाबाद, अजंता, एलोरा जलगांव जानी चाहिए। इसमें टूरिस्ट धार्मिक स्थल आते हैं। हो सकता है किसी ने दूसरे रूट के बारे में कहा हो, मेरी विनती है कि आप इसे प्रेफरेंस दीजिए। लालू जी जब रेल मंत्री थे, तब रेल बजट में यह रूट आया था। आप इसका सर्वे इमीडिएटली कीजिए। दूसरा सर्वे रोटेगांव से पुनतांबा का है। यह पुनतांबा से शिरडी चालू है। इससे साउथ से सीधे शिरडी जा सकते हैं और महाराष्ट्र के लोग सीधा तिरुपति जा सकते हैं। इसलिए रोटेगांव से पुनतांबा को भी आप इसमें इनक्लूड कीजिए। इसमें कुल 30-35 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। यह बहुत अच्छा मार्ग है, यह सीधा तिरुपति से शिरडी कनैक्ट हो जायेगा। हमारी कई वर्षों से डिमांड है। साउथ के एम.पीज. ने भी हमें इस बारे में कई बार कहा था।

इसके अलावा मैं कहूंगा कि आज हमें कुछ ट्रेन्स की जरूरत है। मेरा क्षेत्र दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर है, यह बंसल जी को मालूम है। आदरणीय बंसल जी हमारे यहां दो-तीन बार आये हैं। मैंने उन्हें पिछली बार भी कहा था और इस बार भी मैं आपके माध्यम

[श्री चंद्रकांत खैरे]

से उनसे विनती करूंगा कि दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर में संभाजीनगर-औरंगाबाद मेरा क्षेत्र आता है, यहां दिल्ली से औरंगाबाद की एडब्ल्यूबी की राजधानी एक्सप्रेस होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर में सारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज आने वाले हैं। इसके अलावा मेरा क्षेत्र अजन्ता-एलोरा एक टूरिस्ट प्लेस है, यह धार्मिक क्षेत्र है, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल क्षेत्र होने के कारण आप इसकी घोषणा करेंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। भले ही आप तीन महीने या छह महीने में घोषणा करें या रेल बजट के उत्तर के भाषण में करें, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस आप वहां देंगे तो दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर को इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

इसी तरह से अहमदनगर-परली-बीड लाइन का कई बार उद्घाटन हुआ, अभी इस बार पचास करोड़ रुपये रखे गये हैं। पचास करोड़ और दस करोड़ ऐसा कब तक चलेगा। इस तरह से 2025 तक अहमदनगर-बीड-परली ट्रेन नहीं चल सकती। मेरी मंत्री जी से विनती है कि आप इसके लिए कुछ प्रयास कीजिए। आपने मुझसे कहा था कि पैसा नहीं है। आपको पैसे का बंदोबस्त कैसे करना है, वह भी मैं आपको बता दूंगा, हमारे महाराष्ट्र से ही आपको अच्छा पैसा मिल सकता है।

इसके अलावा जालना-खामगांव 165 किलोमीटर की दूरी है। 1990 और 1994 में दो बार इसका सर्वे हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यदि आप यह कार्य भी करा देंगे तो वहां के कपास उत्पादकों को बहुत बड़ी हैल्प हो सकती है। हमारे यहां दो-तीन ऐसी ट्रेन्स हैं जिन्हें डेली चलाना चाहिए। जैसे रामेश्वर-ओखा 16734 और 16733 डाउन ट्रेन डेली होनी चाहिए और हैदराबाद-अजमेर भी डेली होनी चाहिए।

इसके अलावा हमारे महाराष्ट्र के लोग एक सूत्र में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोल्हापुर, औरंगाबाद, संभाजीनगर, नागपुर, शिखरजी, पारसनाथ तक जाने वाले ट्रेन नहीं हैं, यह दीक्षाभूमि के लिए तक जाने वाली लाइन है, मेरा निवेदन है कि इसका भी निर्माण होना चाहिए।

इसके अलावा हमारे यहां औरंगाबाद-मुम्बई या नांदेड़-मुम्बई एक नाइट ट्रेन होनी चाहिए। इन दोनों में से आप कहीं भी एक ट्रेन चलाने की कृपा करें। यदि आप यह ट्रेन चलायेंगे तो यह बहुत प्रोफिटेबल रहेगी। इसके अलावा एक मंत्री जी के द्वारा सिकन्दराबाद-नांदेड़ गरीब रथ ट्रेन की जम्मू-तवी तक जाने के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। कृपया आप इस ट्रेन को चलाने की कृपा करें।

इसके अलावा आदिलाबाद-पुणे लातूर से जाती है, यह ट्रेन वीकली होनी चाहिए। बाद में फिर यह रूटीन में आ जायेगी। नांदेड़ जो नंदीग्राम एक्सप्रेस ट्रेन है, यह आदिलाबाद से जाती है, उसे नागपुर-अकोला तक करने की कृपा करें। इसके अलावा नागपुर-मुम्बई नंदीग्राम एक्सप्रेस की कुछ बोगियां बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे क्षेत्र मुम्बई से औरंगाबाद एडब्ल्यूबी तक की ट्रेन थी, फिर नंदीग्राम हुई और उसके बाद देवगिरि एक्सप्रेस हुई, फिर बढ़ते-बढ़ते आगे हैदराबाद तक गई। लेकिन हमारे यहां कोटा नहीं बढ़ा। हमारे यहां के पैसेंजर्स को वेटिंग में जाना पड़ता है, खड़े होकर जाना पड़ता है, चूंकि उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि नागपुर-मुम्बई जो नंदीग्राम एक्सप्रेस है, उसमें 17 बोगी लगती हैं, मेरा निवेदन है कि इस ट्रेन में 24 बोगी लगनी चाहिए। इसके बाद देवगिरि एक्सप्रेस में 21 बोगी की जगह 24 बोगी करने की कृपा करें। हमारे यहां से जो जनशताब्दी ट्रेन जाती है, उसमें 9 बोगियां हैं, उन्हें बढ़ाकर 17 बोगी किया जाए। नांदेड़ से मुम्बई तपोवन एक्सप्रेस जाती है, उसमें 21 बोगी हैं, उन्हें बढ़ाकर 24 बोगी किया जाए। सचखंड एक्सप्रेस में 22 की जगह 24 बोगी की जाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इसे लिखित में दें।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे : सर, वह हमने दिया है, लेकिन आज रिकॉर्ड में आने दीजिए। अब मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। नीतीश कुमार जी ने सन् 2003 में हमारे यहां का मॉडल स्टेशन करने का ऐलान किया था और उसका शिलान्यास भी किया था। उसके लिए 15 करोड़ रुपए मिलें तो वह मॉडल स्टेशन पूरा हो जाएगा। मैं एस्टिमेट कमेटी का मेंबर हूं। एस्टिमेट कमेटी में एक बार सब्जेक्ट निकला। रेलवे बोर्ड ने यह कहा कि वह स्टेशन पूरा हो गया है। तब मैंने उनको फोटोग्राफ दिखाए। अगर आपके ऑफीसर्स इतनी असत्य बातें आपके पास लाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आज मैं कहूंगा कि हमारा टूरिस्ट प्लेस है, इंडस्ट्रियल प्लेस है। यह सब होने की वजह से यह मॉडल स्टेशन होना चाहिए। अगर इन्होंने 15 करोड़ रुपये की राशि दी तो निश्चित रूप से हमारा स्टेशन मॉडल स्टेशन हो जाएगा। यह कहते हैं कि पैसा नहीं है। मेरे यहां आपकी दस एकड़ लैण्ड है। वह सैंट्रलाइज सिटी में है। पीछे तो आपने टेंडर निकाला था और टेंडर निकालने के बाद में फिर वह कैंसल कर दिया। आज उसके कम-से-कम 50-60 करोड़ रुपये तक आएंगे उसमें आप रोटे गांव से पुंतंबा और मेरा मॉडल स्टेशन भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं तो मेरे यहां से पैसे का निर्माण हो सकता है। ये हमेशा कहते हैं कि पैसा नहीं है तो मैं कहूंगा कि रेलवे की आज 1 लाख 13000 एकड़ लैंड पूरे हिंदुस्तान में खाली पड़ी है। आज

अर्बन एरिया में दस हजार एकड़ लैंड पड़ी है। अगर इन्होंने पीपीपी का प्रोजेक्ट प्लान किया तो निश्चित रूप से इनके प्रोजेक्ट के कारण जो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, वे पूरे हो सकते हैं। दस-दस साल तक सर्वे ही नहीं होता है। मैं कहूंगा कि सर्वे करने के लिए भी आप नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह सर्वे कीजिए, जो कि जल्दी होता है। अगर सर्वे लेट होगा तो काम भी नहीं होगा। आपको अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। मैंने अपने एरिया की जो ट्रेंस बढ़ाने को कहा है, वे प्रॉफिटेबल ट्रेंस हैं। इसमें रेलवे का लॉस नहीं होने वाला है। मेरी जितनी भी डिमांड हैं — मराठवाड़ा और मेरे क्षेत्र शंभाजीनगर-औरंगाबाद की मांग को पूरा कीजिए। आखिर में मैं कहूंगा कि हम लोग मंत्री जी के साथ जापान गए थे। वहां हम बुलेट ट्रेन में बैठे थे जो कि एक दम क्लीन एण्ड टाइडी थी। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने कार्यकाल में जापान जैसी बुलेट ट्रेन चालू करेंगे तो आपका बहुत नाम हो जाएगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, काबिल आदमी रेल मंत्री बने हैं, इसलिए इनसे हम ज्यादा अपेक्षा करते हैं। हमारी अपेक्षा है और हम सपना देखते हैं कि देश भर के जिले रेल से जुड़ जाएं? राज्यों की राजधानी, जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर सहित, नार्थ-ईस्ट के आठ राज्यों की राजधानी रेल लाइन से जुड़ जाएं, यह सपना हम देखते हैं। वह समह कब आएगा कि हमारे देश के सभी जिले रेल से जुड़ जाएं? श्री वैजयंत पांडा भाषण कर रहे थे कि आठ आदिवासी जिलों का रेल लाइन से कनेक्शन हुआ ही नहीं है। उन्हीं का ही नहीं, देश भर के सभी जिलों को, देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों को हम रेल लाइन से जोड़ेंगे। महोदय, अभी के समय में कोई कहता है कि पैसा नहीं है। यह विश्वसनीय बात नहीं है। विल पॉवर की जरूरत है। जो आप चाहेंगे वही होगा। पैसा कहीं कोई विघ्न नहीं होगा। मैं ऐसा भरोसा करता हूं। कोई कहे कि पैसा नहीं है तो यह विश्वास करने लायक बात नहीं है। इसलिए यह नक्शा बने।

महोदय, हमारा दूसरा सपना है कि दिल्ली में चेन्नई, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता द्रुत रेलगाड़ी चले। हम नाश्ता करें दिल्ली में और भोजन चेन्नई में करें। नाश्ता करें दिल्ली में और मुंबई में भोजन करें। बंसल जी की ट्रेन में चलकर हम ऐसा करें। हम ऐसा सपना देखते हैं। कोलकाता के श्री अधीर चौधरी जी हैं, मैं चाहता हूं कि यहां नाश्ता हो और भोजन हो कोलकाता में, इस तरह से द्रुत रेलगाड़ी चले, मैं यह सपना देखता हूं। मैं नहीं जानता हूं, फ्रेट कॉरीडोर बन रहा है, क्या बन रहा है, कब यह तेज चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, कब चलेगी, हमें लग रहा है कि जो बुलेट ट्रेन तीन-चार सौ किलोमीटर प्रतिघंटा चलती है, लगता था कि वह बहुत झूलती होगी। हम साउथ कोरिया में महामहिम राष्ट्रपति जी कलाम साहब के साथ गए थे। उस बुलेट ट्रेन में तीन-साढ़े तीन सौ किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से चले, लेकिन वह हिली भी नहीं। वह ट्रेन हवाई जहाज से कम नहीं है। वैसी ट्रेन यहां चले। पैखाना भी जाकर देखा, वहां कोई गंदगी नहीं थी, हवाई जहाज की तरह उसका टॉयलेट था। अपने यहां भी वैसा ही हो, यहां तो स्टेशन पर खड़ा होना मुश्किल है, प्लेटफार्म पर खड़ा होना मुश्किल है। कहीं भी रेलवे के किसी भी प्लेटफार्म पर जाइए, यदि कोई ट्रेन पहले से वहां लग गयी तो वहां नरक हो जाता है। यह अनुभूति चली है। हम लोग लड़ते थे कि रेल, जेल में क्लास तोड़ो थर्ड क्लास उसी पर खत्म हुआ। अब एक अनुभूति क्लास हुआ है, हम तो बहुत आश्चर्यचकित हैं। माननीय मंत्री अब हम लोगों को क्या अनुभूति कराना चाहते हैं? थोड़ा सा देश को और जागरुक होने दीजिए, क्या वह अनुभूति रहने देगा?

महोदय, मेरी एक प्रार्थना है। नई दिल्ली जंक्शन से एक संपूर्ण क्रांति ट्रेन शाम को चार या पांच बजे चलती है। वहां जाकर देखें कि लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए तीन घंटे पहले से लाइन में लगे हुए हैं। माननीय मंत्री जी वहां जाकर देखें। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। एक दिन आप दो से चार के बीच में समय निकालें और प्लेटफार्म पर जाकर देखें कि सिपाही के कब्जे में कितनी लंबी लाइन लगी हुयी है। तीन-चार घंटे तक बाल-बच्चा, जनानी लेकर, दिल्ली से पटना जाने वाली संपूर्ण क्रांति ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग खड़े होते हैं, तब आपको कैसे अनुभूति होती है? तब मैं बताऊंगा कि आपकी अनुभूति गाड़ी देखकर हमारी अनुभूति कैसी होती है?

महोदय, हमारी एक प्रार्थना स्वीकार की जाए। संपूर्ण क्रांति ट्रेन को एक बार देखने से समझ में आ जाएगा। चार घंटे तक लोग खड़े रहते हैं, कलेजा फट जाता है, गरीब आदमी उसमें बिस्तर, बस्ता, झोला लेकर, पउती, पटारी लेकर लाइन में लगा हुआ है। वह ट्रेन में चढ़ने के लिए चार-चार घंटे तक लाइन में लगा रहता है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता होगा, जैसा हमने देखा है। एक तरफ अनुभूति हो और उधर एक तरफ सहानुभूति हो, उसका क्या होगा? इसलिए मंत्री महोदय अनुभूति हमको जंचा नहीं, क्या अनुभूति आप हम लोगों को, जनता को कराना चाहते हैं? यही कि एक तरफ बहुत सुविधाभोगी, विलासिता, लग्जूरियस और एक तरफ जरूरत की चीजें भी नहीं हैं, साफ-सुथरा नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। देह से देह चिपक कर बैठे हुए हैं, कोई टॉयलेट जायेगा तो उसके लिए भी जगह नहीं है, ऐसे लोग देह से देह मिलाकर ट्रेन पर चढ़े रहते हैं। ऐसे में क्या अनुभूति होगी, हमको तो खराब अनुभूति हो रही है। अब किस विचार से वह अनुभूति हुई है, किसको नहीं अच्छा लगेगा, हमको ही अनुभूति में बिठा दीजिए, अनुभूति में बिठा देने से हमको खराब थोड़े ही लगेगा। किसी को मीठा अच्छा लगता है, अच्छा खाना सभी को अच्छा लगता

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

है, लेकिन उसी जगह किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए इस पर विचार किया जाये।

महोदय, पटना में एक रेल पुल बन रहा है। सुना कि वह वर्ष 2010 में चालू होगा, उसके बाद सुना कि वर्ष 2011 में चालू होगा, वर्ष 2012 में चालू होगा, अब वह कब चालू होगा, वर्ष 2012 बीत चुका है और अब वर्ष 2013 आ चुका है, वह दिघा रेल पुल है, वह रेल सह सड़क ब्रिज है। इधर दिघा घाट और उधर पहलेजा घाट। वह जो पुल पटना में है, वह महात्मा गांधी सेतू बूढ़ा हो गया है। कब वह बैठ जाएगा, मालूम नहीं। ऐसा ट्रैफिक होता है कि रोज महाजाम लगता है। 24 घंटे में 64 गाड़ियां वहां से गुजरती हैं और वहां रोज जाम लगता है। यह पुल बनने का नाम नहीं लेता है। हम लोगों के 500 करोड़ रुपये भी लगे जो सम विकास योजना में स्वीकृत हुए थे। 500 करोड़ रुपये रेलवे को पैसा मिला था। किस कारण से नहीं बना, कब बनेगा, यह हम जानना चाहते हैं।

महोदय, एक भारत वैगन फैक्ट्री मोकामा और मुजफ्फरपुर में है। 2008 में इसे रेलवे ने टेकअप किया। पहले वह प्राइवेट कंपनी थी – आर्थर बटलर कंपनी, जो रेल की बोगी बनाती थी। उससे हैवी इंडस्ट्रीज विभाग ने ले लिया और उनसे भी रेलवे ने 2008 में ले लिया। वह बढ़िया और लाभ वाली फैक्ट्री है लेकिन पूंजी के बिना 14 महीने से वहां के मजदूरों का वेतन बंद है। वहां बैन्ड कंपनी ले गई कोलकाता में, हावड़ा में 2010 में। वहां सब ठीक हो गया, वेज सुधार भी हो गया, नई वेज लागू हो गई और नकद मिल रहा है। यहां न मॉडर्नाइज हुआ और न वेज सुधार हुआ और वह वेज भी 14 महीनों से नहीं मिल रहा है।

महोदय, हमने अखबारों में देखा कि बिहार के जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए दीवाली, छठ पूजा और दशहरा में घर जाने के लिए 64 नई रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। हमने कहा कि जो यहां रहते हैं, उनके पूजा और दीवाली पर जाने के लिए 64 रेलगाड़ियां, और जो रेल के लिए मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको 14 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। उनकी दीवाली और छठ पूजा तथा दूसरे त्यौहारों का क्या होगा? क्यों नहीं उनका वेतन मिल रहा है? कब उसका वेतन मिलेगा? एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक कमेटी बनी थी और बी.आई.एफ.आर. की भी अनुशंसा है कि इसको पूंजी दी जाए। आई.डी.बी.आई. से पूंजी लेकर उसको चालू किया जाए। यह लाभ का कारखाना है। वहां मजदूरों को मजदूरी मिले और वह कारखाना चालू हो। जब भी हम मुजफ्फरपुर जाते हैं तो वहां लोग हमारे पास चले आते हैं और कहते हैं कि नौ आदमी वेतन के बिना मर गए। इसकी गिनती की जाए, जांच की जाए। उनको 14 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। यह लाभ का कारखाना है। कब शुरू होगा, क्यों नहीं शुरू हुई? बैंड कंपनी ठीक हो गई, लेकिन यह भारत वैगन फैक्ट्री मोकामा ओर मुजफ्फरपुर क्यों नहीं शुरू हुई? हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी उसको देखें। हम इसके लिए बराबर सवाल उठा रहे हैं, लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। जीरो आवर में भी इस मामले को हमने उठाना चाहा लेकिन कभी लॉटरी में ही नहीं आत है। हमें लगता है कि मजदूरों का भाग्य ही खराब है। लॉटरी में ही नहीं नंबर नहीं आता है नहीं तो हम पहले ही यह सवाल उठाना चाह रहे थे। संयोग से आज मौका मिल गया।

महोदय, हाजीपुर से सुगौली, छपरा से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, तीन नई रेल लाइनें बन रही हैं। सरकार ने नेशनल रीहैबिलिटेशन रीसैटलमेंट पॉलिसी 2007 को स्वीकार किया है। उसमें प्रावधान है कि जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, उनके परिवार के योग्य आदमी को एक नौकरी दी जाएगी। भारत सरकार की कैबिनेट ने उसको स्वीकार किया और उसी में जोड़-घटा कर के अब ला रहे हैं। अभी भारत के संविधान की धारा 73 के मुताबिक वह एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू है – नेशनल रीहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमैंट पॉलिसी, जिसमें यह प्रावधान है कि जिन किसानों की जमीन गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। वहां एक नोटिफिकेशन भी हुआ, एक विज्ञापन निकला कि जिन्हें जरूरत है, वे दर्ख्वास्त दें। किसान लोग दौड़ते-दौड़ते परेशान हो गए लेकिन उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी स्वयं देखें। कानून के जानकार हैं, मशहूर वकील हैं। जिसका वाजिब है, उसको देखें कि कैसे उसको नौकरी मिले। बाबा के नाम से जमीन है। हम लोगों की भी बाबा के नाम से जमीन है और कहते हैं कि पोते को नौकरी नहीं मिलेगी। बाप के नाम से जमीन रहेगी, तभी बेटे को जमीन मिलेगी। यह कौन सा कानून चला रहे हैं? वह भी तो आश्रित है। बेटा आश्रित हुआ, पोता आश्रित नहीं हुआ? इसीलिए सारे कानून को समझ कर देखा जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हाजीपुर-सिंगरौली और छपरा-मुजफ्फरपुर दोनों ट्रेनों का वर्ष 2004 में शिलान्यास हुआ। हाजीपुर-सिंगरौली का आठ वर्ष हो गए हैं और अब कितने वर्ष इन्हें बनने में लगेंगे। क्या कारण है कि यह नहीं बन रहा है? महोदय, मोदीपुर स्टेशन हमारे इलाके में है, चीनी मिल भी है और बहुत मशहूर जगह है लेकिन रेल यात्री लड़ रहे हैं न वहां कोई गाड़ी रुक रही है। जो नई गाड़ी वहां चलती है, उसे रोकने की मांग है। वहां पानी, पाखाना, रेलवे ओवरब्रिज, रेल यात्री संग लड़ रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, डॉ. तरुण मंडल।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम खत्म कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति है।

महोदय, मोदीपुर स्टेशन के विकास के लिए मांग करता हूं। नरियार और पीरापुर बेनीपट्टी स्टेशन हॉल्ट है, उसके लिए स्टेशन के दर्जे की मांग है। कांटी में इंटरसिटी, कांटी में थर्मल पावर प्लांट है, वहां इंटरसिटी नहीं रुकती है। लोग मांग करते हैं कि वहां स्टोपेज होना चाहिए। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली वैशाली ट्रेन है और एक सप्तक्रांति ट्रेन है। दुरांतो केवल बिहार से दिल्ली जा रही है। बिहार के लिए कोई दुरांतो नहीं है इसलिए पटना से दिल्ली और हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, गोरखपुर होते हुए दिल्ली लाइए। वैशाली एक अच्छी गाड़ी है, उसी तरह की गाड़ी दी जाए। यह वहां के लोगों की मांग है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, डॉ. तरुण मंडल

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मेरी एक अंतिम मांग है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, आप इसे लिखित रूप में उन्हें दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरी माननीय मंत्री जी से हमारी प्रार्थना है कि यहां जो माननीय सदस्य सवाल उठाते हैं, उसका उत्तर आप मुंहजबानी यहां नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप लिखित उत्तर सभी माननीय सदस्यों को भेज दें। तभी हम समझेंगे कि रेलवे के सही मंत्री बने हैं। यदि सभी सदस्यों को लिखित मिले तो बहुत अच्छा प्रयोग होगा।

[अनुवाद]

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) **:** सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट की इस महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं वर्ष 2013-14 के इस रेल बजट का समर्थन नहीं कर सकता हूं। क्योंकि यह जन-विरोधी है। यह पहले से ही दबाव में जी रही भारत की आम जनता पर भारी बोझ डाल रहा है। इस बजट में कई बहुत अलोकतांत्रिक नीतियां हैं जिसमें आगे आने वाले वर्षों में किराया तथा मालभाड़ा बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम छिपे हुए – जब भी रेल मंत्री चाहेंगे तथा जितना भी बढ़ाना चाहेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने यह अपेक्षा की थी कि इस बार कम-से-कम रेल बजट में यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि जनवरी में ही, लगभग 21 प्रतिशत रेल किराया काफी अलोकतांत्रिक ढंग से बढ़ाया गया था, जिसमें रेल मंत्रालय द्वारा संसद की अनदेखी की गई थी। इस बार भी, देश की जनता को छला गया है, किराए में सीधे बढ़ोत्तरी न करके, रद्द करने के प्रभार में, क्लर्की प्रभार, तत्काल प्रभार, वातानुकूलित कोचों में आरक्षण प्रभार आदि में बढ़ोत्तरी कर दी गई है जिसमें सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के सभी वर्गों में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी शामिल है। इसलिए, पहले ही रेल किराए में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि उसने मूल यात्री किराया में कोई संशोधन नहीं किया है। परंतु ऐसा करके, वास्तव में उसने एक विकल्प खुला रखा है कि वह किसी भी समय यात्री किराए में भी वृद्धि कर सकता है।

महोदय, एक और घटक है, वो मुझे सबसे अधिक अलोकतांत्रिक लगा, और वह है रेल टैरिफ प्राधिकरण का गठन किया जाना, जिसके पास किसी भी समय रेल किराए तथा मालभाड़े में वृद्धि करने की सांविधिक शक्ति होगी तथा वह संसद को कुछ भी बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। मालभाड़ा में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है तथा परिवर्तनशील ईंधन समायोजन घटक नामक एक और घटक को भी उसमें जोड़ा गया है। ऐसा करने से, वे किसी भी समय मालभाड़े

[डॉ. तरुण मंडल]

में वृद्धि कर सकते हैं। हम सब इसके क्रमिक प्रभाव को समझ सकते हैं क्योंकि इससे जीवन के सभी आवश्यक मदों के मूल्यों में वृद्धि होगी, इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी जिससे आम आदमी पर दबाव और अधिक बढ़ेगा।

एक महत्वपूर्ण बात राजस्व में वृद्धि करना है। मैंने बार-बार कहा है कि यदि हम रेलवे में फैले भ्रष्टाचार, अनियंत्रित चोरी तथा रेलवे में भारी बर्बादी को समाप्त कर सके, तो हम व्यय को कम करके काफी राजस्व बचा सकते हैं परंतु मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया है। यदि इन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा तो राजस्व की काफी हानि हो जाएगी तथा अंततः रेलवे बजट और घाटे में चला जाएगा। रेलवे वही बातें करके किराया तथा मालभाड़ा बढ़ाकर लोगों पर अतिरिक्त दबाव डालेगा।

यात्रियों की सुविधाओं तथा सुरक्षा के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे ने अधिक कुछ नहीं किया है। उन्होंने कोई समय-सीमा निर्धारित किए बिना वादे किए हैं जो अंततः किसी अन्य बातों की तरह ही खोखले साबित हुए तथा इससे लोग तंग आ जाएंगे। रेल मंत्री ने यह कहते हुए कुछ आंकड़े दिए हैं कि दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश भर में विभिन्न पटरियों पर भयंकर दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दिनों, किसी भी यात्री के लिए रेलगाड़ी में यात्रा करना एक दु:स्वप्न बन गया है। रेल की पटरियों, जर्बर कोचों तथा रेकों की स्थिति को बेहतर बनाने के तथा रेलवे में अस्वास्थ्यकर स्थिति की निगरानी के लिए प्राथमिकता के साथ कदम उठाए जाने चाहिए।

राजस्व बढ़ाने के लिए, रेल मंत्रालय व्यावहारिक रूप से पूरे रेलवे का निजीकरण करने का प्रयत्न कर रही है तथा पीपीपी मॉडल का अनुसरण कर रही है। हम पूरी तरह इसका विरोध करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्व मंत्रालय द्वारा घोषित सभी स्कीमें, विशेषकर पूर्वी भारत तथा पश्चिम बंगाल में, जारी रहनी चाहिएं तथा इस बजट में मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समुचित वित्तपोषण किया जाना चाहिए।

महोदय, सुंदरवन, जो एक विश्व विख्यात धरोहर स्थल है, एक पिछड़ा क्षेत्र है। रेल राज्य मंत्री, श्री अधीर चौधरी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गोसाबा-गटखाली-झारखाली तक विस्तार परियोजना को जारी रखा जाए। घुटियारी शरीफ से कैनिंग तथा जॉयनगर से नामखाना तथा मग्राहत से डायमंड हार्बर तक दोहरीकरण का कार्य जारी रहना चाहिए। लोकल ट्रेन की कुछ बढ़ोत्तरी, जो कि पिछड़े क्षेत्र के लोगों की एकमात्र जीवनरेखा है, को जारी रखना चाहिए। लोकल ट्रेन के कम-से-कम छह जोड़े दिए जाने चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी पहली श्रेणी की पैंसेजर अथवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गंगासागर है, जो कि भारत का एक विख्यात तीर्थ है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस रेल बजट में सियालदाह-जयनगर से नामखाना तक कम-से-कम एक जोड़ी तीव्र घोषणा की जानी चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों की यह तत्काल आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री चंदूलाल साहू** (महासमंद) : भारतीय रेल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, जो लगभग ढाई करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन अपने गंतव्य स्थानों तक ले जाती है। रेल जीवन रेखा बन चुकी है और इस बजट में रेल मंत्री श्री पवन बंसल से यह उम्मीद थी कि वह थोड़ा साहस दिखाकर रेलवे को सुधारों की पटरी पर ले आयेंगे, किंतु निराशा ही हाथ लगी और अफसोस की बात है कि इस बजट में रेलवे का कायाकल्प करने की कोई ठोस योजना पेश करने की बजाय संतुलन साधने की कोशिश की गई। रेल मंत्री के पास कहने को कि किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई, जबकि 21 प्रतिशत किराये में तथा 5 प्रतिशत मालभाड़े में वृद्धि तथा अन्य अलग-अलग उपकर लगाए गए हैं। जिससे रेल का सफर महंगा तो हुआ ही, इसके साथ-साथ अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है।

रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कौटिल्य की अर्थनीति का उल्लेख किया है और वित्तीय अनुशासन की बात कही है। किंतु यह भूल गए कि भारतीय रेल जिस कुव्यवस्था का शिकार है उसके मूल में फिजूल खर्ची और साधनों का दुरुपयोग है। अन्यथा जहां रेलवे में पैर रखने की जगह नहीं होती वहां रेल घाटे में जाए वह सोचा भी नहीं जा सकता। विगत दो वर्षों में रेलवे का विकास बहुत धीमी गति से हुआ है, आधे से अधिक प्रोजेक्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। नयी पटरियों का बिछना, नए कारखानों का खुलना, नए पुलों का बनना सब कुछ थम सा गया है। यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटना न होने के वादे कागजों पर ही रह जाते हैं।

भारतीय रेल में 14 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, 1 लाख पद रिक्त हैं जिसके भरने के लिए डेढ़ लाख कर्मचारी की नियुक्ति की घोषणा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

स्वागत योग्य है। किंतु उन कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं उन्हें मिलने वाली सुविधा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ शासकीय रेलवे पुलिस जो राज्य सरकारी कर्मचारी होते हैं, किंतु रेलवे में सेवाएं देते हुए यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं, उन्हें रेलवे की किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि शासकीय पुलिस को परिवार के लिए रेल पास की सुविधा दी जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य रेलवे को सबसे ज्यादा आय देने वाला राज्य है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य की रेलवे विभाग द्वारा हमेशा उपेक्षा की जाती है। वर्तमान बजट में भी छत्तीसगढ़ राज्य को कुछ नहीं मिला। महासमुंद से बागवाहरा, टिटलागढ़ दोहरीकरण की स्वीकृति मिली है, किंतु रायपुर से धमतरी, अभंनपुर से राजिम तक की दोहरीकरण की मांग लम्बे अर्से से की जा रही है। पूर्व बजट में प्रावधानित है किंतु इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसी प्रकार से राजिम से गरीयाबंद मैनपुर देवभोग एवं धर्मजयगढ़ (ओडिशा) तथा महासमुंद से पिथौरा, बसौना, सरायपाली होते हुए संबलपुर (ओडिशा) तक नई रेल लाईन की सर्वे हेतु पिछले बजट में प्रावधानित है किंतु इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरी मांग है इसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। महासमुंद रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ-साथ, मेरी प्रमुख मांग है कि महासमुंद से तुमगांव रोड़ एवं महासमुंद से नदीमोड़ रोड़ तक को रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की स्वीकृति दी जाए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके इन्हें शीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : माननीय सभापति महोदय, मुझे रेल बजट वर्ष 2013-14 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, रेल मंत्री एवं वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2013-14 के लिए जो बेहतरीन बजट पेश किया गया है, उसके लिए बधाई देता हूं। हमारे देश की रेलवे महत्वपूर्ण संगठन है। रेल मंत्री ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके अमल के बारे में भी मंत्री जी ध्यान रखें।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना है कि रेल मंत्रालय को ज्यादा से ज्यादा धनराशि दें। हमारे देश में रेल परिवार करीबन 14 लाख है। इनकी दिन-रात की सेवा अच्छी तरह से होने से रेल दुर्घटना में कमी आई है। रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारी तथा देशभर में रेल में काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। रेलवे की सम्पत्ति राष्ट्र की सम्पत्ति है। इसे संभालने का काम रेलवे देशभर में कर रही है। यात्रियों की कठिनाइयों की तरफ भी ज्यादा देने की जरूरत है। खान-पान सेवा के लिए कंट्रेक्ट किए गए हैं। कंट्रेक्टर के लोग खाना ठीक से नहीं दे रहे हैं। फूड और ड्रग विभाग से उनका टेस्ट करवाया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं। साफ-सफाई की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि अभी मेरे क्षेत्र से गुजरने वाली सूरत भुसावल पश्चिम रेलवे पर ऊधना जलगांव 306 किलोमीटर रेलवे लाइन पर दोहरीकरण की मंजूरी 2008-09 में 715 करोड़ रुपए लागत की दी गई। यह दोहरीकरण का काम 2012 तक पूरा कर दिया जाएगा, यह संकल्प रेल मंत्रालय का था लेकिन अभी तक बहुत सा काम अधूरा है। इस संबंध में सन् 2013-14 के बजट में सिर्फ 270 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अभी इस योजना पर 11 सौ करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। बजट की राशि तीन सौ करोड़ रुपए और ज्यादा बढ़ाने की मैं मांग करता हूं। ऊधना जलगांव 306 किलोमीटर सड़क गुजरात राज्य के दो लोक सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र के चार लोक सभा क्षेत्र के आम रेल यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा। यह दोहरीकरण रेलवे लाइन पूरी होने से गुजरात महाराष्ट्र राज्य से साउथ को यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। इसीलिए मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 2013-14 के रेल बजट में इस परियोजना के लिए 270 करोड़ रुपए से बढ़ा कर तीन सौ करोड़ रुपए की धनराशि देने की मांग करता हूं। इसके अलावा मनमाड़, इंदौर वाया मालेगांव, धुले, शिरपुर से सेधवा 350 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन की परियोजना का प्रस्ताव भारत ने रेल मंत्रालय को भेजा था। इस प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए रेल मंत्री जी ने इसे योजना आयोग को भेजा है। इस परियोजना पर 823 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, जिसमें से 412 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार ने व्यय करने का फैसला किया है। इसी परियोजना का फायदा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य के रेल यात्रियों को होने वाला है। इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को भेजना जरूरी है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि रेलवे लाइन के लिए जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें। इस परियोजना की मंजूरी दें, यही निवेदन है। धुले जिला महाराष्ट्र राज्य में आता है। धुले शहर

[श्री माणिकराव होडल्या गावित]

में महानगरपालिका है और करीबन पांच लाख की आबादी है तथा यह ग्रामीण इलाका भी है। यहां से मुंबई यातायात करने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। यहां से 2 सांसद और 11 विधायक हैं। सरकारी अधिकारी, शहरी और ग्रामीण जनता को मुंबई जाना-आना होता है। अभी धुलिया से चालीसगांव तक एक स्थानीय रेलगाड़ी जाती है, उस गाड़ी से मुंबई जाने के लिए चालीसगांव रेलवे स्टेशन तक ही यात्रियों के लिए कई वर्षों से व्यवस्था है। अमृतसर-दादर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 11057-11058 अप और डाउन गाड़ियां, धुलिया से एक बोगी एसी थर्ड, एक बोगी स्लीपर क्लास, एक बोगी जनरल दादर तक लगायी जाती है, लेकिन अक्तूबर, 2012 से उसे आगे लोकमान्य तिलक कुर्ला स्टेशन कर दिया है। यह गाड़ी पहले पहर में 3.50 पर कुर्ला टर्मिनस पहुंचती है। इस समय कोई टैक्सी, रिक्शा या साधन यात्रियों को नहीं मिलता है, इसलिए इसकी पूरी जांच की जाए और इस गाड़ी को दादर टर्मिनस पर ही रोका जाए।

महोदय, मैं गाड़ियों के ठहराव के संबंध में नम्र निवेदन करता हूं कि गाड़ी संख्या 12655-12656 अहमदाबाद-चेन्नई नवजीवन एक्सप्रेस नवापुर रेलवे स्टेशन पर अप और डाउन गाड़ी का ठहराव मिलने हेतु विनती है। नवापुर मेरा खुद का गांव है, लेकिन वहां पर गाड़ी नहीं रूकती है।

गाड़ी संख्या 29025-29026 सूरत-अमरावती फास्ट पैसेंजर को नवापुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव मिलने हेतु विनती करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : वहां गाड़ी रूकनी चाहिए, बहुत सीनियर मेंबर हैं, उनका इतना तो ध्यान रखना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

***श्री पी.के. बिजू** (अलथूर) : भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है जिसके 7,500 स्टेशन है। यह प्रतिदिन 24 मिलियन यात्रियों का परिवहन करती है और रोज 2.8 मिलियन टन माल ढोती है। यह भारतीय रेल केवल यात्रियों के लिए परिवहन का साधन ही नहीं बल्कि यह सामाजिक उत्तरदायित्व भी पूरा करती है।

परंतु मुझे खेद है कि रेल बजट 2013-14 से रेल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी सिवाय इस तथ्य के कि 17 वर्ष के लंबे समय के पश्चात एक कांग्रेसी मंत्री को रेल बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला है, इस रेल बजट में विशेष रूप से कुछ भी अनूठा नहीं है।

एक महीना पहले रेल भाड़े में वृद्धि किए जाने के बाद इस बार मंत्री महोदय कम से कम यात्रियों को इससे राहत दे सकते थे परन्तु उन्होंने आरक्षण, तत्काल, संपूरक, रद्दीकरण और सुपरफास्ट गाड़ियों के प्रभारों को बढ़ा दिया। संसदीय प्रक्रिया के तहत बजट प्रस्तुत करने से पूर्व इस तरह किरायों के बढ़ाने से लोकतंत्र के अस्तित्व को खतरा होगा। रेलवे जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र के लिए यह अच्छा लक्षण नहीं है। यद्यपि यह दावा किया जाता है यात्री किरायों में वृद्धि नहीं की गई है, टैरिफ के आवधिक संशोधन के माध्यम से दो माह पूर्व 800 करोड़ रुपए निवल प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त, टैरिफ के आवधिक संशोधन हेतु शक्तियों के साथ एक नियामक आयोग का गठन प्रस्तावित था। यह आयोग डीजल तथा पेट्रोल के विनियंत्रण की नकल कर रहा है। यह सरकार के नियंत्रण से बाहर टैरिफ में संशोधन हेतु अंततः आयोग को पूरी छूट देगा। यह भी स्पष्ट है कि डीजल मूल्यों तथा अन्य लागतों में वृद्धि के साथ टिकट दरों में वृद्धि होगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसका आम आदमी के जीवन में उत्तरोत्तर प्रभाव होगा, वह है मालभाड़े के लिए गत्यात्मक प्रशुल्क तंत्र, जिससे भविष्य में ईंधन के मूल्य में वृद्धि का ध्यान रखा जा सके। इससे एक अप्रैल से भाड़े की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इससे लोग यात्री टैरिफ से अधिक प्रभावित होंगे। यद्यपि प्रभाव सीधे महसूस नहीं किया जाएगा, इससे मूल्यों में चहुं-ओर वृद्धि होगी।

पुनः अर्ध-वार्षिक ईंधन मूल्य समायोजना प्रणाली का वादा संदेहास्पद है। वर्तमान वर्ष हेतु 60,100 करोड़ रुपए की अनुमानित योजना के प्रति, रेलवे ने इसे कम करके 52,000 करोड़ रुपए से थोड़ा सा अधिक कर दिया है। इसे अगले वर्ष हेतु बढ़ा कर 63,363 करोड़ रुपए कर दिया गया है और चुनौती उसे प्राप्त करने में है। योजना का ध्येय ट्रैक का दोहरीकरण, क्षमता बढ़ाना, रेलगाड़ियों तथा स्टेशनों में सुरक्षा में सुधार करना तथा यात्री सुविधाओं को काफी अधिक बढ़ाना प्रतीत होता है जो अपर्याप्त निधियों को देखते हुए मात्र ढकोसला है।

पूर्ववर्ती रेल बजटों में किए गए वादों का क्या हुआ? उदाहरण के लिए अब वादा किया गया है कि साफ-सफाई के लिए 104 महत्वपूर्ण स्टेशनों को लिया जाएगा। परंतु हमें एक बार 980 आदर्श स्टेशनों का वादा किया गया था। उनका क्या हुआ? पीपीपी के संबंध में बताने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से पूर्व, पहले किए गए वायदों को क्या हुआ? भूमि अधिग्रहण सहित भूमि का क्या हुआ? क्या व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं। वर्तमान मामले में, ढलुवां, पहिया फैक्टरियों, एमआरएमयू विनिर्माण सुविधाओं, डिब्बा विनिर्माण यूनिटों, वैगन रखरखाव कार्यशालाओं और कई अन्य के बारे में ऐसे ही प्रश्न उठते है, हरित पहलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बजट में 25 लाख रिक्त पदों को भरने के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।

अपने पूर्ववर्तियों के समान ही माननीय मंत्री श्री पवन कुमार बंसल बजट में नई विनिर्माण इकाइयों, 67 नई एक्सप्रेस गाड़ियों और 27 नई यात्री गाड़ियों और साथ में कुछ नई लाइनों और सर्वेक्षण की घोषणाएं करने से अपने को रोक नहीं पाए। वस्तुतः, इनमें से यदि सारी नहीं भी हो तो अधिकांश का फायदा कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों और चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को होगा। आम चुनाव वर्ष 2014 में निर्धारित होने के चलते श्री बंसल ने प्रचार मौसम की शुरुआत अपने पास उपलब्ध बजटीय साधनों का उपयोग करके की है।

पहले से क्रियान्वित निजीकरण और संविदा प्रणाली व्यापक सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से और गहन होगी, जो कुछ और नहीं बल्कि निजीकरण की प्रशंसा मात्र है। रेल मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजनाओं के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का अनुमान लगाया है। 12वीं योजनावधि के दौरान निजी निवेश हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों में मुंबई, डीएफसी के कुछ हिस्सों में एलिवेटिड रेल गलियारा, स्टेशनों का पुनर्विकास, विद्युत उत्पादन/ऊर्जा बचत परियोजनाएं, मालभाड़ा टर्मिनल शामिल है। मंत्री जी ने पीपीपी तरीके के माध्यम से भूदेवपुर-रायगढ़ (मांड कोलियरी) और पालनपुर-समाखियाली खंड के दोहरीकरण को प्रस्तावित किया है।

इस सबके निजीकरण के प्रयास से बदलने की संभावना है और भारतीय रेलवे के निजीकरण से महंगाई बढ़ेगी। रेलवे वर्तमान में इतने लाभप्रद न होने वाले क्षेत्रों को भी जोड़ कर समूचे देश में संपर्क मुहैया करवाता है और वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करता है; कंपनी के लाभों में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में आने वाली निजी कंपनियों द्वारा किराए में वृद्धि किए जाने से निर्धन लोगों के प्रभावित होने की संभावना अधिक है।

केरल का एक बार फिर रेल बजट 2013-14 में अनादर किया गया है। एक उपभोक्ता राज्य होने के कारण जहां उपभोग हेतु प्रत्येक वस्तु आयात की जानी होती है, केरल को मालभाड़ा वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव झेलना होगा। पलक्कड़ में 50 वर्ष पूर्व रेल फैक्ट्री बनाने का वायदा किया गया था लेकिन उसे पूरा करने का कोई उपाय नहीं किया गया। रेलवे के विकास से संबंधित मामलों में केरल को सदैव ही राजनैतिक षडयंत्र का शिकार होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कपूरथला और रायबरेली जैसे स्थानों में तीन अन्य रेल डिब्बा फैक्ट्रियों का कार्य पूरा हो चुका है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ऐसे मामलों में यात्रियों के हितों के बजाए राजनैतिक हितों को तरजीह दी जाती है। अब, मंत्री जी ने सोनीपत में एक नई डिब्बा फैक्ट्री का प्रस्ताव किया है जबकि पलक्कड कोच फैक्ट्री हेतु केरल के साथ केवल चर्चा किए जाने का ही उल्लेख किया गया है।

केरल के लिए कोई नई लाइन भी नहीं दी गई है और न ही आमान परिवर्तन का प्रस्ताव है। पलक्कड़ और मुथलामाडा के बीच रेल लाइन पिछले साल पूरी हो जानी थी। लेकिन पिछले वर्ष तक इसका अभी आरम्भिक कार्य अभी शुरू नहीं हुआ। सबारी रेल लाइन की दुर्दशा एक अन्य उदाहरण है। विरुवनन्तपुरम, एर्नाकुलम और कालीकट रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने हेतु पहले के बजट प्रस्तावों की बात भी केवल कागजों पर ही है। केरल के लोगों के लिए तिरुवनन्तपुरम में रेलवे मेडिकल कॉलेज की स्थापना आज भी एक सपना बन कर रह गई है। केरल रेलवे द्वारा नीचा जताने के व्यवहार से भी आहत है जिसके तहत राज्य को गंदे डिब्बे आवंटित करवाए गए है।

मेरे संसदीय क्षेत्र अलथूर में कई विकास आवश्यकताएं लंबे समय से लंबित है। पलक्कड़-कोलाची रेल लाइन का आमान परिवर्तन स्वीकृत किया गया है और कार्य दिसम्बर, 2008 से प्रारंभ किया गया है। रेलवे बजट में बताए गए अनुसार आमान परिवर्तन का कार्य दिसम्बर, 2009 तक पूरा हो जाना था। परंतु कार्य अभी तक अधूरा है। सरकार को कोलनगोड़-त्रिशूर रेलवे लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए तथा निधियां आवंटित करनी चाहिए। शोरन्नूर स्टेशन पर तत्काल एक ट्राइएंगुलर स्टेशन बनाया जाए। शोरन्नूर रेल मालाबार क्षेत्र के लोगों की जीवनरेखा है।

बडक्कनचेरी, मुलमकुन्नतोकावो और वल्लतोल रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और विकास प्रस्तावित है किंतु इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बडक्कनचेरी रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन में बदला जाना भी एक तत्काल विकास आवश्यकता है।

मैं इस भाषण को इस दृढ़ विश्वास के साथ समाप्त करता हूं कि वर्तमान बजट स्पष्ट रूप से भोजन तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि में परिणत होगा और इससे यह आभास होता है कि भारतीय रेल का पूर्ण निजीकरण होगा।

[हिन्दी]

***श्री सैयद शाहनवाज हुसैन** (भागलपुर) : माननीय रेल मंत्री जी न रेल बजट पेश किया। उनके इस बजट में राजनैतिक संदेश ज्यादा है। जो रेल के लिए संदेश दिया जाना है। हमसे पहले वक्ताओं ने रेल में आयी परेशानियों को गिना दिया है। मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वर्षों बाद एक रेल मंत्री कांग्रेस पार्टी से आया है तो उसकी सोच भी देशव्यापी होगी। वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करेगा, किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। मगर इस बजट में हम देख रहे हैं इसमें ऐसी सोच नहीं दिखाई देती।

बजट में जनता को धोखा दिया गया है क्योंकि जनवरी में ही यात्री भाड़े में वृद्धि की गई है। बजट में यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाकर रिजर्वेशन फीस, स्पलीमेंटरी चार्जेज, तत्काल चार्जेज, क्लर्केज चार्जेज एवं कैंसलेशन चार्जेज में वृद्धि की गई है जो रेल यात्रियों के साथ एक धोखा ही कहा जाएगा। रेल मंत्री ने ईंधन के मूल्य में वृद्धि के नाम पर 5 से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष टिकट और मालभाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव किया है जो आने वाले समय में जनता पर एक बोझ ही होगा।

रेलवे को राष्ट्र की लाईफ लाईन कहा जाता है परंतु यह सरकार आम आदमी के हितों को सुरक्षित रखने में विफल रही है।

हर व्यापार का एक नियम होता है, काम बढ़ेगा तो मुनाफा भी बढ़ेगा। अगर यात्री गाड़ियों की संख्या जो 2001-02 में 8,897 थी और अब बढ़कर 2011-12 में 12,335 हो गई तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ी होगी और किराया भी वसूला गया होगा। फिर आपका घाटा जो 2001-02 में 4,955 करोड़ था यह बढ़कर 2011-12 में 22,500 करोड़ कैसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी कोई घोटाला हो।

इसी प्रकार लोहे से लेकर कोयले तक खनिज पदार्थ की अवैध तरीके से खुदाई हुई है, तो निश्चित तौर पर रेल माध्यम से उसे खानों से दूसरे स्थानों तक पहुंचाया गया होगा। इससे भी रेलवे के मालभाड़े में बहुत वृद्धि हुई होगी। परन्तु हम देख रहे हैं कि आपके रेल बजट में मालभाड़े की वसूली उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। एक बार ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई घोटाला हुआ होगा।

फिर रेल मंत्री यह कहते हैं कि टैरिफ और नॉन-टैरिफ सेक्टर की आय के मामले में वे काफी बदलाव लाएंगे। यह कौन सा बदलाव है? यह तो उनके मस्तिष्क में ही है। इसका खुलासा बजट में नहीं है। क्या माननीय रेल मंत्री कहीं भाड़े में वृद्धि की और योजना तो नहीं बना रहे हैं?

ऐसी चर्चा है कि रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाई जाएगी और भाड़े को निश्चित करने के कार्य को आऊटसोर्स कर दिया जाएगा। इससे यह पता चलता है कि सरकार मालभाड़ा वृद्धि की जिम्मेदारी से बचने के लिए यह हथकंडा अपना रही है।

इस बजट में मालभाड़ा को 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ाने के कारण देश की माली हालत खराब होगी मुद्रास्फीति एवं महंगाई बढ़ेगी और अन्ततः "आम आदमी" ही प्रभावित होगा।

रेलवे एफीसिएनसी (दक्षता) की खूब चर्चा है, परन्तु सत्य यह है कि वर्ष 2011-12 में परिचालन अनुपात जो 95 प्रतिशत था वह 2012-13 में घटकर 88.8 प्रतिशत हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ है कि 1997-98 के बाद पहली बार परिचालन अनुपात 90 प्रतिशत से नीचे आ गया है। सच यह है कि 84.9 प्रतिशत की उम्मीद बजट में की गई थी, परन्तु यह 88.8 प्रतिशत रहा। मंत्री जी किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। इसमें मंत्रालय ने कैसी दक्षता हासिल की है? बजट में अनुमानित आय संग्रह के क्षेत्र में 7 हजार करोड़ कम ही आय हुई। यह दक्षता में वृद्धि दिखाता है या वित्तीय बाजीगरी?

कहनी और कथनी में अंतर

	वायदे	वास्तविक उपलब्धि
आदर्श स्टेशन	977	621
मॉडर्न स्टेशन	637	614
मॉडल स्टेशन	594	569
ब्रिज	379	98
लेवल क्रॉसिंग्स	200	97
रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन	1200 किमी.	599 किमी.
कोचिज	आईसीएफ 1585	1278
	आईसीएफ 1634	1347

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पिछले बजट में 113 नई ट्रेनों को चलाने की घोषणा हुई परंतु वास्तविक में 65 ट्रेनें ही चल पाईं।

फर्टिलाइजर्स को ढोने में रेलवे ने 8.93 प्रतिशत निगेटिव ग्रोथ किया है और सीमेंट के मामले में 2.26 प्रतिशत।

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि रेल पटरियों के दोहरीकरण का काम इस प्लान में केवल 2758 किमी. और गेज बदलने की योजना में केवल 5321 किमी. हुआ है जो 11वीं योजना के लक्ष्य से काफी कम है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 5.19 लाख करोड़ की आवश्यकता है और रेलवे के आन्तरिक स्रोतों से पांच वर्ष में 1.20 लाख करोड़ रुपए जुटाने हैं जो रेल मंत्री के खुद की स्वीकोरोक्ति के अनुसार एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर ये राशि आएगी कहां से, इसका खुलासा तो कीजिए।

इस बजट में यात्री सुरक्षा और संरक्षा पर कुछ खास नहीं कहा गया है। मैं यहां बताता चलूं कि पूर्व रेल मंत्री ने सैमपित्रोदा और डा. अनिल काकोदर समिति की सिफारिशों के आधार पर सुरक्षित व आधुनिक बनाने को एक रोड मैप तैयार किया लेकिन फंड की समस्या का समाधान किए बिना इस पर अमल करना असंभव है। धन की कमी के कारण रेलवे विद्युतीकरण की 500 से अधिक की परियोजनाएं लंबित हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के समय पर एक कॉरपोरेट सेफ्टी फंड और कॉरपोरेट सेफ्टी प्लान बनाया गया था। अब तक इस संबंध में कोई कार्य नहीं हुआ है और इस बजट में इस पर चुप्पी साधी गई है। रेल दुर्घटनाएं और उससे हुई जान माल की हानि गंभीर चिन्ता का विषय है। एक तरफ तो ट्रेन एक्सीडेंट पर मिलियन ट्रेन की रेशों 2003-04 में 0.41 थी। वह घटकर 2011-12 में 0.13 हो गया है। इसके लिए वे अपनी पीठ थपथपाते हैं परन्तु हकीकत यह है कि यह 0.13 का आंकड़ा सैंकड़ों कीमती जानों के गंवाने को दर्शाता है। मैं यहां बता दूं कि 2011-12 में ही रेल दुर्घटना में 156 लोग मारे गए और इस महाकुंभ के अवसर पर रेल फुट ओवरब्रिज टूटने के कारण बड़ी संख्या में जानें गईं।

इस दुर्घटना पर बजट भाषण में "खेद है" कहने से काम नहीं चलने वाला। देश जानना चाहता है कि आप रेलवे में सुरक्षा के लिए कौन से ठोस उपाय करेंगे।

अनिल काकोदर की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष करीब 15,000 लोगों की मौत रेलवे ट्रैक पर ही कट कर होती है। ऐसे में रेल मंत्री ने जो 0.13 प्रतिशत की अनुमति दी है वह भ्रामक है।

आप मानते हैं कि 31486 लेवल क्रॉसिंग में से 13530 लेवल क्रॉसिंग मानव रहित है। आप जानते हैं कि ऐसे लेवल क्रॉसिंग पर अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं और भारी जान-माल का नुकसान होता है। फिर भी आप इनकी चिन्ता नहीं करते और दावा करते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

रेल मंत्री ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) योजना के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। पीपीपी मॉडल से भारतीय रेल की सूरत बदलने की अभी तक की तमाम कोशिशें विफल रही हैं क्योंकि यूपीए सरकार इस मॉडल के प्रति गंभीर नहीं है। परंतु सरकार की नीति और लाल-फीताशही के चलते यह कितना प्रतिशत लक्ष्य हासिल करेगा, यह समय ही बताएगा।

नई हाई-स्पीड ट्रेनों की कोई घोषणा नहीं की गई है जिससे लाजिस्टिक सेक्टर में मायूसी है। फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने से मालभाड़े में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी और व्यापारी वर्ग प्रभावित होंगे इसका प्रभाव मुद्रास्फीति और महंगाई पर भी होगा।

रेलवे में आज लगातार विद्युतीकरण, गेज कन्वरशन और नई लाइनें बिछाने का काम चलता रहना चाहिए ताकि रेलवे और लॉजिस्टिक सेक्टर की दक्षता बढ़ सके। 1500 किलोमीटर डेडीकेटिड फ्रेट कॉरीडार बनाने की घोषणा स्वागत योग्य है। ऐसी उम्मीद है कि जो वर्तमान में फ्रेट कॉरीडोर है उस पर भीड़ कम होगी और मालगाड़ियां तेजी से समानों को ढो पाएंगी और अन्ततः देश का आर्थिक विकास होगा।

रेल बजट 2013 से कई राज्यों को फायदा होगा लेकिन इसमें बिहार का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया है। यह सही है कि बिहार से बहुत सारे रेल मंत्री रहे हैं लेकिन आज भी बिहार में रेल की रोशनी नहीं पहुंची है। इस बजट में बिहार के साथ अन्याय हुआ है।

मैं रेल बजट पर अपने संसदीय क्षेत्र भागलपुर की निम्न कठिनाइयों को रेल मंत्री जी के अवलोकनार्थ व उनको पूरा कराने के उद्देश्य से अपनी मांगों को सभा पटल पर रख रहा हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर में नौगछिया, थाना बिहपुर खरीक, नारायणपुर, भागलपुर, जगदीशपुर, घोघा, शिवनारायणपुर को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के निर्णय के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ-साथ दो स्टेशन नौगछिया और भागलपुर में बेहतर यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए आग्रह करता हूं।

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترمہ اسپیکر صاحبہ، محترم ریلوے منسٹر صاحب نے جو ریل بجٹ پیش کیا ہے اس میں سیاسی پیغام زیادہ ہے۔ جو ریل کے لئے پیغام دیا جانا ہے۔ ہم سے پہلے بہت سے معزز ممبران نے ریل میں آئی پریشانیوں کو گنا دیا ہے۔ میں ان باتوں کو دوہرانا نہیں چاہتا ہوں۔

میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سالوں بعد ایک ریل منتری کانگریس پارٹی سے آیا ہے تو اس کی سوچ بھی دیش ویاپی ہوگی۔ وہ کشمیر سے کنیا کماری تک کی بات کرے گا، کسی ایک ریاست تک محدود نہیں رہے گا۔ مگر اس بجٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایسی سوچ دکھائی نہیں دیتی ہے۔

بجٹ میں عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے کیونکہ جنوری میں ہی سفر کا کرایا بڑھا دیا گیا تھا۔ بجٹ میں سفر کا کرایہ نہ بڑھا کر ریزرویشن فیس، سپلیمینٹری چارجز، تتکال چارجز، کلرکیج چارجز اور کینسلیشن چارجز میں اضافہ کیا گیا ہے جو ریل مسافروں کے ساتھ ایک دھوکہ ہی کہا جائے گا۔ ریل منتری نے ایندھن کی قیمت میں اضافہ کے نام پر 5 سے 6 فیصد ہر سال ٹکٹ اور مال۔ بھاڑے میں اضافہ کا پرستاؤ کیا ہے جو آنے والے وقت میں عوام پر ایک بوجھ ہی ہوگا۔

ریلوے کو راشٹر کی لائف لائن کہا جاتا ہے، لیکن یہ سرکار عام آدمی کے مفاد کو محفوظ رکھنے میں ناکامیاب ثابت ہوئی ہے۔

ہر کاروبار کا یک اصول ہوتا ہے، کام بڑھے گا تو منافہ بھی بڑھے گا۔ اگر مسافر گاڑیوں کی تعداد جو 2001-2002 میں 8,897 تھی اور اب بڑھ کر 2011-2012 میں 12,335 ہوگئی تو مسافروں کی تعداد بھی بڑھی ہوگی، اور کرایہ بھی وصولا گیا ہوگا۔ پھر آپ کا گھاٹا جو 2001-2002 میں 4,955 کروڑ روپے تھا وہ بڑھ کر 2011-2012 میں 22,500 کروڑ کیسے ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں بھی کوئی گھوٹالہ ہو۔

اسی طرح لوہے سے لے کر معدنیات تک کی غیر قانونی طریقے سے کھدائی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے ریل سے ہی کھانوں سے دوسی جگہوں تک پہنچایا گیا ہوگا۔ اس سے بھی ریلوے کے مال بھاڑے میں اضافہ ہوا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ریل بجٹ میں مال بھاڑے کی وصولی اُتنی نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی چاہئے تھی ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی گھوٹالا ہوا ہے۔

پھر ریل منتری کہتے ہیں کہ ٹیرف اور نان ٹیرف کی آمدنی کے معاملے میں وہ کافی بدلاؤ لائیں گے۔ یہ کونسا بدلاؤ ہے، یہ تو ان کے دماغ میں ہی ہے۔ اس کا خلاصہ بجٹ میں نہیں ہے۔ کیا محترم ریل منتری کہیں کرائے میں اور اضافہ کی کوئی یوجنا تو نہیں بنا رہے ہیں؟

ایسا سنا جا رہا ہے کہ ریل ٹیرف اتھارٹی بنائی جائے گی اور کرائے کو نشچت کرنے کے کام کو آؤٹ سورس کر دیا جائے

گا۔اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار مال بھاڑے میں اضافہ کی ذمہ داری سے بچنے کے لئے یہ ہتھکنڈہ اپنا رہی ہے۔

اس بجٹ میں مال بھاڑے کو 5 سے 6 فیصد تک بڑھانے کی وجہ سے ملک کی مالی حالت خراب ہوگی اور مُدرا اسفیتی اور مہنگائی بڑھے گی اور آخر کر جھیلنا عام آدمی کو ہی پڑے گا۔

ریلوے ایفیشینسی کی خوب چرچہ ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سال 12-2011 میں پری چالن ریشو جو 95% تھا وہ 13-2012 میں گھٹ کر 88.8 فیصد ہو گیا ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ 98-1997 کے بعد پہلی بار پری چالن ریشو 90 فیصد سے نیچے آ گیا ہے۔سچ یہ ہے کہ 84.9 فیصد کی امید بجٹ میں کی گئی تھی، لیکن صرف 88.8 فیصد رہا۔ منتری جی کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔اس میں ریلوے وزارت نے کونسی کامیابی حاصل کی ہے؟ بجٹ میں انومانت آمدنی سنگرہ کے میدان میں 7 ہزار کروڑ کم ہی آمدنی ہوئی ہے۔یہ دکشتا میں اضافہ دکھاتا ہے کہ مالی بازیگری؟

کہنی اور کتھنی میں فرق

	وعدے	ایکچول اپلبدھی
آدرش اسٹیشن	977	621
ماڈرن اسٹیشن	637	614
ماڈل اسٹیشن	594	569
لیول کراسنگ	200	97
ریلوے الیکٹری فکیشن	1200 کلومیٹر	599 کلومیٹر
کوچز	1585 آئی۔سی۔ایف۔	1278
	1634 آر۔سی۔ایف۔	1347

پچھلے بجٹ میں 113 نئی ٹرینیوں کو چلانے کا اعلان ہوا لیکن حقیقت میں 65 ٹرینیں ہی چل پائی۔فرٹی لائزرس کو بڑھانے میں ریلوے نے 8.93 فیصد نیگیٹو گروتھ کیا ہے اور سیمنٹ کے معاملے میں 2.26 فیصد۔

آپ نے مانا ہے کہ ریل پٹریوں کے دوہری کرن کا کام اس پلان میں صرف 2758 کلومیٹر اور گیج بدلنے کی یوجنا میں صرف 5321 کلومیٹر ہوا ہے جو 11 یوجنا لکشہ سے کافی کم ہے۔

بارہویں پنچ سالہ منصوبہ میں 5.19 لاکھ کروڑ روپئے کی ضرورت ہے اور ریلوے کے اندرونی سورسز سے پانچ سال

1.20 لاکھ کروڑ روپے جٹانے ہیں جو ریل منتری کے خود کے بقول ایک بہت بڑا مسئلہ ہے

اس بجٹ میں مسافروں کی حفاظت پر کچھ خاص نہیں کہا گیا ہے۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ سابق ریلوے منتری نے سیم پترودا اور ڈاکٹر انل کاکودکر کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر محفوظ اور جدید بنانے کو ایک روڈ میپ تیار کیا لیکن فنڈ کے مسئلہ کو حل کئے بغیر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے ریلوے کی الیکٹریفیکیشن کی 500 سے زیادہ منصوبے لمبت ہیں۔ جناب اٹل بہاری باجپئی کے انڈر این۔ڈی۔اے۔ سرکار کے وقت ایک کارپوریٹ سیفٹی فنڈ اور کارپوریٹ سیفٹی پلان بنایا گیا تھا۔ اب تک اس میں کوئی کام نہیں کیا گیا ہے اور اس بجٹ میں اس پر چپی سادھی گئی ہے۔ ریل حادثات اور اس سے ہونے والی جان و مال کے نقصانات ایک بے حد سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ایک طرف تو وہ ٹرین ایکسیڈینٹ پر ملین ٹرین کی ریشو 04-2003 میں 0.42 فیصد تھی وہ گھٹ کر 12-2011 میں 0.13 ہو گیا ہے اس کے لئے وہ اپنی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 0.13 کا آنکڑہ سیکڑوں قیمتی جانیں گوانے کو ظاہر کرتا ہے۔ میں یہاں بتادوں کہ 12-2011 میں ہی ریل حادثہ میں 156 لوگ مارے گئے، اور اس مہاکمبھ کے موقع پر ریل فٹ اوور برج ٹوٹنے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں جانیں گئیں۔

اس حادثہ پر بجٹ بھاشن میں کھید ہے کہنے سے کام نہیں چلنے والا۔ دیش جاننا چاہتا ہے کہ آپ ریلوے میں حفاظت کے لئے کون سے ٹھوس اقدام اٹھائیں گے۔

انل کاکودار کی رپورٹ کے مطابق ہر سال قریب 15000 لوگوں کی موت ریلوے ٹریفک پر ہی کٹ کر ہوتی ہے۔ ایسے میں ریل منتری نے 0.13 فیصد کا ریشو دیا ہے وہ ٹھیک نہیں لگتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ 31486 لیول کراسنگ میں سے 13530 لیول کراسنگ مانورہت ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایسے لیول کراسنگ پر زیادہ تر حادثے ہوتے ہیں اور بھاری جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر بھی آپ اس کی فکر نہیں کرتے ہیں اور دعوا کرتے ہیں کہ حفاظت کے پختہ انتظامات کئے جارہے ہیں۔ ریل منترے نے بارہویں پنج سالہ منصوبہ میں پی۔پی۔پی۔(پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ) یوجنا کے ذریعہ سے ایک لاکھ کروڑ روپے جٹانے کا ٹارگیٹ رکھا تھا۔ پی۔پی۔پی۔ ماڈل سے ہندوستانی ریل کی صورت بدلنے کی ابھی تک کی تمام کوششیں ناکامیاب رہی ہیں کیونکہ یو۔پی۔اے۔ سرکار اس ماڈل کی طرف سنجیدہ نہیں ہے۔ لیکن سرکار کی نیتی اور لال فیتاشاہی کے چلتے یہ کتنا فیصد ٹارگیٹ حاصل کرے گا یہ وقت ہی بتائے گا۔

نئی ہائی اسپیڈ ٹرینوں کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے جس سے لاجسٹک سیکٹر میں مایوسی ہے۔ فیول سرچارج بڑھانے سے مال بھاڑے میں 5 فیصد تک کا اضافہ ہو جائے گا اور کاروباری طبقہ متاثر ہوگا اس کا اثر انفلیشن اور مہنگائی پر ہوگا۔

ریلوے میں آج لگاتار الیکٹریفیکیشن، گیج کنورشن اور نئی لائنیں بچھانے کا کام چلتا رہنا چاہئے تاکہ ریلوے اور لاجسٹک سیکٹر کی طاقت بڑھ سکے۔ 1500 کلومیٹر ڈیڈ یکیٹڈ فیٹ کاریڈور بنانے کی گھوشنا قابل مبارک باد ہے۔ ایسی امید ہے کہ جو موجودہ فیٹ کاریڈور ہے اس پر بھیڑ کم ہوگی اور مال گاڑیاں تیزی سے سامان کو ڈھو پائیں گی اس سے ملک کی معاشی ترقی ہوگی ،ملک آگے جائے گا۔

ریل بجٹ 2013 سے کئی ریاستوں کو فائدہ ہوگا لیکن اس میں بہار کرخیاہ بالکل نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ سہی ہے کہ بہار سے بہت سارے ریل منتری رہے ہیں لیکن آج بھی بہار میں ریل کی روشنی نہیں پہنچی ہے۔ اس بجٹ میں بہار کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے۔

میں ریل بجٹ پر اپنے پارلیمانی حلقہ بھاگلپور کی مندرجہ زیل پریشانیوں کو ریل منتری کے سامنے اس امید کے ساتھ ٹیبل پر رکھ رہا ہوں کہ وہ ان مسئلوں کو حل کریں گے۔

میرے پارلیمانی حلقہ بھاگلپور میں نوگچھیا، تھانہ بہپور، کھریک، نارائن پور، بھاگلپور، جگدیش پور، گھوگھا، شونارائن پور کو آدرش اسٹیشن کے روپ میں وِکست کرنے کے فیصلے کے لئے تہِ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ دو اسٹیشن نوگچھیا اور بھاگلپور میں بہتر سہولیات بڑھانے کے لئے گزارش کرتا ہوں۔ شکریہ۔۔

(ختم شد)

[हिन्दी]

***श्री अशोक कुमार रावत** (मिसरिख) : मेरा संसदीय क्षेत्र एक अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में कानपुर-बिल्हौर-कन्नौज-फरुखाबाद, रेलवे लाइन जब मीटरगेज थी तो उस समय इस रेलवे लाइन पर लगभग 12 रेलगाड़ियों का आवागमन होता था। लेकिन इस रेलवे लाइन के ब्रॉडगेज में परिवर्तित होने के बाद केवल 7 पैसेन्जर रेलगाड़ियों का ही आवागमन हो रहा है और उनमें भी रेल डिब्बों की संख्या बहुत कम है, जिस कारण रेल यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा हैं जहां यात्री रेलगाड़ियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए थी, वह तो नहीं की गई। लेकिन मालगाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है। क्षेत्र की भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए यात्री रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ-साथ उनमें रेल डिब्बों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए। यह रेलवे लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 से होकर गुजरती है, जिस कारण रेलवे क्रॉसिंग की संख्या भी अत्यधिक है और रेलवे क्रासिंग बंद होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है।

अत: ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि उक्त रेलवे लाइन के साथ-साथ गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर आवश्यकतानुसार ऊपरि पुल बनाए जाएं ताकि यातायात अवरुद्ध न हो।

बालामऊ जं. कानपुर रेलमार्ग पर बालामऊ जं. से ढाई किमी. कि दूरी पर कछौना ब्लॉक, जहां नर्सिंग होम, थाना व अन्य कार्यालय है, रेलवे क्रॉसिंग नं. सी-97 है। इस रेलवे क्रॉसिंग से पैदल यात्रियों के साथ-साथ बस, ट्रक, मोटर साइकिल इत्यादि का आवागमन होता था। लेकिन, जनवरी 2013 से इस रेलवे क्रॉसिंग को केवल पैदल यात्रियों के लिए ही खोला गया है और अन्य वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। चूंकि, इस मार्ग पर नर्सिंग होम, थाना व अन्य कार्यालय इत्यादि है, इसलिए इस रेलवे क्रॉसिंग को पूर्व की भांति सभी वाहनों इत्यादि के लिए खोला जाए।

मेरे क्षेत्र में रेलवे की काफी सरप्लस भूमि उपलब्ध है तथा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय नहीं है तथा स्वास्थ्य सेवाओं का भी भारी अभाव है। मेरे क्षेत्र के सण्डीला एवं बालामऊ जंक्शन, जनपद हरदोई में रेलवे की सरप्लस भूमि पर अस्पताल व केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अशोक कुमार रावत]

नई शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली-गाजियाबाद-बरेली-हरदोई-लखनऊ होकर चलाई जाए। दिल्ली से नीमषार के बीच रेलगाड़ी चलाई जाए। मेरे क्षेत्र के सण्डीला व बिल्हौर स्टेशन को भी आदर्श स्टेशन के रूप में चयनित किए जाने की आवश्यकता है तथा बालामऊ स्टेशन को अधिक विकसित किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यह मेरे संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। इस स्टेशन से गुजरने वाली सभी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों-लखनऊ मेल, श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित अन्य वे रेलगाड़ियां जो वाया कानपुर होकर जाती हैं, का ठहराव दिए जाने के साथ-साथ लोडिंग व अनलोडिंग प्लेटफार्म बनाए जाने की आवश्यकता है। बालामऊ में केन्द्रीय कर्मचारियों की काफी संख्या है। लेकिन केन्द्रीय विद्यालय न होने के कारण शिक्षा का अभाव है। यहां पर रेलवे अपनी भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करा दें तो सरकारी कर्मचारियों को काफी लाभ होगा।

मेरा अनुरोध है कि आप बालामऊ रेलवे स्टेशन को और अधिक विकसित किए जाने और इस संबंध में दिए गए मेरे उपरोक्त सुझावों को स्वीकार किए जाने हेतु निर्देश प्रदान करें।

मिसरिख संसदीय क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इसके विकास के लिए यहां पर मेट्रो सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना की जाए।

सेन्टर फॉर रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम के तत्वाधान में मिसरिख में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस इन सॉफ्टवेयर खोला जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सण्डीला में पावर प्लांट स्वीकृत हुआ है। रेलवे भी यदि यहां पर गैस आधारित पावर संयंत्र की स्थापना कर दे तो क्षेत्र के विकास में काफी मदद मिलेगी और क्षेत्र का पिछड़ापन भी दूर होगा।

कानपुर से फरुखाबाद रेलवे लाइन, जो नेशनल हाईवे-9 पर स्थित है, पर यातायात का भारी दबाव रहता है। यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं इसलिए यातायात को सुगम बनाए जाने के लिए रेलवे के नीचे से अन्डर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। मेरे क्षेत्र के सण्डीला व बिल्हौर में भी यही स्थिति है। वहां पर भी ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाए।

सण्डीला व बालामऊ में यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए इन स्टेशनों पर विश्राम कक्षों की एडवांस बुकिंग प्रारम्भ किए जाने के साथ-साथ अन्य यात्री सुविधाएं वरीयता के आधार पर उपलब्ध कराई जाए।

मैं लखनऊ-लखीमपुर-पीलीभीत वाया सीतापुर लाइन व सीतापुर-बहराइच रेल लाइन बिछाने हेतु धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

सीतापुर, मेलानी के रास्ते लखनऊ-पीलीभीत के आमान परिवर्तन के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देते हुए अनुरोध करता हूं कि बिल्हौर से मकनपुर मदारशाह मजार तक नई रेलवे लाइन का सर्वे कराकर शीघ्र रेल लाइन बिछायी जाए।

मैं माननीय रेल मंत्री जी को रोजा-सीतापुर-बड़वल के रेल विद्युतीकरण हेतु आभार व्यक्त करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध चक्र तीर्थ, दधीच कुंड, पांडव किला, हनुमानगढ़ी, सुदर्शन चक्र, मां ललिता देवी मंदिर (शक्ति पीठ) जैसे अन्य बहुत से धार्मिक स्थल हैं। चारों धाम की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक चक्र तीर्थ में स्नान न करें। साथ ही धार्मिक श्रद्धालु 84 कोस की परिक्रमा भी करते हैं। जो होलिका दहन के दिन पूरी होती है और उसके बाद होली खेली जाती है। इस परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। इसलिए नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ रेल से जोड़ा जाए तथा पहुंच मार्गों की हालत में सुधार लाने के लिए लागत में 50:50 के अनुपात में भागीदारी के तहत नीमसार को शामिल किया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र मिसरिख, जनपद सीतापुर (उ.प्र.) के अंतर्गत मकनपुर, जो कानपुर नगर जिलान्तर्गत आता है, में मदारशाह की विश्व प्रसिद्ध मजार है। यहां पर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। यह विश्व प्रसिद्ध मजार है और 596 वर्ष पुरानी है। यहां पर प्रतिदिन कई हजार लोग देश-विदेश से दर्शनार्थ आते हैं। यहां पर मई माह में उर्स लगता है, जिसमें कई लाख लोग सम्मिलित होते हैं तथा जनवरी-फरवरी के महीने में एक माह के लिए मेला लगता है। यह एक विश्व प्रसिद्ध मजार है। विश्व प्रसिद्ध इस धार्मिक स्थल को भी तीर्थ रेलवे से जोड़ा जाए।

मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत हरदोई, सीतापुर, नीमसार व सण्डीला रेलवे स्टेशन, बालामऊ जंक्शन अति पिछड़े हुए क्षेत्रों में आते हैं। इन रेलवे स्टेशनों के उन्नयन की आवश्यकता है। यहां पर यात्रियों के आराम, सुविधाओं, आस-पास

के परिवेश में सौन्दर्य में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई अथवा सीतापुर में नवीनतम उन्नत लोको पायलट प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नत रेल पथ प्रशिक्षण केन्द्र अथवा बहु-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाए।

मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सवारी डिब्बा कारखाना, लोको कारखाना अथवा डीजल मल्टीपल यूनिट कारखाने की स्थापना की जाए।

मिसरिख संसदीय क्षेत्र अंतर्गत किसानों के सुनिश्चित भविष्य के लिए किसान विजन परियोजना के अंतर्गत एक प्रशीतित कंटेनर कारखाना स्थापित किया जाए।

आबिदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी कानपुर-बालामऊ-नीमसार वाया शाहजहांपुर से दिल्ली चलती थी । इस रेलगाड़ी को बंद कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता उपर्युक्त रेलगाड़ी को चलाए जाने हेतु निरंतर मांग कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। इस रेलगाड़ी को पुन: प्रारंभ किया जाए।

मेरा यह भी अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मिसरिख, जनपद सीतापुर (उ.प्र.) के अंतर्गत निम्नांकित रेलवे सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए जाएं।

1. ग्वालियर से छपरा जाने वाली रेलगाड़ी का बिल्हौर में ठहराव सुनिश्चित करना।
2. कानपुर-वाराणसी के बीच एक नई जन शताब्दी एक्सप्रेस प्रारम्भ करना।
3. लखनऊ-दिल्ली वाया बरेली होकर एक नई जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाया जाना।
4. कानपुर-आगरा वाया झांसी-ग्वालियर होकर एक नई जन शताब्दी एक्सप्रेस प्रारम्भ किया जाना।
5. बिल्हौर से कक्वन मार्ग पर रेलवे पुल का निर्माण किया जाना।.
6. लखनऊ-हरदोई मार्ग पर सण्डीला में बेनीगंज मार्ग पर रेलवे पुल का निर्माण किया जाना।
7. मिसरिख रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यकरण कराए जाने की आवश्यकता।
8. कानपुर-ओरई-झांसी रेलवे मार्ग को दोहरा किए जाने की आवश्यकता।
9. लखनऊ-सीतापुर-मैलानी-पीलीभीत बरेली रेलवे मार्ग का गैज परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता।
10. कानुपर-ओरई-झांसी रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता।
11. सीतापुर से नानपारा एवं बालामऊ-कन्नौज नई रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता।
12. शताब्दी एक्सप्रेस जो दिल्ली से कानपुर तक चलती है, उसको लखनऊ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता।
13. आबिदा एक्सप्रेस जो दिल्ली से कानपुर के बीच चलती है, को वाया बालामऊ, नीमसार, सीतापुर चलाए जाने की आवश्यकता।
14. अरौल मकनपुर स्टेशन, जो कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन से 65 किमी. की दूरी पर है, में गाड़ी संख्या 5037 अप व 5038 डाउन का ठहराव किए जाने की आवश्यकता।
15. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मल्लावां, माधौगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म काफी नीचे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। अत: प्लेटफार्म को ऊंचा करते हुए सीमेंट की शेड डालवायी जाए।
16. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अरवल एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इस स्टेशन के पास ही मकनपुर में मदारशाह की विश्व प्रसिद्ध मजार है। यहां पर देश की ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। यह विश्व प्रसिद्ध मजार है और 596 वर्ष पुरानी है। यहां पर प्रतिदिन कई हजार लोग देश-विदेश से दशनार्थ आते हैं। यहां पर मई माह में उर्स लगता है, जिसमें कई लाख लोग सम्मिलित होते हैं तथा जनवरी-फरवरी के महीने में एक माह के लिए मेला लगता है। अरवल रेलवे स्टेशन, जो मकरनपुर के पास में ही है, में यात्रियों/श्रद्धालुओं के लिए जरूरी

[श्री अशोक कुमार रावत]

मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। विश्व प्रसिद्ध मदारशाह की दरगाह को दृष्टिगत रखते हुए अरवल रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यकरण करते हुए यहां पर पेयजल, शौचालय, विश्रामालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

17. अरौल-मकनपुर रेलवे स्टेशन पर कालिन्दरी एक्सप्रेस (14723-14724) एवं पवन एक्सप्रेस (15037-15038) का ठहराव दिया जाए।

18. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सण्डीला में यातायात के भारी दबाव को देखते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरि पुल बनाया जाए।

19. बिल्हौर में भी यातायात के भारी दबाव को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरि पुल बनाया जाए।

20. चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, अरौल स्टेशनों पर यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं का भारी अभाव है। इन रेलवे स्टेशनों का सौन्दर्यकरण करते हुए वहां पर पेयजल, विद्युत, प्रतीक्षालय आदि की समुचित व्यवस्था करवाई जाए।

21. शिवराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किमी. की दूरी पर क्रॉसिंग नं. 43 है, जिससे एक बड़ी संख्या में ट्रैफिक गुजरता है। संभवत: इस क्रॉसिंग को बंद किए जाने की योजना है। इस क्रॉसिंग से गुजरने वाले यातायात का ध्यान में रखते हुए जनहित में यह उचित है कि इसको बंद न किया जाए। इसको यथावत खोला जाए।

22. मेरे संसदीय क्षेत्र मिसरिख में विश्व प्रसिद्ध नैमिषारण्य के धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए नीमसार और मिसरिख रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यकरण किया जाए और यहां पर पेयजल, शौचालय, विश्रामालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और आबिदा एक्सप्रेस का नीमसार रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।

23. सीतापुर-लखनऊ छोटी रेलवे लाइन है। इसको ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की विगत काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस प्रकरण में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस रेलवे लाइन का 2005 में सर्वेक्षण हो चुका है, जो अभी तक लंबित है। सीतापुर मेरे संसदीय क्षेत्र का जनपद मुख्यालय है। अब तक इस रेलवे लाइन का निर्माण न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस छोटी रेल लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में शीघ्र परिवर्तित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

24. जम्मू-तवी से कानपुर सेन्ट्रल रेलगाड़ी नं. 12470 (जम्मूतवी एक्सप्रेस) का मल्लावां रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।

25. सीतापुर-बालामऊ पैसेंजर रेलगाड़ी नं. 54335-54336 में वर्तमान में केवल 7 कोच लगे हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह कोच बहुत कम है। अत: इस पैसेंजर रेलगाड़ी में कम-से-कम 3 रेलवे कोच और बढ़ाए जाएं।

26. मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र मिसरिख, जनपद सीतापुर (उ.प्र.) का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। लेकिन, मुझे अत्यधिक खेद एवं आश्चर्य है कि जन-प्रतिनिधियों के साथ आयोजित होने वाली उ.रे. की किसी भी बैठक का मुझे आज तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। मैं जानना चाहूंगा कि विगत साढ़े तीन वर्षों के दौरान आज तक स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के साथ क्या कोई बैठक आयोजित की गई है? यदि हां, तो ये बैठकें कब-कब आयोजित की गई हैं और इनमें मुझे स्थानीय सांसद होने के नाते किन कारणों से नहीं बुलाया गया है।

मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं रेल बजट वर्ष 2013-14 को पूरी तरह से अदूरदर्शी तथा निराशाजनक बजट मानता हूं। देश को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार 17 वर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी के किसी मंत्री को रेल मंत्रालय का दायित्व मिला था। जब यूपीए प्रथम सरकार आयी, तब जो रेल मंत्री थे, वे विश्वस्तरीय रेल बनाने की बात कह रहे थे। कुल्हड़ में चाय पिलायेंगे, खादी को महत्व देंगे, दूध-मट्ठा मिलेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब यूपीए का दूसरा कार्यकाल आया, यूपीए की दूसरी बार सरकार वर्ष 2009 में बनी, तो रेल मंत्री महोदय ने यहां कहा और मां, माटी और मानुष के साथ रेलवे को जोड़ने की बात कही और पहले वाले मंत्री के खिलाफ

उन्होंने कहा कि उन्होंने सब आंकड़ों की बाजीगरी की थी। उस पर व्हाईट पेपर उन्होंने लाने की बात की थी। रेलवे की स्थिति वाकई में ठीक नहीं है, यह पूरा देश जानता है। पवन कुमार बंसल जी जब रेल मंत्री बने, चूंकि वे सीनियर मिनिस्टर हैं, लोगों को उम्मीद हुई कि निश्चित तौर पर रेलवे की जो व्यथा है, उससे रेलवे को बाहर निकालने के लिए कुछ न कुछ उपाय करेंगे। दुर्भाग्य है कि जब वे बजट पढ़ रहे थे, पहली बार मैंने देखा, मैं 14वीं लोक सभा में भी था, इस बार भी हूं, लेकिन अभी तक के रेल बजटों में जितना असंतोष भाषण के समय मैंने देखा, वह पवन कुमार बंसल जी के पहले कभी ऐसा नहीं था। उनके सहयोगी दल वेल में आ गए। अपनी सीट से खड़े होकर लगभग सभी सांसद यह कह रहे थे कि यह बजट कैसा बजट है, यह देश का बजट नहीं हो सकता है। जैसा पहले होता था, जहां-जहां के मंत्री होते थे, वहां को प्राथमिकता देते हुए वे जिस तरह से बजट रखते थे, ऐसा लगा कि यह भी उसी तरह का बजट है। उन्होंने इस सदन को ध्यान में न रखते हुए, अपने नेता के बारे में ध्यान रखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रायबरेली, अमेठी को सब दे दीजिए, चंडीगढ़ को दे दीजिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब रात्रि के आठ बज गए हैं। अतः, श्री गणेश सिंह, बाद में जब यह मद ली जाएगी तो आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा 'शून्य काल' लेगी। यदि सभा सहमत है तो हम सभा का समय 'शून्य काल' समाप्त होने तक बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : सभा का समय 'शून्य काल' समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

मैं सदस्यों से संक्षेप में अपनी बात कहने का अनुरोध करता हूं। पहले ही आठ बज चुके हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बिहार राज्य में पिछड़ी जातियों और अतिपिछड़ी जातियों का बुरा हाल है। इसलिए सभी जातियों ने अपनी-अपनी एक महासंघ बना ली है। वे महासंघ बना कर सम्मेलन करते हैं, जुटान करते हैं और मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं? लोहार महासंघ, नोनिया महासंघ, मल्लाह महासंघ, धानुक महासंघ, कानू महासंघ, केवल महासंघ, गोड़ही महासंघ, कैवर्त महासंघ, तुरहा बिल्द बेलदार महासंघ, गरेड़िया महासंघ, कुम्हार महासंघ, बढ़ई महासंघ, कहार महासंघ और हजाम महासंघ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनका ध्यान न बटाएं। उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये सभी महासंघों ने मांग की है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। ब्रिटिश राइटर ने लिखा है और सन् 1981 में जब केन्द्र से यह विभाग होम मिनिस्ट्री में था तो राज्य सरकार से परामर्श हुआ था। राज्य सरकार की कोताही के चलते अभी तक इन लोगों की मांगें नहीं पूरी हुई है। इसी तरह से तटवा, ताती, तुरहा और तेली ये चारों जातियां कहती हैं कि हमारी हालत सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए हम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। यह देखेगा सामाजिक अधिकारिता विभाग और उनको देखेगा ट्राइबल विभाग। एक तेली महासंघ है, वह मांग करते हैं कि हमको अति पिछड़ी जाति में रखा जाए और राज्य सरकार ने आयोग भी बना दिया। आयोग ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। सभी महासंघों के लोग लड़ रहे हैं। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि अति पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इन महासंघों के मांग के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने हेतु कानून लाए, हम लोग इसका समर्थन करेंगे। यह राज्य सरकार से पूछताछ और लिखा-पढ़ी करे और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया समाज अध्ययन संस्थानों से इनका अध्ययन करे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डॉ. अजय कुमार को डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री पी.के. बिजू (अलथूर) : सभापति महेदय, धन्यवाद। मैं सभा का ध्यान सीबीएसई पाठ्यक्रम की सातवीं कक्षा की पुस्तक में श्री नारायण गुरुदेवन पर की गई अपमानजनक टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस विवादित पाठ में गुरु को अन्य धर्मों को नीचे दिखाने वाला दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति दर्शाया गया है।

यह अंश एनसीईआरटी द्वारा 2008 में तैयार सीबीएसई की सामाजिक विज्ञान की सातवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में है। इसमें कहा गया है: "आज के केरल में, 'नीची' जाति इझावा के एक गुरु, श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता के आदर्श का प्रतिपादन किया। उन्होंने एक पंथ के बीच समानता, एक जाति और एक गुरु की हिमायत की। उन्होंने उन सबको केवल एक गुरु में आस्था रखने के लिए प्रेरित किया और वे एक गुरु वे स्वयं थे।"

यह तथ्यों के विपरीत है और इसका उद्देश्य एक समाज सुधारक के रूप में श्री नारायण गुरुदेवन की छवि को धूमिल करना है। उन्होंने केरल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, जातिवाद के विरुद्ध विद्रोह किया और आध्यमिकता में स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता के नए मूल्यों का प्रचार किया जिससे केरल समाज में परिवर्तन हुए।

यह विषय-वस्तु श्री नारायण गुरुदेवन और उनकी विचारधारा के पूर्णतः अप्रासंगिक है। यह स्पष्टतः गुरुदेव को एक धार्मिक आदर्श और समाज सुधारक के स्थान पर एक साधु दर्शाने के लिए उठाया गया कदम है। केवल गुरुदेवन के मामले में ही ऐसा नहीं हुआ है। सीबीएसई पाठ्यपुस्तकों में भगत सिंह और डॉ. अंबेडकर को भी गलत उद्धृत किया गया है।

यह अंश इतिहास बदलने के समान है जहां हित विशेष के पक्ष में एतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर कर प्रस्तुत किया जाता है।

मैं सरकार से तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने वालों और वर्तमान पाठ्यपुस्तक के स्थान पर सही पाठ्यपुस्तक लाने के लिए तुरंत कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर) : महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सड़क निधि से सहरानपुर-मलीपुर-बड़गांव मार्ग मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर 29 करोड़ रुपये स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष में 600 लाख रुपये निर्माण विभाग को दिए गए थे। लेकिन अत्यंत दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि निर्माण कार्य पूर्णरूप से बंद है। मात्र 10 प्रतिशत सड़क निर्माण कार्य किया गया है और वह भी मानक के अनुरूप नहीं है। केन्द्रीय योजना के अंतर्गत दूसरी सड़क सहारनपुर-हथिनी कुंड-बैराज रोड पर भी केन्द्र सरकार द्वारा 37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। सापेक्ष में 800 लाख रुपये धनराशि आवंटित की गई थी। उक्त मार्ग की स्थिति भी ठीक नहीं है। विभागीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय निधि का दुरुपयोग करके मानक के अनुरूप सड़क निर्माण न करवाना और निर्माण कार्य बीच में रोक देना उचित नहीं है। यह केन्द्रीय निधि का खुला दुरुपयोग है।

महोदय, सड़क निर्माण न होने के कारण रोज दुर्घटनाएं घटती हैं। मैं एक वर्ष से लगातार माननीय मंत्री महोदय को अनेक बार बता चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सड़क के गड्ढों के निर्माण में कोई अंतर नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय निधि से बनने वाले मार्गों को मानक के अनुरूप बनाया जाए और रुके हुए सड़क निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ किए जाएं। इसमें अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु एवं सड़क निर्माण कार्य के लिए शेष धनराशि आवंटित करवाने की कार्यवाही की जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति जी, मैं आज बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ने आईएएस के ऐग्जाम का पेटर्न बीस साल बाद चेंज किया है। उस पेटर्न में उन्होंने यह किया है कि अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य होगा और अंतिम मैरिट सूची में भी इसके नम्बर जोड़े जाएंगे।...*(व्यवधान)* भारतीय भाषाओं को चाहे मराठी, तमिल, पंजाबी, मलयालम या हिन्दी हो, हिन्दी को भी हटा दिया गया और कहा कि आपको अंग्रेजी भाषा का पेपर कम्पलसरी देना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यह राजभाषा का सीधा अपमान है। इससे ग्रामीण और कमजोर वर्गों के क्षेत्रों को नुकसान होगा। यह शहरी पृष्ठभूमि के अमीर वर्ग और विदेशी माहौल में पढ़े हुए छात्रों को बढ़ावा देने, इलीट क्लास को बढ़ावा देने का एक कुत्सित प्रयास है। यह आईएएस और आईपीएस सेवाओं की ब्रिटिश कालीन आईसीएस सेवा में तब्दील करने की एक साजिश है जो आईएएस और आईपीएस

को आम जनमानस की पहुंच से बाहर बनाने का प्रयास है। यह आईएएस और आईपीएस को समाज की जड़ों से दूर कर देगा। अगर कोई आईएएस लोकल लैंग्वेज नहीं जानेगा, तमिल नहीं जानेगा, राजस्थानी नहीं जानेगा, हिन्दी नहीं जानेगा तो जनता का क्या काम करेगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय भाषाओं का जो क्वालीफाइंग पेपर खत्म कर दिया गया है, उसे पुन: चालू किया जाए और अंग्रेजी के कम्पलसरी पेपर को हटाया जाए। इस पेटर्न को दुबारा चेंज किया जाए।...*(व्यवधान)* यह पूरे सदन की मांग है। इसे चेंज किया जाये।...*(व्यवधान)* तीन सौ नम्बर की इंटरव्यू और कर दिया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, आप पर्ची भेज सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सरकार को जबाव भी देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* यह महत्वपूर्ण विषय है।...*(व्यवधान)* यह भारतीय भाषाओं के साथ अपमान हैं।...*(व्यवधान)* इसे कैसे कर दिया?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप सभापति को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : इसका रिप्लाई आना चाहिए। मंत्री जी यहां बैठ हुए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर जाएं। माननीय मंत्री यहां है। उन्होंने इसको नोट कर लिया है। जो माननीय सदस्य अपनी बात उनसे संबद्ध करना चाहते हैं वे कृपया अपनी पर्ची भेजें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : कल माननीय मंत्री जी आयेंगे, तो हम उन्हें बता देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री अजय कुमार, श्री अशोक कुमार रावत, प्रो. सौगत राय, श्री पोन्नम प्रभाकर, श्री चंद्रकांत खैरे, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री गणेश सिंह, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी को श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए गए प्रश्न से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) **:** सभापति महोदय, खेती की जमीन किसानों की जीविकोपार्जन का साधन है। किसानों को इस बात से एतराज नहीं है कि उनकी जमीन ली जाये, लेकिन उन्हें इस बात पर एतराज है कि उनको उनकी जमीन से विस्थापित कर दिया जाये और बदले में उनका कोई पुनर्वास न किया जाये। बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड में बिहार सरकार के सहयोग से एक थर्मल सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लगाने की योजना है। वहां 2 हजार एकड़ से ऊपर जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। चौस-सासाराम एवं चौसा-मेहनिया रोड के ठीक बीचों-बीच गंगा के किनारे यह बहुत कीमती जमीन है, बहुत उपजाऊ जमीन है। उसे औने-पौने भाव पर लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसके कारण किसानों में भारी असंतोष है। वे थर्मल पावर लगाने के विरोधी नहीं हैं। उनकी इच्छा है कि उन्हें उनकी जमीन की उचित कीमत मिले, उनको नौकरी मिले और विस्थापन का दंश उन्हें न झेलना पड़े। बिहार में ऐसी जमीन के लिए 25 से 30 लाख रुपये प्रति एकड़ की कीमत दी जा रही है। यह उससे भी कीमती जमीन है, लेकिन वहां के किसानों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किसानों की इच्छा है कि यह थर्मल पावर लगे और उस इलाके के उद्योग, व्यापार बढ़े। उनके घरों में रोशनी हो, उनकी खेती के लिए पर्याप्त बिजली मिले। लेकिन साथ ही वे चाहते हैं क यदि जीविकोपार्जन का साधन उनके हाथों से छीना जाये, तो उनके जीने का कोई दूसरा साधन वैकल्पिक रूप में उनको मिले।

मैं केन्द्र सरकार से इसी बात की मांग करता हूं कि सतलुज जल विद्युत निगम को निर्देशित किया जाये कि वहां के किसानों की

[श्री जगदानंद सिंह]

जमीन का जब अधिग्रहण हो, तो पुनर्वास की व्यवस्था के लिए उन्हें थर्मल पावर में नौकरी तथा जमीन की उचित कीमत देने की व्यवस्था की जाये। वहां के किसान संघर्ष को आतुर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष बड़ा स्वरूप ले, उससे पहले उन्हें चौसा की जमीन की उचित कीमत मिले, ताकि उन्हें वहां से विस्थापन का दंश न झेलना पड़े मैं केन्द्र सरकार से यह भी मांग करता हूं कि कीमत के साथ वहां के लोगों को उस उद्योग में नौकरी भी दी जाए।

[अनुवाद]

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल) : महोदय, मुझे इस स्थान से बोलने की अनुमति दी जाए।

आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के गठन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि इस सम्मानीय सदन को ज्ञात है कि हैदराबाद के नाम पर तेलंगाना क्षेत्र 1956 तक विद्यमान था। बाद में, भाषायी राज्यों के गठन के समय, यह आंध्र क्षेत्र का हिस्सा था, जो मद्रास राज्य के अंतर्गत था, इसे लाकर आंध्र क्षेत्र के साथ विलय कर दिया गया और आंध्र प्रदेश के रूप में इसका पुन: नामकरण किया गया। उस समय, हमारा राजस्व 41 प्रतिशत से अधिक था; परन्तु तेलंगाना क्षेत्र के लोग सीधे सादे थे, हालांकि हम धनी थे। आंध्र क्षेत्र का इस क्षेत्र के साथ विलय कर दिया गया। विलय के समय, भारत के निर्माणकर्त्ता और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, नेहरू जी, जब आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक सीधी सादी लड़की का विवाह शरारती लड़के से किया जा रहा है; जब तक वे सहअस्तित्व में रहते हैं तब तक इनको साथ रहने दिया जाए; यदि इनमें मतभेद होता है और ये संबंध विच्छेद मांग करते हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी सहमति दी जाए और संबंध विच्छेद मंजूर किया जाए। ये विचार चाचा नेहरू जी के थे। बाद में, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अंबेडकर, इस देश के दूरदृष्टता, इस लोकतांत्रिक देश के निर्माणकर्त्ता और संविधान के प्रणेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य जितना छोटा होगा, उसकी विकास दर उतनी अधिक होगी; राज्य जितना छोटा होगा, इसके कमजोर वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के उतने व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। राज्य जितना छोटा होगा, संघीय प्रणाली और संघ सरकार, अर्थात् केन्द्रीय सरकार उतनी ही मजबूत होगी। उनके ये विचार थे। ये मांग काफी समय से लंबित थी और इसके गठन से ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक, प्रदर्शन चल रहा था और लोगों के बीच असंतोष था।

इसके बाद, राज्यों से कहा गया और राज्य के सभी दलों के नेताओं ने बैठक की और सर्वसम्मति से तेलंगाना के लिए सहमति और समर्थन किया। उन्होंने एक संकल्प लिया। यह संकल्प दिल्ली आया। पूरे सत्यापन और जांच के बाद एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया और इसी सदन में 10 दिसंबर, 2009 को माननीय गृह मंत्री द्वारा एक स्पष्ट वक्तव्य दिया गया कि तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इसके बाद, आंध्र के लोगों ने प्रदर्शन की तैयारी की, कृत्रिम रूप से प्रदर्शन किया गया और इस पर 'यू' टर्न लिया गया।

सभापति महोदय : आप अपनी मांग रखें।

श्री राजय्या सिरिसिल्ला : मैं उसी पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय : नहीं, अब आप अपनी मांग रखें।

श्री रायय्या सिरिसिल्ला : महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है। यह बहुत पहले से चला आ रहा लम्बित विषय है।

सभापति महोदय : जब सदन में, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो, तब आप उस समय इस विषय पर विस्तार से बोल सकते हैं। उस समय आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी। अब, यह 'शून्य काल' है और अनेक अन्य माननीय सदस्य बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

श्री राजय्या सिरिसिल्ला : महोदय, आखिर हमारा देश लोकतांत्रिक है और दल सहमति देने के बाद विमत हुए हैं। हमें अपने संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए और तुरंत एक राज्य का गठन किया जाना चाहिए।

महोदय, कृपया मेरी बात सुनें।

सभापति महोदय : आपके बोलने के लिए केवल दो मिनट की अनुमति दी जाती है। आप पहले ही पांच मिनट ले चुके हैं।

श्री राजय्या सिरिसिल्ला : 'सर्वजन सम्मे' के नाम पर सरकारी कार्यालयों समेत सभी संस्थानों में काम रूका गया। इस विरोध प्रदर्शन में जनता के सभी वर्ग शामिल थे।

सभापति महोदय : 'शून्य काल' में लंबे भाषण की अनुमति नहीं है। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजय्या सिरिसिल्ला : यह विरोध प्रदर्शन 42 दिन चला। सड़कें और हर चीज बंद थी।

सभापति महोदय : गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर बोलते समय आप विस्तारपूर्वक अपनी बात कह सकते हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए। इसमें कुछ अनुचित नहीं है। हम इसकी अनुमति दे रहे हैं। लेकिन 'शून्य काल' में आपको अपनी बात संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। अन्य माननीय सदस्य भी अपनी बात कहने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

श्री राजय्या सिरिसिल्ला : महोदय, इस समय तक मैं अपनी बात समाप्त कर चुका होता। कृपया मुझे अनुमति दें। शिक्षित से अशिक्षित के बीच, बच्चों से बूढ़ों के बीच सभी लोगों में सीधा विभाजन है।

महोदय, स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद...

सभापति महोदय : आप सरकार से जो चाहते हैं, वह बताएं।

श्री राजय्या सिरिसिल्ला : जो दल सहमत हुए हैं, उन्हें तुरंत लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए तथा तेलंगाना के गठन के लिए केन्द्र सरकार की सहायता का संकल्प करना चाहिए। तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि संप्रग अध्यक्षा सोनिया गांधी जी तेलंगाना राज्य के गठन के लिए पहल करेंगी। धन्यवाद, महोदय।

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं सरकार से कैंसर के उपचार और निदानार्थ नयाचार के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध करता हूं। कैंसर अनेक चुनौतियों में से एक है जिसका सामना आज भारत को करना पड़ रहा है ऐसा अनुमान है कि देश में 20 लाख से 25 लाख कैंसर रोगी हैं और प्रतिवर्ष लगभग सात लाख नए मामले आ रहे हैं और उनमें से लगभग आधे मामलों में प्रतिवर्ष मौत हो जाती है। कैंसर के नए मामलों में दो-तिहाई मामले अंतिम चरण में आते हैं और निदान के समय उनका उपचार संभव नहीं होता। इन प्रभावित रोगियों में से 60 प्रतिशत से अधिक की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होती है।

ये तथ्य भारत में कैंसर मामलों की व्यापकता और गंभीरता दर्शाते हैं। देश में कैंसर से लड़ने के लिए निदान और उपचार के लिए एक मानकीकृत नयाचार का अभाव एक बड़ी बाधा है। अत:, मैं सरकार से एक मानकीकृत नयाचार विकसित करने का अनुरोध करता हूं ताकि कैंसर से लड़ने के प्रयासों में हमें बड़ी सफलता मिल सके।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति महोदय, मैं आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए शेष ऋण पर ब्याज भुगतान पर रोक लगाने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार की मांग पर बोलने के लिए उठा हूं।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार 20 महीने पहले आई थी। जब यह आई तो पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर 2.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण का भार छोड़ा था। उस समय, केन्द्र द्वारा तत्कालीन राज्य सरकार पर एफआरबीएम अधिनियम लागू नहीं किया गया था। अब इस 2.3 लाख करोड़ रुपए के इस बकाया ऋण पर, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 26,000 करोड़ रुपए के ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। पिछले वर्ष, सरकार की राजस्व आय केवल 21,000 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार, विकास के लिए बहुत कम राशि बची।

अब, पश्चिम बंगाल पर केवल ब्याज प्रभारित ही नहीं किया जा रहा है बल्कि इसे पश्चिम बंगाल की अनुदान सहायता के हिस्से में से काट लिया जाता है। राज्य को केन्द्र सरकार से यह सौगात मिल रही है। राज्य बहुत बड़ी वित्तीय कठिनाई में फंसा है। राज्य ऋण की पुनर्संरचना पर बल देता रहा है, ब्याज की माफी पर नहीं बल्कि तीन साल के लिए इसके भुगतान के स्थगन पर बल देता रहा है। यदि यह मांग नहीं मानी जाती है और पश्चिम बंगाल उस स्थिति में आ जाता है जहां वेतन का भुगतान करना कठिन हो जाता है तो हजारों-लाखों लोग दिल्ली आएंगे और ऋण के भुगतान के स्थगन की मांग करेंगे।

यह अकेले पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है। पिछले वित्त आयोग में यह कहा था कि भारत में तीन ऋणग्रस्त राज्य हैं; पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल। चूंकि पंजाब और केरल छोटे राज्य हैं, अत: उनकी समस्या भी छोटी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह नियंत्रण से बाहर हो गई है। जब हम संप्रग-II सरकार में थे, तब हमने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से यह मांग की थी लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब हम विपक्ष में हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारी संवैधानिक रूप से गठित सरकार हैं, हमारी मांग की पूर्णत: अनदेखी की जा रही है।

मैं मांग करता हूं कि इस बजट सत्र के समाप्त होने से पूर्व केन्द्र ऋण स्थगन पर निर्णय ले। अन्यथा, हमारा आंदोलन राजधानी दिल्ली तक फैल जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं भरतपुर क्षेत्र से हूं। वहां के निवासी प्रदीप चौधरी के पुत्र श्री राजकुमार चौधरी मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। नवंबर, 2010 में श्री राजकुमार चौधरी दुबई से ईरान रवाना हुए। जहाज में कप्तान से सिगनलिंग में कुछ गलती हुई, जिसकी वजह से वह जहाज रास्ता भूलने के कारण ईरान की जगह इराक पहुंच गया। जहाज में सवार श्री राजकुमार चौधरी सहित अन्य चार लोगों को इराक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अन्य चार व्यक्तियों को इराक पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया, परन्तु श्री राजकुमार चौधरी को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। जिससे उनके पिता श्री प्रदीप चौधरी एवं समस्त परिवार बेहद दु:खी एवं आहत हैं। मेरा निवेदन है कि श्री राजकुमार चौधरी की रिहाई के लिए भारत सरकार की तरफ से अतिशीघ्र समुचित कदम उठाना आवश्यक है।

सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि संसदीय क्षेत्र भरतपुर के श्री राजकुमार चौधरी को इराक सरकार से रिहा कराने हेतु सकारात्मक जोरदार कार्रवाई की जाए, जिसके लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासी, श्री राजकुमार चौधरी के परिजन और मैं आपका बहुत आभारी होंगे।

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान देश में नकली मिलावटी एवं सिंथैटिक दूध, पनीर एवं खोवा जो बाजार में खुलेआम बिक रहा है, जिससे लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हा रहे हैं, उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारा देश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। यदि यह सही है तो फिर सिंथैटिक दूध बाजार में धड़ल्ले से क्यों बिक रहा है। रेलवे स्टेशनों पर जो चाय मिलती है, उसका दूध नकली होता है और आए दिन ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं। मिठाइयों की दुकानों में नकली खोवा, पनीर हर रोज उपयोग होता है। आज देश के सभी शहरों में मिलावटी दूध, पनीर और खोवा खुलेआम बाजार में बिक रहा है। अकेले दिल्ली में ही हर रोज 40 लाख लीटर दूध की जरूरत है। क्या इसकी आपूर्ति के सही आंकड़ें सरकार के पास हैं कि किन-किन डेयरियों द्वारा मदर डेयरी को दूध की सप्लाई दी जा रही है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। गौ पालन हमारी पुरानी संस्कृति रही है। लेकिन धीरे-धीरे गौ पालन कम होता चला गया और दूध की जरूरत बढ़ती गई। शुद्ध प्राकृतिक दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु गांव-गांव में उन युवाओं को जो खेती के काम पर लगे हैं, उन्हें गाय, भैंस पालन हेतु अनुदान दिया जाए। तब ही स्वस्थ भारत की कल्पना की जा सकती है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि मिलावटी दूध, पनीर एवं खोवा पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आज पूरे देश में बड़ी संख्या में फर्जी कागजों में डेयरी केन्द्र खोले जा रहे हैं, यह धंधा कालेधन को सफेद करने में सबसे प्रभावी सिद्ध हो रहा है। जिस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। देश के सभी राज्यों में प्रत्येक जिले में एक-एक गौ अभ्यारण खोला जाना चाहिए। इससे गांव की समृद्धि बढ़ेगी तथा गरीबी भी कम होगा और इसके साथ ही देश दुग्ध उत्पादन में स्वावलम्बी बनेगा।

देश में ग्वाला गद्दी जैसी कई पंजीकृत दुग्ध डेयरियां हैं, जो वास्तविक रूप से प्राकृतिक दूध उत्पादन का कार्य करती हैं। ऐसी डेयरियों को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं। कि आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी समस्या को यहां रखने का मौका दिया है। हर रेल मंत्री जी अपने रेल बजट में कहते हैं कि रेलवे भारत की लाइफ लाइन बनेगी। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि करीमनगर जैसा जिला मुख्यालय देश की आजादी के 60 साल बाद भी राज्य की राजधानी से रेल से नहीं जुड़ पाया है। हमारा जिला आईएपी, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। वहां पर काफी बेरोजगार है। वहां से स्टेट हैंड क्वार्टर जाने के लिए रेल लाइन नहीं है, सिर्फ रोड द्वारा ही जाना पड़ता है। रोड भी सही नहीं है और वहां जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें अब तक हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूरी रिपोर्ट रखने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हुआ। दो साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री ममता जी ने रेल बजट में करीमनगर-हैदराबाद वाया सिकंदराबाद वाया सिद्दिपेट के लिए सर्वे कराने की घोषणा की थी। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुई और कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपके

माध्यम से रेल मंत्री जी को कहन चाहता हूं। कि यह रेल लाइन 130 किलोमीटर की दूरी है। इस लाइन के बनने से वहां के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी और वहां से जो शहरों में पलायन हो रहा है, वह भी रुकेगा, क्योंकि लोगों को वहीं रोजगार मिलेगा और रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। करीमनगर वाया पेद्दीपल्ली स्टेट हैड क्वार्टर सीधी रेल लाइन नहीं है, पेद्दीपल्ली से अलग लाइन है, वहां तिरुपति के लिए एक ट्रेन पिछली बार रेल बजट में चलाने की घोषणा हुई थी। वह सप्ताह में केवल एक दिन चलती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रेलवे की अनुदानों की मांगें भी हैं। आप वहां बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पोन्नम प्रभाकर : रेल बजट पर हमारी पार्टी से हमें मौका नहीं मिला इसलिए मैं जीरो आवर में इसे उठा रहा हूं। मेरी मांग है कि उस ट्रेन को वीकली किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप लंबा भाषण नहीं दे सकते। यह मंच इस तरह बोलने के लिए नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर) : सभापति जी, हमारे देश की आबादी करीब सवा करोड़ है। समाज के वंचित लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना हमारी सबसे बड़ी चिंता है। जिस तरह सरकार ने राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफार्मेशन को लागू किया है, वैसे ही राइट टू हैल्थ केयर को भी लागू करना चाहिए। तब जाकर समाज के हर तबके को स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। सरकार के साथ निजी क्षेत्र की जो कम्पनीज स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं, उन्हें सस्ती कीमत पर यह सुविधा लोगों को उपलब्ध करानी चाहिए। इसलिए सरकार को एफोर्डेबल हैल्थ पॉलिसी अविलम्ब लागू करनी चाहिए। इस तरह की पॉलिसी कर्नाटक और तमिलनाडु में वहां की प्रदेश सरकारें लागू कर चुकी हैं। इसलिए पूरे देश में ऐसी पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि ग़रीबों के इलाज की समुचित व्यवस्था हो सके।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात सदन में उठाना चाहता हूं कि यमुना रक्षक दल की ओर से यमुना बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। हजारों की तादाद में यमुना माता के भक्तगण दिल्ली आ रहे हैं। यह पर्यावरण विभाग से जुड़ा हुआ मसला है। हमारे आदरणीय रघुवंश बाबू जी भी इस विषय में बताएंगे। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों को बुलाकर इस गंभीर विषय पर निर्णय देने के लिए आदेशित करें, ऐसी मैं सरकार से विनती करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री अर्जुन राम मेघवाल को डॉ. संजीव गणेश नाईक द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम) : सभापति महोदय, आपने मुझे गुजरात की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरदार सरोवर परियोजना एक अंतर्राज्यीय योजना है जिसमें गुजरात के साथ अन्य तीन राज्य भी शामिल हैं और वह बहुद्देश्यीय योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य बिजली, गुजरात तथा गुजरात के बाहर भी पानी पहुंचाना है। गुजरात में कच्छ मरुभूमि है, रणप्रदेश है। योजना का उद्देश्य कच्छ एवं राजस्थान के रण प्रदेश में नर्मदा का पानी पहुंचाना है। मगर केन्द्र सरकार की एक एक्सीलिरेटेड ईरिगेशन बैनिफिट प्रोग्राम की एक योजना है, उसके तहत सूखाग्रस्त विस्तार में केन्द्र सरकार द्वारा 90 फीसदी सहायता दी जाती है तो क्या गुजरात सरकार ने इस बारे में केन्द्र सरकार को एक विनती की है कि सूखाग्रस्त विस्तार की तरह रणप्रदेश और मरुभूमि है वहां भी जीवन कठिन होता है तो केन्द्र सरकार ने इस बात को माना है और केन्द्र सरकार ने इसके लिए आयोजन पंच के साथ इस बात को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया है।

सभापति जी, सरदार सरोवर परियोजना का कुल 18.46 लाख हैक्टेयर विस्तार में सिंचाई देने का प्रावधान है। इसमें से 5.08 लाख हैक्टेयर यानी कि लगभग 27.5 प्रतिशत रण-विस्तार है। मरुभूमि में स्थिति दुष्कर होती है, खराब होती है। अत: रण-विस्तार में की गयी योजना को एआईबीपी के तहत समकक्ष गिनना भारत सरकार ने

[डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी]

90 फीसदी सहायता देने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने 27 दिसम्बर, 2012 के दिन नेशनल डिवेलप कौंसिल में इसकी प्रस्तुति भी की है।

सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार के एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास यह दरख्वास्त अभी विचाराधीन है, उसे शीघ्र ही मंजूर किया जाए ताकि इस योजना को आगे बढ़ाया जा सके, नहरों का निर्माण हो सके और शीघ्र ही यह योजना पूर्ण हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली) : महोदय, मैं तमिलनाडु के मध्य में एक अतिरिक्त के.स.स्वा.यो. कार्यालय के गठन की अविलंब आवश्यकता सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। वर्तमान में, तमिलनाडु में के.स.स्वा.यो. का केवल एक ही कार्यालय चेन्नै में है। जो बहुत दूर है और राज्य के उत्तरी सिरे पर है। मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्र सरकार के हजारों पेंशनभागी और सेवारत कर्मचारी अचानक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या होने पर हृदय, किडनी फेफड़ों, तंत्रिकातंत्र और आंखों की समस्याओं के निःशुल्क विशेषीकृत उपचार करवाने के लिए 400 से 700 किलोमीटर तक की यात्रा नहीं कर सकते।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में के.स.स्वा.यो. के एक से अधिक कार्यालय हैं। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के मध्य में है और पूरे राज्य से लोग यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के पेंशनभोगी लोगों और उनके परिवारों के कल्याण के हित में, मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से तमिलनाडु में, और वह भी तिरुचिरापल्ली में एक अतिरिक्त के.स.स्वा.यो. कार्यालय की स्वीकृति करने का अनुरोध करता हूं।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : महोदय, मैं एक सरकारी उपक्रम, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं। इसके कर्मचारियों को पिछले पूरे एक वर्ष, अर्थात् 12 महीनों से वेतन और पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। यह एक रुग्ण इकाई है जो वर्तमान में पुनरुद्धार के लिए बीआईएफआर के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि रुग्ण सरकारी उपक्रमों को वेतन और पारिश्रमिक मिलता रहेगा; और नोडल मंत्रालय, जो इस मामले में भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय है, को वित्त मंत्रालय से निधियां लेनी चाहिए और उसका रुग्ण सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को भुगतान करना चाहिए।

महोदय, शायद नोडल मंत्रालय इन कर्मचारियों का भुगतान करना भूल गया जिससे उनकी आजीविका, उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी चिकित्सा आदि पर भारी दबाव आ गया है।

एक और बिन्दु यह है कि हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय में कोलकाता उच्च न्यायाल के एक निर्णय का समर्थन किया है कि जो कर्मचारी 58 साल के बाद 60 साल तक काम करते हैं, उन्हें बिना किसी देरी के उनके वेतन तथा भत्तों का पूरा भुगतान किया जाएगा।

महोदय, इसलिए मैं केन्द्र सरकार तथा नोडल मंत्रालय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड नामक इस बीमार इकाई के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान का तत्काल प्रबंध किया जाए तथा जो कर्मचारी इस बीमार इकाई में 60 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहते हैं उन्हें पेंशन का लाभ भी प्रदान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदय, बिजली पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी है। मेरा आग्रह है कि हाल ही में डीवीसी द्वारा झारखंड राज्य स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र के धनबाद जिले की टुंडी में लगभग 5500 करोड़ रुपये की लागत से 10-10 मेगावाट की दो हाईडल पावर प्लांट लगाने प्रस्ताव पारित किया है। इस पावर प्लांट के निर्माण हेतु बांधों का निर्माण धनबाद जिले के टुंडी, निरसा क्षेत्र, गिरिडीह के पीटांड, डुमरी, गिरिडीह सदर, गांडेय तथा जामतारा के नारायणपुर, जामतारा सदर में होना है। प्रस्तावित बांध की जल ग्रहण क्षमता 240 मीटर होगी एवं इससे 55346 हैक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगी।

इस संदर्भ में मैं सदन के माध्यम से संबंधित विभाग डीवीसी को निर्देशित कराना चाहता हूं कि उक्त हाईडल पावर प्लांट को प्रस्तावित समय-सीमा के अंदर कार्यान्वित करें, जिससे राज्य और देश में बढ़ती बिजली की समस्या से निजात मिल सके एवं क्षेत्र के किसानों को भी सिंचाई की सुविधा हो।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : सभापति महोदय, जन महत्व के इस लोक महत्व के आवश्यक मामले पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं केन्द्र सरकार तथा विशेषकर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्यों की लंबी अवधि से लंबित मांग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

हम इस वर्ष के सामान्य बजट की चर्चा कर रहे हैं। बजट का मुख्य बिन्दु राजस्व संघटन है। सनदी लेखाकार एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं; तथा वे राजस्व की उत्पत्ति में सरकार की सहायता करते हैं।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। कुल वार्षिक कर संग्रहण में से लगभग 95 प्रतिशत इन सनदी लेखाकारों के ईमानदार प्रयत्नों के कारण है। वे करदाता तथा सरकार दोनों की पारदर्शी तथा ईमानदार ढंग से मदद करते हैं। वैयक्तिक रूप से वे लगभग केवल दो लाख सदस्य हैं।

महोदय, उनकी लंबे समय से लंबित मांग है कि वकालत के पेशे की तर्ज पर एक सनदी लेखाकर कटयाप कायिक निधि का निर्माण किया जाए। इससे असमर्थ तथा दिवंगत सदस्यों के परिवारों को मदद मिलेगी। वर्तमान में, संस्थान, 'परोपकार निधि' चला रहा है, जिसमें वैयक्तिक सदस्य योगदान देते हैं। इसके द्वारा, उन्हें कुछ सीमा तक ही वित्तीय मदद मिलती है।

महोदय, इस निधि को सरकार से अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अधिनियम की सबसे बड़ी लाभार्थी है, को इस निधि में योगदान करके इसका प्रतिदान देना चाहिए। मेरे विचार से इस प्रकार की कायिक निधि के निर्माण की उनकी मांग हर लिहाज से उचित है।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से इस प्रकार की कायिक निधि के निर्माण के लिए प्रावधान करने तथा इस श्रेष्ठ कार्य के लिए वार्षिक योगदान देने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : सभापति महोदय, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के समस्त प्रमुख समाचार-पत्रों ने कुश्ती के सम्बन्ध में 'ओलंपिक से कुश्ती बाहर' शीर्षक से एक समाचार का प्रकाशन किया है। समाचार में उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी बोर्ड ने मंगलवार 12 फरवरी की बैठक में कुश्ती को 2020 के ओलंपिक से हटा दिया है। बोर्ड ने कुश्ती को हटाते हुए पेंटाथलान को यथावत रखने का फैसला किया है। कुश्ती 2016 के ओलंपिक में तो शामिल रहेगी परन्तु 2020 के ओलंपिक में शामिल करने का निर्णय आठ खेलों पर वोटिंग के आधार पर होगा। ये खेल हैं — कुश्ती, बेसबाल, स्क्वैश, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, वेकबोर्डिंग, वुशु और रोलर स्पोर्ट्स।

बोर्ड के प्रवक्ता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक रूस के सेंट पीट्सबर्ग में आगामी मई में होगी तथा उसके बाद सितम्बर में अर्जेंटीना के ब्यूनसआयर्स में होने वाली आम सभा में बोर्ड इस बात का फैसला करेगा कि शार्टलिस्ट किए गए उक्त आठ खेलों में से कौन सा खेल 2020 के ओलंपिक में सम्मिलित होगा।

महोदय, कुश्ती भारत का परम्परागत, प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय खेल है। भारत के अनेक कुश्ती खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देख का गौरव बढ़ाया है। कुश्ती न सिर्फ 1896 में ओलंपिक खेलों का हिस्सा है बल्कि कोर स्पोर्ट्स में भी शामिल है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में स्वयं प्रधानमंत्री जी तुरंत प्रभावी हस्तक्षेप करें तथा कुश्ती को ओलंपिक प्रतियोगिताओं में बनाये रखना सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय तथा डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए मामले के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति है।

सभा कल 8 मार्च, 2013 को समवेत होने के लिए पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 08.40 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 8 मार्च, 2013/फाल्गुन 17, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती रमा देवी डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	141
2.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	142
3.	श्री गणेशवराव नागोराव दूधगांवकर डॉ. संजय सिंह	143
4.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	144
5.	श्री मधुसूदन यादव श्री हरिभाऊ जावले	145
6.	श्री उदय प्रताप सिंह श्री गोपाल सिंह शेखावत	146
7.	श्रीमती भावना पाटील गवली श्री जय प्रकाश अग्रवाल	147
8.	श्री रमाशंकर राजभर श्री गोपीनाथ मुंडे	148
9.	श्री हरि मांझी श्री रमेश बैस	149
10.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी श्री हरिन पाठक	150
11.	श्री सी. शिवासामी श्री एस. पक्कीरप्पा	151
12.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	152
13.	श्री पन्ना लाल पुनिया श्री जयंत चौधरी	153
14.	श्री मधु गौड यास्खी श्री प्रदीप माझी	154
15.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	155
16.	श्री बसुदेव आचार्य	156
17.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	157
18.	डॉ. भोला सिंह	158
19.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	159
20.	श्री रतन सिंह श्री चंद्रकांत खैरे	160

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	1664
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	1619, 1713, 1817, 1830
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1642, 1705, 1722, 1744, 1746

1	2	3
4.	श्री आधि शंकर	1716, 1800, 1822
5.	श्री आनंदराव अडसुल	1642, 1705, 1722, 1744, 1746
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1681, 1726
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	1637, 1722
8.	श्री सुल्तान अहमद	1783
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1620, 1788, 1839
10.	डा. रतन सिंह अजनाला	1719
11.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	1698
12.	श्री अनंत कुमार	1745
13.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1727, 1780, 1823
14.	श्री सुरेश अंगड़ी	1630, 1823, 1826
15.	श्री अशोक अर्गल	1814
16.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1705, 1758, 1807
17.	श्री कीर्ति आजाद	1629, 1807
18.	श्री गजानन ध. बाबर	1642, 1705, 1722, 1744, 1746
19	श्री राज बब्बर	1812, 1814
20.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1743
21	श्री रमेश बैस	1803
22.	श्री कामेश्वर बैठा	1804, 1829, 1830
23.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1676, 1840
24.	डॉ. बलीराम	1713, 1738, 1756
25.	श्री अम्बिका बनर्जी	1710
26.	श्री पुलीन बिहारी बासके	1772

1	2	3
27.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	1721
28.	श्री सुदर्शन भगत	1712, 1713, 1774, 1807, 1817
29.	श्री ताराचन्द भगोरा	1796
30.	श्री शिवराज भैया	1803
31.	श्री समीर भुजबल	1704, 1754
32.	श्री पी.के. बिजू	1788, 1819
33.	श्री कुलदीप बिश्नोई	1643
34.	श्री हेमानंद बिसवाल	1618, 1688, 1715
35.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	1726, 1804, 1814
36.	श्री हरिश चौधरी	1734
37.	श्री जयंत चौधरी	1688
38.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	1769, 1803, 1823
39.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1701, 1805, 1807
40.	श्री संजय सिंह चौहान	1724
41.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1689, 1718, 1804, 1817
42.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1811
43.	श्री भूदेव चौधरी	1763, 1810, 1814
44.	श्री निखिल कुमार चौधरी	1823
45.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1661, 1817
46.	श्री भक्त चरण दास	1726, 1840
47.	श्री खगेन दास	1789
48.	श्री राम सुन्दर दास	1787, 1817
49.	श्री रमेन डेका	1687, 1768, 1812
50.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	1673, 1713, 1791, 1808, 1824

1	2	3
51.	श्री के.डी. देशमुख	1699, 1758, 1807
52.	श्री के.पी. धनपालन	1640
53.	श्री संजय धोत्रे	1765
54.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1628, 1721, 1811, 1837
55.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1728, 1818
56.	श्री रामचन्द्र डोम	1782
57.	श्री निशिकांत दुबे	1655
58.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1805
59.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1655, 1672, 1804
60.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़	1808, 1809, 1810, 1811
61.	श्रीमती मेनका गांधी	1776
62.	श्री वरुण गांधी	1712, 1726, 1731, 1816, 1817
63.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	1810
64.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1808, 1809, 1810
65.	श्री एल. राजगोपाल	1706
66.	श्री शिवराम गौडा	1632, 1705
67.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1810, 1812, 1814
68.	श्रीमती परमतजीत कौर गुलशन	1686, 1726
69.	शेख सैदुल हक	1826
70.	श्री महेश्वर हजारी	1814, 1815, 1826
71.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1648, 1743, 1816, 1837
72.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1663, 1705
73.	श्री बलीराम जाधव	1770
74.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1702, 1820

1	2	3
75.	श्री बद्रीराम जाखड़	1631
76.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1771
77.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	1712, 1807
78.	श्री हरिभाऊ जावले	1730
79.	श्रीमती जयाप्रदा	1822
80.	श्री नवीन जिन्दल	1650, 1726, 1821
81.	श्री महेश जोशी	1682
82.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1779, 1824
83.	श्री प्रहलाद जोशी	1671, 1695, 1726, 1760, 1781
84.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	1658
85.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	1825
86.	श्री सुरेश कलमाडी	1767
87.	श्री पी. करुणाकरन	1656, 1713, 1725
88.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1724, 1807, 1817
89.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1803
90.	श्री राम सिंह कस्वां	1728, 1801, 1819
91.	श्री नलिन कुमार कटील	1613, 1705, 1817
92.	श्री चंद्रकांत खैरे	1817, 1838
93.	श्री मधु कोड़ा	1693
94.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1725, 1761
95.	श्री विश्व मोहन कुमार	1696, 1705
96.	श्री अजय कुमार	1705, 1735
97.	श्री पी. कुमार	1684, 1725
98.	श्री शैलेन्द्र कुमार	1750

1	2	3
99.	श्रीमती पुतुल कुमारी	1713, 1769, 1803, 1810
100.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	1691, 1703
101.	श्री यशवंत लागुरी	1813, 1828
103.	श्री पी. लिंगम	1749, 1792
103.	श्री एम. कृष्णास्वामी	1614, 1824
104.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1633, 1659, 1739, 1817
105	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1721, 1754
106.	श्री सतपाल महाराज	1736, 1814
107.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	1625, 1713, 1836
108.	श्री नरहरि महतो	1805
109.	श्री भर्तृहरि महताब	1765
110.	श्री प्रदीप माझी	1799
111.	श्री जोस के. मणि	1791, 1804
112.	श्री हरि मांझी	1803
113.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	1824
114.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1641, 1744
115.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1762, 1817
116	श्री महाबल मिश्रा	1741
117.	श्री सोमेन मित्रा	1713, 1812
118.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1803, 1814
119.	श्री विलास मुत्तेमवार	1733, 1804, 1814
120.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1700, 1705
121.	श्री देवेन्द्र नागपाल	1817

1	2	3
122.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	1814
123.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1688, 1691, 1730, 1806, 1807
124.	श्री नामा नागेश्वर राव	1760, 1822
125.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	1738
126.	श्री नारेनभाई काछादिया	1615, 1804, 1818, 1819, 1833
127.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	1751
128.	श्री संजय निरुपम	1683, 1812, 1821
129.	श्रीमती मौसम नूर	1624, 1697, 1803, 1835
130.	श्री शीश राम ओला	1747
131.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1654, 1804, 1816
132.	श्री पी.आर. नटराजन	1617, 1774, 1824
133.	श्री वैजयंत पांडा	1715, 1725
134.	श्री प्रबोध पांडा	1694, 1746
135.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1674, 1688, 1753, 1803, 1817
136.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1622, 1713, 1730, 1804, 1817
137.	श्री जयराम पांगी	1670, 1826
138.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1808, 1809, 1810, 1811
139.	श्री देवराज सिंह पटेल	1709, 1722, 1817
140.	श्री देवजी एम. पटेल	1804, 1829, 1830, 1831
141.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1657
142.	श्री बाल कुमार पटेल	1708
143.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1799
144.	श्री संजय दिना पाटील	1691

1	2	3
145.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1687, 1803
146.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1805
147.	श्री सी.आर. पाटिल	1773
148.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1667
149.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1808, 1809, 1810, 1811
150.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	1691, 1739
151.	श्रीमती कमला देवी पटले	1634, 1754, 1775, 1828
152.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1621, 1817
153.	श्री अमरनाथ प्रधान	1677
154.	श्री नित्यानंद प्रधान	1626, 1825
155.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	1709, 1722, 1817
156.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1807
157.	श्री एम.के. राघवन	1732
158.	श्री अब्दुल रहमान	1627, 1814
159.	श्री प्रेम दास राय	1686, 1752, 1827
160.	श्री रमाशंकर राजभर	1713, 1834
161.	श्री सी. राजेन्द्रन	1726, 1806
162.	श्री एम.बी. राजेश	1636
163.	श्री पूर्णमासी राम	1757, 1817, 1826, 1829, 1830
164	प्रो. रामशंकर	1730
165.	श्री रामकिशुन	1781, 1814
166.	श्री जगदीश सिंह राणा	1675, 1724, 1817
167.	श्री निलेश नारायण राणे	1680, 1685, 1712, 1728, 1807

1	2	3
168	श्री जे.एम. आरुन रशीद	1723
169.	श्री रामसिंह राठवा	1689, 1785, 1807
170.	श्री अशोक कुमार रावत	1742, 1831
171.	श्री अर्जुन राय	1726, 1727, 1823, 1824
172.	श्री रुद्रमाधव राय	1790, 1821
173.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1700, 1749
174.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	1728
175.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1700, 1806, 1816
176.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1759
177.	प्रो. सौगत राय	1638, 1804
178.	श्री एस. अलागिरी	1714, 1755, 1817, 1828
179.	श्री एस. सेम्मलई	1639, 1722, 1803
180.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1722, 1749, 1832
181.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1653, 1810, 1814
182.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1678, 1749, 1810, 1814, 1817
183.	डॉ. अनूप कुमार साहा	1716
184.	श्री ए. सम्पत	1651, 1713, 1819
185.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1737, 1819
186.	श्रीमती सुशीला सरोज	1649
187.	श्री तूफानी सरोज	1707, 1814, 1822
188.	श्री तथागत सत्पथी	1715
189.	श्री हमदुल्लाह सईद	1645, 1730
190.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	1669, 1807

1	2	3
191.	श्री एम.आई. शानवास	1693
192.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	1817, 1831
193.	श्री जगदीश शर्मा	1766, 1812, 1814
194.	श्री नीरज शेखर	1688, 1814, 1823, 1840
195.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1611, 1618, 1816
196.	श्री राजू शेट्टी	1822, 1831
197.	श्री एंटो एंटोनी	1697, 1749
198.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	1713, 1717
199.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1679, 1689, 1712, 1807
200.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1720, 1788
201.	श्री दुष्यंत सिंह	1797
202.	श्री गणेश सिंह	1721
203.	श्री इज्यराज सिंह	1702, 1820
204.	श्री जगदानंद सिंह	1712, 1725, 1753
205.	श्री महाबली सिंह	1730, 1740
206.	श्रीमती मीना सिंह	1700, 1794
207.	श्री मुरारी लाल सिंह	1739
208.	श्री पशुपति नाथ सिंह	1730, 1816
209.	श्री राधा मोहन सिंह	1700, 1748, 1779, 1787, 1810
210.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1712, 1807
211.	श्री राकेश सिंह	1660, 1804
212.	श्री रवनीत सिंह	1666, 1827
213.	श्री सुशील कुमार सिंह	1688, 1692, 1725

1	2	3
214.	श्री उदय सिंह	1722, 1729, 1814
215.	श्री यशवीर सिंह	1688, 1748, 1814, 1823, 1840
216.	चौधरी लाल सिंह	1711
217.	श्री धनंजय सिंह	1686, 1735, 1795
218.	श्री रेवती रमण सिंह	1798, 1804
219.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1726, 1779, 1780
220.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1734
221.	श्री विजय बहादुर सिंह	1758, 1778, 1805, 1816
222.	श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला	1810
223.	डॉ. संजय सिंह	1705
224.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1786, 1824
225.	श्री के. सुधाकरण	1758, 1793, 1831
226.	श्री ई.जी. सुगावनम	1646, 1810, 1816
227.	श्री के. सुगुमार	1623, 1745
228.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1688, 1689, 1730, 1806, 1824
229.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1689, 1806
230.	श्री मानिक टैगोर	1665, 1804
231.	श्रीमती अन्नू टन्डन	1647, 1726
232.	श्री लालजी टन्डन	1721, 1722, 1728, 1803
233.	श्री अशोक तंवर	1690
234.	श्री बिभू प्रसाद तराई	1694, 1777
235.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1662, 1705, 1713, 1722
236.	श्री जगदीश ठाकोर	1644
237.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1623

1	2	3
238.	श्री आर. थामराईसेलवन	1652, 1680, 1821
239.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	1713, 1784
240.	श्री पी.टी. थॉमस	1728, 1827
241.	श्री मनोहर तिरकी	1759, 1805
242.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1612, 1703
243.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	1667, 1668
244.	श्री जोसेफ टोप्पो	1768
245.	श्री लक्ष्मण टुडु	1755, 1813
246.	श्री शिवकुमार उदासी	1688, 1806, 1813
247.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1649, 1814, 1815, 1826
248.	श्री हर्ष वर्धन	1695, 1814, 1815, 1826
249.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1714
250.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1652, 1813, 1821
251.	श्री सज्जन वर्मा	1720
252.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1649, 1814, 1815, 1826
253.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1688, 1804
254.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	1764, 1817, 1831
255.	श्री पी. विश्वनाथन	1616, 1707
256.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1628, 1635, 1751
257.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	1807
258.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1642, 1705, 1722, 1744, 1746
259.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1810, 1814, 1821
260.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1802
261.	योगी आदित्यनाथ	1749, 1814

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	158
कॉर्पोरेट कार्य	:	153
पेयजल और स्वच्छता	:	152
पृथ्वी विज्ञान	:	157
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	154
विधि और न्याय	:	142, 148, 159
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
अल्पसंख्यक कार्य	:	
विद्युत	:	151
रेल	:	145, 146, 155, 156
ग्रामीण विकास	:	143, 149, 150, 160
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	147
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	144
जल संसाधन	:	141.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	1611, 1612, 1616, 1633, 1638, 1650, 1675, 1681, 1682, 1686, 1687, 1699, 1702, 1707, 1711, 1727, 1731, 1749, 1758, 1771, 1775, 1789, 1792, 1826, 1840
कॉर्पोरेट कार्य	:	1617, 1658, 1695, 1714, 1765, 1800
पेयजल और स्वच्छता	:	1624, 1685, 1692, 1726, 1751, 1756, 1817, 1830
पृथ्वी विज्ञान	:	1626, 1659, 1670, 1709
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1619, 1640, 1679, 1785, 1798, 1827
विधि और न्याय	:	1620, 1631, 1641, 1657, 1672, 1680, 1683, 1704, 1740, 1748, 1761, 1762, 1763, 1776, 1790, 1795, 1811, 1816
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	1697, 1743, 1787, 1835

अल्पसंख्यक कार्य	:	1614, 1632, 1647, 1651, 1653, 1654, 1656, 1662, 1676, 1741, 1750, 1781
विद्युत	:	1634, 1635, 1643, 1646, 1663, 1664, 1671, 1673, 1684, 1712, 1713, 1716, 1723, 1742, 1774, 1777, 1786, 1806, 1807, 1808, 1824, 1832
रेल	:	1627, 1629, 1637, 1639, 1642, 1644, 1649, 1652, 1660, 1665, 1667, 1669, 1674, 1678, 1710, 1717, 1719, 1721, 1724, 1725, 1729, 1738, 1744, 1745, 1746, 1754, 1755, 1757, 1760, 1766, 1769, 1772, 1779, 1780, 1782, 1791, 1794, 1802, 1809, 1810, 1812, 1813, 1814, 1815, 1821, 1823, 1825, 1829, 1831, 1834, 1838
ग्रामीण विकास	:	1613, 1618, 1621, 1668, 1688, 1693, 1694, 1700, 1701, 1705, 1706, 1708, 1715, 1722, 1728, 1735, 1739, 1752, 1753, 1759, 1768, 1788, 1797, 1803, 1805, 1818, 1822, 1828, 1836, 1837
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	1636, 1666, 1689, 1737, 1778, 1796, 1819, 1833
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	1645, 1690, 1691
जल संसाधन	:	1615, 1622, 1623, 1625, 1628, 1630, 1648, 1655, 1661, 1677, 1696, 1698, 1703, 1718, 1720, 1730, 1732, 1733, 1734, 1736, 1747, 1764, 1767, 1770, 1773, 1783, 1784, 1793, 1799, 1801, 1804, 1820, 1839.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

G.F.D

पी०एल०एस०-48/31/10/2013 (एन०)

360

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।